उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खंड १८५

(बृहस्पतिवार, १ अगस्त, १९५७

से

बुधवार, १४ अगस्त, १९५७ तक)

मुद्रक :
अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, भारत।
१९५८

मूल्य : बिना महसूल २५ नये पैसे, महसूल सहित ३१ नये पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये।

विषय सूची

बृहस्पतिवार, १ अगस्त, १९५७

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१—४
प्रश्नोत्तर	४—३०
श्री ब्रजनारायण तिवारी द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना (वापिस लिया गया)	३०
श्री मदन पांडेय द्वारा कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्ताव की २ प्रतियां न भेजने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी)	३०
१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन	३०
अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य—निर्माण-कार्यों पर लागत (स्वीकृत)	३१
अनुदान संख्या ३२—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य—केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता (स्वीकृत) ..	३१
अनुदान संख्या ३३—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य और ८१—राजस्व-लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा (स्वीकृत)	३१
अनुदान संख्या १—लेखा शीर्षक ४—कृषि आय-कर की उगाही पर व्यय (स्वीकृत)	३२
अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि (स्वीकृत)	३२
अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा (जारी)	३२—३५
कांग्रेस पक्ष तथा विरोधी पक्ष को आय-व्ययक पर विचार में समान समय देने पर आपत्ति	३५—३७
भाषणों के लिये समय निर्धारण	३७
१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा (स्वीकृत)	३७—७५
श्री उपाध्यक्ष द्वारा अपने निवास-स्थान की सज्जा के व्यय में कटौती की घोषणा	७५
नत्थियां	७६—८६

शुक्रवार, २ अगस्त, १९५७

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	९१–९४
प्रश्नोत्तर	९५–१२०
बस्ती जिले में गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस एवं हैजे से ५०० व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी।	१२०
१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ३२––लेखा शीर्षक ४०––उपनिवेशन (जारी) ..	१२०–१३२
कतिपय स्थायी समितियों तथा बोर्डों के निर्वाचनार्थ नाम वापसी के समय में वृद्धि	१३२
१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ३२––लेखा शीर्षक ४०––उपनिवेशन (स्वीकृत) ..	१३२–१३६
अनुदान संख्या २––लेखा शीर्षक ७––मालगुजारी (जारी) ..	१३६–१६४
कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसियेशन की शाखा स्थापित करने के लिये कमेटी रूम में बैठक की सूचना	१६४
नत्थियां	१६५–१८६

शनिवार, ३ अगस्त, १९५७

उपस्थित सदस्य	१८७–१९०
विधान सभा सदस्य श्री मोतीलाल अवस्थी की गिरफ्तारी की सूचना ..	१९०
प्रदेश के पूर्वी जिलों में खाद्य स्थिति के फलस्वरूप भुखमरी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (निर्णय स्थगित) ..	१९१
मकरामऊ, जिला आजमगढ़ में भूख से एक व्यक्ति की मृत्यु के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (निर्णय स्थगित) ..	१९१
भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के अध्यक्ष द्वारा अनशन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	१९१
गोरखपुर जिले में सशस्त्र डकैतियों से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	१९१–१९२
भुखमरी से सम्बन्धित कार्य-स्थगन प्रस्तावों को अगले दिन लेने की सूचना ..	१९२
१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या २––लेखा शीर्षक ७––मालगुजारी (जारी) ..	१९२–१९५
माननीय उपमंत्री, श्री परमात्मानन्द सिंह द्वारा अनुदान उपस्थित किये जाने पर वैधानिक आपत्ति	१९५–१९९
१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या २––लेखा शीर्षक ७––मालगुजारी (स्वीकृत) ..	१९९–२४८

सोमवार, ५ अगस्त, १९५७

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२४९–२५३
प्रश्नोत्तर	२५३–२७६
भुखमरी से सम्बन्धित ३ अगस्त के दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	२७६–२७८
जिला पीलीभीत में पुलिस के निरंकुश व्यवहार से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	२७८
पूर्वी जिलों, विशेषकर गोरखपुर जिले में घाघरा, राप्ती आदि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (स्थगित)	२७८–२७९
आगरा जिले में सोशलिस्ट सत्याग्रही रामसिंह की मृत्यु के सम्बन्ध मे कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (स्थगित)	२७९
वित्तीय तथा साधारण कार्य में विरोधी दल को अधिक समय देने तथा विरोधी दल के परामर्श से कार्य-क्रम निर्धारित करने के सम्बन्ध में सुझाव ..	२७९–२८३
१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन	२८३–२८४
अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ५७—समाज कल्याण (स्वीकृत) ..	२८४
अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४१—पशु-चिकित्सा (स्वीकृत) ..	२८४–२९४
अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि सम्बन्धी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५—लखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्वीकृत) ..	२९४–३२१
नत्थियां	३२२–३२७

मंगलवार, ६ अगस्त, १९५७

उपस्थित सदस्य	३२९–३३३
प्रश्नोत्तर	३३३–३५९
पूर्वी जिलों, विशेषकर गोरखपुर जिले में घाघरा, राप्ती आदि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	३५९–३६०
आगरा जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रही श्री रामसिंह की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	३६०–३६१
जिला बाराबंकी में घाघरा नदी की बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	३६१–३६२
गाजीपुर जिले में चन्द्रप्रभा नहर के टूटने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करन की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	[illegible]

विषय	पृष्ठ-संख्या
सहारनपुर नगरपालिका के भंगियों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	३६३
प्रादेशिक कर्मचारियों को डाक व तार कार्यालयों में काम करने की आज्ञा देने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३६३–३६४
'नेशनल हेराल्ड' में कृषि मंत्री के भाषण को गलत ढंग से प्रकाशित करने पर कृषि मंत्री द्वारा आपत्ति	३६५
१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य (स्वीकृत)	३६५–४०७
नत्थियां	४०८–४१५

सोमवार, १२ अगस्त, १९५७

उपस्थित सदस्य	४१७–४२०
प्रश्नोत्तर	४२१–४४१
आजमगढ़ जिले के रामपुर-चुनौली गांव में भुखमरी से अभिकथित मृत्यु के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४४१
आजमगढ़ शहर में बम विस्फोट के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४४१–४४२
प्रतापगढ़ जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों द्वारा भूख हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	४४२–४४३
बलिया जिले में घाघरा नदी से होने वाले कटाव से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४४३–४४४
१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन	४४४–४४५
अनुदान संख्या ३६—लेखा शीर्षक ५४—क—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ५४—ख—भारतीय शासकों के निजी खर्चे तथा भत्ते (स्वीकृत)	४४५
अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक २५—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय (स्वीकृत)	४४६–४८९
अध्यक्ष-वीथी के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने के संबंध में सूचना ..	४९०
नत्थियां	४९१–४९३

मंगलवार, १३ अगस्त, १९५७

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४९५—४९६
प्रश्नोत्तर	४९६—५२४
ट्रांस घाघरा-राप्ती-गंडक क्षेत्र में घाघरा राप्ती इत्यादि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	५२४—५२५
गोरखपुर जिले में अभिकथित भुखमरी की स्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	५२५
टेहरी-गढ़वाल राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, १९५६, के अन्तर्गत आलेख्य आदेश (मेज पर रखे गये) ..	५२५
यू० पी० पंचायत राज नियमावली में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	५२५
विभिन्न विरोधी दलों के लिये कमरों की व्यवस्था	५२६
१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन	५२६—५२७
अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ६३-क—युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३-ख—सामुदायिक विकास योजनाएं, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य (स्वीकृत) ..	५२७—५७२
अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान (स्वीकृत)	५७२—६०७
नत्थियां	६०७—६२१

बुधवार, १४ अगस्त, १९५७

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६२३—६२७
प्रश्नोत्तर	६२७—६५४
श्री मलखान सिंह द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (लिया नहीं गया)	६५४
हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंगठन) (संशोधन) विधेयक, १९५७ (पुरःस्थापित किया गया)	६५५
आजमगढ़ जिले में अभिकथित भुखमरी के विषय में अन्न मंत्री का वक्तव्य	६५५
१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—विभिन्न अनुदानों के लिये समय-विभाजन	६५५—६५६
अनुदान संख्या ४२—लेखा शीर्षक ६३—असाधारण व्यय (स्वीकृत) ..	६५६
अनुदान संख्या ५१—लेखा शीर्षक ८५-क—राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	६५६
अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०—वन (स्वीकृत)	६५७—६८०
अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २७—न्याय प्रशासन (स्वीकृत) ..	६८०—७०२
विभिन्न समितियों तथा बोर्डों के नाम निर्देशन-पत्र वापस लेने के समय में वृद्धि	७०३
नत्थियां	७०४—७०९

शासन

राज्यपाल

श्री वरहगिरि वेंकटगिरि

मंत्रि-परिषद्

मन्त्री (जो मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, विधान सभा-सदस्य, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन एवं नियोजन मंत्री।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, वित्त, उद्योग तथा विद्युत मंत्री।

श्री हुकुम सिंह बिसेन, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, स्वास्थ्य, कृषि तथा पुनर्वासन मंत्री।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, विधान-सभा-सदस्य, सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

श्री चरणसिंह, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, माल मंत्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार-एट-ला, विधान-सभा-सदस्य, न्याय, वन तथा अन्न मंत्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान-सभा-सदस्य, गृह, शिक्षा तथा सूचना मंत्री।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, विधान-सभा-सदस्य, स्वशासन मंत्री।

आचार्य जुगलकिशोर, श्रम तथा समाज कल्याण मंत्री।

श्री मोहनलाल गौतम, विधान-सभा-सदस्य, सहकारिता मंत्री।

मन्त्री (जो मन्त्रिमन्डल के सदस्य नहीं हैं)

श्री मंगलाप्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, हरिजन सहायक मंत्री।

श्री मुजफ्फर हसन, विधान-सभा-सदस्य, समाज सुरक्षा मंत्री।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, सिंचाई मंत्री।

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (विस), पी-एच० डी०, विधान-सभा-सदस्य, मादक कर तथा परिवहन मंत्री।

उप-मन्त्री

श्री जगमोहनसिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, नियोजन उपमंत्री।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, विधान-सभा-सदस्य, न्याय तथा अन्न उपमंत्री।

श्री कैलाशप्रकाश, विधान-सभा-सदस्य, शिक्षा उपमंत्री।

श्री रऊफ जाफरी, एम० ए०, विधान-सभा-सदस्य, उद्योग उपमंत्री।

श्री परमात्मानन्दसिंह, विधान-परिषद्-सदस्य, माल उपमंत्री।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी, विधान-सभा-सदस्य, स्वास्थ्य उपमंत्री।

श्रीमती प्रकाशवती सूद, विधान-सभा-सदस्या, समाज कल्याण उपमंत्री।

सभा-सचिव

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान-सभा-सदस्य ।

श्री राजविहारीसिंह, विधान-सभा-सदस्य ।

कृषिमंत्री के सभा-सचिव

श्री बलदेवसिंह आर्य, विधान-सभा-सदस्य ।

वित्त मंत्री के सभा-सचिव

श्री धर्मसिंह, विधान-सभा-सदस्य ।

स्वशासन मंत्री के सभा-सचिव

श्री रामस्वरूप यादव, विधान-सभा-सदस्य ।

गृह मंत्री के सभा-सचिव

श्री इस्तफा हुसैन, विधान-सभा-सदस्य ।

श्रम मंत्री के सभा-सचिव

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा, विधान-सभा-सदस्य ।

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा-सचिव

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा, विधान-सभा-सदस्य ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा-सचिव

श्री महावीर सिंह, विधान-परिषद् सदस्य ।

(२)

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

क्र० सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१	अक्षयवरसिंह, श्री ..	.. पिपराइच
२	अज़ीज़ इमाम, श्री ..	.. कंतित
३	अनन्तराम वर्मा, श्री	.. अलीगढ़
४	अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री	.. विनायकपुर
५	अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री	.. कोपागंज
६	अब्दुस्समी, श्री ..	.. बरौसा
७	अभयराम यादव, श्री	.. जसवंतनगर
८	अमरनाथ, श्री	.. महाराजगंज
९	अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री	.. मिर्जापुर
१०	अमोलादेवी, श्रीमती	.. अठेहा
११	अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री	.. सलेमपुर (पूर्व)
१२	अली जर्रार जाफ़री, श्री	.. उतरौला
१३	अली जहीर, श्री सैयद	.. लखनऊ शहर (पश्चिम)
१४	अल्लाह बख्श, श्री शेख	.. अफजलगढ़
१५	अवधेशकुमार सिन्हा, डाक्टर	.. मिसरिख
१६	अवधेशचन्द्रसिंह, श्री	.. भोजपुर
१७	अवधेशप्रतापसिंह, श्री	.. बीकापुर (पूर्व)
१८	अशफाक़ अली खां, श्री	.. शाहजहांपुर
१९	असग़र अली खां, कुंवर	.. बुढ़ाना
२०	असलम खां, श्री ..	.. रामपुर
२१	अहमद बख्श, श्री ..	.. जानसठ
२२	आत्माराम गोविन्द खेर, श्री	.. झांसी
२३	आत्माराम पांडय, श्री	.. सैदपुर
२४	आदिराम सिंघल, श्री	.. आगरा शहर
२५	आनन्दब्रह्मशाह, श्री	.. राबर्ट्सगंज
२६	आर्थर सी० ग्राइस, श्री	.. नाम निर्देशित (आंग्ल भारतीय)
२७	इन्दुभूषण गुप्त, श्री	.. सगरी
२८	इरतजा हुसैन, श्री ..	.. सियाना
२९	इस्तफा हुसैन, श्री ..	.. गोरखपुर
३०	उग्रसेन, श्री ..	.. सलेमपुर (पश्चिम)
३१	उदयशंकर दुबे, श्री	.. बस्ती
३२	उबैदुर्रहमान, श्री ..	.. बांसी (पूर्व)
३३	उमाशंकर शुक्ल, श्री	.. कानपुर शहर
३४	उल्फ़तसिंह, श्री ..	.. सहसवान
३५	ऊदल, श्री ..	.. कोलासला
३६	एस० अहमद हसन, श्री	.. कानपुर शहर
३७	कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	.. शाहाबाद
३८	कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी	.. करछना
३९	कमलापति त्रिपाठी, श्री	.. चन्दौली

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
४०	कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले ..	पुवायां
४१	कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु	इलाहाबाद शहर (दक्षिण)
४२	कल्याणराय, श्री	शाहाबाद
४३	कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री ..	महाइच
४४	कालीचरण अग्रवाल, श्री ..	कासगंज
४५	काशीप्रसाद पांडेय, श्री ..	कादीपुर
४६	किशनसिंह, श्री	ठाकुरद्वारा
४७	किशोरीरमणसिंह, श्री ..	इगलास
४८	कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री ..	सुल्तानपुर
४९	केशभानराय, श्री	मगहर
५०	केशव पांडेय, श्री	मनीराम
५१	केशवराम, श्री	बिसौली
५२	कैलाशकुमारसिंह, श्री ..	इस्लामनगर
५३	कैलाशनारायण गुप्त, श्री ..	इलाहाबाद शहर (उत्तर)
५४	कैलाशवती, श्रीमती ..	छिल्लूपुर
५५	कैलाशप्रकाश, श्री ..	मेरठ शहर
५६	कोतवालसिंह भदौरिया, श्री ..	छिबरामऊ
५७	कृपाशंकर, श्री	नगर
५८	खजानसिंह, चौधरी ..	उन्नाव
५९	खमानीसिंह, डाक्टर ..	मुरादाबाद (देहात)
६०	खयालीराम, श्री	मोहनलालगंज
६१	खुशीराम, श्री	पिथौरागढ़
६२	खूबसिंह, श्री ..	धामपुर
६३	गंगाधर जाटव, श्री ..	एतमादपुर
६४	गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा) ..	गोंडा (दक्षिण)
६५	गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा) ..	एटा
६६	गंगाप्रसाद सिंह, श्री ..	रसरा
६७	गजेन्द्रसिंह, श्री ..	बिधुना
६८	गज्जूराम, श्री ..	ललितपुर
६९	गणेशप्रसाद पांडेय, श्री ..	बांसगांव
७०	गनेशचन्द्रकाछी, श्री ..	भोगांव
७१	गनेशीलाल चौधरी, श्री ..	बिस्वां
७२	गयाप्रसाद, श्री ..	कुंडा
७३	गयाबख्शसिंह, श्री ..	इसौली
७४	गयूर अली खां, श्री ..	भवन
७५	गरीबदास, श्री ..	कालपी
७६	गिरधारीलाल, श्री ..	धामपुर
७७	गुप्तारसिंह, श्री ..	सरेनी
७८	गुरुप्रसादसिंह, श्री ..	मुसाफिरखाना
७९	गुलाबसिंह, श्री ..	मसूरी
८०	गेंदादेवी, श्रीमती ..	खलीलाबाद

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
८१	गेंदासिंह, श्री	..	पडरौना (पूर्व)
८२	गोकुलप्रसाद, श्री	..	चायल
८३	गोपाली, श्री	..	खुर्जा
८४	गोपीकृष्णआजाद, श्री	..	नारायनी
८५	गोविन्दनारायण तिवारी, श्री	..	जालौन
८६	गोविन्दसहाय, श्री	..	नगीना
८७	गोविन्दसिंह विष्ट, श्री	..	अल्मोड़ा
८८	गौरीराम गुप्त, श्री	..	फरेंदा ((पश्चिम)
८९	गौरीशंकरराय, श्री	..	बलिया
९०	घनश्याम डिमरी, श्री	..	बद्रीनाथ
९१	घासीराम जाटव, श्री	..	भरथना
९२	चन्द्रजीत यादव, श्री	..	मोहम्मदाबाद गोहना
९३	चन्द्रदेव, श्री	..	पडरोना (उत्तर)
९४	चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री	..	नजीमाबाद
९५	चन्द्रसिंह रावत, श्री	..	पौड़ी
९६	चन्द्रहास मिश्र, श्री	..	बिलग्राम
९७	चन्द्रावती, श्रीमती	..	बिजनौर
९८	चन्द्रिकाप्रसाद, श्री	..	बछरावां
९९	चरणसिंह, श्री	..	कोटना
१००	चित्तरसिंहनिरंजन, श्री	..	कौंच
१०१	चिरंजीलाल जाटव, श्री	..	जलेसर
१०२	छत्तरसिंह, श्री	..	खुर्जा
१०३	छत्रपति अम्बेश, श्री	..	आगरा शहर
१०४	छेदीलाल, श्री	..	श्रीनगर
१०५	छोटेलाल पालीवाल, श्री	..	सिरहपुरा
१०६	जंगबहादुर वर्मा, श्री	..	हैदरगढ़
१०७	जंगबहादुरसिंह विष्ट, श्री	..	रानीखेत (दक्षिण)
१०८	जगदीशनारायण, श्री	..	बिलारी
१०९	जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री	..	मोहम्मदी
११०	जगदीशप्रसाद, श्री	..	हसनपुर
१११	जगदीशशरणअग्रवाल, श्री	..	बरेली शहर
११२	जगन्नाथ, चौधरी	..	सिकन्दरपुर
११३	जगन्नाथप्रसाद, श्री	..	धौरेहरा
११४	जगन्नाथ लहरी, श्री	..	फिरोजाबाद
११५	जगपतिसिंह, श्री	..	करवी
११६	जगमोहनसिंह नेगी, श्री	..	गंगा सलाण
११७	जगवीरसिंह, श्री	..	अगोटा
११८	जमुनासिंह, श्री	..	गुन्नौर
११९	जयगोपाल, डाक्टर	..	हरौरा
१२०	जयदेवसिंह आर्य, श्री	..	घिरोर
१२१	जयराम वर्मा, श्री	..	टांडा
१२२	जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री	..	खाई

क्रम-नं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१२३	ज़रगाम हैदर, श्री सैयद	..	बहराइच (उत्तर)
१२४	जवाहरलाल, श्री	..	मंझनपुर
१२५	जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर	..	कानपुर शहर
१२६	जागेश्वर, श्री	..	किशनपुर
१२७	जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री	..	कांठ
१२८	जुगलकिशोर आचार्य, श्री	..	गोवर्धन
१२९	जोखई, श्री	..	मेजा
१३०	ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री	..	घाटमपुर
१३१	झारखंडेराय, श्री	..	घोसी
१३२	टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री	..	खैराबाद
१३३	टीकाराम, श्री	..	बदायूं
१३४	टीकाराम पुजारी, श्री	..	सादाबाद
१३५	डूंगरसिंह, श्री	..	राठ
१३६	ताराचन्द माहेश्वरी, श्री	..	सिधौली
१३७	तारादेवी, डाक्टर	..	मड़ियाहूं
१३८	तिरमलसिंह, श्री	..	सहावर
१३९	तेजबहादुर, श्री	..	लालगंज
१४०	तेजासिंह, श्री	..	गाजियाबाद
१४१	त्रिलोकीसिंह, श्री	..	लखनऊ शहर (पूर्व)
१४२	दत्त, श्री एस० जी०	..	कानपुर-शहर
१४३	दशरथप्रसाद, श्री	..	बलरामपुर
१४४	दाताराम चौधरी, श्री	..	नकुड़
१४५	दीनदयालु करुण, श्री	..	बलरामपुर
१४६	दीनदयालु शर्मा, श्री	..	अनूपशहर
१४७	दीनदयालु शास्त्री, श्री	..	रुड़की
१४८	दीपंकर, आचार्य	..	बरौत
१४९	दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री	..	देवरिया (दक्षिण)
१५०	दुर्योधन, श्री	..	महाराजगंज
१५१	दुलारादेवी, श्रीमती	..	फखरपुर
१५२	देवकीनन्दनविभव, श्री	..	आगरा शहर
१५३	देवदत्तसिंह, श्री	..	टप्पल
१५४	देवनारायण भारतीय, श्री	..	जमौर
१५५	देवराम, श्री	..	शादियाबाद
१५६	देवीप्रसाद मिश्र, श्री	..	अकबरपुर
१५७	द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री	..	मुजफ्फरनगर
१५८	द्वारिकाप्रसाद, श्री	..	कन्नौज
१५९	द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री	..	फरेन्दा (पूर्व)
१६०	धनीराम, श्री	..	लालगंज
१६१	धनुषधारी पांडेय, श्री	..	महुली
१६२	धर्मपालसिंह, श्री	..	तुलसीपुर
१६३	धर्मदत्तवैद्य, श्री	..	सिरौली
१६४	धर्मसिंह, श्री	..	अनूपशहर

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१६५	नत्थाराम रावत, श्री	..	बाराबंकी
१६६	नत्थूसिंह, श्री (बरेली)	..	फरीदपुर
१६७	नत्थूसिंह, श्री (मनपुरी)	..	करहल
१६८	नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री	..	हाथरस
१६९	नन्दराम, श्री	..	कुन्डा
१७०	नरदेवसिंह दतियानवी, श्री	..	चांदपुर
१७१	नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री	..	केदारनाथ
१७२	नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री	..	पिथौरागढ़
१७३	नवलकिशोर, श्री	..	आंवला
१७४	नागेश्वरप्रसाद, श्री	...	गरवारा
१७५	नारायणदत्त तिवारी, श्री	..	नैनीताल
१७६	नारायणदास पासी, श्री	..	बीकापुर (पश्चिम)
१७७	निरंजनसिंह, श्री	..	पीलीभीत
१७८	नेकराम शर्मा, श्री	..	अतरौली
१७९	पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री	..	अतरौलिया
१८०	पब्बरराम, श्री	..	गाजीपुर
१८१	परमानन्द सिनहा, श्री	..	सोरांव (पश्चिम)
१८२	परमेश्वरीदीन वर्मा, श्री	..	पुर्वा
१८३	पहलवानसिंह ,चौधरी	..	बांदा
१८४	प्रकाशवती सूद, श्रीमती	..	मेरठ (छावनी)
१८५	प्रतापबहादुरसिंह, श्री	..	फखरपुर
१८६	प्रतापभानप्रकाशसिंह ,श्री	..	लहरपुर
१८७	प्रतापसिंह, श्री	..	टनकपुर
१८८	प्रभावतीमिश्र, श्रीमती	..	लम्भुआ
१८९	प्रभुदयाल, श्री	..	बानगंगा (पश्चिम)
१९०	फतेहसिंह राणा, श्री	..	सरधना
१९१	बंशीधर शुक्ल, श्री	..	श्रीनगर
१९२	बलदेवसिंह, श्री	..	महदेवा
१९३	बलदेवसिंह आर्य, श्री	..	शाहाबाद
१९४	बलवानसिंह, श्री	..	अकबरपुर
१९५	बसन्तलाल, श्री	..	लखनऊ (छावनी)
१९६	बादामसिंह, श्री	..	शिकारपुर
१९७	बाबूराम, श्री	..	भोजीपुरा
१९८	बाबूलाल कुसुमेश, श्री	..	प्रतापगंज
१९९	बालकराम, श्री	..	तिलहर
२००	बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री	..	डोमरियागंज (दक्षिण)
२०१	बिन्दुमतीदास, श्रीमती	..	प्रतापगंज
२०२	बिशम्बरसिंह, श्री	..	हस्तिनापुर
२०३	बिहारीलाल, श्री	..	बीसलपुर
२०४	बुलाकीराम, श्री	..	हरदोई
२०५	बुद्धीलाल, श्री	..	नानपारा
२०६	बुद्धीसिंह, श्री	..	बहजोई

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२०७	बृजबासी लाल, श्री	..	बीकापुर (पश्चिम)
२०८	बृजरानी मिश्र, श्रीमती	..	बिल्हौर
२०९	बेचनराम, श्री	..	ज्ञानपुर
२१०	बेचनराम गुप्त, श्री	..	ज्ञानपुर
२११	बेनीबाई, श्रीमती	..	मऊ
२१२	बैजूराम, श्री	..	सिधौली
२१३	ब्रजनारायण तिवारी, श्री	..	पडरौना (पश्चिम)
२१४	ब्रजभूषणशरण, श्री	..	देहरादून
२१५	ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	..	कानपुर शहर
२१६	भगवतीप्रसाद दुबे, श्री	..	भावापुर
२१७	भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री	..	प्रतापगढ़ (दक्षिण)
२१८	भगवतीसिंह विशारद, श्री	..	भगवन्तनगर
२१९	भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री	..	बाराबंकी
२२०	भजनलाल, श्री	..	औरैया
२२१	भोलालाल, श्री	..	हसनगंज
२२२	भुवनेशभूषण शर्मा, श्री	..	इटावा
२२३	भूपकिशोर, श्री	..	अलीगंज
२२४	मंगलाप्रसाद, श्री	..	मेजा
२२५	मंजूरुलनबी, श्री	..	सहारनपुर
२२६	मथुराप्रसाद पांडेय, श्री	..	नौगढ़
२२७	मदनगोपाल वैद्य, श्री	..	अमीसन
२२८	मदनपांडेय, श्री	..	तिलपुर
२२९	मदनमोहन, श्री	..	फैजाबाद
२३०	मन्नालाल, श्री	..	मोहम्मदी
२३१	मलखानसिंह, श्री	..	सिकन्दराराव
२३२	मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)	..	मैनपुरी
२३३	महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)	..	डसना
२३४	महमूद अली खां, श्री (रामपुर)	..	स्वार टांडा
२३५	महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)	..	मुजफ्फराबाद
२३६	महमूद हुसैन खां, श्री	..	सम्भल
२३७	महाबीरप्रसाद शुक्ल, श्री	..	केवाई
२३८	महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री	..	लखनऊ शहर (मध्य)
२३९	महीलाल, श्री	..	बिलारी
२४०	महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा	..	बाह
२४१	महेशसिंह, श्री	..	हरदोई
२४२	माताप्रसाद, श्री	..	शाहगंज
२४३	मान्धातासिंह, श्री	..	कोपाचीत
२४४	मिहरबानसिंह, श्री	..	भरथना
२४५	मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री	..	रवौली
२४६	मुक्तिनाथराय, श्री	..	गोपालपुर
२४७	मुजफ्फरहसन, श्री	..	चायल
२४८	मुनीन्द्रपालसिंह, श्री	..	बीसल
२४९	मुबारकअली खां, श्री	..	उसेहट

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२५०	मुरलीधर कुरील, श्री	..	बिल्हौर
२५१	मुरलीधर, श्री	..	माहुल
२५२	मूलचन्द, श्री	..	मिसरिख
२५३	मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री	..	सफीपुर
२५४	मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	..	वाराणसी शहर (उत्तर)
२५५	मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज	..	नजीबाबाद
२५६	मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री	..	देवरिया (उत्तर)
२५७	मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	..	बानगंगा (पूर्व)
२५८	मुहम्मद हुसैन, श्री	..	बरेली छावनी
२५९	मोतीलाल अवस्थी, श्री	..	कानपुर (देहात)
२६०	मोहनलाल, श्री	..	महोबा
२६१	मोहनलाल गौतम, श्री	..	कोयल
२६२	मोहनलाल वर्मा, श्री	..	संडीला
२६३	मोहनसिंह मेहता, श्री	..	दानपुर
२६४	यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री	..	रायबरेली (उत्तर)
२६५	यमुनासिंह, श्री	..	शादियाबाद
२६६	यशपालसिंह, श्री	..	देवबन्द
२६७	यशोदादेवी, श्रीमती	..	बांसगांव
२६८	यादवेंद्रदत्त दुबे, राजा	..	जौनपुर
२६९	रऊफ जाफरी, श्री	..	मछलीशहर
२७०	रघुनाथसहाय यादव, श्री	..	किशनपुर
२७१	रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब	..	सादुल्लानगर
२७२	रघुराजसिंह चौधरी, श्री	..	बुलन्दशहर
२७३	रघुबीर राम, श्री	..	मोहम्मदाबाद
२७४	रघुबीरसिंह, श्री (एटा)	..	जलेसर
२७५	रघुबीरसिंह, श्री (मेरठ)	..	बागपत
२७६	रणबहादुरसिंह, श्री	..	हरैया (पश्चिम)
२७७	रमाकांतसिंह, श्री	..	अमेठी
२७८	रमानाथ खैरा, श्री	..	ललितपुर
२७९	रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	..	बरसाथी
२८०	राघवराम पांडेय, श्री	..	गोंडा (दक्षिण)
२८१	राघवेंद्रप्रताप सिंह, श्री	..	मनकापुर
२८२	राजकिशोर राव, श्री	..	इकौना
२८३	राजकुमार शर्मा, श्री	..	चुनार
२८४	राजदेव उपाध्याय, श्री	..	सिधुवाजोबना
२८५	राजनारायण, श्री	..	कसवरसरकारी
२८६	राजनारायणसिंह, श्री	..	अहरौरा
२८७	राजबिहारीसिंह, श्री	..	कसंवर राजा
२८८	राजाराम शर्मा, श्री	..	खलीलाबाद
२८९	राजेंद्र किशोरी, श्रीमती	..	डोमरियागंज (उत्तर)
२९०	राजेंद्रदत्त, श्री	..	शिकारपुर

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२९१	रार्वेद्रसिंह, श्री	..	गोंडवा
२९२	रार्वेद्रसिंह यादव, श्री	..	शमशाबाद
२९३	रामअधार तिवारी, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर)
२९४	रामअभिलाष, श्री		गोंडा (उत्तर)
२९५	रामकिंकर, श्री	..	पट्टी
२९६	रामकुमार वैद्य, श्री	..	अमरोहा
२९७	रामकृष्ण जैसवार, श्री	..	कंतित
२९८	रामकृष्ण सारस्वत, श्री	..	फर्रुखाबाद
२९९	रामगोपाल गुप्त, श्री	..	मौदहा
३००	रामचन्द्र विकल, श्री	..	सिकन्दराबाद
३०१	रामजीलाल सहायक, श्री	..	सरधना
३०२	रामजीसहाय, श्री	..	सिलहट
३०३	रामदास आर्य, श्री	..	जानसठ
३०४	रामदीन, श्री	..	करहल
३०५	रामनाथ पाठक, श्री	..	दोआबा
३०६	रामनारायण त्रिपाठी, श्री	..	सुरहुरपुर
३०७	रामपाल त्रिवेदी, श्री	..	मलीहाबाद
३०८	रामप्रसाद, श्री	..	सलोन
३०९	रामप्रसाद देशमुख, श्री	..	कोयल
३१०	रामप्रसाद नौटियाल, श्री	..	लैन्सडाउन
३११	रामबली, श्री	..	मुसाफिरखाना
३१२	राममूर्ति, श्री	..	बहेड़ी
३१३	रामरतनप्रसाद, श्री	..	रसरा
३१४	रामरतीदेवी, श्रीमती	..	अकबरपुर
३१५	रामलखन तिवारी, श्री	..	बांसडीह (पूर्व)
३१६	रामलखन, श्री (वाराणसी)	..	चन्दौली
३१७	रामलखन मिश्र, श्री	..	बांसी (पश्चिम)
३१८	रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)	..	रारी
३१९	रामलाल, श्री	..	नगर
३२०	रामवचन यादव, श्री	..	माहुल
३२१	रामशरण यादव, श्री	..	मोहनलालगंज
३२२	रामसनेही भारतीय, श्री	..	व
३२३	रामसमुझावन, श्री	..	केराकत
३२४	रामसिंह चौहान, श्री वैद्य	..	एतमादपुर
३२५	रामसुन्दर पांडेय, श्री	..	नत्थूपुर
३२६	रामसूरतप्रसाद, श्री	..	पिपराइच
३२७	रामस्वरूप यादव, श्री	..	जसराना
३२८	रामस्वरूप वर्मा, श्री	..	भोगनीपुर
३२९	रामहेतसिंह, श्री	..	छाता
३३०	रामायणराय, श्री	..	पडरौना (दक्षिण)
३३१	रामेश्वरप्रसाद, श्री	..	बछरावां
३३२	रुकनुद्दीन खां, श्री	..	कोंहडौर

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३३३	लक्ष्मीसिंह, श्री	..	खेरा बजेहरा
३३४	लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	..	काशीपुर
३३५	लक्ष्मणराव कदम, श्री	..	गरौठा
३३६	लक्ष्मीनारायण, श्री	..	पहाड़पुर
३३७	लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री	..	फतेहाबाद
३३८	लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	..	माट
३३९	लायकसिंह, चौधरी	..	शिकोहाबाद
३४०	लालबहादुरसिंह, श्री	..	केराकत
३४१	लुत्फअली खां, श्री	..	हापुड़
३४२	लोकनाथसिंह, श्री	..	कटेहर
३४३	बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री	..	हैदरगढ़
३४४	वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री	..	जमानिया
३४५	वसी नक़वी, श्री	..	रोसा
३४६	वासुदेव दीक्षित, श्री	..	खागा
३४७	विचित्रनारायण शर्मा, श्री	..	मोदीनगर
३४८	विजयशंकरसिंह, श्री	..	मुहम्मदाबाद
३४९	विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती	..	शाहाबाद
३५०	विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती	..	देवप्रयाग
३५१	विशालसिंह, श्री	..	भिटौली
३५२	विश्रामराय, श्री	..	आजमगढ़
३५३	विश्वनाथसिंह गौतम, श्री	..	करांद
३५४	विश्वेश्वरानन्द, स्वामी	..	फतेहपुर सीकरी
३५५	वीरसेन, श्री	..	हापुड़
३५६	वीरेंद्र वर्मा, श्री	..	कैराना
३५७	वीरेंद्रविक्रमसिंह, श्री	..	बहराइच (दक्षिण)
३५८	वीरेंद्रशाह, राजा	..	कालपी
३५९	ब्रजगोपाल सक्सेना, श्री	..	महोबा
३६०	ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री	..	घाटमपुर
३६१	शंकरलाल, श्री	..	कादीपुर
३६२	शकुंतलादेवी, श्रीमती	..	हरौरा
३६३	शब्बीरहसन, श्री	..	लजुहा
३६४	शमशुल इस्लाम, श्री	..	निघपुर
३६५	शम्भुदयाल, श्री	..	संडीला
३६६	शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री	..	हरद्वार
३६७	शिवगोपाल तिवारी, श्री	..	सफीपुर
३६८	शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)	..	सिधुवाजोबना
३६९	शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)	..	खीरी
३७०	शिवमंगलसिंह, श्री	..	बांसडीह (पश्चिम)
३७१	शिवमूर्तिसिंह, श्री	..	फूलपुर
३७२	शिवराजबलीसिंह, श्री	..	फतेहपुर
३७३	शिवराजबहादुर, श्री	..	नवाबगंज
३७४	शिवराजसिंह यादव, श्री	..	बिसौली

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
३७५	शिवराम पांडेय, श्री	.. डेरापुर
३७६	शिववचनराव, श्री	.. सलेमपुर (दक्षिण)
३७७	शिवशंकरसिंह, श्री	.. डलमऊ
३७८	शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री	.. इकौना
३७९	शीतलाप्रसाद, श्री	.. तरबगंज
३८०	शोभानाथ, श्री	.. राबर्ट्सगंज
३८१	श्याममनोहर मिश्र, श्री	.. लखनऊ (छावनी)
३८२	श्यामलाल, श्री	.. माट
३८३	श्यामलालयादव, श्री	.. मुगलसराय
३८४	श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी	.. किथोर
३८५	श्रीकृष्णगोयल, श्री	.. उझानी
३८६	श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री	.. खैरागढ़
३८७	श्रीनाथ, श्री	.. मोहम्मदाबाद गोहाना
३८८	श्रीनाथ भार्गव, श्री	.. मथुरा
३८९	श्रीनिवास, श्री	.. गांगिरी
३९०	श्रीपालसिंह, कुंवर	.. शाहगंज
३९१	संग्रामसिंह, श्री	.. सोरांव (पूर्व)
३९२	सईद अहमद अन्सारी, श्री	.. ज्वालापुर
३९३	सजीवनलाल, श्री	.. हसनगंज
३९४	सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती	.. शिवपुर
३९५	सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती	.. दादरी
३९६	सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	.. वाराणसी शहर (दक्षिण)
३९७	सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती	.. सरजू
३९८	सियादुलारी, श्रीमती	.. करवी
३९९	सीताराम, डाक्टर	.. सिलहट
४००	सीताराम शुक्ल, श्री	.. हरैया (पूर्व)
४०१	सुखनलाल, श्री	.. हसनपुर
४०२	सुखरानी, श्रीमती	.. फतेहपुर
४०३	सुखराम दास, श्री	.. टांडा
४०४	सुखलाल, श्री	.. औरैया
४०५	सुखीराम भारतीय, श्री	.. फूलपुर
४०६	सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री	.. मऊ
४०७	सुनीता चौहान, श्रीमती	.. सलोन
४०८	सुन्दरलाल, श्री	.. फरीदपुर
४०९	सुरजबहादुर शाह, श्री	.. निघासन
४१०	सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री	.. हमीरपुर
४११	सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार	.. पुवायां
४१२	सुरेशप्रकाश सिंह, श्री	.. बिसवां
४१३	सुल्तान आलम खां, श्री	.. कायमगंज
४१४	सूरतचन्द रमोला, श्री	.. टेहरी
४१५	सूर्यबली पांडेय, श्री	.. हाटा
४१६	सोहनलाल धुसिया, श्री	. बांसी (पूर्व)

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
४१७	हमीदुल्ला खां, श्री	..	चारदा
४१८	हरकेशबहादुर, श्री	..	पट्टी
४१९	हरदयालसिंह, श्री	..	जलालाबाद
४२०	हरदयाल सिंह पिपल, श्री	..	हाथरस
४२१	हरदेवसिंह, श्री	..	देवबन्द
४२२	हरिदत्त काण्डपाल, श्री	..	रानीखेत (उत्तर)
४२३	हरिश्चन्द्रसिंह, श्री	..	दातागंज
४२४	हरिहरबख्शसिंह, श्री	..	पाली
४२५	हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री	..	सीतापुर
४२६	हरीसिंह, श्री	..	किथौर
४२७	हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री	..	मुरादाबाद शहर
४२८	हिम्मतसिंह, श्री	..	बेवाई
४२९	हुकुमसिंह विसेन, श्री	..	कैसरगंज
४३०	हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री	..	मंझनपुर
४३१	होरीलाल यादव, श्री	..	कन्नौज

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

उपाध्यक्ष

श्री रामनारायण त्रिपाठी, बी० एस-सी० ।

सचिव, विधान मंडल

श्री रूपचन्द्र, एच० जे० एस० ।

सचिव, विधान सभा

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

सहायक सचिव

श्री रामप्रकाश, बी० काम० , एल-एल० बी० ।

कमेटी आफिसर

श्री भोलादत्त उपाध्याय ।

अधीक्षक

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी० (अवकाश पर)।
श्री अहीन्द्रनाथ मित्र ।
श्री श्रीपति सहाय, बी० ए० ।
श्री गिरधारीलाल, बी० ए० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १ अगस्त, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (२९९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अशफाक अली खां, श्री
असगर अली खां, कुवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमल कुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीशंकर, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री

चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जंगबहादुरसिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जागेश्वर, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दानाराम, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु कहण, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनोराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
निरंजनसिंह, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
विशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री

उपस्थित सदस्य

मनखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खेरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामलक्ष्मण, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलाल, श्री
रामवचनयादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामशरणदास, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
राममूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री

वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजगोपाल सक्सेना, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमशुल इस्लाम, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईदअहमद अन्सारी, श्री
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सिया दुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

सिंह, माल उपमंत्री, भी उपस्थित थे

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १ अगस्त, १९५७ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

**१—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[५ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

विधायकों, मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा सभासचिवों के आवास की व्यवस्था

**२—श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस राज्य के मन्त्रियों, राज्य मन्त्रियों, उपमन्त्रियों एवं सभासचिवों के आवास के लिये कुल कितने मकानों की व्यवस्था की गई है और उनमें से कितनों को मकान दिये जा चुके हैं जो उनमें निवास कर रहे हैं ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)--मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उपमंत्रियों एवं सभा सचिवों के लिए २१ मकानों की व्यवस्था की गई है। इनमें से २० मकान उन लोगों को दिये जा चुके हैं।

**३--श्री रामसूरत प्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायकों की संख्या के अनुसार उनके लिये कुल कितने आवास-गृहों की व्यवस्था की गई है और कितने को आवास-गृह प्राप्त हो चुके हैं ?

श्री धर्मसिंह--विधायकों के लिये ८३ छोटे और २२० बड़े कमरों की व्यवस्था की गई है और इनमें इस समय ४२६ विधायक रह रहे हैं। इनके अलावा २० विधायक पुराने रायल होटल में निर्मित आवास-गृहों में रह रहे हैं।

श्री रामसूरत प्रसाद--क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि आज भी विधायक निवास नं० २ में एक राज्य मंत्री, दो उपमंत्री और ५ सभा सचिव रह रहे हैं ? उनको कोई मकान क्यों नहीं दिया गया ?

श्री धर्मसिंह--यह ठीक बात है कि आज भी एक राज्य मंत्री वहां रह रहे हैं और जैसा कि माननीय सदस्य ने बतलाया और लोग भी रह रहे हैं। जहां तक राज्य मंत्री का सम्बन्ध है उनको एलाटमेंट कर दिया गया है। उपमंत्रियों और सभा सचिवों का जहां तक सम्बन्ध है, उनके लिये भी व्यवस्था की जा रही है और जहां तक सम्भव हो सकेगा, उनको भी मकान जल्द से जल्द एलाट किये जायेंगे।

श्री रामसूरत प्रसाद--क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है इसी प्रकार राज्य मंत्री के लिये एलाटमेंट होते रहे और एलाटमेंट के आर्डर फिर कैंसिल होते रहे ?

श्री धर्मसिंह--यह ठीक बात है कि एलाटमेंट होते रहे हैं। सरकार की इस बात की कोशिश रही कि उनको मकान दिया जाय लेकिन विशेष परिस्थितियां पैदा होती गयीं और अन्त में वह कैंसिल होते गये। अब इस बात की व्यवस्था की गयी है कि उनको मकान दिया जाय और उनको एलाटमेंट आदि भी भेज दिया गया है।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि विधायक निवास में ऐसे कितने लोग हैं जो वहां रह रहे हैं और एम० एल० ए० नहीं हैं ?

श्री धर्मसिंह--इस तरह के तीन व्यक्ति हैं।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)--क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि विधान सभा के प्रत्येक सदस्य के लिये अलग-अलग कमरा हो ?

श्री धर्मसिंह--इस बात की कोशिश की गयी है लेकिन उसमें बहुत खर्चा आता है। हमने जैसे विधायक निवास नं० १ और नं० २ बनाये हैं, अगर ऐसा किया तो इस तरह के और बनाने पड़ेंगे जिसमें बहुत खर्चा आयेगा। इसलिये सरकार इसकी आवश्यकता नहीं समझती।

श्री प्रताप सिंह--क्या यह सही है कि जो क्वार्टर्स डिप्टी मिनिस्टर्स के लिये बने हैं, अभी तक खाली हैं और बहुत से पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज विधायक निवास में रह रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह--इस वक्त कोई खाली नहीं है। सबके सब भरे हुए है।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो डबल सीटेड कमरे हैं उनमें एक ही सज्जन रह रहे हैं और उनका किराया भी सरकार को नहीं मिल रहा है ?

श्री धर्मसिंह—यह ठीक बात है कि बहुत से सदस्य इस प्रकार से रह रहे हैं जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि उनसे किराया लिया जाय।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुराने विधायक निवास में जो वे सज्जन ऐसे रह रहे हैं कि जो अब एम० एल० ए० नहीं हैं और वहां अनअथाराइज्ड तरीके से रहे हैं, उनसे कमरे खाली कराने का क्या प्रबन्ध वह कर क्योंकि ४ मास बीत चुके हैं ?

श्री धर्मसिंह—सरकार ने उनको नोटिस भी भेजे हैं, उनसे प्रार्थना भी की गई है, उनको बुलाकर भी कहा गया है और अगर उन्होंने फिर भी कमरे नहीं छोड़े तो सख्त से सख्त कदम अन्त में उठाये जायंगे।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या माननीय मंत्री जी महिला सदस्याओं के लिये इस बात का कन्सिडरेशन करने की कृपा करेंगे कि जो महिलायें सिंगिल सीटेड कमरे में रहती हैं उनको वहीं रहने दिया जाय और उनको सिंगिल सीटेड कमरे ही दिये जायं ?

श्री धर्मसिंह—सरकार ने एलाटमेंट में इस बात की कोशिश की है कि महिलाओं को सिंगिल सीटेड कमरे दिये जायं।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किन विशेष परिस्थितियों में राज्यमंत्रियों के मकानों के एलाटमेंट कैन्सिल हुये और वे क्या विशेष परिस्थितियां थीं कि जिनमें ऐसा हुआ ?

श्री धर्मसिंह—शुरुआत में इस तरह से हुआ कि श्री हरगोविन्द सिंह जी का मकान खाली हुआ, उसमें श्री मंगला प्रसाद जी जाना चाहते थे और जो मंगला प्रसाद जी का मकान था उसका एलाटमेंट डा० सीताराम जी के लिये हुआ, जब तक यह बात तय हुई तब तक श्री चरण सिंह जी ने उस मकान में जाना चाहा जिसमें श्री हरगोविन्द सिंह जी रहते थे। इसलिये वह चीज भी उस रूप में परिणत नहीं हो सकी और उसके बाद अब जब गौतम जी मिनिस्टर हो गये तो उन्होंने चाहा कि वह श्री हरगोविन्द सिंह जी के मकान में चले जायं और वह भी परिणत नहीं हो सकी। इन परिस्थितियों में यह एलाटमेंट होते रहे और कैंसिल होते रहे।

जिला ऐन्टी-करप्शन कमेटियों के अधिकार बढ़ाने के लिए सुझाव

*४—श्री चन्द्रहास मिश्र (जिला हरदोई)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह जिले में ऐन्टी-करप्शन कमेटी के चेयरमैनों को नान-आफिशियल एजेन्सी द्वारा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जांच कराने का अधिकार देने की योजना बना रही है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री चन्द्रहास मिश्र—क्या सरकार कोई ऐसी योजना निकट भविष्य में बनायेगी कि जिससे हमारी यह कमेटियां अधिक जागरूक और सक्रिय बन सकें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, इस सम्बन्ध में हम बराबर विचार करते रहते हैं और कोई अच्छे सुझाव आते हैं तो उनको मानने को हम तैयार रहते हैं।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--क्या सरकार को मालूम है कि इन भ्रष्टाचार निरोध कमेटियों के सामने जो शिकायतें आती हैं उनकी जांच अकसर उन्हीं पुलिस के आदमियों के पास पहुंचती है जिनकी वह शिकायतें होती हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह कोई तीन चार वर्ष पहले की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, अब तो उस प्रथा को बदले हुये कई साल हो गये।

श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि यह जो कम्पलेंट आफिसर रखे गये हैं उनसे एण्टी-करप्शन कमेटियों को जांच कराने का अधिकार है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--एण्टी-करप्शन कमेटी के पास जो शिकायतें आती हैं वे सरकारी अधिकारियों के पास भेज दी जाती हैं, वे या तो विभाग के अफसरों द्वारा जांच कराते हैं या कम्पलेंट अफसरों के द्वारा।

श्री मदन पांडेय--क्या सरकार इसका विचार कर रही है कि एण्टी-करप्शन कमेटी अगर चाहे तो वह उन शिकायतों की इनक्वायरी कम्पलेंट आफिसर से करा सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं उनके अनुभव के संबंध में तो कुछ नहीं कह सकता लेकिन जहां तक मुझे ख्याल है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। हमारे यहां जो प्रोसिजर है वह यह है कि एण्टी-करप्शन कमेटी शिकायत को पहले डी० एम० के पास भेज दे और वह उस को बाद में कम्पलेंट आफिसर के पास भेज दें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस विभाग की शिकायत है उस विभाग के हेड की अनुमति के बिना क्या सरकार सोच रही है कि एण्टी-करप्शन के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस को जांच का अधिकार दिया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

श्री रामकृष्ण सारस्वत--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन भ्रष्टाचार समितियों का निर्माण पहले हुआ था उनमें एम० एल० ए० होते थे; नये चुनाव हो जाने के बाद उन समितियों का पुनर्गठन अभी तक नहीं हुआ; वह कब तक हो जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मेरे ख्याल से तो सभी जगह हो गया। शायद कोई एक आध जिला हो जहां न हुआ हो। अगर माननीय सदस्य को कोई सूचना हो तो फिर मैं बता सकता हूं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि एण्टी-करप्शन कमेटी के किसी माननीय सदस्य की शिकायत पर बिना किसी जांच के कोई कार्यवाही हो सकेगी या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बिना जांच के तो कार्यवाही कभी नहीं हो सकती और न होनी चाहिये।

चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी पर व्यय तथा प्रतिमास उत्पादन

**५--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी में अब तक कितनी लागत लग चुकी है, गत वर्ष के recurring expenses कितने थे और अब तक उसका प्रति माह उत्पादन कितना हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--चुर्क सीमेंट फैक्ट्री पर अब तक ४६७.६६ लाख या ४६८ लाख रु० खर्च हुआ है। गत वर्ष में १,६६,२१,२०० रु० का आवर्तक (recurring) खर्चा हुआ। फैक्ट्री का प्रति माह उत्पादन संलग्न सूची में है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७६ पर)

**६--श्री देवकी नन्दन विभव (अनुपस्थित)--क्या उद्योग मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिस विदेशी फर्म से इस फैक्ट्री के लगाने का ठेका हुआ था उसकी शर्तें क्या थीं और उनकी पूर्ति कहां तक हुई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--चुर्क फैक्ट्री को लगाने का ठेका किसी को नहीं दिया गया था।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी के कटाव से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता

*१--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घाघरा नदी के कटाव के कारण आजमगढ़ जिले के भुसाडोही देवारा करीहा, मोलनापुर, देवारा दुदारी और धर्मपुर गांवों के सैकड़ों परिवारों के हजारों व्यक्ति आश्रयहीन एवं रोजीविहीन हैं ?

माल उपमंत्री (श्री परमात्मानन्द सिंह)--घाघरा नदी के कटाव के कारण इन गांवों के कुछ खेत और झोपड़ियां हर वर्ष कट जाती हैं, मगर वहां के लोग कटाव की हालत देखते हुये अपनी झोपड़ियों को हटा और बढ़ा लेते हैं इसलिये इनमें से कोई भी आश्रयहीन नहीं रह जाता। इसी प्रकार से भूमि अगर एक ओर से कटती है तो दूसरी ओर निकलती है और किसी के रोजीविहीन होने का प्रश्न पैदा नहीं होता। आजकल कोई भी व्यक्ति आश्रयहीन व रोजीविहीन नहीं है।

*२--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से गृह निर्माण के लिये धन तथा रोजी चलाने के लिये प्रत्येक परिवार को कितनी-कितनी जमीन दी गई है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह--सरकार की ओर से गृह निर्माण के लिये कोई धन नहीं दिया गया। हां, इन लोगों को ऐसी जगह बसाने के लिये जहां उनके मकान नदी से न कटें कुछ भूमि प्राप्त (acquire) की जा रही है। केवल ग्राम समाज भूसाडोही ने १०८ एकड़ १८० कड़ी ७२ परिवारों को और ग्राम समाज मोलनापुर ने ५२ एकड़ ७३० कड़ी ११४ परिवारों को बिला मुआवजा भूमि दी है। इसके अतिरिक्त इन लोगों की मदद के लिये सरकारी बांध तैयार कराया जा रहा है जिसमें भूमिहीन लोग काम कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माल मंत्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों का खेत नदी में कट जाता है और उस खेत में नदी का पानी और बालू रहती है उस वक्त वह रोजी विहीन कैसे नहीं रहते?

श्री परमात्मानन्द सिंह--कुछ ऐसी जगहें हैं जहां बालू हो जाती है। अगर नीचे मिट्टी रहती है तो वहां लोग खरबूजा, तरबूज, करेली वगैरह बो लिया करते हैं। प्रायः ऐसा अनुभव है कि नदी के किनारे के रहने वाले लोग नदी का किनारा छोड़कर हटना पसन्द नहीं करते। मुझे मेरे गांव का अपना अनुभव है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि मूसाडोही के ७२ परिवारों को जो जमीन दी गई है वह जमीन अभी तक इन किसानों के कब्जे में नहीं आयी है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—जी हां, यह सही है कि वहां कुछ झगड़ा रहा जमीन के बारे में, इसलिये कब्जा नहीं मिल पाया अभी तक ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दो वर्षों से उनकी रोजी किस प्रकार चल रही है और रोजी का साधन सरकार ने क्या मुहय्या किया ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—जो प्रश्न चल रहा है उसका निपटारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त और कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है।

कानपुर जिले में अमरौधा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बम्हरौली घाट में सार्वजनिक कुएं का निर्माण

*३—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला कानपुर के अमरौधा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बम्हरौली घाट में सार्वजनिक कुंआ खुदाने के लिये सरकार ने १,५०० रुपया दिया था ?

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—जी हां।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि यह रुपया सार्वजनिक कुआं निर्माण करने को दिया गया था ? यदि हां, तो यह कुंआ किसी एक व्यक्ति की सुविधा के लिये उसके मकान के सामने उसके खेत में क्यों बना दिया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उक्त कुयें के दोनों तरफ अत्यन्त निकट दो कुयें है और हरिजन बस्ती में कोई कुआं नहीं है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सरकार को इसकी कोई इत्तला नहीं है।

इटावा जिले के पारपट्टी क्षेत्र की विकास योजना

*४—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के जमुना और चम्बल नदी के बीच के क्षेत्र पार पट्टी के विकास के लिये कोई विशेष योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां, पारपट्टी में दो राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड खोले गये हैं। एक राजपुर (चकरनगर) में अक्तूबर १९५६ में खोला गया जहां भूमि संरक्षण का कार्य प्रारम्भ होने को है। दूसरा ब्लाक बढ़पुरा में १ जुलाई, १९५७ से खोला गया है। इसके अतिरिक्त पारपट्टी क्षेत्र में २१ ट्यूब वेल बनाने की योजना है जिससे ११ गांवों को लाभ होगा। यह कार्य इकनोर और दलीपनगर गांवों में शीघ्र ही शुरू होने वाली है।

*५--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित होगी और नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--वांछित सूचना पूर्व प्रश्न के उत्तर में दे दी गई है। अतएव प्रश्न नहीं उठता।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह भूमि-संरक्षण का कार्य कब से प्रारम्भ होने जा रहा है और किस ब्लाक में पहले होगा राजपुरा में या बड़पुरा में ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यों तो भूमि-संरक्षण का कार्य कई साल पहले से वन विभाग की ओर से हो रहा है और अब इस साल से यह राजपुरा ब्लाक में भी शुरू हो जायगा।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो २१ नलकूप लगाये जायेंगे इनमें कितने बड़पुरा में और कितने राजपुरा में हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस क्षेत्र के विकास के लिये यमुना और चम्बल नदियों पर पुल बनवाने की सरकार की कोई योजना है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इस संबंध में तो अगर एक सीधा प्रश्न आप करें तो बेहतर रहेगा क्योंकि यह इससे संबंधित नहीं है।

श्री अध्यक्ष--आपको नोटिस की आवश्यकता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां।

*६-८--श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*९--श्री नारायणदत्त तिवारी--[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*१०-११--श्री गोविन्द सिंह विष्ट--[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

नैनीताल जिले में रुद्रपुर ग्राम को टाउन एरिया बनाने पर विचार

*१२--श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रुद्रपुर, जिला नैनीताल सरकारी वर्गीकरण में "ग्राम" माना जाता है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह--जी हां, सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार "रुद्रपुर" जिला नैनीताल में रुद्रपुर परगने के अन्तर्गत एक ग्राम है।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--क्या सरकार को विदित है कि सरकार की ही नीति के फलस्वरूप पिछले दस वर्षों में वहां की जनसंख्या, उद्योग और व्यापार बहुत बढ़ चुका ?

श्री परमात्मानन्द सिंह--जी हां।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या और व्यापार को ध्यान में रखते हुये वह इसको टाउन एरिया या नोटिफाइड एरिया करने के सुझाव पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---इसको टाउन एरिया बनाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है और माल विभाग और स्वाशासन विभाग के बीच लिखा-पढ़ी चल रही है ।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि रुद्रपुर ग्राम की जनसंख्या इस समय कितनी है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---इसके लिये माननीय सदस्य नोटिस देने की कृपा करें। यह इस वक्त उपलब्ध नहीं है ।

आबकारी विभाग के चपरासियों को बस रुकवाकर तलाशी लेने का अधिकार

*१३---श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आबकारी कानून के अन्तर्गत आबकारी विभाग के चपरासियों को भी आवागमन के रास्तों में बसें रोक करके किसी भी संभ्रांत सज्जन की तलाशी लेने का अधिकार दे रखा गया है ?

मादककर राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)---जी हां ।

आजमगढ़ जिले में स्थायी जिला नियोजन एवं जिला पंचायत अधिकारी न होना

*१४---श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में जिला प्लानिंग अफसर और पंचायत अफसर के पद पर स्थायीरूप से किसी अफसर की नियुक्ति कितने समय से नहीं हुई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---आजमगढ़ जिले में २४-६-५६ से ३-४-१९५७ ई० तक कोई स्थायी जिला नियोजन अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी नहीं रहा ।

*१५-१७---श्री रूम सिंह (जिला शाहजहांपुर)---[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

मिर्जापुर जिले में बाढ़ पत्थर तथा गेरूई रोग से क्षतिग्रस्त क्षेत्र में सहायता

*१८---श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिले में बाढ़ पत्थर तथा गेरुई रोग के कारण गत खरीफ तथा रबी की फसल को गहरी क्षति हुई है और वहां बकाया लगान, तकावी तथा बकायों की वसूली की जा रही है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---जी हां, किन्तु क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में सरकारी करों की वसूली रोक दी गई है ।

*१९---श्री राजकुमार शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त जिले में क्षतिग्रस्त किसानों को क्या क्या सहायता किस-किस रूप में तहसीलवार दी गई है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७७ पर)

श्री राजकुमार शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि गत वर्ष की घनघोर वर्षा से जो बाढ़ क्षेत्र नहीं माने जाते थे वहां भी बाढ़ ने सदमा पहुंचा दिया ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---जी हां, ऐसा हो सकता है कि अधिक वर्षा से बाढ़ की सी दशा वहां पैदा हो गई हो ।

श्री राजकुमार शर्मा—क्या सरकार ऐसे ग्रामों को, जो बाढ़ क्षेत्र के कागज में दर्ज नहीं हैं और वास्तव में बाढ़ग्रस्त हैं उन्हें सहायता देगी और बाढ़ क्षेत्र घोषित करने की कृपा करेगी ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—ऐसे स्थानों पर सहायता का प्रबन्ध प्रांत में बहुत जगहों पर किया जा रहा है।

*२०-२१—श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—[१३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ३१-३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

वाराणसी जिले में श्रमदान द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता

*२२—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या नियोजन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला वाराणसी में कुछ श्रमदान द्वारा बनाई गई सड़कों पर सन् १९५४-५५ तथा १९५५-५६ में मिट्टी डालने के लिये कितना रुपया दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोई रुपया नहीं दिया गया है।

मथुरा जिले में माल विभाग के मुकदमों के फैसले में देरी

*२३—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा कलेक्ट्री में माल विभाग के ऐसे कितने केस हैं जिनकी अवधि एक वर्ष से अधिक हो गई है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—ऐसे नौ मुकदमें हैं।

श्री रामहेत सिंह—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किन विशेष कारणों से इन केसेज के शीघ्र फैसले नहीं हो सके हैं ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—कुछ में तो कहीं-कहीं थोड़ी-बहुत मुहकमें की भी गलती होती है, कहीं पर समय से सम्मन तामील नहीं हो सके, कहीं पर पिछले इलेक्शन की वजह से अधिकारी इलेक्शन इत्यादि के कार्य में व्यस्त रहे। इन कारणों से देर हुई लेकिन कार्य को देखते हुये ९ की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है कि जिस पर एतराज हो सके।

गाजीपुर जिले के अतिवृष्टि तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में तकावी का वितरण

*२४—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में तहसीलवार गत अतिवृष्टि तथा बाढ़ के कारण कितना रुपया तकावी के रूप में वितरित किया गया और कितना रुपया तथा कपड़ा मुफ्त बांटा गया ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७८-७९ पर)

श्री यमुना सिंह—क्या यह सही है कि तकावी उन्हीं लोगों को दी जाती है जिनके पास कुछ हैसियत होती है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—जाहिर बात है कि कर्जा उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनसे वसूल होने की उम्मीद होती है।

श्री यमुना सिंह—क्या यह सही है कि गाजीपुर के सरयाबाद परगने में जो गांव बाढ़ से विशेष दुखी थे उनको तकावी नहीं मिल पाई ?

श्री परमात्मानन्द सिंह——ऐसी सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। यदि माननीय सदस्य हमारी जानकारी में लाने की कृपा करेंगे तो उसकी जांच की जायगी।

*२५–२६——**श्री देवनारायण भारतीय** (जिला शाहजहांपुर)——[२१ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ११–१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

इटावा जिलान्तर्गत श्रमदान द्वारा निर्मित भर्थना–ऊसराहार सड़क को पक्की करने की प्रार्थना

*२७——**श्री मिहरबान सिंह** (जिला इटावा)——क्या नियोजन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अन्तर्गत भर्थना-ऊसराहार सड़क पर पिछले वर्ष श्रमदान द्वारा कितना काम हुआ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——भर्थना-ऊसराहार सड़क पर १५ मील लम्बाई २४ फीट चौड़ाई और १ फुट ६ इंच ऊंचाई से श्रमदान द्वारा २८,५०,००० घनफुट मिट्टी का कार्य किया गया।

*२८——**श्री मिहरबान सिंह**——क्या नियोजन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सड़क पर भर्थना से ऊमर सेड़ा तक पक्का बनाने में कितना धन खर्चा किया गया?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——भर्थना से उमरसेंडा सड़क पर अभी तक १०,०४५ रु० व्यय किया जा चुका है।

श्री मिहरबान सिंह——क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो १५ मील सड़क श्रमदान से तैयार की गयी है मिट्टी की भराई से, उसके लिये यह आश्वासन जनता को दिया गया था कि आप श्रम से भराई कर दीजिये, इसको हम पक्का करा देंगे?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——कुछ तो बनी है और इसमें लगभग, जो बनी है, ४२,७५० रु० लग गया और उसपर थोड़ी बहुत सरकार ने बनाई है, बाकी फिर देखा जायगा।

श्री मिहरबान सिंह——क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि जो ४ मील सड़क भर्थना से ऊसराहार तक जाती है, जिस पर ईंट बिछा दी गयी थी और उसकी सोलिंग हो गयी थी, वह टूट गयी है और उससे जनता को बहुत अधिक कष्ट हो रहा है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——यह तो सरकार को पता नहीं है, लेकिन ब्रिक्स जरूर लग गयी हैं, सोलिंग भी किया गया है, मगर इस पर भी टूट गयी है, तो बड़े दुख की बात है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सड़क जो श्रमदान द्वारा सरकार ने बनाई थी वह ठीक प्रकार से सहायता न मिलने से पूर्णरूप से उसकी मिट्टी बरबाद हो गयी?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——नहीं, यह बात नहीं है। जितना सरकार को करना था वह तो किया है।

श्री प्रताप सिंह——क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस सड़क पर सोलिंग के ऊपर कंकर क्यों नहीं बिछवाया गया?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——यह तो स्थानीय अधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने जो मुनासिब और उचित समझा, वह किया।

श्री गजेन्द्रसिंह--क्या सरकार इस सड़क को बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह बेहतर होगा कि माननीय सदस्य इस प्रश्न को अपने जिले की प्लानिंग कमेटी में उठायें, क्योंकि प्रत्येक माननीय सदस्य इस सदन की उस प्लानिंग कमेटी के मेम्बर हैं।

इलाहाबाद का नाम 'प्रयाग' रखने का सुझाव

*७९--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि इलाहाबाद नगर का नाम बदल कर उसका नाम प्रयागराज रखने के सुझाव इलाहाबाद के नागरिकों अथवा नगरपालिका की ओर से आये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयाग रखने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस तरह से बनारस का नाम बदलकर वाराणसी रख दिया गया है उसी तरह से इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयाग रखने में उसे कोई आपत्ति है ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आपत्ति का प्रश्न तो आगे पीछे आता; इस प्रश्न में यह पूछा गया था कि वहां के नागरिकों तथा नगरपालिका की तरफ से कोई सुझाव नहीं आया। जब सुझाव आयेगा तो गौर करने का सवाल होगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखने पर विचार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसमें देखना यह है कि नागरिक चाहते हैं या नहीं। अगर उनकी तरफ से सुझाव आयेगा तो सोचेंगे। प्रयाग रखा जाय या प्रयागराज रखा जाय पहले वह तय कर लें।

श्री गजेन्द्र सिंह--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी प्रश्नकर्ता को वहां का नागरिक मानकर इस पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इलाहाबाद में साढ़े तीन लाख नागरिक रहते हैं, एक को निकालने के बाद शेष ३,४९,९९९ लोगों की राय भी तो जानना चाहिये।

फर्रुखाबाद जिले में अग्निपीड़ितों को सहायता

*८०--श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि फर्रुखाबाद जिले में मार्च अप्रैल, सन् १९५७ में किन-किन ग्रामों में अग्निकांडों के फलस्वरूप कितनी-कितनी क्षति हुई और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या सहायता दी गई ?

श्री परमानन्द सिंह--जिला फर्रुखाबाद में गत मार्च तथा अप्रैल, १९५७ के मास में अग्निकांड से चार तहसीलों के ६३ ग्रामों में अनुमानतः ४,२२,२७४ रु० की क्षति हुई। इनमें से ११ ग्रामों में सरकार द्वारा २,७५७ रु० अहेतुक सहायता के रूप में और ६४५ रु० तकावी के रूप में वितरण किया गया। इस सबका पूरा ब्योरा संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८०--८२ पर)

श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो अहेतुक सहायता दी गई वह किस हिसाब से दी गई ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---वह तो उनका नुकसान और हैसियत देखकर दी गई है। जो बड़े लोग थे और जिनको अहेतुक सहायता की आवश्यकता नही थी उनको नही दी गई।

श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहायता देने के लिये कोई नियम बनाये गये है ? यदि हां, तो उनको पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---नियम तो आपको स्वयं जानना चाहिये लेकिन प्रश्न के पहले भाग का जवाब दे दे।

श्री परमात्मानन्द सिंह---इसके लिये कोई नियम नही है, अधिकारियो पर निर्भर है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार यह देखकर कि अग्निकांड बहुत होते है हर तहसील मे फायर ब्रिगेड का इंतजाम कर रही है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---ऐसा तो नही है।

फर्रुखाबाद जिले के दारापुर बरैठी गांव से चकबन्दी के खिलाफ शिकायत

*३१---**श्री होरीलाल यादव**---क्या सरकार के पास ग्राम दारापुर बरैठी, परगना सौरिख, तहसील छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद के निवासियों की शिकायते चकबन्दी एवं चकों के गलत निर्माण के विरोध मे आई है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---ग्राम दारापुर बरैठी, परगना सौरिख, तहसील छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद के निवासियों मे से किसी ने भी चकबन्दी के विरोध मे शिकायत नही की। परन्तु चकों के गलत बनाये जाने के संबंध मे अवश्य दो शिकायते आई थी।

*३२---**श्री होरीलाल यादव**---यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---दोनों शिकायतों की पूरी जांच की गई। एक शिकायत जांच करने पर बेबुनियाद साबित हुई अतः उसको दाखिल दफ्तर कर दिया गया। दूसरी शिकायत जब कि गांव मे कब्जा बदला जा चुका था उसके बहुत बाद प्राप्त हुई, इसलिये इस शिकायत पर भी कोई कार्यवाही नही की जा सकती थी। अतः वह भी दाखिल दफ्तर कर दी गई।

श्री होरीलाल यादव---क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जांच करते समय किसानों ने यह मांग की थी कि वे अपने चक अमीन की सहायता से बनाने के लिये तैयार है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नही है।

श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार इस बात के लिये तैयार है कि जिस गांव के किसान अमीन की सहायता से चक बनाने के लिये तैयार हों तो दोबारा उन्हें इजाजत दे दे ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---वह वहीं नहीं, सारे सूबे मे अगर एक गांव के सारे किसान मिल कर चक बनाना चाहें, जिससे सब सहमत हो, तो भी सरकार को कोई एतराज नही हो सकता।

श्री होरीलाल यादव—जैसा कि प्रश्न संख्या ३२ में सरकार ने उत्तर दिया है कि चकों पर कब्जा दिलाया जा चुका है तो क्या इसके बाद भी सरकार इस बात पर विचार करेगी कि वहां दोबारा चक बनाने की इजाजत दी जाय ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—अगर गांव के सभी लोग राजी हों तो इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनका "गांव के सारे रहने वालों" से क्या मतलब है ? जो सब लोग गांव में रहते है या जिनकी जोत है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—जिनका खेतों से संबंध है।

*३३-३४—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

गाजीपुर जिले के सुलेमापुर गांव में श्री शंकर जी के शिवालय के जीर्णोद्धार की प्रार्थना

*३५—श्री यमुना सिंह—क्या सरकार परगना पचोतर, जिला गाजीपुर के सुलेमापुर ग्राम में श्री शंकर जी के शिवालय के जीर्णोद्धार के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेंगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—चूंकि इस मंदिर की इमारत ऐतिहासिक अथवा सांस्कृतिक महत्व की नहीं है, अतः इसके जीर्णोद्धार कराने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार करना संभव नहीं है।

*३६—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर जिले में पुलिस अधिकारियों की कार्य अवधि

*३७—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में कितने पुलिस आफिसर ऐसे हैं जो कई वर्षों से इसी जिले में रह रहे हैं और क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गोरखपुर जिले में कोई भी ऐसा गजटेड पुलिस अफसर तथा पुलिस इन्सपेक्टर नहीं है जो तीन वर्षों से अधिक इसी जिले में तैनात हो। शासकीय कारणों से कुछ सब-इन्सपेक्टर अधिक समय से वहां अवश्य तैनात हैं जिनका विवरण नीचे दिया जाता है। इनके तबादले का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है:—

सब-इन्सपेक्टरों की संख्या			किस सन् से तैनात हैं।
३	..	..	१९४८
७	..	..	१९४९
२	..	..	१९५०
६	..	..	१९५१
४	..	..	१९५२
५	..	..	१९५३
९	..		[illegible]

*३८—श्री केशव पांडेय (अनुपस्थित)—[२१ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बलिया जिले में अग्निपीड़ितों को सहायता

*३९—श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार को पता है कि जिला बलिया में गत दो माह के अन्दर कई किसानों के खलिहानों में आग लग गई या लगा दी गई जिसके फलस्वरूप उनके खलिहान पूर्णतः जल गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे किसानों की संख्या एवं पूर्ण पता क्या है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—जी हां, बलिया जिले में गत मई तथा जून माह में आग लगने के कारण ३१ किसानों के खलिहानों को क्षति पहुंची। ऐसे किसानों की संख्या तथा पूर्ण पता संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८३ पर)

*४०—श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जिला बलिया में जिन किसानों का खलिहान जल गया है उनको अब तक सरकार द्वारा किस किस प्रकार की सहायता दी गई है या दी जाने को है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—अहेतुक सहायता के रूप में सरकार द्वारा उक्त किसानों को १,२४० रु० वितरण कर दिया गया है तथा ३५५ रु० और वितरण किया जाने को है। इसका भी पूरा विवरण संलग्न सूची में दिखा दिया गया है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनके खलिहान जल गये हैं उनकी रबी की मालगुजारी की माफी के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी?

श्री परमात्मानन्द सिंह—खेत से कट कर खलिहान में पहुंच जाने के बाद ऐसी छूट देने का सरकार की तरफ से कोई विचार नहीं होता।

श्री गौरी शंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों के जलने की सूचना आपने दी है उससे कुल कितने की क्षति हुई है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—किसानों की संख्या पूछी गयी थी वह बतायी गयी। रकम के बारे में कोई प्रश्न नहीं था, इसलिये यह सूचना नहीं मांगी गयी थी।

श्री शिवमंगल सिंह (जिला बलिया)—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि बहुत से ऐसे भी किसानों के खलिहान थे कि जिनके पास ही उनका घर भी था और खलिहानों में आग लगने से उनका घर भी जल गया। तो ऐसे किसानों को क्या कुछ सहायता देने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—इस समय प्रश्न खलिहानों का था, जिसका यह उत्तर दिया गया। यदि माननीय सदस्य घरों के बारे में कोई बात जानना चाहते हैं तो प्रश्न दे सकते हैं।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि माल विभाग में ऐसी व्यवस्था न होते हुये भी जिन किसानों का सर्वस्व जल गया है उनको कुछ छूट देने की व्यवस्था हो ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—जी नहीं। छूट तो खेती की बरबादी के सिलसिले में होती है और दूसरी चीजों में लगान की छूट का प्रश्न पैदा नहीं होता। सहायता और रूप से दी जा सकती है।

प्लानिंग अफसर श्री उमेशदत्त शुक्ल के शाहजहांपुर जिले मे अधिक समय तक रहने पर आपत्ति

*४१—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि शाहजहांपुर जिले के प्लानिंग विभाग के कुछ अफसर उस जिले में प्रायः दस वर्षों से हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी नहीं, नियोजन विभाग तो सन् १९५१–५२ मे बना था।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वहां के प्लानिंग अफसर श्री उमेशदत्त शुक्ल शाहजहांपुर जिले मे सन् ४७ से हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—पहले वह वहां जुडिशियल आफिसर की कैपेसिटी मे रहे।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बतलायेगी कि प्लानिंग आफिसर और जुडिशियल आफिसर, दोनों की हैसियत से वह प्रायः १० साल से शाहजहांपुर में है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—१० साल से नहीं पर कोई साढ़े ७ साल के लगभग दोनो को मिलाकर होते हैं, लेकिन वह जून में बदल भी दिये गये।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या यह सही है कि मेरे प्रश्न करने के बाद वह वहां से हटाये गये हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह नहीं है। वह तो स्वतः आम तरीके पर जैसे काम चलता है उसमें हटाये गये हैं। आप के प्रश्न का कोई असर नहीं हुआ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों का कितने समय के बाद एक जिले से दूसरे जिले में तबादला किया जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके लिये तो सामान्य रूल है। कोई अवधि निश्चित नहीं है। मगर अमूमन ३ साल के बाद हरएक मुहकमें में ट्रांसफर हुआ करते हैं।

श्री सुरयबहादुर शाह (जिला खीरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह उन प्लानिंग अफसरों के विषय में कि जो एक जिले में लगभग ५ वर्ष से अधिक रह चुके हैं, कोई नोट रखती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सरकार के पास तो हर एक के विषय में नोट रहता है।

*४२–४३—श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)—[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*४४—श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)—[इस प्रश्न का उत्तर ३१ जुलाई, १९५७ को प्रश्न संख्या ७६ के अन्तर्गत दिया गया।]

प्रादेशिक कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत कार्यों की त्रुटियों के सम्बन्ध में अभिकथित रिपोर्ट

*४५—श्री रामगोपाल गुप्त—क्या यह सही है कि केंद्रीय कम्युनिटी प्रोजेक्ट् ऐडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी एक रिपोर्ट में इस प्रदेश में कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत जो काम हुआ है, उसके बारे में प्रादेशिक सरकार का ध्यान बहुत-सी त्रुटियों की ओर आकर्षित किया है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---राज्य सरकार को कम्युनिटी प्रोजेक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन से कोई ऐसी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई।

*४६---श्री रामगोपाल गुप्त---क्या सरकार उपर्युक्त रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामगोपाल गुप्त---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई तो क्या उनका पत्र द्वारा ध्यान आकर्षित कराया गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---पत्र द्वारा तो कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया है।

बुलन्दशहर बस स्टैण्ड के मेन्टिनेन्स शेड का गिर जाना

*४७---श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर बस स्टैन्ड का मेंटिनेंस शेड हाल में गिर गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच करा रही है ?

डाक्टर सीताराम---जी हां, जनरल मैनेजर, आगरा रोडवेज इसकी जांच कर रहे हैं पर उनकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई। कहा जाता है कि तूफान के कारण दीवार का कुछ भाग गिर गया है।

श्री छत्तरसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह मेंटिनेंस शेड बने हुये कितने दिन हुये और उस पर कितना व्यय हुआ ?

डाक्टर सीताराम---शेड को बने हुये करीब डेढ साल हुआ। शेड कोई अलग से नहीं बनता है बल्कि जो खर्चा आफिसेज या मोटर स्टेंड वगैरह की बिल्डिंग में होता है वह सब बजट में साथ रहता है। इसके लिये अलग से कितना रुपया व्यय हुआ है वह फीगर बाद को बताये जा सकते हैं।

श्री छत्तरसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसके गिरने का क्या कारण था ?

डाक्टर सीताराम---यह प्रश्नोत्तर में बतलाया गया है कि तूफान के कारण गिरा।

*४८---श्री राजकुमार शर्मा---[६ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

फैजाबाद जिले में हाकिम तहसीलों के विचाराधीन मुकदमे

*४९---श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले में हाकिम तहसीलों के इजलास में कितने-कितने ऐसे मुकदमे हैं, जो---

(१) चार वर्ष से ज्यादा अवधि से चल रहे हैं ?
(२) तीन वर्ष से ज्यादा अवधि से चल रहे हैं ?
(३) दो वर्ष से ज्यादा अवधि से चल रहे हैं ?
(४) एक वर्ष से ज्यादा अवधि से चल रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---चार वर्ष से अधिक अवधि से १८, तीन वर्ष से अधिक अवधि से ३२, दो वर्ष से अधिक अवधि से ६५ तथा एक वर्ष से अधिक अवधि से १४२ मुकदमे चल रहे हैं।

*५०—श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास इस बात की शिकायत है कि उक्त जिले में मुकदमों में जरूरत से ज्यादा तारीखें डाली जाती हैं ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं।

मिर्जापुर जिले की दुद्धी तहसील में लाख उत्पादन तथा व्यवसाय के सम्बन्ध में जांच

*५१—श्री राजकुमार शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दुद्धी तहसील, जिला मिर्जापुर में लाख के उत्पादन तथा बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध लगाने का वह विचार कर रही है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—दुद्धी क्षेत्र, जिला मिर्जापुर के लाख उत्पादन तथा व्यवसाय को किस प्रकार बढ़ाया जाय इसकी जांच करने के लिये कुछ समय पूर्व सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी। उस समिति की रिपोर्ट पर अभी विचार हो रहा है। अतः इस समय यह बताना कठिन है कि भविष्य में लाख के उत्पादन व उद्योग को उन्नति देने के लिये सरकार क्या करेगी।

श्री राजकुमार शर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी समिति की रिपोर्ट पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—माननीय मन्त्री जी उस रिपोर्ट को पढ़ चुके हैं, उसको दोबारा यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजकुमार शर्मा—श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि उसका भाव ही बतला दिया जाय।

श्री परमात्मानन्द सिंह—यदि माननीय सदस्य नोटिस देने की कृपा करेंगे तो वह रिपोर्ट मंगाई जा सकती है। इस समय वह रिपोर्ट यहां पर नहीं है।

प्रान्तीय रक्षकदल के कर्मचारियों के कार्य

*५२—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या सरकार बतायेगी कि जिला जालौन में जो पी० आर० डी० के कर्मचारी हैं उनके मुख्य कार्य क्या हैं और उन्होंने १९५६ में जो मुख्य कार्य किये क्या सरकार उसकी सूची मेज पर रखेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—प्रान्तीय रक्षक दल के कर्मचारियों के मुख्य कार्य स्वयंसेवकों की भर्ती व सैनिक शिक्षा, विकास कार्यों में जन-शक्ति आदि जुटा कर सहयोग देना, शारीरिक संवर्धन के लिये अखाड़ा, खेल-कूद आदि का आयोजन करना, वन-रोपण कराना तथा समाज सेवा के अन्य कार्य करना है। जिला जालौन में प्रान्तीय रक्षक दल के कर्मचारियों द्वारा १९५६ में किये गये मुख्य कार्यों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८४-८५ पर)

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतलावेंगे कि पी० आर० डी० के कार्य कौन-सा विभाग करेगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह बजट के रोज बता दिया जायगा।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री बतावेंगे कि अब उस कार्य की जरूरत नहीं रही है जिसे यह विभाग करता था और इसीलिये इसे तोड़ा गया है ?

श्री अध्यक्ष--मैं आपको उस तरफ नहीं जाने देना चाहता कि पी० आर० डी० को क्यों तोड़ा गया है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि जो रिपोर्ट जालौन पी० आर० डी० के बारे में आई है उसके बारे में क्या सरकार को सन्तोष है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसमें कोई सन्देह नहीं कि जालौन में उनका कार्य सन्तोषजनक रहा ।

प्रतापगढ़ जिले में विलेज लेविल वर्करों में लिए गए हरिजन

*५३--श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ में विलेज लेविल वर्करों (Village level workers) के लिए, जिसका चुनाव अप्रैल, १९५७ में हुआ था, कितनी अर्जियां आयीं थीं ? उसमें कितने हरिजनों के प्रार्थना-पत्र थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--निर्धारित योग्यता से युक्त अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्रों की कुल संख्या ३२१ थी, जिनमें से १२ प्रार्थना-पत्र हरिजन अभ्यर्थियों के थे ।

*५४--श्री रामकिंकर (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कितने उम्मीदवार लिये गये तथा उनमें कितने हरिजन हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--नियुक्ति के संबंध में जो परीक्षा ली गई उसमें केवल १८७ अभ्यर्थी सम्मिलित हुए । इनमें से १४१ अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जिनमें ५ हरिजन हैं । नियुक्ति के पूर्व आवश्यक प्रशिक्षण के लिए अभी जिन सर्व श्रेष्ठ १९ अभ्यर्थियों को आदेश भेजे गए हैं उनमें ४ हरिजन अभ्यर्थी शामिल हैं । शेष श्रेष्ठता के क्रम में, ग्राम सेवकों की आवश्यकता होने पर तथा प्रशिक्षण केन्द्रों में स्थान रिक्त होने पर प्रशिक्षण के लिए भेजे जायंगे ।

खीरी जिलान्तर्गत रामनगर लहबड़ी गांव में बिला लगानी भूमि

*५५--श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम रामनगर लहबड़ी, परगना धौरहरा, जिला खीरी में कितने एकड़ भूमि बिला लगानी भूमिधरी के अन्तर्गत है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह--१८.६७ एकड़ ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि यह भूमि बिला लगान क्यों रही ?

श्री परमात्मानन्द सिंह--नियमों के अनुसार जो बाग होते हैं वे बिना लगान होते हैं ।

सामान्य, वित्त तथा सार्वजनिक सचिवालयों में सहायक सचिवों की पदोन्नति के सम्बन्ध में जानकारी

*५६--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिविल, फाइनेन्स तथा पब्लिक वर्क्स सेक्रेटरियट में असिस्टेन्ट सेक्रेटरियों के कितने स्थायी तथा अस्थायी स्थान हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस समय सचिवालय के तीनों यूनिटों में सहायक सचिव के पदों की संख्या निम्नांकित है :

		स्थायी	अस्थायी
सामान्य सचिवालय	..	१२	५
वित्त सचिवालय	..	४	२
सार्वजनिक निर्माण सचिवालय	..	४	१

*५७—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या इन पदों पर पदोन्नति इन तीन भिन्न-भिन्न सचिवालयों में अलग-अलग होती है या सब सचिवालयों के पदाभिलाषियों में से चुनाव होता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन पदों पर पदोन्नति तीनों यूनिटों में अभी अलग-अलग होती है ।

*५८—श्री गनेश चन्द्र काछी—क्या यह सही है कि कुछ असिस्टेंट सेक्रेटरियों के पदों को अन्डर सेक्रेटरी के पदों में परिवर्तित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितने पदों को और क्यों और इसमें वार्षिक कितना अधिक व्यय हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सामान्य सचिवालय में ७ और सार्वजनिक निर्माण विभाग में १ सहायक सचिव के पद अनुसचिव के पदों में परिवर्तित किये गये हैं ।

सचिवालय के सहायकों को प्रोत्साहन तथा शासकीय सुविधा के अनुसार सहायक सचिव के कुछ पद अनुसचिव के पदों में परिवर्तित किये गये हैं ।

इस वर्ष सामान्य सचिवालय में परिवर्तित पदों पर अतिरिक्त व्यय २,१०० रु० और सार्वजनिक निर्माण सचिवालय में ३०० रु० हुआ है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अल्प बचत योजना के अनुसार सामान्य, वित्त और सार्वजनिक सचिवालयों में अस्थायी पदों पर काम करने वाले सचिवों में से सरकार कुछ कम करने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अल्प बचत योजना तो स्माल सेविंग्स स्कीम को कहते हैं । इससे उसका कोई संबंध नहीं मालूम होता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार खर्च में कुछ कमी करने की नीयत से इन पदों में कमी करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी सचिवालय में पुनस्संगठन हुआ है जिसके फलस्वरूप तीनों सचिवालय मिला कर एक कर दिये गये हैं । इसके बाद क्या आवश्यकता होती है वह देखा जायगा लेकिन चाहे थोड़े भले ही कम हों, कोई व्यक्ति निकाला नहीं जायगा ।

नैनीताल तहसील में ग्राम क्यूरीगाड़ की पाइप लाइन

*५९—श्री प्रताप सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि नैनीताल तहसील के ग्राम क्यूरीगाड़ में स्कूल तक पाइप लाइन नियोजन विभाग की ओर से लगाई गई ? यदि हां, तो क्या उसमें पानी चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां । सघन विकास क्षेत्र सरगाखेत के ग्राम क्यूरीगाड़ में प्रारम्भिक पाठशाला तक पाइप लाइन की योजना बनी है । सूचना मिली है कि पाइप लाइन में जून, १९५७ से पाठशाला तक पानी चल रहा है ।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस स्कीम के कितने दिन बनने के बाद पानी बन्द हो गया था ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मैं तो कह रहा हूं कि जून में पानी चल रहा था।

श्री प्रताप सिंह—यह पाइप लाइन कब लगाई गई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—ठीक तारीख इस समय मालूम नहीं है मगर १, २ साल के अन्दर की बात होगी।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस योजना में जो कुछ खर्च हुआ है उसकी पूरी अदायगी अभी तक नहीं हो पाई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—पुराने ठेके के मुताबिक तो पूरी अदायगी हो गई पर २५० रु० के करीब और देने का वचन है। उसका इन्सपेक्शन होने पर वह दिया जायगा।

*६०—श्री गौरीशंकर राय—[६ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

हाथरस क्षेत्र में चकबन्दी का कार्य

*६१—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५७ में किन-किन क्षेत्रों में और कब से चकबन्दी शुरू हो रही है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—१९५७ में सरकार राज्य के किसी भी नये जिले में चकबन्दी योजना लागू करने का विचार नहीं कर रही है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन जगहों पर चकबन्दी आज कल हो रही है जो इस साल में शुरू हुई है वह कितने दिनों में पूरी हो जायगी ?

श्री चरण सिंह—इस साल किसी जिले में नई शुरू नहीं हुई है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—इस वर्ष जो हाथरस में शुरू हुई है वह कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री चरण सिंह—२ साल के लगभग।

*६२—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*६३—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*६४-६५—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—[१४ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ३२-३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

देवरिया जिलान्तर्गत केन यूनियन हाटा, पिपराइच तथा कप्तानगंज द्वारा दसगुना की मद में जमा रकम

*६६—श्री सूर्यबली पांडेय (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हाटा, जिला देवरिया में कुल कितने रुपये दसगुना की मद में केन यूनियन हाटा, पिपराइच तथा केन यूनियन कप्तानगंज द्वारा जमा किया गया है ?

श्री चरण सिंह--तहसील हाटा, जिला देवरिया में केन यूनियन हाटा, पिपराइच तथा कप्तानगंज द्वारा क्रमशः २,११,१६५ रु० १२ आ० ६ पा० ; १,२२,७४५ रु० ५ आ० ८ पा० तथा ७८,८९९ रु० ११ आ० ९ पा० दसगुना के मद में जमा हुआ।

*६७--श्री सूर्यबली पांडेय (अनुपस्थित)--उपर्युक्त रकम में से कितने रुपये की सनदें किसानों को बांटी गयीं और कितनी शेष रह गयीं ?

श्री चरण सिंह--उपरोक्त कुल जमा किये गये ४,१२,८१० रु० १३ आ० ११ पा० में से २,९९,१८५ रु०९आ०५पा० की रकम लगान के पूरे दसगुने के रूप में जमा हुई थीं और उनकी सनदें किसानों को दे दी गई। ६६,३९४ रु० ४ आ० ६पा० की धनराशि जो आंशिक रूप में नकद जमा की गई थी या तो किसानों को नकद लौटा दी गई अथवा उनकी देय मालगुजारी में मिनहा कर दी गई है। शेष ४७,२३१ रु० है। यह दो आना गन्ना कटौनी के संबंध का है और आंशिक रूप में जमा किया गया था। इसको वापस करने अथवा मालगुजारी में मिनहा करने के विषय में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*६८-६९--श्री पब्बर राम (जिला गाजीपुर)--[२७ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ५६-५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*७०--श्री उग्रसेन--[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*७१--श्री मान्धाता सिंह (जिला बलिया)--[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

देहरादून के सैनिक स्कूल में प्रविष्ट विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*७२--श्री दीनदयालु शास्त्री--(जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि वह देहरादून के सैनिक स्कूल में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों को कितनी छात्रवृत्ति देती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--७५० रु० वार्षिक की तीन छात्रवृत्तियां, जिनमें से एक केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को दी जाती है।

*७३--श्री दीनदयालु शास्त्री--[अस्वीकार किया गया।]

*७४--श्री नारायणदत्त तिवारी--[२२ अगस्त, १९५७ के लिये माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

*७५-७६--श्री इन्द्रभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)--[२२ अगस्त, १९५७ के लिये माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

प्रतापगढ़-रायबरेली रोड पर बस सर्विस की योजना

*७७--श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ रायबरेली रोड पर सरकारी बस चलने का कब से प्रबन्ध होने जा रहा है ?

डाक्टर सीताराम--इस मार्ग को विज्ञापित मार्ग घोषित किया जा चुका है और इस पर सरकारी बस चलाने का प्रबन्ध वर्षा ऋतु के पश्चात् करने की संभावना है।

*७८--श्री उग्रसेन--[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद परगने में बाढ़पीड़ितों को गृहनिर्माणार्थ सहायता

*७९--श्री हरदयाल सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि परगना जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर में कितने बाढ़पीड़ित लोगों को मकान बनाने में सहायता दी गई है ?

श्री चरण सिंह--शाहजहांपुर जिले के परगना जलालाबाद में ८२३ बाढ़-पीड़ित व्यक्तियों को मकान बनाने में सहायता दी गई।

*८०-८१--श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)--[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

झांसी जिले की ललितपुर व महरौनी तहसीलों में ओला पीड़ितों को सहायता

*८२--श्री गज्जूराम (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि तहसील महरौनी व ललितपुर जिला झांसी में मार्च सन् १९५७ में किन-किन ग्रामों में ओले गिरने के कारण रबी की फसल नष्ट हो गई और सरकार की ओर से ओलापीड़ित किसानों की सरकार ने क्या-क्या सहायता की?

श्री चरण सिंह--जिला झांसी की तहसील महरौनी तथा ललितपुर में गत मार्च महीने में ओला गिरने के कारण कुल ३४ गांवों की, जिनके नाम संलग्न तालिका में दिये हैं, फसल को कमी बेश क्षति पहुंची। हानि की मात्रा इस प्रकार है:--

नाम तहसील	ग्रामों की संख्या जिनमें हानि ८ आने से कम है	८ आना या उससे अधिक है
१--महरौनी	८	१२
२--ललितपुर	..	१४ (इनमें ३ ऐसे गांव भी शामिल हैं जिनमें हानि रुपये में ६ आने से ८ आने तक है।)

इन गांवों में जिन खातों में हानि ८ आने या उससे अधिक है उनकी वसूली स्थगित है तथा तकावी की किस्तों की वसूली ऐसे लोगों से नहीं की गई जिनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८६ पर)

हमीरपुर जिले में गुहांड़ प्रगाढ़ विकास क्षेत्र पर व्यय

*८३--श्री डूंगर सिंह (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर जिले में गुहांड़ प्रगाढ़ विकास क्षेत्र में अब तक सरकार का कितना रुपया खर्च हुआ? उसमें से कितना विकास कार्यों में और कितना कर्मचारियों के वेतन, भत्ता, मोटर, मकान, आदि में खर्च हुआ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--हमीरपुर जिले के गुहांड़ प्रगाढ़ विकास क्षेत्र में १५ जून, १९५७ तक निम्नलिखित व्यय हुआ--

	रु०	आ०	पा०
(क) विकास कार्यों पर व्यय ..	१,९४,०८७	७	०
(ख) वेतन, भत्ता आदि पर व्यय ..	१,८६,२३५	१५	०
योग	३,८०,३२३	६	०

श्री डूंगर सिंह--वेतन, भत्ता आदि में करीब-करीब उतना ही खर्च हुआ है जितना विकास कार्यों में, क्या सरकार को इस पर संतोष है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--नियमों के अन्तर्गत सभी जगह एकसा है।

फर्रुखाबाद जिले की छिबरामऊ तहसील से चकबन्दी के सम्बन्ध में शिकायतें

*८४--श्री कोतवाल सिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले की तहसील छिबरामऊ में जहां चकबन्दी हो रही है वहां के किन-किन गांवों की इस प्रकार की दरख्वास्तें आई हैं कि उनके गांव की चकबन्दी रोक दी जाय ?

श्री चरण सिंह--फर्रुखाबाद जिले की छिबरामऊ तहसील के निम्नलिखित गांवों को चकबन्दी योजना से निकाल दिये जाने के संबंध में दरख्वास्तें आई थीं--

(१) इन्दुईगंज, (२) नगला खेम करन, (३) चियासर, (४) फरीदपुर, (५) जुनेदपुर, (६) गंगा गंज गुरौली, (७) गरौरा, (८) मुढ़हा, (९) चांदपुर, (१०) जलालपुर, (११) अयूबपुर ।

*८५--श्री कोतवाल सिंह भदौरिया--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले की छिबरामऊ तहसील में जहां आज दो साल से चकबन्दी का कार्य चल रहा है वहां के काश्तकारों की शिकायतों की सूचना चकबन्दी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा ज्यादतियों के संबंध में सरकार को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरण सिंह--फर्रुखाबाद जिले की छिबरामऊ तहसील में चकबन्दी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अन्य बातों के संबंध में ४९ शिकायतें आई। उनकी पूरी-पूरी जांच करने के पश्चात् १ सहायक चकबन्दी अधिकारी, २ चकबन्दीकर्त्ता, १७ लेखपाल और ३ चपरासियों को नौकरी से अलग कर दिया गया। १ चकबन्दीकर्त्ता की तम्बीह की गई और १ सहायक चकबन्दी अधिकारी, २ चकबन्दीकर्त्ता व १ लेखपाल को भविष्य के लिये चेतावनी दी गई। १ चकबन्दीकर्ता और ४ लेखपालों की बदली कर दी गई। शेष १६ दरख्वास्तों में लगाये गये आरोप झूठे पाये गये।

*८६--श्री कोतवाल सिंह भदौरिया--क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छिबरामऊ तहसील के सिकन्दरपुर गांव में जब वे पधारे थे उस समय हजारों की संख्या में किसानों ने अपनी तकलीफों तथा चकबन्दी अधिकारियों की ज्यादतियों की शिकायतें उनको दी थीं ? क्या कोई कार्यावाही उन पर की गई ?

श्री चरण सिंह--जब माल मंत्री छिबरामऊ के सिकन्दरपुर गांव में गये थे, किसानों ने केवल १५४ दरख्वास्तें पेश कीं। उन दरख्वास्तों पर पूरी-पूरी जांच करने के पश्चात् उचित कार्यवाही की गई।

*८७--श्री सैयद जरगाम हैदर (जिला बहराइच)--[१३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

मैनपुरी जिले की भोगांव तहसील में ओला पीड़ितों को सहायता

*८८--श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले की भोगांव तहसील में गत मार्च में ओले पड़ने के कारण कितने ग्रामों को नुकसान पहुंचा है और सरकार की ओर से उन गांवों की क्या मदद की गई है ?

नोट--तारांकित प्रश्न ८३ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चरण सिंह--मैनपुरी जिले की भोगांव तहसील में गत मार्च महीने में ओला पड़ने से कुल ५१ गांवों की फसल को कमो वेश क्षति पहुंची थी। इनमें से १७ गांवों में हानि नगण्य थी। बाकी ३४ गांवों में पीड़ित व्यक्तियों को दी गई सहायता का विवरण इस प्रकार है:--

		रु०
१--मालगुजारी में छूट	..	२२,४१०.७५
२--विपत्तिकालीन तकावी	..	३१,०४०
३--तकावी की किश्तों का स्थगन--		
क--ऐक्ट १२	..	६,२९२.०६
ख--ऐक्ट १९		१२,७४८.२५
४--अहेतुक सहायता	..	२२०

५--अन्य सरकारी देयों की भी वसूली स्थगित कर दी गई।

बदायूं जिले में कोआपरेटिव यूनियन्स द्वारा लगाये गये नलकूप

*८९--श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला बदायूं में पिछले ५ वर्षों में कितने Tube-wells Co-operative Unions ने बनवाये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--केवल पांच।

*९०--श्री शिवराज सिंह यादव--इन Co-operative Tube-wells में से कितने Diesel Engines से चलते हैं, कितने बिजली से चलते है और कितने चालू हालत में नहीं हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द --इन में से ३ तो डीजल इंजन से और १ बिजली से चलते हैं तथा एक नलकूप अनुकूल स्ट्रेटा न मिलने से असफल रहा।

बाराबंकी जिले के अग्निपीड़ितों को सहायता

*९१--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले मे मार्च, सन् १९५७ ई० से मई, १९५७ ई० तक आतशजनी में कुल कितनी वारदातें हुई हैं और इस संबंध में सरकार की ओर से पीड़ित लोगों को क्या सहायता दी गई ?

श्री चरण सिंह--जिला बाराबंकी में मार्च, १९५७ से मई, १९५७ तक अग्निकांड से ७२ घटनायें घटित हुईं। इस संबंध मे सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को जो सहायता दी है उसका विवरण निम्न प्रकार से है:--

१--अहेतुक सहायता	२,०१५ रु०
२--विपत्तिकालीन तकावी	२,३१५ रु० (तीन काश्तकारों की वसूली भी स्थगित की गई।)
३--अंतिम रिपोर्ट आने तक मालगुजारी की वसूली स्थगित की गई।	१,८६७ रु०

इसके अतिरिक्त भूमि प्रबन्धक समितियों के द्वारा खाने के लिये अन्न, छप्पर छाने के लिये बांस, फूस तथा जानवरों के लिये चारे आदि का प्रबन्ध किया गया। कई स्थानों पर आग बुझाने हेतु फौजी दमकल की सहायता दी गई।

विदेशी शासकों की मूर्तियां संग्रहालय में रखने का आदेश

*९२--श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि विदेशी शासकों की मूर्तियां संग्रहालय में रखने में कितनी प्रगति हो पाई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसी समस्त मूर्तियों के संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं कि शीघ्रातिशीघ्र १५ अगस्त के पहिले सब मूर्तियों को हटा कर सुरक्षित प्रकार से कहीं रख दिया जाय।

बरेली जिले की नवाबगंज तहसील में आग लगने से क्षति

*९३--श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)--क्या सरकार बतलाने की कृपया करेगी कि माह अप्रैल, सन् १९५७ में तहसील नवाबगंज, जिला बरेली के किन-किन ग्रामों में आग लग जाने से फसल रबी का कितना नुकसान हुआ ?

श्री चरणसिंह--माह अप्रैल, सन् १९५७ में तहसील नवाबगंज के ३ ग्रामों--घटमापुर, हुंमा और मिर्जापुर-जागीर में आग लगी उससे रबी की फसल का २१५ मन ३१ सेर अनाज नष्ट हो गया।

*९४--श्री शिवराजबहादुर--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन पीड़ित किसानों की सहायता अथवा तकावी के रूप में कितना-कितना रुपया दिया गया ?

श्री चरणसिंह--किसी प्रकार की सहायता की मांग पीड़ितों की ओर से नहीं की गई।

*९५--श्री शिवराजबहादुर--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सिलसिले में इन किसानों को लगान और आबपाशी में छूट दी गई ? यदि हां, तो कितनी-कितनी ?

श्री चरण सिंह--मालगुजारी तथा सिंचाई के कर में छूट अथवा मुल्तवी देने का प्रश्न विचाराधीन है।

*९६-९८--श्री वीरेन्द्र वर्मा--[२२ अगस्त, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

*९९--श्री बासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)--[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

हैदरगढ़ व रामसनेही घाट तहसीलों में अग्रिम लगान से वसूली

*१००--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील हैदरगढ़ व रामसनेहीघाट ने इस वर्ष कितना रुपया अग्रिम लगान के रूप में वसूल किया गया है ?

श्री चरण सिंह--खरीफ १३६४ फसली में ३१ मार्च, १९५७ तक ७,३५४ रु० ८१ नये पैसे राम सनेहीघाट में और २६,४८८ रु० ४३ नये पैसे तहसील हैदरगढ़ में रबी १३६४ की अग्रिम मालगुजारी के रूप में दाखिल हुआ। इसके अतिरिक्त तहसील हैदरगढ़ में जमींदारी विनाश प्रतिकर तथा निधि का लगभग ३०,००० रुपया खरीफ १३६४ व रबी १३६४ की मालगुजारी में मुजरा किया गया। रबी १३६४ में १३६५ फसली का कोई मतालबा अग्रिम मालगुजारी के रूप में वसूल नहीं किया गया है।

भ्रष्टाचार विरोधी समिति, जालौन के कार्य

*१०१--राजा वीरेन्द्र शाह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन की एन्टी-करप्शन कमेटी ने १९५५-५६ में क्या कार्य किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पुनस्संगठन के पश्चात भ्रष्टाचार विरोधी समिति, जालौन, द्वारा १९५५-५६ में किये गये कार्य का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८७-८८ पर)

रायबरेली जिले में ग्राम समाज बुधबन, गोविन्दपुर, पूरनपुर तथा तेजगांव की बंजर भूमि

*१०२--श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में सरेनी निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम-समाज "बुधबन" के पास कितनी बंजर भूमि है ?

श्री चरण सिंह--जिला रायबरेली में सरेनी निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम समाज बुधबन के पास ३९ बीघा १२ बिस्वा ६ बिस्वांसी बंजर भूमि है ।

*१०३--श्री गुप्तार सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त ग्राम के सभापति तथा उप-सभापति ने दो वर्ष के अन्दर अनाधिकार रूप से ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध थाना सरेनी में कितनी रिपोर्ट की हैं ?

श्री चरणसिंह--थाना सरेनी में ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकार रूप से कब्जा करने वालों के विरुद्ध कोई रिपोर्ट पिछले दो वर्षों में दर्ज नहीं है ।

*१०४--श्री गुप्तार सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में सरेनी निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम समाज गोविन्दपुर के पास कितनी बंजर भूमि है ?

श्री चरण सिंह--जिला रायबरेली में सरेनी निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम समाज गोविन्दपुर के पास २२७ बीघा २ बिस्वा ३ बिस्वांसी बंजर भूमि है ।

*१०५--श्री गुप्तार सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त ग्राम समाज की बंजर भूमि पर उसी ग्राम के हरिजनों के भी जानवर चरने पाते हैं ?

श्री चरण सिंह--पहले ऊंची जाति के लोग हरिजनों के मवेशी इस बंजर भूमि में नहीं चरने देते थे । किन्तु दिसम्बर, १९५६ से हाकिम परगना और तहसीलदार के प्रयत्न से यह शिकायत बिल्कुल दूर हो गई ।

*१०६--श्री गुप्तार सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में सरेनी निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम समाज "पूरनपुर" के पास कितनी बंजर भूमि है ?

श्री चरण सिंह--ग्राम पूरनपुर में जो कि ग्राम समाज जगन्नाथपुर में शामिल है, कुल १ बीघा २ बिस्वा १ बिस्वांसी बंजर भूमि है ।

*१०७--श्री गुप्तार सिंह--क्या सरकार यह बताने कृपा करेगी कि रायबरेली के अन्तर्गत सरेनी क्षेत्र में ग्राम तेज गांव में कितनी बंजर भूमि ग्राम समाज के पास है ?

श्री चरण सिंह--ग्राम समाज तेजगांव के पास १०२ एकड़ बंजर भूमि है ।

जिलाधीशों व पुलिस कप्तानों के घोड़ों पर व्यय

*१०८--श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रत्येक जिले के जिलाधीशों और सुपरिन्टेंडेंट पुलिस के लिये घोड़े रखने की व्यवस्था करने पर प्रत्येक वर्ष राज्य द्वारा कितना व्यय होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—

३२,७२० रुपये प्रति वर्ष (आवर्तक)

८०,८०० रु० (अनावर्तक)

अतारांकित प्रश्न

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड जेवर के कार्य

१—श्री छत्तर सिंह—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड जेवर में पिछले वर्ष कौन-कौन से कार्य हुए ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड जेवर में पिछले वर्ष जो कार्य हुए उसकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८९ पर)

श्री व्रजनारायण तिवारी द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—कल एक अविश्वास का प्रस्ताव मेरे पास भेजा गया था। उसके बारे में माननीय सदस्य व्रजनारायण तिवारी ने पूछा था। चूंकि वह समय से बाद में आया था, मैंने कहा कि आज उनके बारे में फैसला दूंगा। इस बीच में उन्होंने स्वयं उसे वापिस ले लिया। मैंने उसको वापिस लेने की इजाजत दे दी। इसलिये अब वह सदन के सामने नहीं है।

श्री मदन पांडेय द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री मदन पांडेय जी का आया है। उनकी उन्होंने एक ही प्रति मेरे पास भेजी है। मैंने उनको ढुंढ़वाया भी लेकिन वह नहीं मिले। नियमों में यह है कि जिस दिन कार्य स्थगन का प्रस्ताव उपस्थित करने का विचार हो उस दिन उपवेशन आरम्भ होने से पूर्व उस सूचना की दो प्रतियां सचिव को दी जायंगी। इस लिये वाजिब तरह से यह सूचना मुझे नहीं मिली। मैं इसलिये इस पर कोई विचार नहीं करता हूं।

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के आय-व्ययक के अनुदानों पर प्रस्ताव होंगे। समय के लिये किसी को कोई सुझाव देना हो तो दे सकते हैं ?

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि अनुदान संख्या १, ३१, ३२,३३ और ३५ पर बिना किसी विवाद के मत ले लिया जाय, अनुदान संख्या ४७ को आज पूरा दिन दिया जाय, अनुदान संख्या २२ पर कल क्वेश्चन आवर के बाद आरम्भ में एक घंटा बहस हो तथा अनुदान संख्या २ पर बाकी पूरे समय कल और परसों बहस हो।

श्री अध्यक्ष—इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ? (आपत्ति न होने पर) तो यही रहा। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ३१, ३२, और ३३ पेश करेंगे और माननीय माल मंत्री जी १ और ३५ उपस्थित करेंगे।

अनुदान संख्या ३१--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य, निर्माण-कार्यों पर लागत

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१--सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य--निर्माण-कार्यों पर लागत के अन्तर्गत ४,१३,९४,८०० रु० की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१--सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य--निर्माण-कार्यों पर लागत के अन्तर्गत ४,१३,९४,८०० रु० की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३२--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य, केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता

श्री गिरधारी लाल--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२--यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित)--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य--केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता के अन्तर्गत ३६,५६,२०० रु० की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२--यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित)--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता के अन्तर्गत ३६,५६,२०० रु० की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३३--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य और ८१--राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा

श्री गिरधारी लाल--मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य और ८१--राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा के अन्तर्गत ७१,२५,२०० रु० की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य और ८१--राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा के अन्तर्गत ७१,२५,२०० रु० की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १—लेखा शीर्षक ४—कृषि आय कर की उगाही पर व्यय

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १—कृषि आयकर की उगाही पर व्यय—लेखा शीर्षक ४—निगम कर और सम्पत्ति शुल्क को छोड़कर आय पर दूसरे कर के अन्तर्गत २,७९,२०० रु० की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १—कृषि आय कर की उगाही पर व्यय-लेखा शीर्षक ४—निगम कर और सम्पत्ति शुल्क को छोड़ कर आय पर दूसरे कर के अन्तर्गत २,७९,२०० रु० की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि

श्री चरण सिंह—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५—दुर्भिक्ष सहायता—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत १९,६७,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५—दुर्भिक्ष सहायता—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत १९,६७,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा

श्री गिरधारीलाल—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी-लेखा के अन्तर्गत ९,६०,५२,६०० रु० की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। राज्यपाल ठीक है या गवर्नर महोदय ?

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण दें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—कांस्टीट्यूशन जो अंग्रेजी का है, उसमें तो "गवर्नर" लिखा है लेकिन कांस्टीटुएंट असेम्बली का जो अथराइज्ड अनुवाद हिन्दी में है, उसमें "राज्यपाल" लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि दोनों अपनी जगह पर ठीक हैं।

श्री अध्यक्ष—(निर्माण मंत्री से) आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री गिरधारीलाल—अध्यक्ष महोदय, इस ग्रांट के सिलसिले में मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इतना ही बतला देना चाहता हूं कि यह साधारण राजस्व के बाहर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसके मातहत दो आइटम्स भवन के लिये और बिल्डिंग्स और रोड्स के लिये हैं। इन दोनों मदों में से इसमें रुपया खर्च किया गया है।

जहां तक भवनों का ताल्लुक है, उसमें ६,४४,१७,४०० रु० की व्यवस्था की गयी है जिसमे से ८८,२६,९०० रु० की धनराशि उन निर्माण-कार्यों के लिये भी सम्मिलित है, जिनके लिये जाने का प्रस्ताव इस बजट वर्ष में किया गया है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से पाइलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत इंडस्ट्रिअल स्टेट्स बनने हैं, जिनमें से एक तो मेरठ मे तथा एक वाराणसी में बनने की स्कीम है। इसके लिये १३ लाख ९८ हजार रुपया है। पीलीभीत जिले के भूमिहीन श्रमिकों और अशिक्षित बेकारों के पुनर्वास के लिये १२ लाख ५० हजार रुपया बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिये रखा गया है। बरेली और झांसी मे नये डिप्लोमा इंस्टीट्यूट के भवनों के लिये ५ लाख रुपया, राज्य मे माल विभाग के कुछ भवनों के निर्माण अथवा उन के विद्युतीकरण के लिये ६ लाख ५७ हजार रुपया, जो इसके अलावा ५ करोड़ ५५ लाख ९० हजार ५०० रुपया उन कामों के लिये रखा गया है जो पिछले सालो से चल रहे हैं उनको आगे के लिये जारी करना है और पूरा करना है। इसके अलावा यातायात के दूसरे मूल निर्माण-कार्य हैं, इसके लिये २ करोड़ ९२ लाख ८० हजार २०० रुपया रखा गया है, जिसमे से २९ लाख १५,३०० रुपया की धनराशि उन नई सड़कों के निर्माण के लिये है, जो इस बजट वर्ष के अन्दर निर्माण की जायंगी और इसके अलावा जो ऊपर की धनराशि है, उसकी प्रमुख मदे इस प्रकार से हैं कि नई सड़कों के निर्माण के लिये १३ लाख २८ हजार रुपया और वर्तमान सड़कों के लिये ४ लाख ३१ हजार रुपया, पुलों के निर्माण के लिये ३ लाख ७१ हजार रुपया, लखनऊ की कंधारी बाजार की सड़क के लिये २ लाख रुपया रखा गया है। २ करोड़ ६३ लाख ६४ हजार ९०० रुपये की धनराशि जो पिछले साल से काम चल रहे हैं उनको चालू करने के लिये और पूरा करने के लिये रखी गई है। इसके अलावा विविध प्रकार के कुछ और खर्चे है।

श्री कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—प्वाइन्ट आफ आर्डर। क्या मंत्री जी अपना व्याख्यान पढ़ सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—वह बजट की स्पीच पढ़ सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल—इस मद में १४ लाख ७५ हजार की धनराशि रखी गई है, जिसमें चालू निर्माण-कार्य शामिल है। इसकी प्रमुख मदें इस प्रकार हैं—बनारस के घाटों के लिये १० लाख रुपया, शहीदों के स्मारकों के लिये ३ लाख रुपया रखा गया है और लखनऊ में खेलकूद के स्थान के निर्माण के लिये १ लाख ६५ हजार रुपया रखा गया है। इसके अलावा टूल्स एण्ड प्लाण्ट्स की मद में ५ लाख ८० हजार की रकम रखी गई है, जिससे उपकरण स्थिर-यंत्र लगाये जायेंगे। एक रकम और है ३ लाख की, जो सार्वजनिक निर्माण-कार्य के डिवीजनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये है।

इसके बाद में इस वक्त सदन का अधिक समय नहीं लूंगा और केवल इतना बताऊंगा कि इस विभाग का जो काम है वह अपने ही आप सबको प्रकाश दिखला देता है, इसलिये मैं बाद में जो कहना होगा, कहूंगा। इस वक्त इतना कह देना मैं जरूरी समझता हूं कि आजादी से पहले हमारे सूबे में ५ हजार मील से कम पक्की सड़कें थीं और अब वे सड़कें दस हजार मील हो गई हैं। इसके अलावा बड़े-बड़े जो हमारे पुल हैं उनमें ३४ बड़े पुल आजादी के बाद बने हैं। इसके अलावा हमारे ४० बड़े-बड़े पुल ऐसे हैं कि जिन पर अभी काम हो रहा है और उन पर करीब ढाई करोड़ रुपया व्यय होगा।

आज के युग में माडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण की बहुत जरूरत है। पहले हमारे यहां कंकड़ की सड़कें होती थीं, पहले इतना ट्रैफिक नहीं था और हम लोग धूल में चलने के अभ्यस्त थे, लेकिन अब हम ज्यादा से ज्यादा तेज गाड़ियों में चलना चाहते हैं, इसलिये जरूरत

[श्री गिरधारी लाल]

हूं कि हमारी सड़कें आजकल के ट्रैफिक के लिये बढ़िया हों। अब हम अपनी पुरानी कंकड़ की सड़कों पर तारकोल बिछाते हैं और पत्थर डाल कर उनपर टार करते हैं, इस तरह से सड़कों का आधुनीकरण होता जाता है और उनकी संख्या बढ़ती जाती है . . . .

(इस समय १२ बजकर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

और उसमें काफी किफायत भी होने लगी है। इसका ढाई, तीन हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये प्रति मील का खर्चा होता है। हमारे प्रदेश के अन्दर पहले करीब १८ सौ मील लम्बी आधुनिक ढंग की सड़कें थीं, जो आज लगभग ३९ सौ मील हो गयीं।

इसके अलावा १९५६–५७ में जो काम हुआ है, उसका भी जिक्र कर देना चाहता हूं। १९५६–५७ में दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई जिसके मातहत जबकि हमने नई-नई सड़कों को अपने हाथ में लिया और उसके साथ ही हमने उन सड़कों को भी, जो पहले से अधूरी थीं, उनको भी हाथ में लिया और उनको पूरा किया, जिनके पूरा करने से करीब ४५.६ फी सदी काम पूरा हो गया, जिसकी वजह से २७० मील सड़कें बन गयीं और १८० मील लम्बी सड़कों का पुनर्निर्माण किया गया है और इसके अलावा कई एक पुल भी बने हैं।

जहां तक १९५६–५७ में खर्चे की बात है, उसके लिये सदन ने इस मद में ३ करोड़ १४ लाख रुपया मंजूर किया था, जबकि ३ करोड़ ३४ लाख ७२ हजार रुपया खर्च हुआ। मैं इतना और बतला देना चाहता हूं कि हर एक की यह इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनें। विभाग और सरकार की भी इस बात की ख्वाहिश है कि जिस वक्त भी धन मिल जाता है कहीं से, उस वक्त कुछ और कामों को भी ले लिया जाता है। तो इस तरीके से पिछले वर्ष हमें और विभागों में इकोनामी होने की वजह से करीब १ करोड़ ३६ लाख ६० हजार रुपया मिला, जिसकी वजह से एक एडीशनल प्लान तैयार किया गया और सूबे के अन्दर १५१ मील लम्बी, सड़कें बनीं और २३ मील लम्बी सड़कों का पुनर्निर्माण किया गया। इस एडीशनल प्लान के अन्दर, जहां बहुत सी कैनाल रोड्स थीं, सर्विस रोड्स थीं, इनके अलावा करीब ३०० मील लम्बी श्रमदान की सड़कों को लिया गया, जिसमें १५ लाख रुपया खर्च किया गया।

अब मैं उन कामों की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि बेकारी, अनएम्प्लायमेंट रिलीफ की मद के मातहत हुए। इसमें पहाड़ी इलाके में सड़कें बनीं। बुद्ध जयन्ती के सिलसिले में हमारे प्रदेश के अन्दर करीब ९५ लाख रु० खर्च करके कई एक सड़कें बनीं और कुछ भवन भी बने।

जैसा मैंने कहा विभाग ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहता है, लेकिन धन की कमी है। जितने पुलों की हमें जरूरत है, उतने पुल धन की कमी की वजह से नहीं बन पाये। लिहाजा यह सोचा गया कि जो पुल बने हैं उन पर टोल लगाया जाय, और टोल लगाया गया और हम समझते हैं कि उससे बहुत से पुल और बना सकेंगे। बहुत से माननीय सदस्यों की यह ख्वाहिश थी कि जो पैदल यात्री हैं उनके ऊपर टोल न लगे। चुनांचे हमने उस बात को मान लिया और यह तय किया गया कि जो पैदल यात्री हैं उन पर कोई भी, किसी तरह का टोल नहीं लगेगा।

जहां तक इस वर्ष का ताल्लुक है, इस वर्ष में भी पिछले वर्ष की प्लान की जो सड़कें हैं, उसमें से करीब ३० फीसदी सड़कों के पूरे होने की उम्मीद है, जिससे ३२० मील लम्बी सड़कें बन कर तैयार हो जायंगी और १५५ मील सड़कें ऐसी होंगी, जिनका मौडरनाइजेशन होगा और २० पुल बन करके तैयार होंगे। जहां तक एडीशनल प्लान का संबंध है इसके ऊपर इस वर्ष में करीब २४ लाख १६ हजार रुपया खर्च होना है।

अब जहां तक इकोनामी, किफायतशारी की बात है उसकी तरफ भी महकमे ने हमेशा ध्यान रखा है। कंटिन्जेंसी की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान गया और सरकार ने भी उसको देखा। अब उसको ५ परसेंट से घटाकर ३ परसेंट कर दिया गया है।

वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट भी दो परसेंट से डेढ़ परसेंट कर दिया गया। इसके अलावा जहां तक इस्टेब्लिशमेंट के खर्चे का सवाल है इस्टैब्लिशमेंट के खर्चे के ऊपर विभाग ने हमेशा काफी किफायतशारी करने की कोशिश की है। ५३–५४ में इस विभाग का इस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो खर्चा था, वह ६.८ परसेंट था। १९५४–५५ में ६·३ हो गया और आज यानी ५६–५७ में ५.१ है। इस वर्ष हमें उम्मीद है कि वह करीब साढ़े चार परसेंट होगा। जहां तक बजट के अन्दर जो मदें रखी गयी हैं, वे किसी तरीके से खर्च की जायंगी, उसके सिलसिले में मैंने बतलाया और इस बजट में पूरी की पूरी जो धनराशि है, जिसका कि मैं पहले जिक्र कर चुका, वह सब की सब कम्यूनिकेशन्स के निर्माण के लिए और उसके सुधार के लिए है। मैं अब सदन का और अधिक समय न लेकर सदन से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि वह इस अनुदान को स्वीकार करे।

कांग्रेस पक्ष तथा विरोधी पक्ष को आय-व्ययक पर विचार में समय देने पर आपत्ति

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से भाषण सम्बन्धी व्यवस्था का एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। कल और परसों के वाद-विवाद के आधार पर आप देखेंगे कि उस पक्ष के लोगों को एक और इस पक्ष के लोगों को एक, दोनों ओर से एक-एक वक्ता को अवसर दिया गया है जब कि संख्या यहां इस तरफ उधर से दुगनी है। तो इधर के दो और उधर के एक वक्ता को बोलने का समय मलना चाहिए, क्योंकि जब दोनों पक्षों के लोग उत्तम-उत्तम सुझाव देते हैं तो कोई कारण नहीं है कि जो दूनी संख्या में सदस्य हैं उनमें से बहुतों को समय न मिले। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इधर के लोगों को ज्यादा समय दिया जाना चाहिए।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने श्रीमान् से जो निवेदन किया है उस सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और तीन चार दिन पहले इस आदरणीय सदन में निवेदन भी कर चुका हूं कि संसदीय प्रथा यही है कि एक स्पीकर एक पक्ष का होगा तो दूसरा स्पीकर दूसरे पक्ष का होगा। यह सर्वमान्य है, कुछ कहने की जरूरत नहीं कि बहुमत की तादाद हमेशा ज्यादा होती है, लेकिन अल्पमत को सदन में मौका, जो बहुमत की तादाद है, उसके अनुपात में कहीं नहीं दिया जाता है। मैं आपकी सेवा में निवेदन करूंगा कि इस आदरणीय सदन की भी यही प्रथा, जब इसके पूर्व मैं इस सदन का सदस्य था, कि एक स्पीकर उस तरफ का तो दूसरा स्पीकर इस तरफ का रहा इसमें जो दोनों पक्षों की संख्या होती है उसके अनुपात से समय नहीं दिया जाता।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक बजट के वाद-विवाद का प्रश्न है तो यह इस आदरणीय सदन में भी माना जा चुका है और बाहर भी यही प्रथा है कि अपोजीशन को ग्रान्ट पर कटमोशन के स्पांसर करने का अधिकार है। जो उस पक्ष के लोग हैं, जो सरकार के समर्थक हैं उनको यह भी मौका नहीं मिलता कि कहीं किसी चीज के ऊपर कटौती करने का प्रस्ताव वह कर दें, और यह इसलिए भी है। मैं निवेदन करूं कि जो उस तरफ के सदस्य बैठे हुए हैं, वह प्रस्ताव पेश भले ही कर दें, लेकिन जब वोट देने का समय आयेगा तो या तो वह उसे वापस ले लेंगे या वोट अगर देंगे, तो ग्रान्ट को मंजूर करने के लिए देंगे। इसलिए जितने भी कटमोशंस हैं उनको स्पांसर अपोजीशन करता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह प्रथा श्रीमन्, इस सदन में कायम कर दें कि बजट, ही नहीं, बल्कि जो भी कार्यवाही हो, उसमें एक स्पीकर इस तरफ का बोले

[श्री त्रिलोकी सिंह]

तो दूसरा स्पीकर दूसरी तरफ का बोले, और यह भी संसदीय प्रथा है कि एक तरफ का अगर कोई लीडर बोलता है तो दूसरी तरफ से भी लीडर बोलता है, और संयोग से यहां इस तरफ कई दल भी हैं। लीडर, लीडर को फालो करता है और बैक बेंचर बैक बेंचर को फालो करता है। मैंने इस सम्बन्ध में जैनिंग्स की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज ५२ की तरफ श्रीमन्, का ध्यान आकृष्ट किया था और यदि आवश्यकता हो तो पुस्तक कमरे में है, मंगा कर मैं आपकी सेवा में भेज दूं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—मान्यवर, यह संसदीय प्रथा की बात माननीय नेता विरोधी दल ने जो कही वह तो ठीक ही है और उसमें किसी को मतभेद नहीं हो सकता। लेकिन इस सदन में संख्या का भी ध्यान इसलिए रखना जरूरी है कि संख्या जब थोड़ी है तो कैसे एक इस तरफ और एक उस तरफ देंगे। यह तो संभव नहीं, जहां तीन आदमी और एक आदमी का रेश्यो हो, वहां दोनों तरफ से एक-एक आदमी को बोलने का अवसर दिया जाय। अगर दोनों की संख्या बराबर होती तब तो वह संभव होता, लेकिन विरोधी दल में बहुत कम लोग हैं और धीरे-धीरे सब लोग बोल लेते हैं और उनको फिर दोहराने व तिहराने का मौका मिल जाता है और इधर वालों को अच्छे सुझाव देने का मौका नहीं मिलता। ट्रेजरी बेंचेज के जो लोग हैं उनका वोट तो सरकार के साथ निश्चित है, लेकिन सुझाव की बात हर क्षेत्र से आनी चाहिये। हर क्षेत्र के माननीय सदस्य को अधिकार है कि वे सुझाव दें। औपचारिक ढंग से उधर से कटमोशन आते हैं, लेकिन विचारों के स्पष्टीकरण के लिये और हर एक माननीय सदस्य को अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिये सदन में भाषण करने का अवसर मिलना चाहिये। इसलिये मैं विरोधी दल के नेता से अनुरोध करूंगा कि परम्परा तो ठीक है और उनको तरफ से सदस्य बोलें, लेकिन दोहराया जाय या तिहराया जाय यह ठीक नहीं मालूम होता। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मेरा प्रस्ताव माना जाय।

*श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—जहां तक माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने संसदीय प्रथा का जिक्र किया है उसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन जो प्रजातांत्रिक प्रणाली का जिक्र उन्होंने अमेरिका और इंगलैण्ड की पार्लियामेंट का किया उसके मुताबिक इतना निवेदन मैं करना चाहता हूं कि वहां पर अपोजीशन और सरकारी पक्ष के दलों में बहुत बड़ा अन्तर नहीं होता है। इसलिये वहां तो यह न्यायसंगत सा प्रतीत होता है, लेकिन यहां जब इतना बड़ा अन्तर है एक और दो का, जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा, तो मैं भी यही निवेदन करूंगा कि हर व्यक्ति को, हर दल के व्यक्ति को उसके दल की संख्या के अनुपात से बोलने का मौका दिया जाय, अपने विचार प्रकट करने के लिये, जिससे प्रदेश के ऐडमिनिस्ट्रेशन में और एफिशियेंसी में वृद्धि होगी और हर आदमी को अपने विचार रखने का मौका मिल सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष—मेरे सामने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, संभवतः माननीय दीपनारायण मणि त्रिपाठी जी ने उस दिन माननीय नेता विरोधी दल की बात नहीं सुनी। उस दिन भी उन्होंने मेरा इस बात पर ध्यान दिलाया था। संसदीय परम्परा का जहां तक सवाल है खासतौर से बजट में तो एक वक्ता के बाद दूसरे वक्ता को मौका दिया जाना चाहिये और उन्होंने जेनिंग्स की किताब का उद्धरण दिया था और साथ ही साथ पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस का भी, जिसमें लिखा है कि काफी समय विरोधी दल को मिलना चाहिये ताकि वह उस पर समुचित सुझाव दे सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप जानते हैं कि बजट जो है वह किसी प्रदेश या देश की सरकार का आइना होता है और यह उचित ही है कि उसी संसदीय परम्परा के अनुसार यहां भी विरोधी दलों को काफी सुझाव देने का मौका मिले और उस आइने में किसी दुरुस्ती की जरूरत हो तो वह हो जाय। इसलिये मैं माननीय नेता विरोधी दल की राय से सहमत हूं और उनके प्रश्न उठाने के पहले ही मैंने यह परम्परा कायम की थी और उसी हिसाब से पहले भी वक्त दिया था और अब भी दे रहा हूं। लेकिन यह ध्यान जरूर है कि माननीय सदस्यों के क्षेत्रों की ओर भी ध्यान दिया जाय। इसलिये कोई बहुत ही सख्ती से इसकी पाबन्दी नहीं हो सकती, लेकिन बजट में उसका ही पालन करूंगा।

जहां तक सवाल है संख्या का, मेरा ध्यान उस तरफ आकृष्ट किया गया। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ ५ पार्टियां हैं जो कि विभिन्न रीति-नीति रखती हैं। तो यह भी हो सकता है कि ५ आदमियों को फिर से मौका दिया जाय, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक ही प्रोग्राम है। इसलिये यह दलील कुछ जंचती नहीं। ऐसी हालत में इस देश और विदेशों में जो परम्परा है वही बजट के भाषणों के सिलसिले में लागू होनी चाहिए और उसी परम्परा का निर्वहन इस सदन में होगा। ट्रेजरी बेंचेज को कुछ कठिनाई हो सकती है, लेकिन विरोधी दल को काफी मौका बजट पर भाषण देने का मिल सकेगा, लेकिन मैं इसका भी ख्याल रखता हूं और एक ही सदस्य को बार-बार भाषण करने का मौका नहीं दे रहा हूं और मेरा ख्याल है कि रोजाना ही नये लोग बोल रहे हैं और इस तरफ से कांग्रेस पार्टी और विरोधी दल दोनों दलों के सदस्यों को सुविधा प्राप्त हो रही हैं। जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल का सुझाव था, वह संसदीय परम्परा सर्वमान्य है और उसी का अनुकरण इस सदन मे भी होगा।

भाषणों के लिये समय निर्धारण

श्री त्रिलोकीसिंह——एक निवेदन मैं करना चाहता हूं कि आज, कल और परसों जो विवाद होगा, उसमें जो कटौती के प्रस्ताव करें उन्हें २० मिनट का समय और अन्य भाषणकर्ताओं को १० मिनट का समय दिया जाय, किन्तु जो भी सभापति हों या अध्यक्ष हों वे इस बात का ध्यान रखें कि जो मुख्तलिफ दल है उनके नेता यदि बोलना चाहें तो उनको १० मिनट से अधिक समय दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष——मैं समझता हूं कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, इसलिये समय के बारे में यही बटवारा रहेगा।

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४७——लेखा शीर्षक ८१——राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी-लेखा——(क्रमागत)

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि ग्रान्ट नम्बर ४७ पर जो ६,६०,५२,६०० रुपये की मांग गयी है, उसमें से एक रुपये की कमी कर दी जाय।

इसकी ताईद में श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यों देखा जाय तो हम निर्माण-काल में चल रहे हैं, यह हमारा डेवलपमेंट पीरियड है और यह भी सत्य है कि सरकार ने घाटे का बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है। एक सीधी सी मानी हुई बात है कि निर्माण-काल में सिविल वर्क्स के ऊपर बहुत कम खर्चा किया जाता है, बिल्डिंग के ऊपर बहुत कम खर्चा किया जाता है, क्योंकि बिल्डिंग का खर्चा ऐसा होता है, जिससे कोई मुनाफा तत्काल या डेवलपमेंट की तरफ कोई विशेष प्रगति नहीं होती है। तो घाटे के बजट में, बिल्डिंग के ऊपर तथा सिविल वर्क्स के ऊपर बहुत कम खर्चा होना चाहिये, लेकिन अबके मौजूदा बजट में यह बात नहीं रखी गयी है।

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

श्रीमन् देखा जाय, पिछले वर्ष के बजट में सन् १९५६–५७ में साढ़े नौ करोड़ रुपया सिविल वर्क्स के ऊपर खर्च का एस्टीमेट रखा गया था, लेकिन जब वह रिवाइज किया गया, रिवाइज्ड एस्टीमेट आया, तो वह ६,२०,००,००० रह गया, यानी ३ करोड़ की कमी हुई। तो हमें यह डर है श्रीमन्, कि कहीं इस साल भी वही हस्र न हो जो पिछले साल के बजट के सिलसिले में हुआ। आज खर्चा कुछ आंका जाता है और कुछ दिनों के बाद जब रिवाइज्ड एस्टीमेट रखा जाता है तो ३ करोड़ और ४ करोड़ कम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि खर्च का सही अन्दाजा और किस स्कीम में कितना खर्चा होने वाला है इसका अन्दाजा और हिसाब-किताब सरकार ठीक तरह से नहीं लगा सकती है, लेकिन डर है श्रीमन्, इस साल जो सिविल वर्क्स में अनुदान रखा गया है कहीं वही नतीजा न हो जो पिछले साल हुआ था। यदि हम देखें तो शिक्षा के ऊपर पिछले साल ७७ लाख रुपये ऐस्टीमेट के अन्दर रखे गये थे, लेकिन जब वह रिवाइज्ड किया गया तो केवल ४,६५,००० रुपया रह गया। इसी प्रकार से उसे भी अगर हम देखें और गौर करें तो उससे भी यही अंदाजा लगता है कि शिक्षा के ऊपर जो खर्चा हुआ उसका भी सही अंदाजा नहीं रखा गया है और योजना पर कितना खर्च आया इसका कोई सच्चा और सही हिसाब नहीं था।

श्रीमन्, इस साल देखें कि शिक्षा के ऊपर ८७ लाख रुपया रखा गया है तो हमें यही डर है कि इसका भी वही हस्र न हो जो पिछले साल रखा गया था और रिवाइज्ड ऐस्टीमेट में कमी करनी पड़ी। मेडिकल विभाग में पिछले साल जो १,५५,००,००० रुपया..

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह बजट की ग्रान्ट नम्बर ४७ है जिस पर हम डिसकशन कर रहे हैं और माननीय सदस्य पूरे बजट पर डिसकशन कर रहे हैं, जिसका यह मौका नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—ग्रान्ट को अगर आप गौर से देखें तो इसमें सभी विभागों के लिये भवन निर्माण का प्रश्न है। इसलिये वह नियमानुकूल बोल रहे हैं।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—श्रीमन्, सिविल वर्क्स में हर विभाग के लिये एलाटमेंट होता है. इसमें जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन से लेकर एजूकेशन, पब्लिक हेल्थ, इंडस्ट्रीज, मिसलेनियस डिपार्टमेन्ट्स, पुलिस और कम्यूनिकेशन आदि सभी विभाग आ जाते हैं। इसलिये सिविल वर्क्स पर कटौती का प्रस्ताव पेश करने के बाद मैं निवेदन कर रहा था कि पिछले साल बजट में जो एलाटमेन्ट हुआ था और अनुदान दिया गया था और इस साल जो तखमीना रखा गया है उसका मुकाबिला करके सही माने में जो पिछले साल खर्च हुआ था उसकी ओर मैंने सदन का ध्यान आकर्षित किया था। मैं निवेदन कर रहा था कि मेडिकल विभाग पर जो एलाटमेंट हुआ था वह १,५५,००,००० रखा गया था, लेकिन बाद में एलाटमेन्ट रिवाइज हुआ तो ६२ लाख रुपया ही रह गया। इस साल इसमें ९६ लाख रुपया रखा गया है, मेडिकल डिपार्टमेन्ट के एलाटमेन्ट के लिये तो इसमें हमें संदेह है।

श्री सुल्तान आलम खां—मैं यह अर्ज करना चाहता था कि जो ४७ नम्बर की ग्रांट है उसमें हर महकमे को इमारत बनाने के लिये रुपया दिया गया है, लेकिन डिपार्टमेन्ट्स के खर्चे अलग-अलग दिये गये हैं। इसलिये पूरे डिपार्टमेन्ट्स के क्रिटिसिज्म का यह मौका नहीं है। यहां पर तो जहां तक इमारतों का ताल्लुक है उसी पर कहा जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—मेरा ख्याल है कि रिफ्रेंस देने का उनको हक है, इसलिये उसी तक आप (श्री पद्माकर लाल से) अपने को सीमित रखें।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—मैं तो इसको रिफ्रेंस तक ही सीमित रख रहा हूं और ब्योरे में नहीं जा रहा हूं। कितनी इमारतें बनीं और जो खर्च का ब्योरा है उसको नहीं ले रहा हूं, बल्कि रिफ्रेंस के लिये केवल जिक्र कर रहा हूं।

तो १ करोड़ ५५ लाख रुपये का जो एलाटमेन्ट था मेडिकल डिपार्टमेन्ट की इमारतों के लिये या अन्य निर्माण कार्यों के लिये वह बाद में जब रिवाइज हुआ तो सिर्फ ६२ लाख रह गया। इसके पीछे सरकार के पास कोई सही खर्च का हिसाब नहीं था। इस समय ५९ लाख का एस्टीमेट रखने के बाद हम क्यों न वही नतीजा निकालें जो पिछले साल के बजट के साथ हुआ था। फिर श्रीमन् देखा जाय तो ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस में अबके साल अनुदान की रकम बढ़ा दी गयी है, ७ लाख से १५ लाख कर दी गयी है और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में भी पिछले साल २७ लाख था जो बढ़ा कर अबके साल ४५ लाख कर दिया गया है। इसी तरह पुलिस का पिछले साल २७ लाख था, जो इस साल बढ़ा कर ६३ लाख कर दिया गया है। श्रीमन्, देखा जाय तो पुलिस और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के खर्चे में इजाफा किया गया है और शिक्षा आदि महकमों के लिये कम कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—आप ४७ नम्बर के अनुदान की ही संख्याएं बता रहे हैं?

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—जी हां। मैं पिछले साल और इस साल बजट का मुकाबिला करके बता रहा हूं। ... के ऊपर पिछले साल रिवाइज्ड ... करोड़ ४१ लाख रुपये का था और अबके साल यह केवल २ करोड़ ७८ लाख रखा गया है। इसके माने यह है कि ६३ लाख की इसमें कमी की गयी है।

एक चीज और है। असेम्बली हाल में लाउडस्पीकरों के सम्बन्ध में अब तक चार हजार रुपये ... में काम चल जाता था। अब उस प्रबंध को हटा कर १ लाख ४० हजार रुपये के लाउड स्पीकर्स इस असेम्बली भवन में लग रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि काफी रुपया और इस सम्बन्ध में खर्च करना पड़ेगा। जो लाउड स्पीकर लगने जा रहे हैं, उसके लिये जरूरत इस बात की होगी कि इस हाउस को एअर कंडीशन किया जाय। जब तक यह हाउस एअर कंडीशन नहीं हो जायगा, तब तक वह लाउड स्पीकर इन पंखों के चलते हुए काम नहीं कर सकता। तो मैं कहता हूं कि यह चीज साफ तो नहीं जाहिर होती है, लेकिन जनता में जो आमतौर से एक टीका टिप्पणी चल रही है और हिल एक्सोडस के बारे में जो आलोचना है, उसका आनन्द दूसरे रूप में यहां ही लेने का प्रबन्ध यह सरकार कर रही है। क्या जरूरत है कि जब केवल ४,००० रुपये सालाना के खर्चे से इस हाउस में लाउड स्पीकर का प्रयोग संभव है और हो जाता है, तो एक लाख रुपये से ज्यादा खर्च करके दूसरे प्रकार के लाउड स्पीकर की व्यवस्था की जाय?

श्री उपाध्यक्ष—यह बजट ज्यादातर माननीय अध्यक्ष की सहमति से होता है तो इसके बारे में अधिक टीका-टिप्पणी न करें, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने खिलाफ ही बोल रहे हों। इसलिये आप अब दूसरी मद पर बोलें।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—श्रीमन्, यह सिविल वर्क्स में जो काम होते हैं उनके सिलसिले में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मद के अन्दर कितना करप्शन और कितनी फिजूलखर्ची है। इसमें तमाम नाजायज खर्च और करप्शन होता है और उसके कारण कितना रुपया जनता का बरबाद होता है। कई माननीय सदस्यों ने करप्शन का जिक्र करते हुए और कई विभागों का जिक्र किया। मैं उसके ज्यादा विवरण में नहीं जाना चाहता हूं। यह मानी हुई बात है और उधर के भी कई माननीय सदस्यों ने माना है कि करप्शन इस वक्त बहुत ज्यादा है। उसका कारण यह पहले की गुलामी की जिन्दगी बतलाते हैं, लेकिन मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यह जो फिजूलखर्ची, करप्शन, भ्रष्टाचार और घूसखोरी ज्यादा फैली हुई है, इसका कारण गुलामी की जिन्दगी नहीं, बल्कि यह जो १० साल तक कांग्रेस का राज्य रहा, वह है।

श्री [illegible]:

भ्रष्टाचार अधिक बढ़ा है। मेरा नम्र निवेदन है कि जो निर्माण के नाम पर नये टैक्स लगाने की बात की जाती है, वह बहुत हद तक खत्म हो जाती है। अगर इस फिजूल- भ्रष्टाचार को रोका जाय, तो उस के लिये कोई स्कीम बनाई जाय। ऐसा टैक्स बहुत कम लगाना पड़ेगा और निर्माण का काम ज्यादा हो सकेगा।

. . . . में जो निर्माण की स्कीम्स है वह बिल्कुल अव्यवस्थित हैं। कहां पर पुल बनना है, कहां पर सड़क बननी है, कहां पर पुलिया बननी है, इसका ध्यान सरकार नहीं रखती है। लखनऊ और इलाहाबाद की पहले से खूबसूरत सड़कों को चौड़ा करने में और उनको ज्यादा खूबसूरत बनाने में रुपया खर्च किया जाता है, और जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जहां यातायात के कोई साधन नहीं हैं, मीलों तक सड़क या पुल नहीं है, वहां जाने के लिये कोई साधन इस कांग्रेस सरकार की तरफ से मुहैय्या नहीं किया जाता है। मैं श्रीमन्, निवेदन करना चाहता हूं कि तराई का इलाका है, पर्वतीय जिले हैं, इनमें आवागमन के साधन न होने के कारण लोगों की जिन्दगी पर बुरा असर पड़ता है। वह आर्थिक दृष्टि से बहुत पीछे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि ऐसे क्षेत्रों में अधिक पुल और सड़कें होनी चाहियें। लखनऊ और इलाहाबाद काफी खूबसूरत हैं, इनको हम और ज्यादा खूबसूरत नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि जो पिछड़े इलाके हैं, जहां गरीबी है, तंगी है, उनकी हालत सुधारने के लिए निर्माण के कार्य किये जायं।

श्रीमन्, बड़े-बड़े पुल और बड़ी-बड़ी योजनाएं आज देश के लिये जरूरी नहीं हैं। मैं आपके द्वारा इस सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि देहात के रहने वाले, जिनके लिये आज बरसात में निकलने के रास्ते नहीं हैं, उनके लिये जितनी फायदेमन्द छोटे-छोटे पुलों की योजना और सड़कों की योजना हो सकती है, उतनी कारामद उनके लिये बड़ी सड़कें और पुल नहीं हो सकते हैं। आप बड़े बांध बनाइये और बड़े पुल बना लीजिये और लखनऊ और इलाहाबाद में सड़कों को चौड़ा कर लीजिये, लेकिन याद रखिये देहात की रहने वाली जनता जरा भी अहसास नहीं करेगी कि आपने कोई तरक्की का काम किया है जब तक कि आप देहात के रहने वाले लोगों की जिन्दगी के लिये कोई राहत न पहुंचायें। अपने गांवों से बाहर जाने के लिये, यदि आपने उनके लिये पुल नहीं बनाया और आपने आवागमन का उनके लिये साधन उपस्थित नहीं किया, तो उनके लिये कुछ नहीं किया। देहात में छोटे-छोटे नाले होते हैं और छोटी-छोटी नदियां होती हैं और उनके गांव ऐसे तालाबों से घिरे होते हैं कि हजारों बीघे जमीन में फसलें नष्ट हो जाती हैं। छोटे पुल और नाले बना कर उनकी फसलों को बचाया जा सकता है। जब तक आप इस तरह के छोटे कामों को पूरा नहीं करेंगे, तब तक सही मानों में तरक्की की तरफ हमारा देश अग्रसर नहीं हो सकता है। इस बात को आप यकीन मानिये।

श्रीमन्, यहां जो भ्रष्टाचार होता है, उनकी चर्चा की गयी। हमारे माननीय सदस्य गौरीशंकर जी ने बजट के सिंचाई सम्बन्धी अनुदान पर चर्चा करते हुए बलिया में पी० डब्ल्यू० डी० के इंजीनियर के ऊपर बहुत गहरे आरोप लगाये। इसी तरह से अन्य जगहों के सम्बन्ध में भी भ्रष्टाचार के काफी गहरे आरोप हैं। यह कहना अनुचित नहीं होगा और एक बार इसी सदन में यह बात कही जा चुकी है कि आज देखा जाय तो जो एक मामूली ओवरसियर है या इंजीनियर है, उसके जीवन के रहन-सहन का स्तर कितना ज्यादा ऊंचा है। हजार रुपये के महीने से कम उनको नहीं पड़ता है। उनके बैंक बैलेन्स को देखा जाय तो काफी रुपया मिलेगा। एक ओवरसियर की ३ साल की

नौकरी में २५० रु० तनख्वाह पर इतने रुपये जमा करना आसान नहीं है। उनकी औरतों के नाम रुपया जमा रहता है। उनके बच्चों के नाम भी रुपया जमा रहता है। क्या यह किसी से छिपी हुई बात है ? वह कहां से ले आते हैं ? छोटी-छोटी आपकी योजनायें बनती हैं। एक लाख की योजना है तो उसमें से ५० हजार रुपया फिजूलखर्ची और भ्रष्टाचार में चला जाता है। केवल ५० हजार रुपया ही काम में आता है।

अन्त में श्रीमन्, मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय, उन दलीलों के मातहत, जिनका मैंने अभी सदन के सामने जिक्र किया है।

फिजूलखर्ची के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि लखनऊ में ५० हजार की लागत पर एक स्वीमिंग पुल बन रहा है। आखिर यह यहां पर किस लिये बनाया जा रहा है। यह केवल फिजूलखर्ची है। ७५ हजार रुपया जीपों के लिये खर्च किया जा रहा है। यह भी फिजूलखर्ची है। डिप्टी मिनिस्टर्स के घरों के लिये ९५ हजार रुपया केवल फर्नीचर में खर्च किया जायगा, यह भी फिजूलखर्ची है। जिस तरह से यह अपव्यय किया जा रहा है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कौंसिल भवन के सामने सड़क बन्द करने की एक योजना है, जिसमें करीब ४ लाख रुपया व्यय किया जायगा। आखिर यह सड़क क्यों बन्द की जा रही है और इसका क्या तात्पर्य है। इससे आप कौन सी प्रगति हासिल करने जा रहे हैं, जिससे आपको ४ लाख रुपया खर्च करने की आवश्यकता पड़ गयी। यह सब रुपये का अपव्यय किया जा रहा है। अगर इस रुपये को किसी पिछड़े हुए एरिया के लिये लगाया जाता--जैसे कि गोंडा या बहराइच तथा अन्य पूर्वी जिले के लिए, तो वहां पर काफी अच्छी सड़क बनायी जाती और उससे जनता के बहुत फायदे का काम हो जाता। जो यह सड़क बनायी जा रही है उसमें रास्ते के जो मकान तोड़े जायंगे उनके लिये पुनः बनाने की एक योजना है, जिसमें ५ लाख रुपया खर्च किया जायगा। आखिर यह स्कीम फिजूल नहीं है तो और क्या कही जा सकती है ?

श्री राजेन्द्र दत्त (जिला मुजफ्फरनगर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस आदरणीय सदन के सन्मुख १९५७-५८ के सार्वजनिक बजट के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। यह बात सभी जानते हैं कि हमारे साधन लिमिटेड है और हमारी आमदनी मखसूस है और उसको भी तरह-तरह के उपाय करके जुटाया जा रहा है, हालांकि इसके ऊपर भी लोगों ने बड़ा एतराज किया है।

लोग बहुत चर्चा करते है कि बहुत टैक्स बढ़ गये। लेकिन जब किसी देश का निर्माण करना होता है, किसी देश को बनाना होता है तो उसके लिये साधन जुटाये जाते हैं, चाहे उसका जनता पर कितना ही बोझ पड़े। तो उन्हीं साधनों के बल पर हम अपने देश को ऊपर उठाने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि जो साधन हम जुटा रहे हैं, और जिस तरह से रुपया हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसको उसी तरह से व्यय किया जाय, जिससे लोगों की निगाह में यह जंच जाय कि हम इस रुपये को अच्छी तरह से व्यय कर रहे हैं, अपव्यय नहीं कर रहे हैं।

[श्री राजेन्द्र दत्त]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब दो सुझाव इस सिलसिले में रखना चाहता हूं कि १५ करोड़ के करीब रुपया सार्वजनिक निर्माण विभाग पर खर्च हो रहा है, जो सारे बजट का सातवां भाग है। यह सही है कि इससे भी ज्यादा रुपया इस पर खर्च किया जा सकता था, क्योंकि किसी देश की उन्नति में Communications का बड़ा हाथ होता है : माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के शब्दों में—"Communications of all kinds are essential in any system of planning. There is grave danger that while we produce goods, we cannot transport them easily."

इस बात को ध्यान में रखते हुए पैसा वहां ज्यादा खर्च करना चाहिये जहां कि सरप्लस इलाका हो और जहां पैदावार ज्यादा होती हो, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो किस प्रकार हम वहां की पैदावार को बाहर भेज सकेंगे और जिन इलाकों में अन्न की कमी हो जाती है उसे पूरा कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय निर्माण मंत्री से जो महोदय बातें कर रहे हैं, उन्हें उनकी दाहिनी तरफ से बातें करना चाहिये, चेअर की तरफ पीठ करके उन्हें बात नहीं करनी चाहिये।

श्री राजेन्द्र दत्त—इस रुपये का इस तरह से व्यय होना चाहिये कि लोगों की निगाह में न खटके और यह रुपया उस इलाके में खर्च होना चाहिये जो अन्न के बारे में सरप्लस के इलाके हैं जिनसे लोग मंडियों में आसानी से गल्ला ले जा सकें और उसको दूसरे कमी के इलाकों में आसानी से पहुंचा सकें। मैं आपके सामने इस सिलसिले में एक नजीर रखना चाहता हूं। हमारे यहां बहुत से इलाके ऐसे हैं जो बहुत सरप्लस के इलाके हैं, लेकिन वहां सड़कें नहीं हैं और मंडी तक अनाज लाने मे १ रुपया प्रति मन के लगभग व्यय हो जाता है। जिससे उन लोगों को तो नुकसान होता ही है और मारकेट प्राइस पर भी उसका असर पड़ता है। इस वास्ते ऐसे इलाकों में शीघ्रता से सड़कों का निर्माण होना चाहिये।

दूसरा सुझाव यह है कि गवर्नमेंट का जो 'स्टार एन्ड ग्रिड' का फारमूला है उसका भी ठीक से अमल होना चाहिये। बहुत से जिले ऐसे हैं जिनमें सड़कें बहुत ज्यादा हैं लेकिन उन्हीं में और सड़कें बनायी जाती हैं, और जिनमें पक्की सड़कें कम हैं, उनमें कमी रखी जाती है। मुजफ्फरनगर का ५१ जिलों में से ४७ वां नम्बर है उस फारमूले के अनुसार सड़कों में बहुत कमी होने पर भी वहाँ सड़कें कम बनायी जाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि उन जिलों के साथ जिनमें उस फारमूले के अनुसार सड़कें कम हैं ज्यादती न की जाय, बल्कि उन्हें इस मामले में तरजीह दी जाय।

जो पंचवर्षीय योजना बन रही है उसमें P. W. D. में एक अजीब तरीके से काम लिया जा रहा है। हमने जिला प्लानिंग कमेटी में तीन चार बार सर्वसम्मत रिजोल्यूशन पास करके भेजा। असिस्टेंट सेक्रेटरी P. W. D. महोदय जब मुजफ्फरनगर गये उनके सामने भी सर्वसम्मत प्रस्ताव रखा लेकिन जब हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देखा तो हमें वह सुझाव कहीं नहीं मिले। अपने जिले की बात हम ज्यादा समझते हैं और यहां बैठे हुए चीफ इंजीनियर या डिपार्टमेंट कैसे ठीक समझ सकता है ? मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जिले के आदमी ही किसी बात को अच्छी प्रकार से समझते हैं बजाय यहां बैठे हुए आदमियों के। उनको इन बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का खूब प्रचार किया। तीन पुल मुजफ्फरनगर में बनना निश्चित हुए थे, लेकिन जब उसका नक्शा हमारे सामने आया, तो उसमें दो ही रह गये। एक बात हम पब्लिक के सामने जाकर कहते हैं और कल को उस पर अमल नहीं होता है तो उसका क्या हस्र होगा और पब्लिक में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को आप ध्यान में रखें। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हम लोगों के साथ ऐसी ज्यादती न की जाय। जब पब्लिक के सामने एक चीज रख दी जाय तो उसको पूरा करना चाहिये। लिहाजा पब्लिक के सामने जो भी चीज कहें, वह ऐसी नाप तौल कर होनी चाहिये कि वह पूरी उतरे, ज्यादा बातें बढ़ा कर कभी नहीं कहनी चाहिये। इस वास्ते मैं आपके सामने इस डिपार्टमेंट में सुधार करने के सम्बन्ध में दो-तीन सुझाव रखना चाहता हूं। एक तो यह कि 'स्टार एंड ग्रिड' फारमूला पर पूरी तरह से अमल किया जाय, जिससे सारे जिले को पूरी तरह से फायदा हो। यह नहीं कि एक को तो फायदा हो और दूसरे को नुकसान हो। यह नहीं होना चाहिये कि एक तो कमी में रहे और दूसरा बढ़ता जाय।

दूसरी बात यह है कि जितना काम आज इस रुपये में जो बजट में रखा है, हो रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इतने ही रुपये में इससे सवाया काम तो बिल्कुल हो ही सकता है। इसके लिये मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस समय रेट्स बने, उस समय जो महंगाई थी, वह बिलकुल पीक पर थी, लेकिन आज उससे कम महंगाई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें रेट्स को रिवाइज करना चाहिये। अगर रेट्स कम होंगे तो काम ज्यादा हो सकता है। इस चीज को पूरी तरह से ध्यान में रखना चाहिये।

जहां तक इस डिपार्टमेंट के कर्मचारीवर्ग की बात है, जाहिर है कि यह डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें करप्शन बहुत काफी है। सब लोग इस बात को मानते हैं। तो हमको इस तरह का कोई कानून बनाना चाहिये, जिससे जो आफिसर हैं उनके ऊपर कुछ दबाव पड़े। अगर उनकी शिकायत होती है तो उनका सस्पेंशन किया जाय, उनका प्रमोशन रोका जाय और हो सके तो उनका टर्मिनेशन तक किया जाय। इन चीजों को करने के बाद ही हम करप्शन को दूर कर सकते हैं।

चौथी बात यह है कि सरकार डिपार्टमेंट का मोरेल ऊंचा उठाने का प्रयत्न करे। सरकार कहती रहे कि हमें देश का निर्माण करना है, इसको बनाना है, इसको आगे बढ़ाना है और उसमें सब को सहयोग देना चाहिये। हम मानते हैं कि आपको और जगह नौकरी मिल सकती है और यहां से ज्यादा पैसा मिल सकता है, लेकिन चूंकि इस देश को आगे बढ़ाना है, इसलिये आपको इसके लिये कुछ त्याग भी करना चाहिये। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं, जहां तक हो सके, उन पर गौर करके अमल किया जाना चाहिये।

श्री भूप किशोर (जिला एटा)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, इस पंचवर्षीय योजना में पक्की सड़कें तथा गैर पक्की सड़कें लक्ष्य के मुताबिक नहीं बन पायीं और योजना के बाहर भी पक्की सड़कों का जो निर्माण होना था, वह पूरा नहीं हो पाया। सी० सी० ट्रंक की सड़कें पूरी लम्बाई की नहीं हो सकीं। इससे बिलकुल साफ साबित है कि सरकार अपनी स्कीम को कार्यान्वित करने में असमर्थ हो रही है। पक्की सड़कें जो शहरों में बनने को हैं, उन्हीं की ओर ध्यान दिया गया है और गांवों में जाने वाली सड़कें, जिनका ग्रामीण जनता से सम्बन्ध है, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। वे सड़कें जो ४,००० मील बनने को थीं, वे इस वक्त तक सिर्फ ३,२४० मील ही बन पायी हैं, अर्थात् ६६० मील कम सड़कों का निर्माण हुआ। पंचवर्षीय योजना में कई ऐसी चीजें हैं, जिनको सरकार पूरा

[श्री भूप किशोर]

नहीं करा सकी है। तो इससे साबित होता है कि सरकार अयोग्य है। जैसे स्थानीय पक्की सड़कें, जो मरम्मत होने की थीं, वे ७६ मील थीं, उनमें से सिर्फ वह ५० मील की ही मरम्मत करा पायी; और कच्ची सड़कें ३५७ मील मरम्मत होने की थीं, उनमें से सिर्फ १७८ मील की ही मरम्मत हुई; ३२० मील पक्की सड़कों का निर्माण होना था, उनमें से सिर्फ ८३ मील का ही निर्माण हुआ; सी० सी० ट्रंक का ७६ मील के बजाय सिर्फ २ मील का ही निर्माण हुआ; नयी पुलियों का निर्माण १६१ का होना था, जिनमें से सिर्फ ९९ का ही निर्माण हुआ।

बेरोजगारी दूर करने के लिये ६७८ मील सड़क के बनाने की सैंक्शन मिली थी, लेकिन सिर्फ १०९ १/२ मील सड़कें ही बन पायीं। यह प्रयत्न किया गया है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले। मजा तो यह है कि ३३ मील ओ० डी० सड़कें बनने को थीं, जिनमें से सिर्फ आधा मील ही बन पायी। सरकार इस बात में हमेशा नाकामयाब रही है कि उस के पास ठीक से काम करने के लिये अच्छे सरकारी आदमी नहीं हैं। जैसे कि हमारे यहां एक पुल का टेंडर लिया गया और अधूरे में ही ठेकेदार ने अपना काम बन्द कर दिया, और बाद में नतीजा यह हुआ कि उसके रेट्स बढ़ाये गये और फिर काम शुरू कराया गया। इस वजह से सरकार को उस काम के लिये ५०-६० हजार रुपया अधिक देना होगा। ऐसी हालत में जब सरकार के पास योग्य आदमी नहीं है तो सब से पहले वह अपने यहां योग्य आदमियों की भरती करे और यदि उसने इन अयोग्य आदमियों से काम लिया तो यह अयोग्यता देश को डुबो बैठेगी और कोई काम ठीक नहीं होगा।

मैं देखता हूं कि एटा में सड़कों के निर्माण के लिये कोई धनराशि नहीं रखी गयी है। अलीगंज, एटा का एक पिछड़ा इलाका है, जिसमें सड़कों की बहुत जरूरत है। सराय अगस्त एक बड़ा धार्मिक स्थान है और यहां पर विदेशों से, चीन और जापान तक से बौद्ध यात्री आते हैं। फर्रुखाबाद से सराय अगस्त तक तो सड़क बन गई है, लेकिन अलीगंज तक वह नहीं बढ़ाई गई है और इस अलीगंज की सड़क का कोई जिक्र इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं है। थाना दरयागंज से कासगंज जाने वाली सड़क का बनना भी बहुत जरूरी है, इस पर बहुत यातायात है और यह हमारे जिले के एक सिरे को दूसरे सिरे से मिलाती है। अगर इसका निर्माण कार्य हो जाय तो कलकत्ता से पेशावर तक जाने वाली जी० टी० रोड से हम मिल जायंगे, केवल इस १८-२० मील के टुकड़े का सवाल है। जैथरा से रामपुर तक को सड़क को बहुत जरूरत है, इस पर हमारा एक तीर्थ स्थान कम्पिल है जो बहुत प्रसिद्ध स्थान महाभारत काल से चला आता है। यहां के यात्री रुदामन स्टेशन पर उतरते हैं और आठ दस मील पैदल चलने में परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा घटिया घाट के पुल की भी बहुत जरूरत है, वहां पर भी लोगों को बहुत कष्ट है, फर्रुखाबाद में वह जरूर बनना है, इस तरफ भी सरकार ध्यान दे तो अच्छा है। कछला के पुल से कानपुर १७५ मील तक कोई पुल नहीं है, बरसात के जमाने में उधर उत्तर की ओर जाने में लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और खाद्य पदार्थों तक के पहुंचाने में उत्तर की ओर बहुत परेशानी है। वहां की जनता लाखों की तादाद में आज कल आधा पेट भोजन पाती है। इसलिए घटिया घाट का पुल जरूर बनवाया जाय। इससे जनता को बहुत तकलीफ है, यहां पर सब से ज्यादा आमदरफ्त है और हर साल लाखों रुपया सरकार को ठेके से मिलता है और उसी से अन्दाजा हो सकता है कि कितना ट्रैफिक इस जगह पर है। ऐसी हालत में जब कभी स्त्रियां या बच्चे यहां पानी पार करते हैं तो बड़ी परेशानी और आफत होती है। स्त्रियों को बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी मुसीबत से बीच-बीच में पानी में घुस करके साड़ी को समेट कर अपमानजनक तरीके से पार कर पाती हैं।

श्रीमन्, अब मैं प्रोजेक्ट की बनी सड़कों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता

श्री उपाध्यक्ष--जरा लाल रोशनी का भी ध्यान रखिये।

श्री भूपकिशोर--अलीगंज क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत खराब है। कारण यह है कि उन पर कंकड़ वैसे ही डलवा दिया गया और ऊपर से रेत डाल दी गई जिसकी वजह से सड़कें बिलकुल खत्म हो गईं। लागत पर १० फीसदी का ठेका होता है जो ओवरसियर ठेकेदार से तय करता है। चुनांचे १० फीसदी लेकर ओवरसियर उस काम को पास कर देता है। इस तरह से सरकार को काफी नुकसान हुआ है।

हरिजनों को जो सरकार कुओं के लिये मदद देती है, एक तिहाई मदद सरकार देती है निर्माण-कार्य करने के लिये, तो वह भी काफी देर से मिलती है, जिसका नतीजा यह होता है कि उन बेचारों को साल भर में करीब उतना ही ब्याज दे देना पड़ता है ६०० रु० का, जिससे वे लोग रुपया उधार लेते हैं, क्योंकि खुद तो उनके पास इतना रुपया कहां है जो लगा सकें, तो मैं चाहूंगा कि जो भी एड आप उनको दें वह पहले दे दी जाय तो अच्छा हो।

श्री सूरत चन्द रमोला (जिला टेहरी गढ़वाल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूं कि आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने जो ग्रान्ट नम्बर ४७ के सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि आजादी प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश में निर्माण विभाग के निरीक्षण में जितने भी काम हुए हैं, उनमें काफी प्रगति हुई है। भ्रष्टाचार के लिये जो दूसरी तरफ से आरोप लगाया गया है, मैं यह नहीं मानता कि भ्रष्टचार नहीं है, लेकिन उसके उपाय मौजूद हैं और उनके लिये सरकार प्रयत्नशील है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे श्रमिकों की कोआपरेटिव सोसाइटीज इस प्रकार की नियत करे, जैसे हमने अपने जिले में जंगलात के श्रमिकों की सोसाइटीज नियत की हैं और वह बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं और इस वक्त उनके पास करीब १ लाख रु० से ज्यादा कैपिटल है। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से कहूंगा कि वह कमेटीज हमारे जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों को अच्छी तरह से कर सकती हैं और जो उनके पास लेबर है, स्किल्ड लेबर, वह सड़कों और मकानों के कामों को अच्छे तरीके से और ठीक से कर सकते हैं।

दूसरे में यह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे हिल्स में और खास कर टेहरी-गढ़वाल में तो दो, तीन साल हुए जब हमें यह पता चला कि उत्तर प्रदेश में भी पी० डब्लू० डी० विभाग है। टेहरी गढ़वाल को मर्ज्ड हुए करीब ९ साल हो गये और आज तक वहां पर एक मील भी नई सड़क नहीं बन पायी है। सिर्फ पिछले साल धरासू-बड़कोट रोड पर काम किया गया है, लेकिन इस साल बजट में वह बैलगाड़ी की सड़क करार दी गई है। मैं यह अर्ज करूंगा कि बैलगाड़ी की सड़क और वह भी पहाड़ में, वहां तांगे, इक्के वगैरह नहीं चल सकते हैं। मैं चाहूंगा कि उस सड़क को मोटर रोड करार दिया जाय। टेहरी-धरासू रोड जो इंटरिम मिनिस्टरी के वक्त बनी, उसके लिये इस साल कोई अनुदान नहीं रखा गया है। ग्रान्ट नम्बर ४७ के पेज ५४१ पर लिखा हुआ है कि गंगोत्री, यमनोत्री और टेहरी-धरासू रोड के लिये कोई अनुदान नहीं है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि टेहरी-धरासू रोड वही है जो गंगोत्री और यमनोत्री मार्ग है। टेहरी से अगर चलें तो धरासू पर बाइफ़रकेशन होता है, एक सड़क गंगोत्री जाती है और एक यमनोत्री को। इस सड़क पर लाखों यात्री हिन्दुस्तान भर से आते हैं। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि इस सड़क के लिये कोई अनुदान नहीं है। मैं मंत्री महोदय से पर्सनल तरीके से प्रार्थना करूंगा कि वे इस सड़क के लिये कुछ अनुदान दें।

[श्री सूरत चन्द रमोला]

दूसरे हमारे जिले में कम्यूनिकेशन्स की सिर्फ दो ही सड़कें हैं एक ऋषीकेश से धरासू को जाती है और दूसरी ऋषीकेश से कीर्तिनगर जाती है। यही दो सड़कें हैं। यह भी सड़क टेहरी और धरासू से इतनी खराब है कि जरा सा पानी बरस जाय तो रुक जाती है और जाने-आने का रास्ता बन्द हो जाता है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुल्तान आलम खां के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सूरत चन्द रमोला--अधिष्ठाता महोदय, मैं इस आदरणीय सदन के सामने अभी लंच से पहले पहाड़ी जिलों की और खास कर टेहरी गढ़वाल जिले की पी० डब्ल्यू० डी० की जो सड़कें हैं, उनके बारे में अर्ज कर रहा था। धरासू-बड़कोट रोड के बारे में मैंने कहा कि वह जो सड़क ली गई है, वह बजट में दिखाई गई है कि वह बैलगाड़ी की सड़क है। उसके लिये मैं काफी कह चुका।

अब मुझे यह अर्ज करना है कि पहाड़ी जिलों और खासकर टेहरी-गढ़वाल जिले में सार्वजनिक निर्माण कार्य बहुत ही धीमे चल रहे हैं। टेहरी गढ़वाल यू० पी० के सब जिलों में बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है और जब तक आवागमन के साधन वहां नहीं बढ़ाये जायेंगे, तब तक इस जिले का भला होना मुश्किल है। जब सन् ४७ में वहां पर क्रान्ति हुई थी, राज्य का शासन अन्तरिम शासन के हाथ में आया, तो वहां मिनिस्ट्री ने सात लाख की लागत से मल्डियाना-लम्बगांव सड़क बनाई थी। वह सड़क करीब-करीब बन गई थी, लेकिन जब टेहरी राज्य उत्तर प्रदेश सरकार में विलीन हुआ, तो उस सड़क पर आज तक पी० डब्ल्यू० डी० की तरफ से कोई काम नहीं किया गया, गो कि वह सड़क पी० डब्ल्यू० डी० ने ले ली है। प्लानिंग कमेटी ने जरूर २ लाख रुपये का श्रमदान इस सड़क पर करवाया है, अभी मैं कुछ दिन पहले खुद इस सड़क को देखने के लिये गया था तो करीब १२ मील लम्बी यह बनी हुई थी, और उस पर एक गैंग लगा हुआ था जो कि पत्थर सड़क पर पड़ते हैं उनको भी ठीक तरह से नहीं उठा पा रहा था। इस सड़क के लिए मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि तुरन्त इस सड़क के लिए कुछ अनुदान प्रदान करें। बहुत थोड़ा रुपया लगेगा और उससे यह सड़क मोटरेबिल बन सकती है। इस समय यह सड़क ब्राइडिल पाथ के नाम से ली गई है। यहां मल्डियाना के पास गंगा नदी पर एक पुल पड़ता है। वह पुल भी सेकेंड फाइव-ईयर प्लान में मौजूद है। मैं अर्ज करूंगा कि इस पुल के बनने में कुछ देर भी हो, तो भी यह सड़क तो मोटर के काबिल बनायी जा सकती है।

इस वर्ष टेहरी से मसूरी जो कि पैदल का रास्ता था ४० मील के करीब वह सड़क भी प्लानिंग कमेटी ने श्रमदान के द्वारा बनवायी थी और पी० डब्ल्यू० डी० ने अब उसको अपने हाथ में ले लिया है। मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग का इसके लिए शुक्रगुजार हूं। लेकिन इस सड़क के लिये जाने के बाद ही यहां पर जो काम किये गये, वे ठीक ढंग से नहीं हुए। इस सड़क की देख-रेख के लिये और इसके निर्माण के लिये इस वक्त के बजट में कोई प्राविधान नहीं है। मैं निर्माण विभाग के मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस सड़क को कुछ ग्रान्ट जरूर दें, क्योंकि इस सड़क पर खास बात यह है कि टेहरी से राइट अपटु देहरादून के बीच में कोई पुल नहीं पड़ता है। पहाड़ की चोटी चोटी से हो कर यह सड़क जाती है और इस पर कोई भारी पुल नहीं है। थोड़े ही रुपये में यह सड़क मोटर के काबिल बनाई जा सकती है।

एक बात में यह भी अर्ज करूंगा कि बजट जो कुछ भी असेम्बली में पास किया जाता है, उसके लिये ऐडमिनिस्ट्रेटिव या और तरह के जो कुछ भी सैंक्शंस होते हैं, जब हम इंजीनियरिंग विभाग से पूछते हैं कि इसके लिये बजट में प्राविधान है, आप इसे क्यों नहीं करते ? तो जवाब यही मिलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन नहीं आया है । इस तरह से काम में देर हुआ करती हैं। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि इस तरह से इन सैंक्शन में देर नहीं होनी चाहिये । जैसे ही बजट पास हो वह सैंक्शन जल्दी ही कार्यान्वित कर देना चाहिये और उनको मिल जाना चाहिये ।

तीसरे सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो गैंग्स सड़कों पर होते हैं उनके कुलियों की हालत बहुत खराब है । सुबह ८ बजे से उनकी ड्यूटी होती है और शाम के ८ बजे तक उनसे काम लिया जाता है और उनकी तनख्वाह ४०-४५ रुपये माहवार होती है । मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन गरीबों की हालत सुधारी जाय । फिर यह भी पता नहीं चलता कि वे गैंग के कुली हैं क्योंकि उनके पास वर्दियां नहीं हैं । जाड़े व बरसात में वहां बहुत ठंड पड़ती है । जाड़े व बरसात में वे ठंडे कपड़े पहनते हैं और पहाड़ों की चोटी पर काम करते हैं । वे गरीब गर्म कपड़ा खरीद नहीं सकते । वे कम्बल ओढ़ कर आते हैं और रात में भी उसी कम्बल से काम निकालते हैं । तो पहाड़ों की चोटियों पर जो कुली काम करते हैं, जैसे नेलंग की सड़क बन रही है जो १२ हजार फीट पर है, जो कुली वहां हैं, उन कुलियों को सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से वर्दियां जरूर मिलनी चाहिये ।

इतना कह कर अन्त में मैं यह अर्ज करूंगा कि परिस्थिति को देखते हुए टेहरी-गढ़वाल की पिछड़ी हुई हालत को देखते हुए विभाग के अधिकारी और मंत्री खास तौर से तवज्जह इस जिले की तरफ दें ताकि जिले व देश के नवनिर्माण में हाथ बटाया जा सके ।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस माननीय सदन में अपने क्षेत्र की कुछ बातों को रखने के लिये अवसर प्रदान किया है । श्रीमन्, आज इस माननीय सदन के सामने सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये करीब १० करोड़ रुपये का अनुदान पेश है । यह अनुदान इसलिये रक्खा गया है कि सूबे के अन्दर सड़कें, पुल व इमारतें बनाई जायं ।

श्रीमन्, मैं आपके जरिये से सदन के सामने बताना चाहता हूं कि इस महकमे के अन्दर जितनी फिजूलखर्ची है शायद इससे ज्यादा और किसी महकमे के अन्दर फिजूलखर्ची नहीं दिखाई पड़ती है ।

श्रीमन्, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इसी लखनऊ शहर के अन्दर जबकि सूबे में सड़कों की कमी है, यहां लखनऊ में एक खांदारी सड़क है उसको तोड़ने में करीब २ लाख रुपये खर्च किये जा रहे हैं और इस तरह से यह व्यय जो है बनी हुई सड़कों का ही पुनर्निर्माण करने में, उनको चौड़ी करने में, उनको सीमेंटिंग करने के लिये, किया जा रहा है और साल के आखिर में नक्शे के द्वारा ग्राफ के द्वारा माननीय सदन को बताया जायगा कि इस सरकार ने इतनी लम्बी सड़कें इस वित्तीय वर्ष में तैयार की हैं, जबकि वह सड़कें जो मौजूद हैं इन्हीं के अगल-बगल में चौड़ी करके बनायी जा रही हैं, या जो सड़कें मौजूद हैं उन पर एेशफाल्ट और सीमेंट बिछायी जा रही है ।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन के सामने यह भी पेश करना चाहता हूं कि सरकार मिट्टी के कामों के विकास के लिये २,३०,००० रुपये से एक इमारत बनायेगी, जिसमें मिट्टी के बरतनों का काम सिखाया जायगा । श्रीमन्, यह काम, देहातों में जो हमारे भाई रहते हैं, वह अच्छी तरह से करते हैं । उन्हीं देहातों में इस काम की तरक्की के लिये और वहीं पर इस काम को तरक्की देना, हम उचित समझते हैं, क्या सदन उसे उचित नहीं समझता है ?

[श्री होरीलाल यादव]

श्रीमन्, मैं आगे आपके जरिये सदन के सामने यह पेश करना चाहता हूं कि सरकार की जो सड़कें बनाने की योजना है वह भी समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि सरकार जो सड़कें बना रही है, वह ऐसे इलाकों में ही उन्हें ज्यादा फैलाने की कोशिश कर रही है, जहां पहले से वह सड़कें ज्यादा मौजूद हैं और उन इलाकों में, जो सूबे के उत्तरी हिस्से हैं, जो बहुत पिछड़े हिस्से हैं, जहां यातायात के पक्के साधनों की कौन कहे, कच्ची सड़कें भी मौजूद नहीं हैं, वहां पर इसके लिये कम पैसा खर्च करने की कोशिश की जा रही है।

मैं, श्रीमन्, आपके जरिये से अपने जिले की कुछ बातें इस सदन के सामने रख देना बहुत उचित समझता हूं। जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वह इलाका एक कालेपानी का इलाका कहा जाता है, जिस इलाके के अन्दर जो थाना है, वह कहीं भी कम से कम १२ मील से सड़क के नजदीक नहीं है और आजकल तो उस इलाके पर पहुंचना एक समस्या है। चाहे जितनी बड़ी दुर्घटना होती रहे, कोई अधिकारी उस तरफ जाना नहीं चाहता, उसको वहां पहुंचने की फुर्सत नहीं है और जो अधिकारी वहां हैं, वही वहां के राजा हैं। मैं आपके जरिये से माननीय सदन को यह बताना चाहता हूं कि ऐसे इलाकों पर जहां से कोई भी सड़क मिली हुई न हो, ऐसे थानों को सड़कों से मिला देना बहुत जरूरी है, इसलिये कि वहां के रहने वालों के माल की, उनकी जान की रक्षा हो सके, और कोई घटना हो, तो जिले के हेडक्वार्टर से सहायता बहुत जल्दी पहुंचाई जा सके।

श्रीमन्, मैं आपके जरिये यह भी बतलाना चाहता हूं कि गंगा और काली नदी के बीच में जो क्षेत्र है, उसके अन्दर करीब-करीब २० मील लम्बा और ६ मील चौड़ा इलाका है, जिसके अन्दर कोई पक्की सड़कें क्या कहें, कच्ची सड़क भी कोई नहीं हैं। आजकल बरसात के दिन हैं, इसका तो कहना ही क्या, उन दिनों में जबकि गर्मी और सर्दी होती है, उन सड़कों पर चलना और राह ढूंढ़ना किसान के लिये दूभर हो जाता है। अपनी पैदावार का ठीक दाम वह किसी हालत में नहीं पा सकता।

मैं श्रीमन्, यह भी माननीय सदन को बता देना चाहता हूं कि घटिया घाट जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने अभी किया, जिसके सिलसिले में न मालूम कितने रेप्रेजेंटेशन सरकार के सामने पेश किये गये, कितने प्रतिनिधि मंडल सरकार के सामने आये, लेकिन उस सड़क के निर्माण के लिये इस वित्तीय वर्ष में कोई साधन नहीं रखे गये। हमारी जिला प्लानिंग कमेटी ने भी सर्वसम्मति से इस बात का प्रस्ताव पेश करके सरकार के पास भेजा कि इसी सड़क को बनाने में प्राथमिकता दी जाय, क्योंकि यह सड़क उस इलाके में, जो गंगा और रामगंगा का ४० मील लम्बा और १२ मील चौड़ा इलाका आबाद है और फर्रुखाबाद शहर के अन्दर आने-जाने और माल ले जाने का एक मात्र साधन है, इतनी खराब हो गयी है, इतनी टूट गयी है, इतने इसमें कटाव हो चुके हैं कि इसके जरिये से इसके पास के बसे हुये गांव भी खतरे में पड़ गये हैं। उनका कटाव बराबर जारी है और अगर इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया तो मैं आदरणीय सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वहां जो गांव सड़क के किनारे बसे हुये हैं, उनको दूसरी जगह बसाना पड़ेगा और सरकार के लिये यह एक बड़ी भारी समस्या हो जायगी।

श्रीमन्, इस विभाग में जितना भ्रष्टाचार है वह तो इसी से मालूम हो जाता है जो कि हमारी सरकार की ठेके देने की पद्धति है। उसका तखमीना तो बहुत रखा जाता है और कम तखमीने पर ठेकेदार को ठेका दिया जाता है। श्रीमन्, दस करोड़ रुपये की जो यह धनराशि इस विभाग के लिये खर्च करने के लिये रखी गई है, उसमें से करीब-करीब एक करोड़ रुपया वैसे ही चला जायगा। हमारे सदन के माननीय सदस्य भी जानते हैं कि जो ओवरसियर काम कराते हैं तो उसका १० प्रतिशत तो उनका बंधा हुआ है। इसमें कोई कमी नहीं हो सकती है। इसमें वह रकम शामिल नहीं है जो ठेकेदार को रुपया लेते समय खजांची को देनी पड़ती है। श्रीमन्, इस हिसाब से देखा जाय तो दस करोड़ में से एक करोड़ रुपया तो वैसे ही चला जायगा।

श्रीमन्, कम टेंडर पर ठेके दिये जाते हैं और अगर ठेकेदार १० प्रतिशत नहीं देगा तो इमारत पास नहीं की जायगी और ठेकेदार खराब माल जैसे खराब ईंटा, और एक–छै का सीमेंट वगैरह नहीं लगा सकेगा ।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आज सार्वजनिक निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में बोलने का अवसर आपने प्रदान किया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मुझे इस बात का दुख है कि मैंने एक बार नहीं, इस सदन में प्रवेश करने के पश्चात् कई बार प्रयास किया था कि मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाय, लेकिन खेद है कि मुझे अवसर नहीं दिया गया और मुझे अपने मन की बात अपने मन तक ही रखनी पड़ी । मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और आभारी हूं ।

आज सदन के समक्ष जो सार्वजनिक निर्माण कार्यों का विषय है उस सम्बन्ध में मैं सब से पहले अपने निर्माण मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो यह कहा गया है कि काम कुछ नहीं होता, भ्रष्टाचार बहुत है । भ्रष्टाचार की जगह पर भ्रष्टाचार है और काम की जगह पर काम है । हमारे मित्र विचार करें कि १९४७ से लेकर १९५६ तक कितनी सड़कें बनी हैं । पहले ४,९०० मील लम्बी पक्की सड़कें थीं, वह अब ९,९५७ मील हो गई हैं । जब सरकार ने काम नहीं किया है तब दुगुनी सड़क कैसे बन चुकी हैं ? तब भी कहा जाता है कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया है ।

दूसरी बात यह है कि १९५५–५६ के बीच में ७८५ मील लम्बी सड़कें बनाई गई हैं । मैंने सड़क की एक उपमा देकर काम के बारे में बताया है । मैं सब से पहले अपने मित्र भूपकिशोर जी का आभारी हूं कि जिन्होंने एटा से आने के पश्चात् हमारे जिले के निर्माण कार्यों की ओर संकेत किया है । मैं उसके बाद अपने साथी श्री होरीलाल जी यादव का भी आभारी हूं जो हमारे जिले के एक एम०एल०ए० हैं । उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने के साथ–साथ हमारे क्षेत्र की भी कुछ समस्याओं को रखने की कृपा की । मैं इसके साथ इतना और बतला देना चाहता हूं कि हमारे जिले में आज से ८-९ वर्ष पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एक फतेहगढ़ कायमगंज की सड़क थी, वह पी०डब्लू०डी० ने ले ली, लेकिन अब तक वह बन नहीं पा रही है । सरकार ने इतनी कृपा तो जरूर की है कि वह सड़क जो २४ मील लम्बी है, ५ से १३ मील तक इस नयी योजना में पक्की करने के लिये रखी है, लेकिन जहां तक इस सड़क का सम्बन्ध है, शायद हमारे प्रदेश की कोई भी सड़क इतनी गन्दी, इतनी खराब और इतनी ऊंची–नीची नहीं होगी । सड़क को जाने दीजिये, जो उसके इधर–उधर पटरियां हैं उनमें कमर के बराबर गारा हो गया है । यही नहीं, मोटरों का चलना तो दूर रहा, मोटर जीप, जिसकी आज दुनियां में दुहाई दी जाती है कि हर जगह जा सकती है, उसका भी उस सड़क पर चलना कठिन हो जाता है । इसलिये मैं अपने मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि उन्होंने अगर ५ से लगा कर ८ मील लम्बी सड़क बनवा दी, तो दूसरे वर्ष में वह ८ मील के बजाय १३ मील सड़क और जो खराब हो जाती है और जिसका बनना न बनना बराबर हो जाता है । उस सड़क को जल्द से जल्द बनवा कर पूरा करने की कृपा करें ।

दूसरी बात मुझे इस सम्बन्ध में यह कहनी है कि हमारे मित्र श्री भूपकिशोर जी ने जो घटिया घाट के पुल की चर्चा की है अब उस पुल की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिये । यातायात की दृष्टि से फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, खीरी–लखीमपुर, बरेली, इन तमाम जिलों का सम्बन्ध उस पुल से जुड़ता है । यही नहीं, इसका सम्बन्ध भारत की सीमा नैपाल और तिब्बत से सीधा-सीधा जुड़ता है । रक्षात्मक दृष्टि से भी मैं विशेष रूप से यह निवेदन करूंगा कि यह पुल हमारे राष्ट्र के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण होगा । फतेहगढ़ एक पुराना सैनिक केन्द्र रहा है और उसके साथ ही साथ सैनिक शिक्षण केन्द्र भी है ।

[श्री रामकृष्ण सारस्वत]

माननीय मंत्री महोदय से मैं इतना और निवेदन करूंगा कि वे जरा इस ओर भी ध्यान दें कि खाद्य की समस्या पर इतनी लम्बी बहस हुई। फर्रुखाबाद जिले के लिये जो खेती के साधन हैं उनका शाहजहांपुर और हरदोई जिलों से मुख्य सम्बन्ध है। गंगा का जो नावों का पुल बनता है, उसकी अजीब सी हालत रहती है। इंजीनियर लोग ठेकेदारों से मिले रहते हैं और उनसे मिल करके इतने गलत तरीके से पुलों को मंजूर करते हैं कि अगर गंगा का एक डेढ़ फुट पानी बढ़ जाय, तो यातायात के साधन नष्ट हो जाते हैं और फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई की इधर की सवारी उधर और इधर की सवारी उधर रह जाती है। इसलिये मैं अपने मंत्री महोदय से इतना जरूर निवेदन करूंगा कि जब पुल बनने का मौका आये, तो वे उसको देखने की कृपा तो अवश्य करें और उसे ऊंचाई पर बनवाने की कृपा करें।

इसके अलावा जो ठेकेदार हैं उनके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि गंगा और रामगंगा के बीच हमारे जिले का ४० मील लम्बा और १२ मील चौड़ा ऐसा चक है, जो पानी का टापू बन जाता है, जहां सवेरे ६ बजे से लेकर शाम के ६ बजे तक, १२ घंटे नाव पर चलने के बाद भी पता नहीं लगता कि कहां से कहां पहुंचेंगे। इस सिलसिले में मुझे यह भी निवेदन करना है कि जो नावें गंगा को पार करने के लिये डाली जायं उनकी संख्या बढ़ा दी जाय और ठेकेदारों के ऊपर नियंत्रण रखा जाय। वैसे तो बारहों मास वहां 'अंधेर नगरी चौपट राजा' वाली कहावत चरितार्थ होती है, हमेशा उतराई ज्यादा ली जाती है, लेकिन वर्षा ऋतु में तो यह इतनी ज्यादा ली जाती है कि कुछ कहना ही नहीं। एक आदमी से ८ आना या १ रुपया तक लिया जाता है। मैं अपने सामने बैठे हुये मित्रों से भी निवेदन करूंगा। वे अक्सर कहा करते हैं कि लोग इन बेंचों पर बैठ कर हृदयहीन हो गये हैं। मैं कहता हूं कि हृदय हमारे पास भी है। मैं बतला देना चाहता हूं कि हम चाहे इधर बैठें या उधर, किसी जगह पर बैठें, लेकिन हम जिस क्षेत्र से चुन कर आये हैं, उसके लिये हमारा यह कर्त्तव्य है कि उसकी सही बात, चाहे वह आपकी हो या हमारी हो, वहां रखें और उसका स्मरण दिलायें। हमें दुख इस बात का है कि आपने उधर बैठ कर समझ लिया है कि हम हृदयहीन हैं और आप हृदयसागर हैं। हमारे कुछ बुजुर्ग साथी यहां पर उपस्थित नहीं हैं, नहीं तो उनसे निवेदन करता और अगर कभी मौका मिला तो निवेदन करूंगा कि संभव है कि आप की बातें सही हों और संभव है कि सरकारी पक्ष की बातें भी सही हों, लेकिन यहां इस बात का ध्यान छोड़ कर अपने क्षेत्र में जो काम हुए हैं, जो उसकी सही मांगें हैं उनकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिये। मैं फिर माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने पुराने विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे आप के द्वारा निवेदन करूंगा कि ठेकेदारों के व्यवहार की ओर भी वह कुछ ध्यान दें।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जब डेढ़ दो फुट पानी बढ़ जाता है तो वह पुल टूट जाता है। मैं अपने माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जब तक वह पक्का पुल बनवाने में सफल न हो सकें, उस समय तक वह वहां पर पीपे वाला पुल डलवा दें और इस तरह से तमाम जिलों को संबंधित रखने की कृपा करें।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज सुबह से जिस अनुदान पर बहस हो रही है और जिसे माननीय निर्माण मंत्री ने प्रस्तुत किया है उस पर हमारे विरोधी दल के साथी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, यह जो निर्माण-कार्य है, इसको यदि ठीक ढंग से किया जाय, तो इसकी तारीफ ही की जानी चाहिये, लेकिन मैं यह देखता हूं कि जो भी निर्माण होता है, उसमें अधिकतर उन व्यक्तियों का निर्माण होता है कि जो उस निर्माण-कार्य में लगे होते हैं। श्रीमन्, देखा गया है कि जो सड़कें बनती हैं, कागजों पर उनकी लम्बाई चौड़ाई आ जाती है, लेकिन वस्तुस्थिति देखी जाय तो अधिकतर वह एक साल तक भी ठीक से नहीं चल पाती हैं और पुनः वैसी ही हालत में हो जाती हैं जैसी कि पहले थीं। इधर मैं देखता हूं कि जो भी कार्य किया जा रहा है, उसमें

बहुत से क्षेत्र [illegible] उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। सरकार का ध्यान [illegible] क्षेत्रों की ओर जाना चाहिये। [illegible] मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं कि जहां न तो कोई [illegible] हुई और न किसी और प्रकार की कोई व्यवस्था हुई।

इस प्रदेश में बहुत से ऐसे स्थान हैं कि जो निचाई पर हैं जहां पानी भर जाता है, गर्मी आ जाती है, वहां गल्ला रखने के लिये कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार की ओर से कुछ ऐसे मकान बनाये जाते कि वह ठीक प्रकार से गल्ला रखा जाता तो [illegible] बहुत सा गल्ला खराब हो जाता है, उधर गर्मी से पानी जो नीचे के क्षेत्र में रहता है, उसके निकालने के लिये सरकार की ओर से कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी, जिससे वहां की जमीन ऊसर हो रही है और उत्पादन वहां पर घट रहा है।

श्रीमन्, मैं यह देखता हूं कि यह सड़कें अधिकतर उन जगहों में बनायी जाती हैं जो वहां उनकी सरहनत अधिक होती है, [illegible] जिला [illegible] चलती हैं। इन पिछड़े हुये क्षेत्रों में जब कि इटावा जिले [illegible] कुछ क्षेत्र है, तथा [illegible], चम्बल, सिंध और अन्य कितनी नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र [illegible] है यह इटावा जिले का एक तिहाई हिस्सा करीब इन नदियों से घिरा हुआ है, और [illegible] किसी प्रकार से भी सरकार ने नदियों को पार करने के लिये अभी तक पुल का निर्माण नहीं किया है। इटावा जिले में [illegible] पर ४ सड़कें ऐसी हैं जिन पर पुल बनाना अत्यन्त आवश्यक है। एक सड़क तो इटावा में जसवन्तनगर से बाह जाती है और दूसरी औरैया से शेरगढ़ होकर जालौन जाती है और तीसरी इटावा से [illegible] को जाती है और [illegible] फतेहगढ़ से आती है। ये तीनों सड़कें इस तरह की हैं जिन पर पुल बनाने की बहुत जरूरत है। मैं देखता हूं कि इन स्थानों पर अभी तक प्रथम पंचवर्षीय योजना में कोई भी पुल का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ चला जाता है। यदि इन तीन स्थानों पर पुल बना दिये जायं तो उसमें वहां के लोगों के लिये बहुत सुविधा हो जाय। यदि इटावा जिले में यह मध्य प्रदेश से मिलाने वाली सड़क पर इटावा में पुल बन जाय, तो फिर यह सीधा रास्ता ग्वालियर तक का हो जाय। इस पुल के बन जाने से यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र जहां पर सरकार को लाखों रुपया डाकुओं की समस्या को हल करने के लिये हर साल खर्च करना पड़ता है, उसमें सरकार को काफी आसानी हो जाय। मैं देखता हूं कि अंग्रेज यहां से चले गये, परन्तु अपने समय में वह भी डाकुओं की समस्या हल न कर सके। इस क्षेत्र में सैकड़ों वर्षों से २,४ कुख्यात डाकू हमेशा बने ही रहते हैं। उसका एक मात्र कारण यही है कि वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। यहां के आदमियों को रोटी-रोजी की मुसीबत रहती है। ऐसी स्थिति में यदि वहां पुल का निर्माण हो जाय, तो वहां सरकार यातायात का साधन जुटा सके और डाकुओं को समाप्त कर सके। साथ ही साथ उस पिछड़े हुये क्षेत्र में तरक्की करने के लिये काफी अच्छे साधन भी बनाये जा सकते हैं।

श्रीमन्, मैं यह भी देखता हूं कि हमारे यहां इटावा से मैनपुरी की सड़क ऐसी है कि जब से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से इस सड़क को पी० डब्ल्यू० डी० ने लिया तब से इसकी हालत और भी खराब हो गयी और इसकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। इटावा जिले में बहुत-सा क्षेत्र ऐसा है जैसा कि विधुना तहसील में गर्कों का क्षेत्र है जहां पर पानी भर जाता है। वहां पर सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है, जिससे वहां का पानी निकाला जा सके।

उत्तर प्रदेश में एक समस्या कुम्हारों की भी है, जिनके लिये सरकार ने ठीक से कोई व्यवस्था नहीं की है। इस प्रदेश में कितने ही कुम्भकार ऐसे हैं, जो केवल मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाकर अपनी गुजर करते हैं। उनके लिये कहीं १, २ जगह पर कोई ऐसे मकान बनाने से उनकी समस्या हल नहीं होती। उनकी स्थानीय समस्याएं

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

हैं। उनको खिलौने बनाने के लिये मिट्टी लेनी होती है, जो गांव में किसी एक खास जगह ही मिलती है। उनके लिये सरकार की ओर से या गांव सभा की ओर से उस स्पेशल मिट्टी के लिये प्रबन्ध नहीं किया गया। उसके लिये गांव में एक स्थान होता है और उस जगह की मिट्टी से ही वे खिलौने या बर्तन बनाते हैं। सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था उनके लिये नहीं की जिससे उनको आसानी से मिट्टी मिल सके.........

श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)--मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि जो माननीय सदस्य कुम्भकारों की चर्चा कर रहे हैं, क्या यह भी इसमें सार्वजनिक निर्माण के बजट में शामिल है ?

श्री अधिष्ठाता--आप कृपया अपने भाषण को अनुदान तक ही सीमित रखें।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा--तो, श्रीमन्, कुम्भकार की समस्या के लिये निर्माण की दृष्टि से कोई व्यवस्था होनी चाहिये। ऐसी कितनी शिकायतें आती हैं कि पुल निर्माण होने के साल भर के अन्दर ही कहीं वह फट जाता है, कहीं दरार पड़ जाती है और दूसरी कमजोरियां आ जाती हैं, जब कि हमारे निर्माण विभाग के इंजीनियर्स और ऊंचे-ऊंचे अधिकारी उनकी देखभाल के लिये हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ठीक प्रकार से चीज बन भी नहीं पाती है, लेकिन उसका विघटन शुरू हो जाता है। निर्माण के लिये उन क्षेत्रों को भी देखा जाय, जिन्हें सरकार ने नजर अन्दाज कर रखा है। देहात की गरीब जनता सड़कें न होने के कारण अपनी उपज मंडियों में नहीं ले जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि उधर हमारी सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिये। निर्माण-कार्य के लिये स्वीकृत धनराशि को खर्च करने के लिये कोई समिति होनी चाहिये, जिसमें केवल इंजीनियर्स पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिये। वे लोग ठेकेदारों से मतभेद होने पर अच्छी चीज को भी कैंसिल कर देते हैं।

श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)--अधिष्ठाता महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि इस सदन में आने के बाद यह पहला अवसर मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने का प्राप्त हुआ है। आज लोक निर्माण विभाग के बजट पर पक्ष और विपक्ष में विवाद चल रहा है, आलोचनाएं की जा रही हैं तथा सुझाव दिये जा रहे हैं। यह सारी बातें सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कुछ तो इस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतें पेश की गईं और कुछ अपने-अपने क्षेत्रों की निर्माण के लिए बातें कही गयीं। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि भ्रष्टाचार हमारे राष्ट्रीय चरित्र के लिये बहुत बड़ा काला दाग सा हो गया है। ऐसा देखा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के घर का कोई आदमी इस ढांचे में जाता है तो वह भी वही कर्म करना शुरू कर देता है जो एक साधारण नागरिक उस स्थान पर रह कर करता है। किसी क्रान्तिकारी या प्रतिगामी विचार रखने वाले का प्रभाव किसी कर्मचारी पर आज दिखलाई नहीं देता। यह सर्वविदित सत्य है कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं एक बार रेल से यात्रा कर रहा था। उसी डिब्बे में एक सज्जन बैठे हुये पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर एक साधारण कांग्रेस कार्यकर्ता की भ्रष्टाचार की शिकायत करते चले आ रहे थे। अन्त में मैंने निश्चय किया कि उनसे मैं यह स्पष्टतया पूछूंगा कि आप कौन सज्जन हैं। उन्होंने अपना परिचय देने से इन्कार किया और बाद में बताया कि मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक जिले का इंजीनियर हूं। मैंने कहा, कहिये आपके यहां तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। उन्होंने कसम खाकर कहा कि मैं सिवाय कमीशन के और कोई रकम नहीं लेता हूं। तो कमीशन लेना उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं समझा। इसके लिये सरकार के पास कौन से उपाय हैं, यह हम लोगों के मिल कर तय करने की चीज हो गई है। यह ऐसी समस्या नहीं है, जिस पर किसी पार्टी, व्यक्ति

या दल का प्रभाव पड़ सके। हां, यह सच है कि बुराई की चर्चा करने से वह सिद्धान्ततः बढ़ती है। मैंने स्वामी विवेकानन्द और रामतीर्थ की पुस्तकों में पढ़ा है कि बुराई को दूर करने का प्रयास करना ही श्रेयस्कर होता है, बनिस्बत उसकी चर्चा करने के। चर्चा से बुराई घटती नहीं है वरन् बढ़ती है।

दूसरी चीज अपने-अपने क्षेत्रों की कही गई। यह सही है कि उत्तर प्रदेश में योजनाएं नियोजित ढंग से चलाई जा रही हैं। हमारी सरकार सारे प्रदेश में वह नवीन चित्र लाना चाहती है, जिसे बनाने के लिये इस पार्टी के लोगों ने स्वराज्य का आन्दोलन किया था। जिस स्वराज्य की तस्वीर का खाका उन्होंने अपनी आंखों के सामने रखा था, आज उसी नक्शे पर वह कार्य किये जा रहे हैं। हो सकता है कि अर्थाभाव के कारण जितनी तेजी से हम लोग अपना कार्य करना चाहते हैं, आज न कर पा रहे हों। लेकिन मेरा यह विश्वास और दृढ़ धारणा है कि जिस समाजवाद के ढांचे का समाज बनाने का झंडा हमने उठाया है और जिस समाजवादी समाज के निर्माण की सरकार ने घोषणा की है, उसकी योजना के अनुसार ही सरकार अपना क़दम बढ़ाये जा रही है।

हम तो उस पिछड़े हुये इलाके के हैं जहां पर आज तक विकास का कार्य पिछड़ा हुआ रहा है। जब तक ब्रिटिश सल्तनत रही, गोरखपुर और देवरिया से कुली और मजदूर दूसरी जगह भेजे जाते थे और बलिया और गाजीपुर के लोग पलटनों में भेजे जाते थे। वहां विकास का कार्य होगा या नहीं, वहां की जनता स्वावलम्बी बनेगी या नहीं, वहां उद्योग बढ़ेंगे या नहीं, वहां आवागमन के साधनों का सुधार होगा या नहीं, इस ओर ब्रिटिश सल्तनत का ध्यान नहीं गया था। लेकिन जब से कांग्रेस सरकार आई है कुछ विकास का कार्य वहां प्रारम्भ हुआ है, अब नलकूप, जिनका हमने नाम नहीं सुना था, और काली सड़कें इत्यादि वहां देखने को मिल रही हैं, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिस क्षेत्र का मैं हूं, वहां ४ लाख जनता के भीतर जाने का कोई अच्छा मार्ग नहीं है। मैं बलिया के उस पूर्वी भाग का हूं जहां गंगा और घाघरा की पूरी विभीषिका हमेशा लोगों को परेशान करती है। वर्षा होते ही आवागमन के मार्ग बन्द हो जाते हैं, लेकिन वहां कोई पक्की सड़क नहीं है। कच्ची सड़कों पर भी वहां काली मिट्टी के कारण बरसात में जूता पहनकर चलना मुश्किल हो जाता है। आप वहां कोई सवारी नहीं ले जा सकते। आपको जाने के लिए उधर कोई साधन उपलब्ध नहीं हो सकता। ५ मील जाने के लिये ५ रुपये से कम में कोई एक्का तैयार नहीं होता, दूर जाने की तो बात ही छोड़ दीजिये। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि कृपा करके बलिया जिले के पूर्वी क्षेत्रों की ओर ध्यान दें। उधर भी आप कुछ ऐसा काम करें कि लोग जानें की हमारी सरकार ने हमारे लिये भी कुछ काम किया है।

आज बहुत से भाइयों ने अपनी-अपनी बातें कहीं। एक भाई ने सिखला-सिखला कर एक मेम्बर से यह कहलवाया कि अमुक जगह पर चहारदीवारी बनायी जा रही है उसकी क्या आवश्यकता है, अमुक जगह की सड़क चौड़ी की जायगी, उसकी क्या आवश्यकता है, अमुक जगह स्विमिंग टैंक बनाया जा रहा है, उसकी क्या आवश्यकता है? मैं निवेदन करूंगा कि जिस समाजवाद की रूपरेखा उनके दिमाग में है, चाहे उस समाजवाद में वे चीजें न हों, लेकिन जो समाजवाद हमारे मस्तिष्क में है, उस समाजवाद में हर एक सुविधा के लिये कुछ न कुछ और उसमें से जितना भी हम पूरा कर सकते हैं, उतना पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब रह जाता है प्रायोरिटी का सवाल कि पहले किस को प्राथमिकता दी जाय। हो सकता है मंत्री महोदय ने कुछ ऐसी चीजों को प्राथमिकता दे दी हो, जिनको नहीं मिलनी चाहिये थी। किन्तु यह तो एक निर्णय की ग़लती हो सकती है। इसमें उद्देश्य और नीयत की कोई बात नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--अधिष्ठाता महोदय, सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने, जो प्रायः १० करोड़ की मांग पेश की है और जिसके खिलाफ हमारे विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रक्खा है, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं इस सम्बन्ध में सदन का ध्यान आज प्रातः किये गये एक प्रश्न और उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं। आज सुबह बुलन्दशहर जिले के सम्बन्ध में एक सवाल किया गया कि वहां पर बस स्टैंड का मेंटेनेंस शेड कब बना था और कब गिर गया और उसमें क्या लागत लगी थी? उत्तर में सरकार की ओर से कहा गया कि डेढ़ साल पहले बना था और अब गिर गया और लागत बतलाने से सरकार ने इन्कार कर दिया। मैं आज जिस वजह से इस मांग का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं, उसका असली कारण यही जवाब है, जो आज सरकार को ओर से दिया गया था। अगर सरकार यह हिम्मत करती, वह यह स्वीकार करती कि उसमें ठेकेदारों ने कितनी बेईमानी की, इंजीनियर ने कितनी की, या सरकार की ओर से निगहबानी ठीक नहीं हुई, तो जितनी भी बजट की मांग वह इस सिलसिले में करती, उसे मैं स्वीकार करता, लेकिन जब सार्वजनिक निर्माण के कार्य में बेईमानी होती है और उस बेईमानी का जवाब वे इस तरीके से देते हैं और बेईमानी पर इस तरीके से पर्दा डालना चाहते हैं, तो, श्रीमन्, मैं आपके जरिये से अपना यह ख्याल जाहिर कर देना चाहता हूं कि मैं इस मांग का समर्थन नहीं करता। उधर के एक साथी ने कहा कि इधर के साथियों के पास हृदय हो या न हो, परन्तु उधर के साथियों के पास भी हृदय है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे हम हृदयहीन ही क्यों न हों, मगर जैसा भी हमारा हृदय है वह आपकी इस मांग के समर्थन के लिये तैयार नहीं है। मैं आपसे चाहूंगा कि सरकार ने जो मांग की है.....

श्री रामकृष्ण सारस्वत--अधिष्ठाता महोदय, मेरा अभिप्राय हृदयहीन कहने से यह नहीं था।

श्री अधिष्ठाता--क्या आपका कोई प्वाइंट आफ आर्डर है?

श्री रामकृष्ण सारस्वत--जी हां, मेरा अभिप्राय हृदयहीन कहना किसी के लिये नहीं था। मेरा कहना तो यह था कि जो हम लोगों को हृदयहीन कहा जाता है और अपने को हृदयसागर समझा जाता है, जैसे दूसरों के पास हृदय ही नहीं है, यह सही नहीं है। मेरा कहना यह था कि दोनों के पास हृदय है।

श्री अधिष्ठाता--यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय--मैं यह कह रहा था श्रीमन्, कि सरकार पहले अपने इस डिपार्टमेंट की बेईमानी को रोकने की कोशिश करे। ठेकेदारों, ओवरसियरों और इंजीनियरों पर ज्यादा नियंत्रण करे, इस बात का काफी प्रबन्ध करे कि वे लोग बेईमानी न कर सकें और फिर वह कोई भी मांग लेकर आवे, तो हम उस मांग का स्वागत करने के लिये तैयार हैं; लेकिन इससे पहले कि वह अपने घर की गन्दगी को दूर न कर सके, हमसे यह चाहे कि हम करोड़ों रुपये की पूंजी उनके हाथों में सौंप दें, हमारा हृदय तो इस बात को गवारा नहीं करता। आप बहुमत में हैं और बहुमत में रहते हुए जितनी ज्यादा रकम चाहें स्वीकार करा लें और जैसा कि मेरे एक साथी ने उधर से कहा था कि निर्माण-कार्य के साथ-साथ कुछ व्यक्तियों का भी निर्माण आप करते हैं। उसके साथ-साथ आप कुछ व्यक्तियों का भी निर्माण करते रहें, हमें उसमें कोई परहेज नहीं, लेकिन हम आपको रुपया सौंपने के खिलाफ जायेंगे, क्योंकि हमारा मन और मस्तिष्क इस बात को गवारा नहीं कर सकता कि हम आपकी मांग का समर्थन करें। यही कारण है कि जिसकी वजह से मैं आज आपकी इस मांग का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

एक बात मैं पहले ही कह देना चाहता हूं और वह यह है कि इस सदन मे पिछले बहुत दिनों से मैं नहीं था । आज ही मैं सदन में उपस्थित हो सका हूं और मेरे मांगने पर भी मुझे बजट सम्बन्धी पूरे कागजात नहीं मिल सके हैं और मैंने बजट के कागजात को नहीं देखा है । इसलिये मैं कोई आंकड़ा तो नहीं पेश कर सकता हूं और न आंकड़े पर कोई बहस करने के लिये तैयार हूं । मैं केवल एक बात इस बारे मे कहना चाहता हूं और वह यह है कि मेरे सरकारी पक्ष के एक साथी श्री रामलखन जी ने, जो बलिया के माननीय सदस्य हैं, कहा कि हम समाजवाद के नाते यहां पर स्वीमिंग पुल बनाना चाहते हैं, लखनऊ की सड़कें चौड़ी करना चाहते हैं, और इसी को वे समाजवाद समझते है, लेकिन मेरे समाजवाद की व्याख्या तो कुछ दूसरी ही है । साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रान्त के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहां सौ-सौ मील तक बरसात मे रास्ते बन्द हो जाते हैं और वहां पर पहुंचने के लिये कोई साधन नहीं रहता । जब वे ऐसी स्थिति का होना स्वीकार करते हैं, तो मेरी समझ मे नहीं आता कि लखनऊ में लाखों रुपये तक व्यय करने का उन्होंने क्यों समर्थन किया । पहले भी लखनऊ में जब अंग्रेज यहां शासक थे या दिल्ली में रहते थे, या शहरों मे रहते थे, उन अंग्रेजों ने अपने दो सौ वर्ष के राज्य मे शहरों की उन्नति के लिये काफी पैसा खर्च किया और खास कर के लखनऊ को सजाने में तो उन्होंने कोई कसर ही नहीं उठा रखी । मैं तो समाजवाद का दूसरा मतलब समझता हूं । आप आज देहातों की तरफ जाकर देखिये तो मालूम होगा कि अंग्रेजों ने वहां कोई मार्ग बनाने की बात न कभी सोची और न उसकी जरूरत ही समझी और आज स्वराज्य हो जाने के बाद वहां की गरीब जनता हमारे कांग्रेसी नेताओं और हमारे उन माननीय मन्त्रियों की तरफ आशा लगाये बैठी है कि हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र की तरफ भी नये-नये मार्ग खुलेंगे । लखनऊ मे पचास-पचास कदम पर जो गमले लटकाये जा रहे है, जिसके अन्दर लगे फूल की ताजी खुशबू, सड़क पर चलने वालों को सुख पहुंचा सके । अगर इसके बजाय आपने देहातों में पहुंचने के लिये मामूली सड़कें और वहां तक पहुंचने के मामूली साधन उपस्थित कर दिये होते तो मैं समझता हूं कि आप के कदम समाजवाद की ओर बढ़ होते । मैं कहना चाहता हूं कि आप इस लखनऊ को सजाने मे जो पैसा व्यय करना चाहते हैं और दूसरे नगरों के सजाने में जो पैसा आप खर्च करना चाहते हैं, उसको आप बचाइये और उसे उस निर्माण मे खर्च कीजिये जहां पर उनकी वास्तविक और नितान्त आवश्यकता है, जहां की जनता सड़कों की भूखी है, जिसने निर्माण जाना ही नहीं है । मैं अपने जिले की कुछ बात कहने के लिये समय जरूर चाहता हूं, मैं कुछ इधर-उधर कहता रहा, लेकिन अपने जिले की बात अभी नहीं कह पाया . . . .

श्री अधिष्ठाता––आप बहुत दूर चले गये थे, अपने जिले के बारे में जो आप को कहना है वह जल्द कह लें, वक्त कम है ।

श्री देवनारायण भारतीय––मैं अपने जिले के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां की २ सड़कें थीं जो पिछली पंचवर्षीय योजना में ली गई थीं, लेकिन वे अभी तक पूरी नहीं बनी हैं । एक तो है पुवांया–मैलानी रोड और दूसरी है जलालाबाद से ढाई घाट जाने वाली सड़क । मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहता हूं कि यह सड़कें अभी तक नहीं बनी है । जलालाबाद–ढाईघाट रोड केवल डेढ़ मील ही बनी है और बाकी दस मील अभी बननी बाकी है, इसी तरह से उस पुवांया–मैलानी रोड का ८ मील का ऐसा हिस्सा बाकी है, जो बन भी गया है, वह भी उसके न बनने से बेकार है । जब तक यह सड़क पुवाया से मैलानी को नहीं मिलाती उस वक्त तक जो सड़क खुटार तक बनी है वह भी बेकार है । इस के अलावा शाहजहांपुर जिले की तीन-चार सड़कें ऐसी हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । एक सड़क है जो काठ से मदनापुर

[श्री देवनारायण भारतीय]

को जाती है जो कच्ची है। अगर यह दस मील का टुकड़ा पक्का कर दिया जाय, तो हमारी दो तहसीलों का यातायात बढ़ जाता है और जिले का देहातों की पैदावार शहरों में आसानी से पहुंच सकती है। उसी तरह से तिलहर में खुदागंज से जो कटरे को सड़क जाती है, वह कच्ची है। अगर उसको पक्का करके मिला दिया जाय, तो खुदागंज जो टाउन एरिया है और जहां पर खंडसारी की मंडी है बहुत तरक्की कर सकता है। उसको शहर और रेल से अलग रखने से बहुत नुकसान हो रहा है और यह कोई दूरदर्शिता नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह सड़क भी उसी गिनती में आ जानी चाहिये, जिनको जल्द बनना है। इसी तरह से एक सड़क पुवायें से पूरनपुर जिला पीलीभीत को जाती है, पुवायें का ऐसा क्षेत्र है कि जिस में जंगल और देहात अधिक हैं, उस मे पक्की सड़क के न होने से दोनों जिलों के गांवों की पैदावार शहरों में ठीक से नहीं पहुंच पाती और एक बड़ी भारी बाधा इस तरह से है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने अगले प्रोग्राम में इन तीनों सड़कों को शामिल करने की कोशिश करे और पुवायां से पूरनपुर तक जो सड़क जाती है, उसको जल्दी पक्की कराने पर विचार करे।

कुमारी कमलकुमारी गोइंदी (जिला इलाहाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से, मंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करती हूं। जहां तक तरक्की का प्रश्न है, आप चारों तरफ देख सकते हैं कि सड़कों का निर्माण हो रहा है। जौनसार-भावर की तरफ जाइये तो आप देखेंगे कि पहाड़ी इलाकों में पत्थर कट रहे हैं और सड़कों का निर्माण हो रहा है। अगर आपको जंगल में मंगल बनाती हुई सड़कें देखनी है, तो दुद्धी की तरफ आप जा सकते हैं। इससे मालूम होगा कि यातायात में किस तरह से तरक्की हुई है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि पूरी तरक्की हो गई है।

मैं थोड़े से समय में कुछ सुझाव देना चाहती हूं। पहला सुझाव यह है कि जरा गांव की तरफ देखें, इलाहाबाद का तो नाम ही नहीं लिया गया, करछना की तरफ एक-एक गांव आप देखें तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि गांव के लोगों ने सारे रास्ते जोत रखे हैं, साधारण जाने का रास्ता तक नहीं है। मेरा सुझाव है कि सरकार सर्वे करायें और साधारण मार्ग जरूर छोड़ दिये जायं, ताकि जनता वहां तक आसानी से पहुंच सके, सड़कों का डीमारकेशन हो जाय। इसके अलावा सभापतियों को यह सुझाव दिया जाय कि इन demar cated सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगवा लें, जिससे रास्ता अच्छा हो जाय। इसके अलावा रास्ते में जो ऊंची-नीची जगहें पड़ती हैं, उसके लिये सभापतियों से कह दिया जाय कि वे लोग इसको बराबर करवायें। अगर थोड़ा बहुत सरकार को खर्चा भी देना पड़े, तो दिया जाय।

(इस समय ३ बजकर १८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

लेकिन सबसे दर्दनाक हालत उन गांवों की है, जो नालों के किनारे बसे हुये हैं। मेरी कांस्टिट्यूएंसी करछना में कंजासा इत्यादि अनेकों गांव इस तरीके से बसे हुये है कि अगर उनके साधारण जीवन को देखा जाय तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से वहां के लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है, तो डाक्टर का पहुंचना मुश्किल है, और न वह ही ले जाया जा सकता है। वहां के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बरसात में उन नालों को पार करके नहीं जा सकते हैं, कभी-कभी तो ऐसे केसेज हो जाते हैं कि बच्चे बह जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन जगहों पर छोटे-छोटे पुल बनवाने का सरकार कष्ट करे और जो बड़ी २ योजनायें हैं, उनमे से कुछ पैसा निकाल कर इनको पूरा किया जाय। ऐसी जगहों पर निर्माण का काम भी होना मुश्किल है, क्योंकि निर्माण का सामान तक नहीं पहुंच सकता। इसलिये मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करती हूं कि इन पुलियों के ऊपर थोड़ा बहुत खर्च करके इनको बनवाया जाय, ताकि वहां की जनता को सुख पहुंचे और निर्माण का सामान भी पहुंच सके।

तीसरी बात यह है कि सड़कों के किनारे जो मंडियां हैं और दोनों तरफ कच्ची है तो उसमें यह असुविधा पड़ती है कि धूल सामान के ऊपर पड़ती रहती है और बीमारी फैलती है।

बरसात के दिनों मे तो अगर उधर से कोई गुजर जाय, तो देखेंगे कि किस तरह ये लोग अपना जीवन व्यतीत करते है, कोई सड़कों के किनारे जा नहीं सकता, दोनों तरफ की पटरियां बहुत गंदी हो जाती है जिसका नतीजा यह होता है कि इन मंडियों से ही बीमारी शुरू होती है। जैसी मेरी कांस्टीट्यूएंसी में जसरा इलाहाबाद बांदा रोड पर स्थित है। पहले पहल यहां से ही बीमारी आरम्भ हुई, क्योंकि मक्खियों का यह घर है। घूरपुर जो इलाहाबाद-रीवां रोड पर है तथा भरवारी मंडी—इन सब मंडियों की यही हालत है। तो हमारा यह सुझाव है कि किसी भी मद से रुपया निकालकर यहां के लोगों का जो दुःखमय जीवन है, उसमें सुधार करने का प्रयास आप करें। अगर हम लोग इन चीजों पर ध्यान देंगे, तभी वहां जो हमारी जनता है, उस तक हमारे स्वराज्य की रोशनी पहुंच सकेगी और हम लोग उनको उन्नति के मार्ग पर ले जा सकेंगे। आज वहां सामान पहुंचाना तो दूर रहा, जाना भी मुश्किल है। इसलिये मैं इस तरफ फिर सरकार की तवज्जह दिलाता हूं। जहां तक तरक्की का सवाल है वह तो आप सब जानते हैं कि चारों तरफ सड़कों के मामले में बहुत ही तरक्की हुई है। धन्यवाद !

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय पद्माकर लाल जी ने पेश किया है मैं उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस निर्माण विभाग का जो बजट है दस करोड़ रुपये के करीब का है। इस पर सुबह से अब तक हुई इधर के भी सब भाइयों की बातों को मैं सुनता रहा। ऐसा प्रतीत हुआ कि भ्रष्टाचार और खामियां कामों की हर व्यक्ति को महसूस होती है। उधर के लोग भी बताते हैं और इधर के लोग भी बताते हैं कि भ्रष्टाचार है। लेकिन इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाते हुये सबसे ज्यादा स्तब्ध रह जाता हूं इस बात की ओर कि हर आदमी को तो दिखाई देता है, इस सदन के सभी सदस्यों को भ्रष्टाचार और कामों मे खामियां दिखाई देती है लेकिन मंत्री महोदय को नहीं दिखाई देती कभी भी। जब मंत्रिमंडल का चश्मा चढ़ गया और वह माननीय हाफिज जी ने इसी सदन में बताया कि मेरी आंखों से देखो तब इसे देख सकते हो वरना नामुमकिन है देखना। तो मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि जैसा कि कहा गया है कि 'लैला बचश्मे मजनूं बायद दी.' तो यह काम तभी दिखाई दे सकता है कि जब मंत्रिमंडल के चश्मे से देखे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपका ध्यान गोंडा जिले की तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे निर्माण मंत्री जी वहां गये हैं और देखा है कि गोंडा जिले की हालत कितनी भयावह है। वहां यातायात के साधन तो जाने दीजिये। एक सड़क का हाल मैं आपको बतलाऊं, नवाबगंज माझा से जो बेलवाघाट को जाती है, उस सड़क पर ४ मील के लिये गन्ना विभाग की तरफ से सरकार से मंजूरी हुई है जो सी०सी० ट्रैक बन रही है, वहां एक दरिया पड़ जाती है। उस पर पुल का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें पता नहीं कितना रुपया लगेगा, लेकिन उस क्षेत्र के २० हजार आदमी ऐसे हैं जो बाढ़-ग्रस्त हो जाते हैं, उनको नावों पर लाया जाता है, तब वह बड़ी मुश्किल से पार होकर नवाबगंज कस्बे में पहुंच पाते हैं। तो मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करता हूं कि उस पुल के निर्माण में मंत्री महोदय जो कुछ भी सहायता कर सके, करें। वहां के केन ग्रोअर्स ने २० हजार रुपये और सोसाइटी ने ५० हजार रुपये उसके लिये दिये। इस पुल का तखमीना भी पेश किया गया, बजट भी शायद बना हो, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं गया। तो उस सड़क को बना दिया जाय।

दूसरी बात यह कि मंत्री महोदय के साथ मुझे स्वयं जाने का अवसर मिला। एक सड़क नवाबगंज से अतरौला जाती है। वहां एक शक्कर की फैक्टरी है, जिसमें ४५ लाख मन गन्ना पेरा जाता है। इस सड़क की बड़ी दुर्दशा है। उस पर बैलगाड़ी तक नहीं चल सकती। उस रास्ते से चलिये तो रास्ते में कोई बैलगाड़ी टूटी हुई और कोई उल्टी हुई नजर आयेगी। यह कभी नहीं हो सकता कि समूची गाड़ी वहां पहुंच जाय। उस सड़क को बनाने के लिये सारा

[श्री बलदेव सिंह]

सामान मुहइया हो गया । मंत्री महोदय मौके पर गये और कहा भी कि अब इसका निर्माण हो जायगा । वहां रोड़ा व पत्थर पड़ गया, लेकिन अब उसे दूसरी जगह के लिये ट्रक से ढोया

रहा है

मील तक सड़क बहुत खराब थी । मैंने निर्माण विभाग के एक्जिक्यूटिव इंजीनियर से मिल कर बातचीत की । उन्होंने कहा कि अगर जनता द्वारा कुछ धन संग्रह हो, तो इस सड़क को बना सकते हैं । हमने परिश्रम करके रुपया इकट्ठा किया, आदमी दिये, रोड़ा दिया । पी०डब्लू०डी० का रोलर भी गया, सड़क कुटी, पत्थर की गिट्टी बन गई, तारकोल व डामर आ गया, लेकिन जब परसों मैं वहां से चला हूं, तो देखा कि ट्रक पर सामान लादा जा रहा है और दूसरी जगह जा रहा है । रोलर से गिट्टी कुटी पड़ी है, लेकिन तारकोल नहीं पड़ेगा । मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस तरफ दिलाऊंगा कि जनता ने उदारतापूर्वक सहायता दी, हजारों आदमियों का श्रम दिया और २०, २५ हजार रुपये भी दिये, लेकिन श्रीमन्, रोड़ी तो कूटी गई सिर्फ तारकोल न डालने से उसे बरबाद न किया जाय । ऐसी ही एक सड़क मोतीगंज से डुमरिया-डीह तक जाती है । मोतीगंज से दो मील तक वह सड़क बन रही है और दो मील पक्की सड़क बनने से छूट रही है । लिहाजा मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना मे कुल १० मील सड़क गोंडा जिले मे बनी, जिसमे भी कुछ काम तीन मील का बाकी है । तो श्रीमन्, अगर इसी तरह से दो मील सड़क हर साल बनती रही, तो कब तक वह कार्य पूरा हो पायेगा और कौन-सा तरीका ऐसा होगा, जिससे कि वहां की सड़कें बन जायं ।

श्रीमन्, आप जानते ही है कि यह जिला बाढ़-ग्रस्त है । सड़कों व पुलों का निर्माण आप जानते ही हैं कि बड़ा आवश्यक है । वहां चारों तरफ से नदियां राप्ती, सरयू, घाघरा गोंडा जिले को बीचों-बीच चीर कर निकलती हैं और फिर भी वहां पर किसी प्रकार के पुल का साधन नहीं है । अब अगर इस बरसात के जमाने में गोंडा जिले से कोई आदमी मोटर ले कर निकलना चाहे तो नामुमकिन है । नाव का साधन मिले और उस पर भी अगर हवा माफिक हो तो एक दिन पार होने में लगेगा वर्ना दो दो दिन उस रेते मे पड़े रहना पड़ता है । तो उस पुल के मरज में, निर्माण के लिए कई बार चर्चा आई । खैर, धन हो या न हो वह बन सकता है या नहीं बन सकता है, लेकिन मैं ध्यान उस ओर खास तौर से दिलाता हूं कि जहां कि बांस का एरिया है और जहां बीसियों हजार आदमी हर साल नाव से निकलने पड़ते हैं और महज एक पुल चौघड़िया के बनने से उस काम मे बहुत सरलता हो सकती है और अच्छे ढंग से आदमियों को निकाला जा सकता है । तो मैं आपके द्वारा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस चौघड़िया पुल पर जो भी वहां की जनता की सहायता चाहेंगे और वहां के विभाग की सहायता चाहेंगे, वहां से उनको पचासों हजार रुपये सहायता में मिल सकते हैं अतः उस सड़क को निर्माण कराने की कृपा करें ।

ऐसे ही एक सड़क कर्नलगंज से कुकुरभोगवा को जाती है । उस सड़क में, श्रीमन्, कमर-कमर के बराबर गड्ढे हैं और उसका पार होना न होना तो आप जानें ।

अब श्रीमन् आपकी लालबत्ती भी हो गयी है और मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि बजाय अपने चश्मे के, अपनी आंखों के, इस सदन की आंखों से भी देखने की कृपा करें, जिससे इस प्रदेश का कल्याण हो । सारी जनता समझती है कि भ्रष्टाचार होता है और सारे इधर के, उधर के सभी सदस्य इसमें सहमत हैं । एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक इंजीनियर ने यह बात कही कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि सिवाय कमीशन की रकम के और कोई नहीं लेता हूं । तो कमीशन की रकम लेनी जायज थी । मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस मंत्रिमंडल के चश्मे से न देख कर सारे इधर-उधर के लोगों की आंखों से देख कर देश का निर्माण करने में सफल हों । अन्त में मैं पद्माकरलाल जी के कटमोशन का समर्थन करता हूं ।

श्री शिवमंगल सिंह (जिला बलिया)--उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी देश प्रगति के मार्ग पर तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक उस देश में यातायात के साधन समुचित रूप से प्राप्त न हों। हमारे प्रदेश में यातायात के साधनों की बहुत कमी है और यही कारण है कि हमारी जो पंचवर्षीय विकास की योजनाएं हैं उनको शीघ्रता से पूरा करने में हमें काफी बाधा पड़ती है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब पंचवर्षीय योजना बनने लगी उस समय उत्तर प्रदेश के लिए सारे निर्माण विभाग के लिए काफी धनराशि की घोषणा की गयी, लेकिन हमें इस बात का दुःख है कि वह धन जो केन्द्र से हमें मिलना चाहिये था और जिसके आधार पर हमने अपने प्रदेश के निर्माण कार्यों का एक चित्र खींचा था, उस धन में काफी कमी हुई और वह चित्र हमारा पूरा नहीं हो सका।

हम समझते हैं कि इस अवसर पर सभी इस सदन के माननीय सदस्य हमसे सहमत होंगे कि हमें इस बात के लिए सरकार की तरफ से तथा अपने सब लोगों की तरफ से काफी जोर डालना चाहिये कि केन्द्र से हमारे प्रदेश को काफी सहायता मिल सके।

बजट के आइटम को पढ़ने से हमें ज्ञात हुआ है कि इस चालू वर्ष में ३२० मील नयी पक्की सड़कें बनायी जायंगी और १५५ मील मौजूदा सड़कों को आधुनिक ढंग से बनाया जायगा। इसमें कोई शक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि हमारे प्रदेश में अच्छी से अच्छी सड़कों का निर्माण हो सके। यह हम आप सभी को विदित है कि हमारे प्रदेश में यातायात के साधनों की बहुत कमी है। हमारे प्रदेश के अधिकांश जिलों के अधिकांश भाग ऐसे मिलेंगे जिनमें बाढ़ और बरसात के दिनों में ६-३ महीने तक आवागमन रुक जाता है। मैं विशेषतौर से आपका ध्यान पूर्वी जिलों की ओर दिलाना चाहूंगा कि वहां जो सड़कें हैं उनकी दशा बड़ी शोचनीय है और वहां कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें साल के छै महीने तक अधिकांश भाग प्रायः आवागमन के लिये समाप्त न हो जाता हो।

श्री उपाध्यक्ष--आवागमन से आपका मतलब जन्म-मृत्यु से तो नहीं है ?

श्री शिवमंगल सिंह--जी नहीं, आने जाने से है। जब हमारे यहां ऐसी समस्या उपस्थित है तो हमें अपने धन का काफी रुपया सड़कों के आधुनिकीकरण में लगाना कुछ उचित प्रतीत नहीं होता बजाय इसके मैं समझता हूं कि सब भागों में अधिक से अधिक नई सड़कें बनाई जायं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि म.डरनाइजेशन आफ रोड्स की तरफ ज्यादा ध्यान न देकर अगर हम नई सड़कों के बनाने में लगेंगे तो प्रदेश का काफी लाभ होगा।

मैं अब माननीय मंत्री जी का ध्यान विभागीय त्रुटियों की ओर दिलाना चाहता हूं। हम बजट के जितने आइटम्स को स्वीकृति प्रदान करते हैं उनके सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ करने के आदेश बहुत दिनों तक जिलों में नहीं पहुंच पाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि निश्चित समय पर काम पूरे नहीं हो पाते। कोई भी काम करने के आदेश जाते हैं तो वह ४-५ महीने से पहले जिले में नहीं पहुंच पाते हैं।

श्रीमन्, सड़कों का काम ऐसा होता है जैसे कंकड़ इकट्ठा करना है, उसके लिये एक खास समय होता है। अगर समय पर आज्ञा पहुंच गई तब तो कंकड़ जमा कर लिया जाता है अगर बाद में पहुंची तो परिणाम यह होता है कि कार्य पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि कंकड़ नहीं मिल पाता है। अगर कोई अधिकारी अधिक दिलचस्पी लेता है तो रद्दी किस्म के कंकड़ से काम पूरा कराया जाता है और हम अनुभव करते

[श्री शिवमंगलसिंह]
हैं कि सड़कों की क्वालिटी खराब होती जा रही है। ऐसी दशा में मेरा सुझाव है कि जो प्रोसीजर यहां से जिलों को आदेश जाने का है उसको सरल बनाया जाय ताकि समय पर सूचना भेजी जा सके और समय पर कार्य पूरे हो सकें।

मैं विशेषतौर पर मंत्री महोदय का ध्यान अपने जिले बलिया की सिकन्दरपुर-बांसडीह-रेवती सड़क की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह एक ऐसी सड़क है, जिस पर ५ टाउन एरियाज में से चार स्थित हैं। प्रशासकीय दृष्टिकोण से भी जिलाधीश और अन्य अधिकारियों ने इसकी महत्ता को स्वीकार किया है। यह सड़क उन क्षेत्रों से गुजरती है जहां प्रायः प्रत्येक वर्ष बाढ़ आया करती है। अगर बाढ़ न भी आये तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि साल में छः महीने तक किसी भी सवारी का उस पर जाना मुश्किल हो जाता है। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि जब लोग बाढ़ से पीड़ित होते हैं तो इन सड़कों के द्वारा उनको कोई सामान नहीं पहुंच पाता है तथा इनका कुछ उपयोग नहीं हो पाता है। यह सही है कि यह सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ले ली गई है। लेकिन हमें खेद है कि इस सड़क की प्रगति तेजी के साथ आगे नहीं चल रही है और मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि बलिया जिले के लिये यह सड़क (सिकन्दरपुर-बांसडीह-रेवती सड़क) सब से महत्वपूर्ण सड़क है। ऐसी दशा में हम मंत्री महोदय से यह अनुरोध करेंगे कि वे शीघ्रातिशीघ्र इस सड़क को पूरा करने की कृपा करें।

दूसरी चीज जिसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाऊंगा वह है सरयू नदी पर स्थित पिपरा का पुल। यह पुल बलिया से बनारस हाइवे पर स्थित है और जितने भी लोग उधर से गुजरने वाले होते हैं वे इस बात को महसूस करते हैं कि बरसात के दिनों में उस नदी को पार करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसके लिये हमारे यहां से जिला नियोजन समिति ने भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके सरकार से यह अनुरोध किया था कि पिपरा का पुल बनना बड़ा आवश्यक है। और यहां से जब हमारे मंत्री महोदय बलिया गये थे तो उनको भी यह दिखलाया गया था और उन्होंने स्वीकार किया था कि यह एक बड़ा महत्वपूर्ण पुल है। इसलिये मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस पुल को शीघ्र से शीघ्र बनवाने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ जो हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री जी द्वारा अनुदान प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--श्रीमन्, हमारे पद्माकरलाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं, श्रीमन् देख रहा हूं कि अभी तक वाद-विवाद के अन्दर जो बातें कही गयीं वे स्थानीय समस्याओं को लेकर कही गयीं। परन्तु हमारे मंत्री महोदय ने जो बजट हमारे सामने रखा है उसको अगर कोई ध्यानपूर्वक देखे तो मैं समझता हूं कि उसको हंसी भी आयेगी और रोना भी आयेगा। मैं हंसने का एक उदाहरण आपको अभी देता हूं कि इस बजट के अन्दर एक सड़क बन रही है जिसका नाम रखा गया है "आदित्यनाथ झा रोड"। मैं समझता हूं कि ये सज्जन हमारे प्रान्त के चीफ सेक्रेटरी होंगे। उस सड़क के लिये ४ लाख रुपये रखे गये हैं। और रोने का विषय इसके अन्दर यह है कि जिन शहीदों . . .

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस तरह से नामों को लेकर आप वाद-विवाद न करें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--श्रीमन्, इसमें छपा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष--कुछ भी हो। एक इशारा काफी है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--लेकिन श्रीमन्, वह नाम इसमें छपा हुआ है, इसीलिये मैं कह रहा हूं।

श्री उपाध्याक्ष--मैंने कह दिया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। और शहीदों का जो स्मारक बन रहा है उसके लिये केवल ३ लाख रुपये रखे गये हैं। बड़ा आश्चर्य है कि जिन लोगों ने इस देश की स्वतन्त्रता के लिये सब कुछ न्यौछावर किया उनके स्मारक में केवल ३ लाख रुपये लगाये जा रहे हैं और जो सज्जन केवल कागज के ऊपर शहीद होते हैं उनके स्मारक में ४ लाख रुपये लगाये जा रहे हैं। बड़ा हास्यास्पद है, बड़ा आश्चर्यजनक है। मैं समझता हूं कि अगर अंग्रेजी में एक कहावत कहूं कि यह तो मार्टिर्स का इरेक्स मेमोरियल बन रहा है और दूसरा कुछ भी नहीं हो रहा है तो कुछ अनुपयुक्त नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि अगर बजट में देखा जाय तो जहां सड़कों का विवरण दिया हुआ है, वहां बजट में सफों के सफे खाली हैं, कोई आंकड़े ही नहीं दिये हैं। श्रीमन्, जो पुलिस का निर्माण इस विभाग द्वारा होगा उसमें आर्डिनरी एक्सपेन्सेज, और पुलिस आर्डिनरी स्कीम्स ६३,२४,१०० रुपये की रखी हुई है। यह डेवलपमेंट श्रीमन्, क्या पुलिस का किया जा रहा है? शिक्षा के अन्दर देखिये, १४ आर्डिनरी स्कीम्स ६,६१,००० रुपये की हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पाश्चात्य देश टोटेलिटेरियन कहे जा सकते हैं, जिनके अन्दर पुलिस का महत्व अधिक और शिक्षा का कम होता है। शिक्षा केवल सूचना मात्र को रहती है और वह सूचना भी सेन्सर्ड ऐंड कंट्रोल्ड बाई पुलिस होती है, उसी प्रकार की चीज यहां भी निर्माण की जा रही है। आज श्रीमन्, मैं कहूंगा कि देश को आवश्यकता इस बात की थी कि इतने बड़े देश को निर्माण करने की दृष्टि से शिक्षा के ऊपर अधिक जोर दिया जाता। श्रीमन्, अगर आप मेडिकल ले लें तो देखेंगे कि हमारे देश में आज जब कि महामारियां हो रही हैं उस समय अस्पताल आदि अन्य इमारतें बनाने के लिये इसमें कुल २,८१,७०० रुपया रख गया है। यह आर्डिनरी स्कीम्स मे रखा गया है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि कृषि की आर्डिनरी स्कीम्स का कोई वर्णन नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि इतने बड़े बजट में जहां कि आर्डिनरी स्कीम्स को इतना महत्व दिया जा रहा है और पुलिस में ६३ लाख रुपया रखा गया है, उसमें क्या एग्रीकल्चर का कोई महत्व नहीं है यदि इस प्रान्त को देखा जाय, इसके समाज और राज्य की नींव को देखा जाय तो यही पता चलेगा कि यह एक कृषि प्रधान प्रदेश है, इंडस्ट्री प्रधान नहीं, उसकी ओर इस प्रकार ध्यान न देना एक दुर्लक्ष्य है। इससे हमारे समाज की नींव पुष्ट न होगी, बलवती नहीं होगी। उसको बलवती करने के लिये आवश्यकता है कि सड़कों का पूरा इंतजाम किया जाय। छोटी छोटी रोड्स क्यों न हों उनके निर्माण की आवश्यकता है। गांव के अन्दर आप जाने का प्रयास करें तो बाज ऐसे स्थान हैं कि जहां कोई सड़क नहीं है। पुल नहीं है, बरसात में आवागमन असंभव हो जाता है। इतना ही नहीं श्रीमन्, मैं जौनपुर जिले के सम्बन्ध में कह सकता हूं कि बाज स्थान ऐसे हैं कि बरसात में अगर उन गांवों के अन्दर कोई बीमार पड़ जाय तो डाक्टर, वैद्य, हकीम को बुलाया नहीं जा सकता। बीमार ईश्वर के भरोसे ही रहेगा, जिये या मरे, यह उसका भाग्य है। तो आवश्यकता इस बात की थी कि उन लोगों की सहायता करने की दृष्टि से आने जाने के साधन बढ़ाने और उनको डेवलप करने की ओर दृष्टि जाना चाहिये थी, लेकिन इसमें हमारे मंत्री महोदय ने कोई ध्यान नहीं दिया, यह इस बजट से स्पष्ट है। आज बाजारों में आप देखें कि जो गल्ला किसान के यहां पैदा होता है वह अगर बाजार में ८ रुपये मन बिकता है उसको अपने घर पर वही ७ रुपये या ७ रुपये २ आने मन बेंचना पड़ता है। अगर खरीदार से इस फर्क के लिये प्रश्न किया जाय तो उत्तर होता

[राजा व देवेन्द्रदत्त दुबे]

है कि इतना पैसा तो हम कान्टेज के लिये रख रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आने जाने के साधनों के अभाव के कारण किसान को उसके द्वारा उत्पादित सामान का पूरा मूल्य नहीं मिल सकता और जो उसको मूल्य मिलना चाहिये वह भी व्यापारी की कटौती के कारण उसको मिलना दूभर हो जाता है।

श्रीमन्, मैं देख रहा था कि इस बजट के अन्दर इस विभाग की दो नीतियां दिखाई पड़ रही हैं। कुछ स्थानों पर मकानों को प्राइवेट नेगोशियेशन्स के द्वारा खरीदा गया है और कुछ स्थानों पर श्रीमन्, जमीनों को एक्वायर किया गया है। अल्मोड़े में शिक्षा विभाग के लिये जमीन एक्वायर की गई है। सरकार को एक्वीजीशन का अधिकार है, परन्तु उसका प्रयोग लखनऊ में क्यों नहीं किया गया? अभी कुछ ही दिन हुए, मैं उदाहरण के लिये कह रहा हूं रायल होटल क्यों नेगोशियेशन्स के द्वारा खरीदा गया? एक्वायर क्यों नहीं किया गया? इसमें आया है कालाकांकर हाउस १,७४,००० रुपये में खरीदा गया। वह क्यों नहीं एक्वायर किया गया? क्लाइड रोड पर एक मकान खरीदने का विवरण आता है। क्यों उसके लिये प्राइवेट नेगोशियेशन्स हो रहे हैं? उसके अन्दर एक एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है। और उस मकान के लिये एक लाख ७४ हजार रुपया सरकार आज दे रही है क्यों इसको एक्वायर नहीं किया गया? ऐश-बाग में इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी के लिये जमीन ली गयी है इसके लिये कम्पेन्सेशन दिया जा रहा है। उसको कम्पेन्सेशन देने की क्या आवश्यकता है? जब आपको एक्वायर करने का अधिकार है तो क्यों नहीं उस ऐक्ट के अनुसार उसको एक्वायर किया जाता और उचित मूल्य पर उस जमीन को लिया जाता? एक बात मैं उदाहरण के लिये कहने को अवश्य बाध्य हूं। जब सरकारी अधिकारियों को सरकार से पैसा दिलाने का अवसर आता है तो वह प्राइवेट नेगोशियेशन कराते हैं और अगर वह २ रुपये की चीज है तो उसका ४ रुपया दिलाते हैं। इस तरह से वह दुगुनी कीमत उसकी सरकार से दिलाते हैं। जब उनको स्वयं खरीदना होता है तो वह स्वयं बात करते हैं। पुरानी केसिल्स रोड (विक्रमादित्य मार्ग) पर अभी ६ एकड़ जमीन केवल ७५ हजार रुपये में ली गयी है। यह क्या है? इससे एक ही बात दिखाई देती है जो ब्यूरोक्रेसी की बात कही जाती है। ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल अपने मन्त्रियों के हाथ से बाहर होकर अपने आप भागती चली जाती है। मैं मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस सरकार की जो यह मितव्ययिता की पालिसी है, जब इसके लिये आवश्यकता हो तो क्यों नहीं लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट का प्रयोग किया जाता? प्राइवेट नेगोशियेशन से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राइवेट नेगोशियेशन से यह हो सकता है कि ज्यादा पैसा दिया जाय।

मैं श्रीमन्, यह कह रहा था कि इस तरह से मकान लिये जाते हैं। ७६ हजार रुपये से नैनीताल में एक कोठी लेने की व्यवस्था की गयी है। मैं समझ नहीं पाया कि किस लिये यह मकान लिया जा रहा है। क्या हमारी सरकार यहां से दफ्तर नैनीताल हटा रही है। और उनके उपयोग के लिये वह मकान होगा। अगर यहां से दफ्तर हटाये जा रहे हैं तो मैं समझता हूं गवर्नमेंट हाउस नैनीताल में खाली पड़ा हुआ है। क्यों नहीं उसका उपयोग किया जाता। इस ७६ हजार रुपये का जिक्र न तो माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण मे किया और न इस बजट मे इसका कोई विवरण दिया हुआ है कि नैनीताल मे कोठी लेने की क्या आवश्यकता पड़ गयी। मैं समझता हूं यह कोठी का खर्च बिल्कुल फिजूलखर्ची है।

मैं दूसरा उदाहरण भी दूं। इसी बजट के अन्दर डिप्टी मिनिस्टर्स के रेजिडेन्स के लिये १ लाख ८४ हजार रुपया दिया जा रहा है। जहां पर स्कूलों के बनाने के लिये व्यवस्था न हो वहां पर इस प्रकार से खर्च करने की क्या आवश्यकता है? इसमें हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूलों के लिये जो तिब्बत बोर्डर के पास खोले जायंगे उनके लिये

१ लाख ३६ हजार रुपये की बजटिंग की गयी है लेकिन २३ हजार ३ सौ रुपये का इस्टीमेट किया गया है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? रहने के मकानों को इतने महंगे बनाने की क्या आवश्यकता है। जहां पर हमारे बच्चों की शिक्षा होती है और जहां पर हमारे बालक अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हों उन स्कूलों के लिये इतना कम पैसा रखा जाता है यह कितने आश्चर्य की बात है? यह तो श्रीमन्, कहना पड़ेगा कि शिक्षा की ओर से सरकार उदासीन है और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के प्रति पूर्ण प्रयास करने का प्रयास है। जहां बालकों के जीवन निर्माण का प्रश्न है उसके बारे में दुर्लक्ष्य किया जाता है। इस प्रकार की सरकार की नीति घातक होगी। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि फिर से इस बजट को हम लोगों की दृष्टि से, समष्टि की दृष्टि से ढालने का प्रयत्न करें। इसी बजट में श्रीमन्, एक आइटम ससपेन्स एकाउन्ट का ५६-५७ में ३ लाख रुपया रखा गया था लेकिन रिवाइज्ड इस्टीमेट में वह ७ लाख हो गया। मैं यह पिछले साल के आंकड़ों से भी देखता आ रहा हूं कि पहले कम रुपया रखा जाता है, लेकिन रिवाइज्ड में उसके आंकड़े दुगुने हो जाते हैं। इस साल के बजट में भी ३ लाख रुपया ससपेन्स एकाउन्ट में रखा गया है। इसके लिये मैं यह प्रश्न करूंगा कि क्या यह ७ लाख नहीं हो जायंगे। मुझे पिछले बजट को देखने से यह स्पष्ट हुआ कि पहले यह पद्धति थी कि ससपेंस एकाउन्ट सारे बजट के लिये एक होता था लेकिन इसमें भिन्न-भिन्न ससपेन्स एकाउन्ट रखे हुये हैं। इसकी क्या आवश्यकता है, इसका कहीं भी दिग्दर्शन नहीं है और माननीय मंत्री जी ने इसका इशारा तक नहीं किया।

श्रीमन्, मैं यह सुझाव दूंगा कि समाज के उत्थान की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से सारे हमारे काम होने चाहिये। जिस विभाग से माननीय मंत्री जी का सम्बन्ध है उसका सम्बन्ध आवागमन के मार्गों से है। उसमें तो और भी ज्यादा पैसा लगाना चाहिये था। यह सारा ससपेंस एकाउन्ट बेकार है। अभी अमेरिका में एक एंटी ट्रस्ट इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी। जब उसके जनरल motors की बात आयी तो कमेटी के अध्यक्ष ने जनरल motors के चेयरमैन से यह प्रश्न पूछा कि तुम्हारे बजट में यह ससपेंस और एक्सपेंस एकाउन्ट्स क्या हैं तो उन्होंने बताया कि यह ससपेंस और एक्सपेंस एकाउन्ट में जो रुपया है वह अधिकारियों के आवागमन और टी० ए० में खर्च होता है। यह पूछने पर कि पूरे बजट का वह कौन-सा भाग है उन्होंने कहा कि वह total बजट का २५ प्रतिशत है। श्रीमन्, व्यापार में, जिस बड़े आर्गनाइजेशन में इतना बड़ा ससपेंस एकाउन्ट हो तो बार-बार यह प्रश्न उठाते रहना होता है कि ससपेंस एकाउन्ट क्यों इतना बढ़ गया।

श्रीमन्, पी०डब्लू०डी० में बड़ा करप्शन कहा जाता है। मेरा तो, श्रीमन्, यह विश्वास हो गया है कि यह करप्शन आज सीजर्स वाइफ हो गया है --

"Ceasar's wife is above suspicion but everybody knows her infidelities except the poor husband. Now I leave the poor husband to find out her infidelities."

मैं यह कहूंगा कि पी० डब्लू० डी० का करप्शन पकड़ना बहुत आसान है। आज अगर कोई बिल्डिंग बनती है या पुल बनता है आप उसके ऊपर अपने एक्सपर्ट्स को बैठाकर उसकी साइंटिफिक नालिसिस करा लीजिये। अगर उसमें एक-चार का सीमेंट होने के बजाय एक पांच का मिला हुआ है तो स्पष्ट है कि वहां करप्शन मौजूद है। इसी प्रकार से गारा ले लीजिये। जरा-सा प्लास्टर को उखाड़िये तो आपको मालूम हो जायगा कि वहां कौन-सी ईंट लगी हुई है। अगर फर्स्ट क्लास के बजाय वहां सेकिंड क्लास लगी हुई है तो आपको फौरन मालूम हो जायगा कि वहां करप्शन मौजूद है।

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

दूसरा सुझाव मैं और दूंगा जो कि प्लानिंग कमीशन की ओर से आया है वह यह है कि जितने भी कार्य इस राज्य के अन्दर हुये हैं उनकी एक सर्वे करायी जाय और उनमें यह देखा जाय कि जितना रुपया उसमें लगाया गया है उस रुपये के मुकाबिले में उस कार्य की उपादेयता है, सुदृढ़ता और स्थायित्व है या नहीं। यदि माननीय मंत्री जी मेरा सुझाव न मानें तो प्लानिंग कमीशन ही का सुझाव मान लें। अगर इस प्रकार सारे पी०डब्लू० डी० वर्क्स का निरीक्षण किया जाय तो सारी स्थिति स्वयं ही मालूम हो जायगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो बिल्डिंग बनायी गयी हैं या जो काम हुये हैं वे अगर ५० वर्ष के लिये हुये हैं तो २० वर्ष भी वे अच्छी तरह से नहीं चल सकते। अभी विधायक निवास को ही ले लीजिये। बनते देर नहीं हुई कि पानी चूने लगा।

श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ५७--५८ का सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी बजट है, उस पर मैं अपने विचारों को प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं अपने जनपद की ओर से कुछ कहूंगा। देवरिया और देवरिया में हाड़ा तहसील जो है उसमें बहुत ही कम सड़कों का निर्माण हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पडरौना--खड्डा रोड जो ४० मील की है, उसको कृपा करके आपने पी० डब्लू०डी० में ले लिया है, इसके लिये आपको धन्यवाद है लेकिन जिस धीमी गति से उसका कार्यक्रम चल रहा है उसको देखते हुये यह मालूम हो रहा है कि उसमें सालों लगेंगे। उसकी ओर आप शीघ्रता से ध्यान देने की कृपा करें। देवरिया के बारे में आज सब माननीय सदस्य जानते हैं कि वह इस उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला कहा जाय, गरीब जिला या जनपद कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। वहां भुखमरी, बाढ़ और सूखा एक न एक आती ही रहती है। उस जनपद की हाड़ा तहसील की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं।

दूसरी बात मुझे आपसे यह कहना है कि हाटा से त्रिवेणी तक (हाटा वह तहसील है जो नैपाल के किनारे पड़ता है।) कम से कम २० मील तक के मार्ग को पी०डब्लू०डी० ले ली तो बड़ी अच्छी बात होगी। चूंकि पडरौना वहां से ८० मील के करीब पड़ता है, इस ८० मील के अन्दर कोई भी आने-जाने का अच्छा साधन नहीं है। इसकी वजह से बरसात के दिनों में चार पांच महीने तक किसानों को जब कि अकाल, महामारी या और कोई दैवी विपत्ति आ जाती है तो सहायता पहुंचाने के लिये कोई जरिया नहीं रहता जिससे उनको बड़ी परेशानी होती है। सरकार द्वारा गल्ले की दुकानें उत्तरी हाटा में कायम की गयी हैं। वहां पर मैंने देखा है कि बरसात के दिनों में वहां पर आसानी से अन्न तक नहीं पहुंचता, यह एक बड़ी खामी है जिसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि हाटा बिलकुल नैपाल के बार्डर पर है। हाटा के उत्तरी हिस्से में एक तरफ तो बड़ी गंडक बहती है और उसके पश्चिमी हिस्से में छोटी गंडक बहती है जिसे नारायणी नदी भी कहते हैं। इन दोनों नदियों का जब तूफानी कटाव शुरू होता है तो वह पश्चिमी हिस्से को बिलकुल बर्बाद कर देता है। इसलिये रामकोला से लेकर खड्डा तक और लक्ष्मीगंज से खड्डा तक की दो रोड्स को अगर पी०डब्लू०डी० ले सके तो उससे वहां की जनता को बड़ी भारी सहूलियत मिल जायगी। जब बाढ़ आती है, सूखा होता है, या और कोई दैवी आपत्ति आती है या बरसात आ जाती है तो कम से कम खाद्य-पदार्थ वहां तक पहुंच सके, इसके लिये बहुत जरूरी है कि सड़क बनायी जाय। इस तरह से जीवन की तमाम सामग्री को उन तक पहुंचाने के लिये बड़ा सुन्दर रास्ता हो जायगा।

इसी तरह से हाटा तहसील भी बहुत पिछड़ी हुई है। वहां पर २० मील तक के क्षेत्र में किसानों के लिये दवा करने के लिये कोई अस्पताल ही नहीं है। और बरसात के महीने में कोई साधन न होने से किसानों को बड़ी परेशानी होती है। जब कोई महामारी आती है

भुखमरी होती है या मलेरिया की बीमारी होती है तो उसका उत्तरी हिस्सा जरूर शिकार होता है। न मालूम क्या बात है, कि लगातार चार-पांच वर्षों से गोरखपुर, देवरिया और विशेष कर आजमगढ़, बलिया वगैरह में ही हर साल बड़ी बर्बादी होती है और किसानों को तकलीफ और मुसीबतों का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिये वहां की समस्या की तरफ सरकार का विशेष ध्यान जाना चाहिये ।

सदन के माननीय सदस्यों ने कुछ बातें भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में भी कही हैं। कोई भी चाहे सरकारी बेंच का आदमी हो या अपोजीशन का आदमी हो, इससे रंचमात्र भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पी०डब्लू० विभाग में, माल विभाग में तथा और भी कई विभागों में भ्रष्टाचार है। लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कहने से ही हमारा काम नहीं चलने वाला है। मैं तो कहता हूं कि अपोजीशन बेंचों के माननीय सदस्यों और सरकारी सदस्यों तथा माननीय मंत्री जी सभी को एक साथ मिल कर इस प्रदेश से भ्रष्टाचार का निराकरण करना है और मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार की बात कोई उठाता है तो उसमें माननीय मंत्री जी को कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिये। अगर हमारे अन्दर कोई कमजोरी है तो उस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। क्या रूस में और चीन में भ्रष्टाचार नहीं था लेकिन उसे दूर किया गया। उसी तरह से हम अपने देश से और अपने प्रान्त से भ्रष्टाचार को मिटा सकते हैं।

जब हम पी०डब्लू० डी० के इंजीनियर्स, ओवरसीयर्स और दूसरे अफसरों को देखते हैं तो उनके जो सजे हुये बंगले हैं, जो उनके ऐशोआराम हैं, जो उनके ठाट हैं, जो उनका खानपान है, उनकी जो मोटर साइकिल हैं, उस सब को देखने से मालूम होता है और समझ में नहीं आता कि दो सौ ढाई सौ रुपया तनख्वाह पाने वाला किस तरह से इतने ऐशोआराम और ठाट की जिन्दगी बिता सकता है। जमींदारी विनाश से पहले जो राजा थे और बड़े जमींदार थे उनका भी अब वह ऐशोआराम नहीं रह गया है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा कि इस पी०डब्ल्यू०डी० तथा विभागों में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको हमें और आप को और सदन के हर मेम्बर को बड़ी बहादुरी, हिम्मत और तेजी के साथ दूर करना है, मैं समझता हूं कि यह हमारे समाज का एक बहुत बड़ा पाप है और एक भयानक रोग है और मुसीबत है जिससे हम, आप और कोई भी परेशान हो सकता है।

मैं विरोधी पक्ष के भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि उन के सुझाव यहां बहुत नम्रता के साथ आने चाहिये। संसदीय प्रणाली में जो माननीय सदस्य भाग लेते हैं उन माननीय सदस्यों का बड़ा भारी स्थान होता है और उनका कर्त्तव्य होता है कि वह संसदीय ढंग से ऐसे सुझाव सरकार के सामने रखें कि जिससे सरकार का कार्य ठीक अच्छे और सुचारुरूप से चल सके। जो संसदीय तरीका पाश्चात्य देशों में अपनाया जाता है वही तरीका हमें अपनाना चाहिये और सुन्दर, अच्छे, कार्यान्वित होने योग्य सुझाव यहां आने चाहिये। मेरा यह सुझाव है कि जितने हमारे माननीय सदस्य हैं चाहे वह इस तरफ के हों या उस तरफ के हों उन सबके लिये यह जरूरी है कि हमारे समाज में जितनी बुराइयां हैं उनको जल्द दूर करने का हम सब मिलकर प्रयत्न करें और जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वह प्रशासन की जिम्मेदारी और कमियों को समझें और निभायें तभी हमारे प्रदेश का और समाज का बोलबाला हो सकता है। हमारे देश में सच्चा समाजवाद तभी कायम होगा जब हमारा आपका और सारे देश का नैतिक स्तर ऊंचा होगा। जब मैं यहां पर समाजवाद की बात सुनता हूं तो मुझे ताज्जुब होता है कि लोग समाजवाद के न जाने क्या-क्या अर्थ लगाते हैं। कोई कहता है कि समाजवाद में यह मकान नहीं होंगे, मोटर नहीं होंगी, चलने के लिये रास्ते नहीं होंगे, यह सड़कें नहीं होंगी, खाने पीने के साधन नहीं होंगे। पता नहीं कि फिर उनके

[श्री राजदेव उपाध्याय]

समाजवाद में क्या होगा ? समाजवाद को एक हौवा वह बनाते हैं। न मालूम किस रास्ते से, किस ढंग से, किस कार्यक्रम से इन लोगों का समाजवाद कायम होगा ?

श्री उपाध्यक्ष---आप का समय समाप्त हो गया।

श्री राजदेव उपाध्याय---केवल २ मिनट में मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---नहीं, आप का समय अब नहीं रहा। मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि आपने 'आप' शब्द का प्रयोग अपने भाषण में बहुत किया है। यहां सदन में 'आप' शब्द का प्रयोग अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिये होता है। आप को माननीय मंत्री के लिये कुछ कहना हो तो आप "सरकार" या माननीय मंत्री कहा करें।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---उपाध्यक्ष महोदय, १२ बजे से इस पर बहस चल रही है। ठीक है, एक चीज तो हमारे यहां बहुत हो गई है वह है भ्रष्टाचार और गन्दगी और इसको हमारे जो कांग्रेस के सदस्य हैं वे भी मानते हैं और विरोधी पार्टियों के लोग भी इस बात को मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसको दूर कैसे किया जाय ? देश को आजादी सन् ४७ में मिली और तब से सरकार ने बहुत से काम किये, निर्माण किये और सैकड़ों मील की सड़कें बनाई, पुल बनाये, बांध बनाये। मैं कहता हूं कि सरकार का निर्माण हुआ सन् ४७ में। सन् ४७ तक जब कांग्रेस में थे तो सरकार से कहा करते थे कि कांग्रेस की सरकार बने। लेकिन जब सन् १९४७ में इसका नया निर्माण हो गया तो क्या हुआ ? यह सोचने की बात है। निर्माण तो हुआ और ऐसा निर्माण हुआ कि पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता, त्यागी और तपस्वी जिनके घर बरबाद हो गये वे कांग्रेस से खत्म हो गये और नयों की भर्ती हो गयी और नया निर्माण हो गया। यह निर्माण है ? पुरानी सड़कों को तोड़ दिया और नई सड़कों का निर्माण कर दिया, यह है निर्माण ? सच्चे मजनुओं का पता नहीं, यह तो नकली मजनू रह गये। सच्चा दिल होगा, सच्ची आत्मा होगी तो पाताल को उठाया जायगा और कैलाश को झुकाया जायगा, तब भला होगा।

श्रीमन्, झाड़ी में आग लग गई उस झाड़ी में प्रतिक्रियावादी पक्षी भी रहते है, जब आग लगी तो दूसरे पक्षी कहते हैं कि उड़ चलो अब यहां कोई फायदा नहीं। तो रहने वाले पक्षी कह रहे हैं हम नहीं जायेंगे। सच्चे मजनू कह रहे है कि हम झाड़ी को छोड़कर नहीं जायेंगे लेकिन अवसरवादी कह रहे हैं कि हमने तो फल खा लिये और अब उड़ कर दूसरे बाग को जायेंगे। तो झाड़ी के रहने वाले उन प्रतिक्रियावादी और अवसरवादियों से कह रहे हैं कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो अवसरवादी पक्षी क्या कह रहे हैं

दौं लागी इस विकट विटप में तड़कन लागे बांस,
तुम क्यों जलौ पखेरुओ पंख तुम्हारे पास।

झाड़ी के रहने वाले पक्षी कहते हैं---

फल खाये इस वृक्ष के, डीठ बिगारे पात,
यही हमारा धर्म है कि हम जलें इसी के साथ।

जब सच्चा मजनू होगा तब देश का निर्माण होगा। हमारी सरकार ने कई पुलियां बनाई, पुल बनाये। बहुत निर्माण हुआ, सब चीजों में वृद्धि हुई....

श्री राजदेव उपाध्याय---यह स्पीच सार्वजनिक निर्माण विभाग के ऊपर हो रही है या किसी और विषय पर ?

श्री उपाध्यक्ष---मेरा ख्याल है कि आप इस भाषण के अलंकार को समझने में असमर्थ रहे।

श्री टीकाराम पुजारी--श्रीमन्, मैं अर्ज कर रहा था कि सड़कें बढ़ीं, पुल बने, सब चीजों में वृद्धि हुई, अदालतें बढ़ीं, एक जिलाधीश से दो जिलाधीश हो गये, चार तहसीलों में चार हाकिम परगना होते थे अब ६ मैजिस्ट्रेट और दस हाकिम परगना हो गये तो निर्माण हुआ या और कुछ हुआ ? भवनों का निर्माण हुआ, कोठियों का निर्माण हुआ और पन्द्रह बीस लाख आदमियों का तो ऐसा निर्माण हुआ कि पहले यों कहा करते थे कि अंग्रेजों के कुत्ते चला करते हैं कारों में और अब इन नवनिर्माण वालों के कुत्ते चलते हैं हवाई जहाजों में, यह है देश का निर्माण हमें सच्चा मन बनाना है, सच्चा दिल बनाना है, तब हमें देश का निर्माण करना है। इस तरह से क्या निर्माण हो सकता है ?

मथुरा जिले के बारे में श्रीमान् जी से कुछ अर्ज कर देना चाहता हूं। मथुरा और माठ दोनों मिले हुये हैं। राया से सादाबाद जाने वाली सड़क २० मील है। उसके बीच की सड़क की हालत बड़ी खराब है। हमारे यहां श्रावण के महीने में बहिन बिटिया सब बुलाई जाती हैं और बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन को सब दामाद और रिश्तेदार जो होते हैं वह दूर दूर से आया करते हैं लेकिन उस सड़क का हाल क्या बयान किया जाय। उस पर तेज धार पानी की बहती है। श्रावण के महीने में उस सड़क पर से हमारी माता बहिन और बिटिया आती हैं। पचास गांव वहां के ऐसे हैं दाऊ जी के आसपास कि सावन और भादों के महीने में कई हाथ पानी खेतों में भर जाता है। हमने सरकार से कहा कि यहां एक नाला निकाल दिया जाय तो यह पानी निकल जाय। आचार्य जी जो हमारे माठ क्षेत्र से आये हैं उनके यहां अभी माठ के पास से तार आया है कि हमारी सारी ईख और दूसरी फसल गल गई और तीन तीन गज पानी चल रहा है, इसके लिये कुछ कीजिये। कोई नाला खुदवा दिया जाय और उसका पानी निकाला जाय नहर के लिये तो वहां के किसानों को सुविधा हो जाय। तो श्रीमन्, क्या कहूं कोई कटु शब्द नहीं है लेकिन अंत में मैं कहूंगा कि--

काटे से भी खराब है जिस गुल में बू न हो।
वीराने की मिसाल है जिस दिल में तू न हो।।

श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग के अवसर पर बोलने का मौका दिया। माननीय मंत्री द्वारा जो आय-व्ययक का लेखा सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यों तो हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा देश के उत्थान और निर्माण के लिये बहुत सी योजनाएं चलायी जा रही हैं, खाद्य परिस्थिति पर काबू करने के लिये, शिक्षा को बढ़ाने के लिये, सिंचाई के लिए, तमाम यह मदें जहां हैं वहां आज देश में यातायात के साधन उपलब्ध करने के लिये भी सरकार प्रयत्नशील है और आज उसी के आय-व्ययक के लेखे पर हम सदन में वादविवाद कर रहे हैं। यों तो जब से वाद-विवाद चल रहा है हमने देखा कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बातें कही गईं परन्तु यह सुनकर बड़ा आश्चर्य और ताज्जुब हुआ कि माननीय विरोधी दल के लोग सिर्फ यही समझते हैं कि कोई अनुदान हो या सरकार द्वारा कोई चीज लायी जाय तो जो विरोधी पक्ष है वह सिर्फ विरोध के लिए ही व्याख्यान देता है और अपने विचार प्रगट करता है। यों तो बहुत सी बातें कही गईं, लेकिन जहां तक सार्वजनिक निर्माण विभाग का सम्बन्ध है उसमें तो गांव-गांव में सड़कें लानी हैं, यातायात के लिये इंटीरियर में पहुंचना है। तभी किसी गांव की उन्नति हो सकती है। उसके लिये हमारी सरकार की तरफ से बहुत सी कोशिशें हो रही हैं। लोकल बाडीज की तरफ से सड़कें बनाई जाती हैं। टाउन एरियाज या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की तरफ से प्रबन्ध किये जा रहे हैं और प्लानिंग विभाग द्वारा, जैसा कि माननीय मंत्री द्वारा बतलाया गया, गांव गांव में कई हजार मील सड़कें बनाई

[श्री रामकृष्ण जैसवार]

गई। उनको पक्का करने के साधन हमारे पास नहीं हैं हालांकि उनको पक्का करने का हमारा विचार है। लेकिन इसके लिये साधनों की आवश्यकता है। विरोधी दल के सदस्य और ट्रेजरी बैंचेज के सदस्य भी आय के साधनों पर टीका-टिप्पणी करते हैं, उसी प्रकार से व्यय करने के लिये भी साधनों का उपलब्ध होना आवश्यक है।

हमारा देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद जैसा कि बहुत से भाइयों ने बतलाया हमारे प्रदेश व देश में बहुत से कार्य हुए। माननीय सदस्यों ने भी अपने अपने क्षेत्र की बात कही जो कि स्वभावतः कहनी चाहिये थी। हम भी अपने क्षेत्र की बात कहेंगे। हमारे पास जितने साधन उपलब्ध थे उनको देखते हुए हम अपना कार्य करते चले जा रहे हैं।

अभी हमने माननीय यादवेन्द्रदत्त जी दुबे की बातें सुनीं तमाम आंकड़े उन्होंने पेश किये और तमाम आलोचनायें उन्होंने कीं। ठीक है, विरोधी दल के लोगों को अच्छे सुझाव देने चाहिये ताकि यदि हम गलत कदम उठायें तो हम संभल सकें।

भ्रष्टाचार की बात बड़े जोरों के साथ कही गई। जैसे भगवान सर्वव्यापी हैं, कण-कण में विद्यमान हैं उसी तरह से भ्रष्टाचार की बात कही जाती है। लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेशन में जो वे भ्रष्टाचार की बात कहते हैं तो आज मैं यह कहूंगा कि हमारा सामाजिक स्तर ही इतना नीचा गिर गया है कि कहां पर भ्रष्टाचार नहीं पाया जाता? चमार को ही ले लीजिये। उससे कहा जाय कि बढ़िया से बढ़िया जूता बना दे तो कहीं न कहीं मिट्टीभर देगा। दूध वाले को देखा जाय, चाहे कितना भी ईमानदार हो पानी अवश्य मिलायेगा। लिहाजा विरोधी दल के लोग, जो सरकारी मशीनरी में भ्रष्टाचार का ढोल पीटते हैं उनको चाहिये कि वे और हम दोनों मिल कर भ्रष्टाचार को समाज से निकालने का प्रयत्न करें तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि पूरी जिम्मेदारी आज किसी जनतंत्र प्रणाली को चलाने के लिये जिस प्रकार से कि लेजिस्लेचर पर पड़ती है उससे कहीं ज्यादा एक्जिक्यूटिव व जुडिशियरी पर होती है। तो आज हमको सरकार के किसी व्यक्ति को नहीं देखना है बल्कि देखना यह है कि सरकार की नीयत क्या है उसकी पालिसी क्या है वह किस प्रकार से सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर रही है, जिनकी कि वह समय-समय पर घोषणा करती है। आज हमने समाजवाद का नारा लगा दिया है। तो देखना यह है कि उस पर वह जा रही है या नहीं जा रही है। अगर खामी है तो उस तरफ हमें ध्यान आकर्षित कराना चाहिये।

यह ठीक है कि यातायात के साधनों की बहुत कमी है। लेकिन प्रत्येक जिले में जितना संभव हो सकता है सरकार करने की कोशिश कर रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो टार्गेट बनाया गया था, जो लक्ष्य था, उसकी पूर्ति की गई और दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये जो बजट बन रहा है जो लक्ष्य है उस पर हम अग्रसर हो रहे हैं।

इन सब बातों को कहते हुए मैं पुनः माननीय मंत्री का ध्यान अपने जिले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। गंगा पर पुल के निर्माण के लिये बड़े जोरों से चर्चा चल रही है। और वह पेपर्स में कारस्पाडेंस में आया और जिम्मेदार लोगों के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि वह जल्द बनेगा। मैं अनुरोध करूंगा कि उसे वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत और इस बजट में सम्मिलित करने की कृपा करें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसकी तरफ कदम बढ़ायें। जनता को यह प्रतीत हो कि हमारे जिले की यह महत्वपूर्ण चीज जो बनारस और मिर्जापुर को मिलाती है वह कम से कम बनने जा रही है। इंटीरियर में मिर्जापुर दुद्धी और राबर्ट्सगंज में जो निर्माण कार्य किये गये वह बड़े सराहनीय कार्य हुए और जो पुल और सड़कें बनायी गयीं उनके लिए मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा लेकिन इसके साथ ही साथ मिर्जापुर में और इलाके हैं जैसे लालगंज से हलिया और सतीशगढ़ का ऐसा एरिया है जो दुद्धी से कम बैकवर्ड नहीं है और जिला

धीश और प्लानिंग कमेटी ने इसकी ओर ध्यान आकर्षित भी किया और प्लानिंग कमेटी ने प्रस्ताव द्वारा भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। बारिश के दिनों में यह बिलकुल कट-आफ हो जाता है।

उसके साथ ही साथ गोपीगंज रोड है। हालांकि वह पी० डब्ल्यू० डी० से संबंधित नहीं है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से संबंधित है लेकिन इसके पहले माननीय गुप्त जी वहां गये थे और कुछ हजार रुपया उन्होंने दिया था। सरकार की ओर से यह कहा गया कि अगर जनता की ओर से १०,००० रुपये का चन्दा होगा तो हम पूर्णरूप से सहानुभूति प्रकट करेंगे। माननीय मंत्री जी को मालूम है कि आज इस स्कैर्यासिटी के जमाने में जनता से इतना चन्दा वसूल किया जाना मैं उचित नहीं समझता और न जनता चंदा दे ही सकती है। ऐसी भयानक परिस्थिति में जब कि सड़क बहुत ही खराब हो गयी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि वह हो सके तो इसको पी० डब्ल्यू डी० में मिला दें और जिस प्रकार से बनवा सकें बनवाएं। हमारे जिले में और भी सड़कें हैं जैसे मड़िहान से घोरावाल जाने वाली सड़क। इस सम्बन्ध में शिकायत यह है कि जिले से जो जिलाधीश और प्लानिंग कमेटी द्वारा सुझाव आते हैं यहां डिपार्टमेन्ट वाले उनको चेंज कर देते हैं। तो यह या तो पूछे नहीं और डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से सुझाव न मांगे और अगर मंगाते हैं तो उन पर कार्य करना चाहिये। इस चीज को तो वहीं पर ठीक से बतलाया जा सकता है कि कौन चीज महत्वपूर्ण है। यहां पर बैठे-बैठे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो प्रार्थना यह है कि जो हमारे जिले से सुझाव मांगे जायं और जिलाधीश या प्लानिंग कमेटी द्वारा भेजे जायं वह कार्यान्वित किये जायं।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने ५ मिनट का समय मुझे दिया। मुझे कहने को तो बहुत सी बातें थीं मगर ५ मिनट का समय होने की वजह से और बातों पर प्रकाश न डाल कर मैं सिर्फ अपने पास के ही पर्वतीय प्रदेश की जो तकलीफें वहां पी० डब्ल्यू० डी० विभाग में पायी जा रही हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा।

मुझे सब से पहले यह कहना है कि पर्वतीय प्रदेश सरकार का बहुत आभारी है कि वहां बहुत गरीबी का इलाका होते हुए जब कि वहां न कोई विकास था और न कोई इंडस्ट्री थी जिससे कि वहां के लोग अपना जीविकोपार्जन कर सकें, सरकार ने यह प्रयास किया है कि उन पर्वतीय प्रदेशों में भी सड़कें बनाई जायं जिससे काफी लोगों को वहां रोजी मिल रही है और सारा इलाका विकसित हो रहा है। टनकपुर से धारचुला गरब्यांग बागेश्वर से असकोट सामाधुरा--मिलम कई सड़कें वहां निर्माण हो रही हैं जिससे यह आशा की जाती है कि भविष्य में पर्वतीय प्रदेश का बहुत ज्यादा विकास हो सकेगा जैसा कि काश्मीर के इलाके का है। मैं उन बातों को न कह कर उन सड़कों की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा जिनका बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। एक सड़क रामेश्वर से गंगोली हाट होकर बेरीनाग सामाधुरा तक बनाने के लिए सरकार ने कई बार ध्यान दिया और कई रूप में वहां की जनता को यह आश्वासन दिला दिया कि यह सड़क बहुत जल्दी बना दी जायगी। इतना ही नहीं सड़कों की जिला प्लानिंग कमेटी से जिले की प्रायोरिटी (प्राथमिकता) पूछी कि किसको टाप प्रायोरिटी दी जाय और उन्होंने यही खयाल किया कि यह सड़क हमारे जिले में एक सबसे महत्वपूर्ण सड़क है, जो कि सारे जिले के बीचोबीच जाती है। इसलिये रामेश्वर--गंगोलीहाट--बेरीनाग--सामाधुरा सड़क को सब से पहले ले लिया जाय। मुझे दुःख है कि इस बजट में भी उसका जिक्र कहीं नहीं है।

[श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट]

इसी तरह से चौकोड़ी से बेरीनाग तक लूप लाइन का भी आश्वासन दिया गया था लेकिन उसका भी इसमें कहीं जिक्र नहीं है। इसके अलावा कई एक महत्वपूर्ण पुल है थल बागेश्वर व जौलजीवी जिनका जल्दी से जल्दी बन जाना नितान्त आवश्यक है।

इसके अलावा कई ऐसे एमाउन्टस है जो लैप्स हो चुके हैं उनकी ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। जैसे वेटिरिनरी हास्पिटल चम्पावत, वीमेन्स हास्पिटल पिथौरागढ़, मेन्स हास्पिटल पिथौरागढ़। इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। इसी तरह मुनसियारी में ४ लाख रुपये मन्जूर हुये थे एक बिल्डिंग के लिये। उसका काम भी आरम्भ नहीं किया गया। तो ये जो लैप्स एमाउन्ट्स है इनकी बिल्डिंग्स का बनना बहुत आवश्यक है।

ऐसे ही पिथौरागढ़ में जो डिवीजन खोला गया है उसमें उसका खास-खास हिस्सा छूट जाता है। सम्पूर्ण तहसीलें पिथौरागढ़ और चम्पावत इसी डिवीजन के अन्दर आनी चाहिये। श्रमदान द्वारा जो कई सड़कें बनी हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान न होने की वजह से उनकी हालत खराब है जैसे घूनाघाट, भूलाघाट, पुल हिन्डोला व कन्डाली छीना वाली सड़क है। इसी तरह घाट का जो पुल है उसके लिये मंत्री महोदय ने कहा था कि सब पुलों पर पैदल चलने वालों से टैक्स बन्द हो चुका है लेकिन घाट के पुल पर अभीतक टैक्स लिया जा रहा है।

एक दूसरी बात और है कि पी० डब्ल्यू० डी० के रेट्स कैनाल विभाग से कम हैं। मैंने देखा कि जो ठेकेदार इर्रीगेशन में काम करते है उनको ज्यादा रेट्स दिये जाते हैं उसी काम के लिये बनिस्बत उनके जो पी० डब्ल्यू० डी० के ठेकेदारों को दिये जाते हैं। लम्पसम तरीके में ठेकेदारों को यह विदित नहीं होता है कि कितने का यह काम है। बाद को जब उनके ठेके मन्जूर हो जाते हैं तो वे मजबूर हो जाते हैं कि किसी न किसी तरह अपने घर की इज्जत को बचायें। वे ठेके इसलिये लेते हैं कि चार पैसे कमा कर अपनी रोटी चलायें, इसलिये नहीं कि उल्टे अपने घर की इज्जत को बेचें। मुझे यह मालूम हुआ है कि बहुत थोड़े रुपयों में वहां का काम दिया जाता है। अभी तक टनकपुर-पिथौरागढ़ में बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी तक कोई भी ठेकेदार ऐसा नहीं हुआ जिसने ५,६ हजार रुपया भी कमाया हो। सरकार की लिव ऐंड लेट लिव की पालिसी होनी चाहिये। ठेके ऐसे दिये जाने चाहिये कि उसमें कम से कम कुछ मार्जिनल प्राफिट तो उसको हो अन्यथा एक विशस सर्किल पैदा होता है जिसके कारण करप्शन बढ़ता है।

घूसखोरी के बारे में मुझे यह कहना है कि घूसखोरी अवश्य इस विभाग में है लेकिन जो हमारे ऊपर के लोग हैं जैसे चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह इस प्रदेश का अहो भाग्य है कि ऐसे महानुभाव हमारे प्रान्त में निकले कि कोई भी उनमें से ऐसा नहीं है जिसके विषय में थोड़ी सी भी डिसआनेस्टी का हम खयाल कर सकें। जो करप्शन हो रहा है वह नीचे की श्रेणी में हो रहा है। इनसे जो नीचे के लोग हैं उनमें करप्शन अवश्य है। उसके लिये मेरा खयाल यह है कि उसमें बहुत कुछ हद तक हम लोगों का भी हिस्सा है। वह इस माने में कि अंग्रेजों की हुकूमत में हमारे प्रदेश में सिर्फ ढाई करोड़ रुपये का बजट पी० डब्ल्यू० डी० का हुआ करता था लेकिन अब १५ करोड़ का होता है और जितने भी टेक्निकल हैण्डस हैं वे सब उसी जमाने के हैं। हम चाहते हैं कि काम तो सात आठ गुना बढ़ा दें लेकिन टेक्निकल हैंडस कुछ भी न बढ़ायें। तो ये दोनों चीजें नहीं हो सकतीं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य इधर नहीं देख रहे हैं तो यह न समझें कि उनका समय बढ़ता चला जा रहा है।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट—तो इस करप्शन को यहां से हटाया जाय। मैं माननीय सदस्यों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि पी० डब्ल्यू० डी० के छोटे कर्मचारियों के बीच से ही करप्शन हटाने की जरूरत है। मैं कई अफसरों से मिला हूं। उनका कहना है कि अगर काम इतनी जल्दी न मांगा जाय तो करप्शन बहुत हद तक दूर किया जा सकता है और कर्मचारियों से सख्ती का व्यवहार करके घूसखोरी बन्द हो सकती है परन्तु कार्य की प्रगति कम हो जावेगी।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने समय न होने पर भी मुझको पांच मिनट का समय दिया। जो कटौती का प्रस्ताव हमारे मित्र ने पेश किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। हमारे मित्रों ने इधर से भी और उधर से भी इस पर अपने-अपने विचार रखे, लेकिन मैं केवल इतना अर्ज करना चाहता हूं कि जब सरकार नये-नये टैक्स द्वारा रुपया लेकर निर्माण-कार्यों में लगाना चाहती है तो उसका यह भी कर्तव्य हो जाता है कि जो रुपया फिजूल खर्च होता है उसको रोकने की चेष्टा करे।

श्रीमन्, १९५४ में इसी धारा सभा के सदस्यों की एक प्राक्कलन समिति ने इस विभाग के सम्बन्ध में अच्छी तरह जांच के बाद अपनी रिपोर्ट दी थी। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उसकी सिफारिशों को नहीं माना गया। जब आपका इतना खर्चा है तो इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? इसकी सिफारिशों पर ध्यान दिया जायगा तभी आप संभाल सकेंगे।

श्रीमन्, दूसरी बात मैं अर्ज करूं कि जो निर्माण-कार्य शहरों में होते हैं, देखने में आया है कि वह जल्दी प्रगति कर जाते हैं लेकिन देहातों के कार्य पिछड़े रहते हैं। कोई न कोई अड़चन डालकर इंजीनियर लोग काम को पूरा नहीं करते। मेरे जिले में एक सड़क श्रमदान द्वारा १८ मील लम्बी बनाई गई और उसके लिये ५० हजार रुपया भी जमा किया गया। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इंजीनियरों ने परवाह नहीं की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी यह सड़क न बन सकी। इसके लिये इतना रुपया भी जमा है फिर भी यह नहीं बन सकी। कोई न कोई अड़चन लगा दी जाती है। कोई कहता है कि गुम्मे का पुल लगाया जाय कोई कहता है रोड़े से लगाया जायगा। इस तरह से जो कार्य हमने किया था वह भी पूरा नहीं हो पा रहा है। मेरा अर्ज करना यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसी तरह से कार्य हो जैसे शहरों में होता है। हमारे लखनऊ में स्टेडियम बन गया है और म्यूजियम की बिल्डिंग बन रही है लेकिन जो कार्य देहातों में होता है उसमें इंजीनियर्स इतनी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। अगर आपने देहातों का निर्माण नहीं किया, अगर आपने देहात के लोगों को आराम नहीं पहुंचाया या नहीं पहुंचा सके तो दस करोड़ रुपया जो आप खर्च करते हैं वह बेकार जायगा। इसके सम्बन्ध में कहने का मैं इसलिये हक रखता हूं कि मैं देहात से चुनकर आया हूं और देहात के लोग ही सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। इसलिये उनके कार्य सब से पहले होने चाहिये। देहात के कार्यों को सबसे पहले लिया जाय और सब से पहले उनके काम किये जायं।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा काम यों तो पहले से बहुत आसान है और ज्यादा समय की आवश्यकता भी नहीं थी। कटौती के प्रस्ताव को पेश करने के बाद पक्ष में और विपक्ष में हुये भाषणों को मैंने ध्यानपूर्वक सुना और मुझे हर्ष है कि जवाब देने के लिये मुझे एक भी प्वाइंट नहीं मिला। पक्ष में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

बोलने वाले सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया है और विपक्ष में बोलने वाले सदस्यों ने केवल एक जुम्ला कहा है कि मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और अनुदान का समर्थन करता हूं और उसके उपरान्त उनके भाषण का जितना हिस्सा था, वह जो बुनियादी उसूल मैंने रखा था अपनी कटौती के प्रस्ताव में, माननीय सदस्यों ने उसीका समर्थन किया है। चाहे माननीया कमलकुमारी गोईन्दी का करछना क्षेत्र हो या विष्ट जी का पर्वतीय इलाका या शिवमंगल सिंह जी का बलिया का इलाका हो या पुजारी जी के मथुरा का देहाती क्षेत्र, सभी सदस्यों ने अपने क्षेत्रों में इस कमी को महसूस किया है और उसे यहां पर कहा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से यातायात के साधनों की उन्नति ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए। श्रीमन्, इसी बुनियादी उसूल के ऊपर मैंने अपने कटमोशन को आधारित किया था। मैं फिर स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जो योजनायें सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से बनाई जाती हैं वह दोषपूर्ण हैं। ज्यादातर इस विभाग की दृष्टि देहाती क्षेत्रों के यातायात की उन्नति की ओर होनी चाहिये। श्रीमन्, देहात की ओर ध्यान देने का मेरा मतलब यह है कि देहात में यातायात के साधन बढ़ाने से इस प्रदेश की बहुमुखी प्रगति होगी। तो मुझे बड़ी खुशी है और मैं आभारी हूं माननीय सदस्यों का जो विपक्ष से भी बोले हैं कि उन्होंने मेरे इस उसूल का समर्थन किया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से।

श्रीमन्, आमतौर से जो भ्रष्टाचार की बात मैंने अपने भाषण में कही थी, माननीय सदस्यों ने पक्ष के और विपक्ष के, उसका एक स्वर से समर्थन किया है। इसके अलावा अपव्यय जो हो रहा है उसका भी समर्थन दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने किया। श्रीमन्, आखिर इसका कोई उपाय निकालना होगा। इस अपव्यय और भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कोई तरीका निकालना पड़ेगा। मैं अपने माननीय सदस्य के उस जुमले को दोहराना चाहूंगा कि माननीय मंत्रिगण मंत्रियों के चश्मे से हर चीज को न देखें बल्कि इस सदन के आदरणीय सदस्य जिस तरह से देखते हैं उस तरह से देखें हर चीज को और हर काम को। ऐसा करने से उनको असलियत समक्ष में आ जायगी और सच्चाई का उनको अनुभव होगा। मैं इस बात को मानता हूं कि अपने दिल में वह इस बात को रखते होंगे, लेकिन कह नहीं सकते। वह असमर्थ हैं कि अभी तक वह इस करप्शन को और भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाये, घूसखोरी को नहीं रोक पाये। मेरे पास श्रीमन्, इतने उदाहरण हैं कि जिनको समय की कमी के करण बतला नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष---आप माननीय मंत्री जी को लिख कर भेज दीजियेगा। उन पर कार्यवाही होगी।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव---मैं उनको लिख कर भेज दूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि जो भ्रष्टाचार और अपव्यय हो रहा है अगर उसको रोका जाय तो जितना कार्य हुआ है निर्माण का उसका चार गुना किया जा सकता है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। श्रीमन्, इस भ्रष्टाचार और अपव्यय के कारण हमें यह कहने में संकोच नहीं है कि यह जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वह पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट हो गया है। यह हम दावे के साथ कह सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सारे भाषण बड़े ध्यान से सुने और मैं पूरे सदन का शुक्रगुजार हूं। जहां तक कटमोशन की बात है उसके सिलसिले में और जितने और माननीय सदस्यों ने बातें कहीं वह सब दो तीन हिस्सों में बांटी जा सकती हैं। एक तो स्थान-स्थान से सड़कों की मांग आई। उसके सिलसिले में मुझे सिर्फ

यह कहना है कि आज की जो सरकार है उसका भी यह मंशा है कि गांव-गांव में, घर-घर तक, हर स्थान पर सड़कें पहुंच जायं। और जितने हमारे पास साधन होते हैं उनके अन्दर ही हम काम करते हैं और उसी तरीके से हम सडकें बनाते हैं। उसमें यह ख्याल रहता है कि समाज का अधिक से अधिक लाभ हो सके। इस बात को मद्देनजर रखते हुये हर जिले के अन्दर प्लान और फेज के मुताबिक सड़कें बटी हुई हैं। जो जिस जिले का नुमाइन्दा है उनकी सलाह से वे सड़कें रखी गयी हैं।

यहां पर यह कहा गया है कि गांव और शहर में अन्तर किया गया है। जो शहर हैं वह भी गांवों के ऊपर निर्भर करते हैं। उनमें गांवों का लाभ भी बंधा रहता है। जो गांव के नुमाइन्दे हैं वह शहर के भी नुमाइन्दे हैं। दोनों का उनमें फायदा होता है। इसलिये शहर और गांव में किसी तरह का भेद नहीं किया जाता। अगर एक सड़क मिर्जापुर को जाती है तो वह गांवों को होकर जाती है और शहर से निकल कर भी जा सकती है। तो उससे दोनों का ही फायदा होता है।

जहां तक करप्शन की बात कही गयी, अभी तक सरकार ने इस बात की काफी कोशिश की है और आगे भी वह हमेशा इस बात की तरफ सजग रहेगी। इसलिये यह कहना कि मंत्रिमंडल अपने चश्मे के नजरिये से देखता है, यह मेरी समझ में नहीं आया। इस समय जो मन्त्रिमंडल है वह डेमोक्रेटिक इन्सटीट्यूशन का नुमायन्दा है। जनता की राय से ही बना हुआ है। वह जनता के ही नजरिये से हर चीज को देखता है। इसलिये यह कहना निर्मूल है कि सरकार ध्यान नहीं देती है। अभी जैसा मेरे एक दोस्त ने कहा बार-बार इन बातों को यहां पर कहने से वह चीज बजाय इसके कि दबे और फैलेगी।

जहां तक सरकार की बात है विभिन्न स्थानों के ८ गजेटेड अफसरों को करप्शन के सिलसिले में सजा दी है, ७ नान-गजेटेड अफसरों पर अदालत में मुकदमा चलाया गया है और १८ दूसरों को सजायें दी गई हैं। सरकार इस ओर बराबर सजग है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों के पूरे सहयोग से हम इसमें कामयाब होंगे। यह नहीं है कि पूरा विभाग भ्रष्टाचार में रंगा हुआ है। सरकार को गर्व है कि हमारे ऊंचे अफसर ईमानदारी से काम करते हैं, यद्यपि नीचे कुछ ब्लैकशीप हो सकते हैं। कहा गया कि लखनऊ और इलाहाबाद की सड़कें चौड़ी की जाती हैं और दूसरी सड़कों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। नेशनल हाईवे देहली से बनारस और मिर्जापुर तक चली गई है और उसे चौड़ा व ठीक केन्द्रीय सरकार अपने पैसे से करती है। लखनऊ में कंधारी बाजार की गली चौड़ी करने की यह बात है कि यह एक बाईपास है जो सड़क पर भीड़ कम करने के लिये चौड़ा किया जा रहा है। जहां तक स्टार-ग्रिड फारमूले का और मुजफ्फरनगर का सम्बन्ध है, मैं मानता हूं कि डेफीसिट है मगर १५० मील सड़कें हम बना चुके हैं और १०० मील और बना कर २५० मील कर देंगे। यदि और धन मिला तो और भी बनावेंगे।

इमारतें पुलिस, शिक्षा और मेडिकल इत्यादि की अलग-अलग विभागों की होती हैं, और उनका धन हमारे बजट में आकर मिला दिया जाता है। पहले वर्ष में पूरा रुपया आ जाता है। लेकिन ४--६ महीने तक तो डिटेल्ड ऐस्टीमेट, साइट और नक्शा ही तय होने में लग जाते हैं, यह नहीं है कि पैसे को एकदम वैसे ही बहा दिया जाता है। काम जब शुरू हो जाता है तो वह फिर सुचारु रूप से चलता है।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा--प्वाइंट आफ आर्डर। माननीय मंत्री की आपकी ओर पीठ है।

श्री उपाध्यक्ष—पूरी पीठ इधर नहीं है, वह कायदे का पालन कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल—ससपेन्स एकाउन्ट का भी जिक्र किया गया। हर हैडक्वार्टर पर सामान खरीद कर डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास भेजा दिया जाता है। जो कुछ बचता है उसे ससपेन्स एकाउन्ट के तौर पर दिखा दिया जाता है।

श्री सुरथ बहादुर शाह—उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग यहां के मेम्बर नहीं हैं क्या वे लोग सदन में आ सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—मंत्री अथवा अन्य लोगों को सहायता देने के लिए कुछ खास व्यक्तियों को पास दिये गये हैं। अगर माननीय सदस्य किसी खास व्यक्ति की ओर इशारा करेंगे तो उनके पास चैक करा लिये जायेंगे?

श्री गिरधारीलाल—प्राइवेट नेगोसियेशन्स के बारे में भी कहा गया। इस सिलसिले में जितना ध्यान माननीय सदस्यों को है उतना ही सरकार को भी है जिसके हाथ में आज पूरे सूबे की और सूबे के धन की पूरी जिम्मेदारी है और उसका लक्ष्य एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है। एडमिनिस्ट्रेशन को रोक रखना नहीं है। कहीं पर अगर हम देखते हैं कि एक्वीजीशन करने में देर लग रही है और जमीन की बहुत जरूरत है और अगर वह निगोसियेशन से मिल सकती है तो यह सोचा जाता है कि फिर निगोसियेशन से क्यों न ले लिया जाय। इस सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए २—१ मकानात ले लिये गये हैं। जहां तक डिप्टी मिनिस्टर्स के मकानों का सम्बन्ध है, वे डिप्टी मिनिस्टर्स हों, एम० एल० एज० हों जो हमारे प्रान्त के नुमाइन्दे हैं उनके एवरेज स्टेटस को कायम रखना होता है और उसी हैसियत से उनके अथवा सरकारी अधिकारियों के मकानों को बनाया जाता है। इसमें किसी को मेरे ख्याल से कोई खास ऐतराज नहीं होना चाहिये।

लाइफ के सिलसिले में भी बात कही गयी। वैसे तो टू ऐर इज ह्यूमन, (To err is human) हमारा बहुत बड़ा सूबा है और उसमें अनेक प्रकार के काम हो रहे हैं जैसे बिल्डिंग्स, सड़कें, पुल आदि। हर प्रकार के काम में थोड़ी बहुत ग़लती हो ही सकती है फिर भी इस महकमे द्वारा जितने भी काम हुए है वे बहुत मजबूत हुए है। उनकी लाइफ के सिलसिले में कहा गया कि ५० साल की जिनकी लाइफ होनी चाहिये उनकी लाइफ मुश्किल से २५ साल या १० साल होगी। एक आध ऐक्सेप्शन तो इसमें भले ही हो सकता है लेकिन वैसे जितने मकान बनाये गये हैं वे सब पक्के हैं, मजबूत है और उनकी लाइफ लंबी है।

एक माननीय सदस्य ने रोडवेज के किसी बस स्टेशन के बारे में कुछ कहा। वैसे तो कैबिनेट का एक सदस्य और मंत्री होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी आ ही जाती है, लेकिन जहां तक इस विभाग का ताल्लुक है इस प्रकार के रोडवेज के जो छोटे-छोटे स्टेशन्स हैं वे सब हमारे विभाग द्वारा नहीं बनाये जाते बल्कि उन्हीं के विभाग द्वारा बनाये जाते हैं और असेम्बली में क्वेश्चन आवर में जिसका जवाब दिया गया था वह भी उन्हीं के महकमे द्वारा बनाया गया था।

इन शब्दों के साथ में अपनी बात को रख कर माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने कटमोशन को वापिस ले लें और इस अनुदान को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक: ८१ के अन्तर्गत १ रु० की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत—लेखा शीर्षक: ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी—लेखा के अन्तर्गत ९,६०,५२,६०० रु० की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष द्वारा अपने निवास स्थान की सज्जा के व्यय में कटौती की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष—मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। मैं इस सदन का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने अनुदान संख्या ४७ के अन्तर्गत मेरे निवास स्थान के लिये भी फर्नीचर के लिये ५,००० रु० की स्वीकृति प्रदान की है लेकिन मैं उसमें से ३,००० रु० की कटौती करके केवल २,००० रु० स्वीकार करता हूं। मैं आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूं।

(इसके बाद सदन ४ बज कर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१ अगस्त, १९५७

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर)

गवर्नमेंट सीमेन्ट फैक्टरी, चुर्क मिर्जापुर के सीमेन्ट के उत्पादन के आंकड़े

माह						सीमेन्ट
						टन
सितम्बर,	१९५४	..	..	..	..	७,३७५
अक्तूबर,	१९५४	..	..	..	..	४,८९२
नवम्बर,	१९५४	..	..	..	..	९,०८४
दिसम्बर,	१९५४	..	..	..	..	१२,७४३
जनवरी,	१९५५	..	..	..	..	१५,०८०
फरवरी,	१९५५	..	..	..	..	१५,२९२
मार्च,	१९५५	..	..	..	..	१९,९९३
अप्रैल,	१९५५	..	..	..	..	११,१०२
मई,	१९५५	..	..	..	..	११,००८
जून,	१९५५	..	..	..	..	१९,६४२
जुलाई,	१९५५	..	..	..	..	७,०३८
अगस्त,	१९५५	..	..	..	..	१८,३०१
सितम्बर,	१९५५	..	..	..	..	१३,०१९
अक्तूबर,	१९५५	..	..	..	..	१६,३४०
नवम्बर,	१९५५	..	..	..	..	१८,८११
दिसम्बर,	१९५५	..	..	..	..	६,५८६
जनवरी,	१९५६	..	..	..	..	१४,३५२
फरवरी,	१९५६	..	..	..	..	१९,५१०
मार्च,	१९५६	..	..	..	..	२२,२४६
अप्रैल,	१९५६	..	..	..	..	१९,०६३
मई,	१९५६	..	..	..	..	१५,५२९
जून,	१९५६	..	..	..	..	१६,९२३
जुलाई,	१९५६	..	..	..	..	१८,६९८
अगस्त,	१९५६	..	..	..	..	१७,१०२
सितम्बर,	१९५६	..	..	..	..	१५,३९८
अक्तूबर,	१९५६	..	..	..	..	१२,५३८
नवम्बर,	१९५६	..	..	..	..	१०,९३७
दिसम्बर,	१९५६	..	..	..	..	१८,९५२
जनवरी,	१९५७	..	..	..	..	१८,६२९
फरवरी,	१९५७	..	..	..	..	१५,१२८
मार्च,	१९५७	..	..	..	..	१७,४५३
अप्रैल,	१९५७	..	..	..	..	२१,३०२
मई,	१९५७	..	..	..	..	२२,४३१
जून,	१९५७	..	..	..	..	१६, ९५८
					योग	५,१९,४५५

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर)

प्रश्न संख्या १६ से सम्बन्धित सूची

जिला मिर्जापुर में तहसीलवार बाढ़ सहायता के हेतु दी गई सहायता का विवरण

सहायता का विवरण	नाम तहसील											
	मिर्जापुर			चुनार			राबर्ट्सगंज			दुद्धी		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१—सरकारी मालगुजारी में छूट (खरीफ १३६४ फ०)	१,२७,८३३	०	०	१,६०,०७४	१०	०	८५,११४	३	०	..		
२—सरकारी मालगुजारी जो स्थगित की गई												
(खरीफ १३६४ फ०)	२८,१८६	१	०	..			..			..		
(रबी १३६४ फ०)	२,०७,६७८	०	०	६१,६७३	४	०	१,८१,२८७	०	०	२,६४५	११	६
३—१३६४ फ० के खरीफ व रबी की फसलों में नुकसान होने के कारण रबी १३६३ फ० के बकाया मालगुजारी अब तक स्थगित है ..	२,५८,८६१	८	६	१,८६,१५१	१४	०	..			..		
४—१३६४ फ० में रबी की फसल में नुकसान होने के कारण बकाया मालगुजारी ३१–३–५७ से स्थगित की गई	१,०३,५७३	१४	३	१,८०,६६८	८	६	३७,०७०	७	२	..		
५—तकावी जो वितरित की गई—												
(क) विपत्तिकालीन	..			३५,०००	०	०	५,०००	०	०	..		
(ख) ऐक्ट १२ के अधीन ..	१,२६,०००	०	०	१,२१,०००	०	०	१७,०००	०	०	..		
६—अहेतुक सहायता (जीवन हेतु आवश्यक वस्तुओं के रूप में व नकद सहायता) ..	१४,०००	०	०	३०,०००	०	०	३,५००	०	०	..		
७—काश्तकारों के गृह निर्माण हेतु सहायता (अनुदान)	१०,०००	०	०	१४,५००	०	०	३,०००	०	०	..		
८—कर्ज : मकान निर्माण हेतु—												
(१) अन्य व्यक्तियों को	१,१००	०	०	..			..			..		
(२) किसानों को	१२,०००	०	०	५,०००	०	०	..			..		

६—उपरोक्त दिखाई गई सहायता के अतिरिक्त निम्नलिखित सहायता जिले भर में दी गई—

(१) छात्रों की फीस माफी से हुई हानि की पूर्ति के लिये ५५,००० रु०

(२) कपड़े, कम्बल तथा अन्य सहायता हेतु बांटी गई वस्तुओं की तहसीलवार सूची कार्यालय में देखी जा सकती है।

नोट :—क्रमांक ८ में दी गई तकावी के अतिरिक्त ६०,००० रु० बीज के लिये तथा १,००० मकान निर्माण हेतु और वितरित किया जा रहा है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२ पर)

सूची

सहायता	तहसील गाजीपुर	तहसील जमानिया	तहसील सैदपुर	तहसील मुहम्मदाबाद	योग
तकावी ऐक्ट १२	२८,३७५	२८,३७५	२८,३७५	२८,३७५	११,३५,०००
अन्य प्रकार के कर्ज; जो मकान बनाने हेतु दिये गये	१०,०००	१०,०००	१०,०००	९,७५०	३९,७५०
मकान बनाने के हेतु अनुदान	२५,०००	३०,०००	३०,०००	३५,०००	१,२०,०००
विवरण कपड़ा			**मुफ्त कपड़े का वितरण**		
मोफलर ..	१	..	..	..	१
बैग ..	१	..	..	..	१
पैताबा ..	५	..	..	..	५
तकिया खोल	२	..	..	..	२
कमीज ..	९७	६३	८१	८२	३२३
पैजामा ..	३७	२३	२३	२४	१०७
कोट ..	२२८	१३८	१४०	१३९	६४५
पतलून ..	३७७	२२६	२२७	२२७	१,०५७
कम्बल ..	२७३	२४९	३२१	३२०	१,१६३
जरसी ..	२४२	२४३	२४२	२४२	९६९
टोपी ..	९	२	२	..	१३
बनियाइन ..	२२	२	१	२	२७
अन्डरवियर ..	६	७	८	६	२७
हाफपैन्ट ..	१३१	१५	२४	२४	१९४
बिलाउज ..	१८५	९५	१०६	१०४	४९०
बुशसर्ट ..	९७	४	६	६	११३
चादर ..	२५	२३	४३	४३	१३४
पेटिकोट ..	३४	१२	१३	१२	७१
लिहाफ ..	२	३	३	३	११
परदा ..	१	२	१	१	५
धोती ..	१०	१०	२०	२०	६०
साड़ी ..	३६	११	४०४	२१९	६७०
फराक ..	२१२	..	..	..	२१२
कुरता ..	४	४	३	३	१४
बन्डी ..	१	२	१	२	६
स्वेटर ..	१	..	१	१	३
ओढ़नी ..	१	१	..	१	३
सलवार ..	५	१	..	१	७

विवरण कपड़ा	तहसील गाजीपुर	तहसील जमानियां	तहसील सैदपुर	तहसील मुहम्मदाबाद	योग
दरी ..	३२८	२४०	२१०	२१८	९९६
विभिन्न प्रकार के कपड़े गजों में	१,८८९½ गज	१,८८८½ गज	१,९२६ गज	१,९२८ गज २७ इञ्च	७,६३१ गज, ९ इञ्च
परदा थान ..	..	..	१६ गज	..	१६ गज
टेबुल क्लाथ ..	८	८	८	८	३२

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ १४ पर)

सूची

जिला फर्रुखाबाद में मार्च तथा अप्रैल माह, १९५७ में अग्निकांडों के कारण हुई क्षति तथा सरकार द्वारा दी हुई सहायता का विवरण

क्रम-संख्या	आग लगने की तिथि	ग्राम का नाम	अनुमानतः हानि (रु० में)	अहेतुक सहायता	तकावी
१	२	३	४	५	६
		तहसील फर्रुखाबाद			
१	५—३—५७	गादनपुर दुर्रा ..	१,१००	..	..
२	७—३—५७	बरही मजरा बनकटी	४००		
३	३०—३—५७	जारारी ..	३९५	..	..
४	४—४—५७	चपरा ..	६२	..	..
५	११—४—५७	कचहोहा गरहा ..	९४५	..	..
६	११—४—५७	कैरी नगला हेम रैगाई	२,८७०	..	..
७	१२—४—५७	मासीनी ..	३५०	..	..
८	१४—४—५७	सीरोली ..	७०	..	..
९	१४—४—५७	दौलतपुर ..	३२०	..	..
१०	१७—४—५७	कटरी मानपुर ..	५००	..	..
११	१८—४—५७	शेखपुर रुस्तमपुर ..	२,५६०	..	..
१२	१८—४—५७	नगरिया जवाहर ..	६२	..	..
१३	१८—४—५७	कटरी भखरामऊ ..	८००	..	..
१४	१९—४—५७	पखना ..	४००	..	..
१५	१९—४—५७	फर्रुखाबाद सिटी ..	१५०	..	..
१६	२०—४—५७	राजेपुर सरई मेदा ..	४९६	६०	..
१७	२१—४—५७	लेनगांव खाना ..	१७,७६०	..	२८०
१८	२१—४—५७	फर्रुखाबाद सिटी ..	२५	..	..
१९	२५—४—५७	मोहनपुर दीनरपुर ..	६६५	..	..
२०	२६—४—५७	सरफाबाद ..	५०	..	..
२१	२६—४—५७	झांसी हुसेनपुर नुकहंडाका	१२०	..	..
२२	२९—४—५७	कुन्डरी खारा पुरवा	२६२	..	..
२३	२९—४—५७	राजेपुर साराई मेदा	६५१	..	..
२४	२९—४—५७	हमीरपुर ..	८८	..	..
		योग, फर्रुखाबाद तहसील ..	३१,१०१	६०	२८०
		तहसील कायमगंज			
१	३—३—५७	शरीफपुर छिछेनी ..	२३०	..	..
२	६—३—५७	पुनथर डिहा माफी ..	१,४१०	..	१३०
३	४—४—५७	नगला समाधन मजरा खिनमिनी	१३५		

क्रम-संख्या	आग लगने की तिथि	ग्राम का नाम	अनुमानतः हानि (रु० में)	अहेतुक सहायता	तकावी
१	२	३	४	५	६
४	१०—४—५७	काम्मर उद्दीन नागर	४७५	..	..
५	१२—४—५७	अमसाईया असानन्द	२००	..	..
६	१६—४—५७	धारा शादी नगर ..	२१०	..	..
७	१६—४—५७	नगला भखूसा पुरवा कुनखेरा एम० आलम खान. .	१,७३६	४०	१३०
८	२२—४—५७	बीटा बल्लू ..	७४	..	..
९	२४—४—५७	रशीदपुर ताराई ..	७०	..	..
		योग, कायमगंज तहसील ..	४,५४०	४०	२६०

तहसील कन्नौज

क्रम-संख्या	आग लगने की तिथि	ग्राम का नाम	अनुमानतः हानि (रु० में)	अहेतुक सहायता	तकावी
१	८—३—५७	अल्लहापुर पुरवा गुनहा	८३२	..	..
२	१२—३—५७	रामपुर मन्झला ..	११७	..	..
३	१८—३—५७	अल्लहापुर पुरवा गुनहा	८,२०८	..	..
४	२५—३—५७	बैसालीरी ..	६७६	..	..
५	२६—३—५७	जीनोली पुरवा भूसी	१,१६९	..	..
६	३—४—५७	रितउकला ..	४४२	..	..
७	१०—४—५७	खुदलापुर ..	१,०२५	..	..
८	११—४—५७	खेरापुरवा गांव इब्राहीमपुर बनजर ..	१,२४७	..	..
९	१२—४—५७	कन्नौज कच्छचोहा ..	४८,९३७	८१५	..
१०	१४—४—५७	खुदागंजापुर पुरवा रामपुर मनझाला . .	३००	..	..
११	१७—४—५७	कन्नौज ..	१,०२८	..	..
१२	१७—४—५७	फतेहपुर ..	४,३९०	..	..
१३	२२—४—५७	उमरंवहा ..	३००	..	..
१४	२२—४—५७	जगदीशपुर ..	४००	..	..
१५	२२—४—५७	जहानपुर ..	१२,६३५	३८०	..
१६	२२—४—५७	भासुया ..	२२,२७०	६५०	..
१७	२७—४—५७	कारानपुर ..	२००	..	..
१८	२७—४—५७	पुरवा भगतपुरवा गांव पट्टी का ..	५४५	..	..
१९	२९—४—५७	गादनपुर नरहा ..	७,६१०	..	१०५
२०	२९—४—५७	सैइदपुर सकरी ..	२,६८,९०४	६८७	..
		योग, कन्नौज तहसील ..	३,८१,२३५	२,५३२	१०५

क्रम-संख्या	आग लगने की तिथि	ग्राम का नाम		अनुमानतः हानि (रु० में)	अहेतुक सहायता	तकावी
१	२	३		४	५	६
		तहसील छिबरामऊ				
१	३–३–५७	महमूदपुर	..	३२५	.	.
२	१२–३–५७	जसुआमई	..	२२०	.	.
३	१९–३–५७	असालतोबाद	..	२००	..	..
४	२१–३–५७	खानपुर	..	२,६१०	८५	..
५	२२–३–५७	मावाई	..	१५		..
६	१६–४–५७	छिबरामऊ	..	५९०	..	..
७	१७–४–५७	सुरीख	..	४५३	४०	
८	२१–४–५७	जुसुवामई	..	८००	..	..
९	२१–४–५७	बहुसिया	..	१६०	..	..
१०	२५–४–५७	खुसका	..	२५	..	.
		योग, छिबरामऊ तहसील	..	५,३९८	१२५	..
		कुल योग	..	४,२२,२७४	२,७५७	६४५

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर)

गत मई तथा जून माह में आग लगने के कारण क्षतिग्रस्त किसानों की सूची तथा उनको दी हुई सहायता का विवरण

क्रम-संख्या	नाम तथा पूरा पता			दी हुई सहायता की धनराशि	दी जाने वाली सहायता की धनराशि
१	श्री शिवपूजन राय, ग्राम भरौली तहसील बलिया		..	१००	..
२	श्री रामसकल राय, ग्राम गोविन्दपुर, तहसील बलिया			१००	..
३	श्री जगदीश राय ..	..	..	१००	..
४	श्री देव सरन राय	..	..	१००	..
५	श्री राम सिंगासन ..	..	..	१००	..
६	श्री गंगा राय ..	..	..	१००	..
७	श्री नार सिंह ..	..	..	५०	..
८	श्री अछय लाल ..	..	..	५०	..
९	मु० रामरती ..	..	..	४०	..
१०	श्री रामधन ..	..	..	२५	..
११	श्री लछ्छमन ..	..	..	४०	..
१२	श्री राम बिरिछ	..	..	५०	..
१३	राधा ..	..	..	४०	..
१४	श्री साम रथी ..	..	..	५०	..
१५	श्री शिवशंकर ..	..	..	४०	..
१६	श्री देवनाथ, ग्राम भरौली	..	..	४०	..
१७	श्री निथाली, ग्राम गोविन्दपुर	..	..	४०	..
१८	श्री काशी, ग्राम भरौली	..	..	५०	..
१९	श्री विश्वनाथ, ग्राम गोविन्दपुर		..	५०	..
२०	मु० केसरी ..	..	..	५०	..
२१	श्री अनूप ..	..	..	२५	..
२२	राजमुनी, ग्राम फेफना	..	..	..	२५
२३	श्री बालीराम ..	..	..	..	२०
२४	श्री मुनेश्वर ..	..	..	..	१०
२५	बुधिया	..	..	..	२०
२६	श्री सत्यनारायन ..	..	..	..	२०
२७	श्री महेश्वर ..	..	..	..	५०
२८	श्री श्यामविहारी, ग्राम बहोरा	..	..	..	२०
२९	श्री जगलाल ..	..	..	..	२०
३०	श्री बनवारी ..	..	..	..	२०
३१	श्री राजपती, ग्राम भागमल रसड़ा ..		..	..	१५०
	योग			१,२४०	३५५

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २० पर)

१९५६ में जालौन जिले में प्रान्तीय रक्षक दल द्वारा किये गये कार्यों का विवरण

कितने कर्मचारी भर्ती किये गये	
१—हल्का सरदार	६९
२—ग्रुप लीडर	३७२
३—रक्षक	२,३०३
प्रशिक्षण (संस्था)	
४—बिना अस्त्रों के सैनिक शिक्षा	५६८
५—अस्त्रों सहित सैनिक शिक्षा	३२९
६—शारीरिक विज्ञान प्रशिक्षण	२७५
७—अन्य प्रशिक्षण (तैरना आदि)	१३४
स्वास्थ्य वर्द्धक कार्य	
८—कितने दंगलों का आयोजन किया गया	७१
९—भाग लेने वाले पहलवानों की अनुमानित संख्या	३,४२५
१०—कितनी प्रतियोगितायें आयोजित की गईं	४७
११—भाग लेने वालों की अनुमानित संख्या	६,७९८
१२—स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रदर्शनों की संख्या	७
१३—भाग लेने वालों की संख्या	१०७
१४—आयोजित व्यायामशालाओं की संख्या तथा अखाड़ों की संख्या	१००
कार्यशील शिविर आयोजन	
१५—विकास कैम्प की संख्या	२०
१६—भाग लेने वालों की संख्या	६५७
१७—वन महोत्सव कैम्प आयोजन की संख्या	३
१८—ग्रीष्म कालीन कैम्प तथा उनकी संख्या	१
सामाजिक तथा अन्य सेवायें	
१९—मेले में कार्य करने वाले स्वयंसेवकों की संख्या	३४७
२०—अन्य ड्यूटी	२३४
२१—खोये हुये बच्चों की संख्या जो तलाश किये गये	४५
प्रशंसनीय कार्य	
२२—प्रान्तीय रक्षक दल द्वारा पकड़े गये डाकुओं व दुश्चरित्रों की संख्या ..	३

विकास कार्य

२३—सड़क निर्माण ..	..	..	४३ मील	३ फर्लांग
२४—सड़क सुधार ..	..	..	१३६ मील	६ फ०
२५—बांध व बंधी निर्माण	..	..	१९	
२६—सिंचाई की नहरों व गूलों का निर्माण		..	१७ मील	..
२७—सिंचाई की नहरों व गूलों का सुधार		..	२ मील	४ फर्लांग
२८—नालों व नालियों का निर्माण	..	..	..	६ फ०
२९—तालाब गहरे व साफ किये गये		..	..	५४
३०—पुल व पुलियों का निर्माण	..	..	..	७
३१—पुल व पुलियों का सुधार	..	..	..	१
३२—कुओं का निर्माण	..	..	..	५
३३—पेड़ लगाने हेतु गड्ढे खोदे गये		..	..	१०६
३४—पेड़ लगाये गये	..	..	..	१,८६०

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५ पर)

तहसील ललितपुर तथा महरोनी के ओला से क्षतिग्रस्त ग्रामों की सूची

ललितपुर		महरोनी	
क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	क्रम-संख्या	ग्राम का नाम
१	चिरा कोदर	१	पटना मडोरा
२	मैखुवां	२	गुरयाना
३	जमुनिया	३	चंदोरा
४	सगोरिया	४	सिरौना
५	विर्धा	५	सुनरई
६	पथरी	६	जलन्धर
७	निबनवा	७	गौरा कलां
८	रीचपुरा	८	रनगांव
९	बचलापुर	९	धवा
१०	देवगढ़	१०	छप्परा
११	पटावा	११	लहर
१२	करमारो	१२	बमौरी कलां
१३	सटोरा	१३	मुडौरा
१४	कोकटा	१४	जमुनिया कलां
		१५	सिगरवारा
		१६	परौल
		१७	पिपरट
		१८	पहाड़ी कलां
		१९	परसता
		२०	कबराता

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर)

जिला भ्रष्टाचार विरोधी समिति, जालौन द्वारा १६५५-५६ में की गई विभिन्न कार्यवाहियों का विवरण

शासकी आदेश संख्या २६८२/२५ सी० एक्स--दिनांक १६ जुलाई, १६५५ में दिये गये निर्देशों के अनुसार एन्टी करप्शन कमेटी, जालौन, की बैठक दिनांक २६-७-१६५५ को बुलाई गई थी। जिसमें श्री लल्लूराम द्विवेदी, एम० एल० सी०, उक्त कमेटी के चेयरमैन निर्वाचित किये गये थे और १५ व्यक्तियों के नाम का एक पेनल शासन को भेज दिया गया था। शासन ने अपने आदेश संख्या ए-४६७५/२५ सी० एक्स० दिनांक ३-११-१६५५ द्वारा कमेटी के लिये उनमे से ५ व्यक्तियों का चुनाव किया।

इस प्रकार कमेटी का पूरा निर्माण हो जाने के पश्चात् उसकी पहली बैठक दिनांक ६-२-१६५६ को की गयी थी जिसमें कि मंत्री द्वारा कमेटी के सदस्यों को उसके उद्देश्य समझाये गये।

इस विषय मे एक पैम्फलेट छपवाकर उसका प्रकाशन कराया गया, तथा उसके द्वारा जनता को कमेटी के सदस्यों के विषय मे सूचित किया गया और ढंग बतलाया गया कि किस प्रकार वह भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक कुरीत को दूर कर सकते हैं। जनता से अपील की गई कि कठिनाई एवं आवश्यकता पड़ने पर वह इस विषय में कमेटी के सदस्यों के पास पहुंचा करें। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार के निवारण के लिये आवश्यक स्लाइट बनवाकर स्थानीय सिनेमा में प्रदर्शित की गयी।

सिंचाई एवं सार्वजनिक निर्माण विभागों में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये भी कमेटी ने निश्चय किया तथा इन विभागों से अपील की कि वह अपने ठेके सहकारी संस्थाओं को दें। विभिन्न इजलासों में हुए तथा कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कमेटी ने यह निश्चय किया है कि वहां पर वही ढंग अपनाया जावे जैसा कि दिवानी अदालतों में प्रचलित है जिसके द्वारा पक्षों को लिखित बयान तथा प्रार्थना-पत्रों की दो प्रतियां दाखिल करनी पड़ती हैं।

कलेक्टरेट के नक़ल विभाग में फैले हुए तथा कथित भ्रष्टाचार पर भी कमेटी ने प्रकाश डाला तथा यह निश्चित किया कि नकल विभाग के कार्याधिकारी का ध्यान आकर्षित करके यह अपील की जावे कि जरूरी दरख्वास्तों की नकल उसी दिन व मामूली दरख्वास्तों की नकल एक सप्ताह के अन्दर दे दी जावे।

कमेटी ने आगे यह निश्चित किया कि पत्रावलियों के साथ फैसले की अतिरिक्त प्रतियां सम्मिलित करने के विषय में जो कि सीधे इजलास द्वारा ही दी जा सकें, शासन के आदेश प्राप्त कर लिये जावें। कमेटी ने यह भी निश्चय किया कि इजलासों के लिये निम्नांकित समय का निर्धारण कर दिया जावे--

(१) फैसले ११ बजे सुनाये जावें।

(२) जमानत (बेल) का प्रार्थना-पत्र ११-१५ बजे लिया जावे।

(३) पब्लिक प्रासीक्यूटर प्रार्थना-पत्र को अपनी रिपोर्ट के साथ २ बजे प्रस्तुत करें।

(४) जमानत (बेल) का आदेश जेल में ३—३० बजे तक पहुंच जावे।

इसके अतिरिक्त एस० पी० महोदय से प्रार्थना की जावे कि वह ऐसे मामलों की जांच करे जिसमें कि पुलिस उन मामलों में जमानत (बेल) नहीं लेती जिनमें कि वह ले सकती है।

कमेटी की दूसरी बैठक दिनांक ३—३—१९५६ को हुई जिसमें कि यह निश्चय किया गया कि जिले में होने वाले सरावन के मेले में दिनांक १८—३—५६ को भ्रष्टाचार निरोधक सम्मेलन किया जावे जिसमें कि यह सामाजिक कुरीति तथा उसको दूर करने के उपायों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला जावे।

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३० पर)

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड जेवर, बुलन्दशहर में सन् १९५६–५७ में प्रगति

क्रम-संख्या	कार्य जो सम्पन्न हुये	१९५६–५७ की पूर्ति
१	गन्ना जोटा गया (मन)	१,६६९
२	रासायनिक खाद जोटी (मन)	१,१५५
३	यंत्र जो बांटे गये	४७
४	प्रदर्शन जो किये गये	२४३
५	सब्जी के लिये बढ़ाया गया क्षेत्रफल (एकड़)	१२९
६	सांड वितरित किये गये	५
७	सांड वधिया किये गये	६
८	पशुओं के टीका लगाया गया	२,५८७
९	पशुओं की चिकित्सा	५९१
१०	पक्षी वितरित किये गये	२
११	पशु-प्रदर्शनी तथा मेले	२
१२	नई सहकारी समितियां बनाई गईं	४
१३	नये मेम्बर बनाये गये	२०८
१४	हिस्सा जो उगाहा गया (रु०)	१,८६२
१५	कर्जा वितरित किया गया (रु०)	११,८००
१६	कर्जा वसूल किया गया (रु०)	६७८
१७	पानी पीने के नये कुयें बनाये गये	२
१८	कुओं का सुधार किया गया	१८
१९	हैन्ड पम्प जो लगाये गये	९
२०	नालियां पक्की की गईं (गजों में)	१,०९६
२१	गलियां पक्की की गईं (गजों में)	५४९
२२	पानी सोखने के गड्ढे बनाये गये	२९
२३	सामूहिक मनोरंजन जो हुये	७०
२४	दंगल अथवा खेल	१
२५	कच्ची सड़क बनी (मीलों में)	३७ मील ५ फ०
२६	कच्ची सड़क का सुधार हुआ	४ मील ४ फ०
	जनता का अनुदान	
	श्रम० (रु०)	५२९
	नकद व अन्य	७५०
	योग	१,२७९

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—९० एल० ए०—१९५७—७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २ अगस्त, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३१८)

अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अशफाक अली खां, श्री
असगर अली खां, कुंवर
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द, श्री उपनाम कमल
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री

चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जंगबहादुरसिंह बिष्ट, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्भरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री

भगवतीप्रसाद दुबे श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगवतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री

राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री

लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शमशुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवती देवी रावल श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरत चन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवती नन्दनबहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोटः—माल उपमंत्री श्री परमात्मानन्दसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २ अगस्त, १९५७

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

जिला पंचायत कार्यालय, आजमगढ़ में हुये गबन की जांच की मांग

**१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वशासन मन्त्री जिला पंचायत कार्यालय, आजमगढ़ के हिसाब की जांच के सम्बन्ध में २३—७—५७ के प्रश्न संख्या ४६ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि लेखा सम्बन्धी अनियमितताओं से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आजमगढ़ जिले से हटा कर शीघ्रातिशीघ्र जांच करा लेने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है ?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—जिला आजमगढ़ के तत्कालीन जिलाधीश, जिला पंचायत अधिकारी तथा सहायक जिला पंचायत अधिकारी के स्थानान्तरित हो चुके हैं और एकाउन्टेंट जनरल, उत्तर प्रदेश द्वारा जांच की व्यवस्था की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस गबन से सम्बन्धित जो सहायक लिपिक और प्रधान लिपिक हैं उनका तबादला या मुअत्तली क्यों नहीं की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—माननीय सदस्य ने जिन लोगों की बात पूछी है उनके तबादले की बात विचाराधीन है।

श्री गौरीशंकरराय (जिला बलिया)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि असिस्टेंट पंचायत आफिसर ने गबन की सूचना दी थी और अब उसका भी तबादला हो गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—तबादला उस पंचायत अधिकारी का गबन के कारण से नहीं हुआ था, वह तो वैसे हुआ ही करते हैं। बाकी इस मामले में जांच हो रही है और जो सम्बन्धित लोग अपराधी पाये जायंगे उनको सजा दी जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि जितने अधिकारियों का तबादला हुआ है उनका इस गबन से सम्बन्ध नहीं था ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस सम्बन्ध में अभी तमाम एकाउन्ट्स एकाउन्टेंट जनरल के विचाराधीन हैं और अभी नहीं कहा जा सकता कि किन किन लोगों का सम्बन्ध गबन से है और सही हाल रिपोर्ट आने पर ही मालूम हो सकता है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी विकास आयोग के असिस्टेंट एकाउन्टेंट की जांच की रिपोर्ट सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—न अभी जांच हुई है, न रिपोर्ट आई है, जब वह आजाये तभी बताया जा सकता है।

सचिवालय के न्याय विभाग में छटनी

**२—श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी सचिवालय के न्याय विभाग (ख) में कुछ कर्मचारियों की छटनी होने वाली है ? यदि हां, तो कितने किर्मचारी हटाये जाने वाले हैं और क्यों ?

न्याय उप मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--जी हां--१८ लोअर श्रेणी (डिवीजन) के अस्थायी कर्मचारी १ अगस्त से कम किये गये हैं। इसका कारण यह है कि सिविल प्रोसीजर कोड की धारा ८० के अधीन नोटिसों से संबद्ध काम तथा २,५०० रु० तक के वादों का Defence and compromise का अधिकार विभागाध्यक्षों को हस्तान्तरित कर दिया गया है तथा रिट प्रार्थना-पत्रों से संबद्ध काम सचिवालय में प्रशासकीय विभागों को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि अभी कल एक प्रश्न का उत्तर देते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया था कि कोई भी व्यक्ति रिट्रेन्च नहीं होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह तो कुछ अस्थायी कर्मचारी थे और उन लोगों को जिनका अब काम ही नहीं रह गया, उनको कम करना ही पड़ा।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह कार्य कितने विभागों में बट गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--वह जैसा कि मैंने उत्तर में कहा था कि धारा ८० के अधीन जो सरकार को नोटिस मिलते हैं, तो वह जिस विभाग का नोटिस होता है उस के सुपुर्द कर दिया गया और जो २,५०० रुपए के सूट है वह जिस विभाग से सम्बन्धित हैं वे सूट भी उसको दे दिये गये और कुछ रिट्स भी इसी प्रकार सम्बन्धित विभागों को बांट दिये गये।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों को निकाल दिया गया है क्या उनके लिये आगे सरकार कुछ काम देने की बात सोच रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यदि आगे कहीं कोई काम होगा तो नियमित रूप से आवेदन-पत्र आने पर विचार किया जायगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि निकाले हुये लोगों में कितने-कितने चपरासी और क्लर्क हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मेरे पास अलग-अलग सूची नहीं है, इसके लिए नोटिस चाहिये।

दिल्ली में 'एडवोकेट आन रेकार्ड' के कार्यालय तथा आवास-गृह की योजना

**३--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या सुप्रीम कोर्ट में प्रादेशिक सरकार के मुकदमों की देख-रेख के लिये कोई "एडवोकेट आन रेकार्ड" रहता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां।

**४--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिल्ली में "एडवोकेट आन रेकार्ड" के रहने की व्यवस्था के लिये राज्य सरकार कोई जमीन खरीद रही है ? यदि हां, तो उसकी क्या लागत है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--दिल्ली में "एडवोकेट आन रेकार्ड" का कार्यालय स्थापित करने के लिये २,४३,७५० रु० की लागत पर एक जमीन खरीदने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। जब जमीन मिल जायेगी तो उस पर ऐसी इमारत बनाने का विचार है जिसमें 'एडवोकेट आन रेकार्ड' का सरकारी कार्यालय स्थापित होने के अतिरिक्त उनके रहने की और जब एडवोकेट जनरल मुकदमों के सिलसिले में दिल्ली जायं तो उनके ठहरने की भी व्यवस्था हो सके।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी——क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस जमीन पर जो कार्यालय और आवास गृह बनेगा उसकी तखमीनन लागत क्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य——अभी तो केवल जमीन के मूल्य को आंका गया है और वह करीब जैसा मैंने कहा २ लाख ४३ हजार ७५० रु० है ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)——क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस जमीन का रकबा कितना है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—— .६३ एकड़ ।

श्री प्रतापसिंह——क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अभी तक ऐडवोकेट आन रेकार्ड के रहने की क्या व्यवस्था है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य——अभी तक वह वहां रहते थे और उनको जो फीस दी जाती थी उसमें जो उनका विभाग था, उसका खर्चा भी उसमें सम्मिलित था । ऐसा खयाल किया जाता है कि यदि ऐडवोकेट आन रेकार्ड का एक अलग कार्यालय राज्य की ओर से होगा तो सस्ता पड़ेगा ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)——क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो भूमि ऐडवोकेट आन रेकार्ड के दफ्तर के लिये ली जा रही है यह भारत सरकार से ली जा रही है या प्राइवेट निगोशियेशन्स के द्वारा ली जा रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य——इसके लिये नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी । शायद भारत सरकार से ही ली जा रही है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी——क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस जमीन के सम्बन्ध में वर्तमान वित्तीय वर्ष में केवल १०० रु० की ही मांग की गई है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण रुपये की मांग क्यों नहीं की गई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य——अभी तो उसका सौदा पूरा हुआ नहीं और ऐसा खयाल है कि शायद हो जायगा । चूंकि पूरा अन्दाजा नहीं है इसलिये केवल १०० रु० रखा गया है । अब जो भी अधिक खर्चा होगा तो और व्यवस्था की जायगी ।

प्रश्नों के उत्तर एक दिन पूर्व न मिलने की शिकायत

श्री रामसिंह चौहान (जिला आगरा)——अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्नों के सम्बन्ध में एक बात कहना है । नियमावली के अनुसार हमको लिखित प्रश्नोत्तर एक दिन पहले मिल जाने चाहियें । जो नहीं मिलते जिससे बड़ी दिक्कत होती है । यहां तक कि कार्यक्रम भी ९, १० बजे के करीब मिलता है ।

श्री अध्यक्ष——आपको इसका जवाब नहीं मिला । क्या यह आपका प्रश्न है ?

श्री रामसिंह चौहान——मेरा प्रश्न तो नहीं है । लेकिन मेरा सवाल है कि नहीं मिलते, तो हम तैयारी कैसे कर सकेंगे । नियमावली के अनुसार एक दिन पहले मिल जाने चाहियें ।

श्री अध्यक्ष——मैं समझता हूं कि करीब-करीब सबको मिल जाते हैं

श्री देवनारायण भारतीय——एक दिन पहले कभी नहीं मिलते ।

श्री अध्यक्ष——अच्छा तो जब आपका प्रश्न आयेगा तो बताइयेगा ।

एटा जिले में पुराने थानेदार

**५--श्री भूपकिशोर (जिला एटा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में ऐसे कितने पुलिस थानेदार हैं जो एक स्थान पर पांच साल से अधिक समय से तैनात हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--एटा जिले में ऐसा कोई थानेदार नहीं है।

नगरपालिका, बस्ती में चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

**६--श्री रामलाल (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका बस्ती के चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां।

श्री रामलाल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती नगरपालिका की कुव्यवस्था को देखते हुए उस पर शीघ्र से शीघ्र निर्णय देने की कृपा करेंगे ?

स्वशासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--जी हां, बहुत जल्दी देंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वशासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती नगरपालिका, के अध्यक्ष के विरुद्ध कब अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ था ?

श्री रामस्वरूप यादव--१३ जुलाई, १९५७ को अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ था।

नगरपालिका, बस्ती को अधिक्रांत करने पर विचार

**७--श्री रामलाल--क्या सरकार बस्ती नगरपालिका को अधिक्रांत (Supersede) करने का विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह मामला अभी विचाराधीन है।

मुजफ्फरनगर जिले में अति वृष्टि

**८--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर), श्री राजेन्द्रदत्त (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर में प्रारम्भ जुलाई, १९५७ से अभी तक कितने इंच वर्षा हो चुकी है ?

माल उपमंत्री (श्री परमात्मानन्दसिंह)--जिला मुजफ्फरनगर में १ जुलाई से २३ जुलाई, १९५७ तक १०.७६ इंच औसतन वर्षा हो चुकी है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय माल मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि तहसील जानसठ में अतिवृष्टि के कारण तहसील के पास की सड़कों पर तीन-तीन फुट पानी रहा और उस क्षेत्र की तमाम फसल बरबाद हो गई ?

श्री परमात्मानन्दसिंह--इसकी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माल मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अभी हाल में जो यमुना नदी में बाढ़ आयी थी तो उससे मुजफ्फरनगर जिले के जो गांव यमुना के किनारे पर हैं उन गांवों को नुकसान पहुंचा है ?

श्री परमात्मानन्दसिंह--माननीय सदस्य का प्रश्न तो वर्षा के विषय में था। यदि बाढ़ इत्यादि के विषय में कोई प्रश्न करना चाहें तो फिर से सवाल भेज दें।

अंग्रेजी के स्थान हिन्दी को देने के लिये कार्य

*६—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि विदेशी भाषा अंग्रेजी को समाप्त करने के लिये अब तक इधर सरकार ने क्या क्या कार्यवाहियां की है और निकट भविष्य में इसके वास्ते क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अंग्रेजी के स्थान में हिन्दी भाषा के प्रयोग के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों का संक्षिप्त ब्योरा राजाज्ञा संख्या ११८७८ २-१०० २२,-१६५५, दिनांक १ दिसम्बर, १६५५ में दिया गया है जिसकी प्रति मेज पर रख दी गई है। हिन्दी में "निर्देशिका" को भी, जिसका कि उक्त राजाज्ञा में उल्लेख है, एक प्रति मेज पर रख दी गई है। इसमें हिन्दी की प्रगति के संबंध में सविस्तार चर्चा की गई है।

इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में हिन्दी की प्रगति बढ़ाने के उद्देश्य से दो पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं—

(१) 'सामान्य अंग्रेजी वाक्यांशों के हिन्दी पर्याय", और

(२) 'उत्तर प्रदेश प्रशासन शब्दावली (संख्या १)' इनकी भी एक एक प्रति मेज पर रख दी गई है।

यह भी आदेश दिये गये हैं कि विभिन्न कार्यालयों में टिप्पणियों, पत्र-व्यवहार इत्यादि में अधिकारीय पदनामों के हिन्दी पर्यायों और विभागों के हिन्दी नामों का ही प्रयोग किया जाय चाहे टिप्पणी अथवा आदेश अंग्रेजी में ही लिखना हो। परिपत्र संख्या ४७२०/२—१६५७, दिनांक २७ जुलाई, १६५७ की, जिसमें यह आदेश दिये गये हैं और पदनामों के निर्धारित हिन्दी पर्याय दिये गये हैं, एक प्रति मेज पर रख दी गई है।

हिन्दी की ओर अधिक प्रगति के लिये निकट भविष्य में क्या कार्यवाही की जाय इस पर भारत सरकार द्वारा गठित राजभाषा आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने पर निर्णय किया जायगा।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ १६५—१८१ पर)

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार अंग्रेजी को हतोत्साह करने और हिन्दी जो राज्य-भाषा है उसको उत्साहित करने के लिये राज्य की विज्ञप्तियां और दूसरे विज्ञापन अंग्रेजी अखबारों को न देकर हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषा के अखबारों को देने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी गई है उससे ही विदित होगा कि अब हिन्दी अखबारों को ८० प्रतिशत विज्ञापन दिये जाते हैं और अंग्रेजी के अखबारों को २० प्रतिशत। अनेक कारणों से अंग्रेजी में विज्ञापन एकाएक बन्द कर देना उचित नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी के साथ-साथ उर्दू के प्रयोग को भी स्वीकार करती है ?

श्री अध्यक्ष—यह इससे पैदा नहीं होता। अंग्रेजी और हिन्दी का ही मूल सवाल है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार सचिवालय के सभी काम और गजट के सभी आदेशों व विज्ञापनों को हिन्दी में कराती है और यदि नहीं, तो क्यों नहीं, और यदि हां, तो क्या-क्या ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिस राजाज्ञा का जिक्र है वह ७ पेज में है और उसमें २०० आइटम्स हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि अंग्रेजी में जो प्रकाशन होता है उसमे पाठ्य सामग्री ज्यादा होती है बनिस्बत हिन्दी के और इस वक्त जो लेबर रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसके आधार पर क्या यह सही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस वक्त हमारे सामने लेबर रिपोर्ट नहीं है, इसके लिये मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं यह समझता हूं कि जो अंग्रेजी मे होता होगा वही हिन्दी में होता होगा, लेकिन यह हो सकता है कि किस प्रकार के पाठकों के सामने यह चीज जाने वाली है, उसको देखते हुये कुछ चीजें जो हिन्दी में होती है वे अंग्रेजी में नहीं होतीं और कुछ चीजें जो अंग्रेजी में होती हैं वे हिन्दी मे नहीं होतीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी राज्य के सरकारी गजट में कई विज्ञप्तियों की रिपोर्ट अंग्रेजी में प्रकाशित होती है, उस संबंध मे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक मैं समझता हूं प्रायः सभी चीजों की रिपोर्ट हिन्दी मे निकलती हैं। मुमकिन है कुछ चीजों की रिपोर्ट अंग्रेजी में निकलती हो और हिन्दी में न निकलती हो।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)---क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हिन्दी को अपनाने में सम्पूर्णतया कितने दिन लगेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसका ठीक ठीक उत्तर देना मुश्किल है। इसलिये कि हिन्दी को सम्पूर्णतया अपनाने के मामले में हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कुछ मामलों में हम भारत सरकार के निर्णयों के साथ बंधे हुये हैं।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सही है कि जो राजाज्ञा सरकार ने दी है टिप्पणी आदि लिखने के संबंध में, उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं होता ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इतना ही मैं कह सकता हूं कि हम लोग इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि पालन हो। इसीलिये जो सूचना दी गई है उसमें लिखा है कि हर डिस्ट्रिक्ट को पहली जनवरी और पहली जुलाई को रिपोर्ट भेजना चाहिये कि जो राजाज्ञा दी गई है उसका कहां तक पालन हुआ है। लेकिन इतना बड़ा हमारा राज्य है मुमकिन कहीं पालन न होता हो।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री को मालूम है कि प्रायः सभी जिलाधीशों के दफ्तर में अधिकतर अंग्रेजी में लिखा-पढ़ी होती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुमकिन है न करते हों, क्योंकि अभी नई चीज है। दिसम्बर १९५५, से ही तो यह चीज शुरू हुई है। हो सकता है कि उनके संभालने में और इधर से उधर बदलने में कुछ समय लगे।

तारांकित प्रश्न

*१---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---[इस प्रश्न का उत्तर ३० जुलाई, १९५७ को प्रश्न संख्या १०३ के अन्तर्गत दिया गया।]

*२---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---[इस प्रश्न का उत्तर ३० जुलाई, १९५७ को प्रश्न संख्या १४ के अन्तर्गत दिया गया।]

झांसी में चेचक का प्रकोप

*३—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि आजकल झांसी शहर में चेचक का बहुत ज्यादा प्रकोप है? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य उपमंत्री (डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी)—जी हां, झांसी शहर में मार्च तथा अप्रैल के महीने में चेचक की बीमारी फैली हुई थी। इस रोग की रोकथाम का उचित प्रबन्ध करने के बाद बीमारी शनैः-शनैः कम होती गई, उसका प्रकोप अब नहीं है। इस रोग के फैलने का कारण यह है कि समाज में बिना टीका लगे हुये या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ३ से ५ वर्ष के समय के अन्तर्गत इस रोग का टीका पुनः न लगवाया हो।

*४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत व इस महीने (मार्च-अप्रैल, १९५७) में वहां चेचक के कितने केस हुये और उससे कितनी मौतें हुई?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—झांसी नगर में मार्च के महीने में ३० व्यक्ति चेचक से बीमार पड़े तथा ५ व्यक्तियों की मृत्यु हुई। अप्रैल माह में ४० व्यक्तियों के बीमार पड़ने की सूचना प्राप्त हुई है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी इस बात का पता लगाने की कृपा करेंगे कि वहां पर चेचक के विशेष प्रकोप होने का मुख्य कारण यह है कि वेक्सीनेटर लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, इसीलिये वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सके?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—जब हमारे मित्र खुद जानते हैं तो मुझे बताने को कोई बात मालूम नहीं होती, अगर वह ठीक है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने फिर इस संबंध में क्या कार्यवाही की?

श्री हुकुमसिंह विसेन—टीके लगवाये हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने वेक्सीनेटरों के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उनके खिलाफ मुझे कोई शिकायत नहीं मिली। ऐक्शन लेने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य के प्रश्न को सूचना मानते हुये अब कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नहीं, नया नोटिस आना चाहिये।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं, उनका आधार क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिले से आँकड़े आये हैं, वही आधार है।

नैनी इंडस्ट्रियल कालोनी के उद्योगपतियों को ऋण

*५—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के नैनी इंडस्ट्री एरिया में कितने कारखाने इस समय तक चल रहे हैं और उन कारखानों को सरकार की ओर से कौन-कौन रूप में और किस प्रकार की सहायता दी गई है?

कृषि मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—सहायता तथा पुनर्वासन विभाग द्वारा स्थापित नैनी इंडस्ट्रियल कालोनी में इस समय चौदह कारखाने चल रहे हैं और इन कारखानों के स्वामियों को इमारत बनाने के लिये कोयले, सीमेंट और लोहे के परमिट दिये गये और कच्चे माल के लिये आवश्यकतानुसार लोहा तथा कोयले के कोटे भी संबंधित उद्योगपतियों को दिये गये तथा उनमें से छः को ऋण के रूप में भी सहायता दी गई है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जिन उद्योगपतियों को ऋण दिया गया है, उन्होंने कितने कारखाने खोले हैं ?

†श्री हुकुमसिंह विसेन—एक व्यक्ति ने ताला, एक ने सुर्खी और चूना, एक ने चना और एक ने स्याही बनाने की फैक्ट्रियां व एक ने साइकिल चक्की व चरखी कातने की मशीन व एक ने दुग्धशाला खोली है। इस प्रकार ६ कारखाने इन व्यक्तियों ने खोले हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—मैं श्रीमन्, पूछ रहा था कि जिन उद्योगपतियों ने कर्ज लिया है उनके नाम क्या हैं और उन . . . .

†श्री हुकुमसिंह विसेन—नाम पहले पूछे नहीं गये थे, अब पूछे गये हैं। मैं बता रहा हूं :

(१) श्री ... इंडिया ट्रेडिंग कम्पनी, (२) श्री लिप्टन लिमिटेड, (३) श्री राधा कृष्ण रोचूमल भगवानदास, (४) श्री घनश्याम लाल (५) श्री भगवान दास हरीचन्द व (६) श्री ... । इनके अतिरिक्त सर्व श्री आ० पी० भाटिया, मंगलसेन नारंग, नेकराम, तेजभान शर्मा, प्रेमनाथ मदनलाल, बी० डी० भंडारी तथा प्यारे लाल गुप्त को भी ऋण दिये गये पर उन्होंने कोई उद्योग नहीं स्थापित किए।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल स्टेट में लिप्टन वालों ने मिश्रण शुरू किया है, तो क्या इंडस्ट्रियल स्टेट बनने से पहले यह कार्य नहीं हो रहा था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पहले वहां पर यह इंडस्ट्री नहीं थी जहां पर यह किया गया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि वहां पर इंडस्ट्रियल स्टेट बनने से पहले लिप्टन चाय के मिश्रण का कारखाना पहले से बना हुआ था ?

†श्री हुकुमसिंह विसेन—शायद माननीय सदस्य का आशय उस इंडस्ट्रियल स्टेट से है जो हमारे उद्योग विभाग के सहयोग से भारत सरकार ने स्थापित की है। यह स्टेट पुनर्वास विभाग की नहीं है और लिप्टन का कारखाना इस स्टेट से पहले का बना है। परन्तु यह कारखाना पुनर्वास विभाग द्वारा स्थापित औद्योगिक नगरी में स्थित है और इस नगरी के स्थापित होने के बाद बनाया गया।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिसके लिये कर्जा दिया गया, हकीकत में वहां वह चीज बन रही है, इसकी उन्होंने कभी जांच की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बन तो रही है यदि शक होता तो जांच करता।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—श्रीमन्, मैं यह पूछ रहा था कि किन छः उद्योगपतियों को कर्जा दिया गया है ?

†श्री हुकुमसिंह विसेन—यह मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—श्रीमन्, मैं ६ उद्योगपतियों के नाम पूछ रहा था, परन्तु मंत्री जी ने पहले और नाम बताये और अब दूसरे नाम बताये हैं तो पता नहीं कौन से ठीक है। यदि वह स्पष्ट कर दें तो ठीक होगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—नाम तो दोनों लिस्टों के ठीक हैं।

---

† २६ अगस्त, १९५७ को दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्वदेशी काटन मिल पर विशेष कृपा क्यों हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--केंद्रीय सरकार से पार्लियामेंट के किसी मेंबर के जरिये पूछवा लीजिये ।

राजकीय गोसदनों पर व्यय

*६--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्रदेश में किन जिलों में गो सदन खोले गये हैं और उन सदनों पर सरकार का कितना प्रत्येक वर्ष व्यय होता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--अब तक राज्य में दो राजकीय गोसदन, एक गरजिया सोत, जिला नैनीताल में, दूसरा मलगवां, जिला इटावा, में खोले गये हैं और इन पर प्रतिवर्ष खर्च का ब्योरा संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १८२ पर)

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो गो-सदनों को धनराशि दी जाती है इसमें इटावा जिले के मलगवां गो-सदन को कितनी दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वह तो राजकीय है ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले में जो गो-सदन है उसमें प्रति वर्ष कितना खर्च होता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--राजकीय गो-सदन गरजियासोत, जिला नैनीताल तथा मलगवां जिला इटावा पर वार्षिक धनराशि का व्यय निम्नलिखित हुआ--

सन्			रु०	आ०	पा०
१९५२-५३	..	..	७२,८१७	२	६
१९५३-५४	..	..	५४,१७३	१३	३
१९५४-५५	..	..	३८,८१४	११	३
१९५५-५६	..	..	४९,५२८	१३	६
१९५६-५७	..	..	५३,११८	१२	३

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो डेढ़ रुपया प्रति पशु दिया जाता है, उसमें कितना केन्द्रीय सरकार का और कितना प्रदेशीय सरकार का अनुदान होता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

मंझरा फार्म, जिला खीरी में सरकारी गन्ने की चोरी

*७--श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)--क्या यह सत्य है कि मंझरा फार्म, जिला खीरी में दो वर्ष पहले कोई सरकारी गन्ना चुरा कर बेचने की घटना हुई थी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां ।

*८--श्री जगन्नाथप्रसाद--यदि यह सत्य है, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इसमें कौन-कौन व्यक्ति अभियुक्त थे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य——उक्त घटना में निम्नलिखित तीन कर्मचारी अभियुक्त थे:——

१——श्री कृष्ण दयाल, ट्रक ड्राइवर ।
२——श्री सीताराम प्रजापति, गोदाम कीपर ।
३——श्री फिरंगी, ट्रक क्लीनर ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद——क्या यह सही है कि इसमें अदालत से सभी अभियुक्त बरी हो गये ?

श्री हुकुम सिंह विसेन——जी हां, बरी हो गये ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद——क्या ये सभी मुलाजिमान रिइंस्टेट हो गये हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन——कुछ हुए हैं । जो ड्राइवर्स हैं उनका जजमेंट मंगवाया है यह देखने के लिये कि उनके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल ऐक्शन लिया जा सकता है या नहीं ?

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)——क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस जजमेंट में इनके अलावा किसी और को अभियुक्त करार दिया है, जज ने ?

श्री हुकुमसिंह विसेन——जजमेंट की कापी मैंने मंगाई है, देख लूं तो बता सकता हूं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा——क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गन्ना चोरी हो रहा था, वह कितने मन था और किस फैक्ट्री में ले जाया जा रहा था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन——साढ़े चार ट्रक थे और एक गांव लालपुर है, वहां बेचने की कोशिश की जा रही थी ।

सरोजिनी नायडू अस्पताल आगरा में, रामपाल, लड़के को लड़की बनाने का प्रयोग

*९——श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी का रामगोपाल जो आगरा के सरोजिनी नायडू अस्पताल में है उसको लड़का से लड़की बनाने का आपरेशन द्वारा जो डाक्टरों का प्रयोग हो रहा था, क्या वह पूर्ण रूप से सफल रहा ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी——सरोजिनी नायडू अस्पताल में जिस लड़के का प्रवेश हुआ है उसका नाम रामपाल है । इस पर जो प्रयोग किया जा रहा है वह अभी प्रारम्भिक अवस्था में है । इस कारण प्रयोगों के परिणाम के संबंध में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं ।

श्री रामहेत सिंह——क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा पता चला है कि झांसी में अलग-अलग अस्पतालों में और कई ऐसे केस हैं, क्या वह इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि उनमें कितने पुरुष हैं जो कि स्त्री के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन——बरसाने में भी ऐसी शिकायत है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम——क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि लड़का बालिग है या नाबालिग ? और अगर नाबालिग है तो क्या उसके घर वालों से इसके लिये स्वीकृति ले ली गई है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन——१४, १५ साल की उमर का है ।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कहीं लड़की से लड़का बनाने का प्रयोग भी जारी है ?

(प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रयोग की सरकार को क्यों आवश्यकता हुई और इस पर कितना व्यय होगा ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--उस लड़के के फिजिकल डेवलपमेंट में कुछ ऐसा प्रतीत हुआ था कि स्त्रियों का ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है, लिहाजा यह जरूरत महसूस हुई और शायद उस लड़के ने भी महसूस किया होगा कि इस प्रकार का प्रयोग किया जाय और देखा जाय कि क्या बात है।

श्री शिव प्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसके वालदैन से इसकी इजाजत हासिल कर ली गई थी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--जहां तक मेरा खयाल है कि वालदैन ही उस लड़के को लाये थे।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि वह अस्पताल में किस समय दाखिल हुआ और अब तक कितना समय उसे हो चुका है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--वह ९ अप्रैल, १९५७ को दाखिल हुआ।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस लड़के की शादी हो गयी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--इस प्रयोग के बाद शादी तय होगी।

श्रीमती चन्द्रावती--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसकी सूचना किस आदमी से और कैसे मिली ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--आदमी का नाम नहीं बतला सकता।

कृषि फार्म, माधुरी कुण्ड के ट्रैक्टर

*१०--श्री रामहेत सिंह--क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि फार्म, माधुरी कुंड में ट्रैक्टरों की संख्या क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--कृषि फार्म माधुरी कुण्ड, मथुरा में ट्रैक्टरों की वर्तमान संख्या ७ है।

*११--श्री रामहेत सिंह--क्या सरकार इस योजना के बारे में विचार कर रही है जिससे कम रेट पर किसानों को भूमि सुधारने के लिये ट्रैक्टर मिल सके ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री रामहेत सिंह--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अधिक अन्न उपजाओ योजना के अनुसार खराब भूमि को सुधारा जाय, ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--ऐसी योजना बहुत है, लेकिन ट्रैक्टर वाली कोई योजना नहीं है। पहले एक योजना थी उसका बड़ा तल्ख तजुर्बा हुआ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कृषि फार्म माधुरी कुण्ड में ७ ट्रैक्टर की आवश्यकता है तो वह सब चालू हालत में है या उनमें कुछ बेकार भी है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---२ बेकार है ।

श्री देवनारायण भारतीय---कृषि फार्म माधुरी कुण्ड में जो ७ ट्रैक्टर हैं उनके जोतने के लिये कितनी भूमि है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---८०० एकड़ ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आपके कृषि एक्सपर्ट ने कभी आपको ऐसी बात बतलायी है कि १ ट्रैक्टर के ऊपर कितनी भूमि की आवश्यकता है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---२०० एकड़ ।

*१२-१३---**श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)**---[३ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ३-४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१४-१५---**श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)**---[प्रार्थना पर तीसरे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ८६-८७ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

*१६---**श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)**---[६ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १०१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

इटावा टी० बी० अस्पताल में शय्याओं को बढ़ाने की प्रार्थना

*१७---**श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)**---क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा टी० बी० अस्पताल में रोगियों के लिये कितने पलंग हैं ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी---२८ ।

*१८---**श्री मिहरबान सिंह**---क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा टी० बी० अस्पताल में १ जनवरी, १९५६ से ३१ मार्च, १९५७ तक रोगियों के दाखिला के लिये कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये और उनमें से कितने रोगियों को दाखिल किया गया है ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी--४९२ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और उनमें से ११८ रोगियों को दाखिल किया गया ।

श्री मिहरबान सिंह---क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इटावा के टी० बी० अस्पताल में इतनी गुंजायश है कि रोगियों के लिये और भी कुछ पलंग बढ़ाये जा सकें ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---यह हाल ही में बना है । इसमें देखा जायगा कि कुछ गुंजायश है या नहीं ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो २८ पलंग हैं इनमें कितने स्टूडेन्ट्स हैं, कितने टीचर्स और कितने सरकारी आदमियों के लिये रिजर्व हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--इनमें १८ आम जनता के लिये और १० विद्यार्थियों और टीचरों के लिये हैं ।

लखीमपुर में जूट गोदाम में आग लगने से क्षति

*१९--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को पता है कि ३०-४-५७ से दो-तीन दिन पहले लखीमपुर नगर में जूट के गोदाम में आग लग गई थी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--जी हां ।

*२०--श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)--यदि हां, तो कितनी क्षति हुई ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--लगभग ४३३ मन जूट रेशा जला था, लेकिन कुल स्टाक इंश्योर्ड होने के कारण आढ़तियों को कोई नुकसान नहीं हुआ । जूट गोदाम की इमारत को आग लगने से जो क्षति हुई, उसकी मरम्मत में लगभग ५,००० रु० व्यय होगा ।

*२१--श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)--क्या सरकार लखीमपुर में कोई जूट गोदाम बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--जी नहीं ।

गोपाल गोशाला बहजोई, जिला मुरादाबाद को प्रदत्त भूमि के अनुचित प्रयोग की शिकायत

२२--श्री बुद्धी सिंह (जिला मुरादाबाद)--क्या स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोपाल गो-शाला बहजोई, जिला मुरादाबाद को प्रदत्त भूमि के अनुचित उपयोग के सम्बन्ध में जिला अधिकारियों से शिकायतें की गई ? यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जी हां, शिकायत असत्य पाई गई ।

प्रतापगढ़ तथा सुल्तानपुर जिलों में नवीन हरिजन संस्थाओं को अनावर्तक अनुदान का न मिलना

*२३--श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला प्रतापगढ़ तथा सुल्तानपुर में गत वित्तीय वर्ष में किन-किन नवीन हरिजन संस्थाओं को अनावर्तक ग्रान्ट स्वीकृत हुई थी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--किसी नवीन संस्था को नहीं ।

पी० बी० कालेज, प्रतापगढ़ के हरिजन छात्रावास को सहायता देने का विचार

*२४--श्री राम किंकर (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि पी० बी० कालेज, प्रतापगढ़ में एक हरिजन छात्रावास (शम्भु छात्रावास) १५ अगस्त, १९५६ को खोला गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसको आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी ?

हरिजन सहायक राज्य-मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)--जी हां।

*२५--श्री नारायणदत्त तिवारी--[३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२६--श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--[२३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १०० के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

झांसी जिले के खेतिहर मजदूरों की दशा सुधारने के लिये प्रार्थना

*२७--श्री गज्जूराम (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि जिला झांसी तहसील ललितपुर, महरौनी में से लाखों खेतिहर मजदूर फसल काटने के लिये अन्य जिलों में प्रतिवर्ष चले जाते हैं ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)--इसका पता सरकार को नहीं है, परन्तु कुछ लोग इन तहसीलों से काम पर बाहर जरूर जाते हैं।

*२८--श्री गज्जूराम (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि खेतिहर मजदूरों की दशा सुधारने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वह क्या-क्या उपाय कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर--इस सब का विवरण योजना सम्बन्धी साहित्य में दिया हुआ है।

*२९-३०--श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)--[२३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १०१--१०२ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

सूती मिल मुरादाबाद को पुनः चालू करने की प्रार्थना

*३१--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि सूती मिल मुरादाबाद के बन्द रहने से हजारों परिवारों की जीविका समाप्त हो गई है ?

आचार्य जुगलकिशोर--यह मिल ३ अप्रैल, १९४९ को बन्द हुई थी और उस समय इसमें केवल ४३६ श्रमिक कार्य करते थे।

*३२--श्री महीलाल--क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह निकट भविष्य में मुरादाबाद की बन्द सूती मिल पुनः चालू करवाने का विचार रखते हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं।

लखीमपुर में सम्पूर्णानगर उपनिवेश में ली गयी जमीन का मुआवजा

*३३--श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर में सम्पूर्णानगर में सरकारी कृषि फार्म निर्माण करने में कितने ग्रामीणों की भूमि लेने का विचार है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--सम्पूर्णानगर उपनिवेश के निकट मौजा सिंघई खुर्द में सरकारी फार्म स्थापित करने के लिये केवल दो ग्रामीणों की भूमि प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार यह विचार करती है कि फार्म के लिये ली गई भूमि के बदले में दूसरी भूमि दी जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अगर जमीन मिल सकती है तो दी जायगी, नहीं तो कैश मुआवजा दिया जायगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार को मालूम है कि जहां सम्पूर्णानगर बसा है वहां सैकड़ों और हजारों एकड़ जमीन है जिसमें से किसानों को दी जा सकती है और फिर मुआवजे का सवाल क्यों पैदा होता है ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आपने उत्तर अच्छी तरह नहीं सुना है ।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुआवजा नक़द दिया जायगा या ४० साल वाले बान्ड्स में ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--४० साल वाले तो जमीदारों के लिये थे, काश्तकारों के लिये नहीं ।

श्री देवनारायण भारतीय--जिन किसानों की भूमि ली जा रही है, क्या उनके पास इसके अलावा और भी कोई भूमि है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--नोटिस की आवश्यकता है । हम केवल २१ एकड़ २ आदमियों से ले रहे हैं । मैं आप की आज्ञा से अब बतलाना चाहता हूं कि उनके पास काफ़ी जमीन है ।

खीरी जिले में मंझरा तथा अन्देशनगर कृषि फार्मों के आय-व्यय का लेखा

*३४--श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खीरी जिले में मंझरा तथा अन्देशनगर सरकारी कृषि फार्मों पर पिछले चार वर्षों में कितना सरकारी रुपया खर्च हुआ और प्रति वर्ष कितनी आमदनी हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--मंझरा तथा अन्देशनगर कृषि फार्मों की पिछले चार वर्षों की आय तथा व्यय का ब्योरा संलग्न सूची में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १८३ पर ।)

*३५--श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अन्देशनगर फार्म की भूमि के बीच से जाने वाली कच्ची सड़क क्यों बन्द कर दी गई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--फार्म के मध्य से होकर बाहर जाने के लिये कोई ऐसी सड़क नहीं है जो आम जनता के लिये खुली हो । उसके बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार इन आंकड़ों को देखते हुए यह बताने की कृपा करेगी कि गत ४ वर्षों में व्यय की अपेक्षा आय कम हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मंझरा फार्म में हुई है, अन्देशनगर में ऐसी बात नहीं है ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मंझरा फार्म में इससे पहले गन्ना ज्यादा होता था या गल्ला ज्यादा होता था और इस समय कौन सा ज्यादा हो रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--यह कमी होने का कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कारण यह है कि वहां पर २ सैक्शन है, उस फार्म मे। एक पशुपालन का और दूसरा खेती का। पशुपालन मे वहां की नस्ल खैरीगढ़ और तराई है जो जुताई मे अच्छा काम देती है। परन्तु दूध बिलकुल नहीं होता। इस नस्ल को कायम रखने की वजह से घाटा ज्यादा होता है। अब हम उनकी तादाद कम कर रहे हैं। इसके अलावा ४।। फीसदी सूद भी विकास के काम में आमदनी में से काटा जाता है। इससे भी नुक्सान होता है। मै आशा करता हूं कि आइन्दा ऐसा नुक्सान नहीं होगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कानपुर मेडिकल कालेज की स्थापना

*३६--श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश मे कितने मेडिकल कालेज खोलने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--केवल एक मेडिकल कालेज स्थापित करने का प्रबन्ध किया गया है। यह कालेज कानपुर मे स्थापित किया गया है।

राजकीय बीज भंडार के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनवाने की प्रार्थना

*३७--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सरकार सरकारी बीज भण्डार के कर्मचारियों व अधिकारियों के रहने के लिये क्वार्टर्स बनवाने की बात सोच रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी नहीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि बीज, खाद्य और खेती के औजार कम वितरित होने का कारण यह भी है कि क्वार्टर्स न होने के कारण अधिकारी बाहर रहते हैं और किसान लौट जाते है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसा तो नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--किन कारणों से क्वार्टर बनाने की बात नहीं सोची जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--धनाभाव के कारण।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या उनके रहने के लिये कुछ किराया दिया जाता है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--जी नहीं।

हमीरपुर जिले की मौदहा तहसील में वनगायों को पकड़वाने की योजना

*३८--श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार को मालूम है कि मौदहा तहसील, जिला हमीरपुर मे विदार परगने मे वन-गायों द्वारा फसल की हानि होती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां, सरकार को यह ज्ञात हुआ है कि कुछ जंगली गाये फसलों का नुक्सान कर रही है।

*३९--श्री रामगोपाल गुप्त--क्या सरकार को मालूम है कि इस इलाके के कुछ लोगों ने जिलाधीश हमीरपुर से इन वन-गायों को पकड़वाने की प्रार्थना की थी ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां, जंगली गायों को पकड़ने वाली पार्टी का पता तथा उनके खर्च का विवरण जानने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामगोपाल गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह कार्यवाही कब से हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कई महीने से।

श्री रामगोपाल गुप्त--क्या सरकार को मालूम है कि गांव वालों ने स्वयं बन्दरों को पकड़वाने का प्रयत्न किया था और रुपये की कमी के कारण जब वह पार्टी चली गई और जिलाधीश के पास गये तो उसने कोई वित्तीय सहायता देने की कृपा नहीं की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसकी सूचना मेरे तक नहीं पहुंची।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--सरकार बन्दरों को पकड़ कर कहां भेजती है या उनका क्या किया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वे पालतू हो जायेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा--अभी तक कितनी गायें पकड़ी जा चुकी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी तो शुरुआत नहीं हुई।

सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने का सुझाव

*४०--श्रीमती चन्द्रावती--क्या स्वास्थ्य मंत्री इस पर विचार करने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समस्त सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर दी जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--धनाभाव के कारण राज्य सरकार ने अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है और न यह प्रश्न उसके विचाराधीन ही है। परन्तु केन्द्रीय सरकार के सामने यह प्रश्न अवश्य विचाराधीन है। २६ जून, १९५७ ई० को All India Health Ministers Conference देहली में यह प्रश्न विचाराधीन था।

श्रीमती चन्द्रावती--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह जो धनाभाव का कारण है इसका कितना तखमीना है जो कि बजट को सहन करना होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ठीक तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन काफी बड़ी रकम है।

श्रीमती चन्द्रावती--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि २६ जून, सन् १९५७ को जो आल इंडिया हेल्थ मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस हुई थी उसमें अन्तिम निर्णय क्या हुआ था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हम लोगों की सम्मति से यह प्रस्ताव पास हुआ कि जो ज्यादती रकम सर्फ होगी, अगर उसको केन्द्रीय सरकार परमानेंट बेसिस पर बर्दाश्त करने के लिये तैयार हो तो हम लोगों को भी ऐसा करना स्वीकार है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी इसको सीमित क्षेत्र में प्रयोग करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी तो कब्ल-अज-वक्त वावेला है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--जो हेल्थ मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में प्रस्ताव पास हुआ था, उसका कोई उत्तर भारत सरकार ने दिया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी नहीं।

हरिद्वार में भिखारियों के लिए आश्रम तथा लखनऊ और गोरखपुर में अंधों के लिये स्कूल

*४१--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के बिना आय के अन्धे, लंगड़े बेकारों के लिये कोई योजना बनाने पर वह विचार कर रही है ?

*४२--यदि हां, तो कब तक ?

समाज कल्याण उपमंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)--सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हरिद्वार में भिखारियों के लिये गृह तथा लखनऊ व गोरखपुर में अंधों के लिये स्कूल स्थापित किया है।

श्री गणेशचन्द्र काछी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि स्कूल और मकानों के अतिरिक्त अंधे लंगड़े अपाहिजों के भरण-पोषण के लिये सरकार कुछ कर रही है या नहीं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--मैंने अपने उत्तर में घर नहीं कहा बल्कि आश्रम कहा था। सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हरिद्वार में भिखारियों के लिये आश्रम स्थापित किया है।

श्री गणेशचन्द्र काछी--इसके अलावा उनके खाने पीने के लिये सरकार कुछ कर रही है या नहीं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--जी नहीं।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस तरह से लूले, लंगड़े, अपाहिजों के लिये प्रत्येक जिले में कोई ऐसी संस्था स्थापित की गयी है जिसके आधार पर बेगर हाउसेज में रखे जायं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--जी नहीं।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस आश्रम में कितने लंगड़े और लूले इकट्ठे किये गये हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--पहले वर्ष में २५।

श्रीमती चन्द्रावती--क्या माननीय उप-मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि यह जो हरिद्वार में भिखारियों के लिये आश्रम खोला है उसमें भिखारियों की संख्या के आंकड़े क्या हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--यह आश्रम ७५ पुरुष और २५ स्त्रियों के लिये बनाया गया है। इस समय ३५ नर और नारियां सब मिलाकर हैं।

'भेड़िया बच्चा रामू' के सम्बन्ध में जानकारी

*४३--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि रामू (भेड़िया का बच्चा) जो लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में है उस पर अब तक कितना धन व्यय हुआ है और वह आज किस दशा में है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--करीब ३,००० रुपये। उसकी दशा अब पहले से बहुत अच्छी है। जो एक बालक को खाना चाहिये वह खाता है। बच्चों की तरह खेलता है तथा उसमें कुछ-कुछ मानवी गुण व्यक्त होने लगे हैं।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बच्चे को किस प्रकार की सोसाइटी दी जाती है जिससे इसमें मानवचित गुण उत्पन्न हो सकें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उसको आदमियों के बीच में रक्खा जाता है।

नोट--तारांकित प्रश्न ४३ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत चिकित्सालय भवन निर्माण योजना

*४४—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्रदेश में कितनी कितनी एलोपैथिक व आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां ऐसी हैं जिनके भवन अभी तक नहीं बने हैं ? क्या सरकार जिलवार इनकी संख्या सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रदेश में २५१ एलोपैथिक तथा ४७२ आयुर्वेदिक एवं यूनानी राजकीय चिकित्सालय ऐसे हैं जिनके निजी भवन नहीं हैं। जिलवार सूची बहुत लम्बी है। माननीय सदस्य उसको सचिवालय में देख सकते हैं।

*४५—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी डिस्पेंसरियों के भवन बनाने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१४२ डिस्पेंसरियों के।

*४६—श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ९२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

इलाहाबाद के नैनी इंडस्ट्रियल एरिया का उत्पादन

*४७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के नैनी इंडस्ट्री एरिया में कितने कारखानों में कौन-कौन सा सामान तैयार होता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सहायता तथा पुनर्वासन विभाग द्वारा स्थापित इलाहाबाद के नैनी इंडस्ट्रियल एरिया में इस समय १४ कारखानों में निम्न सामान तैयार होता है :—

ताले, साइकिल, साइकिल की गद्दी, स्टैन्ड तथा अन्य भाग, खेल का सामान, चाय का मिश्रण तथा बंडल (पैकेट) चूना और सुरखी, दवा, स्याही, आटा और करबी, साबुन, कृषि संबंधी यंत्र तथा तेल के कारखाने के पुरजे, तेल तथा इंजीनियरिंग का सामान, दूध का सामान, लकड़ी का सामान।

छात्रवृत्ति तथा नियुक्तियों में सुविधा पाने वाली पिछड़ी जातियां

*४८—श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शिक्षा विभाग में छात्रवृत्ति आदि सुविधायें देने के लिये किन-किन जातियों को पिछड़ी जातियों की सूची में समाविष्ट किया गया है ?

श्री मंगलाप्रसाद—आवश्यक सूचना संलग्न सूची "क" में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १८४ पर)

*४९—श्री जयराम वर्मा—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि नियुक्ति के लिये पिछड़ी जातियों की सूची में किन-किन जातियों को समाविष्ट किया गया है ?

श्री मंगला प्रसाद—संबंधित सूचना सूची "ख" में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १८५ पर)

हल्द्वानी शहर का अस्पताल

*५०—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि हल्द्वानी शहर का अस्पताल प्रांतीय स्तर का है ? यदि हां, तो उसमें कितने डाक्टर कम्पाउन्डर, नर्स व वार्ड हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, १ डाक्टर, ३ कम्पाउन्डर, ७ वार्ड याएज हैं। नर्स कोई भी नहीं है।

*५१—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६-५७ में कितने मरीजों का यहां इलाज हुआ ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—१९५६-५७ में ९१३ इनडोर और ३१,५९३ आउटडोर मरीजों का इलाज हुआ।

*५२—श्री प्रताप सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त अस्पताल में कितने बिस्तर हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—२४।

स्वास्थ्य मंत्री दान कोष में रखी हुई रकम का कबाल टाउन्स में वितरण

*५३—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ के बजट में स्वास्थ्य मंत्री कोष के लिये रखी गई धनराशि का वितरण किन नियमों के आधार पर और किन-किन व्यक्तियों तथा संस्थाओं को उक्त धनराशि में से कितनी-कितनी सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—(क) १९५६-५७ के बजट में स्वास्थ्य मंत्री के दान कोष के लिये रखी गई धनराशि का विवरण परिशिष्ट (क) में दिये गये नियमों के अनुसार किया गया है।

(ख) दान कोष में से जिन-जिन व्यक्तियों को जितनी सहायता दी गई है उनकी सूची इतनी लम्बी है कि उसे तैयार करके प्रस्तुत करने में बहुत श्रम तथा समय लगेगा। अतएव माननीय सदस्य चाहें तो इसका ब्यौरा कार्यालय में आकर देख सकते हैं।

(देखिये नत्थी 'च' पीछे पृष्ठ—१८६—पर।)

*५४—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त धनराशि में से कितना धन KABAL towns में अलग-अलग शहरों को दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त दान कोष में से KABAL towns में निम्न धनराशि अलग-अलग दी गई है:—

	रु०
कानपुर	६,३३०
आगरा	२,१७०
बनारस	१,८६०
इलाहाबाद	२,१९०
लखनऊ	३३,८७०
कुल ..	४४,४५०

हमीरपुर जिले की इमिलिया डिस्पेंसरी में डाक्टर का न होना

*५५—श्री रामगोपाल गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इमिलिया (हमीरपुर) के सरकारी अस्पताल में कब तक कोई डाक्टर भेज दिया जायगा ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—हमीरपुर जिले के इमिलिया डिस्पेन्सरी में डाक्टर भेजने का प्रबन्ध किया जा रहा है। शीघ्र ही पहुंच जावेगा।

*५६—श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—[१४ अगस्त, १९५७ के लिये स्थानान्तरित किया गया।]

मलगवां गोसदन, जिला इटावा में गायों के इलाज की व्यवस्था

*५७——श्री भुवनेशभूषण शर्मा——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मलगवां गोसदन जो जिला इटावा में है उसमें वित्तीय वर्ष १९५६–५७ में कितनी गायें बाहर से आईं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन——९०२ गायें बाहर से आईं।

*५८——श्री भुवनेशभूषण शर्मा——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त गोसदन में वित्तीय वर्ष १९५६–५७ में कितनी गायें मरी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन——७५६ गायें मरीं।

*५९——श्री भुवनेशभूषण शर्मा——क्या उक्त गोसदन में गायों के लिये बीमारी का इलाज करने की कोई व्यवस्था है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन——उक्त गोसदन में बीमार गायों का तुरन्त इलाज करने के वास्ते एक स्टाकमैन रहता है और आवश्यक दवाओं का भी समुचित प्रबन्ध है। इसके अतिरिक्त पास ही महेवा का पशु चिकित्सालय है जहां के विटरीनरी असिस्टेन्ट सर्जन की सेवायें आवश्यकतानुसार प्राप्त कर ली जाती हैं।

*६०——राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)——[२३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १०३ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*६१——श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)——[२३ अगस्त, १९५७ के प्रश्न संख्या १११ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

गोरखपुर जिले में गोसदन का न खुल सकना

*६२——श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने गोरखपुर जिले में कोई गोसदन खोलने की योजना बना रक्खी है ? यदि हां, तो वह अब तक क्यों नहीं खोला गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन——जी हां। गोरखपुर जिले में राज्य जिला तथा निजी तीनों प्रकार के गोसदन खोलने की योजना है परन्तु उपयुक्त भूमि के उपलब्ध न होने के कारण अभी तक कोई गोसदन नहीं खोला जा सका।

*६३——श्री केशव पांडेय——क्या सरकार को इस कार्य के लिये कुछ जमीन प्राप्त है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन——जी नहीं, अभी तक कोई उपयुक्त भूमि प्राप्त नहीं हो सकी।

गोंडा जिले के बभनीपायर परगने में चिकित्सालय का न होना

*६४——श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा, परगना बभनीपायर में कितने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी अस्पताल हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन——कोई अस्पताल नहीं है।

*६५——श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)——[२३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १०४ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

हरदोई जिले में डेरी खोलने के लिये तकावी

*६६--श्री मोहन लाल वर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में १९५० से १९५६ तक किन-किन व्यक्तियों को dairy खोलने के लिये कितनी-कितनी तकावी दी गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हरदोई जिले में सन् १९५० से १९५६ तक डेयरी खोलने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों को तकावी दी गई:--

वर्ष	नाम	धन जो ऋण रूप में दिया गया
		रु०
१९५२-५३	श्री प्रताप सिंह	८,०००
१९५४-५५	श्री नत्था सिंह	४,०००
१९५६-५७	श्री विभूति सिंह महेश सिंह ..	५,०००

*६७--श्री मोहन लाल वर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तकावी लेने वाले ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनकी Dairy इस समय चल रही है और उन Dairies में कितने-कितने और कौन-कौन जानवर हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--श्री प्रताप सिंह जिला हरदोई, डेयरी खोलने में असमर्थ रहे अतः उन्होंने सारा ८,००० रुपया जो दिया गया था एक ही किस्त में वापस कर दिया।

श्री नत्थासिंह, ग्राम ततूरा की डेरी में इस समय ५ भैंसे हैं।

सर्वश्री विभूति सिंह महेश सिंह ग्राम रूरा, को ५,००० रुपये इस वर्ष मार्च में दिये गये हैं जिसका उपयोग उन्होंने अभी डेरी खोलने के लिये पूर्ण रूप से नहीं किया है। आशा की जाती है कि वर्षा के बाद जब कि अच्छे पशु मिला करते हैं वे दुधारू पशु खरीदेंगे।

मोदीनगर कपड़ा मिल मजदूर संघ तथा चीनी मिल मजदूर सभा दौराला के रजिस्ट्रेशन का विचाराधीन मामला

*६८--श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मोदीनगर कपड़ा मिल मजदूर संघ तथा चीनी मिल मजदूर सभा दौराला के रजिस्ट्रेशन का मामला रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन, उत्तर प्रदेश के यहां विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से?

आचार्य जुगलकिशोर--(क) जी हां।

(ख) मोदीनगर कपड़ा मिल मजदूर संघ का तारीख ५-९-५६ से तथा चीनी मिल मजदूर सभा दौराला का २४-७-५६ से।

*६९--श्री गेंदासिंह--रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन, उत्तर प्रदेश के यहां इस समय कितने रजिस्ट्रेशन के मामले विचाराधीन हैं, और कब से?

आचार्य जुगल किशोर—(क) ५५।

(ख) इनका व्यौरा इस प्रकार है :—

फरवरी	१९५६	से	२
मार्च	,,	से	१
अप्रैल	,,	से	१
मई	,,	से	१
जुलाई	,,	से	२
अगस्त	,,	से	३
सितम्बर	,,	से	४
अक्टूबर	,,	से	१०
नवम्बर	,,	से	१
दिसम्बर	,,	से	३
जनवरी	१९५७	से	३
मार्च	,,	से	६
अप्रैल	,,	से	५
मई	,,	से	७
जून	,,	से	६
		योग ..	५५

बदायूं जिला हेल्थ आफिसर के कार्यालय के हेडक्लर्क का तबादला

*७०—श्री गोविंदसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला हेल्थ आफीसर के कार्यालय के हेड क्लर्कों का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले मे किया जाता है ? यदि हां, तो किस अवधि के बाद ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। परन्तु कोई अवधि निर्धारित नही है।

*७१—श्री गोविंदसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि बदायूं जिले के हेड क्लर्क लगभग ६ वर्ष से उसी स्थान पर है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जी हां। परन्तु अब उनके स्थानान्तरण के आदेश जारी हो चुके है।

रुई उत्पादन प्रचार पर वार्षिक व्यय

*७२—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में रुई उत्पादन प्रचार पर वार्षिक कितना व्यय होता है और किन-किन क्षेत्रों मे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—रुई उत्पादन प्रचार पर १२,५०० रु० वार्षिक बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर, बदायूं, रामपुर, नैनीताल, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर व मुरादाबाद जिलों के क्षेत्रों में व्यय होता है।

*७३—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रचार के लिये क्षेत्रों का चुनाव, किस आधार पर किया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्षेत्रों का चुनाव कपास उगाने वाली अच्छी जमीन की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

सेनेटरी इन्सपेक्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्तियों की नियुक्ति

*७४--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६-५७ में कितने व्यक्ति सेनीटरी इन्स्पेक्टर के ट्रेनिंग की परीक्षा में सफल हुये और उनमें से कितनों की नियुक्तियां हो गई हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सन् १९५६-५७ में सेनेटरी इन्सपेक्टर की परीक्षा में १४३ व्यक्ति सफल हुये। जिनमें से २ अभ्यर्थी पहले ही से नगरपालिकाओं में काम कर रहे हैं और तीन अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी हो चुके हैं।

*७५--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--[२३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*७६-७८--श्री बुलाकी राम--(जिला हरदोई)--[२३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १०६-१०८ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

बेरोजगारों की गणना की आवश्यकता

*७९--श्री अमरेशचन्द्र पांडेय--क्या सरकार ने प्रदेश में बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार लोगों की गणना कराई है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री हुकुम सिंह विसेन--(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*८०-८१--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--[२३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १०९-११० के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

स्टेट वैक्सीन इन्स्टीट्यूट पटवाडांगर से संबंधित शिकायत

*८२--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार के पास स्टेट वैक्सीन इन्स्टीटयूट पटवाडांगर नैनीताल बरेली के सीर इन्स्टीटयूट के पट्टे लेने के ठेकों के सम्बन्ध में इस वर्ष कोई शिकायत आई है? यदि हां, तो सरकार ने उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री हुकुम सिंह विसेन--सरकार के पास इस वर्ष सर्वश्री अब्दुल अजीज तुफैल अहमद, बरेली के द्वारा स्टेट वैक्सीन इन्स्टीटयूट पटवाडांगर में पड़वे लेने के सम्बन्ध में एक शिकायत आई थी। सरकार ने उसकी बाकायदा जांच कराई परन्तु शिकायतों के सर्वथा निर्मूल सिद्ध होने पर किसी अन्तिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई। सर्वश्री अब्दुल अजीज तुफैल अहमद को सरकार के इस निर्णय की सूचना संचालक, चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा दे दी गई हैं। बरेली के सीर इन्स्टीटयूट जो पशुपालन विभाग के नीचे हैं उसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई।

रासायनिक खादों को सस्ते भाव में देने का विचार

*८३--श्री राम स्वरूप वर्मा--क्या यू० पी० में प्रयोग में आने वाली रासायनिक खादों को और विशेषकर खली की खादों को सस्ते से सस्ते भाव में देने के लिये सरकार ने कोई उपाय सोचा है?

श्री हुकुमसिंह विसेन-- जी हां।

*८४--श्री राम स्वरूप वर्मा--क्या सरकार यू० पी० के बाहर भेजे जाने वाली खली पर कोई रोक लगाने वाली है?

श्री हुकुम सिंह विसेन--- जी नहीं। इस समय कोई ऐसा सुझाव नहीं है।

राज्य में इन्फ्लुएंजा से मृत्यु

*८५---श्री अमरेश चन्द्र पांडेय--- क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि नये किस्म के इन्फ्लुएञ्जा बुखार से हमारे प्रदेश में कितने आदमी १९५७ में पीड़ित हुए और उनमें से कितने आदमी मर गये।

श्री हुकुमसिंह विसेन--- यह बीमारी उत्तर प्रदेश में पहिली जून से शुरू हुई, तब से जुलाई २८ तक इन्फ्लुएञ्जा बुखार से उत्तर प्रदेश में १,४७,८४७ व्यक्ति ग्रसित हुये और उनमें से ३७ व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

आजमगढ़ जिला निरीक्षक के कार्यालय से हायर सेकेंडरी स्कूलों के पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*८६---श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)--- क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५६-५७ में आजमगढ़ जिले में पिछड़ी हुई जातियों के हायर सेकेंडरी स्कूलों के कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां आजमगढ़ जिला निरीक्षक के कार्यालय द्वारा प्रदान की गई?

श्री मंगलाप्रसाद--- ७१।

*८७---श्री विश्रामराय--- क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन छात्रवृत्तियों के वितरित करने का आधार क्या था?

श्री हुकुम सिंह विसेन--- (१) छात्रवृत्तियों के बांटने का आधार संचालक, हरिजन कल्याण द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार निर्धारित किये हुये आधार के अनुसार तथा जिला हरिजन सहायक उपसमिति की सलाह से जिला विद्यालय निरीक्षक गण अपने-अपने जिलों में इन छात्रवृत्तियों का निर्णय करते हैं।

(२) सन् १९५६-५७ में छात्रवृत्तियां पहले उन विद्यार्थियों को दी गईं जो पिछले वर्ष से छात्रवृत्तियां पा रहे थे तथा जिनकी प्रगति व चरित्र सन्तोषजनक थे। उसके बाद बची हुई छात्रवृत्तियां नए छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर दी गईं।

*८८-८९---श्री जगदीशशरण अग्रवाल---[२३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ९८-९९ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

मिडवाइफ के ट्रेनिंग सेंटर बढ़ाने का विचार

*९०---श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला वाराणसी)---क्या सरकार मिडवाइफों के ट्रेनिंग केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का विचार कर रही है?

श्री हुकुम सिंह विसेन--- जी हां।

अतारांकित प्रश्न

१-२---श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)---[१३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १-२ अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

भूतपूर्व अपराधशील जातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें

३---कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)--- क्या परिगणित जातियों के समान भूतपूर्व अपराधशील जातियों के विद्यार्थियों को भी शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त हैं?

श्री मंगलाप्रसाद--भूतपूर्व अपराधशील जातियों में से वह जातियां जो कि अनुसूचित जातियों में सम्मिलित हैं उनके विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी सभी सुविधायें प्राप्त हैं जो अन्य अनुसूचित जातियों के लिये हैं।

बलिया जिले में गेस्ट्रोइन्ट्राइटिस एवं हैजे से ५०० व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास श्री गौरीशंकर राय का एक कामरोको प्रस्ताव आया है। वह इस प्रकार है :--

"बलिया जिले में गैस्ट्रोइन्टाइटिस एवं हैजे से ५०० व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने से परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गयी है। इस आवश्यक एवं सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर विचार करने के लिये सदन आज का कार्य स्थगित करता है"।

यह स्पष्ट सा है कि कब से कब तक के समय में मरे कोई समय उसका दिया नहीं है दूसरी बात यह है कि बजट चल ही रहा है तो इस विषय पर चर्चा हो ही सकती है। मैं अनावश्यक और अनिश्चित होने के कारण इसकी इजाजत नहीं देता।

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या २२-लेखा शीर्षक ४०-उपनिवेशन

श्री अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव उपस्थित किया जायगा। माननीय माल मंत्री अनुदान संख्या २२ उपस्थित करेंगे जिसके लिये कल एक घंटा समय देने के लिये तय हुआ था। बाकी जो समय बचेगा उसमें और कल के दिन अनुदान संख्या २ पर विवाद होगा तो अनुदान संख्या २२ वे कृपा करके पेश करें।

*माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२-उपनिवेशन-लेखा शीर्षक ४०-कृषि के अन्तर्गत ७१,९६,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस मांग के जरिये जो ८ कालोनाइजेशन स्कीम्स हैं उनके लिये और दो स्टेट फार्म्स-तराई स्टेट फार्म और हेमपुर फार्म के लिये रुपया मांगा जा रहा है। ७१,९७,००० रुपये की कुल मांग है, उसमें से १५,७०,००० रुपये तो ६ पुरानी कालोनाइजेशन स्कीम्स-तराई कालोनाइजेशन स्कीम, काशीपुर कालोनाइजेशन स्कीम, ये दो तो नैनीताल जिले में हैं, और मनुनगर स्कीम रामपुर जिले में है, अफजलगढ़ बिजनौर जिले में है दूनागिरि योजना अलमोड़ा में है और गंगा खादर योजना हस्तिनापुर जिला मेरठ में है। जो सन् १९४८-४९ के लगभग शुरू हुई थी, के लिये होगा और बाकी ५६ सवा ५६ लाख रुपया हेमपुर स्टेट फार्म और तराई स्टेट फार्म तथा लखीमपुर खीरी स्कीम और पीलीभीत कालोनाइजेशन स्कीम के लिये मांगा जायगा। जो पुरानी ६ स्कीम्स हैं उनको ऐडमिनिस्टर करता है रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट और लखीमपुर खीरी और पीलीभीत स्कीम तथा तराई स्टेट और हेमपुर स्टेट फार्म ये चार स्कीम्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के अन्तर्गत हैं। लेकिन बजट की सहूलियत की वजह से चूंकि पहले ये सब ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के ही अन्तर्गत थे, इसलिये एक हेड के अन्तर्गत ही मूव कर रहा हूं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड के अन्दर जो पुरानी स्कीम्स हैं वे हैं, दो बड़ी-बड़ी कालोनाइजेशन स्कीम्स हैं लखीमपुर खीरी व पीलीभीत स्कीम। पीलीभीत की कालोनाइजेशन स्कीम वैसे ७७,००,००० रुपये की है लेकिन उसके लिये ८,१२,००० रुपया मांगा जा रहा है। लखीमपुर खीरी स्कीम के लिये कुल रकम ६९,००,००० रुपये हैं और इस पर काम शुरू भी हो चुका है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीसरी बात यह है कि पीलीभीत कालोनाइजेशन स्कीम जो सेकंड फाइव ईयर प्लान (second five year plan) में शामिल है, वहां ६७५ आदमियों को बसाने की योजना है। इस योजना पर ८–६ लाख रुपया पहले साल खर्च हुआ कुल ७७–७८ लाख का यह खर्च था। इसके बाद तराई स्टेट फार्म है जो १६ हजार एकड़ का फार्म है और यह देश का सब से बड़ा फार्म है, यह काफी दिनों से चल रहा है और इस में केवल खेती ही नहीं बल्कि बागात, हार्टिकल्चर पोल्ट्री फार्मिंग फिशरीज का भी काम है। मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि केवल १ घंटा ही उसके लिये है। मेरे पास इन तमाम स्कीम्स के आंकड़े बहुत तफसील से मौजूद हैं। जो पुरानी ६ स्कीम्स हैं उनमें १,६०,३०६ एकड़ जमीन रिक्लेम की जा रही है, जिसके अन्तर्गत १०६ नये गांव स्थापित किये गये हैं, ६,१५७ खानदानों को बसाया गया है और २०६ कोआपरेटिव सोसाइटीज़ कायम हुई हैं। एन्टी मलेरिया यूनिट्स भी कायम किये गये हैं। इसी तरह से ३,५०० एकड़ जमीन गंगा खादर और अफजलगढ़, बिजनौर में क्लेम करना चाहते हैं। वहां कुल ७,००० एकड़ जमीन तोड़ना चाहते हैं, इस सेकेंड फाइव ईयर प्लान में।

तराई कालोनाइजेशन एरिया में सरकार ने यह तय किया है कि अगर कहीं सर्किल रेट से दुगुना लगान होगा तो वह १३६५ फसली से कम किया जायगा, इस तरह से ७८–७६ हजार रुपये का हिसाब आता है और यह १ जुलाई, १६५७ से लागू होगा। बाकी वहां एक पावर हाउस काम कर रहा है। मकानों का बहुत सा व्यय है, हस्तिनापुर के लोगों पर आधा माफ कर दिया है क्योंकि पानी से वहां कुछ नुकसान हो गया था और बाकी आधा २० सालाना किस्तों में वसूल किया जायगा। जंगलात के एफॅरेस्टेशन का भी काम हो रहा है। यह मैंने ६ स्कीम्स के आंकड़े बताये।

तराई स्टेट फार्म का १६ हजार एकड़ का क्षेत्र है और वहां ५३७ जानवरों का कैटिल या डेरी फार्म है और वहां पोल्ट्रीफार्म भी है जिसमें ३०० अंडा देने वाली मुर्गियां वगैरह हैं। लखीमपुर खीरी में भी दस हजार एकड़ भूमि तोड़ी जा रही है और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के ६०० खानदान वहां बसाये जा रहे हैं और ७५ पढ़े लिखे बेरोजगारों को बसाया जायगा और वहां पर १,३०० रुपया प्रति मकान इन सेटिल होने वाले लोगों को दिया जायगा। जिसमें से ५०० तो सबसिडी के तौर पर उनको दिया जायगा और ८०० रुपया उन से वसूल किया जायगा। जैसा कि मैंने बताया कि पीलीभीत वाली स्कीम है, वहां भी ६७५ आदमी बसाये जायेंगे। तो ७७,००,००० रुपया उसके लिये और ७८,००,००० रुपया दूसरे के लिये, यह खर्चा ज्यादा मालूम होता है, यह ठीक है। लेकिन दरअसल खर्चा ज्यादा होगा उस इलाके के ओपिन अप करने में। लखीमपुर में ७८,००,००० रुपये में से २८,००,००० रुपये केवल सड़क, कलवर्ट, सेनीटरी कंडीशंस वगैरह वगैरह कायम करने के लिये खर्च होगा। इसलिये खर्च की कुल रकम बढ़ी हुई दिखाई देती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव फिर दोहराता हूं और आशा करता हूं कि यह मांग स्वीकृत होगी।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से प्रस्तुत अनुदान में १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं। वास्तव में सरकारी फार्म जो खोले जाते हैं उनका कोई उद्देश्य होता है। दिक्कत हमारी यह है कि अभी राजस्व मंत्री जी ने अपने अनुदान को पेश करते हुये यह फरमाया कि कुछ अनुदानों से उनका कोई निकट का सरोकार नहीं है लेकिन कुछ कागजी झमेलों की वजह से पेश कर रहे हैं। बड़ी दिक्कत होती है, जो आदमी पहले ही मैदान छोड़ कर भाग जाय उससे किस तरह से बात की जाय। यों तो ज्वाइंट रेसपांसिबिलिटी है। लेकिन यह कहने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]
कि यह ज्वाइंट रेसपांसिबिलिटी नहीं है। तो फिर यह कहें कि चूंकि कागजी झमेला है इसलिये इसको पेश कर रहा हूं। वर्ना यह अनुदान तो कृषि से सम्बन्ध रखता है। अगर रेवेन्यू से सम्बन्ध रखता तो कुछ लुत्फ आता, उनसे बातचीत की जाती.....

श्री अध्यक्ष--बातचीत करने के लिये वह तैयार हैं।

श्री गेंदासिंह--तैयार तो हैं लेकिन जो असली बात होती है उसको वह सुनने से ही गुरेज करते हैं।

श्री चरणसिंह--असली लफ्ज मैंने सुन लिया लुत्फवाला।

श्री गेंदासिंह--बगैर सुने लुत्फ लेंगे तो लुत्फ नहीं रह जायगा। तो मैं निवेदन करूं कि मुझे कुछ इन फार्मों को भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले उन्हें यह बताना चाहिये कि जो बड़े-बड़े फार्म खोले गये हैं वे किस उद्देश्य से खोले गये हैं। मैं स्मरण दिला दूं कि इन फार्मों को खोलने का उद्देश्य दो प्रकार का हो सकता है और शायद है। एक तो यह कि अच्छा बीज वहां पैदा करके सारे देश के किसानों को मुहैय्या कर सकें। दूसरा उद्देश्य यह भी है कि जो लोग धनहीन हैं उनको जमीन दे करके उनकी गुजर करायी जा सके। इन दोनों चीजों में ये फार्म कहां तक सफल हुये हैं, यह देखने की बात है।

जहां तक बीज का सम्बन्ध है मैं समझता हूं इन फार्मों ने नाम मात्र को बीज देश को सप्लाई किया है। खास तौर से १२ हजार १० हजार एकड़ में से, दोनों में से जो भी सही हो, स्टेट फार्म तराई का बड़ा भारी फार्म है लेकिन उससे मैं यह जानना चाहूंगा कि सिवा मुर्गी के पालन की विद्या के, जो वहां की है, और प्रशंसा के योग्य है, दूसरे पशुओं का कोई प्रबंध हुआ है। मैं समझता हूं, दूसरे पशुओं का प्रबंध बहुत ही नामाकूल है।

(इस समय १२ बजकर १४ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और श्री उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये।)

जहां तक बीज सप्लाई करने का प्रबंध है, वह सप्लाई भी किया जाता है या नहीं, इसमें भी शक है।

जहां तक नफे-नुकसान का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि अगर उस फार्म ने गन्ने की खेती न की होती तो वह फार्म नुक्सान में रहता। उस गन्ने की खेती ने एक मुसीबत पैदा की। वह यह कि फार्म को नफे में दिखाने के लिये उसको जितना गन्ना नहीं बोना चाहिये था उतना बोया और छोटे काश्तकार जो मिलों में गन्ना सप्लाई करते थे, उनके उस हक को छीन लिया और उनके हक को छीनने का नतीजा यह हुआ कि कुछ का गन्ना खड़ा रहा, कुछ को घाटे पर गुड़ बनाना पड़ा और कुछ को बहुत ही सस्ती कीमत पर अपने गन्ने को मिलों को देना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि सरकार को इसकी सफाई देनी चाहिए कि इस तराई स्टेट फार्म में जो मुनाफा दिखाया जा रहा है उस मुनाफे का कारण क्या है? क्या गन्ना ज्यादा पैदा करना है या जिस उद्देश्य से यह स्टेट फार्म बनाया गया था उस काम को करते हुए आज वह मुनाफे में है। जहां तक मेरी जानकारी है क्रमशः यह स्टेट फार्म घाटे की तरफ जा रहा है। तो जब जमीन परती पड़ी होती तो तब तो घाटे की बात सोची जा सकती थी लेकिन जब तोड़ी जा चुकी है और खेती होने लगी तो फिर तो घाटे का सवाल उठता नहीं है और मैं समझता हूं कि जब दूसरी बार माननीय राजस्व मंत्री जी खड़े होंगे तो वह इस हाउस को बताने की मेहरबानी करेंगे कि इस तराई स्टेट फार्म में जब से यह चलाया जा रहा है तब से आज तक की प्रगति क्या है? घाटा है, मुनाफा है या क्या बात है, सब चीजों पर जरा रोशनी डालें तो फिर हाउस को अपने फैसले में ज्यादा मदद मिले।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन जो आबाद की जाती है उस पर किस तरह के लोगों को आबाद किया जाता है। मैं इस सम्बन्ध में यह जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ कमेटियां बैठती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटियां होती हैं। हमारे राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद जी ने एक कमेटी बैठायी थी जे० सी० कुमारप्पा की सदारत में। कुमारप्पा साहब हमारे देश के उन वैज्ञानिकों और उन अर्थशास्त्रियों में से हैं जिनकी विद्वता, जिनके ज्ञान में कोई झगड़ा नहीं खड़ा किया जा सकता। उन्होंने हिन्दुस्तान का दौरा किया और दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी अब नयी जमीन तोड़ी जाय उस जमीन को एक्सपरिमेंटल तरीके पर कोआपरेटिव फार्मिग और कलेक्टिव फार्मिग में इस्तेमाल करना चाहिए। यह बात सही है कि कोआपरेटिव फार्मिग जिस ढंग पर हिन्दुस्तान चलाये जाने की बात सोची जा रही है उससे कोआपरेटिव फार्मिग सफल नहीं हो सकती। चाइना की कोआपरेटिव फार्मिग सफल नहीं हो सकती। चाइना की कोआपरेटिव फार्मिग का जो आदर्श हमारे सामने है उसमें से आधा लेना, आधा न लेना, उस पर कोआपरेटिव फार्मिग यहां सफल हो सकती है, यह मैं नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि इस माननीय सदन को चाइना की कोआपरेटिव फार्मिग के ऊपर भी विचार करना चाहिए और जो अभी कोआपरेटिव डेलीगेशन यहां से चाइना गया था उसने जो कुछ भी वहां के संबंध में स्टडी किया है और जो कुछ भी बड़ी कीमती रिपोर्ट दी है उसकी भी जानकारी माननीय सदस्यों को होनी चाहिए। कभी कभी कुछ किताबों में कोई बात छप जाती है और उसके आधे ज्ञान से कोई राय कायम नहीं की जा सकती।

सवाल यह है कि अगर जे० सी० कुमारप्पा साहब की राय हमारी सरकार को मंजूर नहीं है कि कोआपरेटिव फार्मिग नयी जमीन पर की जाय, कलेक्टिव फार्मिग की जाय, तो इसका कोई आज जवाब नहीं हो सकता जब कि प्लानिंग कमीशन कहता है कि कोआपरेटिव फार्मिंग होनी चाहिए इस देश में। अकेले चरणसिंह जी के ख्याल से या उनके साथ हमारे भी सटे रहने से ही यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती कि कोआपरेटिव फार्मिंग न हो। यह तो एक आर्डर आफ दी डे मालूम होता है और हिन्दुस्तान भर में उसकी बड़ी चर्चा है। जहां नयी जमीनें तोड़ी जा रही हैं, १०, १०, हजार ५, ५ हजार एकड़ जमीनें तोड़ी जा रही हैं उसके सिलसिले में, कालोनाइजेशन स्कीम के सिलसिले में मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं वहां पर जमीन उन लोगों को दी जाय जिनके पास कि जीविका के कोई साधन न हों--उन लोगों को तो जमीन देने का मैं बड़ा विरोधी हूं जो बड़े-बड़े आदमी हैं और मैं जानना चाहता हूं कि ९ हजार कुछ सौ माननीय मन्त्री जी ने अभी बताया कि इतने आदमियों को जमीन दी गई, उनमें से कितने प्रतिशत लैंडलेस हैं, कितने प्रतिशत ऐसे हैं जिनको कोई जीविका का सहारा नहीं है? यह जानने की बात है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी संख्या प्रतिशत में उन किसानों की भले ही ज्यादा निकल जाय जिनको कि थोड़ी थोड़ी जमीन अपनी जीविका को चलाने के लिए दी गई है। लेकिन उस जमीन का कितने प्रतिशत ऐसे लोगों को दिया गया है जिनके पास बड़े बड़े साधन मौजूद हैं, कारखाने मौजूद हैं और दूसरे स्थान पर जमीनें मौजूद हैं। यह बड़ी भारी शिकायत है। मैं समझता हूं कि इसका जवाब बहुत संतोषजनक ढंग से सरकार को देना चाहिये।

उस दिन बहस के दौरान में जब कोई मौका नहीं था राजस्व मंत्री जी ने देवरिया के सम्बन्ध में कहा, खास कर गेंदासिंह को सम्बोधित करके, कि वे लखीमपुर की तराई योजना में अपने यहां के आदमियों को भेजें। मैं पूछना चाहता हूं कि मुझको इस सम्बन्ध में किसने बताया। माननीय राजस्व मंत्री ने कभी कहा हो और मैं भूल गया हूं तो मैं मान जाऊंगा कि वे सच्चे हैं। लेकिन अगर और किसी ने कहा और मेरे बारे में वह बतावे तो मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि वह झूठ बोलता है। मैं तो चाहता हूं कि जहां पर भी अगर उसकी जीविका का साधन वहां नहीं है तो उसे वहां जाना चाहिये। मैं

[श्री गेंदा सिंह]

उनका यह भ्रम दूर कर देना चाहता हूं। आज भी वहां के लाखों आदमी बाहर जा कर अपनी जीविका कमाते हैं और अब भी जाने को तैयार हैं। मैं बहुत ही आग्रहपूर्वक व नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई तराई में लोगों को बसाने की योजना चलानी है तो उस योजना के सम्बन्ध में हमेशा इस बात को सोचना चाहिये कि एक नया एक्सपेरीमेंट हो और हम दुनियां को दिखा सकें कि हमारे यहां जो दूसरी जगहों पर काम करते हैं उस काम में कम मेहनत करने वाले लोग नहीं हैं, कम बुद्धि के लोग नहीं हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का गुजारा हो सके तो यह बहुत अच्छी बात है। लखीमपुर की जिस तराई में लोगों को बसाने के लिये माननीय मंत्री ने कहा, मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि हमारे यहां के लोग वहां गये हैं, आबाद हुए हैं और मालूम हुआ कि वहां के अफसरान की ज्यादतियों की वजह से लोगों को हंगरस्ट्राइक करना पड़ी। वह इसलिये करना पड़ी कि उनकी शिकायत की जांच नहीं होती, मामूली से मामूली बात में उनको तकलीफ दी जाती है।

छोटी-मोटी बातों की तरफ न जाकर मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि कुमारप्पा साहब की रिपोर्ट के अनुसार कलेक्टिव फार्मिंग हो या कोआपरेटिव एक ही बात है। कलेक्टिव के मानी फिर से जमीन लेना नहीं है। दोनों में कोई अन्तर नहीं पड़ता। कोआपरेटिव फार्मिंग में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां विषमता न हो। एक के पास ५० एकड़ और एक के पास २ एकड़ न हो।

अन्त में मैं एक बात कहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि वे कुछ छूट देने जा रहे हैं तराई के इलाके में। उन्होंने यह बड़ी मेहरबानी की। उन्होंने कहा कि ८७,००० रुपये काश्तकारों को मिलेंगे। ये इसलिये मिलेंगे कि दुगुना लगान उनसे वसूल किया जाता रहा है—सर्किल रेट से दुगुने से ज्यादा उसको कम करने में ८७,००० रु० का घाटा सरकार को पड़ेगा। अब मैं तस्वीर का दूसरा पहलू बताना चाहता हूं कि कितने वर्ष से यह ८७,००० रुपये इन गरीब काश्तकारों से पीट कर वसूल किये जा रहे हैं। पीटना लफ्ज जब कहता हूं तो वे तिलमिलाते हैं, लेकिन ८७,००० जब दुगुनी मालगुजारी के रूप में वसूल करते रहे उन किसानों से तो उनके दिल पर क्या असर पड़ता होगा, क्या आवाज उनके दिल से निकलती होगी वह हम दोनों जानते हैं। लेकिन चूंकि मैं यहां बैठता हूं इसलिये पीटना लफ्ज ठीक है और वे वहां बैठे हैं तो बिना पीटे वसूल करते हैं, उनको कोई उसमें तकलीफ नहीं होती, खुशी से दे देते हैं, और अब वे ८७,००० रु० माफ करने जा रहे हैं। खैर ठीक है, लेकिन जो कुछ उन गरीबों से आज तक छीना गया है उसकी बाबत कुछ नहीं बताया गया। उस सबको वापस करने के लिये तो मैं नहीं कहता लेकिन पीट-पीट कर जो छाले उनकी पीठ पर पड़ गये हैं जरा उसके लिये भी कुछ मरहम पट्टी कर दीजिये तो मुनासिब होगा। माननीय राजस्व मंत्री जब जवाब दें तो इन बातों पर अगर रोशनी डाल दें तो बेहतर होगा।

श्री उपाध्यक्ष—मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अनुदान किसका है—कृषि मंत्री का या राजस्व मंत्री का ?

श्री चरणसिंह—यह मेरा ही है। खर्चा तो होगा कृषि विभाग से, लेकिन जिम्मेवारी मैं ही लिये ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अब ५ मिनट का समय मैं समझता हूं और भाषणों के लिये दे दिया जाय तो अच्छा है, क्योंकि एक ही घंटे का समय है।

श्री हरिदत्त कांडपाल (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कालोनाइजेशन के सिलसिले में जो यह अनुदान की मांग की गयी है, मुझको इस सम्बन्ध में संक्षेप में एक दो बातें अपने जिले के सम्बन्ध में कहनी हैं, क्योंकि पहाड़ी जिलों में सिर्फ एक दूनागिरी जिला अल्मोड़ा में कालोनाइजेशन की स्कीम चल रही है। जहां तक मुझे जानकारी है ३०० परिवार वहां बसाये गये हैं और फी परिवार ४ एकड़ अर्थात् ८० नाली जमीन दी गयी है। वहां जमीन

नालियों में नापी जाती हैं । वहां जितने भी परिवार बसे हैं उनकी हालत जब हम देखते हैं तो यह कहना कठिन है कि स्कीम कामयाब हुई या नाकामयाब, उनकी माली हालत कैसी हुई और वहां की उपज की क्या हालत है । वहां पर ऐसे लोग बसे जो या तो फौजी लोग थे या पोलिटिकल सफरर थे । शायद कुछ और लोग भी बसाये गये । माननीय माल मंत्री जी की परिभाषा में जो लोग वहां बसाये गये, मैं समझता हूं, अधिकांश जमींदार होंगे । जिनकी जमींदारी एबालिशन की बात मंत्री जी कुमायूं में करते हैं और जिनकी जमींदारी एबालिश करने वाले हैं उनको जब वहां ४–४ एकड़ जमीन मिली तो उसको वह अपनी खुशकिस्मती समझकर उस लालच में वहां चले गये । लेकिन बसने के बाद जो उनकी हालत वहां हो रही है वह बहुत ही दयनीय और दर्दनाक है । दूनागिरी के सम्बन्ध में जो वहां के सैटलर्स हैं उनके डेपुटेशन भी कई दफा शायद हमारे मंत्री जी के पास पहुंचे, अपनी तकलीफें बयान करने के लिये, लेकिन उनको कोई राहत मिली नहीं ।

मैं माल मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि दूनागिरी की स्कीम, कृषि का जहां तक ताल्लुक है, सफल होती दिखाई नहीं देती और आगे भी नहीं होगी । वहां बागबानी की ही स्कीम सफल हो सकती है । लिहाजा बागवानी का ही प्रयोग किया जाय । बहुत से सेट्लर्स जो मकरूज हो गये हैं और बर्बाद हो गये हैं वह अगर अपनी जमीन वापस करना चाहें तो खुशी से कर दें, उसका मुआविजा उनको दे दिया जाय । और जो सेट्लर्स इस शर्त पर जमीन देना चाहते हैं कि सरकार उस पर बाग लगाये और हार्टिकल्चर डिपार्टमेन्ट उसमें बाग लगाकर १० वर्ष तक उसको वापस दे दे, तो इस सुझाव को हमारे मंत्री जी ध्यान में रखें ।

एक दूसरी जानकारी मुझे अफजलगढ़ कालोनाइजेशन के सम्बन्ध में देनी है । वहां पर जब जंगल साफ किया जा रहा था और नयी जमीन तैयार की जा रही थी, और शायद अब भी की जा रही होगी उसमें ठेकेदारों के पेमेंट के सिलसिले में जो धांधागर्दी हुई उसकी परसनल जानकारी मुझे है और मैंने परसनल रेप्रेजेन्टेशन किया है । वह गोलमाल देखने के काबिल है । किसी अफसर विशेष की नाराजगी की वजह से और मंशा पूरी न होने की वजह से ठेकेदारों और काम करने वालों को खमियाजा भुगतना पड़ा । उनकी जायज बात न मानी जाय और नुक्सान दिया जाय, यह बहुत वाजिब नहीं होगा और हमारी सरकार की बदनामी का बायस होगा ।

बस इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मैं ऐसे मंत्री जी के विभाग की टीकाटिप्पणी करने के लिये खड़ा हुआ हूं जो प्रान्त में अपने को बड़ा अनुभवशील बताते हैं । मैं इस बात को मानता हूं कि वह प्रांत में अनुभवशील हों या न हों लेकिन मुझ से उम्र में जितने बड़े हैं उतने मुझ से ज्यादा अनुभवशील हो सकते हैं । लेकिन मैं कालोनाइजेशन की नीति पर उनको बधाई नहीं दे सकता हूं । मेरी समझ में नहीं आता है कि आज दुनियां उपनिवेशों को खत्म करती जा रही है लेकिन यह समाजवादी सरकार इसको स्थापित करने जा रही है ।

मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह मुझे सदन का एक सब से छोटा सदस्य होने के नाते सुनने का कष्ट करें । मैं मंत्री जी को तथा सदन के माननीय सदस्यों को रुद्रपुर का अपना तजुर्बा बतलाना चाहता हूं । वहां पर कालोनाइजेशन में लोगों ने अपने सर रगड़ दिये कि हमारे पास रहने व कमा खाने के लिये जमीन नहीं है, हमें मिलनी चाहिये । लेकिन उनको जमीन नहीं मिली । मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि पालियामेंटरी पद्धति एलाऊ नहीं करती है । एक मेजर साहब हैं जिसको वह चाहते हैं, उनकी सिफारिश से उसको जमीन मिलती है । मैं यह कहना चाहूंगा कि वह सरकार जो दुगुना लगान लेने को कह रही है इसलिये वह समाप्त होनी चाहिये ।

[श्री प्रतापसिंह]

दूसरी बात यह है कि ७५,००० रुपये के सम्बन्ध में जो कहा गया है तो जिन गरीब लोगों ने रुपया दे दिया है उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। यह विभाग समाप्त होना चाहिये यदि रहता है तो उन लोगों को जमीन मिलनी चाहिये जिनके पास नहीं है और जिनको जमीन मिलने से लाभ हो सकता है।

तीसरी बात यह है कि रुद्रपुर में जो विभाग बन रहा है वहां पर स्टैन्डर्ड आफ लिविंग ऊंचा बनाया जा रहा है और जो अफसर कुछ दिनों के लिये आते हैं उन पर हजारों लाखों रुपया व्यय किया जाता है और वास्तव में उन किसानों पर जो वहां बसाये जाते हैं उन पर कितना रुपया खर्च किया जाता है, इस पर मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें।

वहां जो गरीब किसान बसते हैं उनके लिये पानी का प्रबंध तक नहीं होता है। मुझे यह सूचना मिली है कि वहां जमीन खास संबंधियों को ही मिलती है या जिनकी पहुंच ऊंचे तबके के लोगों तक है उनको ही मिलती है। इसकी जांच होनी चाहिये। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि रुद्रपुर में जो इतना रुपया खर्च किया जा रहा है, उनके पास बड़े-बड़े लोगों के फार्म हैं, वह सरकारी टैक्टर्स और मजदूरों द्वारा जोते जाते हैं। इसलिये पता लगाया जाय कि उनके पास ट्रैक्टर्स हैं या नहीं। उनके पास ट्रैक्टर्स नहीं हैं, मजदूर नहीं है बल्कि स्टेट फार्म के ही मजदूर वहां काम करते हैं और स्टेट फार्म के ट्रैक्टर्स का ही काम में लाया जाता है।

वहां पर एक डेरी है जिसके बारे में माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी से लोगों ने कहा था कि इस पर कर्जा हो गया है। सरकार से कर्जा ली जा रही है और चल रही है, जबकि वहां पर कोआपरेटिव सोसाइटी के आधार पर जो एक और डेरी चल रही थी, उसके ग्रान्ट मांगने पर भी नहीं दी गई। इस तरह तमाम रुपया बरबाद होता है। एक ओर तो कहा जाता है कि हम इकोनामी मेजर्स ला रहे हैं और दूसरी तरफ हजारों लाखों रुपया पानी की तरह बहाये जा रहे हैं लेकिन उसका उपयोग जिस जनता के लिये होना चाहिये, कालोनाइजेशन से जिनको लाभ मिलना चाहिये उनको नहीं मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, लाल बत्ती मेरे लिये ऐसे ही है जैसे एटम बम। इसलिये मैं नहीं चाहूंगा कि इस विषय पर और बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष---अभी दो मिनट आपके हैं।

श्री प्रतापसिंह---बहुत अच्छा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि रुद्रपुर का जो स्टेट फार्म है उससे सरकार को और भूमिहीन लोगों को क्या लाभ पहुंचा है उस पर भी प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। मुझे बड़ा दुःख है कि जब से यह कालोनाइजेशन शुरू हुआ तब से आज तक एक ही अफसर वहां पड़ा हुआ है। रूस के प्रधान मंत्री का जब वहां दौरा हुआ था तो हजारों, लाखों रुपये वहां पानी की तरह बहा दिये गये और जब वहां के किसानों ने उनसे हिसाब मांगा तो उन्होंने कहा कि तुम को यह पूछने का कोई हक नहीं है। क्या जो किसान वहां बसते हैं वे स्वतंत्र भारत के नागरिक नहीं हैं? मेरा विचार है कि जितना रुपया उस फार्म में लगाना चाहिये उससे दुगना रुपया लग रहा है। इन शब्दों के साथ जो हमारे नेता माननीय गेंदा सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अलमोड़ा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से इस विषय पर चर्चा के लिये केवल एक घंटा रखा गया और ५-५ मिनट हम लोगों को बोलने के लिये मिले जबकि यह विषय उन लोगों का था जोकि भूमि-हीन थे, जो मजलूम थे, जो पिछड़े हुये थे। मुझे दुःख है कि यह सब यही दिखाता है कि हम लोग चाहे भले ही समाजवाद लाने की बड़ी-बड़ी बातें करें लेकिन जहां पर गरीब, मजलूम और दबे हुओं का सवाल आता है वहां हम सब एक हो जाते हैं और एक ऐसा तरीका अख्तियार कर लेते हैं जिसका आज इस सदन में कम समय दे कर हमने सबूत दे दिया।

जहां तक कालोनाइजेशन स्कीम का सवाल है पांच मिनट में इसके लिये कुछ ज्यादा तो कहा नहीं जा सकता लेकिन बाजपुर, रुद्रपुर, जो भी जगहें हैं, ये सब कुमायूं के चन्द वंश के राजाओं रुद्रचन्द, और बाज बहादुर चन्द्र ने बसायी थीं। यहां वे ६ महीने जाड़े के दिनों में रहते थे। आज जब कुमायूं की यह हालत हो गयी है कि खुद इसी सदन में हमारे खाद्य मंत्री जीने स्वीकार किया कि नार्मल इयर्स में भी वहां साल में ३-४ महीने के लिये खाने को होता है और बाकी ८ महीने के लिये गल्ला पैदा नहीं होता, तो वहां के एक दो नहीं, हजारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो अपना घरबार छोड़ कर भोजन की फिक्र में दर दर मारे-मारे फिरते हैं। जो यह आल इंडिया युटेन्सिल रबिंग डिपार्टमेन्ट खुला हुआ है उसमें काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कटक से लेकर अटक तक आप कहीं चले जाइये आपको कुमायूं का बर्तन मलने वाला मिल जायगा क्योंकि उसके पास खाने को नहीं है, इसलिये और वह दाने दाने के लिये दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। ऐसी हालत में जरूरत इस बात की है कि कालोनाइजेशन में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाय जो गढ़वाल और कुमायूं के लोग हैं जिनकी हालत आज यह है कि उनके बर्तन व बैल बिक गये स्त्रियों के गहने बिक गये और आज वे भूखे इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। यह नहीं होना चाहिये कि बड़े बड़े आदमियों को वहां जमीन दी जाय, जैसे मेजर-जनरल चिमनी। आगे जब कभी भी यहां भूमि का बटवारा हो तो कोटद्वार से टनकपुर के रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जो कालोनाइजेशन होता है उसमें कुछ ऐसे लोग बसाये गये हैं कि जिन पर सरकार की विशेष कृपा रही है। उन लोगों ने सरकार का काफी रुपया बर्बाद भी किया है। देवरिया फार्म में एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनी जिसमें कहा जाता है कि ७२,००० रुपया बर्बाद हो गया। उसके आडिटर की रिपोर्ट भी है। मैं माननीय मंत्री जी से सानुरोध निवेदन करूंगा कि उस आडिटर की रिपोर्ट को पढ़ कर देखें व सदन के समक्ष उसे रखें और जिसने यह रुपया उड़ाया है उस पर सख्त कार्यवाही की जाय।

तीसरे यह कि वहां आदमियों को बसाने में एक मुश्किल है। वहां के लोगों का जीवन निरापद नहीं रह गया है। राय सिक्खों का आज एक ऐसा आतंक वहां छाया हुआ है कि दिनदहाड़े किसी का बैल खुल गया, किसी का कत्ल हो गया। चोरी, डकैती तो बहुत ही बढ़ गई है। इससे वहां लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। तो इससे पहले कि वहां लोगों को बसाया जाय, उनकी सुरक्षा का प्रबंध आवश्यक है।

लाल बत्ती हो गई है, अधिक समय बाकी नहीं होगा। मैं आखिर में गरीब और दुखी जनता की तरफ से माननीय मंत्री जी की तवज्जह फिर इस ओर दिलाऊंगा कि उसको बसाने का वह पूरा प्रबंध करें और उनको पूरी मदद दी जाय क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वह अपने पास के पैसे से जमीन तोड़ सकें या अपना घर बना सकें। लगातार पिछले कई वर्षों से वहां पर अकाल की परिस्थिति पैदा हो गई है। सरकार को पिछली मर्तबा हवाई जहाज से से वहां अनाज फिकवाना पड़ा था इससे बढ़ कर उनकी खराब हालत का और क्या प्रमाण हो सकता है।

*श्री रघुबीर सिंह (जिला मेरठ)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या २२, जो माननीय मंत्री जी ने सदन में रखी है, का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह उपनिवेश योजना जो हमारी सरकार कई वर्षों से चला रही है एक बहुत उत्तम और प्रगतिशील योजना है। कई कालोनीज बनाने से बहुत बड़ा फायदा हमारे उत्तर प्रदेश को और प्रदेश के रहने वालों को हुआ है। हस्तिनापुर को मैंने देखा है और दूसरी एक दो जगह भी गया हूं। जो भूमिहीन लोग थे और जिनके पास कोई और दूसरा रोजगार नहीं था, उनमें से बहुत से लोगों को वहां भूमि दी गई है और वह लोग आज वहां अच्छे ढंग से खेती कर रहे हैं। खेती का उत्पादन भी बढ़ा है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रघुवीरसिंह]

और उन को रोजगार भी मिल गया है और उनके बच्चों की परवरिश भी हो रही है। इसके अलावा शिक्षित वर्ग के भी कुछ लोगों को, जो खेती में दिलचस्पी रखते थे और खेती करना चाहते थे, वहां जमीनें दी गई है और इस तरह से जो पढ़े लिखों में बेकारी थी वह इस से कुछ कम हुई है। वह आज वहां अच्छे ढंग से खेती कर रहे हैं। मैंने देखा है कई शिक्षित लोगों ने जो उपनिवेश में खेती की है उसमें काफी ईख, गेहूं और धान पैदा हुआ है और उसमें बढ़ोत्तरी हो रही है।

यही नहीं, वहां और दूसरे उद्योग धंधे भी खोलने की सरकार की योजना है और खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिये खाद, बीज और पानी की भी काफी अच्छे ढंग से व्यवस्था की जाती है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है और जो निर्धन हैं, अपने पास से पैसा लगा कर खेती नहीं चला सकते, उनको तकावी दी जाती है, कर्जा दिया जाता है और सहायता के रूप में उन्हें पैसा मिलता है। नकदी और बीज के रूप में भी उन्हें सहायता दी जाती है। यह हो सकता है कि कहीं कुछ त्रुटियां हों और एडमिनिस्ट्रेशन में वहां जो अधिकारी या कर्मचारी हों, उनकी तरफ से जो कार्यवाहियां होती हों उनकी वजह से लोगों को कुछ परेशानी होती हो, लेकिन जहां तक योजना का और कालोनाइजेशन का सम्बन्ध है, इससे बहुत बड़ा लाभ हमारे प्रदेश के लोगों को हो रहा है। बेकारी दूर हो रही है, कृषि का उत्पादन बढ़ रहा है। और कुछ लोगों के उद्योग धंधे भी पनपे हैं, जैसा कि हस्तिनापुर में एक मिल लगाने की योजना है। इस तरह से काफी सहूलियत दी जाती है। इसलिये मैं समझता हूं कि ऐसी हालत में अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कमजोरी भी है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिये। जो कठिनाई होती है उसको दूर करने का प्रयत्न सरकार को करना चाहिये। इसके साथ-साथ मैं इस योजना का समर्थन करता हूं।

श्री रामनाथ पाठक (जिला बलिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कालोनाइजेशन स्कीम के सम्बन्ध में भाई गोविंदसिंह जी ने जो विचार प्रकट किये हैं कि कुमायूं को प्राथमिकता देना चाहिये, इस सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि वे अपने कुमायूं के लोगों को कम से कम २,४ एकड़ खेती की ओर प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करें। मैं भी वहां की स्थिति को जानता हूं क्योंकि मेरा भी कुछ सम्बन्ध उस इलाके से है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन पहाड़ी भाइयों को तराई के इलाके में जमीन दी गयी उनको सोसाइअटीज सुचारुरूप से संचालित नहीं हो रही है। वे दिलचस्पी नहीं लेते हैं। इसलिये जहां तक भूमिहीनों को जमीन देने का सवाल है हम इसका समर्थन करते हैं। और सरकार भी इसका समर्थन करती है। सिर्फ कुमायूं की बात नहीं हम तो सारे प्रदेश के भूमिहीनों की बात करते हैं कि जहां कहीं भी जमीन मिले वह सुनियोजित ढंग से प्लान करके भूमिहीनों को देनी चाहिये। अभी जो यह कालोनाइजेशन की स्कीम चली है वह बिना किसी स्कीम के चली है जिसने प्रार्थना कर दी उसको जमीन मिल गयी। उसके लिये कोई प्लान्ड तरीका निकाला जाय जिससे भूमिहीनों को ज्यादा से ज्यादा जमीन दी जा सके और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन स्कीम्स में उनको बसाया जा सके।

इस सिलसिले में मैं पूर्वी जिलों की घनी आबादी की तरफ माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन कालोनाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत उन घनी आबादी वाले लोगों को काम दिया जाय और उनको उस जमीन पर बसाया जाय।

अन्त में दो शब्द माननीय माल मंत्री जी से तराई इलाके के लगान के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपनी सरकार की ओर से यह एलान किया है कि हमने लगान सर्किल रेट से डुगुना कर दिया है। शायद सरकार को ८७ हजार का घाटा इस मद में हुआ। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार यह समझती है कि उसने जो यह लगान कर दिया है तो बड़ी भारी उनकी मदद कर दी है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि तराई एरिया के मिट्टी में एक विचित्र बात है कि उसको एक फसल के लिये छोड़ दीजिये फिर वहां पर

१० फुट लम्बी घास खड़ी हो जायगी। वहां पर आप सर्किल रेट का लगान इसलिये लगाना चाहते हैं कि आपने वहां पर डेवलपमेंट किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां की परिस्थिति ऐसी हो कि एक फसल छोड़ देने से १० फुट लम्बी घास खड़ी हो जाय और एक जंगल बन जाय, वहां पर यह कहना कि डेवलपमेंट चार्जेज के लिये इतना लगान लेंगे, मैं यह समझता हूं बड़ी ज्यादती है। सरकार का जो १६ हजार एकड़ का फार्म है उसकी अवस्था भी यही है। अगर जाकर देखा जाय तो आधे से ज्यादा हिस्सा उसका जंगल हो गया है। जब कि वहां पर बड़ी-बड़ी मशीनें हैं और ट्रैक्टर हैं लेकिन फिर भी जंगल क्यों हो जाता है। वह इसलिये हो जाता है कि एक फसल छोड़ देने से वहां १० फुट घास खड़ी हो जाती है। इसलिये डेवलपमेंट चार्जेज के नाम पर लगान लेना उचित नहीं है....

श्री चरणसिंह—इस नाम से नहीं बढ़ाया गया है।

श्री रामनाथ पाठक—हमारे मंत्री जी कह रहे हैं कि इस नाम से नहीं बढ़ाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हुआ।

(कुछ ठहर कर)

इस अनुदान के लिये एक घंटे का समय रक्खा गया था। मेरे खयाल से यह ठीक मालूम होता है कि इसको सवा बजे समाप्त किया जाय और अनुदान संख्या २ विश्राम के बाद लो जाय। इस बीच में दूसरा अनुदान लेने की क्या जरूरत है? इसलिये इसको सवा बजे पास कर देंगे और मध्यान्तर के बाद अनुदान संख्या २ ले ली जायगी।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या २२ के अन्तर्गत जो लगभग ७२,००,००० रुपये की मांग की गयी है, के सम्बन्ध में माननीय गेंदासिंह जी ने जो १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव रक्खा है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि आजकल यों तो सारे संसार में समाजवाद की चर्चा है लेकिन हमारी भारतीय सरकार और प्रान्तीय सरकार भी समाजवाद की दुहाई देती है और समाज को समाजवाद की ओर ले जाने का दावा करती है और उसके साथ ही कालोनाइजेशन और उपनिवेशन शब्दों का प्रयोग इस बजट में किया जा रहा है। इस पर मुझे आपत्ति है। मैं बहुत नम्रता के साथ सरकार से निवेदन करूंगा कि वे कोई दूसरा शब्द इसके लिये रखें क्योंकि यह उपनिवेशन और कालोनाइजेशन शब्द कुछ रुचिकर नहीं है बल्कि कर्णकटु से प्रतीत होते हैं। जिस उपनिवेशवाद के खिलाफ हमने अपने जीवन भर लड़ाई लड़ी और आज हम उसी उपनिवेशन शब्द को यहां रख रहे हैं।

श्री चरण सिंह—वह शब्द कालोनियेलिज्म है कालोनाईजेशन नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय—मंत्री जी ने जैसा कहा उनके कथन को स्वीकार करते हुए भी मैं समझता हूं कि यदि उपनिवेशन शब्द को बदल दिया जाय और कोई दूसरा नाम इसके लिये रक्खा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। आप इस पर विचार करें, यह मेरा नम्र प्रस्ताव है। अगर वे अपनी जिद पर हैं तो दूसरी बात है। इन दोनों शब्दों में फर्क जरूर है लेकिन आम जनता में दोनों शब्द एक से ही माने जाते हैं। इसलिये मंत्री जी को इन शब्दों को बदलने का प्रयत्न करना चाहिये।

[श्री देवनारायण भारतीय]

मैं इन उपनिवेशों के सम्बन्ध में कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। इन उपनिवेशों में सरकार ने उस नीति को ध्यान में नहीं रक्खा है कि वहां पर किसी भी बसने वाले को ३० एकड़ से ज्यादा जमीन न दी जाय। मेरा अपना अनुभव है कि वहां पर ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास १००–२०० एकड़ जमीन पहले से ही मौजूद है। मेरे एक माननीय साथी ने अभी इस बात का जिक्र किया कि सरकारी फार्मों पर रखे हुए ट्रैक्टर्स उन फार्म वालों के काम में भी आते हैं जो बड़े-बड़े फार्म किए हुए हैं। अगर आपको उपनिवेश वहां बसाना ही है तो आप भूमिहीन लोगों को बसाइये। उन लोगों को आप एक सीमा के अन्दर जमीन दीजिये। आप ऐसा प्रबन्ध करें कि वहां कोई न ऊंचा हो और न कोई नीचा। अगर आप समाजवाद कायम करना चाहते हैं तो इन उपनिवेशों को आप समाजवाद के आधार पर ही कायम कीजिये और वहां पर बड़े छोटों का भेद न कीजिये। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां जहां आपके बड़े-बड़े सरकारी फार्म हैं उन बड़े-बड़े फार्म्स के मैनेजर अपने कर्तव्य का ठीक पालन नहीं करते। यह एक आम रिवाज की बात है और जिन लोगों को उन उपनिवेशों का अनुभव है, जो वहां गये हैं वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो सरकारी फार्म के ट्रैक्टर्स हैं, जब चाहें तब उन मैनेजरों को रिश्वत देकर प्राइवेट काम में लाये जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह से सरकारी फार्म्स के साथ-साथ बड़े-बड़े फार्म ओनर की स्थापना करने से सरकार की हानि होती है। आज ही एक प्रश्नोत्तर के साथ बतलाया गया कि एक बड़े फार्म पर बराबर हानि हो रही है और उस फार्म के मैनेजर पर एक मुकदमा भी चलाया जा चुका है। तो मैं समझता हूं कि वहां पर सरकारी फार्म्स की स्थापना न की जाय और वहां पर भी ऐसे ही लोगों को बसाया जाय जिनके पास भूमि न हो और उनको समान रूप से भूमि दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय माल मंत्री जी, आप अभी समय लेना चाहते हैं या अन्त में १० मिनट लेंगे ?

श्री चरण सिंह—कम से कम १५ मिनट तो होना ही चाहिये, पहले माननीय गेंदासिंह जवाब दे दें तब मैं बोलूंगा।

श्री गेंदासिंह—बेहतर होता कि मैं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद ही जवाब देता।

श्री उपाध्यक्ष—मेरे ख्याल से आपके पास कुछ जवाब देने के लिये रहा ही नहीं।

श्री गेंदासिंह—जैसी आपकी आज्ञा।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जी ने बीच में डिबेट में कोई हिस्सा नहीं लिया है और वे आपके बोलने के बाद ही बोलना चाहते हैं।

***श्री गेंदासिंह**—उपाध्यक्ष महोदय, इससे मुझे थोड़ी परेशानी होती है कि न मालूम वे क्या जवाब देंगे। अगर मुझे जवाब देने का मौका बाद में मिलता तो मैं कुछ कह सकता था। मैं जानता हूं कि राजस्व मंत्री जी ऐसी बात कुछ कहेंगे जिनका जवाब जरूर देना चाहिये लेकिन अब इस अवसर पर मौका नहीं मिलता है तो हमको कहीं दूसरी जगह तो उत्तर देने की इजाजत दी जायगी नहीं और उसका वे उचित लाभ जरूर उठावेंगे। वे समझेंगे कि उनकी बात का उत्तर तो मिलना नहीं है लेकिन मैं इस बात पर ज्यादा जोर देता हूं कि भूमि सम्बन्धी जो मामला है वही देश का असली मामला है और भूमि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के बटवारे की बात जो है वह तो बहुत बड़ी बात है और बड़ी बातों की चर्चा में इस अवसर पर करूंगा नहीं लेकिन इतनी बात जरूर है कि जहां जिस आदमी के पास जमीन पहले से है उससे ले ली जाय तो किस शर्त पर ली जाय और किसको दी जाय। इस पर बहुत विचार-विनिमय होने की आवश्यकता है, हालांकि होना यही चाहिये कि उससे बहुतों को रोजी मिल सके और हम सब को रोजी रोटी दे सकें। जिस जमीन को हम आबाद करने जा रहे हैं वहां हम यह भी देखें कि क्या लोगों की शिकायत है, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने जिस किसी भाई ने इस बहस में हिस्सा लिया है उन सबको इस बात को शिकायत है और उन्होंने सुझाव दिये हैं कि "देर आयद दुरुस्त आयद" अब तक जो कुछ हुआ वह तो हुआ, लेकिन आगे से जमीन लोगों को दी जाय तो ऐसे ही लोगों को जिनको वास्तव में आवश्यकता हो। आवश्यकता के डेफिनिशन में फर्क हो सकता है कि किन लोगों को आवश्यकता है लेकिन एक मोटी बात है कि साधारण तौर पर इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिये कि जिनके पास न जमीन है, न और कोई रोजी है न नौकरी है उन्हीं की आवश्यकता को सबसे बड़ा माना जाना चाहिये। और ऐसे लोगों को चाहे वे अपने सूबे भर में जिस कोने में भी मिलें, जहां भी ऐसी समस्या हो और सबसे विकट दिखायी देती हो वहां ही जमीन के द्वारा इसको हल करने की व्यवस्था की जाय।

एक प्वाइंट में और आपको बतला दूं क्योंकि बाद में इसको उठाने का मौका नहीं मिलेगा। जहां पर भी उपनिवेश बसे हुए हैं जहां करोड़ों रुपया खर्च हुआ है वहां सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि चाहे ट्यूबवेल की शक्ल में पानी देने की व्यवस्था की गयी हो चाहे वहां जो मकानात बनाये गये हैं, जिसकी तरफ कई माननीय सदस्यों ने संकेत भी किया है और मैं स्वयं देख कर आया हूं तथा अपने अनुभव की बिना पर बतलाता हूं कि उन मकानों में से कई मकान तो ऐसे देखे कि बनते हुये ही जिनकी छत ऊपर से नीचे आ गई और उन लोगों को १८ साल तक उनका रुपया किस्तों में देना होगा। उनमें ऐसी लकड़ी लगाई गई है जिसके बारे में यह आशा नहीं की जा सकती कि कोई भी बुद्धि रखने वाला आदमी उसे मकान में लगावेगा। मैं नहीं जानता कि जंगल वहां करीब है ऐसी कौन सी लकड़ी है जो दो साल में बेकार हो जाती है। वहां तो साखू मौजूद था वह क्यों नहीं लगाया गया ? मैं समझता हूं इसकी जांच होनी चाहिये कि जिन लोगों के द्वारा ऐसा कार्य हुआ है उनको केवल बख्श न दिया जाय और केवल सदन में ही उसका वाद-विवाद होकर न रह जाय बल्कि ऐसे आदमी को सजा दी जाय ताकि उसको तम्बीह हो तो औरों के लिये भी सबक हो जाय और आगे दूसरे लोग ऐसी गलती न करें।

वहां के ट्यूबवेल्स का भी २ साल पहले का मेरा अनुभव है उस वक्त मैंने देखा था कि वहां ट्यूबवेल काफी बने हैं लेकिन उनमें से बहुत ही कम ऐसे थे जो काम देते थे। इस बीच में वे काम करने लगे हों तो मंत्री जी इत्तला दें, मुझे बड़ा सन्तोष होगा, लेकिन अगर इस तरह से बन लगे और कोई काम भी न बने तो बड़े दुर्भाग्य की बात है।

रुद्रपुर के बसाने पर बड़ा रुपया खर्च करने का हमारा इरादा है लेकिन मेरा ख्याल है कि रुद्रपुर वैसे ही बस जायगा अगर वहां पर जितने गांव आस-पास हैं या बस रहे हैं उन गांवों से रुद्रपुर तक आने जाने के रास्ते बना दिये जायं और बरसात में वहां लोग आ जा सकें। इसलिये मैं कहूंगा कि लखनऊ और बनारस को ब्यूटीफाई करने की जरूरत नहीं है और देवरिया को खूबसूरत बनाने की जरूरत नहीं है बल्कि जरूरत इस बात की है कि वहां के जो आस-पास के गांव हैं उनको सेल्फसफीशेन्ट बना दिया जाय। वह तभी हो सकता है जब वहां की आस-पास की जो सड़कें हैं उनको बना दिया जाय जैसे किच्छा

[श्री गेंदा सिंह]

वगैरह से सड़क बना दी जाय तो वह स्वयं ही खूबसूरत बन जायगा। इसके अलावा अगर कोई योजना अस्पताल आदि की है तो वह जरूर बनाये जायं बेड (Bed) बढ़ाने की जरूरत हो तो वह बढ़ाये जायं क्योंकि वहां मलेरिया बहुत होता है। इसलिए खूबसूरती पर खर्च करने से अच्छा है कि वहां पर रुद्रपुर से सब तरफ को सड़कें बनाई जायं।

श्री उपाध्यक्ष--अब आपके भाषण का समय समाप्त हो गया।

कतिपय स्थायी समितियों तथा बोर्डों के निर्वाचनार्थ नाम वापसी के समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष--मुझे एक यह जरूरी इत्तला देनी है कि निम्नलिखित समितियों के लिये नाम वापिस लेने की तिथि तथा समय ४ अगस्त को ३ बजे तक का था लेकिन मेरे पास कुछ माननीय सदस्यों की ओर से यह प्रार्थना आई है कि यह समय १४ अगस्त के ३ बजे अपराह्न तक और बढ़ा दिया जाय। वह समितियां यह हैं: प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, वित्त समिति, इंटरमीडियेट बोर्ड, मद्य-निषेध बोर्ड, रुड़की यूनिवर्सिटी कमेटी और यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी। माननीय सदस्यों की यह प्रार्थना मैंने स्वीकार कर ली है और अब नाम वापस होने की तारीख व समय १४ अगस्त को ३ बजे तक रहेगा।

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २२--लेखा शीर्षक ४०--उपनिवेशन (क्रमागत)

*श्री चरण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें माननीय मित्रों की ओर से कही गई हैं मैं उनकी हर बात का थोड़ा सा जवाब देना जरूरी समझता हूं। पहली बात तो यह कि जिसे अनेक बार यहां कहा जा चुका है और आज भी दोहराया गया कि उपनिवेशों के क्षेत्र में या विभाग में मेजर चिमनी जैसे लोगों को सैकड़ों एकड़ जमींन दी गई और जो मित्र अभी बोल रहे थे उन्होंने कहा कि उनको २०० एकड़ जमींन दी गई। माननीय गेंदा सिंह जी एक जिम्मेदार आदमी हैं लेकिन वह इस बात को बार-बार दोहराते हैं। मैं इस सदन को यह बता देना चाहता हूं कि उपनिवेशन विभाग ने कभी राजा भदरी या मेजर चिमनी को २०० एकड़ जमींन नहीं दी। पहले यहां सवालात हुए थे, १९५५-५६ में अनेक बार दोहराये गये, लेकिन अफसोस की बात है कि वही गलत बात फिर दोहरायी जा रही है।

श्री गेंदासिंह--क्या उनके पास जमीन नहीं है?

श्री चरणसिंह--उपनिवेशन विभाग तो वह हुआ कि जहां गवर्नमेंट खुद जमीन तोड़ती है और लोगों को बसाती है। मेजर चिमनी या राजा भदरी ने जो जमीन ली है उसका इस विभाग से कोई वास्ता नहीं है। वह तो गवर्नमेंट स्टेट्स से उनको मिली थी जो अब भी मौजूद है। जहां लोग पहले जाया नहीं करते थे, गवर्नमेंट तरह-तरह के अट्रेक्शन्स देती थी कि लोग आयें और बसें। वहां लोग बसें, दो-दो हजार एकड़ जमीन लोगों को दी गई १९४३, १९४४, १९४५ में। एक साहब देहली के थे जिन्होंने काफी जमीन ली थी और रुपया भी काफी खर्च किया लेकिन जंगली जानवरों के डर से, हाथी वगैरह के डर से भाग गये। तो गवर्नमेंट की पहले ऐसी ख्वाहिश थी और वह भी अंग्रेजों के जाने के बाद दो साल तक। लिहाजा गवर्नमेंट ने राजा भदरी और मेजर चिमनी को जमीन तोड़ कर दी हो, ऐसी बात नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फिर रामपुर के बारे में कहा गया कि फलाने अफसर ने जमीन ले ली। उनको जमीन जब रामपुर का विलीनीकरण नहीं हुआ था तब नवाब साहब ने दी थी। फिर एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि अगर कोई गवर्नमेंट अफसर हो जाता है तो वह सब चीजों से महरूम हो जायगा। क्या वह ऐसी जगह भी जमीन ऐक्वायर नहीं कर सकता जहां उसकी आफ़िशियल पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल न होता हो? जहां तक मुझे याद है एक अफसर ने तो ऐक्वायर कर लेने के बाद जमीन छोड़ दी यह कह कर कि लोगों को एतराज है इसलिये मैं मुनासिब नहीं समझता।

मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि उपनिवेशन विभाग ने जमीन किसी को नहीं दी। केवल यह हुआ कि ५०, ५० एकड़ एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स के लिये और कुछ पढ़े लिखे लोगों को जमीन देने के लिये नियम बनाये गये। बाकी किसी को १०, २०, ३० एकड़ इस तरह से जमीन दी गई और जिस वक्त जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट नाफिज हो गया तो हमने यह तय कर दिया कि ३० एकड़ से ज्यादा किसी को जमीन नहीं मिलेगी चूंकि फ्यूचर एक्वीजीशन की लिमिट ३० एकड़ रख चुके थे।

श्री उपाध्यक्ष---आप १८ मिनट तक भाषण करेंगे उसके बाद में १.२० तक सदन को चलाऊंगा।

श्री चरणसिंह---बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि स्टेट फार्म को स्थापित करने का क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य नफा कमाने का नहीं था। इसका उद्देश्य था डिमान्स्ट्रेशन फार्म कायम करने का। यह कार्मशियल प्रोपोजीशन नहीं है। बल्कि जहां तक कैटिल फार्म्स का ताल्लुक है, कई पीढ़ियों तक रिसर्च की जाती है और गवर्नमेंट रिसर्च स्टेशन्स पर लाखों, करोड़ों रुपये खर्च करती है। गरज थी सीड मल्टीप्लीकेशन की, और लोगों को अच्छी खेती करके सिखाना और आस-पास के किसानों को हर तरह की इमदाद देना। सीड इसका असली मकसद था। सीड १९५१-५२ में २२,२७० मन यहां से तक्सीम किया गया और अब सन् १९५६-५७ में ६७,००० मन। तो तिगुना सीड ५ साल के अन्दर हुआ।

अंडे ११,२६२, चिड़ियां ३,००० और दूध का ५,४१,००० पौंड सन् ५१-५२ में प्रोडक्शन था। और सन् ५६-५७ में दूध बढ़कर ७,८०,२५१ पौंड हो गया। कुछ हाइब्रिड मेज होती है उसके नीचे ४० एकड़ है। वह एक एग्रीमेंट था उसकी मातहत है और पंजाब गवर्नमेंट से भी कुछ मदद उसके सिलसिले में हमने ली थी। तो यह मैंने बतलाया जो कि मेरे लायक दोस्त जानना चाहते थे।

लोगों का कहना यह है कि साहब गन्ना ज्यादा पैदा किया जा रहा है और उससे तकलीफ होती है आस-पास के किसानों को क्योंकि फैक्ट्री पहले गवर्नमेंट का गन्ना लेती है और उनका पड़ा रह जाता है। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि केन कमिश्नर की रजामन्दी से वहां गन्ना का एरिया फिक्स होता है इस स्टेट फार्म का और वह सारी बातों को मद्देनजर रख कर उस रकबे का फिक्स करते हैं। इसलिये उनका जो ख्याल है कि सारे रकबे में या उसके ज्यादातर हिस्से में गन्ना बोया जाता है, वह गलत है। वहां पर ११,६७० एकड़ भूमि एग्रीकल्चरल क्राप के नीचे है। उसमें से केवल २,४०० एकड़ शुगर केन के लिए पड़ता है। ११,६०० एकड़ में से २,४०० एकड़ यानी १/५ एरिया। इससे कहीं ज्यादा एरिया में किसान अपने यहां गन्ना बोता है। ६० बीघे में १५ बीघे पक्के बोता है। करीब-करीब तिहाई और चौथाई एरिया में बोता है।

श्री गेंदासिंह---४ करोड़ एकड़ में से १२ लाख एकड़ पर गन्ना होता है।

श्री चरणसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से माननीय मित्र को करेक्ट कर देना चाहता हूं कि उन्नीस बीस लाख एकड़ तो ४५-४६ में था शुगर केन का एरिया और आज ३० लाख के करीब है। लिहाजा वह अपनी फिगर्स को रिवाइज कर लें। माननीय गेंदासिंह जी को ज्यादा इससे काम पड़ता है और वह गन्ने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। तो अगर वह अपने उसी ११ लाख पर ही कायम रहेंगे तो बहुत गलत हिसाब हो सकता है।

श्री गेंदासिंह---४ करोड़ में ३० लाख का हिसाब लगा लीजिए।

श्री चरणसिंह---गन्ना जिस एरिया में होता है वहां किसान १/३, १/४ गन्ना बोता है। उसका हिसाब लगाया जाता है। अब आप बुन्देलखंड को भी ले लेंगे, इलाहाबाद को भी ले लेंगे इस तरह से हिसाब लगायेंगे तो इस तरह तो कुनबा डूबता है।

श्री गेंदासिंह---मेरठ में.....

श्री चरणसिंह---देवरिया में १५ परसेंट एरिया है शुगर केन के अन्दर और मेरठ में भी १५ परसेंट है। माननीय मित्र जान लें।

एक बात उन्होंने कोआपरेटिव फार्मिंग के मुताल्लिक कही। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जरा ताज्जुब हुआ माननीय गेंदासिंह जी की इस तकरीर पर, क्योंकि मुझको सन् ५२ का एक कमेटी की प्रासीडिंग्स याद है। जब जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के मातहत रूल्स बनाने की बात थी तो जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में जो कोआपरेटिव फार्मिंग वाला चैप्टर है उस चैप्टर पर रूल्स बनाने की बात जब आयी तो वह जो रूल मेकिंग कमेटी गवर्नमेन्ट की तरफ से थी उसमें माननीय गेंदासिंह जी भी मेम्बर थे, माननीय गेंदासिंह जी ने जो बातें उस समय कही थी, वह मुझे याद है लेकिन मैं उनको दुहराना नहीं चाहता। वह शायद भूल गये हैं। मेरे से उम्र में वह कम हैं। लेकिन मेमोरी उनकी खराब होती जा रही है। वह उसको याद करें। जो बातें उन्होंने कही थीं और एक प्रोफेसर साहब थे मुकुट बिहारी लाल जी इन्हीं सब लोगों के मशविरे से उस सम्बन्ध में जो रूल बना या नहीं बना उसको वह फिर पढ़ लें। हो सकता है कि उनकी वह व्यूज अब पुरानी पड़ गई हों, वह कुछ तरक्की कर गये हों। लेकिन कोआपरेटिव फार्मिंग के मुताल्लिक उनकी उस वक्त क्या राय थी उसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता। हालांकि किसी की प्राइवेट बात का तो जिक्र नहीं होना चाहिये लेकिन वह प्राइवेट बात नहीं थी, कमेटी की बात थी और कमेटी भी गवर्नमेन्ट की थी, लेकिन फिर भी उसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता। ठीक नहीं रहेगा। इस कोआपरेटिव फार्मिंग के मुताल्लिक नेशनल प्लानिंग कमीशन का मशविरा है कि इसे एनकरेज करना चाहिये और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की भी राय है, उन्होंने अनेक बार कहा कि हमें दूसरे मुल्कों की नकल नहीं करनी है बल्कि परसुएशन से किसानों को समझाना है कि कोआपरेटिव फार्मिंग स्टार्ट करें। इस गवर्नमेन्ट का इस नीति से कोई विरोध नहीं है।

आप लोगों को राजी करके कोआपरेटिव फार्मिंग करें, वह चल जाय तो बड़ी अच्छी बात है। इस तरह का एक्सपेरीमेंट करें, जहां तक गवर्नमेन्ट का ताल्लुक है उसमें कोई डिफरेंस आफ ओपीनियन नहीं है। जहां कोआपरेटिव फार्म्स चल रहे हैं वहां उनको कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट से एनकरेजमेंट भी मिलता है। मेरी जाती राय यह है कि रजामन्दी से लोग तैयार हो जायं तो बहुत अच्छी बात है, किसी को क्या एतराज हो सकता है कि वे कामयाब हो जायं। मैं चाहता हूं कि वे कामयाब हों, बड़ी खुशी की बात होगी और लोगों की कोआपरेटिव फार्म्स से जो उम्मीदें बन्धी हुई है वे पूरी हो जायंगी। एम्प्लायमेन्ट बढ़ जाय, प्रोडक्शन बढ़ जाय, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ? लेकिन मेरी नाकिस राय यह है कि जो हमारा थोड़ा बहुत तजुर्बा है, किसानों की जो मनोवृत्ति के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि जो कुछ मैंने लिखा-पढ़ा है, जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, रूस और चीन की बाबत जो रिपोर्ट्स देखी

हूं उनसे मैं यह समझता हूं कि वह कोई सही चित्रण नहीं है वहां की स्थिति का। मैं नहीं समझता कि वहां की पैदावार कोई ज्यादा बढ़ गई, मैं नहीं समझता कि इससे बेरोजगारी दूर हो गई या इससे डेमोक्रेटिक टेंडेंसी को एनकरेजमेंट मिलेगा। लिहाजा एक नागरिक होने के नाते मैं भी अपनी राय देने का हक रखता हूं और विशेष कर उस सूरत में जबकि नेशनल प्लानिंग कमेटी का मशविरा है कि वालेंटियरी तरीके से हो और प्राइम मिनिस्टर अनेक बार कह चुके हैं कि एक्सपेरीमेंट हो लेकिन दूसरे मुल्कों की नकल नहीं होनी चाहिये। तो यह रास्ता खुला हुआ है कि एक आदमी चाहे जो कुछ अपनी राय रक्खे। इसलिये इसमें चिरागपा होने की क्या जरूरत है, कोई क्राइसिस होने की बात नहीं है। चरणसिंह या प्लानिंग कमीशन की एक राय है। उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। अगर विरोधाभास की बात होगी तो वह मेरे गौर करने की बात जरूर हो जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही गई कि लैंडलेस को जमीन देनी चाहिये। लेकिन वह यह बात भूल जाते हैं कि कालोनाइजेशन की पूरी स्कीम गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के हुक्म से स्टार्ट हुई है। उन्होंने ही रुपया इन इंस्टीट्यूसंश को दिया। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा बसाने की जरूरत डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को है। इसमें जो ९१५७ खानदान बसाये गये उनमें ५७२३ खानदान रिफ्यूजीज के हैं जोकि लैंडलेस होकर आये थे। उनको पुरुषार्थी कहिये या लैन्डलेस कहिये। फिर एक्स सर्विस के लोग आते हैं। १९६७ खानदान रिफ्यूजीज के बाद एक्स सर्विस के हैं। इस तरह से दोनों मिलाकर दो तिहाई तो यही हो गये।

गेंदासिंह जी ने कहा कि मैंने यह आक्षेप उन पर लगाया कि लखीमपुर के तराई एरिया में वह देवरिया के लोगों को नहीं भेजना चाहते, जिसने यह कहा वह झूठा है। पता नहीं क्यों झूठ शब्द का इस्तेमाल किया गया। मैंने तो यह बात कही नहीं गेंदासिंह जी से, लेकिन अगर किसी ने कही भी तो उसे झूठा बतला कर उन्होंने यही सिद्ध किया कि उनके खून में गर्मी आई। इससे उन्हीं की तन्दुरुस्ती पर असर पड़ेगा। यह मुनासिब नहीं था किसी के लिये यह कहना कि वह झूठा है।

रुद्रपुर के लिये कहा गया कि वहां खर्चा नहीं हो रहा है। अगर आस-पास किसानों की हालत अच्छी होगी तो टाउन डेवलप करेगा। किसान के पास जिस वक्त सरप्लस प्रोड्यूस होगा तो टाउन खुद डेवलप करने लगता है। हम एक आध दफ्तर बनाने की बात भी सोच रहे थे लेकिन खर्चा नहीं मिला। कहा गया कि लैंड रेवेन्यू न मालूम कितने गरीब किसान दे रहे थे, डेवलपमेन्ट चार्जेज लिये जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उनका जो कहना है कि जमीन इतनी खराब है, जमीन खराब है तो सर्किल रेट भी सबसे लो है, डेढ़ रुपया एकड़, दो रुपया एकड़ और शायद ही कहीं किसी ट्रैक्ट में ढाई रुपया एकड़ हो, इससे ज्यादा कहीं नहीं है। वहां पर ५-६-७, तीन किस्म की जमीन हुआ करती थी और चूंकि २४६ सैक्शन जमींदारी एबालिशन ऐक्ट का सेक्शन बन गया कि उत्तर प्रदेश भर में जितने किसान हैं अगर डबिल दि सर्किल रेट से किसी का लगान ज्यादा है तो वह दरख्वास्त देकर अपना लगान घटवा सकता है "डाउन टु डबिल दि सर्किल रेट"। यह सेक्शन तराई में लागू नहीं है। इसलिये हमने एक्जीक्यूटिव आर्डर से इस सेक्शन का फायदा उन लोगों को पहुंचा दिया। इसीलिये ६,१०० गरीब किसानों को ७,८०० रुपये का नफा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस अनुदान को मंजूर करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन—लेखा शीर्षक ४०—कृषि में एक रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२--उपनिवेशन--लेखा शीर्षक ४०--कृषि के अन्तर्गत ७१,९६,६०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर २४ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

अनुदान संख्या २--लेखा शीर्षक ७--मालगुजारी

माल उपमंत्री (श्री परमात्मानन्द सिंह)--अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २--मालगुजारी (भू-राजस्व)--लेखा शीर्षक ७--मालगुजारी के अन्तर्गत ५,५०,१२,८०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

*श्री भलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--अधिष्ठाता महोदय, मै अनुदान संख्या २--मालगुजारी (भू-राजस्व)--लेखा शीर्षक ७--मालगुजारी के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में सबसे विषम समस्या जो हम लोगों के सामने उपस्थित है। वह किसानों की है। उत्तर प्रदेश में जो जमीन पर काम करने वाले हैं, जो जमीन पर श्रम करने वाले किसान हैं, उनको हम लोग बराबर उपेक्षा करते चले आये हैं। यदि हम लोग स्वतंत्रता मिलने से पूर्व की ओर देखें तो हमारे बंधु जो सत्तारूढ़ हैं, वह कृषकों से कहा करते थे कि हम जमींदारी समाप्त कर देंगे और तुमको जमीन का राजा बना देंगे, जमीन उसकी होगी जो जोतेगा। श्रीमन्, किसान बहुत उत्सुक था और स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद १९५२ में जब जमींदारी उन्मूलन विधेयक प्रस्तुत हुआ तो किसानों में हर्ष का एक वातावरण फैल गया कि जो बीच का दलाल जमींदार है वह खत्म हो जायगा। यदि असंगत न हो तो कह दूं कि उस समय बड़े-बड़े नेता किसानों से कहते थे कि नहर गंग तुम्हारी है, भराई क्यों देते हो? लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? जब यह काला कानून जमींदारी खत्म होने के बाद आया तो उन किसानों की आशा मिट्टी में मिल गई। आंकड़ों के आधार पर जमींदारी समाप्त होने से पहले कर ७,००,००,००० रु० आता था लेकिन खत्म होने के बाद वह २२,००,००,००० रु० आने लगा। बीच के दलाल के खत्म होने से सरकार को तिगुना टैक्स मिलने लगा। इसके अलावा किसानों से कहा गया कि तुम दस गुना लगान दो तो हम तुम्हें भूमिधर बना देंगे वह पुराने स्वप्न भूल गया और उसकी समझ में आ गया कि यदि दस गुना देंगे तो भूमिधर बन सकोगे, जमीन के राजा बन सकोगे।

श्रीमन्, जो हमें अधिकार मिले हैं उनको देखें तो हमें मालूम होगा कि जब हम दस गुना लगान देंगे तो दस रुपये वाले को १०० रुपया देना पड़ेगा वह ४० साल तक चलेगा और फिर वह पूरा हो जायगा। यदि कोआपरेटिव सोसाईटीज से कर्जा लें तो ९ रुपये प्रति सैकड़ा सालाना ब्याज पर मिलता है और जो पुरानी हैं उनसे ६ रुपये प्रतिशत पर मिलता है। यदि इस आधार पर देखें और वह रुपया कर्ज लेकर भूमिधर बने तो हमारा लगान बढ़ जाता है, घटता नहीं है।

श्रीमन्, इसके बाद हम देखें कि हमारे किसानों को क्या राहत मिली तो हमारे मंत्री जी दुहाई देंगे जैसा कि इस पुस्तिका में दिया है जो हम लोगों के सामने रखी गई है, उसका नाम है "उत्तर प्रदेश की भूमि-व्यवस्था में क्रांति" इसमें दिया है कि हमारे प्रान्त में अन्य प्रान्तों से टैक्स कम है और जो बजट भाषण हुआ था उसमें भी वित्त मंत्री की तरफ से यही दुहाई दी गयी थी कि हमारे प्रान्त में अन्य प्रान्तों से टैक्स कम है। हमारे माल मंत्री जी ने इस पुस्तक में कहा कि अन्य प्रान्तों में सेल्स टैक्स अधिक है इसलिये वहां का लगान कम है। मैं आपके द्वारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्रीजी को बता देना चाहता हूं कि यदि लगान के सम्बन्ध में अन्य प्रान्तों के आंकड़े देखे जायं तो जहां फी एकड़ का एवरेज उत्तर प्रदेश में ४रु० ६ आ० ९ पा० है वहां पंजाब में १ रु० १ आ० ६ पा० है, बिहार में १ रु० ६ पा०, राजस्थान में १३ आ० ६ पा०, आसाम में २ रु० ६ आ० ८ पा०, बंगाल में १ रु० ९ पा०, मध्य प्रदेश में १ रु० ५ आ० २ पा०, मध्य भारत में २ रु० ३ आ० ९पा०, बम्बई में १रु ० ६ आ० ६ पा०, पेप्सू में १ रु० १५ आ० २ पा० और ट्रावनकोर में २ रु० ४ आ० हैं। तो इस हिसाब से भी हमारे प्रदेश का एवरेज अन्य प्रदेशों से दूना है। इस आधार पर भी यदि यहां का किसान यह मांग करे कि हमारे लगान में छूट दी जाय तो कोई अनुचित बात नहीं है। जमींदारी उन्मूलन से पहले हमारे राजस्व में केवल ७,००,००,००० रु० आते थे जिसके आज २२,००,००,००० रु० आते हैं। यदि हम उसका आधा करते हैं तब भी १०,००,००,००० रु० यानी पहले से ड्योढ़ा राजस्व रहता है। इसलिये अगर यह सरकार किसानों का लगान आधा करती है तब तो उसके सत्तारूढ़ होने से पहले किये गये वादे पूरे हो सकते हैं अन्यथा नहीं।

हमारे सामने दुहाई दी जायगी कि आज किसान की परचेजिंग पावर बढ़ गयी है। मैं नहीं कह सकता कि कैसे बढ़ गयी है। यदि हम आज से २० साल पहले के रुपये का मूल्यांकन करें तो दो आने के बराबर आज का रुपया बैठता है। तो किसान की परचेजिंग पावर घटी है यदि इन आंकड़ों से मिलाया जाय।

इसके अलावा वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश का किसान नहीं चाहता कि लगान आधा हो या टैक्स कम हो, यह तो पोलिटिकल पार्टियां सिर्फ अपनी तरफ से एक राजनीतिक स्टन्ट के लिये कहती हैं। तो मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि १० मई, १९५६ को इसी प्रदेश में १,७६,००० किसानों ने हर जिलाधीश की कोठी पर प्रदर्शन किया था और कहा था कि हमारा लगान आधा किया जाय, हम टैक्स से दबे जा रहे हैं। उसकी तरफ सरकार ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। यह प्रदर्शन जनसंघ के नेतृत्व में हुआ था।

इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में माननीय माल मंत्री जी ने यह दिखाया है कि अन्य टैक्सों का एवरेज अगर हम लगायें तो मालगुजारी हर साल कम होती गयी है। मेरी समझ में नहीं आता कि मंत्री जी सिर्फ आंकड़ों के ही फेर में रहते हैं और यह देखते हैं कि हमारे प्रान्त का यह एवरेज है, इसके आधार पर काम होना चाहिये। क्या मंत्री जी बता सकेंगे कि सेलस टैक्स का इनडाइरेक्ट टैक्स किसान पर नहीं लगता है, पंचायत टैक्स किसान पर नहीं लगता, तम्बाकू पर जो केन्द्र द्वारा टैक्स लगाया गया है वह किसान पर नहीं लगता है? मैं पूछता हूं कि कौन सी ऐसी चीज है जिस पर केन्द्र या प्रान्त टैक्स लगाये और वह इनडाइरेक्टली किसान पर न लगता हो?

इसके बाद जो व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने वसूलयाबी की की है उसमें एक करोड़ कुछ लाख के ऊपर खर्च होता है। यदि हम पुराना इतिहास देखें तो राज्य नवाबों का था परन्तु शासन कम्पनी करती थी। वहां दोहरा शासन था। आज अगर हम गांव की स्थिति देखें तो वहां दोहरे शासन के स्थान पर चौहरा शासन हो रहा है। इस सरकार के द्वारा उसी गांव में लेखपाल काम करता है, उसी गांव में सेक्रेटरी काम करता है, उसी गांव में वी०एल०डब्लू० काम करता है और उसी में अमीन काम करता है। इतने व्यक्ति एक ही गांव में काम करें इसे तो श्रीमन् मैं किसी प्रकार बुद्धिमानी नहीं समझूंगा। एक ही व्यक्ति के द्वारा, गांव पंचायत या सेक्रेटरी के द्वारा यदि लगान वसूल कराया जाय तो कम से कम डेढ़ करोड़ रुपये का लाभ हो सकता है। मैं नहीं समझ पाता की सरकार ने क्यों इस प्रकार की नीति अख्तियार की है।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहूंगा जिसका कि मुझे अनुभव हुआ है। अल्प बचत योजना का प्रादुर्भाव उन्हीं के द्वारा हुआ है उधर से कहा जाता है कि विरोध पक्ष के लोग केवल विरोध करने के लिये विरोध करते हैं, जो सही नहीं है। हम लोग कहते हैं कि यदि राष्ट्र का उत्थान हो तो हम हर हैसियत में, अपने खून की आखीरी बूंद भी देने के लिये तैयार हैं। मैं पहले भी सदन में इस बात को कह चुका हूं, लेकिन यह जो ड्राइव चलाया गया

[श्री मलिखान सिंह]

अल्प बचत योजना का, उसमें यदि कोई पैसे वाला पैसा देता है अपने राष्ट्र के उत्थान के लिये, तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। वह रुपया राष्ट्र के निर्माण के लिये व उसके उत्थान के लिये लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। अल्प बचत योजना में लोग जाते हैं उन्हीं काश्तकारों के पास जिनके पास पैसा नहीं है और यह बात मैंने इस चौहरे शासन में अनुभव की। उस व्यक्ति के पास लेखपाल जाता है, सेक्रेटरी जाता है, वी०एल०डब्लू० जाता है, अमीन, तहसीलदार और नायब-तहसीलदार जाता है और उसी व्यक्ति के पास कोआपरेटिव का सुपरवाइजर भी जाता है। अब वह मजबूर हो जाता है कि किस का कहा माने। तहसीलदार साहब नाराज हो जायेंगे, मैं किसको रुपया दूं, इधर सेक्रेटरी साहब नाराज हो जायेंगे, हमारा कुआं नहीं बनने देंगे। तो इस चौहरे शासन की वजह से गांव की जनता परेशान है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या तीन तीन गांव बांट कर एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता। यदि गांव समाज का एक व्यक्ति जमीन को देखे, दूसरा लगान वसूल करे और उसकी उन्नति के लिये जो काम करने हैं, कुएं आदि बनवाना है उनको करवाये तो क्या काम नहीं चल सकता है? लेकिन नहीं, उसके लिये तो अदालत पंचायत में चार व्यक्ति छोड़ दिये जायेंगे और इस तरह से पैसे का दुरुपयोग हो रहा है।

तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि आज देहात का किसान टैक्सेज के कारण पिस रहा है जितने भी इंडाइरेक्ट टैक्स हैं वह सब उस के ऊपर पड़ते हैं। पंचायतों ने तो गधों और गाड़ी पर भी टैक्स लगा दिया, हर एक चीज पर टैक्स है तो वहां का गरीब किसान जो यह सोचता था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह राज्य हमारा होगा, नहरें हमारी होंगी, नेताओं के कहने पर उसने पता नहीं क्या क्या सोचा था वह नहीं हुआ वह आज परेशान है और दबते चले जा रहे हैं। आज जितने भी इंडाइरेक्ट टैक्सेज हैं वह उन पर पड़ रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री जी ने बड़ी दुहाई देते हुये कहा था कि अन्य प्रान्तों के मुकाबिले में हमारे यहां टैक्सेज कम हैं। क्या उन्होंने यह भी देखा कि अन्य प्रान्तों के मुकाबिले में हमारे यहां लगान दूना है। इस पर मंत्री जी ने कभी सोचा नहीं, समझा नहीं, क्योंकि उनको आवाज देने वाला यहां कोई नहीं है। सिर्फ वोट मांगने के लिये वह किसानों के पास जाते हैं और दोहाई किसानों और मजदूरों की देते हैं। सदन में आकर उनको भूल जाते हैं, सोचते हैं कि देश के उत्थान के लिये किसान को चूसा जाय तो अच्छा है। मैं चाहता हूं कि लग्जरी की चीजों पर टैक्स लगा दिया जाय जिससे कि किसान बचें।

तो श्रीमन्, मैं आप के द्वारा सदन से और माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसान का लगान अविलंब आधा किया जाय, और दिया हुआ दसगुना अविलंब वापस किया जाय। उसके बाद किसान समझेगा कि वह वास्तव में जमीन का मालिक है, वह स्वतंत्र है। यदि आज की गांव की स्थिति देखी जाय तो मालूम होगा कि पहले जमींदार के कहने पर खूंटा नहीं गड़ता था और आज प्रधान के कहने पर खूंटा नहीं गड़ता। प्रधान और सेक्रेटरी वहां के शासक हैं तो मैं कैसे कहूं कि गांव स्वतंत्र है। सिद्धांत में हम पूर्ण समाजवाद का नारा लगाते हैं। और कहते हैं कि हम देश में सोशलिज्म ला रहे हैं, गांवों को स्वावलम्बी बना रहे हैं लेकिन श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि गांव स्वावलम्बी नहीं हो रहे हैं। बल्कि गांवों के गरीब मजदूर और किसान गांवों को छोड़ कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। इस पुस्तक में बतलाया गया है कि हम जमीनों को इस तरह से करना चाहते हैं कि जिससे गांव ऊपर उठ सके। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि गांव ऊपर नहीं उठ रहे हैं। वहां के गरीब लोग शहरों की तरफ रिक्शा चलाने के लिये भाग रहे हैं। शहरों में वह रिक्शा चला कर अपना पेट भरते हैं जिस रिक्शा पर आदमी बैठता है उसको वह खींचते हैं। यह दशा आज उनकी हो रही है।

माल विभाग का जो कार्य है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस पुस्तक में चकबन्दी की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है। अभी मुझे यह पत्र मुरादाबाद के उन किसानों का मिला है जिनकी जमीन ले ली गयी है। वे छोटे-छोटे किसान थे। उनकी

अच्छी जमीन बीच के लोगों ने ले ली है जिन्होंने अधिकारियों को खुश किया। आज वहां पर पुलिस का शासन है। दफा १४४ वहां पर लगी हुई है। उनसे कहा गया है कि यह तुम्हारी खेती है और इस तरह से उनको खराब जमीन दी गयी है और अच्छी जमीन उनको उन लोगों को दी गयी है जिन्होंने पैसा दिया है। कहा गया है कि चकबन्दी अच्छी हो रही है लेकिन देखने में कुछ और आता है।

कहा जाता है कि दैवी प्रकोप हो गया। यदि अधिक अन्न पैदा हो गया तो कह दिया जाता है कि सरकार ने अच्छा काम किया और पैदा नहीं हुआ तो कह दिया जाता है कि दैवी प्रकोप हो गया। यह क्यों नहीं कहते कि यह नतीजा सरकार की गलत नीति का है। ५ साल से यह कहा जा रहा है कि दैवी आपदा की वजह से पूर्वी जिलों में अन्न की कमी हो रही है और पश्चिमी जिलों की समस्या भी बाढ़ की वजह से बनी हुई है। मंत्री जी से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बतलाया कि जब हमने १० गुना की स्कीम को चलाया था तो किसानों के पास पैसा था। उस समय में देहात में था जब यह स्कीम चली। उस समय लोगों को लालच दिया जा रहा था कि तुमको बन्दूक देंगे और दूसरी चीजें देंगे। इस आधार पर उन लोगों से सरकार ने ३४,०१,८१,९९३ रुपया वसूल किया। हम नहीं कहते कि जो उचित चीज है उसको गांवों में न कहा जाय। उसको गांवों में अवश्य प्रसारित किया जाय कि यह तुम्हारे लाभ की चीज है। किन्तु मैं इस सफलता को सरकार की सफलता नहीं समझता। वास्तव में उस समय किसानों के पास पैसा नहीं था इसलिये उन्होंने दसगुना नहीं दिया और वे भूमिधर नहीं बन पाये और इसके लिये कहा यह जाता है कि इन पार्टी वालों ने पैसा नहीं देने दिया। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विरोधी पार्टी हमेशा इस पक्ष में रहती है कि जो सच्ची मांग हो उसको माना जाय और जो सच्ची न हो उसको न माना जाय। आज दशा यह है कि देश में सोशलिस्टिक पैटर्न बनाने जा रहे हैं लेकिन देहात से गरीब मजदूर और किसान भाग रहे हैं।

आचार्य जी इस समय यहां पर नहीं हैं। उन्होंने उस दिन कहा था कि तुम अपने समाजवाद को अपने पास ही रखो मेरा तो गांधी जी का समाजवाद है। क्या गांधी जी ने कहा था कि ग़रीब को उजाड़ो और किसान को परेशान करो? उन्होंने गांधी जी के समाजवाद को अपना समाजवाद कह कर रखा था। वास्तव में प्रगतिशील समाजवाद की रचना के लिये सरकार को आगे की ओर देखना होगा। यदि असंगत न हो तो मैंने पहले भी कहा था कि आपके ट्यूबवेल के कारण गांव का किसान मजदूर बेकार हो रहा है। वहां कोई रोजगार या कुटीर उद्योग नहीं है। क्या आप बिना पढ़े-लिखे लोगों को भूखों मारना चाहते हैं? लखनऊ और दिल्ली को सजा कर गांवों को उजाड़ना ही क्या आपका समाजवाद है? किसान लगान के बोझ से दबता चला जा रहा है। इसलिये सरकार को चाहिये कि हमारे कटौती के प्रस्ताव पर विचार करे।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—श्रीमन्, विरोधी दल की ओर से विवाद के समय जिस प्रवृत्ति का अनुसरण किया गया है उसे देखते हुये मुझे प्रकृति में दो प्रकार की मक्षिकाओं का स्मरण हो आता है, मधु-मक्षिका और साधारण मक्षिका। मधु-मक्षिका फूलों का गंध और रस का संचय कर मधु बनाती है और साधारण मक्षिका गन्दगी लेकर हैजे जैसी संक्रामक बीमारियां फैलाती हैं। मैं विरोधी दल के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि ऐसे अवसर पर वह मधु-मक्षिका का अनुसरण करें तो वे समाज के लिये अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे। हमारी स्वाधीनता के बाद जमींदारी-उन्मूलन शान्तिमय क्रान्ति की एक महान् और अद्वितीय ऐतिहासिक घटना है। उसके बाद भूमि-व्यवस्था के सिलसिले में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितने भी क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं वे सब आनुषंगिक हैं और उनमें हम इस प्रदेश की किसान जनता की दशा में उत्तरोत्तर सुधार कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ में विरोधी दल के किन्हीं शब्दों या बातों का उत्तर देना उचित नहीं समझता।

[श्री महाबीरप्रसाद शुक्ल]

श्रीमन्, जमींदारी-उन्मूलन की सब से बड़ी देन हमारा भूमिधरी का अधिकार है। जब तक हमारे प्रदेश के सभी किसानों को यह अधिकार नहीं मिल जाता है तब तक वास्तव में इसका सब से बड़ा लाभ नहीं हो सकता है। सन् ५२ के ३० जून के दखीलकार काश्तकारों में से कितने आज तक भूमिधर बन चुके हैं, इसे देखते हुये हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम अपने भूमिधरी के अधिकार देने के तरीकों में सफल नहीं हुये। अभी तक हम थोड़े ही प्रतिशत को भूमिधर बना पाये हैं। सन् ३० में कांग्रेस अग्रेरियन कमेटी ने स्पष्ट कहा था कि जमींदारी-उन्मूलन के बाद सभी किसानों को हम जमींन का मालिक बनावेंगे परन्तु हमारे प्रदेश के किसानों का बहुत बड़ा भाग, अभी तक भूमिधर होकर जमींदारी-उन्मूलन के काम से लाभान्वित नहीं हो सका है। हमारी भूमिधरी के तरीके में कमी है। १० गुने की प्रथा जमींदारों के मुआवजे और पुनर्वास अनुदान के लिये चलाई गई थी और सरकारी तथा गैर-सरकारी सारे प्रयासों के बाद भी कुछ ही प्रतिशत किसान भूमिधर हो सके। सन् ५७ तक जिस प्रगति से हम चलते रहे हैं उससे आने वाले ४०, ५० वर्षों में भी सभी किसान भूमिधरी के अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वे ग़रीब हैं और १० वर्ष का लगान एक मुश्त नहीं दे सकते हैं। वे प्रति वर्ष अपना वही लगान देते जाते हैं जो सन् ५२ के पहिले दे रहे थे। जो भूमिधर बनते हैं वे १० साल का लगान एक मुश्त देने के बाद ४० वर्ष तक आधा लगान देने के अधिकारी रह जाते हैं। मैं माननीय माल मंत्री जी का ध्यान इस ओर कई बार दिला चुका हूं। मैं किसानों की ओर से यह मांग करता हूं कि उन किसानों को जिनकी संख्या ८० फीसदी से ज्यादा है वे अधिकार दें जिससे उन्हें अब तक वंचित रखा है। अन्तर केवल इतना रहे कि वह अपना वर्तमान लगान देता रहे और जब कभी १० गुना दे दे उसका लगान औरों की तरह आधा रह जावे।

दूसरी बात यह है कि हमारे प्रदेश की भूमि-व्यवस्था का कानून बहुत बड़ा है। धीरे-धीरे जितने संशोधन इसमें होते जा रहे हैं और नियम बनते जा रहे हैं उन सबका महाभारत की तरह एक महान् ग्रन्थ बनता जा रहा है। वह साधारण किसानों की तो क्या, वकीलों के लिये भी समझना दुर्गम होता जा रहा है। वकील लोग भी इसका अनुसरण कठिनता से कर पाते हैं। मैंने वर्ष, दो वर्ष पहले मंत्री जी से कहा था कि इसे सरल बनाइये और इसकी धाराओं को कम कीजिये, जमींदारी-उन्मूलन और मुआविजे की बातें अलग कर दीजिये और किसानों से संबंधित बातें अलग। उन्होंने उस समय ऐसा कुछ कहा था कि सन् ५७ में एक ६०, ६५ धाराओं का कानून लावेंगे। मैं उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि अब वह समय आ गया है। इन सब सरकार के अधिकारी कानूनों को न जानने के कारण किसानों से बेजा फायदा उठाते हैं। भूमिधरी, सीरदार, अधिवासी और आसामी, इन सब श्रेणियों को कम करके केवल भूमिधर और अभूमिधर दो तरह की श्रेणियां रखनी चाहिये।

भूमि पर आखिरी सीमा निर्धारण करना न केवल हमारे प्रदेश की वरन् सारे देश की समय की मांग हो चुकी है। माननीय मंत्री जी को सोचना चाहिये कि हमारे प्रदेश की इस मांग को अब बहुत दिनों तक अविलम्बित नहीं किया जा सकता है। मंत्रीजी ने जो सुधार किये हैं, इसमें संशय नहीं कि एक सजग प्रहरी की तरह वे उन्हें देखते रहते हैं। परन्तु बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि बेजा लाभ उठाने वाला उनसे फिर भी लाभ उठा लेता है। चकबन्दी में माल विभाग के पुराने कर्मचारियों को उन्होंने अनुभव के आधार पर रख लिया है। वे अपने अनुभव को जनता के हित में न लगा कर अपने ही हित में प्रयोग कर रहे हैं और यही महान् कारण है कि हर जगह चकबन्दी में बुराई की शिकायत सुनाई देती है। अगर ऐसे आदमियों को अलग रखा जाय और दूसरे अच्छे आदमियों को रखने की चेष्टा की जाय तो चकबन्दी से हमारे प्रदेश की किसान जनता को, जहां इतनी

छोटी-छोटी जोतें हैं, बहुत लाभ पहुंचेगा और इसको अगर कार्यान्वित करना ही चाहते हैं तो इन दोषों को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिये।

माननीय मंत्री जी ने सहकारिता के सम्बन्ध में अपने विचार एक पुस्तिका के रूप में प्रकट किये हैं। मैंने उसको ध्यानपूर्वक पढ़ने की चेष्टा की। उनके विचारों से बहुत कुछ सहमत होते हुए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चकबन्दी और सहकारिता दोनों को देखते हुए अलाभकर और छोटी जोतों को लाभकर बनाने में कौन-सी अधिक कारगर हो सकती है। इसको देखते हुए मुनासिब यह होगा कि दोनों तरीकों का साथ-साथ प्रयोग किया जाय तो अच्छा होगा। इन चीजों को लेकर उन्हें आगे बढ़ना चाहिये जिससे वह सहमत हों और उसकी व्यवस्था उन्हें शीघ्र करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय माल मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने मूल में सुधार करने की चेष्टा की। उसमें लेखपालों ने पटवारियों का स्थान ले लिया। यह उनका एक बड़ा क्रान्तिकारी कदम रहा। जब कभी ऐसे नये रक्त हमारे बीच आते हैं तो मानव की विचारधारा उसकी कार्यप्रणाली बदलती है। उससे लाभ होता है। लेकिन हमने देखा कि उससे हमें निराशा ही हुई। कारण यह हुआ कि नीचे से तो हमने लोगों को बदल दिया लेकिन ऊपर वही लोग रहे। उनको शिक्षा और दीक्षा देने वाले कानूनगो, नायब तहसीलदार और तहसीलदार वही रहे। उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को जो नये ले लिये गये अपने जैसा ही बना लिया और दुर्भाग्य से बहुत से लोग वैसे बन भी गये। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे सुधारों के समय यह आशा होती है कि उससे नयी प्रवृत्ति और भावनाओं का उदय होगा लेकिन जब तक ऊपर के काम लेने वाले नयी प्रवृत्ति के नये आदर्शों के और नयी पद्धति वाले लोग नहीं होते तब तक उन सुधारों में पूरी-पूरी सफलता हम नहीं मिल सकती। अगर ऐसे क्रान्तिकारी सुधारों के करते समय हम ऊपर के वही अधिकारी रखेंगे तो कभी भी निश्चय रूप से हम उन सुधारों में कारगर नहीं हो सकेंगे।

इसलिये मैं यह सुझाव दूंगा कि ऊंचे स्तर के लोगों में ऐसे प्रशिक्षित लोग हों, ऐसे अधिकारी हों जो एक प्रकार से टेस्टेड हों जिनकी कार्य-पद्धति और ईमानदारी में और जनता की सेवा करने में, मिशनरी भावना में किसी प्रकार की कमी न हो। जो लोग भूमि-व्यवस्था में काम करते हैं वे सीधे जनता के सम्पर्क में आते हैं और उनमें अधिकतर लोग किसान हैं। इस प्रकार से वे किसानों के सीधे संपर्क में आते हैं। इसलिये अगर माल विभाग में काम करने वाले लोग अच्छे नहीं होते तो लोगों में सारे अन्य विभागों के प्रति भी अश्रद्धा पैदा हो जाती है। आज का युग बदल गया है। आज का नागरिक जानता है कि उसका अधिकार क्या है। वह यह भी जानता है कि वह उनको प्राप्त कर सकता है, उसको पाने की शक्ति उसके पास है। वह सारे देश और प्रदेश की इच्छा पर शासन करता है। उसके पास वाणी भी है और कभी-कभी वह उस वाणी का प्रयोग सत्य के बाहर भी करता है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि जो भी लोग उनके संपर्क में आने वाले हैं वे जनसेवक हों और उसी रूप में वे उनके सामने जायं एक शासक के रूप में न जायं। यदि उनकी तरफ ध्यान दिया जाय तो निस्सन्देह मैं समझता हूं कि यह बुराइयां दूर हो सकती हैं। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारे सुझावों पर विचार करेंगे।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हम लोग जब इस सदन में आये हैं तो हम लोगों को एक पुस्तिका मिली है। अगर यह पुस्तिका एक घंटा पहले मिली होती तो हमको अच्छी तरह से अध्ययन करने का मौका मिला होता।

श्री चरणसिंह--वह पुस्तिका तो कल ही मिल गयी होगी।

श्री मदन पांडेय—आज जलपान के समय के बाद हमको मिली है। इस पुस्तिका में सब से पहला आइटम जो डील किया गया है वह भ्रष्टाचार और अयोग्यता को दूर करने का प्रयत्न है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी के सामने जब हम कोई शिकायत ले जाते हैं तो वे यही कहते हैं कि जब मैं गोरखपुर गया था तो आप क्यों नहीं लाये और जब वहां शिकायत ले जाते हैं तो आप कहते हैं कि कलेक्टर साहब को दे दीजिये। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में गोरखपुर ऐंटी करप्शन कमेटी की बैठक में प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना एम० पी० द्वारा की गई एक शिकायत पर बहुत पहले विभागीय रिपोर्ट मांगी गई थी। उसके करीब दो महीने बाद पिछले दिनों जब ऐंटी करप्शन कमेटी की मीटिंग थी उसमें जब रिपोर्ट मांगी गयी तो कहा गया कि अभी तो रिपोर्ट आयी ही नहीं है। जब भ्रष्टाचार के प्रति आपके अधिकारियों का यह रुख है और वे अधिकारी जो गोरखपुर के जिलाधीश हैं, जो बड़े जिम्मेदार हैं और जिनके बारे में उस दिन १५ जुलाई को जब जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट आपकी सभा में बोलने के लिये खड़े हुए तो आपने कहा कि आपको आवाज तो शाही जी के साथ मिलनी चाहिये। उसी दिन वसूलयाबी की ज्यादती के सम्बन्ध में मैंने एक शिकायत रखी थी तो उसके लिये कहा गया कि सम्बन्धित अधिकारी को पनिशमेंट कर दिया गया है और वहां से उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। मैंने समझा कि पनिशमेंट के अलावा उसका ट्रांसफर हुआ होगा लेकिन बाद में पता लगाने पर मालूम हुआ कि उसका ट्रांसफर ही पनिशमेंट था। क्या यही भ्रष्टाचार और ज्यादतियों को रोकने का आपका प्रयत्न है?

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वाकई आप भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सचेष्ट और सक्रिय हैं तो जरा स्वयं कष्ट कीजिये, केवल कलेक्टर के ऊपर ही निर्भर रह कर भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयत्न न कीजिये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आयन्दा खुद जाकर जरा कचहरियों का मुआयना कीजिये जहां एक-एक दिन में दो-दो सौ मुकदमें लगा दिए जाते हैं और तहसीलदार साहब केवल एक घंटे के लिये ही वहां आते हैं। इस पर गौर करना है कि इस तरह से इन अदालतों और तहसीलों का भ्रष्टाचार कैसे दूर हो सकता है।

अब इसके बाद में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पुस्तिका में बहुत से विधेयकों का जिक्र किया गया है। तो विधेयकों के सिलसिले में ही अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जमींदारी विनाश और लैंड रिफार्म्स ऐक्ट में जो व्यवस्था की गई है और जो कई वर्ष से इस सूबे में लागू है उसको कई वर्ष के बाद भी शहरी क्षेत्रों में क्यों नहीं लागू किया गया? बाद में मुझे मालूम हुआ कि आपने शहरी क्षेत्रों के लिए भी एक कानून बनाया है परन्तु वह भी सिविलियन पापुलेशन वाले क्षेत्रों पर आप उसको लागू करने नहीं जा रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मुहब्बत उनको शहरी जमींदारों से है जो वे उनके साथ रियायत पर रियायत करते जा रहे हैं? वे अपनी एक एक चप्पा जमीन बेच-बेच कर उससे मालदार होना चाहते हैं। उनको सहूलियतें देने से क्या अभी तक आपका पेट नहीं भरा है जो इस तरह से आप शहर के रहने वालों की जिन्दगी को हराम कर रहे हैं?

श्री चरणसिंह—आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। अधिष्ठाता महोदय, यहां पर जितनी ही शिष्ट भाषा का इस्तेमाल किया जाय वह अच्छा होगा। मेरा पेट भरा है या नहीं भरा है, इस तरह की बात न माननीय सदस्य के लिये शोभा की बात है और न मेरे लिये शोभा की बात है और न सुनने में ही ऐसी बात अच्छी लगती है।

श्री मदन पांडेय—यदि इन शब्दों से उन्हें कुछ कष्ट पहुंचा है तो मैं अपने मतलब की बात आगे कहता हूं और इन शब्दों को वापस लेता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह अधिक दिनों तक इस शहरी जमींदारी विनाश कानून को न अटकाये रखें। अगर सेल्स टैक्स ऐक्ट की मंजूरी वह २४ घंटे में दिल्ली से मंगवा सकते हैं तो इस पर भी आपको स्वीकृति फौरन मिल सकती है।

इसके अतिरिक्त जहां तक बाढ़ का सम्बन्ध है उस आइटम के सम्बन्ध में कहा गया है कि ५६-५७ में आपने बहुत सी बल्लियां, बांस और खर की व्यवस्था की थी बाढ़पीड़ितों के लिये। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आपने ....

श्री चरणसिंह--प्वाइंट आफ आर्डर। मेरा कहना है कि वह बाढ़ वाला अनुदान पेश नहीं है, वह सूखे, बाढ़ का जो अनुदान था वह तो पास हो गया। मैं समझता हूं कि अब उस पर बहस करना अप्रासंगिक और इर्रेलेवेंट होगा।

श्री अधिष्ठाता--आप इसी अनुदान पर बोलें जो इस समय सदन में पेश है।

श्री मदन पांडेय--माननीय मंत्री महोदय ने अब बाढ़ वाली बात तो समाप्त कर दी लेकिन इसके अलावा मैं कहूंगा कि बहुत सी शिकायतें हमारे और हमारे मित्रों के पास आती हैं। बहुत सी शिकायतें कुर्क अमीनों के विरुद्ध हैं। मैंने स्वयं भी जो शिकायतें दी थीं उनका जो परिणाम हुआ वह भी मैंने आपको बताया। इस एक रुपए की कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मुझे कोई खुशी नहीं होती। मैं तो चाहता था कि इस अनुदान पर वादविवाद वृद्धि का प्रस्ताव लाकर होता तो अच्छा था और मैं उसका समर्थन बड़ी खुशी से करता। मैं उन तहसीलों की तरफ भी ध्यान दिलाऊंगा कि जहां पर बगैर बीस आने दिये कोई कागज नहीं देखा जा सकता, इस चीज की ओर भी मंत्री जी ध्यान दें। आपको तबादले की जो नीति है उस पर गौर करें। जिन अधिकारियों को आप अपनी प्रशासन सम्बन्धी नीतियों के कारण केवल तब्दील कर देते हैं उनके उस तबादले के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि जिस ५७-५८ के कार्य के लिये आप हमसे इस मद में साढ़े ५ करोड़ रुपया स्वीकार कराना चाहते हैं उसमें मैं जानना चाहता हूं कि महाराजगंज के एस० डी० एम० का ३ बार तबादला किया गया और तीनों बार फिर क्यों रोक दिया गया? केवल इसलिये कि एलेक्शन हो जाय उसके बाद देखा जायगा। इस तरह से एलेक्शन के लिये तबादलों को रोकना और ऐसी नीति बनाना कि जब तक एलेक्शन खत्म न हो जाय उन्हें कार्यान्वित न किया जाय मुनासिब नहीं है।

श्री चरणसिंह--प्वाइंट आफ आर्डर, एस० डी० एम० के ट्रान्सफर का ताल्लुक माल विभाग से नहीं है, अगर तहसीलदार का तबादला रोका हो तो वह फरमा सकते हैं।

श्री मदन पांडेय--मैं दोनों के विषय में कह सकता हूं।

श्री अधिष्ठाता--आप बैठ जाइये, यह अनुदान राजस्व का है। इसमें तहसीलदार तो आता है लेकिन एस० डी० एम० के सम्बन्ध में आप बहस न करें।

श्री मदन पांडेय--कोई ऐसी बात नहीं है एस० डी० एम० नहीं आ सकते हैं तो उदाहरण की मेरे पास कमी नहीं है, आपकी सरकार में उदाहरण एक दो नहीं कितने ही मिलेंगे।

श्री अधिष्ठाता--भवन में जरा शान्ति रखी जाय।

श्री मदन पांडेय--माननीय मंत्री महोदय को मेरी हर एक बात में ऐब दिखाई पड़ते हैं तो मैं केवल यह निवेदन करूंगा कि इस अनुदान पर स्वीकृति मांगते समय जो यह पुस्तिका हमें दी गई है, इसमें जो चीजें दी गई हैं उनका सच्चे हृदय से पालन करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहूंगा कि समय हर एक माननीय सदस्य के लिये निर्धारित कर दिया जाय और मेरा प्रस्ताव है कि हर एक व्यक्ति को दस मिनट दिये जायं और विरोधीदल के नेतागण इस पर १५ मिनट भाषण दें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जोनपुर)——श्रीमन्, मुझे एक सुझाव देना है। कल भी इस प्रकार का सुझाव आया था और मैं समझता हूं जैसा कल माननीय नेता विरोधी दल का सुझाव था, जिसको सदन ने स्वीकार किया था वही सुझाव अगर आज भी माना जाय तो अच्छा होगा।

श्री अधिष्ठाता——बताइये क्या सुझाव था।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे——वह यह था कि जो कटमोशन मूव कर रहा है उसको २० मिनट का समय और साधारण सदस्यों को १० मिनट का समय। और नेता लोगों को १० मिनट से ज्यादा बोलने का अधिकार देना चेयर की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया था। मैं समझता हूं यही उचित भी है।

श्री चरणसिंह——श्रीमन्, मैं यह सुझाव देना चाहता था कि बजाय २० मिनट के कटमोशन वाले को १५ मिनट का समय दिया जाय...

श्री अधिष्ठाता——कटमोशन तो पेश हो चुका।

श्री चरणसिंह——यह तो हम कल तक के लिये तय कर रहे हैं। जो आगे कटमोशन वाले को १५ मिनट और दूसरों को १० मिनट का समय दे दिया जाय।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे——श्रीमन्, आज का तो कटमोशन पेश हो चुका है। परन्तु मंत्री जी ने जो सुझाव दिया है मैं समझता हूं कल जो सुझाव था वही ज्यादा अच्छा होगा बनिस्बत इसके कि उसका समय कम किया जाय।

श्री गेंदासिंह——मैं समझता हूं शायद यह बात पहले तय हो चुकी है। २० मिनट या १५ मिनट की बात तो अभी न की जाय क्योंकि इस समय न तो नेता विरोधी दल हैं और न वे ही लोग हैं जिनके बीच में यह बात तय हुई है। और मैं ऐसी बात भी नहीं समझता कि माननीय चौधरी साहब को इस तरह का प्रस्ताव करने का हक नहीं है। लेकिन बेहतर यह होगा कि वह लोग भी मौजूद हों तब इसको तय कर लिया जाय।

श्री चरणसिंह——जैसा हाउस और आप श्रीमन्, मुनासिब समझें कर लें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अधिष्ठाता——कटमोशन तो पेश हो चुका है, इसलिये मैं चाहता हूं नेताओं के लिए १५ मिनट का समय रहे और जो अन्य सदस्य भाषण दें उनके लिये १० मिनट का समय रहे।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)——माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज माननीय माल मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे सबसे पहले एक बात यह कहनी है जो माननीय मदन पांडेय से सुनी कि जब माल मंत्री जी से कोई शिकायत की जाती है तो वह कहते हैं कि मुझसे क्यों नहीं कही या पहले मुझे क्यों नहीं बतायी। तो यह सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ। आज तक जब कभी भी किसी ने शिकायत की, मैं भी एक सदस्य की हैसियत से आपको बता देना चाहता हूं कि जब कभी भी किसी को अवसर मिला है उनसे बातचीत करने का और कभी भी कोई शिकायत उनके विभाग की की गई तो बड़े ध्यान पूर्वक उन्होंने सुनी है और तत्काल कार्यवाही भी की है। हमें इस बात के लिये गर्व होना चाहिये कि हमारे माल मंत्री जी अपने विभाग के बारे में इतने सचेष्ट रहते हैं। साथ ही साथ यह भी बताना है कि किसानों की कठिनाइयों की जो जो बातें उनके सामने रखी गई और जिस धैर्य के साथ उन्होंने उस पर कदम बढ़ाया उसके लिये उत्तर प्रदेश के किसान बहुत आभारी हैं।

इसके अलावा यह भी बता देना चाहता हूं कि जमींदारी विनाश कानून जिस ढंग से बनाया, जिससे प्रान्त के किसानों को जो फायदा हुआ, जिसके बारे में माननीय महाबीर प्रसाद जी ने अपने विचार जाहिर किये, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार के इस कार्य से जितना फायदा यहां के किसानों को पहुंचा है उतना देश में कहीं नहीं पहुंचा है ।

अब मुझे दो एक बातें आपके सामने रखनी हैं । लेखपालों को अभी भी जो अधिकार किसी भी खेत के ऊपर नाम लिखने का मिला है वैसा शायद हाई कोर्ट के जज को भी नहीं है । उसके लिये सब को शिकायत है, कहीं कहीं झगड़े भी हो जाते हैं । ऐसी दशा में मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो अधिकार लेखपालों को एक आदमी का नाम काटकर दूसरे का नाम लिखने का है उसके लिये तत्काल ऐसा आदेश करें कि वह अधिकार उनको न रहे । हाकिम परगना को भी उतना अधिकार नहीं है जितना कि लेखपाल को है । हाकिम परगना के यहां तो पहले दावा करना पड़ेगा, गवाही देनी पड़ेगी और फिर उसके बाद अगर गवाही ठीक हो गई, सबूत सही हो गया, शहादत ठीक हो गई तब कहीं जाकर वह नाम काटने का हुक्म देगा । उसके बाद भी वह पता नहीं कहां जायगा, अमलदरामद में जायगा, या क्या होगा और अमलदरामद में लेखपाल चाहेगा तो काटकर ठीक करेगा, नहीं चाहेगा तो पता नहीं क्या क्या करेगा । तो मैं निवेदन करूंगा कि नाम काटकर दूसरे का नाम लिखने का अधिकार उसको नहीं होना चाहिये । जब तक कि खेत का मालिक या जो उस पर काबिज है वह राजी न हो जाय कि खेत से उसका नाम काटकर दूसरे का नाम लिखा जाय तब तक लेखपाल को इसका अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार का जितना नाम लिया जाता है उतनी बात तो सचमुच है नहीं । हां, भ्रष्टाचार है । लेकिन उस भ्रष्टाचार के जिम्मेदार केवल सरकारी कर्मचारी ही नहीं है और केवल माननीय चौधरी चरणसिंह जी ही उसके लिये जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जितने भी इस प्रान्त के लोग हैं सभी अपनी-अपनी जगह पर उसके लिये जिम्मेदार है, अगर वह उसे सोचें और समझें । कचहरियों में हम भी जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से लोग रिश्वत दिलाते हैं । जब केस पेश होता है तो वकील मुख्तार लोग मुवक्किल से कहते हैं कि बिना २० आने दिये यहां काम नहीं चलेगा । हाकिम लोग भी इस बात को जानते हैं लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते । इसको रोकने के लिये मैं जो उनके सलाहकार हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इसको रोकें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इधर दिलाऊंगा ।

एक बात यह भी मुझे निवेदन करनी है कि हाकिम परगना में लोग तारीख अपने हाथ से डाले और जो मुवक्किल हो उसको बता दें कि आपके मुकदमें में यह तारीख पड़ी ।

एक बात मैं खासतौर से कहना चाहता हूं जो कि सबको शायद पसन्द हो कि नये विभाग जो सरकार के खुलते हैं उसमें बड़े जोरों के साथ हमारी सरकार भी और हमारी सरकार के हमदर्द भी चलना चाहते हैं जैसे कि एन०ई०एस० ब्लाक्स हैं या कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स हैं उनके जो अधिकारी हैं उनको देखते हुये सबको दुख होता है कि तहसीलदार क्या वही काम नहीं करता है । उसके ऊपर सारे माल विभाग की जिम्मेदारी है । साथ ही साथ जितने अन्य कार्य अन्य विभागों के हैं वह भी उसी के ऊपर लदे रहते हैं । इसी तरह एस०डी०एम० के ऊपर भी सारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसकी सहूलियतों को देखते हैं और एन०ई०एस० ब्लाक्स वगैरह के जो बी०डी० ओज० हैं उनकी सहूलियतों को देखते हैं तो उनकी सहूलियतें इनसे कहीं कम हैं । इसी तरह से कानूनगो की भी हालत है ।

मैं इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाऊंगा और यह कहूंगा कि जिस तरह से एन०ई०एस० ब्लाक्स के बी०डी०ओज० को मोटरें दी गई हैं उसी तरह से तहसीलदारों को भी मोटरें मिलनी चाहिये, उनके काम के बोझ को देखते हुये । अगर उनको भी यह सहूलियतें दे दी जायं तो मैं समझता हूं कि जो हमारे सामने दिक्कतें आती हैं कि बाढ़ आयी और एस०डी०एम० को फौरन पहुंचना है, तो एस०डी०एम० कैसे पहुंचे । अगर उसके पास भी मोटर होती तो वह फौरन

[श्री धनुषधारी पांडे]

पहुंच सकता है, तो यह दिक्कतें दूर हो सकती हैं। इन सब बातों को देखते हुये उसको भी वह सारी सहूलियतें देने का प्रबंध होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

*डाक्टर खमानी सिंह (जिला मुरादाबाद)—श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, जो हमारे मुखालिफ दल की तरफ से कटमोशन पेश हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। लेकिन पेश्तर इसके कि मैं इस मोशन पर कुछ अर्ज करूं एक चीज आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तीन चार साल से मेरे दिल में एक गोली लगी हुई है और वह गोली है एक बहुत बड़े हमारे दोस्त की। मैं अपने ऐलक्टर्स का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं उस गोली का यहां आपरेशन कर सकूं। यह आपरेशन थियेटर जो उस गोली को निकालने के लिये मुझे मिला है उसके लिये मैं अपने एलेक्टर्स का मशकूर हूं और श्रीमान् जी का भी मशकूर हूं। हमारे एक बहुत बड़े नेता ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया और कहा कि एलोपैथिक डाक्टर्स आर दी एजेंट्स आफ दी वेस्ट। ये वर्ड्स हैं जो गोली की तरह मेरे सीने में चुभ रहे हैं। ये हेल्थ से ताल्लुक रखते हैं इसलिये अधिष्ठाता महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे हेल्थ पर इस सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया जायगा और वहां उस वक्त इस गोली के सम्बन्ध में अर्ज करूंगा।

अब, श्रीमान् जी, इस रेवन्यू के सम्बन्ध में मैं अर्ज करता हूं। सबसे पहले मेरे बुजुर्ग दोस्त हाफिज साहब ने उस रोज फरमाया था कि रेवेन्यू जो है वह टैक्स नहीं है, बल्कि यह मुआविजा है उस जमीन का जो हम लोग किसानों को देते हैं उससे फायदा उठाने के लिये। श्रीमान् जी, अगर उनके ही वर्ड्स लिये जायं कि यह मुआविजा है टैक्स नहीं है, तो क्यों नहीं सब जमीनों पर मुआविजा है। क्या वजह है कि बहुत सी जमीनें जो आपने दे रक्खी हैं उन पर कोई टैक्स नहीं हैं और जो काश्तकारी पर जमीन है उस पर लगान है, मिसाल के लिये बर्लिंग्टन होटल है जिसकी आमदनी रोजाना ३००, ४०० रुपये है, वह भी जमीन पर ही बना हुआ है लेकिन उस पर आप कोई मुआविजा नहीं लेते। इस बर्लिंग्टन होटल को उड़ा दिया जाय और काश्तकार को वह जमीन दे दी जाय तो कल ही हमारे माल मंत्री जी टैक्स उस पर लगा देंगे। क्या यह अन्याय नहीं है?

(इस समय ३ बज कर २४ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

जिस जमीन पर काश्तकार काबिज है, उसमें कुछ पैदा नहीं होता, सुबह से शाम तक वह उस पर मेहनत करता है लेकिन पेट भर खाने को नहीं मिलता उस पर आप लगान लेते हैं।

श्रीमान् जी, दूसरी बात यह अर्ज करूंगा कि लगान वसूल करने का वही पुराना तरीका चला आ रहा है। जब हम आजाद नहीं हुये थे तो हमारे नेता लोग कहा करते थे कि भाई काश्तकार पिसा जा रहा है, लगान वसूल करने का तरीका बड़ा सख्त और दुखदायी है। श्रीमान् जी, अगर गौर से देखा जाय तो कोई फर्क उस तरीके में और आज के तरीके में नहीं मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना हो गया है कि पहले जमींदार लगान वसूल करता था, वही काश्तकार पर नालिश करता था तब जा कर उसे मौका मिलता था लगान वसूल करने का। लेकिन आज कोई जरूरत नहीं है नालिश करने की। अमीन जाता है और कुर्की कर लेता है। अंग्रेजों के जमाने में काश्तकारी के सामान की कतई कुर्की नहीं होती थी लेकिन आज जबकि हम आजाद हैं तो उस समय काश्तकारी का सामान नीलाम कर लिया जाता है।

शरह का जहां तक सम्बन्ध है हमारे दोस्त ने आंकड़े बतलाये। उसके मुताल्लिक ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहां जो लगान है वह दूसरे सूबों के मुकाबिले में बहुत ज्यादा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, सन् ३६ में कांग्रेस ने रिजोल्यूशन पास किया था, जिसकी आज गवर्नमेन्ट है, कि अनएकनामिक होल्डिंग्स पर लगान नहीं होगा। उस रिजोल्यूशन को पास करते वक्त क्या आपका दिमाग और ध्यान कुछ और था और आज आपका दिमाग और ध्यान कुछ और है? अगर वाकई यह रिजोल्यूशन आपने पास किया था तो क्या ऐक्शन सरकार ने उसके मुताल्लिक लिया।

श्रीमान् जी, काश्तकार रात दिन अनेक प्रकार की मुसीबतों से घिरा हुआ है। उसे अच्छे जानवरों व बीज की जरूरत होती है। हमारे यहां जो चरागाह हैं उन पर भी लगान लग गया है। फिर मजे की बात यह है कि वे चरागाह शहर वालों को एलाट कर दिये गये हैं इसलिये कि गल्ला कम है, उन पर गल्ला अधिक पैदा किया जाय शहर वाले थोड़े पैसे में उनको एलाट करा लते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं। वे टिप कर देते हैं, रिश्वतें देते हैं और जमीनों को अपने नाम एलाट करा लेते हैं।

श्री चरणसिंह—प्वाइंट आफ इनफार्मेशन, कौन सी जमीन का जिक्र कर रहे हैं?

डाक्टर खमानी सिंह—जो चरागाहों की जमीन है।

श्री चरणसिंह—शहर वालों के अलावा ऐसी जमीन है?

श्री उपाध्यक्ष—आप बतला दें कि कौन-कौन सी हैं, जिससे माननीय मंत्री जी को सुविधा हो जाय।

डाक्टर खमानी सिंह—श्रीमान् जी, जब जमींदारी जब्त नहीं थी तो सिर्फ हमको लगान ही लगान देना पड़ता था और लगान बढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन अब एक टैक्स और बढ़ा दिया गया और वह है अबवाब। पहले वह जमींदारों से लिया जाता था और मुनाफे पर लिया जाता था। अब यह अबवाब टैक्स मुनाफे पर नहीं बल्कि लगान हो गया है। यह असल में गवर्नमेन्ट को देना चाहिये था और गवर्नमेन्ट का हक था पे करने का, क्योंकि पहले तो जमींदारों का अबवाब था और अब गवर्नमेन्ट जमींदार हो गयी तो अब वह गवर्नमेन्ट को देना चाहिये।

श्रीमान् जी, एक चीज मैं आप से यह अर्ज करूं कि अभी कल और परसों हमारे सदन में इस बात की बड़ी चर्चा थी कि पूर्वी जिलों में कहत पड़ रहा है। हमारे माल मंत्री जी ने यह फरमाया कि कहत तो नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि कुछ काश्त की कमी है। जब हमारे पास नाज की कमी है, हमारे पास खाने को नहीं है, तो श्रीमन् जी मैं आपसे अर्ज करूंगा कि हमको फिजूल खर्चा करने से क्या फायदा है। हमारी गवर्नमेन्ट के इस काम को अगर दो तरह से डिवाइड किया जाय कि एक तो मुहम्मद तुगलक का काम और एक औरंगजेब का काम तो ज्यादा मुनासिब होगा। मुहम्मद तुगलक का काम यह कि मामूली सा आपके पास पैसा है, गल्ला नहीं है और हाउस को एयर कंडीशंड बना रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिये। जब आपने वोट मांगा था तो यह नहीं कहा था कि हम इस हाउस को एयर कंडीशंड बनायेंगे। जो वादे किये हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिये। जो रुपया आप इसमें खर्च करेंगे वह बिलकुल फिजूल खर्च होगा। एक और मिसाल बता दूं कि हमारी तहसील में एक फ्लड शेड बना है और वह १५ मार्च और ३१ मार्च के बीच में बना है। १५ दिन में उस पर १५,००० रुपया खर्च हुआ है और वह ऐसी जगह बना है कि उससे १५ पैसे का भी फायदा नहीं होगा। वह "चोर-गृह" के नाम से मशहूर है।

एक बात और अर्ज कर दूं कि जमींदारी जब्त की, ठीक है, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जमींदारी जब्त करने के बाद हम लोगों को, जो गरीब काश्तकार हैं, छोटे-छोटे जमींदार थे देहातों के, उनको तबाह और बरबाद कर दिया। मिसाल के तौर पर बता दूं कि हमारी हजार रुपये की जो जायदाद थी उसका मुआविज १० रुपया दिया। खैर, वह भी ठीक है, १० दिये या ५ दिये, लेकिन आपने क्या दिया? आपने हमको छोटे-छोटे बांड्स दिये हैं, सौ-सौ दो दो सौ रुपये के। जब भुनाने जाते हैं तो साल में ४ रुपये मिलते हैं, २ खर्च होते हैं। वह बांड हमने ४०-४०

[डाक्टर खमानी सिंह]
रुपये के शहरियों के हाथ बेचे हैं। यह आपका न्याय कहां तक सही है? मैं अर्ज करूंगा कि इन बांड्स को फौरन जब्त कर लीजिये और जितने हजार रुपये से कम के बांड्स हैं उनके पेमेंट फौरन किये जायं। हजार से ऊपर वालों का रोक लीजिये, जब आपके पास पैसा हो तो उनका पेमेंट कर दीजिये।

मैं ऐग्रीकलचरल इनकमटैक्स के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। ऐग्रीकलचरल टैक्स को अगर हटा करके उसका नाम "जजिया" या "चौथ" रख दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐग्रीकलचरल इनकम टैक्स और अदर इन्कम टैक्स, (other income tax) इन सबके रूल्स एक ही होने चाहिये। वह सब मालदार लोगों पर पड़ता है और इसके रूल्स भी अलग हैं। लेकिन ऐग्रीकलचरल इन्कमटैक्स हमारे ऊपर पड़ता है और इसके रूल्स अलग हैं। उसके मुकद्दमे दो-दो तीन तीन साल में जाकर कहीं तय हो पाते हैं लेकिन हमारे यहां १५ दिन में सब मामले तय हो जाते हैं। वहां टैक्स देने के लिये, नक्शा बनाने के लिये वक्त मिलता है लेकिन हमारे यहां कोई वक्त नहीं मिलता। यहां कोई हिसाब नहीं है। वैसे हिसाब है, लेकिन हिसाब के मुताल्लिक में अर्ज करूं कि हम लोग हिसाब नहीं रख सकते हैं। श्रीमन्, मैं कहूंगा कि यह ठीक नहीं है। यदि आपको यह टैक्स लेना ही है तो इसके लिये मैं सरकार को एक मशविरा दूंगा कि जो लोग काश्त नहीं करते हैं उन लोगों से यह टैक्स लिया जाय और जो लोग हमारा पैदा किया हुआ गल्ला खाते हैं उनसे टैक्स लिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रामजी लाल सहायक (जिला मेरठ)—मान्यवर, हमारे प्रदेश में भूमि व्यवस्था के लिये माल मंत्री जी और प्रादेशिक सरकार द्वारा जो कदम उठाये गये हैं, वह प्रशंसनीय है। हमें इस बात का गर्व है कि हमारी भूमि व्यवस्था के लिये जो कदम उठाये गये हैं, उनकी चर्चा देश भर में है और अन्य प्रादेशिक सरकारें उनका अनुकरण करने की सोच रही हैं। ऐसे कार्यों के लिये माल मंत्री जी और हमारी प्रादेशिक सरकार प्रशंसा के पात्र हैं और हमें उनको बधाई देनी चाहिये।

श्रीमन्, हमारे प्रान्त में भ्रष्टाचार की बड़ी चर्चा की जा रही है। बहुत शोर है और
[illegible] हीं समझ सका कि आखिर यह शोर
[illegible] जाय कि भ्रष्टाचार है और दूसरी
[illegible] होना चाहिये कि माल विभाग और सरकार के अन्य अंग इसके प्रति सजग और जागरूक हैं। जब कभी कोई शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है तो फिर खाली शोर मचाने से कोई लाभ नहीं हो सकता है। अगर हम समझें कि भ्रष्टाचार सरकार के कंधे पर डालकर जिम्मेदारी से दूर हो जायं तो यह नहीं हो सकता है। हमारे समाज में अगर कोई खराबी है, कोई सामाजिक रोग है तो हम सबको मिलकर उसका उपचार करना होगा। जो भ्रष्टाचार की बात कहते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। समाज में जितनी इकाई हैं सबकी जिम्मेदारी है। हम क्यों न लोगों में यह प्रचार करें कि जो लोग भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं वह न हों। आखिर रिश्वत इसी लिये तो दी जाती है कि हमारा काम जल्दी हो और गलत काम हो। अगर हम, लोगों में यह प्रचार कर दें कि चाहे हमारा काम हो या न हो और चाहे हमें कितनी भी दिक्कत उठानी पड़े लेकिन हम कभी इसके पास नहीं जायेंगे तो इसका इलाज जल्दी हो सकता है। मैं माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि इसकी जिम्मेदारी केवल सरकार पर डालना ठीक नहीं होगा।

मान्यवर, चकबंदी के बारे में मैं कहूंगा कि हमारे प्रदेश में कई जिलों में कई वर्षों से हो रही है। चुनाव के दौरान में जब लोगों को कई किस्म की शिकायतें हो जाती हैं और उनकी मांगें भी कई तरह की हो जाती हैं, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि उस वक्त भी जब कहीं हम लोग गये और लोगों से पूछा कि चकबंदी का क्या हाल है तो उन्होंने यही कहा कि बहुत अच्छी

तरह से हो रही है। आज भी मैं यह कह सकता हूं कि हमारे पास जो किसान चकबंदी के सिलसिले में आते हैं उनकी तादाद दो प्रतिशत से कम है और उन्हें चकबंदी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं होती है बल्कि कुछ खेतों के अदलाव बदलाव की बात होती है। जब हम सैद्धांतिक तौर पर यह मानते हैं कि चकबंदी हमारे किसान के लिये फायदेमंद है, उससे उपज बढ़ेगी तो फिर यदि उसमें कुछ छोटी-मोटी बातें आती हैं उनको हमें सहना चाहिये न कि शोर मचाया जाय।

इस सिलसिले में मैं सरकार से यह जरूर निवेदन करूंगा कि गांवों में गरीब जनता रहती है। उनको घर बनाने की दिक्कत होती है। चकबंदी कानून में यह बात है कि रहने के लिये जमीन छोड़ी जाय और अवाम के फायदे के लिये जो चीजें हों उनके लिये भी जमीन छोड़ी जाय। लेकिन ऐसे मामले मेरे सामने आये जहां चकबंदी हुई और जमीनें नहीं छोड़ी गयीं। इससे गरीब लोग, जिनमें ज्यादातर हरिजन होते हैं, उनके बसने की बड़ी दिक्कत हो जायगी। काफी तादाद में ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि उन्हें मकान बनाने को जमीन नहीं मिल रही है। अभी तक तो एक दूसरे से ले लिया करते थे लेकिन चकबंदी हो जाने पर बड़ी दिक्कत होगी। इसलिये मंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि यदि आगे चकबंदी कानून का कोई संशोधन हो या किसी और तरह से वे यह कम्पलसरी कर दें कि गांवों में बस्ती के लिये जमीन छोड़ी ही जायगी तो ऐसा होने से गरीब लोग उन्हें धन्यवाद देंगे।

एक बात मुझे और निवेदन करनी है कि भूमि व्यवस्था का जितना काम होता है वह सब माल विभाग के द्वारा होता है। हमने गांव पंचायत कानून के द्वारा गांव समाजों को अधिकार दिया है कि वे गांव की परती जमीनों का लेखा जोखा रखें, उसे उठायें। इस सिलसिले में ऐसी शिकायतें आयी हैं कि गांव समाजों की जमीनों पर किन्हीं लोगों ने कब्जा कर लिया। वे पंचायत अधिकारी के पास गये लेकिन वे उस मसले पर मौन हैं। तो मैं यह समझता हूं कि अगर गांव पंचायत विभाग पूरे का पूरा माल विभाग के साथ जोड़ दिया जाय तो अधिक उत्तम होगा। गांवों में खेती का पेशा करने वाले ही लोग रहते हैं। उद्योग-धंधे भी अगर वहां होते हैं तो उनका भी सम्बन्ध खेती से होता है। इसलिये माल मंत्री जी से मेरा यह नम्र निवेदन है कि वे मेरे इस सुझाव पर कि गांव पंचायत विभाग माल विभाग के साथ जोड़ दिया जाय, विचार करें और इसे कार्यान्वित करने की कृपा करें।

इसके अलावा, श्रीमन्, ऊसर भूमि सुधारने के लिये और देश में अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार की तरफ से तकावी और सहायता दी जाती है। ऐसी बहुत सी जमीनें पड़ी हैं जहां कुछ भी पैदा नहीं होता। हमारे बहुत से नौजवान जिन्होंने ऐग्रीकल्चर में बी० एस-सी० किया है इस काम की तरफ जा रहे हैं। हमारे तकावी देने के जो नियम हैं वे लगान की शरह के अनुपात से हैं। ऊसर और परती जमीन का लगान बहुत कम आता है जिसकी वजह से तकावी बहुत कम मिलती है और लोग परती जमीनों को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया इस ओर भी ध्यान दें क्योंकि ऐसी परती जमीनों को सुधारने के लिये ज्यादा रुपये की जरूरत होती है। मेरी जानकारी में एक आध जगहें ऐसी आई हैं। मेरी तहसील में एक बी० एस० सी० हैं, नौजवान हैं। उन्होंने काफी जमीन ली है मलियाने के आगे और उन्होंने खेती भी की है। लेकिन वह बेचारे परेशान थे। उनकी मदद नहीं की जा सकी क्योंकि उस जमीन का लगान बहुत कम था। यह दिक्कत उसने हमारे सामने रखी। तो मैं यह चाहूंगा कि अगर हमारे तकावी नियमों में यह गुंजायश हो सके कि ऐसी जमीनों पर अधिक तकावी मिल सके तो वह हमारे देश में अधिक अन्न उत्पादन में सहायक होगी।

यूं जो और अन्य तकावी देने के नियम हैं वह इस प्रकार के हैं कि जिनसे हमारा गरीब किसान पीछे रह जाता है, उसको तकावी नहीं मिल पाती। ट्रैक्टरों और ट्यूबवेलों की जो तकावी है यह ठीक है कि उसे बड़े काश्तकार ही पायेंगे, लेकिन जमीन सुधारने, बीज के लिये या बैलों के लिये जो थोड़े रुपयों की तकावी है वह छोटे किसानों

[श्री रामजीलाल सहायक]

को मिलनी चाहिये और इसके लिये ऐसे नियम बनाये जायं कि जो छोटी जोत वाले किसान हैं उनको भी यह मिल सके। छोटे किसान नियमों के फेर में पड़े रहते हैं और उनको तकावी नहीं मिल पाती। सरकार का तो यह मंशा है कि गरीब किसानों के पास भी यह पैसा जाय और वह अपनी खेती की इससे वृद्धि कर सकें, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि यदि वह इस तरफ भी कदम उठा सके तो उत्तम होगा।

मान्यवर, मेरा एक नम्र निवेदन यह भी है कि सरकार को अब जल्दी ही यह कदम भी उठाना होगा कि हम प्रदेश में एक किसान की कितनी जोत की इकाई रखें, क्या सीमा हो ३० एकड़, २५ एकड़ या ५० एकड़ की। भूमि व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ, बहुत से कानून बने लेकिन आज भी ऐसे बड़े बड़े फार्म हैं कि जो आज अच्छे नहीं लगते। मुझे यकीन है कि माननीय मंत्री जी का ध्यान इस विषय की ओर है और जब कभी इस विधान में संशोधन होगा, वह इस ओर कदम उठायेंगे।

इन चन्द शब्दों के साथ मान्यवर, जो अनुदान मंत्री जी ने पेश किया है, मेरी सदन से प्रार्थना है कि उसे वह स्वीकार करें।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष की ओर से इस अनुदान पर जो कटमोशन पेश हुआ है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

मालगुजारी का सम्बन्ध जमींदारी खात्मे से पहले जमींदारों से और जमींदारी खात्मे के बाद काश्तकारों से हुआ। जमींदारी खात्मे से पहले काश्तकारों से यह साफ तौर से वायदा किया गया था कि जमींदारी खत्म होने के बाद उनको जमीन का मालिक बना दिया जायगा और उनको वे अधिकार दे दिये जायंगे जो जमींदारों को थे। उनसे उस समय यह बात नहीं कही गई थी और न इस किस्म का कोई कानून था कि उनको उस भूमि का अधिकार पाने के लिये कुछ कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। आज इस बात की हम को खुशी है कि शासक दल की ओर से भी इस बात का समर्थन मिलता है कि काश्तकारों को भी भूमिधरी का अधिकार मिलना चाहिये, लेकिन साथ-साथ यह सौदेबाजी वाली नीति कि उनको इस अधिकार की प्राप्ति के लिये मुआवजा देना चाहिये, उसके लिये उनको दसगुना देना चाहिये, यह बात सुन कर मुझे दुःख होता है।

दूसरी बात जो इसके सिलसिले में मुझे कहना है कि जमींदारी व्यवस्था कानून में काश्तकारों को अधिवासी के अधिकार प्राप्त हो गये हैं। यह हमारे माननीय माल मंत्री जी ने काश्तकारों के हित में अच्छी व्यवस्था की है। लेकिन इस व्यवस्था के साथ-साथ काश्तकारों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। यह मैं इस आदरणीय सदन को बता देना चाहता हूं कि पटवारियों की यह खास आदत रही है कि वह काश्तकारों को ज्यादातर शिकमी नहीं लिखते हैं। जब तक कि सम्बन्धित काश्तकार उनके पास जाता नहीं है और किसी तरह से उसको लिखने पर राजी नहीं कर लेता है और अगर वह उस खेत पर कब्जा छोड़ देता है तो इस बात की पटवारी फिकर नहीं करता कि उसका नाम उस नम्बर से काट दिया जाय जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति उसके पास न जाय। ऐसी सूरत में हजारों गलतियां पटवारी के कागज में रहती हैं। उसके फलस्वरूप जमींदारी के खात्मे के बाद ऐसे काश्तकार, जिनको अधिवासी के अधिकार प्राप्त हो गये, वे लगान से बरी हो गये और जिनका वाकई खेत पर कब्जा नहीं था और न जोतते थे उनसे वसूल किया गया। उसका नतीजा यह हुआ है कि उनसे लगान गलत तरीके से वसूल किया जाता है। वे काश्तकार दरख्वास्त देते हैं लेकिन उसकी दुरुस्ती नहीं होती। मैं एक मिसाल उन्नाव की देता हूं कि वहां पर ऐसे

३ हजार केसेज पड़े हुये हैं और ऐसे काश्तकारों को लगान देना पड़ रहा है। जबरदस्ती उनसे वसूल किया जाता है। वे कहते हैं कि हमारा कब्जा नहीं है और तब भी उनसे लगान लिया जाता है।

सरकार ने जो दुरुस्ती का तरीका रखा है वह भी बड़ा पेचीदा है। इन्क्वायरी कुर्क अमीन करे। वह तहसीलदार को रिपोर्ट दे, फिर वह डिप्टी साहब के पास भेजे और तब एस० डी० ओ० उसकी दुरुस्ती करे। मेरा सुझाव इस सम्बन्ध में यह है कि अगर काश्तकार खुद आकर कहता है कि इससे हमारा वास्ता नहीं है, गलत अधिवासी बना दिया गया है तो उससे लगान नहीं लेना चाहिये। इसमें कोई झगड़ा नहीं है और यह अधिकार तहसीलदार को दे देना चाहिये कि इस तरह की वह दुरुस्ती कर दें। किसान इसमें परेशान होता है कि वह एस० डी० ओ० के पास जाय। इससे इसका डिस्पोजल जल्दी हो जायगा।

दूसरी बात यह है कि जमींदारी के खात्मे के बाद जब से यह वसूली होने लगी है--वह अमीनों के जरिये से होती है--तब से जमाबन्दी जिसमें मालगुजारी की वसूलयाबी का रिकार्ड रखा जाता है, उसकी हर साल तैयारी होती है। पटवारियों को तहसीलों में बुलाया जाता है और १५ दिन, महीना भर तक उनसे जमाबन्दी को तैयार कराया जाता है। यह हर साल होता है। मेरा सुझाव इस सम्बन्ध में यह है कि हर साल जमाबन्दी बनाने के तरीके को बदला जाय। एक ऐसा रजिस्टर बनाया जाय जो कम से कम ५ साल तक चले ताकि वह कागज जो खर्च होता है वह बच जाय, पटवारियों को जो तहसील में बुलाया जाता है और भत्ता देना पड़ता है उसमें बचत हो और यह वेस्ट कम हो।

भ्रष्टाचार की बात कही गयी। सरकार की तरफ से कहा गया कि जब वे विरोधीपक्ष से भ्रष्टाचार की बात सुनते हैं तो ताज्जुब होता है, क्योंकि सरकार हमेशा भ्रष्टाचारी को सजा देती है। मेरा कहना यह है कि जब सरकार को डाइरेक्ट सबूत मिलता है तब साबित होने पर ही सरकार सजा देती है। लेकिन जहां कहीं शिकायत पटवारियों के खिलाफ या किसी अधिकारी के खिलाफ रिश्वत लेने की या परेशान करने की सरकार के पास आती है तो उसकी जांच का काम उसके अधिकारी को दे दिया जाता है। उसका परिणाम यह होता है कि वह तवज्जह नहीं देते और अगर तवज्जह दी तो उनकी जांच का तरीका इतना बेतुका है जैसा कि अंग्रेजों के जमाने में था उससे कोई मामला साबित नहीं हो पाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे मामले हुये हैं जिनमें काश्तकारों को लेखपालों ने मजबूर किया है कि आकर उनको रिश्वत दें। यह हो सकता है कि कहीं किसी काश्तकार ने खुद दी हो, लेकिन ऐसी मिसालें हैं जहां पर किसानों को मजबूर किया जाता है। मेरे पास एक मिसाल मौजूद है कि लेखपाल से कागज दुरुस्ती का एक काश्तकार ने इन्तखाब मांगा जिस पर एक काश्तकार का कब्जा था। लेखपाल ने उस इन्तखाब को १०० रुपये लेकर दिया। तो ऐसे मौके हैं जहां पर मजबूर किया जाता है। उस पटवारी के पास काश्तकार आकर कहता है कि इस खेत पर मेरा कब्जा नहीं है। इसका गलत इन्दराज है। लेकिन उसको सिर्फ तब्दील कर दिया जाता है। रिश्वत लेने पर या इस प्रकार के गलत इन्दराज करने पर जब तक सरकार कोई एग्जेम्प्लरी पनिशमेंट नहीं देगी तब तक इसकी रोक नहीं हो सकती। किसी अधिकारी पर डाउट हो तो उसको एग्जेम्प्लरी पनिशमेंट दी जाय नहीं तो यह रोग बढ़ता ही जायगा। वकीलों का सा तरीका नहीं होना चाहिये कि वह पूछें कि १० रुपये का नोट था या ५ रुपये का और जब तक सब लोग १० रुपये का ही नोट न बता दें तब तक उसको सजा ही न हो। किसी अधिकारी के खिलाफ अगर शुबहा है और पक्का शुबहा है तो चाहे उसके खिलाफ कहने के लिये कोई भी गवाह तैयार न हो फिर भी डिपार्टमेंटल पनिशमेंट उसको देना चाहिये और यह सजा काफी सख्त सजा होनी चाहिये ताकि वह एक नमूना बन जाय। अन्त में मैं माननीय माल मंत्री जी से

[श्री भीखालाल]
अनुरोध करता हूं कि वे इन सुझावों पर गौर करें और इनको अमल में लाने का प्रयत्न करें।

श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुदान जो सदन के समक्ष प्रस्तुत है, बड़े महत्व का है। यह अनुदान साधारण जनता से सम्बन्ध रखता है। इसमें लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार से लेकर ऊपर तक के जितने अधिकारी हैं उन सबका सीधा सम्बन्ध जनता से भूमि के द्वारा होता है।

अभी काफी वादविवाद इस बात पर किया गया है कि इस विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है, लेकिन वह इसी विभाग में नहीं है, सरकारी विभागों में ही नहीं, बल्कि समाज के सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है। अभी लेखपाल को ही ले लीजिये। सारे के सारे पटवारियों को हटा कर लेखपालों को नियुक्त किया गया। लेखपालों को रखने रखवाने में इस सदन के सदस्यों तथा दूसरे लोगों का हाथ रहा। सरकार ने अच्छे खासे भले लेखपालों को रक्खा। चाहे वह लेखपाल हों या दूसरे ऐसे सरकारी अधिकारी हों उन सबका सम्बन्ध समाज से है, कोई बाहर का आदमी नहीं है, कोई हमारे रिश्तेदार होंगे, कोई दोस्त होंगे या किसी के आसपास के होंगे। तो मैं पूछता हूं कि वे लोग हमारे करीब में रहते हैं और ४५--५० रुपया तनख्वाह पाते हैं तो फिर वे अच्छे स्टैंडर्ड से कैसे रहते हैं। तो यह सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार है लेकिन कुछ नहीं कहते। जब वे यहां आते हैं तो भ्रष्टाचार की बात कहते हैं। भ्रष्टाचार सारे समाज में भरा हुआ है इसलिये भ्रष्टाचार को दूर करने के पहले हमें यह सोचना होगा कि यह क्यों है और कैसे दूर हो सकता है। सारे समाज के नैतिक स्तर में भ्रष्टाचार इस प्रकार समा गया है कि वह केवल सरकार के बूते की बात नहीं है जब तक कि सब लोग मिल कर उसको दूर करने का प्रयत्न न करें। जब सब लोग मिल कर प्रयत्न करेंगे तब शायद वह दूर हो।

लेखपालों के बारे में कहा जाता है कि वह गलत इन्दराज करते हैं, मैं कहता हूं कि उनसे गलत इन्दराज कराया जाता है। आज का कानून ऐसा है कि आप शिकमी पर खेत उठा नहीं सकते हैं, लेकिन आपके पास सैकड़ों बीघा खेत है। आप कहीं नौकर हैं, कहीं मास्टर हैं या और कोई काम आप करते हैं, आप मजदूरों की बदौलत खेती करना चाहते हैं हल आप जोतना नहीं चाहते हैं तो बाकी खेत को शिकमी पर उठाना चाहते हैं और जब आप अपने खेत को शिकमी पर उठाना चाहते हैं तो फिर आप लेखपाल से फर्जी अपने नाम से इन्दराज करायेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें लेखपाल का क्या दोष है? जब आप भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं, बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिये जरूरी है कि पहले काम का बटवारा हो, एक आदमी को एक ही रोजी का काम दिया जाय। श्रीमन्, जब तक एक आदमी को एक रोजी का काम नहीं दिया जायगा, एक आदमी पचास काम करे, नौकरी भी करे, ठेकेदारी भी करे, खेती भी करे, वकालत भी करे तो और आदमी जो बेकार बनेंगे वे कहां जायं? भ्रष्टाचार का दोष अहलमद पर, पेशकार पर डाला जाता है लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा मामला आज ही हो जाय, हमारा काम आज ही बन जाय, नकल जिसके मिलने में दो रोज लगते हैं और पैसा भी लगता है वह आज ही मिल जाय, तो हम खुद बखुद जाकर अहलमद को आठ आने और पेशकार को दो रुपये देते हैं। श्रीमन्, आश्चर्य की बात तो यह है कि दोनों फरीक उनको पैसा देते हैं। जब तक वे पेशकार को दो रुपया नहीं दे देंगे तब तक उनको सन्तोष ही नहीं होगा कि हमारा मुकदमा होगा। यह एक उसूल सा बन गया है कि पेशकार को दो रुपया देने पर ही मुकदमा पेश होगा।

मैं इस बात को मानता हूं कि कुछ ऐसे भी वाकयात हैं जहां रिश्वत लेने की बात बनायी जाती है, ऐसा वातावरण बनाया जाता है लेकिन मैंने देखा है कि ज्यादातर रिश्वत

देने वाले ही अधिक हैं, क्योंकि आप जब फर्जी पड़ताल कराते हैं, फर्जी इन्दराज कराते हैं तो उसके लिये रिश्वत देते हैं। यह बात हर जगह खुली हुई है कि ज्यादातर रिश्वत देने वाले हो गये हैं। बीच के भी कुछ आदमी ऐसे हैं जो रिश्वत दिलाने का काम करते हैं। तो यह बात कहना सही नहीं है कि रिश्वत केवल सरकारी कर्मचारी ही लेते हैं। जो कर्मचारी हैं वे भी हमारे आपके बीच के ही आदमी हैं और यह मानी हुई बात है कि सारे समाज में स्वार्थ फैला हुआ है और उसी की वजह से भ्रष्टाचार भी फैला हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष——मैं समझता .. कि भ्रष्टाचार और रिश्वत पर आप काफी बोल चुके, कुछ और भी कहिये।

श्री राजकुमार शर्मा——अब मैं माल विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। माल विभाग द्वारा कुछ तकावी की भी व्यवस्था की गयी है। तकावी उन किसानों को नहीं मिलती जिनको मिलनी चाहिये। जिनके पास जमीन अधिक हो, लगान अधिक हो उनको भी तकावी मिलने की व्यवस्था होनी चाहिये अर्थात् छोटे-छोटे किसानों को भी तकावी मिलनी चाहिये। एक बात तकावी की बड़ी अजीब है कि बैल के लिये तकावी २५ रु०, २० रु० और १० रु० तक दी जाती है। आखिर बैल १० रु० और २० रु० में कहां मिलता है? बैल के लिये १०० रु० से कम की तकावी नहीं होनी चाहिये। तकावी ऐसे लोगों के लिये भी होनी चाहिये जो खेती न करके छोटा-मोटा व्यापार करते हैं।

माल विभाग ने जहां तक मेरा ख्याल है बाढ़ के मौके पर सराहना का भी काम काफी किया है। उसके कुछ कर्मचारियों ने अपनी जान की बाजी लगा कर भी बाढ़ के मौके पर काम किया। लेकिन मैं थोड़ी-सी बात चकबन्दी के बारे में भी कहूंगा। चकबन्दी का कानून हमारे यहां नहीं लागू किया जा रहा है जबकि हमारे यहां के किसानों को उसके लिये बड़ी जोरदार मांग है। यों तो चकबन्दी की काफी शिकायत भी लोगों ने की है लेकिन हमारे यहां के किसान चकबन्दी को बहुत चाहते हैं। चकबन्दी से लाभ है।

इसके अलावा मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ भी दिलाऊंगा कि हमारे यहां बाढ़ का क्षेत्र है और उसके विषय में जिले में कुछ गांव बाढ़ क्षेत्र रिकार्ड में माने जाते हैं और वे गांव ऐसे हैं कि जो हजारों साल से बाढ़ के क्षेत्र में अभिलिखित हैं और उनको सहायता सरकार की ओर से दी जाती है परन्तु इन गांवों के अलावा कुछ गांव और हैं कि जिनको हर साल बाढ़ से हानि उठानी पड़ती है लेकिन चूंकि वह सरकार के रिकार्ड में नहीं हैं इसलिये क्षतिग्रस्त होने पर भी उनको सरकारी सहायता का कोई लाभ नहीं मिलता। हमारे यहां चुनार तहसील के परगना मुल्ली, परगना हवेली और तिरयाक परगना में ऐसे गांव हैं कि जहां हर साल बाढ़ से हानि होती है, उनको आप जांच करा लें और उनको भी बाढ़ के रिकार्ड में अपने यहां शामिल करा लें ताकि जो सहायता दूसरे बाढ़पीड़ित गांवों में दी जाती है वह वहां के लिये भी दी जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब मैं माननीय माल मंत्री जी के पिछले जीवन से उनके आज के जीवन का मुकाबला करता हूं तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। पहले माननीय मंत्री जी जब इस कुर्सी पर नहीं थे तो वह कांग्रेस की एग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी में रहे थे और सम्भवतः उनकी सम्मति थी कि जो गैर मुनाफे की खेती है उस पर लगान न लिया जाय। लेकिन पता नहीं जब से वह यहां पर बैठे हैं, तब से वह इस बात को क्यों स्वीकार नहीं करते? वह कहते हैं कि ऐसा सम्भव नहीं है। ताज्जुब की बात तो यह है कि जब प्रदेश भर में इन

[श्री राजकुमार शर्मा]

बिना मुनाफे की जमीनों पर से लगान हटाने की बात चल रही है और इसको लेकर एक बड़ा भारी सत्याग्रह सोशलिस्ट पार्टी की ओर से चलाया जा रहा है और जिसमें ४,००० आदमी जेल जा चुके हैं तो भी मंत्री जी अब इसको नहीं मानते। अब माननीय मंत्री जी ने इसको सरकार की और अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है यद्यपि वह पहले स्वयं भी इस तरह की बातें करते थे, लेकिन जब से वह सरकार में आ गये इन बातों में फर्क आ गया। मुझे थोड़ा सा ताज्जुब यह भी है कि केन्द्रीय सरकार में जो वित्त मंत्री जी श्री टी० टी० कृष्णमाचारी हैं उन्होंने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया और इसको माना कि अलाभकर जोतों पर लगान नहीं होना चाहिये और कृषि आय पर टैक्स लगना चाहिये।

श्री चरणसिंह——उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दोस्त से केवल यह कहूंगा कि श्री टी०टी० कृष्णमाचारी का सुझाव यह है कि लैण्ड रेवेन्यू बिलकुल नहीं लेनी चाहिये बल्कि जैसे नान-एग्रीकल्चर आय पर टैक्स लिया जाता है उसी तरह से कृषि आय पर भी टैक्स हो। तो उन्होंने उसमें एकनामिक या अनएकनामिक होलडिंग्ज का कोई भेद नहीं किया है।

श्री रामस्वरूप वर्मा——माननीय मंत्री जी की बात मैंने बड़े ध्यान से सुनी और मैं समझता हूं कि वह दो कदम और आगे गये। यह जो सत्याग्रह चल रहा है और जिसमें यह मांग थी किसानों की ओर से वह केवल इतनी थी कि अलाभकर जोतों से मालगुजारी हटाई जाय। वह तो उससे भी आगे चले गये। आगे जाने की बात क्या वह केवल इसी को यदि स्वीकार करें तो सत्याग्रह को भी समाप्त किया जा सकता है तथा उनका हृदय बड़ा उदार सिद्ध होगा। मुझे आशा है कि वह कल अपने जवाब के भाषण में इस बात का एलान करेंगे कि अलाभकर जोतों से लगान हटाया जायगा। उनकी कठिनाई कृषि आय कर के बारे में हो सकती है लेकिन मैं समझता हूं कि अलाभकर जोतों के बारे में उनको कोई कठिनाई नहीं है। तो अब किस प्रकार चुप बैठे हैं और अलाभकर जोतों पर लगान लगाते चले जा रहे हैं। एक परेशानी भी होती है और वह यह कि जब मंत्री जी कांग्रेस एग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी में थे तो उसके अनुसार तो उन्होंने अलाभकर जोतों से लगान हटाने की बात कही थी और अब नहीं कह रहे हैं। पता नहीं कौन सी मुश्किल है। कौरवों का प्रश्न तो नहीं है जिसमें द्रोणाचार्य इसलिये चुप थे कि कौरवों का पैसा खाते थे। मंत्री जी पैसा खाते हैं पब्लिक का उनको तो इसलिये परेशानी नहीं होनी चाहिये थी।

दूसरी बात इस सम्बन्ध में और कहनी है वह यह कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने, सत्याग्रह के सम्बन्ध में जब यहां प्रस्ताव आया तो यहां पर कहा था कि इससे १० करोड़ रुपये का नुकसान होगा और वह रेवेन्यू कहां से आये? मानने के लिये तो तैयार हैं। लेकिन चूंकि १० करोड़ [illegible]

[illegible] उगाही पर खर्च होता है अगर अलाभकर जोतों पर से लगान उठा दिया जायगा तो उगाही में भी ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा क्योंकि स्टाफ इतना ज्यादा नहीं रखा जायगा जितना कि अब रखा [illegible] तो वह पैसा भी बचेगा। मान लीजिये कि ३५ लाख खर्च होता रहे तो एक करोड़ बचेगा इस प्रकार साढ़े दस करोड़ रुपया हो जाता है। तो इतनी बचत हो सकती है। सिर्फ हृदय में एक भावना लेकर उठें तो मेरा विश्वास है कि कोई अड़चन नहीं होगी।

टैक्स की जो नीति सरकार की है, वह भी आमूलतः दोषपूर्ण है, अबवाब भी बढ़ता जा रहा है, मालगुजारी ज्यों की त्यों किसान को पड़ रही है। १० गुना दो तो लगान आधा हो जाय। मुझे ताज्जुब होता है कि इस प्रकार की नीति सरकार की चल रही है और फिर भी हमारे मंत्री महोदय कहीं भूमिक्रांति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके जनता पर यह प्रभाव डालना

चाहते हैं कि उन्होंने करों का बोझ पब्लिक के ऊपर से बिलकुल खत्म कर दिया है और पब्लिक को यह समझाने की कोशिश की है कि बहुत आसायश पब्लिक को दे दी है। उनका यह प्रयास उसी प्रकार का है कि तमाम टैक्स तो पब्लिक पर बने रहें और मंत्री जी कहें कि नहीं बोझ तुमसे हट गया। जैसे एक आदमी टट्टू पर बैठे और इस दृष्टि से कि टट्टू पर बोझ ज्यादा न हो जाय अपने सिर पर बोझ को रख ले, ठीक उसी प्रकार मंत्री जी का हाल है। बोझ तो सब किसानों पर ज्यों का त्यों है, लेकिन भूमि क्रांति की बात कहते चले जा रहे हैं।

यही नहीं मंत्री जी के और भी कुछ काम ऐसे हैं, जैसे चकबंदी की योजना......

श्री चरणसिंह—तीसरा वंडर गिनवा रहे हैं। ४ बाकी रहे।

श्री रामस्वरूप वर्मा—मंत्री जी ने चकबंदी की योजना लागू कर दी और १ करोड़ २० लाख रुपया उसके लिये मांगा है। आखिर यह बोझ भी तो उन्हीं गरीब किसानों के ऊपर है, जिनके पास आधा एकड़, एक एकड़ जमीन है और उन्हें चकबंदी से कोई लाभ नहीं होना है। उन गरीब किसानों के ऊपर यह टैक्स का बोझ है और यह योजना उनके लिये चल रही है इस प्रदेश भर में।

एक बात और कहनी थी कि आज ही के पेपर्स में यह समाचार छपा है कि बम्बई के रेवेन्यू मिनिस्टर ने अपने यहां बिल पेश करते हुये कहा कि बहुत जल्दी लैण्ड डिस्ट्रीब्यूशन का कानून हम लाने वाले हैं। जिसके पास ज्यादा जमीन है उससे लेकर के जिसके पास कम है उसको देंगे। तो यह एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया है और यह बम्बई की बात है, जो इंडस्ट्रियली इतना ज्यादा डेवलप्ड है। जहां के लोग काफी खुशहाल हैं वहां का मंत्री तो लैण्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहता है, लेकिन हमारे प्रदेश के मंत्री जी उसको सोच भी नहीं रहे हैं, जहां कि सबसे पहले भूमि की समस्या को हल करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इस बात पर अपने हृदय पर हाथ रखकर वे देखेंगे तो उस पक्ष के सदस्य भी दिल से इस बात को मानेंगे कि जमीन का बटवारा इस प्रदेश में होना चाहिये और उसके लिये समुचित कदम उठाया जाना चाहिये, लेकिन बिना किसी प्रकार का कदम भूमि के बटवारे के सम्बन्ध में उठाये चकबंदी की योजना पहले आ गई। उस चकबंदी से क्या लाभ होगा? सोचिए। दो करोड़ रुपया किसान के रक्त से निकाल कर यह चकबंदी आज हो रही है और कल जब दूसरे प्रदेश जमीन का बटवारा करेंगे तो हमारे मंत्री जी भी सोचेंगे कि हम क्यों किसी से पीछे रहें। इस वजह से फिर वह इस दौड़ में हिस्सा लेंगे और फिर सब किया कराया चौपट हो जायगा। वह जमीन बटेगी और एक दफा जो इतना बोझिल टैक्स लगाकर यह चकबंदी हो रही है, उसका सवाल फिर उठेगा। तो इस तरह से जो खिलौने बना बना के बिगाड़ने का लड़कों जैसा काम है मैं समझता हूं कि यह किसी बुद्धिमान् आदमी का काम नहीं हो सकता। इस वजह से चकबंदी योजना को तुरन्त समाप्त करके सबसे पहले भूमि के बटवारे का सवाल लेना चाहिये और मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह अपनी नीति इस भूमि के बटवारे के सम्बन्ध में स्पष्ट करेंगे।

एक बात और है कि सरकार की वसूलयाबी पर बहुत पैसा खर्च होता है। एक करोड़ तैंतीस लाख रुपये की मांग अनुदान में है। हम समझते हैं कि जब खास तौर पर सदन के सभी लोग यह कहते हैं और उस पक्ष के लोग, जो अपने को महात्मा गांधी का खास उत्तराधिकारी कहने का साहस करते हैं, और विकेन्द्रीयकरण के सिद्धांत को मानते हैं और कहते हैं कि यह विकेन्द्रीयकरण का सिद्धांत लागू किया जाय तो उसके अन्दर यह बहुत मोटी सी बात है, जितना रेवेन्यू हो गांव का वह गांव पंचायतें वसूल करें......

श्री उपाध्यक्ष—आपने कहा कि महात्मा गांधी के खास उत्तराधिकारी तो कुछ आम उत्तराधिकारी भी हैं क्या?

श्री रामस्वरूप वर्मा—आम में तो हम इधर के सभी लोग हैं। हम सभी लोग आम में आते हैं। लेकिन वे तो खास उत्तराधिकारी हैं उनके।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

तो मैं यह कह रहा था कि इन गांव पंचायतों को यह रुपया वसूल करने को दिया जाय। इसके संबंध में माननीय माल मंत्री जी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। मैं जानता हूं कि एक तर्क वे देंगे कि गांव पंचायतें अयोग्य हैं। वह टैक्स वसूल करेंगी तो परेशानी होगी। तो वह परेशानी तो जो कुर्की वगैरह करते हैं, उसमें भी होती है और अगर कुर्की की रिपोर्ट को देखा जाय तो वह लगातार कुछ सालों से बढ़ी हैं। तो कुर्की की संख्या बढ़े और यह १ करोड़ ३५ लाख रुपया उसके ऊपर खर्च करें, इससे अगर इतना रुपया इन गांव पंचायतों को दें तो उनका भी सुधार हो और वह वसूल भी करें। जहां तक उनके अयोग्य होने का सवाल है, प्रजातंत्र में पहले सब इसी प्रकार सीखते हैं। हमारे माननीय मंत्री जी जब संशोधन बिल बार-बार लाते हैं और उसके लिये कहा जाता है तो वह यही तर्क देते हैं कि हम सीख रहे हैं। यही घिसाघिसाया तर्क वे हमेशा देते हैं, लेकिन जब वही तर्क गांव पंचायत पर लागू करने की बात आती है तो वह मुकर जाते हैं। फिर वह कैसे योग्य बनेंगे? जहां तक वसूल करने का सवाल है वह गांव पंचायतें ज्यादा अच्छी तरह से वसूल कर सकती हैं और वह सबकी स्थिति को जानती भी हैं कि कब किसकी कैसी हालत है और उस की वजह से यह वसूलयाबी बड़ी आसानी से होगी। तो मैं समझता हूं कि इस संबंध में वह बड़ी शुभ घड़ी होगी जब कि यह टैक्स की वसूलयाबी का काम गांव पंचायतों को देंगे और माननीय मंत्री जी उसकी घोषणा करेंगे। फिर जैसा सहयोग आप अमीनों को देते हैं वैसा ही सहयोग गांव पंचायतों को दीजिये और पैसा उनकी वसूलयाबी का पारिश्रमिक उनके ही पास रहे तो क्या नुकसान है? इस संबंध में भी माननीय मंत्री जी अपनी नीति स्पष्ट करें।

एक बात तकावी कानून के संबंध में कहनी है कि यह कानून कुछ इस प्रकार का बना हुआ है कि इससे किसानों को खासतौर से कोई लाभ नहीं होता, सरकार का पैसा बरबाद होता है। लाखों और करोड़ों रुपये मंजूर किये जाते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर बड़ा दुर्गम्य है। जो किसान सचमुच ऐसा है जिसको जरूरत है उसे नहीं मिल पाता, लेकिन जिसको जरूरत नहीं है वह पैसा लेकर अतिरिक्त लाभ उठाता है, व्यापार करता है। इसमें परिवर्तन होना आवश्यक है। गांव सभाओं के हाथ में इसे देना चाहिये। गांव सभाओं के सभापति जिम्मेदार आदमी हैं। माननीय मंत्री जी पटवारी की तसदीक पर ज्यादा विश्वास करते हैं, और चुने हुये आदमी की तसदीक की वकअत माननीय मंत्री जी नहीं करते। सदन में जो लोग बैठे हैं, चुने हुये हैं और उनके लिये कुछ खास सम्मान होता है और उनकी बात का ज्यादा असर होता है। उसी तरह से गांव सभा के सभापति को हमें पटवारी से ज्यादा सम्मान देना चाहिये और उसका ज्यादा विश्वास मानना चाहिये।

दूसरे तकावी कानून में एक बात है कि उसमें इनकाइंड पैसा उनको तो मिलता नहीं, जिनको कि वाकई जरूरत है, उनको नकद मिल जाता है जो दूसरी तरह से उपयोग करते हैं, रोजगार वगैरह में लगाते हैं। अगर गांव सभा के सभापति को यह तकावी बांटने का काम दिया जाय तो वह यह बतला सकता है कि इस आदमी का पैसा इस काम के लिये लगाना है। सामान के रूप में दिया रुपया वापस भी हो जाता है, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। खाद जो देहातों में बांटी जाती है वह भी तकावी कानून के मुताबिक बांटी जाती है, जिसकी वजह से वह उस तकावी पर खाद को ले नहीं पाता, और खाद बंटने से रह जाती है। पिछले साल ५५-५६ में डेढ़ करोड़ मन खाद तकावी के लिये रक्खी गई थी और एक करोड़ एकड़ भूमि प्रदेश की दो बार बोई गई थी तो यह खाद तो इसी जमीन के लिये पर्याप्त नहीं। फिर प्रदेश की जमीन में इतनी सी खाद से क्या होता है? इसी से कोई खास फायदा नहीं होता। गल्ले के बीज का वितरण जैसे ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलिटी पर हुआ करता है उसी प्रकार तकावी को भी दिया जाया करे, हैसियत

क्यों देखी जाती है ? पटवारी की तसदीक की क्या आवश्यकता है ? क्यों नहीं तकावी का कानून ऐसा बनाया जाता है, जिसमें ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलिटी पर खाद, औजार आदि सभापति की तसदीक पर दिये जावेंगे जैसा कि बीज देते वक्त पटवारी की तसदीक पर होता है। लिहाजा इस कानून में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है।

एक बात, श्रीमन्, यह कहनी है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। सन् १९३९ में जब यही दल कुर्सी पर था माल विभाग का खर्चा ९,७८,१५७ रु० था, सन् १९४६ में १,१९,२१,५०० रु० था और अब ५ करोड़ के ऊपर हो गया है। इस प्रकार खर्चा बढ़ता जाता है। इस तरह से ज्यादा टैक्स आदमी दे और सुविधा न हो यह अनुचित है। यह भूमिक्रांतियों की बात को जो आप बहुधा कहा करते हैं वह बिल्कुल थोथी और सारहीन है इसी प्रकार जैसे टी० बी० का कोई मरीज हो और पाउडर पोत कर उसे स्वस्थ कहने का प्रयास किया जाय।

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं बड़े ध्यान से अपने विरोधी पक्ष के भाइयों की बात सुन रहा था, जिन्होंने कहा कि यह अनुदान जो है वह समाजवाद की तरफ नहीं जाता है। वह इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे देश में जो समाजवाद.....

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। हमारे पहले के सज्जन जो बोले हैं, उनको कितने मिनट का समय दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—यह तय हुआ था कि नेता जो विभिन्न दलों के हैं, उन्हें १५ मिनट का समय दिया जाय। आप उतावले न हो जाया करें, चेयर को अपने कर्त्तव्य का ज्ञान है।

श्री नारायणदास पासी—उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की स्थिति ऐसी है, जहां पर विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जातियां हैं और विभिन्न किस्म के लोग रहते हैं और यहां पर सब किस्म के लोगों को मिलाकर समाजवाद कायम करना है। आप जानते हैं कि हमारे यहां अभी परसों नागपंचमी हुई है। हमारे देश की परिपाटी चली आ रही है कि लोग सांप को दूध पिलाते हैं और आशा करते हैं कि वह काटे नहीं। तो ऐसी दशा में श्रीमन्, इस परिपाटी को हमारे विरोधी पक्ष के भाई समझने की कोशिश करें। हमारे इस देश में कितनी प्रगति हुई है, माल विभाग में, खेती के बारे में तो हमारा प्रदेश भारत के हर सूबे से हर मान में आगे है। अगर विरोधी पक्ष के कोई भी भाई इस बात को बतला दें कि उत्तर प्रदेश हमारे इस देश के अन्दर किसी सूबे से पिछड़ा हुआ है, समाजवाद में, तो हम मान लें। उनको सोचना चाहिये कि जो कल जमींदार था, राजा था, वह समाजवाद का एक ऐसा रोड़ा था, जिसको हटाना जरूरी हो गया था, हमारे इस प्रदेश में उसको हटा दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से हम सांप के बच्चे को भी दूध पिलाते हैं, उसी तरह से जहां पर जमींदारी ली गई वहां उसका करोड़ों रुपया मुआविजा दिया गया, कर्जा छुड़ाया गया, बल्कि जमींदार को पुनर्वास भत्ता दिया गया, उसकी सीर पर भूमिधर का अधिकार बिला कुछ धन जमा किये हुये दिया गया और यह भी नहीं कहा गया कि वह प्रधान और सरपंच किसी जगह पर खड़ा न हो। वह खड़ा हुआ और गांव समाज का सरपंच और प्रधान बना। वह उससे नाजायज फायदा भी उठा रहा है। इसलिये उनकी जमींदारी लेकर जहां किसानों की अवस्था में थोड़े परिवर्तन किये वहां उनको ऐसी सुविधाएं भी दीं जमींदारों को—कि जिससे उनको शिकायत न हो।

आज हमारे सामने भूमि की व्यवस्था की जो कठिन समस्या है वह दो ही तरीकों से हल हो सकती है, एक तो वह जो संत विनोबा जी कर रहे हैं कि भूमिदान हो और उसकी पुनर्व्यवस्था की जाय और दूसरा वह जो कदम हमारी सरकार उठा रही है, जो बिल्कुल ठीक है। कारण उसमें यह है कि देश की स्वतंत्रता के बाद जो भी गरीब लोग थे

[श्री नारायणदास पासी]

काश्तकार थे, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, जिनके पास घर नहीं थे न खाने को अनाज था, उनको कांग्रेस सरकार ने सब प्रकार के अधिकार दिये और साथ ही साथ बालिग-मताधिकार दिया। उनमें थोड़ी जागृति आयी, संगठन हुआ, शिक्षा की तरफ उनकी प्रगति हुई। आखिर में यह हुआ कि जो शिकमी काश्तकार थे, पहले यह होता था कि १५ गुना लगान शिकमी काश्तकर दे वह भी अपने असली काश्तकार की रजामन्दी से भूमिधरी के अधिकार प्राप्त करता था, लेकिन सरकार ने यह कदम उठाया कि उसे कोई भी धन देने की जरूरत नहीं है। जो भी शिकमी काश्तकार हैं, ऐसा कानून बना कि वह सीरदार हो जाते हैं, उनको यह अधिकार मिल गया। तो ऐसे लोग जिनका कोई पूछने वाला नहीं था वे लाखों और करोड़ों की तादाद में हैं। अगर इस चीज को हमारे विरोधी भाई देखें तो यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था कि लाखों किसानों को भूमि पर ऐसा अधिकार दिया गया जिनको कोई अधिकार नहीं था। केवल जमीन पर उनका कब्जा था और उसी के आधार पर ही उनको सीरदार का अधिकार दिया गया। चकबन्दी कानून की धारा ८ के अन्तर्गत उनके रेकार्ड बनाये गये और लाखों की तादाद में वे सीरदार हो गये।

तो यह कदम कोई मामूली कदम नहीं है। अलबत्ता यह बात जरूर है कि जो चीज रूस व चीन की भांति वह चाहते हैं, समाजवाद जल्दी आ जाय, जमींदारों के मौजूदा हकों को छीन लिया जाय, पूंजीपतियों की सम्पत्ति को गवर्नमेंट ले ले। अगर ऐसी बात होती तो हमारे भाई सोचते कि जल्दी समाजवाद आ जायगा। लेकिन मैंने पहले भी सदन में बतलाया था कि जो समाजवाद हम लाना चाहते हैं उसके साधन में हिंसा नहीं है, उसमें हमें इतनी कुर्बानी करनी पड़ेगी कि बापू जी के लफ्जों में जो हमने आजादी की लड़ाई में कुर्बानी की है, उससे भी कई गुना त्याग करना पड़ेगा, तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। चाहे माननीय सदस्य इधर के हों या उधर के हों, स्वतंत्रता के संग्राम में सबने संघर्ष किया है। आज जरूरत इस बात की है कि जिस किसी विभाग में कोई गड़बड़ी हो तो हम सबको मिलकर इसको दूर करने का उपाय करना चाहिये। खाली आलोचना करने से समाजवाद नहीं आता है। अब समय कुछ कम है। मैं अपने माल मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। और उनका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां जो गरीब किसान शिकमी, मौरूसी तथा भूमिधर हैं वहां पर लेखपालों ने भूतपूर्व जमींदारों के हक में खाना कैफियत में लिख दिया है और वे कब्जा करते चले आ रहे हैं। ऐसी हमारे यहां फैजाबाद खासकर बीकापुर में दशा है।

चकबन्दी के अन्दर यह हो रहा है। एक हमारे यहां महोली मुकाम है। चकबन्दी चेयरमैनी के चुनाव के लिये बल्लम लाठी और गोली चलाई जाती है, खून होता है और बहुत से लोग मारे पीटे जाते हैं। वहां पर किसानों के ऊपर बड़ी बुरी बीत रही है। उनके पास पैसा नहीं है दफा १२ के मुकद्दमों के लिये किसान लोग ५ रुपये पेशी वाले वकील को ५० रुपये देकर ले आते हैं। यह दशा है जो किसान दफा ८ में आ चुके थे उनको दफा १२ में जमींदार लोग बरखास्त करा रहे हैं। चकबन्दी की अदालत तक में श्रीमन्, यह हालत है कि लोग बल्लम लेकर जाते हैं और किसानों को डराया और धमकाया जाता है। यह बात सही है कि हमारे विरोधी भाई इधर ध्यान दें तो अच्छा हो। इन स्वार्थी वर्ग के अत्याचारों को रोकने के लिये जरूरी है कि हमारे माल मंत्री महोदय उधर ध्यान देने की कृपा करें। यह आसानी से सवाल हल हो सकता है और इस तरह से हो सकता है कि वह किसी को जांच करने के लिये भेजें। वह वहां जाकर देखें कि चकबन्दी में क्या बात हुई है।

जाने दीजिये इसको, आप केवल चकवाले नक्शों को देख लीजिये। जो नक्शे बने हैं, जिनके पास एक बिस्वा जमीन भी नहीं थी, उनके पास हल बैल हैं और नक्शे में

उनके नाम ६०-६० बीघे जमीन आ गई है और जो गरीब थे, उनको एक-एक आधा बीघा देकर तमाम खातों को बदल दिया गया है। आज जहां हम मंत्री जी को गरीब किसानों के हित में सुविधायें देने के लिये उनको धन्यवाद देते हैं वहां इस बात की जरूरत है कि माननीय मंत्री जी ने जो ३० एकड़ की लिमिट रखी है उसको वह कम करने जा रहे हैं और मेरा ख्याल है कि जितना कम हो सके उतना ही अच्छा है क्योंकि यह खाते ऐसे लोगों के हैं जो न खुद बोते हैं और न जमीन जोतते हैं। जो उनको खाते मिल गये हैं उनमें वह उन्हीं लोगों से काम करवा रहे हैं, जिनकी जमीन छिनी है।

मैं चाहता हूं कि इसके लिये मंत्री महोदय ध्यान देंगे, इससे हमारे यहां जो गरीब किसान हैं उनका कल्याण होगा। एक बात और है कि मैं देखता हूं कि हमारे मंत्री महोदय बड़ी हिम्मत वाले हैं। अगर उनकी जगह और कोई आदमी इन परिस्थितियों में होता तो सफल न हो पाता। मुझे गर्व है कि जो कुछ वह कर रहे हैं वह किसानों की भलाई के लिये कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि समाजवाद को लाने के लिए जरूरी है कि दृढता के साथ हम कदम उठावें और अपना लक्ष्य प्राप्त करें।

श्री उपाध्यक्ष——आपका समय समाप्त।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह अनुदान उपस्थित है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। यह ऐसा अनुदान है जिससे प्रदेश के लाखों किसानों का संबंध है। जमींदारी उन्मूलन कानून पास हुआ और उससे गरीब और भूमिहीन खेतिहरों को अधिकार मिले उसमें हमने एक सिद्धांत तय किया था और जब कांग्रेस सरकार नहीं बनी थी उस समय एक नारा था कि जो जमीन को जोतेगा, जमीन का मालिक वही होगा, किन्तु सरकार के आने के बाद कांग्रेस की नीति तो वही रही, परन्तु सरकार की नीति में फर्क आया। आज मैं देखता हूं कि जो जमीन नहीं जोत रहे हैं, जो हल की मुठिया तक छूते नहीं वे जमीन के मालिक हैं। जो दिन भर पूरे परिवार के साथ मशक्कत करते हैं वे नहीं हैं। तो आज हमें यह तय करना है कि इस परिस्थिति को खत्म करने के लिये हमें कोई सक्रिय कदम उठाना चाहिये। यदि इस मुल्क में समाजवाद की स्थापना करनी है, महात्मा गांधी की आत्मा को संतुष्ट करने के लिये रामराज्य की स्थापना करनी है तो हमारा फर्ज है कि जो जमीन नहीं जोत रहे हैं, जो केवल ठेकेदार हैं, उनसे छीनकर, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको दें।

गांव पंचायत कानून के अन्दर है कि भूमिहीनों को जमीन दी जायगी, किन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि वही पुराने जमींदार प्रधान बने और उन्होंने अपने भाई भतीजों और अपने कुनबे के लोगों को बंजर जमीनें बेतहाशा बांट दी। यही नहीं, हमारे जिले में अजमतगढ़ स्टेट की कुछ जमीन थी और जब उन्होंने देखा कि जमींदारी उन्मूलन होने जा रहा है तो उन्होंने महालक्ष्मी कम्पनी के नाम से एक ट्रस्ट कर दिया। आज वह जमीन पड़ी हुई है, कोई जोतने वाला नहीं है, लेकिन कोई किसान उसको जोत नहीं सकता और अगर जोतने जाता है तो उनके कारिन्दे उसको मारकर भगा देते हैं। लोग भूखे मर रहे हैं और उस जमीन पर ढाक और करवन के जंगल खड़े हुये हैं, किन्तु खेती उसपर नहीं की जा सकती। सरकार को सक्रिय कदम इस संबंध में उठाना चाहिये और उस जमीन को लेकर गरीब भूमिहीनों को दे देना चाहिये।

दूसरी बात, बड़े बड़े फार्मवाले ८,८ और १०,१० हजार बीघे के जमींदार हैं या तो उनसे चौगुना कृषि आयकर लिया जाना चाहिये या फिर उनकी जमीनें लेकर काश्तकारों को बांट देनी चाहिये जिससे समाज का कल्याण हो। इन बड़े बड़े फार्मवालों को इतना बीज नहीं मिलता इतने साधन नहीं हो सकते कि उन बड़े बड़े फार्मों पर काम करें और साथ ही मजदूर उन पर काम करने के लिये नहीं मिलते। वे फार्म वैसे ही पड़े हुये हैं। जब आज मुल्क में गरीबी है, भुखमरी है, तबाही

[श्री गंगाप्रसाद]

खत्म करके उन गरीबों को दे देना चाहिये जिससे उनका निस्तार हो सके। मुझे श्रीमन्, आपके द्वारा मंत्री जी से यह भी कहना है कि आज उन्होंने एक हद की जमीन की और वह यह कि १३५६ फसली में जिन काश्तकारों का खेत पर कब्जा है उनको भूमिधरी का अधिकार मिल जाय। उसके बाद १३५९ फसली आई तो शिकमी को अधिकार मिला उसके बाद भी एक पैमाना रखा। लेकिन आज यह हाल है कि खसरा के कैफियत के खाने में जो दर्ज होता है उसके लिये जिसके पास पैसा है वह कानूनगो को एक हरा नोट दिखला देता है, उसको दावत देकर बुलाता है, दरख्वास्त देने पर वह आते हैं और दावत खाकर लिख देते हैं कैफियत के खाने में कि कब्जा जाहिर होता है। मेरे गांव का वाकया है। एक कानूनगो साहब थे, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, गांव में आये और उन्होंने ऐसा दो खातों में लिख दिया और सैकड़ों रुपया खा गये और चले गये। जब उनकी शिकायत हुई तो इस परगने से उस परगने में उनका तबादला कर दिया गया। मैं कहता हूं कि ऐसे मामलों की खुली जांच होनी चाहिये।

२०९ की डिगरी होती है। दखलदिहानी लाते हैं और उसके बाद डुग्गी पीट कर खेत पर कब्जा करने जाते हैं। उस दिन डुग्गी पीट कर कब्जा हो जाता है और उस के बाद जब वह जोतने जाते हैं तो वहां के भूतपूर्व जमींदार लठैतों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि उस दिन सरकार द्वारा डुग्गी तुम्हारी पिटी और आज हम लाठी द्वारा डुग्गी पीट रहे हैं। आओ खेत जोतने के लिये। तो आज यह हालत है।

विरोधी भाई कहते हैं कि अलाभकर जोतों पर लगान माफ कर दिया जाय। जब हम लगान देते हैं तब तो जोत नहीं पाते और जब हम लगान नहीं देंगे तब कैसे जोत पायेंगे? उस समय रोजाना कत्ल होंगे, बंदूकें चलेंगी, लाठियां चलेंगी। तो इस तरह की अनर्गल बातें समाज के अंदर नहीं होनी चाहिये। यह चुनाव नहीं है, यह तो समाज की एक बुनियाद है, जिस पर हमें गम्भीरता से विचार करना है। जब हम पैसा देकर किसी चीज को खरीदेंगे तभी वह हमें इस्तेमाल के लिये मिलेगी, जिस चीज का हम पैसा नहीं देंगे वह हम को कैसे मिल सकती है? तो इन थोथी बातों को छोड़ देना चाहिये।

दूसरी बात हमारे एक भाई ने कही सहकारी खेती के बारे में। अभी इस देश में सहकारी खेती नहीं पनप सकती। एक देहात का मसल। है कि साझे की सुई भांडे में चलती है। अगर हम साझे की खेती करेंगे तो हम काम नहीं करेंगे और आप हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे, जैसे आज आप खेतों में कभी नहीं जाते और गरीब मजदूर बेचारा पिसता रहता है और खाने को कुछ नहीं पाता है। सहकारी खेती यहां इस देश में पनप नहीं सकती, भले ही नेता लोग कितने ही तर्क के साथ अपनी बातें रखें। जो मुझे सहकारिता का अनुभव हो रहा है वह मैं इस संबंध में आपके सामने रख रहा हूं।

श्रीमन्, एक जमाबन्दी की बात मुझे कहनी है। इसमें हर साल कुछ न कुछ भले ही वह आना हो या पाई, जुड़ ही जाता है। जब हम लगान देने जाते हैं तो रसीद लेकर जाते हैं और उसमें पता चलता है कि कुछ न कुछ बढ़ोत्तरी जरूर हो जाती है। तो जमाबन्दी के लिये एक निश्चित रकम हो जानी चाहिये, ताकि किसान को ज्यादा न देना पड़े। मंत्री जी इस ओर ध्यान दें, इसलिये मैं इस बात को कह रहा हूं। जो जमाबन्दी एक साल दें वही दूसरे साल दें यह नहीं कि पहले साल ५ रुपया दी गई और दूसरे साल वह सवा पांच रुपया हो गई। उसको पांच रुपया ही रहना चाहिये।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान की कटौती के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। सरकार ने जमींदारी को तोड़ा तो बहुत ही अच्छी बात की, लेकिन हम तो समझते हैं कि जितना आराम जमींदारों के राज्य में किसानों को था वह आज नहीं है। माननीय मन्त्री जी को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि मैं क्यों जमींदारी राज्य को अच्छा बतला रहा हूं।

श्री चरणसिंह—कुछ लोग अंग्रेजों के राज्य को भी अच्छा बतलाते हैं।

श्री अमरनाथ—आप सुनिये, मैं उसको बतला रहा हूं कि क्यों मैं उसको अच्छा कहता हूं। जमींदारी को तोड़ना अच्छी बात है। उसकी जगह गांव समाज बना दिया गया है। आज गांव समाज में क्या होता है। उनकी बातों पर आप जाइये और देखिये कि वहां पर जमींदारों के वक्त में जब किसानों के यहां शादी विवाह होते थे तो उनको मुफ्त लकड़ी मिलती थी, लेकिन आज उनको लकड़ी गांव समाज की तरफ से नहीं मिल सकती है। जमींदारों के जमाने में उनको मछली खाने को मिलती थी, लेकिन आज आपके राज्य में मछलियों को बेचना पड़ता है और गांव समाज उनको नहीं देता है। जो बात जमींदारों के जमाने में नहीं होती थी वह आज हो रही है। आज किसान कोई घर बनाता है तो गांव समाज उनको रोक देता है और उनसे रुपया वसूल करता है। उनका घूरा ले लिया जाता है। उनकी जमीन काट ली जाती है, उनकी नांद भी हटा दी जाती है। इस तरह से आज गांव समाज की ओर से हो रहा है। आपके गांव समाज में आपने एक लेखपाल रखा है, जिसको कागज दिखलाने के लिये कहा गया है कि अगर पंचायत को जरूरत पड़े तो वह कागज दिखलायेगा। जरूरत पड़ने पर वह कागज की नकल भी देगा, लेकिन किसान को जब नकल की जरूरत पड़ती है और वह लेने जाता है तो वह उसको बिना पैसे नहीं देता है। आपने कभी इस पर गौर किया कि वह आपके आदेश का कितना पालन करता है? आपके आदेश का पालन हरगिज नहीं होता है। आप देखिये कि आज लेखपाल पंचायत के ऊपर हावी हो गया है, सारे कागज उसके हाथ में आ गये हैं। अगर कोई पंचायत वाला चाहता है तो उसको कागज नहीं मिल पाता है। गांव समाज की सम्पत्ति का पता नहीं है कि वह देखें कि कौन से पेड़ उनके हैं और कौन से दूसरों के। गांव समाज का रजिस्टर लेखपाल बनाता है। उस पर आप जरा गौर करें। उसमें भी गांव समाज की बहुत सी सम्पत्ति का पता नहीं है। लेखपाल के यहां अगर शादी पड़ती है तो वह जबरदस्ती पेड़ काट लेता है और आदमी इस तरह से नहीं कर पाता है, लेकिन वह आपका लेखपाल कर लेता है। लेखपाल सदस्यों के पास नोटिस समय से नहीं भेजता है। अगर प्रधान लोग यह चाहते हैं कि उसको नोटिस करें तो लेखपाल उस नोटिस को लेता नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष—आप बार बार 'आप' शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सदन में 'आप' शब्द का प्रयोग केवल चेयर के लिये होता है।

श्री अमरनाथ—मैं 'आप' सरकार के लिये प्रयोग कर रहा था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज गांव समाज के एकाउन्ट की जांच सरकार कराये तो उसको मालूम होगा कि उसमें क्या होता है। वहां पर मछली का जो नीलाम होता है और जो बिक्री होती है वह गांव समाज के एकाउन्ट में नहीं चढ़ती है। इस तरह की बातें होती हैं। इसलिये मैंने कहा कि जमींदारों के राज्य में अच्छा था न कि गांव समाज के।

दूसरी बात यह है कि भूमि व्यवस्था में अधिवासी का कानून है....

श्री चरणसिंह—मैं श्रीमन्, माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि गांव पंचायत को अधिकार न दिया जाय भूमि प्रबन्ध का तो फिर किसको दिया जाय?

श्री अमरनाथ—उनको जरूर दिया जाय, लेकिन मन्त्री जी मैं यह चाहता हूं कि उस पर कड़ी नजर रखी जाय कि आपके कानून का पालन होता है या नहीं। भूमि व्यवस्था का मैं स्वागत करता हूं और दूसरी तरफ उसका विरोध भी करता हूं। वह इसलिये कि उससे असमानता लायी गई है। आपने एक सीरदार बनाया, दूसरी तरफ भूमिधर बनाया। हम तो चाहते थे कि आप एक श्रेणी रखते किसानों की....

श्री उपाध्यक्ष—मैंने 'आप' शब्द के प्रयोग करने से आपको रोका उसके बाद भी आपने इस शब्द को दोहराया। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अनुचित है।

श्री अमरनाथ——मेरा कहना यह है कि सरकार ने जो कानून बना कर अदालतों को पावर दे रक्खी है, ठीक है। लेकिन आज उसमें क्या होता है? सरकार यह देखे कि उस अदालत में क्या होता है। एक तरफ तो दफा ६३ में किसानों पर मुकद्दमा चलता है दूसरी तरफ उन्हीं किसानों पर दफा १८० कायम की जाती है। तीसरी तरफ उन्हीं पर दीवानी में मुकद्दमा भी चलता है। सरकार इन चीजों को देखे और उस पर गौर करे और कोई ठोस कदम उठाये ताकि किसानों की परेशानी दूर हो। इस प्रकार से उनको एक एक खेत पर कई मुकदमे लड़ने पड़ते हैं। उनके पास इतना रुपया होता नहीं है कि वे अच्छा वकील कर सकें। इससे उनको बड़ी भारी परेशानी होती है।

नहर के लिये या सड़कों के लिये उनकी जो जमीन ले ली गयी है उसका भी लगान उनसे ले लिया जाता है। इस पर सरकार को गौर करके देखना चाहिये कि इस प्रकार की बातें क्यों हो रही हैं और फिर इसके बारे में उसको कोई समुचित व्यवस्था करना चाहिये।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)——उपाध्यक्ष महोदय, ब्रिटिश काल में जमीन पर राज्य की तरफ से प्रथम बोझ करों का था, परन्तु स्वराज्य हो जाने पर उसका उलटा हो जाना चाहिये था कि राज्य का प्रथम उत्तरदायित्व यह हो कि जमीन की उन्नति की जाय और कर भी जो लगे वह ऐसा हो कि उससे किसी भी प्रकार उत्पादन को क्षति न पहुंचे। जमीन प्रागैतिहासिक काल से जीवनयापन का साधन रही है और आज भी है, इसलिये जब तक रेस्पोंसिबिल गवर्नमेंट नहीं होती तब तक जमीन की समस्या उसी तरह से पेचीदा बनी रहती है। हम नहीं जानते कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहां तक रेस्पोंसिबिल गवर्नमेंट होती है, लेकिन आज हम यह देखें कि इस राज्य में जो भूमि संबंधी सुधार हुए हैं, उनसे बहुत सी उन्नति हुई है, इसको मैं मानता हूं। जैसे एक लेखपाल ही है। किसी समय में वह भाग्य का निर्णायक होता था लेकिन आज वह केवल रिकार्डकीपर रह गया है।

इसके साथ ही कई एक और भी समस्याएं हैं जैसे भूमि की सीलिंग की समस्या। भूमि के बारे में पत्रों में एक सुझाव ऐसा देखा कि आगे यह प्रतिबंध होगा कि कोई भी भविष्य में साढ़े बारह एकड़ भूमि से अधिक न ले सके और कृषि आयकर रकबे पर होगा। इस तरह से भूमि पर सीलिंग न करके इस प्रकार प्रतिबंध लगाकर उसको लागू कर दिया जाय। हम नहीं जानते कि सरकार सीलिंग के सर्वमान्य सिद्धान्त को स्वीकार क्यों नहीं करती। इसको लगाने से यह होगा कि बची हुई भूमि उन लोगों के पास नहीं जायगी जो भूमिहीन हैं, खेतिहर हैं और उसी गांव के हैं। लेकिन अगर आप उस भूमि को बेचने का प्रयत्न करेंगे तो भूमि उन लोगों के पास जायगी जिनके पास पैसा है। यह सही है कि भूमि कभी व्यापार की वस्तु नहीं रही है। पुरातन काल से भूमि और दूसरे तत्वों की भांति ही प्राप्त होती रही है। मैं समझता हूं कि इस तरह से भूमि एक व्यापारिक वस्तु हो जायगी और तमाम अन्यत्र के लोग उस भूमि को लेते रहेंगे। तो भूमि की समस्या सीलिंग के तय किये बिना हल नहीं हो सकती।

दूसरी चीज हम देखते हैं कि किस तरह से शिकमी काश्तकारों की हालत में सुधार हुआ है, लेकिन अगर आप कोर्ट फीस को, रेवेन्यू फीस को देखेंगे तो हमारा ख्याल है कि उसमें कोई विशेष कमी नहीं हुई है। लोगों में भूमि की भूख ऐसी है कि उनमें लिटिगेशन को दूर करने का प्रयास किया जाता है तो भी हमारे यहां न्याय पंचायतें भी बन गयी हैं जिनमें भी बहुत से वाद प्रस्तुत होते हैं और उनके निर्णय होते हैं लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि अब तक मुकदमों में कोई विशेष कमी नहीं हुई है। बहुत से काश्तकारों को तो विवश होकर अपनी जमीन तक बेचनी पड़ती है। मेरा पहले भी ऐसा एक सुझाव था कि छोटे काश्तकारों को बड़ी असुविधाएं हैं। उन छोटे काश्तकारों को कम से कम आप अपनी शिकमी को बेदखल करने का अधिकार दें तो उनसे उनको राहत होगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इसमें पूरब और पश्चिम की समस्या भी बिलकुल भिन्न है। आपको उसी दृष्टि से देखना चाहिये कि

वहां पर लोगों के लिये एक एक बिस्वा जमीन मिलना भी मुश्किल हो रहा है और इसी दृष्टि से वहां के किसान निश्चित रूप से अपनी जीविका के लिये कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक आदमी वकील भी है, व्यापारी भी है और भूमि भी रखता है। उसको इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई दूसरी जीविका उसे मिलेगी भी या नहीं। वह हर तरह से चाहता है कि जैसे भी हो अपनी जमीन पर कब्जा रखे रहे। जैसा कि कहा जाता है कि सीलिंग होने के बाद अलाभकर जोतों के निकलने के बाद उसका परिणाम होगा कि जितने भी अधिक लोग कृषि पर निर्भर होंगे वे सब दरिद्र होंगे। लेकिन चीज यह है कि कम से कम उनके लिये जीविका का कोई साधन प्रस्तुत करना राज्य का काम है। पहले समय में कृषि के साथ-साथ और उद्योग-धंधे भी गांवों में अपनाये जाते थे, उनके साथ सहायक उद्योग होता था जैसे कपड़े का उद्योग। मनुष्य के लिये खाना और कपड़ा ही मुख्य है। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि जब भूमि को सहायक धंधा मिलेगा तभी दोनों में सामंजस्य स्थापित होगा।

मैंने पिछली दफा वृक्षों के रोक के बारे में भी निवेदन किया था कि इससे गरीबों का शोषण होता है। रेवेन्यू कोर्ट में भी उनको बड़ी असुविधा होती है। उस दृष्टि से भी मैंने निवेदन किया था कि उस वृक्षों के न काटने के आदेश को सरकार को अविलम्ब वापस ले लेना चाहिये। मैं समझता हूं कि दरख्तों के कटान से राज्य की कोई हानि नहीं है, बल्कि उससे तो राज्य की उन्नति ही होगी। यह कोई पेट्रोलियम या खनिज पदार्थ नहीं है जो क्षय हो जाता है।

श्रीमन्, पंचायतों के अन्दर भी इसके कारण भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसकी काफी शिकायत होती है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ और अधिक नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं ऐसा विचार नहीं रखता था कि मुझे इस पर बोलने का अवसर मिलेगा। इसलिये मैं इन थोड़े से शब्दों के साथ अपने कथन को समाप्त करता हूं।

***श्री रामवचन यादव** (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अनुदान प्रस्तुत है, इस का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। विरोधी दल की ओर से यह कहा जाता है कि माल विभाग की तरफ से जो जमींदारी प्रथा का अन्त हुआ उस से कोई क्रान्ति नहीं हुई, किसानों को कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ। लेकिन मैं एक किसान होने के नाते बतलाना चाहता हूं कि जब जमींदारी थी तो किसान के ऊपर इतना दबाव था कि उनसे हारी बेगारी और तरह-तरह के नजराने मालगुजारी के अलावा लिये जाते थे।

एक सदस्य---आज भी तो बेगार है।

श्री रामवचन यादव---लेकिन आज जो बेगार है वह सारे समाज के लिये है, किसी एक व्यक्ति के लिये नहीं है, वह गांव भर के लोगों के लिये और सबके लिये है।

दूसरे, मैं यह कह रहा था कि जो किसान उस वक्त दबे हुये थे और उनकी जो पहले दशा थी उससे वह आगे बढ़े हैं। आज उनके घर की स्त्रियों की हालत और शादी आदि देखी जाय तो पहले से वे बहुत आगे बढ़े हैं। जिन किसानों के लड़के पहले नहीं पढ़ते थे वे अब पढ़ते हैं। लाखों एकड़ जमीन की जिसका किसान पहले मालिक नहीं था आज वह कानून के द्वारा उस जमीन का मालिक बना है। यह भी भूमि वितरण की ही ओर हमारा कदम है। जो अधिवासी थे और बेदखल हो जाते थे और पहले एक ही व्यक्ति हजारों बीघा जमीन का मालिक होता था और शिकमियों को बेदखल किया करता था, अब वह जमीन उनके पास चली गई, जिनके पास जमीन नहीं थी। इस तरह से हमारा कदम वितरण की ओर उठा है।

पंचायतों के द्वारा वसूली के संबंध में कानून में दिया हुआ है कि जो पंचायतें लगान की वसूली करना चाहें वे वसूली कर सकती हैं और उनको इसके लिये दस प्रतिशत या ५ प्रतिशत मिलेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामवचन यादव]

लेखपालों के बारे में कहा जाता है, लेकिन मैं तो स्वयं दो बार से निर्विरोध प्रधान हो चुका हूं, लेकिन मैंने तो जब जब चाहा बराबर किसानों को निश्चित रेट पर इंतखाब दिये हैं और साल में एक बार तो मैं खुद किसानों को बुलाकर दिलवा देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--आप २ मिनट बोल चुके अब आप कल ८ मिनट और बोलेंगे।

कामन वेल्थ पार्लियामेण्टरी एसोसियेशन की शाखा स्थापित करने के लिये कमेटी रूम में बैठक की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--मुझे अभी माननीय सदस्यों को एक सूचना और देनी है कि पार्लियामेंटरी एसोसियेशन की ब्रान्च यहां स्थापित करने के लिये नये कमेटी रूम में अभी सवा ५ बजे बैठक होगी, वहां माननीय सदस्य उपस्थित हो सकते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ ;
२ अगस्त, १९५७।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

क्रम-संख्या परिपत्र का दिनांक पत्र का आशय

३—कि यथासंभव सभी कार्य हिन्दी में किया
कर्मचारियों को हिन्दी का कामचलाऊ
काम न कर सकते हों वे कुछ समय तक
करते रहें, किन्तु उन्हें शीघ्र ही काम-
ना चाहिये।

४—हिन्दी टाइपराइटर हीं खरीदे जायं और
स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट भर्ती किये

या कि राजकीय तार भेजने में हिन्दी
अधिक उपयोग किया जाय।

(ा कि सरकारी काम में जहां तक हो
ो लाये जायं जो सरल हों और जिनको
समझ सकें।

ार दिया गया कि सभी राजकीय कार्य
५—हीं किये जायं और यह बताया गया कि
इटरों के स्थान पर नये अंग्रेजी टाइप-
की मांग स्वीकार न की जायगी।

गया कि हिन्दी को राजभाषा के रूप
सम्बन्ध में की गई प्रगति की छमाही

२ ४ जून, १९४८ ६—सकीय विभाग को १ जनवरी और १
ग।

यदि ऐसे कोई कर्मचारी हों जो अब

३ १८ जून, १९४८ ७—ीं तो सरकार को सूचित किया जाय।

और कार्यालयाध्यक्षों को यह निदेश

४ १८ दिसम्बर, १९४८ ८—र द्वारा निर्मित समितियों को, जिनमें
हों, कार्यसूची तैयार करने में और
न्दी का ही प्रयोग करें। यह भी
किसी कारण से उक्त किसी समिति
तवाही अंग्रेजी में ही रखना अनिवार्य

५ ६ फरवरी, १९४९ ९—पहिले ही से सरकार की स्वीकृति
च

६ ८ अगस्त, १९५० १०—यई से पालन नहीं किया जा रहा है।
न्दी के ही स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट
नहीं स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट भर्ती
अंग्रेजी जाकर अधिकतर अंग्रेजी में ही

७ १० जुलाई, १९५२ ११—स में प्रकाशित नहीं होती यही नहीं,
की जा रही हैं। स्पष्ट आदेशों के
चित है और सरकार आशा करती है
न किया जायगा।

क्रम-संख्या	परिपत्र का दिनांक	परिपत्र का आशय
		३—व्यवहार प्रक्रिया संग्रह (Civil Procedure Code) की धारा १३७ और दंड प्रक्रिया संग्रह (Criminal Procedure Code की धारा ५५८ के अधीन इस आशय की घोषणा सम्बन्धी विज्ञप्तियां जारी की गयीं कि दीवानी और फौजदारी अदालतों की भाषा हिन्दी होगी।
		४—मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स, खंड १ (पुराना संस्करण) पैराग्राफ ३८५ निम्नरूप में परिष्कृत किया गया : (क) जनता के नाम अदालतों या माल के अफसरों की ओर से जारी किये जाने वाले सभी सम्मन, घोषणा तथा इस प्रकार के अन्य कागज देवनागरी लिपि में होंगे, और (ख) फौजदारी, दीवानी तथा लगान और मालगुजारी की अदालतों में सभी लोग अपने आवेदन-पत्र अथवा अपनी शिकायतें देवनागरी लिपि में देंगे और यदि वे हिन्दी न जानते हों तो फारसी लिपि में दे सकेंगे।
		५—सरकारी कार्यालयों के लिये मान्य भाषा हिन्दी होगी और सरकारी कार्य तथा पत्र-व्यवहार में इसका उपयोग किया जायगा। पहली दिसम्बर, १९४७ से सभी प्रपत्र आदि हिन्दी में मुद्रित होंगे और सरकारी कार्यालयों में सभी साइनबोर्ड, नोटिस, आदि हिन्दी में होंगे।
२	४ जून, १९४८	६—सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को यह निदेश किये गये कि वे अपने अधीनस्थ सेवाओं में भर्ती के लिये ली जाने वाली परीक्षाओं में हिन्दी को एक अनिवार्य विषय रखें।
३	१८ जून, १९४८	७—न्यायालय की नोटिसें तथा सम्मन देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी में प्रकाशनार्थ जारी किये जाने चाहिये।
४	१८ दिसम्बर, १९४८	८—यह स्पष्ट किया गया कि शब्द "हिन्दी" से तात्पर्य देवनागरी लिपि में लिखित इस राज्य की जनता की भाषा से है। विभागाध्यक्षों आदि से पूछा गया कि राज्य की विभिन्न सेवाओं की परीक्षाओं में हिन्दी को एक अनिवार्य विषय बनाने मे अब तक क्या कार्यवाही की गई।
५	६ फरवरी, १९४९	९—समस्त विभागाध्यक्षों को निदेश किया गया कि वे ऐसे कर्मचारियों के नाम, जो हिन्दी से अनभिज्ञ हों, सरकार को भेजें।
६	८ अगस्त, १९५०	१०—यह आदेश दिया गया कि यदि चरित्रपंजियों (character rolls) में प्रविष्टियां हिन्दी में की जायं और उन्हें महालेखापाल को भेजना हो तो उनके साथ अंग्रेजी का अनुवाद भी भेजा जाना चाहिये।
७	१० जुलाई, १९५२	११—सभी विभागाध्यक्षों को यह निदेश किया गया कि वे राजकीय तार भेजने के प्रयोजनार्थ राज्य के कई जिलों में प्रारम्भ की गई हिन्दी तार सेवा का उपयोग करें।

क्रम-संख्या	परिपत्र का दिनांक	परिपत्र का आशय
८	२६ अक्तूबर, १९५२	१२—यह आदेश दिया गया कि यथासंभव सभी कार्य हिन्दी में किया जाय तथा जिन सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी का कामचलाऊ ज्ञान न हो और हिन्दी में काम न कर सकते हों वे कुछ समय तक तो अंग्रेजी में ही काम करते रहें, किन्तु उन्हें शीघ्र ही कामचलाऊ हिन्दी सीख लेना चाहिये।
		१३—भविष्य में केवल हिन्दी टाइपराइटर ही खरीदे जायं और प्रधानतया हिन्दी के ही स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट भर्ती किये जायं।
९	२१ अप्रैल, १९५४	१४—इस पर जोर दिया गया कि राजकीय तार भेजने में हिन्दी तार सेवा का अधिकाधिक उपयोग किया जाय।
१०	५ सितम्बर, १९५४	१५—यह आदेश दिया गया कि सरकारी काम में जहां तक हो सके वही शब्द काम में लाये जायं जो सरल हों और जिनको आमतौर पर लोग समझ सकें।
११	१ नवम्बर, १९५४	१६—इस बात पर पुनः जोर दिया गया कि सभी राजकीय कार्य यथा संभव हिन्दी में ही किये जायं और यह बताया गया कि पुराने अंग्रेजी टाइपराइटरों के स्थान पर नये अंग्रेजी टाइपराइटरों के खरीदने की मांग स्वीकार न की जायगी।
		१७—यह भी आदेश दिया गया कि हिन्दी को राजभाषा के रूप में कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में की गई प्रगति की छमाही रिपोर्ट सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को १ जनवरी और १ जुलाई को भेजी जाय।
१२	३० दिसम्बर, १९५४	१८—आदेश दिया गया कि यदि ऐसे कोई कर्मचारी हों जो अब भी हिन्दी से अनभिज्ञ हों तो सरकार को सूचित किया जाय।
१३	११ जुलाई, १९५५	१९—सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को यह निदेश किया गया कि वे सरकार द्वारा निर्मित समितियों की, जिनमें गैर-सरकारी सदस्य भी हों, कार्यसूची तैयार करने में और कार्यवाही लिखने में हिन्दी का ही प्रयोग करें। यह भी व्यवस्था की गई कि यदि किसी कारण से उक्त किसी समिति की कार्यसूची और कार्यवाही अंग्रेजी में ही रखना अनिवार्य हो तो इस सम्बन्ध में पहिले ही से सरकार की स्वीकृति ले ली जाय।

४—खेद की बात है कि उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। उदाहरणार्थ, इस आदेश के होते हुये भी कि प्रधानतया हिन्दी के ही स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट भर्ती किये जायं, कुछ कार्यालयों में प्रधानतया अंग्रेजी के ही स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट भर्ती किये जा रहे हैं। इसी प्रकार राजकीय तार हिन्दी में न भेजे जाकर अधिकतर अंग्रेजी में ही भेजे जाते हैं। कहीं-कहीं सार्वजनिक नोटिसें भी हिन्दी में प्रकाशित नहीं होतीं यही नहीं, दैनिक प्रयोग की पर्चियां व पताकायें अंग्रेजी में ही प्रयुक्त की जा रही हैं। स्पष्ट आदेशों के विपरीत साइनबोर्ड आदि भी अंग्रेजी में होते हैं। यह अनुचित है और सरकार आशा करती है कि भविष्य में हिन्दी सम्बन्धी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जायगा।

५--इसके अतिरिक्त, शासन ने अब निश्चित किया है कि राजकीय कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के निमित्त निम्नलिखित और उपाय काम लाये जायं।

६---सरकार द्वारा भेजे जाने वाले परिपत्र---सरकार अब से जो भी परिपत्र भेजेगी वे हिन्दी में होंगे। यदि कोई ऐसा परिपत्र भेजना हो जिसका सम्बन्ध वित्तीय मामलों से हो तो भी हिन्दी में ही भेजने का प्रयत्न किया जाय। अलबत्ता साथ में उसकी एक अंग्रेजी प्रति लगा दी जाय।

इसी प्रकार प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों को जो परिपत्र भेजे वे हिन्दी में हों। वित्त सम्बन्धी परिपत्रों के सम्बन्ध में उनका अंग्रेजी अनुवाद भी साथ में लगा दिया जाय। इस प्रकार, वित्त सम्बन्धी परिपत्र भी हिन्दी में बनाने का अभ्यास हो जायगा।

७---द्रुतगामी पत्र- इस प्रकार के आदेश पहले से मौजूद हैं कि राजकीय तार भेजने के प्रयोजनार्थ राजकीय कार्यालयों में आरम्भ की गई हिन्दी तार सेवा का अधिकाधिक उपयोग किया जाय। (शासकीय परिपत्र दिनांक १० जुलाई, १९५२ और २१ अप्रैल, १९५४।) चूंकि द्रुतगामी पत्र का आशय तार जैसा होता है इसलिये इसको भी हिन्दी में भेजने में कोई कठिनाई न होनी चाहिये। फिर सामान्य पत्रों की अपेक्षा इनकी संख्या भी बहुत कम होती है।

८---अनुस्मारक (रिमाइन्डर) और स्वीकार-प्राप्ति (एकनालेजमेंट) पत्र--इस समय अनुस्मारक हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में भेजे जाते हैं। उनको अब हिन्दी में ही भेजने में कोई कठिनाई न होनी चाहिये। इसी प्रकार स्वीकार-प्राप्ति पत्र भी हिन्दी में ही भेजे जायं। यह आदेश निम्न प्रकार के अनुस्मारकों और स्वीकार-प्राप्ति पत्रों पर लागू होंगे--

(१) सचिवालय से उसके विभिन्न विभागों तथा विभागाध्यक्षों इत्यादि को भेजे जाने वाले और विभिन्न विभागों तथा विभागाध्यक्षों इत्यादि से सचिवालय को आने वाले,

(२) अधीनस्थ कार्यालयों में परस्पर आने-जाने वाले,

(३) उन राज्य शासनों को जिनके साथ संविधान के अनुच्छेद ३४६ के अन्तर्गत इस शासन का हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने का करार हुआ है, भेजे जाने वाले (इस सम्बन्ध में आप को पहले ही आदेश परिपत्र सं० १२०५२/३—१७० (३)-१९५०, दिनांक २१ नवम्बर, १९५४ में भेजे जा चुके हैं)।

अनुस्मारक और स्वीकार-प्राप्ति पत्र के कुछ प्रपत्रों के नमूने "हिन्दी निर्देशिका" में, जिसका उल्लेख नीचे के पैराग्राफ १० में किया गया है, आपकी सुविधा के लिये दे दिये गये हैं। आवश्यकतानुसार इन पत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है।

९---सामान्य प्रकार के पत्र-व्यवहार, निर्देश तथा टिप्पणी---सामान्य प्रकार के जो भी पत्र-व्यवहार तथा निर्देश किये जायं वे हिन्दी में ही किये जायं। उनसे सम्बन्धित टिप्पण भी हिन्दी में लिखे जायं और दैनिक प्रयोग के अपेक्षण-पत्र (requisitions) भी हिन्दी में भरे जायं, उदाहरणार्थ:

(१) पुस्तकालय तथा अभिलेखागार (record room) से पुस्तकें व पत्रावलियां मांगने के अपेक्षण-पत्र और लेखन-सामग्री के अपेक्षण-पत्र हिन्दी में भरे जायं।

(२) पत्रों की प्रतिलिपि मांगने से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाय।

(३) सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रतिलिपि भेजने के लिये पृष्ठांकन हिन्दी में किये जायं।

१०—जनता से प्राप्त आवेदन-पत्रों का उत्तर—जनता से प्राप्त सभी प्रकार के आवेदन-पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाय। अभी केवल उन आवेदन-पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है, जो हिन्दी में प्राप्त होते हैं, किन्तु अब उन आवेदन-पत्रों का भी, जो देवनागरी लिपि में न हों, उत्तर हिन्दी में दिया जाय। गैर-सरकारी संस्थाओं के पत्रों का उत्तर भी हिन्दी में ही दिया जाय, यदि उनके पत्र हिन्दी में हों। यदि पत्र अंग्रेजी में प्राप्त हो तो उसका उत्तर भी, जहां तक हो सके, हिन्दी में दिया जाय।

११—असेम्बली के प्रश्नों के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार तथा टिप्पणी (नोटिंग)—यथासम्भव असेम्बली के प्रश्नों के सम्बन्ध में सारा पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाय और टिप्पण-कार्य भी हिन्दी में हों।

१२—हिन्दी में प्रपत्र—यह भी आवश्यक है कि वे समस्त प्रपत्र (forms) जो अभी अंग्रेजी में ही प्रयुक्त होते हैं हिन्दी में अनूदित हों। इनके अनुवाद के लिये सरकार ने प्रबन्ध कर दिया है और इस सम्बन्ध में आप के पास अलग से परिपत्र भेजा जा रहा है। अतएव भविष्य में कोई भी कार्यालय, वित्त सम्बन्धी प्रपत्रों को छोड़ कर, अन्य प्रपत्र अंग्रेजी में मुद्रित न करावे। जब विद्यमान अंग्रेजी प्रपत्र समाप्त होने लगें तो इसकी सूचना सरकार को दी जाय, जिससे कि उन्हें उन प्रपत्रों का हिन्दी रूपान्तर शीघ्र ही उपलब्ध हो सके। जब तक उनको हिन्दी में मुद्रित प्रपत्र नहीं मिलते वे प्रपत्रों का हिन्दी रूपान्तर करा लें और साइक्लोस्टाइल करके उन्हें प्रयुक्त करें। यह सुनिश्चित करने के लिये कि वित्त सम्बन्धी प्रपत्रों को छोड़ कर सामान्यतया दैनिक प्रयोग के अन्य प्रपत्र अंग्रेजी में फिर से मुद्रित न हों, अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश को आदेश दिये जा रहे हैं कि वे भविष्य में किसी भी अवस्था में अंग्रेजी में प्रपत्र न छापें। यदि अंग्रेजी में ही छपा कोई प्रपत्र प्रयुक्त करना हो तो वह भी हिन्दी में भरा जाय। उदाहरणार्थ, उपस्थिति तथा आकस्मिक छुट्टी की पंजी (Attendance and Casual leave registers) हिन्दी में भरी जायं। इसी प्रकार प्राप्ति, प्रेषण तथा पत्रावली पंजियां भी हिन्दी में भरी जायं।

१३—कर्मचारियों के आवेदन-पत्र—यथासम्भव, कर्मचारी अपने आवेदन-पत्र हिन्दी में ही दें। इसी प्रकार उनका उत्तर भी हिन्दी में ही देने का प्रयत्न किया जाय।

१४—रीतिक अवसरों के निमन्त्रण-पत्र तथा कार्यक्रम—रीतिक अवसरों पर राज्य सरकार द्वारा भेजे जाने वाले निमन्त्रण-पत्र हिन्दी में हों। इसी प्रकार विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों द्वारा जो भी निमन्त्रण पत्र भेजे जायं वे भी हिन्दी में ही छपे हों। उनके कार्यक्रम भी हिन्दी ही में बनाये और छापे जायं। इनके कुछ नमूने "हिन्दी निर्देशिका" के परिशिष्ट ७ में दिये गये हैं।

१५—दौरे का कार्यक्रम—दौरे के कार्यक्रम हिन्दी में ही बनाये जायं। सुविधा के लिये ऐसे कार्यक्रम का एक नमूना परिशिष्ट ३ में दिया गया है।

१६—कैलेण्डर तथा छुट्टियों की सूची—सरकार द्वारा प्रकाशित समस्त प्रकार के कैलेण्डर तथा पैड हिन्दी में हों। इसी प्रकार छुट्टियों की सूची भी हिन्दी में हो। निगोशियेबुल इन्सट्रूमेंट्स एक्ट के अन्तर्गत छुट्टियों की विज्ञप्तियां कुछ समय तक हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित होंगी, किन्तु कार्यालयों और अधिकारियों के प्रयोग के लिये अतिरिक्त प्रतियां केवल हिन्दी में ही छपेंगी। गवर्नमेंट प्रेस द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित १९५५ के कतिपय कैलेण्डर अंग्रेजी में ही थे। अब से जितने भी कैलेंडर अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश द्वारा छापे जायं वे हिन्दी में हों।

१७—लिफाफों पर पते—लिफाफों पर पते देवनागरी लिपि में ही होने चाहिये। किन्तु कार्यालयों के अंग्रेजी नामों व अधिकारियों के अंग्रेजी पदनामों का अनुवाद न होना चाहिये। ऐसा करना कुछ समय तक इसलिये आवश्यक है कि अभी डाक व तार विभाग

इन अंग्रेजी नामों के हिन्दी पर्यायों से भलीभांति परिचित नहीं हैं और यह हो सकता है कि पत्र सम्बोधित व्यक्तियों के पास न पहुंच कर अनधिकृत व्यक्ति को मिले। (कुछ दिन पूर्व बिहार में ऐसा ही हुआ था, जिसका फल यह हुआ कि जिन अधिकारियों के पास चिट्ठियां पहुंचनी थीं उन्हें न मिल कर कभी-कभी दूसरे अधिकारियों के पास पहुंच जाती थीं।) कुछ समय बाद जब हिन्दी के पर्याय पूर्ण रूप से प्रचलित हो जायं तब पदनामों के हिन्दी के रूपान्तरों का प्रयोग पता लिखने में किया जाय।

१८—टाइपराइटर—परिपत्र संख्या ६४६४ ३—१७० (७)–१९५२, दिनांक २९ अक्तूबर, १९५२ तथा परिपत्र संख्या ८७९३ ३—१७० (३)–१९५२, दिनांक १ नवम्बर, १९५४ में ये आदेश दिये गये थे कि नये टाइपराइटर अब हिन्दी लिपि के ही खरीदे जायं। उसमें यह भी बताया गया था कि अंग्रेजी के नये टाइपराइटर खरीदने के प्रस्ताव शासन को अब न भेजे जायं। फिर भी समय-समय पर अंग्रेजी टाइपराइटर खरीदने की मांगें आ रही हैं। इन मांगों के समर्थन में अधिकतर ये तर्क दिये जाते हैं :

(क) पारिभाषिक शब्दों में हिन्दी पर्यायों का अभाव,

(ख) हिन्दी टाइपिस्टों और हिन्दी स्टेनोग्राफरों की कमी, और

(ग) दैनिक प्रयोग के प्रपत्रों का अंग्रेजी में होना-

(क) के सम्बन्ध में यह बहुत पहले ही बताया जा चुका है कि हिन्दी के पत्र में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द हिन्दी लिपि में लिखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी पर्याय निश्चित हो रहे हैं और इनकी पुस्तिकायें कुछ ही समय में उपलब्ध हो जायेंगी।

(ख) के विषय में स्थायी अनुदेश यह है कि अब जो भी टाइपिस्ट नियुक्त किये जायेंगे वे प्रधानतया हिन्दी के ही हों। यही नीति स्टेनोग्राफरों के सम्बन्ध में भी है।

(ग) के सम्बन्ध में उपर्युक्त पैराग्राफ १२ में उल्लेख कर दिया गया है कि अंग्रेजी में मुद्रित प्रपत्र अब प्रयुक्त न होंगे। समस्त प्रपत्रों के हिन्दी रूपान्तर तैयार हो रहे हैं और शीघ्र ही उपलब्ध हो जायेंगे।

ऐसी अवस्था में अंग्रेजी टाइपराइटर खरीदना आवश्यक नहीं कहा जा सकता। अतः शासन ने निश्चय किया है कि अब अंग्रेजी टाइपराइटरों की मांग न की जानी चाहिये। शासन के लिये अब इस प्रकार की मांगों को स्वीकार करना संभव न होगा। अलबत्ता इस आदेश के निम्नलिखित अपवाद हैं :

(१) उच्च न्यायालय में न्यायिक प्रयोजनों के लिये तथा किसी विशेष स्थिति में प्रशासकीय प्रयोजनों के लिये,

(२) अन्य न्यायिक अधिकारियों के ऐसे कार्यों के लिये जिन्हें अंग्रेजी में करना अनिवार्य हो,

(३) लोक सेवा आयोग के ऐसे कार्य के लिये जिनका अंग्रेजी में किया जाना अनिवार्य हो, उदाहरणार्थ, परीक्षा सम्बन्धी प्रश्न-पत्र, आदि

(४) महालेखापाल से सम्बन्धित ऐसे कार्यों के लिये जिनका अंग्रेजी में ही करना अभी आवश्यक है,

(५) यदि कोई नया कार्यालय स्थापित हो, जिसमें अंग्रेजी में कुछ हद तक काम करना आवश्यक हो, तथा

(६) इसी प्रकार के किसी अन्य आवश्यक कार्य के लिए,

इन दशाओं में भी अंग्रेजी टाइपराइटर खरीदने की अनुमति उसी समय दी जायगी जब काम की मात्रा पर्याप्त हो।

१६—कार्यालयों की मोहरें तथा रबर मुद्राएं—कार्यालय की मोहरे तथा रबर मुद्रायें हिन्दी में हों। जहां ऐसा न हो, अधिकारी इसकी व्यवस्था कर लें। पदनाम अंग्रेजी में हो सकते हैं किन्तु लिपि देवनागरी हो।

२०—चपरासियों आदि के बिल्ले—सचिवालय के चपरासियों, जमादारों तथा पुलिस, व होमगार्ड के सिपाहियों व अन्य सरकारी कार्यालयों के चपरासियों, आदि के बिल्ले हिन्दी में होने चाहिये। जहां ऐसा न हो रहा हो, इस प्रकार की व्यवस्था कर ली जाय।

२१—हिन्दी के लिये एक पदेन अधिकारी—सचिवालय, विभागाध्यक्षों तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों के कार्यालयों आदि में हिन्दी की प्रगति समुचित रूप से हो रही है या नहीं यह देखने के लिये प्रत्येक कार्यालय में एक अधिकारी मनोनीत किया जाय, जो अपने कार्य के अतिरिक्त यह भी देखे कि उस कार्यालय में सुचारु रूप से हिन्दी का व्यवहार हो रहा है और हिन्दी के विषय में सरकारी आदेश पूर्णतया पालन किये जा रहे हैं। अतः प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीनस्थ एक कर्मचारी को, जो राज्य सेवा (State Service) के ग्रेड से निम्न ग्रेड का न हो, इस कार्य सम्पादन के लिये मनोनीत कर देंगे। इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रक्खा जाय कि इसके लिये वही पदाधिकारी मनोनीत किया जाय जो ज्येष्ठ (senior) हो और हिन्दी में अभिरुचि रखता हो, जिससे कि उसके परामर्श के अनुसार अन्य अधिकारी और कर्मचारी हिन्दी में सुगमता से काम कर सकें।

कार्यालयों के प्रधान निरीक्षक (Chief Inspector of Offices) और उनके अधीनस्थ निरीक्षक भी कार्यालयों का निरीक्षण करते समय यह देखेंगे कि हिन्दी सम्बन्धी आदेशों का समुचित पालन हो रहा है।

२२—प्रत्येक कार्यालय में हिन्दी पुस्तकालय की स्थापना—प्रत्येक कार्यालय में धीरे-धीरे एक हिन्दी-पुस्तकालय स्थापित किया जाय, जहां कर्मचारियों को हिन्दी के प्रमाणीकृत कोष, अंग्रेजी-हिन्दी के कोष, हिन्दी की निर्देश पुस्तकें, हिन्दी की वे पुस्तकें जो राजकीय कार्य करने में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोगी हों, हिन्दी आख्यायें, हिन्दी बजट तथा गजट की प्रतियां, हिन्दी आलेखन की पुस्तकें आदि उपलब्ध हो सकें, ये पुस्तकालय हिन्दी अध्ययन केन्द्र का भी काम करेंगे और वहां सरकारी कर्मचारी सुगमता से हिन्दी ज्ञानोपार्जन कर सकेंगे। इस प्रकार के पुस्तकालय कर्मचारियों में न केवल हिन्दी पढ़ने और समझने की अभिरुचि पैदा करेंगे अपितु उनकी कार्यदक्षता को भी बढ़ाने में सहायक होंगे। विभागाध्यक्षों और अन्य अधिकारियों के पास जो धनराशि प्रासंगिक (contingencies) व्यय के लिये है उसमें से समय-समय पर इन पुस्तकों के लिये पुस्तकें खरीदनी चाहिये। इसके अतिरिक्त, शासन द्वारा प्रकाशित हिन्दी पुस्तकें तथा हिन्दी विषय की अन्य चुनी हुई पुस्तकें एकत्रित करना चाहिये।

२३—हिन्दी स्टेनोग्राफी तथा हिन्दी टाइप सीखने की सुविधा—उन सरकारी कर्मचारियों को, जो हिन्दी स्टेनोग्राफी या हिन्दी टाइपराइटिंग सीखना चाहें तथा उन टाइपिस्टों व स्टेनोग्राफरों को, जो अपनी स्पीड बढ़ाना चाहें, निम्न सुविधाएं दी जायं:

(१) दफ्तर के घंटों में हिन्दी टाइप सीखने की सुविधा,

(२) कार्यालय के टाइपराइटरों पर टाइप सीखने की सुविधा,

(३) स्टेनोग्राफरों को दफ्तर के घंटों में स्टेनोग्राफी का अभ्यास कायम रखने व बढ़ाने की सुविधा,

(४) हिन्दी टाइपराइटिंग तथा हिन्दी स्टेनोग्राफी सीखने वालों को दफ्तर में देर से आने तथा दफ्तर जल्दी छोड़ने की अनुमति देना,

(५) हिन्दी टाइप व हिन्दी स्टेनोग्राफी सीखने के लिये अध्ययन छुट्टी (study leave) दिये जाने की व्यवस्था, फन्डामेंटल रूल्स के नियम

८४ के अन्तर्गत निर्मित नियमावली (Subsidiary Rules) के नियम १४६–ए में यह व्यवस्था है कि सरकारी कर्मचारियों को वैज्ञानिक प्रौद्योगिक (Technical) तथा अन्य प्रकार के विशिष्ट शिक्षण के लिये अतिरिक्त छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। साधारणतया यह छुट्टी कुछ विशेष विभागों, जैसे जन-स्वास्थ्य विभाग, पशु-चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा वन विभाग के कर्मचारियों को दी जाती है, किन्तु सरकार को अधिकार है कि अन्य कर्मचारियों को भी यह सुविधा दिये जाने का आदेश दे, यदि सरकार के विचार में विशिष्ट पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिये उसको ऐसी छुट्टी देना सार्वजनिक हित में हो। अतः सरकार ने यह निश्चय किया है कि हिन्दी टाइप व हिन्दी स्टेनोग्राफी सीखने के लिये जो प्रस्ताव सरकार के पास आयेंगे उन पर सहानुभूति से विचार किया जायेगा और लोक सेवा के हित को ध्यान में रखते हुये यथासम्भव उनको स्वीकार करने का प्रयत्न किया जायेगा। सचिवालय के प्रशासकीय विभाग उन प्रस्तावों को यथाशीघ्र वित्त विभाग से परामर्श लेकर तय करेंगे और यदि आवश्यकता होगी तो प्रशासन विभाग से भी परामर्श करेंगे।

२४—हिन्दी की प्रगति में विशेष सहायता देने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन—हिन्दी में अच्छी टिप्पणी लिखने या आलेख्य तैयार करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाय। उदाहरणार्थ, उनकी चरित्रपंजियों (Character Rolls) में इस आशय की प्रविष्टियां की जायं कि वे हिन्दी की प्रगति में विशेष सहायता दे रहे हैं। इसी प्रकार उन कर्मचारियों को भी जो हिन्दी की प्रगति में अथवा सरकारी काम के लिये उसके प्रचार में विशेष योग दें, प्रोत्साहन दिया जाय। हिन्दी सम्बन्धी इन प्रविष्टियों पर पदोन्नति के समय विशेषरूप से ध्यान दिया जाय।

२५—भारत सरकार के राजकीय कार्यों में हिन्दी भाषा का प्रयोग—भारत सरकार ने भी अब अपने राजकीय कार्यों में हिन्दी भाषा का प्रयोग करने की व्यवस्था की है और इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद ३४३ के खंड (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर के ५ दिसम्बर, १६५५ को एक आदेश जारी किया है, जिसका नाम संविधान (राजकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी भाषा) आदेश, १६५५ है। इस आदेश का ब्योरा "हिन्दी निर्देशिका" में दे दिया गया है।

२६—अन्य विशेष आदेश—ऊपर कहे गये विभिन्न आदेशों के अतिरिक्त सचिवालय के लिये कुछ और विशेष आदेश पृष्ठांकन में दिये गये हैं।

*२७—उत्तर प्रदेश, उच्च न्यायालय तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को यदि आपत्ति न हो तो वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये उपरोक्त आदेश, जहां तक लागू हों, कृपया जारी कर दें।

†२८—(१) कार्यालयों के प्रधान निरीक्षक (Chief Inspector of Offices) से अनुरोध किया जाता है कि वे उक्त पैराग्राफ २१ के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।

‡(२) अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश से यह अनुरोध किया जाता है कि वह इस परिपत्र में उल्लिखित अनुदेशों के विपरीत कोई सामग्री अंग्रेजी में न छापें

---

*केवल उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग के लिये।

†केवल कार्यालयों के प्रधान निरीक्षक के लिये।

‡केवल अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री के लिये।

जब तक कि शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उन्हें ऐसा करने की अनुमति न दे दी गई हो। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे इस परिपत्र के पैराग्राफ १२ के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।

२९—यह परिपत्र केवल उन बातों से ही सम्बन्धित नहीं है जिसका कि ऊपर उल्लेख किया गया है। उल्लिखित राजकीय कार्यों में तो हिन्दी प्रयुक्त करना ही है किन्तु इसके यह अर्थ नहीं कि अन्य कार्य जिनका यहां उल्लेख नहीं किया गया है, हिन्दी में न किये जायं। अच्छा होगा यदि अन्य प्रकार के कार्यों में हिन्दी इस्तेमाल की जाय, क्योंकि अन्ततः हिन्दी ही समस्त राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होनी है और उसको पूर्णरूपेण अपनाना है। अतएव जितनी जल्दी अब सारा कार्य हिन्दी में होने लगे उतना ही अच्छा होगा।

३०—हिन्दी निर्देशिका—सरकार यह अनुभव करती है कि अन्य कठिनाइयों के साथ-साथ उपयुक्त पारिभाषिक शब्दावली के अभाव में हिन्दी में आलेख्य तथा टिप्पणी तैयार करते समय कर्मचारी प्रायः अंग्रेजी में ही सोचने तथा अपने विचार व्यक्त करने के लिये बाध्य होते हैं। तत्पश्चात् उनका हिन्दी रूपान्तर तैयार करने का प्रयत्न किया जाता है जिससे मौलिकता नष्ट हो जाती है। इस कठिनाई को दूर करने तथा अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने की सुविधा देने के लिये शासन ने एक पुस्तिका, "हिन्दी निर्देशिका" तैयार करवाई है, जिसमें हिन्दी के सम्बन्ध में निकाले गये आदेशों का विवरण, हिन्दी में टिप्पणी और आलेख्य लिखने तथा अनुवाद करने के कुछ सुझाव, हिन्दी में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली, हिन्दी की निर्देश पुस्तकों की सूची इत्यादि संगृहीत हैं। इस पुस्तिका में हिन्दी की प्रगति बढ़ाने के शासकीय आदेशों का सारांश भी दिया गया है। इस परिपत्र के साथ निकाले गये आदेश भी इसमें समाविष्ट कर दिये गये हैं। इस पुस्तिका की एक प्रति अतिरिक्त प्रतियों के साथ संलग्न हैं। आशा है कि यह पुस्तिका हिन्दी में सरकारी काम करने में उपयोगी सिद्ध होगी।

३१—हिन्दी माध्यम द्वारा विचारों की सुगमता से अभिव्यक्ति—हिन्दी भाषा एक सरल भाषा है, भारत की अपार जनता की भाषा है। इसीलिये इसे इस प्रदेश की राजभाषा का स्थान ही नहीं अपितु संघ की राजभाषा का भी स्थान दिया गया है। यह भाषा पूर्ण विकसित है। अतएव शासकीय योजनों के लिये उसको काम में लाना कठिन नहीं है। इसके माध्यम द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति सुगमता से हो सकती है।

३२—उपसंहार—विदेशी शासन अन्त होने के बाद विदेशी भाषा का प्रयोग अधिक समय तक होते रहना सभी को अप्रीतिकर लगेगा। कुछ समय तक तो अंग्रेजी का कुछ न कुछ प्रभाव बना रहना एक प्रकार से अनिवार्य ही था। इसके लिये जब सरकार ने अक्तूबर, १९४७ में हिन्दी को राजभाषा घोषित किया तो यह स्पष्ट कर दिया था कि अंग्रेजी की जगह हिन्दी का प्रयोग शनैः शनैः किया जायगा, जिससे कि राजकीय कार्य में आवश्यकता से अधिक अड़चन न पड़े। तब से अब ८ वर्ष से अधिक हो गये हैं और अंग्रेजी का प्रयोग, उन अनिवार्य कार्यों को छोड़ कर, जिनका उल्लेख भारत के संविधान में है सरकारी कार्य में अब यथासम्भव न होना चाहिए।

३३—सरकार को आशा है कि हिन्दी को राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त करने के लिए नीति को भली प्रकार फलीभूत करने में सभी कर्मचारी अपना पूर्ण सहयोग देंगे।

भवदीय,
आदित्यनाथ झा,
मुख्य सचिव।

संख्या ११८७६ (१) ३—१७०(२२)–१९५५

"हिन्दी निर्देशिका" की एक प्रति के साथ प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त विभागों को, आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है।

२—ज्ञात हुआ है कि सचिवालय के विभिन्न विभागों के सचिवों ने सामान्य प्रशासन विभाग को सूचित किया था कि कुछ मदों को छोड़ कर प्रायः सभी काम हिन्दी में किया जा सकता है। जिन मदों में हिन्दी में काम होना इस समय सम्भव नहीं है, उनकी सूचियां भी भेजी गयी थीं। अतएव सचिवालय के विभिन्न विभागों से यह अनुरोध किया जाता है कि उन सूचियों में उल्लिखित मदों को छोड़ कर और सभी काम यथासम्भव हिन्दी में करना प्रारम्भ कर दें। यदि उन मदों के अन्तर्गत पूरा काम हिन्दी में करने में असुविधा हो, जैसी कि उल्लिखित होगी, तो शनैः-शनैः हिन्दी में काम करने वाले मदों को छांट लिया जाय और उनको हिन्दी में करना शुरू कर दिया जाय।

३—यह विशेष आदेश इस परिपत्र में बताये हुए आदेशों के अतिरिक्त है।

संख्या ११८७६ (२) ३—१७० (२२)–१९५५

१—पृष्ठांकन ४६८६ (५३) १७०–४७, दिनांक ८ अक्तूबर, १९४७ के क्रम में—

(१) उत्तर प्रदेश के सभी म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी और नोटीफाइड एरिया कमेटी के चेयरमैन और प्रेसीडेंटों;

(२) लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस और आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों के प्रशासकों;

(३) कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड के प्रशासक;

को भी एक प्रतिलिपि "हिन्दी निर्देशिका" की एक प्रति के साथ सूचनार्थ भेजी जाती है।

नोट—बनारस और आगरा के इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों को ८ अक्तूबर, १९४७ का परिपत्र सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नहीं भेजा गया था: उसकी प्रतिलिपि निर्देशिका की परिशिष्ट १ में है।

आज्ञा से,
आदित्यनाथ झा,
मुख्य सचिव।

संख्या ११८७६ (३), ३—१७० (२२)–१९५५

वित्त विभाग

"हिन्दी निर्देशिका" की एक प्रति के साथ, प्रतिलिपि, उत्तर प्रदेश के महालेखापाल को भी सूचनार्थ भेजी जाती है।

आज्ञा से,
विपिन विहारी लाल,
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या ५७२०/तीन--१९५७

लखनऊ, दिनांक २७ जुलाई, १९५७

कार्यालय ज्ञाप

विषय--अधिकारीय पदनामों, इत्यादि के हिन्दी पर्यायों का प्रयोग।

अधिकारीय पदनामों के अधिकतर हिन्दी पर्याय, खासतौर पर सचिवालय में, अब प्रायः पूर्ण रूप से स्थिर हो चुके हैं। अतः समय आ गया है कि हिन्दी की प्रगति के लिए उन पदनामों को ही सरकारी कागजों तथा पत्र-व्यवहार में प्रयुक्त किया जाय। मिसाल के तौर पर "चीफ़ मिनिस्टर" के स्थान पर "मुख्य मन्त्री" ; "फाइनेन्स मिनिस्टर" के स्थान पर "वित्त मंत्री" का प्रयोग आसानी से हो सकता है। इसी प्रकार "चीफ़ सेक्रेटरी" के स्थान पर "मुख्य सचिव", "होम सेक्रेटरी" के स्थान पर "गृह सचिव", का प्रयोग किया जा सकता है। इन पदनामों के हिन्दी संक्षिप्त रूप भी टिप्पणियों में आवश्यकतानुसार प्रयोग मे लाये जा सकते हैं, जैसे "मुख्य मंत्री", के लिये "मु० मंत्री" या "मु० मं०", "वित्त मन्त्री" के लिये "वि० मन्त्री" या "वि० मं०"।

२--इस सम्बन्ध में सविस्तर निर्णय इस प्रकार है--

(१) (क) प्रमुख अधिकारीय पदनामों के निर्धारित हिन्दी पर्याय संलग्न तालिकाओं (१-३) में दिये गये हैं। तालिका संख्या १ में मन्त्रियों के पूरे पदनाम (मय कार्य विभागों के), उनके संक्षिप्त पदनाम और उन पदनामों के संक्षिप्त रूप दिये गये हैं। तालिका संख्या २ और ३ में उप-मन्त्रियों, सभासचिवों और सचिवालय के पदाधिकारियों के हिन्दी पदनाम और उनके संक्षिप्त रूप दिये गये हैं।

(ख) सचिवालय के विभागों के हिन्दी नाम तथा विभागाध्यक्षों के हिन्दी पदनाम सचिवालय के शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित "उत्तर प्रदेश प्रशासन शब्दावली (संख्या १)" में दिये हैं जो बहु-संख्या में वितरित की गई है।

(ग) इन्हीं निर्धारित पर्यायों का प्रयोग आगे की मदों में निर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार किया जायगा।

(२) सचिवालय के सभी विभागों की फ़ाइलों की टिप्पणियों, आदेशों इत्यादि में और अन्य कागजों, उदाहरणार्थ, पत्रावली आवरण, पर्ची (file covers slips) में अधिकारीय पदनामों के हिन्दी पर्याय तथा विभागों के हिन्दी नाम ही प्रयोग में लाये जायेंगे। आवश्यकता और [illegible]नुसार इनके संक्षिप्त रूप भी (और मंत्रियों के सम्बन्ध में उनके संक्षिप्त पदनाम--देखिए तालिका संख्या १ का दूसरा स्तम्भ) प्रयोग में लाये जा सकते हैं। यदि टिप्पणी अथवा आदेश अंग्रेजी में ही लिखना हो, तो भी उनमें पदनामों इत्यादि के हिन्दी पर्याय ही लिखे जायंगे। उदाहरणार्थ यदि अंग्रेजी के नोट में "मिनिस्टर फ़ार जस्टिस" (Minister for Justice या M. J.)

का पदनाम प्रयोग में लाना हो तो "न्याय मन्त्री" (Nyaya Mantri या N. Mantri या N.M) का प्रयोग किया जायगा। सचिवालय के अन्तर्विभागीय निर्देशों (inter-departmental reference) में भी यही आदेश लागू होंगे।

३ (क) राज्यपाल के सचिव, विधान परिषद्, विधान सभा, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग अथवा अधीनस्थ अधिकारियों से पत्र-व्यवहार (सरकारी और अर्ध सरकारी) में भी (चाहे वह अंग्रेजी में ही क्यों न हो) उक्त आदेश केवल इस परिवर्तन के साथ लागू होगा कि उसमें पदनाम के संक्षिप्त रूप का प्रयोग न किया जायगा, वरन् पदनाम (अथवा मन्त्रियों के सम्बन्ध में उनका संक्षिप्त पदनाम) लिखा जायगा। यदि किसी अवस्था में वैधिक (legal) आवश्यकता की पूर्ति के लिए पदनाम का अंग्रेजी पर्याय ही प्रयोग करना आवश्यक हो तो वैसा किया जा सकता है। विधि द्वारा सरकारी भाषा हिन्दी हो जाने पर (देखिये उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, १९५१) ऐसी परिस्थिति उठने की सम्भावना नहीं जान पड़ती, किन्तु यदि इस विषय में संशय उठे तो विधान विभाग से परामर्श कर के उसे तय किया जा सकता है।

(ख) ये आदेश उन राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार के सम्बन्ध में भी लागू होंगे, जिनके बीच संचार के लिए हिन्दी इस्तेमाल करने का करार हुआ है।

नोट—इस प्रकार का करार अब तक मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों से हुआ है।

(४) मद (३) (क) में निर्दिष्ट आदेश निम्नलिखित प्राधिकारियों से पत्र-व्यवहार पर फिलहाल लागू न होंगे, यदि उसकी भाषा अंग्रेजी हो, (किन्तु यदि पत्र-व्यवहार हिन्दी में हो तो ये आदेश लागू होंगे):

(क) भारत सरकार और उनके अधीनस्थ अधिकारी;

(ख) विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास तथा विदेशी और समविराज्य (commonwealth) सरकारें, जब भारत सरकार के विदेश मन्त्रालय के स्थायी आदेशों के अधीन उनसे सीधे पत्र-व्यवहार किया जा सकता हो;

(ग) मध्यप्रदेश और बिहार राज्य सरकारों को छोड़ कर अन्य राज्य सरकारें;

(घ) विदेशों में स्थित गैर-सरकारी संस्थाएं तथा विशेष व्यक्ति, और

(ङ) महालेखापाल, उत्तर प्रदेश।

(५) विभागाध्यक्षों, प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों और अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यालयों की टिप्पणियों तथा पत्र-व्यवहार इत्यादि के सम्बन्ध में भी उपरिनिर्दिष्ट अनुदेश लागू होंगे।

३—इस राज्य की राजभाषा हिन्दी घोषित हो जाने के पश्चात्, हिन्दी को सरकारी कामों में प्रयुक्त करने के लिये समय-समय पर आदेश जारी किये गये है और शासन को विश्वास है कि अधिकारीगण उनके पालन करने में सचेष्ट है। अधोहस्ताक्षरी को यह आशा प्रकट करने का निदेश हुआ है कि इस कार्यालय ज्ञाप में दिये हुये अनुदेशों का यथोचित पालन किया जायगा।

आदित्यनाथ झा,
मुख्य सचिव।

सचिवालय के समस्त अधिकारियों और विभागों को।

संख्या ५७२० (१),तीन–१९५७

प्रति लिपि मुख्य मंत्री के निजी सचिव, अन्य मन्त्रियों के वैयक्तिक सहायकों, तथा उप-मन्त्रियों और सभा सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

संख्या ५७२० (२),तीन–१९५७

प्रतिलिपि——

(१) राज्यपाल के सचिव;
(२) सचिव, विधान मन्डल;
(३) निबन्धक, उच्च न्यायालय;
(४) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, और
(५) महालेखापाल, उत्तर प्रदेश;

को सूचनार्थ तथा ऐसी कार्यवाही के लिये, जो उचित समझी जाय, प्रेषित।

संख्या ५७२०(३)/तीन–१९५७

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित:

(१) अन्य विभागाध्यक्ष;
(२) मण्डलों के आयुक्त (डिवीजनों के कमिश्नर);
(३) जिलाधीश, जिला न्यायाधीश, और
(४) अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

संख्या ५७२० (४)/तीन–१९५७

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित;

(१) समस्त अध्यक्ष, जिला बोर्ड, उत्तर प्रदेश,
(२) नगरपालिकाओं के समस्त अध्यक्ष/प्रशासक, उत्तर प्रदेश।
(३) अध्यक्ष, विकास बोर्ड, कानपुर।
(४) सुधार प्रन्यासों (Improvement Trusts) के अध्यक्ष, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा और वाराणसी।
(५) अधिसूचित क्षेत्र समितियों (Notified Area Committees) के समस्त अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, और
(६) नगर के क्षेत्र समितियों (Town Area Committees) के समस्त अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

संख्या ५७२० (५)/तीन–१९५७

प्रतिलिपि पोस्टमास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
आदित्यनाथ झा,
मुख्य सचिव।

तालिका—१
(मन्त्रियों के लिये)
[देखिये अनुच्छेद २ (१) (क)]

क्रम-संख्या	मंत्रियों के पूरे पदनाम और उनके हिन्दी पर्याय तथा कार्य-विभाग (Portfolio)		संक्षिप्त पदनाम	संक्षिप्त रूप
१	२		३	४
१	Chief Minister, General Administration and Planning.	मुख्य मंत्री, सामान्य प्रशासन तथा नियोजन	मुख्य मंत्री	मु० मंत्री; मु० मं०
२	Minister for Finance, Industries an Power.	वित्त, उद्योग तथा विद्युत् (शक्ति) मंत्री	वित्त मंत्री	वि० मंत्री; वि० मं०
३	Minister for Health, Agriculture and Relief and Rehabilitation.	स्वास्थ्य, कृषि और सहायता तथा पुनर्वासन मंत्री।	कृषि मंत्री	कृ० मंत्री; कृ० मं०
४	Minister for Public Works	सार्वजनिक निर्माण मंत्री	सार्वजनिक निर्माण मंत्री	सा० नि० मंत्री, सा० नि० मं०
५	Minister for Revenue	माल मंत्री	माल मंत्री	मा० मंत्री; मा० मं०।
६	Minister for Justice, Food and Civil Supplies and Forests.	न्याय, खाद्य तथा रसद तथा वन मंत्री	न्याय मंत्री	न्या० मंत्री, न्या० मं०
७	Minister for Home, Education and Information.	गृह, शिक्षा तथा सूचना मंत्री	शिक्षा मंत्री	शि० मंत्री; शि० मं०
८	Minister for Local-Self Government	स्वायत्त शासन मंत्री	स्वायत्त शासन मंत्री	स्वा० शा० मंत्री; स्वा०शा० मं०
९	Minisfor for Labour and Social Wel fare	श्रम और समाज कल्याण मंत्री	श्रम मंत्री	श्र० मंत्री; श्र० मं०
१०	Minister for Co-operation	सहकारिता मंत्री	सहकारिता मंत्री	स० मं०; स० मं०
११	Minister for Harijan Welfare	हरिजन कल्याण मंत्री	हरिजन कल्याण मंत्री	ह० क० मंत्री; ह० क० मं०
१२	Minister for Social Security	सामाजिक सुरक्षा मंत्री	सामाजिक सुरक्षा मंत्री	सा० सु० मंत्री; सा० सु० मं०
१३	Minister for Irrigation	सिंचाई मंत्री	सिंचाई मंत्री	सि० मंत्री; सि० मं०
१४	Minister for Excise and Transport	आबकारी तथा परिवहन मंत्री	परिवहन मंत्री	प० मंत्री, प० मं०

नोट:—[illegible]

तालिका—२

(उप-मंत्रियों और सभासचिवों के लिये)

[देखिये अनुच्छेद २ (१) (क)]

क्र० सं०	पदनाम	हिन्दी पर्याय	संक्षिप्त रूप
१	२	३	४
१ Deputy Minister for Planning	.. नियोजन उपमंत्री	नि० उपमंत्री	नि० उ० मं०
२ Deputy Minister for Justice	.. न्याय उपमंत्री	न्या० उपमंत्री	न्या० उ० मं०
३ Deputy Minister for Education	.. शिक्षा उपमंत्री	शि० उपमंत्री	शि० उ० मं०
४ Deputy Minister for Industries	.. उद्योग उपमंत्री	उ० उपमंत्री	उ० उ० मं०
५ Deputy Minister for Revenue	.. माल उपमंत्री	मा० उपमंत्री	मा० उ० मं०
६ Deputy Minister for Health	.. स्वास्थ्य उपमंत्री	स्वा० उपमंत्री	स्वा० उ० मं०
७ Deputy Minister for Social Welfare	.. सामाजिक कल्याण उपमंत्री	सा० क० उपमंत्री	स० क० उ० मं०

पूरे पदनाम और उनके हिन्दी पर्याय		संक्षिप्त पदनाम	संक्षिप्त रूप	
१	२	३	४	५
१ Parliamentary Secretary attached to Chief Minister.	सभा सचिव, मुख्य मंत्री से सम्बद्ध	सभा सचिव, (मुख्य मंत्री)	सभा० स० (मु० मंत्री)	स० स० (मु० मं०)
२ Parliamentary Secretary attached to Minister for Health, Agriculture and Relief and Rehabilitation.	सभासचिव, स्वास्थ्य कृषि और सहायता तथा पुनर्वास मंत्री से सम्बद्ध	सभासचिव, (कृषि मंत्री)	सभा० स० (कृ० मंत्री)	स० स० (कृ० मं०)
३ Parliamentary Secretary attached to Minister for Finance, Industries and Power.	सभासचिव, वित्त, उद्योग तथा विद्युत मंत्री से सम्बद्ध	सभा सचिव (वित्त मंत्री)	सभा० स० (वि० मंत्री)	स० स० (वि० मं०
४ Parliamentary Secretary attached to Minister for Local Self-Government.	सभासचिव, स्वायत्त शासन मंत्री से सम्बद्ध	सभासचिव, (स्वायत्त शासन मंत्री)	सभा० स० (स्वा० शा० मंत्री)	स० स० (स्वा० शा० मं०
५ Parliamentary Secretary attached to Minister for Home, Education and Information.	सभासचिव, गृह, शिक्षा तथा सूचना मंत्री से सम्बद्ध	सभासचिव, (शिक्षा मंत्री)	सभा० स० (शि० मंत्री)	स० स० (शि० मं०)
६ Parliamentary Secretary attached to Minister for Labour and Social Welfare.	सभासचिव, श्रम और समाज कल्याण मंत्री से सम्बद्ध	सभासचिव, (श्रम मंत्री)	सभा० स० (श्र० मंत्री)	स० स० (श्र० मं०)
७ Parliamentary Secretary attached to Minister for Harijan Welfare and Legislative Affairs.	सभासचिव, हरिजन कल्याण तथा विधानकार्य मंत्री से संबद्ध	सभासचिव (हरिजन कल्याण मंत्री)	सभा० स० (ह० क० मंत्री)	स० स० (ह० क० मं०
८ Parliamentary Secretaay attached ro Minister for Public Works.	सभासचिव, सार्वजनिक निर्माण मंत्री से संबद्ध	सभासचिव, (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)	सभा० स० (सा० नि० मंत्री)	स० स० (सा० नि० मं०

नोट—कार्य-विभाग परिवर्तन की दशा में पदनाम भी तदनुकूल बदल जायेंगे।

तालिका—३

(सचिवालय के पदाधिकारियों के लिये)
[देखिये अनुच्छेद २ (१) (क)]

क्र० सं०	पदनाम		हिन्दी पर्याय	संक्षिप्त रूप
१	२		३	४
१	Chief Secretary ..	.. मुख्य सचिव	मु० सचिव;	मु० स०
२	Secretary ..	.. सचिव		
३	Additional Secretary	.. अतिरिक्त सचिव	अ० सचिव;	अ० स०
४	Joint Secretary ..	.. संयुक्त सचिव	सं० सचिव;	सं० स०
५	Deputy Secretary	.. उप-सचिव	उ० सचिव;	उ० स०
६	Under Secretary ..	.. अनु-सचिव	अनु० सचिव;	अनु० स०
७	Assistant Secretary	.. सहायक सचिव	सहा० सचिव;	सहा० स०
८	Officer on Special Duty	.. विशेष कार्याधिकारी	वि० अधिकारी;	वि० अ०
९	Personal Assistant	.. वैयक्तिक सहायक	वै० सहायक;	वै० स०

नोट:—सचिवालय के अन्य पदाधिकारियों के हिन्दी पर्याय "हिन्दी निर्देशिका" में देखिये।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३ पर।)

राजकीय गोसदन

१९५६-५७ में दो अन्य राजकीय गोसदन खोलने के लिये जिला बांदा व बहराइच चुन लिये हैं [illegible] के निर्माण का कार्य जारी है और आशा है कि [illegible] कार्य करने लगेंगे। इन पर पिछले वर्ष कुल व्यय [illegible] [illegible] हुआ है।

निजी गोसदन

[illegible] प्रदेश [illegible] जिला [illegible] देहरादून तथा आगरा जिला में [illegible] निजी गोसदन खोले जा चुके हैं, जिनको सन् १९५६-५७ में सरकार द्वारा [illegible] की सहायता दी जा चुकी है।

जिला गोसदन

[illegible], हरदोई, [illegible] मुजफ्फरनगर, फर्रुखाबाद, बदायूं, सहारनपुर, [illegible] [illegible] और [illegible] जिलों में से प्रत्येक में एक जिला गोसदन खोलने का अनुमोदन [illegible] द्वारा किया जा चुका है और आशा है कि इन जिलों में गोसदन [illegible] ही पूर्णतया कार्य करने लगेंगे। पिछले वर्ष इन जिला गोसदनों को चलाने के लिये कुल ?,२४,००० [illegible] की धनराशि विभिन्न जिलाधीशों के अधीन रखी गई है।

बाकी जिलों में भी भूमि प्राप्त करने का कार्य जारी है और आशा है कि जल्दी ही उनमें से १० या १५ जिलों में इस वर्ष गोसदन खुल जावेंगे।

हुकुम सिंह विसेन,
कृषि मंत्री।

राजकीय गोसदन १—[illegible], जिला नैनीताल तथा २—इटावा पर वार्षिक धनराशि का व्यय निम्नलिखित हुआ

		रु०	आ०	पा०
१९५२–५३	..	७२,८१७	७	६
१९५३–५४	..	५४,१७३	१३	३
१९५४–५५	..	३८,८१४	११	३
१९५५–५६	..	४९,५२८	१३	६
१९५६–५७	..	५३,११८	१२	३

बांदा तथा बहराइच में खोले जाने वाले राजकीय गोसदन पर १९५६-५७ में हुए व्यय का ब्योरा निम्नांकित है.—

		रु०
कर्मचारियों का वेतन आदि	..	४००
ट्रक	..	१,२६,२००
सामान	..	१७,७०७
भवन निर्माण	..	५७,०००
कुल योग	..	२,०१,३०७

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०६ पर।)

मंझरा

वर्ष का नाम	आय	व्यय			
		सरकार का खर्चा	भवनों तथा मशीनों आदि पर	पूरी लागत पर ४ १ २ प्रतिशत की दर से सूद	कुल व्यय
१६५२–५३ ..	१,७६,६८७	१,७६,३५७	१२,७६५	६,५२२	१,९५,६७४
१६५३–५४ ..	१,१५,२४१	१,७१,६००	६,६१५	६,५८१	१,६०,७६६
१६५४–५५ ..	१,५२,१५२	१,८६,४८७	१०,३८०	११,२४७	२,११,११४
१६५५–५६ ..	२,५५ ८१६	२,५०,१६१	१४,३२७	१२,४३६	२,७६,६५७
योग ..	७,०२,८६६	७,८७,६३५	४७,११७	३६,७८६	८,७४,५४१

अन्देशनगर

वर्ष का नाम	आय	सरकार का खर्चा	भवनों तथा मशीनों आदि पर	पूरी लागत पर ४ १ २ प्रतिशत की दर से सूद	कुल व्यय
१६५२–५३ ..	१,६२,२६६	१,२६,२६८	६,८६८	७,४६८	१,४६,६३४
१६५३–५४ ..	१,६६,६२३	१,४४,८१६	३१,८३२	१३,०३१	१,८६,६७६
१६५४–५५ ..	१,८६,२४२	१,५५,११६	१४,०१७	१४,८०६	१,८३,६४२
१६५५–५६ ..	२,५८,०६५	१,६६,४७४	२६,२६५	२१,१६६	२,४६,६६५
योग ..	७,७६,१६६	६,२५,६७४	८५,०४२	५६,५०४	७,६७,२२०

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११३ पर)

सूची 'क'

छात्रवृत्ति आदि सुविधाएं देने के लिये पिछड़ी जातियों की वर्तमान सूची।

हिन्दू

१—नाई
२—लोहार
३—सोनार
४—बेचाँ
५—कुम्हार
६—भर
७—नायक
८—गड़रिया
९—दर्जी
१०—कोरी आगरा मेरठ एवं रुहेलखंड डिवीजन।
११—काछी
१२—बंजारा
१३—छिप्पी
१४—जोगी
१५—गूजर
१६—माली
१७—कहार
१८—मनिहार
१९—बढ़ई
२०—धीवर
२१—गुसाई
२२—किसान
२३—भुर्जी या भरभूंजा
२४—बैरागी
२५—तमोली
२६—कोइरी
२७—अराख
२८—कुर्मी
२९—अहीर
३०—लोध
३१—हलवाई
३२—मुराऊ या मुराई
३३—केवट या मल्लाह
३४—लोनिया
३५—बारी
३६—दुसाध
३७—बिन्द
३८—भोटिया

मुसलमान

१—रंगरेज
२—मिरासी
३—धफाली
४—भठियारा
५—फकीर
६—नद्दाक (धुनिया)
७—दर्जी
८—मोमिन (अंसार)
९—हज्जाम (नाई)
१०—स्वीपर (भंगी)
११—कसगर
१२—नक्काल
१३—मुसलिम (कायस्थ)
१४—मनिहार
१५—नट
१६—कारपेंटर (बढ़ई)
१७—कुंजड़ा
१८—गद्दी
१९—किसान
२०—चिकवा (कस्साब)
२१—झोझा

टिप्पणी—कुमायूं डिवीजन में मरछा, नायक गिरी और पिछड़े मुसलमान पिछड़ी जाति में समझे जायेंगे।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११३ पर)

सूची 'क'

सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिये पिछड़ी जातियों की वर्तमान सूची

१—अराख
२—बनजारा
३—भर
४—बिन्द
५—भोटिया
६—छिप्पी
७—झोझा
८—जुलाहा (अंसार)
९—कोरी
१०—कुंजड़ा
११—लूनिया या नूनिया
१२—मनिहार
१३—मराऊ
१४—नायक
१५—धुनिया

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११४ पर)

सन् १९५६-५७ के बजट में स्वास्थ्य मंत्री कोष के लिये रखी गई धनराशि में से इस राज्य के निर्धन रोगियों को सहायता देते समय निम्न बातों का ध्यान विशेष रूप से रखा गया :—

१—जिस निर्धन रोगी का उपचार बाहर के किसी अस्पताल, क्षय-रोगाश्रम अथवा क्लिनिक में हो रहा था।

२—जिस निर्धन रोगी का नाम किसी अस्पताल अथवा क्षयरोगाश्रम में नियत रूप से निःशुल्क शय्या पर भर्ती के लिये सूची में दर्ज था।

३—जिस निर्धन रोगी को अस्पताल में भर्ती रखकर उपचार पूरा हो चुका था और उसे स्वास्थ्य सुधार के लिये विशेष आहार अथवा औषधियों की आवश्यकता बतलाई गई थी।

४—जिस निर्धन रोगी की अस्पताल, क्षयरोगाश्रम अथवा क्लिनिक में उपचार करते हुये मृत्यु हो गई थी और उसके आश्रित निराश्रित तथा निर्धन परिस्थितियों में छूट गये थे और

५—किसी अन्य आधार पर यदि स्वास्थ्य मंत्री जी की राय से किसी रोगी को सहायता देना उचित समझा गया था।

जहां तक संस्थाओं को अनुदान देने का प्रश्न है कोई विशेष नियम तो नहीं है, किन्तु वित्तीय स्थिति के आधार पर टरनस अमरी अस्पताल, मुरादाबाद को २,००० रु० की धनराशि अनुदानस्वरूप दी गई है और उसके अतिरिक्त अन्य किसी संस्था को कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

पी० एस० यू० पी०--१० पी०--६४ एल० ए०--१९५७--७२६.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, ३ अगस्त, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ मे ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्म गोविन्द खेर की अध्यक्षता मे आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य (३०५)

अजीज इमाम, श्री
अनन्त राम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा. डाक्टर
अशफाक अली खां, श्री
असगर अली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकर, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री

छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छेदीलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जंगबहादुर बिष्ट, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ महरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयराम वर्मा, श्री
जागेश्वर, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दल, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयाल शर्मा, श्री
दीनदयालु 'करुण', श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम श्री
धनुषधारी पांडेय श्री
धर्मदत्त वैद्य श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पाल्मी श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्भरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धासिंह, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री

मदनमोहन, श्री
मनव्वानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अलीखां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
मातापसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद,'हंस', श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुबीरराम, श्री
रघुबीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्ष्मण, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनय लक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्राम राय, श्री

विवेकानन्द स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शम्सुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडे, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अंसारी, श्री
सर्जूदनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सुखनन्दलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुशीला चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—माल उपमंत्री श्री परमात्मानन्द सिंह भी उपस्थित थे।

विधान सभा सदस्य श्री मोतीलाल अवस्थी की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं पहले आदरणीय सदन को एक सूचना देना चाहता हूं जो तार द्वारा कानपुर से माननीय मोतीलाल अवस्थी के गिरफ्तार होने के सम्बन्ध में आयी है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है नरवल में। तार इस प्रकार है :-

"Dear Mr. Speaker,

I have the honour to inform you that Sri Moti Lal Awasthi, Member Legislative Assembly was arrested under Section 188 I. P. C. to day at Narwal for defying the prohibitory order under Section 144 C. R. P. C. issued by me on July 10, 1957. He is at present on his way to district Jail Kanpur where he will be lodged."

यानी वह कानपुर जेल में रखे जायंगे और रास्ते से ही तार कर दिया है।

एक सदस्य—कब पकड़े गये?

श्री अध्यक्ष—कल २ तारीख का तार है।

प्रदेश के पूर्वी जिलों में खाद्य स्थिति के फलस्वरूप भुखमरी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष——एक काम रोको प्रस्ताव श्री रामसुन्दर पांडेय जी का है जो इस प्रकार है:

"उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति पर सरकार द्वारा हठवादिता के कारण ध्यान नहीं दिये जाने के कारण लाखों व्यक्तियों के घरों में उपवास हो रहा है। फलस्वरूप भुखमरी भी प्रारम्भ हो गई है। उदाहरणस्वरूप आजमगढ़, जौनपुर, बलिया आदि जिलों के क्रमशः सकरामऊ, कुरेथू, रतनपुरा गांवों में भूख से मृत्यु हो चुकी है।

अतएव इस संकटापन्न एवं गम्भीर स्थिति पर विचार करने हेतु सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

इसके साथ उन्होंने अखबार की कटिंग भी भेजी है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि अन्न मंत्री के पास इसे भिजवाकर, क्योंकि वह यहां मौजूद नहीं है, कि उनको इसके सम्बन्ध में कुछ जानकारी है। क्योंकि निश्चितता तो दिखाई नहीं देती, अखबार की खबर पर आधारित यह प्रस्ताव मालूम होता है, और यह अभी-अभी आया है। तो इसके ऊपर फैसला बाद में दूंगा।

सकरामऊ, जिला आजमगढ़ में भूख से एक व्यक्ति की मृत्यु के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष——दूसरा काम रोको प्रस्ताव श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव जी का है जो इस प्रकार है:——

"सरकार द्वारा इस माननीय सदन में बार-बार आश्वासन और विश्वास दिलाने के बाद भी कि राज्य में कोई अन्न बिना मरने नहीं पायेगा इत्यादि।"

यह भी उसी तरह का है जैसा माननीय रामसुन्दर पांडेय जी का है। तो यह भी एक साथ ही अन्न मंत्री जी के पास भेज दिया जायगा।

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में भारतीय राष्ट्रीय छात्रसंघ के अध्यक्ष द्वारा अनशन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष——तीसरा काम रोको प्रस्ताव श्री रामायणराय का है। इस सम्बन्ध में मैं पहले भी फैसला दे चुका हूं कि यूनिवर्सिटी में अनशन हो रहा है और बनारस यूनिवर्सिटी केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखती है। अगर वहां कोई झगड़ा होता है तो उसके ऊपर बहस यहां नहीं हो सकती, न काम रोको प्रस्ताव उठाया जा सकता है। दूसरे यूनिवर्सिटी एक आटोनामस बाडी है।

गोरखपुर जिले में सशस्त्र डकैतियों से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष——एक काम रोको प्रस्ताव श्री मदन पांडेय जी का इस प्रकार है——

"उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में और विशेष रूप से गोरखपुर जिले की महराजगंज, फरेंदा तहसीलों में गत तीन मास से हरडी, बरगडही, घरमौली, वरगदवा, सनगद तथा बैरिहवा आदि ग्रामों में भीषण सशस्त्र डकैतियों में लगभग आधे दर्जन व्यक्तियों की प्राणहानि हुई तथा

[श्री अध्यक्ष]

हुईं व्यक्ति गोलियों से घायल हुए, फिर भी जिले का पुलिस प्रशासन एक भी डकैती का पता लगाने में असफल रहा, जिसके कारण जनता में जान माल की सुरक्षा की भावना समाप्त हो गई है। विषम एवं स्थिति से विपन्न जनता पुलिस की अकर्मण्यता के कारण स्वयं ही किसी साधन का अवलम्बन करने में असमर्थ हो रहा है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपरोक्त विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन कार्य स्थगन करे।"

यह डकैतियां महीनों पुरानी हैं और यह सदन आज कई दिन से बैठ रहा है। इस प्रश्न पर विचार की कोई अगर ऐसी आवश्यकता थी, अर्जेंसी थी, तो पहले ही प्रस्ताव लाना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि पुलिस विभाग के सम्बन्ध में अनुदान [illegible] लेने के लिए निश्चित है ही। तो आगे कुछ दिनों के बाद इसके ऊपर बहस [illegible] इन कारणों से कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इसलिए इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं।

भुखमरी से सम्बन्धित कार्य-स्थगन प्रस्तावों को अगले दिन लेने की सूचना

श्री अध्यक्ष—(श्री सैयद अली जहीर से) अब मैंने कल के लिए कर दिये हैं काम रोको प्रस्ताव जो कि भुखमरी के सम्बन्ध में है, आप (अन्न मंत्री) चूंकि यहां पर नहीं आये थे। तो इसके बारे में मालूमात हासिल करके या अगर आपके पास मालूमात इसके बारे में हों तो आज ही दे दें।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी नहीं, मुझे आज सुबह ही तो यह मिला है।

श्री अध्यक्ष—तो कल तक मालूमात हासिल करके मुझे दे देंगे तब मैं इसके ऊपर फैसला दूंगा। कल यानी सोमवार तक।

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी—(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—कल अनुदान संख्या २ में कटौती के प्रस्ताव के ऊपर श्री रामवचन यादव भाषण दे रहे थे। वे अपना भाषण पूरा करेंगे।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि यदि गांव समाज के प्रधान ऐसे चुने जायं जिन पर कि गांव के सभी लोगों का विश्वास हो और वह समझदार भी हों और कुछ जानकारी रखने वाले हों, तो जो यह गलत इन्दराज लेखपालों द्वारा होते हैं इसकी सम्भावना बहुत कम रह जाय, क्योंकि साल में एक बार लेखपाल एक लिस्ट देते हैं, उसको लेकर गांव समाज के प्रधान गांव के लोगों को इकट्ठा करके सुना दें और उसी मौके पर जो गलतियां रहती हैं, लोगों के सामने उनमें सुधार हो जाय, और जहां कहीं मौके पर जाना हो वहां गांव समाज का प्रधान और दो-चार पञ्च चले जायं, तो लेखपाल सुधार देगा और ऐसी व्यवस्था गांव समाज मैनुअल में है। इस तरह से यह गलत इन्दराज के जितने झगड़े होते हैं वे कम हो जायंगे। इसलिए, मैं चाहता हूं कि गांव समाज के प्रधान जो चुने जायं, उन पर सबका विश्वास हो। जब चुनाव होने लगता है, तो हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य और उनके साथी यह समझते हैं कि अगर यह निर्विरोध चुनाव से प्रधान हो गया, तो फिर वह हमारा साथ नहीं देगा, यह तो कांग्रेस वालों ही का साथ देगा।

मैंने अपने क्षेत्र में देखा कि जहां प्रधान निर्विरोध चुने जाते थे वहां भी किसी न किसी को उम्मीदवार खड़ा किया गया, और एलेक्शन कराया गया, ताकि दो दल बन जायं और हमारी पार्टी को कुछ फायदा हो। तो गांव समाज के प्रधानों को पार्टी के आधार पर चुनवाने की कोशिश अगर न की जाय, तो गांव में जो इन इन्दराजों के सम्बन्ध में इतने झगड़े होते हैं ये बहुत कुछ कम हो जायं? यह कहा जाता है कि गांव के सभापतियों को ही तकावी की तसदीक के लिए अधिकार दिया जाय और वसूली के लिए भी। तो उसमें दिक्कत यह पड़ती है कि गांव समाज के प्रधान के पास हर एक किसान के लगान का हिसाब नहीं रहता और लेखपालों को उनके लगान की तसदीक करनी पड़ती है कि यह किसान इतने रुपये का मालगुजार है। इसलिये, अगर गांव समाज के प्रधान को तकावी का हक दे दिया जायगा, तो वह मुरव्वत और नासमझी के कारण गलत तसदीक कर देगा। इसमें कठिनाई होगी। वसूली के सम्बन्ध में विधान में व्यवस्था है, किन्तु गांव समाजों के प्रधानों को पंचायतों के टैक्स की वसूलयाबी दी गई। ८ वर्ष हो गये, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हो सकी। इसलिये लगान की वसूली भी गांव समाज के प्रधानों के लिये बड़ी दिक्कततलब बात होगी।

कहा जाता है कि मालगुजारी के वसूल करने में खर्चा ज्यादा हुआ। मगर माननीय सदस्यों को ध्यान रखना चाहिये कि जब जमींदारी प्रथा कायम थी तो हजारों वसूल करने वाले जमींदारों की तरफ से होते थे और लगान का आधा हिस्सा जमींदार के घर चला जाता था और वसूल करने वालों पर भी खर्च होता था। अब जो आधा रुपया जमींदारों के घर में चला जाता था, वहां न जा कर सरकार के खजाने में आता है और जो उस वक्त कारिन्दे, चपरासी या जिलेदार वगैरह वसूल करते थे, वह खर्च अब सरकार को देना पड़ता है। इसकी वजह से वसूली का खर्च बढ़ा. यह कहना कि सरकार दूना लगान ले लेती है यह गलत है। उससे सरकार का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। वह रुपया सरकार के द्वारा समाज के कामों में खर्च होता है। पहले तो वह जमींदारों के घर में जाता भी था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। इसलिये यह कहना कि लगान आधा करके खर्च को कम कर दिया जाय, यह मुश्किल है, और जो खर्चा बढ़ा है, वह इसलिये बढ़ा है कि काम ज्यादा बढ़ गया। पहले दस फीसदी वसूली में खर्च पड़ता था, लेकिन अब तो मैं समझता हूं कि पांच फीसदी वसूली का खर्चा है।

एक बात माननीय मंत्री जी से यह कहनी है कि चकबंदी जहां-जहां हो रही है, वहां गांव आबाद हैं, चारों तरफ खेत हैं। इससे लोगों को फैलाव करने के लिये बहुत कम जगह मिलती है। लिहाजा गांव के किनारे कुछ जमीन छोड़ी जाय और ऐसा इंतजाम किया जाय। कानून में तो ऐसा है, लेकिन वहां मौके पर काम ऐसा नहीं हो रहा है। खास कर हरिजनों की बस्ती जहां है, वहां अवश्य कुछ छोड़ी जाय। घरों के चारों तरफ मैंने हरिजनों की बस्ती के पास देखा कि दूसरे लोगों के खेत हैं। हरिजनों को बस्ती बढ़ाने के लिये मौका दिया जाय।

एक बात और माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि नागर क्षेत्र की जमींदारी का कानून बना, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया। इस किताब में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर नहीं हुये हैं। मैं समझता हूं कि हस्ताक्षर शायद अब तक हो चुके होंगे। नागर क्षेत्र की जमींदारी को खत्म किया जाय। गांव के लोग कहते हैं कि हम लोगों की जमींदारी खत्म की गई, मगर शहर की क्यों नहीं खत्म की गई।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--माननीय स्पीकर साहब, यह एक वाकया है कि हमारे सूबे के अन्दर गुजिश्ता दस साल में जरायत का जहां तक ताल्लुक था, उसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद असलम खां]

एक बहुत बड़ा इन्कलाब आया और इस सूबे ने सबसे पहले यह दिखा दिया कि हमारे यहां जमींदारी का खात्मा हुआ। जमींदारी के खात्मे के साथ-साथ इस सूबे के अन्दर कुछ और रिफार्म्स भी हुये। उसके बाद आखिरी कदम जो उठाया गया, इस सिलसिले में, वह "कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स" के सिलसिले में था। मैं समझता हूं कि इसके मुताल्लिक कोई दो राय नहीं हो सकती कि जराअती रिफार्म्स में "कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स" से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। मैंने डिबेट में यह भी सुना कि उसमें बहुत-सी दिक्कतें हैं और बुराइयां हैं। इस सिलसिले में, अगर दुनिया के हालात को देखा जाय, तो उसमें यह चीजें हो सकती हैं, मगर "कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स" ऐसी चीज है कि अगर उसका हमने सही तौर पर बन्दोबस्त कर लिया, तो हमारे सूबे की पैदावार काफी बढ़ सकती है।

ये तमाम रिफार्म्स जहां हुये उसके साथ-साथ "रिडिस्ट्रिब्यूशन आफ लैण्ड" की बात भी हम सुन रहे हैं। उसके साथ ही साथ यह भी सुना जा रहा है कि काश्तों पर "सीलिंग" भी होनी है। मैं नहीं जानता कि "सीलिंग" और "लैण्ड रिडिस्ट्रिब्यूशन" की बात किस तरीके से मुमकिन हो सकती है और किस तरह से उस पर अमल हो सकता है। हमने अभी तक 'इकानामिक होल्डिंग' की कोई तारीफ अपने यहां नहीं की है। किसी ऐक्ट के अन्दर यह फैसला

और हम "रिडिस्ट्रिब्यूशन आफ लैन्ड" करेंगे तो, मैं कम से कम यह समझने से कासिर हूं कि कैसे यह चीज मुमकिन हो सकती है। यह सही है कि हम कुछ 'स्लोगन' लगायें और 'सेंटिमेंटल' तरीके पर बहुत सी बातें सोचें, मगर हमें यह सोचना है कि हमारे सूबे और मुल्क का इलाज किस तरीके पर हो सकता है। हमारा मुल्क और सूबा ऐसा है जिसमें ८० फीसदी लोग काश्तकारी पर अपनी बसर औकात करते हैं और काश्तकारी का मसला हमारे लिये सब से ज्यादा जरूरी मसला है और अभी काफी वक्त तक हम अपनी गुजर औकात काश्तकारी पर करते रहेंगे। लेकिन सवाल तो यह है कि अगर हम सीलिंग मुकर्रर करें या हम 'रिडिस्ट्रिब्यूशन लैन्ड' का करें, तो यह चीज किस सूरत से मुमकिन हो सकती है। अगर तमाम जमीन जो हमारे सूबे में है और जितने काश्तकार इस सूबे में हैं, उनके ऊपर बराबर जमीन को बांटने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूं, मैंने फिगर्स तो कैलकुलेट नहीं किये, लेकिन २ या ३ फीसदी बीघा से ज्यादा आराजी एक काश्तकार के हिस्से में नहीं आयेगी। उसके बाद उससे यह ख्वाहिश की जाय कि वह उस जमीन की पैदावार से अपनी और अपने खानदान की बसर औकात करे और नेशनल इनकम बढ़ाये तो यह उससे उम्मीद नहीं की जा सकती। जब तक हम अपने मुल्क का कोई इलाज न करें तब तक यह दिक्कत दूर नहीं हो सकती। यह सही है कि जमीन के ऊपर ज्यादा बोझा है, प्रेशर है, और लोग इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन में यह पूछने लगते हैं कि जमीन का बटवारा कब होगा, लेकिन जमीन कोई रबड़ नहीं कि बढ़ जायगी; जितनी है उतनी हमारे पास है। इसलिये हम "रिडिस्ट्रिब्यूशन" या "सीलिंग" को मुकर्रर करने की बात न करें, तो और हम इस बात पर जोर दें कि बजाय "एक्सटेंसिव कल्टीवेशन" के "इंटेंसिव कल्टीवेशन" हो और उसके अलावा हम इस चीज को सोचें कि हम अपनी काटेज इंडस्ट्रीज को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। उसके लिये एक प्लान होना चाहिये और उसके मुताबिक हम यह कोशिश करें कि जमीन पर जो बोझा और प्रेशर है, उसको दूर करें, तभी यह मसला हल हो सकता है। वरना अगर हम जमीन का "रिडिस्ट्रिब्यूशन" कर दें, तो शायद १०-१५ साल नहीं गुजरने पायेंगे, एक ही जनरेशन बदलेगी, उसके बाद फिर यह मसला पैदा होगा कि हम इसको कैसे हल करें। हिन्दुस्तान की आबादी इस तेजी से बढ़ रही है कि जब तक हम इस बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल न करें, तब तक जमीन के मसले को हल करना बहुत ही मुश्किल नजर आता

इस वजह से मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि गवर्नमेन्ट इस मसले के मुताल्लिक अपनी निश्चित रूप से जो नीति हो उसे सामने लाये।

आजकल कुछ इस तरीके से अनसरटेंटी के हालात हैं कि जिनमें लोग अच्छे तरीके से दिल लगा कर अपनी काश्त को तरक्की नहीं दे सकते। यह मानी हुई बात है कि जब तक काश्तकार को यकीन न हो कि उस काश्त में उसका दायमी और मुस्तकिल हक है उस वक्त तक उसको वह तरक्की देने की कोशिश नहीं करता। यही बुनियाद थी कि जिसके ऊपर 'जमींदारी अबालिशन' का फैसला किया गया था। तो अगर काश्तकार अपनी जमीन को ज्यादा तरक्की देने की कोशिश नहीं करेगा, तो नतीजा यह होगा कि पैदावार कम हो जायगी। हम करोड़ों रुपया इरिगेशन की फैसिलिटीज बढ़ाने, ट्यूबवेल्स लगाने और तरह-तरह की सहूलियतें काश्तकार को बहम पहुंचाने में सर्फ कर रहे हैं, लेकिन फिर इसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारी जमीन से जितनी पैदावार बढ़नी चाहिये थी उतनी नहीं बढ़ रही है और मैं समझता हूं कि अगर देखा जाय तो सब से बड़ी चीज यह है कि एक ऐसा अनसरटेंटी का आलम है कि किसी को इस बात का इत्मीनान नहीं है कि पांच साल के बाद क्या कानून आयेंगे या क्या पोजीशन होगी, सब से ज्यादा नुकसान होता है उन लोगों को, जो अनइंटेलीजेंट हैं, देहात में रहते हैं। इसलिये कोई कानून आय और उसको नाफिज किया जाय, तो जो शहर में रहते हैं, या इंटेलीजेंट हैं, या कानून से ज्यादा वाकफियत रखते हैं, या कानून को यूज और एव्यूज करने के आदी हैं, तो वह उसमें लूप होल मालूम कर लेते हैं। लेकिन वह काश्तकार जो देहात में रहते हैं, और ऐसे लोग ओवरव्हेलमिंग मैजोरिटी में हैं, जो अनइंटेलीजेंट हैं, अन-ऐजूकेटेड हैं, उनको दिक्कत होती है, वह बजाय उससे नफा उठा सकें, जो उनके नफे के लिये बनाया गया है, उससे उल्टा उनको नुकसान हो जाता है।

मिसाल के तौर पर कंसालिडेशन का मसला पेश करना चाहता हूं। इसके मुताल्लिक दो रायें नहीं हो सकती हैं कि इससे ज्यादा अच्छा रिफार्म काश्तकारी में और दूसरा नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें भी करप्शन की शिकायत कही जाती है, दुश्वारियां बतलायी जाती हैं। इसकी वजह यह है कि काश्तकार पूरा नफा नहीं उठा सकते हैं। जहां तक रिफार्म्स का ताल्लुक है, हमने बहुत से रिफार्म्स किये जमींदारी अबालीशन हुआ। हम एक स्टेप और आगे बढ़े कि हमने पटवारियों को खत्म कर दिया। उनकी बहुत शिकायत थी कि यह हमेशा से चले आते हैं, इसलिये इनको हटाने की जरूरत है। इसलिये इनको हटाकर एक नई सर्विस लेख-पालों की रखी गई, लेकिन इन चीजों के करने के बावजूद, और गवर्नमेन्ट की इंतिहाई कोशिश के बावजूद भी, दिक्कतें और दुश्वारियां हमारे सामने हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जो कानून उनकी बहबूदी और भलाई के लिये बनाते हैं उनसे उनको नफा नहीं पहुंच पाता है। उनकी जहालत की वजह से सही हालत उनको नहीं मालूम हो पाती।

इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि गवर्नमेन्ट को इस तरफ तवज्जह करनी चाहिये कि जो अनसर-टेंटी का आलम है उसे दूर करना चाहिये। मैं मशविरा दूंगा कि यह स्लोगन्स का मामला नहीं है, यह सेंटीमेंट्स का मामला नहीं है, बल्कि यह सूबे के छः करोड़ लोगों की भलाई और बहबूदी का तकाजा है कि हम काश्त के मुताल्लिक निश्चित पालिसी रखें। मैं उनसे अपील करूंगा, जो इसको खिलवाड़ बनाना चाहते हैं, पोलिटिकल स्टंट बनाना चाहते हैं, कि यह चीज सही नहीं है, बल्कि हर तरह से काश्तकारों की भलाई का तकाजा यह है कि हम इस अनसरटेंटी के आलम को सर्टेंटी दें। सीलिंग मुकर्रर करने से और 'होल्डिंग्स' को 'अनइकोनामिक' बनाने से सूबे की भलाई नहीं हो सकती है बल्कि इससे बड़ा भारी नुकसान होगा।

माल उपमंत्री, श्री परमात्मानन्द सिंह द्वारा अनुदान उपस्थित किये जाने पर वैधानिक आपत्ति

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण वैधानिक आपत्ति और कठिनाई की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसको आप 'प्वाइंट आफ आर्डर'

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें। जिस ग्रान्ट पर हम बहस कर रहे हैं उसको कल माननीय मंत्री जी ने पेश नहीं किया, बल्कि माननीय उपमंत्री श्री परमानन्द सिंह जी ने पेश किया जो इस सभा के सदस्य नहीं हैं, वे विधान परिषद् के सदस्य हैं। वे संविधान की धारा १७७ के मातहत सदन में बैठ सकते हैं। मैं इसको पढ़ देता हूं। दुर्भाग्य से अंग्रेजी में मेरे पास इसकी कापी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको पढ़ दूं।

"Every Minister and the Advocate General for a State shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of the Legislative Assembly of the State or, in the case of a State having a Legislative Council, both Houses, and to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, any committee of the Legislature of which he may be named a member, but shall not, by virtue of this article, be entitled to vote.'

तो इस धारा के अनुसार वे यहां बैठते हैं। वे डिप्टी मिनिस्टर हैं और मैं तो यह समझता हूं कि डिप्टी मिनिस्टर, चूंकि उनके लिये अलग ऐक्ट पास किया गया है, इसलिये मिनिस्टर की परिभाषा में नहीं आते। इसलिये भी उनको यह ग्रांट नहीं मूव करनी चाहिये थी, लेकिन उनके द्वारा मूव की गयी। इसलिये ये सारी प्रोसीडिंग्स क्वेश करके नये सिरे से माननीय मंत्री जी को यह ग्राण्ट मूव करनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि माननीय उपमंत्री जी को यहां वोट देने का अधिकार नहीं है और यह बजट ग्राण्ट ऐसी है, जिसे उसी मेम्बर को मूव करना चाहिये, जिसे वोट देने का अधिकार हो, चूंकि यह वोटेबिल ग्रान्ट है। इसमें लिखा है "shall not by virtue of this article, be entitled to vote". तो माननीय उपमंत्री, जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, वे एक वोटेबिल ग्रान्ट मूव करते हैं और श्रीमन्, आपको इस बात का भी ध्यान रहे कि कौंसिल में जो वोटेबिल ग्रान्ट्स हैं, उन पर वोट नहीं होता, केवल विवाद होता है और 'एप्रोप्रियेशन बिल' पर वोट होता है। तो ऐसी हालत में सरकार के एक ऐसे माननीय सदस्य, जो इस सदन में वोट नहीं दे सकते, उसको मूव करें, यह मैं समझता हूं कि बिलकुल असंगत है और कहीं ऐसा हुआ भी नहीं है। इसके अलावा अगर हम इस बात को मान लेंगे, तो कल को ऐडवोकेट जनरल भी मूव कर सकते हैं। श्रीमन्, मेरे दिल में यह जिज्ञासा उठी कि क्या कल को यह भी सम्भव हो सकता है कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की ग्रांट माननीय कन्हैयालाल मिश्र, ऐडवोकेट जनरल मूव कर सकें। तो आखिर कहीं न कहीं हमको मुमानियत करनी ही होगी कि ऐडवोकेट जनरल या ऐसे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी या डिप्टी मिनिस्टर, जो कौंसिल से आते हैं, वे इस प्रकार की कोई ग्राण्ट न मूव करें। यह कोई उनके व्यक्तित्व पर शिकायत नहीं है, केवल विधान के उल्लंघन की बात है। जब मंत्री जी स्वयं मौजूद हों, तो हमेशा यह परम्परा रही है, कि वे ही मूव करें. मैं समझता हूं कि इसमें वैधानिक आपत्ति माननीय मंत्री जी को भी होगी और वे अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और दोबारा ग्राण्ट को स्वयं मूव करेंगे।

*माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, इस बात का पूरा जवाब देने के लिये तो मुझे आपसे दरख्वास्त करनी होगी कि आप जरा मुझे समय दें, क्योंकि एकदम यह सवाल उठा है और मुझे मशविरा करना होगा अपने ऐडवाइजर्स से। लेकिन एक बात जो एकदम मुझको सूझती है, वह यह है कि मेरे मित्र का एतराज अगर सही है, और एतराज उनका यह है कि चूंकि 'वोटेबिल ग्राण्ट' है, लिहाजा जो आदमी वोट दे सकता है, वही उसको मूव कर सकता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, तो यहां जितने बिल्स, अमेंडमेंट्स रेज़ोल्युशन्स वगैरह आते हैं वे सभी वोटेबिल होते हैं। फिर तो मतलब यह होगा कि डिप्टी मिनिस्टर किसी रेज़ोल्युशन, किसी बिल या अमेंडमेंट को मूव ही नहीं कर सकते। अगर यह बात है, तब तो डिप्टी मिनिस्टर डिस्कशन में भी हिस्सा नहीं ले सकते। फिर वे यहां कोई चीज इनिशियेट कर ही नहीं सकते। यह एक आम प्रश्न हुआ और इस पर विचार करने के लिये, मैं समझता हूं, कि आप मुझे समय देंगे। फिर आपके विचार करने की भी बात है, क्योंकि केवल उन्होंने ही ग्रांट को मूव नहीं किया, और भी कई डिप्टी मिनिस्टर्स ने इस हाउस में ग्राण्ट्स को मूव किया है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि समय देने की कोई विशेष आवश्यकता मुझे दिखाई नहीं देती। यह हो सकता है कि कानूनी ढंग से जवाब देने के लिये इस वक्त आप तैयार नहीं हैं। लेकिन इस तरह का प्रश्न एक दफा और उठाया गया था इस सदन में और शायद नारायण दत्त जी ने ही उठाया था ओथ के सिलसिले में। वह शायद पिछली असेम्बली के वक्त में था या शायद इस सेशन में हो। प्रश्न यह था कि गवर्नर जिन मंत्रियों, उप मंत्रियों आदि को शपथ एडमिनिस्टर नहीं करता है उनको इस सदन में बैठने का अधिकार है या नहीं। मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि मैं यह जानना चाहूंगा चीफ मिनिस्टर से कि आप उनको मिनिस्टर मानते हैं या नहीं? अगर कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के वे मेम्बर हैं तो किसी सदन के सदस्य होते हुये वे दोनों सदनों में बैठ सकते हैं। १७७ अनुच्छेद के अन्तर्गत यहां के जो सदस्य मंत्री हैं वे विधान परिषद् में वहां जाकर बैठते हैं और वोट के बारे में तो यह है कि वहां वोट नहीं दे सकते। यहां के मिनिस्टर्स वहां वोट नहीं दे सकते, लेकिन किसी प्रश्न को मूव कर सकते हैं। प्रस्ताव भी पेश करते हैं यह सब चीजें वहां होती हैं। ग्रान्ट्स वहां वोटेबिल नहीं हैं, उन पर वोट नहीं लिया जाता, लेकिन जैसे बिल हैं वे वोटेबिल हैं और उनको यहां के मिनिस्टर्स जा कर पेश कर सकते हैं। परिषद् में तो यह कोई बात तर्क सिद्धि नहीं होती कि अगर वोट नहीं कर सकते हैं तो इस कारण किसी बिल को पेश भी न कर सकें।

अब सवाल इस बात का है कि वह मिनिस्टर है या नहीं। अगर मिनिस्टर है, कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के सदस्य हैं और गवर्नर ने उनको शपथ दिलायी है तो स्पष्ट है कि वे दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेंगे। यह मैं जानना चाहूंगा माननीय माल मंत्री से या डिप्टी मिनिस्टर साहब स्वयं बता दें कि क्या उनको गवर्नर साहब ने शपथ दिलाई है।

श्री चरणसिंह--उनके बारे में तो मुझे मालूम है कि गवर्नर साहब ने ही उनको शपथ दिलाई है।

श्री अध्यक्ष--तो फिर कोई सवाल पैदा नहीं होता।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--मैं श्रीमन् का ध्यान आर्टिकल १९० आफ दि कांस्टीट्यूशन की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें आफिस-आफ प्राफिट का जिक्र है "। डिस्क्वालिफिकेशन फार मेम्बरशिप" आर्टिकल १९१ (२) इस प्रकार है :--

"191(2). For the purposes of this article, a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State."

कांस्टीट्यूशन ने मिनिस्टरों के सम्बन्ध में बिल्कुल निश्चित रूप से यह लिख दिया है कि आफिस आफ प्राफिट के होते हुये भी यह उन पर नहीं लागू होगा। और श्रीमन् को यह भी ज्ञात है कि इस उत्तर प्रदेश ने एक कानून बनाया है जिसमें डिप्टी मिनिस्टर्स को और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को एक्जेम्प्ट किया है कि बावजूद इसके कि वे सरकार से तनख्वाह पाते हैं उनकी जगह आफिस आफ प्राफिट नहीं होगी। यदि वे इस आर्टिकिल १९१ से कवर होते, तो नया

[श्री त्रिलोकीसिंह]

कानून बनाने का सवाल नहीं उठता। न उनको सलाह कानूनी सलाहकार देते और न यह आदरणीय सदन ही नया कानून बनाने की जरूरत समझता। उनको इस वजह से कानून के द्वारा एक्जेम्प्ट करने के माने यह है कि यह आदरणीय सदन और संविधान उनको कौंसिल आफ मिनिस्टर्स का जुज नहीं समझता। यदि वह मिनिस्टर्स का जुज होते तो इस आर्टिकिल १९१ में उनको एक्जेम्प्ट करने के लिये कानून नहीं बनाना पड़ता। इसलिये, श्रीमन्, मैं बहुत नम्रता पूर्वक यह निवेदन आपके विचार के लिये प्रस्तुत करूंगा कि भले ही उनको गवर्नर ने शपथ दिलाई हो, ओथ एडमिनिस्टर होती है सीक्रेसी के लिये, वह इस लिये नहीं होती कि सदन में जिस प्रकार चाहे बैठें या उठें। ओथ इसलिये एडमिनिस्टर होती है कि जो फाइलों के सीक्रेट्स उनके देखने में आ जायं काम करते समय, उनको वह प्रकट न करें। ओथ लेने से यहां बैठने का कोई हक उनको नहीं पैदा हो जाता।

श्री अध्यक्ष—वह ओथ के बारे में संविधान में है—

"164(3). Before a Minister enters upon his office, the Governor shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the Third Schedule."

तो यह आफिस के लिये ओथ दी गई मिनिस्टर की हैसियत से तो प्रश्न यह उठता है कि फिर यहां पर एक अधिनियम इस बात का क्यों बनाया गया। श्री त्रिलोकी सिंह का यह कहना है कि वह इसलिये बनाया गया कि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में वह नहीं आते और उनकी सदस्यता सुरक्षित रखने के लिये इस तरह का अधिनियम यहां बनाया गया। यह बात सही है कि उनकी सदस्यता को सुरक्षित रखने के लिये वह बनाया गया, लेकिन बहुत से कानूनों के बारे में कई दफा आवश्यकता इस बात की रहती है कि मालूम नहीं क्या फैसला हाईकोर्ट का हो जाय। यहां पर तो मैं तत्काल फैसला दे देता हूं। जैसा कि अभी मैंने दे दिया। हाईकोर्ट में कांस्टीट्यूशन के एक-एक शब्द पर बहस होकर कोई अन्य प्रकार का फैसला हो जाय और आफिस आफ प्राफिट होने की वजह से कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में डिप्टी मिनिस्टर्स को शामिल न किया गया तो वह यहां सदस्य भी नहीं रहेंगे। इस प्रकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने दिया तो वह खत्म हो जायेंगे। मैं समझता हूं कि जिस वक्त यह बिल यहां पर आया था, मुझे याद पड़ता है कि इस बात का जिकर आया था कि इसको 'प्रिकाशनरी मेजर' समझकर पास कर रहे हैं हालांकि यह कांस्टीट्यूशन में प्रोवाइडेड है। माननीय मंत्री जी को कुछ याद हो तो वे कृपया बतलायें कि ऐज ए प्रिकाशनरी मेजर ही पास किया गया था।

श्री चरणसिंह—जी हां, मुझको मालूम हुआ है कि पार्लियामेंट में भी यह सवाल आया था तो वहां भी प्राइममिनिस्टर साहब ने यही फरमाया था जो जनाब फरमा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—तो इस तरह की यह चीज है। जो यहां के लिये निश्चय होगा वह अदालत के लिये बाइंडिंग नहीं होगा। अगर अदालत इसके खिलाफ फैसला कर दे तो वह कर सकती है, फिर वह फैसला यहां पर बाध्य हो जायगा। जब तक हाईकोर्ट का इस विषय पर स्पष्ट फैसला नहीं हुआ तब तक जो कांस्टीट्यूशन का अर्थ है हम लोग वही समझते हैं और औचित्य की दृष्टि से जो निर्णय दे सकता हूं वह दूंगा। मैं समझता हूं लोक सभा में भी इस तरह का निर्णय हो चुका है। यहां भी कम से कम अब तक रवइया यही रहा है जो अभी मैंने फैसला दिया है उसी को मजबूत करता है। तो मैं परिच्छेद १९१ के होते हुये इसी मत का हूं कि डिप्टी मिनिस्टर जिनको गवर्नर द्वारा ओथ दिलायी गयी है वह कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की व्याख्या में आते हैं। वे प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह--श्रीमन्, आपका फैसला शिरोधार्य है, लेकिन "कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया" में जो ३ शिड्यूल हैं जिसमें ओथ एन्ड अफर्मेशन है, उसके मुताबिक वह मिनिस्ट्री और मीनेमी के लिये ओथ लेते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री के लिये ओथ लेना इस बात का उनको इन्टाइटिल नहीं करता है कि वह यहां सदन में आकर बैठें।

"I,.......that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union."

इस ओथ से उनको यह अधिकार नहीं हो जाता कि वह सदन में आकर बैठें और विवाद में हिस्सा लें।

श्री अध्यक्ष--१७७ आर्टिकल की वजह से यह नहीं हो सकता है। १७७ अभी नारायण दत्त जी ने पढ़ा है। उसमें दिया हुआ है कि वह मिनिस्टर दोनों हाउस में बैठ सकता है। इसलिये वह बैठता है और प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है।

यहां पर प्रश्न यह था कि ओथ किसके द्वारा दी गई, इस बात की वजह से वह मिनिस्टर है या नहीं, इस प्रश्न पर निर्णय यहां पर मैंने कर दिया।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, आपने माननीय मंत्री जी को सूचना दी थी कि वह दुरुस्त कर लें तो क्या दुरुस्त करने के लिये कहा था।

श्री अध्यक्ष--टोपी टेढ़ी है, शायद उसे दुरुस्त करने के लिये कहा होगा।

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २--लेखा शीर्षक ७--मालगुजारी--(क्रमागत)

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)--अध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। यह मद मालगुजारी की बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और अपने प्रदेश के करोड़ों काश्तकारों से सम्बन्ध रखती है। यह कहना ग़लत नहीं होगा कि इस मद पर किसानों की उन्नति निर्भर है और यही हमारे प्रान्त और देश की तरक्क़ी का आधार है। मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी किसानों से विशेष प्रेम रखते हैं, उनके दिल में उनके लिये दर्द है, और वे चाहते हैं कि उनकी उन्नति हो। मगर आज हमारे किसानों की दशा शोचनीय होती जा रही है। उनमें बेचैनी है और नाना प्रकार की कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इस बात का ध्यान मंत्री जी को रखना है कि उनके कर्मचारी किस प्रकार से कानून और नियमों का पालन करते हैं।

मैं खासकर अपने जिले और क्षेत्र की ओर उनका ध्यान दिलाऊंगा क्योंकि हमारे जिले की ओर बहुत कम लोगों का ध्यान रहा है। कहने के लिये वह पूरब में कहा जाता है मगर जब कोई तरक्क़ी की बात होती है तो उस बदक़िस्मत जिले को पूरब से निकाल दिया जाता है। आज वहां के किसानों की हालत, मनकापुर परगने में, बभनीपार और बूढ़ापार परगनों में, बहुत ही ख़राब है और मैं तो यह कहूंगा कि जिसके पास ताक़त है, पैसा है, उसी की हकूमत है, और कमज़ोर के साथ तरह-तरह के अत्याचार हो रहे हैं।

लेखपाल लोग इन्दराजों में कितनी गड़बड़ी कर रहे हैं, इसकी ओर मैं विशेष ध्यान दिलाऊंगा। मैंने प्रश्न किया था कि १०७ के मुक़दमे कितने चल रहे हैं, मगर हमारा दुर्भाग्य है कि हमें उसके आंकड़े अभी नहीं मिले। आप देखेंगे कि ग़लत इन्दराजों के फलस्वरूप काफ़ी फौजदारी देहात में बढ़ गयी है। लेखपालों में रवैया हो गया है कि साल-दो साल तक ग़लत इन्दराज करते चले जाते हैं और उसके बाद एक-दूसरे के विरुद्ध काश्तकारों को खड़ा कर देते

[श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह]

हैं कि फलां खेत पर तुम्हारा नाम दर्ज है, जाकर क़ब्ज़ा कर लो। पहले से जोतने वाला परेशान होता है और फौजदारी की नौबत आ जाती है। इसका नतीजा, श्रीमन् को, सदन को और मंत्री जी को मालूम ही है।

श्री चरणसिंह--आप की इजाज़त से यह पूछना चाहता हूं कि मौजूदा रूल में क्या कमी है और उसका कन्स्ट्रक्टिव सजेशन क्या है।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह--मैंने तो पहले ही कहा कि नियम बहुत सुन्दर बनाये हैं, मगर उन पर अमल बिलकुल लापरवाही से और उनके उद्देश्य के विपरीत होता है। नियम है कि जब कोई दूसरा इन्दराज किया जाय, तो पहले काश्तकार को नोटिस दिया जाय। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर ईमानदारी के साथ पता लगाया जाय कि दूसरों के नाम दर्ज करने के कितने नोटिस दिये गये, तो पता चलेगा कि वहां क्या होता है। यह भी नियम है कि वह अपनी डायरी में इन्दराज करे; और डायरी देखने से मालूम होगा कि कितने गलत इन्दराज किये जाते हैं। मैं कहूंगा कि आप काश्तकारों को, सबको, एक पर्चा दे दीजिये कि फलां खेत पर तुम्हारा नाम दर्ज है। मंत्री जी कहेंगे कि इसमें कठिनाई है। मगर जिस समय अनाज प्रोक्योरमेन्ट करना था, उस समय मंत्री जी के आदेश से ही सारे काश्तकारों को २ महीने में पर्चियां मिल गई थीं कि इतना खेत है इतनी पैदावार पर इतना अनाज देना होगा। तो क्या कठिनाई है? सरकार को थोड़ा काम अवश्य बढ़ जायगा। अगर एक मर्तबा काश्तकारों को पर्चा दे दिया जाय कि फलां खेत पर तुम्हारा नाम दर्ज है और यह कानून बना दिया जाय कि बिना अदालत के हुकुम से नाम न बदला जाय या बिना रज़ामन्दी के न बदला जाय कि हमने अपना खेत सालभर या ६ माह के लिये शिकमी दे दिया है और जो फर्जी नाम दर्ज करावेगा वह 'काग्निज़ेबिल' आफ़ेंस होगा। फिर देखिये कि कितना सुधार होता है। मैं भी एक जमींदार रह चुका हूं। गवर्नमेंट के सहारे पर ही हमारी हैसियत थी। मगर किसी को मजाल नहीं थी कि हल्वाभर भी जमीन हमारी कोई जोत ले या एक पेड़ हमारा कोई काट ले। मगर आज गांव सभा की जमीन को लोग बेतहाशा जोते हुये हैं और पेड़ों को काट रहे हैं और कोई ठीक से प्रबन्ध नहीं हो रहा है। इस प्रकार राष्ट्रीय सम्पत्ति कहिये, या प्रान्त की सम्पत्ति कहिये, उसका अपहरण हो रहा है। हमारे चौधरी साहब इस बात पर काफ़ी मजबूत हैं कि किसी तरह से 'इल्लीगल ट्रांसफर' नहीं होने पावे। मगर लोग ३-४ वर्ष तक शिकमी नाम दर्ज कराते चले जा रहे हैं और एक तरह से काबिज हो रहे हैं। कमज़ोर को अदालत में जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। अगर गांव समाज उनको बेदखल नहीं करते हैं, तो क्या वजह है कि सरकार की तरफ से यह न किया जाय? जो कागज़ात रखने का जिम्मेदार है, वह उस तरफ़ क्यों नहीं ध्यान देता है? किसान लोग हमारे पास आते हैं और सम्भवतः मंत्री जी के पास भी अर्जी देते होंगे और अपनी परेशानियां दिखाते होंगे। एक या आधा बीघा खेत कोई जबर्दस्ती जोत लेता है, तो उसके लिये अगर ग़रीब किसान अदालत में जावे, तो जितनी उस जमीन की कीमत है, उससे अधिक खर्चे में लग जाता है। ये चीजें सख्ती से ही रुक सकती हैं।

एक बात मुझे यह अर्ज करनी है कि हमारे देहात की आमदनी में कोई विशेष तरक्की नहीं हुई है। श्रीमन् ने भी महसूस किया होगा कि आज शहरों की हालत जरूर बेहतर है। कहा गया कि १५-२० फीसदी तरक्की है। हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमारी राष्ट्रीय आमदनी देहात में व्यक्तिगत बढ़ी है। अगर हम आमदनी का 'रूरल' और 'अरबन' का अलग बटवारा करदें, तो ज्यादा अच्छी तरह से स्पष्ट हो जायगा। मैं तो कहूंगा कि देहात की आमदनी ५ फीसदी और शहर की २० फीसदी बढ़ी है। क्या कारण है? हमारी रूरल इंक्वायरी कमेटी ने खुद कहा है कि जो हमारी छोटी जोतें हैं, अलाभकर हैं, उनमें घाटा होता है। उनके लिये मैं आप से कहूंगा कि अगर उनका लगान कम कर दिया जाय और खास कर जो 'अनएकोनौमिक होल्डिंग्स' हैं, उनका लगान माफ कर दिया जाय, तो कोई बहुत बड़ी बात न होगी।

इसके अतिरिक्त मैं आप का ध्यान उन बदकिस्मत छोटे जमींदारों की ओर दिलाऊंगा, जिनको रिहैबीलिटेशन ग्रान्ट के पाने में अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उनको मुश्किल से दो चार सौ रुपया मिलने होते हैं, जिनको स्वयं उनको लेने जाना पड़ता है। उसमें उनको बड़ी मुसीबत होती है और खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है कि उनको कुछ मिल नहीं पाता।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। हमारे प्रदेश में भूमि-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हुआ है। इसमें कोई शुबहा नहीं है कि वह क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है। जो काम विदेशों में खून के जरिये, तलवार के जरिये संपादित हुआ, उसको हमारे प्रदेश में कलम की नोक से कर लिया गया। इसमें भी शुबहा नहीं है कि किसानों को इससे लाभ हुआ है, लेकिन जैसा स्वप्न हमने देखा था, वैसा लाभ नहीं हुआ। लाभ के साथ उसकी कुछ मुश्किलात भी बढ़ गयी हैं। उसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

हमने माननीय मंत्री जी की किताब 'तब और अब' को पढ़ा जिसमें लेखपालों के अधिकार तब क्या थे और अब क्या हैं, यह दिया हुआ है। जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए, उसको भी पढ़ा, लेकिन मुझे उसमें कुछ शिकायत है। किताब में हमने पढ़ा कि लेखपालों के अधिकार पहले ज्यादा थे, अब कम हो गये हैं। अब सिर्फ उसको कागजात में काबिज इंदराज करने के अधिकार दिये गये हैं। इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लेखपाल को बहुत बड़ा अधिकार रिकार्ड रखने का दे दिया गया है। वह जो चाहे कर सकता है। सिर्फ इस चीज की वजह से बहुत ही अव्यवस्था बढ़ गयी है। मेरा सुझाव यह है कि उसके अधिकारों में कुछ कमी कर दी जाय। इससे किसानों का, और विशेषकर गरीब किसानों का, बहुत बड़ा हित होगा, और बढ़ती हुई अव्यवस्था भी कम हो जायगी। आपने नियम तो बना दिये हैं, लेकिन व्यवहार में उनका पालन नहीं होता।

दूसरी चीज यह है कि जमाबंदी लेखपाल बनाता है। हमारे पास सीरदारी भूमिधरी है। हम १०० रु०, ४० रु० और १५० रुपया इस तरीके से लगान देते हैं। लेकिन जब दूसरे साल का लगान आता है, तो वह ५० का ५५ रुपया और १०० का ११० रुपया हो जाता है। अक्सर होता यह है कि काम की ज्यादती की वजह से लेखपाल दूसरों से कागजात बनवाता है। नतीजा यह होता है कि एक ही नम्बर पर एक आदमी का नाम भूमिधरी में भी दर्ज है, और सीरदारी में भी, और दोनों का वह लगान देता है, और कहीं-कहीं तो नम्बर ही खत्म हो जाते हैं। उसके लिये अगर ऐसा कर दिया जाय कि जो खेत जिसका है, वही रहेगा, और ५ साल तक उसमें कोई परिवर्तन न होगा, तो अच्छा रहेगा। इससे व्यर्थ की परेशानी छूट जायगी। जब तक वह आदमी यह न कहे कि मेरे बजाय दूसरे का क़ब्जा है, तब तक दूसरे का कब्जा न माना जाय।

लगान वसूली की बाबत कहा गया कि पंचायतें यह नहीं कर सकतीं। इसके अतिरिक्त मैंने यह भी सुना है कि रुपया बचाने के लिये सरकार पी० आर० डी० को तोड़ रही है। मेरा कहना यह है कि अगर वसूली का काम ग्राम सभाओं को दे दिया जाय, तो बहुत बड़ा उपकार होगा। माननीय सदस्यों ने कहा कि गांव सभाएं अपना ही रुपया वसूल नहीं कर पातीं, तो लगान किस प्रकार से वसूल करेंगी, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि पुलिस का कान्स्टिटेबिल एक मामूली सा व्यक्ति होता है, लेकिन उसके पीछे गवर्नमेंट की शक्ति होती है। एक मामूली सा आदमी भी उसकी शक्ति से शक्तिशाली हो जाता है। तो अगर सरकार अपनी पूरी शक्ति गांव सभाओं के मंत्रियों की तरफ लगावे, पी० आर० डी० के आर्गनाइजर को वह शक्ति दे, तो मैं समझता हूं कि वह काम ऐसा नहीं है कि हमारे मंत्री, जो पंचायतों के हैं, और पी० आर० डी० के आर्गनाइजर हैं, जिन लोगों ने रचनात्मक काम बहुत ज्यादा किया है, वे इस मामूली

[श्री [illegible] राय]

[illegible] के द्वारा कोई न कर सके। मेरा खयाल है कि अगर इन लोगों से लगान की वसूलयाबी का काम लिया जाय तो किसानों को भी बड़ी आसानी होगी और आप को भी बड़ी आसानी होगी, [illegible] ने [illegible] काम किया है, और इस तरह से लोग जो छूटने लगे हैं वे नहीं छूटेंगे। इनकी बेकारी की समस्या भी हल हो जायगी।

दूसरी बात [illegible] है कि जमींदारी प्रथा के समाप्त होने के पहले, जहां हमारे प्रान्त में [illegible] में [illegible] करोड़ रुपये की आमदनी होती थी, जो सरकार को मिलती थी, लेकिन अब इस आमदनी काफी बढ़ गयी है। २२.३ करोड़ के करीब अब आमदनी हो रही है [illegible] हमारी सरकार का बहुत बड़ा काम हो रहा है। मेरा निवेदन यह है कि लगान की वसूली का [illegible] गांव सभाओं को दे दिया जाय और उसका कुछ अंश गांव वालों को इस मेहनत के लिये दे दें, ताकि वे अपने यहां के छोटे-छोटे निर्माण कार्य—जैसे सड़कों का बनाना, एक गांव से दूसरे गांव के जाने के रास्ते को ठीक करना, कर सकें, तो इससे समाज का बड़ा भारी हित होगा।

श्रीमन्, विरोधी पक्ष की तरफ से यह कहा जाता कि लगान आधा कर दिया जाना चाहिये, तो मैंने यह सुझाव दिया था और मुझे मालूम है कि हमारी सरकार का, हमारे नेताओं का, हमारे देश के गरीबों की तरफ कम ध्यान उनसे नहीं है, जितना कि हमारे विरोधी पक्ष के भाइयों का है। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया है कि जमींदारी प्रथा के समाप्त होने के पहले हमारी जितनी आमदनी थी, उस आमदनी में काफी इजाफा हुआ है, लेकिन हमारे सूबे में निर्माण-कार्य पर बहुत रुपया खर्च हो रहा है। आप कहते हैं कि लगान आधा कर दिया जाय। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे देश में जो निर्माण-कार्य हो रहा है, अगर वह समाप्त हो जाय, तो मैं तो कहूंगा कि आधा लगान ही क्यों, पूरा लगान माफ कर दिया जाय। आप कहते हैं कि ५-६ एकड़ के जो किसान हैं उनका लगान माफ कर दिया जाय, मैं कहता हूं कि अगर हमारा निर्माण-कार्य पूरा हो जाय, तो १० एकड़ तक के किसानों का लगान माफ कर दिया जाय।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो भूमि-व्यवस्था का नियम बना हुआ है वह बहुत सुन्दर है, लेकिन जिन लोगों के हाथों में उसे कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी है, वे उसका ठीक से निर्वाह नहीं कर रहे हैं। अतः श्रीमन्, जो सुझाव मैंने दिया है, उस पर सरकार अमल करे, तो उसमें बड़ा भारी कल्याण होगा, और उससे सरकार का यश भी बढ़ेगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में भ्रष्टाचार की बहुत बातें कही गयी हैं और दूसरी तरफ बैठने वाले सज्जनों ने भी इस बात को तसलीम किया है कि भ्रष्टाचार दिन-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनका यह कहना है कि सरकार भी इस तरफ जागरुक है। इस दृष्टि से मुझे इतना ही कहना है कि आज यह मानी हुई बात है कि सन् ४७ के बाद भ्रष्टाचार बढ़ता गया और यह भी मानी हुई बात है कि सन् ४७ में भी कांग्रेस सरकार ही पदासीन थी और तब से यही सरकार है। इसके कार्यकाल के पहले ही भ्रष्टाचार बढ़ा है। आज से पहले तो सरकार भ्रष्टाचार की बात को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं होती थी, लेकिन आज खुशी की बात है कि आप (मंत्री जी) के दिमाग में इतनी बात तो आयी कि आपने अपनी पुस्तिका के पहले पैराग्राफ में ही भ्रष्टाचार का जिक्र किया है। श्रीमन्, भ्रष्टाचार कितना अधिक है, इसके ज्वलन्त उदाहरण मैं आप के द्वारा इस सदन में पेश कर सकता हूं। यह बात जो मैं कह रहा हूं, एक कांग्रेसी सदस्य ने ही इसमें विशेष दिलचस्पी ली थी। मेरे उधर बैठने वाले मित्र अल्मोड़ा के श्री प्यारेलाल जी हैं। वह जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे। बात वहां यह थी कि वहां नायब तहसीलदार ने किसी से घूस मांगी। मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, क्योंकि यह यहां की पद्धति के विरुद्ध है। कोई माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको बतला दूंगा। लकड़ी के परमिट के सम्बन्ध में वह घूस मांगी गई और ठेकेदार ने यह बात

सीधे प्यारे लाल जी को बतायी, उन्होंने डिप्टी कलेक्टर से कहा और इस पर एस० डी० एम० और जुडीशियल आफिसर मोहन चन्द्र जोशी भेजे गये और पूरा ट्रैप बनाया गया। नतीजा यह हुआ कि नायब तहसीलदार को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उसके बाद उन पर मुकदमा चला और उस पर उनको सजा भी हुई, लेकिन जब उसकी अपील हुई, तो उसमें एक टेकनिकल प्वाइंट पर मामला उलट गया, क्योंकि उसमें दफ़ा १४७ जाब्ता फौजदारी के अनुसार सेंक्शन ली गई नहीं साबित की गई थी। इस पर दोबारा वह टेकनिकल चीज़ ठीक की जा सकती थी और दोबारा मुकदमा चलाया जा सकता था, लेकिन वह नहीं चलाया गया। वह फार्मल डिफेक्ट ठीक किया जा सकता था, लेकिन उस के बजाय उनको फिर नौकरी पर बहाल किया गया और टेहरी में फिर भेज दिया गया।

दूसरा उदाहरण यह है कि एक ओवरसियर थे, जिन्होंने गरुड़ बागेश्वर रोड पर कल्वर्ट व पुल बहुत खराब बनाये थे, जो बह गये और वह उसके कारण यहां नौकरी से निकाले गये, लेकिन उनको सेन्ट्रल गवर्नमेंट में फिर रख लिया गया, "ही वाज़ किक्ड अप"। इसी तरह से शिक्षा के मामले में लीजिये कि.........

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह शिक्षा का अनुदान नहीं है, आप राजस्व के विषय में कह सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट--इसी तरह से धीमरी ब्लाक में ५०० किसानों को, जिन्होंने कि वहां जमीन मांगी थी, इस बुरी तरह से निकाला गया कि जैसे कुत्तों को भी नहीं निकाला जाता है; लेकिन यहां विधायक निवास में, जो जबरदस्ती बिना इजाज़त बैठे हैं, उनको सरकार नहीं निकालती है। सरकारी नौकरों को ५५ साल में रिटायर होना चाहिये, लेकिन उस अवधि को भी बढ़ाकर ५५ से ५८ कर दिया गया है न मालूम सरकार अपने किस-किस को खपाना चाहती है?

श्री अध्यक्ष--आप तो भ्रष्टाचार पर आम बहस करने लगे, आप अब अनुदान पर आ जायं?

श्री गोविन्द सिंह विष्ट--मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार बजाय भ्रष्टाचार को दूर करने के उसको बढ़ाने में और सहायक बनती है। मैं कह सकता हूं कि इन दस साल में भ्रष्टाचार बढ़ा है और महज उसका जिक्र किताब में लिख देने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उसको वाकई दूर करने की कोशिश भी सरकार की तरफ से होनी चाहिये। हमारे यहां बन्दोबस्त चल रहा है, वह भी इसी हेड में आता है। अमीन लोग खूब घूस ले रहे हैं और उनके खिलाफ बड़ी शिकायतें हैं। हालांकि हमारे पहाड़ में अब भी ऐसे लोग हैं कि वहां घरों में ताले नहीं लगाये जाते, लेकिन आप के भेजे हुये लोग जहां गये वहां उन्होंने औरों को भी काफ़ी भ्रष्टाचार में ट्रेंड कर दिया। वहां के ट्रेंड अमीन एक मास तक पड़े रहे, उनको काम नहीं मिला, बाद को उन अमीनों को वहां रख दिया गया और उनसे ठीक काम नहीं लिया गया। अब यह बाहर के जो अमीन गये हैं, वह दस-दस रुपया और बीस-बीस रुपया लोगों से घूस वसूल कर रहे हैं और जिनके कब्जे नहीं हैं उन के इन्दराज किये जा रहे हैं, वह लोगों को उकसाते हैं और भड़काते हैं और उससे वहां का काम काफी चौपट हो गया है। अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो श्री हरिदत्त कांडपाल आप के नये कांग्रेसी मेम्बर हैं, उनसे आप दरयाफ्त कर सकते हैं, मेरी बात आप न मानें, लेकिन उनका तो आप यकीन करेंगे। अगर वह भी मेरी बात की ताईद करें, तो मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह जल्द से जल्द इसकी जांच करें और उचित कार्यवाही करें। ऐसा न हो कि पटवारी भ्रष्ट हो गये, तो आप ने उनका नाम बदल दिया और लेखपाल कर दिया; तो महज नाम बदलने से काम नहीं होगा, काम करने से होगा।

जहां तक कचहरियों के भ्रष्टाचार की बात है, तो उसके बारे में मैं कहूंगा कि आप ५० रुपए में एक बाबू को खरीदना चाहते हैं, उसके भी पेट है, उसके भी बच्चे हैं, पहले आप उसके

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

पेट के लिये काफी दीजिये, क्योंकि वह एजीटेशन भी नहीं कर सकता, जैसे पी० ऐन्ड टी० वाले कर सकते है। क्या आप उस के बच्चों को भूखा मारेंगे ? इस भ्रष्टाचार का मुख्य कारण यह है कि वहां के इन भाइयों का पेट नहीं भरता। उनकी तनख्वाह बढ़ाना निहायत जरूरी है, यह फर्स्ट स्टेप भ्रष्टाचार को दूर करने का होना चाहिये।

श्रीमन्, उस तरफ़ से कहा जाता है कि लोगों के फ़ायदे के लिये कानून बन रहे है। लेकिन कुमायूं के लिये ऐसा कानून लाया जा रहा है जिसको कुमायूं की जनता नहीं चाहती। कुमायूं जमींदारी ऐबालीशन बिल लाया गया, चूंकि हम सब लोग जमींदारी के खिलाफ है, और मैं भी हूं, लेकिन वहां के कुछ हिस्सेदारों को खत्म करने के लिये, जो कि पैटी लैंड होल्डर्स है, अपने हाथ से खुद खेती करते हैं, तो उनको खत्म करने के लिये जमींदारी के नाम पर एक बिल लाया जा रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अर्ज करूं, उस बिल में सिर्फ़ हैडलाइन के अलावा जमींदारी शब्द दूसरी जगह नहीं आया। इतना जरूर कहूंगा कि अगर हिस्सेदारों को खत्म करना है, तो कम से कम साफ बात कीजिये, सही नाम रखिये, कि हिस्सेदारी खत्म करने का बिल है। फिर देखिये कि उसका क्या असर होता है कुमायूं के लोगों पर।

श्रीमन्., एक हमारी तरफ से अर्ज की गई थी कि बागेश्वर का जो इलाका है वह अल्मोड़ा सदर से बहुत दूर पड़ता है। उसके मुताल्लिक भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी से अलग इलाका बनाने की प्रार्थना की गई थी। शायद उसके सिलसिले में कुछ कागजात चल रहे हैं। बागेश्वर एक अलग तहसील बना दी जाय, क्योंकि वहां यातायात के साधन नहीं है, चार-चार रोज में लोग अल्मोड़ा आ पाते हैं। दूसरे अल्मोड़े के जो वहां एस० डी० एम० है, वही एस० डी० ओ० हैं. असिस्टेन्ट कलेक्टर हैं, ऐग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के वही हेड है। इसका नतीजा यह होता है कि उनके पास सब तरह का काम होने से मुकदमें नहीं कर पाते, और शाम को पता चला है कि मुकदमे की तारीख बढ़ गई। तो लोगों को बड़ी परेशानी होती है, साल में १००-१०८ दिन आने-जाने में ही लग जाते हैं और ३-४ साल तक के मुकदमे पड़े हुये हैं। तो हमारा प्रस्ताव है कि बागेश्वर में तहसील बना दी जाय और अल्मोड़े के तीन मजिस्ट्रेटों में से किसी एक एस० डी० एम० (हम नये की मांग नहीं करते) को वहां भेज दिया जाय।

हमारे पहाड़ों में नपी हुई भूमि के अलावा जितनी बिना नपी हुई भूमि है, वह कैसरे हिन्द कहलाती है, उस पर सरकार का कन्ट्रोल होता है। आजकल यह जमाना आ गया है कि (माता आनन्दमयी का नाम तो आप ने सुना होगा उनका वहां पातालदेवी में आश्रम है) वहां की गोचर जमीन गायों के चुगने के लिये है। मगर कुछ ऐसे प्रभावशाली आदमी है, जिनकी लखनऊ सेक्रेटेरियट तक पहुंच है उन्होंने जमीन हथियाली, मैं नाम लेता हूं, आत्मा स्वरूप जी ने ली। उन्होंने उस पर बंगला बनाया और बाद में पी० डब्ल्यू० डी० को बेच दिया.....

श्री चरणसिंह—मुझे तो एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मालूम है। आप जानें क्या कह रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—तो मैंने तो उसका नाम लेकर अर्ज किया। कोई हवाई बात नहीं कही।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इन चीजों को उनके कमरे में जाकर आप कहें तो अच्छा होगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—तो मैं यह कह रहा हूं कि अगर कोई गलती करता है' तो उसके खिलाफ स्टेप लिया जाना चाहिये।

जहां तक कटमोशन का सवाल है, उसका समर्थन में क्या करूं। दूसरी तरफ से बहुत मे मित्रों तक ने कर दिया है। अभी उधर के एक मित्र ने यहां तक कहा कि लगान ज़रूर आधा कर दिया जाय, गोया १० साल के बाद की बात भी कही गई।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--अध्यक्ष महोदय, माननीय माल मन्त्री जी ने जो पिछले दस पन्द्रह सालों से हमारे प्रदेश में भूमि-व्यवस्था मे सुधार करने के लिए भिन्न-भिन्न नियम बनाये, कानूनों में परिवर्तन किये, और उनके द्वारा जो करोड़ों किसानों की सेवा करने की चेष्टा की है, वह अत्यन्त सराहनीय है और वह हम सभी के बधाई के पात्र हैं। यह भी सही है कि जिन भावनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने ये परिवर्तन किये और जिस तरीके से और जिस हद तक वह उन सेवाओं को किसानों तक पहुंचाना चाहते थे, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी चाहे अपनी कमजोरी हो या जो हमारे शासन की एग्जीक्युटिव मशीनरी है, उसकी कमियां हों, इसका फल उस हद तक नहीं मिल सका। लेकिन इन सीमाओं के बावजूद भी, जिस हद तक भूमि-व्यवस्था के सम्बन्ध में यह प्रदेश आगे बढ़ा, वह अपनी जगह सराहनीय है, और मैं यहां तक कह सकता हूं कि सारे भारत के अन्दर हमारा उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे आगे है। इस सम्बन्ध में विरोधी दल की तरफ से जो बहुत सी बातें कही गईं मैंने उनको सुना।

(इस समय १२ बज कर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

एक मांग आज नहीं बहुत दिनों से हमारे इस सदन में चली आती है और वह है मान्यवर, जमीन की सीलिंग के बारे में। कहा जाता है कि जमीन की एक सीमा निर्धारित की जाय और जिन व्यक्तियों के पास उस सीमा से अधिक भूमि हो, उसको उनसे लेकर गरीब और भूमिहीन किसानों में बांट दी जाय। जहां तक सिद्धान्त का सवाल है, मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं, मैं इसको सही समझता हूं और उसकी वजह है। जैसा कि माननीय मन्त्री जी कहते हैं हो सकता है कि इस तरह की समस्या हमारे प्रदेश में बहुत कम हो। यह भी सही है कि ऐसे लोगों की तादाद, हो सकता है कि बहुत कम हो, जिनके पास हजारों एकड़ जमीन हो, लेकिन फिर भी जितने भी हों, मैं यह समझता हूं कि जब हमने समाजवाद को माना, और इस सिद्धान्त को माना कि हमें शोषण और शोषक को खत्म करना है और इसी के आधार पर हमने जमींदारी को खत्म किया, तो मैं समझता हूं कि चाहे कितनी ही तादाद क्यों न हो जिन लोगों के पास हजारों एकड़ भूमि है या ३०-४०-५० एकड़ से भी ज्यादा भूमि है, वह भी एक किस्म का कृषि के अन्दर कैपिटलिज्म है, और पूंजीवाद को प्रोत्साहन देना है और उसके खातमे के लिए कोई न कोई कदम उठाना आवश्यक है।

चकबन्दी के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गईं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि चकबन्दी का कानून अपनी जगह पर एक बहुत अच्छा कानून है और मैं समझता हूं कि हमारी यह भूमि-व्यवस्था कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, अगर इस चकबन्दी की योजना को हम पूर्ण न कर सकें। मगर साथ ही साथ यह भी सही है कि जिस ढंग से और जिस तरीके से चकबन्दी की योजना हमारे प्रदेश के अन्दर चली, कानून बहुत बढ़िया होने के बावजूद भी, चाहे वह हमारे सरकारी कर्मचारियों की कमी रही हो और मैं समझता हूं कि उनमें कमी रही, और इसकी वजह से जनता में सन्तोष तथा भ्रान्ति हुई। इस सम्बन्ध में मेरा माननीय मन्त्री जी से यह नम्र निवेदन है कि कृपया जिन जिलों में कि अब तक चकबन्दी की योजना चल रही है वहीं उसको पूरा किया जाय और नयी जगहों के अन्दर अभी उसको जल्दी और तेजी के साथ आगे न बढ़ाया जाय। कंसालिडेशन के बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, यह देखने की बात है। मैं समझता हूं कि अगर हम उसको वहां पूर्णरूप से सफल कर सकें, तो आस-पास के लोग उसकी मांग हमसे करेंगे, और प्रदेश में एक भावना तथा फिजा चकबन्दी के हक में पैदा होगी, और उस समय उस चीज को हमने बढ़ाया, तो मैं समझता हूं कि वह

[श्री नवलकिशोर]

ज्यादा अच्छा और उत्तम होगा। मैंने कल कुछ भाषणों में सुना, इस बात को साबित करने की कोशिश की गई कि यह जो लैंड रेवेन्यू है या लगान है, यह टैक्स है, इस तरह की कुछ एकेडेमिक बहस की गई। बहरहाल उसमें तो मैं जाना नहीं चाहता। इस बात को भी साबित किया गया कि और प्रदेशों के मुकाबिले मे हमारे यहां जो पर कैपिटा लैंड रेवेन्यू पड़ता है वह ज्यादा पड़ती है। बहरहाल मैं इतनी बात जानता हूं और मैं समझता हूं, माननीय [illegible] जी भी इस बात से इनकार नहीं करेगे कि पिछले बीसों वर्षो के बावजूद इसके कि गल्ले की कीमत बढ़ी, बावजूद इसके कि किसान की कम्पेरेटिव स्थिति अच्छी हुई, मगर हमारे इस प्रदेश के अन्दर लगान मे कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई, लगान उतना ही रहा। तो मैं समझता हूं कि यह भी कोई बोझा बढ़ाने वाली बात हमारे काश्तकार के ऊपर नहीं हुई हैं।

यह कहा गया कि भ्रष्टाचार बहुत है, इनएफिश्येंसी है। बहरहाल, इसके ऊपर ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है। माननीय मन्त्री जी एक बार नहीं कई बार इस बात को खुद भी मान चुके हैं कि यह चीज है। उनके ही विभाग में नहीं है खास तौर से, करीब-करीब सभी विभागों में है और प्रायः सारे देश के अन्दर फैली हुई है। तो आज हम इस स्थान पर पहुंच जाते हैं कि हम चाहे इस पार्टी में कांग्रेस दल मे बैठें, चाहे हमारे कुछ नेतागण सरकार में बैठें, चाहे कुछ भाई विरोधी दल के अन्दर बैठे हों, भ्रष्टाचार की एक बड़ी समस्या है: आल इंडिया और नेशनल प्राब्लम है, इस तौर पर सोच कर इसे दूर करना चाहिये। हम इस बात का आवाहन करते हैं कि इसकी दवा बताई जाय। मर्ज तो है इसे, तो मन्त्री जी भी मानते हैं, लेकिन हमारे सामने भी यही कठिनाई है कि मर्ज जानते हैं, सिम्टम्स जानते है, लेकिन यकायक कोई दवा बता नहीं पाते। यह कठिनाई जो हमारी और आपकी है, उनके सामने भी वही कठिनाई अपनी जगह पर है।

कोआपरेटिव फार्मिंग पर बड़ा जोर दिया गया। सिद्धान्त तो ठीक है, लेकिन जो कोआपरेटिव सोसाइटीज हमारे प्रदेश में है, जिनके लिये हम चाहते हैं कि वे सफल हों, आगे बढ़ें, उनको प्रोत्साहन दिया जाय, उनकी जो आज स्थिति है, उससे मैं इस नतीजे पर आता हूं कि अभी देश के किसान इस मूड में नहीं है कि वे कोआपरेटिव फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ सकें। भले ही दस या बीस साल के बाद कोआपरेटिव फार्मिंग की तरफ जाना पड़े. लेकिन आज जो वस्तुस्थिति है, उसमें जरूरी समझता हूं कि कोआपरेटिव फार्मिंग अच्छा सिद्धान्त होते हुए भी, बहुत हद तक प्रैक्टिकल दिखाई नहीं देता है।

उपाध्यक्ष महोदय, कल २२ नम्बर की ग्रान्ट स्वीकार हो गई। उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है। केवल दो बातों की तरफ, आपके द्वारा, माननीय मंत्री जी की सेवा में सुझाव के तौर पर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तराई भाबर की बात कही गई। उसके सम्बन्ध मे कुछ नहीं कहना है। पीलीभीत के अन्दर रिक्लेमेशन आफ लैंड के वास्ते कोई २० लाख रुपये रक्खे गये हैं।

श्री चरण सिंह—८ लाख रुपया है—

श्री नवल किशोर—मैं धन्यवाद देता हूं कि सिर्फ ८ लाख रुपया ही है। मगर वैसे वह योजना साढ़े ८५ लाख रुपये की है। ६७५ फेमिलीज को रिहेबिलिटेट करने की बात है। मैं समझता हूं चूंकि ६७५ व्यक्तियों पर इतना पैसा खर्च करना अधिक उपयुक्त नहीं होगा, और विशेषतौर से जो हमारे कृषि ग्रेजुएट्स है वे किस हद तक जमीन पर स्टिक रह पाते है, कितना प्रोडक्शन को बढ़ा पाते हैं और कितनी उसमें दिलचस्पी लेते है, यह हम पिछली योजनाओं में देख ही चुके है।

सरकारी कर्मचारियों के पास भूमि की बात कही गई, इसमें कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। जहां तक हमारी सरकार का सम्बन्ध है, उसकी नीति स्पष्ट हो गई है,

और माननीय मंत्री जी ने उसे स्पष्ट कर दिया कि किसी व्यक्ति को तीस एकड़ से ज्यादा जमीन सरकार से नहीं मिली। लेकिन यह भी सही है कि काफी संख्या में ऐसे लोग उन क्षेत्रों में हैं, जिनके पास हजारों एकड़ की तादाद में जमीन है। हो सकता है प्राइवेटतौर से उन्होंने अरेन्ज कर लिया हो।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकारी नौकरों के लिये कोई अपराध नहीं है कि वे जमीन लें। मैं भी यह मानता हूं कि सरकारी नौकरों को जमीन देना कोई अपराध नहीं है लेकिन यह जरूर है कि जिस वक्त वे ऊंची से ऊंची जगहों पर होकर जमीन लेते हैं, तो हमारे दिमाग में सन्देह पैदा होता है कि आफिस का मिसयूज हो सकता है और नाजायज फायदा उठाया जा सकता है, लिहाजा यह उचित बात नहीं होगी। मैंने अपने जिले में खुद देखा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों ने जमीन लीं। अगर वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट न होते तो ५०० एकड़ क्या ५ एकड़ जमीन भी उस क्षेत्र में उनको मिलना मुश्किल हो जाता। बहरहाल मैं ज्यादा बहस में नहीं जाता। मेरा अपना विश्वास है कि ईमानदार होना काफी नहीं होता है, दूसरों पर भी इस बात का असर पड़े कि हम ईमानदार हैं। मैं किसी पर आक्षेप नहीं करता, क्योंकि आक्षेप करने के लिये मेरे पास मेटीरियल नहीं है, लेकिन इस तरह से भ्रान्ति तो पैदा होती ही है।

इसका दूसरा पहलू भी है कि एक तरफ तो हम इन अफसरों को दो हजार, तीन हजार तनख्वाहें दें और फिर दो-दो हजार एकड़ जमीन भी उनके पास हो जाय जबकि लाखों भूमिहीन हमारे प्रदेश में हों। मैं तो चाहता हूं और मुमकिन है आगे चल कर ऐसा हो भी जाय कि एक व्यक्ति को एक ही प्रोफेशन में एंटर होने का मौका दिया जाय, वर्ना जो शोषण की बात है वह खत्म होनेवाली नहीं है।

ये तीन चार बातें मुझे निवेदन करनी थीं। इनके अलावा जहां तक अनुदान का सम्बन्ध है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री शिवराज बली सिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या २, जोकि माल मंत्री ने उपस्थित की है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे तो कई चीजें हैं, जैसे कर्मचारियों का वेतन भत्ता, बांड वगैरह, लेकिन विशेष सम्बन्ध इस अनुदान का मुख्यतः जमीन से है। कुछ समय पहले यहां पर ब्रिटिश हुकूमत की जब सत्ता थी, तो उसके खत्म होते ही यहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की कांग्रेस सरकार बनी। केन्द्र की और सब प्रान्तों की सरकार बनते ही उसने यह तय किया—विशेषकर हमारे सूबे की सरकार ने—कि किसानों की गरीबी, भुखमरी, अज्ञान इत्यादि-इत्यादि इन सब को दूर करना है। अपने निश्चय के अनुकूल उसने जमींदारी को समाप्त किया और देश ने भी उसका साथ दिया। ऐसी बात भी नहीं कि सब जमींदार बुरे थे, उन्होंने समझा कि यह समय है और सभी ने साथ देकर जमींदारी समाप्त की, काश्तकारों को हक दिये गये। आप समझते हैं कि ११ वर्ष तक काश्तकार जोतते थे, लेकिन जमींदार उन्हें बेदखल कर देते थे, क्योंकि १२ वर्ष में वह मौरूसी काश्तकार होते थे: लेकिन आज का समय ऐसा है कि एक साल जोतने पर काश्तकार असली हकदार बन जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि काश्तकारों को अधिकार मिले, उनके लिए खेती के नये-नये औजार के गोदाम और बीज भंडार और नये-नये रासायनिक खादों के कारखाने खोले गये।

अब इस समय आपके सूबे में करीब-करीब २६ जिलों में चकबन्दी चल रही है। मई का महीना था। यहां पर मुजफ्फरनगर के काश्तकार आये। यह सभी लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं, और मेरे पास तथा मेरे कमरे के पास ७५ नम्बर में श्री द्वारका प्रसाद पांडेय हैं, उनके पास वह गये थे और अपने नक्शे और सारी तकलीफें उन्होंने दिखायीं। यह बात सही है कि यहां पर जो हमारे साथी लोग कहते हैं कि कुछ न कुछ कमी और खराबी है,

[श्री शिवराजवली सिंह]

ऐसा हो सकता है, लेकिन देखना यह है कि जो कायदे और कानून बने थे, वे वाकई में ठीक हैं या नहीं। अब रही बात यह कि जिनके लिए वह कायदे कानून बनाये गये हैं वह ठीक-ठीक से इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं और साथ ही साथ यह भी देखना है कि इसमें हमारा भी कुछ दोष है या नहीं, हमारा भी कुछ कर्त्तव्य है या नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं या नहीं। तो मैं यह कह रहा हूं कि इस समय चकबन्दी चल रही है, लेकिन मुजफ्फरनगर का इसलिए थोड़ा-सा मैंने जिक्र किया कि काश्तकार तकलीफशुदा थे, लेकिन जब मैंने उनसे प्रश्न किया कि चकबन्दी अच्छी चीज है या नहीं, कम से कम १५—२० काश्तकार थे, सभी ने मुक्तकंठ से यह बात कही कि हम लोगों को चकबन्दी मंजूर है और होनी चाहिये। तो कहने का मतलब यह है कि चकबन्दी अच्छी चीज है।

फतेहपुर जिले में चकबन्दी हो रही है। और एक बात और आपसे कह जाऊं कि वैसे तो हम, आप जानते हैं कि कांग्रेस सरकार की पार्टी में हैं, लेकिन यह भी आप सोचें कि हम जनता के प्रतिनिधि हो कर आये हैं। हम वैसे तो यहां पर हां में हां मिलायेंगे, जहां पर हां में हां मिलानी चाहिये, वह तो पार्टी का सवाल है, मजबूरी है, लेकिन प्रतिनिधि होने के नाते ऐसी बात कोई नहीं है कि गलत को यहां सही कहा जाय। तो कहने का मतलब यह है कि चकबन्दी हमारे यहां भी शुरू है, लेकिन आप सच मानिये कि हमारे यहां करीब ८५ पोलिंग थे और भले ही १०—१२ पोलिंग रह गये हों, जहां हम न घूमे हों, हम सब में घूमे हैं।

दूसरी बात शहर फतेहपुर में दो मकान हैं और कुछ ऐसा समझिये कि दोनों बगल में हैं और उनमें नायब तहसीलदार और तहसीलदार के आफिसेज हैं। आप देखेंगे कि जहां चकबंदी चल रही है वहां लाखों की तादाद में भीड़ जमा रहती है। अगर वहां कोई शिकायत होती है तो लोग दौड़े आते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भी काश्तकार मेरे पास नहीं आया और १०—१२ पोलिंग स्टेशन्स को छोड़कर, मैं सब जगह घूमा, लेकिन कोई भी शिकायत मेरे पास नहीं आई। १६ तारीख के बाद की या कल की बात मैं नहीं कह सकता हूं। हमारे यहां चक कट रहे हैं और कोई भी शिकायत नहीं है। चकों में गड़बड़ी हो रही है इसका मुख्य कारण क्या है? मैं अपनी बात कह रहा हूं जिस जमाअत का, चाहे वह सरकारी हो, अर्द्ध सरकारी हो, चाहे कोई भी जनता की जमाअत हो, जिसका हेड ईमानदार है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वहां पर बेईमानी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार जैसी चीज कदापि नहीं हो सकती है। हमारे जो चकबन्दी अधिकारी हैं वह पूर्ण ईमानदार हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। हालांकि अभी तक एक बार भी मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मेरा स्वभाव है कि जब तक कोई सार्वजनिक कार्य न हो, मैं किसी मंत्री जी के बंगले पर नहीं जाता हूं। चकबन्दी के कर्मचारी भी ईमानदार हों, इससे मेरा मंशा यह नहीं है कि सभी बेईमान हैं, लेकिन हमारे साथी जो बात कहते हैं, तो उसके अंदर कुछ न कुछ बात तो रहती है। यह सोचना गलत है कि जितनी बात हो उसे आगे बढ़ाकर कहना चाहिये। आज आप वहां हैं, कल सम्भव है आप यहां आ सकते हैं, तो जो शिक्षा आप हमको दे रहे हैं कल हम आपको देंगे। सही बात में भी हम आपका विरोध करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जितनी बात हो उतनी ही कहनी चाहिये।

चकबन्दी के विषय में कोई भी गड़बड़ी नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष——बिजली फेल हो जाने से लालबत्ती नहीं जल सकती है, लेकिन माननीय सदस्य का दो मिनट और समय है।

श्री शिवराजवली सिंह——जहां तक भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, बुरा न मानिये सब से पहला नम्बर मेरा है। आप सोचिए कि जब आपके पास स्कूल, कालेज

और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आते हैं, तो हम समझते हैं कि एक खाना ऐसा होता है कि गजटेड आफिसर या कोई विधान सभा के मेम्बर या एम० एल० सी० सर्टीफिकेट देते हैं, तो उसमें लिखा जाता है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं, यह संभ्रान्त कुल के लड़के हैं, यह सदाचारी हैं। इन्हें जो काम दिया जायगा उसका दक्षता पूर्वक निर्वहन करेंगे, लेकिन अगर आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार है, तो यह कर्मचारी आपके ही बनाये हुये हैं, आपका ही सर्टीफिकेट दिया हुआ है। हम भी गुनहगार हैं।

मेरे कहने का मतलब यह है कि समय बहुत कम है। यदि हम थोड़ा-सा अपनी ओर देखें, तो ज्यादा सुधार हो और सरकारी कर्मचारी भी अपनी ओर देखें। आप लोग जनता के तपे तपाये सिपाही हैं, आदर्श व्यक्ति हैं, लाखों की तादाद में जनता ने आपको चुना है, यदि आपका सहयोग रहेगा तो भ्रष्टाचार कदापि नहीं रह सकता है। इस समय देश की आर्थिक हालत बहुत दबी हुई है, जब यह ऊपर उठेगी तो इस तरह की पैसे की चोरी हमारे यहां नहीं होगी।

समय कम होने की वजह से मैं अब बंद करता हूं और माल मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसे पास करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—कल मैंने कई सदस्यों का ध्यान शब्द "आप" के प्रयोग पर दिलाया था, लेकिन अभी भी माननीय सदस्य उसको दोहराते चले जा रहे हैं। यहां "आप" केवल चेयर के लिये कहा जा सकता है। जब "आप" शब्द सरकार के लिये या विरोधी दल के सदस्यों के लिये इस्तेमाल किया जाता है तो एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस लिये "आप" शब्द का प्रयोग बड़ी सावधानी से होना चाहिये।

*श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार और फिजूलखर्ची के सम्बन्ध में यहां के सदस्य अनेक बातें बता चुके हैं, परन्तु सरकार शायद अपने हठ पर अड़ी है, जैसे कि कौरवों में दुर्योधन अपने हठ पर अड़ा हुआ था। जबकि माल मंत्री जी ने जमींदारी एबालिशन कमेटी में सवा ६ एकड़ से कम का सुझाव दिया था, आज वे उसे भूल गये हैं। हमें यह आशा है कि वे अपने कहे हुये वचनों को आज सदन में बतलाने से फिर याद करेंगे, क्योंकि कल रामस्वरूप जी वर्मा ने जब कहा था, तो वे सदन से चले गये थे। जब १० करोड़ का घाटा होता है, तब भी १२ करोड़ की बचत होती है, लेकिन इस बात को भी सरकार यदि न स्वीकार करे तो सन् १९४७ में, जबकि सवा बीस आने मन गन्ने का दाम था तो उस समय चीनी का दाम २० रु० १४ आ० था और उस समय ६ करोड़ रुपये के करीब मिलमालिकों को मुनाफा होता था। अब तो हमारे उत्तर प्रदेश का उत्पादन ८२ करोड़ मन है और गन्ने का दाम १ रु० ७ आ० मन है और चीनी का २८ रु० १४ आ० है। इस तरह से सवा ७ रुपये पुराने आंकड़ों से ज्यादा मुनाफा मिलमालिक लेते हैं। अगर १० करोड़ रुपये सरकार उनसे ले ले सवा करोड़ मन शकर की कीमत का, तो सवा ६ एकड़ से कम वाले किसान लगान से मुक्त हो सकते हैं और २२ करोड़ रुपये में भी कमी नहीं आयेगी। परन्तु सरकार आज पूंजीपतियों की ओर है, वह अपने हठ को नहीं छोड़ रही है।

दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार कैसे दूर हो सकता है। एक तरफ करोड़पन्थी हैं और दूसरी तरफ कंगाल पन्थी हैं। एक तरफ बड़ी-बड़ी जोतें हैं और दूसरी तरफ अलाभकर जोतें हैं। इस तरह से जमीन का बंटवारा किया जाना चाहिये, जिसमें गरीब और अमीर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जंगबहादुर वर्मा]

होती रहती है। कोई भूखा नहीं रहेगा, तो देश में चोरी, डकैती और कत्ल नहीं होंगे? एक आदमी-वर्ग [illegible] ज्यादा [illegible] करता है और दूसरा आदमी [illegible] करता है। आदमी बड़े-बड़े [illegible] और बड़े-बड़े पूंजीपति [illegible] हैं और जरूरतन वे चोर [illegible] हैं जो देश में भूखे हैं, भूमिहीन किसान हैं, और छोटी-छोटी तनख्वाह पाने वाले हैं। एक तरफ चौकीदार को १०-१२ रुपये दे करके दूसरी तरफ निजाम, हैदराबाद को २७ हजार रुपये [illegible] दी जाती है। किसी [illegible] में भी १० रुपये देकर [illegible] ईमानदारी नहीं है, [illegible] होने की सम्भावना है। इसलिये तनख्वाह के सम्बन्ध में इस [illegible] रखना चाहिये कि १०० रुपये से कम किसी की तनख्वाह न हो और [illegible] से ज्यादा न हो।

[illegible] बात यह है कि गांव का लेखपाल, चौकीदार और हल्के का कान्स्टेबिल [illegible] पंचायत, जिला पंचायत और सूबा पंचायत के अधीन होने चाहियें। आज [illegible] किसी प्रकार की बदमाशी करता है, तो जिलाधीश महोदय तथा अन्य अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र देना पड़ता है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है जबकि [illegible] गांव पंचायत बहुत अच्छी तरह से जानती है।

[illegible] बात यह है कि चौखम्भा राज्य कायम होना चाहिये। जमीन में, हमारे [illegible] वह चार हिस्सों में बराबर-बराबर बंटनी चाहिये। आज सरकार [illegible] ने [illegible] पर २८ अरब रुपया खर्च करती है और पूरे प्रान्त में बड़े-बड़े शहरों में [illegible] पर १२ अरब रुपया खर्च करती है और देहात की जनता पर [illegible] वर्गमील पर ६ अरब रुपया खर्च करती है। तो क्या इस तरह से देहात की [illegible] जनता उठाई जा सकती है? राज्य शासन की आमदनी के चार भाग होने चाहियें और उनमें से एक भाग गांव पंचायत को जाना चाहिये।

चकबन्दी के संबंध में एक बात है। हमारे जिले बाराबंकी में रामसनेहीघाट में चकबन्दी हो रही है और हमारे पड़ोस लखनऊ और सुल्तानपुर में भी चकबन्दी हो रही है। इस प्रकार का एलान हुआ था कि जिसका जमीन पर कब्जा होगा उसी की जमीन होगी, [illegible] इस चकबन्दी के कराने में बड़े-बड़े जमींदार, लेखपाल और पुलिस मिल कर लोगों [illegible] कर रहे हैं और उसके बाद जो उसमें लड़ने जाता है उसे १०९ और १५१ में बंद कर दिया जाता है। इस तरह का भ्रष्टाचार वहां हो रहा है। चकबन्दी [illegible] पैसे वालों की मदद कर रहे हैं और वहां 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। इस तरफ हमारे माननीय मंत्री का ध्यान जाना चाहिये।

एक और बात की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि वे एक प्रकार से कानूनी डकैती किसानों के साथ कर रहे हैं। किसान, जो अफीम पैदा करता है, उसका दाम ३५ रुपये मन से ज्यादा नहीं होता, लेकिन वह उसको लेकर ५०० और ६०० रुपये मन तक बिक्री कर रहे हैं। इस प्रकार वह किसानों का खून टाटा और बिड़ला से अधिक चूस रहे हैं

*श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य का केवल २ मिनट का समय रह गया है।

श्री जंगबहादुर वर्मा—सरकार कहती है कि हम किसानों की बड़ी सहायता कर रहे हैं। आज हाल यह है कि किसानों के घर पर गल्ले का बहुत कम दाम रहता है, लेकिन जब वह उसके यहां से निकल कर बड़े-बड़े सेठों और पूंजीपतियों के हाथ में आ जाता है तो उसका दाम बढ़ जाता है और उसे गरीब मजदूर लोग खरीदते हैं। इस तरह से १२ अरब सेर से ज्यादा अनाज हमारे किसानों के घर से निकल कर छोटे-छोटे मजदूर खरीदते हैं। इस प्रकार कई करोड़ की डकैती किसानों के घर पर होती है और उससे हमारे पूंजीपति पलते हैं।

मुझे जहां तक मालूम है, ५ रुपया सैकड़ा किसानों को घूस देनी पड़ती है, तब कहीं उनको तकावी मिलती है। वसूलयाबी के समय भी जब कुर्क अमीन आते हैं, तो उनको पैसा न होने पर रुपया देकर टालना पड़ता है और इस प्रकार वह कई साल में पैसा अदा कर पाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बाराबंकी जिले के रामसनेही घाट में ७८ गांव घाघरा की बाढ़ से बह गये हैं, जिनमें से ७० गांव नियोजन विभाग ने ऊंचे कराये थे। वह केवल सरकारी कागजों में ऊंचे किये गये थे और उसके बाद अखबारों में देखा गया कि वह बह गये। वह सारा रुपया वहां के ओवरसियर, इंजीनियर आदि मिल कर खा गये। अगर वह गांव वास्तव में ऊंचे हुए होते, तो कैसे बह सकते थे? अगर वह पैसा किसानों को और गांव पंचायतों को दे दिया जाता, तो वे अपने घर ऊंचे कर सकते थे।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त हुआ।

मैं माननीय सदन से जानना चाहूंगा कि पावर हाउस से बिजली फेल हो गई है और पता नहीं कब तक फिर जारी हो। इस संबंध में आप सबका क्या विचार है, हम अभी उठ जायं और पौने दो बजे से फिर बैठें?

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)--क्या इतनी गरमी में हम लोग नहीं बैठ सकते? जहां लोग आठ-आठ घंटे धूप में बैठते हैं, खड़े रहते हैं, हमें यहां काम करते रहना चाहिये।

(सदन के दूसरे सदस्यों ने भी काम करते रहने का सुझाव दिया।)

श्री उपाध्यक्ष--तो ठीक है।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--श्रीमन्, मैं प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे भारतवर्ष में सबसे पहले कदम उठाया है कि हमारे देहात की जनता को किस प्रकार से ऊंचे उठाया जा सकता है, उसके लिये लैन्ड रिफार्म और दूसरे जो मेजर लिये जा सकते थे, परिस्थितियों को देखते हुये, उसमें हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है। मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ी बहुत प्रगति हमारी खेतीबाड़ी की हुई है, और हमारे किसानों की हालत थोड़ी बहुत उससे सुधरी है।

हमारी सरकार ने कालोनाइजेशन स्कीम में करोड़ों रुपया खर्च किया है और बहुत-सी भूमि जिस तरह से लहलहाती भूमि में परिणत हुई है, उसमें दो रायें नहीं हैं, परन्तु मैंने उस कालोनाइजेशन स्कीम को देखा है और बहुत बड़े भू-भाग पर यह स्कीम चालू की गयी है। हमने देखा है कि कालोनाइजेशन में जमीन उन लोगों को अधिकतर मिली है जो बड़े-बड़े अफसर हैं, जिनके पास रुपया पैसा बहुत है, और जिनके पास बड़ी-बड़ी फैक्टरीज हैं, और जिनके पास तिजारत है, और जिनके पास मोटर लारी इत्यादि का बिजनेस है। इसका मुझे बड़ा खेद है। एक ओर तो हम इस देश के अन्दर समानता लाने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी ओर सरकार ने जहां जमींदारी को अबालिश कर दिया था, उसी तरह के दूसरे जमींदार खड़े किये जा रहे हैं। आप जानते हैं कि बड़े-बड़े जमींदारों ने जमीनों को लेकर . . . .

श्री चरणसिंह--मैं आपके जरिये अपने माननीय मित्र से यह जानना चाहता हूं कि किस बड़े अफसर को गवर्नमेंट ने जमीन दी है, और अगर नहीं दी है, तो क्यों इस चीज को वह रिपीट कर रहे हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत——माननीय मंत्री जी को नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। आंकड़े उनके सामने उपस्थित है। वह इस विभाग के मंत्री हैं। अधिक नालेज इसके मुताल्लिक उनको होना चाहिये। अगर मुझसे इनको पूछा जाय तो मेरी राय में उनकी यह बात सर्वथा गलत है।

इसलिये मैं इस हाउस से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ६,७ हजार या ५.५ हजार एकड़ जमीन अगर किसी व्यक्ति को दी जाय तो वह उसी जमींदारी का दूसरा रूप खड़ा कर रहे हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह जितनी 'कालोनाइजेशन स्कीम' की जमीन है चाहे वह सरकार की हो या किसी की हो मैं समझता हूं कि इस भूमि को गरीबों को बांट देना चाहिये, जिससे उस जमीन का बोझ कुछ कम हो, जिस पर आज पड़ रहा है।

इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से यह दरख्वास्त करूंगा कि हमारे कुमायूं डिवीजन में जो सेटिलमेंट आपरेशन हो रहे हैं, जिसमें सरकार काफी रुपया व्यय कर रही है, उसके आंकड़े सरकार के पास जरूर होंगे. परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस ध्येय और मकसद को लेकर सेटिलमेंट आपरेशन चलाये गये थे, वह मकसद पूरा करने में सरकार फेल हो रही है। इसका कारण यह है कि जितने खायकर और सिरतान टेनेंट थे, हिस्सेदारों ने उन टेनेंट्स को उनकी भूमि से निकाल कर बाहर कर दिया है, और वह जमीन जिनके रिकार्ड में सिरतान और खायकर के नाम मौजूद है, उनके कब्जे में दिखायी नहीं गयी है। इसके लिये सरकार की तरफ से कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाया गया है। अगर जमींदारी अवालीशन का यह असर है कि जो गरीब किसान जमीन पर काबिज है, उनको कब्जे को उससे बेदखल कर दिया जाय, तो मैं समझता हूं कि यह कानून के परपज को डिफीट करता है और हमारे मकसद को पूरा करने से उसको मीलों दूर रखता है। इसलिये दरख्वास्त करता हूं कि सेटिलमेंट आपरेशन्स ठीक से हों और जिनके कब्जे में जमीन है, और जिनके नाम रिकार्ड में दर्ज हैं, उनके नाम वैसे के वैसे ही रहने दिये जायं, उनको बेदखल न किया जाय।

इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि करप्शन है। पहाड़ों में पटवारी और कानूनगो के द्वारा बहुत ज्यादा करप्शन होता है। इन दोनों का तबादला अवश्य होना चाहिये, वे २०-३० साल तक उसी जिले में फिरा करते हैं, जहां उनकी पुरानी जान पहचान हो जाती है, उनके पक्के ऐजेंट्स बन जाते हैं। इसलिये अगर आप शीघ्र ही घूसखोरी को बन्द करना चाहते हैं तो इन पटवारी और कानूनगोओं का तबादला दूसरे जिलों में कर दें।

श्री उपाध्यक्ष——माननीय मंत्री जी, आपको यह सुविधा तो है ही कि आप किसी माननीय सदस्य से बातें करें। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लगातार ५ मिनट से आप माननीय भट्ट जी से बातें कर रहे हैं। अगर उनसे कोई विशेष बात करना है तो आप घर पर कर सकते हैं। इस समय आप जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनकी बातें सुन लें।

श्री चरणसिंह——मुझे इस सिलसिले में एक बात अर्ज करना है कि मेरे सहयोगी यहां बैठे हुए हैं, वह उनकी बातों को नोट कर रहे हैं। वैसे एक विशेष बात मैं अवश्य कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान इधर भी था और बीच में मैंने उनको एक बार एक बात के सिलसिले में टोका भी था। इस असुविधा के लिये मैं माफी चाहता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत——उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि जो फैक्ट है, उसको माननीय मंत्री जी को स्वीकार ही करना पड़ेगा, चाहे माननीय मंत्री जी उसके खिलाफ १०० आर्ग्यूमेंट्स भी दें, तो उस फैक्ट को वे आल्टर नहीं कर सकते। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह अपने रिकार्ड को देखें और मालूम करें कि वहां जमीन किसके हाथ में है, तिजारत किस के हाथ में है। जब उन्हीं के हाथ में सब कुछ है

तो फिर "इन जमींदारी अबालीशन" के क्या माने हैं, उसके 'एम्स एण्ड आबजैक्ट्स' क्या है? क्या आप बता सकते हैं कि यह सब धन दौलत किसके हाथ में जा रही है। कहावत है कुनबा डूबा क्यों मामला ज्यों का त्यों। आपने एक हाथ से जमींदारी ली और अब दूसरे के हाथ में दे रहे हैं। यह 'वैल्थ' आज एक ही आदमी के हाथों में 'कांसेंट्रेट' की जा रही है। इससे हमारे मुल्क का बड़ा अहित हुआ है और अगर आगे भी हमने यह रफ्तार जारी रक्खी, तो हम अपने "एम" में विफल हो जायेंगे और हम अपने देश के साथ न्याय नहीं करेंगे और सच्चाई के साथ हम उस उत्तरदायित्व को नहीं निभा पायेंगे। हम समझते हैं, जितनी रोशनी देश को देनी चाहिये, उतना प्रकाश लोगों को न देकर आप अंधकार को फैलाने जा रहे हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि आप 'कालोनाईजेशन' स्कीम के मुताल्लिक इस सदन में एक बिल लायें और जिनके पास १५ हजार, ५ हजार या ८ हजार बीघा जमीन है, उनसे लेकर गरीबों को बांट दें। माननीय मंत्री को खुद मालूम होगा और उन्होंने मुल्क की आवाज को सुना होगा कि उन्हीं लोगों के हाथ में जमीन है और उन्हीं चन्द लोगों के हाथ में तिजारत भी है तथा दूसरी ओर मुल्क सारा का सारा तबाह होता जा रहा है, ये बातें हम और ज्यादा सहन नहीं करेंगे। आज देश के कोने कोने से यह आवाज आ रही है, लेकिन फिर भी हमें खेद है कि आपके कानों तक जूं भी नहीं रेंगती।

पहाड़ों पर आप बन्दोबस्त करने जा रहे हैं और लोग वहां पर धड़ाधड़ बेदखल किये जा रहे हैं, क्योंकि कानूनों का इस्तेमाल करने में गरीब मजबूर है। उनके पास रुपया नहीं है। उनके पास पैसा नहीं है, अदालत में जाकर मुकदमा करने के लिये उनमें क्षमता नहीं है। क्या यह सरकार का बिजनेस नहीं है कि उन गरीबों की मदद करे? यह सरकार क्यों बैठी है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि हमको इसका जवाब दिया जाय कि अगर इन गरीब बेचारों के लिये सरकार का कोई कर्त्तव्य नहीं है, तो आखिर वह कौन सी सरकार है, जिसके पास वे रिड्रेस के लिये जायं? मुल्क तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, मुल्क लूटा जा रहा है, जमीन वाले जमीन से बेदखल किये जा रहे हैं, तो किस सरकार के पास जाकर आवाज लगानी चाहिये? मैं समझता हूं कि अगर सरकार अपने कर्त्तव्य को समझकर नहीं करती, तो आप अच्छी तरह से समझ लें कि आप अपने प्रति क्या विचार रखते हैं और आपके कर्त्तव्य के प्रति आपकी क्या राय है। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर मुल्क की बागडोर को अपने हाथों में रख कर अपने मुल्क को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं तो जो गलतियां आपने भूतकाल में की हैं उन गलतियों को रेक्टिफाई करें।

श्री गयाबख्शसिंह (जिला सुल्तानपुर)—श्रद्धेय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि इस सदन में मुझे प्रथम बार बोलने का अवसर दिया गया है। दूर से तो आदरणीय सदन के बारे में बड़ी लालसा थी। यहां आकर कुछ क्षुब्ध होकर और कुछ प्रसन्न होकर इस सदन की शोभा को देखा। इतने दिन—तीन महीने हो गये, लालसा थी कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद दूं, पर अवसर नहीं मिल सका। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, उस पर भी मैं धन्यवाद देना चाहता था। इसलिये नहीं कि बजट अच्छा है या बुरा है, बल्कि इसलिये कि उन्होंने बजट को पेश तो किया, वर्ना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऐक्ट की तरह शायद वे इस बजट को भी पोस्टपोन कर सकते थे। इधर कुछ धारणाएं भी ऐसी हुई हैं, जैसा पर्शियन में कहा गया है, आपकी आज्ञा हो तो अर्ज कर दूं "अगर गोयम जबां शोजद, —न गोयम उस्तखां शोजद"।

श्री उपाध्यक्ष—आप इसका तर्जुमा कर दें तो माननीय सदस्यों को आसानी होगी।

श्री राम चन्द्र मिश्र—"अगर कहता हूं तो तड़पन इतनी है, जलन इतनी है कि जबान जलती है और अगर नहीं कहता तो मानसिक कष्ट इतना होता है कि हड्डी पिघल-पिघल कर गलने लगती है।"

यह हमारे सूबे की ६ करोड़ ३० लाख जनता की भावनाओं और उनकी मुसीबतों का दिग्दर्शन है। पहली चीज जो मुझे आदरणीय सदन में देखने से खटकी, वह यह कि विरोधी दल को जिस निगाह से सत्तारूढ़ दल देखता है उससे मुझे क्षुब्ध होना पड़ा। उनको कैसा देखना चाहिये, इस संबंध में अगर मैं एक उदाहरण दूं तो श्रीमन्, अनुचित नहीं होगा।

विरोधी दल मानिन्द शीशे के होता है। घर का मालिक ५० लाख रु० खर्च करके मकान बनवाता है, लेकिन अगर एक शीशा नहीं रखता है तो वह नहीं बतला सकता है कि कौन चीज टेढ़ी है और किस चीज को दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर टोपी आपकी दुरुस्त नहीं है, पैजामा ठीक नहीं है, तो नौकर नहीं कहता है कि महाराज, टोपी अपनी दुरुस्त कर लीजिये, या पैजामा ठीक कर लीजिये। इस तरह से अगर आप एक शीशा रखते हैं, तो वही बतला सकता है कि गलती कहां पर है, क्योंकि वह आपकी खरीदी हुई चीज है। इसी प्रकार से राज्य सत्तारूढ़ दल को विरोधी दल की तरफ देखना चाहिए, उसके विचारों का आदर करना चाहिये। अगर आपके योग्य नहीं है, न कीजिये, दुत्कारने के योग्य है तो दुत्कार दीजिये, लेकिन अगर भावना सही है तो उसको जरूर मानिये। वही बात आपके दल का आदमी कहता है और आखिर में जोड़ देता है कि मैं समर्थन करता हूं, तो ठीक बात है, और वही बात विरोधी दल का आदमी कहता है और आखिर में जोड़ देता है कि मैं इस रेजोल्यूशन का समर्थन करता हूं या प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं तो वह गलत बात हो जाती है। प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं, तो गलती हो जाती है, ऐसी चीज नहीं है।

मैंने अनुमान लगाया तो इस सदन का ५ घंटे का व्यय १५,००० रुपये से कम नहीं है और एक मिनट में ५० रुपया व्यय होता है और इस तरह से एक सवाल के पूछने में कम से कम १५० रुपया व्यय होता है। इसका भी हमें मूल्य रखना चाहिये, मेरा मतलब यह नहीं है कि आदरणीय सदस्य इसकी ओर ध्यान नहीं देते। हमारा यह प्रदेश वह प्रदेश है कि यह भारत का सिरमौर कहलाता है, और यह कहना गलत न होगा कि यह सदन भारत का सबसे जिम्मेदार सदन है और मैं तो यहां तक कहने की हिम्मत रखता हूं कि अगर दुनिया में इस आदरणीय सदन को पहले नम्बर का सदन कहा जाय तो बेजा न होगा। देश में जहां-जहां अच्छी चीजें हैं, वह यहीं इस आदरणीय सदन में इसी प्रदेश के लोगों ने पैदा की हैं, मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहता।

एक माननीय सदस्य ने यह भाव प्रकट किये कि भले ही हमारा लगान आधा न किया जाय, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत पैसा विकास योजनाओं में खर्च हो रहा है। यदि माननीय उपाध्यक्ष जी मुझे एक छोटा सा किस्सा कहने की अनुमति दें तो मैं क्षमा चाहता हूं कि कोई सज्जन थे वह अपने परिवार सहित कहीं जा रहे थे, बीच में दरिया पड़ता था और उस समय उनकी बीवी बच्चे उनके साथ थे, वह हिसाब लगाना जानते थे तो उन्होंने हिसाब लगाया कि दरिया में कहीं ढाई फुट पानी था, कहीं ४ फुट, कहीं ८ फुट और कहीं १० फुट। उन्होंने अपने हिसाब से उस दरिया के पानी का औसत कागज पर निकाल लिया कि उसमें ढाई फुट पानी का औसत आता है। यह औसत निकाल कर वह कुल परिवार के साथ दरिया में घुस गये यह समझकर कि ढाई फुट पानी का औसत है, लेकिन जब वह दरिया से बाहर आये तो वह अकेले ही रह गये और उनके बीबी बच्चे सब डूब गये, उनको इस पर परेशानी का आलम तो बहुत मालूम हुआ और वह कहने लगे कि "लेखा ज्यों का त्यों और कुनबा डूबा क्यों" वह कहने लगे औसत से हिसाब तो ठीक है। इसी तरह से आप औसत लगाते हैं और उससे आंकड़े तैयार करते

- लेकिन आप उन गरीब किसानों से पूछिये कि जिनको जमींदारी उन्मूलन से पहले इस प्रेम सरकार ने आश्वासन दिया था कि तुम्हारे लगान कम हो जायेंगे और यह बंधक इन्तजाल हटा दिये जायेंगे, वह समझते थे कि जो रू० देता है उसके ५ रुपये हो जायेंगे, लेकिन वह कुछ नहीं हुआ। आपकी नहर की योजना में वह लगान जा रहा है या नलकूप की योजना में वह जा रहा है या ट्रांसपोर्ट या रोड्स की व्यवस्था में जा रहा है, तो इससे उसको हानि नहीं हो सकती। यह तो वही हिसाब है कि आपने कहीं का कहीं पैसा लगा दिया है।

चकबन्दी के संबंध में बहुत सी बातें कही गई। इसमें भी उसी तरह से औसत लगाया जाता है। यह कानून तो बहुत अच्छा है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता और माननीय विरोधी दल के सदस्य तथा सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य सब ही एक मत होंगे। सब का एक ही विचार है कि यह कानून बहुत अच्छा है। परन्तु मैं यहां यदि कुछ उदाहरण दूं तो आशा है कि क्षमा किया जाऊंगा, मेरी धृष्टता हो तो क्षमा किया जाऊं। मान लो कि किसी के २ आंखें हैं या दुर्भाग्य से किसी के एक ही आंख है और सरकार ने उन दोनों को सिनेमा दिखाने की कोशिश की और जिसकी आंख फोड़ दी उसे तो बैठा रखा और उससे कह दिया कि बड़ा अच्छा सिनेमा है। यही हाल चकबन्दी में उन मजलूमों का हो रहा है, जिनके खेत निकल गये हैं। मैं मिसाल दे सकता हूं कि नहरों के अधिकारियों ने नहरों को टेढ़ा कर दिया है, क्योंकि उनके दिल के मुआफिक काम नहीं हुआ। पर जिसकी जगह उस नहर में चली गई, उसके लिये आप की नहर भले ही अब गंगा जल से सींची जाती हो, परन्तु उसके और उसके परिवार के लिये तो यह सारा संसार ही अंधकारमय हो गया।

भ्रष्टाचार के संबंध में अंग्रेजी राज्य में, गौरांग महाप्रभु के राज्य में, कहीं नहीं लिखा रहता था कि रिश्वत लेना देना पाप है। यह तो ऐसी चीज है . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---अब आपके दो मिनट रह गये।

श्री गयाबख्श सिंह---यह तो ऐसी चीज है जिसके लिये कहना नहीं पड़ता। कहीं भी नहीं, दीवार पर लिखा गया कि आदमी मारना पाप है। यह तो कानून है और प्रीजम्पशन है कि हर आदमी कानून जानता है। उसका उपहास किया जा रहा है तख्ती पर लिखवाकर कि रिश्वत लेना और देना पाप है। लोग मतलब निकालते हैं कि रिश्वत ले भी और दे भी तब पाप है, लेकिन अगर एक ही काम करे यानी रिश्वत ले और दे नहीं तब पाप नहीं। उसी के थोड़ी ही दूरी पर उसी इमारत पर लिखा है कि इमारत पर थूकना मना है। मैं तो सोचता हूं कि अगर वह तख्ती न लगी हो, तो शायद रिश्वत की तख्ती पर लोग थूकना पसन्द करेंगे। यह कोई मुश्किल चीज नहीं है, अगर मिल करके हिम्मत की जाय और दिलोजान से जुटा जाय, तो कोई वजह नहीं है कि ६ करोड़ ३२ लाख जनता की मुसीबतें दूर करने में सफल न हों। एक दम तो नहीं कि 'कुम बयजनी' यानी उठ खुदा के नाम से, और सब एक दम से खड़े हो जायं, मुसीबतें आहिस्ता-आहिस्ता दूर हो सकती हैं। मगर मैं बहुत अदब से कहूंगा कि ऐसी कोशिश होने में अभी कुछ ज्यादा जिद्दत की जरूरत है।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। आज सदन में जो अनुदान प्रस्तुत है इस पर कल से बहस चल रही है। सदन में जो बहस हुई उसको दो दिन से बराबर बड़े गौर से सुन रही थी। यहां पर बहुत से भाइयों ने अपने विचार विरोध में भी दिये और समर्थन में भी। सब लोग इसी बात पर आकर टिके कि भ्रष्टाचार है और सुधार होना चाहिये। अधिक गहराई में न जा कर मैं दोनों ही बातों के तथ्य को मानती हूं।

[श्रीमती चन्द्रावती]

भ्रष्टाचार भी है और सुधार भी होना चाहिये। मैं ऐसा अनुभव करती हूं कि मंत्री जी भी मानते होंगे कि भ्रष्टाचार भी है और इसमें सुधार भी होना चाहिये।

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं एक बात सदन में निवेदन करना चाहती हूं कि आज हमारे प्रदेश में इस बात को कौन नहीं जानता है कि जमींदारी विनाश किया गया और इसके पहले २० हजार जमींदारों द्वारा किसानों पर जो अत्याचार किये जाते थे वे बिना किसी खून बहाये शान्तिमय तरीके से बन्द किये गये और इस प्रथा में सुधार किया गया। प्रदेश के इतिहास में माननीय मंत्री जी अपना नाम अमर कर जायेंगे। जितना उन्होंने इसमें परिश्रम किया, वह

१६

के लिये जरूरत होती है, और जो जमींदारों के द्वारा किसान पर अत्याचार किये जाते थे, उनका पूरा अनुभव रखते हैं। एक और दूसरी बात सराहनीय है उनके लिये कि अपने डिपार्टमेंट में वह पूर्ण विशेषज्ञ और गुणज्ञ माने जाते हैं। तीसरी बात उनकी नियत भी यह रहती है कि इस ओर के माननीय सदस्य हों या उस ओर के हों, जो उनके प्रैक्टिकल सुझाव आते हैं, और यदि वे रचनात्मक होते हैं, वह उनको अपने डिपार्टमेंट में कार्यान्वित करने की कोशिश करते हैं। इतना सब होने पर भी बहुत से विरोधी भाइयों के विवाद का जो आधार रहा वह सिर्फ क्रिटिसिज्म मात्र रहा। रचनात्मक सुझाव उनकी तरफ से कोई नहीं आया। उन्होंने जो अपने क्रिटिसिज्म के आधार रखे, वह सिर्फ आंकड़े बना कर रख दिये हैं। उन्होंने कहा कि पहले राजस्व, जो लिया जाता था, वह सात करोड़ लिया जाता था, और अब उसकी संख्या २२ करोड़ हो गई है। यह सही बात है। यह तो इस विभाग के कार्यकर्ता की एक अपने कार्य में कुशलता और निपुणता का द्योतक है और इसके लिये उनकी सराहना होनी चाहिए कि उन्होंने अपने विभाग द्वारा इतनी आमदनी का जरिया बढ़ाया। दूसरी ओर यह बात मानने को मैं जरा सी देर को भी तैयार नहीं हूं कि इससे किसानों के ऊपर व्यय भार बढ़ेगा। उनको तो जो जमींदारों की बेगारी और जाने क्या-क्या दूसरे भार वहन करने पड़ते थे, उनका अगर अनुमान लगाया जाय, तो किसानों के लिये इसमें कोई भार नहीं आता। यहां पर उन भाइयों को सोचना चाहिये कि वह उन बातों को क्यों भूल जाते हैं जो कि अपने देश में ऐसी भी कभी रीति रस्म रही होगी।

दूसरी चीज यह कही गई कि लोगों से दस गुना लिया गया और उसको वापस करना चाहिए। यह सही है कि दस गुना लिया गया। लेकिन यह भी झूठ नहीं हो सकता कि जिस प्रकार किसानों के द्वारा दस गुना दिया गया, वह अगर देखा जाय मौके पर, तो वह उन्होंने एक अपने हृदय से देना स्वीकार किया और उस अवसर के लिये इतना प्रयत्न किया कि उन्होंने अपनी बीबियों के जेवर बेचकर भी दस गुना को दाखिल करना चाहा, क्योंकि इसके पीछे वह यह समझते थे कि थोड़ी सी अगर कठिनाई हमें पड़ेगी, तो आगे चल कर भविष्य में हम सुखी हो सकेंगे। आज भी यदि आप किसानों की भावनाओं को जानना चाहें, तो यदि यह दस गुना फिर से दाखिल हो सकता हो, तो बहुत से भाई इस बात के लिए तैयार हैं।

तीसरी बात यह कही गई कि किसानों की परचेजिंग पावर कम हो गई है। यह बात जिस दृष्टि से उन्होंने देखी, उस दृष्टि से तो वह अपने विचारों से यहां पर सही बहस कर चुके लेकिन जरा दूसरी दृष्टि से आप घुमा कर देखिये, तो आज मैं सोचती हूं कि जब हम देहात में दौरा करने जाते हैं, तो किसान आज और किसी चीज की मांग नहीं करते, वह सीमेंट और ईंट खरीदने के लिये इसरार करते हैं। यदि उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई और उनके पास में पैसा खर्च करने की शक्ति नहीं है, तो वह आज जो भवन बना रहा है, या जो कच्चे झोपड़े से पक्के मकान हम आज देहात में देखते हैं, वह कहां से वह कर पाये हैं? इसलिये यह विचार करते हुये आज यह मानना पड़ेगा कि हम देहात की हालत को देखकर बता सकते हैं कि देश में

जमींदारी विनाश के कारण प्रगति हुई है और किसानों की हालत अच्छी हुई है। उनकी उपज और उत्पादन में वृद्धि हुई है, उनके रहने का तरीका, उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा उठा है।

बहुत से भाइयों ने यह भी कहा कि यह जो इतनी मालगुजारी के लिये इस विभाग में इतने लेखपाल, सेक्रेटरी वगैरह, बहुत से पदों पर नियुक्त हैं, इतने क्यों आदमी रखे जाते हैं? मैं सोचती हूं कि हमारे भाई यह विचार करते हुये भूल जाते हैं कि इस डिपार्टमेंट का काम कितना बड़ा है और सब विभागों में इतना काम नहीं है, जितना कि इस डिपार्टमेंट में है। यह विभाग हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है और वह प्रदेश को जान देने वाला है। इसके कार्यों के लिये अफसरों का होना कोई बुराई की बात नहीं है।

अभी कुछ भाइयों ने जिक्र किया कि अल्प बचत योजना के लिये एक अफसर एक किसान के पास बार-बार जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा, मैं सदन में अपना अनुभव बताना चाहती हूं कि कुछ ज्यादा समय नहीं गुजरा, दो ही तीन साल का समय गुजरा होगा, जब कि देहातों में नोटों का हार बना कर छप्परों पर फेंका जाता था। जिस वक्त भात दिया जाता था या कोई और रस्म अदा होती थी, तो किसानों के द्वारा नोटों के हारों का प्रदर्शन एक रिवाज चल पड़ा था। मैं सोचती हूं कि अगर वह अल्प बचत योजना के लिये अफसर उनके पास जाते हैं और वह रुपया इस तरह बच कर उनके संकट काल में काम आ सके, तो कोई बुराई नजर नहीं आती जो यहां बहस करके समय को बरबाद किया जाता है।

तीसरी चीज कहने से पहले मैं माननीय उपाध्यक्ष जी, आप के द्वारा मंत्री जी से कहूंगी कि वह मेरी तरफ ध्यान देकर मेरी बात सुनने की कृपा करेंगे। मेरी बात को शायद पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सुनने की नहीं। जैसा कि उन्होंने पूर्ववक्ता के भाषणकाल में व्यक्त की थी।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय मंत्री जी इस समय अपनी प्रशंसा नहीं सुन रहे हैं तो अच्छी ही बात है। उनके प्रतिनिधि तो मौजूद हैं।

श्रीमती चन्द्रावती--पकड़ने और सुनने में बड़ा अन्तर हो जाता है। पकड़ने में गलती हो सकती है, सुनने में गलती नहीं हो सकती। मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान अपनी बातों की ओर आकृष्ट करना चाहती थी।

मालगुजारी वसूल करने के सम्बन्ध में बहुत से भाइयों ने यहां पर बहस के दौरान में बहुत से सुझाव दिये। उन डिटेल्स में न जाकर मैं अपना एक सुझाव रखना चाहती हूं। मंत्री महोदय अगर इस ओर ध्यान देंगे, तो वसूली को कार्यान्वित करने में काफी सफलता मिलेगी। मालगुजारी वसूल करने में अगर रिबेट सिस्टम रख दिया जाय तो बहुत से आदमियों को प्रलोभन हो जाय कि अगर उक्त तिथि के अन्दर मालगुजारी अपनी हमने दे दी, तो हमको कुछ बचत होगी। अगर इस तरह से किसान वक्त पर मालगुजारी देता रहे, तो उसे प्रमाण-पत्र भी दिया जाना चाहिये, ताकि उसको प्रोत्साहन मिल सके और आगे समाज सुधार के कार्यों में उसे अच्छा कार्य करने वाला माना जाय।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री गयाबख्श सिंह के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, मैं श्रीमान् माल मंत्री के अनुदान नंबर २ के प्रति जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसके अनुमोदन में खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, मेरे सामने बहुत सी बातें इस विषय में कही गयीं जिनको मैंने बहुत गौर से सुना। श्रीमन्, यह ऐसा विषय है कि हमारे प्रान्त का मुख्य विषय कहा जाय, तो अनुचित

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

न होगा। इनका सम्बन्ध सीधे किसानों से पड़ता है और जो हमारी स्वराज्य की लड़ाई हुई थी, खास तौर से किसानों और मजदूरों को लेकर के ही हुई थी। स्वतंत्रता की प्राप्ति में सबसे ज्यादा हिस्सा इनके लिए था कि आजादी मिलने के बाद ये आजाद होंगे, आराम पायेंगे। अब हमें देखना है कि आज १०-११ वर्ष जो हमारी आजादी मिले हुए हो गये हैं, उनमें ये किसान कितने आजाद हुये हैं और कितने आराम से हैं, इनमें क्या अच्छाई आयी है। हमारे बहुत से मित्रों ने इन सम्बन्ध में बहुत सी बातें कहीं और खास तौर से हमारे ट्रेजरी बेंचेज के मित्रों ने भी इन पर बहुत कुछ प्रकाश डाला है। माननीय गंगाप्रसाद जी के कहने के बाद तो मुझे कोई विशेष बात कहने को नहीं रह गयी है। गंगाप्रसाद जी ने बावजूद इसके कि वह ट्रेजरी बेंचेज से बोलें, उन्होंने किसानों के सारे प्रश्नों को सामने रख दिया है।

अब बार-बार हमारे सामने यह सवाल उठता है कि विरोधी पक्ष वाले किसी भी अच्छाई को नहीं बताते, खाली बुराई ही दिखलाते हैं। श्रीमन्, मैं बड़े अदब से आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि अच्छाई बताने वाले बहुत लोग उनके पास हैं। हमें १० मिनट का टाइम मिलता है। अगर हम उनकी अच्छाई गिनाने लगे, तो उनकी बुराइयों को कौन बतायेगा, जिससे वह सचेत हो सकें। मेरा खयाल है कि उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिये। यह लखनऊ बधाई और वाह-वाह में तबाह हुआ है। बधाई कोई अच्छी चीज नहीं है, जो सबको मालूम है, वह हमसे बधाई चाहते हैं। उन्होंने ११ वर्ष में जो कुछ काम किया है, उसके लिए वह यह चाहें कि हम उनको बधाई दें, और उनकी अच्छाई बतावें, तो उन्हें बधाई का हकदार नहीं होना चाहिये। आज जबकि वे इतनी लम्बी-लम्बी तनख्वाहें ले रहे हैं, इतना जनता का खर्चा उनके ऊपर पड़ रहा है, जनता के खून पसीने की कमाई का पैसा उनके ऊपर खर्च हो रहा है, अगर वह कोई काम करते हैं, तो बधाई के पात्र हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वह तो वह त्याग की मूर्ति हैं, जो आजादी के पहले डंडे खाते थे, चोट बरदाश्त करते थे, जेल जाते थे, भंगी बस्तियों में जाकर सफाई का काम करते थे। हम लोग उनके साथ रहते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वह गांधी जी के चेले हैं, गांधी जी के अनुयायी है। कुछ काम अगर हम करते हैं तो यह हमारा कर्त्तव्य है, यह हमारा कर्त्तव्य नहीं है कि हम उन्हें बधाई दें।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा बड़े अदब से सदन के माननीय सदस्यों से भी यह अनुरोध करूंगा कि वे चाहे किसी भी बेंच के हों, उन्हें चाहिये कि जो बुराइयां हैं, जो दिक्कतें हैं उनको खुले आम कहें। उस पर किसी भी किस्म की कोई पाबन्दी नहीं है और न उसमें कोई अड़चन पड़ेगा।

आज अपने दिल पर हाथ रख कर माननीय सदस्य सोचें कि गरीब किसानों की क्या हालत है? गरीब किसानों के पास जो ४५ में खेत थे उसमें बढ़ती हुई है या घटती हुई है। दूसरे जिलों की तो हालत मैं नहीं कह सकता हूं। मैं देवरिया और गोरखपुर की हालत बताना चाहता हूं। १९४५ में जो विशेष पड़ताल के जरिये किसानों को खेत मिले थे, वह बाद को १८० के जरिये निकाल लिये गये। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट बनी तो फिर २९५ के जरिये उनको खेत वापस मिले थे। लेकिन अब निकलते चले जा रहे हैं, और हालत ऐसी हो गई है कि किसान को १०-१२ वर्ष लड़ते हुये बीत गये हैं? शुरू में उसने लड़ाई लड़ी। अब फिर आबिवासी वगैरह के कानून लागू हो गये हैं, जिससे उनको फिर लड़ना पड़ रहा है। मेरी समझ से छोटे काश्तकारों की हालत बहुत ही दयनीय हो चली है और उनके खेत निकलते जा रहे हैं।

इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मंत्री जो सक्रिय हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, अच्छे-अच्छे कानून ला रहे हैं और जो शिकायते हैं उनको सुनते भी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा मौका मिला है और उनके सामने मैंने किसानों की तकलीफों को रखा है, जिनको उन्होंने बड़ी

महृदयना से सुना है और आर्डर भी दिया है, लेकिन पता नहीं अधिकारी क्या कर डालते हैं ? चीजें अपनी जगह पर वैसी ही चलती है और बुराइयों में कमी नहीं हो रही है।

भ्रष्टाचार के लिये हमारे मित्रों ने कह दिया कि यह तो समाज में आ गया है, यह सब में है। इसकी जिम्मेदारी एक पर नहीं है। मैं निहायत अदब के साथ कहूंगा कि इसलिये हम नहीं आये थे, स्वतंत्रता इसलिये नहीं मिली थी कि जनता पिसती रहे, बरबाद होती रहे और भ्रष्टाचार बढ़ता रहे और यह सोचकर कि समाज में छा गया है, हम कुछ न करें, और बैठे रहें। मेरा खयाल है कि आजादी की लड़ाई से यह बड़ी लड़ाई नहीं है। अगर हम सब लोग तन, मन, धन से लग जांय और हमारे मंत्रिगण तैयार हो जायं, तो भ्रष्टाचार मिट सकता है। अगर मिट नहीं सकता है तो कम तो हो ही सकता है।

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि तहसीलों में भ्रष्टाचार हद से ज्यादा बढ़ गया है। मेरे एक मित्र ने बताया, जो सौभाग्य से उस नगर के सभापति हैं, कि मैं जितना चाहता हूं इन्तखाब दिला देता हूं और हमारे यहां लेखपाल किसी को तकलीफ नहीं देते। बड़े खुशकिस्मत हैं उस गांव के लोग, जहां वह सभापति हैं। लेकिन हमारे मित्र डेढ़ लाख की आबादी की बात सोचें और सोचें कि हर गांव की क्या हालत है ? उनको काबिज लिखने के अखतियारात जो मिल गये हैं, उसी से लेखपाल सब को नचा रहे हैं और किसान परेशान हो रहे हैं।

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा अर्ज करूंगा कि इन सब बातों के लिये जोर दिया जाय। श्रीमन्, खास बात तो मेरी रह ही गई। मेरे एक मित्र ने कहा था कि भ्रष्टाचार को निवारण करने का किसी ने तरीका नहीं बताया ? मैं अपनी ओर से तरीका बतला रहा हूं। अगर आज हमारे मंत्रिगण, सचिव साहबान और उपमंत्री गण यह तय कर लें कि किसी अधिकारी के प्रोग्राम पर न जा कर जनता के प्रोग्राम पर जायेंगे और अधिकारियों को खबर तक नहीं देंगे और माननीय सदस्यों द्वारा जो शिकायतें आयें, उनके लिये एक अलग कमेटी बना लें और उसके जरिये से जांच करा लें और अगर यह एलान हो जाय, तो आधे से ज्यादा भ्रष्टाचार तो वैसे ही दूर हो जायगा, क्योंकि अधिकारियों तथा कर्मचारियों के दिलों में डर पैदा हो जायगा। जिस समय स्वतंत्रता मिली थी, अधिकारी परेशान हो गये थे और सोचते थे कि कांग्रेस आ गई है, पता नहीं हम रह पायेंगे या नहीं। लेकिन जैसे-जैसे समय बीता उन्होंने देखा कि बड़े मजे मिलेंगे, यह बढ़ता गया और आगे भी बढ़ता रहेगा, अगर कोई सक्रिय कदम इसके लिये न उठाया गया, तो गरीब पिसते रहेंगे। हमारे मंत्रिगण आजकल अधिकारियों के घेरे में घिरे रहकर देहात की हालत जान नहीं पाते हैं। अगर वह कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर से अलग रह कर जनता में जायें, तो उनको पता चले कि जनता की क्या हालत है ? मेरा खयाल है कि जैसे ट्रेन में फ़ोर्स को हटा दिया गया है वैसे ही मैं यह अनुरोध करूंगा कि जब उनका बाहर जाने का प्रोग्राम बने, तो वे डी० एम०, एस० पी० वगैरह को उसकी सूचना भी न दें, और जनता के लोगों से जा कर मिलें, और इस सदन के सदस्य लोग जो रिपोर्ट दें, उसकी जांच के लिये इसी सदन की एक कमेटी बना दें और उसकी रिपोर्ट पर फ़ौरी ऐक्शन लें, तो मेरा खयाल है कि भ्रष्टाचार बहुत जल्द खत्म हो सकता है, और खासतौर से तहसीलों में तो खत्म हो ही जायगा।

श्रीमन्, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यह जो काबिज लिखने का अधिकार लेखपालों को मिल गया है, इससे वे जनता को बहुत परेशान करते रहते हैं, और जमाबन्दी में भी किसानों को बहुत दिक्कत होती है, और साल दो साल में कुछ न कुछ कमी-बेशी हो ही जाती है। दो-दो रुपये का लगान जिसका है, उससे २५–२५ और ३५–३५ रुपये लगान के वसूल किये गये हैं।

श्री अधिष्ठाता—आप का समय समाप्त हो गया।

माल उपमंत्री (श्री परमात्मानन्द सिंह)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कल से सदन में बैठ कर सुयोग्य माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनता रहा हूं और मुझे इससे बहुत दिलचस्पी भी आई और जो कुछ विषय यहां भाइयों ने कहे, उससे मुझे यह लालच आया कि मैं भी इस सदन में आपके द्वारा उनसे कुछ निवेदन करूं।

यों तो माल विभाग का बहुत बड़ा विस्तार है, परन्तु जो मुख्य विषय यहां विवाद में आये, उनको मैं शुरू-शुरू करके आप की आज्ञा से लेना चाहता हूं। पहले तो मैं भूमिधरी का विषय लेता हूं। सदन के कतिपय माननीय सदस्यों ने कहा कि जब जमींदारी तोड़ी जा रही थी, तो किसानों को यह आशा दिलायी गयी थी कि उनका लगान कम हो जायगा, लेकिन वह कम नहीं किया गया और उनको जमीन का मालिक नहीं बनाया गया; और अगर बनाया गया तो उनसे कुछ रुपया लेकर बनाया गया। कदाचित् जो कुछ कटाक्ष मैं समझा हूं, वह इन्हीं थोड़े से शब्दों में कहा जा सकता है। जहां तक मुझे याद है हमारी सरकार का यह वादा तो नहीं था कि लगान को कम ही कर देंगे। हमारा वादा तो अवश्य था कि हम आपको अपनी जमीन का मालिक बनाना चाहते हैं, आपको बेदखली से बचाना चाहते हैं, और आप के और आपकी बनायी हुई सरकार के बीच में, जो एक दीवार जमींदार के रूप में खड़ी हुई है, जो वर्ग में भेद करती है, जो वर्ग आप को दबा कर रखना चाहता है, आपसे अनुचित लाभ उठाना चाहता है, उसको हटा देंगे। वो यह काम हुआ, और उसके बाद यह भी हुआ कि कोई भी काश्तकार अपनी जमीन से बेदखल नहीं किये जाने लगे।

इसके बाद काश्तकार के चार वर्ग बनाये गये, भूमिधर, सीरदार, अधिवासी और असामी। दो नीचे वाले वर्ग तो थोड़े दिनों तक चलने वाले थे, वे अब प्रायः समाप्त हो गये हैं, और जो कुछ हैं भी थोड़े बहुत, वे समाप्त हो रहे हैं। अब दो ही वर्ग रह जाते हैं, सीरदार और भूमिधर। सीरदार बेदखल नहीं होता, उसको पूरा अख्तियार, अपनी जमीन पर काबिज रहने का है। केवल इतना ही अन्तर उसमें और भूमिधर में पड़ता है कि भूमिधर अपनी जमीन को बेच सकता है। परन्तु सीरदार अपनी जमीन को बेच नहीं सकता।

यह भी एक विवादग्रस्त प्रश्न है कि आया काश्तकारों को अपनी जमीन बेंचने का अधिकार दिया जाना उनके हक में अच्छा है या बुरा। फिर भी हमने उसके लिये एक रास्ता निकाला और वह यह कि अगर वह अपने लगान का दस गुना दे दें तो वह दो, तीन प्रकार का लाभ उठा सकते हैं। एक तो यह कि उन्हें अपनी भूमि को हस्तांतरित करने का भी अधिकार प्राप्त हो जायगा और दूसरे यह कि उनका लगान आधा हो जायगा। उस आधे लगान के लिये हमने उनसे यह कहा कि जो आपका लगान है, उसका आप दसगुना हमको दे दें। अब दो चार शब्दों में मैं इसकी व्याख्या करूं और यह निवेदन करूं कि वह क्या चीज है। हमने उन से कहा कि अगर आपका लगान १० रुपया है तो आप हमको १०० रुपया दे दीजिये और हम आपका लगान ५ रुपया कर देंगे। तो इसके माने यह है कि अगर ५ रुपया लगान हो गया तो जो ५ रुपया बचत का है, उससे उनका पैसा अगले २० वर्षों में वसूल हो जायगा। हमने उनसे कहा कि जो बचत आपको होने वाली है वह आप हमको एक मुश्त दे दें। हमारे मित्र यह बतावें कि जो यह हमने ५ रुपये सैकड़े का सूद दिया यह किस सूद से कम है। हमारे मित्र यह कह सकते हैं कि असल रकम भी तो वसूल होनी चाहिये। ठीक है, उस समय मैं उनसे कहूंगा कि २० साल के अन्दर तो उनकी रकम वसूल हो गई और उसके बाद हमने वायदा किया था कि ४० साल तक हम लगान में कोई अन्तर नहीं करेंगे। अगले २० साल में जो बचत हुई वह तो उनकी रकम वसूल हुई और उसके बाद वाले २० सालों में जो बचत हुई उसका वह हिसाब लगा लें कि किसानों को फायदा ही हुआ है नुक्सान नहीं। फिर यह कि उसको करके हमारे किसान अपने देश की उन्नति में सहयोगी होते हैं। अगर इस तरह से वह रुपया जमा कर देते तो जो हमारे कमिटमेंट्स हैं जमींदारों के लिये वह हम जल्दी पूरे कर सकते थे, उनको

दूसरे व्यवसाय में लगाने में मदद होती। कंपेंशेशन देने में हमको सुविधा होती और हम इस सबसे जल्दी छुटकारा पा जाते और हमारी आमदनी देश की उन्नति के लिये और कार्यों में लग सकती।

हमारे एक अन्य मित्र, श्री शुक्ला जी ने कहा कि सरकार को भूमि को बेचने का अधिकार उनको दे देना चाहिये, और यह कर देना चाहिये कि उसके बाद कुछ दिनों के, जब वह दसगुना जमा कर दें तब उनका लगान आधा कर दिया जाय। यह चीज मैं समझा नहीं इसका अर्थ क्या है? यह मेरी समझ में नहीं आया। मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने मित्रों से और अपने सामने बैठे हुये मित्रों से भी कि इसके विषय में उनको एक "ऐटमास्फियर क्रियेट" करना चाहिये कि जिस किसान के पास हो, वह दसगुना जमा कर दे जिसके पास न हो, उसे मजबूर नहीं किया जाता लेकिन जिसके पास है उसको देना चाहिये और उसको वह स्माल सेविंग इंवेस्टमेंट समझे, क्योंकि इसमें रुपया भी मिल जाता है और उसका सूद भी और एक सार्वजनिक कार्य में उसको मदद भी हो जाती है।

अब मैं दूसरे विषय की ओर आप की आज्ञा से आना चाहता हूं वह विषय है सहकारिता का। हमारे कतिपय मित्रों ने इसके लिये आवाज लगाई है और कुछ बड़े-बड़े विचारकों ने भी कहा है। मेरी इतनी धृष्टता तो नहीं है कि यह कह सकूं कि वे गलत हैं, लेकिन अपनी छोटी सी हैसियत रखते हुये मैं अपने विचार रखता हूं और हमारे माननीय मंत्री जी भी वही विचार रखते हैं, जैसा कि उन्होंने कल कहा भी था कि हमारे यहां के देश की परिस्थिति को देखते हुये सहकारिता कम से कम खेती के क्षेत्र में हमारे लिये लाभदायक नहीं है। हमारे लिये यह नुक्सान की चीज है। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या मैं आपकी आज्ञा से करूं। कोआपरेटिव फार्मिंग में क्या है? इसमें हम अपनी जमीन को एक प्रधान या मंत्री को दे देते हैं उसका प्रबन्ध करने के लिये। उसके बाद क्या होता है? फिर यह हुआ कि वह उसका प्रबन्ध करते हैं और उसके बाद उसकी पैदावार में जो हमारे हिस्से का मुनाफा होता है, वह हमको दे देते हैं। उसका प्रबन्ध प्रबन्धकारी समिति करती है। कोई किसान भी मजदूर की भांति काम कर सकते हैं या बाहरी मजदूरों को लगाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मेरे मित्र जरा इसके ऊपर विचार करें कि क्या यहां वही शक्ल नहीं हो जाती है जो कि एक लिमिटेड कम्पनी की होती है। जिसमें बहुत से शेयरहोल्डर हैं। अपना शेयर लेकर अलग बैठे हुये हैं और उसका मुनाफा खाते हैं। क्या पूंजीवादी संस्था की सी हालत कोआपरेटिव की भी नहीं हो जाती है।

एक चीज हो सकती है, और वह सामूहिक खेती की है। लेकिन चूंकि उसकी यहां पर बहस नहीं है, उस संबंध में अधिक नहीं कहता, लेकिन इतना ही कहूंगा कि वह सामूहिक खेती भी उस खेत से दूर कर देती है। हमारा स्वभाव है और भारतवर्ष का ऐसा संस्कार है कि जिसके अन्दर हमें अपनेपन की भावना नहीं होती है, उसके अन्दर हमारा interest नहीं होता।

हमारे मित्र कहते हैं कि सरकारी अफसरों को गाड़ियां दी गयीं है। वे बेपरवाही से इस्तेमाल करते हैं। मुमकिन है ऐसा होता हो। यह प्राकृतिक बात है कि आदमी जिसको अपना नहीं समझता है और यह समझता है कि ४ दिन के लिये यह चीज मेरे हाथ में आयी है, तो उसकी वह परवाह नहीं करता। उससे अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश करता है। परन्तु जिस दिन वह उसकी अपनी हो जायगी उस दिन से वह सम्भाल कर इस्तेमाल करेगा। गाड़ी बहुत दिन तक चलेगी और पैट्रोल भी कम खर्च किया जायगा। यह हमारी भावना है। मैं अपने बचपन में पढ़ा करता था कि एक तस्वीर में कुछ पेड़ लगे हुये हैं। वहां एक बुड्ढा खड़ा हुआ है। उसके पास छोटे-छोटे पौधे लगे हुये हैं। कोई आदमी आकर उससे पूछता है कि बुड्ढे, तुम १० दिन बाद मर

[श्री परमात्मानन्द सिंह]

लगाओगे, तो इन पेड़ों से तुमको क्या मिलेगा। वह जवाब देता है कि मेरे लड़के इसके फल खायेंगे। यह एक भावना होती है। अगर यह भावना न रहे तो जितनी भूमि आज बेरोकटोक है वह सब बंजर हो जायगी और उससे देश को हानि पहुंचेगी। मेरे मित्र समाजवादी भाई इस विषय पर बहुत जोर दिया करते हैं। मेरा अनुभव भी है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तराई भावर में जब बन्दोबस्त होता था तो चन्द हमारे दोस्त जो सभी समाजवादी विचार के थे उनमें एक मित्र सौभाग्य से इस माननीय सदन के सदस्य भी हैं, उन लोगों ने एक गांव सहकारिता से खेती करने के लिये ले लिया। मैं यह निवेदन करता हूं कि कहने की बात दूसरी होती है और करने की दूसरी होती है। इन दोनों में अन्तर होता है। मेरा ऐसा अनुभव है कि जितनी तराई भावर में सोसाइटीज़ हैं उन सबमें सबसे पहले वही सोसाइटी टूटी, जोकि हमारे समाजवादी भाइयों ने कायम की थी।

एक बात यह कही गयी कि जमीन की ऊपरी हद मुकर्रर कर दी जाय। कुछ लोग बहुत जमीन लिये हुये हैं, जो उससे बड़ा मुनाफा उठा रहे हैं और बड़े-बड़े जमींदार बन गये हैं। मेरा निवेदन यह है कि उन जमींदारों में और इनमें बहुत अन्तर है। यह खुद जोतते हैं या हायर लेबर से जुतवाते हैं। वे जमींदार खुद नहीं जोतते थे, दूसरों से जोतवा कर उसका फायदा उठाते थे। किसी समाज में किसी कानून के बनाने की आवश्यकता तभी होती है, जब हम देखते हैं कि कोई बुराई ऐसी है जो बहुत बढ़ गयी है। उसका ऐसा रूप है कि उसको रोका न गया, तो उससे समाज की बहुत बड़ी हानि हो जायगी। कानून ऐसी स्थिति में ही लाया जाता है। सरकार का आर्डर ऐसी स्थिति में ही होता है। यदि ऐसी स्थिति नहीं होती है, थोड़ी बहुत बुराई कहीं पर देखने को मिलती है तो उसको समय के अनुसार आगे पीछे संभाला जाता है। आप कुछ काम पहले करेंगे और कुछ बाद को करेंगे।

बुराई मिटाना अवश्य चाहिये परन्तु थोड़ा (Preference) का सवाल हमारे सामने आ जाता है। बड़े-बड़े फार्मों की तादाद कम है और प्रदेश के क्षेत्रफल को देखते हुये वे नगण्य हैं। जैसा आपने पुस्तिका में देखा होगा, उससे यह मालूम होता है कि यदि हम ३० एकड़ से अधिक के फार्मों को समाप्त कर दें, जैसा कि ३ कुटुम्बों के खाने भर के लिये एक जगह जमीन देने की सलाह दी गई है तो मुश्किल से ४ लाख एकड़ जमीन हमारे प्रांत में निकलती है, जिससे हमारी कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि किसी भी तब्दीली को करके थोड़े दिन उसका असर देखना चाहिये। जमींदारी विनाश करके नया कानून बनाया है जिसकी कुछ बातें अभी पूरी नहीं हो पाई हैं। इसका असर हम थोड़े दिन देख लें और इसे स्टैबीलाइज़ होने दें, तब हम सोचें कि अगला कदम हमें क्या उठाना है। बड़े फार्मों की आमदनी कम होती है, हमारे मंत्री जी भी कहते हैं। यह अच्छा है। परन्तु दूसरी तरफ यह बात भी है कि उन बड़े फार्मों की कोई उपयोगिता तो कम से कम हमारी दृष्टि में तो है

हमारे देश से एक मिशन गया था दुनिया की इन चीजों को अध्ययन करने के लिये जिसने बतलाया है कि पोलैन्ड में किसी समय में जमीन पर सीलिंग कर दी गई। थोड़े दिन बाद इसका नतीजा यह हुआ कि बाजार में अनाज बिलकुल नहीं रहा। किसान के पास जब अपने खाने से गल्ला अधिक होगा, तभी तो वह उसे बेचने बाजार में भेजेगा। कम या छोटी होल्डिंग होने से कम अनाज पैदा होगा और वह बाजार में नहीं आ पायेगा। बाजार में गल्ला बड़े-बड़े किसानों का आता है। अगर उस रास्ते को आप बन्द कर दें तो कानपुर और लखनऊ के रहने वाले कल को भूखे मरने लगेंगे। आखिरकार नतीजा पोलैन्ड में यह हुआ कि वहां की सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ी और अनेक प्रकार की "कंज्यूमर गुड्स" की सुविधा देकर किसान को लालच देने के बाद गल्ला बाजारों में आया।

बड़े विचारकों ने कहा है कि नोबाडी इज टोटली रांग (No body is totally wrong.) कोई शख्स १६ आने बिलकुल गलत नहीं होता है, और मैं यह कहूं कि शायद, सिवाय परमेश्वर के, कोई १६ आने बिलकुल सही भी नहीं होता है। तो क्या यह मुनासिब नहीं है कि बड़े फार्मों को भी हम थोड़े दिन तक तो जीने दें और उनको यह मौका दें कि वे अपनी "एगजिस्टेंन्स" जस्टीफाई करें? ऐसा भी विचार है कि कोई दूसरा टैक्स ऐसा लगेगा कि जिससे बड़े-बड़े फार्म जो अच्छी पैदा नहीं कर सकेंगे, वे अपने आप टूट जावेंगे।

टैनेन्सी रिफार्म के बारे में एक कमेटी बनी थी जिसने बहुत सी बातों के साथ यह भी कहा है कि "The element of uncertainty should be reduced and the land owning classes, including both small and lease holders, should know precisely where they stand." खेती करने वाले, चाहे छोटे हों या बड़े, उनके दिमाग में यदि अनिश्चितता होगी तो वह अपने फार्म की उन्नति नहीं करेगा, इससे हमारे प्रदेश की पैदावार कम हो रही है। अगर हमारी विरोधी पार्टी के नेता उपस्थित होते तो मैं उनसे यह निवेदन करता कि इस प्रश्न को एक दफा सोचें और यह यहां लाकर तय कर लें कि हमको बड़ी होल्डिंग्स तोड़ना है या नहीं। अगर तोड़ना है तो तोड़ दीजिये नहीं तो उन्हें कुछ निश्चित अवधि के लिये इत्मीनान दीजिये कुछ न हो तो ५ वर्ष तक जब तक यह विधान सभा चल रही है आप यह वादा करलें कि अब इस प्रश्न को नहीं उठावेंगे। इस सदन में पहले यह प्रश्न तै हो चुका है कौंसिल में भी इसकी चर्चा हुई थी। यदि मित्र चाहें तो फिर इस सदन में तय कर लें और कम से कम ५ वर्ष तक तो बड़े काश्तकारों को यह इत्मीनान हो जाय कि वे रहेंगे और अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं।

कंसालिडेशन के बारे में मेरे मित्र ने कहा कि मंत्रियों को इधर उधर अकेले जाना चाहिये। वह मित्र शायद गोरखपुर से आते हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि मैं कन्सालिडेशन की कार्यवाही देखने गोरखपुर और दूसरी जगह गया। मैंने वहां के अफसरों से कह दिया कि आपको मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है। वहां के कार्यकर्त्ता जो हमें मिले, उनसे हमने कहा कि आप लोग हमें चुपके से किसी भी गांव में ले चलिये। वहां मैंने देखा कि मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई सिवाय इसके कि एक शख्स ने यह कहा कि वहां पर पटवारी यह कहता था कि खर्च करोगे तो तुम्हारा खेत ठीक हो जायगा। मैंने पूछा कि तुमने कोई रिश्वत दी, तो कहा कि नहीं। यही बरेली और आजमगढ़ में भी हुआ। आजमगढ़ में मैंने विश्रामराय जी से जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं कहा कि आप मुझे चुपके से अपने क्षेत्र में ले चलिये। मैं वहां गया। फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अफसरान के बगैर जहां मेरे दोस्त मुझे ले चलेंगे मैं वहां उनके साथ चलूंगा। मैं यह नहीं पसन्द करता कि पहले से कोई हंगामा तैयार की गई हो और उसमें ले जाकर मुझे उलझा दिया जाय।

मैं सरकार की ओर से इत्मीनान दिलाता हूं कि जो भी कुछ आप बतलायेंगे उस पर कार्यवाही होगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—अधिष्ठाता महोदय, मैंने कल दोपहर से इस मालगुजारी और भूमि-व्यवस्था के अनुदान पर सबके विचार सुने। मैं समझता था कि जितने मुझे नम्बर मांगों ने दिये हैं व काफी हैं। मैं कुछ सुझाव न देकर माननीय मंत्री जी को अपनी अड़चनें बताना चाहता था। वे अड़चनें नहीं जो हमारे विरोधी भाइयों ने बताई हैं। मैं वह बतलाना चाहता हूं जो उधर के भाईयों ने बताया, जैसे माननीय चन्द्रसिंह रावत और माननीय नवल किशोर उनके जिलों में बड़े-बड़े सरकारी अफसरों ने खेलियां कर ली परन्तु माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वे सरकार ने नहीं दी हैं। सरकार की ओर से

[श्री बलदेव सिंह]

नहीं दी गई और वे पा भी गये। मैं इसको दुर्व्यवस्था कहता हूं। माननीय मंत्री महोदय में आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि चाणक्य ने लिखा है कि राज्य कर्मचारी इसी तरह से हड़प करते हैं जिस तरह से पानी के अन्दर रहने वाली मछली स्वयं पानी पाती है और उसे कोई पानी पीते नहीं देखता। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां लिदहना ग्रिन्ट नाम का एक बड़ा रकबा है। जिस समय जमींदारी समाप्त हुई थी हमारे यहां के० के० के० नायर कलेक्टर थे, तो अधिष्ठाता महोदय उस जमीन के छोटे-छोटे पट्टे ८४ थे, लेकिन लेखपाल ने उन ८४ आदमियों के नामों को ना दर्ज करके श्री के० के० के० नायर का कब्जा दर्ज कर दिया और वह उसके काश्तकार बन गये। इसी तरह से एक श्री महादेव सिंह जी हैं जो कमिश्नर साहब के स्टेनो हैं। २०० एकड़ जमीन उन्होंने इस गांव में अपने नाम लिखा रक्खी है।

श्री चरणसिंह--आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। यों तो किसी भी कोर्ट केस का जिसमें दो फरीक हों और जिनका मामला अदालत में चल रहा हो, उसका जिक्र इस सदन में करना नामुनासिब है। जिस केस का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं वह राज कर्मचारी अदालत में एक फरीक है और उसका मुकदमा अदालत में चल रहा है। और किसी भी मुकदमे के बारे में जिक्र करके उससे जिले या प्रदेश भर के लिये कोई नतीजा निकालना भी मुनासिब नहीं होगा।

श्री बलदेवसिंह--अधिष्ठाता महोदय, मेरा कहना यह है कि उस जिले में ४-५ ऐसे लोग हैं जिनकी जमीन वहां पर ७-८ सौ एकड़ है और जिनकी वजह से दो ढाई सौ किसान बिलख रहे हैं और आज उनके पास कोई सहारा नहीं। उन राज कर्मचारियों की तरफ से न वहां कोई देखने वाला है, न वे वहां रहते हैं, लेकिन वे वहां के काश्तकार हैं। इस दुर्व्यवस्था को चेक करने के लिये मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या किया जाय। आप चाहे विरोधी समझिये या सहयोगी समझिये, मैं चाहता यह हूं कि कोई ऐसा रास्ता निकालिये जिससे उन गरीबों की मदद हो सके, जो अपने खेतों से अलग खदेड़ दिये गये हैं और जिनका कोई पुरसांहाल नहीं है।

पिछली बार जब हम तहसील गये तो वहां पर छोटे-छोटे जमींदारों को जिनको बांड का ४०-५० या १०० रुपया मिलने वाला था, उनको देखा। सुबह से शाम तक उन लोगों की भीड़ लगी रहती है लेकिन किसी चीज का निपटारा होने नहीं आता। किसी भी मामले में ४-५ दिन लग जाना मामूली सी बात है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकारी डाकखाने से भी ज्यादा कोई और मातबिर हो सकता है। क्या वे बांड उन डाकखानों के जरिये से नहीं भेजे जा सकते। क्या मनीआर्डर के जरिये से उनके पास रुपया नहीं भेजा जा सकता, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों इसके लिये इतना हुज्जूम लगाया जाता है और लोगों को इस तरह से परेशान किया जाता है और क्यों उनकी इस दर्दनाक हालत पर रहम नहीं किया जाता।

इसके अलावा लेखपालों के विषय में कहा, तो आपने कहा कि कोई दूसरा सुझाव दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य "आप" शब्द का प्रयोग किसके लिये कर रहे हैं? "आप" शब्द केवल चेयर के लिये ही इस्तेमाल हो सकता है। सरकार के लिये सरकार ही कहें।

श्री बलदेवसिंह--अच्छी बात है, माफ कीजिये। तो मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि लेखपाल पड़ताल करता है और किसी दूसरे का कब्जा पाता है तो आपका आदेश है कि उसकी नकल, एक प्रतिलिपि प्रधान को और

एक-एक इंतों फरीक और कानूनगो को दे दी जाय। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि आज तक इस चीज का पालन ठीक रूप से नहीं हुआ बल्कि मैं तो कहता हूं कि वे ठीक रूप से भी नहीं हो पाया है और मैं खुद पांच साल बब तक चुनाव के पहले तक एक गांव का प्रधान था और मुझे किसी लेखपाल ने कोई प्रतिलिपि नहीं दी जो कि इन्दराज होता है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसका ठीक से कड़ाई से पालन होना चाहिये। जिस रूप में माननीय मंत्री जी ने मुझे टोका, मैं कह नहीं सकता लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को दावत देता हूं कि कई हजार काश्तकार जो हमारे जिले मे निकाले जा रहे है और जिनका कोई ठिकाना व अवलम्ब नही रहा है, यह कह कर कि मामला अदालत में चल रहा है, इसलिये हम उस पर कुछ नही कह सकते, तो क्या व्यवस्था उन असहाय व्यक्तियों के लिये सरकार करने जा रही है, इसको बतलाने की माननीय मंत्री जी उदारता दिखायेंगे? क्या सुझाव है, उनको एक दफा तो मैं सुन सकूं, जिसको लेकर मैं उनके सामने जा सकूं कि उनके जीवन का यह सहारा होगा।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)——माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बात निर्विवाद है कि हमारे प्रदेश की भूमि व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और इस बारे में हमारा प्रदेश और प्रदेशों से कहीं आगे है। इसके लिये हर कोई अपने प्रदेश की सरकार पर और विशेषकर राजस्व मंत्री पर गर्व कर सकता है। मैं यह कहते हुये यह बात मानने को तैयार हूं कि भूमि-व्यवस्था में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है उससे जितना लाभ गरीब जनता को होना चाहिये था, वह नहीं पहुंच रहा है। उसका कारण यह है कि अभी हम लोग इसमे सफल नहीं हो सके हैं कि हम गावों मे ऐसा वातावरण पैदा कर दें कि गरीब से गरीब अपने अधिकारों का उपभोग कर सके। यह जिम्मेदारी खाली सरकार की नहीं हुआ करती है। यह सबके ऊपर होती है, चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों कि वे ऐसा वातावरण पैदा करें। हमारे कर्तव्य की इतिश्री इसी से नहीं हो जाती है कि हम उस बात की कमी को, उसके नुक्स को ही यहां पर कहते रहें, और उसका प्रचार करते रहें। इसी को हम अपना कर्तव्य पूरा करना समझ लें, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। उस काम को पूरा करने के लिये हमको और आपको उचित वातावरण पैदा करना पड़ेगा।

अक्सर यहां पर भूमि वितरण की बात की जाती है और उससे यह ख्वाब देखा जाता है कि अगर भूमि का वितरण हुआ तो उससे समानता आवेगी और सुख शांति का जमाना आवेगा। अगर भूमि वितरण से सुख शांति आवे और सबमे समानता पैदा हो जाय तो उससे किसी को इंकार नही हो सकता लेकिन, श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि कानून की एक मर्यादा होती है, उसकी एक सीमा होती है, उसकी शक्तियां असीम नहीं हैं। एक सीमा होती है जिसके बाहर कानून उस सुन्दर तसवीर को लाने में असफल हो जाता है जिसको हम लाना चाहते हैं। इसलिये जब हम यह सोचते हैं कि खाली कानून से ही वह सुन्दर तस्वीर बन सकती है, जिसका हम ख्वाब देखते हैं, तो वह बनने वाली नहीं है। उसको लाने के लिये तो हमें कानून की सीमा के बाहर जाना होगा और उसके लिये तो हमे सद्-विचारों और सामाजिक मान्यताओं पर आधारित होना पड़ेगा। हमें अपने समाज में वैसे विचार और वह मान्यतायें पैदा करनी होंगी जैसी कि विनोबा जी चाहते हैं। हम सब को समझना होगा कि यह भूमि सबकी है और उससे सबको समान पालनपोषण पाने का समान अधिकार है, और हमें यह भी समझना होगा कि जो समाज मे संग्रह करता है, वह चोरी करता है। जब तक ऐसी मान्यतायें हमारे समाज मे नहीं आतीं, तबतक जमीन के बंटवारे से भी वह तस्वीर नहीं आ सकती, जिसको हम लाना चाहते हैं। उस तस्वीर को लाने के लिये तो हमें इन्हीं बातों पर भरोसा करना होगा और इसके अलावा बेकार की बातों और विवाद से कोई लाभ न होगा। हम समझते हैं कि जिस हद तक हम कानून के द्वारा पहुंच गये हैं उस पोजीशन को भी अभी हम कंसोलिडेट नहीं कर पाये हैं। हमें ऐसा वातावरण बनाना होगा कि हर आदमी को जमीन से पूरा लाभ मिले।

[श्री उदयभान शर्मा]

इसके अतिरिक्त इस बात का प्रश्न और उठाया जाता है और वह यह है कि लेखपालों को खाना कैफियत में इन्दराज करने का अधिकार रहे या न रहे कुछ लोगों का कहना है कि यह अधिकार उनको नहीं होना चाहिये, इस विषय में काफी मतभेद है। हम समझते हैं कि जिन सीमाओं के अन्दर लेखपाल को खाना कैफियत में इन्द्राज करने का अधिकार दिया गया है, वह ठीक है उस अधिकार को न रखने से हम समझते हैं कि बड़ा अनर्थ हो सकता है। हम समझते हैं और हम इस बात को जानते हैं कि इस कानून के द्वारा हमने यह व्यवस्था की है कि कोई भी आदमी अधिक जमीन अपने नाम रखकर और दूसरों को शिकमी पर उठाकर उसका अनुचित लाभ न उठा सके, इस चीज को हमने रोका है। अगर हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि लेखपालों को खाना कैफियत में इन्द्राज न करने दें, तो यह अनुचित होगा और जो लोग बेजा तौर से जमीन दूसरों को उठाते हैं और लाभ उठाते हैं, उस चीज की रोक थाम न हो सकेगी; और वह गरीब जो असल में खेत को जोतता है, वह किसी तरह से दावा करने की या खेत पाने की हिम्मत भी न कर सकेगा। लेकिन आज जब यह संभव होगा कि उन गरीबों के नाम भी लेखपाल खाना कैफियत में दर्ज कर सकता है तो ऐसी हालत में कभी ऐसे लोगों का नुकसान नहीं होगा जो इस तरह से दूसरों के खेत जोतते हैं और दूसरे उसका लाभ उठाते हैं। इसलिये उनके ही हित के लिये इस व्यवस्था का रखना बहुत जरूरी है। यह भी मैं मानता हूं कि इन्दराज के बारे में कभी-कभी झगड़े होते हैं। लोग यह भी कहते हैं कि झगड़े इसीलिये होते हैं चूंकि गलत इंदराज होते हैं। मैं कहता हूं कि कभी-कभी सही इंदराज पर भी झगड़े होते हैं, जबरदस्त लोग चाहते हैं कि किसी गरीब का नाम उनके खेत पर न चढ़े और अगर हिम्मत करके लेखपाल लिख देता है, तो उस पर झगड़ा होता है, और मेरा ख्याल है कि इसी तरह के झगड़े अधिक होते हैं। तो इस तरह से लोग अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। इसलिये यह जरूरी है कि उसको इंदराज का हक दिया जाय। अगर हम उसको यह जिम्मेदारी नहीं देते तो उससे गरीब आदमी और भी मर जायगा। अक्सर ऐसा होता है कि जो जबरदस्त लोग हैं, वे अपने नाम ही लिखा लेते हैं और खेत काट लेते हैं, ऐसी हालत में भी जिन सीमाओं और नियंत्रण में हमने यह अधिकार लेखपाल को दिया है वह ठीक ही है न, इस कानून को मानते हुये और इसके नियंत्रण को मानते हुये यदि कोई किसी दूसरे के खेत को जोतता है, तो जिसका खेत है, उसका नाम तो रहेगा ही और साथ में खाना कैफियत में उस जोतने वाले का नाम भी आ जायगा। वहां गलत तरीके से उसका अधिकार नहीं हो सकेगा।

दूसरी बात जो लेखपाल या दूसरे कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के बारे में कही जाती है, वह बात बहुत कुछ सही है। जितनी बात बढ़ा कर कही जाती है उतनी तो नहीं, लेकिन सही है। लेकिन क्या वह भ्रष्टाचार इससे दूर होने वाला है कि हम उसका प्रचार करें। भ्रष्टाचार तो इससे दूर होने वाला है कि सब लोग इस बात की कोशिश करें कि वह भ्रष्टाचार न करने पाये और जो भ्रष्टाचार वहां पर होता है, उसका एक कारण यह भी है कि समाज में भी भ्रष्टाचार है। अगर हम समाज को ऊपर नहीं उठा सके, तो यह आशा करना कि सरकारी कर्मचारी उस लेविल से, उस स्तर से जिस स्तर पर समाज है, उससे ऊंचे उठ जायगा, ऐसा नहीं हो सकता। समाज का असर प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ना स्वाभाविक है। हो सकता है कि बहुत कोशिश करने पर और सख्ती करने पर थोड़ा सा स्तर उनका ऊपर उठ सके, लेकिन जितना ही समाज का स्तर ऊंचा उठेगा उतना ही हम कामयाब होंगे कर्मचारियों के स्तर को ऊंचा उठाने में। इसलिये हमारी कोशिश होनी चाहिये कि भ्रष्टाचार दूर हो। लेकिन उसके लिये कर्मचारियों ही के बारे में कह करके संतोष नहीं होगा हमको समाज को भी उठाने की कोशिश करनी होगी और ऐसा बर्ताव करना होगा कि हम खुद उसको बुरा मानते हैं। जो हम असली काम करते हैं उससे

भी मालूम हो कि हम भ्रष्टाचार को बुरा समझते हैं। यहां तो हम कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी है, लेकिन मैं पूछता हूं कि कितने आदमी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ संबंध करने को तैयार नहीं हैं? मुझे मालूम नहीं कि कितने आदमी ऐसे हैं जो यह कह सकें कि जब शादी करने जायं तो वह कह दें कि यह भ्रष्टाचारी है और हम इसके साथ संबंध करने को तैयार नहीं हैं? हम खुद देखते हैं कि किसके पास पैसा ज्यादा है, यह सब देख करके ही हम आज शादी करते हैं। अगर एक ईमानदार आदमी है, तो उसकी आमदनी कम होती है और बेईमान की ज्यादा होती है और उसी के साथ संबंध करना चाहते हैं सब। इसलिये अमली तरीके से हमको यह साबित करना चाहिये कि हम भ्रष्टाचार को बुरा समझते हैं। हमको रोजाना के जीवन में उसके खिलाफ चलना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यह साबित होगा कि हम दिल से उसको करने के लिये तैयार नहीं है सिर्फ प्रचार करना अपना कर्त्तव्य समझते है। इसलिये मै यह कहना चाहता हूं कि ....

*श्री रघुबीर राम (जिला गाजीपुर)——माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे हिन्दुस्तान में जमींदारी उन्मूलन पर किसान पहले बहुत गर्व करते थे, उनमें यह भावना थी कि जमींदारी का खात्मा होने पर हमारा लगान माफ होगा, कमी होगी, हमारे खेत नाजायज तरीके से गलत इंदराज द्वारा निकाले नहीं जायेंगे। उनमें यह भावना छिपी हुई थी। लेकिन १५ अगस्त, १९४७ को जब देश आजाद हुआ और जब हमारी सरकार बनी तो उनकी यह भावना विफल रही। उनका वह स्वप्न जो वह देखते थे, व्यर्थ हुआ। न तो उनके लगान में कमी हुई न उन्हें और किस्म का कोई प्रोत्साहन मिला। आज वह किसान जोकि छोटे-छोटे काश्तकार, मध्यमवर्गी किसान और भूमिहीन किसान जिनके पास को कुछ भी भूमि नहीं है, उनके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है। वह भी स्वप्न देखा करते थे कि जब जमींदारी खत्म होगी, जमीन का बंटवारा होगा, तो हमें भी जमीन मिलेगी। वह यह स्वप्न नहीं देखते थे कि जो भी थोड़े बहुत खेत उनके पास है वह भी छिन जायेंगे, वह नाजायज तरीके से बेदखल कर लिये जायेंगे। आज इन्दराज में इतनी गड़बड़ियां चल रही है कि किसानों के ऊपर कलकत्ते से बम्बई से और और स्थानों से मुकदमे चलाके उनको परेशान किया जाता है। वह किसान, जो भूमिहीन है या जिसके पास थोड़ा बहुत जमीन है, खाने तक को ठिकाना नहीं है, वह मुकदमा नहीं लड़ पाता है और मजबूर होकर उस जमीन पर इस्तीफा लगाता है। ऐसे इस्तीफे दूसरे जिलों के लिये तो मैं नहीं कह सकता लेकिन गाजीपुर जिले के लिये मैं कह सकता हूं कि हजारों इस्तीफे ऐसे लिये गये हैं। आज वह किसान मजबूर होकर अपनी जमीन पर इस्तीफा लगाता है। उसके पास लड़ने की शक्ति नहीं है। आज भी यह नाजायज तरीके से हमला उसके ऊपर किया जा रहा है। आज भ्रष्टाचार के मुताल्लिक कहा जाता है। विरोधी दल के पक्ष से भ्रष्टाचार का शब्द जब उठाया जाता है तो सरकारी पक्ष से कहा जाता है कि गलत चीज है। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि डेढ़ फुट पर रिश्वत ली जाती है। कचहरियों में डेढ़ फुट पर रिश्वत ली जाती है। बगैर रिश्वत के काम नहीं चलता है। पेशकार तारीख नहीं बतलाता है।

(इस समय ३ बजकर १३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

क्या इस रिश्वत को रोकने के लिये सरकार ने कोई साधन नियुक्त किया है? भूमिहीन किसान आज करीब ४० फीसदी हैं, जिनके पास कि एक धूर जमीन नहीं है, जोकि अपनी जिन्दगी का बसर मजदूरी के ऊपर करते हैं, इनके लिये सरकार ने क्या किया? आज यह कहा जाता है कि गरीबों की दुनिया बसाई गई। यह कहा जाता है कि गरीबों के लिये यह सरकार बैठाई गई है। यह बात मेरी समझ से बिलकुल गलत है। आज इस पूंजीवादी सरमायेदारी निजाम में इन गरीबों का बसर कभी भी नहीं हो सकता। वह जो स्वप्न देखा करते थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हमको यह सहूलियत मिलेगी, वह उनका स्वप्न

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रघुवीर राम]

बिल्कुल गलत हुआ आज विनोबा जी के संबंध में कहा जाता है, तो यह बात नहीं मानी है कि भीख मांगने से काम नहीं चलेगा और गोबर का भाड़ा और पानी लेकर जो वह गांव गांव में बटा करते हैं, उससे इन गरीबों का उत्थान नहीं हो सकता। क्या सरकार ने कभी इस पर दृष्टि डाली है इन गरीबों के ऊपर।

मैं यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि जो इस मुल्क के हरिजन हैं वह कैसे अपना जीवन बिताते हैं? उनके पास रहने तक के लिये मकान नहीं है। बहुत से विरोधी दल के माननीय सदस्य सरकार के सामने यह रख चुके हैं यहां तक कि आम की गुठली की रोटी, महुआ, कोइना आदि रखे जिसको खाकर वह जीता है। आज वह हरिजन जिसे पहले चमार रैदास कहते थे, इस कांग्रेस सरकार के जमाने में जिसे हरिजन कहने लगे, लेकिन केवल नाम ही उसका बदला है आज भी वह जानवर के पाखाने में जो अन्न होता है उस पर अपना जीवन निर्भर करता है जिसको कि देहात गोबरहा में कहते हैं।

हमारे गाजीपुर जिले के बहुत से गरीब भूमिहीन छः महीने तक बिहार में जाकर के अपनी मजदूरी कमाते हैं। क्या सरकार ने उनके लिये कोई प्रबन्ध किया है। बिहार में उनको २ पैसे से लगाकर ४ पैसे तक मजदूरी अब भी दी जाती है। क्या सरकार ने उनकी मजदूरी का कोई प्रबन्ध किया है? न कोई उनके पास मजदूरी का दूसरा साधन ही है, वे अपनी जीविका को अच्छी तरह से चला सके। लेकिन आज सरकार यह ढोल पीटती है कि गरीबों की दुनिया बसाई है। लेकिन जब विरोधी दल के सदस्य माननीय मंत्री के सामने ये बातें रखते हैं तो कहा जाता है कि बिल्कुल गलत है। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि गाजीपुर जिले के जौगीपुर, ग्राम की हरिजन बस्ती देखिये एक व्यक्ति अगर चाहे तो उन हरिजनों के दो चार मकानों की पत्ती बांध कर चला जा सकता है लेकिन यहां कहा जाता है कि गरीबों की दुनिया बसाई जा रही है, हरिजनों का उत्थान किया जा रहा है। आप चल कर मेरी बात की जांच करिये, अगर गलत हो तो मैं उसी रोज इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं।

श्रीमन्, आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जब विरोधी दल की तरफ से कोई बात कही जाती है तो ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से जवाब दिया जाता है कि बिल्कुल गलत है। मैंने तो यहां तक देखा है कि १०० रुपये के नीचे पटवारी बात नहीं करता, १०० रुपये के ऊपर ही पटवारी बात करता है।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब व आदर के साथ निवेदन करता हूं कि माननीय माल मंत्री ने भूमि व्यवस्था सुधारक और प्रगतिशील कानूनसाजी के तहत एक योजना तैयार की जिसका आशय था। खेती की ड्रजरी (drudgry) कम करना तथा खेती की पैदावार को बढ़ाना। मैं इसके लिये उनकी बड़ी प्रशंसा करता हूं और उसकी बिना पर उनको हार्दिक बधाई देता हूं। भूमि सुधारक कानून का एग्रेरियन एकनामी पर विशाल असर पड़ता है इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। हमारे प्रदेश में ७४·२ फीसदी आदमी खेती पर आधारित हैं। इसलिये जो कानून अब तक बने हैं, उनके असर का वाल्यूम (Volume) ओवर एस्टिमेट (Over estimate) नहीं किया जा सकता। निश्चय ही हमारे प्रदेश का यह कानून पहले से बहुत सीधा-सादा, सरल और समझने में आसान हो गया है और अब टेनेन्सी में ज्यादा सिक्योरिटी (Security) आ गई है।

भूमि सम्बन्धित कानून जितने बनाये गये हैं, उनमें गांव के गरीब व छोटे काश्तकारों की हिमायत की गई है और असलियत में भूमि का पूरा मालिक उसे बना दिया गया है। इस प्रकार से गांव में छोटे वर्ग की आर्थिक अवस्था निश्चय ही संभली है और उनमें सामाजिक व राजनैतिक चेतना भी बढ़ी है। आज हमारे देश के १० प्रदेशों में राइट आफ़ रिजम्पशन

(Right of Resumption) का कानून रायज है। इस अधिकार के अनुसार नान एग्रिकल्चरल इंट्रेस्ट्स (Non-agricultural Interests) अपने काश्तकारों से सीलिंग (size) तक जमीन बेदखल करा सकते हैं। यह कानून आज बम्बई, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, आसाम इत्यादि सूबों में रायज है और हमारे प्रदेश में चौधरी साहब की दूरदर्शिता से यह कायम नहीं हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसका अधिकार दिया गया है। हमारे सूबे के अन्दर लाखों लोग बेदखली से बच गये इस कानून के प्रबन्ध रायज न होने से। इस तरह चौधरी साहब छोटे काश्तकारों के रक्षक (saviour) कहे जा सकते हैं।

आज हमारे सूबे में दूसरे सूबों के मुकाबले में जमीन सम्बन्धी कानून अधिक अच्छे और प्रगतिशील हैं, तो निश्चय ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हम उन सूबों से बहुत आगे हैं। इसी वजह से आज दूसरे सूबों के गैर सरकारी और सरकारी लोग इस प्रदेश में कानून समझने व पढ़ने व उसका एप्लिकेशन देखने आते हैं। लेकिन श्रीमन्, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि मैं यह ईमानदारी से महसूस करता हूं कि जितना फायदा इन कानूनों से पहुंचना चाहिये उतना फायदा हमारे प्रदेश में नहीं पहुंचा है। आज जब हम यहां कानून बनाते हैं और योजनायें बनाते हैं तो मेरा अनुमान यह होता है कि उन कानून के इस्तेमाल से और योजनाओं के 'इम्पलयमेंटेशन' से बहुत ज्यादा लाभ होगा, लेकिन जब हम गांव में जाकर उन सब कामों को देखते हैं तो निराशा होती है। (Net utility income) इन योजनाओं की बहुत कम है।

मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि सन् १३५६ फ० शिकमी काश्तकारों को अधिवासी बना कर के सीरदार बनाने का कानून हमने बनाया, लेकिन मेरी कांस्टिट्यूएन्सी में तहसील बिसौली में २०,००० ऐसे काश्तकार थे जो सन् १६५६ में जमींदारों के और बड़े काश्तकारों के शिकमी काश्तकार थे, लेकिन एक अफसर की गलती की वजह से वह सब के सब क्लिास ६ में दर्ज कर दिये गये और मुझे खेद है कि सरकार द्वारा उनको "सुओ मोटो" अधिवासी बना कर सीरदारी का अधिकार नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में जिलाधीश ने जांच कर रखी थी कि जो अधिकार इन २०,००० किसानों को मिलना चाहिये था वह नहीं मिल पाया है। रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी (Bureaucracy) के चक्कर में इन २०,००० काश्तकारों का मामला आज भी खटाई में पड़ा हुआ है।

चकबन्दी के आशय, मोटे तौर से मैं तीन समझता हूं। एक तो खेती में ड्रजरी (drudgery) कम की जाय, दूसरे खेतों की पैदावार बढ़ाई जाय और तीसरे गांव के रहन-सहन में जो सामूहिक रूप से कठिनाइयां हैं, वह दूर की जायं। मैं अपने जिले के तजुर्बे के आधार पर कह सकता हूं कि आज इन आशयों में से कोई पूरा नहीं हुआ है। आज भी चकबन्दी के चक मुख्तलिफ डिजाइन्स के, तमाम ज्योमेट्रीकल फिगर्स के, बन रहे हैं, जिससे कठिनाइयां खेती की और बढ़ गयी हैं। कानून का मंशा यह था कि छोटे काश्तकारों को फायदा पहुंचेगा, लेकिन मैंने काफी दौरा करके देखा कि ज्यादातर छोटे काश्तकार उसमें पीड़ित हुये हैं।

गांव के जो 'आउट ले' के 'प्रपोजल्स' बनाये गये, वह इस कदर अधूरे और नामुकम्मिल हैं कि बहुत जगहों पर खलिहान और खाद के गड्ढों की व्यवस्था समुचित रूप से नहीं है। इसलिये गांव के 'आउट ले' पर विशेष ध्यान दिया जाय क्योंकि हम आगे आने वाले ५०—१०० वर्षों का इन्तजाम कर रहे हैं। खलिहानों के लिए अगर जगह कम रह गयी है, तो आगे आने वाले ५०—६० वर्ष तक कठिनाइयां कायम रहेंगी।

मैंने ऐसे गांव देखे हैं, जहां चकबन्दी हो गयी है, और वहां से कोई भी रास्ता दूसरे गांव को नहीं जाता है, इसलिये मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि चकबन्दी में विशेष तौर पर सावधानी की जरूरत है।

श्री शिवराज सिंह यादव

जिलों के अन्दर तकावी के एलाटमेंट की सेंक्शन बड़ी देर से पहुंचती है और उससे लाभ उठाने में लोग असमर्थ रहते हैं। ऐग्रीकल्चरल इयर हमारे प्रदेश में जुलाई में शुरू होता है। मैं अपने जिले के तजुर्बे के आधार पर कह सकता हूं कि तकावी के एलाटमेंट्स आमतौर से नवम्बर, दिसम्बर से शुरू होते हैं और मार्च तक जाते हैं। गत वर्ष में ६ लाख रुपया तकावी का जिला बदायूं गया जिसमें से ४ लाख से ज्यादा रुपया दिसम्बर और उसके बाद वहां पर पहुंचा है, जिसके फलस्वरूप केवल साढ़े तीन लाख रुपया बंट सका और ढाई लाख साल खत्म होने पर वापस करना पड़ा। जो रुपया बांटा गया है, वह जरूरतमंद काश्तकारों को न मिल कर मार्च में जल्दी करके, गांव में मोटर से जा-जा कर गैरजरूरतमन्द काश्तकारों के कानें भर-भर के बंटा है। इस प्रकार जल्दी और गलत काम कर के भी २,२०,००० रु० तकावी का वापस आया जबकि उस जिले में इस साल भी ३—४ लाख की दरख्वास्तें पिछले साल की पुरानी मौजूद हैं। मैं यह दरख्वास्त करूंगा आपके द्वारा अपने मंत्री महोदय से कि वह इस बात का विशेष तौर से ध्यान दें कि तकावी के एलाटमेंट की सेंक्शन जून-जुलाई तक पहुंच जाया करे और क्वार्टली यह देखा करें कि कौन से क्वार्टर में कितना रुपया बच गया और कितना बंट गया। तकावी के कानून में भी भारी संशोधन की आवश्यकता है।

लगान की वसूलयाबी के सम्बन्ध में संतोषजनक हालत है। इस पर जो खर्च हो रहा है वह काफी कम है, लेकिन मुझे यह निवेदन करना है कि आज जिले के अन्दर डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन आफिसर का कोई काम नहीं रह गया है। आज हम जब अपने यहां डेफीसिट बजटिंग कर रहे हैं, तो हमें इकोनामी करने की बड़ी आवश्यकता है। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन आफिसर को हम अलग कर सकते हैं और इनके बिना सारा काम तहसीलदार और नायब तहसीलदार कर सकते हैं।

करप्शन की बात आज हर जगह कही जाती है और मैं इसको स्वीकार करता हूं कि न केवल करप्शन मौजूद है, बल्कि वह दिन-प्रति-दिन बढ़ता चला जा रहा है। माल विभाग के कर्मचारियों से काश्तकारों को बहुत संबंध रहता है। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि गांव के लोग जिन-जिन से मिलते हों, उस बीच में करप्शन को रोकने की कोशिश की जाय। इसमें एक नुक्सान यह है कि गांव वालों का तो पैसा जाता ही है, दूसरा नुक्सान यह तो है ही कि उसका विश्वास अपनी सरकार में कम हो जाता है और उसको ऐसा दिखने लगता है कि यह सरकार उसके हित के लिये नहीं है, बल्कि पैसा बनाने के लिये है। तहसील में जब गांव का आदमी जाता है, तो वहां के सम्बन्ध में उस को कुछ भी जानकारी नहीं होती है। मैंने देखा है कि जहां दस गुना जमा होता है वहां लोग कह देते हैं कि तुम इंतखाब १९५६ का भी लाओ। वह जिले में मिलता है। अब जिले में जाने में उसके १५ २० रुपये खर्च होते हैं, तो वह वहां के कर्मचारियों से कहता है कि किसी तरह से मेरा काम चला दो। वह कहते हैं १५ रुपये हमें दे दो तो हम तुम्हारा रुपया जमा करावा देंगे। इस तरह से रुपया, वहां पर बिना १९५६ के इंतखाब के जमा हो जाता है। मैं चाहता हूं कि जो भी रूल्स हों, उनकी पब्लीसिटी तहसील के दरवाजे पर हो जानी चाहिये जिससे उन लोगों को जानकारी हो जाय। मैं चाहूंगा कि उनको इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी करा दी जाय।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय जमींदारी खत्म की जा रही थी, काश्तकारों को बड़े सब्ज बाग दिखाये गये। उनको समझाया गया कि उसे हर तरह से फायदा होगा। लेकिन आज जो परिस्थिति है, जो हालत है, उसको देखते हुये यह कहना पड़ेगा कि वह सारी बातें गलत निकलीं। सब से पहली बात तो यह है कि उनसे आज वही वसूल किया जा रहा है जो जमींदारों के समय में किया जाता था। पहले जो लगान देना पड़ता था, वही आज भी देना पड़ रहा है। फिर जमींदारी खत्म होने से किसानों को क्या लाभ हुआ? कहा यह जाता था कि जमींदारी खत्म होने से नजराना,

जिनके लिये जमींदारों पर बड़ा लांछन था, नहीं देना पड़ेगा। मगर श्रीमन्, निवेदन करना चाहता हूं कि उसी का थोड़ा सा रूप सरकार ने बदल दिया है और मालगुजारी का दस गुना, १५ गुना और बीस गुना नजराना लेकर किसानों को भूमिधारी के हक दिये जा रहे हैं मगर श्रीमन्, इस भूमिधारी की उम्र कितनी है ? इधर किसान भूमिधर बना। उसका ४२५ नम्बर का खेत था, उस पर उसने दस गुना जमा किया, लेकिन चकबन्दी में वह खेत दूसरे के नाम चला गया, तो कितने दिन भूमिधरी की आयु रह गई।

इसी प्रकार आज जो चकबन्दी हो रही है और चक बनाये जा रहे हैं, रोजाना सुनने को मिलता है कि जवाहर लाल जी क्या चाहते हैं ? कोआपरेटिव फार्मिंग या कलेक्टिव फार्मिंग भले ही आज कहा जाय कि कोआपरेटिव फार्मिंग खेती के लिये अच्छी चीज नहीं है। क्या यह सरकार नेहरू जी के विचारों के खिलाफ जा सकेगी ? यदि नहीं, तो फिर आज काश्तकारों को क्यों लूटा जा रहा है ? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत से काश्तकारों की जमीन इस तरह से चली गई है। वह देखने से ही ताल्लुक रखती है। मैं नजीर पेश करना चाहता हूं कि एक दिनुआ मौजा है घनश्यामपुर के पास, वहां के एक काश्तकार दिनेश्वर सुमेर चमार था १२ बीघा जमीन थी उनकी। मगर जिस वक्त चकबन्दी के अमीन पड़ताल के लिये गये तो एक कल्पनाथ यादव थे बलीपुर गांव के, उन्होंने कुछ दे दिला के उस जमीन पर अपना कब्जा लिखवा लिया। वह बेचारा हरिजन मुकदमा लड़-लड़ कर परेशान हो गया, मगर जमीन उसे नहीं मिली। वह आज उसी की हो गयी है जिसने अमीन से गलत इन्दराज करा लिया था। इस तरह से जो कहा जाता था कि जमीन पर कब्जा काश्तकार को दिया जायगा, वह कुछ भी नहीं रहा है। उसका हक तो यहां तक नहीं रहा कि जो उसका मकान है उस पर भी उसे टैक्स देना पड़ता है, दरवाजे की जमीन पर भी टैक्स देना पड़ता है। अगर दरवाजे के सामने महुआ या नीम का पेड़ लगा रखा है, तो बगैर इजाजत के वह उसमें से एक टहनी भी नहीं तोड़ सकता है, और अगर तोड़ता है तो उसको सजा होती है। इसकी एक मिसाल भी मैं आपको देता हूं कि कछौरा एक मौजा है, वहां के एक ब्राह्मण ने अपने दरवाजे के सामने महुवे का पेड़ लगवाया था। उनका मकान गिर गया। उन्हें लकड़ी की जरूरत थी। उन्होंने उस पेड़ में से कुछ लकड़ी काट ली। नतीजा यह हुआ कि उनके ऊपर मुकदमा चला और उन्हें सजा मिली। तो जमींदारी खत्म करने के बाद जो अधिकार काश्तकारों को दिये गये, वे इस तरह से देखने में आये।

अब जरा चकबन्दी के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। चकबन्दी के बारे में कहा जाता है कि चकबन्दी योजना के बाद उपज बढ़ जायगी। मेरी समझ में नहीं आता कि खेतों को इकट्ठा कर देने मात्र से ही उपज कैसे बढ़ जायगी। उपज बढ़ाने के तीन तरीके होते हैं, जुताई, खाद और सिंचाई। मान लें कि एक काश्तकार के पास ५ बीघे जमीन है और वे पांचों बीघे अलग-अलग फैले हुये हैं। अब वे पांचों बीघे एक जगह इकट्ठा कर दिये गये। अव्वल तो ऐसा होता नहीं है, उनको एक जगह कराने में ही उसकी बीबी के जेवर तक बिक जायंगे रिश्वत में। लेकिन अगर एक जगह इकट्ठे हो भी जायं, तो क्या इतने से ही, जो उस की एक बैल की जोड़ी टूटी हुई थी, वह पूरी हो जायगी या जो उसका टूटा हुई हल था उसकी जगह पर उसके पास मेस्टन या राजा प्लाऊ हो जायगा। जो जुताई के साधन पहले थे वे कुछ बढ़े नहीं। अब रहा खाद का सवाल। तो पांच बीघे के ऊपर एक आदमी जितने मवेशी रख सकता है, वह चाहे दूर दूर हों, चाहे एक जगह हों, उतने ही रख पायेगा। सिंचाई के भी साधन नहीं रहे जो पहले थे। तो उपज बढ़ी कहां से ? खाली खेतों को इकट्ठा कर देने से उपज नहीं बढ़ जायगी। अब इससे काश्तकार को नुक्सान क्या हुआ, यह भी जरा देख लें। पहली चीज तो यह है कि जो मौसम की कठिनाइयां होती हैं, पत्थर पड़ते हैं, पाला पड़ता है, तो अक्सर यह देखने में आता है कि एक ही गांव के आधे हिस्से में तो पत्थर या पाला पड़ गया और आधे में नहीं पड़ा। अब अगर उसकी जमीन इकट्ठी है और उसी तरफ

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

पड़ गया. वह तो बेचारा गया, उसके पास जाने को भी नहीं रहेगा। अगर उसकी जमीन छितरी हुई है तो कम से कम किसी न किसी टुकड़े में बच भी सकती है।

दूसरी चीज जो मुझे निवेदन करनी है, वह यह कि आखिर फिर फ़ायदा किसका हुआ। मैं यह मानता हूं कि चकबन्दी से फ़ायदा है और वह किसका है यह भी सुनिये। आजकल गांवों में दो नये तबके बन गये हैं। एक तबका तो ग्राम बैरिस्टर का है, एक नया कौम निकली है और एक है सूदखोर किसान का। इन्हीं दो को चकबन्दी में फायदा है। सूदखोर किसान गांव के उन आदमियों को जिनके पास जमीन थोड़ी है, उनको थोड़ा-थोड़ा रुपया दे करके उसके एवज में उनकी जमीन लिखा लेता है। इस तरीके से थोड़े दिनों में गांव में उसकी जमीन मेंड़ों-मेंड़ों गांव के चारों तरफ छितर गई। आज इस चकबन्दी में उसकी कागजों में पहले वाली १०० बीघा जमीन इकट्ठी होकर एक जगह आ गई। पहले वह खेती नहीं कर सकता था, क्योंकि कुछ जमीन किसी के दरवाजे पर थी, कुछ किसी के घर के पीछे थी। अगर वह वहां हल बैल लेकर जाता तो उसकी झोंपड़ी जला दी जाती। लेकिन अब वह जमीन एक जगह हो गई और वह आसानी से जोताई, बोआई कर सकता है और ट्यूबवेल लगा कर उम्दा तरीके से खेती कर सकता है। दूसरे ग्राम बैरिस्टर साहब, उन्होंने काश्तकारों को लड़ा कर रिश्वत ली और चकबन्दी के अफसरों को रिश्वत दिलाई और इस तरह से खूब रुपया बनाया। यह उनका फायदा हुआ। यही दो तबकों का फायदा इस चकबन्दी से हुआ और असल में जो छोटा काश्तकार है, जो देश का प्राण है, उनके लिये यह अभिशाप बन कर रह गया है। मैंने कम से कम ५७ दरख्वास्तें ऐसी दीं कि जिनमें एक-एक के ऊपर कम से कम ६०, ७०, ८० और किन्हीं में १५०, २०० और २५० आदमियों के दस्तखत थे और उनमें एक ही कामन शिकायत थी कि उन पर गलत इंदराज कर के मुकदमा चलाया जाता है और वह परेशान किये जाते हैं। शायद मंत्री जी उनकी जांच करते होंगे।

इसके बाद मुझे कुछ जमींदारों के सम्बन्ध में अर्ज करना है। जो बांड्स दिये गये हैं, गवर्नमेंट ने १०० रुपये के बांड का दाम ६० रुपया लगाया है और जो बाजार में ४० रुपये का बिक रहा है। तो क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि उसके द्वारा चलाये गये १०० रुपये के बांड का दाम ६० रुपया क्यों लगाया गया? क्या वह ६० रुपये की चीज थी। अगर वह ६० रुपये की चीज थी तो १०० रुपये की लिख कर क्यों दी गई है? बस मुझे इतना ही कहना है।

[* * *]

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—श्रीमन्, मैंने जो अनुदान संख्या २ पर कटौती का प्रस्ताव इस सदन के अन्दर प्रस्तुत किया था उसके संबंध में कल दोपहर से बराबर विवाद चल रहा है। मैंने सरकारी बेंचों की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं सुन पाया जो कि मेरी बातों का जवाब समझा जाय। सिर्फ १,२ व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्होंने यह बताया कि पिछले समय लगान ७ करोड़ कुछ लाख था वह अब २२ करोड़ हो गया है। वह सरकारी कर्मचारियों की योग्यता के आधार पर हुआ है। कुछ ने कहा कि वह लगान जो इतना बढ़ा वह इस दृष्टि से बढ़ा है कि सरकारी कर्मचारियों ने अच्छा काम किया है या हमारी सरकार की योग्यता है। साथ ही कुछ लोगों ने यह कहा कि जो इस लगान को कम करने की मांग है, वह इसलिये कम नहीं किया जा सकता कि बाजार में गल्ले का भाव तेज हो गया है। इस संबंध में कुछ २,४ तथ्य हमारे सामने पेश किये गये।

[ ] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

माननीय मंत्री जी के जो उपमंत्री हैं, उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया और उन्होंने उधर से वकालत की। यह सरकार जो बनी है, वह उस पार्टी के आर्गेनाइजेशन पर बनी है जिसने गांव-गांव में मंडल कायम किये। जगह-जगह कांग्रेस कमेटी को कायम किया था। उन्होंने जनता को यह आश्वासन दिया था कि जब उनको इस सदन में बैठने का मौका मिलेगा, वे जो बीच के दलाल हैं, उनको समाप्त कर देंगे और काश्तकार का लगान आधा कर दिया जायगा। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता

...बपाशी कम कर देंगे। मैं किसी का व्यक्तिगत नाम लेकर नहीं कहता हूं। लेकिन जो वहां पर पहले मुख्य मंत्री थे उनके शब्द मैंने सुने थे। उन्होंने कहा था कि आबपाशी ४ आना बीघा होनी चाहिये। यहां पर उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि हम लगान कम कर देंगे। श्री नारायणदत्त जी ने यह कहा था कि भारतवर्ष की जनता के ऐसे संस्कार हैं कि वह सर्प को भी दूध पिलाती है। मैं यह कहूंगा कि लोगों को गलत आश्वासन दिये गये उस पर भी चुनकर भेजा। यह सर्प को दूध पिलाना है। आपने

देंगे और गांव को सब्ज सपाट बना देंगे, उसके लिये उन्होंने कहा बनायी जायेंगी, भाखरा बांध तैयार करेंगे। तब आपको खुशहाल करेंगे। कब करेंगे? इसके लिये कोई निश्चित समय नहीं बताया। इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गयी।

यदि हम गांवों के गरीब किसान और मजदूरों की तरफ देखें, तो वे आज लखनऊ की तरफ देख रहे हैं, दिल्ली की तरफ देख रहे हैं और मंत्री जी ने इस संबंध में कहा कि लोगों की पर्चेजिंग पावर बढ़ गयी है। एक माननीया सदस्या ने इस बारे में कहा कि लोग सीमेंट की मांग करते हैं जब वे वोट मांगने जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट बात कह दी। यह बात उनसे तब कही गयी जब वे वोट मांगने गयीं। उपाध्यक्ष जी मुझे कुछ समय और दे दिया जाय, क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—आपके लिये २ मिनट का समय और है।

श्री मलिखानसिंह—क्योंकि मंत्री बहुत वृद्ध हैं, अनुभवशील हैं, बहुत से सदस्य उनके बारे में कह भी चुके हैं कि वे आंकड़ों पर चलते हैं और आंकड़ों से जवाब देते हैं।

श्री चरणसिंह—मेरे लिये जो वृद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है, मैं उसको मानने में इनकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है। यदि कोई ऐसा मान ले तो उसके जीवन में रहने के लिये कुछ रह ही नहीं जाता।

श्री मलिखान सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, वे मेरे से वृद्ध तो हैं ही, मैं उनको अपने से वृद्ध मानता हूं क्योंकि मुझसे वे करीब ४० साल वृद्ध हैं।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करने जा रहा था कि अब मंत्री जी जवाब देने जायेंगे, वे उस जवाब में आंकड़ों के आधार पर सदन को बता देंगे कि हमने यह प्रोग्रेस की है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को यह बता देना चाहता हूं कि सरकार ने जो किसानों से वायदा किया था वह उसको पूरा नहीं कर सकी। सरकार की आमदनी अब ७,३०,००,००० रुपया की जगह बाईस करोड़ इक्कीस लाख रुपया हो गयी है जो पहले चौदह करोड़ रुपया ज्यादा है। इस आधार पर किसानों को राहत देने के लिये यह स्पष्ट ... की आवश्यकता है कि उनका लगान आधा कर दिया। गया जहां तक

[श्री मलिखान सिंह]

इस गुने का संबंध है, इसके बारे में सरकार की ओर से कहा गया कि ४ करोड़ हर साल देना पड़ता है और चार करोड़ २५ साल तक देना पड़ेगा । उस आधार से भी वह पूरा रुपया निकल जाता है । इसलिये इस गुने की कोई आवश्यकता नहीं है और दिया हुआ दस गुना किसानों को वापस मिलना चाहिये और बिना दस गुने के किसानों को भूमिधर बनाया जाना चाहिये तथा किसानों का लगान आधा कर दिया जाय । मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और माननीय सदन इस ओर ध्यान दे और इस पर विचार करे कि गरीब किसान और मजदूर जो देहात में रहते हैं जो तबाह हो रहे हैं उनको कुछ राहत मिले ।

इसके बाद मैंने जो कटौती का प्रस्ताव सदन के सम्मुख पेश किया है, उसको पास होने की मांग करता हूं ।

* * *

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मालगुजारी की मांग पर कल दोपहर के बाद से बहस हो रही है । मैं अभी अपने एक मित्र से कह रहा था कि माननीय गेंदासिंह के उठने से पहले का मामला क्या है, मैं सोच रहा था कि कुछ लोग, जिनसे मैं उम्मीद कर रहा था कि उनसे कुछ बातें सुनने को मिलेंगी, वह खामोश क्यों हैं । थोड़ी देर बाद वह राज़ खुल गया और मेरी बदकिस्मती रही कि माननीय गेंदासिंह जी की राय से मैं मुस्तफ़ीज न हो सका ।

अब जो बातें इधर से या उधर से कही गईं उनका बहुत मुख्तसर संक्षेप में मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा । जैसा कि कुछ दोस्तों ने कहा कि यह महकमा माल ऐसा महकमा है कि जिसका सम्बन्ध किसानों से और गांव के प्रायः हर आदमी से, बनिस्बत और महकमों के, सबसे ज्यादा है, इसलिये माननीय मेम्बरान ने अगर अपनी राय जाहिर की और नुक्ताचीनी की और अपने सुझाव दिये, तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है क्योंकि यह महकमा इतना महत्वपूर्ण है कि उसका सीधा सम्बन्ध किसानों से और समस्त जनता से है । इसी कारण से महकमा माल की ओर से जो अब तक हुआ है उसके विषय में कुछ भी कहने के लिये बहुत समय की जरूरत पड़ती है लेकिन मेरे पास इस समय केवल १ घंटा ही है इसलिये इस सम्बन्ध में सब पहलुओं पर थोड़ा-थोड़ा अर्ज करूंगा ।

इत्तफाक से उस वक्त मैं नहीं था जब एक बात श्री मलिखान सिंह जी ने कटौती पेश करते हुये कही थी, उनकी कटौती यह थी कि मालगुजारी आधी कर दी जाय या बिल्कुल माफ कर दी जाय (एक आवाज—आधी कर दी जाय, यह थी) । तो आपने बड़ी रियायत की, वर्ना अगर आप पूरी ही माफ कराने को कहते, तो भी कोई ताज्जुब की बात नहीं थी । जो दलीलें उन्होंने इस सम्बन्ध में दी हैं वह यह है कि पहले मालगुजारी ६ करोड़ थी और अब वह २२ करोड़ हो गई है और बजाय इसके कि जमींदारी उन्मूलन के बाद मालगुजारी घटती, वह बढ़ कर साढ़े ३ गुना हो गई और हमारे एक आजमगढ़ के माननीय मित्र श्री मुक्तिनाथ राय के कथनानुसार वह ७ करोड़ से बढ़ कर २८ करोड़ हो गई । मैं तो अपनी खुशकिस्मती समझूंगा कि जिस रोज मालगुजारी २८ करोड़ हो जाय, क्योंकि वह ६ करोड़ बढ़ जायगी । अब २२ करोड़ हो गई है, यह ठीक है । उनकी शिकायत यह है कि वादा किया गया था कि मालगुजारी घटाई जायगी और बजाय इसके वह बढ़ा दी गई । तो पहली बात तो इस सिलसिले में अर्ज करूंगा कि मालगुजारी बढ़ी नहीं । किसान जो लगान पहले देता था वही आज मालगुजारी कहलाती है, वह बढ़ी नहीं बिल्कुल । दूसरी बात यह कि कुछ घटी है और इस हद तक घटी है कि दफा २४६ जमींदारी और लैंड रिफार्म्स कानून के मातहत जहां सर्किल रेट के दुगने से ज्यादा लगान था चाहे वह शिकमी

[ ] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया ।

ही देता हो. तो उसके लिये हमने यह कर दिया कि वह घटाई जा सकती है उसकी दरख्वास्त पर. अगर वह दरख्वास्त दे, तो 'डबल दी सर्किल रेट' तक कर दी जायगी। तो लगान घटा है बढ़ा नहीं। मतलब यह कि माफ यों नहीं किया है कि जब यह लगान मुकर्रर हुआ था तो उस वक्त हमारे जो खाद्यान्न के भाव थे वह बहुत कम थे। हमारे यहां लगान तय हुआ है 'थर्ड डिकेड' से। उन्हीं दिनों में बन्दोबस्त हुआ सन् १९३५-४४ तक। उन्हीं दिनों में चीजों के दाम बहुत कम थे। और यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, जिसके मातहत लगान मुकर्रर किया गया उसकी दफा ११० और सेटिलमेंट के रूल्स के मुताबिक १९०१ से लेकर १९०५ तक जो फूड ग्रेन्स की प्राइसेज थीं, उसके हिसाब से जो कीमत आती थी, उसका एक बटे पांच लगान मुकर्रर किया गया। तो १९०१ से १९०५ की शरह 'थर्ड डिकेड' की जो थी, आज की शरह से कम पड़ती थी। तो इस तरह से जो लगान देना था, उस समय वह मुकर्रर किया गया। आज चौगुनी शरह हो गई है खाद्यान्न की कीमत की। तो इस तरह से औसतन पैदावार का एक बटे बीस या ५ परसेंट उसकी पैदावार का लगान औसतन आज किसान को पड़ता है। जो किसान को लगान का बोझ १९३१ में महसूस होता था, वह आज नहीं महसूस होता है। सन् १९३१ में करांची का रिजोल्यूशन पास हुआ कि अनइकोनोमिक होल्डिंग्स का रेंट माफ कर दिया जायगा और शायद रेंट घटाने की भी बात थी। लेकिन करांची कांग्रेस का रिजोल्यूशन ऐसा वेद वाक्य नहीं है कि जो हर दशा में सत्य हो। पोलिटिकल पार्टीज के प्रोग्राम्स रिजोल्यूशन्स, जो इकोनोमिक और पोलिटिकल कंडीशन्स होती हैं उनके मातहत बनते रहते हैं और संशोधित होते रहते हैं। लिहाजा यह कि १९३१ में क्या कहा था, उसकी दुहाई देने में माननीय मलिखान सिंह जी ने अपने भाषण में इस शब्द को बहुत कहा था। मैं उन्हीं का शब्द लिये लेता हूं, इससे काम नहीं चलेगा। १९३० के पहले आप जायं, तो तब कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस की ही मांग की थी। उसके बाद इंडिपेंडेंस की मांग की। तो कांग्रेस ने कब किन सर्कम्स्टान्सेज में क्या कहा था, वह हमेशा सत्य नहीं होता।

एक पुस्तिका मिल चुकी है मित्रों को, 'ऐग्रेरियन रिवोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश', हिन्दी में भी उसकी प्रतियां बंट चुकी हैं, जैसा उसमें लिखा है बहुत तफसील के साथ कि मालगुजारी के मुताल्लिक जो कहा जाता है कि सूबे की आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा है, वह गलत है। सूबे की कुल आमदनी की १९३७-३८ में मालगुजारी ४७ फीसदी होती थी। १९५१-५२ में १० फीसदी रह गई। आज वह साढ़े बाईस फीसदी है, क्योंकि लगान मालगुजारी हो गया। तो मतलब यह है कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे गैरजराअती पेशे तरक्की करते जा रहे हैं, तो जो बजट का स्ट्रक्चर है, या जो इन्कम का श्रोत है, वह भी जमीन से हट कर गैरजराअती पेशों पर पड़ते जायंगे। लेकिन जब तक कि हमारे देश के अन्दर खेतिहर लोगों की तादाद ज्यादा है, तब तक मालगुजारी माफ हो जाय, यह जरा मुश्किल है।

देश हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। इसकी तरक्की के लिए बहुत रुपयों की जरूरत है। हर आदमी का फर्ज है कि वह इस यज्ञ में अपनी-अपनी आहुति दे और वह आहुति किसकी कितनी हो, उसके नापने का सब से बड़ा पैमाना यहां इस 'ऐग्रीकल्चरिस्ट कन्ट्री' में यही हो सकता है कि उसके पास कितनी जमीन है। अगर किसी के पास एक एकड़ है, तो वह दो रुपया दे, चार रुपया दे, और किसी के पास दस एकड़ है, तो वह ४० रुपया दे ४५ रुपया दे, क्योंकि हमारा सूबा 'प्रीडामिनेंटली ऐग्रीकल्चरिस्ट' है। ६७ फीसदी आदमी यहां खेती से पैदा करते हैं। तो अगर हम यह मंजूर करें कि हर आदमी को अपनी चुटकी डालनी है, हर आदमी को अपना हाथ लगाना है, तो उसके नापने का और कोई दूसरा पैमाना हो नहीं सकता सिवाय इसके कि कितनी जमीन उसके पास है।

[श्री चरणसिंह]

अब जो मालगुजारी स्टेट की बढ़ी हुई है उसमें यह नहीं है कि वह स्टेट के पास सारी आमदनी रह जाती है। इसमें से 'रीहैबिलिटेशन ग्रान्ट' जब देनी शुरू हो जायगी, तो २५, ३० वर्ष तक 'कम्पेंसेशन' और 'रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट' का करीब ७. ८ करोड़ रुपया सालाना हमको 'एक्स-इंटरमिडियरीज' को देना होगा। जो सात करोड़ पहले मिलता था और सात-आठ करोड़ यह हुआ। इसके अलावा जो वक्फ्स वगैरह हैं उनके लिये हमने जिम्मेदारी ले ली है परपेचुअल। उनके ऊपर भी करोड़ों रुपया आयेगा, कुल अंक कितना बैठेगा, वह मैं इस वक्त नहीं अर्ज कर सकता। इसके बाद जो हमारी ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स की आमदनी होती थी वह सवा करोड़ रुपये के करीब होती थी। वह जमींदारों से होती थी ज्यादातर। आज उसका औसत ५५ लाख तक पड़ रहा है। तो यह जो ७० लाख का नुकसान हुआ, यह भी 'जमींदारी एबालीशन' की वजह से हुआ है। इसको भी उसमें शामिल करना होगा। फिर १ करोड़ ३५ लाख रुपया हमारा खर्च होता है मालगुजारी वसूल करने के ऊपर। एक साहब ने यह कहा कि बहुत खर्चा होता है। १ करोड़ ३५ लाख रुपया जरूर बहुत होता है, इस लिहाज से तो बहुत है। लेकिन जब कि ३० करोड़ रुपये की वसूली होती है मय तकावी और इर्रीगेशन रेट्स को मिला कर तो हमारी जो शरह बैठती है वह साढ़े चार परसेंट जाकर बैठती है। जब कि हमारे पड़ोस में एक स्टेट है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पर १३ परसेंट उनको देना पड़ता है वसूलयाबी पर। उन्होंने हमारे यहां की स्कीम मंगायी है कि कैसे आपके यहां कम खर्चा होता है। खैर, वह कम हो, बेसी हो। यह बात इस समय गैर मुताल्लिक है। मुझे तो यह अर्ज करना है कि १ करोड़ ३५ लाख रुपया आज इसकी वसूली पर खर्च होता है, जब कि पहले इसके मुकाबिले में कहीं बहुत कम खर्च होता होगा, क्योंकि जमींदार और लम्बरदार वगैरह रुपया जमा कर दिया करते थे। तो पहले बहुत कम खर्च होता था और आज हमको सवा करोड़ रुपये के करीब पहले के मुकाबिले में अधिक खर्च करना पड़ रहा है। यह इसमें शामिल करना पड़ेगा। इस तरह से सात करोड़ वह जो पहले मिलता था, ८ करोड़ रिहैबिलिटेशन और कम्पेंसेशन ग्रान्ट का, कुल १५ करोड़, एक करोड़ रुपया इसका लगा लीजिए, १६ करोड़ और एक करोड़ वक्फ्स वगैरह की एमेनिटीज पर जो हमेशा के लिए हमने अपने ऊपर ले ली है, उस पर लगा लीजिए, सत्रह करोड़ और पचास लाख रुपया जो यह मशीनरी हमें कायम करनी पड़ी है 'जमींदारी एबालीशन' का 'कंम्पेंसेशन' और 'रिहैबिलिटेशन' वगैरह देने के लिए, और जो पब्लिक डेट आफिस खुला है रिजर्व बैंक का, उनको जो खर्च देना होगा, इस तरह से सत्रह, साढ़े सत्रह करोड़ के करीब हुआ। तो गवर्नमेंट को जो नफा हुआ वह चार, साढ़े चार करोड़ के करीब जाकर बैठता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता देना चाहता हूं कि इस २२ करोड़ में से कोई डेढ़ पौने दो करोड़ वह रुपये हैं कि जो पहले जमींदारों के जमाने में जो जमीन मजरूआ नहीं दिखाई गई थी, उसका लगान या तो कारिन्दा जमींदार का वसूल कर लिया करता था या जमींदार को अगर पहुंच भी जाता था तो भी खतौनी में वह नहीं दर्ज होता था; लेकिन अब जब हमने कागजात की दुरुस्ती करायी, तो उन पर फिर हमने मालगुजारी लगायी, जो कि अब तक अनअसेस्ड चल रही थी। तो उसकी वजह से डेढ़, पौने दो करोड़ रुपये मालगुजारी हमारी बढ़ी है। तो साढ़े चार करोड़ में से डेढ़ करोड़ अगर निकाल दिया जाय तो ३ करोड़ रुपया ही पहले से ज्यादा अब गवर्नमेंट के खजाने में आता है जिसके लिए बहुत यह कहा गया कि ७ करोड़ का २२ करोड़ हो गया, २८ करोड़ हो गया। तो यह तो मैंने हिसाब लगा कर बतलाया कि गवर्नमेंट को कोई बहुत मुनाफा हुआ है, यह बात नहीं है। अगर होता तो कोई नाजायज बात नहीं होती बिल्कुल जायज बात होती, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वह पहले जमींदारों की जेब में रहता था और उनके खुद के कामों में आता था जो कि अन-

प्रोडक्टिव कहे जा सकते हैं, देश का कोई फायदा नहीं होता था। अगर ३ करोड़ रुपया जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप पब्लिक एक्सचेकर में बच जाता है तो जनता के काम में आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो लगान की बारह पहले ही बतला चुका हूं, लेकिन कुछ तफसील में जाना जरूरी होगा। यह लगान वही है जो काश्तकार पहले देते थे। पहले चार प्रकार के काश्तकार होते थे। गाजीपुर, बलिया, बनारस, जौनपुर और मुमकिन है जौनपुर के कुछ परगने हों, इनके अन्दर फिक्स्ड रेट टेनेन्ट्स थे। उनके पास ७.६ परसेंट एरिया था, एक्स प्रोप्रायटरी टेनेन्ट्स के पास २.७१ परसेंट एरिया था, लेकिन हमारे यहां ज्यादातर काश्तकार अकूपेंसी टेनेन्ट्स और हेरिडिटरी टेनेन्ट्स थे। ३६ परसेंट रकबा हेरिडिटरी और साढ़े ५८ परसेंट रकबा अकूपेंसी टेनेन्ट्स के पास था। अकूपेंसी टेनेन्ट्स का लगान ५.१ रुपया पर एकड़ था और हेरिडिटरी टेनेन्ट्स का लगान ६ रुपये पर एकड़ था। यह लगान किस तरह से तय हुआ, उसे अर्ज कर चुका हूं। यह जो १९०० के करीब हेरिडिटरी टेनेन्ट्स हैं, उनका लगान तय हुआ और वह पैदावार का १५ था जो कि आज १ २० पड़ता है। अकूपेंसी टेनेन्ट्स का लगान उनके लगान से १० परसेंट से लेकर २५ परसेंट तक कम था। जो एक्स प्रोप्रायटरी टेनेन्ट्स हैं उनका उनसे साढ़े १२ परसेंट कम था, और जो फिक्स्ड रेट टेनेन्ट्स हैं उनका १७८४ में या १७९० के आसपास फिक्स्ड हुआ था। मेरा मतलब यह है कि उसमें कोई तरमीम नहीं हुई। यह लगान पहले बहुत कम थे। तो जहां तक कमी करने की बात है, तो उपाध्यक्ष महोदय, प्लानिंग कमीशन का कहना है कि जो प्रोडयूस है उसकी कीमत का १,५ और एक रिपोर्ट में तो लिखा है १ ४ लिया जाय, और अगर इससे ज्यादा लगाया गया हो, तो कम कर देना चाहिये और इससे अगर कम लगान हो, तो कम नहीं करना चाहिये। लेकिन मैंने अर्ज किया यह तो लगान १ २० है, १ १५ मान लीजिये तो यहां कम करने का सवाल नहीं उठता जब कि मुल्क को बनाने के लिये चले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हर देश में यह होता है कि जो जनता है, पैसा उससे आता है और यहां अगर जनता किसानों की है, तो मुल्क को डेवलप करने के लिये पैसा किसानों से आयेगा। जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, वहां इस बात की बहस नहीं हो सकती। वहां दूसरी पार्टीज का प्रोग्राम नहीं आ सकता। इसलिये कलेक्टिव फार्मिंग रूस में कायम की गई। वहां वह स्टेट के चंगुल में फंस जाते हैं और गवर्नमेंट उनसे चाहे जितना रुपया ले सकती है। अलग-अलग कल्टीवेटर होता है, तो करोड़ों की तादाद होती है। उनसे मालगुजारी वसूल करना मुश्किल होता है। इस सहूलियत के लिए वहां कलेक्टिव फार्मिंग का इन्तजाम कर दिया है ताकि सहूलियत के साथ रुपया लिया जा सके। इसीलिये रूस में डेवलपमेंट का बेसिस जो है, वह कलेक्टिव फार्मिंग है और उसी की पीठ पर सारा बोझा है। हमारे यहां मुख्तलिफ पार्टीज हैं, मुख्तलिफ स्लोगन्स हैं। ऐसे स्लोगन्स उठेंगे जिनसे वोट मिल सकें और वोटर उनके गले में माला पहना सकें। चाहे नतीजा कुछ हो, फिलहाल वोट की जरूरत है। मुझे कुछ ऐसी पार्टीज से वास्ता पड़ा है, इलेक्शन में देखा, अखबारों में देख रहा हूं, मैं समझा करता था कि जमींदार व सेठों की ही पार्टी ऐसी होती है जो हिन्दुस्तान की सभ्यता व संस्कृति की ज्यादा बात करती है, लेकिन अब तो मेरी आंखें खुल गईं। वे लोग भी बातें करते हैं, स्लोगन्स देते हैं, क्योंकि उन्हें इलेक्शंस में खड़ा होना था और वोट लेना था। तो खैर, वोट के लिए कहा जाता है, तो हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी है, सब के ऊपर है, हमारे भाई जो उधर बैठे हैं उनके ऊपर भी, कि इस लालच को संवरण करें कि वोट मिलना चाहिये, चाहे किसी तरह से मिले। इसको रोकें और अन्ततोगत्वा देखें कि देश की भलाई किस में होगी। उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह तय किया है कि चाहे कोई बात कड़वी लगती हो, हम तो वही कहेंगे जिसमें जनता का नफा हो, चाहे वोट मिलें या नहीं। कोई हर्ज नहीं है, हम ५ साल के लिए

[श्री चरणसिंह]

[illegible] चले जायगे। [illegible] तो हमारे देश [illegible] कोई परदेशी आकर [illegible] नहीं [illegible] जो आप यह कहते हैं कि [illegible] यह नहीं कर सकते [illegible] इकोनामिक [illegible] करने के लिए [illegible] तैयार नहीं है।

[illegible] का लगान ४.४ [illegible] पड़ता है [illegible] ऐसा [illegible] यह है कि उनका [illegible] ५.४ [illegible] चाहता हूं कि [illegible] से ज्यादा है। [illegible] एक [illegible] तो, वह [illegible] काफी चीज है [illegible] और गरीब कोई नहीं देना चाहता [illegible] जाय कि तुम्हारा टैक्स कम [illegible] चाहते हो, तो उतना बड़ा [illegible] पर एकड़ आज कल की प्राइसेज को देखते हुए किस तरह से ज्यादा है?

[illegible] महोदय, फिर एक बात यह कही जाती है [illegible] बिना [illegible] कर दिया जाय। इधर के एक [illegible] ने [illegible] होल्डिंग' की परिभाषा नहीं हुई। यह माना जाता [illegible] सवा [illegible] एकड़ [illegible] 'इकोनामिक होल्डिंग' है, अगर्चे मैं उसको नहीं मानता। मेरा ख्याल है कि [illegible] किस्म और वहां की जलवायु के अनुसार सवा छः एकड़ से [illegible] के बीच में इकोनामिक होल्डिंग' होती है। अगर अच्छी जमीन और जलवायु है, तो सवा छः एकड़ में 'इकोना-[illegible]

[illegible] होल्डिंग' मान कर चलता हूं, तो कल को जमीन की तकसीम होने लगेगी। अगर एक ८ एकड़ की होल्डिंग है और उस घर में दो बाप-बेटे उसको जोतते हैं, तो बेटा बाप से अलग हो जायगा। वह बाप को नोटिस दे देगा कि मैं अलग रहूंगा, मेरी जमीन अलग कर दी जाय, और इस तरह से वह ४–४ एकड़ हो जायगी, लिहाजा ८ एकड़ जो आज है, जिस पर हम मालगुजारी लेते हैं वह अनइकोनामिक ४–४ एकड़ की हो जायगी। मालगुजारी माफ करने की बात तभी सोची जा सकती है कि किसी खास 'प्राइमो जेंचर' की बात आप कर दें या इस बात का खास तौर से प्राविजन हो जाय कि जमीन बंटेगी नहीं, एक आदमी के पास रहेगी, अगर इस पर तैयार हों, तो इस पर विचार किया जा सकता है।

कहा जाता है कि लैंड रेवेन्यु 'हाईएस्ट' है यू० पी० में। अपने में आंकड़ों का इकट्ठा करना भी आसान नहीं होता है कि कहां-कहां चीज मिलेगी और अगर मिल जायं, तो उनका इंटर प्रिटेशन करना आसान बात नहीं होती। उसमें बहुत से लोग-बाग धोखा खाते हैं। मेरे माननीय मित्र ने टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट से यह पढ़ दिया। मुझे मालूम है, ऐसा है, लेकिन वह यह देखेंगे कि एक स्टेट ऐसी है, सौराष्ट्र, जहां ६.३ रु० पर एकड़ है। वहां हम से ज्यादा है। हमारे यहां ४.४२ है। बाकी में सब की मालगुजारी हम से कम दिखाई गयी है। क्या कारण है? सिर्फ एक कारण है, अगर गौर करें कि इन स्टेटों में उस तारीख को जमींदारी खत्म नहीं हुई थी। केवल सौराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जमींदारियां खत्म हुई थीं। लिहाजा सौराष्ट्र में तो उत्तर प्रदेश का मुकाबला किया जा सकता है और उसके मुकाबिले में हमारे यहां के किसानों का लगान दो तिहाई पड़ता है, बाकी जो और जगह २.२ है, २.५५ है, या

७.८ है, यह सब पहले के जमाने की बातें हैं कि जब कि जमींदार मालगुजारी दिया करते थे। मैं अर्ज करूंगा कि अगली बार माननीय मलिखान सिंह आये तो दूसरी दलील ढूंढ़ कर लायें, क्योंकि यह दलील ठीक नहीं पड़ती है।

श्रीमन्, मुझे ताज्जुब हुआ जब कि यह कहा गया कि किसानों की 'परचेजिंग पावर' कम हो गई है, क्योंकि भाव बढ़ गये हैं। यह शहर वालों के लिये कहा जाता तो मान सकता था, तनख्वाह पाने वालों के लिये कहा जाता, तो मैं मान सकता था, क्योंकि तनख्वाह पाने वाले लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन अगर एक किसानों का नुमाइन्दा कहे कि किसानों की 'परचेजिंग पावर' कम हो गई है तो मैं यही कहूंगा कि वह अपनी सहज बुद्धि से काम नहीं ले रहा है, लोगों से नहीं पूछा है, बल्कि उसने कोई किताब पढ़ ली होगी या किसी प्रोफेसर का कोई आर्टीकिल पढ़ लिया होगा। अब मुहर्रम और रक्षा-बन्धन की छुट्टियां आ रही हैं, उसमें हमारे मित्र मैनपुरी जायं और वहां किसानों की एक मीटिंग करें कि आज गेहूं का १६ रुपये मन का भाव है, इसको आठ रुपये मन कर दें तो उनको नफा होगा। उनकी राय जो कुछ हो, वह मुझे बतला दें, यहां कहने की जरूरत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो मैन्यूफैक्चरर होता है, जो प्रोडयूसर होता है उसको 'हाई प्राइसेज' पर नफा होता है, और जिसकी फिक्स्ड इन्कम होती है, उसका नुकसान होता है, क्योंकि उसकी तनख्वाह बढ़ती नहीं है। राज्य कर्मचारी जब आन्दोलन करेंगे, गवर्नमेंट विचार करेगी, तब कहीं जाकर तनख्वाह बढ़ेगी, चाहे अर्नेस्टि हो या कोई और हो। उनकी तनख्वाह प्राइसेज के मुकाबले में फ्लक्चुयेट नहीं करती है। जो गरीब किसान है, जिसके घर से चीजें बेची नहीं जाती है, उसको नफा नहीं है, लेकिन नुकसान उसको भी नहीं है। कहा जाता है कि किसान को बैल खरीदना पड़ता है। वह बैल किसी बनिये की दूकान से तो खरीदता नहीं है, बल्कि एक किसान दूसरे से खरीदता है, तो दूसरे किसान को ज्यादा पैसे मिलेंगे। इस तरह से 'ऐज ए कम्यूनिटी' उसे नुकसान नहीं है। मालगुजारी बढ़ी नहीं और कर्जा माफ हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर खमानीराय जी ने कहा कि होटल की तरह से मालगुजारी हो रही है। जैसे होटल वाले सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्कम टैक्स दे रहे हैं। उन्होंने होटल ही क्यों ढूंढ़ा, गांव की कोई झोपड़ी क्यों न ढूंढ़ ली।

उपाध्यक्ष महोदय, एक साहब शायद मुक्तिनाथ राय ने कहा कि पी० आर० डी० वालों से मालगुजारी वसूल करा ली जाय। हमारे माननीय मित्र चाहते हैं कि बचत हो और जब हम बचत की बात करते हैं तो हम से कहन-सुनन होती है और हमारे मन में नर्मी आ जाती है। मान लीजिये पी० आर० डी० वालों से मालगुजारी वसूल कराने लगें तो अमीन निकलेंगे या नहीं? दूसरी बात यह है कि क्या पी० आर० डी० वाले बिला तनख्वाह के काम कर देंगे। क्या जो लड़का गांव का पी० आर० डी० में रहता है वह ईमानदार होता है, और जो अमानत में दाखिल हो जाता है, वह ईमानदार नहीं रहता है, आपने क्या फरमाया, क्या सुझाव दिया? फ़र्क क्या पड़ा? कल एक साहब, शायद माननीय अवधेश सिंह जी एस० पी० की पार्टी से बोले थे कि मालगुजारी पंचायतों से वसूल करा ली जाय और कोई जरूरत नहीं है अमीन वगैरह की। बड़ी अच्छी बात है हमारी जो तस्वीर है, वह यह है ही कि कलेक्शन स्टाफ की जरूरत नहीं होनी चाहिये और अन्त में मालगुजारी पंचायतों से वसूल होनी चाहिये। लेकिन आज जब पंचायतें अपना टैक्स ही वसूल नहीं कर पाती हैं और एस० डी० ओ० को लिखती हैं, तब रेवेन्यू स्टाफ आ करके वसूल करता है; तो फिर आज सब पंचायतों से हमारा यह उम्मीद करना कि वे गांव की मालगुजारी वसूल कर देंगी, आसान काम नहीं है। लेकिन ताहम हमने इजाजत दी हुई है कलेक्टरों को कि जो पंचायत कहे कि वह मालगुजारी वसूल करने के लिये तैयार है, उसे

[श्री चरण सिंह]

वह इन्तजाम देखें, और कुछ पंचायतें मालगुजारी वसूल भी कर रही हैं। जैसे-जैसे इन्तजाम होता जाय, झगड़े कम होते जायं, सर्वसम्मति से गांव सभापति चुने जायं, डिसप्यूट्स के और-और झगड़े न उठें, पंचायतें पढ़े-लिखे आदमियों के हाथ में हों और अगर जिम्मेदारी को वे समझें, तो हम तो चाहते हैं कि मालगुजारी वसूल करने का काम भी उनके जिम्मे कर दें। हम नहीं चाहते हैं कि एक 'परमानेन्ट आदमी ऐज ए वेस्टेड इन्टरेस्ट' गांव में पड़ा रहे; एक बात और है। ३,००० रुपये हर अमीन से जमानत ली जाती है ताकि वह मालगुजारी वसूल करके गायब न हो जाय। अब सरकारी एजेन्ट्स हैं, उनसे जमानत मांगना ठीक नहीं है। वह कहेगा कि अच्छे मसले बने हुए कि जमानत भी मैं दूं। इसके अलावा अगर वह मालगुजारी वसूल करके रखे और रात में चोर उसके यहां से ले जायं या न ले जायं, रिपोर्ट यह हो जाय कि चोरी हो गई तो कौन देगा? और यह रिपोर्ट बढ़ जायंगी जरूर।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात माननीय महावीर प्रसाद जी शुक्ल की ओर से कही गई कि जमींदारी के खात्मे से जो गैर-भूमिधर रह गये, उनको कोई नफा नहीं हुआ। हो सकता है कि उनकी राय सही हो, लेकिन जमींदारी के खात्मे से सबसे बड़ा नफा तो यह हुआ और वह सब को यकसां हुआ कि जो किसान था उसके और गवर्नमेंट के बीच में जो इंटरमीडियरी था वह हट गया, उसकी छाती पर जो आदमी सवार था, वह हट गया। वह अब पुराने जमींदार के मुकाबले में बराबर खड़ा हो सकता है। उससे बेगार नहीं ली जायगी। वह आंख से आंख मिला कर बात कर सकता है। वह लगान किसी को नहीं देता है। गांव में आज वह किसी से छोटा नहीं है। लगान उससे भी अमीन ही वसूल करने आता है और जो उसका पुराना जमींदार था, अगर उसके सीर या खुद-काश्त थी, तो उससे भी वसूल करने के लिये आता है। उसको इम्प्रूवमेंट करने के मुताल्लिक, बाग लगाने के मुताल्लिक, पूरी आजादी है। 'सिवाय राइट आफ ट्रान्सफर' के जो 'इन्सीडेन्स आफ ओनरशिप' होते हैं, वे सब उसको हासिल हैं जो कि भूमिधर को हासिल हैं। अब रहा यह कि उसको भी भूमिधर बना दिया जाय। ठीक है, बना दिया जाय। लेकिन भूमिधर तो, जो उसकी जमीन के मुआविजे में उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिये था, वह दे चुका है। अगर वह भी दे दे तो हमको कोई एतराज नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—वह इकट्ठा नहीं दे रहा है लेकिन साल ब साल तो दे रहा है।

श्री चरण सिंह—तो फिर ४० साल के बाद सोचा जायगा क्योंकि ४० साल में उसकी किश्त पूरी होगी।

श्री नागेश्वर प्रसाद—क्या यह माना जाय कि ४० साल में वह भूमिधर हो जायगा?

श्री चरण सिंह—अरे, तब तक गोमती में बहुत पानी बह चुका होगा। पता नहीं, तब तक मालगुजारी ही माफ हो जाय। इन्तजार करिये जैसे पहले ४७ फीसदी से घट कर अब २२ फीसदी मालगुजारी रह गई है, वैसे मैं समझता हूं कि धीरे-धीरे प्रोपोर्शन कम होगा और वह दिन दूर नहीं है जब कि सूबा तृप्ति कर चुका होगा और मालगुजारी का कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन मैं आज ही से कमिट कर दूं कि दस साल में या ५ साल में यह हो जायगा यह मेरे लिये मुनासिब नहीं है।

जिस वक्त हम जमींदारी 'एबालिशन फंड' की तरफ उनका ध्यान दिला रहे थे कि दो तुम्हारा इसमें फायदा है तो उस वक्त फिरोजाबाद की एक मीटिंग की बात मुझे अब तक याद है कि एक गैर सफेद टोपी पहने हुए नौजवान उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि क्या फायदा है 'राइट आफ ट्रान्सफर' दिलवाने से। इसमें तो उनका और नुकसान होगा। मैं उस नौजवान से एग्री नहीं करता था लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जो लोग

उस वक्त कहा करते थे कि 'राइट आफ ट्रान्सफर' देने से किसान को नुकसान है, शायद उनको आज यह कहने का हक नहीं है। यह जरूर है कि कोआपरेटिव सोसाइटी से कर्जा मिलने में पहले उन्हें दिक्कत होती थी क्योंकि वह जमानत चाहती थी और उसका कारण यह था कि कई दफा गच्चा खा चुकी थी लेकिन अब हमने उसमें अमेंडमेंट कर दिया है। उसकी वजह से अब 'राइट आफ ट्रांसफर' की जरूरत नहीं है और उसे कर्जा आसानी से मिल सकता है और इस काम के लिये सीरदार की जमीन 'ट्रान्सफरेबिल' समझी जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि कानून बड़ा पेचीदा है। आज कल शायद वकील इसलिये कानून ज्यादा नहीं पढ़ते हैं कि मेहनताना कम मिलता है और वकीलों की यह शिकायत है, किसान की यह शिकायत नहीं है। किसान को हमने यह कह दिया है कि जो अधिवासी थे, वह सब सीरदार हो गये। जिन आदमियों को पहले हक इन्तकाल रहा था चाहे जमींदार थे या काश्तकार, उन सबको हमने कहा कि तुम भूमिधर हो गये, और बाकी जो बचे वह सब सीरदार। पेचीदगी क्या है इसमें। हम तो जब गांव में जाते हैं, तो हमको तो मालूम होता है कि किसान अच्छी तरह से समझ रहे हैं, वकीलों से ज्यादा। अब अगर पेचीदगी हुई है तो उसमें कुछ कानूनी मजबूरियां हैं। इसके अलावा कुछ पेचीदगी इसलिये आ गई कि जो कानून आज है वह सन् ४९ में नहीं था। जो हमने संशोधन किये हैं, उसमें कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि जो पहले बेहतर था, उसको हमने मंसूख किया हो, या जो कदम हमने उठा लिया है, उसको पीछे हटाया हो। जो भी संशोधन हुए, वे 'लाजिकली' 'फालो' हुए इसलिये वह कानून बड़ा बन गया और कितना बड़ा है उपाध्यक्ष महोदय?

जो कारपोरेशन बिल आ रहा है, मैंने सुना है उसमें ५७८ दफायें हैं। जो कानून उत्तर प्रदेश के इतने ज्यादा किसानों से ताल्लुक रखता है जो १,१२,००० गांवों में रहते हैं, उसमें तो कुल ३४४ दफायें हैं, और जो कानून ५ शहरों से ताल्लुक रखता है, उसमें है ५७८ दफायें। तो यह बड़ा कहां से हुआ? फिर इसमें इतने 'वेराइटी आफ टेन्योर' हैं कि अगर मैं अपने किसी माननीय एम० एल० ए० से पूछूं कि वह बतलादें कि उनके क्षेत्र में कितने 'वेराइटी आफ टेन्योर' हैं, तो शायद उनको मालूम नहीं होगा। उसको रिड्यूस करके हमने सिर्फ तीन रखे, भूमिधर सीरदार और असामी। पेचीदगी तो इसलिये पैदा होती है कि जब कोर्ट में कोई मामला आता है, तो पुराने ऐक्ट का हवाला देना पड़ता है। सिम्प्लीफाई एक तरीके से हो जायगा और वह यह कि कम्पेन्सेशन देने के जो शुरू के दो तीन चैप्टर्स हैं उनको हटा दिया जाय। यह हो सकता है कि हम उन चैप्टर्स को ही अलग निकाल दें। 'जमींदारी एबालिशन ऐक्ट' और 'लैण्ड रिफार्म्स ऐक्ट' को अलग-अलग कर दें लेकिन तभी हो सकता है जब कि एक-एक केस हाईकोर्ट से तय हो जाय। तो जब माननीय मित्र ऐसी बात कहें, तो कुछ सोचें भी तो।

यह कहा गया कि कई टेन्योर्स हो गये। चार हो गये। चार वैसे हैं, लेकिन हैं तीन। अधिवासी तो कोई नहीं है। अब तीन रहे, जो असामी है उसको भी टेन्योर कहा जा रहा है। डिएबिल्ड जमींदार और सीरदार जरूर पैदा होते रहेंगे अंधे लंगड़े, लूले और विधवायें भी होती रहेंगी। उनको कैसे घटाया जाय? अगर कोई अपनी जमीन दे दे तो वह 'टेनेन्ट आफ बिल' होगा। तो असामी रहेंगे और यह कट नहीं सकते। यह हो सकता है भूमिधर और सीरदार को एक कर दिया जाय लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि जिनको, हमने दस गुना लेकर राइट्स दिये हैं उनमें और दूसरों में हमको फर्क रखना होगा। उनको भूमि के इंज्वायमेंट में कोई अन्तर नहीं होता लेकिन फर्क तो रहना चाहिये। तो इसलिये तीन से कम नहीं हो सकते। पहले तो ४२ थे और यह जो स्टेट्स मर्ज हुई हैं उनमें तो अलग-अलग कानून थे। ५२ गांव का स्टेट है और उसका कानून अलग

[श्री चरण सिंह]

है। उनको भी इसमें लायें। दो गांव का स्टेट है। तो बहुत ज्यादा कांप्लेक्सिटी थी, उसकी जगह तीन टैन्योर कर दिये तो यह सोचना चाहिये कि बहुत बड़ा काम हो गया। मैं तो कहूंगा कि एक हो जाय और एक भी न रहे तो अच्छा है।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—मैं इंफार्मेशन के लिये पूछना चाहता हूं कि बाहरी स्टेट में अलग कानून की बात मंत्री जी ने कही। वहां दो प्रकार के किसान थे एक ... और एक शाही। उनसे कर लिया जाता था। क्या मंत्री जी उसको लेते रहेंगे या वह बंद हो जायगा ?

श्री चरण सिंह—माननीय मित्र ने बिल्कुल टैन्योर की बात पूछ ली। मुझे याद नहीं है कि वे क्या देते थे, लेकिन हमने एलान कर दिया था कि हम उनसे वसूल नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, भूमि वितरण की बात और बम्बई की उसमें मिसाल दी गई। जिन मित्रों ने वह खबर पढ़ी है, उन्होंने यह भी पढ़ा होगा कि बम्बई में टेनेन्सी बिल पेश हो रहा है और वह टेनेन्सी ऐक्ट बनाने जा रहे हैं। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि बंबई की तुलना से नहीं दी जा सकती। अभी तो वह टेनेन्सी ऐक्ट पास कर रहे हैं। कोई और जगह की बात बतलाई जाय, जो हम से बढ़ गई हो और उसमें हम पीछे हों, तो उसकी मिसाल ठीक बैठेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, भूमि वितरण के मुताल्लिक जो मेरी अपनी राय है और जो यह सरकार उचित समझती है, वह इस किताब में दी जा चुकी है। १३ सफे इसके लिये डिवोट किये गये हैं। कदाचित इन कई मित्रों ने उसे पढ़ा हो। अगर पढ़ा होगा, तो मैं समझता हूं कि ९५ फीसदी मेरे ख्याल के हो जायंगे, और अगर नहीं पढ़ा है, तो इतना जरूर उनको फायदा रहेगा कि भूमि वितरण के प्रश्न पर वह बहुत जोश-खरोश के साथ बोल सकेंगे। लेकिन उसको पढ़ने के बाद वह जोश-खरोश उतना नहीं रहेगा, बस इतना कह सकता है कि चाहे एक लाख एकड़ ही रहे, तकसीम हो जाय तो ठीक है। मैं तो खुद ही छोटी होल्डिंग्स के हक में हूं, और 'कोआपरेटिव फार्मिंग' के मुताल्लिक, जो मेरी वजूहात हैं, उनमें एक वजह यह भी है। 'कोआपरेटिव फार्मिंग' के हक में जो लोग हैं, कहते हैं कि अगर वह हो जायगी, तो बड़े फार्म्स होंगे, ज्यादा टेक्नोलॉजीज

मैं नहीं समझ पाता कि वह 'लैण्ड-रिडिस्ट्रिब्यूशन' के हक में कैसे हैं। खैर, मैं कोआपरेटिव फार्मिंग के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं तो कतई इस बात की जरूरत समझता हूं कि छोटे छोटे खेत हों, उनमें पैदावार बढ़ेगी और लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा। उसमें जो वर्कर्स हैं वही ओनर होंगे और वह डेमोक्रेटिक होंगे। 'पीजेन्ट प्रोपराइटर्स' दुनिया में सब से बड़ी डेमोक्रेटिक होती है। वही हमारी प्रजातन्त्र की मजबूत रीढ़ होगी। जब हमारे देश में किसानों की संख्या अधिक होगी, तो शान्ति भी अधिक होगी, क्योंकि किसान लड़ाई को पसन्द नहीं करते हैं। इसलिये मेरा कहना यह है कि मैं छोटी-छोटी होल्डिंग के हक में होते हुये भी और उसको देश के हित में समझते हुए भी, अपने इस सूबे के लिये गैर जरूरी केवल यों मानता हूं कि जो कल्टीवेशन की जमीन डिस्ट्रिब्यूशन के लिये मिलती है वह बहुत थोड़ी है। सन् १३५३ फसली के आंकड़ों के हिसाब से हमको करीब २ लाख ७० हजार एकड़ जमीन तकसीम के लिये मिलती है, तो वह अगर छोटे-छोटे किसानों को बट जाय, तो इससे कितना अन्तर आयेगा ?

यहां पर मुझको एक कहानी याद आती है जो कि मैंने दर्जा २ में पढ़ी थी। एक सईस ने कहीं दूर जाने के लिये तय किया। रात हो गयी दिन छिप गया। यह रूस का किस्सा है,

वहां पर साइबेरिया में गांव बहुत दूर होते हैं। तो जब दिन छिप गया उनको भेड़ियों ने आ घेरा। स्वामीभक्त के नाम से वह कहानी थी। उनके साथ उनका मालिक भी था और साथ में ४ घोड़े भी थे। जब भेड़िये ने घेरा तो उस सईस ने एक घोड़े को खोल दिया। उसके बाद वह थोड़ी दूर गये थे। उस घोड़े को उन्होंने खा लिया और फिर उनको आ घेरा। उस सईस ने फिर दूसरा घोड़ा खोल दिया। वे उसको भी खा गये और थोड़ी दूर चलने पर उनको फिर आ घेरा। उस सईस ने फिर तीसरा घोड़ा खोल दिया। ४ मील चलने पर वह फिर लपके। शहर वहां से नजदीक नहीं था। जब भेड़ियों ने घेरा तो फिर स्वामीभक्त जो वह सईस था, वह नीचे कूद पड़ा। अपने स्वामी और बच्चों की जान बचाने के लिये वह आगे आया और इतने में ही शहर आ गया।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि भेड़िये रूपी जो यह गरीबी है इस सूबे की, वह ४, ५ लाख एकड़ रूपी घोड़े को खा लेने से कम होने वाली नहीं है। एक

हल होगी

और जैसा कि 'प्लानिंग कमीशन' ने कहा है सन्तति-निरोध से यह समस्या हल हो सकती है।

कोआपरेटिव फार्मिंग के मुताल्लिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र जो 'कोआपरेटिव फार्मिंग' की बात करते हैं, वह इस पर गौर करें, हो सकता है वह मेरी फैलिसी हो। जो जमीन खेती के लिये मार्क है, उसमें कोआपरेटिव से क्या फर्क पड़ जाता है। अगर ५० एकड़ १०० आदमियों के पीछे, यानी कोई १ एकड़ जोतता है, कोई २, कोई ३ एकड़ जोतता है, और अगर हम सारी जमीन को इकट्ठा कर दें, और सारे आदमी मिल कर उसमें काम करने लगें, तो जो काम करने वाले हैं या इन्सान हैं, उनकी जितनी एकड़ है और उनका जो अनुपात है, क्या उसमें कुछ फर्क पड़ जायगा? क्या वह जमीन बढ़ जायगी? नहीं। जहां ३० साल से 'कोआपरेटिव' या 'कलेक्टिव फार्मिंग'' रही है और जहां भूमि पूरी हो गई है और एक मैनेजमेंट के मातहत काम होता है, कई हजार एकड़ के फार्म हो गए हैं और ट्रैक्टर चलते हैं, क्या वहां पैदावार बढ़ गई है? नहीं।

श्री रामसिंह चौहान, वैद्य (जिला आगरा) यह रूस की बात 'कोआपरेटिव फार्मिंग' की जो कर रहे हैं, क्या उसके सम्बन्ध में कोई आंकड़े हैं या वह घूम कर आये हैं?

श्री चरण सिंह--अगर आपने नाम सुना हो तो कालिन क्लार्क, इन्टरनेशनल फेम के इकोनामिस्ट, ने अगस्त सन् ५३ में एक आर्टिकिल लिखा है--वह है 'इंटरनेशनल लेबर रिव्यू', यहां मिल जायगा, देख सकते हैं। उनकी २६ देशों की दी हुई टेबिल है जिससे जाहिर होता है कि खेती की पैदावार के लिहाज से यू० एस० एस० आर०, यूगोस्लाविया और टर्की तीनों एक जगह हैं। इनसे कम पैदावार के देश केवल दो हैं, फिलीपाइन्स और इन्डिया। पोलैण्ड, रूमानिया, इटैली, ब्राजील, ग्रीस साइप्रस, हंगरी, फ्रांस, स्विटज़रलैण्ड, सीरिया, जर्मनी, ज़ेकोस्लावाकिया, बेल्जियम, नीदरलैण्ड, डेनमार्क, इन सारे देशों में किसान स्वयं अपनी अलग-अलग खेती करते हैं और उनकी पैदवार रूस के मुकाबले में २ गुनी, ३ गुनी और ४ गुनी फी एकड़ मौजूद है। मैंने भी इकोनामिस्ट्स की बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, ''यूं कहते हैं कि जितनी सन् १३ में थीं उससे जाकर सन् ३६ में बहुत हो गई हैं। कभी कंपरेटिव फीगर्स यह नहीं देखेंगे कि जहां-जहां सन् ३६ में लोग अलग-अलग खेती करते थे, 'पीजेन्ट प्रोप्राइटर्स', उनकी क्या बात है।

श्री राघवेंद्रप्रताप सिंह--मेरा सुझाव है कि ५ मिनट और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की ऐसी राय है?

(कोई आपत्ति नहीं की गई।)

श्री चरण सिंह—दो बातें मुझे कहनी हैं। एक तो गरीब लेखपाल से मुझे बड़ी हमदर्दी है, लेकिन मेरे दोस्त उससे नाराज हैं। दरअसल वह अब इतनी नाराजगी का आबजेक्ट होना नहीं चाहिये। हमने उसके अधिकार बहुत कम कर दिये हैं। उसे केवल खसरे को तैयार करने में इस्तेमाल करने का अधिकार है। केवल ५ फीसदी हमने अधिकार रखा है। कोई भी कानून आप बना लीजिये, पेचीदगी तभी होगी जब कि किसान और उसके सेवक कुछ समझेंगे और समझायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जी में एक गुस्ताखी करने की आ रही थी लेकिन अपनी तबियत को रोक रहा हूं। वह यह कि अगर मैं यह पूछ बैठूं और उनका इम्तहान ले बैठूं कि "लैन्ड लाज" के अनुसार पहले पटवारी को कितने अधिकार थे और अब लेखपाल के कितने अधिकार रह गये हैं, तो मैं समझता हूं कि उसके इम्तहान में १० प्रतिशत भी पास न होंगे। न मालूम कितनी पब्लिक मीटिंग्स में जाकर यह समझाया, और पंचायतराज पत्रिका में लेख लिखे गये, लेकिन पढ़े-लिखे जनता के सेवकों ने उनको पढ़ने की तकलीफ गवारा नहीं की। तब किसान उसको कैसे पढ़े। वह तो पढ़ा हुआ है नहीं। उसमें तो मौखिक प्रचार ही करना होगा। अब उस प्रचार को तहसीलदार करे या रेवेन्यू मिनिस्टर करे? वह तो आपको ही करना है। अब हममें से कितने ऐसा प्रचार कर रहे हैं? माननीय राजा साहब को तो शिकायत नहीं होनी चाहिये थी; जब वे काश्तकार और गरीबों की बात कह रहे थे, तो मैंने अपनी आंखें मलीं। पिछली साल तक जिला कांग्रेस कमेटी स्वयं उनके हाथ में थी, उस वक्त आपको मौका था। ठाकुर बलदेव सिंह जी के हाथ में थी, उनको भी उस जमाने में मौका था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कितनी मीटिंग्स कीं और किसानों को 'एग्रेरियन रिफार्म्स' के बारे में क्या समझाया,

हूं कि कितनी मीटिंग्स

मन दी; उसको कोई अधिकार नहीं है, सभापति को नकल देने का अधिकार है। मैं यह शिकायत राजा साहब से करता हूं।

श्री [illegible] सिंह—चौधरी साहब ने गोंडा आने के लिये कितनी मर्तबा तकलीफ गवारा की?

श्री चरण सिंह—मैं क्या अकेला आता। कितनी मर्तबा मुझे बुलाया गया? एक बार भी नहीं। शहर की मीटिंग्स में दो बार बुलाया गया और दोनों बार मैं गया। तो फैक्ट यह है कि यह मेरी और आपकी ज्यादती है, यह कानून की खराबी नहीं है। हम किसानों को समझाते नहीं हैं। हमारे कानून के अनुसार तो शिकमी और दखीलकार को भी जमीन मिल गयी। उनके पास ५८ लाख एकड़ जमीन है और २५ लाख एकड़ जमीन ऐसे छोटे-छोटे किसानों के पास है जिनके पास ७—७ बिस्वा, १—१ और २—२ एकड़ जमीन है। एक तरफ कलेक्टर बैठे हैं, डिप्टी कलेक्टर बैठे हैं, पटवारी और राजा साहब बैठे हैं। जब किसान से पूछा कि किसकी जमीन है? वह कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है और इन्कार कर देता है कि मेरा कब्जा नहीं है। अब बताइये मैं आऊंगा उनको खड़ा करने के लिये, उनकी पीठ में लोहे की सलाख डालने के लिये जो कि जमींदारों के अत्याचार से रबड़ कर दी गयी है। कई मीटिंग्स में मैंने कहा और बलिया में तो लोगों ने इसका बुरा भी माना। मैंने कहा—'ऐ किसानों, ऐ शिकमियों, तुमको हक दे दिया गया है। ये छोटा सा खेत तुम्हारा है। जो तुम्हारे छोटे से खेत की मेंड़ पर आये, उसके अन्दर की तरफ आये तो तुम लाठी उठा लो। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि १०—२० मर जायें। लोग नाराज हो गये और कहा कि तुम कम्युनिज्म प्रीच करते हो।

लेकिन हमारा कानून कहता है कि हम अपनी लाइफ और प्रोपर्टी की हिफाजत में लाठी उठा सकते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--आपके ऐसा कहने से शिकमी किसानों का कत्ल हो गया।

श्री चरणसिंह--कोई हर्ज नहीं। अच्छा, तो मैं पूछता हूं कि वे क्या करें। जब जमींदार लाठी लेकर आये, तो क्या वे खेत छोड़ कर भाग जाय? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट यह महसूस करती है कि जितना उनमें सोशल कान्शसनेस है, उससे ज्यादा राइट्स उनको दे दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय मंत्री जी और समय मांगना चाहें तो मांग लें।

श्री चरणसिंह--मुझे १५ मिनट और समय दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि ५ बज कर २० मिनट तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, यहां शिकमी को अधिकार देने की बात कही गयी है। मेरे माननीय मित्र इस पर विचार करें कि कहीं पर भी ट्रेसपासर को जमीन का हक नहीं मिला है। इस हिन्दुस्तान में केवल एक स्टेट देहली है जिसका रकबा ३,८७,००० एकड़ है। उन्होंने हमारी नकल करके शिकमी को अधिकार दिया है। बाकी सेकेंड फाइव इयर्स प्लान को उठा कर देख लीजिये, उनकी सब कमेटी की रिपोर्ट को उठा कर देख लीजिये, कहीं भी ट्रेसपासर्स को राइट नहीं दिया गया है, लेकिन हमने अपने यहां उनको राइट्स दिया है वे राइट्स केवल तहसीलदार आफिशियल मशीनरी या लैण्ड रिफार्म्स कमिश्नर के रिकमेंडेशन पर नहीं बल्कि उनमें एक सामाजिक रेवोल्यूशन हुआ है, उस बिना पर दिये गये हैं। श्री अवधेश प्रताप सिंह नहीं हैं, उन्होंने कहा कि वह रेवोल्यूशन ही क्या हुआ जब कि टैक्स की माफी नहीं हुई? मैंने आज तक नहीं सुना है कि टैक्स की माफी को ही रेवोल्यूशन कहा जाता है। एक आदमी को दूसरे आदमी के समान अधिकार मिले, जो कानूनी राहत है वह सब को मिले, जो पुरानी बुनियाद है उसमें रेवोल्यूशन हो जाय, रेवोल्यूशन के माने हैं चक्कर, वह चक्कर १० डिग्री से बढ़ कर ३६० डिग्री का हो जाय, तो वह पूरा रेवोल्यूशन हुआ। मान लीजिये पांच आदमी गांव के हैं ख्वाह वे पुराने जमींदार हों, ख्वाह काश्तकार हों, ख्वाह लम्बरदार हों, ख्वाह शिकमी हों, ख्वाह गासिर हों, ख्वाह रियाया हों; गांव के जितने बसने वाले हैं, अब कोई एक दूसरे के आसरे नहीं है, सब एक दूसरे से स्वतंत्र है। यह जो रेवोल्यूशन हुआ है उसमें लोगों में इंसेंटिव मिला है कि वे अपनी पैदावार को बढ़ावें।

अगर हम यहां १० जमींदारों को फांसी दे दें, तो सारे हिन्दुस्तान में खबर फैला दी जायगी, दुनियां के परदे पर इसकी खबर चली जायगी। किसी गांव में कत्ल हो जाय, तो वह स्वतंत्र भारत और नवजीवन में तो छप ही जायगी, देहली के अखबार में भी वह खबर छप जायगी। लेकिन अगर दस जमींदारों को फांसी पर चढ़ा दें, तो दुनियां में शोहरत हो जायगी तो उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो अपने यहां जमींदारी खत्म की, वह भाई को भाई कह कर खत्म की। जमींदारों को उसके लिये मुआविजा देकर खत्म की। "इट वाज नाट ऐन अमेंडमेंट, इट वाज ए चेंज" उसको एक दूसरे से स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया, तो उस की कोई शोहरत नहीं हुई, क्योंकि उसमें कोई आदमी कत्ल नहीं हुआ, किसी का खून नहीं बहा। हमने गांधी जी के उसूल से जमींदारी खत्म की, कानून से खत्म की, भाई को भाई कहकर खत्म की और हम समझते हैं कि यह क्रांति देर तक चलने वाली है और यह मुस्तकिल होगी और भाई से भाई की दुश्मनी हम ने नहीं कराई। रही टैक्स की बात उससे इसका कोई मतलब नहीं है।

[श्री चरणसिंह]

यह जो क्रान्ति हुई है उसका लुत्फ तो तभी आयेगा, जब हम सब मिलकर लोगों को समझायेंगे इस से लुत्फ नहीं आयेगा कि लेखपाल को निकाल दो और गांव के सरपंच को हटा दो। किसी ने कहा कि पी० आर० डी० वाले रख दो। किसी को भी रख दो, वह गरीब जो है, वह तो सब का शिकार बन जायगा, वह तो दो रुपये रिश्वत के दे ही देता है, उस को तो शक ही रहता है कि दा रुपया नहीं दोगे तो काम नहीं बनेगा, यहां तक बात है, वह तो लाचार है, और इसका कारण उस की नावाकफियत है, (इगनोरेन्स है) और उस का सेपरेशन है। कानून तो अब उसको मौका देता है लेकिन अब वह अपने पैरों पर तभी खड़ा हो सकता है, जब हमारी जो कांग्रेस कमेटियां हैं, जो भी प्रजासोशलिस्ट पार्टी है, जो सोशलिस्ट पार्टी है, जो जनसंघ है या जो भी पार्टियां या यूनियन्स हैं और जितने भी पब्लिक वर्कर्स हैं, वह सब उन को समझाने की, उन को उठाने की, सही कोशिश करें।

पहले यह जो चीनी कौम है वह बड़ी कावर्ड मानी जाती थी और उनकी सोसायटी में सिपाही का स्थान सब से नीचा माना जाता था और उसको बड़ी हिकारत की नजर से देखा जाता था. जब कि हमारे देश में तो उसका स्थान दूसरे नम्बर पर था, पहला विद्वान् का और दूसरा क्षत्री का, और हमने तो बहादुर लोगों को या क्षत्रियों को ही अपना अवतार बना लिया. लिहाजा यहां हमेशा से बहादुर का आदर रहा है, यहां के लोग बहादुर थे। लेकिन उन्हीं चीनियों को जो बहुत कावर्ड थे, बहुत हद तक तो चांगकाई शेक ने बहादुर बनाया और बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ने उन मुर्दों में जान फूंकी और उनके हाथ में तलवार देकर उनको यहां तक बहादुर बनाया कि उन्होंने अमरीका जैसे मुल्क की बड़ी से बड़ी तोपों का कोरिया में मुकाबिला किया और साबित कर दिया कि वह अब एक बहादुर कौम हो गई है। तो वह बहादुर सिपाही वहां कैसे पैदा हुये। यह सब वहां पर नानआफिशियल प्रचार से हुआ।

इसी तरह से यहां के किसानों को कोई सरकार के कानून से नहीं उठा सकता, उनकी मदद तहसीलदार या लेखपाल नहीं कर सकता। वह तो हमारा और आप का फर्ज है कि हम अपनी जिम्मेदारी उसके प्रति समझें और उसको समझावें कि लेखपाल अगर चोर है, वह नकल नहीं देता तो वह मुझ को चिट्ठी लिखे, आप को लिखे, गांव समाज मैनुअल उस के लिये बना दिया गया, उस के लिये "नाऊ ऐन्ड देन" लिख दिया, "भू—क्रांति" लिख दो। वह उस को समझाइये उस को कथा जिस तरह से होती है, वह उसे सुनाइये—इसी में परमार्थ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लोग गांवों में उन को उनके अधिकार और कर्त्तव्य बतावें तभी गांव समाज और किसान को हम उठा सकते हैं और लेखपाल के अत्याचार से बचा सकते हैं।

एक साहब ने कहा कि गांव के पंच बड़ी बेईमानी करते हैं। हमने माना कि वह ऐसा करते होंगे लेकिन सवाल यह है कि फिर हम किस को वह अधिकार दे दें? जब हमने किसी और को अधिकार देने की बात कही तो उनको खटकी। हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, पहला यह कि हम कलेक्टर को पूरी पावर दे दें उसको भी देंगे तो फिर वह अधिकार लेखपाल के पास ही पहुंचेंगे, क्योंकि कलेक्टर के पास तो ७,००० गांवों को देखने का समय होता नहीं। दूसरा रास्ता यही था कि हम गांव के प्रतिनिधियों को यह अधिकार दें, हमने यही किया कि उनको अधिकार दिया और 'रेजीडुअरी पावर' कलेक्टर को दे दो। अब अगर गांव के पंचायत के आदमी बेईमानी करते हैं तो उनके जमीन देने या एनक्रोचमेंट के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करता, तो यह जिम्मेदारी किसकी है, उस के लिये यह सरकार जिम्मेदार नहीं है, उसके लिये तो हम सब को चाहिये कि हम कोशिश करें और समझायें कि हमारे आदमी वहां उन गांव पंचायतों को ठीक तरह से चलावें। वह बेस है सारे हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन की। अगर हम करना चाहें तो आज ही किसी कानून में तरमीम कर सकते हैं, लेकिन कानून से उनको ईमानदार नहीं बनाया जा सकता।

यह कहा जाता है कि केसेज बहुत पेंडिंग हैं। ठीक है, केसेज हैं। लेकिन कभी इसका विचार किया कि क्यों पेंडिंग हैं? इतना काम क्यों रुक गया? छोड़े देता हूं पुरानी

बातों को। ३४ लाख तो कलेक्शन ड्राइव मे मिस्टेक्स थीं १९५४ में और तीन जिलों में, बिजनौर शाहजहांपुर और जौनपुर मे अब भी मिस्टेक्स हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा काम वह है जो हमने कहा कि अधिवासी एकदम सीरदार हो गये। लेकिन दफा २४० (जी) में यह है कि जब नोटिफिकेशन निकाले कि सीरदार हो गये, तो उनका कम्पेनसेशन तैयार होगा। उसके तैयार करने मे कितने फार्म और रजिस्टर और दुनिया भर के कागजात भरने और बनाने पड़ते हैं। अब जब कम्पेनसेशन तैयार हो गया, तो उसकी नोटिस हर लैन्ड होल्डर को जायगी जितने ५८ लाख अधिवासी थे, जो सीरदार हो गये, उनके जितने लैन्ड होल्डर्स थे, सब पर नोटिस जायगी कि यह कम्पनसेशन तय हुआ है, तुमको कुछ कहना है? उनकी तादाद ४२ या ४३ लाख के करीब थी। ५८ लाख अधिवासियों के ४३ लाख के करीब लैंड होल्डर्स थे। कहा जाता है कि क्यों नोटिस दी? इसलिये कि ताकि यह कहने का मौका मिले कि यह अधिवासी नहीं था, असामी होना चाहिये। "मै विधवा थी जिस वक्त जमीन दी" यह सीरदार नहीं होना चाहिये, तो यह सब अपॉर्चुनिटीज दी जायं और तब फैसला किया जाय कि वह सीरदार हो सकता है या असामी। अब नोटिस जाने के बाद लाखों उज्रदारी हुई, फिर उन उज्रदारियों का नोटिस उनको दिया गया, इस तरह से आप सोच सकते है कि कितना काम मल्टिपिल हो गया। तो अब दो साल के लिये कोई भी तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर बनने के लिये न आयेगा और यह भी नहीं कि दो साल में मुकदमे करने लायक हो जायगा। और फिर अगर कोई आये भी, तो दो साल बाद यह हजारों कहां जायेंगे? इसलिए हमको पुराने स्टाफ से जैसे तैसे काम करना पड़ा। इसलिये काम इकट्ठा हो गया। कितना 'स्टूपेन्ड्स' काम था, कोई इसका इलाज बताता है? कोई इलाज नहीं।

रही मुकदमे बाजी की, तो ऊपर के रैक्स में मुकदमेबाजी कम है। हमने जो ऐडीशनल कमिश्नर रखे थे, जिनके यहां फर्स्ट अपील होती है, उनके यहां केसेज कम हो गये। लेकिन सीरदारी के झगड़े बहुत है, इसमें अभी देर लगेगी, शायद साल भर और लगेगा, तब सफाई होगी। जैसा मैंने बताया, देर इसलिये लगती है कि लिटिगेशन्स लोवर कोर्ट्स मे ज्यादा हैं। मैंने खुद अपने लीगल रिमेम्बरेंसर से कहा था कि तुम क्या दफा बना रहे हो कि सबको नोटिस जाय, क्योंकि मैं जानता था कि काम बहुत बढ़ जायेगा और लोगों को अदालत आने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तारीखे बढ़ेंगी, लोग आते जाते परेशान हो जायेंगे, मुझे यह मालूम था। लेकिन कांस्टीट्यूशन की मजबूरी थी कि नोटिस जाना जरूरी था। मै जानता हूं कि लोग परेशान है लेकिन उसका इलाज कुछ नहीं सिवाय इसके कि १३५६ फसली की 'मीअर ऐंट्री' आपको राइट देती है। तो क्या आप इतना भी नहीं समझा सकते।

बदायूं के बारे में एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि २० हजार किसान थे, उनका नाम दर्ज नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं कि चकबंदी के जरिये १७ हजार के नाम दर्ज हो चुके हैं, जिनके नाम नहीं थे मैंने चकबंदी के दफ्तर से रिपोर्ट मंगाई थी लेकिन वहां छुट्टी हो गई, इसलिये पूरी जानकारी, रिपोर्ट नहीं आ सकी। लेकिन वहां १७ हजार आदमी सीरदार दर्ज हो गये, जिनके नाम दर्ज नहीं थे।

हां, एक बात राजा साहब सिंगरौली ने कही थी उसका जवाब भी मेरे पास है, वह इत्तिला उनको गलत थी। वह कल्पनाथ को तो दो एकड़ मिली, और रामसुमेर को दो बीघे भूमि मिली, और उनमें आपस में फैसला हो गया।

खैर, इन शब्दों के साथ मैं, उपाध्यक्ष महोदय, अपने माननीय मित्रों को बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे कुछ सुझाव दिये, और उन्होंने नुक्ताचीनी की, उसका भी मैं स्वागत करता क्योंकि नुक्ताचीनी अगर नहीं रहेगी तो मै और मेरा डिपार्टमेन्ट दोनों सो जायेंगे। मैं कोई बुरा नहीं मानता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २ में १ रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—मालगुजारी (भू-राजस्व)—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी के अन्तर्गत ५,५०,१२,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १६ मिनट पर सोमवार, ५ अगस्त, १९५७ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ ;
३ अगस्त, १९५७।

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—९५ एल० ए०—१९५७—७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ५ अगस्त, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३५१)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
असग़र अली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एम० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविंदसहाय, श्री
गोविंदसिंह बिष्ट, श्री

गौरीराम गुप्ता, श्री
गौरी शंकर, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जंगबहादुरसिंह बिष्ट, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
डीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री

बिन्दुमती दास, श्रीमती
विशम्भरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुनाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री

रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरत्नीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूपवर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्राम राय, श्री
विश्वेशरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्री कृष्णगोयल, श्री
श्री कृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री

सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
[illegible] सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ५ अगस्त, १९५७ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सरकारी कर्मचारियों को हिल एलाउन्स देने की सिफारिश

**१--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)--क्या सरकार सभी श्रेणी के कर्मचारियों को सन् १९५१ के पहले की भांति "हिल-एलाउन्स" (Hill allowance) फिर से प्रदान करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जी नहीं ।

राजनीतिक बन्दियों को जेल में सुविधायें देने का सुझाव

**२--श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह राजनैतिक बंदियों को उच्च श्रेणी की सुविधायें देने की बात सोच रही है ?

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)--राजनैतिक बन्दी नाम का कोई वर्ग जेल में नहीं है अतः प्रश्न नहीं उठता ।

ललितपुर आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत के बोर्ड आफ कंट्रोल का भंग होना

**३--श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत का ललितपुर आयुर्वेदिक कालेज का बोर्ड आफ कंट्रोल कब और किन परिस्थितियों में भंग किया गया तथा तब से उक्त कालेज की व्यवस्था किन के हाथों में है ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--विगत जनवरी के अन्तिम सप्ताह में कालेज के विद्यार्थियों ने बोर्ड आफ कन्ट्रोल के अध्यक्ष तथा मेम्बरों से अपनी मांगें पूर्ण न होने के कारण त्याग-पत्रों की मांग की तथा उनके मकानों पर धरना दिया तथा सांकेतिक भूख हड़ताल की। तदुपरान्त अध्यक्ष तथा सदस्यों ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिये और कालेज के प्रबन्ध का उत्तरादायित्व छोड़ दिया। तबसे कालेज के प्रबंध की व्यवस्था को चालू रखने के हेतु कलेक्टर महोदय ने प्रबंध व्यवस्था अस्थायी रूप से अपने हाथों में ले रक्खी है ।

**४--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कालेज के पुराने बोर्ड आफ कंट्रोल के भंग करने के बाद नया बोर्ड आफ कन्ट्रोल अभी तक क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--नयी प्रबन्धकारिणी समिति बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। नयी समिति बनाने के आदेश जारी करने में कुछ कानूनी दिक्कतें पड़ रही है जो देरी का कारण हैं ।

आजमगढ़ जिले की कोपागंज टाउन एरिया में निर्वाचन कराने पर विचार

**५--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बतायेगी कि कोपागंज टाउन एरिया (जिला आजमगढ़) जो "सुपरसीड" कर ली गई है, का पुनः कब चुनाव कराने का वह विचार कर रही है ?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)--कोपागंज टाउन एरिया में आगामी अक्तूबर में सामान्य निर्वाचनों के साथ चुनाव कराने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पर अंतिम निर्णय हो जाने की आशा कब तक है ?

श्री रामस्वरूप यादव--एक सप्ताह के अन्दर ही अन्तिम निर्णय हो जायगा।

मऊ पावर हाउस के गन्दे पानी की निकासी का ड्रेन टूट जाना

**६--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार बतायेगी कि मऊ पावर हाउस के गन्दे पानी की निकासी के लिये जो ड्रेन टौंस तक ५० हजार की लागत से बनाई गई थी वह इस साल बरसात के पहले पानी पड़ने पर टूट कर नष्ट-भ्रष्ट हो गई है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)--जी हां।

**७--श्री झारखंडे राय--यदि हां, तो क्या सरकार इसका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह--पूर्ण विवरण मंगाया गया है। जो कुछ विवरण मिल सका है इसके साथ नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३२२ पर)

श्री झारखंडे राय--क्या मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इसकी जांच किसके जरिये कराई जा रही है ?

श्री धर्मसिंह--एक्जिक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस योजना का ठेकेदार कौन था और उसके खिलाफ भी कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। जैसा कि प्रश्न के उत्तर में कहा जा चुका है वह सूचना अभी बाकी है और इकट्ठी की जा रही है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री इसका पूर्ण विवरण प्राप्त हो जाने पर उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह--जी हां, रख दिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या वित्त मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि ड्रेन में जो ५० हजार रुपये की लागत का नुकसान हुआ है, क्या उसका सम्बन्ध एक्जिक्यूटिव इंजीनियर से था ?

श्री धर्मसिंह--५० हजार रुपये की लागत उसमें नहीं लगी। जो इंफार्मेशन दी गई है उसके अनुसार २९ हजार रुपये की बनाई गई थी और टूटने से ७०० रुपये का नुकसान हुआ है, जो ठीक कर दिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय——एक्जिक्यूटिव इंजीनियर से इसका सम्बन्ध था या नहीं, इसका जवाब नहीं मिला ?

श्री धर्मसिंह——जैसा कि अर्ज किया इंफार्मेशन आने पर वह कार्यवाही की जायगी ।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)——क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कार्य का ठेकेदार कौन था ?

श्री धर्मसिंह——नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय——क्या माननीय वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जब इसका सम्बन्ध एक्जिक्यूटिव इंजीनियर से था तो दूसरे आफिसर्स जो उसके ऊपर के हों उनके द्वारा जांच कराने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री धर्मसिंह——यदि सरकार एक्जिक्यूटिव इंजीनियर की रिपोर्ट से किसी तरीके से संतुष्ट नहीं हो सकेगी तो वह बाद में विचार किया जायगा, इस वक्त कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री झारखंडे राय——क्या माननीय मंत्री को इस बात की सूचना है कि जो इस कार्य का ठेकेदार था वह एक्जिक्यूटिव इंजीनियर का सम्बन्धी था ?

श्री धर्मसिंह——इस बात के लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

इटावा जिले में अहेरीपुर महोबा सड़क के निर्माण के लिये अनुदान की मांग

**८——श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अहेरीपुर और महोबा की जो जिला बोर्ड की सड़क इटावा जिला में बन रही है उसके लिये सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को कितना अनुदान दिया ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)——इस सड़क के लिये सरकार ने कोई अनुदान नहीं दिया है । सरकार जिला बोर्डों को केवल उन सड़कों के लिये अनुदान देती है जो सार्वजनिक निर्माण विभाग से उनको १९५२ में वापस की गई थीं । यह सड़क उन सड़कों में नहीं है ।

**९——श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)——क्या यह सत्य है कि सड़क अनुदान प्राप्त करने के बाद भी तीन साल से पड़ी है और अभी तक नहीं बन सकी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा——प्रश्न नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिलान्तर्गत दोहरीघाट पम्प नहर में ली गई अयमा गांव पवनी की भूमि का मुआवजा

*१——श्री रामसुन्दर पांडेय——क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट पम्प नहर के निर्माण के लिये ली गई भूमि का मुआवजा आजमगढ़ जिले के अयमा गांव से पवनी तक कितना है और कितना दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)——दोहरीघाट पम्प नहर के निर्माण के लिये आजमगढ़ जिले के अयमा गांव से पवनी के बीच की ली गई जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं दिया जा सका है । लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और मुआविजे का लेखा बनाया जा रहा है । तैयार होने पर मुआवजा बांट दिया जावेगा । चूंकि लेखा अभी तैयार हो रहा है इस लिये अभी यह नहीं बताया जा सकता है कि मुआविजे की कुल धनराशि कितनी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस जमीन पर नहर के निर्माण का काम कब से प्रारम्भ हुआ था ?

श्री राममूर्ति--मुझे ठीक तारीख तो मालूम नहीं है। यदि आप जानना चाहेंगे तो मैं मालूम कर लूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अनुसार विज्ञप्ति जारी करने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--मान्यवर, मैंने सदन में कई बार बताया है कि एरियर्स बहुत इकट्ठे हो गये थे। लेकिन अब ३१ जुलाई तक सब कागजात तैयार हो चुके हैं और हम लैण्ड एक्वीजीशन के सिलसिले में अफसरान की तादाद बढ़ा रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि तीन चार महीने में काम हो जाय। लेकिन ६ महीने में तो यह सारा बंट ही जायगा।

आजमगढ़ जिले में 'हाहानाला' पर रेगुलेटर लगाने में विलम्ब

*२--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "हाहानाला" बांध योजना जिला आजमगढ़ का "रेगुलेटर" कब तक बन जायेगा ?

श्री राममूर्ति--आशा की जाती है कि दिसम्बर, १९५७ के अन्त तक हाहानाला पर रेगुलेटर बन जायेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस हाहा-नाले पर रेगुलेटर लगाने की योजना कब से है और विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--हाहानाले की योजना का जहां तक ताल्लुक है सिविल वर्क्स बन कर तैयार हो गये हैं खाली फाटक लगाने की बातचीत है वह दिसम्बर तक जरूर लग जायगा।

आजमगढ़ जिले में 'चंवर ताल' योजना

*३--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "चंवरताल" योजना जिला आजमगढ़ पर काम कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री राममूर्ति--चंवरताल योजना पर कार्य आरम्भ हो चुका है।

खटीमा पावर हाउस के कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ता

*४--श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खटीमा बिजलीघर के कर्मचारियों को क्या-क्या वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधायें मिलती हैं ?

श्री धर्मसिंह--खटीमा बिजलीघर के कर्मचारियों को सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन, महंगाई एवं कम्पेन्सेटरी के एलाउन्स तथा सुविधाओं का विवरण संलग्न है। इसके अलावा सरकारी कार्य के लिये दौरा करने पर कर्मचारियों को नियमानुसार दौरा भत्ता मिलता है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३२३-३२५ पर)

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खटीमा बिजली घर के १०० रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की क्या संख्या है ?

श्री धर्मसिंह--वह तो आपके विवरण में दिया गया है और सूची में है।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १०० रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के रहने की क्या व्यवस्था है ?

श्री धर्मसिंह--जहां तक हो सकता है कोशिश की जाती है कि वहीं पर उनके रहने के लिये प्रबन्ध किया जाय।

श्री प्रतापसिंह--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको हाउस एलाउन्स मिलता है? यदि हां, तो कितना?

श्री धर्मसिंह--नोटिस की आवश्यकता है।

*५--श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--[१२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ७ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*६--श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

अम्बर चर्खे द्वारा काटन इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की योजना

*७--श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अम्बर चर्खे के द्वारा काटन इन्डस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए उसकी क्या योजना है तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस योजना से कितने बेरोजगारों को काम दिलाने की स्कीम है?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)--चालू वित्तीय वर्ष में ६,००० अम्बर चर्खा चालू करके १२,००० लोगों को ट्रेनिंग देने की योजना राज्य सरकार ने बना कर अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को विचारार्थ एवं आर्थिक सहायता देने के लिए भेजी है। आयोग द्वारा योजना स्वीकार हो जाने पर ही यह निश्चय किया जा सकता है कि इसके द्वारा कितने लोगों को कार्य मिलेगा।

श्री रामहेत सिंह--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अम्बर चर्खे की ट्रेनिंग और खरीदने पर जो व्यय होगा वह भारतीय खादी ग्रामोद्योग द्वारा होगा या उत्तर प्रदेश सरकार उसमें खर्च करेगी?

श्री रऊफ जाफरी--जो योजना भेजी गई है उसके अनुसार कुल खर्चा खादी कमीशन के द्वारा होगा।

श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस स्कीम को किन-किन जिलों में खोले जाने के लिये सरकार विचार कर रही है?

श्री रऊफ जाफरी--जब यह स्वीकृत हो जायगी तब यह सवाल उठेगा।

*८--श्री रामहेत सिंह--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*९--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--[२ अगस्त, १९५७ को प्रश्न संख्या ४७ के अन्तर्गत इसका उत्तर दिया जा चुका है।]

इलाहाबाद के नैनी इंडस्ट्री एरिया में कारखानों को बिजली

*१०--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतावेगी कि इलाहाबाद के नैनी इन्डस्ट्री एरिया में कारखाने को चलाने के लिए कितने कारखाने वालों ने Electric Power के लिये मांग की थी, कितने कारखाने वालों को दी गई और कितने कारखाने वालों को पावर नहीं दी गई?

श्री धर्मसिंह--२४ ने मांग की थी जिनमें से १२ को बिजली दे दी गई, एक ने बिजली नहीं ली, ६ से बिजली देने के सम्बन्ध में कम्पनी का पत्र-व्यवहार हो रहा है तथा बाकी ५ को नहीं दी गई।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन पांच कम्पनियों को बिजली नहीं दी गयी उसका कारण क्या है और वे कौन कारखाने खोलने वाली थीं ?

श्री धर्मसिंह—उन पांच कम्पनियों के नाम ये हैं :—

(१) नैनी स्टील रोलिंग मिल्स।
(२) नैनी इंजीनियरिंग एंड फाउन्ड्री वर्क्स।
(३) श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड।
(४) जनरल पेपर ट्रेडिंग कम्पनी।
(५) श्री बनवारीलाल शर्मा।

चूंकि इनको लोड की मांग बहुत अधिक है और बिजली कम्पनी उनकी मांग को पूरा कर नहीं सकती इसलिये ये दिक्कत पड़ी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि जिस एरिया में ये फैक्टरियां लगाई जा रही हैं वहां देने के लिये बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं है ?

श्री धर्मसिंह—जैसा मैंने उत्तर में बतलाया, बिजली की कमी है और उन्होंने अधिक लोड मांगे थे। बिजली कम्पनी इस बात की कोशिश कर रही है कि अपने लोड को बढ़ाये।

*११–१३—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—[स्थगित किये गये।]

सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के संबंध में केंद्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा भेजे गये पत्रों की प्रतिलिपियों की मांग

*१४—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों की महंगाई बढ़ाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं, क्योंकि वह पत्र गोपनीय है।

*१५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार उपर्युक्त केन्द्रीय पत्र के उत्तर में भेजे गये अपने पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं, वह पत्र भी गोपनीय है।

*१६–१७—श्री झारखंडेराय—[५ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १–२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१८–१९—श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—[माननीय सदस्य के ३ प्रश्नों से अधिक होने के कारण ११वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ४–५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

अयोध्या शुगर मिल्स बिलारी, जिला मुरादाबाद द्वारा बदायूं यूनियन का पूरा गन्ना न पेरना

*२०—श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि जिला बदायूं से Ayodhya Sugar Mills, बिलारी, जिला मुरादाबाद को इस वर्ष १२ लाख मन गन्ना supply करने का offer दिया गया और उपर्युक्त मिल ने केवल चार लाख मन गन्ना लेना स्वीकार किया ?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां।

*२१—श्री शिवराज सिंह यादव—यदि हां, तो सरकार ने शेष आठ लाख मन गन्ने के disposal का क्या प्रबन्ध किया ?

श्री रऊफ जाफरी—किसी बाकी गन्ने के disposal का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि बदायूं यूनियन के गन्ने की quantity को बढ़ाचढ़ा कर offer किया गया था और बिलारी फैक्टरी ने पिछले तीन वर्षों की क्षेत्र की supply के आधार पर सिर्फ ८ लाख मन के करीब खरीदना मन्जूर किया। सीजन के आखीर तक बदायूं यूनियन ने अपने सेन्टरों से कुल ४.८० लाख मन गन्ना supply किया जिसे मिल ने खरीद लिया।

श्री शिवराज सिंह यादव—क्या मंत्री महोदय कृपा कर बतायेंगे कि गत वर्ष बदायूं यूनियन ने अयोध्या शुगर मिल्स को गन्ना देने वाले किसानों का गन्ना बांड किया था ?

श्री रऊफ जाफरी—इसके लिये तो सूचना की जरूरत होगी। लेकिन जैसा कि मैंने बतलाया वहां से ४ लाख ८० हजार मन गन्ना पेर करके खत्म हो गया और उसके बाद कोई शिकायत नहीं आयी कि वहां गन्ना खड़ा है।

श्री शिवराज सिंह यादव—मिल ने यूनियन के आफर में ८६ परसेंट कमी कर दी थी। तो क्या वहां के महकमे ने भी किसानों के बांड को प्रोपोर्शनेटली घटा दिया था और उसकी सूचना दे दी थी ?

श्री रऊफ जाफरी—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे—जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने कहा कि बढ़ा-चढ़ा कर एस्टीमेट दिया गया था, तो क्या यह उनकी पद्धति है ?

श्री रऊफ जाफरी—ऐसा तो नहीं है। वह हो गया है और इसकी जांच की जायगी कि किसकी जिम्मेदारी है ?

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ा-चढ़ा कर कितने गन्ने का एस्टीमेट किया और यह करने वाला कौन है ?

श्री रऊफ जाफरी—मैंने अभी जवाब दिया कि किसकी जिम्मेदारी है इसकी जांच कराई जायगी।

श्री वीरेंद्रवर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यह बढ़ा-चढ़ा कर बांट दिया था यह गन्ना उत्पादकों ने दिया था अथवा गन्ना सोसाइटी ने ?

श्री रऊफ जाफरी—मैंने तो कहा कि इसकी जांच की जायगी कि किसकी जिम्मेदारी थी।

*२२—श्री चन्द्रहास मिश्र (जिला हरदोई)—[२२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

विधायक निवास में अनधिकृत सदस्यों के रहने पर आपत्ति

*२३—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार बतायेगी कि जो भूतपूर्व एम० एल० ए० तथा उनके सम्बन्धी अब भी विधायक निवासों के कुछ कमरों में कब्जा किये हुए हैं वे किन-किन विधायक निवास में रहते हैं तथा उनकी संख्या क्या है ?

श्री धर्मसिंह—विधायक निवास ३ में दो भूतपूर्व एम० एल० ए० अभी भी रहते हैं।

*२४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितनी एम० एल० ए० महिलाओं को अभी तक कमरे नहीं मिले हैं ?

श्री धर्मसिंह--सब महिला सदस्याओं को जिन्होंने निवास स्थान मांगा था कमरे दे दिये गये हैं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त सदस्य फ्री रहते हैं या उनसे कुछ किराया लिया गया है और अगर लिया गया है तो किस रेट पर ?

श्री धर्मसिंह--जो भी नियमों के अनुसार रेट होते हैं किराया उनसे मांगा गया है जब वह दे देंगे तब इसके बारे में निर्णय हो सकेगा ।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब बहुत से सदस्यों को अभी तक स्थान नहीं मिला है तो विधायक निवास में जो सदस्य नहीं हैं वह क्यों ठहरे हुये हैं ?

श्री धर्मसिंह--सरकार ने इस बात की कोशिश की है और उनको बुलाकर भी कहा है और लिखकर भी भेजा है और हर प्रकार की कोशिश की है कि जो सदस्य नहीं हैं वह न रहें ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुराने विधायक निवास के कमरे उनसे कब तक खाली करा दिये जायंगे ?

श्री धर्मसिंह--जल्दी से जल्दी कोशिश की जायगी ।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो महिला सदस्यायें अकेली रह रही हैं और उन्होंने लिखित यह दे दिया है कि यदि कोई महिला सदस्या उनके साथ रहना चाहे तो रह सकती है, फिर भी उनसे साढ़े ३७ रुपया माहवार क्यों काटा जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह--यह तो देखना पड़ेगा कि किस तरह का केस है । यदि इस प्रकार का केस है और कानून के अन्तर्गत आता है तो उस पर कार्यवाही की जायगी ।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने विधायक इस तरह के हैं कि जिनके पास लखनऊ में रहने को स्थान है और वह कमरे लिये हुये हैं ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये देखना पड़ेगा । नोटिस की आवश्यकता है ।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे--क्या सरकार बतलायेगी कि जब चार मास के प्रयास के बाद भी कमरे खाली नहीं हुये तो कब तक आशा की जाय कि वे खाली हो जायंगे ?

श्री धर्मसिंह--मैंने उत्तर दे दिया है कि सरकार अधिक से अधिक कोशिश करेगी ।

श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार यह बतायेगी कि कुछ कमरे जो सरकार ने लिये हैं और जिनका किराया सरकार दे रही है उनमें कोई रहता नहीं है ?

श्री धर्मसिंह--क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह विधायकों के रहने का प्रबंध करे यह कमरे उस समय लिये गये थे कि जब कमरों की कमी थी और जिन माननीय सदस्यों को कमरे नहीं मिले हैं उनके लिये इस बात की व्यवस्था करने की कोशिश की गई थी और इसलिये वह लिये गये थे ।

श्रीमती चन्द्रावती--क्या सरकार को ज्ञात है कि पुराने रेजीडेंस में पिछले पांच वर्षों से एक साहब रह रहे हैं जो अब तक नहीं हटे ?

श्री धर्मसिंह--जहां तक उनके रहने का सम्बन्ध है मैंने निवेदन किया कि उस पर कार्यवाही की जायगी ।

काशीपुर शुगर फैक्ट्री से सम्बन्धित भ्रष्टाचार की शिकायतें

२५--श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार को यह विदित है कि केन कमिश्नर उत्तर प्रदेश के पास काशीपुर (नैनीताल) के गन्ना उत्पादक किसानों की काशीपुर शुगर फैक्ट्री के गन्ना विभाग तथा केन सोसाइटी में विद्यमान भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अनेक शिकायतें आयी हैं ?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां।

२६--श्री प्रतापसिंह--यदि हां, तो क्या उक्त सम्बन्ध में सरकार अथवा केन कमिश्नर ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां। केन कमिश्नर ने एक अधिकारी को इन शिकायतों की जांच करने का काम सौंपा था। उस अधिकारी की रिपोर्ट पर जो कर्मचारी अपराधी पाए गए हैं, उनके खिलाफ़ कार्यवाही की जा रही है।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी उन शिकायतों की प्रमुख बातें सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी--कुछ तो पर्चियों के बांटने के सिलसिले में शिकायत थी, कुछ उनकी कलेन्डरिंग के सिलसिले में शिकायत थी। यूनियन के काम के बारे में उनकी शिकायत थी। आनरेरी सेक्रेटरी के मुताल्लिक शिकायत थी। यह भी शिकायत थी कि कुछ उनकी तजवीज हैं वे भी मानी नहीं जाती। एक उन की मांग यह थी कि सप्लाई कमेटी बनायी जाय जिस पर डाइरेक्ट या इन्डाइरेक्ट यूनियन के द्वारा सप्लाई के ऊपर विचार किया जाय।

श्री प्रतापसिंह--क्या उन शिकायतों में से ऐसी शिकायत भी थी कि जो गन्ना उत्पादक नहीं हैं उनका गन्ना फैक्ट्री लेती है ?

श्री रऊफ जाफरी--यह सवाल कुछ समझ में नहीं आया।

श्री प्रतापसिंह--जो लोग गन्ना पैदा नहीं करते हैं और बाहर से खरीद कर गन्ना लाते हैं उनका गन्ना फैक्ट्री लेती है ?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां, मैंने कहा कि यह तो मुझे मालूम नहीं है कि ऐसा होता है। ऐसी शिकायत रही है कि उन के पास कम गन्ना था और ज्यादा एस्टीमेट कर लिया गया और उन्होंने औरों से खरीद कर सप्लाई किया। यह शिकायत आई और सही भी पायी गई। इसलिये जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ इसकी कार्यवाही की जायगी।

श्री गेंदासिंह--क्या इस बात की शिकायत भी आयी कि जिन लोगों के पास गन्ना नहीं था और गन्ना सप्लाई नहीं किया उनके नाम गन्ना तौला गया और पेमेन्ट भी हो गया ?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां, ऐसी शिकायत है।

श्री गेंदासिंह--इस प्रकार का कितना गन्ना मिलों को सप्लाई किया गया इस का अन्दाज सरकार को है ?

श्री रऊफ जाफरी--इस वक्त तो नहीं बतला सकता कि ऐसा कितना सप्लाई हुआ लेकिन यह जरूर हुआ कि कुछ इस में गड़बड़ थी उस को दुरुस्त कर दिया गया। जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है।

श्री वीरेंद्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो यह शिकायत है यह फेवरटिज्म की है या करप्शन की ?

श्री रऊफ जाफरी--इसका पता लगाना कि कौन फेवरटिज्म है बड़ा मुश्किल है, लेकिन फेवरटिज्म भी तो करप्शन है।

राजा जगदम्बादत्त दुबे—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिनका गन्ना लिया गया लेकिन उन के नाम की पर्ची काटी गई और पेमेन्ट कर दिया गया तो ऐसा कितना रुपया पेमेन्ट कर दिया गया ?

श्री रऊफ जाफरी—मैं पहले बतला चुका हूं कि यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री गेंदासिंह—जिन लोगों का इसमें निकट का सम्बन्ध पाया गया वह सस्पेन्ड हुये या नहीं ?

श्री रऊफ जाफरी—उनसे जवाब तलब किया गया है।

*२७—२८—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

२९—३१—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

३२—श्री झारखंडेराय—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

३३—श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

शाहजहांपुर बिजली कम्पनी के चार्जेज

*३४—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को खटीमा पावर हाउस से बिजली दी जाती है और उसके क्या रेट हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां। बिजली के रेट २०रु० १३ आ० ४ पा० प्रति के० वी० ए० (K. V. A.) प्रति माह तथा ९ पा० प्रति यूनिट है।

*३५—श्री देवनारायण भारतीय (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि शाहजहांपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी नौ आना फी यूनिट जलाने वाली बिजली पर चार्ज करती है जब कि राज्य में कहीं भी इतना ज्यादा रेट पब्लिक से चार्ज नहीं किया जाता ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं। शाहजहांपुर बिजली कम्पनी ८ आना प्रति यूनिट रोशनी तथा पंखे के लिये लेती है तथा कुछ और कम्पनी भी इतना ही चार्ज करती हैं।

*३६—श्री देवनारायण भारतीय (अनुपस्थित)—क्या सरकार उक्त दर को घटाने के सम्बन्ध में कोई कदम उठाने का विचार रखती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं। कम्पनी का लाभ उचित लाभ (reasonable return) से कम है इसलिये इलेक्ट्रीसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ के अनुसार उसे रेट घटाने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है।

गुड़ स्कीम की उन्नति के लिये जिला बदायूं में तकावी

*३७—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६-५७ में गुड़ स्कीम की उन्नति के लिये जिला बदायूं में किन-किन लोगों को कितना कितना रुपया दिया गया है ?

श्री रऊफ जाफरी—वांछित सूचना †संलग्न है।

---

†सूचना छापी नहीं गयी है।

श्री टीकाराम—क्या सरकार बतलायेगी कि यह जो सूची में ३६० रुपया दिखलाया वह इन सबको मिला कर दिया गया या अलग-अलग दिया गया ?

श्री रऊफ जाफरी—जहां पर रुपया ब्रेकेट के अन्दर लिखा है वह उनको मिला कर दिया गया है।

श्री टीकाराम—यह रुपया तक़ावी के रूप में कैसे वसूल किया जायगा ?

श्री रऊफ जाफरी—सभी की एक साथ और अलग-अलग भी जिम्मेदारी है।

श्री टीकाराम—क्या इन सबकी जमानतें, जैसे तक़ावी में, एक साथ ली है ?

श्री रऊफ जाफरी—तकावी में भी और दूसरी जगह भी, यह एक किस्म का जंजीरे ना है।

सहकारिता के आधार पर मिलें खोलने की योजना

*३८—श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार के पास कोई योजना इस प्रकार की विचाराधीन है कि प्रदेश में सहकारिता के आधार (Co-cperative Basis) पर मिलें खोली जावें ? यदि हां, तो कब तक योजना कार्यान्वित हो सकेगी ?

श्री धर्मसिंह—(क) जी हां।

(ख) योजना पर काम होना शुरू हो चुका है।

बिक्री-कर से प्राप्त धन

*३९—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५६–५७ में बिक्री कर के रूप में कुल कितना रुपया सरकार को प्राप्त हुआ ?

श्री धर्मसिंह—१९५६–५७ में बिक्री-कर से राज्य में ९,१९,५८,४४६ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई।

*४०—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५६–५७ में बिक्री-कर के वसूल करने एवं तत्सम्बन्धी अन्य प्रशासकीय कार्यों में सरकार को कितना रुपया व्यय करना पड़ा ?

श्री धर्मसिंह—वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के दौरान में उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम को कार्यान्वित करने में २९,८५,४९३ रुपया व्यय हुआ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनाज में कुल कितना रुपया वसूल हुआ है ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गेंदसिंह—पहली अप्रैल सन् ५६ के बाद नये बिक्री-कर अधिनियम के मुताबिक कितने अधिक रुपये की आमदनी हुई ?

श्री धर्मसिंह—जैसा मैंने उत्तर में कहा है, सन् ५६–५७ के ही मैंने आंकड़े दिये हैं।

समस्त निम्नवर्ग के कर्मचारियों को २ रुपये वेतन वृद्धि न मिलना

*४१—श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने २० रु० से ४० रु० तक वेतन पाने वाले निम्न कर्मचारियों के वेतन में जो २ रु० की वृद्धि की थी क्या वह सभी कर्मचारियों को मिल गई है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---२०-१, २---२५, २५--१ २---३० और ३०---१---३५ रुपये के स्टैन्डर्ड स्केल में वेतन पाने वाले सभी निम्न कर्मचारियों के वेतन में २ रुपये माहवार की वृद्धि कर दी गई है।

*४२---श्री शब्बीर हसन---यदि नहीं, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिनको वह वेतन वृद्धि नहीं मिल सकी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---२० से ४० रु० तक मासिक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या के बारे में सूचना इस समय प्राप्त नहीं है।

*४३-४५---श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)---[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड व्यापारी

*४६---श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बिक्री-कर अधिनियम, १९५६ के अनुसार प्रदेश के कितने व्यापारियों ने अपने को Registered किया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---३१ मार्च, १९५७ तक उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५६ के अधीन ७८,०५७ व्यापारियों की रजिस्ट्री की गई।

गाजीपुर जिले के जंगीपुर बाजार के लिये बिजली की मांग

*४७---श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार गाजीपुर जिले के जंगीपुर बाजार में बिजली की रोशनी देने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जंगीपुर बाजार का विद्युतन करना अभी सम्भव न होगा।

*४८-५०---श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

गाजीपुर के बाढ़ विभाग का तोड़ा जाना

*५१---श्री यमुनासिंह---क्या यह सही है कि गाजीपुर से बाढ़ विभाग तोड़ा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--- फ्लड डिवीजन गाजीपुर को बाढ़ सम्बन्धी बड़े कार्यों के पूरे हो जाने तथा धनाभाव के कारण तोड़ दिया गया है। परन्तु इसके बाकी कार्य तथा इस जिले में बाढ़ सम्बन्धी नई योजनाओं के कार्य अब इर्रीगेशन डिवीजन, गाजीपुर द्वारा किये जायेंगे।

*५२---श्री नारायणदत्त तिवारी---[१२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सरकारी हैन्डी-क्राफ्ट की दुकान इन्दौर प्रदर्शनी में ले जाने पर व्यय

*५३---श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी हैण्डी-क्रैफ्ट की दुकानें इन्दौर प्रदर्शनी में ले जाने में कितना व्यय हुआ ?

श्री रऊफ जाफ़री---२५,५४७ रुपया व्यय हुआ।

*५४—श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदर्शनी के सम्बन्ध में स्पेशल मैनेजर इन्दौर कितनी बार गये और आये ?

श्री रफ़ीक ज़कारी—तीन बार गये और आये।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त धनराशि किस खाते में जमा होकर व्यय की गई ?

श्री रफ़ीक ज़कारी—वह प्रदर्शनी के खाते में थी। कुछ इसमें ग्राउन्ड रेन्ट है और कुछ बिल्डिंग का है जो बनी थी। सब खर्च उसी सिलसिले के हैं।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—खर्च करके जो शेष धनराशि बची वह किस खाते में जमा हुई ?

श्री रफ़ीक ज़कारी—नोटिस की आवश्यकता है ?

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—उत्तर में जो बताया गया है कि स्पेशल मैनेजर साहब ३ बार आये गये, इसका क्या कारण है और इस पर कितना व्यय हुआ ?

श्री रफ़ीक ज़कारी—अलावा इस प्रदर्शनी के, मैनेजर साहब के पास और भी काम हैं. जितने भी हमारे हैन्डी-क्राफ्ट एम्पोरियम हैं, उनको भी देखना होता है। इसलिये वहां एकबारगी बहुत दिनों तक ठहरना मुमकिन नहीं था। ४२६ रुपये तीनों दफा में डेली एलाउन्स मिला कर खर्च था।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन्दौर प्रदर्शनी में जो स्टाल बना था उस पर कितना खर्च हुआ और कितने में वह बेचा गया

श्री रफ़ीक ज़कारी—१२ हजार से कुछ ऊपर तो ग्राउन्ड रेन्ट दिया गया। स्टाल के आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो फिर बतला दिया जायगा।

श्री [illegible]सिंह [illegible]—इन्दौर में कितने माल की बिक्री [illegible] थी ?

श्री रफ़ीक ज़कारी—नोटिस की आवश्यकता है।

*५५—श्री यमुनासिंह—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*५६-५७—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५८—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—[१२ अगस्त, १९५७ के लिये माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

मैनपुरी जिले के कुरावली टाउन बिजली

*५९—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में टाउन एरिया कुरावली के अन्तर्गत जो बिजली का सब-स्टेशन बना है, उससे कुरावली की जनता को बिजली दी जायेगी।

श्री धर्मसिंह—जी हां।

*६०—श्री गनेशचन्द्र काछी—यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मसिंह—कुरावली नगर को वर्तमान वित्तीय वर्ष में बिजली देने की कोशिश की जा रही है।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुरावली नगर की जनता को बिजली किस तारीख से मिलने लगेगी ?

श्री धर्मसिंह—मैंने उत्तर में कहा है कि निश्चयपूर्वक तारीख नहीं दे सकता। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में दी जायगी।

भारी उद्योगों के खुलने वाले कारखाने

*६१—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर कौन-कौन भारी उद्योगों के कारखाने आगामी दो वर्षों में आरम्भ होंगे ?

श्री रऊफ जाफरी—भारत सरकार ने संलग्न सूची में दिये हुये उद्योगों के स्थापित करने के लिये लाइसेन्स दे दिये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार आशा करती है कि इन उद्योगों के कारखाने आगामी दो वर्षों में आरम्भ हो जायंगे।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३२६ पर)

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर में कौन-सा कारखाना खोलने का विचार है ?

श्री रऊफ जाफरी—फेहरिस्त जो दी गई है, उसमें मुजफ्फरनगर नहीं है। वहां ऐसा कारखाना खुलने वाला नहीं है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—फैक्ट फाइन्डिंग्स कमेटी ने जिन उद्योगों की सिफारिश की थी उनमें से सरकार ने किन-किन भारी तथा किन-किन मध्यम उद्योगों की सिफारिश केन्द्रीय सरकार से की है ?

श्री रऊफ जाफरी—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री वीरेंद्र वर्मा—जिस फेहरिस्त का जिक्र किया गया है क्या मंत्री जी उसे हाउस में पढ़ कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी—इस प्रकार है :—

अमोनियम सलफेट व सोडा ऐश, बनारस में होगी, जिसे न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स कायम करेगी। रेयन यार्न, कानपुर में, जे० के० काटन स्पिनिंग और वीविङ्ग मिल्स लगावेगी। टेक्सटाइल्स पार्ट, लक्ष्मीरतन इंजीनियरिंग कम्पनी, कानपुर में। रेलवे वैगन पार्ट्स गाजियाबाद और कानपुर में ट्रांसफार्मर और स्विचगेयर, नैनी में, सेन्ट्रल इलेक्ट्रिक कम्पनी लगावेगी। सीमेन्ट फैक्ट्री देहरादून में हिन्दुस्तान शुगर मिल्स, गोलागोकरननाथ, की। रैपिंग पेपर की इलाहाबाद में और बगास से जो पेपर बनता है वह मेरठ में होगी। क्रूम रुस्ट और सलफ्यूरिक ऐसिड कानपुर में, और टार्च की फैक्टरी लखनऊ में होगी।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार ने हाथरस, आगरा कमिश्नरी, के लिये कुछ उद्योगों की सिफारिश सेन्ट्रल सरकार से की थी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

अलीगढ़ जिले के बरमाना हसायन में इसेन्शियल आयल योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण केंद्र

*६२—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या सरकार बतायेगी कि अलीगढ़ जिले के बरमाना हसायन के गुलाब के उत्पादन तथा इत्र आदि के कार्य को बढ़ाने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

श्री रऊफ जाफरी—सरकार ने बरमाना हसायन, जिला अलीगढ़ में इसेन्शियल आयल योजना के अन्तर्गत एक प्रशिक्षण व प्रदर्शन केन्द्र स्थापित किया है जिसके अन्तर्गत यहां के गुलाब के उत्पादन तथा इत्र आदि के उद्योग को बढ़ाया जा रहा है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रशिक्षण केन्द्र का कोर्स कितने दिनों का है और अब तक कितने लोगों को शिक्षा मिल चुकी है?

श्री रऊफ जाफरी—६ महीने में इसकी शिक्षा हो जाती है और मेरी जो सूचना है उसके अनुसार अब तक दो आदमियों को शिक्षा मिल चुकी है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रशिक्षण केन्द्र के कारण उत्पादन में क्या वृद्धि हुई है और स्थापना के बाद से अब तक के क्या आंकड़े हैं?

श्री रऊफ जाफरी—यह बतलाना मुश्किल है कि उत्पादन में क्या वृद्धि हुई है लेकिन जो डिमांस्ट्रेशन वगैरह का काम हुआ है उससे गंधी वगैरह लोग जो इस काम को करते हैं उनको इससे काफी फायदा हुआ है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी इस केन्द्र पर उत्पादन के आंकड़े को भी बढ़ाने का विचार रखते हैं?

श्री रऊफ जाफरी—उत्पादन तो जरूर बढ़ेगा। यह काम डिमांस्ट्रेशन का है, जो लोग इन कामों में हैं उन्हीं का डिमांस्ट्रेशन किया जाय कि वे इस काम को और आगे बढ़ावें। वैसे जमीन, मजदूरी वगैरह देने की भी योजना है और उनको ७,००० रु० तक की सहायता दी जा सकती है।

*६३-६५—श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*६६-६७—श्री शिवप्रसाद (जिला खीरी)—[२६ अगस्त, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

इटावा जिले में नलकूप निर्माण-कार्य न हो सकना

*६८—श्री मिहरबानसिंह (जिला इटावा)—क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले में ट्यूबवेल टेक्नीशियन डिपार्टमेंट ने ३१ मार्च सन् १९५६ से १ अप्रैल, १९५७ तक क्या-क्या काम किये हैं?

श्री राममूर्ति—इटावा जिले में नलकूप विभाग द्वारा ३१ मार्च, १९५६ से १ अप्रैल, १९५७ तक की अवधि में कोई कार्य नहीं किया गया।

श्री मिहरबानसिंह—क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले में कोई काम नहीं था या कोई दूसरा कारण है जिससे उस जिले में कोई काम नहीं हुआ?

श्री राममूर्ति—इटावा जिले में जो पानी की सतह है वह १००-१५० फीट नीचे तक है, इसलिये सिंचाई विभाग के लोगों ने वहां ट्यूबवेल बनाना मुनासिब नहीं समझा। फिर भी वहां एक एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल बन रहा है जिसमें केन्द्रीय सरकार की एक टीम काम कर रही है। उसके बाद ही हम सोचेंगे कि वहां ट्यूबवेलस बन सकते हैं या नहीं।

श्री मिहरबानसिंह—क्या माननीय विकास मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस एक वर्ष में एक नलकूप पर कितना खर्च पड़ा है सरकार का?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

बुलन्दशहर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उद्योग-धंधों को बढ़ाने की योजना

*६९—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि बुलन्दशहर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न कौन उद्योग-धंधे को चालू करने का वह विचार रखती है?

श्री रऊफ जाफरी—इस जिले में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चीनी के अनेक उद्योग, चर्म उद्योग, कांच की चूड़ियों का उद्योग, तथा इन्स्ट्रूमेंट्स के उद्योग को विकसित करने का सरकार का विचार है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार बुलन्दशहर जिले में चीनी के उद्योग, चमड़े और कांच की चूड़ी के उद्योग पर कितना खर्च करेगी और यह किस-किस मद में होगा?

श्री रऊफ जाफरी—सब मिला कर तो २७,३५,००० रु० खर्च होगा और अलग-अलग आंकड़े ये हैं—कोआपरेटिव सोसाइटीज ५५ होंगी जिनके ऊपर ३६,१०० रु० खर्च होगा और टेक्निकल इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन्स के ऊपर १८,८८,००० रु० खर्च होगा। डेमॉन्स्ट्रेशन पार्टीज और इन्स्ट्रक्टर्स पर ढाई लाख खर्च होगा और कुल खर्च ३,२१,००० रु० होगा। कुछ और मदें भी हैं, किन्तु कुल योग २७,३५,००० रु० है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां द्वितीय पंचवर्षीय योजना के किस वर्ष में कार्यवाही शुरू की जायगी?

श्री रऊफ जाफरी—काम तो वहां चालू है और हो रहा है, आगे भी बढ़ाया जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सहायता किन्हीं विशेष व्यक्तियों को दी जायगी या समितियों द्वारा काम कराया जायगा?

श्री रऊफ जाफरी—जो व्यक्ति इस काम में होंगे उनको और कोआपरेटिव्ज के द्वारा भी।

बुलन्दशहर जिले में उद्योग-धंधों के लिये दिया गया धन

*७०—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६-५७ में बुलन्दशहर जिले में उद्योग-धन्धों के लिये कितनी सहायता दी गई?

श्री रऊफ जाफरी—६,९०० रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सहायता किसको दी गई?

श्री रऊफ जाफरी—यह श्री अनवर अली को पाटरी के लिये २,००० रुपये की और श्री उमराव सिंह को शू मेकिंग के लिये १,००० रुपया, श्री फरीद अहमद को पाटरी के लिये ६०० रुपया, श्री भगवती प्रसाद को फर्नीचर के लिये २,५०० रु० और श्री अब्दुल रहमान को पाटरी के लिये ८०० रुपया।

श्री देवेंद्रदत्त वर्द्धे—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिनको यह सहायता दी गई है उन्होंने इस धन को उद्योग को बढ़ाने की दृष्टि से खर्च किया या नहीं ?

श्री रऊफ जाफरी—इसकी शिकायत नहीं है कि उन्होंने ठीक खर्च नहीं किया।

*३१–३२—श्री शिवनारायण (जिला आजमगढ़)—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

फर्रुखाबाद जिले में छिबरामऊ को बिजली देने की योजना

*३३—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में छिबरामऊ तहसील में जो बिजली पहुंचने वाली थी वह कब तक पहुंच जायेगी ?

श्री धर्मसिंह—छिबरामऊ नगर का विद्युतीकरण वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक करने की कोशिश हो रही है।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

श्री धर्मसिंह—स्टेटमेंट वगैरह बनने लगे हैं और जो कुछ भी बिजली देने के लिये जरूरी कार्यवाही हो सकती है वह सब की जा रही है।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पिछले साल इसका कुछ काम हुआ था और बीच में बन्द हो गया है, इसका क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—हो सकता है कि बीच में कुछ दिन को किन्हीं विशेष कारणों से रुक गया हो, जमीन वगैरह की व्यवस्था न हुई हो, लेकिन अब तो काफी दिन से चर्चा चल रही है और कोशिश हो रही है।

श्री गजेंद्रसिंह (जिला इटावा)—वह एस्टीमेट कितने रुपये का है ?

श्री धर्मसिंह—जैसा मैंने अर्ज किया वह अभी बन रहा है।

*३४–३५—श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*३६—श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

गवर्नमेंट हैण्डीक्राफ्ट को हानि पर चलाने में आपत्ति

*३७—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैण्डीक्राफ्ट का बैलेन्सशीट प्रति वर्ष तैयार होता है ? यदि हां, तो पिछले दस वर्षों के भीतर किस वर्ष कितना लाभ और किस वर्ष कितनी हानि हुई ?

श्री रऊफ जाफरी—(अ) जी हां।

(ब) वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३२७ पर)

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार पिछले कुछ वर्षों में १३–१४ लाख का घाटा होने के बाद भी यहां के व्यवस्थापक लोगों को तरक्की देने की बात सोच रही है ?

श्री रऊफ जाफरी—जहां तक हैण्डलूम एम्पोरियम का प्रश्न है उसके बारे में यह कहना कि घाटा हो रहा है, वह तो एक सरकारी काम है, वह कोई कार्मशियल आर्गेनाइजेशन यानी तिजारत के लिये नहीं है। असल में इसका काम हुआ है यहां के जो गृह उद्योग हैं उनको पापुलर बनाने के लिये, उनको बढ़ाने के लिये। तो बहुत-सा काम पब्लिसिटी और प्रोपेगेण्डा का होता है प्रदर्शिनियों में। शायद ही हमारे प्रदेश का कोई गृह-उद्योग होगा, जिसको इस हैण्डीक्राफ्ट के जरिये फायदा नहीं पहुंचा और यह भी करना पड़ता है बहुत-सी ऐसी नई चीजें बाजार में लानी पड़ती हैं, ६ हजार के करीब डिजाइन निकाले हैं। तो इन सब बातों पर खर्च होता है। तो नफा, मुनाफे का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत कुछ प्राइवेट प्रोडयूसर्स हैं, जिनको आर्डर मिलते हैं और उनमें रुपया स्टेट के अन्दर आता है। तो यह कहना कि बिल्कुल घाटा है, यह सही नहीं है। बाकी इस घाटे को घटाने की कोशिश की जायगी।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि दो वर्षों में मुनाफा भी हुआ था और उसके बाद बराबर इस विभाग में एमबेज़िलमेंट और मिसमैनेजमेंट की शिकायत आ रही है?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां, यह सही है। लेकिन शायद इसका काम बढ़ता रहा तो बावजूद तमाम कोशिशों के यह मुमकिन नहीं होगा कि इस घाटे को कम किया जाय क्योंकि जैसे-जैसे काम बढ़ता जायगा वह घाटा आता जायगा।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे—क्या सरकार बतायेगी कि दो वर्ष जो मुनाफा हुआ था वह बावजूद घाटे के भी मुनाफा हो गया था?

श्री अध्यक्ष—कुछ प्रश्न साफ नहीं हुआ।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे—मैं निवेदन कर रहा हूं कि मंत्री जी ने उत्तर में यह कहा था कि दो वर्ष मुनाफा हुआ था। उस पर मैंने यह प्रश्न पूछा।

श्री अध्यक्ष—मुनाफा हुआ दो वर्ष वह इसमें लिखा हुआ है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार बतायेगी कि पिछले ७ सालों में १३ लाख ४६ हजार ७२१ रु० घाटा उठाने के बावजूद भी सरकार इस दूकान को कितना और घाटा उठा कर चलाने को तैयार है?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट हैण्डीक्राफ्ट के हिसाब-किताब के सम्बन्ध में आडीटर ने कोई रिपोर्ट सरकार के पास भेजी है?

श्री रऊफ जाफरी—आडीटर की रिपोर्ट जरूर आयी है।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसका क्या कारण है कि २ वर्ष तक मुनाफा हुआ और उसके बाद घाटा ही होता जा रहा है?

श्री रऊफ जाफरी—मैं समझता हूं उन दो वर्षों में जहां तक पब्लिसिटी और प्रोपेगेन्डा, ऐडवरटिजमेंट की बात है उन पर कम खर्च हुआ होगा, इस वजह से मुनाफ़ा हुआ होगा।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह घाटा क्यों हुआ है?

श्री अध्यक्ष—बता तो दिया गया।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)—क्या सरकार बतायेगी कि किस-किस साल में कितना-कितना घाटा हुआ है और अब तक कितना हो चुका है?

श्री अध्यक्ष—यह तो लिस्ट में है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कुल खर्चे का कितना हिस्सा प्रचार कार्य में हर साल खर्च होता है ?

श्री रऊफ जाफरी—नोटिस की जरूरत है।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या यह सही है कि आडीटर जनरल ने आडिट में यह रिपोर्ट लिखी है कि यू० पी० हैंडीक्रैफ्ट डिपार्टमेंट ही तोड़ दिया जाय ?

श्री रऊफ जाफरी—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

हमीरपुर जिले में सिंचाई की शरह में कमी के लिये प्रार्थना

*७८—श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि हमीरपुर जिले में रबी की फसल में नहरों से किसानों के खेतों को इतना कम पानी मिलता है कि वे केवल १ बार ही सींचे जा सकते हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—यह कुछ अंश तक केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिये सत्य है जो महोबा के करीब छोटी झीलों और तालाबों से निकली हुई नहरों द्वारा सींचे जाते हैं। बड़ी नहरों के विषय में यह सत्य नहीं है। छोटे तालाबों में पानी की मात्रा बढ़ाने के लिये योजनायें चल रही हैं, और उन पर काम भी चल रहा है।

श्री डूंगरसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब उस क्षेत्र के खेतों को कम पानी दिया जाता है तो वहां पर सिंचाई की दरें कम क्यों नहीं हैं ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई की दर तो वहां और जगह से ज्यादा नहीं है।

श्री डूंगरसिंह—कम तो होनी चाहिए, साहब।

श्री अध्यक्ष—आप तो बहस कर रहे हैं, आप प्रश्न पूछिए।

श्री डूंगरसिंह—और जगह से तो वहां पर दर कम होनी चाहिए जब पानी कम मिलता है ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, वहां बुन्देले राजाओं के वक्त के तीन-चार तालाब हैं, मदन सागर, जगत सागर, कीरत सागर वगैरह। उनमें पानी कुछ कम है तो उसके लिए हम एक और रिजर्वायर बना रहे हैं, जिससे कि पानी की कमी न रहे।

श्री रामहेतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसी कि माननीय सदस्य की शिकायत है उसके अनुसार पानी की गणना के हिसाब से आबपाशी का रेट लेने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई के रेट तो इस प्रान्त में बहुत ही कम हैं।

*७९-८०—श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)—[२६ अगस्त, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

*८१-८२—श्री ब्रजनारायण तिवारी—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*८३—श्री ब्रजनारायण तिवारी—[२२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न ७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*८८४–८६—श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

गोरखपुर में बिजली कम्पनी का ठेका

*८८७—श्री केशवपांडेय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोरखपुर में इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी का ठेका कब तक समाप्त हो रहा है और कम्पनी को कितने वर्ष का ठेका दिया गया था ?

श्री धर्मसिंह—गोरखपुर में बिजली सप्लाई कम्पनी को ठेका २३ सितम्बर, १९२६ को दिया गया था । ठेके की शर्तों के अनुसार उस तारीख से ५० वर्ष के पश्चात् गोरखपुर नगरपालिका अथवा सरकार को उपरोक्त कम्पनी को खरीदने का अधिकार होगा ।

श्री केशवपांडेय—क्या माननीय मंत्री महोदय उन शर्तों की मोटी-मोटी बातें बताने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—वह तो बहुत-सी शर्तें हैं और उसके बहुत से नियम बने हुये हैं. उन्हीं के अन्तर्गत है ।

श्री केशवपांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस ठेके की शर्तों में कोई ऐसी भी शर्त थी कि यदि कम्पनी उस वादे को पूरा न कर सके तो उनका ठेका रद्द कर दिया जाय ?

श्री धर्मसिंह—तो वह तो अगर होगी और वह अगर उसको पूरा नहीं करते हैं तो उसके अनुसार कार्यवाही की गयी होगी ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार इस बिजली कम्पनी को अपने हाथ में लेने का इरादा करती है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं ।

श्री केशवपांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगरपालिका ने सरकार का ध्यान इस ओर कई बार आकर्षित किया है कि गोरखपुर की एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी कई बार वादों को तोड़ चुकी है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, और सरकार ने उस पर उचित कार्यवाही की है । कम्पनी के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया और नगरपालिका के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया और उनसे सम्पर्क स्थापित कर के उचित कार्यवाही उसने की है ।

*८८८—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—[२९ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न ५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

ट्यूबवेल आपरेटरों की भर्ती

*८८९—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ट्यूब वेल आपरेटरों की भर्ती कितने वर्ष की उम्र से शुरू होती है और कितने वर्ष की उम्र के पश्चात् बन्द हो जाती है ?

श्री राममूर्ति—ट्यूबवेल आपरेटर के पद पर भर्ती होने के लिये भर्ती होने के वर्ष में जनवरी के प्रथम दिन किसी उम्मीदवार की आयु १८ वर्ष या इससे अधिक, पर २५ वर्ष से कम होनी चाहिये ।

*९०—श्री [illegible] शर्मा (अनुपस्थित)—परिगणित जाति के अथवा पिछड़ी जाति के उम्मेदवारों के साथ क्या कुछ छूट है ?

श्री [illegible]—परिगणित जाति के उम्मेदवारों की अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष अधिक है।

*९१-९२—श्री केशवपांडेय—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*९३-९४—श्री [illegible]सिंह—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

कानपुर जिले के राजकीय खादी केन्द्र नौरंगा के एक कर्मचारी का वेतन रुकना

*९५—श्री [illegible]चन्द्र [illegible]—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले के राजकीय खादी केन्द्र नौरंगा के स्थानीय कार्यकर्त्ताओं को जनवरी, सन् १९५५ से सितम्बर, सन् १९५५ तक तथा अप्रैल, १९५६ से अगस्त, १९५६ तक के वेतन न मिलने का कारण [illegible]

[illegible]—इस खादी केन्द्र के एक स्थानीय कार्यकर्ता का अप्रैल, १९५६ से अगस्त, १९५६ तक का वेतन कुछ वैधानिक कारणों से रोक लिया गया है। कथित [illegible] का किसी अन्य कार्यकर्ता का वेतन भुगतान के लिये बाकी नहीं है।

श्री [illegible]—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि एक कार्यकर्त्ता का जो वेतन रोक लिया गया है उसके लिये कहा गया है कि वैधानिक कठिनाई है तो क्या वह वैधानिक कठिनाई है ?

श्री [illegible]—कुछ उनके खिलाफ हिसाब-किताब की शिकायत थी।

[illegible] फैक्ट्री खोलने के लिये [illegible]

*९६—श्री [illegible] (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में दूसरी सीमेन्ट फैक्ट्री बनने का कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री रऊफ जाफरी—इस विषय में अभी प्रारम्भिक अन्वेषण हो रहा है। अतः यह बतलाना सम्भव नहीं है कि सीमेन्ट फैक्ट्री बनने का कार्य कब से आरम्भ होगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह पब्लिक सेक्टर की सीमेन्ट फैक्ट्री का उन्होंने जिक्र किया है या प्राइवेट का।

श्री रऊफ जाफरी—प्राइवेट सेक्टर का।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह फैक्ट्री द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ही लगाई जायगी ?

श्री रऊफ जाफरी—जैसा कि अभी बतलाया गया कि जब जगह का निश्चय हो जायगा उसके बाद जल्दी से जल्दी कोशिश की जायगी कि वह लग जाय और उम्मीद यह की जाती है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर लग जायगी।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस अन्वेषणकाल में अब तक कितना खर्चा हुआ है ?

श्री रऊफ जाफरी—इसके खर्चे का कोई हिसाब सरकार के पास नहीं है। जो पार्टी वहां है वह खर्च कर रही है।

सेल्स टैक्स संबंधी विज्ञप्ति का हाई कोर्ट द्वारा अवैध करार दिया जाना

*९७—श्री सुरेंद्रदत्त बाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सेल्स टैक्स सम्बन्धी ३१ मार्च, १९५६ के सरकारी विज्ञप्ति को हाई कोर्ट के अवैध करार दे देने से राज्य की कितनी हानि हुई है ?

श्री धर्मसिंह—इस उद्देश्य से कि सरकार को कोई हानि न हो अपील दायर करने और सम्बद्ध कानून में संशोधन करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की गई। उ० प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७ विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा अब पारित (पास) हो चुका है और उस का भूतलक्षी प्रभाव (रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट) होगा। इसलिये हानि का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेंद्रदत्त बाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह नोटिफिकेशन, जिस को हाई कोर्ट ने अवैध करार दे दिया है वह किस की गलती से जारी किया गया था ?

श्री धर्मसिंह—गलती का कोई सवाल नहीं था। वह तो इस तरीके से हुआ था कि उसे सही समझ कर किया था और हाई कोर्ट ने उसे अवैध करार दे दिया है, तो उसके लिये उचित कार्यवाही की गई है।

*९८—श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)—[२९ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न ६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

फतेहपुर जिले की खागा तहसील में बिजली देने की प्रार्थना

*९९—श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)—क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के पूर्वी भाग खागा तहसील में भविष्य में विद्युत् शक्ति प्रसारित करने की कोई योजना है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

सोडा ऐश फैक्ट्री के लिये स्वीकृत धन का व्यय

*१००—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५५-५६ में डेढ़ करोड़ रुपया सोडा ऐश फैक्ट्री बनाने के लिये सरकार द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो उसका उपयोग किस प्रकार से किया गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—१९५५-५६ में सरकार ने एक १.४५ करोड़ रुपया सोडा ऐश तथा अमोनियम क्लोराइड फैक्ट्री बनाने के लिये न्यू सेंट्रल जूट मिल्स कंपनी लिमीटेड, कलकत्ता को ऋण दिया। उक्त कंपनी ने इस ऋण से तथा अपने पास से धन लगाकर २.४६ करोड़ की मशीनों के लिये आर्डर दे दिया है और ३०,७०,००० रुपये की मशीनों के लिये पत्र-व्यवहार हो रहा है। इसके अतिरिक्त सिविल वर्क्स भूमि विकास, जल-व्यवस्था आदि पर व्यय हो रहा है।

मथुरा जिले के उद्योग-धंधे

*१०१—श्री रामहेत सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जिले में इस समय कौन-कौन से उद्योग-धंधे सरकार द्वारा चल रहे हैं तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस-किस जगह, कौन-कौन उद्योग-धन्धा चलाने का सरकार विचार कर रही है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ९७ के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मथुरा जिले में इस समय सरकार द्वारा निम्नलिखित उद्योग चलाये जा रहे हैं--

रंगाई एवं छपाई, निवाड़ तथा फीता बुनाई, चमड़ा रंगाई, सूत कताई, करघा, गुड़ उद्योग

दूसरी पंचवर्षीय योजना में उक्त जिले में चमड़ा तथा गुड़ उद्योग का विकास करने का प्रयोजन है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक शिक्षालय योजना, औद्योगिक सहकारी योजना, के अन्तर्गत भी विभिन्न उद्योगों का विकास किया जायेगा।

स्थानों का निर्णय जिला नियोजन समिति के परामर्श से होगा।

विधायक निवास में सभासचिव, उपमन्त्री तथा सरकारी कर्मचारियों का रहना

*१०२--श्री परमेश्वरदीन वर्मा (जिला उन्नाव)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवास में कितने ऐसे कमरे हैं, जिनमें कि सभा सचिव, उप-मन्त्री और सरकारी व्यक्ति रहते हैं और कितने दिनों से ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--विधायक निवासों के ८ कमरों में इस समय सभा-सचिव तथा उप-मंत्री अपनी नियुक्ति की तिथि से रह रहे हैं। २१ कमरे ऐसे हैं जिनमें सदस्यों की स्वीकृति से सरकारी व्यक्ति रह रहे हैं। यह किस तिथि से रह रहे हैं, इसकी सरकार को कोई सूचना नहीं।

*१०३--श्री परमेश्वरदीन वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवास १ और २ के बीच जो बंगला तोड़ा जा रहा है वह कब खाली हुआ और कब से तुड़ाई कार्य शुरू हुआ ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इस बंगले का कुछ हिस्सा ८ मई, १९५६ को खाली हुआ और बाकी हिस्सा २६ जुलाई, १९५७ को। इसकी तुड़ाई का कार्य १ मई, १९५७ को शुरू हुआ।

गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद तथा लखनऊ में शिड्यूल्ड कास्ट के कर्मचारी

*१०४--श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद तथा लखनऊ में कुल कितने क्लर्क हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--५००।

*१०५--श्री जवाहरलाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त क्लर्कों में शिड्यूल्ड कास्ट के क्लर्कों की प्रतिशत संख्या क्या है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उक्त क्लर्कों में शिड्यूल्ड कास्ट ०.४ प्रतिशत हैं परन्तु इस विभाग के सभी वर्ग (कैटेगरीज) के कर्मचारियों में शिड्यूल्ड कास्ट के कर्मचारियों की प्रतिशत संख्या २२ है।

गन्ना तथा सेस का बकाया

*१०६--श्री गेंदासिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गन्ना किस जिले में कितना खड़ा है और वह कब तक पेरा जायेगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--प्राप्त सूचना के अनुसार अब प्रदेश की सब चीनी मिलें सीजन १९५६-५७ की पिराई खत्म करके बन्द हो चुकी हैं और किसी जिले से पिराई के लिये गन्ना बच रहने की कोई शिकायत नहीं मिली है।

*१०७—श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार बतायेगी कि गन्ना तथा सेस की अब तक के बकाया की वसूली के लिये किस मिल के ऊपर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मांगी गई सूचना संलग्न †तालिका क और ख में दी हुई है ।

आगरा जिले में खजानों का काम तहसीलदारों के सुपुर्द करना

*१०८—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या आगरा जिले में सरकारी खजांची के बजाय सरकार द्वारा तहसीलों के खजानों का काम तहसीलदारों को सुपुर्द कर दिया गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, आगरा के लिये सरकारी खजांची की नियुक्ति होने तक आगरा जिला के तहसीलों के खजानों का काम मात्र अस्थायी रूप से तहसीलदारों के द्वारा कराया जा रहा है ।

*१०९–१११—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—[प्रश्न ८२–८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

अतारांकित प्रश्न

१–२—श्री जलदार सिंह (जिला कानपुर)—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

[* * * * *]

भुखमरी से सम्बन्धित ३ अगस्त के दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—३ तारीख को दो कामरोको प्रस्ताव स्थगित किये गये थे । उस समय खाद्य मंत्री जी ने कहा था कि वे इसकी जानकारी हासिल करके देंगे । तो वे कृपा करके वाकयात बता दें फिर मैं निर्णय करूंगा इन दोनों के बारे में ।

खाद्य मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, उस दिन जो एडजर्नमेंट मोशन्स थे उनमें तीन जिलों के तीन गांवों के मुताल्लिक कहा गया था कि वहां भुखमरी के वाकयात हुए हैं । चुनांचे मैंने उन तीनों जिलों के तीनों गांवों से इत्तला मंगाई है और जो इत्तला मेरे पास पहुंची है उससे यह मालूम होता है कि उन तीनों में से कोई भी वाकया भुखमरी का नहीं है और जो कुछ इस एडजर्नमेन्ट मोशन में कहा गया है वह सही नहीं है ।

पहला जो उदाहरण दिया गया था वह जिला आजमगढ़, मौजा सकरानक का मुताल्लिक था । वहां की इत्तला यह है कि एक कोई बच्चा डेढ़ महीना हुआ मर गया था और उसकी मां से जब पूछा गया तो उसने कहा कि यह बच्चा भूख से नहीं मरा था, बल्कि अपनी मौत से मरा था । उस जमाने में उसके बाप वहीं मौजूद थे, लेकिन अब वह बम्बई में है और नौकरी कर रहा है । मां हट्टी-कट्टी वहां मौजूद है और उसके पास १५ बीघा जमीन है और वह काश्तकारी कर रही है । खुद भी काम करती है । उसके घर में जाकर देखा गया तो मालूम हुआ कि वहां पर थोड़ा अनाज भी उसकी जरूरत के लिये मौजूद है तो यह सवाल इस मौजे में किसी वाकये के हिसाब से नहीं उठता ।

दूसरा जो उदाहरण दिया गया वह जौनपुर जिले का था, मौजा कुरेठा का । वहां का यह किस्सा है कि एक तूनी नाम का हरिजन है जो वहां रहता है । उसकी बीबी है

---

†तालिका छापी नहीं गयी ।

[श्री] अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया ।

[illegible] जो है [illegible] उसकी मां भी उसके साथ रहती है। उसकी उम्र ६० वर्ष की है। इसके तीन बच्चे थे। एक ६ वर्ष का और एक ७ वर्ष का। यह दोनों अभी जिन्दा हैं। एक तीसरा लड़का जो दो वर्ष का था कोई एक महीना हुआ मर गया। उसको चेचक निकली थी। दूसरे बच्चे को भी चेचक निकली थी, लेकिन वह अच्छा हो गया और अपने [illegible] के साथ रह रहा है। तो कहने का मंशा यह है कि जो यह वाकया बयान किया गया वह भी भुखमरी का नहीं है।

श्री अध्यक्ष—एक तो [illegible]लाल जी का था और एक रामसुन्दर जी पांडेय का था.........

श्री सैयद अली जहीर—ये तीनों मसले श्री रामसुन्दर पांडेय के एडजर्नमेंट

श्री अध्यक्ष—तो तीनों के बारे में आपका कहना है [illegible] भुखमरी के वाकये नहीं हैं।

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, [illegible] दो मसले हुए। तीसरे के बारे में कहा गया कि बलिया जिले में एक गांव है रतनपुरा। वहां किसी की मौत भुखमरी से हुई है। उसके मुताल्लिक यह इत्तलात है कि वहां पर एक बच्ची कोई ७ बरस की थी, तीन चार दिन हुए मर गई। वह लड़की अर्से से बीमार थी और उसका इलाज अस्पताल में हो रहा था। वहां रतनपुरा में एक अस्पताल है डेवलपमेंट ऐण्ड ब्लाक हास्पिटल। उसी में उसका इलाज हो रहा था और उसको पेट की शिकायत थी और उसी की वजह से वह मरी है। उसका बाप ४५ साल का है, वह जिन्दा है। कुछ साल हुए वह ब्रांच पोस्ट मास्टर था, लेकिन अब नहीं है और उससे अलग हो गया है। उसके तीन और भाई हैं जिनमें से एक की फ्लोर ऐण्ड आयल मिल्स है, जो रतनपुरा में ही काम कर रही है और उसका पक्का मकान है जिसमें वह रहता है। तो एक मामूली हैसियत का वह आदमी है और उसकी बच्ची की जो मौत हुई है वह पेट की बीमारी की वजह से हुई है। तो यह देखने का है कि उसका बाप मौजूद है, अजीज मौजूद हैं, जिनके पास मिल है, पक्का मकान है और उसके बाद भी यह कहा जाता है कि यह भूख से मर गई। यह किसी तरह से नहीं नहीं हो सकता। तो इस तरह की मिसालें दी जा रही हैं और अखबारों में भी छप रही हैं। यह बलिया और जौनपुर की मिसालें अखबारों में छपी हैं। तरह-तरह की खबरें अखबारों में छपती हैं। तो इस तरह की खबरों के ऊपर एडजर्नमेंट मोशन देना कोई मुनासिब बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—यह चीज मेरे पास नहीं भेजी गयी और चूंकि यह सवाल महत्व का पैदा होता है, तो मैंने उसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की और गवर्नमेंट ने उसकी तहकीकात करके खबर दी। यह ठीक है। अब मैं यह समझता हूं कि उसके हिसाब से यह अनिश्चित हो जाता है। इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं कि यह कामरोको प्रस्ताव सदन के सामने लाया जाय।

श्री प्रभाकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष—इसके अलावा अब निवेदन नहीं हो सकता है। वह आप पहले बता सकते थे और इसके साथ ही आपको पहले भेजना चाहिये था। जिस समय आपका कामरोको प्रस्ताव आया उस वक्त इसका आधार बतलाना चाहिये था कि क्या जांच की जाय। यह सब उसी रोज आना चाहिये। वह आपने नहीं दिया। केवल अखबार ही

[श्री अध्यक्ष]

मुझे दिया है। मैं उसी समय प्रस्ताव को रिजेक्ट कर सकता था, लेकिन यह एक महत्व का प्रश्न था चूंकि एक जिम्मेदार सदस्य ने यहां पर पेश किया था, तो मैंने सोचा कि सूचना सदन को मिलनी चाहिये गवर्नमेंट की ओर से। मैंने वह सदन को दिला दी।

जिला पीलीभीत में पुलिस के निरंकुश व्यवहार से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री प्रतापसिंह का है जिसमें वे कहते हैं कि "जिला पीलीभीत में जो पुलिस के निरंकुश व्यवहार के कारण भयानक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें तीन खून हो गये हैं और आगे क्या होगा यह नहीं कहा जा सकता है। एक तार कल आया और खून होने का समाचार तो सभी प्रमुख पत्रों में आ चुका है।

अतः उपरोक्त कारणों से मुझे संलग्न कामरोको प्रस्ताव आज प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाय"।

यह तो केवल ऐसी चीज है जो स्थानीय शासन से सम्बन्ध रखती है। इसलिये यहां पर नहीं आ सकती है, क्योंकि सरकार से इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है।

दूसरी चीज यह है कि पुलिस का अनुदान भी जल्दी ही सदन के सामने विचारार्थ आने वाला है, उस समय आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। इसलिये मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

पूर्वी जिलों—विशेषकर गोरखपुर जिले में घाघरा राप्ती, आदि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा प्रस्ताव श्री मदन पांडेय का है जिसमें वह कहते हैं कि "पूर्वी जिलों में तथा विशेषकर गोरखपुर जिले में घाघरा, राप्ती तथा इनकी सहायक नदियां आमी, कुआनो, तरैना आदि और रोहिन, छोटी गंडक, बड़ी गंडक में भयानक बाढ़ के कारण इन नदियों के किनारे बसने वाले हजारों व्यक्तियों का जीवन विपन्न हो उठा है। फसलें नष्ट हो चुकी हैं। पशुओं के लिये जिन्दगी चारे के अभाव में दूभर हो उठी है तथा इनमें भी विशेषरूप से महाराजगंज तहसील के अर्जुन ही, सगरदीन ही, मेंडिहारी, गोसाईपुर बढ़या, डोमा, चरभरिया, कलनहीं बसहिया, नरसिंहपुर, खपरधिका, सोहगी बरवा, शिकारपुर, बकुलहिया, रेगहया, सितलापुर, लक्ष्मीपुर बाजार, भरवालिया, चटिया, चरगंहा गुरली खेसरारी, चैनपुर, रानीपुर, मझउवा, आदि ग्रामों की खरीफ की फसलों को विशेष क्षति पहुंची है तथा सरकारी इन्तजाम बाढ़ से जनजीवन और धन की रक्षा करने में असफल रहा। अतएव सरकार की इस विफलता तथा भविष्य के लिये बचाव के समुचित उपायों का अवलम्बन करने पर विचार करने के लिये यह सदन कार्य स्थगन करे।

मैं जानना चाहता हूं कि इस विषय में माननीय मंत्री जी को कुछ जानकारी है?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—अभी तक गोरखपुर से कोई खबर हमारे पास इस बाढ़ के सिलसिले में नहीं आयी, जिसका जिकर मेरे मित्र ने अपने मोशन में किया है। यह पानी पड़ता है और नदियों में पानी चढ़ता और फिर वह फैलता है। गांव वाले वहां से अपना सामान उठाकर अन्य जगह ले जायेंगे और दो महीने के बाद फिर ले आयेंगे। इसलिये हमने उस को मालूम करने की कोशिश भी नहीं की है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह एक आदरणीय सदस्य की तरफ से आ चुका है। तो अब आप कृपा कर मालूम करें और किसी दूसरे रोज सदन को यह इत्तिला दें। तब मैं इसके ऊपर फैसला दूंगा। बात यह है कि आप को इसका पता नहीं है और उनको इसका पता है, इसलिये उन्होंने भेजा। अब आप वहां से सही जानकारी हासिल करके सदन को बतलाइयेगा।

श्री चरणसिंह—जानकारी मालूम करूंगा, लेकिन कुछ गांवों में पानी आ गया है, तकलीफ है और सरकार उसको रोकने में असफल रही है, तो सरकार हर जिले में पानी को रोकने के लिये असफल रहेगी।

श्री अध्यक्ष—जब आप इत्तिला देंगे फिर आप इस पर बहस कर सकते हैं कि इसके ऊपर कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता, लेकिन इत्तला ही नहीं दें, यह बात नहीं हो सकती। वह तो आप को सदन को इत्तला देनी होगी। जब ऐसी चीज उठायी गयी है तो यह कल लिया जायगा। कल तक आप फोन वगैरह से मालूम कर लीजिये।

आगरा जिले में सोशलिस्ट सत्याग्रही श्री रामसिंह की मृत्यु के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक और कामरोको प्रस्ताव श्री रामसिंह चौहान का है जो इस प्रकार है—

"आगरा जेल में इटावा के सोशलिस्ट सत्याग्रही श्री रामसिंह की मृत्यु जेल अधिकारियों व डाक्टर की असावधानी एवं उचित चिकित्सा न होने के कारण २ अगस्त को हो गयी। जेल और पुलिस लाकअप में राजनैतिक बन्दियों तथा साधारण नागरिकों की मृत्यु का होना बहुत ही खेदजनक और चिन्ता उत्पन्न करने वाला विषय है। इस मृत्यु से सारे प्रदेश की जनता में सन्देह और क्षोभ का वातावरण उत्पन्न हो गया है।

अतः इस तात्कालिक विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

तो इस बारे में भी जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी को कोई जानकारी है?

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—गवर्नमेंट को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। अगर आप कहेंगे तो इसकी जानकारी कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष—इसको भी कल लिया जायगा।

वित्तीय तथा साधारण कार्य में विरोधी दल को अधिक समय देने तथा विरोधी दल के परामर्श से कार्य-क्रम निर्धारित करने के संबंध में सुझाव

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये आय व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव लिये जायेंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में अगर आपकी इजाजत हो और मेहरबानी फरमायें तो मैं कुछ निवेदन कर दूं कि किस प्रकार इस पर विवाद होने चाहिये। आज्ञा है?

श्री अध्यक्ष—जी हां, आप कहें।

श्री [illegible]—यह सर्वमान्य संसदीय पद्धति है कि अनुदानों में कौन से किस दिन लिये जायेंगे, उसका कार्यक्रम नियत किया जाता है विरोधी दल की राय से और तब सदन तय करता है कि वह अनुदान कब आवे। श्रीमन्, की सूचना के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी दल यहां विरोध में हैं और सरकारी दल, इन सबकी राय से एक मत हो कर कार्यक्रम नियत किया गया था। ऐसी बात नहीं थी कि केवल विरोधी दल ने ही कर दिए

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और श्रीमन् का ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ २८५ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें किस प्रकार से बिजनेस इ. सदन के सामने आता है वह गुप से दिया हुआ है। १, २, ३ ग्रुप हैं। तीसरा ग्रुप है रूटिन ऐंड फाइनेंशल बिजनेस और यह इनक्लूड करता है मेन ऐंड सप्लीमेंटरी एस्टिमेट्स। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज २८८ में हेडिंग है "आपोजिशन टाइम." उसमें लिखा हुआ है—

"[illegible] through the conventions mentioned above, they control the [illegible] time allotted to the third group of business-routine and financial [illegible]"

मेरे निवेदन करने का मंशा यह है कि फाइनेंशल बिजनेस में बल्क आफ दि टाइम जो है वह अपोजीशन कंट्रोल करता है। इसी मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ २८३ को श्रीमन् देखने की कृपा करें, तो उसमें यह लिखा हुआ है कि कौन-कौन से सब्जेक्ट को अपोजीशन चूज कर सकता है—

"The practical result of this arrangement is that the Opposition have the right, on any day which the Government allot to supply, to choose for discussion any one (not already voted) of about two hundred votes, covering all branches of administrative expenditure, which comprise the main and supplementary estimates".

यह भी मैं श्रीमन् की आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं कि अपोजीशन के समय और प्राइवेट मेम्बरान के समय के बारे में भी संसदीय प्रथा है और पृष्ठ २८८ में मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के, जहां अपोजीशन के बारे में लिखा है वहीं पृष्ठ २८७ में प्राइवेट मेम्बर्स के समय के बारे में भी दिया गया है कि किन मामलात में प्राइवेट मेम्बर्स को इनिशियेटिव लेने का अधिकार रहता है। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि अपोजीशन के इस अधिकार को संसदीय प्रथाओं के अनुसार यहां स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

दूसरी बात यह है कि इस आदरणीय सदन की भी यह प्रथा है कि जब ग्रान्ट्स लिस्ट की जाती है तो वह अपोजीशन लीडर के नाम से होती है और पूछा जाता है कि वह कौन सी पेश करेंगे। अब इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता, मुझे यह कहने में बहुत दुख है, लेकिन यह वाकया है, जो मैं श्रीमन् की सेवा में निवेदन कर रहा हूं।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा और जो मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं और जैसा मैंने अभी बताया कि साधारण तौर से बल्क आफ टाइम अपोजीशन का होता है और मैं इस यू० पी० की विधान सभा के सामने पहले भी कई बार इसका हवाला दे चुका हूं और जैनिंग्ज में भी लिखा है कि

"In the ordinary process of debate a speaker on one side is followed by a speaker on the other, a leader on one side by a leader on the other".

मुझे दुःख है कि यह सुविधाएं इन पार्लियामेंटरी प्रथाओं के अनुसार जो अपोजीशन को मिलनी चाहिये वह हमें नहीं मिलतीं। यहां हमेशा यह होता रहा है कि आदत में तय होकर कि कौन से दिन कौन सी ग्रान्ट ली जायगी, कौन सी गिलोटीन हो जायगी और किन-किन पर बहस होगी। हमेशा जितने व्हिप्स हैं और कभी-कभी लीडर्स में भी बात तय हो जाती है और कभी ऐसा नहीं हुआ कि सलाह के बिना कोई बात हुई हो। लेकिन विरोधी दल की हैसियत से और विरोधी दल के नेता की हैसियत से जो सेवा मुझे करने को मिली है उसके बारे में मैं केवल यह निवेदन करूंगा कि हमें खास तौर पर वाद-विवाद का मौका मिलना चाहिये, ताकि वाद-विवाद के फर्ज का उचित रूप से पालन करके हम अपना हिस्सा उसमें ले सकें।

श्री अध्यक्ष--माननीय नेता सदन कुछ कहना चाहेंगे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--जी नहीं, जहां तक मैं समझता हूं माननीय नेता विरोधी दल को हमारी ओर से शिकायत नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं यह प्रश्न जो तीन चार रोज से उठ रहा है इस विषय में पहले एक बार प्रश्न उठा था तो उस पर उपाध्यक्ष जी ने फैसला दिया था कि विरोधी दल को बराबर का समय मिलना चाहिये। तब से वही चीज चल रही है। मैंने माननीय त्रिलोकी सिंह जी से कहा था कि वह कृपा करके मुझे जैनिन्ग्ज की किताब दे दें तो मैं भी उसको देख लूं। तो यहां एक प्रथा चल रही थी उसी के अनुसार यहां काम हो रहा था। अब अगर उसमें कोई परिवर्तन करना है तो कोई अथोरिटी, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की हो, जैनिन्ग्ज की हो या लोक सभा की हो, वहां की कोई पद्धति हो तो वह बतायें उसको मैं देख लूं और तब अपनी इस पद्धति में परिवर्तन का मौका आ सकता है और तभी मैं इस विषय में अपना निर्णय भी दूं।

एक चीज का जिक्र मैं जरूर कर दूं कि चूंकि नेता सदन ने कहा कि उनके बारे में कोई शिकायत विरोधी दल के नेता को नहीं है, यानी बहुमत जिस दल का है उसके बारे में उनको शिकायत नहीं है इससे प्रतीत होता है कि विरोधी पार्टियों में ही कुछ मतभेद है ।......

श्री त्रिलोकीसिंह--जी ऐसा नहीं है, विरोधी पार्टियों में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जितने काम अंत तक किये गये हैं वे सब सर्वसम्मति से किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष--नहीं, आप के कथन में कोई गलत फ़हमी हो सकती है, उनके कहने से यही मालूम होता है। उसको, हम पहले सहूलियत से प्रथा निश्चित या कायम करके निपटा सकते हैं और इसलिये मैंने जिक्र किया था कि नेता विरोधी दल और पालीवाल जी, जो बहुत पुराने तजुर्बेकार हैं, और जो मैं समझता हूं वर्षों से रहे हैं सदन में। और-और पार्टियों के भी जो नेता हैं उनसे पहिले मैं बात कर लूंगा और उसके बाद जो अभी कोटेशन्स आपने दिये हैं इन पर भी विचार करके मैं आगे यानी या तो कल फैसला दूंगा या छुट्टी बीच में आ रही है उसके बाद, इस विषय में फ़ैसला दूंगा। अभी एक चीज मैं साफ़ कर देना चाहता हूं कि अभी तो यह तरीका रक्खा ही है कि जो यहां पर अनुदान आते हैं उनके विषय में राय पूंछ लेता हूं कि कौन-कौन से लेने हैं और जो नेता विरोधी दल ने कहा कि हम इसके ऊपर बहस नहीं चाहते तो हमने उसको स्वीकार किया। तो कम से कम एक बात निश्चित हो गई कि जिस पर बहस नहीं करना चाहते नेता विरोधी दल उसको स्वीकार कर लिया जाता है, इससे अन्य अनुदानों के लिये अधिक समय मिल जाता है। दूसरे भाषण देने में भी दूसरे पार्टी के नेताओं को थोड़ा ज्यादा समय मिल जाता है। यह सब चीजें तो होती जा रही हैं। यह भी मुझे इत्तला मिली है कि जो समय बोलने का सरकारी तथा विरोधी दल को दिया गया है करीब-करीब बराबरी का समय मिला है। इतना तो हो गया।

[श्री अध्यक्ष]

अब जो आपकी मांग, या तकाजा है उस विषय में तो कहना चाहता हूं कि जब मैं इसको अध्ययन कर लूंगा, राय भी ले लूंगा सब नेताओं की, उसके बाद मैं आपको निश्चित अपनी राय दूंगा।

श्री त्रिलोकीसिंह--मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। एक बात जो अभी अर्ज की कि कौन सा अनुदान पेश किया जायगा इसका अधिकार विरोधी दल को है। तो यह अधिकार क्या स्वीकार करते हैं कि वह किसी से कहें कि पेश करे या यह अधिकार विरोधी दल का है?

श्री अध्यक्ष--मैं इस कन्ट्रोवर्सी में नहीं आता हूं। वाकयात के आधार पर आप उस चीज को कह रहे हैं, मैं उसमें फंसना नहीं चाहता हूं।

श्री त्रिलोकीसिंह--तो फिर आज क्या होगा?

श्री अध्यक्ष--जो आप कहते जायंगे वह होता जायगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आप ने जैसा कहा कि यह बात तय करने को बाकी है कि मैं माननीय नेता विरोधी दल या और लोगों से सलाह करके बाद को उसके लिये फ़ैसला करूंगा। मैं समझता हूं इसका अर्थ यह है कि अब से पहले कोई निश्चय इस सम्बन्ध में नहीं हुआ था कि कोई नई नीति अपनायी जाय। तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो पिछले पांच वर्षों से परम्परा रही है वही प्रथा कायम रही और उसी पर काम करना चाहिये था। लेकिन मैं आप का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बीच में आप [illegible]

हमला नहीं करना चाहता, लेकिन आखिर आप की मर्जी नहीं थी, नेताओं में कोई बातचीत नहीं हुई थी, फिर बदली क्यों गयी। और बदली गई तो उसको आप समझें और जिसने बदली उससे भी पूछें कि उसको क्यों बदला और फिर झगड़ा क्यों हुआ? मैं इस ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस बात की गम्भीरतापूर्वक जांच करा लें और फिर कोई ऐसी बात नहीं है कि हम विरोधी दलों में रस्साकशी है, खींचतान है।

श्री अध्यक्ष--आप तो खूबसूरती कायम रखना चाहते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सवाल इस समय सदन के सामने है और उसके सम्बन्ध में आपने जो अपनी सम्मति प्रकट की कि उस पर यहां विचार और विवाद न हो कम से कम उससे पहले जब तक कि विरोधी दल के सब नेताओं से उनकी राय आप न जान लें और स्वयं उस प्रश्न का अच्छी तरह से अध्ययन न कर लें, मैं समझता हूं कि उसके बाद यह बेहतर होता कि इस तरह का विवाद यहां न उठाया जाता और मैं अब भी यह चाहता हूं कि जो घटना यहां हुई और उस घटना के बाद आज फिर जो यह सवाल यहां उठाया गया बेहतर होता कि वह यहां न उठाया जाता और इसके लिये सदन से बाहर आपस में बातें कर के उस सवाल को तय कर लिया जाता। तो मैं आप की इस अपील का विरोधी दल के नेता से फिर चाहता हूं, मैं उसका समर्थन करता हूं और अपील करता हूं नेता विरोधी दल से कि इन बातों का निर्णय जो कि हमारे आपस के बीच की हों और आपस के बीच की बातों में मैं इसको भी लेता हूं कि जो दूसरे लोगों को यह गलतफहमी हो कि हमारे बीच में कोई विवाद उठ खड़ा हुआ है, उनका हम लोग आपस में निर्णय कर लें बजाय यहां उसे लाने के तो ज्यादा अच्छा होगा। बस, मैं यहां इससे अधिक नहीं कहना चाहता। मुझे और जो कहना होगा वह जो बातचीत हम आपस में करेंगे तब कहूंगा।

श्री त्रिलोकीसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो आप की बात मान ली। इसमें कोई गलतफहमी मालूम होती है, वर्ना मैं खुद इस बात पर जोर देता कि इसका निर्णय अभी किया जाय।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस आसन पर आज आप विराजमान हैं उस पर पिछले पांच वर्ष भी आप रहे हैं। यहां परम्परा जो रही वह सभी को मालूम है कि माननीय नेता विरोधी दल के नाम से कट मोशंस आते रहे, उन्हीं का नाम सब से पहले लिखा जाता था। उनकी पार्टी का ही कोई न कोई यदि वह चाहते रहे, उनकी पार्टी की ओर से उस कटमोशन को मूव करता था। पिछले सदन में जो दूसरा विरोधी दल था, जिसको मान्यता दी गई थी जहां तक मुझे याद है पिछले पांच वर्षों में शायद ही कोई कटमोशन उस की तरफ से मूव किया गया हो। इस बार स्थिति उस बार से भिन्न है और इधर पिछले दिनों जब से इस बजट पर अनुदान ....

श्री अध्यक्ष--यह तो आप वाकयात पर आ गए। मैं समझता हूं कि वाकयात के बारे में अभी जिक्र करना ठीक नहीं। पहले तो यह है कि सदन के बाहर इस बात का जिक्र हो इन सब चीजों के बारे में और फिर प्रथा के विषय में विचार किया जायगा।

श्री झारखंडे राय--जो उसके विषय में पालीवाल जी ने जो सुझाव दिया है मैं समझता हूं कि वह व्यावहारिक है और उस को मानने में मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष--तो ठीक है।

१९५७-५८ के आयव्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री मुरय बहादुर शाह (जिला खीरी)--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि अनुदान संख्या ४१--समाज कल्याण, गिलोटीन कर दी जाय यानी इस पर बिना विवाद के मत ले लिया जाय और अनुदान संख्या २८--श्रम, इस पर २६, २७ और २८ तारीखों में से किसी दिन इस पर बहस की जाय।

श्री अध्यक्ष--यह तो आप प्रोग्राम का पोस्टपोनमेंट कह रहे हैं। इसके लिये जो नियम बना हुआ है वोटिंग आन डिमांड्स के बारे में--

"The voting of demands for grants shall take place on such days (not exceeding twenty) before 10th of May every year as the Speaker may, in consultation with the Leader of the House, allot for the prupose."

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--इस सम्बन्ध में बात हो गई है कि इन तारीखों से इसे हटाकर आगे की किसी तारीख में इस पर विवाद हो जाय।

श्री अध्यक्ष--तो मैं एडमीशन चाहूंगा लीडर आफ दी हाउस से कि क्या वह पोस्टपोन करने को तैयार हैं?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम हुआ है कि यह सवाल कल उठा था और माननीय वित्त मंत्री ने गवर्नमेंट की तरफ से इस बात को स्वीकार कर लिया है। इसलिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष--तो किस तारीख को श्रम को आपने रक्खा?

श्री मुरय बहादुर शाह--२८ अगस्त को। आज अनुदान संख्या २१, २३ और ४५ और कल के लिये १९ और २० लिये जायं।

श्री अध्यक्ष--इसमें समय का निर्धारण क्या होगा?

श्री मुरथबहादुर शाह—२३ तो अभी ले ली जाय और २१ व ४५ एक साथ ले ली जायं। २३ के लिये डेढ़ घंटा व बाकी समय अनुदान संख्या—२१ व ४५ के लिये रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, यही रहा।

अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ५७—समाज कल्याण

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री पहले अनुदान संख्या ४१ पेश कर दें। उस पर बहस नहीं होगी। केवल राय ले ली जायगी।

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ५७—समाज कल्याण—विविध के अन्तर्गत ७०,००,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ५७—समाज कल्याण—विविध के अन्तर्गत ७०,००,२०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकर की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४१—पशु चिकित्सा

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४१—पशु-चिकित्सा के अन्तर्गत १,८३,२५,००० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

इस सम्बन्ध में श्रीमन् की आज्ञा से, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं उन आदमियों में से हूं जो इस बात पर यकीन करते हैं कि अपने ऐब अपने को नहीं दिखाई पड़ते। मैं तो समझता हूं कि सारे काम जो मैं कर रहा हूं या मेरे जरिये से हो रहे हैं बहुत ठीक तरीके से हो रहे हैं, जिनके बारे में—इस बजट के सम्बन्ध में जो साहित्य बटा है—उसमें भी उसका पूरा-पूरा हवाला है। हमारे पास तो यह एक ऐनक है। हम उसी से सब चीजों को देखते हैं। तो ऐसी हालत में वह ऐनक हमें फिट नहीं करेगी, उधर ही करेगी। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं जितना ही कम वक्त लूं उतना ही अच्छा है ताकि हमारे और साथियों को, जो इस तरफ और उस तरफ विराजमान हैं उनको काफी समय मिले, ताकि वे अपनी-अपनी बातें विस्तार के साथ इस सदन के सामने पेश करें और मुझे उम्मीद है कि एतदाल से सब काम लेंगे और सही हालात के बयान करने में काफी होशियारी से काम लेंगे।

(इस समय १२ बजकर ४५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष श्री राम नारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

और उससे मुझे रोशनी भी मिलेगी तो मैं ज्यादा वक्त अपने मित्रों को देना चाहता हूं। हमारा हमेशा यह दस्तूर रहा है और दस ग्यारह साल का अनुभव है कि मैंने कोई शुरू में लम्बी स्पीच देकर तमाम वक्त सदन का नहीं लिया और अपने साथियों को पूरा-पूरा मौका दिया है। लिहाजा मैं और कुछ न कहकर आशा करूंगा कि जो साहित्य हमने बजट के सिलसिले में दिया है और उसमें जो वजूहात दिये हैं उनकी माकूलियत को देखते हुए, मैं आशा करता हूं कि सदन इस धन को अवश्य मंजूर करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—इस ग्रांट के बारे में क्या तय हुआ है?

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह तय हो गया है कि पशु-चिकित्सा पर डेढ़ घंटा रहेगा। अगर सदन मंजूर करे तो इस पर एक घंटे का समय नियत कर दिया जाय और इसे श्री रामस्वरूप वर्मा पेश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--एक घंटे का जो सुझाव नेता विरोधी दल का आया है, मैं समझता हूं कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसलिये इसके लिये एक घंटा रहेगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी.....।

राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)--दूसरी जो ग्रांट पेश होगी उसके बारे में भी माननीय नेता विरोधी दल बतला दें तो वह तैयार हो जांय।

श्री उपाध्यक्ष--वह तो संभवतः निश्चित है और आपके दल के सदस्य श्री राघवेंद्र प्रतापसिंह जी कटौती का प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा--मुझे मंत्री जी की इस बात से बड़ी खुशी हुई कि वह हम लोगों के सुझाव लेना चाहते हैं और उन पर विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके वह हम लोगों के सुझावों से ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें लेकिन इस संबंध में मैं एक बात कह दूं कि सुझाव देना और ठीक बात कहना हम लोग अपना फर्ज समझते हैं। अब जो मंत्री जी वचन देते हैं उस पर विश्वास करके हम अपने सुझाव देंगे। लेकिन पिछले साल के बजट के देखने से मालूम होता है कि विरोधी दल के सुझावों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। खैर, फिर भी जब उन्होंने आश्वासन दिया है तो मैं इस संबंध में अपने सुझाव पेश कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान में सबसे पहली बात तो यह है कि संचालन और निरीक्षण के काम पर खर्चा बहुत ज्यादा है। तीन लाख से अधिक इस पर खर्चा किया जा रहा है और हालत यह है कि इसका संचालन न तो इस प्रकार हो रहा है जैसा कि इस अनुदान का मतलब है और जनता के पास पशु-चिकित्सा संबंधी जानकारी नहीं पहुंच रही है। जब निरीक्षण के काम पर इतना खर्च किया जा रहा है और जनता यानी गांव के लोग इतना भी नहीं समझते हैं कि उनके लिये सरकार ने करोड़ों रुपये का इन्तजाम कर दिया है, जो पशुधन की उन्नति के लिये है। मैं समझता हूं कि संचालन और निरीक्षण का काम ठीक तरह से नहीं हो पाता है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--प्वाइण्ट आफ़ आर्डर। माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया और भाषण दे रहे हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या २३--पशु-चिकित्सा--लेखा शीर्षक ४१--पशु-चिकित्सा के सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--इस संबंध में आप यह भी जान लें कि दोनों वक्त के लिये, जवाब देने के लिये और इधर, मैं समझता हूं कि आपका १० मिनट भाषण करना ठीक होगा और बाकी सदस्यों को ५-५ मिनट, क्योंकि समय एक ही घंटा है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--जी हां। मैं यह कह रहा था कि ३ लाख रुपये से अधिक का अनुदान सिर्फ उसके संचालन और निरीक्षण के लिये है जबकि संचालन और निरीक्षण का यह हाल है कि गांवों में इन योजनाओं का पता नहीं है और न गांवों की कोई उन्नति हो रही है। तो पहली बात इस अनुदान के संबंध में यह है कि इसको कम किया जाय और प्रचार वगैरह से जो फायदा है वह गांव पंचायतों से लिया जाय।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

दूसरी बात यह है कि इसमें जो पशुओं के विकास के संबंध में बात कही गयी है और साथ ही साथ कृत्रिम गर्भाधान इत्यादि के ऊपर व्यय करने की व्यवस्था की गयी है, तो मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था से जन-साधारण को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। ज्यादातर ये केंद्र शहरों में ही स्थापित हैं जबकि अधिकतर पशु देहातों में हुआ होते हैं। उदाहरण के लिये कृत्रिम पशु गर्भाधान केन्द्र कानपुर शहर में है जबकि वह वहां के देहात में होना चाहिये था। तो इससे सर्वसाधारण को कोई लाभ नहीं हो सकता और न देहात की जनता ही यह जानती है कि इस प्रकार के कोई कृत्रिम पशु गर्भाधान केन्द्र हैं।

इसी संबंध में मैं एक बात और कह दूं कि बहुत से देहातों में ऐसी गायें, भैंसें मिलेंगी जिनका गर्भाधान नहीं हो रहा है, जिसके कारण देहात का पशु-धन खत्म हो रहा है। सरकार को सबसे पहले इस संबंध में सहायता करनी चाहिए ताकि ऐसे पशुओं का गर्भाधान हो सके।

एक बात चिकित्सा के संबंध में और कहनी है कि आमतौर से जनसाधारण को चिकित्सा सुलभ नहीं है। जब लोग डाक्टर के पास पहुंचते हैं तो वे गांवों में जानवरों की दवा करने के लिये जाने से इंकार करते हैं और एक जगह से नहीं कई जगहों की शिकायतें मेरे पास मौजूद हैं, जबकि डाक्टरों ने बीमार जानवरों को जाकर नहीं देखा और वे मर गये। खासतौर से पूर्वी जिलों में जब बाढ़ आयी थी तब हजारों की तादाद में जानवर बीमार हुए और मरे, लेकिन सरकारी डाक्टरों और वेटेरिनरी आफिसर्स ने कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की, जिससे रोग का निदान होता और कम से कम पशु मरते। इस प्रकार जब पशुधन का नाश होता है और उनके विकास के कोई साधन नहीं रखे गये हैं, तो मैं समझता हूं इस धन का सर्वथा अपव्यय होता है और केवल कुछ अफसरान ही उससे मौज उड़ाते हैं, जन और साधारण का कोई लाभ नहीं होता है। मेरा विश्वास है कि पशु चिकित्सा की योजना पर जितना रुपया खर्च किया गया उसके ८० फीसदी से जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। इस वजह से मैं जरूर चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि वह खासतौर से ऐसी व्यवस्था करें कि जो इस प्रकार का अपव्यय हो रहा है और जनता तक इसका प्रचार न होकर अनुदान की रकम का जो खर्च हो रहा है, इसको रोका जाय।

इस सम्बन्ध में एक बात यह कहनी थी कि पशु-किकित्सा के सम्बन्ध में एक शिक्षा का इन्तजाम यहां है और उस पर ५,००,००० रुपये से अधिक खर्च किया जा रहा है। इस देश में शिक्षा हो इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती, लेकिन अधिकारियों पर पौने चार लाख रुपया खर्च किया जा रहा है कि जो समुद्र पार जाकर सीखते हैं। मैं समझता हूं कि यह हमारे देश की संपत्ति का अपव्यय है। इससे अधिक उपयोगी यह बात होती कि हम अपने देश के विद्यार्थियों को बाहर भेजते। यह हो सकता है कि उन विद्यार्थियों में अधिकांश ऐसे होते कि जो मुख्य अधिकारियों की सिफारिश पर या कुटुम्बवाद के तरीके पर वहां पहुंच जाते और उनको सीनियरिटीज भी मिल जाती है कि उनके पास डिग्री है, लेकिन उसके होते हुये भी मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों व अधिकारियों को बाहर भेजने का अन्त होना चाहिये। मैं नहीं समझता कि विदेशों में जो पशुओं के संबंध में विज्ञान है, उनके सुधार और विकास की जो शैली है वह हमारे देश में कहां तक उपयोगी हो सकती है। ठंढे मुल्कों में जो अनुभव पशुओं पर किये जाते हैं वे गर्म मुल्कों में करने पर वैसा ही परिणाम नहीं देंगे.....

श्री उपाध्यक्ष---आपके भाषण का समय समाप्त हो गया। बाद में बोलियेगा।

*राजा वीरेन्द्रशाह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव मेरे मित्र ने पेश किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, समय ५ मिनट का है और इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुदान में सरकार ने जो रुपया मांगा है वह काफी है। मैं आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जब से गोवध बन्द हुआ है और गोरक्षा का सवाल सरकार के सामने आया है, सरकार के ऊपर खासतौर से कुछ भार बढ़ गया, और उसका कर्तव्य हो गया है कि पशुओं के स्वास्थ्य तथा उनकी रक्षा के लिये वह कुछ उपाय करे और इसके लिये मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि वह जब तक कोई सही कदम नहीं उठायेगी वह कामयाब नहीं हो सकती।

मैं आपके द्वारा सरकार से कह देना चाहता हूं कि १९५४-५५ में इस असेंबली के सदस्यों की एक कमेटी—इस्टीमेंट्स कमेटी—बनाई गई थी और उसने बहुत छानबीन करके इसके मुताल्लिक अपनी रिपोर्ट पेश की। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार अपने विभाग का विस्तार तो करती जाती है, लेकिन उसमें जो सही रूप से खर्च नहीं होता, जो अपव्यय होता है उसको रोकने के लिये जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट पर वह कोई ध्यान नहीं देती। मंत्री जी ने कहा कि हम उसके सुझावों पर ध्यान देंगे। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह उसको अवश्य देख लें, क्योंकि उसमें बहुत छानबीन करके बतलाया गया है कि आप कहां काम करें और कहां इसकी तरक्की होनी चाहिये।

मैं श्रीमन्, यह भी कह देना चाहता हूं कि जो भूतपूर्व जमींदारों और कहीं-कहीं काश्तकारों के मेले होते थे उनमें सरकारी तौर पर पशुओं की जांच करने का इंतजाम होता है। उसकी ओर सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिये। वहां जानवरों को देखने की फीस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसका नियंत्रण अब होना ही चाहिये। पहले ८ आने लिये जाते थे और अब ६ रुपये लिये जाते हैं। कभी-कभी तो बेंचने वाला आता है और यूं ही लौट जाता है यह सोच कर कि बेंचने से फायदा क्या। इतने का तो धन भी नहीं है। यह ठीक है कि उस आमदनी को बरकरार रहना चाहिये, लेकिन कोई इंतिहा होती है। इस तरह से मेलों की तरक्की नहीं हो सकती। तो मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इसपर वह ध्यान दे और इसका नियंत्रण करे या कोई नियम बनावे कि जिसके द्वारा इसका नियंत्रण हो सके।

दूसरी चीज यह है कि सरकार की ओर से जिलों जिलों में जो यह गोसदन खोलने का विचार है उसके लिये ऐसा क्यों न किया जाय कि जिस तरह से जिलों में मवेशी खाने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के होते थे उनमें इनको खोला जाय। लेकिन वहां पर जानवरों को कुछ खाने को नहीं दिया जाता। अगर इसी तरह से इन गोसदनों को बनाया जायगा तो जनता वहां पर भूखों मरने के लिये अपने जानवरों को नहीं भेजेगी। इसलिये जब तक सरकार कम से कम उनके खाने के लिये चारे का प्रबन्ध नहीं करेगी तब तक इस प्रकार के गोसदन खोलना व्यर्थ है। जब तक वहां पर अच्छा प्रबन्ध नहीं किया जायगा जनता उसमें अपने पशु नहीं भेजेगी। अगर आप गोरक्षा करना चाहते हैं, जिससे कृषि में लाभ होता है तो वह तभी हो सकता है जब आप उसको लाभ की दृष्टि से करें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो गोसदन प्राइवेट लोग खोलें उनको सरकार सहायता देने की कृपा करे और सहानुभूति पूर्वक सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिये।

यह अस्पताल जो खोले जाते हैं वह ज्यादातर तहसीलों के हेडक्वार्टर पर खोले जाते हैं या कस्बों में खोले जाते हैं, किन्तु मेरा निवेदन यह है कि जहां पर बड़ी-बड़ी मंडियां हों वहां पर इनको खोलना चाहिये। वहां पर काश्तकार अपने जानवरों को आसानी से ले जा सकते हैं। अभी पिछले दिनों देखा गया कि बीमारी से बड़ा कष्ट हुआ और लोग बड़े परेशान हुए कि वे इतनी दूर जायं। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं इस कटमोशन का समर्थन करता हूं।

श्री सुरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज मुझे बोलने का वक्त दिया। इस अनुदान संख्या २३ का जो अभी माननीय मंत्री कृषि विभाग ने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। साथ ही उनसे यह अनुरोध भी करना चाहता हूं कि हमारे पहाड़ी जिलों में पशु चिकित्सा के संबंध में

[श्री मूलचन्द रमोला]

तो काफी प्रगति हुई लेकिन वहां पर गांवों के दूर-दूर होने की वजह से लोग अपने पशुओं को जब वह बीमार होते हैं तो अस्पतालों में नहीं ले जा सकते। मैं उनसे यह अर्ज करूंगा कि जो स्टाकमेन क्वार्टर हैं उनको प्रत्येक पट्टी के सेंट्रल स्थान में बनाया जाय ताकि लोगों को उपयुक्त समय पर दवाई मिल सके।

साथ ही उनसे मुझे यह भी प्रार्थना करनी है कि हमारे यहां के पशु प्लेस के पशुओं से मुतअल्लिक होते हैं और जो रिसर्च सेंटर प्लेस में बहुत जगहों पर खोले जा रहे हैं, इसी प्रकार हमारे पहाड़ी प्रदेशों में भी खोलें, ताकि वहां की क्लाइमेट को देखते हुये और वहां की हालत को देखते हुये वहां के पशुओं की देखभाल का प्रबन्ध हो सके। हमारे टेहरी-गढ़वाल में खासकर गंगोत्री-जमनोत्री साइड में आमतौर पर लोग भेड़ बकरी पालते हैं और उनसे ही अपनी गुजरबसर करते हैं और उनकी ऊन से वह कपड़े बुनते हैं और वही ऊन यहां पर मे प्लेन्स में आता है। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि वहां पर एक प्लाट लेकर रिसर्च स्टेशन खोला जा सकता है।

मैं सरकार का विशेषरूप से शुक्रगुजार हूं कि उसने डंडा नामक स्थान पर, जो गंगोत्री से लगभग ७० मील नीचे है, एक फार्म खोला है और एक अस्पताल की इमारत बनाई है परन्तु वहां डाक्टर और दवाइयां जल्द पहुंचाई जावें। बल्कि किसी कोआपरेटिव या दूसरी संस्था द्वारा वहां दिये जावें, जिससे गांव वाले लाभ उठा सकें। वहां पशुओं की हालत बहुत खराब है, उनको ठीक से दाना या घास नहीं मिलता है। वहां चरी की तरह उन्हें कुछ नहीं मिल पाता है और न वहां चरी काटने की मशीनें हैं। घास उनके आगे डाल दी जाती है, खावे या न खावे। वहां के काश्तकारों और भेड़ बकरी पालने वालों की इस दृष्टि से शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये।

टेहरी-गढ़वाल में लोग पढ़े लिखे बहुत कम हैं और इसलिये वे कम्पटीशन्स में मैदानी लोगों के मुकाबले में नहीं आ सकते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनका नामीनेशन होना चाहिये। हमारी रियासत को उत्तर प्रदेश में विलीन हुये ९ वर्ष हो गये हैं, लेकिन आजतक वहां का एक भी वेटेरिनरी डाक्टर नहीं हो पाया है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कृषि मंत्री ने पशु चिकित्सालय के संबंध में अनुदान पेश करते हुये जो कहा है कि वे सुझाव चाहते हैं, सो मैं उनको २ सुझाव देना चाहता हूं। पहला यह है कि जब पशु चिकित्सालय शहरों, बाजारों या गांवों में नहीं थे तो देहातों में जड़ी बूटियों से लोग इलाज करते थे और पशुओं को बहुत लाभ होता था। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि ऐसे लोगों का संगठन बनावें और उस क्षेत्र के एन० ई० एस० ब्लाक से उनका संबंध जोड़ें। और उनसे काम लें उनकी मेहनत के बदले उन्हें कुछ देने की भी कृपा करें। पशु चिकित्सालय ज्यादातर सड़कों के किनारे हैं। इसलिये मैं यह भी चाहता हूं कि वहां के डाक्टर चल-चिकित्सालय के रूप में १०,५ गांवों के अन्दर रोजाना जावें, जिससे पशुओं को अधिक फायदा होगा। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इन दोनों सुझावों पर विचार करें।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा पशु चिकित्सालय मंत्री को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मैं उनमें जाग्रति पाता हूं कि उस ओर उनका विशेष ध्यान है। मैं उनका ध्यान भारतीय पशु चिकित्सा पद्धति की ओर भी लाना चाहता हूं। इस देश में कई हजार वर्षों से पशु धन के सम्बन्ध में महत्ता स्वीकार की जा चुकी है। गावः श्रेष्ठाः पवित्राः च पावनाः जगदुत्तमाः ऋते दधिघृताभ्यां नो गृहे यज्ञः प्रवर्तते इत्यादि, इत्यादि। यह नहीं कहा जा सकता कि इस देश के लोग पशुचिकित्सा के संबंध में बिल्कुल अनभिज्ञ थे। आसुरी, मानुषी और दैवी पद्धतियों से चिकित्सा होती है।

आसुरी. मानुषी, दवी चिकित्सा त्रिविधा स्मृता:" वनस्पतियों और जड़ी बूटियों द्वारा जो हजारों वर्षों में हमारे यहां पशु चिकित्सा होती रही है उसका अनुसंधान करना चाहिये। यह ...भन के अन्तर्गत क्रान्ति लावेगा ।

हमारे कृषि मंत्री जी क्षमा करें। मैंने डाक्टरों को देखा है, डुमरियागंज में भी देखा ... कि पशुओं को टीका लगाया और उसका स्वर्गवास हो गया। पूछने पर कहते हैं कि टीका लगाने समय उसमें कीटाणु प्रवेश कर गये। तो कीटाणु स्वर्गधाम पहुंचाने में सहायक हुये। इससे साधारण जनता में उनके प्रति और उनकी औषधियों के बारे में उदासीनता है। ... हमारे मंत्री जी स्टाकमैनों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यहां की जड़ी बूटियों में बहुत गुण हैं और वह उनका अनुसंधान करा लें। इससे मैं समझता हूं कि मंत्री जी अपने इस महान्-कार्य में सफल होंगे। हमारा देश कृषि प्रधान होने से यहां पशुधन बहुत बड़ा धन है। इसकी ओर पूरा ध्यान देना होगा। हमारे यहां मशीनीकरण से काम नहीं चलने वाला है। एक परम्परा सी बन गई है कि अपने यहां के बारे में भी कुछ चर्चा करनी चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान तहसील डुमरियागंज उत्तर ... की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां अभी तक कोई विकास नहीं पहुंचा है। वह बड़ा अभागा भाग है।

श्री उपाध्यक्ष—आप १ बज कर १७ मिनट तक बोल सकते हैं। उसके बाद हम उठेंगे।

श्री रामलखन मिश्र—हमारा ऐसा भाग है जहां आदरणीय त्रिपाठी जी को छोड़कर, जब वह सिंचाई मंत्री थे, या चौधरी चरणसिंह एक या दो बार वहां गये, और कोई मंत्री वहां नहीं पधारे हैं। सरकार से कोई काम कराना चाहें तो उसे रूपक दिया गया है लोहे का। उसे भट्टी में तपावें और उसके ऊपर प्रहार करें। उससे सरकार झुक जाय तो झुक जाय वर्ना असम्भव है। हमारे यहां पशु-चिकित्सालय स्थापित नहीं हो सका है। जिस समय बीमारी उत्पन्न हो जाती है उस बीमारी से हजारों की संख्या में पशु स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं। तो मैं अपने इस कथन के द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान बस्ती जिले के उत्तरी हिस्से की ओर, जो नेपाल की तरफ मिला हुआ है, दिलाना चाहता हूं। वहां पशु भी काफी संख्या में हैं और कृषि ही वहां का मुख्य उद्योग धंधा है। ऐसा करके ही आपका उद्देश्य पूरा हो सकता है।

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवशंकर सिंह (जिला रायबरेली)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय कृषि मंत्री जी को थोड़े से सुझाव अपने क्षेत्र के लिये देना चाहता हूं। मैं खासतौर से उनका ध्यान लालगंज की ओर दिलाना चाहता हूं, जो एक बड़ी मंडी है और वहां पर पशु चिकित्सालय की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि वह एक पशु चिकित्सालय वहां खुलवाने की कृपा करें क्योंकि जो पशु चिकित्सालय अब है, वह हमारे यहां के कुछ गांवों से २६ मील पड़ता है और अगर कोई पशु वहां बीमार हो जाय तो वहां तक पहुंचना भी असम्भव है। साथ ही वहां पर अभी हाल में रेन्डरपेस्ट की बीमारी फैली और उससे बहुत से पशु मर गये और खास कर भैंसों से तो तीन-तीन चार-चार गांव खाली हो गये। जब लोग डाक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि सल्फागाइनाडीन की १०० गोली लाओ और खिलाओ। आप सोच सकते हैं कि एक गरीब किसान सौ गोली कहां से ला सकता है। अतः मैं आप से नम्र निवेदन करूंगा कि थोड़ी सी तवज्जह हमारे यहां पशु चिकित्सालय और दवाओं की ओर भी दें।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)——श्रीमान् जी, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। इस प्रदेश में पशुओं की संख्या ४,६२,७६,६६० है और अलग-अलग जिलेवार जो संख्या दी गई है और इतनी बड़ी संख्या पर अनुदान दिया जा रहा है केवल ?? करोड़ रुपए का? पशु धन हमारी खेती के लिये मुख्य साधन है उसकी रक्षा के लिये जहां और उपाय किये जाते हैं, पशुशालाएं खोली जा रही हैं, लेकिन जो शफाखाने पशुओं के हैं वह काफी नहीं हैं, जहां सब पशुओं के टीका लग सके। जो मौजूद अस्पताल पशुओं के हैं उनके द्वारा ३०,००० पशुओं का इलाज नहीं हो सकता। इन पशु अस्पतालों में दवाएं इतनी कम हैं कि वह इस हालत में नहीं हैं कि बीमार पशुओं के इंजेक्शन लगा सके और दूसरे इलाज कर सकें।

वैसे तो हर जिले में आदमियों की जनसंख्या से कुछ ही कम पशुओं की जनसंख्या है। ४,६२,७६,६६० है और हमारे जिले बदायूं में ७५,५६६ दूध देने वाली गायें हैं, १,४२,७५५ भैंसे हैं, १२,५५० भेड़े हैं, ७१,८७८ बकरी हैं, ५,१६३ घोड़े हैं, ६१८ खच्चर हैं, ३,०५८ गधे हैं, ४२२ ऊंट हैं और ११,६७७ सुअर हैं। जब जिले में इतने जानवर हैं और कुल ४-५ अस्पताल हैं, तो तहसीलवार एक अस्पताल आता है मैं कहता हूं कि यह बहुत कम है, वह इसमें कटौती करा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इन अस्पतालों के लिये और पैसा दिया जाय। पशु धन हमारा मुख्य धन है, उसकी उन्नति के लिये ज्यादा से ज्यादा रुपया देना चाहिये और अधिक पशुशालाएं खोलना चाहिये। जो अस्पताल आपके हैं उनमें दवा नहीं रहती। उससे ज्यादा अच्छे तो वह वैद्य हकीम रहते हैं, जो गांवों में जानवरों की दवा बता देते हैं कि उसको प्याज दे दो, तेल दे दो या काली मिर्च और ?? मिला कर पिला दो. वह लोग बहुत होशियार होते हैं, जिन को सैताने कहते हैं। वह दवाएं सस्ती और मुफीद पड़ती हैं और आपके अस्पतालों की दवा बहुत मंहगी पड़ती है और गांव का यह इलाज है, और गांव का इलाज करने वाला कोई फीस नहीं लेता है। वह ने अपना फर्ज समझ कर अपनी ड्यूटी को अदा करता है, लेकिन जितने यह नौकर हैं इनको तो अपनी तनख्वाह से मतलब है चाहे पशु मरे या जिये। पारसाल मेरे पड़ोस में यह हाल हुआ कि सैलाब आया, जानवर मरने शुरू हुए, भैंस और भैंसे ऐसे मरने शुरू हुए कि कोई कढ़ेरने वाला नहीं मिला, उनका चमड़ा उतारने वाले नहीं मिले और पशुओं के लिये किसान बेहाल हो गये। तो ऐसी दशा में जहां पर आप इतने बड़े काम लेकर बैठे हैं अरबों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, वहां और खर्च करके पशुओं के लिये अस्पताल खोले।

श्री रामस्वरूप वर्मा——चूंकि समय बहुत कम मिला और बातें बहुत कहनी थीं इसलिये बीच में ही बन्द करना पड़ा और पूरी बातें नहीं कह पाया। खैर फिर भी मैं संक्षेप में आपके द्वारा मंत्री जी के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं, ताकि वे उन पर विचार करें और जवाब दें . . .

श्री अधिष्ठाता——आपके लिये कुल ५ मिनट हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा——कह रहा था जो विदेश जाने में शिक्षा पर व्यय होता है यह हमारे धन का बहुत बड़ा अपव्यय है और साथ ही साथ यह विधि भी गलत है। जैसा हमारे और साथियों ने बताया कि हमारे देश में जानवरों की चिकित्सा के लिये काफी जड़ी बूटी है और पुरानी शिक्षा पद्धिति काफी अच्छी है, जिससे सचमुच लाभ पशुओं को होता है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक केस बताऊंगा। मेरे इलाके में एक पुराने वैद्य हैं जिनको गवर्नमेंट से रिकग्नीशन नहीं है, उनकी चिकित्सा से जानवर ठीक हो जाते हैं और वेटेरिनरी अफसर की चिकित्सा से बहुत कम ठीक होते हैं और दवा भी कीमती होती है। तो मेरा सुझाव है कि विदेश में जाकर जो लोग इसकी शिक्षा लेते हैं वह गलत है, इसको बन्द करें। भारतीय पद्धति को अपना कर जड़ी बूटियों से ठीक करें। और अगर साइंस के विकास के लिये आवश्यक समझें कि इसकी शिक्षा होनी

हो चाहिये तो विदेश से एक प्रोफेसर को जो बहुत विद्वान् हो, यहां पर मुस्तकिल तौर पर कर लिया जाय तो कम से कम पैसे में वह ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सकेगा बनिस्बत इसके कि पौने तीन लाख रुपया विदेशों में खर्च किया जाय। वह रुपया भी हमारे देश में खर्च नहीं होता, बाहर खर्च होता है। अगर यहां पर किसी को रखा जायगा तो वह रुपया भी हमारे देश में ही खर्च होगा तथा सस्ते में काम भी हो सकता है। तो इस प्रकार का दोहरा नुकसान हम चाहते हैं भविष्य में न हो।

अन्त में मैं यांत्रिक क्षेत्र संबंधी जो २२ लाख की मांग है उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि यह जो यांत्रिक क्षेत्र का काम है कई सालों से सूबे में चल रहा है। सरकार का उद्देश्य यह था कि यंत्रों के द्वारा खेती की कहां तक उन्नति हो सकती है, इन तमाम बातों पर तजुर्बा करना था। समय काफी हो चुका, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है इनमें सिवा घाटे के लाभ नहीं हुआ। १९५२-५३ के आंकड़े मुझे प्राप्त हुए, मैंने एक सवाल भी किया था। मंत्री जी ने अभी उसका उत्तर नहीं दिया, और कुछ नहीं हुआ। १९५२-५३ में १८ हजार ६०० एकड़ से कुछ ज्यादा जमीन यांत्रिक क्षेत्रों में थी और उस पर सरकार का ३२ लाख से अधिक रुपया खर्च हुआ और ५ लाख का घाटा हुआ, बल्कि इससे कुछ ज्यादा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इतनी जमीन पर लाभ नहीं होता है, घाटा होता है और फिर भी हम उस काम को करते चले जायं और यह तजुर्बा हासिल न करें कि जो बड़े-बड़े ट्रैक्टरों की खेती है यह नुकसानदेह है और जो हमारे देश के साधन हैं उनके अनुकूल नहीं है तो इसको बन्द कर देना चाहिये। हमारे यहां अमेरिका, रूस की तरह तो जमीन है नहीं। यहां एक-एक, डेढ़-डेढ़ एकड़ एक आदमी पीछे पड़ती है तो आज हमारे देश में यांत्रिक खेती की जरूरत नहीं है। इसलिये इसको बन्द कर देना चाहिये। साथ ही साथ एक बात और है यह अनुदान पशु चिकित्सा अनुदान में रखी गई है, इसको तो कृषि में जाना चाहिये था।

मालूम हुआ एक डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट और क्रीएट कर दी गई। क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे अपने जवाब में कि यह जो पोस्ट क्रिएट की गई तो उसके बाद क्या एफिश्येंसी बढ़ी, पोस्ट आप बढ़ाते चले जायं और एफिश्येंसी न बढ़े तो इस प्रकार के कामों से मैं समझता हूं कि हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। पोस्ट आदमी के लिए क्रिएट की जाती है, आदमी पोस्ट के लिए नहीं बनाया जाता। यह एक सीधा सा चार्ज है और मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी उत्तर देंगे तो बतायेंगे कि अगर उनके आने से एफिशियेंसी बढ़ी है तो क्या मुनाफा हुआ और कब से मुनाफा होने लगा? लगातार घाटे में यह फार्म चल रहे हैं और इसके बावजूद भी सरकार उनको चलाये जा रही है। वहां जो काम करने वाले हैं, उनसे मंत्री जी को कुछ ऐसा मोह सा हो गया है कि वह उन फार्मों को बराबर घाटा होने पर भी चलाये जा रहे हैं। अगर वह उन फार्मों को तोड़कर वह जमीन किसानों में बांट दें तो उससे सैकड़ों किसानों का भला हो सकता है और जो सरकार इतना रुपया इन फार्मों पर खर्च करती चली जा रही है उतना रुपया वह किसानों को दे दे तो राष्ट्र की आमदनी दुगुनी हो जाय। इन सुझावों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं और आशा है कि सदन उसे स्वीकार करेगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले तो मैं टीकाराम जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कि अपने भाषण के जरिये से हमारे मित्र रामस्वरूप जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध किया। उनका कहना है कि इसमें से काटा न जाय बल्कि जितना और दिया जा सके दिया जाय। पहले ही से कमी है। और रामस्वरूप जी ने जो काटने का प्रस्ताव पेश किया है उसकी उन्होंने बड़ी मुखालिफत की। अब हमारे मित्र रामस्वरूप जी ने जो बातें कही हैं, मैं उनको यकीन दिलाता हूं, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जो सुझाव हमें मिलेंगे उन पर मैं विचार करूंगा और अगर वह मानने के योग्य हैं तो अवश्य मानूंगा और मानने के योग्य नहीं हैं तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

हमारे मित्र ने फर्माया कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत ज्यादा खर्चा रखा गया है। यह सभी भाई जानते हैं, यह नयी चीज अपने देश में चलायी जा रही है। इसके पहले इस वेटेरिनरी और एनीमल हस्बेंड्री विभाग का कहीं वजूद भी नहीं था। तो जब नयी चीज चलायी जाती है तो उसमें दिक्कतें भी पैदा होती हैं, परेशानियां भी हुआ करती हैं। कुल बजट में अगर देखा जाय तो ११५.८ लाख नार्मल बजट का नानप्लान का है। उसमें से ९.५ परसेंट केवल एडमिनिस्ट्रेशन पर है। बकिया और सब उसके प्रबन्ध के बारे में है। तो इस फिगर के देखने से यह नहीं कहा जा सकता कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में अखराजात बहुत ज्यादा है। इसका इतना विस्तार इस राज्य में है कि उसकी निगरानी भी आवश्यक है, नयी-नयी जो योजनाएं हैं उनको सफल बनाने के लिए भी देखभाल की जरूरत है। तो मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि मैं अपने मित्र से इत्तफाक नहीं करता कि एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा ज्यादा है।

दूसरी बात हमारे मित्र ने ऐसी कही कि देहात में इसका जरा भी कहीं फायदा नहीं पहुंचा। इतना पैसा खर्च होता है, देहात तक इसकी खबर भी नहीं पहुंची है। एक ऐसा स्वीपिंग रिमार्क दे दिया। तो इससे मेरे ऊपर यह प्रभाव पड़ा कि हमारे मित्र को देहात के मामले से कतई जानकारी नहीं है। कानपुर के जिले के बारे में मैं कहना चाहता हूं, हमारे मित्र को इसका ज्ञान नहीं मालूम होता कि पोखरायां उनके भोगनीपुर के बिलकुल करीब है। वहां भी एक चिकित्सालय है मवेशियों का। मैं वहां पारसाल गया भी था। तो वहां के लोगों ने मुझसे उसकी बड़ी प्रशंसा की कि इस चिकित्सालय से इस पूर्वी जवार के गावों को काफी लाभ पहुंचा है और इसकी और ज्यादा सहायता की जाय। तो वहां के रहने वालों ने मुझसे यह कहा और हमारे मित्र यह कहते हैं कि गांवों में उसकी खबर भी नहीं पहुंचती है, कोई जानता भी नहीं। अगर हमारे मित्र..... (एक आवाज) अब जरा सुनिये, पिंच करने लगा शायद। जरा खामोशी से सुनिये। मैं बहुत ही खामोशी के साथ आपको सुनता रहा। एक भौंतीपुर गौशाला है। वहां भी जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था और कई हजार आदमी मुझे वहां मिले। उसका वार्षिक उत्सव था। वहां भी आर्टिफिशियल सेंटर है और दवादारू का प्रबन्ध है। वहां के लोगों ने बड़ा संतोष प्रकट किया। इसी तरह ६ अस्पताल कानपुर के जिले में हैं। एक कानपुर खास में, रूरा, घाटमपुर, बिल्हौर, नर्वल और पुखरायां में। इतने अस्पताल हैं। कानपुर के जिले में जो अस्पताल हैं वे इर्द-गिर्द के गांवों को सर्व करते हैं और ३६ स्टाकमेन सेंटर्स हैं। वे सब देहातों में हैं। कानपुर शहर में एक भी नहीं। हमारे मित्र कहते हैं कि देहात में इसका संचार भी नहीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—कृत्रिम गर्भाधान हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—उन्हीं की जरूरत है और बड़ी उनकी प्रशंसा है। अच्छे सांड़ नहीं थे, लिहाजा पश्चिमी जिलों से सीमन का प्रबन्ध करके कानपुर के जिले में ज्यादा केन्द्र खोले गये, उससे लोगों को बड़ा लाभ हुआ, हमारे मित्र जानते हों या न जानते हों।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—बहराइच तक ले जाने की कोशिश कीजियेगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—देवरिया तक पहुंचायेंगे। जहां-जहां जरूरत होगी वहां पहुंचायेंगे, किसी की जरूरत बाकी नहीं रहेगी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कहना गलत होगा कि इसमें कुछ उन्नति नहीं हुई। मैं अपने मित्र गेंदासिंह जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उस तरफ इसका कोई संचार नहीं है, क्या बलिया में इसका संचार नहीं है? बहुत से माननीय सदस्य यहां हैं, बस्ती के लोग

यहां है. रामलखन जी भी कहते हैं कि डुमरियागंज में आर्टिफिशियल इन सेमिनेशन सेंटर खोला जाय। मैं जरूर इसका प्रबन्ध करूंगा। सब जगह इसकी जरूरत है और सबकी खबर मैं वक्तन फवक्तन लेता रहूंगा।

श्री अधिष्ठाता--आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बहराइच में भी है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी करूंगा। ऐसा कह देना कि कृत्रिम गर्भाधान से फायदा नहीं होता है यह वाकयात को आंखों से ओझल कर देना है। वाकयात को छिपा कर कोई बात कहना वह तो जहूर में आ ही जायेगा। मेरी ४३ स्कीमें हैं और मैंने उन स्कीमों को लागू किया है और उनको सारे सूबे में चलाना है।

मेरे मित्र शिवशंकर जी ने लालगंज के बारे में कहा कि वहां एक अस्पताल खोलना चाहते हैं। ऐसा योजना में है। इस मौके पर चारों तरफ से उसकी मांग है।

हमारे ऊदल जी ने कहा कि जो मुकामी वैद्य हैं पुराने उनको संगठित किया जाय। उसमें कोई हर्ज नहीं। उनको भी संगठित किया जा सकता है। लेकिन साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि पुरानी बातों पर कायम रहने से काम नहीं चलता।

हमारे मित्र रामस्वरूप जी ने एक बात कही, कई लाख रुपया रक्खा गया है फारेन एजूकेशन के लिये। मैंने बजट उलट मारा, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया। वह रुपया हम खर्च नहीं करते। कोलम्बो प्लान के लोग खर्च करते हैं। अगर वे किसी आदमी को भेजना चाहते हैं तो बड़ी खुशी है कि उनके खर्चे पर हमारे आदमी ट्रेंड होकर आ जाते हैं। हमारे यहां के टैक्सपेयर को कोई पैसा नहीं देना पड़ता।

जहां तक एजूकेशन का संबंध है मैं अपने मित्र को बतलाना चाहता हूं कि मथुरा कालेज हमने खोल रक्खा है। कई लाख रुपया खर्च हुए। बड़े अच्छे पैमाने पर वह काम कर रहा है और संभवतः १०० लड़के हम हर साल उसमें एडमिट करते हैं। दूसरी स्टेट्स के लड़के भी आते हैं और वहां वैज्ञानिक ढंग से तालीम दी जाती है। इस संबंध में ब्रीडिंग के लिये, बीमारियों को दूर करने के लिये तथा दवा-दारू के बारे में शिक्षा दी जाती है और पारसाल से पोस्ट ग्रेजुयेट की शिक्षा भी दी जाने लगी है। दस लड़के हम दे रहे हैं, जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है और जिस डिग्री के लिये अमेरिका जाते थे वह अब वहीं हासिल हो जायगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा--पौने चार लाख रुपये इस अनुदान में फारेन ट्रेनिंग के लिये हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन--मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। हमारे मित्र ने कहा कि हमारे यहां तालीम का कोई इंतजाम नहीं है। मथुरा कालेज बहुत दूर से दिखाई पड़ता है यानी कई मीलों से। हमारे मित्र तकलीफ गवारा करें तो देख आयें जाकर और अगर वह कोई त्रुटि बतलायेंगे तो उसको दूर करने के लिये भी मैं तैयार हूं।

हमने तीन लाख रुपये की विलेज ब्लाक स्कीम भी रखी है और ब्लाक्स खोले जा रहे हैं। हम ब्लाक्स पर ४०-४० सांड़ देंगे और हमारे मित्र कहते हैं कि इखराजात बहुत हैं। मिकेनाइज्ड फार्म्स पर गाय भी रहती हैं और खेती भी होती है। बड़े-बड़े अच्छे सांड़ ४०० रुपये में लेकर पंचायतों को केवल ५० रुपये में देते हैं तो इस स्कीम को फायदे के ख्याल से नहीं चलाया जाता है, बल्कि विकास के लिये चलाई जा रही है। इसलिये इसमें घाटा होना आवश्यक है। जिनको खेती का अनुभव है वह जानते हैं कि खेती के बिना पशुपालन और पशुपालन के बिना खेती नहीं हो सकती है। दोनों का चोली दामन का साथ है। हमारे मित्र गेंदासिंह जी सिर हिलाकर हमारी ताईद कर रहे हैं। खाली ट्रैक्टर्स से काम नहीं चलता है। हमारे बैल बड़े और पुष्ट होंगे तो हमारी खेती का अच्छा काम चलेगा।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र सब स्कीमों को पढ़ लें तो मालूम होगा कि हमारा कदम आगे की तरफ जा रहा है, न स्टेशनरी है और न पीछे की ओर जा रहा है। अगर वह बिना देखे मुखालिफत करेंगे तो हम भी जो फायदा उठाना चाहते हैं वह नहीं उठा सकेंगे। फिर शिकायत होगी कि जो सुझाव दिये जाते हैं उन पर तवज्जह नहीं की जाती है। लाल रोशनी आ गई है इसलिये मैं ज्यादा न कहकर अपने मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वह इस धनराशि को स्वीकार करें।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २३ के अन्तर्गत एक रुपय की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--अब प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३--पशु चिकित्सा--लेखा शीर्षक ४१--पशु चिकित्सा के अन्तर्गत १,८३,२५,००० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक ४०--कृषि संबंधी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५--लेखा शीर्षक ७१--कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री हुकुमसिंह विसेन--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१--कृषि संबंधी विकास, इंजीनियरिंग और खोज, लेखा शीर्षक ४०--कृषि के अन्तर्गत ३,३२,१४,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५--कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत, लेखा शीर्षक ७१--कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ९,९५,६९,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

राजा राघवेंद्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)--श्रीमान् जी, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि जो यह १० मिनट का समय आपने रखा है उसको कुछ बढ़ा दें, क्योंकि यह विषय बहुत महत्त्वपूर्ण है।

श्री अधिष्ठाता--१५ मिनट आपके लिये काफी होंगे।

राजा राघवेंद्रप्रतापसिंह--मैं कोशिश करूंगा लेकिन अगर दो, एक मिनट और हो जायं तो क्षमा कीजियेगा।

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक ४० और अनुदान संख्या ४५--लेखा शीर्षक ७१ के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय।

श्रीमन्, यह तो सभी को मालूम है कि यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण अनुदान है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह विभाग अन्नदाता है या जीवनदाता इसे कहा जाय तो भी कुछ गलत नहीं होगा। इस वास्ते सदन को इस पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करना है।

हमारी खेती की परम्परा आज की नहीं, बहुत पुरानी है और जब से सृष्टि कायम हुई है तभी से हमारे यहां के लोग इस पर निर्भर हैं। आज भी प्रांत में ७० फीसदी लोग खेती से ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। १९५४–५५ तक हमारे यहां खेती की जो उपज थी उससे हम काफी आत्मनिर्भर हो गये थे, परन्तु अब थोड़े दिनों से यह समस्या जटिल होती आ रही है। कारण यह है कि एक अनिश्चितता का वातावरण सारे देश में और विशेषकर हमारे प्रांत में फैलता चला जा रहा है। कुछ हमारे भाई अनर्गल, तरह-तरह की विचार-धाराएं इस खेती के विषय के ऊपर प्रयोग करने के लिये समय-समय पर कह दिया करते हैं, जिसके कारण देहात के रहने वाले परेशान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। कभी कोआपरेटिव फार्मिंग, कभी रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैण्ड, कभी सीलिंग, इन चीजों की चर्चा चल जाती है, जिसके कारण अनिश्चितता आ जाती है और लोग काफी परेशान हो जाते हैं।

एक वक्त था कि जब देश की आवाज थी, हमारे नेताओं की पुकार थी कि नौजवान लोग खेती में जुट जायं और गल्ला पैदा करें। बहुत से नौजवान जो आज और दूसरे काम अच्छा कर सकते थे वे खेती में जुट गये। देखा जाय तो इसी पहली पंचवर्षीय योजना में १३ लाख एकड़ जमीन निजी खेतिहरों ने तोड़ी है और डेढ़ लाख एकड़ जमीन एक सेंट्रल ट्रैक्टर्स आर्गेनाइजेशन था उसने तोड़ी। इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि करोड़ रुपया लोगों ने इसमें सर्फ किया। मगर आज दुर्भाग्य है कि आज वह लोग देशद्रोही के खाने में दर्ज किये जाते हैं और जिस तरह से जमींदारों को मिटाया गया उस तरह से उन को भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। आज यही कारण है कि वे देहात से बाहर की तरफ भाग रहे हैं। लोगों का रुझान शहरों की तरफ हो गया है। जिसके पास पैसा है वह कोशिश करता है कि शहर में जाय और वहां अपना पैसा लगाये और कोई कारण होगा जिसको कि शायद सरकार जानती हो कि शहर के जो मिलमालिक हैं या और दूसरे बड़े लोग हैं वे अपने को वहां ज्यादा सुरक्षित और निश्चिन्त समझते हैं। उनका अनुकरण करने की भी यह खेतिहर लोग कोशिश कर रहे हैं।

देखा जाय तो मालूम होगा कि पिछले पांच वर्षों में देहात की आमदनी केवल ५ फीसदी बढ़ी है और शहरों की १५ फीसदी। खेती की पैदावार के दाम न बढ़ने पायें आज सरकार भी इस बात की कोशिश करती है, लेकिन जो खेतिहरों की आवश्यक वस्तुएं हैं लोहा, कपड़ा आदि उन सबका दाम बढ़ जाता है। उन वस्तुओं का दाम बहुत बढ़ गया है और गल्ले का दाम पिछले ४-५ सालों से वही चला आ रहा है।

परसों चौधरी साहब ने कुछ नयी बातों पर रोशनी डाली और सीलिंग और कोआपरेटिव पर उन्होंने कुछ व्याख्यान दिया। मैं उनका आभारी हूं कि उससे बहुत काफी भ्रम दूर हो गया है। मगर मैं चाहूंगा कि सरकार इस भ्रम को जोरों के साथ दूर करे और जो यह अनिश्चितता का वातावरण फैला हुआ है उसको मिटाये। जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि अगर सीलिंग की जायगी तो ४-५ लाख एकड़ भूमि कुल निकलेगी बांटने के लिये। एक फीसदी जमीन हुई। अगर वह एक फीसदी जमीन बंट जाय तो उससे देहात की कोई खास प्रगति नहीं हो सकेगी। आज कल जिस तरह से इंसानों की पैदावार बढ़ रही है उसको देखते हुये शायद एक दो साल में वह चीज खत्म हो जाती है। मैं इस पर ज्यादा न कह कर यही प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस बात की कोशिश करे कि यह जो भ्रम है उसको दूर करने की कोशिश की जाय ताकि लोग खेती के धंधे में निश्चिन्तता से रह सकें। खेती ऐसा व्यवसाय है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि, जब तक शांतिपूर्ण वातावरण न हो लोग कर नहीं सकते। यह पान की दूकान नहीं है कि डली चूना लेकर बैठ गये और शाम को बेंच कर पैसे बना कर घर लौट आये। इसमें एक्सपेरीमेंटेशन हैं और दूसरे व्यवसायों की तरह काफी लागत लगती है।

[लाल राघवेन्द्रप्रतापसिंह]

यूं तो कहा जाता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को टाप प्रायरिटी मिलती है, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितना ध्यान इस विभाग की तरफ सरकार को देना चाहिये था वह नहीं दिया गया है। पिछले सालों में देखा जाय तो मालूम होगा कि इसको धीरे-धीरे कतर कर इसका महत्व घटा दिया गया है। आज इसकी कई शाखाएं हैं कि जो अलग-अलग निकलकर खूब एक दरख्त बन गई हैं। एनीमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, इस तरह से कई डिपार्टमेंट्स इससे निकले हैं और निकलते चले गये हैं और मैं तो कहूंगा कि जब से यह प्लानिंग विभाग निकला है तब से एग्रीकल्चर डिपार्टमेण्ट एक तरह से खत्म हो गया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो महत्व था, जो उसका काम था वह प्लानिंग की वजह से कम हो गया है और आज नतीजा यह है कि नानटेक्निकल आदमियों के हाथ में यह मुहकमा चला गया है। आज प्लानिंग के जो आदमी हैं वह इसको ज्यादा जरूरी समझते हैं कि जिस वक्त मंत्री महोदय जिले में जायं उनका स्वागत अच्छा हो, गांव की नालियों में खड़ंजा बिछा दिया जाय, कहीं कुयें का उद्घाटन करा दिया जाय, लेकिन पैदावार की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

अगर आप श्रीमान् जी, वहां जायं तो मालूम होगा कि कोई भी प्लानिंग डिपार्टमेंट को अधिक और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कम जानता है। ए० डी० ओ० को वहां पर बैठा दिया गया है, लेकिन उस मुहकमे का महत्व खत्म हो गया है। जब किसी डिपार्टमेंट का असर खत्म हो जाता है तो वह क्या उन्नति कर सकता है, इसको हर एक आदमी समझ सकता है। पहले जो इन्सपेक्टर वगैरह रहा करते थे वह मुहकमे से डरते थे, लेकिन आज ए० डी० ओ० हों या डी० ओ० उनको घूमने के लिये भले ही बनाया गया हो या दफ्तर में कुछ काम करने के लिये बनाया गया हो मगर किसी विकास की तरफ वह ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर इस डिपार्टमेंट को जिन्दा रखना है तो इस डिपार्टमेंट को महत्व देना चाहिये, लेकिन आज उसका महत्व कम किया जा रहा है और जो यह अफसर काम करने के लिये रखे गये हैं वह असल में इसको जानते नहीं हैं। ज्यादातर अहलकार अपने करेक्टर रोल से डरा करते है और जिनके हाथ में उनका करेक्टर रोल रहता है तो उनको देखकर ही वे चलते हैं। इस वास्ते खासतौर से इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है और जितना इसका महत्व बढ़ सके बढ़ाया जाय। साथ ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो अंग हैं उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्योरिटी आफ सीड्स का जितना प्रचार होना चाहिये उतना नहीं हो पा रहा है। इतना जानता हूं कि इस ओर प्रयत्न हो रहा है किन्तु ५ वर्ष हो गये प्योरिटी आफ सीड की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। मैं भी एक छोटा सा किसान हूं और सरकार के बतलाये हुये तरीकों पर अमल भी किया है। एक सेर बीज में २ १/२ मन और ५ मन साल में हो सकता है और पैदा किया जा रहा है। कोई वजह नहीं है कि अगर इस बात पर जोर दिया जाय तो इतना पैदा न हो। अगर ए० डी० ओ० या डी० ओ० से कह दिया जाय कि एक गांव में मुनासिब सीड का इन्तजाम कर दो तो उस सीड से वहां की २० फीसदी पैदावार बढ़ जाती है। खराब सीड होने की वजह से प्रगति नहीं होती है, यह आप सब जानते हैं। पता नहीं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ४८-४९ में लाखों मन बीज क्यों कोआपरेटिव डिपार्टमेंट को दिया? कोआपरेटिव डिपार्टमेंट कहां तक प्योरिटी आफ सीड्स पर ध्यान देता है यह सब लोगों को स्पष्ट है। अगर कोई कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में जाकर देखे कि प्योरिटी आफ सीड की क्या दशा होती है तो जिस प्रकार से बाजार में गल्ले की दूकान होती है वही दशा वहां पर भी होती है। इस तरह से अगर यह उम्मीद की जाय कि हमारे सीड का प्राबलम साल्व हो जायगा तो यह नामुमकिन चीज है।

साथ ही साथ एक चीज हम और देखते हैं कि आर्गेनिक मैन्योर की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसका कारण यह है कि हमारे यहां जो टैक्नीकल स्टाफ है वह

अन्डर हैं। वही इस काम को देखता है और वही कम्पोस्ट वगैरा का काम देखता है। लेकिन मैं यह समझता हूं कि आर्गेनिक मेन्योर की तरफ बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं देखता हूं कि जितने मेम्बर यहां पर मौजूद हैं कोई भी नहीं कह सकता है कि गांव के अन्दर जिसमें वह रहते हैं एक घूर में बाकी रह जाता है। बरसात के दिनों में वह सब बह जाता है। इसमें अभी तक कोई सुधार नहीं है। हम यह देखते हैं कि ३,४ वर्ष तक वह जमा किया गया और वह सारा का सारा कम्पोस्ट बन गया लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि जो हमारे अधिकारीवर्ग हैं वह इस कम्पोस्ट को जाकर देखें और सड़क के किनारे से जरा हटकर गांव में जाकर देखें कि कितनी उसकी दुर्दशा हो रही है और सत्यानाश हो रहा है। इस प्रकार की दशा हमारे यहां आर्गेनिक मेन्योर की हो रही है।

ग्रीन मैन्योरिंग की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट और फास्फेट से जो खाद की समस्या हल करने की कोशिश हो रही है वह एक स्वप्न सा है। मैं समझता हूं कि इसको इस्तेमाल करके देश बरबाद हो रहा है और उससे बरबाद हो जायगा। जब तक ग्रीन मैन्योरिंग और कम्पोस्ट खाद ऐसी चीजों की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया जायगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। मैं कहता हूं कि इस तरफ ध्यान बहुत कम है इसलिये इस तरफ ज्यादा ध्यान होना चाहिये। यह जो विलेज लेविल वर्कर्स हैं, ए०डी०ओज० हैं इनके ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिये कि उनको इतने गढ्ढे बनाने हैं, इतने सीड्स तैयार होने चाहिये।

जहां तक सीड्स डिपार्टमेंट की बात है, उसकी वही पुरानी प्रथा है कि समय पर बीज ही नहीं पहुंचता। इस साल मैंने ही ग्रीन मैन्योरिंग के लिए बीज लेना चाहा लेकिन नहीं मिला। मनिकापुर सीड स्टोर पर मक्के का बीज इस साल जुलाई के आखिर में पहुंचा। यह कहिये कि इस साल बारिश ही जुलाई के आखिर में हुई, नहीं तो अगर कहीं पहले बारिश हो गयी होती तो उसका क्या नतीजा होता? देखा गया है कि इस साल मक्के का बीज न होने से हमारे यहां डेढ़ रुपये और दो रुपये सेर तक मक्के का बीज बिका है। "का वर्षा जब कृषि सुखानी" वाली बात बीज के मामले में देखी जाती है। समय पर कोई बीज ही वहां नहीं पहुंचता। पता नहीं बाद में आने पर वह कहां इस्तेमाल होता होगा। इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये।

आज हमारे यहां कुछ रिसर्च वर्क भी हो रहा है। रिसर्च के संबंध में मैं यह कहूंगा कि उसमें बहुत डुप्लीकेशन होता है। अमेरिका और इंगलैन्ड में जिन चीजों पर रिसर्च हो चुका है और नतीजा निकल चुका है या और प्रांतों में नतीजा निकल चुका है वही जाकर यहां दुहरा दिया जाता है और रिसर्च आफिसर लोगों को यह दिखलाते हैं कि हमने यह रिसर्च किया है। इस तरफ डाइरेक्टोरेट का ध्यान जाना चाहिये कि जिस चीज का नतीजा निकल चुका है उसका डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिये। इस तरह से जो रिसर्च के काम हो रहे हैं उस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

हमारे प्रांत में तीन एग्रोनोमिस्ट हैं जिनमें एक एक के जिम्मे २५-२५ फसलें दी गयी हैं। मैं नहीं समझता हूं कि वे अफसर किस तरह से पचीस पचीस फसलों की अकेले निगरानी कर सकते हैं। इसलिये मुझे यह कहना है कि इस मुहकमे के अन्दर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी आ रहा है जो कि वहां से एक बार निकल गया था। फिर एक अंडे की शक्ल में आ रहा है और शायद उसका बच्चा भी निकल चुका है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहां खेती के कल औजार वही पुराने तरीके के चले आ रहे हैं। नैनी इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद ने कुछ नये इम्पलीमेंट्स तैयार किये हैं जिसके अनुसार उसका दावा है कि एक जोड़ी बैल पर २५ एकड़ जमीन की व्यवस्था अच्छी तरह से की जा सकती है। २५ एकड़ तो नहीं लेकिन मैंने भी उन इम्प्लीमेंट्स को इस्तेमाल करके देखा है और मैं समझता

[राजा राघवेन्द्रप्रताप सिंह]

हूं कि १५-१६ एकड़ जमीन की व्यवस्था उनसे अच्छी तरह से की जा सकती है। इम्प्लीमेंट्स अच्छे होने चाहिये जिनको हमारे बैल खींच सकें। लिहाजा एग्रीकल्चरल इंजी.नियरिंग की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये। हमारी मिट्टी, नमी आबहवा वगैरह को देखते हुये अच्छे कम औजार की व्यवस्था इस महकमे को करनी चाहिये।

केन डेवलपमेंट डिपार्ट भी इस बजट के अन्दर शामिल है। केन डिपार्टमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। गोकि एक विशेष फसल से इसका संबंध है मगर यह ऐसी फसल है जिससे लाखों करोड़ों रुपये किसानों के पास आ रहे हैं। इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये। यह मैं जरूर कहूंगा कि केन डिपार्टमेंट की मनोवृत्ति और रुझान जो है वह प्रोकैपिटलिस्ट है और वह धनिकवर्ग की जरूरतों का विशेष आदर करता है बजाय किसानों के। इसके मैं दो एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज एक नये किस्म के गन्ने की खोज हो रही है। जैसे पहले ४२१—४५३ नं० का जो गन्ना था उसकी बदौलत किसानों को काफी पैसा मिलता था. लेकिन अब जो खोज हो रही है वह इसलिये कि गन्ने में शक्कर ज्यादा हो, गन्ने का वजन चाहे कम हो। अगर शक्कर ज्यादा होगी तो मिल वालों को कम दाम में ही अधिक शक्कर मिल जायगी और किसानों को नुकसान होगा। आज जो कीमत फिक्स होती है और किसानों को जो दाम दिया जाता है —? अगर देखा जाय तो सन् ५१—५२ में ६६ से ६० प्रतिशत तक किसानों को रुपया मिल जाता था पर सन् ५३—५४ से ६० प्रतिशत तक टैक्स काट कर किसानों को मिलेगा और बाकी मिल वालों को मिलेगा। तो आप ध्यान दें कि इसमें दिनोदिन मिल वालों को ही लाभ होता जा रहा है बनिस्बत किसानों के।

दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस विभाग में गबन भी बहुत हुये हैं और बहुत गड़बड़ी हो रही है। रुपए का बहुत अपव्यय हो रहा है। सरकार का तो एक तरफ ध्यान गया है कि अब मोटरों पर व्यय कम हो, मिनिस्टर लोग मोटरों पर कम चलें लेकिन केन विकास विभाग के लोगों को यह शौक अब पैदा हुआ है और अब ए० सी० डी० ओज० तक के लिये मोटरें खरीदी गई हैं और हमारे यहां नवाबगंज एक छोटा सा यूनिट है वहां भी मोटर आ गई है। इसके अलावा एक प्रेस है और ताज्जुब है कि हम लोगों का जिले के बाहर से काम होता है और यह प्रेस पता नहीं क्या काम करता है? केन का जो बान्डेज होता है उसका भी ठीक प्रबन्ध नहीं है। मैं ज्यादा उदाहरण न देकर केवल अपने यहां का जरवल का उदाहरण दूंगा कि वहां पर बान्डेज का अन्दाजा इतना गलत किया गया कि गन्ना तुलसीपुर भिजवाना पड़ा।

हमारे यहां मिल वाले बड़े जोर से कोशिश में हैं कि रिकवरी बेसिस पर गन्ने के दाम दिये जाया करें। हालत यह है कि हमारा बेचारा किसान अपनी गाड़ी तक का ही वजन ठीक से नहीं देख पाता, वजन होता है कि गाड़ी खड़ी करो और हटाओ, फेंको, बड़े-बड़े माइन्टिस्ट्स रिकवरी का हिसाब ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो बेचारा किसान क्या देख सकेगा। अगर ऐसा किया गया तो बस भगवान ही किसानों का मालिक होगा। इस विभाग में सब कुछ हुआ. कोआपरेटिव फार्मिंग पर बड़ा जोर दिया जा रहा है लेकिन फंक्शनल कोआपरेटिव पर किसी का ध्यान नहीं है। जो सबसे बड़ी जरूरत है वह है किसान की पैदावार के मार्केटिंग की है और गल्ले के दामों के निर्धारण की। जरा सा देश सीलोन है वहां पर फसल आने से पहले ही गल्ले के दाम निश्चित हो जाते हैं और एलान हो जाता है लेकिन किसान यहां पर तो जखीरेबाजों पर निर्भर है, वह मंडी में जाता है तो पूछता है कि क्या भाव लगेगा, तो उसमें कह दिया जाता है कि अभी कोई भाव खुला नहीं है। इस तरह से जब वह परेशान हो जाता है तो मनमाने दाम उसके माल के लगा दिये जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि हमारे यहां भी वेयरहाउसेज खोले जायं और पहले से उसकी फसल के दाम मुकर्रर हो जायं। उसके सामने भी अच्छी खेती करने के लिये कुछ न कुछ इनसेन्टिव होने चाहिये। आज हालत यह है कि रूरल इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है कि हमारे यहां अधिकतर

है बेसिस पर चल रही है। इस तरह से उसका एक्सप्लायटेशन होता है। अब ज्यादा निवेदन मुझे नहीं करना है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सदन और माननीय मंत्री जी मेरे सुझावों पर विचार करेंगे और मेरे छोटे मोटे सुझावों पर सदन गौर करेगा।

*श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)—अधिष्ठाता महोदय, आज का विषय इस सूबे की बहुत बड़ी जन-संख्या से सम्बन्ध रखता है। मुझे उम्मीद है कि इस सदन के अन्दर जो सुझाव पेश किये जायंगे सरकार उन सुझावों पर खास तौर से तवज्जह देगी। मैं इस ग्रांट के अन्तर्गत आनेवाली जो दूसरी मदें हैं उन्हें छोड़कर केवल गन्ने के विषय में ही कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं। केन की सप्लाई जिस उसूल के जरिये से इस सूबे में हो रही है उस पर खास तौर से विचार करने की जरूरत है। अब तक होता यह रहा है कि तीनसाला औसत निकाल कर और उस पर केन की सप्लाई के आंकड़े रखकर किसान अपना गन्ना मिलों को देते हैं और इस तरह से उनकी सप्लाई का बन्दोबस्त किया जाता है। लेकिन इस सिस्टम के द्वारा नतीजा यह निकल रहा है कि जो बड़े काश्तकार हैं उनकी पर्चियां हर साल औसतन ज्यादा लगती चली जा रही हैं और जो छोटे काश्तकार हैं उनकी पर्चियां हर साल कम होती चली जा रही हैं। किसी तरह से बड़े काश्तकारान ने मैनोवर करके शुरू में किसी मौके पर अपनी सप्लाई बढ़ा ली और उसके आधार पर हर साल उनकी सप्लाई की पर्ची बढ़ती चली जाती है, चाहे गन्ना हो या न हो। लेकिन पर्चियां उनके पास पहुंचती हैं और वे लोग जिनको पर्चियां नहीं मिलती उनके गन्ने को वे लोग उन्हीं के नाम से मिल में सप्लाई करते हैं। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि किस तरह से गरीबों के हुकूक का हनन हो रहा है और किस तरह से ज्यादा पैसे वाले ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि किसी मिल की टोटल सप्लाई को सामने रख कर और उस मिल में जितने गन्ना उत्पादक अपना गन्ना देते हैं उनकी टोटल पैदावार को सामने रख कर औसत निकाल लिया जाय और हर साल इसी तरह से उनके सप्लाई कार्डस तैयार किये जायं और तीन साला औसत की बात को खत्म कर देना चाहिये। मेरा विचार है कि ऐसा करने से जो दोष पैदा हो गये हैं वे जाते रहेंगे और जिसके लिये जितनी पर्चियां ड्यू होनी चाहिये वह पर्चियां उत्पादकों को मिलती रहेंगी और उनकी सप्लाई ठीक होती रहेगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी केन सोसाईटीज हैं और उनके अन्तर्गत जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स बने हुए हैं वह बोर्ड केवल देखने मात्र के हैं और जितनी उन्हें ताकत दी जानी चाहिये वह नहीं है। कहने के लिये कहा जाता है कि सप्लाई के मामलों को उनकी राय से किया जाता है और उसमें उनका काफी हाथ रहता है। लेकिन वाकया यह नहीं है। सप्लाई का जहां तक ताल्लुक है उसका ताल्लुक तो सिर्फ जो गन्ना सोसाइटी का ए० सी० डी० ओ० होता है और मिल का केन इंस्पेक्टर होता है उसी से ज्यादा होता है। दोनों मिल कर जो तय कर लेते हैं, जिस परचेजिंग सेन्टर से जितना गन्ना खरीदना होता है वह खरीद लिया जाता है। अधिष्ठाता महोदय, यह सिस्टम गलत है। मेरा सुझाव है कि जितने भी लोकल बोर्ड्स हैं गन्ना सोसाईटीज के, मुख्तलिफ जोन्स के उनके गन्ने की सप्लाई उस मिल में और पैसे के मामले में जो कीमत की शक्ल में मिल से काश्तकारों को मिलता है उनका पूरा अधिकार होना चाहिये। अगर यह अधिकार नहीं दिया गया तो बोर्ड्स को नुकसान होता है और नुकसान यह होता है कि इनके शैल्टर में जो अधिकारी गन्ने के होते हैं वह मनमानी कर जाते हैं, अपनी ख्वाहिश का काम और आड़ ले लेते हैं बोर्ड्स की। इसलिये इन बोर्ड्स को ज्यादा ताकत दी जानी चाहिये ताकि यह हर जगह पर अच्छा काम कर सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रज सिंह]

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि गन्ने की जो काउन्सिलें मुख्तलिफ सेन्टरों पर कायम हैं, जो गन्ने के जोन्स में विकास का काम करती हैं उनको बिल्कुल ऐसी छूट दी हुई है कि उनके काम को देखने वाला नहीं है कोई। टेक्नीकल हैन्ड्स तो हैं नहीं। ए० सी० डी० ओ० होता है उसके जरिये से सब काम होता है और वह मनमानी भी करता है, कोई देखने वाला नहीं होता। तो इससे काफी पैसा उन सोसाइटीज का मुफ्त में इधर-उधर चला जाता है और काम भी नहीं हो पाता। इसके मुताल्लिक मेरा सुझाव है कि जिलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग और कैनाल इंजीनियर्स जो रहते हैं उनके जरिये से उन कामों की जांच करायी जाय और यह बात लाजिमी करार दी जाय कि उनके देख लेने के बाद जितना रुपया इसमें लगा है उस लिहाज से यह काम दुरुस्त है या नहीं।

एक बात और कहना चाहता हूं कि गन्ना डिपार्टमेंट इस किस्म के आदमी चला रहे हैं जिन्हें टेक्निकल नौलेज बिल्कुल नहीं है। इसको चलाने के वास्ते ज्यादा से ज्यादा इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ऐसे आदमी यहां लाकर के रखे जायं कि जो ऐग्रीकल्चरल नालेज से पूरी तरह वाकिफ हों और मेरा ख्याल है कि जब ऐसा हो जायगा तो बहुत कुछ सुधार गन्ने के मुहकमे में स्वयं होता चला जायगा। एक बात आखीर में मैं यह कह देना चाहता हूं क्योंकि समय कम है, अधिष्ठाता महोदय ने समय तो कुछ बढ़ाया ही नहीं, वैसे समय तो काफी इस ग्रान्ट पर विचार करने के लिए मौजूद है, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस मुहकमे के जो अधिकारी वर्ग हैं उनका रवैया कुछ ऐसा होता चला जा रहा है कि जिस तरह का रवैया पुराने जमाने में डिप्टी कलेक्टरों और तहसीलदारों वगैरह का था। वह कुछ समझते यह हैं कि उनका मुहकमा भी ऐसा है कि वह जो चाहें मनमानी करें, न किसी से सुझाव लेने की जरूरत है, न किसी चीज की जानकारी करने की जरूरत है और न उन्हें किसी से कुछ सलाह मशविरा करने की और न मिलने जुलने की जरूरत है। तो जब इस किस्म का बर्ताव गन्ने के मुहकमे में अधिकारी वर्ग करेंगे तो मैं नहीं जानता कि इस मुहकमे का आगे क्या हाल होगा और निश्चय ही यह मुहकमा इस तरह से चल नहीं सकता। इसमें तो बहुत ही गम्भीर तब्दीलियां करनी पड़ेंगी तब जनता को कोई लाभ हो सकता है। आजकल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर जो डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स हैं, मैं नहीं जानता कि वह वहां किस काम के लिए हैं और क्या काम वह करते हैं, क्या काम उनको सौंपा हुआ है? मैं समझता हूं कि आम लोगों से मिल करके इस कार्य को आगे बढ़ाने का कुछ कार्य निश्चय ही होना चाहिए।

चौधरी खजानसिंह (जिला उन्नाव)--अधिष्ठाता महोदय, हमारे सूबे में ज्यादातर किसान बसते हैं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में जैसा हो रहा था आज भी वैसा ही हो रहा है। बीज की बात कर रहा हूं। बीज गोदामों में आता है और दिया जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का प्योर होता है और कोआपरेटिव में मिक्सचर ज्यादा होता है। मैं देखता हूं कि १६ परसेंट और २० परसेंट कोआपरेटिव में मिक्सचर होता है और एग्रीकल्चर का तो गनीमत है। लेकिन किसान जो बीज लेके बोता है उसको किसी ने नहीं सोचा कि उसका होता क्या है। किसान उत्पादन करता है। कभी उस पर भी गौर कीजिए कि वह बिकता कहां है। उसके वास्ते क्या करता है ऐग्रीकल्चर मुहकमा? रबी की फसल ले लीजिए। गेहूं, मटर, जौ या चना जो कुछ वह पैदा करता है वह चैत में आ जाता है पूरब की तरफ और बैशाख में आता है पछांह की तरफ। यह मुहकमा ऐग्रीकल्चर या कोआपरेटिव मई में खरीदता है और खर्चा जो होता है, किसान पर महाजनों का कर्जा जो लदा रहता है, या शादी ब्याह का खर्च यह तमाम जो खर्च होते हैं, उनके लिए वह रबी की फसल के बाद ही जो कि उसकी मेन क्राप है अपना बजट बनाता है। वह सोचता है कि गल्ले को गोदाम में दें तो वह मई से पहले नहीं लेगा और अगर बाजार में देते हैं तो जल्दी बिक जाता है लेकिन बाजार में दाम कम मिलेंगे, लूट लिया

जायगा। और अब तो एक आपके मुहकमे के इन्स्पेक्टर रहते है––मार्केटिंग इंस्पेक्टर। इनके पास जाओ कि बाबू जी, जरा हमारा रेट तो लगा दीजिए बाजार से। कहने लगते हैं कि अभी नहीं। अभी नहीं मई में रेट देंगे। कोई राजी नहीं होता। मई में इतनी कीमत उसको दी जाती है कि किसान अपना गल्ला गोदाम में ले जाने को रजामन्द नहीं होता। लेकिन मई तक कोई गल्ला रख ही नहीं सकता। किसान को फौरी जरूरत है। खेत से खलियान में गल्ला पहुंचा। जैसे ही उठा वैसे ही जरूरियात के लिये रुपया चाहिये। लगान देना होता है। शादी ब्याह के लिये रूपया चाहिये। लेकिन बाजार का सिस्टम आपने नहीं बदला। मंडी में जाता है तो मंडी में पहुंचने से पहले ही बहुत से दलाल लगे रहते हैं। पूंजीपतियों के वे दलाल होते हैं जिनको आपने हिला रक्खा है। लाठी, कांटा व बल्लम वे लिये रहते हैं और कहते हैं कि हमारी दूकान पर चलो। दूसरा और तीसरा भी उससे यही कहता है कि हमारे यहां चलो। वह सोचता है कि किसके यहां जाय। जो ज्यादा जबरदस्त गुंडा होता है वह उसको अपने यहां ले जाता है। व्यापारियों के यहां एक तरह से गुंडई ही होती है। उससे कहा जाता है कि हमारे यहां नहीं जाओगे तो तुम्हें कत्ल कर देंगे। वह बंध जाता है। वे उसकी गाड़ी में बैठ लेते हैं और गाड़ी में बैठ कर उसे अपनी दूकान में ले जाते हैं। चैत के महीने में गाड़ी बाजार में खड़ी करके उसकी बोली बोली जाती है। चुंगी अलग पड़ती है। घर से २० मन ले कर चलता है तो दाम १५ मन के मिलते हैं। किराया भाड़ा अलेहदा। तो उसे बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। धान १३६२ फसली और १९५४ ई० में बहुत पैदा हुआ। कहा गया कि हम फूड में सेल्फ सफिशेंट हो गये और अब नाज मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ८ रुपये मन गेहूं बिक गया और ५ रुपये मन जौ व चना ये चीजें बिक गई थीं। लेकिन क्या हुआ? दो महीने ही बीते कि गेहूं ३ सेर का बिका और वही जौ चना किसान को दूने दामों पर खरीदना पड़ा।

(इस समय ३ बज कर २५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आपने मंडियों का इंतजाम बहुत बुरा कर रक्खा है। अब आजकल आप जापानी धान का बहुत ही ढोल बजा रहे हैं। खैर हमारे यहां के जितने भी डिमान्सट्रेटर्स हैं चाहे एग्रिकल्चरिस्ट हों, चाहे कोआपरेटिव वाले हों सभी कहते हैं कि हमने इतना जापानी धान लगाया। वह जरा छिदा होता है और पैदावार जो होती है वह अच्छी होती है। अब धान लग रहा है। बारिश नहीं हो रही है। जहां नहर जाती है वहां पानी मिल जाता है। नहर वालों की मेहरबानी से नहीं, बल्कि पहाड़ों पर बारिश काफी हो गई है जिससे दरिया में पानी काफी हो गया है। अगहन में धान पैदा होगा और नवम्बर में लेट वेरायटी कटनी शुरू होगी। गोदाम वाले दिसम्बर में उसकी खरीद करेंगे। किसान बेचारा बाजार में जा कर बेचेगा। किसान को बड़ा ही नुकसान उठाना पड़ता है। १०० मन में ८० मन का भुगतान मिलता है इससे किसान बहुत परेशान होता है। मुझे और भी बहुत सी बातें करनी हैं। सीड का आप इन्तजाम कीजिये, मंडी का इंतजाम आप कीजिये, जब तक नहीं करेंगे तब तक किसान परेशान रहेगा और गरीब रहेगा। आप इसको दूर कर सकते हैं। अंग्रेजों के जमाने से भी बदतर जमाना है। वह उत्पादक है, आपको दूध देता है, तरकारी देता है और अनाज देता है, उसके गांव से आप मोटर लगाइये, कोआपरेटिव बनाइये और उसके घर से खरीदिये या गांव में एक ठीया मुकर्र कर दें। आज गांव में नंगा नाच नचाया जा रहा है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो एक बातें सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं, इसलिये कि हमारे कृषि प्रधान देश में खाद्य की बड़ी भारी समस्या है और कम से कम वाराणसी और गोरखपुर डिवीजन में जहां गन्ना ही कैश क्राप है और इसकी वजह से किसान जिन्दा है। जब यहां चीनी की मिल स्थापित हुई तो किसानों के लिये एक आधार रहा और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां खेती की कमी है,

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

खाद्यान्नों की कमी है। इसी के बहाने वह पैसा कमा कर अपनी जीविका कमाना चलाता है, शादी ब्याह करता है, मालगुजारी देता है और जितनी गृहस्थी की समस्यायें होती है उन सबको चलाता है। लेकिन हमें जो कुछ सहायता देनी चाहिये थी वह नहीं दे पाये हैं इससे पर्याप्त मात्रा में उसको सहायता नहीं मिल पा रही है, इसलिये उसकी कठिनाई बढ़ गई है।

देवरिया और गोरखपुर में तीस चीनी की मिलें हैं और जमीन पर किसानों का बोझ ज्यादा है। अगर हम फी एकड़ पैदावार बढ़ायें जैसे जावा वगैरा में होता है, अगर इस तरह की चीज अपने यहां करते तो हमारी समस्या हल हो जाती। हम देखते हैं कि हमारे यहां मुश्किल से दो ढाई महीने सीजन चलता है। हम इसकी पैदावार बढ़ा नहीं पा रहे हैं। २५०, ३०० मन फी एकड़ पैदावार केन डिपार्टमेंट के होते हुये ठीक मालूम नहीं होती है। जमीन की सर्वे कराई जाय। यह ऐसा क्षेत्र है जहां गन्ना महीने डेढ़ महीने पानी में डूबा रहता है और इसमें बहुत सी बीमारियां हो जाती है। देवरिया और गोरखपुर में एजूकेशन प्लानिंग के आधार पर हम लोगों ने कृषि महाविद्यालय और साइंस का डिग्री कालेज खोला है और वहां कृषि और साइंस के अच्छे से अच्छे डाक्टर हैं। हमने कोशिश की कि अनुसंधानशाला खोलकर अपने यहां की जमीन की सर्वे करायें और ऐसे साधन मालूम करें जिससे हमारे यहां जो गन्ना पानी में डूबा रहता है वह खराब न हो और कौन से बीज बोयें जिससे हमारी पैदावार बढ़े और कौन सी व्यवस्था करें जिससे नदी किनारे की जमीन में ज्यादा पैदावार कर सकें। परन्तु बार-बार प्रयास करने पर भी पता नहीं केन विभाग के लोग किस ढंग से काम करते हैं, उन्होंने हमको पूरी सहायता नहीं दी, वर्ना जो बाहर से डाक्टर आये हुये हैं उनकी मदद से हम इस समस्या को हल करने में सहायक हो सकते।

इसके साथ साथ किसान की जो पैदावार है उसका ठीक-ठीक प्रयोग इस माने में नहीं हो पाता कि उनके गन्ना देने के तीन, चार महीने बाद तक उनको कीमत नहीं मिलती है जिससे एक समस्या पैदा हो जाती है। इस ओर हमारे महकमें को ध्यान देना चाहिये। मिल वाले कई-कई लाख रुपया महीनों रखते हैं और उसका सूद खाते हैं। आप देखेंगे कि ५-५ और ६-६ लाख रुपया गन्ना सीजन खत्म होने के बाद मिलों के जिम्मे बाकी रहता है। कुछ मिलें हैं जो तुरन्त रुपया देती हैं, जैसे बेग सदरलैंड की फ़ैक्टरी, वह तुरन्त रुपया देती है। तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे किसानों को तुरन्त रुपया मिल जाय।

श्रीमन्, दूसरी अड़चन गन्ने के सिलसिले में यह है कि हम लोगों की जो वहां पर केन डेवलपमेंट की व्यवस्था है उसके लोग किसानों से अधिक सम्पर्क नहीं रखते हैं। जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा, अधिकतर योजनायें कागज पर बनती हैं और वे किसानों तक नहीं पहुंच पाती हैं। हालां कि इसका पब्लिसिटी डिपार्टमेंट अलग है, सब बातें है, लेकिन जितना होना चाहिये वह नहीं हो पाता है। इसलिये इस विभाग को जितना अधिक से अधिक किसानों के लिये उपयोगी बनाया जा सके बनाना चाहिये।

*श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय कृषि मंत्री का ध्यान गोरखपुर जिले की चन्द कृषि सम्बन्धी समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

जहां तक गन्ना विकास विभाग का सम्बन्ध है, मेरे विचार से सिवाय पर्चा वितरण के और कोई कार्य उसने नहीं किया है। किसानों को आज यह पता नहीं है कि किस महीने में कौन सा गन्ना पकता है। केन डेवलपमेंट विभाग की ओर से इसका कोई प्रयत्न नहीं किया गया। जो गन्ना मार्च में पकने वाला है वह जनवरी में ही कट जाता है। इसके फलस्वरूप परसेंटेज में कमी रहती है और काश्तकारों और मिल वालों दोनों को नुकसान होना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है लिहाजा मैं इस सम्बन्ध में यह सुझाव रखना चाहता हूं कि गन्ना विकास विभाग को कृषि विभाग में मिला दिया जाय तो बहुत अच्छा हो क्योंकि दोनों का काम करीब-करीब एक ही तरह का है।

रह गयी कृषि अनुसंधान की बात। हमारे जिले में २,७८,४७९ एकड़ ऐसी भूमि है जो कछार एरिया में पड़ती है। यह भूमि करीब ६ महीने बेकार रहती है, इस पर कोई भी फसल काश्तकार नहीं उगा पाता। मैं कृषि अनुसंधान विभाग से प्रार्थना करता हूं कि इन क्षेत्रों में भी कोई ऐसा प्रयोग किया जाय जिससे इन ६ महीनों में काश्तकार कोई अतिरिक्त फसल भी पैदा कर सकें।

इसी प्रकार हमारे जिले में एक तराई का खित्ता है जहां अगहनी फसल होती है। वहां पर भी वही हालत है। लेट पैडी का एरिया १ लाख ७९ हजार ५३७ एकड़ है। यदि कोई व्यवस्था हो जाय तो वे बचे हुये महीने में अतिरिक्त फसलें पैदा कर सकते हैं। इससे उनकी आर्थिक हालत अच्छी हो सकती है और पूर्वी जिलों से जो भुखमरी की आवाज आती है वह नहीं उठेगी। खेती ही उनका कारखाना है और वह भी ८, ९ महीने बन्द रहे तो उनका काम कैसे चलेगा। यह बड़ी जटिल समस्या है। इसलिये बाढ़, तराई और कछार के क्षेत्रों में इस प्रकार का प्रबन्ध होना बहुत जरूरी है जिससे यह कारखाना उनका बन्द न हो और वे कुछ फसल उन महीनों में भी पैदा कर सकें।

कछार के अतिरिक्त बांगर का एरिया भी लम्बा चौड़ा है जो ४ लाख २४ हजार एकड़ है। वहां मक्का के अलावा सांवा और टांगुन की खेती होती है? इस क्षेत्र में कृषि विकास के सिलसिले में क्या किया गया? मैं मानता हूं कि कुछ ट्यूबवेल्स लगे हैं किन्तु उनमें से अधिकांश बेकार पड़े हैं। कहीं नाली है तो बिजली नहीं और कहीं बिजली है तो नाली नहीं। इस क्षेत्र में काश्तकारों को अपने बल पर कोई साधन नहीं उपलब्ध हो रहे हैं। इसलिये इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

हमारे जिले में १२६२ एकड़ में गन्ना बोया जाता है। मुद्दत हुई गन्ना विकास विभाग को खुले हुये लेकिन काश्तकारों को पता नहीं है कि उनके क्षेत्र में मौसम के लिहाज से कौन गन्ना किस महीने में बोना मुनासिब है। इसके लिये उचित व्यवस्था होना चाहिये जिससे काश्तकारों को इस सम्बन्ध में पता हो ताकि पक कर ही गन्ना मिलों में जाय।

आधुनिक प्रशिक्षण और प्रयोग के सम्बन्ध में तगड़ा कदम उठाना चाहिये क्योंकि इसके बगैर हमारे जिले की खेती की समस्यायें हल नहीं हो सकती।

*श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अनुदान पर कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। और कुछ कहने के पूर्व मैं माननीय सदस्य श्री द्वारिका प्रसाद जी को धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता कि जिन्होंने हमारे इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।

एक अनुदान के ऊपर जो धन रखा गया है उसको देखने से यह प्रतीत होता है कि इस धन का अधिक भाग कर्मचारियों के वेतन और भत्ता और नौकरशाही पर खर्च होता है। मिसाल के तौर पर मैं कुछ उदाहरण आप के सामने रखना चाहता हूं। एक मद है ऊसर भूमि को खेती योग्य बनाना, जिसमें २६,८०० रुपया रखा गया है लेकिन इसमें से २४,३०० रुपया संबंधित कर्मचारियों पर खर्च होता है और बाकी ऊसर भूमि को खेती योग्य बनाने में खर्च किया जाता है। दूसरा है नगरों में मैले और कूड़े से कंपोस्ट बनाने की स्कीम, जो सरकार की है। इसमें १,३३,५०० रुपया रखा गया है। इसमें से ९८,५०० रुपया कर्म-

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भीखालाल]

चारियों के वेतन और भत्ते पर खर्च होता है। इसी प्रकार किसानों के रूरल अपलिफ्ट के हेड की मद है। किसानों के खेतों के प्रदर्शन मे ५,२२,००० रुपया रखा गया है। इसमें से ५,०२,००० रुपया इसके कर्मचारियों पर खर्च होगा। इसी तरह की और बहुत सी मिसालें हैं। गन्ने की खेती और उसके विकास के लिये १८,८५,००० रुपया सरकार ने रखा है जिसमें से १२,७५,००० रुपया कर्मचारियों के वेतन और भत्ते पर खर्च हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा था कि हमारा समाजवादी बजट है और हमारा प्रदेश समाजवाद की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस बजट को देखने से और अनुदानों को देखने से तो मालूम होता है कि यह प्रदेश समाजवाद की ओर नहीं जा रहा है बल्कि नौकरशाही की ओर जा रहा है और यह उसी का बजट है। समाजवाद की ओर ले जाने का मतलब यह है कि जितना रुपया उस ग्रान्ट में रखा गया हो उसका ज्यादा हिस्सा छोटे किसानों की तरक्की के लिये, उनको अच्छा बीज देने के लिये, खाद देने के लिये, औजार देने के लिये खर्च किया जाय।

कृषि के मातहत सीड स्टोर्स से जो बीज दिया जाता है उसके लिये कहा जाता है कि इंप्रूव्ड वेराइटी का बीज दिया जाता है, लेकिन यह अक्सर देखा गया है कि जो बीज दिया जाता है, उसमें आधे से ज्यादा डस्ट होती है। नान-फूडग्रेन्स और डर्ट उसमें ज्यादा मिकदार में रहती है। काश्तकारों से वसूली के वक्त अच्छा बीज लिया जाता है लेकिन गोदामों में उनमें नान-फूडग्रेन्स और डर्ट मिला दी जाती है।

एन० ई० एस० ब्लाक्स के मातहत खेती की तरक्की के लिए काफी धन दिया गया है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि उस पैसे का जितना दुरुपयोग हुआ है उतना किसी और का नहीं हुआ। जो शख्स कर्मचारियों की हां में हां मिलाते हैं और उनके साथ उठते-बैठते हैं उनको ही खाद के रूप में और कृषि मंत्रों के रूप में सहायता दी जाती है। वह रुपया जो छोटे किसानों को मिलना चाहिये उससे वह महरूम रह जाते हैं।

दुर्भाग्यवश इस समय हमारे माल मंत्री जी यहां पर नहीं हैं। कृषि और माल का बड़ा सम्बन्ध है और इस समय जो बातें मैं आगे कहने जा रहा हूं उस से उनका सम्बन्ध है। यहां मेरे पास एक पुस्तक है "उत्तर प्रदेश की भूमि व्यवस्था में क्रान्ति," इसमें माल मंत्री जी ने यह दिखाया है कि कृषि आयकर लगाने के लिये सरकार यह मान लेती है कि ७५ रुपया फी एकड़ की पैदावार हुई। इसमें यह भी दिखाया गया है कि एक व्यक्ति की औसत खेती १.०१ एकड़ है। इस से यह अन्दाजा लगता है कि जो आदमी खेती पर निर्भर करता है उसकी आय ७५ रुपया १२ आना है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाता है कि पर कैपिटा इंकम २५ रुपया है। अब समझ में नहीं आता कि इन आंकड़ों को माने या उन आंकड़ों को मानें। सरकार दोनों प्रकार के आंकड़े सामने रखती है और जहां जो भी फिट बैठ जाय उसको वहां फिट करती है। जो बड़े-बड़े किसान हैं उनसे वह चाहती है कि कृषि आयकर कम लिया जाय तो उनके लिये वह उस तरह के आंकड़े रखती है और छोटे छोटे काश्तकारों के लिये वह दूसरे आंकड़े रखती है। इस प्रकार से यह परिणाम निकलता है कि उत्पादन बढ़ाने के लिये जो यह करोड़ों रुपया व्यय किया जा रहा है वह सब बेकार जा रहा है।

दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि कृषि की ऐसी व्यवस्था की गयी है कि जो लापरवाह या अकुशल काश्तकार हैं उसकी खेती कम दी जाय। सिर्फ उन लोगों के लिये खेती की व्यवस्था की गयी है जो अपने हाथ से जोतते हैं लेकिन इस पुस्तक में जो चार्ट दिया हुआ है उससे यह मालूम होता है कि जो इसमें अदर फेलो के लिये अकांड़ा दिया गया है वह ४९–५० में १.२ से बढ़कर ५४–५५ में ४.८ हो गया है। यह आराजी उन काश्तकारों के पास है जो असल में अपने हाथ से नहीं जोतते हैं और धीरे धीरे परती होती जाती है।

तो माननीय मन्त्री जी का यह कहना कि भूमि की ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो अपने हाथ में काश्तकारी करे उनको ही दी जाय और अकुशल काश्तकार को न दी जाय इससे यह बात गलत साबित होती है। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज से पहले जब अंग्रेज थे तो प्रत्येक डिपार्टमेंट का जो प्रोफिट और लास का महकमा था कलेक्टर उनका अध्यक्ष होता था। और उसके द्वारा ही जिले की सारी स्कीम ऊपर भेजी जाती थी। आज वही हो रहा है कि जो कलेक्टर या हाकिम परगना हैं उनको डी० पी० ओ० बना दिया गया है। उनके हाथ में प्लानिंग डिपार्टमेंट दे दिया गया है। जिलों का शासन उनके द्वारा ही हर प्रकार का होता है यानी जो विभाग उनके हाथ में हैं उनके ही वह पूरी तरह से अधिकारी हैं। हमारे सूबे के अन्दर एग्रीकल्चर अफसर प्रायः सभी जिलों में हैं लेकिन वे डी० पी० ओ० के अन्तर्गत काम करते हैं जो एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ नहीं हैं। डी० पी० ओ० की समझ में अगर कोई स्कीम आयी तो वह ऊपर को चली जाती है और अगर उसकी समझ में नहीं आयी तो वह स्कीम वहीं जिले के अन्दर रह जाती है। आज हमारे यहां यह देखा जा रहा है कि एग्रीकल्चर अफसर जो स्कीम रखते हैं उसको डी० पी० ओ० महोदय या कलेक्टर महोदय जो कि उसके अध्यक्ष होते हैं उनको खारिज कर देते हैं। आज एग्रीकल्चर अफसरों का यही काम रह गया है कि वे सीड स्टोर खोलें और उत्पादन करें और जो बीज दिया है उसको वसूल कर लें। इसके अलावा और कुछ वे नहीं करते। पहले यह था कि प्रत्येक गांव में देखते थे कि बीज कैसा रहा और उससे कैसी उपज हुई। किसी ने रोटी बनाकर तो नहीं खा ली और दूसरे काम में तो नहीं ले आया। आज जिनके लिये बीज दिया जाता है उनको नहीं मिलता है। जो बड़े बड़े काश्तकार हैं उनको २० मन तक मिल जाता है। बाकी मारकेट में चला जाता है या उसके घर के काम में आ जाता है। छोटे काश्तकार को बीज नहीं मिलता है। आज हम देखते हैं कि जब एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट डी० पी० ओ० होना चाहिये या प्लानिंग अफसर होना चाहिये ऐसा नहीं हो रहा है। मेरा सुझाव है कि एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट प्लानिंग अफसर होना चाहिये।

दूसरे जो वहां के प्राब्लेम्स हैं उनके लिये हम यह सोचते हैं कि जितनी भी पुरानी चीजें हैं उनको हटाकर आधुनिक युग की चीजों का प्रयोग होना चाहिये आधुनिक ढंग के बीज और औजार देने से उपज बढ़ेगी। कानपुर का १३ या पूसा का बीज हम किसानों को नहीं दे सकते हैं। आज खाद्य की व्यवस्था पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। गोबर को जला दिया जाता है, विकास की स्कीम में हम देखते हैं कि बड़ी-बड़ी मशीनों की तरफ सरकार का ध्यान है। ऐसी मशीनों का एक पुर्जा खराब होने पर सारी मशीन बेकार हो जाती है। हमने देखा कि कटाई-मड़ाई की मशीन के एक पुर्जे के खराब होने पर २, ३ वर्षों तक मशीन लखनऊ में पड़ी रही और वहां गेहूं खराब हो गया। हमारे यहां एग्रीकल्चर और इर्रीगेशन में कोआर्डिनेशन नहीं है। कहीं नहर बनाते समय कृषि विभाग से नहीं पूछा जाता है कि यहां पानी की आवश्यकता है या नहीं। नतीजा यह होता है कि जहां पानी की जरूरत नहीं होती वहां नहर बना दी जाती है और जहां पानी की आवश्यकता होती है वहां नहर नहीं बनती है। इसलिये इन विभागों को चाहिये कि एक दूसरे से सलाह ले लिया करें।

हमारे कृषि विद्यालयों में सन् ४६, ४७ में ६ या ७ रुपये फ़ीस थी वहां आज डिग्री क्लासेज की फ़ीस १७, १८ रुपया कर दी है। इसे कम करना चाहिये। गन्ना सप्लाई के लिये उचित प्रबन्ध होना चाहिये।

*श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)--श्रीमन्, हमारे जिले में देवरिया में खेती की हालत बहुत खराब है। कुछ ऐसा मालूम हो रहा है कि ४, ५ सालों से वहां अकाल अथवा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजदेव उपाध्याय]

अधिक वर्षा के कारण अन्न की पैदावार दिन पर दिन गिरती जा रही है। किसानों की माली हालत बदतर होती जा रही है। ऐसा आभास मिल रहा है कि किसान शहरों में आना चाहते हैं और गांव में रहना पसन्द नहीं करते हैं क्योंकि वहां बहुत कठिनाइयां हैं। गोरखपुर और देवरिया ये दो ऐसे जिले हैं जो इस प्रदेश ही क्या, देश भर में, सब से ज्यादा गन्ना उगाते हैं और सारे हिन्दुस्तान को चीनी खिलाते हैं। इसलिये केन विभाग की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। केन ऐक्ट में है कि गन्ना सप्लाई के २८ घंटे के अन्दर किसान को अदायगी हो जायगी लेकिन यह नहीं होता है। गन्ना देने के पश्चात् किसान दरदर मारा फिरता है और जब उसके यहां कोई शादी या त्योहार का समय आता है तो वह अधिकारियों के पास जाता है परन्तु फिर भी ठीक समय से उसे पैसा नहीं मिल पाता है। इसलिये उनको जल्द से जल्द पेमेंट होना चाहिये। जिससे उनकी आर्थिक कठिनाई दूर हो सके। गोरखपुर और देवरिया में अन्न बहुत कम होता है। वहां सड़कों की हालत बहुत खराब है जिससे किसानों को अपनी उपज मिल या बाजार तक ले जाने में कष्ट होता है। बैलों की खतरनाक अवस्था हो जाती है। माननीय मंत्री जी किसानों के नेता हैं और अगर उन्हें किसान-पंडित कहा जाय तो अनुचित नहीं है। अभी एक बड़ी सुन्दर पुस्तिका गन्ना विभाग की हमें मिली है जिसके सफे बड़े अच्छे रंगे हुये हैं, लेकिन जिस अच्छे रूप में इस विभाग का काम होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। हमको तो ऐसा लगता है कि इस विभाग का काम खाली परची देना, किसानों से गन्ना और कमीशन लेना है। मैंने पूर्वी जिलों में देखा कि हजारों मन गन्ना किसानों का सूख चुका है। विभागीय एक्सपर्टों को वहां के किसानों को बताना चाहिये जिससे उनकी माली हालत ऊपर उठे। लेकिन यह विभाग इस ओर ध्यान नहीं देता है। देवरिया और हाटा की परेशानी की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान विशेष तौर से ले जाना चाहता हूं। प्रदेश में कोई भी जिला, सिवाय इन जिलों के, नहीं होगा जहां लोग बैलों के चूतड़ के नीचे के निकले हुये अन्न को खाकर या आम की गुठली या जामुन की गुठली खाकर गुजर करते हों। इन सुझावों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन पर ध्यान देंगे।

*श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--उपाध्यक्ष महोदय, किसानों का पैसा सीड स्टोरों द्वारा बुरी तरह से खर्च किया जा रहा है बल्कि उन्हें यूं ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह इसी तरह से है जैसे कि नन्हे बालक को चांद दिखाकर बहला दिया जाता है। कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। सीड स्टोर में बहुत धांधली है। हरी खेती का प्रयोग नहीं होता है। सारे का सारा पैसा विदेश से खाद मंगाकर उसमें फूंका जा रहा है। विदेश से आने वाले खाद से भूमि कम उपजाऊ हो जाती है जिससे ऊसर बन सकती है।

दूसरी बात यह है कि सीड स्टोर में एक ग्रूपलीडर होता है और एक एग्रीकल्चर बाबू होता है। उसमें दोनों को नहीं रहना चाहिये, दो के बजाय एक ही को होना चाहिये क्योंकि एक ही आदमी सभी काम करता है और एक की तनख्वाह बेकार जाती है। खाद, बीज और औजार जो सीड स्टोर से दिये जाते हैं, उनमें से औजार तो अधिकतर किसानों को किराये के नाम पर दिये जाते हैं और बीज जो दिया जाता है उसमें भी तमाम पैसा लोगों का लेखपालों द्वारा खर्च कराया जाता है। इसलिये बीज का वितरण गांव सभाओं द्वारा होना चाहिये और गांव पंचायतों द्वारा सीड स्टोर का इन्तजाम होना चाहिये। और जो सीड स्टोर के बाबू हैं उनको अच्छी तरह से किसानों के पास खाद, बीज और औजार पहुंचाना चाहिये। तथा उन बाबुओं की सिलसिलेवार तरक्की भी होनी चाहिये। यह बात इस विभाग में न होकर मनमानी हो रही है। जो एग्रीकल्चर विभाग के बाबू हैं उनको गावों में जाकर किसानों को पानी लेने का तरीका, खाद देने का तरीका, बीज बोने का तरीका और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अच्छे जानवरों को खरीदने का तरीका, ये सब बातें बतला देनी चाहिये और बीज किसानों को जून से पहले ही तकसीम हो जाना चाहिये। इस बार बाराबंकी मे किसानों को समय पर बीज न मिलने से बड़ी हानि हुई है। ऐसा होता है कि पहले लोगों से तय कर लिया जाता है और जो नजराना दे देना है उसको तो पहले ही बीज दे दिया जाता है वरना नहीं दिया जाता। वसूली की यह हालत है कि यही जो सैलाब आया था उस वक्त लोगों को बीज दिया गया था तो जिन लोगों ने उनको कुछ पैसे दे दिये उनको तो बाद में दाम दे दिया गया और कुछ छूट दे दी गयी।

इस तरह से खाद की तथा खेती की सिंचाई की बहुत शिकायतें हैं। सिंचाई का जहां तक सम्बन्ध है जबकि अंग्रेजी राज्य मे पानी अक्सर दिया जाता था और हफ्ते-वार दिया जाता था परन्तु अब नहर विभाग द्वारा पानी ठीक से नहीं मिलता है। जो कुलाबे थे वे ऊंचे कर दिये गये, बड़े-बड़े कुलाबे छोटे कर दिये गये और नहरों द्वारा पानी उनमे कभी-कभी ही जाता है। जो तालाब हैं उनमे ग्राम पंचायतों द्वारा मछलियां लगायी गयी हैं। अगर किसानों को पानी न मिलें, सूखे खेत रह जायं तो बेचारे किसान तालाब से पानी भी नहीं ले पाते हैं। जो पतरौल है वह कुछ रुपया लेता है तभी नहरों से उसको पानी मिल पाता है। इसके अलावा किसानों को नहर के पानी का पैसा तो देना ही पड़ता है और फिर तालाब या कुवें से जो पानी वे लेते हैं उसकी मजदूरी वगैरह जो पड़ती है वह देना ही पड़ता है. इस तरह से उनको दुगुना डांड़ देना पड़ता है। इस प्रकार किसानों को हर तरह से तबाही है। हर तहसील में तहसीलवार एक फार्म ऐसा खोलना चाहिये ताकि उससे लोग फायदा उठा सकें।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)--श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, आपने आज मुझे भी समय दे दिया उसके लिये आप को बहुत धन्यवाद। साथ साथ मैंने इस सदन में ऐसा देखा है कि विरोधियों की बातों को सियासत बता दिया जाता है लेकिन आज मैंने देखा कि हमारे कृषि मंत्री जी ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। मै आशा करता हूं कि विरोधियों की बात को वह ठीक से समझेंगे और उसको सियासत की बात न समझेंगे। कृषि का ऐसा विषय है कि जिससे हमारे प्रदेश की ७० प्रतिशत आबादी का सम्बन्ध है और यहां ज्यादातर आदमी खेती के सहारे पर रहते हैं। मैं शायद इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन न करता अगर गन्ने का विभाग इसके अन्तर्गत न होता। मैं केवल दो तीन बातों की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने देखा कि उसमें कुछ चीजें शुरु की गई हैं और कुछ स्कीमें चलाई गई हैं। मै आप के द्वारा सदन को और मंत्री जी को बताना चाहता हूं हमारे यहां एक स्पेशल रूरल अपलिफ्ट स्कीम है जिसमें क्राप कम्पीटीशन आता है। मै मंत्री जी का और सदन का ध्यान दिलाऊंगा कि यह एक तमाशा है और एक खेल है। अगर आप देखें तो जो फिगर यहां दी जाती है कि फलां खेत में इतनी पैदावार हुई वह गलत होती है क्योंकि जब हम यहां इनडेक्स देखते हैं और देखते हैं कि हमारा ओवर आल परसेंटेज कितना बढ़ा तो हमारी फर्स्ट फाइव-ईयर प्लान का साढ़े १३ परसेंट कृषि पर खर्च हुआ और वृद्धि पैदावार में होती है कुल १२ प्रतिशत की, यह सरकार के ही आंकड़े हैं अगर हम उन पर विश्वास करें। मेरे ख्याल में इस तरह से यह क्राप कम्पीटीशन तमाशा बन गये हैं और वह एक तरह का खेल किया जाता है। मै उदाहरण देना चाहता था लेकिन वह मुझे देना नहीं चाहिये कि वहां इनमें बहुत बेई-मानियां होती हैं और इस तरह से होती हैं कि जिनकी सूचना शायद मंत्री जी को न हो।

दूसरे सीड स्टोर्स का जिक्र किया जाता है, वह बड़ी अच्छी चीज है और पैदावार बढ़ाने के लिये अच्छे बीज और खाद की बड़ी जरुरत है। अगर मंत्री जी आज्ञा देंगे तो मैं उदाहरण दूंगा कि एक-एक व्यक्ति को ढाई-ढाई सौ मन बीज दिया जाता है और मालूम किया जाता है तो उसकी एक बीघा जमीन भी बोई हुई नहीं मिलती। यह करप्शन नहीं तो क्या है?

श्री हुकुम सिंह विसेन--आप बीज गोदाम का नाम बता दे कि कहां की बात है ? किसने दिया ?

श्री जगवीर सिंह--यह औरंगाबाद, बुलन्दशहर की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष--नाम तो मैं आदमी का नहीं बतलाने दूंगा । आप मंत्री जी को अलग से बाद में बता दें ।

श्री जगवीर सिंह--तो इस तरह की चीज बीज के वितरण में होती है कि बड़े-बड़े किसानों को अधिक दिया जाता है बिलालिहाज इस बात के कि वह उसको जाकर बोता भी है या नहीं । यह है हमारा सोशलिस्ट पेटर्न आफ सोसायटी कि गरीब किसान भूखा रहता है, उसको बीज नहीं मिलता और बड़े किसानों को खूब डट कर दिया जाता है ।

अब मैं माननीय मंत्री जी का और आदरणीय सदन का ध्यान केन विभाग की ओर भी दिलाऊंगा । अगर हमें कहीं अच्छी तरह से करप्शन देखना है तो हम अपने केन विभाग का मुकाबला किसी से भी कर सकते हैं । अगर कृषि विभाग की और माल विभाग की दौड़ होने लगे तो कोई किसी से पीछे नहीं रहेगा अगर अंग्रेजी मे जिसे फोटो फिनिश कहते हैं वह दोनों की ली जाय । इस केन विभाग में जब से गन्ने का बान्डिन्ग शुरू होता है तभी से बेइमानी शुरू हो जाती है । मैं नहीं जानता कि केन विभाग का कागज रखने का क्या तरीका होता है और किस तरह से केन सप्लाई की बात दिखाई जाती है । शायद मंत्री जी को मालूम हो या न हो मैंने तो केन विभाग में करप्शन की ऐसी मिसाल देखी है कि ५-५ हजार रुपए का गबन एक-एक सोसाइटी में एक-एक आदमी के नाम दे दिया गया, न लेने वाले का पता न देने वाले का पता, ऐसी-ऐसी शिकायतें केन विभाग के बारे में चल रही है, शायद मंत्री जी को इसका पता न हो । वहां पर भी कम्पीटीशन का गीत गाया जाता है । और कहा जाता है कि कम्पीटीशन में बड़ी तरक्की होती है । श्रीमन्, कम्पटीशन्स का तो आप इससे अन्दाजा लगा लीजिये कि कितना वितरण बीज का और कितना एकरेज है और फिर उस एकरेज में यह बातें देखें तो मालूम हो जायगा कि तरक्की पर एकर यील्ड की उतनी नहीं हो रही है जितना कि वितरण और चीजों का बढ़ गया है । समय की कमी से मैं और नहीं कह सकता लेकिन एक बात कहूंगा कि बौंड होने के बाद कोई तरीका नहीं है हमारे गन्ना विभाग में कि किसान से जितना बौंड किया जाय अगर किसान कुछ परसेंटेज को छोड़ कर गन्ना देने से नाकामयाब हो जाता है तो उससे पैसा काट लिया जाता है । लेकिन अगर फैक्टरी हमारा गन्ना निर्धारित समय के अन्दर नहीं पेर पाती है तो फैक्ट्री हमको कुछ नहीं देती है, कोई लिमिट नहीं है समय की । कह दिया जाता है कि हमने तो कोई समय नहीं दिया है कि इस समय के अन्दर हम आपका गन्ना पेर देंगे । श्रीमन्, मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि बांडिंग के समय कम से कम एक लिमिट होनी चाहिये कि इतने समय के अन्दर किसान का गन्ना फैक्ट्रीज को जरूर लेना पड़ेगा ।

राजा वीरेन्द्र शाह--श्रीमन्, मै प्रस्ताव करना चाहता हूं कि आध घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--क्या ऐसी जरूरत पड़ गई, राजा साहब । मंत्री जी को कोई आपत्ति तो नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हम तो कहते है २ घंटा बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--तो सदन साढ़े पांच तक बैठेगा ।

*श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मै प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं । बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां तक कहा कि अंग्रेजों के जमाने में जिस तरह का काम चल रहा था उसी ढंग से आज भी चल रहा है । मै पूछता हूं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि अंग्रेजों के जमाने मे शायद कहीं-कहीं किसी किसी जिले में बीज गोदाम के अलावा और खेती की तरक्की के सामान उपलब्ध नहीं होते थे जो आज किसानों को हो रहे हैं। मैं मंत्री जी से अपने जिले के बारे में एक मांग पेश करता हूं। हमारे जिले में जहां किसानों की काफी उन्नति हुई है, फायदा हुआ है, वहां एक जंगली खड्ड घोड़ारोशन है जिससे वरना और सई नदी के बीच में काफी नुकसान होता है। दूसरे जंगली जानवर, जैसे नील गाय, से किसान का इतना नुकसान हो रहा है कि किसान २४ घंटे परेशान रहता है, कौन ऐसी हिम्मत करे कि इन जानवरों से अपनी फसलों को बचा सके। और दूसरी बात और है गांव के पुराने महाजन किसानों को समय-समय पर बीज दिया करते थे। लकिन अब वह खत्म हो गये। अब किसान और किसान का लेद देन कतई खत्म हो गया है। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारी तहसील बरसठी क्षेत्र में ९, १० मील के अन्दर कोई बीज गोदाम नहीं और इधर लगातार बाढ़ आ जाने के कारण किसानों को समय से बीज न मिलने के कारण बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है।

कृषि के लिए एक बात यह भी कही जाती है कि उनमें खाद अच्छी नहीं दी जाती है। इसका सम्बन्ध तो इससे नहीं है लेकिन खेती से है। ... बात है। मैंने अपने जिले में इस साल देखा कि एक बीमारी भेड़ और बकरियों की ऐसी आयी कि बहुत सी भेड़ें और बकरिया मर गई। करीब ५० हजार के भेड़ और बकरियां इस बीमारी में जौनपुर जिले में मर गई। इससे किसान के खेतों में जो खाद भेड़ों से दी जाती थी वह तो बिलकुल निर्मूल सी होती जा रही है। मड़ियाहूं तहसील में मैंने देखा खास खास स्थानों पर कि एक गड़रिये के पास अगर ५०० भेड़ें थीं तो मुश्किल से १०० भेड़ें उसकी बची है तो इससे भेड़ों द्वारा दी जाने वाली खाद किसान के खेतों में अब नहीं दी जा सकती। इसी तरह से किसान के खेतों का कटाव भी चल रहा है। बाढ़ से उनके खेतों का बहुत सा हिस्सा कटता चला जा रहा है। पूर्वी जिलों में खेत यों ही बहुत कम है और आबादी उनकी बहुत ज्यादा है। कटाव उनका इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि पश्चिम की जितनी नदियां हैं उनका कुल बहाव पूरब की तरफ है और पूरब की जमीन कटती चली जा रही है। एक तरफ तो किसान उनका लगान देता है और दूसरी तरफ वह इनके कट जाने से परेशान हो जाता है। तो इन शब्दों के साथ मै माननीय मन्त्री से फिर प्रार्थना करता हूं कि देहात के क्षेत्रों में बीज गोदामों की ताकत अधिक बढ़ाने की कोशिश करें।

*श्री बाबूराम (जिला बरेली)--उपाध्यक्ष महोदय, मै आपकी आज्ञा से माननीय मन्त्री जी ने जो अपना प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह कृषि का विषय निहायत ही गम्भीर विषय है क्योंकि इस विषय का सम्बन्ध किसानों से है और हमारे देश में किसानों की ही संख्या ज्यादा है। खेती का सम्बन्ध बीज, खाद, जुताई और पानी से है। जहां तक खाद का मसला है, खाद की समस्या से हमारे देश में बड़ी ही परेशानी है। किसानों के यहां जो गोबर होता है वह हम लोग जलाने के काम में लाते है। हम सुना करते थे कि सूरज से कोई गैस तैयार की जा रही है जिससे कि हम लोग अपना खाना बनायेंगे और गोबर हम अपने खाद के काम मे लायेंगे। लेकिन आज तक मालूम नहीं कि इसमें कहां तक प्रगति हुई। दूसरी चीज यह कहना चाहता हूं कि जो अमोनियम सल्फेट दिया जाता है, लोग समझते है कि यह ताकत की चीज है। लेकिन इसमे स्वयं कोई ताकत नहीं है बल्कि इससे जमीन खराब हो जाती है। इसमें सिर्फ जमीन से ताकत खींचने की शक्ति है। इसमें स्वयं शक्ति की कोई चीज नहीं है। इससे पहले सरकार की तरफ से ऐसा नियम था कि हरी खाद के लिए लोगों को सनई का बीज कम कीमत पर दिया जाता था और चैत और बैशाख के महीने में जो लोग बोया करते थे उनसे आबपाशी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबूराम]

नहीं की जाती थी। सरकार को वहां व्यवस्था फिर दुबारा करनी चाहिए। तीसरी चीज और अपमें यह कहना चाहता हूं कि जिस जगह से मैं आता हूं वहां की मुख्य पैदावार गन्ना है। जहां तक गन्ने की समस्या है इसमें बड़ी ही दिक्कतें पेश आती हैं।

श्री उपाध्यक्ष—अपना जिला बता दीजिए। जगह मुमकिन है माननीय मन्त्री जी को न मालूम हो।

श्री बाबूराम—बरेली। इस साल तो खास तौर से गन्ने की जो समस्या रही है उसका मैं कुछ जिक्र करना ही मुनासिब होगा क्योंकि इस साल काश्तकारों के गन्ने में बड़ी बड़ी वेइमानियां हुई और बड़ी बड़ी शिकायतें रही हैं। किसी की ४० मन की तौल गई और किसी को ८० मन का तौला गई। पर्चियों का यह ठिकाना है। फैक्टरियां बन्द हो गई लेकिन किसी किसी को सीजन भर में एक पर्ची नहीं मिल सकी। फिर मसला पेमेंट का भी आता है। फैक्टरियां बन्द हुए काफी अर्सा हो गया लेकिन यह तै नहीं हो सका कि ७ मई के बाद गन्ने का क्या निर्ख दिया जायगा और फैक्टरी वाले क्या पेमेंट कर रहे हैं और जो पैसा रह जायगा उनका उनको मिलना मुश्किल हो जायगा।

बीज गोदामों का होना तो जरूरी है लेकिन तरीका बड़ा गलत है। अक्सर यह होता है कि किसानों को बीज न देकर जो बिजनेसमेन होते हैं उनको दिया जाता है। किसान जब उनसे लेने जाता है तो सेर दो सेर कम उसको मिलता है और जब वापस करने आता है तो सेर दो सेर उससे ज्यादा ले लिया जाता है। इस तरफ ध्यान देना आवश्यक है।

खेती के लिये मुख्य चीज पशु हैं। उनका सुधार होना नितान्त आवश्यक है। पशुओं के अस्पताल शहरों में न खोले जा कर देहातों में ही खोले जायं।

गन्ने की एक समस्या और है। बेसिक कोटा बांध दिया जाता है। उसमें खुली छूट मिल जाती है। किसी का बेसिक कोटा ४० मन का होता है तो किसी का ४०० मन का। इस साल गन्ने के सम्बन्ध में बड़ी शिकायतें रहीं। किसानों की खास आमदनी का जरिया गन्ना है। लिहाजा उसकी देख रेख व सप्लाई का सही तरीके से इन्तजाम होना चाहिये।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पुस्तिका अभी शायद सबकी मेजों पर पहुंची या नहीं पहुंची है इसका मुझे संदेह है। आज इस सदन में दूसरी बार मंत्री महोदय से मैं यह शिकायत कर रहा हूं कि जो पुस्तिकायें बांटी जायं उन्हें कम से कम एक दिन पहले जरूर सदस्यों के हाथ में पहुंच जाना चाहिये अन्यथा उसका कोई फायदा नहीं पहुंचता है।

दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि इसको पलटने से इसमें बहुत सी चमकीली तस्वीरें दिखलाई पड़ीं। आज जब हम हर चीज में किफायत करना चाहते हैं और उसके लिये कटमोशन लाते हैं तो कीमती पेपर पर इतनी तस्वीरें बनाना और बांटना कुछ उचित नहीं मालूम होता। इसलिये सबसे पहले मैं माननीय कृषि मंत्री का इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

दूसरे ३ करोड़ ३२ लाख का यह जो अनुदान मांगा गया है उसका १/४ से थोड़ा कम यानी ४६ लाख रुपया केन डिपार्टमेंट के एस्टेब्लिशमेंट के लिये रक्खा गया है। केन डिपार्टमेंट दो भागों में बटा हुआ है। पहले मार्केटिंग का विभाग डेवलपमेंट का काम भी कर लेता था लेकिन कुछ दिनों से यह दोनों विभाग अलग कर दिये गये हैं। गन्ने से पुराना परिचित होने के नाते मैं निवेदन करता हूं कि इस विभाग के अलग किये जाने से एफिशियेंसी में कुछ अधिक फर्क नहीं पड़ा। १९३५ में यह विभाग कायम हुआ था और आज

२२ वर्ष हो गये केन डिपार्टमेंट को काम करते हुये लेकिन हमारे हर एकड़ की एवरेज पैदावार ३०० मन के ऊपर नहीं जा सकी है जब कि दूसरी स्टेट्स में बालचन्द हीराचन्द के फार्म में फी एकड़ पैदावार ३ हजार या ढाई हजार मन मिलती है। (व्यवधान) जी हां, ढाई हजार तीन हजार मन फी एकड़ पैदावार है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितना भी रुपया वह एग्रीकल्चर के ऊपर मांगते हमें देने में कोई उज्र नहीं हो सकता था क्योंकि इस चीज पर हमारे ७० फीसदी लोगों की जीविका निर्भर है और हम अपना कटौती का प्रस्ताव पेश न करते अगर हमें यह इत्मीनान होता कि आपकी योजनाओं से किसानों की पैदावार का उचित रिटर्न उनको मिलता है। मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जरा १९५२-५३ के आंकड़ों को देखें। जिस साल पूर्वी जिलों में सरप्लस केन हो गया था तो आपने रिकवरी बेसिस पर गन्ने का दाम दिलाने का फैसला किया था। मुझे ज्यादा आंकड़े तो मालूम नहीं है लेकिन ३ ४ फैक्टरियों के आंकड़े बता सकता हूं। रिकवरी बेसिस पर महावीर शुगर मिल सिसवा बाजार ....

श्री हुकुमसिंह विसेन--उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके जरिये एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि मारकेटिंग का इस ग्रांट से कोई ताल्लुक नहीं है। मारकेटिंग का २१ और ४५ से कोई संबंध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--जिन बातों का इस ग्रांट से संबंध नहीं है उनको कहने की क्या जरूरत है।

श्री मदन पांडेय--मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मांग में केन डेवलपमेंट के लिये ४८ लाख रुपये का जिक्र है और केन डेवलपमेंट विभाग का पैदावार बढ़ाने से ही ज्यादा ताल्लुक है, इसलिये हम कहना चाहते थे। अगर यह इससे बाहर मालूम पड़ता है तो मैं आगे बढ़ता हूं। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उस साल इस मिल में रिकवरी बेसिस पर ढाई लाख मन गन्ना गिराया गया था और जब दाम मिले तो साढ़े नौ आने मन के हिसाब से और रिकवरी ९.८ दिखाई गई थी जबकि पड़ोस की दूसरी जगह उसी सप्ताह की रिकवरी ७.८ और ८.२ थी। इस संबंध में अगर मैं विषायान्तर हो गया हूं तब भी मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह तवज्जुह दें कि किसानों को उनकी पैदावार का उचित रिटर्न मिले और इसका उचित बन्दोबस्त किया जाय।

एक इलाका डोमाखंड है जहां गन्ने की पैदावार बहुत अच्छी होती है लेकिन वहां के किसानों को अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता है क्योंकि वह जगह फैक्ट्री गेट से २० मील दूरी पर पड़ती है इसलिये ट्रामवे जैसी चीज का इन्तजाम हो जाय तो मंत्री जी ज्यादा कामयाब होंगे और लोग दिलचस्पी लेंगे और किसानों को भी उनकी पैदावार का उचित रिटर्न मिलने लगेगा।

केन डिपार्टमेंट का बहुत लम्बा चौड़ा खर्चा रखा गया है। सीड और खाद के वितरण के बारे में मैं बतलाता हूं। जो सोसायटीज बनाई गई हैं उनमें से कुछ लोगों को लेकर और मिल के प्रतिनिधियों को लेकर डेवलपमेंट कमेटी बनाई गई है जो कम्पोस्ट खाद और अमोनियम सल्फेट आदि का बंटवारा करती है। अगर आप आंकड़े देखें तो मालूम होगा कि डेवलपमेंट के नाम पर जो ५० लाख रुपया मांगा जा रहा है उसका उचित उपयोग नहीं होता है। आज भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का दस बारह साल बाद काम करने के बाद नतीजा यही निकला कि ३०० मन फी एकड़ पैदावार होती है।

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, अब आपने लाल बत्ती दिखा दी और मंत्री जी वैसे ही लाल बत्ती मालूम पड़ रहे थे, इसलिये मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। कटौती का प्रस्ताव

[श्री मदन पांडय]

का समर्थन मैं उसी शक्ल में कर रहा हूं कि यह जो ५० लाख रुपये की मांग की जा रही है इसका उचित उपयोग होना चाहिये और किसानों को उनकी पैदावार का उचित रिटर्न दिलाने का बन्दोबस्त किया जाय और जो सुझाव हमने दिये हैं उनको स्वीकार किया जाय।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान के समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मुझे विरोधी दल के कई साथियों से सुनने में यह आया कि सीड स्टोर वाले कुछ बड़े-बड़े लोगों को ही सीड दे देते हैं। जिससे कुछ इने गिने लोगों को ही सीड स्टोर से फायदा होता है। श्रीमन्, मैं अपने साथियों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सीड स्टोर्स में लिमिटेड गल्ला होता है। उसका फार्म होता है जिसे किसान अपने गांव से भरा कर लाता है जिसके अनुसार उनको मजबूर होकर गल्ला देना पड़ता है। अगर किसी गांव के लोग अपना फार्म नहीं भरते हैं तो सीड स्टोर के सुपरवाइजर सीड स्टोर से गल्ला नहीं दे सकते हैं।

एक बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और इसमें गल्ले की कमी सदैव लगी रहती है। जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वह हर वर्ष बाढ़ और सूखे से तबाह रहता है। उसके दुख को दूर करने के लिये जो सरकार की नीति है कि गल्ले की उपज बढ़ाई जाय और इस ओर सारी शक्ति लगाई जाय इस उद्देश्य का पालन विभाग द्वारा उचित ढंग से नहीं होता है। हमारे देश में कई चीजों की कमी है और सबसे बड़ी कमी जमीन की है। जन-संख्या को देखते हुये पैदावार को बढ़ाने की जरूरत है। इसलिये विभाग के कर्मचारियों को मंत्री महोदय आदेश करें कि खाद की कमी की पूर्ति कैसे हो इसका आन्दोलन प्रांत भर में होना चाहिये। हरी खाद पैदा करना हमारा किसान नहीं जानता है। हो सकता है थोड़े से फ़ार्मों में हरी खाद होती है लेकिन असल में जो हमारे प्रदेश के कोने-कोने में होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। आपके पास स्टाफ की कमी नहीं है। करीब-करीब हर जिले में केन यूनियन है और एग्रीकल्चर विभाग है। दोनों के कामदार और सुपरवाइजर्स हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि जब हरी खाद पैदा करने का सीजन हो तो हमारे केन विभाग और ऐग्रीकल्चर विभाग के सुपरवाइजरों का और कोई काम न हो और वे देहातों में किसानों को हरी खाद पैदा करना बतायें।

दूसरी बात सिंचाई की व्यवस्था के बारे में है। वैसे इस विभाग का उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमारी सरकार इस विषय में क्या कर रही है? मैं पूर्वी जिलों के बारे में जानता हूं कि जब आजादी नहीं थी तो हम यह नहीं जानते थे कि ट्यूबवेल किसे कहते हैं और पाताल गंगा कहां से आयेगी और उससे किस तरह से हमें फायदा होगा। लेकिन आज जहां भी संभव हो सकता था वहां ट्यूबवेल और नहरें हमारी सरकार ने बनवाया है। हां, पावर न मिलने से हमारे यहां कुछ दिक्कतें हुई। हम समझे कि ट्यूबवेल लग गये हैं और गन्ने की पैदावार बढ़ाने का काफी प्रयत्न किया लेकिन पावर न मिलने से हमारी मंशा पूरी नहीं हुई। श्रीमन्, पूर्वी जिलों में जब मिलें लगाई गई थीं उस समय प्रदेश के अन्य भागों में शायद और मिलें नहीं थीं। हमने उस समय आशा की थी कि हमारा विकास होगा लेकिन जितनी आशा थी उतना विकास नहीं हुआ। इसके विपरीत जो मिलें बाद में लगीं उनका विकास अधिक हुआ। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हर जिलों पर जो विकास यूनियनें हैं उनके जरिये से जो कमीशन इकट्ठा होता है उसको ले करके नालियां सड़कें आदि बनवाई जायं जिससे किसानों का गन्ना मिलों में ठीक से पहुंच सके।

*श्री गेंदा सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं क्योंकि मेरी आलोचना उन्हीं के संबंध में होती थी जब मैं कहा करता था लेकिन उन्होंने आज मेरे काम को पूरा कर दिया।

श्री हुकुम सिंह विसेन—तो उस पर आज न बोलें।

श्री गेंदा सिंह—वह ऐसी समस्या है जिस पर यदि मैं न बोलूं तो न मुझे ही संतोष होगा और न मंत्री जी को। लेकिन बहुत जरूरी बातें ही कहूंगा।

कृषि का ऐसा व्यवसाय है जिस पर हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है और यह भी है कि हमारे प्रदेश में गरीब लोग पूरब में, सबसे ज्यादा बसते हैं। जब तक उनकी माली हालत दुरुस्त न हो तब तक सभी लोगों की माली हालत दुरुस्त होने की आशा नहीं हो सकती। मैं यहां पर एक बात से माननीय राघवेन्द्रप्रताप सिंह जी से डिफर करता हूं। उन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये कहा कि कुछ लोग ऐसी बातें पैदा करते हैं जिससे प्रदेश में अशांति पैदा हो जाती है और जमीन के बंटवारे का नाम भी लिया। मैं समझता हूं कि जमीन का बंटवारा ही देश की समस्याओं के समाधान का जरिया है।

श्री हुकुम सिंह विसेन—आप अनुदान का समर्थन कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जी को गलतफहमी हो रही है। आप अनुदान का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह—मैं उनके कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं लेकिन जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे डिसेग्री करता हूं और कहता हूं कि जमीन का बंटवारा अत्यन्त आवश्यक है और जबतक वह नहीं होता कृषि की समस्या हल होने वाली नहीं है।

कोआपरेटिव फार्मिंग की चर्चा करने का समय नहीं है लेकिन इस समय इस संबंध में मैं केवल यह मांग करता हूं कि चाइना डेलीगेशन की जो रिपोर्ट है वह किसी दिन सदन की मेज पर रख दी जाय और उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैं जरूर चाहता हूं कि इस बजट के बाद कोई वक्त निकाला जाय कि हम उस कोआपरेटिव फार्मिंग पर विचार कर सकें, उसके साथ कुछ न्याय कर सकें। खेती के सिलसिले में मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारा उद्देश्य, इस कृषि विभाग का उद्देश्य इस समय यह होना चाहिये कि जितनी खेती इस वक्त हमारी है उसकी पैदावार को हम अधिक से अधिक बढ़ायें। अगर हम पैदावार नहीं बढ़ा सकेंगे तो सारे देशों की जो एक होड़ हो रही है उसमें हम पीछे रह जायेंगे। यह मैं नहीं कहता कि हम लक्जूरियस लाइफ की तरफ जायें, उस तरफ हम न जायें लेकिन हम किसी तरह लोगों को भरपेट रोटी दे पायें यह हमारी मंशा होना चाहिये। हमारे राजस्व मंत्री जी ने सलाह दी कि इंटेंसिव खेती करो। वह तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि हम पानी की अच्छी व्यवस्था न कर लें। उसकी व्यवस्था करने के बाद ही इंटेंसिव खेती की अच्छी व्यवस्था की जा सकती है, उसकी बात की जा सकती है। पानी और खाद यह दो चीजें ऐसी हैं कि जिनके बिना इंटेंसिव खेती नहीं हो सकती, उपज नहीं बढ़ सकती। मैं समझता हूं कि पानी के लिये जो व्यवस्था है उसको देखते हुये मैं ऐसा अनुमान करता हूं कि अगले ५० सालों में हम शायद सारी खेती को पानी दे पायेंगे। अगर हम ५० साल में ऐसा कर पाये तो इंटेंसिव खेती एक कल्पना की बात है।

दूसरे खाद की बात है। माननीय नेता विरोधी दल ने उस रोज उसका चर्चा किया था। गोबर जैसी चीज को बचाने के लिये हमने अभी तक कोई उपाय नहीं किया। हमने ऐसे चूल्हों को ईजाद नहीं किया कि जिनकी बदौलत हम लकड़ी बचा सकें और गोबर बचा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सके और उसका इस्तेमाल हम खाद के स्थान पर कर सकें। आप प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले जाइये, मेरठ जाइये अथवा मुजफ्फरनगर, आप देखेंगे कि हमारा करोड़ों मन गोबर जलकर खाक हो जाता है। इसके लिये खोज करनी चाहिये और सबसे पहला काम कृषि विभाग का यही है कि गोबर को कैसे बचाया जाय।

तीसरी चीज बीज है। अगर मैं आंकड़ों के चक्कर में जाऊं तो उसका समय नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बीज जो हम सप्लाई कर रहे हैं वह नाममात्र का है। मैं राघवेंद्रनाथ जी से पूछा करता हूं कि अच्छा बीज होने से १५ फीसदी उपज बढ़ सकती है। हमारे कृषि मंत्री जी इसके बहुत शौकीन हैं कि नस्लें बदली जायं। मैं समझता हूं कि इस मामले में भी उनको अगुवा बनाना चाहिये। मैं समझता हूं कि अच्छा होता कि ज्यादा सांड छोड़े जायं जितने छोड़े जा रहे हैं। अगर उसके चौगुने छोड़े जायं तो पांच साल में ही हमारे पशुओं की नस्ल बदल सकती है. लेकिन साथ-साथ यह भी चाहता हूं कि सब चीजों की उपज बढ़ाने के लिये अगर हम जल्दी कर सकें तो अच्छा है। उपाध्यक्ष महोदय, १५ फीसदी उपज केवल बीज बदल देने से ही बढ़ सकती है, तो यह कोई मामूली बढ़ोत्तरी नहीं है, लेकिन इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि बीज देने की जो मिकदार है वह बहुत ही कम है।

अन्त में मैं गन्ने वाले विभाग के सिलसिले में आपकी इजाजत चाहूंगा कुछ दो, तीन मिनट में अपनी बात कहने के लिये। इस बारे में बड़ा चर्चा हुआ। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस विभाग की कितनी आवश्यकता है इसको इस वक्त मैं बता नहीं सकता। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है लेकिन आवश्यकता होते हुये इसके ऊपर थोड़ी कड़ी निगाह रखनी चाहिये। इस साल जहांतक मैंने सुना है किसानों को बड़ी तकलीफ हुई। पर्चा बना लेना, गलत पेमेंट हो जाना आदि की शिकायतें काफी हैं। काशीपुर, पीलीभीत आदि के बारे में मैंने सुना। पिछले वर्ष भी काफी गड़बड़ रही। इतने बड़े विभाग के होते हुये भी इस विभाग ने अपने पास कितना गन्ना है इसका सही अंदाज नहीं रखा और जब कभी चर्चा इसका मैं करता हूं और कोई पूंछता है तो हमारे मिनिस्टर साहब को बगल झांकना पड़ती है। उसको अगर हमारे गन्ना विभाग के अधिकारी रोज देखा करे तो उनको मालूम हो कि रऊफ साहब को क्या दिक्कत होती है। जो इंडस्ट्री का मिनिस्टर होता है जब उसके सामने कोई इंडस्ट्री का सवाल आता है या कोई गन्ने की बात पूछी गयी तो सिवाय इसके कि वे बगल झांके और कुछ उनसे नहीं होता है। मैं समझता हूं कि कम से कम मिनिस्टर साहब जो हैं वह अपने अधिकारियों से कहें कि हमको बगल झांकने वाला मत बनाओ। ऐसा बनाओ कि हम कभी जनता को जवाब दे सकें। कम से कम सरकार के पास इसका अन्दाजा नहीं है कि हमारे प्रदेश में कितना गन्ना पैदा होता है। यह किताब छपी है बहुत अच्छी है। मगर इसमें एक बात नहीं लिखी है और वह यह कि एकड़ पीछे उन्होंने कितनी पैदावार बढ़ायी है। जहां इसमें पुरस्कार का जिक्र किया गया है वहां पर उस चीज का जिकर नहीं है। बतलाया गया कि एक जगह २,०४८ मन एकड़ गन्ना पैदा हुआ लेकिन सारे सूबे में उसकी पैदावार घटी है। सूबे में १९ लाख ७० हजार एकड़ में गन्ना था और उसमें ३० करोड़ मन पैदा हुआ क्योंकि सप्लाई इतनी ही थी। अगर इस हिसाब को लगाया जाय तो १५० मन कुछ गन्ना फी एकड़ पड़ता है। पंचवर्षीय योजना के अनुसार हमारे सूबे में ७०० मन फी एकड़ पैदा होना चाहिये। वह पैदावार कैसे हो यह सोचने की बात है। मैं निवेदन करूंगा कि यह मुहकमा ऐसा है कि जिसके फैसले पर हमारी एकानामी डिपेंड करती है। ५ करोड़ के करीब रुपया सरकार को उससे सेस का मिलता है और कई करोड़ रुपया केंद्रीय सरकार को एक्साइज ड्यूटी का इससे मिलता है और कोई फसल ऐसी नहीं है जिससे सरकार को इतनी आमदनी होती हो इसलिये जितनी भी जरूरत पैसे की इसके लिये हो वह हम देने के लिये तैयार हैं मगर उसकी निगरानी सख्ती के साथ होनी चाहिये जिसमें किसानों का अहित न होने पावे।

जो शुगर केन इन्सपेक्टर होते थे उनका अमला कुछ कम कर दिया गया है क्योंकि मैं नहीं समझता कि उसको कम करने की क्या जरूरत है। उसको बढ़ाने की जरूरत है और निगरानी और प्रचार करने की जरूरत है। मैं तो उनको गाड़ियां भी देने की बात कहता हूं और कहता हूं कि उनको जीप दी जाय। उनको इसकी जरूरत है जिससे वे गांव में किसानों की मदद कर सकें। मैं कहता हूं कि आप इन बातों पर गौर करें। मैं बारीक बातों को छोड़ देता हूं उन पर तो वैज्ञानिक लोग विचार करेंगे। मैं तो मोटी बात करता हूं और मोटी बातों की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये ताकि जल्द से जल्द गरीबों की वे वास्तव में मदद कर सकें।

श्री कल्याण राय (जिला रामपुर)--माननीय मंत्री जी और उपाध्यक्ष महोदय, मैं रामपुर के इलाके से आया हूं और यहां पर दूसरी दफा चुनकर आया हूं।

श्री उपाध्यक्ष--इस सदन में केवल अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को ही सम्बोधित किया जाता है, किसी मंत्री को नहीं।

श्री कल्याण राय--मैं माननीय मंत्री जी के अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और जो कटौती का प्रस्ताव विरोधी पक्ष की ओर से प्रस्तुत हुआ है उसका विरोध करना चाहता हूं। हमारा जो रामपुर का एरिया है उसमें सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है और वही हमारे गन्ने की समस्या है। इस साल वहां पर बहुत गन्ना हुआ है। बहुत समय तक वहां सप्लाई इसकी होती रही और कम दाम हमारे काश्तकारों को मिले। कहीं पर गन्ने का दाम १ रु० ७ आना मिला है कहीं १ रु० ५ आ० मिला है, कहीं १ रु० ३ आ० मिला है और हमारे यहां तो १४ आ० मन तक गन्ने का दाम दिया गया है। अगर गन्ने की कीमत कम देंगे तो किसानों का नुक्सान होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देता हूं कि गन्ने की समस्या हमारे रामपुर में बहुत ज्यादा है और उसको हल करने के लिये वहां दूसरी फैक्ट्री लगायी जाय या वहां के काश्तकारों से कहा जाय कि उनको गन्ने की खेती कम करनी चाहिये। क्योंकि गन्ना जब बाहर जायगा तो काश्तकारों को रुपया नहीं मिल सकता है। गन्ने की कीमत तो लकड़ी की कीमत से भी कम रखी गयी है। लकड़ी तो बिके तीन रुपये ढाई रुपये मन और गन्ना एक रु० ८ आ० मन बिके। यदि उसको सूखी लकड़ी भी माना जाय तो भी उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा दी जानी चाहिये। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि गन्ने का दाम बहुत कम है।

इसके अलावा जो पानी के साधन हैं, नहरें वगैरह ऐसी हैं जो अप्रैल के बाद मई, जून में पानी नहीं देती हैं जिसकी वजह से गन्ना सूख जाता है, इसलिये वहां की समस्या बहुत खराब है। रामपुर बहुत बैकवर्ड एरिया रहा है, वह बहुत गरीब जगह है फिर भी जबकि और जिलों में लगान ७-८ रुपये फी एकड़ है, हमारे यहां १७, १८ रु० फी एकड़ लगान देना पड़ता है। इसलिये माननीय मंत्री जी से मुझे कहना है कि वहां की समस्या बहुत कठिन है।

जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने गोबर के बारे में कहा, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि वाकई गोबर सबसे बेहतर खाद है। जो बाहर के खादों के लिये ३७, ३८ रुपये बोरी कीमत दी जाती है उससे यह बहुत बेहतर खाद खास तौर से गन्ने के लिये है। मैं भी खेती-बारी का काम थोड़ा बहुत जानता हूं, इसी बिना पर मैं कहता हूं कि सबसे बेहतर खाद गोबर की है इसलिये जानवरों को ज्यादा से ज्यादा पलवाया जाय और ज्यादा से ज्यादा उनकी सेवा हो।

इसके अलावा हमारे यहां तहसीलों में जो बेसिक स्कूल्स वगैरह हैं, वहां पढ़ाई बहुत कम होती है। कम से कम हर तहसील में दसवें दर्जे तक स्कूल होने चाहियें। चूंकि वह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है क्योंकि पहले यह रामपुर रियासत में था।

श्री उपाध्यक्ष—यह आप शिक्षा विभाग के बजट पर कहियेगा।

श्री कल्याणराय—मैंने चाहा पढ़ाई पर बोलने को लेकिन आप बोलने के लिये मौका तो देते नहीं। आप नाम तक तो जानते नहीं। इसलिये जितनी बार हम खड़े होते हैं और बोलना चाहते हैं तब तो आप बोलने ही नहीं देते। इसलिये हम अपनी बात को कहें तो कब कहें?

श्री उपाध्यक्ष—आप खेती के स्कूल के बारे में तो नहीं कह रहे थे?

श्री कल्याणराय—खेती के स्कूल की बात तो नहीं कह रहा था लेकिन उसकी बात भी कहूंगा। बात यह है कि वैसे बात तो अपनी कहनी जरूर ही है हमको।

श्री उपाध्यक्ष—अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं तो बैठ जाइये, यह जरूरी नहीं है कि आप ७ मिनट बोलें ही।

डाक्टर खमानी सिंह (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारी तरफ से कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पेशतर इसके कि मैं इसके मुतालिलक कुछ कहूं मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि [illegible] यह एक चिपल्टिक खूबसूरत किताब है, [illegible] या यमे बाजारों में मिलती हैं। उसकी खूबसूरत बातें बतलाती हैं कि कैसे रुपया बरबाद हो रहा है। इस किताब को देखकर कोई भी आदमी समझ सकता है कि हमारा पैसा कैसे खर्च हो रहा है और बरबाद हो रहा है। एक तरफ तो हमारे पास जरूरी कामों के लिये पैसा नहीं है और दूसरी तरफ इस तरह से उसकी बरबादी हो रही है। दूसरे इस किताब में ४–५ तसवीरें हैं, जो यह जाहिर करती हैं कि उनका क्या मतलब है और हमारा पैसा कैसे खर्च हो रहा है. यह हमारे विभाग के मुलाजिम हैं जो सरकार से तनख्वाह पाते हैं और इस तरह की किताबें छाप कर पैसा बरबाद करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप ऐसी व्यक्तिगत बातें न करें। इस किताब के विषय में आपने काफी कह दिया, अब अनुदान पर बोलें।

डाक्टर खमानी सिंह—इस किताब में जो तसवीरें हैं उनके बारे में मैं कहूंगा कि वे ऐसी हैं कि जिस तरह से साइकालाजी की चीजें होती हैं।

किसान के लाभ के लिये सब से बड़ी और खास चीज गन्ना है। जो काश्तकार गन्ना नहीं बोता वह खास तौर से गरीब रहता है और उसकी गुजर नहीं होती। गन्ना एक ऐसी चीज है कि जिस को वह पैदा करता है तो खुशहाल रहता है और उसके बगैर काश्तकार की गुजर नहीं होती। जिन जिलों के किसान गन्ने की खेती करते हैं उनकी हालत अच्छी है हैं उन जिले के किसानों से जहां गन्ना नहीं होता, वह किसान गरीब हैं। हमें यह देखना चाहिये कि जो गन्ना हमारा किसान पैदा करता है वह सही वक्त पर और सही दामों पर बिकता है या नहीं। गन्ने का सीजन नवम्बर से ३१ मार्च तक होता है, अगर इस वक्त के अन्दर उसका गन्ना पिर जाये तो वह काश्तकार बहुत भाग्यशाली और खुशहाल रहता है लेकिन होता यह है कि उसका गन्ना अकसर जून और जुलाई तक पेरा जाता है। चाहे कृषि मंत्री जी के विभाग के लोग खूब एक्सपेरीमेंट करें खूब तारीफ करें लेकिन मैं जानता हूं मैं भी एक किसान हूं, कि मई के महीने में काश्तकार को गन्ना छीलने में कितनी तकलीफ होती है. कागज पर खूबसूरती से तसवीर छपवा देने से कुछ नहीं होता, मुझे कहना पड़ेगा कि किसान की तकलीफ किसान से पूछो, वही जानता है मई के महीने में गन्ना कैसे छीला जाता है और क्या तकलीफ होती है और जो १४ आना मन गन्ने की कीमत उस जून, जुलाई में दी जाती है वह इतनी भी नहीं होती कि उसका स्टेशन तक गन्ना ले जाने का भाड़ा या खर्च भी निकल आवे, क्या वह खर्च करे और क्या रखे, क्या छिलाई दे।

श्री उपाध्यक्ष—जरा सदन में शान्ति रहनी चाहिये, बातचीत बहुत हो रही है।

डाक्टर खमानी सिंह—जो गन्ना ३१ मार्च के बाद पेरा जाता है उसमें केवल किसान का ही नुकसान नहीं है, बल्कि उससे सारे देश का नुकसान है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है और इस तरह से देश का नुकसान होता है। हर जगह गन्ने के मार्केटिंग का घपला रहता है। मैं बताऊं कि हमारे जिले में जो खादर का इलाका है और जहां ४-५ दरिया बहते हैं, वहां मुरादाबाद के जिले में गन्ना बहुत होता है। एक बार का बोया गन्ना तीन-तीन चार-चार साल तक चलता है, लेकिन गन्ने को पेरने का उस खादर के इलाके में कोई प्रबन्ध नहीं है, वहां गन्ना बहुत कम पेरा जाता है और कोल्हू वगैरह वह लगाते हैं तो नुकसान होता है। मेरा खयाल है कि यह जो केन मार्केटिंग सोसाइटी है उससे ज्यादा करप्ट सोसाइटी और कोई न होगी। इसके मुताल्लिक चूंकि करप्शन का मामला है मैं अर्ज करूं कि करप्शन के मुताल्लिक एक रोज मुकर्रर करें, लोगों से पूछें कि किस तरह से उसको डाइगनोज किया जा सकता है और किस तरह से ठीक किया जा सकता है। थोड़ा बहुत मौका दें तो अर्ज करूंगा कि कैसे इसको डाइगनोज किया जा सकता है, क्या इसके काजेज हैं और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। मेरे पास एक दरख्वास्त आयी है ५२-५२ पर्चियां क्लर्कों ने चुरा ली हैं, जिनकी कीमत २,२०० रु० है। वे रेड हैन्डेड पकड़े गये, लेकिन कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। सन् १९४८-४९ का पैसा आज तक नहीं पे किया गया। लोग जाते हैं दो, दो रुपये खर्च करके और शाम को निराश होकर लौट आते हैं। तो यह शिकायतें हैं गन्ने के मुताल्लिक, जिनको देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर काश्तकार का हर गाड़ी पर कम से कम २ मन गन्ना मारा जाता है और तौल बाबू से फिर सब लोग हिस्सा बटाते हैं। केन सोसाइटीज के पेट में जाता है। यह हालत है इस डिपार्टमेंट की। मैं चाहूंगा कि इस तरफ ध्यान दिया जाय और मुरादाबाद तहसील, ठाकुरद्वारा तहसील में एक मिल खोलने की कोशिश की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह से) आप केवल ३, ४ मिनट का ही समय लीजिए।

श्री राघवेंद्रप्रताप सिंह—श्रीमन्, जो मैंने कटौती पेश की है और जो उसका उद्देश्य या सुझाव देना, मैं समझता हूं सब लोगों ने हमारा समर्थन ही किया और सबने कुछ न कुछ

था, उसका जिक्र किया और जो उन्होंने हमसे मतभेद प्रकट किया यह हमारा उनका मतभेद आज से नहीं बहुत दिनों से है और शायद बहुत दिनों तक रहेगा। जो उन्होंने दलील पेश की कि भूमि वितरण करें, मैं फिर कहूंगा कि यही हमारे देश की बरबादी का कारण होगा, जिस दिन यह हो जायगा। साढ़े चार करोड़ एकड़ जमीन है, ६ करोड़ हमारी आबादी है, पौन एकड़ का औसत पड़ता है फी आदमी पर। अगर आप मजबूर करते हैं कि इतने में आदमी खुशहाल रहे तो यह मुमकिन नहीं है। रूरल एकोनोमी कमेटी की जो रिपोर्ट है वह यह कहती है कि ६ से लेकर १२ एकड़ तक के किसान को लाभ नहीं मिलता है और उनको दूसरे व्यवसायों से अपना पेट भरना पड़ता है। भू-वितरण का प्रश्न अगर आगे बढ़ाया जाय तो यह तो कहा नहीं जा सकता कि क्या सीमा आप बनायेंगे, और नतीजा वही होगा कि या तो कलेक्टिव फार्मिंग हो या कोआपरेटिव फार्मिंग। पोलैण्ड में जब कोआपरेटिव फार्मिंग अपनायी गयी तो उनकी पैदावार दिन ब दिन घटती गई। चीन में जो हालत है आज उनका प्रोडक्शन गिरता जा रहा है और सम्भव है कि वही कलेक्टिवाइजेशन करें। और आपके यहां रुद्रपुर फार्म हैं, और स्टेट मैकेनाइज्ड फार्म्स हैं और कलैक्टिवाइजेशन का नतीजा यह है कि कोई फायदे पर नहीं चल रहे

[श्री राघवेंद्रप्रताप सिंह]

है। और आखिर में वहीं आप पहुंचेंगे। श्रीमन्, अन्त मे फिर यही निवेदन करूंगा कि देहात की तरफ विशेष ध्यान दें और अगर देहात में यह आवाज होती रहेगी तो कोई आदमी देहात में नहीं रह जायगा। देहात के पढ़े लिखे नौजवान शहर में चले जायेंगे तो देहात में अंधकार हो जायगा। देहात मे परेशानी है, कोई रहना पसन्द नहीं करता। जिसके पास चार पैसा होता है शहर में जाता है और मैं फिर कहूंगा कि यह प्रयोग हो चुका है अमेरिका वगैरह मे कि खेती में और उत्पादन बढ़ाने के लिए जो साधन किये गये है प्रोपेगैंडा, लिटरेचर आदि चीजें, इनसे ९ प्रतिशत अगर प्रोडक्शन बढ़ा है तो दूसरी ओर एक एजुकेटेड फार्मर अगर उस लोकैलिटी में रहा है उसकी महज प्रिजेंस मे, उसके खुद उदाहरण से २१ प्रतिशत की पैदावार बढ़ गई है। तो मैं कहूंगा कि एजूकेटेड फार्मर को देहात से न निकालिए, तभी देहात की तरक्की हो सकती है। वह वहां का फिलासफर है, देहात का गाइड है, देहात का सब कुछ है। अगर आप उसको हटा देंगे तो जो आज है उसे पुलिस राज कहिए या आतंक का राज्य कहिए, वही देहात में होने जा रहा है।

श्री हुकुम सिंह विसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् राजा साहब का व अन्य मित्रों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने कि इस ग्रान्ट के सम्बन्ध मे बहुत सी बातें सुझाव के तौर पर कही। सबसे पहली बात राजा साहब ने सीलिंग वगैरह के बारे में कहा। राजा साहब के खड़े होने के पहले ही मैं तो सोचता था और आशा करता था कि राजा साहब यह बात अवश्य इस कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस सदन के सामने पेश करेंगे और मैं यह भी समझता था कि श्री गेंदासिंह जी उसका विरोध करेंगे। जहां तक इस उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है जैसा कि राजा साहब ने अपने वक्तव्य में संकेत किया था, हमारे साथी चौधरी चरणसिंह जी ने इस सम्बन्ध मे अपनी कुछ राय व्यक्त की थी। उसके साथ-साथ मैं राजा साहब को

है ख्वाह वह

कायम रहें और आइन्दा जो कोई शख्स जमीन खरीदे वह ३० एकड़ से ज्यादा नहीं खरीद सकता। ऐसी व्यवस्था उस ऐक्ट में है। अभी वह तरमीम नहीं हुआ है। बदस्तूर कायम है। तो जहां तक इस राज्य का सम्बन्ध है, एक कानून इस सदन ने बनाया है। जब तक वह मौजूद है तब-तक और इस तरह की बातों से खायफ होकर के हमारे नौजवान पढ़े लिखे लोग जो गांवों में खेती कर रहे हैं उनको भागना न चाहिये और अपने काम में तत्पर रह कर उसमे पैदावार में इजाफा करने में मदद करते आये हैं मदद करें। जब कोई परिस्थिति आयेगी हम समझते हैं हमारे नौजवान उसका भी मुकाबिला करेंगे। जमींदारी एबालिशन के वक्त हमारे जो जमींदार साहबान थे कितना उसके मुखालिफ थे और उससे कितना खायफ थे। लेकिन खत्म हो जाने के बाद वह जो बेशुमार खौफ था या उनके दिलों में डर था वह बिलकुल गायब हो गया। हमको तो वैसे ही प्रसन्नचित्त अब भी जमींदार साहबान दिखलाई देते हैं जैसे जमींदारी एबालीशन के पहले थे। लिहाजा इन खतरों से डरना नहीं है। संसार में तरह-तरह की परिस्थितियां आती हैं, उनका मुकाबिला जब आ जायं तब करना चाहिये। किसी खतरे को सोचकर पहले ही डर कर के बुजदिली से काम नहीं करना चाहिये। इतना मुझे इस सम्बन्ध में कहना है।

जहां तक हमारे राजा साहब ने और तमाम बातें कही हैं यह सभी जानते है कि खेती की पैदावार की तरक्की के लिये चार, पांच चीजें मुख्य हैं। हर आदमी खेती पर जब बोलने खड़ा होता है तो वही चार, पांच चीजें दोहरा देता है। मुझे भी इस सम्बन्ध में उस परिपाटी का अनुकरण करना है कि खेती के लिये पानी, अच्छे बीज, अच्छे औजार, अच्छे काश्तकार व अच्छी तरह से खेती करने के तरीकों की जरूरत होती है।

यह कह देना बहुत आसान है कि सरकार के सब आंकड़े गलत होते हैं। गलत इसका कोई इलाज मेरे पास नहीं है, लेकिन रेनडम सर्वे के जरिये हजारों जगहों से फसल कटवा कर तख्मीना निकाला

रहा है और जो आंकड़े दिये गये हैं वे मोटे पर्सेन्टेज तो नहीं, लेकिन एप्राक्सिमेटली सही होते हैं। इसलिये कहने से उन लोगों का है कि हमारे प्रदेश में एग्रिकल्चरल प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। कुछ लोग यह जाहिर करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पैदावार में इजाफा नहीं हुआ, तो उनको इत्तिला के लिये अपने सूबे का जो ट्रेड सिस्टम है उस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

गल्ला में २ करोड़ मन गल्ला सूबे से बाहर भेजा जाता है। ६ करोड़ मन इम्पोर्ट करते हैं। इस तरह से २ करोड़ मन गल्ला हर साल बाहर भेजते हैं। फिर हमारे सूबे में एक भी आदमी भूख से नहीं मरा। जो रिपोर्ट्स उस सम्बन्ध में आईं वे गलत साबित हुईं। यह कभी संभव नहीं हो सकता कि २ वर्ष का बच्चा भूख से मर जाय और उसकी माता जिन्दा रहे। यह बिल्कुल अस्वाभाविक है कि माता पिता खुद जिन्दा रहें और बच्चा मर जाय। वह अपने बच्चे को खिलायेंगे, उसको मरने नहीं देंगे। अगर गल्ले की पैदावार में इजाफा नहीं है तो कहां से हम हर साल २ करोड़ मन गल्ला बाहर भेज देते हैं।

मेरे भाई गेंदा सिंह जी यहां मौजूद नहीं हैं। खैर, उनको खबर मिल जायगी। वे हमेशा भुखमरी का नारा बुलन्द किया करते हैं। ठीक कहते हैं, लेकिन जिस तरह से उसको तूल दिया जाता है वह पोजिशन नहीं है। अगर उस डिवीजन के ट्रेड के आंकड़े देखे जायं तो वाराणसी डिवीजन में वाराणसी स्टेशन से १६ लाख मन चावल बाहर बिहार व उड़ीसा को भेजा गया। यह वही इलाका है आजमगढ़, देवरिया और जौनपुर, जहां भुखमरी है, वहां से १६ लाख मन चावल बाहर एक्सपोर्ट किया गया। इतना गल्ला एक्सपोर्ट हो और भुखमरी की हालत हो, यह संभव नहीं है।

जैसा कि राजा साहब ने फरमाया था मेरी यह स्कीम थी कि इर्रीगेटेड व्हीट एरिया को हम ७० फीसदी बेस्ट सीड से सेचुरेट करना चाहते हैं और उसी तरह धान के इर्रीगेटेड एरिया को ३७ परसेंट बेस्ट सीड से सेचुरेट करना चाहते हैं। इसके लिये हमने काफी प्राविजन रक्खा है। यह हम मानते हैं कि बहुत सी बातें ऐसी आ जाती हैं, जिनका हम गुमान नहीं कर सकते हैं और जिन पर हमारा और आपका कोई काबू नहीं हो सकता है वह हमारी स्कीमों को उस हद तक सफल नहीं होने देतीं जिस हद तक हमारा और आपका इरादा होता है। यह भले ही मुमकिन हो कि ७० प्रतिशत के बजाय ६५ प्रतिशत तक ही पहुंचूं, लेकिन इरादा कर लिया है कि हम सीड स्टोर्स की तादाद बढ़ायेंगे और अपने यहां १०० फार्म्स खोलेंगे और उनमें अच्छे बीज पैदा कर के लोगों को देना चाहते हैं।

जो बात हमारे राजा साहब तथा अन्य मित्रों ने बताई वह मेरे ध्यान में है कि रासायनिक खादों का प्रबन्ध है और देशी खादों का कोई प्रबन्ध नहीं है। मैं इससे अक्षरशः इत्तफाक करता हूं कि अगर हमारी देशी खादें नहीं डाली जायंगी और रासायनिक खादों का ही प्रयोग होगा तो हमारे खेत दो चार वर्षों में ही ऊसर हो जायंगे और हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जायगी। इस बात को मद्देनजर रखकर मैंने लाखों पैकेट्स सनई और ढांचे के बीज के दिये हैं। हमारे पास ग्रीन मैन्योर के इतने बीज नहीं हैं कि हम सब किसानों को बांट सकें।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)--पुड़ियों में बांटी है।

श्री हुकुमसिंह विसेन--अगर आप को दिया होता तो बोरे में भेज देता, तब शिकायत होती कि बड़े आदमी को दे दिया गया। एक रोटी है तो एक लुकमा सबको दूंगा, तनहा आप को नहीं दूंगा। एक पौंड और दो पौंड की तादाद में बांटे और किसानों से प्रार्थना की है कि वह अपने खेतों की मेड़ों पर बोकर बीजों का संग्रह करें और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें। मुझे आशा है कि सब किसान और खास तौर से गरीब किसान जरूर इसको मानेंगे। हमारे बड़े-बड़े महारथी जो बीज पैदा करेंगे वह उनसे खरीदकर हम बांटेंगे।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

इससे यह सिद्ध होता है कि भले ही हमारी योजना नाकाफी हो, भले ही रकम कम हो, लेकिन हमारे दिल में खयाल है और इस बात की दाद दी जानी चाहिये। सरकार के रिसोर्सेज कम होते हुये भी मैं लोकल सेन्ट्रल रिसोर्सेज बढ़ाने की ओर कदम बढ़ा रहा हूं, जिससे पैदावार में इजाफा होकर लोगों को फायदा पहुंचे।

मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूं, मैं मंत्री हूं खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से, कि

बदस्तूर कायम है और वनिष्ट होता जा रहा है। मैं खुद निगरानी नहीं करता हूं, लेकिन घर में छोटी मोटी खेती का मुझे अनुभव है। मैं शाह साहब या राजा साहब की बराबर

उन पर हमारा भी कुछ अंकुश काम करता रहे और जो टेक्निकल आदमी है, वह उनसे मुना-सिब काम लेते रहें। यह प्रश्न विचाराधीन है और सम्भवत: यह हो जायगा। कैरेक्टर रोल का भी मसला करीब-करीब तय हो चुका है। तो इस तरफ जो गड़बड़ी हुई है वह दूर हो सकती है, ऐसा मेरा खयाल है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो जरूर खेती को प्रथम स्थान दिया गया था, लेकिन दूसरी में कुछ दर्जा कम हो रहा था। अब भगवान् की प्रेरणा से फिर इसको ऊंचे से ऊंचा दर्जा दिया गया और सब का ध्यान इस तरफ है कि बिना खेती के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता जब यह विचारधारा हमारे और आपके सामने आ गयी तो मैं समझता हूं कि हमारे रास्ते में अब कोई अड़चन नहीं है।

बीस मिनट मेरे लिये है, सबकी खबर तो मैं नहीं ले सकता इतने कलील वक्त में, लेकिन अपने मित्रों से मैं फिर भी बातें कर सकता हूं और जो जिसके सुझाव हैं उनको सुन कर अमल करने की कोशिश करूंगा। गन्ने के बारे में बड़ी शिकायत थी। हमारे कुछ मित्रों के नुक्ते खयाल

हुई थी, जिसमें गन्ने के जो एक्सपर्ट है, श्री गेंदासिंह जी और श्री वीरेन्द्र वर्मा जी, ये लोग उसमें बैठे थे और सर्व सम्मति से यह तय किया गया कि तीन वर्ष का ऐवरेज निकाल कर बेसिक कोटा कायम किया जाय। अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो उस पर पुन: विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर यह कहा जाय कि सरकार ही सोलह आने दोषी है तो यह गलत है। हमारे जिन मित्रों ने यह तय किया था, वे भी इस दोष में काफी हद तक हिस्सेदार है।

मैं राजा साहब से एक बात और कह देना चाहता हूं। उन्होंने यह फरमाया था कि बाण्डेज में बड़ी बेईमानी होती है और उदाहरण के तौर पर जरवल मिल को बताया, जो मेरे क्षेत्र में है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बान्डेज की गड़बड़ी से वहां पेराई कम नहीं हुई। वह फैक्ट्री वक्तन फवक्तन आउट आफ आर्डर होती रही, जिससे नहीं पेर सकी और तुलसीपुर की तरफ गन्ना भेजना पड़ा, ताकि बाकी न रह जाय।

बहुत शिकायत की गयी कि दाम वसूल नहीं होते। ठीक है। वैसे इंडस्ट्रीज डिपार्ट-मेंट से इसका सम्बन्ध है, मार्केटिंग का, गन्ना बिकवाने का और उसका दाम वसूल करने का, लेकिन ३८ करोड़ रुपये का गन्ना अबके बिका जिसमें १५ जुलाई तक १ करोड़ ७० लाख रुपया बाकी था। इन १५–२० दिन में मैं समझता हूं कि ६० लाख रुपये के करीब और वसूल हो गया होगा। तो लगभग १ करोड़ के अब बाकी है। बमुकाबले और सालों के अब की वसूली बहुत ज्यादा हुई। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि एरि-

पर के सर्टिफिकेट्स केन कमिश्नर ने कलेक्टर्स के नाम जारी कर दिये हैं ताकि वे कुर्की वगैरह करके यह रकम जल्द अज जल्द वसूल करा दें। यही कानून के अन्दर हमारा अख्तियार है। उसके बरतन में डिपार्टमेंट की तरफ से कतई कोई कोताही नहीं की गयी है।

और हमारे मित्र खुबानी सिंह (एक आवाज खुबानीसिंह नहीं खुमानी सिंह) मुझे तो नैनीताल की खुबानी याद आने लगीं, ने एक हीट पैदा कर दी, जिसकी जरूरत यहां नहीं थी। गन्ना हमारे सूबे में इतना बोया जा रहा है कि सबका पेरना आसान काम नहीं है। हमारे मित्र बड़े भारी ग्रोअर हैं, वे जानते हैं कि अबकी कितना गन्ना पेरा गया है। लेकिन हमको आगे चल कर एक व्यवस्था करनी ही पड़ेगी कि हर किसान अपनी होल्डिंग का इतना परसेंटेज ही गन्ना बो पायेगा वरना अगर उससे ज्यादा गन्ना बोया जायेगा तो फिर इतनी फैक्ट्री खोली नहीं जा सकती और कोई बनिया, जब तक फायदा नहीं होगा तब तक फैक्टरी खोलेगा नहीं। बांधे बनिया बाजार नहीं लगती, यह देहाती कहावत है। लिहाजा गन्ना उतना ही बोया जाय, जितना पेरा जा सके।

श्री उपाध्यक्ष––पांच मिनट और सदन का समय बढ़ा दिया जाय, अगर मंत्री जी अभी देर में खत्म करना चाहें।

श्री हुकुमसिंह विसेन––जी नहीं। मैं खत्म करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इन दोनों अनुदानों को मंजूर करेगा।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१––कृषि के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१––कृषि सम्बन्धी विकास, इंजीनियरिंग और खोज––लेखा शीर्षक: ४०––कृषि के अन्तर्गत ३,३२,१४,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५––कृषि सुधार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५––कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत––लेखा शीर्षक ७१––कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ६,६५,६६,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मिश्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
५ अगस्त, १९५७।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५४ पर)

पास के स्कूल के मैदान का पानी दीवाल तोड़ कर नाली में अचानक आ जाने से करीब ३०० फीट की लम्बाई मे एक ओर का खरंजा बैठ गया है जिसकी मरम्मत करीब ७०० रु० में हो जावेगी। नाली की पूरी लम्बाई साढ़े छः फर्लांग है और २९ हजार रुपये की लागत से बनाई गई थी।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५६ पर)

खटीमा बिजली घर के कर्मचारियों को निम्नलिखित वेतन, मंहगाई, एवं कम्पेंसेटरी एलाउन्स तथा सुविधायें सरकार द्वारा स्वीकृत हैं।

पद	वेतन	महंगाई	कम्पेंसेटरी एलाउन्स
गजटेड स्टाफ—			
१—इक्जीक्यूटिव इंजीनियर ..	५००—५०—१००० —ई०बी०—५०— १,२०० रु०	..	..
२—असि० इंजीनियर	२५०—२५—४००— ई०बी०—३०—७००— ई०बी०—५०—८५० रु० (प्रारम्भिक वतन ३०० रु० प्रति मा०)	३००—४५० रु० वेतन तक ३५ रु०	..
सबार्डिनेट इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल इंजीनियरिंग स्टाफ—			
३—पावर हाउस सुपरिन्टेन्डेन्ट ..	२००—१०—२५०— ई०बी०—१०—३१०— ई०बी०—१४—४५० रु०	३५ रु०	...
४—सीनियर इलेक्ट्रीशियन	१२०—६—१६२— ई०बी०—६—२१०— ई०बी०—१०—२५० रु०	१२०—१५० रु० तक ३० रु० १५० रु०, स अधिक पर ३५ रु०	२५ रु०
५—शिफ्ट सुपरवाइजर	उपर्युक्त	उपर्युक्त	उपर्युक्त
६—लाइन इन्सपेक्टर	,,	,,	,,
७—स्टेशन सुपरवाइजर	,,	,,	,,
आपरेटिंग स्टाफ—			
८—टेबुल ज्वाइंटर ..	,,	,,	,,
९—स्टोर कीपर ..	७५—५—१२०— ई०बी०—८— २०० रु०	७५—१०० रु० तक २५ रु०, १०० रु० से अधिक पर ३० रु०	..
१०—असिस्टेंट स्टोर कीपर ..	६०—३—९०—४ —११० रु०	६०—१००—रु० तक २५ रु०, १०० रु० से अधिक पर ३० रु०	..

पद	वेतन	महंगाई	कम्पेंन्सेटरी एलाउन्स
११—जूनियर इलेक्ट्रीशियन	५०—५—९० रु०	५० रु० तक २० रु० ५० से अधिक पर २५ रु०	..
१२—स्विच बोर्ड अटेन्डेन्ट	उपर्युक्त	उपर्युक्त	..
१३—लारी ड्राइवर ..	,,	,,	..
१४—टरबाइन ड्राइवर	,,	,,	..
१५—वेल्डर ..	,,	,,	..
१६—फिटर और टर्नर	,,	,,	..
१७—पम्प अटेन्डेन्ट ..	५०—५—९० रु०	५० रु० तक २० रु०, ५० रु० से अधिक पर २५ रु०	..
१८—इलेक्ट्रिक ट्रेन आपरेटर ..	,,	,,	..
१९—ब्लैक स्मिथ ..	४०—४—८० रु०	,,	..
२०—सेन्ट्रीफ्यूगल मिस्त्री	,,	,,	..
२१—कार्पेन्टर ..	,,	,,	..
२२—पेन्टर ..	,,	,,	..
२३—आयलर ..	३०—१—४० रु०	२० रु०	..
२४—स्टोर जमादार ..	,,	,,	..
२५—स्टोर चौकीदार ..	,,	,,	..
२६—वर्कशाप मजदूर ..	,,	,,	..
२७—क्लीनर ..	,,	,,	..
२८—बेलदार ..	,,	,,	..
२९—रेगुलेशन बेलदार	,,	,,	..
आफिस स्टाफ—			
३०—एकाउन्टेन्ट ..	१३०—१०—२५०—ई०बी०—१५—३५५ रु०	१३०—१५० रु० तक ३० रु०, १५० रु० से अधिक पर ३५ रु०	..
३१—हेड क्लर्क ..	१००—८—१४०—ई०बी०—१०—१७० रु०	१००—१५० रु० तक ३० रु०, १५० रु० से अधिक पर ३५ रु०	..
३२—स्टेनोग्राफर ..	७५—४—९५—ई०बी०—५—१५० रु०	७५—१०० रु० तक २५ रु०, १०० रु० से अधिक पर ३० रु०	..
३३—नोटर और ड्राफ्टर	८०—५—१००—ई०बी०—६—१३० रु०	८०—१०० रु० तक २५ रु०, १०० रु० से अधिक पर ३० रु०	..

३४—रोटीन ग्रेड क्लर्क	६०—३—६०—ई०बी०—४—११० रु०	६०—१००—रु० तक २५ रु०, १०० रु० से अधिक पर ३० रु०	.
३५—टाइम कीपर	..	,,	,,	..
इन्फीरियर स्टाफ—				
३६—चपरासी	..	२२—१/२—२७ रु०	२० रु०	..
३७—दफादार	..	,,	,,	..
३८—बर्कन्दाज	..	,,	,,	..
३९—माली	..	,,	,,	..
४०—माली कुली	..	,,	,,	..
४१—हरकारा	..	,,	,,	..
४२—पानीवाला	..	,,	,,	..
४३—मेहतर	..	,,	,,	..
४४—चौकीदार	..	,,	,,	..

सुविधाएं

१—इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, पावर हाउस सुपरिन्टेन्डेन्ट और कार्यालय के कर्मचारियों को उनके वेतन का १० प्रतिशत, किराया लेकर निवास के लिये मकान दिये जाते हैं।

२—सीनियर इलेक्ट्रीशियन, शिफ्ट सुपरवाइजर, लाइन इन्सपेक्टर, स्टेशन सुपरवाइजर, आपरेटिंग तथा इन्फीरियर स्टाफ के लोगों को गृह निःशुल्क दिये जाने की व्यवस्था है। आपरेटिंग स्टाफ के लोगों को विद्युत भी निःशुल्क दी जाती है।

३—खटीमा बिजलीघर पर स्थित डिस्पेंसरी द्वारा वहां के कर्मचारियों को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६६ पर)

भारत सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त उद्योगों के कारखानों की सूची

१---सोडा ऐश और अमोनियम क्लोराइड उद्योग, वाराणसी,

२---रेयन फिलमेंन्ट यार्न उद्योग, कानपुर,

३---टेक्सटाइल मशीनरी पार्ट्स मन्यूफैक्चरिंग फैक्ट्री, कानपुर,

४---रेलवे वैगन्स बनाने के कारखाने गाजियाबाद और कानपुर,

५---ट्रान्सफारमर्स और सूईचगीयर्स फैक्ट्री, नैनी,

६---सीमेन्ट फैक्ट्री देहरादून,

७---रेपिंग पेपर, इलाहाबाद और बगैसे पर आधारित कागज का कारखाना, मेरठ,

८---सलफ्यूरिक एसिड, कानपुर,

९---कॉमिक्रेस्ट, कानपुर,

१०---लखनऊ में टार्च निर्माण करने की एक फैक्ट्री।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६९ पर)

गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स के पिछले दस वर्षों के लाभ-हानि का ब्यौरा निम्नलिखित था:—

वर्ष				लाभ रु०	हानि रु०
१९४७–४८	..	..	..	२९,८३७	..
१९४८–४९	..	..	..	२३,२८५	..
१९४९–५०	..	..	..	..	२,४४,६७८
१९५०–५१	..	..	..	..	१,४५,१२२
१९५१–५२	..	..	..	..	१,१३,११८
१९५२–५३	..	..	..	..	१,४२,८१४
१९५३–५४	..	..	..	..	१,६१,८९३
१९५४–५५	..	..	..	..	३,११,२४८
१९५५–५६	..	..	..	..	२,२७,८४८
१९५६–५७	..	..	इस वर्ष के लेखे का आडिट अभी तक न होने से लाभ हानि का निश्चय नहीं हुआ है।		

———

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ९६––एल ए०––१९५७––७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

६ अगस्त, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३७१)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशफ़ाक़ अली खां, श्री
असग़र अली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमणसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशवपांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जंगबहादुरसिंह बिष्ट, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंहदतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रतापबहादुरसिंह, श्री

प्रद्युम्नप्रकाशसिंह, श्री
प्रद्युम्नसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुशवेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकट बिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस' श्री,
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री

राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनमिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
राममूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूपयादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री

लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह राजा, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईदअहमद अन्सारी, श्री

सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ६ अगस्त, १९५७

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सेक्रेटरिएट रिआर्गनाइजेशन स्कीम

**१--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय रिआर्गनाइजेशन की जो योजना सरकार ने स्वीकार की है उसे किस तिथि से लागू किया जा रहा है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--सरकार ने इस योजना को १२-१४ जुलाई, १९५७ को स्वीकृत किया। जैसे ही इस सम्बन्ध के कुछ प्रशासकीय ब्यौरे तय हो जायेंगे, इसे वन, शिक्षा और सिंचाई के तीन विभागों में लागू कर दिया जायगा।

**२--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस योजना के अन्तर्गत स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को लखनऊ से बाहर जाना पड़ेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। कुछ कर्मचारियों को जाना पड़ सकता है।

**३--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन कर्मचारियों की नौकरी की कौन-कौन सी शर्तें हैं जिनमें रिआर्गनाइजेशन के कारण तब्दीलियां होंगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--योजना के अनुसार, उसके लागू किये जाने पर, न तो किसी को हटाया जायगा और न ही वेतन-क्रमों में कमी होगी।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १२ और १४ जुलाई को जो योजना स्वीकार की गई थी उसे शिक्षा और वन विभागों में लागू करने में कुछ कठिनाइयां हो रही हैं ? अगर हां, तो वह क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मुझे ऐसी किसी कठिनाई का पता नहीं है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस योजना को लागू करने के सिलसिले में सेक्रेटरीज ने इसका विरोध किया है ?

श्री अध्यक्ष--कोई रिकग्नाइज्ड एसोसियेशन अगर किसी चीज का हो और आप उसके बारे में पूछें तो मैं इजाजत दे दूंगा। वैसे सेक्रेटरीज लिखा करते हैं अपने नोट्स आदि, उनके बारे में प्रश्न की मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या यह सही है कि यह निश्चय अभी नहीं किया जा सका कि कर्मचारियों को बाहर भेजना पड़ेगा या नहीं ? यदि नहीं, तो फिर यह योजना क्या है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो जवाब में बताया जा चुका है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी इस योजना की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--योजना की मैं एक समरी सी बनवा रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि वह माननीय सदस्यों की मेज पर रख दी जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस योजना का जो मुख्य आशय है उसको सदन को बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने जवाब दिया कि समरी बनवा कर दे देंगे। तो मैं इतनी बड़ी योजना बताने के लिये समय नहीं दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि जो योजना है उससे आय-व्यय पर कितना असर पड़ेगा और एफीशियेन्सी पर कितना असर पड़ेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--एफीशियेन्सी पर तो बहुत अच्छा असर पड़ेगा लेकिन खर्च पर कितना असर पड़ेगा इसका एस्टीमेट अभी नहीं बतलाया जा सकता।

राजकीय स्त्री-चिकित्सालय गोसाईंगंज, जिला लखनऊ की महिला डाक्टर श्रीमती चन्द्रा के विरुद्ध शिकायत

**४--श्री खयाली राम (जिला लखनऊ)--क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि उस शिकायत के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है जो राजकीय स्त्री-चिकित्सालय, गोसाईंगंज, जिला लखनऊ, की महिला डाक्टर श्रीमती चन्द्रा के विरुद्ध गत ८ जुलाई, १९५३ को एक जच्चा का इलाज न करने के कारण नव जात शिशु की हो जाने वाली हत्या के सम्बन्ध में सरकार के पास आई है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)--इस विषय में जांच कराई गई और जांच की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। परन्तु लेडी डाक्टर का स्थानान्तरण कर दिया गया है। जांच की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अन्तिम आज्ञा दी जावेगी।

श्री खयालीराम--क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त लेडी डाक्टर अभी तक उसी अस्पताल में काम कर रही हैं ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--जी नहीं, उनका तबादला हो गया।

श्री खयालीराम--ट्रांसफर हुआ तो उनकी नियुक्ति किस स्थान पर की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वहां से ट्रांसफर हो गया। कहां गयीं इसके लिये नोटिस दें तो बतलाया जा सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस घटना का पूरा विवरण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—रिपोर्ट विचाराधीन है। तय करने के बाद कुछ कहा जा सकता है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किस तारीख को लेडी डाक्टर का ट्रान्सफर किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—परसों।

प्रान्तीय रक्षक दल का विघटन करने का विचार

**५—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह प्रांतीय रक्षकदल का विघटन कब से कर रही है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

**६—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त विभाग कब खोला गया था और उसमें कितने व्यक्ति किन-किन पदों पर काम कर रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—(१) यह विभाग १ अप्रैल, १९४८ में खोला गया था।

(२) इसमें काम करने वालों की संख्या तथा पदों के नामों की सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४०८—४१० पर)

**७—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त लोगों के absorption के सम्बन्ध में उसने क्या निश्चय किया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में विचार करने का प्रश्न कैसे पैदा हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—शासन से सम्बन्ध रखने वाले जितने प्रश्न हैं समय-समय पर सभी सरकार के सामने आते रहते हैं और सरकार का कर्त्तव्य है उन पर विचार करे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा दिये गये प्रश्न का वह उत्तर सही है जिसमें कहा गया है कि प्रान्तीय रक्षक दल को सरकार तोड़ रही है या वह उत्तर सही है कि यह विचाराधीन है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं समझा नहीं कि कहां सरकार तोड़ रही है और किस जगह पर विचाराधीन है। जो बजट सामने रखा गया है उससे जाहिर होगा कि उसमें खर्च को कुछ कम करने का प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है। खर्चा कम करने के बाद प्रान्तीय रक्षक दल की क्या सूरत होगी इसके सम्बन्ध में १२—१३ को जब बजट सदन के सामने आयेगा तब सम्भवतः मैं ब्योरेवार रख सकूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या गेंदासिंह जी के हाल में प्रश्नोत्तर में माननीय मंत्री जी ने इकोनोमी कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए यह कहा था कि प्रान्तीय रक्षकदल को तोड़ देने का फैसला किया गया है जिससे २० लाख रुपये के करीब बचत होगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बात जो कही गयी उसको जो बजट रखा गया है उसके प्रकाश मे देखनी चाहिये। अगर बिल्कुल तोड़ देने की बात होती तो वैसे ही हम रखते लेकिन यहां तो खर्च को कम करने की बात है। जिस कदर खर्चा कम हुआ उस हद तक वह जरूर तोड़ा जायगा।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि रक्षक दल जिस सूरत मे चल रहा था उसका रूप बदलने की जरूरत आज क्यों पैदा हुई? किस वजह से उसको इस सूरत में नहीं चलाया जा रहा है, जिस सूरत में वह चल रहा था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसलिये कि जो उसका मौजूदा रूप है उससे ज्यादा बेहतर और रूप बन जाय तो अच्छा है।

लखीमपुर जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों द्वारा अनशन

****८—डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर जेल में १८ जुलाई को सोशलिस्ट सत्याग्रहियों तथा अन्य बंदियों ने सामूहिक अनशन किया था?

समाज सुरक्षा राज्य-मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—सोशलिस्ट पार्टी के निश्चयानुसार केवल १० सोशलिस्ट सत्याग्रहियों ने दिनांक १८ जुलाई, १९५७ के शाम का भोजन नहीं किया। इनके अतिरिक्त दो विचाराधीन कैदियों ने भी जिन्होंने अपने को सोशलिस्ट पार्टी का बतलाया उक्त सत्याग्रहियों के प्रति सहानुभूति मे उस शाम का भोजन नहीं किया। और किसी कैदी ने भूख-हड़ताल नहीं की।

वाराणसी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित ओवरसियरों को मान्यता देने पर विचार

****९—श्री काशीप्रसाद पांडेय (जिला सुल्तानपुर)**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित ओवरसियरों को उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है?

श्रम मंत्री के सभा-सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—जी नहीं।

श्री काशीप्रसाद पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस संस्था को प्रदेशीय सरकार कुछ आर्थिक सहायता देती है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—प्रदेशीय सरकार ४० प्रतिशत और केन्द्रीय सरकार ६० प्रतिशत खर्चा वहन करती हैं।

श्री काशीप्रसाद पांडेय—आर्थिक सहायता देते हुये मान्यता देने में इस सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इन सभी प्रश्नों पर विचार हो रहा है कि इस संस्था से निकले हुये विद्यार्थियों को भी मान्यता दी जाय।

राज्य कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ता बढ़ाने के लिए द्वितीय पे-कमेटी नियुक्त करने का सुझाव

****१०—श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार ने राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि समस्त प्रश्नों पर आमूल विचार करने के हेतु द्वितीय पे-कमेटी नियुक्त करने का निश्चय किया है?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी कि जिनसे सन् ४७ की पे-कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित हुये १० वर्ष के बाद भी द्वितीय पे-कमेटी न बैठाने का सरकार ने फैसला किया है ?

श्री धर्मसिंह--१९४७ की पे-कमेटी के समय के महंगाई के आंकड़ों का मुकाबिला करके सरकार यह महसूस करती है कि महंगाई नहीं बढ़ी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को ज्ञात है कि हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने श्री जगन्नाथदास जी की अध्यक्षता में इंटेरिम रिलीफ के सम्बन्ध में भी विचार करने के लिये और अन्य महंगाई भत्ते के बारे में एक कमेटी बैठाई है और उसके टर्म्स आफ रेफ्रेंस में यह भी है कि वह प्रदेशीय सरकारों और केन्द्रीय सरकार के महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में विचार करे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--तो क्या प्रदेशीय सरकार इस बात को देखते हुये कि केन्द्रीय सरकार भी स्वयं महंगाई के प्रश्न पर विचार कर रही है और महंगाई को बढ़ा हुआ मानती है उस कमेटी की सहायता के लिये या प्रदेशीय कर्मचारियों के वास्ते कोई द्वितीय पे-कमेटी कायम करने का आश्वासन देगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यदि उनको हमारी किसी सहायता की आवश्यकता होगी तो हम जरूर सहायता देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य ने उनके टर्म्स आफ रेफ्रेंस को देखा नहीं है । वह प्रदेश के कर्मचारियों के सम्बन्ध में विचार करने वाली नहीं है । जो सिफारिश वह कमेटी करेगी उसमें इस बात का ध्यान रखने की बात है कि प्रादेशिक सरकारों के कर्मचारियों का वेतन बहुत कम है । इसके मानी हैं कि बहुत लम्बी-चौड़ी सिफारिश न की जाय । वेतन का अन्तर ज्यादा बढ़ने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

आगरे में अन्डरग्राउण्ड सीवर्स का निर्माण-कार्य

*१--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में Underground sewer का कार्य कब प्रारम्भ हुआ, अब तक उसमें कितना रुपया लग चुका है तथा अब वह कब से और क्यों अधूरा पड़ा है ?

स्वशासन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)--आगरे में Underground sewers का कार्य सन् १९४७ में प्रारम्भ हुआ था और सन् १९५२ तक Main Intercepting sewer का कार्य समाप्त कर दिया गया । सन् १९५५-५६ में National Water supply and Drainage योजना के अन्तर्गत कुछ और रुपया मिलने पर Branch sewers का काम शुरू किया गया, परन्तु ठेकेदारों से payment के बारे में कुछ मतभेद होने के कारण अक्तूबर, १९५६ से यह कार्य धीमा पड़ गया है । इन कार्यों में अब तक कुल ४२,९८,८०० रुपया व्यय हुआ है । अब रुपयों की कमी के कारण अधिक ध्यान सीवेज पंपिंग स्टेशन, सीवेज चेनेल तथा अन्य कार्यों के निर्माण की ओर दिया जा रहा है जिससे गंदा नाला जो आजकल यमुना नदी में गिरकर उसके स्वच्छ जल को दूषित करता है, शीघ्र रोका जा सके ।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस साल में जो लागत लगी है उसके ब्याज का व्यय कौन वहन करेगा ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--स्वभावतः वहां का बोर्ड करेगा।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी ने इस पर विचार किया है कि इन योजनाओं का बहुत लम्बा काम लेने से राज्य की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है और क्या सरकार यह विचार कर रही है कि इस प्रकार की योजनाओं को शीघ्र ही समाप्त किया जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--ऐसी कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि सम्भव हो तो उन्हें जल्द से जल्द किया जाय, लेकिन ऐसी दिक्कतें सामने आ जाती है कि काम समय पर नहीं हो सकता है।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी का विचार इस सीवे की योजना को प्रारम्भ करने का है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--वह तो चल रही है लेकिन जितने परिमाण में चलाना चाहते है उतना रुपया नहीं है। कम रुपये के हिसाब से उसे बनाया जा रहा है।

गोरखपुर जिला अदालतों में गांव सभाओं के मुकदमों की पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों व मुख्तारों को मेहनताने का न मिलना

*२--श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने जिलों की अदालतों में गांव सभाओं के मुकदमों की पैरवी करने के लिये कुछ वकील एवं मुख्तारों की नियुक्ति की है ?

श्री रामस्वरूप यादव--मूलतया ग्राम सभाओं के मुकदमे की पैरवी करने के लिये वकील एवं मुख्तारों की नियुक्ति की गई है। इस सम्बन्ध में यह आदेश भी प्रसारित किये गये हैं कि गांव सभाओं के मुकदमे की पैरवी इन्हीं वकीलों एवं मुख्तारों के द्वारा कराई जाय।

*३--श्री केशवपांडेय--क्या सरकार ने उक्त वकीलों एवं मुख्तारों को कुछ फीस भी देने को तय कर रक्खी है ? यदि हां, तो कितने रुपये ?

श्री रामस्वरूप यादव--माल के मुकदमों में रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के अनुसार तथा दीवानी के मुकदमों में मुकदमे की मिलकियत के आधार पर फीस दी जाती है। परन्तु कम से कम ५ रुपया प्रत्येक मुकदमे के लिये फीस निर्धारित की गई है।

*४--श्री केशव पांडेय--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इन वकीलों, मुख्तारों के रूप में सरकारी पैरोकार होते हुये भी गांव सभापतियों को अलग से भी पैरोकार वकील रखना पड़ता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव--शासन को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हां, नियमानुसार विशेष मुकदमों में जिलाधीश की अनुमति से अन्य वकील भी नियुक्त कर सकते हैं।

श्री केशव पांडेय--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि या उनको जानकारी है कि अभी तक इन वकील और मुख्तारों को एक भी पैसा सरकार की ओर से नहीं दिया गया है, गोरखपुर जिले में ?

श्री रामस्वरूप यादव--पैनेल आफ लाइयर्स की फीस का बिल लीगल रिमेम्ब्रेन्सर के पास आता है। जिन्होंने कायदे के अनुसार अपने बिल भेजे होंगे उनको भुगतान दे दिया होगा, अगर कोई त्रुटि होगी तो उनका भुगतान अवश्य रुका हुआ होगा।

श्री केशव पांडेय---क्या सरकार के पास गोरखपुर के वकीलों और मुख्तारों की ओर से जो सरकार की ओर से नियुक्त हुये हैं, कोई सूचना आई है कि उनके पास मुकदमों की पैरवी की कोई सूचना न होने से वह ठीक से पैरवी नहीं कर सकते हैं और उनका रुपया रोकना ठीक नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जहां तक जानकारी है ऐसी कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन इनके लिये सूचना की आवश्यकता है जिससे तलाश किया जा सके ।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि गांव सभाओं के अध्यक्षों से ये वकील अलग से हर मुकद्दमे में मेहनताना ले लेते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार की जानकारी में नहीं है । अगर ले लेते होंगे तो उनको देना नहीं चाहिये ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या सरकार को मालूम है कि जो व्यवस्था इस समय गांव सभाओं की तरफ से पैरवी करने की है उससे गांवसभाओं के भूमि वापस लेने में कोई प्रगति नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव---भूमि का प्रश्न ग्राम समाज से संबंधित होता है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कभी-कभी गांव समाज के प्रधानों के भेजे हुए मुकदमों की पैरवी करने से वकील मुख्तार इंकार भी कर देते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित वकीलों को मुकदमों की सूचना किन नियमों के अनुसार दी जाती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---नियमों के अनुसार एस० डी० ओ० उस सम्बन्ध के आवेदन-पत्र भेज देते हैं ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या माननीय मंत्री जी गांव सभाओं के मुकदमों को देखते हुये इस बात पर विचार करेंगे कि गांव सभाओं के वकील केवल गांव सभाओं के मुकदमे करें ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने निवेदन किया कि गांव सभाओं के मुकदमें बहुत कम होते हैं, गांव समाज के मुकदमे ज्यादा होते हैं । वकील जो मुकर्रर होते हैं वे गांव सभा के होते हैं । इसलिये उनके पास इतना ज्यादा काम नहीं होता कि वे और काम न कर सकें ।

फीरोजाबाद-कोटला सड़क की खराब हालत तथा फीरोजाबाद तहसील में शंकरपुर में यमुना पर पुल की आवश्यकता

*५---श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फीरोजाबाद--कोटला रोड का निर्माण जिला बोर्ड के हाथ से लेकर वह अपने विभाग द्वारा कराने जा रही है ? अगर हां, तो कब तक उसका निर्माण-कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---प्रथम भाग---जी नहीं ।

द्वितीय भाग---प्रश्न नहीं उठता ।

*६---श्री जगन्नाथ लहरी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फीरोजाबाद तहसील में ग्राम शंकरपुर में यमुना नदी पर पुल निर्माण करने की योजना है ? अगर हां, तो यह निर्माण-कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--जी नहीं ।

द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगन्नाथ लहरी--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि फीरोजाबाद-कोटला रोड एक महत्वपूर्ण सड़क है और उसकी हालत बहुत खराब हो रही है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां, होगी । लेकिन यह सड़क पी० डब्ल्यू०डी० के पास नहीं है ।

श्री जगन्नाथ लहरी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब इस सड़क की दशा इतनी खराब हो गयी है तो क्या वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को इस प्रकार के आदेश देंगे कि वह तुरन्त उसको ठीक कराये ?

श्री गिरधारीलाल--सूबे में इस प्रकार की बहुत-सी सड़कें हैं जिनकी हालत खराब है और वे महत्वपूर्ण है, लेकिन पी०डब्ल्यू०डी० धनाभाव के कारण उनको लेने को तैयार नहीं है ?

श्री जगन्नाथ लहरी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि आगरा जिले की प्लानिंग कमेटी ने इस सड़क को पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा लिये जाने की प्रार्थना की थी ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां, प्रार्थना की थी ।

इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को अनुदान देने की सिफारिश

*७--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को कितना धन नगर सुधार हेतु अनुदान के रूप में सन् १९५३ से फरवरी, १९५७ तक दिया गया तथा उसमें कौन-कौन सी स्कीमें पूरी हुईं ?

श्री रामस्वरूप यादव--नगर सुधार हेतु अनुदान के रूप में कोई धन नहीं दिया गया ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या यह सही है कि इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने अधूरी स्कीम को पूरा करने के लिये सरकार को बार बार लिखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके लिये उसे अनुदान देने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--इलाहाबाद ट्रस्ट की ओर से किसी योजना के सम्बन्ध में अभी कोई मांग नहीं आयी ।

*८--श्री कल्याणचन्द मोहिले--[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

भोपाल हाउस रिफ्यूजी मार्केट, लखनऊ का किराया

*९--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--क्या सरकार यह बतायेगी कि भोपाल हाउस रिफ्यूजी मार्केट के बनाने में सरकार ने कितना रुपया दिया तथा म्युनिसिपल बोर्ड, लखनऊ ने कितना रुपया लगाया ?

श्री रामस्वरूप यादव--भोपाल हाउस के निर्माण हेतु राज्य सरकार ने कुल ८,७८,००० रुपया दिया तथा नगरपालिका लखनऊ ने कुल ३,६२,५८२ रुपया अपने आय-व्ययक से लगाया ।

*१०--श्री त्रिलोकीसिंह--क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त बाजार में बसने वालों से म्युनिसिपल बोर्ड क्या लेता है ?

श्री रामस्वरूप यादव—भोपाल हाउस के निवासियों तथा दूकानदारों से नगर-का भवन निर्माण के ऊपर कुल व्यय का लगभग ७.५ प्रतिशत धन किराये के रूप में वसूल करनी है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि नगरपालिका का यह व्यय वास्तविक व्यय नहीं है बल्कि आनुमानिक व्यय है?

श्री रामस्वरूप यादव—यह व्यय तो वास्तविक व्यय है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भोपाल हाउस से हाउस टैक्स और वाटर टैक्स कितना वसूल किया जाता है?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रत्येक दूकान का प्रतिमास का कम से कम २२ रुपया तथा अधिक से अधिक १६३ रुपया २ आ० किराया है। प्रत्येक फ्लैट का कम से कम ६५ रुपया तथा अधिक से अधिक ८३ रुपया किराया है। शरणार्थियों को बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्मित बाजार से नगरपालिका लखनऊ को लगभग ५६,००० रुपया वार्षिक किराया आता है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में भोपाल हाउस के रहने वाले किरायेदारों ने बहुत-सी शिकायतें अहलकारों द्वारा रुपया खा जाने तथा ठेकेदारों द्वारा रुपये में गड़बड़ी करने के बारे में भेजी थीं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री भगवतीसिंह विशारद—माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बतलाया है कि कुल लागत का ७.५ प्रतिशत किराया वसूल होता है। उस हिसाब से ९३,०४३ रुपया होता है जबकि उन्होंने बतलाया कि ६३,००० रुपया सालाना किराया वसूल होता है। तो क्या मेरे कथन को सत्य प्रमाणित करने की कृपा करेंगे तथा यह ड्योढ़े का फर्क कैसे है?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने आपको ५६,००० रुपया बतलाया और वह भी कुछ ज्यादा ही बतलाया कि शरणार्थियों को बसाने के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्मित बाजार से ५६,००० रुपया वार्षिक किराया मिलता है। जहां तक भूपाल हाउस की बात है, मैंने बतलाया कि ७.५ प्रतिशत के हिसाब से कुल लागत पर किराया आता है।

बरेली नगर की हाउस ऐलाटमेंट एडवाइजरी कमेटी

*११—श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—क्या न्याय मंत्री बतायेंगे कि नगरों में जो हाउस एलाटमेंट एडवाइजरी कमेटियां बनाई गई हैं उसके Constitution के लिये कोई आदेश प्रदेश की ओर से जारी हुये हैं? यदि हां, तो क्या?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—जी हां। जिलाधीश को मकानों के एलाटमेंट के बारे में परामर्श देने के लिए सरकार ने १९४९ में हर जिले में हाउस एलाटमेंट एडवाइजरी कमेटियां बनवाईं। कमेटी का विधान सिवाय लखनऊ के इस प्रकार है:—

अध्यक्ष

जिलाधीश।

सदस्य

(१) चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड।

(२) सरकार द्वारा नामजद स्कूल अथवा कालिज का एक हेडमास्टर अथवा प्रिन्सिपल।

(३) सरकार द्वारा नामजद एक प्रमुख नागरिक अथवा जनसेवक। अप्रैल, १९५३ से नामजद सदस्यों की संख्या दो से तीन कर दी गई है।

*१७—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या न्याय मंत्री बतायेंगे कि बरेली नगर की हाउस एलाटमेंट एडवाइजरी कमेटी सरकार के आदेशों के अनुकूल बनी हुई है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार की ऐसी नीति है कि हेडमास्टर और प्रिंसिपल केवल वही नियुक्त किये जायं जो सरकारी एम्प्लायी हों?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ऐसी तो कोई नीति नहीं है। स्थान-स्थान पर विभिन्न है, किसी स्थान पर कोई, किसी स्थान पर कोई?

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सन् १९४९ से अब तक बरेली में कभी किसी सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के अतिरिक्त किसी और स्थानीय स्कूल के हेडमास्टर का नाम भी विचार करने के लिये आया और आया तो किन-किन स्कूलों के?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या मंत्री जी इस सुझाव पर विचार करेंगे कि जिन शहरों में हेडमास्टर्स के असोसियेशन स्थापित हो चुके हैं वहां पर उनसे इन नियुक्तियों के विषय में सलाह ले ली जाय?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस समिति को तो फिर से दोबारा रिवाइज किया जा रहा है, उस समय इस सुझाव पर भी विचार कर लिया जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि नागरिक की प्रमुखता और जनसेवक की उपयुक्तता सरकार किस आधार पर तय करती है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जो नागरिक है और जनसेवक है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि बरेली में कौन नागरिक और जनसेवक इस समिति में हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—हेडमास्टर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, दूसरे हैं श्री आगामिर्जा और तीसरे है शिवशरण अग्रवाल साहूकार।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—यह जो नई कमेटी बनाई जा रही है वह कब तक बन जायगी?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अभी कोई समय नहीं बताया जा सकता, लेकिन वह रिवाइज हो रही है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में भी इस तरह की कोई कमेटी बनाई गई थी? वह किस विधान के अनुसार बनाई गई थी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—लखनऊ में २ कमेटियां हैं, एक तो वह जो ५० रुपए से कम के मकानों के सम्बन्ध में है और एक दूसरी वह जो ५० रुपये से अधिक किराये के मकानों के लिये सलाह देती है। इन दोनों के मेम्बर्स की अवधि एक वर्ष है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार प्रदेश के सब जिलों में इस कमेटी को रिवाइज करने का विचार कर रही है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, यह तो मैंने अभी निवेदन किया था।

श्री गौरीशंकरराय—क्या सरकार को ज्ञात है कि बहुत से जिलों में यह एडवाइजरी कमेटियां बुलाई ही नहीं जातीं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ऐसी कोई इत्तिला नहीं है।

इलाहाबाद जिले के लिए सीमेंट का कोटा

*१३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में १९५६ के प्रत्येक तीन माह में कितनी सीमेंट का कोटा दिया गया और उसमें कितना नगर में खर्च हुआ तथा जिले में कितना खर्च हुआ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इलाहाबाद जिले में सन् १९५६ के प्रत्येक त्रिमास में सीमेन्ट की प्राप्ति तथा उसके नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण की सूची मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४११ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में सब से ज्यादा सीमेंट किस तहसील में दिया गया और वह किस काम में लाया गया?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—यह तो जो सूचना आपके सामने रखी गई है उसी से मालूम हो जायगा।

*१४-१६—श्री प्रतापसिंह—[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

शाहजहांपुर जिले में नवनिर्वाचित ग्राम पंचायतों को मान्यता देने में विलम्ब

*१७—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गांव पंचायतों तथा उनके प्रधानों को चुनाव हो जाने के बाद १६ मास व्यतीत हो जाने पर भी अब तक मान्यता क्यों नहीं दी गई है और पुरानी गांव पंचायतें तथा उनके प्रधान अब तक क्यों काम कर रहे हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—नव-निर्वाचित गांव पंचायतों तथा उनके प्रधानों को मान्यता प्रदान की जा चुकी है। पुरानी गांव पंचायतें तथा उनके प्रधान अब काम नहीं कर रहे हैं।

*१८—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को विदित है कि शाहजहांपुर में १ अप्रैल, १९५७ से ग्राम पंचायतों को मान्यता देकर काम करने की आज्ञा दी गई है?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव सभाओं और उनके प्रधानों के चुनाव प्रदेश में नवम्बर, सन् १९५५ में हुये थे तो अप्रैल, सन् ५७ तक यह चुनाव बेकार क्यों रखे गये और उन ग्रामीण कमेटियों को काम करने की आज्ञा क्यों नहीं दी गई?

श्री रामस्वरूप यादव—ग्राम सभाओं का चुनाव नवम्बर, १९५५ में अवश्य हुआ था लेकिन शाहजहांपुर में पूरे जितने सदस्य होने चाहिये थे पूरे पर्चे दाखिल नहीं हुए। लिहाजा जगहें बहुत-सी नवम्बर, १९५५ में खाली हो गई थीं। उसके बाद फरवरी, १९५६ में तारीख नियत की गई और नवम्बर, १९५६ में पूरा चुनाव हो सका। उसके बाद यह आवश्यक था कि न्याय पंचायत के जो सदस्य चुने जाने थे उनके चुनाव के बाद ही ग्राम-सभायें संगठित होती हैं। इस वजह से उनका जो नोमीनेशन हुआ वह मार्च, सन् १९५७ में हुआ। इसलिये पहली अप्रैल से पहले संगठित नहीं हुई।

श्री देवनारायण भारतीय—जिन ग्रामसभाओं के पूरे सदस्य चुने जा चुके थे और उनके प्रधान चुने जा चुके थे तो क्या सरकार बतायेगी कि उन ग्रामसभाओं को काम करने की आज्ञा क्यों नहीं दी गई?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसे आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं जिनसे यह पता चल सके कि कहां पूरा चुनाव हो चुका था। इसके लिये नोटिस चाहिये।

हमीरपुर जिले की राठ तहसील में सड़कों की निर्माण योजना

*१९—श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हमीरपुर की राठ तहसील में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने मील पक्की सड़क बनी?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमीरपुर जिले में राठ तहसील में ओरई-राठ सड़क पर १२ मील लम्बाई में २ तह की गिट्टी इकट्ठा हो गई थी। इसके अतिरिक्त २२ मील लम्बी महोबा-राठ-मुसकेरा सड़क का पुनः निर्माण किया गया।

*२०—श्री डूंगरसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला हमीरपुर की राठ तहसील में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी पक्की सड़कें बनाने की योजना है?

श्री गिरधारीलाल—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमीरपुर जिले की राठ तहसील में निम्नलिखित सड़कें पक्की बनाने की योजना है।

	मील	फ०	फि०
(१) धगवान-जरिया ..	६	०	०
(२) गोहद-जरिया	५	०	०
(३) चरखारी-मुसकेरा	१५	५	०

श्री डूंगरसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि जब मुसकेरा-चरखारी रोड का कोई हिस्सा राठ तहसील से नहीं गुजरता तो वह राठ तहसील सड़क कैसे करार दे दी गई?

श्री गिरधारीलाल—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री डूंगरसिंह—क्या यह सत्य है कि राठ-उरई सड़क पहली पंचवर्षीय योजना में कम्पलीट होने को थी?

श्री गिरधारीलाल—जी हां, यह बात ठीक है।

श्री डूंगरसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि जब उसका प्रथम पंचवर्षीय योजना में कोई भाग नहीं बन पाया तो अभी कितनी पंचवर्षीय योजना उसके बनने में लगेगी?

श्री गिरधारीलाल—मैंने पहले ही कहा कि उरई-राठ सड़क जो है वह प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमीरपुर में इस पर १२ मील पर दो तहें गिट्टी की इकट्ठी हो गई थीं।

जिला न्यायाधीश बरेली का निवास-स्थान न बन सकना

*२१—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या बरेली नगर में जिला प्रधान न्यायाधीश के लिये निवास-स्थान निर्माण करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और उसकी क्या स्थिति है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जिला न्यायाधीश बरेली के लिये निवास-स्थान निर्माण करने का प्रश्न गत वर्षों से कई बार सरकार के सम्मुख आया है किन्तु धनाभाव के कारण यह अभी तक सम्भव नहीं हो सका है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कब से यह प्रश्न सरकार के सामने है और क्या यह नहीं है कि इस निवास-स्थान के लिये नियत हुये सर्किट हाउस के बराबर एक जमीन ६,७ साल से बराबर खाली पड़ी हुई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—१९५५ में इसके सम्बन्ध में विचार किया गया था। १९५६ में भी सोचा गया कि हो सके और धन मिल सके तो स्वीकृति दी जाय निवास स्थान के लिये। किन्तु दोनों वर्षों में धन नहीं मिल सका और १९५७–५८ में धनाभाव के कारण विचार नहीं किया गया। जो माननीय सदस्य ने भूमि के सम्बन्ध में कहा, सम्भव है, हो सकती है। लेकिन धनाभाव के कारण अभी सम्भव नहीं है कि कोई भवन बनवाया जाय।

प्रदेशीय हाईकोर्ट में विचाराधीन मुकदमे

*२२—श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३० अप्रैल, १९५७ तक प्रदेशीय हाई कोर्ट (लखनऊ तथा इलाहाबाद) में कितने केसेज पेंडिंग हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—३९,२७९।

*२३—श्री शिवराज बहादुर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पेंडिंग केसेज के शीघ्र समाप्त करने के लिये क्या प्रबंध किया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सरकार तथा हाईकोर्ट ने बकाया मुकदमों को शीघ्र निबटाने के लिये विभिन्न कार्यवाहियां की हैं। हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई गई है और अतिरिक्त जजों की नियुक्तियां भी की जा रही हैं। १०,०००) तक की मालियत के मुकदमों की अपीलें अब हाईकोर्ट के बजाय जिला जज सुनेंगे। हाईकोर्ट में सेकेंड अपीलों और १०,०००) तक की फर्स्ट अपीलों को छपवाने की व्यवस्था का अन्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट में सिंगिल जज अब २,०००) की जगह ५,०००) तक के मुकदमें सुनेंगे। इसके अतिरिक्त हाईकोर्ट में छुट्टियां कम कर दी गई हैं। अभी हाल में कानून में एक और संशोधन किया गया है जिससे खफीफा के मुकदमों में निगरानी हाईकोर्ट में न होकर डिस्ट्रिक्ट जज के यहां होगी। इस प्रकार हाईकोर्ट में नये मुकदमों का दायरा कम होगा और पुराने मुकदमों का निर्णय शीघ्र हो सकेगा।

श्री शिवराजबहादुर—क्या मंत्री जी बताने की जहमत करेंगे कि इनमें से कितनी क्रिमिनल अपीलें हैं, कितनी सिविल हैं और कितनी मिक्स्ड हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसका तो ब्योरा मेरे पास नहीं है।

श्री केशव पांडेय--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस प्रकाशित समाचार के आधार पर गोरखपुर में सीमेंट वितरण के तरीके पर जांच की गई थी ?

श्री सैयद अली जहीर--जांच की गई थी और उससे यह मालूम हुआ कि दरख्वास्तें आई हैं कि वह कायदे से नहीं वितरित किया जा रहा था। जहां तक फेवरटिज्म का चार्ज था उसके मुताल्लिक यह मालूम हुआ कि इसमें कोई फेवरटिज्म की बात नहीं है। फिर भी उनको बदल दिया गया और दूसरा सप्लाई आफिसर भेज दिया गया और वहां के दफ्तर की हालत अब दुरुस्त हो गई हैं।

श्री केशव पांडेय--क्या सरकार को जानकारी है कि जिस समय यह शिकायत प्रकाशित हुई थी, कुछ चपरासियों ने आफिसर्स से इस वितरण के सम्बन्ध में शिकायत की कि पक्षपात हो रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर--इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री मुरलीधर कुरील--क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि प्रत्येक जिले में सीमेंट कम क्यों मिल रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर--उसके कारण तो साफ हैं। हमारे यहां डेवलपमेन्ट के काम इतने ज्यादा बढ़े हुये हैं कि ज्यादातर सीमेंट सरकारी कामों में लग रहा है और प्राइवेट सेक्टर को देने के लिये सीमेंट की मिकदार कम है। इसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेन्ट से होता है, जितना वह एलाट करती है उतना हम बांटते हैं।

श्री केशव पांडेय--शिकायतें पुनः गोरखपुर में न हो सकें इसके लिये किस तरह से सीमेंट का वितरण गोरखपुर में किया जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर--इसके लिये आम आदेश जा चुके हैं। गवर्नमेन्ट का जो कांस्ट्रक्शन प्रोग्राम है उसको तरजीह दी जायगी, जो बचेगा वह शहरों व देहातों में जिस हिसाब से पहले मिलता था मुख्तलिफ जिलों में उसी हिसाब से बांट दिया जायगा और उसी पर कारबन्द हैं।

श्री मोहनलाल वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शहरों में जो मकान बनते हैं उनको एक एक दो दो बैगन्स के परमिट दिये जाते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--यह तो मुझे मालूम नहीं है अगर कोई खास केस हो तो आप मुझे बतलायें। लेकिन यह है कि जिनके नक्शे मंजूर हो जाते हैं उनको जहां तक हो सके सीमेंट पहुंचाये जाने की कोशिश की जाती है। मुझे मालूम नहीं है कि एक-एक, दो-दो, बैगन्स के परमिट दिये जाते हैं या नहीं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ की दरख्वास्तें अभी तक पेंडिंग हैं और १९५७ के आखिर वाली दरख्वास्तों पर सीमेंट मिल गई ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

बदायूं जिले में कोआपरेटिव फेडरेशन की बैलेन्स शीट न होना

*३१--**श्री टीकाराम (जिला बदायूं)**--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बदायूं में कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा चलाये गये भट्ठे कितनी पूंजी से चलाये जा रहे हैं और कितने का लाभ हुआ है ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)--५८,१६७ रुपये। बैलेन्सशीट अभी तक नहीं बनी है लेकिन १९५६-५७ में ७,००० रुपये के लाभ की आशा है।

श्री गिरधारीलाल—मैंने पहले ही कहा कि उरई-राठ सड़क जो है वह प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमीरपुर में इस पर १२ मील पर दो तहें गिट्टी की इकट्ठी हो गई थीं।

जिला न्यायाधीश बरेली का निवास-स्थान न बन सकना

*२१—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या बरेली नगर में जिला प्रधान न्यायाधीश के लिये निवास-स्थान निर्माण करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और इसकी क्या स्थिति है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जिला न्यायाधीश बरेली के लिये निवास-स्थान निर्माण करने का प्रश्न गत वर्षों में कई बार सरकार के सम्मुख आया है किन्तु धनाभाव के कारण यह अभी तक सम्भव नहीं हो सका है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कब से यह प्रश्न सरकार के सामने है और क्या यह नहीं है कि इस निवास-स्थान के लिये नियत हुये सर्किट हाउस के बराबर एक अच्छी जमीन ६,७ साल से बराबर खाली पड़ी हुई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—१९५५ में इसके सम्बन्ध में विचार किया गया था। १९५६ में भी सोचा गया कि हो सके और धन मिल सके तो स्वीकृति दी जाय निवास स्थान के लिये। किन्तु दोनों वर्षों में धन नहीं मिल सका और १९५७–५८ में धनाभाव के कारण विचार नहीं किया गया। जो माननीय सदस्य ने भूमि के सम्बन्ध में कहा, सम्भव है, हो सकता है। लेकिन धनाभाव के कारण अभी सम्भव नहीं है कि कोई भवन बनवाया जाय।

प्रदेशीय हाईकोर्ट में विचाराधीन मुकदमे

*२२—श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३० अप्रैल, १९५७ तक प्रदेशीय हाई कोर्ट (लखनऊ तथा इलाहाबाद) में कितने केसेज पेंडिग हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—३९,२७९।

*२३—श्री शिवराज बहादुर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पेंडिग केसेज के शीघ्र समाप्त करने के लिये क्या प्रबंध किया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सरकार तथा हाईकोर्ट ने बकाया मुकदमों को शीघ्र निबटाने के लिये विभिन्न कार्यवाहियां की हैं। हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई गई है और अतिरिक्त जजों की नियुक्तियां भी की जा रही हैं। १०,०००) तक की मालियत के मुकदमों की अपीलें अब हाईकोर्ट के बजाय जिला जज सुनेंगे। हाईकोर्ट में सेकेंड अपीलों और १०,०००) तक की फर्स्ट अपीलों को छपवाने की व्यवस्था का अन्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट में सिंगिल जज अब २,०००) की जगह ५,०००) तक के मुकदमें सुनेंगे। इसके अतिरिक्त हाईकोर्ट में छुट्टियां कम कर दी गई हैं। अभी हाल में कानून में एक और संशोधन किया गया है जिससे खफीफा के मुकदमों में निगरानी हाईकोर्ट में न होकर डिस्ट्रिक्ट जज के यहां होगी। इस प्रकार हाईकोर्ट में नये मुकदमों का दायरा कम होगा और पुराने मुकदमों का निर्णय शीघ्र हो सकेगा।

श्री शिवराजबहादुर—क्या मंत्री जी बताने की जहमत करेंगे कि इनमें से कितनी क्रिमिनल अपीलें हैं, कितनी सिविल हैं और कितनी मिक्स्ड हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसका तो ब्योरा मेरे पास नहीं है।

श्री केशव पांडेय——क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रकाशित समाचार के आधार पर गोरखपुर में सीमेंट वितरण के तरीकों पर जांच की गई थी ?

श्री सैयद अली जहीर——जांच की गई थी और उससे यह मालूम हुआ कि दरख्वास्तें आई है कि वह कायदे से नहीं वितरित किया जा रहा था। जहां तक फेवरटिज्म का चार्ज था उसके मुतालिक यह मालूम हुआ कि इसमें कोई फेवरटिज्म को बात नहीं है। फिर भी उनको बदल दिया गया और दूसरा सप्लाई आफिसर भेज दिया गया और वहां के दफ्तर की हालत अब दुरुस्त हो गई है।

श्री केशव पांडेय——क्या सरकार को जानकारी है कि जिस समय यह शिकायत प्रकाशित हुई थी, कुछ चपरासियों ने आफिसर्स से इस वितरण के सम्बन्ध में शिकायत की कि पक्षपात हो रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर——इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री मुरलीधर कुरील——क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि प्रत्येक जिले में सीमेंट कम क्यों मिल रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर——उसके कारण तो साफ है। हमारे यहां डेवलपमेन्ट के काम इतने ज्यादा बढ़े हुये हैं कि ज्यादातर सीमेंट सरकारी कामों में लग रहा है और प्राइवेट सेक्टर को देने के लिये सीमेंट की मिकदार कम है। इसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेन्ट से होता है, जितना वह एलाट करती है उतना हम बांटते है।

श्री केशव पांडेय——शिकायतें पुनः गोरखपुर में न हो सकें इसके लिये किस तरह से सीमेंट का वितरण गोरखपुर में किया जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर——इसके लिये आम आदेश जा चुके है। गवर्नमेन्ट का जो कांस्ट्रक्शन प्रोग्राम है उसको तरजीह दी जायगी, जो बचेगा वह शहरों व देहातों में जिस हिसाब से पहले मिलता था मुख्तलिफ जिलों में उसी हिसाब से बांट दिया जायगा और उसी पर कारबन्द हैं।

श्री मोहनलाल वर्मा——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शहरों में जो मकान बनते हैं उनको एक एक दो दो बैगन्स के परमिट दिये जाते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर——यह तो मुझे मालूम नहीं है अगर कोई खास केस हो तो आप मुझे बतलायें। लेकिन यह है कि जिनके नक्शे मंजूर हो जाते हैं उनको जहां तक हो सके सीमेंट पहुंचाने जाने की कोशिश की जाती है। मुझे मालूम नहीं है कि एक-एक, दो-दो, बैगन्स के परमिट दिये जाते है या नहीं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)——क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ की दरख्वास्तें अभी तक पेंडिंग हैं और १९५७ के आखिर वाली दरख्वास्तों पर सीमेंट मिल गई ?

श्री सैयद अली जहीर——जी नहीं, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

बदायूं जिले में कोआपरेटिव फेडरेशन की बैलेन्स शीट न होना

*३१——**श्री टीकाराम (जिला बदायूं)**——क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बदायूं में कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा चलाये गये भट्ठे कितनी पूंजी से चलाये जा रहे है और कितने का लाभ हुआ है ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)——५८,१६७ रुपये। बैलेन्सशीट अभी तक नहीं बनी है लेकिन १९५६-५७ में ७,००० रुपये के लाभ की आशा है।

*३२--श्री टीकाराम--क्या सरकार को मालूम है कि जिला बदायूं में कोआपरेटिव फेडरेशन की प्राथमिक सोसाइटियां कितनी हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--तीन ।

श्री टीकाराम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उनके यहां नियमों से बैलेन्सशीट बनाने की कोई खास तिथि है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां, नियम तो है और कोशिश की जाती है लेकिन कभी-कभी उनके पालन में कोताही हो जाती है ।

श्री टीकाराम--यदि हिसाब के मामले में ऐसी कोताही हुई तो फिर क्या कहना है ?

श्री अध्यक्ष--(सहकारिता मंत्री से) इसका आप कुछ जवाब देंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं ।

श्री मोहनलाल वर्मा--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो भट्ठे के लाभ के बारे में बतलाया गया है तो वह कितनी ईंटों के आउटपुट पर हुआ ?

श्री मोहन लाल गौतम--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

बांसी, मेंहदावल बाजार, बाघनगर तथा बस्ती को मिलाने वाली सड़कों को पक्की करने की प्रार्थना

*३३--श्रीमती गेंदा देवी (जिला बस्ती)--क्या सरकार को मालूम है कि जिला बस्ती के अन्तर्गत बांसी से साथी होते हुये मेंहदावल बाजार तथा मेंहदावल बाजार से बाघनगर होते हुये बस्ती जो सड़कें जाती हैं उनकी हालत बहुत खराब है ?

श्री गिरधारीलाल--यह दोनों कच्ची सड़कें हैं अतः उनकी दशा अच्छी नहीं है ।

*३४--श्रीमती गेंदा देवी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन सड़कों को पक्की करने के लिये सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई ध्यान दिया है ? यदि हां, तो लिस्ट आफ प्रायरिटी में इनका कौन-सा नम्बर है ?

श्री गिरधारी लाल--प्रथम भाग--बस्ती-मेंहदावल सड़क के १० मील के पक्का करने की योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है । योजना का सीमित आकार होने के कारण शेष सड़क को उसमें सम्मिलित करना सम्भव न हो सका ।

द्वितीय भाग--योजना के अन्तर्गत ली गई सड़कों की कोई प्रायरटी निश्चित नहीं की गई है ।

*३५--श्रीमती गेंदा देवी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन सड़कों के पक्की होने की कब तक आशा की जाती है ?

श्री गिरधारीलाल--मेंहदावल बाजार से बाघनगर होते हुये बस्ती जाने वाली सड़क पर योजना की अवधि में ही कार्य आरम्भ कर दिया जायगा । कार्य का पूरा होना उसके लिये मिलने वाली धनराशि पर निर्भर करता है ।

श्रीमती गेंदा देवी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो बस्ती-मेंहदावल सड़क को १० मील पक्की करने की योजना है तो वह सी० सी० ट्रक्वेज से आगे बनेगी या बस्ती से ही बनेगी ?

श्री गिरधारी लाल--बस्ती से ही पक्की की जायगी ।

*५२—श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

बिजनौर जिले मे सड़कों की निर्माण योजना

*५३—श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बिजनौर में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी नई सड़कें बन रही हैं तथा बनेंगी ?

श्री गिरधारीलाल—

सड़कें जो बन रही हैं

सड़कें	लम्बाई	अनुमानित लागत
		रु०
चांदपुर-खानपुर-दतियाना मार्ग को पक्का करना	१० मील	५,७८,०००

सड़कें जो बनेंगी

(१) बिदुरकुटी फीडर रोड का पुनर्निर्माण	४ फर्लांग	१४,०००

*५४—श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार जिला बिजनौर में कच्ची सड़क जो हाल होती हुई मुरादाबाद को जाती है, उसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पक्की कराने को सोच रही है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

*५५-५६—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५७-५८—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—[इन प्रश्नों का उत्तर २ अगस्त, १९५७ को प्रश्न संख्या ८३-८४ के अन्तर्गत दिया गया।]

*५९—श्री रामस्वरूप वर्मा—[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।

*६०-६१—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*६२-६४—श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*६५-६६—श्री नत्थूसिंह (जिला मैनपुरी)—[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

खीरी जिले के बरबर घाट, गोमती नदी पर पुल निर्माण योजना

*६७—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी के बरबर घाट गोमती नदी पर पुल कब तक बन जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल—यह पुल आर० सी० सी० टी० बीम (R. C. C. T. Beam) का बनेगा। इस कार्य के लिये टेंडर मांगे जा रहे हैं और वर्षा के बाद कार्य आरम्भ हो जायेगा।

खीरी जिले में बनने वाली सड़कें

*६८—श्री मन्नालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कें बन रही हैं तथा बनेंगी ?

*३२—श्री टीकाराम—क्या सरकार को मालूम है कि जिला बदायूं में कोआपरेटिव ट्रेनिंग की प्राथमिक सोसाइटियां कितनी हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—तीन ।

श्री टीकाराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उनके यहां नियमों में अमेण्डमेंट बनाने की कोई खास तिथि है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, नियम तो है और कोशिश की जाती है लेकिन कभी-कभी उनके पालन में कोताही हो जाती है ।

श्री टीकाराम—यदि हिसाब के मामले में ऐसी कोताही हुई तो फिर क्या कहना है ?

श्री अध्यक्ष—(सहकारिता मंत्री से) इसका आप कुछ जवाब देंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं ।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो भट्ठे के लाभ के बारे में बतलाया गया है तो वह कितनी ईंटों के आउटपुट पर हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

बांसी, मेंहदावल बाजार, बाघनगर तथा बस्ती को मिलाने वाली सड़कों को पक्की करने की प्रार्थना

*३३—श्रीमती गेंदा देवी (जिला बस्ती)—क्या सरकार को मालूम है कि जिला बस्ती के अन्तर्गत बांसी से सांथी होते हुये मेंहदावल बाजार तथा मेंहदावल बाजार से बाघनगर होते हुये बस्ती जो सड़कें जाती हैं उनकी हालत बहुत खराब है ?

श्री गिरधारीलाल—यह दोनों कच्ची सड़कें हैं अतः उनकी दशा अच्छी नहीं है ।

*३४—श्रीमती गेंदा देवी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन सड़कों को पक्की करने के लिये सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई ध्यान दिया है ? यदि हां, तो लिस्ट आफ प्रायरिटी में इनका कौन-सा नम्बर है ?

श्री गिरधारी लाल—प्रथम भाग—बस्ती-मेंहदावल सड़क के १० मील के पक्का करने की योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है । योजना का सीमित आकार होने के कारण शेष सड़क को उसमें सम्मिलित करना सम्भव न हो सका ।

द्वितीय भाग—योजना के अन्तर्गत ली गई सड़कों की कोई प्रायरटी निश्चित नहीं की गई है ।

*३५—श्रीमती गेंदा देवी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन सड़कों के पक्की होने की कब तक आशा की जाती है ?

श्री गिरधारीलाल—मेंहदावल बाजार से बाघनगर होते हुये बस्ती जाने वाली सड़क पर योजना की अवधि में ही कार्य आरम्भ कर दिया जायगा । कार्य का पूरा होना उसके लिये मिलने वाली धनराशि पर निर्भर करता है ।

श्रीमती गेंदा देवी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो बस्ती-मेंहदावल सड़क को १० मील पक्की करने की योजना है तो वह सी० सी० ट्रक्वेज से आगे बनेगी या बस्ती से ही बनेगी ?

श्री गिरधारी लाल—बस्ती से ही पक्की की जायगी ।

*५२—श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

बिजनौर जिले में सड़कों की निर्माण योजना

*५३—श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बिजनौर में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी नई सड़कें बन रही हैं तथा बनेंगी ?

श्री गिरधारीलाल—

सड़कें जो बन रही हैं

सड़कें	लम्बाई	अनुमानित लागत
		रु०
चांदपुर खानपुर-बनियाना मार्ग को पक्का करना	१० मील	५,७८,०००

सड़कें जो बनेंगी

(१) विदुरकुटी फीडर रोड का पुनर्निर्माण	४ फर्लांग	१४,०००

*५४—श्रीमती चन्द्रवती—क्या सरकार जिला बिजनौर में कच्ची सड़क जो झालू होती हुई मुरादाबाद को जाती है, उसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पक्की कराने को सोच रही है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

*५५-५६—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५७-५८—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—[इन प्रश्नों का उत्तर २ अगस्त, १९५७ को प्रश्न संख्या ८३-८४ के अन्तर्गत दिया गया।]

*५९—श्री रामस्वरूप वर्मा—[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*६०-६१—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*६२-६४—श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*६५-६६—श्री नत्थूसिंह (जिला मैनपुरी)—[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

खीरी जिले के बरबर घाट, गोमती नदी पर पुल निर्माण योजना

*६७—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी के बरबर घाट गोमती नदी पर पुल कब तक बन जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल—यह पुल आर० सी० सी० टी० बीम (R. C. C. T. Beam) का बनेगा। इस कार्य के लिये टेंडर मांगे जा रहे हैं और वर्षा के बाद कार्य आरम्भ हो जायेगा।

खीरी जिले में बनने वाली सड़कें

*६८—श्री मन्नालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कें बन रही हैं तथा बनेंगी ?

श्री गिरधारीलाल--जिला खीरी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनने वाली सड़कों की सूची सदस्य महोदय के मेज पर रखी है। इनमें से क्रमांक १--१२ तथा १५--१७ से १६ व २२ पर लिखित सड़कों का निर्माण स्वीकृत किया जा चुका है। शेष सड़कों का निर्माण योजना के आगामी वर्षों में आरम्भ किया जायगा।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४१२-४१३ पर)

*६९--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--[१३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सिविल कोर्ट, फर्रुखाबाद के मातहत अमीनों की ग्रेडेशन लिस्ट की कथित शिकायत

*७०--श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार के पास सिविल कोर्ट, फर्रुखाबाद के मातहत अमीनों की ग्रेडेशन लिस्ट ठीक प्रकार न रखे जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत आई है? यदि हां, तो क्या?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं।

*७१-७२--श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

उच्च न्यायालय द्वारा घोषित अल्ट्रावायर्स कानून

*७३--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५० से अप्रैल, १९५७ तक उत्तर प्रदेश के कितने कानूनों को उच्च न्यायालय ने 'Ultra vires' करार दिया है?

श्री सैयद अली जहीर--माननीय सदस्य कृपया सन् १९५० से सन् १९५७ तक की ला रिपोर्ट्स देख लें, जिसमें यह सूचना मिल जायेगी।

*७४-७५--श्री लक्ष्मणराव कदम--[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*७६--श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*७७--श्री अमरेशचन्द्र पांडेय--[१२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मुजफ्फरनगर जिले में सीमेंट का वितरण

*७८--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुजफ्फरनगर जिले में १९५५-५६ व १९५६-५७ में अलग-अलग कितना सीमेंट किस-किस सीमेंट फैक्ट्री से प्राप्त हुआ?

*७९--उक्त दोनों वर्षों में प्राप्त सीमेंट का वितरण अलग-अलग वर्ष में किस प्रकार हुआ अर्थात् कितने प्रतिशत नियोजन विभाग को, कितने प्रतिशत शहरों व कस्बों तथा कितने प्रतिशत ग्रामों को दिया गया?

श्री सैयद अली जहीर--मुजफ्फरनगर जिले में १९५५-५६ व १९५६-५७ में विभिन्न सीमेन्ट फैक्टरियों से प्राप्त तथा उसके १९५५-५६ व १९५६-५७ में वितरण सम्बन्धी सूचना मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४१४ पर)

*८०-८१--श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)--[स्थानान्तरित किये गये।]

बरेली जिले में नदियों पर बनने वाले पुल

*८२--श्री शिवराज बहादुर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने द्वितीय पंचवर्षीय योजाना के अन्तर्गत जिला बरेली की किन-किन नदियों के किस-किस स्थान पर पुल बनवाने की योजना रखी है ?

श्री गिरधारीलाल--(१) बरेली-मथुरा प्रान्तीय मार्ग में रामगंगा नदी पर।
(२) बहेड़ी-बंजरिया सड़क में किच्छा नदी पर।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में १९५४-५५ में दायर सिविल अपीलें

*८३--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बतायेगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में सन् १९५४-५५ मे कितनी Regular First Civil Appeals दायर हुई और उनमें से कितनी पर हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया ?

श्री सैयद अली जहीर--इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेच मे सन् १९५४ मे ७३ नियमित प्रथम सिविल अपीलें दायर हुई और उनमे से ४ पर हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया है। सन् १९५५ मे ८३ ऐसी अपीले दायर हुई जिनमें से ५ पर हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया है।

*८४--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बतायेगी कि उपर्युक्त अपीलों मे से कितनी First Civil Appeals का Record प्रिंट हो चुका है ?

श्री सैयद अली जहीर--उपर्युक्त सन् १९५४ की अपीलों में से एक अपील का रेकार्ड प्रिंट और दो का टाइप हो चुका है। सन् १९५५ की अपीलों में से एक का रेकार्ड टाइप हुआ है।

*८५--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

जालौन जिले में देहाती क्षेत्र का सीमेंट कोटा अलग करने की प्रार्थना

*८६--राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--क्या सरकार जिला जालौन मे देहाती क्षेत्र का सीमेंट का कोटा अलग कर देगी और उसको तहसीलवार तथा अदालती क्षेत्र-वार बटवाने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर--ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेन्ट के वितरण के सम्बन्ध मे गश्ती आदेश-पत्र जारी किये जा चुके हैं, जिनमें यह बताया गया है कि प्रत्येक तिमाही में जिला नियोजन समिति की स्वीकृति लेकर जिले के सीमेन्ट का कोटा तहसीलवार तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडवार बटवारा कर दिया जाय। इसलिये किसी विशेष जिले के लिये इस सम्बन्ध में किसी आदेश देने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

रायबरेली-फैजाबाद रोड पर गोमती नदी के आम घाट पुल की निर्माण योजना

*८७--श्री गुरुप्रसादसिंह (जिला सुल्तानपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली-फैजाबाद रोड पर गोमती नदी के ऊपर आम घाट पुल के निर्माण-कार्य में कहां तक प्रगति हुई है ?

श्री गिरधारीलाल—अप्रैल, १९५६ में इस पुल का निर्माण स्वीकृत किया गया था। पुल की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण विधान सभा की पुनः स्वीकृति लेना आवश्यक हो गया है। यह स्वीकृति १९५७-५८ की नई मांगों के द्वारा प्राप्त की जा रही है और कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

बाराबंकी जिले में नमक का आयात

*८८—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में कौन-सा नमक आता है?

श्री सैयद अली जहीर—कांडला नमक।

बांदा जिले की बबेरू-अतर्रा रोड के निर्माण की योजना

*८९—श्री रामसनेही भारतीय (जिला बांदा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा की बबेरू-अतर्रा रोड का निर्माण कार्य जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लिया जा चुका है, कब से प्रारम्भ होगा?

श्री गिरधारीलाल—द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में ही इस सड़क पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

*९०—श्री रामसनेही भारतीय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में एस्टीमेट सरकार के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी नहीं। द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

इटावा जिले में भर्थना टाउन एरिया का गन्दा पानी निकालने की व्यवस्था के लिए प्रार्थना

*९१—श्री मिहरबानसिंह—क्या सरकार इटावा जिले के टाउन एरिया भर्थना की २० हजार जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये कस्बे के गंदले पानी को बाहर निकालने की कोई योजना बनाने पर विचार करेगी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उत्तर प्रदेश के स्वायत्त शासन विभाग ने भर्थना टाउन एरिया का गंदला पानी बाहर निकालने की एक योजना जिसकी कीमत लगभग १४,००० रुपये थी सन् १९४०-४१ में बनाई थी और इसको टाउन एरिया के पास स्वीकृति के लिये भेजा था। टाउन एरिया भर्थना ने अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं भेजी है। शासन द्वारा ऐसी कोई परियोजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं की गई है।

*९२—श्री मोहनलाल वर्मा—[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

हरदोई जिले में डी० सी० डी० एफ० का सुपरसीड होना

*९३—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई में डी० सी० डी० एफ० कब से सुपरसीडेड ((Superseded)) है?

श्री मोहनलाल गौतम—मार्च, १९५२ से।

पंचायत मंत्रियों को स्थायी न करना

*९४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वशासन मंत्री को ज्ञात है कि पंचायत मंत्रियों में से अब तक कोई स्थायी नहीं किया जा सका है? यदि हां तो क्यों?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। यह ठीक है कि पंचायत मंत्रियों में से अब तक किसी को स्थायी नहीं किया जा सका है। इसके कारण निम्नलिखित है—

(क) पंचायत मंत्री ग्राम सभाओं के कर्मचारी है। अतः सरकार की ओर से इनके स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) ग्राम सभाओं की आर्थिक दशा ठीक नहीं है और वे मंत्रियों के वेतन को भी देने में असमर्थ हैं। शासन इनके वेतन के लिये प्रति वर्ष सहायक अनुदान देता है। ऐसी दशा में ग्राम सभाओं को मंत्रियों के स्थायीकरण के लिए शासन कोई निर्देश देना उचित नहीं समझता।

(ग) ग्राम स्तर पर समस्त कर्मचारियों के एकीकरण का भी प्रश्न विचाराधीन है। पंचायत मंत्री ग्राम स्तर के कर्मचारी हैं। इसलिये एकीकरण के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय तक मंत्रियों के स्थायीकरण पर कोई विचार करना उपयुक्त भी नहीं है।

खीरी जिले में शारदा नदी के ऐरा घाट पर पैन्टून ब्रिज की आवश्यकता

*९५—श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में शारदा नदी में ऐरा घाट पर पैन्टून पुल बनाने की कोई योजना कार्यान्वित करने का उसका विचार है? यदि हां, तो इसका बनना कब प्रारम्भ हो जायगा?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी नहीं। द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

पी० डब्ल्यू० डी० सम्बन्धी एस्टीमेट्स कमेटी की सिफारिशें

*९६—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० से सम्बन्धित एस्टीमेट्स कमेटी की कौन-कौन सी सिफारिशें ऐसी हैं जिन्हें सरकार ने स्वीकार नहीं किया है और उसके क्या कारण हैं?

श्री गिरधारीलाल—सरकार ने एस्टीमेट्स कमेटी की किसी भी सिफारिश को अन्तिम रूप से अस्वीकृत नहीं किया है। कमेटी की सिफारिशों तथा विभागीय प्रतिवेदन के मध्य के मतभेदों का परीक्षण विभाग के एक सम्पर्क अधिकारी तथा एस्टीमेट्स कमेटी की एक परीक्षण समिति द्वारा किया जायगा। विभाग ने सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति कर दी है, किन्तु एस्टीमेट्स कमेटी ने परीक्षण समिति की नियुक्ति अभी तक नहीं की है। अतः अब तक सरकार ने संबंधित विषय में अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया है।

*९७—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—[१२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

झांसी जिले के बरवासागर सब्जी व्यापार को सहकारिता के आधार पर चलाने का विचार

*९८—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला झांसी, तहसील झांसी का स्थान बरवासागर सब्जी की एक अच्छी व्यापारिक मंडी है, जहां से देश के अनेक प्रदेशों के मुख्य-मुख्य नगरों को सब्जी भेजी जाती है एवं वहां के निवासियों की जो कि अधिक तादाद में किसान ही हैं जीविका का यही सब्जी व्यापार मुख्य साधन है?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां।

*९९--श्री गज्जूराम--क्या सरकार सब्जी के व्यापार से प्राप्त मुनाफे को किसानों के दाम तक उचित रूप में पहुंचाने के लिये कोआपरेटिव आधार पर कोई योजना बनाने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह मामला विचाराधीन है ।

*१००--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--[२२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१०१--श्री दीनदयालु शास्त्री--[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

झांसी जिले की ललितपुर, महरौनी तहसील में ग्राम-सभाओं की भूमि

*१०२--श्री गज्जूराम--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि जिला झांसी, तहसील ललितपुर, महरौनी में सन् १९५१ से सन् १९५६ तक किन-किन ग्राम सभाओं की भूमि जंगल विभाग ने अपने अधिकार में ली है ?

श्री सैयद अली जहीर--वन विभाग ने ऐसी कोई भूमि नहीं ली है ।

पंचायतों के चुनाव में काम करने वाले जिला बोर्ड, आजमगढ़ के अध्यापकों को भत्ता न मिलना

*१०३--श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत १९५६ ई० के ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने में नियुक्त जिला बोर्ड, आजमगढ़ के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को भत्ता देने की व्यवस्था सरकार ने की थी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने भत्ते की धनराशि उपर्युक्त कर्मचारियों को दे दी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--(क) पंचायतों के चुनाव आरम्भ होने के पूर्व ही गत सितम्बर, १९५५ में संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया गया था कि वे पंचायत कार्य पर लगाये गये अपने कर्मचारियों का दैनिक भत्ता आदि अपने बजट से दे दें तथा तदुपरान्त शासन से उक्त धन की प्राप्ति (re-imbursement) की व्यवस्था करें ।

(ख) जिलाधीश आजमगढ़ से प्राप्त हुई सूचना से पता चलता है कि जिला बोर्ड आजमगढ़ इस सम्बन्ध में शीघ्र ही भुगतान करने जा रहा है । शासन द्वारा re-imbursement का विषय भुगतान के पश्चात् ही उठेगा ।

कोसी नगरपालिका को अनुदान

*१०४--श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोसी नगरपालिका को सन् १९५२ से १९५६ तक कितना-कितना रुपया, किस-किस मद में दिया गया तथा किस-किस मद के लिये, कितना-कितना रुपया, कोसी नगरपालिका द्वारा मांगा गया था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--कोसी, नगरपालिका को १९५२ से १९५६ तक जिस-जिस मद में, जितनी-जितनी धनराशि अनुदान अथवा ऋण के रूप में दी गई है उसके आंकड़े नीचे दिये गये हैं--

अनुदान का विवरण	वित्तीय वर्ष	अनुदान रु०	आ०	पा०
१--चिकित्सा सम्बन्धी	१९५२-५३	४५०	०	०
आवर्तक अनुदान	१९५३-५४	४५०	०	०
	१९५४-५५	४५०	०	०
	१९५५-५६	४५०	०	०

अनुदान का विवरण	वित्तीय वर्ष	अनुदान		
२—शिक्षा सम्बन्धी आवर्त्तक अनुदान	१९५२–५३	५९४	०	०
	१९५३–५४	६१६	०	०
	१९५४–५५	६४४	०	०
	१९५५–५६	६६८	०	०
३—जुर्मानों से होने वाली आय को हानि होन करने के लिये	१९५२–५३	१२१४	८	०
	१९५३–५४	१३०७	०	०
	१९५४–५५	२६०७	१३	०
	१९५५–५६	७७६	२	०
४—सड़क निर्माण हेतु अनावर्त्तक अनुदान	१९५२–५३	३०,०००	०	०
	१९५३–५४	३०,०००	०	०
	१९५४–५५	१०,४००	०	०
	१९५५–५६	८,७००	०	०
५—जल वितरण योजना हेतु ऋण (Loan for water supply scheme)	१९५२–५३	५०,०००	०	०
	१९५३–५४	५०,०००	०	०
	१९५४–५५	६५,०००	०	०

अध्यक्ष, नगरपालिका कोसी ने १९५५–५६ में "मलमूत्र उपयोग योजना" (sewage utilization scheme) के अन्तर्गत सरकार से १,०२,९०० रुपये की मांग की थी।

*१०५—श्री इन्दुभूषण गुप्त—[१३ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

सहारनपुर-बागपत सड़क के निर्माण में प्रगति

*१०६—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि सहारनपुर-बागपत सड़क के निर्माण की क्या प्रगति है और वह देहली तक कब तक तैयार हो जायेगी?

श्री गिरधारीलाल—लगभग ४–५ मील को छोड़कर जो मुजफ्फरनगर जिले में शामली तथा ऐलम में पड़ते हैं, शेष सड़क बन चुकी है। शामली में मिट्टी तथा पुलिया का कार्य समाप्त हो चुका है। ऐलम में अभी हाल ही में कार्य आरम्भ किया गया है। शामली और ऐलम पर कार्य मार्च, १९५८ तक पूरा हो जायेगा। बागपत से देहली तक के भाग पर जो कार्य होना शेष है वह अगस्त, १९५७ तक पूरा हो जायेगा।

*१०७—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या उक्त सड़क की चौड़ाई मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिलों में भिन्न-भिन्न है?

श्री गिरधारीलाल—मेरठ और सहारनपुर जिलों में सड़क की चौड़ाई १२ फुट है। मुजफ्फरनगर जिले में इसकी चौड़ाई जो अभी ९ फुट है बढ़ा कर १२ फुट की जा रही है।

सीतापुर जिले में ग्राम-पंचायत टंडई कलां में गबन की जांच

*१०८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, सन् १९५६ में जिला पंचायत राज कार्यालय सीतापुर द्वारा ग्राम पंचायत टंडई कलां में गबन के मामले की जांच हुई थी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां।

*१०९—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--क्षेत्रीय विकास अधिकारी द्वारा जांच कराने पर कोई दाव प्रमाणित नहीं हुआ ।

*११०--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--प्रश्न ही नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

१--श्री गज्जूराम--[१४ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

कानपुर जिले में सड़कों की निर्माण योजना

२--श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी नई सड़कें कानपुर जिले में निर्मित होनी हैं और उनमें कितनी धनराशि व्यय होगी तथा उनकी क्या लम्बाई होगी और नई सड़कों के अलावा किन-किन पुरानी सड़कों का जीर्णोद्धार होना है तथा उन पर कितना व्यय होगा ?

श्री गिरधारीलाल--यह सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४१५ पर)

पूर्वी जिलों में, विशेषकर गोरखपुर जिले में घाघरा, राप्ती आदि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद करने के लिये कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--श्री मदन पांडेय जी का कामरोको प्रस्ताव था कि पूर्वी जिलों और विशेषकर गोरखपुर जिले में घाघरा, राप्ती तथा दूसरी सहायक नदियों, आमी, कुआनों, राहिन, छोटी गंडक तथा बड़ी गंडक में भयानक बाढ़ के कारण इन नदियों के किनारे बसने वाले हजारों आदमियों का जीवन विपन्न हो उठा है । इस सिलसिले में मैंने माननीय माल मंत्री जी से कल पूछा था और उन्होंने आज इसके बारे में जानकारी देने के लिये कहा था ।

*माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर से फोन के जरिये मालूम हुआ कि अभी वहां किसी नदी में बाढ़ आ गई हो ऐसा नहीं कहा जा सकता । नदियों में पानी बढ़ा है, लेकिन अपने बेड से बाहर नहीं निकली हैं । अभी वहां के कलेक्टर यहां तीसरी अगस्त को आये थे तो उस वक्त बातचीत के दौरान में उन्होंने बतलाया कि उन्होंने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि इत्तला मिलने के ६ घंटे के अन्दर जहां कहीं भी बाढ़ आयेगी और लोगों के तकलीफ में होने की आशंका होगी तो इम्दाद पहुंचा सकेंगे । तीन सौ नावों का इंतजाम कर लिया गया है । अभी उनके काम करने की जरूरत नहीं आयी है मगर कुछ पेशगी दे दिया गया है और उनको इन्गेज कर लिया गया है कि अगर जरूरत होगी तो वह कलेक्टर के पास आ जायेंगी । हमने १० हजार रुपये पहले ही से हर कलेक्टर के पास दे दिये हैं जिससे वे तत्काल इम्दाद पहुंचा सकें । जो फ्लड पोस्ट्स हैं उनमें सामान जमा कर लिया गया है । फ्लड कमेटीज वगैरह की मीटिंग्स कर चुके हैं और सब इंतिजाम हो चुका है, कोई आशंका की बात नहीं है । बाराबंकी में जो घाघरा में बाढ़ है, वह मीडियम फ्लड है और देवरिया में माइल्ड फ्लड है, तो गोरखपुर में कैसे फ्लड होवेगा यह समझ में नहीं आता । हां, जिले में कुछ नालों ने परेशान किया था और २ आदमी जो उनको क्रास कर रहे थे वे डूबकर मर गये बाकी किसी आदमी की जान जाया नहीं हुई और किसी पशु के मरने की भी खबर नहीं है ।

(श्री मदन पांडेय के खड़े होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

†५ अगस्त, १९५७ की कार्यवाही से ।

श्री अध्यक्ष—मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। अगर आपको कोई और जानकारी देनी थी तो पहले इसी के साथ-साथ देनी चाहिये थी। मैंने आपकी और सदन की मालूमात के लिये मंत्री जी से कहा था कि जानकारी हासिल करके सदन को दे दें।

आगरा जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रही, श्री रामसिंह की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री रामसिंह चौहान का था कि आगरा सेंट्रल जेल में इटावा जिले के सोशलिस्ट सत्याग्रही श्री राम सिंह की जेल अधिकारियों और डाक्टर की असावधानी से चिकित्सा न होने के कारण २ अगस्त को मृत्यु हो गयी। यह मैंने कल पढ़कर सुना दिया था। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि आज वे इसके बारे में खबर देंगे।

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—अध्यक्ष महोदय, श्री रामसिंह आगरा सेंट्रल जेल में २४ मई, सन् १९५७ को फतेहगढ़ जिला जेल से तब्दील हो कर आये थे। उन्हें १४ मई, सन् १९५७ को ६ महीने की सजा हुई थी। उनकी सेहत पहले ही से अच्छी नहीं थी और वह एक महीने ६ दिन तक अस्पताल में रखे गये और २४ जुलाई को वहां से डिस्चार्ज हुये। वे बराबर अपनी कमजोरी की शिकायत करते रहे और उन्हें ऐनीमिया और जनरल डेबिलिटी तजवीज की गयी। ग्लूकोज इंजेक्शंस, लिवर एक्स्ट्रेक्ट और विटामिन बी के इंजेक्शन्स उनको इस्तेमाल कराये गये। २४ जुलाई, को जब वे डिस्चार्ज हुये थे तब उनका वजन २ पौंड बढ़ चुका था। दूसरी अगस्त की शाम को ८ बजे जब वह खाना खाकर और कैदियों के साथ टहल रहे थे, उनको एकाएक खांसी आयी और बड़ी मिकदार में खून आना शुरू हुआ। १५ मिनट के अन्दर जेल का कम्पाउन्डर मौके पर पहुंच गया और उन्हें कोलोजीन और कोरोमीन के इंजेक्शन्स दिये गये और फौरन ही जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट और सिविल सर्जन को खबर की गई। यह दोनों साढ़े आठ बजे तक वहां पहुंचे, लेकिन इसी बीच में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बाद में जिलाधीश को भी खबर की गई और उसी रात को १२ बजे से २ बजे रात तक एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जरिये मैजिस्टीरियल इंक्वायरी हुई और यह मालूम हुआ कि उनके दोनों फेफड़े खराब थे, इसी वजह से यह खून आया और उनकी मृत्यु हुई। अफसोस की बात यह है कि उनका मर्ज पहले से तशखीस नहीं हो सका। इस बारे में यह बताया गया है कि चूंकि उनको किसी वक्त बुखार नहीं रहता था और उनका वजन बजाय घटने के बढ़ा था इस वजह से उस तरफ खयाल नहीं गया। फिर भी यह मामला सीरियस है। इस की तफसीली इंक्वायरी करा कर मुनासिब कार्यवाही करने का इरादा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं यह जानना चाहूंगा कि जब एक महीना ६ या ४ दिन वह अस्पताल में रहे और उनकी सेहत खराब थी पहले से ही तो सरकार ने उनको रिहा क्यों नहीं किया ?

श्री मुजफ्फर हसन—उन्होंने खुद भी किसी वक्त यह शिकायत नहीं की कि उनको यह मर्ज है और जेल में भी जनरल डेबिलिटी और एनीमिया ही तजवीज हुआ और उसी का इलाज हुआ।

श्री अध्यक्ष—इसकी जानकारी......

श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)—मैं इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं, जो मुझे सूचनायें मिली हैं उनके आधार पर.........

---

† ५ अगस्त, १९५७ की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष--इस विषय में मैं इस समय इजाजत नहीं दूंगा। जब इस विभाग के बजट पर बहस होगी उस समय आप इसकी बात को कह सकते हैं। जो जानकारी सरकार को थी वह मैंने आपको करवा दी है। आप तैयार हो कर आइयेगा बहस के लिये।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य--श्रीमन्, यह तो माननीय मंत्री जी के बयान से ही स्पष्ट प्रतीत होता है कि किस लापरवाही से उनकी मृत्यु हुई..........

श्री अध्यक्ष--उस इंक्वायरी के वायदे के बाद कोई कारण नहीं रहता कि कोई प्रश्न इस समय उठाया जाय।

मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता हूं, क्योंकि यह सरकार का स्टेटमेंट अभी हो चुका है कि उसकी जांच करा कर उस पर वह कार्यवाही करेंगे। दूसरे इस विषय पर अगर कोई बहस करनी है तो पुलिस और जेल के अनुदान पर बहस के समय हो सकती है। उस समय यह प्रश्न उठाया जा सकता है।

जिला बाराबंकी में घाघरा नदी की बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--अभी चार कामरोको प्रस्ताव मेरे पास आये हैं। एक श्री जंगबहादुर वर्मा का है, जो इस प्रकार है--

"जिला बाराबंकी के रामसनेही घाट व तहसील फतेहपुर के अन्तर्गत घाघरा नदी में बाढ़ आने के कारण लगभग ७८ गांव बह गये हैं और हजारों बीघा फसल डूब गई है और लाख के करीब सम्पत्ति बर्बाद हो गई है। सरकार की ओर से सहायता न पहुंचने और इस बर्बादी के कारण निकट के जिलों में असंतोष और क्षोभ का वातावरण फैल गया है तथा परिस्थिति विषम हो गई है।

इस आवश्यक परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

इसके साथ कोई तहकीकात करके कोई रिपोर्ट आई हो ऐसी बात नहीं है। सिर्फ एक कागज पर यह चीज लिख दी और जैसा अभी माल मंत्री जी ने घाघरा की बाढ़ के बारे में कहा था कि बाढ़ शायद बाराबंकी में मीडियम प्रकार का साधारण हो।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--अगर आप इजाजत दें तो मैं बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--ठीक है, कुछ विवरण दे दें।

*श्री चरणसिंह--कई दिन हुये जब बाराबंकी में घाघरा चढ़ गयी थी यानी ३१ जुलाई, को। उसकी इत्तला हमारे यहां दफ्तर में आयी हुई है। ३४८.५८ फुट हाइयस्ट लेविल था जो वहां पहुंचा और बाराबंकी में रिकार्ड किया गया। जो इस नदी पर खतरे का निशान है वह ३५१.५ है उससे अभी यह बाढ़ ३ फुट नीचे है। इससे जो रकबा प्रभावित हुआ वह १ लाख २८ हजार एकड़ है। फतेहपुर और रामसनेही घाट में ९९ गांव में पानी आया। २,८७८ आदमी और ६,१५७ मवेशियों को निकाला गया है। ९ मकान गिर गये, २५ जानवर नदी को पार करते हुये खत्म हो गये। बहुत से राज्यकर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं, उन लोगों ने बहुत से जानवरों और आदमियों को पानी से निकाला है। लोगों को वे काफी राहत पहुंचा रहे हैं। इस वक्त आखिरी जो हमारे पास इत्तला आयी है उसके मुताबिक नदी घट रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--(श्री जंगबहादुर वर्मा से) क्या इस वक्तव्य देने के बाद भी आप चाहते हैं कि इसको प्रेस किया जाय?

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)-- जी हां, मैं चाहता हूं कि जो कहा जा रहा है वह उतनी सहायता नहीं है, इसलिये इस पर बहस होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--यह तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। आप कहते हैं कि ८८ गांवों को नुक्सान पहुंचा और वे ६६ बतला रहे हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)-- उनकी तरफ से मैं कह रहा हूं कि जो सहायता दी जा रही है, वह पर्याप्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं, यह कोई वजह माननीय सदस्य स्वयं नहीं बतला रहे हैं जिसकी वजह से इसको वे प्रेस कर रहे हों। उसके लिये सरकार कहती है कि हम कार्यवाही कर रहे हैं और वह नदी घट भी रही है। इसलिये इसमें कोई इमर्जेन्सी नहीं है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

गाजीपुर जिले में चन्द्रप्रभा नहर के टूटने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक कामरोको प्रस्ताव श्री पब्बर राम जी का है जिसमें वह कहते हैं कि चन्द्रप्रभा कैनाल, गाजीपुर जिले के भाग में गहमर और मदौरा स्टेशनों के बीच में टूट गई है। हजारों एकड़ खरीफ की फसल पानी में डूब जाने से चौपट हो गई है। इससे किसानों में घोर असन्तोष व्याप्त हो गया है। अभी तक नहर विभाग अथवा अन्य प्रकार से कोई रिलीफ नहीं पहुंचाई गई है। इस परिस्थिति पर विचार हेतु यह सदन अपना कार्य-स्थगित करता है।

इस सम्बन्ध में ग्राम प्रधान विश्वनाथसिंह सूबेदार का तार आया है जिसमें लिखा है कि--

"canal broken several points between gahamar and madaura crops damaged this year also thousand acres of land submerged canal deptt taking no action."

(श्री पब्बर राम से) क्या आपने इस कैनाल के टूटने की और उसके ऊपर काम जो नहीं हो रहा है उसकी शिकायत सरकार को भेजी? आपने इसमें यह नहीं लिखा कि आपने यह सूचना सरकार को दी और उसने इस पर कुछ कार्यवाही की नहीं। नहर वगैरा टूटा ही करती हैं। यह एक साधारण सा विषय है। इसका गवर्नमेंट से सीधा सम्बन्ध नहीं है, इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता। आपको चाहिये था कि आप गवर्नमेंट के पास यह तार भेज देते और कहते कि जो कार्यवाही कैनाल वालों को करनी चाहिये थी, वह नहीं कर रहे हैं और उस पर गवर्नमेंट ऐक्शन न लेती तब आप कामरोको प्रस्ताव ला सकते थे।

श्री पब्बरराम (जिला गाजीपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं इस ओर आपका ध्यान इसलिये और खींचना चाहता हूं कि पारसाल भी इस किस्म की घटना हो चुकी है और करोड़ों रुपये का नुक्सान इस जमुहारी तहसील में हुआ था। अब वही घटना फिर हो रही है। इसी एक कस्बे में २० मिनट के अन्दर साढ़े छः फीट पानी हो गया था और उससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ था।

श्री अध्यक्ष--आपको मैंने बतलाया कि आपको पहले गवर्नमेंट के पास जाना चाहिये था यह कह कर कि यह टेलीग्राम मेरे पास आया है। अगर मंत्री जी कार्यवाही न करते तो तब यह आ सकते थे। अगर कोई शिकायत आये और आप मंत्री जी के पास न जायं तो उस शिकायत के ऊपर यहां कामरोको प्रस्ताव नही आ सकता है। ऐसी शिकायतों पर सदन का काम नहीं रोका जा सकता।

सहारनपुर नगरपालिका के भंगियों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक कामरोको प्रस्ताव श्री झारखंडे राय जी का सहारनपुर नगरपालिका के भंगियों की हड़ताल के सम्बन्ध में इस प्रकार से है--

"सहारनपुर नगरपालिका के ७०० भंगियों की गत ३१ जुलाई से प्रारम्भ, हड़ताल तथा अधिकारियों की इस विषय में हठधर्मी और दमनकारी नीति से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचार हेतु यह सदन अपना कार्य-स्थगित करता है।"

इसका गवर्नमेंट से सम्बन्ध नहीं है यह तो नगरपालिका और भंगियों का झगड़ा है। यह भी एक कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता और क्योंकि यह ३१ जुलाई से है इसलिये कोई अर्जेन्सी भी इसमें दिखायी नहीं देती है।

प्रादेशिक कर्मचारियों को डाक व तार कार्यालयों में काम करने की आज्ञा देने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--श्री नारायणदत्त तिवारी का एक कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार है--

"यह सदन प्रान्तीय सरकार द्वारा, अपने अधीन विभिन्न विभागों के सैकड़ों क्लर्कों एवं अन्य कर्मचारियो को प्रदेश भर में ६ अगस्त, १६५७ से केन्द्रीय सरकार के अधीन डाक व तार कार्यालयों में काम करने की आज्ञा देने के हेतु निकाले गये, अवैधानिक व अनियमित सर्क्युलर से उत्पन्न विशेष परिस्थिति पर विचार करने के हेतु अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

(श्री नारायणदत्त तिवारी से) क्या यह सर्क्युलर आपके पास यहां मौजूद है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--यह सर्क्युलर मैंने स्वयं देखा है। वह माननीय नेता विरोधी दल के कमरे में है। मैं उसकी कापी प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--वह आपने मेरे पास नहीं भेजा। लेकिन जब हड़ताल होगी तब वह काम में आयेगा। अब हड़ताल होगी या न होगी यह कैसे कहा जा सकता है? यह विषय निश्चित नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--यह निश्चित विषय यूं है कि वह सर्क्युलर मैंने स्वयं देखा है। चीफ इंजीनियर को जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा भेजा गया है कि ६ अगस्त से हड़ताल हो रही है अपने दफ्तर से कर्मचारियों को आन लोन भेज दो। मेरी यह शिकायत है कि प्रान्तीय सरकार के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार या दूसरी प्रान्तीय सरकारों के यहां केवल एक कायदे से जा सकते हैं अर्थात् आन डेप्यूटेशन जा सकते हैं जिसका बाकायदा गजट होता है और उन्हें वहां जाने का २५ प्रतिशत डेप्यूटेशन एलाउन्स मिलता है। बाकायदा वहां से मांग आती है।

श्री अध्यक्ष--मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि सरकार किसी हड़ताल को मीट करने के लिये कोई तैयारी कर रही है, लेकिन स्ट्राइक होने ही वाला है यह निश्चित कहां से है? और जो विषय निश्चित नहीं है उस पर कामरोको प्रस्ताव कैसे लाया जा सकता है?

श्री नारायणदत्त तिवारी--इसमें निश्चितता यूं है कि जिले में एक सर्क्युलर निकला। स्ट्राइक से मेरा उतना मतलब नहीं है जितना कि इससे कि उस सर्क्युलर द्वारा ९ अगस्त से काम करने के लिये जो आज्ञा दी जा रही है। मेरा कहना यह है कि वह आज्ञा गलत है। अब यह आज्ञा दी जा चुकी है कि उसका पालन होना चाहिये। इसलिये यह निश्चित है।

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मंत्री जी को इसमें कुछ कहना है?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, सरकारी सर्क्यूलर कांफिडेंशल कागज होता है। अगर किसी शख्स ने किसी कांफिडेंशल कागज को बाहर किया है तो आफिशियल सीक्रेट ऐक्ट के मातहत उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। किसी किस्म का कोई सर्क्युलर निकला है या नहीं निकला है, इस पर मैं बहस करने के लिये तैयार नहीं हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि हम जो काम करेंगे वह कभी अवैधानिक और गलत नहीं होगा। जहां तक स्ट्राइक की बात है, मैं नहीं जानता कि स्ट्राइक होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर स्ट्राइक होगी, तो हम जरूर उसका मुकाबला करेंगे।

श्री अध्यक्ष--(श्री नारायणदत्त तिवारी से) यह तो मालूम हो ही गया। मैंने तो आपको बहस के लिये इजाजत दे दी थी, आप बोल चुके। क्या आप कोई बात जानना चाहते हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी--एक बात मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि स्ट्राइक का हम मुकाबला करेंगे, तो उस स्ट्राइक से प्राविंशियल गवर्नमेंट का क्या सम्बन्ध है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अगर स्ट्राइक होगी तो प्रदेश के रहने वाले सब लोगों को, लाखों करोड़ों आदमियों को तकलीफ होगी, इसलिये हमारा उससे सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष--तो यह प्रश्न भी सामने है कि इस तरह का कामरोको प्रस्ताव आ सकता है या नहीं। कोई सर्क्यूलर जो गवर्नमेंट की तरफ से निकला हो और वह कांफिडेंशल हो तो उसकी वैधानिकता के बेसिस पर काम रोको प्रस्ताव हो सकता है कि नहीं, यह प्रश्न भी है। अगर मान लिया जाय कि यह सर्क्युलर कांफिडेंशल है तो हम उसको नोटिस में नहीं ला सकते। दूसरे अगर यह भी मान लिया जाय कि सर्क्यूलर हमारे नोटिस में आ गया है तो उसके अवैधानिक या वैधानिक होने के प्रश्न पर कामरोको प्रस्ताव नहीं उठ सकता है, क्योंकि यह कानूनी प्रश्न हो जाता है जिसके ऊपर यहां डिबेट नहीं हो सकता। लीगल प्वायंट को डिबेट में नहीं ला सकते हैं। अगर अवैधानिक है तो उसको लोग अदालत में ले जा सकते हैं और वहीं पर उसकी अवैधानिकता के ऊपर बहस हो सकती है। तो इसलिये कामरोको प्रस्ताव का यह विषय नहीं हो सकता। यदि कोई वाकयात होते और उसी दिन वाकयात के आधार पर कोई घटना हो जाती तो वाकयात के सम्बन्ध में प्रश्न उठ सकता था। मैंने पहले ही बतला दिया है कि हड़ताल एक वाकया है, लेकिन उसमें कर्मचारी शामिल होंगे या नहीं होंगे, उस परिस्थिति को कोई नहीं बतला सकता है, इसलिये वह हाइपोथिटिकल है। हड़ताल होगी या नहीं होगी, इसको भी कोई नहीं कह सकता है। यह सर्क्यूलर की लीगेलिटी का क्वेश्चन भी है जिसके ऊपर बहस होती नहीं है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

'नेशनल हेराल्ड' में कृषि मंत्री के भाषण को गलत ढंग से प्रकाशित करने पर कृषि मंत्री द्वारा आपत्ति

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर ग्रांट के सम्बन्ध में जो मैंने तकरीर की थी, आज मैंने नेशनल हेराल्ड में देखा कि वह रिपोर्ट गलत की गयी है। उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें यह हेडिंग दी गयी है "प्लानिंग टु बी ब्राट अंडर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट" "हुकुम सिंह एश्योर्स इन दि यू० पी० असेम्बली"। मैंने कोई इस तरह का एश्योरेंस नहीं दिया था, न कोई ऐसी बात कही थी। यह हेडिंग मिसलीडिंग है।

श्री अध्यक्ष--जो आपने कहा था उसे भी कह दीजिये।

श्री हुकुम सिंह विसेन--जो मैंने कहा था वह अर्ज किये देता हूं। मैंने कहा था कि गवर्नमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट के पुन: संगठन के बारे मे विचार कर रही है और उससे यह आशा होती है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो अफसरान डिस्ट्रिक्ट लेविल प्लानिंग और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मातहत कामन पूल (Common pool) हैं उन पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का effective कंट्रोल होगा। मैंने यह बात कही थी। यह बात मैंने कभी नहीं कही थी कि प्लानिंग डिपार्टमेंट पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कंट्रोल होगा। जो हमारे अफसरान हैं उन पर कंट्रोल एफेक्टिव होगा, इससे गलतफहमी होने का अन्देशा है, इसलिये प्रार्थना है कि इसको ठीक करा दिया जावे।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप मुझे खत लिख देते तो मैं उनसे कह देता या उन्हें लिख कर भेज देता, लेकिन ठीक है आपने सदन में कह दिया, यहां पर उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं, वह कृपा करके उसकी दुरुस्ती करा दें और मैं भी उनके पास जो ठीक कथन है वह भिजवा दूंगा।

१९५७-५८ के आय-व्यय में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १९--लेखा शीर्षक: ३८--चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०--लेखा शीर्षक: ३९--जन: स्वास्थ्य

श्री अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव लिये जायंगे। अनुदान संख्या १९ और २०।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--अध्यक्ष महोदय, आज के कार्यक्रम के सम्बन्ध में समय तय हो जाता।

श्री अध्यक्ष--वह तो १९, २० एक साथ लेने की बात तय हो चुकी है और आज का सब समय इन्हीं दोनों में जायगा।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९--चिकित्सा--लेखा शीर्षक: ३८--चिकित्सा के अन्तर्गत ४,१५,२२,७०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(कुछ ठहरकर)

अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०--जन-स्वास्थ्य--लेखा शीर्षक: ३९--जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत १,६७,७६,८०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(इस समय १२ बजकर २७ मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये।)

[श्री हुकुम सिंह विसेन]

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कल अर्ज किया था उसी सिद्धान्त को मानते हुये आज भी मैं कोई लम्बी चौड़ी तकरीर करके इस सदन का समय नहीं लेना चाहता। मेरी यह दिली ख्वाहिश है कि माननीय सदस्यों को जो इधर के बैठने वाले हैं और उधर के बैठने वाले हैं उन सबको काफी समय मिले अपनी बात कहने के लिये, उससे हम लाभ उठाना चाहते हैं और उसूल बड़ा साफ है कि अपने दोष अपने को नहीं दिखाई पड़ते। इसलिये दूसरों को मौका देना चाहिये कि उनकी ज्यादा सुनें और उससे लाभ उठावें। इन चन्द शब्दों के साथ मैं सदन से आशा करता हूं कि वह इन दोनों धनराशियों को मंजूर करेगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—— उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से अनुदान संख्या १९——चिकित्सा में १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से अनुदान संख्या २०——जन-स्वास्थ्य में भी एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रदेश के पूर्वी और पर्वतीय क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग में चाहे भुखमरी न हो, लेकिन जहां सर्वदा १२ महीने अन्न संकट व्याप्त रहता है, उस प्रदेश की बहुत बड़ी जनसंख्या के स्वास्थ्य की सहज कल्पना हम कर सकते हैं। जिस प्रकार से बुरजुआ एनारकी या पूंजीवादी अराजकता इस सरकार के सभी मौजूदा विभागों में व्याप्त है वही बात इस विभाग के विषय में भी लागू है। इस सरकार की कोई स्पष्ट योजनात्मक नीति जनस्वास्थ्य के विषय में जहां तक मैं इस बजट को देख चुका हूं, पूरे बजट को देखने के बाद नहीं दिखाई पड़ती, वही बात, वही राष्ट्रीय नीति का अभाव इन अनुदान के विषय में भी मुझे दिखाई पड़ता है। इस सम्बन्ध में मैं सदन का और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आजादी के बाद इस बात की कोई भी खोज राष्ट्रीय सरकार अथवा प्रदेशीय सरकार की ओर से नहीं हुई कि हमारे देश और प्रदेश के लिये किस प्रकार की चिकित्सा पद्धति सर्वथा उपयोगी होगी। जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक पुस्तिका "स्वास्थ्य सर्वेक्षण १९५६-५७" वितरित की गई है उसको देखने की मैंने कोशिश की। इस बात की भी खोज की कि इसमें कोई नीति वक्तव्य स्वास्थ्य के विषय में है अथवा नहीं। १८ पेज पर एक शीर्षक है "आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियां" उसके विस्तार में लिखा हुआ है कि एलोपैथिक चिकित्सा के साथ-साथ 'के साथ-साथ' पर मेरा विशेष जोर है, आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति में भी, 'भी' पर मेरा विशेष जोर है, पर्याप्त विकास किया जा रहा है। होम्योपैथिक पद्धति को भी, 'भी' पर मेरा जोर है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उसी के साथ-साथ १९ पेज पर "अन्य आयुर्वेदिक तथा यूनानी महाविद्यालय" शीर्षक में लिखा है "आयुर्वेदिक तथा यूनानी पद्धति में एलोपैथिक पद्धति की पूर्ति, 'पूर्ति' पर मेरा अधिक जोर है, के लिये विकास किया जा रहा है।" इन चन्द लाइनों से यह साफ होता है कि सरकार ने इस बात को बिना वैज्ञानिक अन्वेषण के ही मान लिया है कि हमारे प्रदेश के लिये एलोपैथिक सिस्टम ही सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धति है। मुझे इसमें सन्देह है। हमारे प्राचीन काल से जिस प्रकार की पद्धति का विकास हमारे देश में हुआ और जिसको अपना करके हमारे देश के जनवासियों का स्वास्थ्य सर्वदा अच्छा रहा उसके विषय में अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया। उनके यहां एक पद्धति प्रचलित था, उन्होंने अनेक चीजों की भांति इस चिकित्सा पद्धति को हमारे देश में लागू किया। इसके पहले न खोज करने की जरूरत थी और न छानबीन करने की। लेकिन हमको आशा थी कि मौजूदा राष्ट्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार इस विषय में खोज बीन करने के बाद ही किसी चिकित्सा पद्धति को मुख्य और प्रमुख चिकित्सा पद्धति घोषित करेगी।

जहां तक एलोपैथिक सिस्टम की बात है, आप श्रीमन्, जानते हैं अच्छी तरह से, सरकार भी जानती है और माननीय सदस्य भी जानते हैं कि इस पद्धति के विषय में अनेक प्रकार

के सन्देह दूसरी पद्धतियों के लोग प्रकट करते हैं। यह बात समझी जाती है कि एलोपैथिक सिस्टम और यह जाहिर भी है और सही है थोड़े समय के लिये रोग को अच्छा कर देता है, लेकिन रोग के मूल कारण का निदान और उसको जड़ से समाप्त करने की तरफ़ उसकी सफलता बहुत ही संदेहात्मक रही है। ऐसे विषय के ऊपर हमें आशा थी कि सरकार अन्वेषण के बाद ही कोई नीति निर्धारित करती। इसलिये मैंने कहा कि अन्य बहुत सी बातों की तरह अंग्रेजों का अंधानुसरण इस सरकार ने इन विषय में भी किया और इसमें कोई भी राष्ट्रीय नीति परिलक्षित नहीं होती है। इसके अलावा इस बात की भी कोई खोजबीन अब तक नहीं हुई कि किस रोग के लिये, प्रमुख रोगों से मेरा मतलब है, कौन सी चिकित्सा पद्धति सर्वोत्तम है? यह साधारण अनुभव की बात है कि बहुत सी बीमारियों में एलोपैथिक पद्धति अच्छी साबित हुई है, बहुत सी बीमारियां आयुर्वेदिक सिस्टम से अच्छी हो सकती है। उसी प्रकार यूनानी, होम्योपैथी और मैं तो कहूंगा कि प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। केवल श्री लक्ष्मीरमण आचार्य के प्राकृतिक चिकित्सा सम्मेलन में शिरकत करने से ही काम नहीं चलेगा। अतः मेरे विचार में जो विभिन्न प्रकार की पद्धतियां हैं उनमें कौन सी पद्धति किस रोग के लिये लाभकर होगी, हमारे देश और प्रदेश की जलवायु में, उसकी तरफ़ सरकार का ध्यान नहीं गया, जो जाना चाहिये था।

श्रीमन्, जब समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना का लक्ष्य घोषित नहीं हुआ था तब जिस प्रकार का बजट पेश होता था उसमें और इस साल के बजट में किसी प्रकार का कोई मौलिक अन्तर नहीं दिखाई देता। समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना की तरफ हम बढ़ रहे हैं अथवा नहीं इसकी कसौटी दो ही हो सकती हैं। जो समाज के निम्न वर्ग के लोग हैं जिनकी आय कम है या जो बहुत गरीब हैं, उनको चिकित्सा की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके। उनका कम से कम दाम खर्च हो और उनको भी चिकित्सा उसी प्रकार उपलब्ध हो जिस प्रकार कि समाज के कुछ गण्यमान्य और प्रमुख लोगों को उपलब्ध हो जाया करती है। इस ओर सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और न ही वित्त मंत्री जी के भाषण में या जो पुस्तिकायें हमको वितरित की गई हैं उनमें ही कोई ऐसी बात दिखाई पड़ती है। पूरे बजट को देखकर भी मैं किसी ऐसे परिणाम पर नहीं पहुंच सका हूं कि कोई भी विशेष प्रकार का उपाय समाज के गरीब वर्ग के लोगों के लिये जो कि अब तक नहीं हुआ है, वह उसमें दिखाई दिया हो। जहां तक इस विभाग के निम्न कर्मचारी हैं जो अस्पतालों में काम करने वाले हैं, उनकी आमदनी का सम्बन्ध है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब दोनों अनुदानों के ऊपर ६ करोड़ के लगभग रुपया दिया जा रहा है उस समय निम्न कर्मचारियों के बढ़ोत्तरी के ऊपर केवल ७ लाख ५० हजार रुपया उनकी तनख्वाह या महंगाई भत्ते में व्यय होता है जो कि कुल मिलाकर १.२ प्रतिशत से ऊपर नहीं पड़ता। तो रकम जो सरकार खर्च कर रही है उस में कितना किस का भाग है, उसमें भी कोई समाजवाद की झलक नहीं दिखाई देती और निम्न वर्ग के लिये सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में भी कोई कदम नहीं दिखाई देता। इसलिये हम कहना चाहते हैं कि समाजवाद का जो नारा है वह इसमें कहीं भी लागू होता नहीं दिखाई देता।

सरकार की जो पुस्तिकायें हमें मिली हैं उनके आंकड़ों से यह साफ मालूम पड़ता है कि ज्यों-ज्यों अस्पताल बढ़े हैं उनमें रोगियों की संख्या भी वैसे ही बढ़ी है। जो रोगी नये दाखिल हुये, जो डिस्चार्ज किये गये तथा जो अच्छे होकर के नहीं निकल सके, मर गये उन सब की संख्या बढ़ी है। ज्यों-ज्यों अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, रोगी भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन किन कारणों से रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है उसकी बुनियादी चीजों की तरफ सरकार का ध्यान आज

[श्री झारखंडेराय]

तक नहीं जा सका है, क्योंकि परम्परागत पद्धतियों का अनुसरण इस सरकार के जरिये भी हो रहा है। हम देखते हैं कि पूरे प्रदेश में पौष्टिक भोजन जो कि हमारे प्रदेश की बहुसंख्यक जनता को प्राप्त नहीं होता है उसका असर भी स्वास्थ्य पर पड़ता है। गरीबी और शहरों की बढ़ती हुई आबादी के बारे में भी सरकार ने कोई नीति निर्धारित नहीं की है कि इस सरकार का लक्ष्य बम्बई, कलकत्ता ऐसे बड़े-बड़े शहरों को निर्माण करने का है या कि छोटे छोटे मध्यम प्रकार के शहरों को बनाकर बड़े शहरों में जो भीड़-भाड़ होती है उसको रोकने का है। बड़े-बड़े शहरों में हम देख रहे हैं कि बीमारियां ज्यादा होती हैं। वहां अधिकतर संक्रामक रोग फैलते हैं। टी० बी० वगैरह ऐसे भयानक रोग जो हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं उनका भी प्रकोप बड़े-बड़े शहरों में ही होता है। तो घनी आबादी वाले शहरों के बारे में सरकार की नीति साफ नहीं हुई है। इन बुनियादी चीजों की तरफ सरकार का ध्यान जाय तभी हम रोगों के मूल कारण को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं।

शहरों में उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा, आपको इसका अनुभव है कि नाना प्रकार के संक्रामक रोगों के रोगी जिनमें कोढ़ी तक शामिल हैं, सड़कों पर घूमते हैं, खुले आम भीख मांगते हैं। उनका असर मनोवैज्ञानिक तौर पर और शारीरिक तौर पर भी हर एक आदमी पर होता है। उनको हटाकर किसी ऐसी जगह पर रखने का कोई सरकार की ओर से प्रबन्ध नहीं किया गया जहां पर उनसे उपयोगी काम लिये जा सकें और आम जनता को उन रोगों के प्रसार से बचाया जा सके।

वेश्यावृत्ति का असर हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य पर पड़ा है और बहुत व्यापक रूप से पड़ा है। १० वर्ष में भी सरकार ने उसे खत्म करने के लिये कोई ठोस कदम, कारगर कदम उठाने का प्रयत्न नहीं किया।

गन्दे, अश्लील, कामोत्तेजक चल चित्र की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया। यद्यपि यह विषय इस सरकार से सम्बन्धित नहीं है, इसका बहुत कुछ सम्बन्ध केन्द्रीय सराकर से है, फिर भी मैं समझता हूं कि अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो इस पर रुकावट हो सकती है। ऐसे चल-चित्र जिन से नाना प्रकार की दिमाग में खुराफातें पैदा होती हों और जिनका असर नौजवानों, माताओं और बहनों पर बुरा पड़ता हो उन्हें रोका जा सकता है।

खाद्यान्नों और औषधियों में जो मिलावट होती है उसकी ओर सरकार ने कोई सफलता-पूर्वक कदम नहीं उठाया। इसका असर बहुत तेजी से आम जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। हर तरह की खाने की चीजों में मिलावट होती है। मामूली से मामूली दैनिक इस्तेमाल की चीजों में भी मिलावट पाई जाती है, जो अखाद्य है, उसको मिलाया जाता है जिसका असर स्वास्थ्य पर बुरा पड़ता है।

औषधियों में भी मिलावट बड़े पैमाने पर हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, ये चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है।

ऐसे क्षेत्र हमारे प्रदेश में हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जहां पीने के पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। वहां पर कुयें नहीं मिलते और पाइप का कोई इन्तजाम नहीं है। स्वच्छ पानी उनको उपलब्ध नहीं होता। गड़इयों से, पोखरों से जहां बहुत ही गन्दा पानी होता है, उसको वे इस्तेमाल करते हैं जिसका बहुत बुरा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर फीलपांव, घेंघा आदि ऐसी बीमारियां होती हैं जिन का सीधा सम्बन्ध पानी से होता है। उसकी रोकथाम के लिये कोई ठोस कदम सरकार की ओर से नहीं उठाया गया है। मैं समझता हूं कि इन चीजों की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये तभी हम स्वास्थ्य में तरक्की कर सकते हैं।

इस विभाग में अन्य विभागों की तरह से भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। घूस ले कर लोगों को भर्ती किया जाता है। दवायें बेच दी जाती हैं। दवाओं में पानी मिलाकर

डाइल्यूटेड मिक्स्चर दिया जाता है । घूस देने वाले को अच्छी दवाइयां दी जाती हैं । बीमारों के साथ अमानवीय व्यवहार डाक्टरों व नर्सों द्वारा किया जाता है जिसका ज्वलन्त उदाहरण लखनऊ मेडिकल कालेज है । डाक्टरों व नर्सों के अनैतिक सम्बन्ध से डिसिप्लिन पर असर पड़ता है और भ्रष्टाचार बढ़ता है । इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, कानपुर मेडिकल कालेज की नियुक्तियां बजाय पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये न कर विभागीय कमेटी के जरिये की गई और यही कारण है भाई, भतीजे, जात-पांत, कौमपरस्ती को परवरिश देने का । एक मिसाल मैं पेश करना चाहता हूं । १९५६-५७ में मेडिकल कालेज, लखनऊ में एक होस्टल बनाने की स्कीम बनायी गई जिसमें २७,८०८ रुपये ४ आ० का ओरिजिनल एस्टिमेट था । यह ठेका दिया गया रामजस रामदयाल कम्पनी को । ये किशोरीलाल के रिश्तेदार हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे किसी ऐसे आदमी का नाम न लें जो जवाब देने की स्थिति में न हो । मुमकिन है आप की बात गलत हो । आप बात कह दें लेकिन नाम किसी का न लें ।

श्री झारखंडेराय--तो यह रामदयाल रामजस कम्पनी को दिया गया जिनका सम्बन्ध ऐसे व्यक्ति से है जो हास्पिटल बोर्ड आफ मैनेजमेंट वहां का मैनेजमेंट करता है, उसके एक मेम्बर हैं । साथ ही साथ आप देखें कि लेडीज होस्टल बनाने के लिये पहले ओरिजनल ग्रांट ६५,२७१ रुपये की थी वह रिवाइज एस्टीमेट में २०,०४,३९५ रुपये हो गई और यह भी ठेका रामदयाल रामजस कम्पनी को दिया गया । साथ ही साथ सर्जिकल आपरेशन थियेटर में ठेका श्रीराम कम्पनी को दिया गया है जिसकी ग्रांट ८५,६१५ रुपये की थी जो रिवाइज्ड एस्टीमेट में ६,२२,४७२ रुपये हो गये । इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार अन्य विभागों की तरह से यहां फैल रहा है जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देने के लिये तथा अनुदान संख्या १९ और २० का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं । श्रीमन्, इतिहास साक्षी है कि लम्बी परतंत्रता के बाद जो देश स्वतंत्र होता है उसमें स्वेच्छाचारिता और उच्छृंखलता आदि के कारणों से नैतिक पतन होता है जिसका प्रभाव सभी क्षेत्रों में पड़ता है ।

श्रीमन्, मैं विश्वासपूर्वक कह सकती हूं कि गत वर्षों में चिकित्सा में हमारे यहां आश्चर्य-जनक प्रगति हुई है बल्कि हैजा, चेचक, प्लेग, कालाजार आदि संक्रामक रोगों को रोकने के लिये हमारी सरकार ने प्रशंसनीय कदम उठाया है । क्षय रोग के निवारण के लिये हमारी सरकार ने गत वर्षों में ५ से ९ क्षय आश्रम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत २४ क्षय आश्रमों के खोलने की व्यवस्था की है । क्षय रोग के निवारण के लिये बी० सी० जी० के टीके सुदूरवर्ती गांवों में लगाये जा चुके हैं । इसके द्वारा इस प्रदेश की लगभग २३ लाख जनता को लाभान्वित किया गया है और ८२ लाख जनता का निदान किया जा चुका है । इस तरह से हमारे प्रदेश की सवा करोड़ जनता को लाभ पहुंचा है । यह हमारे लिये एक गौरव की बात है ।

श्रीमन् शिशु चिकित्सालय, जच्चा बच्चा केन्द्र आदि भी सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये हैं । श्रीमन्, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ५०० जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने का कदम प्रशंसनीय है । श्रीमन्, मैं यह कह सकती हूं कि मजदूरों में स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रसार, हमारी सरकार का समाजवादी व्यवस्था की ओर एक प्रशंसनीय कदम है और श्रीमन्, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रदेश की जनता स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित होगी । श्रीमन्, इसे हमारी गरीबी का अभिशाप या प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य कहिये कि हमारे साढ़े छः करोड़ की आबादी वाले प्रदेश को केवल छः करोड़ की धनराशि राजकोष से उपलब्ध हुई है जो एक रुपया प्रति आदमी भी नहीं पड़ती है ।

[कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री]

श्रीमन्, जब हम संसार के समुन्नत देशों की ओर दृष्टिपात करते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि ६ करोड़ से कम आबादी वाले इंगलैंड की जनता अपने स्वास्थ्य पर ६ अरब रुपये प्रति वर्ष खर्च करती है। आज हमको अपने प्रदेश के साधनों को विकसित करना ही पड़ेगा ताकि हम आगामी २० वर्षों में महामारी आदि को अपने प्रदेश से समाप्त कर सकें। हमें तो अपने सीमित साधनों का ही अधिकाधिक उचित प्रयोग करना पड़ेगा। यह सत्य है कि आधुनिक प्रगति के स्रोतों से हम अपने प्रदेश को अलग नहीं रख सकते और मैं यह भी मानती हूं कि आधुनिक आविष्कारों और गवेषणाओं के द्वारा हम अपने प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य लाभ से वंचित नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि हमको हमारे प्रदेश की परिस्थितियां यह आज्ञा नहीं देतीं कि हम केवल पाश्चात्य प्रणाली पर पूर्ण रूप से अवलम्बित हो सकें। हमारा प्रस्तुत चिकित्सा का बजट ४,१५,२२,७०० रुपये का है और १,६७,७६,८०० रुपये का जन-स्वास्थ्य का बजट है। इस बजट के अन्दर आयुर्वेदिक, यूनानी और देशी चिकित्सा पद्धतियों के सभी क्षेत्रों के लिये केवल ३३,८२,१०० रुपये की धनराशि रखी गयी है। हमारे सदन के सभी सम्मानित सदस्य जानते हैं कि आज भी हमारे प्रदेश में देशी चिकित्सा पद्धतियों द्वारा ६० प्रतिशत् जनता स्वास्थ्य लाभ करती है। फिर तुलनात्मक दृष्टि से हमारे प्रदेश के अन्दर देशी चिकित्सालय एलोपैथिक चिकित्सालयों से अधिक हैं। उस तुलनात्मक दृष्टि से भी यह धनराशि हमारे लिये बहुत हास्यास्पद ही हो सकती है, यह विडम्बना का विषय है।

मेरी क्षुद्र बुद्धि से तो चिकित्सा क्षेत्र में सेवाओं का समाजीकरण हमारी सरकार का सर्वप्रथम कर्तव्य होना चाहिये। रोगियों के लिये कष्ट निवारण और प्राण दान यज्ञ के इस पावन कार्य में पूंजीवादी प्रवृत्ति के लिये कोई स्थान नहीं होना चाहिये। मेरा निवेदन है कि सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में समाजीकरण का दृढ़ संकल्प करे और उसका श्रीगणेश लखनऊ के विश्व-विद्यालय, कानपुर और आगरा के मेडिकल कालेज से होना चाहिये। मौलिक अनुसन्धानों और गवेषणाओं के लिये प्राइवेट प्रैक्टिस बड़ी हानिप्रद सिद्ध हो रही है। अतः प्राइवेट प्रैक्टिस इन विद्यालयों के प्रोफेसर्स के लिये आज्ञाभित नहीं होनी चाहिये। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन विद्यालयों के जीवन काल में इन की गवेषणायें और अनुसन्धान नगण्य हैं। यह उनके लिये लज्जास्पद नहीं तो और क्या कहा जा सकता है ?

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित क्वीन मेरी अस्पताल और गांधी स्मारक अस्पतालों पर राज्य कोष से २० लाख रुपये की धनराशि व्यय होती है। उन पर हमारे सदन और सरकार का नियंत्रण होना चाहिये और वहां के डाक्टर्स की सेवायें हमारे प्रदेशीय मेडिकल सर्विस का एक अंग बननी चाहिये, जिस से उन का स्थानान्तरण किया जा सके।

इस के अतिरिक्त हमारे प्रदेश में प्रचलित जितनी भी हमारी देशी शिक्षा पद्धतियां हैं और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति में भी सामन्जस्य होना चाहिये। कितना अच्छा होता यदि स्वास्थ्य की सभी सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल पहले जिले के स्तर पर हों, तत्पश्चात् धीरे-धीरे तहसीलों के स्तर तक ले जाये जाते, बाकी स्थानों पर बी० ऐम० बी० एस० स्नातकों और देशी चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा कराई जाती तो इसी धनराशि में अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सकता था।

श्रीमन्, मेरे पूर्व वक्ता ने प्राकृतिक चिकित्सा पर जोर दिया है। मैं कह सकती हूं कि जल वायु द्वारा चिकित्सा हमारे प्रदेश के नागरिकों और ग्रामीणों के लिये बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। इस में धन भी कम व्यय होता है। अतः मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि अपने प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को भी पूर्ण प्रोत्साहन दिया जाय, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी सभी राजनीतिक व धार्मिक आदि क्षेत्रों में क्रांति के नवीन मार्गों का प्रदर्शन किया था। अतः चिकित्सा जगत में भी हम प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली द्वारा विश्व को नवीनतम मार्ग प्रदर्शित कर सकेंगे। तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि यह प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति हमारे

प्रदेश की बहुत पुरानी पद्धतियों में से एक है। इस से हमारे प्रदेश की परिस्थितियों के अनुकूल हमारे प्रदेश की जनता अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सकती है।

अतः मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--श्रीमन्, बाबू झारखंडेराय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उस का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। उन्होंने सरकार की चिकित्सा और जनस्वास्थ्य की नीति के सम्बन्ध में जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनसे अपनी पूरी सहमति प्रकट करता हुआ कहना चाहता हूं कि चिकित्सा की वास्तविक नीति इस पिछड़े हुए, गरीब प्रदेश में जहां तरह-तरह की पद्धतियां काफी आगे जा चुकी हैं, क्या होनी चाहिये उसकी तरफ मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा अपना विचार है कि इस क्षेत्र में हम को विदेशों की नकल नहीं करनी चाहिये। अपने देश में कुछ प्रयोग हुये हैं, उनसे हमें लाभ उठाने की चेष्टा करनी चाहिये। आपको ज्ञात होगा कि हिन्दू विश्वविद्यालय काशी और अलीगढ़ यूनीवर्सिटी में एक प्रयोग किया गया है। वहां पाश्चात्य और पौर्वात्य दोनों ज्ञानों में सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की गई है। यह जरूर है कि वहां के अध्यापकों में कुछ विभागीयता आ गई और कुछ और दोष आ गये और जो मूल उद्देश्य इस विद्यालय के स्थापना का था, वह बहुत हद तक पूरा नहीं हो सका, लेकिन मेरा अपना विचार है और चिकित्सा मनोविज्ञान के विद्यार्थी के नाते मैं दावे के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक देशी पद्धति का प्रश्न है बहुत से क्षेत्रों में वह यूरोपीय पद्धतियों से आगे गई है और आज भी बहुत से अच्छे-अच्छे डाक्टर्स ने हमारी देशी औषधियों से बड़ी अच्छी-अच्छी दवाइयां तैयार की हैं। मैं एक चिकित्सा मनोविज्ञान की विद्यार्थी की हैसियत से रांची मिटो अस्पताल में था और मैं बताऊं कि वहां मानसिक रोगियों को एक औषधि दी जाती है, जिसको सर्पाइन कहते हैं। वह औषधि कुछ नहीं है सर्पगन्धा है जो आयुर्वेदिक औषधि है।

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैं एक प्रश्न अपने मित्र से करना चाहता हूं। आप वहां डाक्टर थे या विद्यार्थी थे?

श्री रामायणराय--मैं वहां मानसिक रोगों की चिकित्सा का एक विद्यार्थी था और इसी हैसियत से मैंने वहां अध्ययन किया है। मेरा समय नष्ट न करें। मेरा विशेष परिचय आपको बाद में मिल जायगा। समय कम है।

जहां तक नीति का प्रश्न है हम को एक ऐसी सामंजस्यपूर्ण नीति का आश्रय लेना चाहिये जिससे कि पौर्वात्य और पाश्चात्य दोनों ज्ञानों से हमारे देश के लोग लाभान्वित हो सकें।

श्रीमन्, यह पुस्तिका जो आज हमें दी गई है इसकी तरफ ध्यान दिलाता हूं। इसे देखकर मुझे बाबू झारखंडेराय जी के शब्दों को फिर से दोहराना पड़ता है कि इस में कहीं सोशलिस्टिक पैटर्न की कोई योजना चिकित्सा के सम्बन्ध में नहीं मिलती। इसमें कोई ऐसी योजना नहीं मिलती, जिससे यहां के गरीब लोग लाभ उठा सकें। चिकित्सकों को मालूम है कि नाना प्रकार के रोगों के पीछे कुछ मौलिक बीमारियां होती हैं। अगर उनका उन्मूलन कर दिया जाय तो शेष रोगों से हम गरीबों को मुक्त कर सकते हैं। रूस वगैरह देशों में जहां भी जनता को स्वस्थ्य रखने और लाभ पहुंचाने की चेष्टा की गई वहां सब से पहले आपको जानना चाहिये कि वी० डी० (वेनरल डीजीजेज) के खिलाफ कंपेन शुरू किया गया। कंसेंट्रेशन कैम्प्स खोले गये और जिन लोगों की छूत से दूसरों को नुकसान हो सकता है उनको कैदियों की तरह से एक स्थान पर इकट्ठा किया गया। उन को स्वस्थ बनाया गया। बरखिलाफ़ इसके अमरीका में अरबों रुपया खर्च किया गया, लेकिन आज तक वहां पर इस तरह के रोगों का उन्मूलन नहीं हो सका।

[श्री रामायणराय]

माननीय मंत्री जी को हंसी आती होगी बी० डी० के नाम पर, लेकिन यह एक तथ्य है और स्वास्थ्य विज्ञान के पंडित जानते हैं कि यह जहर ऐसा है कि जिस से तमाम बीमारियां फैलती हैं और इस बजट में ऐसे मौलिक रोगों को रोकने के लिये कोई विशेष योजना नहीं दी गई।

इसके अलावा आज सारा योरोप, अमरीका जिस नयी चिकित्सा पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं--साइको सोमेटिक--उस का लाभ उठाने की चेष्टा नहीं की गई। यह कहा गया है कि साइकिक सेन्टर हम खोलेंगे, मानसिक रोगों की चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे, लेकिन मनुष्य जो है वह मन और शरीर, अलग अलग से नहीं बना हुआ है। वह दोनों एक साथ रहते हैं। तो एक ऐसी पद्धति जो हमारे मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रख सके उसकी व्यवस्था इसमें हो सकती थी, जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

आज चारों तरफ अनारकी हो रही है। यह प्रवृति आज हम को हर जगह मिलती है जो आज हमारे जीवन और धन दोनों को बुरी तरह बरबाद कर रही है। अभी आप के सामने बाबू झारखंडेरायजी ने स्थानीय भ्रष्टाचार के बारे में जो कहा, बहुत से लोगों की समझ में वह नहीं आया होगा, लेकिन आ जायगा। स्वास्थ्य के बारे में व्यवस्था हो रही है और जो लोग व्यवस्थापक मंडल में हैं वही ठेके भी लेते हैं। हमी मंजूर करते हैं रुपया, हमी खजान्चो बन कर रुपया भी देते हैं और हमी मकान भी बनाते हैं। ठीक है, इस सदन में नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लखनऊ के लोग जानते हैं कि जो यहां पर हुआ है। दो, तीन ऐसे कंट्रैक्टर्स हैं जिन को बराबर ठेके दिये जाते रहे हैं। वह भी कोई बाहरी लोग नहीं, बल्कि ऐसे लोग हैं कि जिन का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यहां के व्यवस्थापक मंडल से सम्बन्ध रहा है। मैं जानता हूं कि श्री किशोरी लाल जी का नाम लेने से लोग बिगड़ उठेंगे . . .

श्री उपाध्यक्ष--यह आपका नाम लेने का नया तरीका उचित नहीं है।

श्री रामायणराय--मैं उपाध्यक्ष महोदय, नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मेरे पास भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में काफी शिकायतें हैं जिन को मैं आप के द्वारा माननीय मन्त्री जी की सेवा में भेजना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उन की जांच करायी जाय। मैं जानता हूं कि उनमें से भी अधिकांश सदस्य ऐसे हैं कि जो भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहेंगे। तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार यूंही बन्द नहीं हो सकता। जो प्रमोशन दिये जाते हैं, उन में भी इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता है कि कौन सीनियर है, कौन ज्ञानवृद्ध है, किस के पास अच्छी डिग्री है। किसी अन्य क्षेत्र में ऐसा करें तो ठीक भी है, लेकिन चिकित्सा ऐसे क्षेत्र में इस प्रकार की भेद की नीति बरती जाती है, तो बात कुछ समझ में नहीं आती। एक ही आदमी डिप्टी डाइरेक्टर है, वही सर्जन भी है, वही आदमी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता है, और किसी विभाग का हेड आफ दि डिपार्टमेंट भी वही है। तो इस तरह के जो काम चल रहे हैं, उस से चिकित्सा क्षेत्र में भयानक अशान्ति फैली हुई है। लोगों में इस भ्रष्टाचार की चर्चा होती है, कोई खास आलोचना के लिए नहीं, एक स्वस्थ रचनात्मक सुझाव के लिए इन बातों की चर्चा की जा रही है। कुछ बातें ऐसी जरूर हैं कि जिन के लिए मैं माननीय मन्त्री जी को और अपनी सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन--क्या कीजियेगा वक्त खराब करके, आप अपनी बात कहिये।

श्री रामायणराय--हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्दर जो मेडिकल कालेज है, उस में कुछ ऐसे विभाग हैं, जिन विभागों का काम इतना अच्छा रहा है जो प्रशंसा करने योग्य है। हमारे यहां अनुसन्धान का कार्य और शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा रहा है कि केन्द्रीय सरकार को ऊंची से ऊंची मान्यता देनी पड़ी है। मैं निवेदन करूंगा कि अभी तक करीब-करीब ४० मेडिकल कालेज सारे देश में चल रहे हैं। इन ४० मेडिकल कालेजेज में मद्रास में ३ सब्जेक्ट

को केन्द्रीय सरकार ने प्राथमिकता दी । बिहार में एक को दी । विजगापट्टम में १ को दी और हमारे लखनऊ मेडिकल कालेज में दो विषयों को केन्द्रीय सरकार ने सहायता प्रदान की । केन्द्रीय सरकार के विशेषज्ञों ने यह कहा कि इन विषयों में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और वहां पर रिसर्च का काम भी बहुत अच्छा हो रहा है । इसलिए इन विषयों का स्टैण्डर्ड ऊंचा होना चाहिए और यहां की पढ़ाई केन्द्रीय सरकार के हिसाब से होना चाहिए ।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, आज जिस ग्रान्ट पर बहस हो रही है, पब्लिक हेल्थ और मेडिकल वह ग्रान्ट है, जिस में तालीम को मिलाकर सही माने में नेशन कन्स्ट्रक्शन का ग्रान्ट कहा जा सकता है । मैंने यह देखा कि इस ग्रांट के ऊपर और पब्लिक हेल्थ की ग्रान्ट पर जितना रुपया मंजूर हुआ है, उस सब रुपये का अगर हिसाब लगाया जाय तो अन्दाजा यह होता है कि इस सूबे के अन्दर पब्लिक हेल्थ के ऊपर तकरीबन १५ आना फीकस खर्च किया जाता है । देखने में यह रकम बहुत कम है । हम चाहते हैं कि यह रकम ५ रुपया और १० रुपया हो तब हम मुकाबला कर सकते हैं अमेरिका, इंगिलिस्तान और फ्रांस का, लेकिन हम को इस बात को भी याद रखना है कि आज से १० वर्ष पहले जिस वक्त कि हम आजाद हुए तो उस वक्त इस डिपार्टमेंट की क्या हालत थी । अगर हम इस बात का जायजा लें, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि पिछले हेल्थ मिनिस्टर के जमाने में इस सूबे में पब्लिक हेल्थ और मेडिकल में बहुत तरक्की हुई और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे मौजूदा मिनिस्टर भी इस तरक्की को जारी रख रहे हैं । और इस की तरफ आगे कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं । इस में शक नहीं है कि अभी हम को मेडिकल और पब्लिक हेल्थ में बहुत कुछ करना है । यह तरक्की उस वक्त और भी मुमकिन हो सकती है जब कि हम एक प्लाण्ड तरीके पर आयुर्वेदिक यूनानी होमियोपैथिक और एलोपैथिक जो पहले से जारी है इन को आगे चलायें ।

पिछले जमाने में एलोपैथिक की तरफ ज्यादा ख्याल किया गया, क्योंकि वह साइन्स की निगाह से ज्यादा तरक्कीयाफ्ता है । शहरों में उस को ज्यादा लोग बरतते हैं और उसको ज्यादा पसन्द करते हैं, लेकिन जो लोग देहात में रहते हैं वे आयुर्वेदिक, यूनानी या होमियोपैथिक को ज्यादा पसन्द करते हैं, और वहां पर उन के ही ज्यादा मशहूर होने का इमकान है । अभी जिस वक्त जनरल बजट पर बहस हो रही थी तो हमारे एक बुजुर्ग दोस्त ने ऐवान के अन्दर यह फरमाया कि यह सही है कि इस सूबे के अन्दर और इस मुल्क के अन्दर मोरटेलिटी की तादाद कम हो गयी है, लेकिन इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को नहीं है, बल्कि वह इस वजह से हुई है कि मैरिजेज लेट स्टेज में होने लगी हैं । हो सकता है कि मैरिजेज लेट स्टेज में होने लगीं, लेकिन इनका कुछ क्रेडिट अगर हुकूमत को दिया जाय तो सही होगा । उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने भी इस सिलसिले में काफी कोशिश की है । इस मुल्क में एपेडेमिक के खिलाफ सरकार ने बहुत कोशिश की है ।

१५, २० वर्ष पहले हम देखें तो हमारा मुल्क और सूबा प्लेग, चेचक, कालरा और दूसरी बीमारियों से भरा हुआ था । लेकिन आज न इन पर हो बल्कि टी० बी० जैसी बीमारी पर कन्ट्रोल कर लिया गया है । इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि मोरटैलिटी कम होने की वजह सिर्फ लेट मैरिजेज ही है ।

मैं होमियोपैथी के लिए मिनिस्टर साहब को सुझाव देना चाहता हूं और मुझे इस के लिए शायद थोड़ा सा हक भी है, चूंकि मुझे ४।। साल उस में काम करने का मौका मिला है । मुझे माफ किया जाय अगर मैं यह कहूं कि मुझे थोड़ी सी शिकायत है कि इसकी तरफ उतनी तवज्जह नहीं है जितनी होनी चाहिए या जितनी की वह मुस्तहक है । हमारे बजट में जो

[श्री सुल्तान आलम खां]

बन रहा है, वहां भी होमियोपैथी का कालेज वैसा ही बने।

यू० पी० मेडिकल और पब्लिक हेल्थ के एसिस्टेंट्स और प्राविंशियल हाईजीन इन्स्टीट्यूट की तरफ मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इन लोगों की एसोसिएशन का रिप्रेजेण्टेशन आया हुआ है, और उनका मामला भी गौर के काबिल है। इन के साथ जो दूसरी जगहों पर काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहों के इजाफे का सवाल है और उनकी तरफ भी कुछ तवज्जह होनी चाहिए।

अक्सर यहां सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी का जिक्र किया जाता है और इसके सिलसिले में डिसेण्ट्रलाइजेशन और प्राविंशियलाइजेशन का भी सवाल उठता है। लेकिन यह ऐसी बात है कि इसके बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकती। उधर के बैठे हुए लोग इसके लिए कमिटेड हैं, लेकिन हर मौके पर यह सवाल उठाना मुनासिब नहीं है। जिस शख्स को पब्लिक हेल्थ से जरा भी दिलचस्पी है वह डिसेन्ट्रलाइजेशन पसन्द नहीं करेगा। मेरी हमेशा यह ख्वाहिश रही है कि हमारे सूबे का हर अस्पताल, चाहे वह देहात में हो या शहरी रकबे में हो, प्राविंशियलाइज कर दिया जाय। हमारे यहां यह सवाल भी दरपेश है कि हम डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् को रखें या न रखें और रखें तो किस रूप में रखें। उन्होंने दिखा दिया है कि उन का १०, १५ साल का एडमिनिस्ट्रेशन का रेकार्ड इत्मीनानबख्श नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का स्ट्रक्चर ही खत्म किया जाय तो मैं चाहूंगा कि सब अस्पतालों को प्राविंशियलाइज कर दिया जाय। यह भी देखना है कि वहां इक्विपमेंट, दवाइयां और सब चीजें काफी हैं या नहीं।

इस सूबे में ७, ८ साल पहले एक काउन्सिल आफ फिजिकल कल्चर थी। पहले वह एजुकेशन में थी, फिर पब्लिकहेल्थ में गयी और इसके बाद गायब हो गयी। अब एक स्पोर्टस् काउंसिल हमारे सूबे में है, जिसका इस्फेयर और काम महदूद है। मैं चाहता हूं कि काउन्सिल आफ फिजिकल कल्चर की तरफ सरकार की तवज्जह जाय। इंग्लिस्तान में और शायद दूसरे मुल्कों में भी ऐसे कानून हैं जिन से हर शख्स को मजबूर किया जाता है कि वह किसी न किसी किस्म की एक्सरसाइज करे, जिस से नेशनल हेल्थ ठीक हो सके। अगर हमारी गवर्नमेंट भी इस तरफ तवज्जह करे, तो यह पब्लिकहेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होगा। इससे अस्पतालों का खर्चा कम होगा और आखिर में हमारा बहुत सा रुपया बच सकेगा। इस से हमारी सबकी सेहत बेहतर होगी, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। हम इस काबिल होंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे और तन्दुरुस्त लोगों का मुकाबला कर सकेंगे।

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री गयाबख्शसिंह, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*डाक्टर खमानीसिंह (जिला मुरादाबाद)--श्रीमन्, अधिष्ठाता महोदय, यह जो दो ग्राण्ट्स मेडिकल और हेल्थ की आप के सामने पेश हुई हैं उसका बजट ६ करोड़ कुछ रुपये का है। यह बजट हमारे सूबे की आबादी को देखते हुए बहुत कम है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने आदमी हमारे सूबे के हैं उतना ही रुपया इस बजट में है यानी फी कस एक रुपया आता है। इस रुपये के हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमारी तन्दुरुस्ती का क्या हाल होगा। जहां तक इन्सान की जिन्दगी का ताल्लुक है, सब से पहली जरूरत इन्सान को अन्न की है और उस के बाद दूसरी जरूरत दवा की है। अगर इन्सान की तन्दुरुस्ती ठीक नहीं है, तो दुनिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक वह एक इन्सान नहीं कहलाया जा सकता। श्रीमन्, यहीं नहीं, हमें एक बहुत बड़ा [illegible] भी करना पड़ता है। जिस वक्त किसी हमले का खतरा होता है तब मिलिटरी वाले की मदद करते हैं। उनको हर प्रकार की सुविधा पहुंचाते हैं, लेकिन अगर हमारे डाक्टर अच्छे नहीं हैं तो हमारे सिपाही अच्छी तरह से नहीं लड़ सकते। इन सब बातों को देखते हुए इस बात की जरूरत है कि हम जितनी हेल्प इस डिपार्टमेंट को दे सकें उतनी ही थोड़ी है।

श्रीमन्, एक सवाल के उत्तर में माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने यह बताया कि बहुत सी डिस्पेन्सरियां इसलिए खाली हैं कि डाक्टर नहीं मिलते हैं। श्रीमन्, कल मैं एक मेडिकल आफिसर से मिला, तो उन्होंने बताया कि यहां डाक्टरों की कमी नहीं है। लेकिन बात यह है कि जिन डिस्पेन्सरियों में वे भेजे जाते हैं वे डिस्पेन्सरियां खराब हैं, वहां का मैनेजमेंट और इक्विपमेंट ठीक नहीं है, इस लिए वहां लोग जाना पसन्द नहीं करते हैं। इस कारण से देहात में गरीबों को जिन को मेडिकल हेल्प की ज्यादा जरूरत है, उन को वह नहीं मिलती। जो रुपया इस काम पर खर्च होता है उस में ज्यादातर शहर वाले ही फायदा उठाते हैं। मेडिकल अस्पतालों में जो गांव वाले आते हैं, उन को जगह नहीं मिलती। इसके लिए मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेडिकल कालेज में गांव वाले लड़कों की भर्ती किया जाय जिस से पढ़ने के बाद वे गावों में रहें, क्योंकि शहर वाले लड़के शहर में रहना ही पसन्द करते हैं। इसके अतिरिक्त देहात में जो डिस्पेन्सरीज हैं उन की इमारत नहीं है और [illegible]

[illegible] इस किस्म का कानून बनाना चाहिए, जिस से जो क्वालिफाइड हों, उन्हीं को डाक्टरी करने की इजाजत दी जाय और जो अनक्वालिफाइड हों उन को इस किस्म की इजाजत न दी जाय।

श्रीमन्, एक चीज और है। अभी हमारे दोस्त श्री झारखंडे राय जी ने यह कहा कि मेडिकल कालेज और अस्पतालों में बड़ा भ्रष्टाचार है। इस बात को सभी मानेंगे कि भ्रष्टाचार है और बड़ी बदइन्तजामी है। पैसा भी ज्यादा लगाया जाता है और उसको खर्च गलत तरीके से किया जाता है, लेकिन यह कहा जाय कि मेडिकल कालेज में ही भ्रष्टाचार है तथा और जगह नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और जगह भी देखने से मालूम हुआ है कि सब जगह भ्रष्टाचार है। उसकी वजह जानने के लिए मैं अपने दोस्तों से अर्ज करूंगा कि आप को इस बात को देखना है कि फोकस आफ इन्फेक्शन कहां है, ताकि उसका इलाज ठीक तरह से किया जा सके।

श्रीमन्, जहां तक एलोपैथिक पद्धति का ताल्लुक है, सब लोगों का यह ख्याल है कि चिकित्सा की जितनी पद्धतियां हैं, उन में एलोपैथिक पद्धति औरों से आगे बढ़ी हुई है और इसका जो तरीका है वह साइन्टिफिक बेसिस पर निर्भर है। यह तरीका ऐसा नहीं है जो ऊटपटांग सा हो। श्रीमन्, मैं आप से अर्ज करूंगा कि जितने होमियोपैथिक डाक्टर हैं, उन में ९५ परसेंट ऐसे हैं जो साइनबोर्ड तो लगाये हुए हैं होमियोपैथी का, लेकिन इलाज एलोपैथिक का ही करते हैं। बहुत से वैद्य भी ऐसे हैं जो एलोपैथिक का ही इलाज करते हैं, जब कि उनका साइनबोर्ड वैद्य का ही है। श्रीमन्, यह तरीका बहुत गलत है। इस लिए कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए, ताकि जो आदमी जिस चीज में क्वालिफाइड हो, वह उसी में प्रैक्टिस करे। उस को यह एलाऊ न हो कि वह कई किस्म की प्रैक्टिस कर सके।

[डाक्टर खमानी सिंह]

अभी तीन चार दिन हुए, मैंने अखबार में यह देखा कि एक लड़के की मौत हो गयी. उन पर तीन डाक्टरों को सजा दी गयी। बहुत ठीक, मैं बहुत खुश हुआ, कि इस किस्म की गलती पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही हुई। जो लोग इस किस्म की हरकतें करें उन को इस तरह की सजा देनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारा यह भी खयाल है कि जब कोई आदमी बीमार होने की वजह से छुट्टी मांगता है और उस को छुट्टी नहीं दी जाती, जिसकी वजह से उन की मौत हो जाती है, तो ऐसे आदमी को भी सजा देनी चाहिए जो छुट्टी न देने का जिम्मेदार हो।

देहातों में जितनी डिस्पेंसरीज हैं उन में इण्डोर पेशेन्ट्स के रहने के लिए कोई इन्तजाम नहीं है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। वहां इण्डोर पेशेण्ट्स के रहने के लिए इन्तजाम करना बहुत जरूरी है। जब तक इण्डोर पेशण्ट्स के रहने का सही इन्तजाम नहीं होगा, तब तक ज्यादा अच्छी तरह से इलाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि जितनी आउटडोर डिस्पेंसरीज हैं, उन में इण्डोर पेशेण्ट्स के रहने का भी इन्तजाम किया जाय।

मैं आप से केवल दो बातें और कह दूं। कल हमारे माननीय मन्त्री श्री अली जहीर साहब ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि एक बच्चा अपनी मौत से मर गया। मेरा खयाल है कि यहां इस तरह के जवाब देना, जब कि यहां एक दो क्वालिफाइड आदमी भी हैं उनके लिए शोभा नहीं देता। उन को भी जानना चाहिए कि मौत कोई बीमारी नहीं है, उससे कोई मर नहीं सकता, मौत तो एक रिजल्ट है वह कोई काज नहीं है, काज तो उस का कोई बीमारी ही हो सकती है, मौत कोई वजह नहीं है। इसी तरह से एक साहब की जेल में मौत का जिक्र आया तो मन्त्री जी की तरफ से कहा गया कि वह आदमी ऐनीमिया और जनरल डेबिलिटी से मर गया। यह तो उस की जनरल कण्डीशन थी, उसकी भी मौत का कारण कुछ और ही रहा होगा। जनरल डेबिलिटी का भी तो कोई काज होगा मैं चाहता हूं कि जो डाक्टर ऐसी नेग्लिजेंस करते हैं और इस तरह के कारण बताते हैं, उनके खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि सही वजूहात क्यों छिपाते हैं और ठीक बीमारी क्यों नहीं बताते हैं। इस लिए मैं आखिर में अर्ज करूंगा कि यह ग्रान्ट बहुत कम है और इस को बढ़ाया जाय।

कुमारी कमलकुमारी गोइन्दी (जिला इलाहाबाद)—माननीय अधिष्ठाता जी, सर्वप्रथम तो मैं आप को धन्यवाद देती हूं कि आप ने मुझे इस वाद विवाद में हिस्सा लेने को थोड़ा सा समय दिया। मैं माननीय मन्त्री जी को इस मांग के लिए जो उन्होंने अनुदान संख्या १९ और २० के अन्तर्गत मांगी है, समर्थन के लिए ही खड़ी हुई हूं, जहां तक इस विभाग के काम का सम्बन्ध है मैं अपने दस वर्षों के तजुर्बे से कह सकती हूं कि जिस तरह से इस विभाग ने इस काम को आगे बढ़ाया है, उसके लिए वे मुबारक बाद के पात्र हैं। हमारी जनता अभी इतनी गरीब और निस्सहाय है कि उसके अन्दर एक दो, तीन या चार वर्ष में कार्य होने वाला नहीं है। मैं अपने अनुभव से बता सकती हूं कि किस तरह से कर्मचारियों ने हमारे साथ मिलकर काम किया है और कैसे वह संकट को दूर करने में सहायक रहे हैं। मैंने स्वयं सैकड़ों की तादाद में रिकेट के केसेज ले जाकर डाक्टरों के साथ मिलकर ठीक कराये हैं और मैं तरह-तरह की बीमारियों के केस लेकर उन के पास पहुंची हूं और डाक्टर भी जनता के सच्चे हितैषी और सहायक के रूप में उनके साथ पेश आये हैं, दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन आया है। उनकी इस सराहना के लिए मैं एक किताब लिख सकती हूं और उन की जितनी प्रशंसा की जाय वह कम है। मैं बताना चाहती हूं कि इलाहाबाद के कर्मचारी आजकल इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं कि कहीं से भी उन को बीमारी की इत्तिला होती है, तो वह वक्त कम होते हुए भी पूरे जोर से जाते हैं और इत्तला की बात ही नहीं वह इशारे पर ही जाते हैं। वहां पर नम्बर पर दवा मिलती है और जो भी सहायता जनता की हो सकती है, वह होती है।

यह जो ६ लाख रुपया गर्भवती स्त्रियों को दूध बांटने के लिए रखा गया है, मैं ने पिछले दस साल से स्वयं दूध बांटा है, और विमेन कान्फ्रेंस की ओर से भी बांटा है। मेरा अनुभव है कि यह दूध बहुत कम स्त्रियों को मिल पाता है, पहले यह धनराशि केवल ३ लाख ही थी, अब ६ लाख हो गयी है। करीब ५० लाख स्त्रियां इस प्रान्त मे हर साल गर्भवती होती हैं। इस लिए यह रुपया बहुत कम है। मेरा अनुभव है कि लोअर मिडिल (lower middle) क्लास और मोहमडन क्लास की स्त्रियां बहुत कम दूध लेने आती हैं और घर पर जाने पर भी दूध मुश्किल से लेती हैं और किस तरह से उसका प्रयोग होता है उसका वर्णन करना कठिन है। गरीब जनता को सामने रखते हुए मेरा सुझाव है कि इस ६ लाख की धनराशि से अगर आप गाय और भैंस खरीद कर गरीब ग्रामीण जनता में बांट दें, तो इस से जरूरतमन्द लोगों के पास दूध भी पहुंच सकता है और दूध भी इतना होगा कि जितना आप इस धनराशि से नहीं खरीद सकते। इसके अलावा जो सोशल वर्कर्स हैं उनका ध्यान और कामों मे लग सकेगा। इस से एक फायदा यह भी होगा कि काफी लोगों को इस से काम भी मिलेगा और अनएम्प्लायमेंट भी दूर होगा। अगर आप फ्री नहीं दे सकते तो तकावी के तौर पर दीजिये, इस से करोड़ों रुपये की गायें और भैंसें जनता में पहुंच जायेंगी।

मेरे पूर्व वक्ता ने यह कहा कि गांवों की तरफ ध्यान नहीं है। मेरे खयाल से ऐसा नहीं है कठिनाई क्या है? वह यह है कि जितने डाक्टर, नर्सेज और मिड-वाइव्ज ट्रेन्ड होती [illegible]

[illegible] न काम मिलता हो चला आता है। मेरी कांस्टीट्युएंसी में २ लाख की आबादी है, लेकिन एक भी मिडवाइफ वहां पर नहीं है, जब कि हेल्थ आफिसर चाहते हैं कि वहां पर एक तो रहे। मेरा सुझाव है कि जितना का पैसा खर्च करके मेडिकल कालेज खोले जाते हैं, नर्सेज और मिडवाइव्ज को ट्रेन्ड करने में जितना खर्च होता है, उन के केन्द्र देहातों मे खोले जायं। भले ही वह सड़कों के किनारे हों। उससे लाभ यह होगा कि जो मरती हुई औरतें लायी जाती हैं, मैं आपको नहीं बता सकती कि उनकी क्या हालत होती है, आधा बच्चा बाहर और आधा भीतर, तो अगर गांव में ही यह सुविधा होगी, तो वहीं निकट ही इलाज हो सकता है। दूसरे यह कि गांवों में अस्पताल के लिए तथा और कामों के लिए इमारतें बनेंगी तो गांव की जनता को काम मिल सकेगा। इसके अलावा सब से अधिक लाभ यह होगा कि हमारा दृष्टिकोण बदलेगा जो अभी तक नहीं है। अगर गांव के वातावरण में हम ने ट्रेनिंग पायी होगी, वहां की सुविधाओं और असुविधाओं को समझते होंगे, तो शहर के सुनहलेपन की तरफ नहीं भागेंगे।

इसलिए हमें वहीं ट्रेनिंग दे दी जाय, जहां कि सेवा हम से करवानी हो। वहीं स्कूल हो जाय, वहीं कालेज हो जाय, ताकि काम अच्छी तरह से चल सकें। यह भी लाभ होगा कि जितनी आजकल ऊपर की जाति की स्त्रियां हैं, वह अब कुछ नर्सिंग मे आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। नर्सिंग में स्त्रियों की कमी है, उन को अवश्य आना चाहिए, लेकिन वह आती हैं तो हरिजन स्त्रियों का काम वह छीन रही हैं। अगर ट्रेनिंग गावों में होंगी तो वहीं की औरतें ट्रेण्ड होकर वहीं सेवा कर सकेंगी। इस लिए थोड़े से जो मैंने सुझाव दिये, वह इस लिए कि धन इतना कम है और बीमारी इतनी ज्यादा है कि उस को हम एक हिसाब से लगा सकें और गरीब जनता तक एक एक पैसे का हिसाब पहुंचा सकें। यह न हो कि १०० रुपया खर्च करें, दस रुपये का लाभ पहुंचे। श्रीमन्, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आप ने मेरे सुझावों को ध्यान से सुना होगा।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज चिकित्सा और जनस्वास्थ्य की जो मांग है प्रायः ६ करोड़ रुपये की, उस पर हमारे साथी श्री झारखंडे राय जी ने जो कटौती के प्रस्ताव पेश किये हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हूं।

[श्री देवनारायण भारतीय]

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा सब से पहले सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने आयुर्वेद की ओर जो उपेक्षा की दृष्टि रखी है उस से हमें सन्तोष नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—और ज्यादा उपेक्षा करें ?

श्री देवनारायण भारतीय—मैं समझा नहीं आपने क्या कहा ? अच्छा ठीक है। तो यों कहिये कि आप आयुर्वेद को मिटा ही देना चाहते हैं। लक्षण तो ऐसे ही हैं आपके। छः करोड़ रुपये के बजट में ३२ लाख रुपये का प्राविजन आयुर्वेद के लिए करना यह इस बात का प्रमाण है कि आप उपेक्षा की ओर कितना आगे बढ़ रहे हैं। मैं बतलाना चाहता हूं और मेरे और साथियों ने भी इस बारे में कहा है कि देहात की जनता को हम अस्पतालों से जिन में एलोपैथी के द्वारा इलाज होता है उतना लाभ नहीं पहुंचता। देहात की जनता उन अस्पतालों तक इलाज कराने पहुंच नहीं पाती और अगर पहुंच भी जाती है, तो वहां के डाक्टर, वहां के कर्मचारी वैसी ही उपेक्षा का व्यवहार उन के साथ करते हैं जैसे हमारे मन्त्रिगण इस समय बजट का प्राविजन करते समय यहां अपना व्यवहार दिखला रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे प्रान्त की आबादी प्रायः साढ़े छः करोड़ है और उस साढ़े छः करोड़ में एक करोड़ ऐसे लोग होंगे कि जो नगर अथवा उसके समीपवर्ती स्थानों में रहते होंगे। प्रायः साढ़े पांच करोड़ जनता ऐसी है कि जो देहात में रहती है। इसलिए मेरे विचार से इस एलोपैथी और आयुर्वेद में इस रकम का वितरण भी इसी रेशियो से होना चाहिए कि साढ़े पांच हिस्सा उसका देहात के लिए आयुर्वेद के द्वारा व्यय किया जाय और एक हिस्सा एलोपैथी के द्वारा नगरों में व्यय किया जाय और उससे नगर के लोग लाभ उठायें और जो आयुर्वेद पर व्यय किया जाय उस से देहात के लोग लाभ उठावें।

मैं सदन के सामने आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि आज एलोपैथी हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा दो सौ वर्षों से है। जब से योरपीय लोगों का हमारे देश में आगमन आरम्भ हुआ, तभी से एलोपैथी पद्धति भी हमारे देश में आयी। उससे पहले यहां केवल आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति द्वारा ही इलाज होता था। इन २०० वर्षों में एलोपैथी को जो इतनी प्रधानता मिली उसका कारण था अंग्रेजों का राज्य। अंग्रेज लोगों को गये दस वर्ष बीत चुके हैं और इन दस वर्षों में हम को चाहिए था जिस प्रकार हम उन की और चीजों का तिरस्कार कर रहे हैं उसी प्रकार इस एलोपैथी के रोग को भी हम को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वह रोग बदस्तूर कायम है। मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे इस बात का प्रयत्न करें कि अंग्रेजों के साथ साथ वे एलोपैथी प्रथा को भी इस देश में खत्म करें। मैं इस बात को मानता हूं कि कुछ रोगों में एलोपैथी में विशेष रूप से लाभ होता है, तो उसका हम उतना ही उपयोग करें और उन अच्छी बातों को हम उस में से ले लें और जो अधिकांश बुराइयां हैं जो हमारे देश में जलवायु के प्रतिकूल हैं, उन को हम छोड़ दें और उन के स्थान पर हम आयुर्वेद को ग्रहण करें।

आयुर्वेद एक परिपक्व इलाज व्यवस्था है और हजारों वर्ष से इस देश में चालू है। आयुर्वेद के ज्ञाता चरक, सुश्रुत और बागभट्ट जिनके नाम हमारे भारतवर्ष में ही नहीं संसार में प्रसिद्ध हैं आज से हजारों वर्ष पहले उन्होंने आयुर्वेद पद्धति को सम्पूर्ण कर दिया था, उस में किसी प्रकार की कमी नहीं रह गयी थी। एलोपैथी बावजूद सब प्रकार के समर्थन के भी आज उस पूर्णता को नहीं पहुंच सकी है, जिस पर आयुर्वेद आज से हजारों वर्ष पहले पहुंच चुका है। एलोपैथी के बहुत से इलाजों के बारे में नये नये विचार प्रकट होते हैं। बी० सी० जी० के बारे में हमारे देश के प्रमुख नेता राजगोपालाचारी ने अपना भिन्न मत प्रकट किया है। चेचक के टीके के बारे में बहुत से डाक्टरों का मत है कि चेचक का टीका शरीर के लिए भारतवर्ष के जलवायु में हानिकारक होता है। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि एलोपैथी आज भी, बावजूद इसके कि उस को सरकार की ओर से समर्थन प्राप्त है, परिपक्व नहीं है। इन बातों की ओर ध्यान देते हुए हमें आयुर्वेद की ओर ज्यादा ध्यान देना है।

दूसरी सब से महत्वपूर्ण बात, श्रीमन्, यह है कि आयुर्वेद इलाज हर बीमारी के लिए बड़ा सस्ता और सुगम है और एलोपैथी बड़ी कष्टसाध्य पद्धति है जिस मे हमारे देश के गरीब लोग व्यय का भार नहीं उठा सकते। इस लिए भी हम आयुर्वेद का अधिक समर्थन करने के लिए मजबूर हैं। इस लिए मैं सरकार से यह चाहूंगा कि जितने व्यय मे वे एक एलोपैथिक औषधालय खोलते हैं उतने ही व्यय मे वे चार ऐसे आयुर्वेद के औषधालय खोल सकते है। देहात के जीवन में आयुर्वेद की पद्धति से इलाज किया जाय।

मैं श्रीमन् के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां मेडिकल कालेजेज से पास-शुदा डाक्टरों को प्रोत्साहन देते हैं वहां झांसी आयुर्वेद कालेज, पीलीभीत आयुर्वेद कालेज और काशी विश्वविद्यालय आयुर्वेद कालेज से पासशुदा वैद्यों को भी देहातों मे एलोपैथी अस्पताल न खोल कर आयुर्वेद औषधालयों को खोल कर प्रोत्साहन दिया जाय। वे एलोपैथी का भी ज्ञान रखते हैं और जिन-जिन रोगों मे एलोपैथी की आवश्यकता हो उस मे वे एलोपैथी की भी सहायता ले सकते हैं और अधिकांश इलाज अपने आयुर्वेद द्वारा कर सकते हैं।

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि देहातों मे आगे जितने औषधालय या अस्पताल खोले जायं, तो उन मे आयुर्वेद कालेजेज के पासशुदा डाक्टरों को रखा जाय और आयुर्वेद पद्धति को इलाज के लिए प्रधानता दी जाय। मैं इन शब्दों के साथ श्री झारखंडे राय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला राय बरेली)----माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा यह निश्चित मत है कि यह मद मनुष्य के जीवन की पहली मद है अगर स्वास्थ्य और चिकित्सा का प्रबन्ध उचित नहीं हो तो संसार के काम के लिए मनुष्य बेकार हो जायंगे। उत्तर प्रदेश मे जैसा कि झारखंडे राय जी ने कहा कि गरीबी ने घर कर लिया है तो जहां गरीबी है, भुखमरी है और ९० प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और उन में अज्ञानता है और यहां तक है कि चिकित्सा की ओर ध्यान न देकर देवी देवताओं में आस्था रखकर मरीज को अच्छा करने के फालोअर हों और गांवों में बड़ी गंदगी है कि घर से निकले और कूड़ा दरवाजे के सामने डाल दिया। इस तरह की उन लोगों की भावना है।

इसके साथ ही साथ यहां के लोग ऐसे हैं जिन को मिलावट करने में और रुपये के आगे दूसरे की जिन्दगी को लेनें में जरा भी हिचक नहीं होती है। ऐसी जटिल समस्याएं इस प्रदेश में हैं। तो मैं समझता हूं कि इस विभाग के काम करने वालों की और मन्त्री जी की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। मैं समझता हूं कि इस विभाग के कर्मचारी और मन्त्री जी बड़े सौभाग्यशाली हैं, जिनको मनुष्यों की इस दिशा में सेवा करने का मौका मिला है, मैं उनको बधाई देता हूं। इस विभाग ने बड़ी भारी सेवा की है।

मैं मोटे तौर पर बताना चाहता हूं कि १९४६-४७ में १७४.३४ लाख रुपये इस विभाग पर खर्च होते थे जो १९५६-५७ में ५४२.०९ लाख रुपये हो गये। मेरे कहने का मतलब यह है कि पर कैपिटा एक्सपेंडीचर १९४६-४७ में ४ आने ११ पाई था वह १९५६-५७ में १४ आने ४ पाई हो गया। इतना ही कह देने से माननीय सदस्य समझ सकते हैं कि इस विभाग ने थोड़े से समय में कितनी तरक्की की है।

इसके साथ ही साथ मैं यह समझता हूं कि १९४६-४७ में यहां डेथ रेट १५.६ थी, जो अब ९.८ है यह इसकी तरक्की करने का प्रत्यक्ष और ज्वलन्त उदाहरण है। इसके साथ ही साथ आप देखें कि इस प्रदेश में तराई के हिस्से होने से मलेरिया फैलती है, छुआछूत की बीमारी होती है और कालरा फैलता है। कालरा के बीज नेपाल से आ जाते है। इन कारणों से यहां की समस्याएं बड़ी जटिल हैं, लेकिन आप देखें कि इस तरफ भी रोक थाम के लिए सरकार

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

प्रयत्नशील रही है। मलेरिया से १९४७ में १०.७ प्रति हजार मृत्यु होती थीं जो अब .९४ प्रति हजार मृत्यु होती है। इस से साबित होता है कि छुआ छूत और मलेरिया के भयंकर बीमारियों पर काबू पाने के लिए सरकार ने किस प्रकार कोशिश की है।

इसके साथ ही साथ टी० बी० एक इतना भयंकर रोग है, जिस से इस सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य वाकिफ है। गांवों से तमाम टी० बी० के मरीज हम लोगों के कमरों में शरण लते हैं और हम लोगों के पैरों पड़ते हैं कि उनका इन्तजाम किया जाय। आंसू निकल आते हैं जब टी० बी० के अस्पताल में जाते हैं। कुछ प्रकृति का भी प्रकोप है कि टी० बी० की बीमारी बढ़ रही है। लेकिन सन् १९४६ में जहां केवल ३१७ बेड्स टी० बी० के थे, वहां अब १,०५६ बेड्स का इन्तजाम है। इस प्रकार टी० बी० के रोग से लड़ने के लिए हमारी सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है।

अभी एक कट मोशन पेश करते हुए श्री झारखंडेराय जी ने कहा कि स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सरकार की नीति का कोई पता ही नहीं है। उन्होंने वहां समाजवाद ढूंढने की कोशिश की। यद्यपि झारखंडे राय जी के समाजवाद को सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं उन को बताना चाहता हूं कि चिकित्सा विभाग की ओर से जच्चा बच्चा कल्याण की योजना, श्रमिकों के स्वास्थ्य की योजना, कुष्ट रोगियों के लिए आश्रम, जो टी० बी० के रोगी लाचार और गरीब हैं उन को मुफ्त सहायता और मिनिस्टीरियल फंड से रुपया देने का इन्तजाम तथा नगरों में शिशुओं के खेलने

स्था कहेंगे ? मैं नहीं।

मिया और टाटा के बच्चे कोई खास सुविधा पायेंगे और हमारे गरीब के बच्चे सुविधा नहीं पायेंगे। मैं समझता हूं कि उन में गरीब और अमीर सभी के बच्चे जा सकते हैं। साथ ही साथ टी० बी० के गरीब मरीजों के लिए और खास तौर से हरिजनों के लिए इस बजट में जो व्यवस्था माननीय मन्त्री जी ने की है वह समाजवाद की ओर एक क्रान्तिकारी कदम है। यह सम्भव है कि पैसे की तंगी की हालत में वह उतना न कर सकें, लेकिन उनकी नीति की पिक्चर हमारे सामने है। झारखंडे राय जी न मालूम किस चश्मे से देखते हैं कि उन को कुछ दिखलायी ही नहीं पड़ता है। यह कोई अधिक बुद्धिमानी की बात नहीं है। वैसे वे मुझ से बुजुर्ग हैं, मैं उनका लिहाज करता हूं।

साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि मिलावट के लिये सरकार की ओर से उसे रोकने का कोई इन्तजाम नहीं है। मिलावट एक ऐसी चीज है जिससे हर एक माननीय सदस्य को तकलीफ है और वह सोचा करता है कि इस दिशा में क्या कदम उठाया जाय, जिससे इसको खत्म किया जा सके और सरकार भी इसके लिये चिन्तित है। जो पुस्तिका स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बंटी है उसके पेज १८ को अगर वे देखते तो उसमें उनको लिखा हुआ मिलता कि ४,४६६ मुकदमे एडल्ट्रेशन के सरकार ने चलाये। उनमें से २,०५६ अदालतों द्वारा कन्विक्ट हुए। इसके बाद मेरी समझ में नहीं आता कि बगैर इनको पढ़े हुए किस तरह से टीका कर दी जाती है।

उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न रोगों के अन्वेषण के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारी सरकार कैन्सर रोग के लिये, मस्तिष्क के रोगों के लिये और नेत्र रोगों के लिये और न जाने किन-किन के लिये अध्ययन कराने की कोशिश कर रही है और मेडिकल कालेज में अभी हाल ही में पैथोलाजी की बिल्डिंग तैयार हुई है। इसके बाद भी किस तरह से कह दिया जाता है मेरी समझ में नहीं आया।

एक बात मैं प्राइवेट प्रैक्टिस के सिलसिले में कहना चाहता हूं। मेरी ही नहीं, जितनी कमेटीज और जितने एक्सपर्ट्स हैं सबकी यही राय है। भोर कमेटी, खेर कमेटी, और गुडएनफ कमेटी जो इंगलैण्ड में सन् १९४४ में बैठी थी और खुद कैबिनेट की कमेटी ने भी यही राय दी है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं उनकी इत्तिला के लिये बतलाना चाहता हूं कि भोर कमेटी सन् ४४ में नहीं ४६ में बैठी थी।

श्री रामेश्वरप्रसाद—आप जब कहें तो सोच समझ कर कहें। मैं इंगलैण्ड की गुड एनफ कमेटी के लिए कह रहा था और उसी का रेफरेंस कर रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि इन सब कमेटियों की राय है कि प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द हो जानी चाहिये। इससे मेडिकल कालेजों में टीचिंग व रिसर्च को बहुत नुकसान पहुंचता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर सोचेंगे क्योंकि वे खुद इस ही दिशा में दिलचस्पी रखते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री महोदय के चिकित्सा अनुदान में राय साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, आप जानते हैं कि यह विभाग ऐसा है, जिसमें काम करने वाले समाजसेवा की दृष्टिकोण से काम करते हैं, लेकिन रामायणराय जी ने भी और राय साहब ने भी बताया है कि इसमें भी भ्रष्टाचार इतना अधिक हो गया है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। एक तरफ टी० बी० का मरीज कराह रहा हो और दूसरी तरफ उससे रिश्वतें ली जा रही हों। आज के युग में इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती और यह चीजें बन्द हो जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें मंत्री जी भी पसन्द नहीं करते। आज आजादी प्राप्त होने के १० साल बाद भी अस्पतालों के कर्मचारियों में यह भावना नहीं है कि वे आजाद हिन्दुस्तान के नागरिक हैं और उन्हें एक आजाद नागरिक की तरह से यह अनुचित बातें नहीं करनी चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि इस तरह की बुराइयों का अन्त होना बहुत जरूरी है।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है आपसे वह यह कि अस्पताल तो बहुत ज्यादा खुल गये हैं यह तो सही है, लेकिन यह भी सही है कि मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। आप जानते हैं कि मरीज बहुत काफी बढ़ रहे हैं, हमारे जिले में एक पिंडरा अस्पताल है। वहां का मैंने निरीक्षण किया। वहां के लोग, कंपाउन्डर, नर्स, डाक्टर, सब काफी होशियार हैं, काफी अनुभवी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वहां जो गवर्नमेंट से मदद मिल रही है वह केवल १५० रुपये सालाना की है। आप सोचिये कि जिस अस्पताल में रोजाना १०० मरीज आता हो और उसकी सालाना मदद १५० रुपये की हो तो उससे उस इलाके के लोगों को कितना फायदा हो सकता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि केवल इमारत बना देने या औजार दे देने से ही पूरा फायदा लोगों को नहीं हो सकता, दवाई का पूरा इन्तजाम भी होना चाहिये। वहां देहात के लोग गरीब हैं, खेतिहर मजदूर हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि कीमती दवायें खरीद कर अपना इलाज करायें। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे देहातों के अस्पताल की ओर अधिक ध्यान देने की कृपा करें।

(इस समय ३ बज कर ५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

तीसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह कि हमारी सरकार और हमारे मंत्री महोदय को देशी दवाइयों पर कुछ कम भरोसा है। उनको एलोपैथिक के साथ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक तथा देहाती जड़ी बूटियों का फायदा उठाना चाहिये। हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि हम पीछे नहीं जाना चाहते हैं। उनकी यह बात सुनकर मुझे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

बड़ा ताज्जुब होता है। आज विज्ञान का युग है यह हम मानते हैं, लेकिन इस युग में भी हम अपनी पुरानी दवाइयों का फायदा उठा सकते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आज हमारा ध्यान देहाती दवाइयों की तरफ जाना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि आप इस विज्ञान के युग में आगे न जाकर पीछे जाइये, लेकिन साथ-साथ इसका भी फायदा आपको उठाना चाहिये।

एक बात और यह कि ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से एक साहब ने फरमाया कि हमको समाजवादी समाज की बात रोजाना नहीं करनी चाहिये। उन्होंने कहा कि झारखंडे राय जी का जो समाजवाद है उसको सभी जानते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज आप जिस समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब यह नहीं होता कि एक तरफ मरीज मर रहा हो और दूसरी तरफ आपके कर्मचारी उसको रिश्वत देने को मजबूर करे। समाजवाद का मतलब यह होता है कि हर आदमी को अच्छी दवा मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा कपड़ा मिले, उसके पढ़ने-लिखने की व्यवस्था अच्छी हो, उसके रहने की उचित व्यवस्था हो, उसको पूरा रोजगार मिले और मैं कहना चाहता हूं कि इसका प्रयोग आज नहीं हो रहा है। महात्मा गांधी जी ने जैसा कहा था उसका प्रयोग आज केरल में हो रहा है। उसके लिये आज आपके महामंत्री परेशान हैं। वहां महात्मा गांधी के कहे अनुसार ही लोग चल रहे हैं। महात्मा गांधी का जो रामराज्य था उसका प्रयोग आज वहां हो रहा है और मैं समझता हूं कि अगर आप लोगों ने अपनी नीति और रंग को नहीं बदला और आप केवल कांग्रेस टिकट पा कर सरकारी तरफ बैठने भर को ही सब कुछ समझते रहे और इस तरह से असलियत पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहे तो आज एक केरल है कल सारे देश में केरल ही केरल हो जायंगे और इसलिये मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि आप महात्मा गांधी के बताये रास्ते पर चलने की कोशिश करें।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इस सदन में काफी समय से जन स्वास्थ्य और चिकित्सा के अनुदानों पर विवाद चल रहा है। यह नितान्त सत्य है कि इस प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा के सम्बन्ध में काफी प्रगति हुई। पिछले वर्षों में जो कार्य इस प्रदेश में हुआ है उससे हमारे प्रदेश के जिले संक्रामक रोग से बचे रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस प्रदेश में देवस्थान और तीर्थस्थानों की कमी नहीं है। उन तीर्थों पर मेलों के अवसर पर जो प्रबन्ध इस विभाग के द्वारा किया गया वह सराहनीय है। मैंने स्वयं हरिद्वार में कुम्भ के मेले पर देखा कि कहीं मक्खी देखने को नहीं थी। जिस प्रकार से हमारे समाज के लिये संक्रामक रोगों से दूर रखने का प्रयास स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग ने किया है सरकार उसके लिये प्रशंसा की पात्र है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने इस ओर काफी प्रगति की है और दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है। उसके अन्तर्गत हमारे प्रदेश में मेडिकल कालेजों की स्थापना, नये अस्पतालों की स्थापना और क्षय रोग के अस्पतालों की स्थापना की जा रही है और हमारा विश्वास है कि हम शीघ्र ही अपने उस लक्ष्य पर, कि प्रत्येक ५ मील की दूरी पर हमारी चिकित्सा का प्रबन्ध हो और समाज के लोग रोग ग्रस्त होकर न मरें, हम पूरा कर सकेंगे।

किन्तु मान्यवर, मुझे आपके द्वारा सरकार से यह भी निवेदन करना है कि जिस प्रगति के साथ हमारे इस प्रदेश में चिकित्सा को व्यापक बनाने और चिकित्सा का लाभ समाज तक पहुंचाने की जो व्यवस्था की जा रही है उस पर हमें एक दृष्टि डालनी है कि हमारे प्रदेश की जनता की आर्थिक स्थिति क्या ऐसी है कि हम उस पर इतनी महंगी विदेशी चिकित्सा का भार डालें। हम जानते हैं कि रोग और मुकदमेबाजी मनुष्य

के जीवन में ऐसे हैं कि वह कर्ज लेकर भी उसका सामना करता है। हम भूल नहीं सकते कि हमारे प्रदेश में ऐसे साधारण परिवार हैं, जो रोग के समय में उनके घर की महिलाओं के जेवरों को बेंचकर रोगियों की सेवा और चिकित्सा करते हैं। जिस प्रगति के साथ इस चिकित्सा के द्वारा हम अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, उसमें मुझे इस बात का सन्देह है कि हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति उसके अनुकूल है। मै यह भी नहीं चाहता कि इस विज्ञान के युग मे हम विज्ञान का फायदा न उठायें। मै इस बात पर विश्वास रखता हूं कि प्रत्येक ऐसा उपाय जिसमे समाज का कल्याण हो उसको हमे प्रयोग मे लाना चाहिये और इस वैज्ञानिक युग मे जो नवीन साधन हों उनका प्रयोग करना चाहिये, किन्तु यदि कोई दूसरा उपाय भी ऐसा हो सकता है कि जिसके द्वारा हम इस कार्य को कर सकते हैं तो हमे उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। इस देश मे स्वतन्त्रता के बाद देश एवं प्रदेश के रहने वाले, बड़ी संख्या मे, लोगों को यह आशा थी कि देश की स्वतन्त्रता के बाद जिस प्रकार से हमारे उद्योगों का , विज्ञान का, संस्कृति का उत्थान होगा उसी प्रकार भारतीय चिकित्सा का भी विकास किया जायगा। किन्तु मुझे दुःख है कि प्रदेशीय सरकार प्रयास करने के बाद भी आयुर्वेद की उपेक्षा को न बचा सकी।

पिछले वर्षों में प्रदेश की सरकार ने अनेक ऐसे प्रयास किये। हमने पत्रों में, मीटिंगों में और फाइलों में अनेक प्रकार की योजनाओं को देखा, किन्तु खेद है कि आज तक वे योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो सकीं। मुझे कई बार मेडिकल की स्थायी समिति में भी बैठने का अवसर मिला, कितनी ही बार यह विचार सामने आया कि जिला स्तर पर देशी चिकित्सा पद्धति के लिये कोई उपाय किया जाय, क्षय रोग के लिये इस चिकित्सा पद्धति के अनुसार योजनाएं बनीं। लेकिन आज तक वे योजनायें कार्यान्वित नहीं हो सकीं। यहां पर स्टेट आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना हुई, लेकिन आज तक भी इस कालेज की स्थिति बड़ी दयनीय है। वहां के कर्मचारियों को अपनी सर्विसेज पर विश्वास नहीं है, उनको आज तक भी स्थायी नहीं किया गया। कालेज अस्पताल में केवल ३६ रोगी शय्याएं हैं। मेडिकल कालेज में एक छात्र की जानकारी और प्रैक्टिकल के लिये १० रोगी शय्याओं का प्रबन्ध है, जब कि आयुर्वेदिक कालेज में ४० विद्यार्थियों के लिये केवल ३६ शय्याओं का ही प्रबन्ध है। हमारे प्रदेश में लगभग ६०० आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, जो सरकार द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन वहां पर न तो चिकित्सालय के लिए स्थान का प्रबन्ध है, न रोगियों के रहने का और न चिकित्सक के आवास का ही प्रबन्ध है। वहां के चिकित्सक ऐसे बीहड़ इलाकों में रहते हैं, जो अन्य शहरों और कस्बों से अलग है, दुर्गम मार्ग है, जंगली इलाके हैं दूसरे चिकित्सक वहां जाने में संकोच करते हैं। किसी-किसी स्थान पर तो छोटी सी कोठरी में ही औषधालय और रहने का स्थान है। इस प्रकार इसकी ओर सरकार की निरन्तर उपेक्षा की दृष्टि रही है।

मैं आपके द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की यह मांग है कि इस पद्धति के उत्थान के लिये पृथक से संचालक की नियुक्ति की जाय। मैं किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहता और न किसी की मनोवृत्ति पर सन्देह ही करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि अलग-अलग विज्ञान भिन्न-भिन्न चिकित्सा पद्धति हैं। इसलिये दूसरे विज्ञान को न समझने के कारण कार्यो में अक्सर रुकावट होती है। जिला स्तर पर भी इसका प्रबन्ध उत्तम नहीं है, लेकिन आयुर्वेद निरीक्षक को कोई अधिकार नहीं है, उसके पास कार्यालय के लिए न अच्छे मकान है और न क्लर्क ही हैं। इस चिकित्सा पद्धति के साथ जो सरकार का व्यवहार है उस पर मुझे बड़ा खेद है। पिछले वर्षों से इस सदन की यह मांग रही है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिये अलग से संचालक की नियुक्ति हो। जनतंत्र प्रणाली का यह तरीका है कि जनता के प्रतिनिधियों की मांग को महत्व दिया जाय। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में माननीय स्वास्थ्य मंत्री

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

जो इस ओर अवश्य ध्यान देंगे। इसलिये नहीं कि इस चिकित्सा पद्धति को हम जबर्दस्ती लादना चाहते हैं, परन्तु मेरा तो अब भी यह विश्वास है कि करोड़ों रुपया जो हमारे देश से दवाइयों के नाम पर विदेश जाता है, न सिर्फ इसके द्वारा हम उसको रोक सकेंगे बल्कि जनता को एक सस्ती चिकित्सा भी दे सकेंगे। अगर यह देश इस देशी चिकित्सा विज्ञान का विकास नहीं कर सकता तो सर्वदा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ ही रहेगा।

श्रीमती विद्यावती बाजपेयी (जिला हरदोई)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बजट पर बधाई देने के लिये खड़ी हुई हूं। इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारी सरकार ने इस ओर जो प्रगति की है, वह सराहनीय है। हमारी सरकार ने इस पंचवर्षीय योजना में १४१ नये एलोपैथिक अस्पताल और ५३ देशी अस्पतालों की स्थापना की है और ऐसी उनकी योजना है कि पांच-पांच मील पर एक अस्पताल कायम किया जाय, जिससे हमारे देश का कोई आदमी बिना दवा के न रह सके। उनकी यह योजना काफी सराहनीय है। इस थोड़े से काल में चिकित्सा सम्बन्धी जितनी उन्नति हुई है मेरी राय में वह बहुत भारी उन्नति है और सभी उसको मानने के लिये तैयार होंगे।

शिक्षा की ओर भी काफी प्रगति की गयी है। कई मेडिकल कालेज खोलने की व्यवस्था सरकार ने की है। कानपुर का मेडिकल कालेज तो बन कर तैयार भी हो गया है। अब लखनऊ, कानपुर और आगरा में मिला कर ३०० विद्यार्थी प्रति वर्ष एम० बी० बी० एस० कोर्स के लिये, लिये जायंगे। श्रीमन्, यह एक बहुत बड़ी चीज है। मैं समझती हूं कि इससे हमारे देश में जो डाक्टरों की कमी है वह पूरी होगी, परन्तु एक बात मुझे स्वास्थ्य मंत्री जी से जरूर कहनी है और वह यह कि अभी भी महिला डाक्टरों की संख्या बहुत कम है और उसको बढ़ाया जाय, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में स्त्रियों की संख्या भी पुरुषों की संख्या से ज्यादा ही है और बीमारी भी ज्यादातर स्त्रियों को ही होती है। मैं समझती हूं कि महिला डाक्टरों की संख्या ज्यादा बढ़ानी चाहिये, जिससे ज्यादा महिला डाक्टर तैयार हो सकें। इसके अलावा श्रीमन्, मेडिकल कालेज में बहुत से नये-नये डिपार्टमेंट्स खुले हैं जैसे दन्त चिकित्सा विभाग, बायलाजी डिपार्टमेंट, इस तरह के बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, जिनसे आज कल जनता को काफी सुविधायें प्राप्त हो रही हैं। ज्यादा नर्सेज और हेल्थ विजिटर्स के लिये भी बहुत से मैटरनिटी सेंटर खोले गये हैं जिनसे काफी ट्रेन्ड दाइयां निकल रही हैं, परन्तु अभी भी वे हमारे देश के लिये बहुत कम हैं और मेरी स्वास्थ्य मंत्री जी से यह प्रार्थना है कि इस ओर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है, ताकि ये दाइयां गांवों में जाकर वहां की जनता को अधिक लाभ पहुंचा सकें। मेटरनिटी सेंटर भी गांवों में ज्यादा खोलने चाहिये, क्योंकि शहरों में तो बहुत से अस्पताल हैं और उनके लिये बहुत सी फैसिलिटीज हैं, प्राइवेट डाक्टर्स भी हैं। लेकिन अभी भी देहात की स्त्रियों को बहुत अधिक कष्ट है, क्योंकि वहां ट्रेंड दाइयां नहीं मिलतीं और अस्पताल भी काफी दूरी पर हैं। इसलिये दाइयों को ट्रेंड करके गांवों में भेजने की व्यवस्था मेरी राय में ज्यादा होनी चाहिये।

इसके अलावा मैटर्निटी होम, मलेरिया निरोधक योजनाएं वगैरह की ओर भी हमारी सरकार ने काफी प्रगति की है। क्षय रोग से बचाव के लिये बी० सी० जी० का इन्जेक्शन अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मेरी राय में आज कल प्लेग, हैजा, चेचक की बीमारी पर भी काफी कंट्रोल कर लिया गया है, जिससे हमारे यहां की मृत्यु संख्या भी पहले से बहुत कम हो गयी है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को दूध देने की सरकारी योजना भी बहुत प्रशंसनीय है, परन्तु उससे भी हमारे गांव की गरीब महिलाओं को बहुत कम फायदा पहुंच रहा है, जैसा कि एक मेरी बहन ने कहा था कि गांवों की स्त्रियों को इन चीजों की ज्यादा फैसिलिटीज प्राप्त होनी चाहिये। श्रीमन्,

इसी के साथ-साथ बच्चों के स्वास्थ्य पर भी हमारी सरकार की ओर से काफी ध्यान दिया गया है। लखनऊ के मेडिकल कालेज में वेल बेबी सेन्टर, न्यूट्रीशन क्लीनिक भी खुले हैं, जहां छोटे-छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है और अब वहां पर अधिक से अधिक तादाद में बच्चे आने लगे हैं और अब बहुत सी गरीब माताएं भी अपने बच्चों को लाकर वहां से फायदा उठाती हैं। यूनीकेफ के द्वारा भी हमारे प्रान्त में बहुत काम हुआ है। इससे हमारे यहां की जनता को और हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। मैं चाहती हूं कि इन सेन्टर्स के लिये स्थायी डाक्टरों की नियुक्ति की जाय और उनको एक नियंत्रित रूप से चलाया जाय। इस समय वहां डाक्टर घंटे दो घंटे के लिये जाते हैं और इतने से ज्यादा काम नहीं हो पाता और उनकी भी कठिनाई है कि वे थोड़ा ही समय वहां दे पाते हैं। अगर वे स्थायी और नियंत्रित रूप से वहां काम कर सकें तो बहुत लाभ हो सकता है।

इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने फेमिली प्लानिंग की ओर भी थोड़ा सा कदम उठाया है. लेकिन वह अभी काफी नहीं है। हमारे देश में अभी फेमिली प्लानिंग की बहुत सख्त जरूरत है। बड़े-बड़े बोर्ड तो हमें सड़कों के किनारे दिखाई देते हैं, जिनमें लिखा होता है कि फेमिली प्लानिंग अच्छी चीज है, उसमें हिदायतें भी दी हुई हैं और लिखा रहता है कि डाक्टरों की सलाह ली जाय, लेकिन वह डाक्टर कहां मिलेंगे, किस समय मिलेंगे इसका कोई निर्देश उसमें नहीं रहता। मैं समझती हूं कि अगर इन बोर्ड्स के ऊपर क्लीनिक का पता और कन्सल्टेशन का समय भी दे दिया जाया करे तो जनता को काफी लाभ और सुविधा हो सकती है, क्योंकि हमारे देश की जनता बहुत अनभिज्ञ है और अशिक्षित क्या, पढ़े-लिखे आदमियों को भी जब तक पता न हो वे भी क्लीनिक तक नहीं पहुंच सकते।

ऐसा सुना जाता है कि डाक्टर लोग गांवों में या पहाड़ी क्षेत्रों में जाने को तैयार नहीं होते हैं। कारण इसका यह है कि वहां उनके रहने की उचित सुविधा नहीं होती और उनके बच्चों को शिक्षा आदि का कोई उचित प्रबन्ध वहां नहीं होता। मेरा सुझाव है कि ऐसे स्थानों के डाक्टरों को कुछ कन्वेयन्स अलाउन्स या विलेज अलाउन्स दिया जाय तो अच्छा फल हो सकता है, इससे डाक्टरों का उत्साह गांव में जाने के लिये बढ़ेगा और उनकी वहां की तकलीफें कम हो जायंगी और जनता की भी परेशानी घट जायगी।

अन्त में मै एक विषय पर माननीय मंत्री जी का ध्यान और आकर्षित करूंगी और वह यह है कि हमारे देश में बहुत से ऐसे बच्चे देखने में आते हैं कि जो अपनी मेण्टल और फिजिकल कमजोरी के कारण पढ़ने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बच्चों के लिये सरकार को ऐसे सेन्टर्स खोलने चाहियें कि जिनमें इन बच्चों की जांच हो और उनको दस्तकारी या कोई हाथ के काम सिखाये जायं। इस तरह से हम ऐसे बच्चों को अपने माता-पिता के ऊपर जिन्दगी भर भार बने रहने से बचा सकते हैं। ऐसे केन्द्र दिल्ली में भी हैं और मैं आशा करती हूं कि यहां भी इस ओर मंत्री जी विशेष ध्यान देंगे और ऐसे केन्द्र यहां भी खुलवायेंगे। अन्त में मैं अपनी ओर से और जनता की ओर से माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—उपाध्यक्ष महोदय, जनसाधारण को भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधा मिलने के बाद यही चिन्ता पैदा होती है कि उसके वह कष्ट, उस की वह विपदायें जो किसी रोग के कारण उत्पन्न होती हैं, कैसे दूर हों। इसलिये यह जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है उसका हमारे जनजीवन से और सर्वसाधारण के जीवन से बड़ा गहरा सम्बन्ध है और इसलिये इन अनुदानों का हर माननीय सदस्य को समर्थन करना चाहिये, लेकिन हमारे सामने रुपयों का प्रश्न नहीं रहता और न इस बात

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

का प्रश्न रहता है कि हमने पिछले साल कितना रुपया खर्च किया था और इस साल कितना खर्च करने जा रहे हैं, बल्कि हमारे सामने प्रश्न यह रहता है कि कौन सी वह नीति है जिसको बनाकर हम इस सार्वजनिक धन को व्यय करने जा रहे हैं और उसके साथ-साथ यह भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हम जो कुछ पैसा इस अनुदान की मद में खर्च करने जा रहे हैं उसके खर्च करने से क्या हमें उतना ही लाभ प्राप्त होगा ? जब मैं इस कसौटी पर मंत्री जी के अनुदानों को रखता हूं तो मैं अपने को असमर्थ पाता हूं उनके प्रस्ताव का समर्थन करने में और फिर विवश होकर माननीय झारखंडेराय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ता है और समर्थन कर रहा हूं ।

श्रीमन्, हमारे इस प्रदेश में ४ तरह की पद्धतियां हैं, जिनके अनुसार यहां चिकित्सा होती है---आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति , यूनानी, ऐलोपैथी और होम्योपैथी पद्धति। इनमें से दो का सम्बन्ध विदेशों से और दो का सम्बन्ध हमारे देश से है । हमारे देश से जिन पद्धतियों का सम्बन्ध है, आयुर्वेदिक और यूनानी, वे ऐसी हैं जिनके चलाने में हमें किसी तरह का विशेष खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती । वे हमारे लिये सरल हैं, सस्ती हैं, लेकिन खेद है कि हमारी सरकार का ध्यान इन दोनों पद्धतियों की ओर कम रहता है और विदेशी पद्धतियों की ओर ज्यादा रहता है । आप देखें कि जो ४ करोड़ १५ लाख की मांग की गई है इसमें अपनी देशी पद्धति के लिये सिर्फ २७ लाख रुपये की मांग की गई है और यह मुश्किल से ६ प्रतिशत है । तो मैं चाहता हूं कि इस देश में और खासतौर पर प्रदेश में अपनी देशी पद्धति को उन्नत करने के लिये, उसका प्रचार करने के लिये, विकास के लिये ज्यादा व्यय किया जाय और उसका अच्छी तरह से प्रचार किया जाय, उसके लिये अच्छे कालेजेज खोले जायं, जिनमें विद्यार्थी वैद्य आकर शिक्षा प्राप्त कर सकें और इन चिकित्सा पद्धतियों को और भी ज्यादा विकसित करने में सफलता प्राप्त कर सकें । आवश्यकता इस बात की भी है कि इस तरह के आयुर्वेदिक औषधालय और अधिक खोले जायं ।

श्रीमन्, यहां पर जो प्रोमोशन होता है, उसमें कितना पक्षपात होता है इसके मैं आपके सामने एक-दो उदाहरण रखना चाहता हूं । न तो किसी तरह की योग्यता का खयाल रखा जाता है, न प्रवीणता का खयाल किया जाता है, सीनियारिटी जूनियारिटी का भी खयाल नहीं रखा जाता । श्रीमन्, एक आदमी बहुत नीचे से ऊपर उठ जाता है और उसका परिणाम यह होता है कि जितने डाक्टर और जितने लोग इस क्षेत्र में हैं उनमें उत्साह नहीं रह जाता है कि वे रुचि से इस क्षेत्र में काम कर सकें । आपके लखनऊ में एक नया तजुर्बा किया गया । एक छोटे सिविल सर्जन साहब हैं वे नुस्खा भी लिखते हैं और डायरेक्टर के दफ्तर में डिप्टी डायरेक्टरी भी करते हैं । यहां पर अजीब तरह का प्रयोग चल रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष---यह बात माननीय सदस्य कह चुके हैं । दोहराने की कोई जरूरत नहीं। श्री रामायणराय जी कह चुके हैं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---श्रीमन्, जरा आप अस्पतालों का हाल देखिये । मैं उन्नाव के अस्पताल का हाल देखता हूं कि उस की स्थिति धर्मशाला से घटिया नहीं है । अस्पतालों में मरीज आते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है और किसी तरह से अगर उनको पर्चा मिल भी गया तो यही मालूम होता है कि जैसे जेल में २६,२८ नम्बर की दवाइयां मिलती हैं, वही इन अस्पतालों में मिल रही हैं । किसी तरह का कोई सुधार नहीं है । आंकड़े दिये जाते हैं कि इतने करोड़ आदमियों ने अस्पताल आकर दवाई ली, लेकिन मेहरबानी करके मंत्री जी ने यह भी आंकड़े दिये होते कि इतने करोड़ आदमियों ने बाहर से दवाई ली और तब उनकी तकलीफ दूर हुई है । तो प्रदेश की जनता को पता चल जाता कि असली

हालत क्या है। अस्पताल से दवाई मिलती नहीं, बाहर से इंजेक्शन लाना पड़ता है और तब कहीं अपने इलाज को दुरुस्त करा पाते हैं। और उसका यश लूटती है यह सरकार कि इतने करोड़ लोगों ने हमारी दवा से फायदा उठाया है। श्रीमन्, लखनऊ मेडिकल कालेज की हालत देखिये. इनमें टी० बी० के मरीज और जिन लोगों का हड्डियां टूटती हैं वह लोग आते हैं। दो-दो तीन-तीन महीने उनको वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता है और जब बेड खाली होते हैं तब उनका इलाज हो पाता है। जरा कल्पना कीजिए कि जो आदमी विकलांग है, जिसको इतना कष्ट हो रहा है, जिसको दर्द है, उसकी हड्डी अगर दूसरी जगह जुड़ गई या कोई दूसरी बीमारी उसको पैदा हो गई तो उसका उत्तरदायित्व किस पर है? डाक्टर पर है, इस सरकार पर है, माननीय मंत्री जी पर है या किस पर है? मैं यह समझता हूं कि यह सब लोग अपनी जिम्मेदारियों से अलग होकर यह कहेंगे कि इसकी जिम्मेदारी भगवान् पर है। ये लोग इसकी जिम्मेदारी भगवान् पर छोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान् पर जिम्मेदारी छोड़ने से यह लोग अपने उत्तरदायित्व से बरी नहीं हो सकते। पैथालाजिकल डिपार्टमेंट तथा फार्मेकोलाजिकल डिपार्टमेन्ट के बारे में माननीय रामायणराय जी ने अपने भाषण में बतलाया कि वह डाइरेक्टरेट में आ गया है। खुशी की बात है। जिन डाक्टरों की कृपा से और जिनकी मेहनत से ऐसा हुआ है उनको हमें और भी सुख-सुविधाएं प्रदान करना चाहिये। लेकिन इसी तरह और भी विभागों को उनका अनुकरण करना चाहिए। अन्त में एक बात अपने माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जब हमारे प्रदेश में हैजा फैलता है, महामारी फैलती है, तब वह तपाक से उत्तर देते हैं कि साहब यह बनारस का प्रसाद है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश में कुछ ऐसे रोग हैं कि जिनका सम्बन्ध वंशपरम्परागत होता है। उन रोगों के फैलाने के केन्द्र खुले हुए हैं। वह वृत्ति जारी है जिसके कारण रोगों की वृद्धि हो रही है। उनको रोकने के लिये यह सरकार क्या कर रही है? आज हम चाहे कुछ नहीं कहें। लेकिन वंशपरम्परागत रोग वह जिन लोगों के बच्चों को लगेंगे वह इस सरकार को और माननीय मंत्री की नीति को, जिसके कारण आज वह रोग फैल रहे हैं, दोषी ठहरायेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं कि इन दोनों अनुदानों पर बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं इस वजह से सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जी को कोई एतराज है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमें तो इसमें कभी ऐतराज न हुआ न है।

श्री उपाध्यक्ष—तो अब हम साढ़े पांच बजे तक बैठेंगे।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में जो चिकित्सा और जनस्वास्थ्य के बारे में अनुदान श्री स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और उसके लिये जो कटौती का प्रस्ताव श्री झारखंडेराय जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, किसी भी देश के लिये स्वस्थ मनुष्यों की आवश्यकता होती है। यदि मनुष्य स्वस्थ है तो उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है और जब स्वस्थ मस्तिष्क होता है तभी वह ठीक प्रकार से सब कार्य भी कर सकता है। परन्तु यह स्वास्थ्य सम्बन्धी धनराशि जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत की गई है वह अपने उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए बिलकुल ही थोड़ी है। श्रीमन्, कुल ४,१५,२२,७०० रुपया चिकित्सा के लिए और

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

१,६७,७६,८०० सौ रुपया का जनस्वास्थ्य के लिए मांगा गया है। जब कि उत्तर प्रदेश की आबादी करीब ७ करोड़ के हैं। तो इतनी थोड़ी धनराशि और इसी में सारी चीजें शामिल हैं। हास्पिटल बनाना, औजार, दवाई अन्यान्य डाक्टरों की तनख्वाह सभी चीजें इसी में शामिल हैं। तो मेरी समझ में नहीं आया। एक व्यक्ति पर औषधि की दृष्टि से मैं समझता हूं कि ४ आने से ज्यादा एक साल में खर्च नहीं आता।

फिर उसमें भी देशी औषधियां हैं, उनके लिये बहुत कम धनराशि रक्खी गई है। श्रीमन्, अधिकतर रुपया औषधियों के रूप में विदेशों में चला जाता है। आज हम अपने स्वास्थ्य के लिये विदेशों की कृपा पर निर्भर हैं। यह विचार करने की बात है कि अगर विदेशों से किसी वक्त हमको दवाएं न प्राप्त हो सकें तो उस वक्त हमारी क्या हालत होगी। कई बार मौके आये हैं जब पेनिसिलीन के एक-एक इंजेक्शन के लिये जो १ रुपये में आज मिलता है, २०,२० रुपये देने पड़ते थे और वह भी बड़ी मुश्किल से मिल सकता था। यदि हमारी सरकार भारतीय औषधियों पर अनुसंधान करे और उस पर निर्भर करे तो ज्यादा मुनासिब होगा। जब ये विदेशी औषधियां नहीं थीं तब हमारे देश में यहां की औषधियों से काम होता था। आज एक अस्पताल खोलने व विदेशी दवाइयों को मंगाने में पर्याप्त मात्रा में धन व्यय होता है, जबकि आयुर्वेदिक औषधालय खोलने में थोड़ा ही धन व्यय होता है। गांव में तो आयुर्वेदिक औषधालय खोलकर देहाती जड़ी बूटियों में ही काम चलाया जा सकता है, लेकिन हमारी सरकार उनको प्रोत्साहन देने में बिलकुल उदासीन है। देशी औषधियों के लिये जो धनराशि इस अनुदान में मांगी गई है उसी से साफ जाहिर हो जाता है।

दूसरी बात यह है कि मेडिसिन बोर्ड ने वैद्यों को सर्टिफिकेट देने के लिए कोई मापदंड नियुक्त नहीं किया। अक्सर देखा जाता है कि सरकार की ओर से ऐसे सर्टिफिकेट ईश्यू कर दिये जाते हैं, जो असल में वैद्य नहीं होते, कुछ प्रतिष्ठित आदमियों ने हस्ताक्षर कर दिये कि ४-६ साल से फलां साहब इलाज कर रहे हैं और उन्हें वैद्यक का सार्टिफिकेट मिल जाता है। ऐसे वैद्य उल्टा सीधा इलाज करते हैं। यदि सरकार सख्ती बरते तो जो बिना पढ़े लिखे आदमी सर्टिफिकेट पा लेते हैं, जिन्हें वैद्यक का कोई ज्ञान नहीं होता और जो उल्टे सीधे इलाज करते हैं और देहात के लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे आदमियों को रोका जा सकता है जो गुरुकुल के स्नातक वैद्यक पढ़ कर आते हैं, उनके प्रोत्साहन के लिये सरकार को अधिक जागरूक होना चाहिये।

श्रीमन्, तीसरी बात मैं टी० बी० के अस्पतालों के बारे में कहना चाहता हूं गिनती के लिये सरकार ने ये अस्पताल खोल दिये हैं, लेकिन टी० बी० के मरीजों की लाइन इन अस्पतालों के दरवाजे पर भरती होने के लिये खड़ी रहती है जब कि अस्पताल में चारपाइयां मरीजों के वास्ते केवल २० या २५ ही होती हैं। उनमें भी स्टूडेन्ट्स, टीचर्स और लेडीज के लिये कुछ रिजर्व रहती हैं और दूसरों के लिये बहुत कम रह जाती हैं जबकि यह मर्ज भारतवर्ष में घर कर गया है। ऐसा कोई गांव न होगा जहां काफी तादाद में टी० बी० के मरीज न हों। मैं मंत्री महोदय को यह सुझाव दूंगा कि अधिक से अधिक टी० बी० के अस्पतालों की ओर उनको ध्यान देना चाहिये। इटावे में टी०बी० अस्पताल कायम किया गया है, जिसमें २८ चारपाइयां हैं, जिनमें १० स्टूडेन्ट्स के लिये रिजर्व हैं, कुछ लेडीज के लिये। इस तरह से ८-१० चारपाइयां रह जाती हैं।

किसी को भी अगर महीना डेढ़ महीना बुखार आ गया तो वह टी० बी० का मरीज डिक्लेयर हो जाता है और टी० बी० हास्पिटल में नाम लिखाने के बाद भर्ती होने के लिये उसे साल भर तक इन्तजार करना होता है और साल भर बाद भी कभी-कभी नम्बर नहीं आता। जिसको टी० बी० हो गई हो और साल भर तक प्रवेश पाने के लिये इन्तजार करना पड़े तब जा कर कहीं चारपाई मिले। परिणाम यह होता है कि कितने ही आदमी इलाज होने के बजाय भगवान् के यहां पहुंच जाते हैं। सरकार को इधर ध्यान देना चाहिये, क्योंकि

छूत छात की बीमारी है । यह ऐसी बीमारी है कि अगर एक व्यक्ति को हो गई है और इसको अस्पताल में जगह न मिले तो बहुत से लोगों को टी० बी० हो जाती है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि सरकार को चाहिये कि टी० बी० के अस्पतालों में ज्यादा बेड्स बढ़ायें । इटावा के टी० बी० हास्पिटल में आपरेशन थियेटर के लिये ८९,००० रुपये मंजूर किये गये थे । उनको वापस लेकर किसी और निर्माण कार्य में लगा दिया गया और वहां आपरेशन थियेटर कायम न हो सका । हर साल कई हजार रुपये के औजार आपरेशन थियेटर के लिये वहां भेजे जाते हैं, जिनको जंग लगती है । इनको भेजने से क्या फायदा है जब कि वहां पर आपरेशन थियेटर नहीं बनाया गया है । इटावा में टी० बी० के अस्पतालों में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है । वहां न कोई कुआं खोदा गया है और न नल है और मरीजों को पानी के लिये आधा फर्लांग जाना पड़ता है । सड़क से अस्पताल जाने के लिये रास्ते में न तो म्युनिसिपैलिटी की ही तरफ से और न सरकार की ही तरफ से रोशनी का कोई इंतजाम है । श्रीमन्, मैं मंत्री जी से आपके द्वारा कहूंगा कि जिन बीमारियों से ज्यादा अहित हो सकता है उन पर ध्यान देने की कृपा करें ।

सिविल अस्पतालों में पहले जितनी चारपाइयां थीं उनसे ज्यादा नहीं बढ़ाई गई हैं, जब कि बीमारियां बढ़ गई हैं और मरीज परेशान होते हैं, ऐडमिट नहीं हो पाते हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये । क्योंकि जब तक आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा वह आगे की चीज क्या सोच सकता है, क्या विचार सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं कहूंगा कि सरकार का जो देशी औषधालयों की तरफ उदासीनता का व्यवहार है, उसको छोड़कर ज्यादा ध्यान दिया जाय, ताकि जो व्यक्ति वैद्यक पास कर के पांच साल बाद आते हैं उनको अधिक स्थान मिल सकें और देश की सेवा हो सके क्योंकि इससे सस्ते में इलाज होता है । देहातों में देशी औषधालय खोले जायं तो लोगों को ज्यादा लाभ होगा ।

श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान इधर दिलाना चाहती हूं कि जिला बस्ती में डुमरियागंज में कोई जनाना अस्पताल नहीं है, जिसके कारण अनेक बहिनों की बच्चा होते समय मृत्यु हो जाती है । इसलिये इस क्षेत्र में जनाना अस्पताल खोले जाने की व्यवस्था की जाय । वहां जो मरदाना अस्पताल है, उसको मैं देखने गई थी । वहां बड़ी गंदगी थी । डाक्टर साहब ने बताया कि पांच साल से इसकी सफाई इत्यादि कुछ भी नहीं हुई है । वहां जो सामान है वह सब डेड स्टाक का है । मरीजों को आराम पहुंचाने के वहां कोई साधन नहीं हैं और मरीजों को बड़ा कष्ट होता है । डाक्टर साहब ने यह बताया कि मैंने रिपोर्ट की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है । मैं प्रार्थना करूंगी कि इसकी ओर ध्यान देने की कृपा करें । यह तराई का इलाका है, इसलिये यहां अनेक बीमारियां होती हैं । वहां कोढ़ की बीमारी बहुत ज्यादा फैलती जा रही है । इसलिये इस विषय में भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिये ।

एक अस्पताल इस पार है और उस पार कोई नहीं है, जिससे हमारी बहिनों को बड़ी तकलीफ है । स्त्रियों की तरफ जरा ध्यान देने की कृपा मंत्री जी करें । पुरुषों की तरफ तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन बहिनों की तरफ नहीं दिया जाता है । मैं अपने टूटे फूटे अल्फाज में कहती हूं । हमारी बहिनें जब बोलने के लिये यहां खड़ी होती हैं तो बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जो उस पर मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं । मैं उन भाइयों से यह पूछना चाहती हूं कि क्या आप सदन में आते ही आते सब चीजें सीख

[श्रीमती राजेन्द्र किशोरी]

गये थे । हर चीज के लिये आदमी का अनुभव होता है । सीखते ही सीखते सीखना है। इसीलिये हम लोगों को आगे बढ़ाया गया है । आप लोग अपनी जरूरतों को तो सदन में रखते हैं, लेकिन बहनों की जरूरतों को जब तक बहनें नहीं कहेंगी, तब तक आपको कैसे मालूम होगा। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि जिस ओर अभी हमारी एक बहन ने उनका ध्यान दिलाया है उस ओर वे ध्यान देंगे और जनाने अस्पताल के विषय में जरूर ख्याल करेंगे और डुमरियागंज के अस्पताल की व्यवस्था को खासतौर से देखेंगे। मैं तो यही कहूंगी कि उस अस्पताल का जितना सामान है वह सब डेड स्टाक है और डाक्टर के लिये मैं क्या कहूं, मरीज जाते हैं लेकिन वे कोई तवज्जह नहीं देते फलतः साल में कम से कम ५-६ औरतों की मृत्यु होती है। इनका कारण यह है कि बस्ती से ३१ मील की दूरी पर डुमरियागंज है जहां पर आने जाने के कोई साधन नहीं हैं। इस पार वाली औरतें तो मरदाने अस्पताल में जाकर इलाज करा भी सकती हैं। लेकिन उस पार वालों के लिये कोई साधन नहीं है । जिस वक्त बच्चे के होने में दर्द होती है, आप स्वयं सोचिये कि उस वक्त ३१ मील किस तरह से कोई आ सकता है । इसलिये मंत्री जी से पुनः प्रार्थना है कि जरा हमारे कष्टों की ओर भी ध्यान दें ।

श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान आज सदन के सामने पेश है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस विभाग के मंत्री बड़े सौभाग्यशाली आदमी हैं कि जिन्हें जानवरों और आदमियों, दोनों के स्वास्थ्य को ठीक रखने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है और इसलिये ऐसे काम में सब को सहयोग देना चाहिये । जहां तक रुपये का ताल्लुक है अगर इससे ज्यादा रुपया भी वे मांगते तो उसको देने के लिये सदन को गुरेज नहीं होना चाहिये था । सवाल सिर्फ इस बात का है कि जो रुपया दिया जाता है उसका ठीक इस्तेमाल और एलोकेशन किस तरीके से हो ।

मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो इस सदन में काफी कही गयी हैं । मोटे तरीके पर मेरा ख्याल है कि सरकार इस रुपये को दो भागों में बांट दे, एक प्रिवेन्टिव और दूसरा इलाज करने के सिलसिले में । जो रुपया बीमारियों को रोकने में, इंसानों की सेहत को ठीक रखने में खर्च किया जायगा उसका नतीजा ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, बनिस्बत उसके जो रुपया बीमारियों का इलाज करने में खर्च होता है । और उसके लिये मेरा सुझाव है कि आज हमारे देश में लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में, डायटिक्स के बारे में बहुत कम जानकारी है कि क्या खाना चाहिये । पढ़े लिखे लोगों तक का खाने के बारे में यह ख्याल है कि अगर वे शाम को पराठे और पूरी खाते हैं तो वे हल्का खाना खाते हैं। खोंचा खाना, चाट, पकौड़ी खाना, यह समझा जाता है कि सेहत के लिये मूजिर नहीं है। जब डायटिक्स का ज्ञान लोगों को नहीं है तो हमारे डिपार्टमेन्ट का यह काम होना चाहिये कि वह बताये कि सौ रुपये वालोंके लिये क्या खाना होना चाहिये, दो सौ रुपये पाने वालों के लिये क्या खाना होना चाहिये । एक ऐसी स्टैंडर्डाइज्ड डायट हो कि थोड़ी आमदनी के अन्दर भी अगर वह खाना लोग खायें तो अच्छी हो। इसी तरीके से सेहत की तरक्की के लिये जरूरत है एक्सरसाइजेज की । लोगों के दांत साफ रहें । कोई कैम्पेन आज हमारे देश में हेल्थ कांशस बनाने का नहीं है । महज अस्पताल खोलने से किसी सोसायटी की सेहत ठीक नहीं हुआ करती । सेहत ठीक हुआ करती है जब उसका हर इंसान अपने जिस्म के बारे में जाने कि क्या उसे खाना चाहिये, कैसे मशीन को ठीक रखना चाहिये, उसे इसका ज्ञान हो । इसके बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि आज गांवों के लोगों के अन्दर दतून करने की बात भी हटती जा रही है । दांतों की सफाई वगैरह के बारे में स्कूलों में और दूसरी जगह कोई आंदोलन नहीं है ।

तो हेल्थ कांशस बनाने का जो काम है, जिस के बारे में जानकारी कराना कि कैसे उसको ठीक रखा जाय, हमारी मशीन कैसे बनी है, यह प्रोग्राम भी इस डिपार्टमेंट का होना चाहिये। अगर आधा रुपया भी इस काम पर खर्च किया जाय तो बहुत ज्यादा यूजफुल एक्सपेंडीचर होगा ऐसा मैं समझता हूं ।

खेलों के बारे में, मेरा ऐसा विश्वास है कि स्कूलों में और कालेजेज़ में और सोसाइटी के लोगों में आसन asans की एक्सरसाइजेज़ को पापुलराइज़ किया जाय तो बहुत लाभ होगा, क्योंकि आसन बहुत साइंटिफिक एक्सरसाइजेज़ हैं और इसमें कोई पैसा भी नहीं खर्च होता, वह नर्वस सिस्टम को भी ठीक करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। उसे मास स्केल पर पापुलराइज़ करना चाहिये और यह काम इस डिपार्टमेंट की तरफ से होना चाहिये।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि ज्यादा तर रुपया जो खर्च होता है वह एक खास किस्म की प्रणाली पर खर्च होता है और वह प्रणाली एलोपैथिक प्रणाली कहलाती है। एलोपैथिक प्रणाली के लोगों का ख्याल है और ईमानदाराना ख्याल

करना बेकार है। गो कि मैं डाक्टर इस माने में नहीं हूं, मेडिसिन का डाक्टर नहीं हूं, मगर सोसाइटी का डाक्टर हर पब्लिकमैन को होने की ख्वाहिश होनी चाहिये, उस हैसियत से कहता हूं कि एलोपैथिक सिस्टम जो है वह बहुत अनसाइंटिफिक है। मैं एक बहुत ऐसा स्टेटमेंट आज कर रहा हूं, जिसमें डाक्टर्स बिलबिला सकते हैं और यह समझकर कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत साइंस को समझता हूं। जिस्म के बारे में थोड़ा बहुत समझता हूं। जैसा कि एक लैमेन डाक्टर होता है उस तरह से कहता हूं कि एलोपैथिक परिपाटी बहुत अनसाइंटिफिक है और उसमें इन डाक्टर्स का कसूर नहीं है। इन पिछले सौ सालों में जितनी सोशल साइंसेज़ पैदा हुई हैं वे एकांगी हैं, जीवन ऐज़ ए होल (as a whole) के बारे में उनका ऐप्रोच नहीं होता। जैसे एकनामिक यानी अर्थशास्त्र की साइंस है। वह यह तो कहती है कि गरीबी है, मगर यह नहीं बताती कि गरीबी क्यों है। इसी तरह से एलोपैथिक यह तो बताता है कि दर्द है, लेकिन दर्द क्यों है उसके काजेज़ में वह नहीं जाती। इसीलिये मैं इसको अनसाइंटिफिक कहता हूं। एक तो यह खर्चीली भी बहुत है। एक खास किस्म का ताम-झाम इसके लिये इकट्ठा करना पड़ता है। यह जरूर सच है कि इस इलाज से अधिक इसके औजारों का असर होता है। एक आला होता है उसको इधर लगाते हैं, उधर लगाते हैं, लोग समझते हैं कि बड़ा इलाज हो रहा है, लेकिन मैं काफी तजुर्बे के साथ कह सकता हूं कि बड़े जितने डाक्टर्स हैं, जितने बड़े एक्सपर्ट् स हैं, इनके पल्ले अगर आप पड़ जायं तो पता चल जाय कि कितना साइंटिफिक ट्रीटमेंट है। डेन्टिस्ट है। उसका एक ही इलाज है। आप अपना दांत दिखाइये। दांतों को थोड़ी देर देखने के बाद कहेगा कि आपके दांतों को निकालना चाहिये। डेन्टिस्ट दांत निकालने की बात कहेगा। आपरेशन सर्जन के पास चले जाइये, वह उस चीज का आपरेशन करने को कहेगा। यह उनका एक तरीका सा हो गया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप खुद भी उनसे बचिये और सोसाइटी को भी बचाइए। इनको कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग लोगों के रोगों के बारे मे नहीं होती। मुझे खुद कुछ बातों का तजुर्बा है।

इसके अतिरिक्त आप देखिये कि जितने अस्पताल खुलते जा रहे हैं, इंजेक्शन्स बढ़ते जाते हैं, उतनी ही लोगों में रोगों से लड़ने की ताक़त रेजिस्टेंस की पावर कमी होती जाती है, लोगों में रोगों से लड़ने की ताक़त बढ़नी चाहिये।

इस समय में दूसरे सिस्टम्स की बहस में नहीं पड़ना चाहता लेकिन इतना जरूर खयाल है कि जहां सरकार ने लाखों रुपया खर्च किया है एलोपैथिक पर और-और प्रणालियों पर वहां कुछ थोड़ा सा रिसर्च नेचुरलोपैथी पर भी कर डालिये। वह सब से कम खर्च की चीज है। उसका कहना है कि "डिज़ीज़ेज़ आर इनडिवीज़िबिल" उसको न काटा जा सकता है और न

[श्री गोविन्द सहाय]

जोड़ा जा सकता है। एक जगह पर सिस्टम खराब होता है तो उसके सारे सिस्टम में बीमारियां पैदा होती हैं। आप इस नेचुरलोपैथी को गांव-गांव में पहुंचा सकते हैं। नेचुरलोपैथी को डाइटिक्स के साथ, प्रिवेंटिव ट्रीटमेन्ट के साथ और आसन एक्सरसाइजेज के साथ तथा फिजिकल फिटनेस के साथ-साथ चलाया जा सकता है। इन तमाम चीजों को अगर आप मिला कर करेंगे तो मेरा खयाल है कि पैसे का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल होगा और कम पैसे से लोगों को अच्छा इलाज मिल सकेगा।

एक मिनट में एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। यह सही है कि शिफाखाने बहुत हैं, अगर मैं यह कहूं कि उनमें दवाइयों का कुछ गड़बड़ है तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे आनरेबिल मिनिस्टर साहब जो काफी कुशल हैं, वह हम सब को मुतमईन कर देंगे कि ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक बात बहुत अदब के साथ कहना चाहूंगा...

श्री हुकुम सिंह विसेन--कुछ गड़बड़ जरूर है।

श्री गोविन्द सहाय--बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जब कभी मेम्बर्स आफ दि गवर्नमेंट वहां अस्पतालों में विजिट किया करें तो बजाय नोटिस दे कर जाने के वह बिना नोटिस दिये जाया करें। इस तरह से विजिट करने से जो एक सवाल समाजवादी समाज की स्थापना का यहां बार-बार उठाया जाता है, उसकी कुछ झलक उनको अवश्य देखने को मिलेगी। उसका एक मयार होता है और वह यह कि आया गरीब को, जिसकी कोई सिफारिश नहीं है उसको दवा मिल जाती है या नहीं। अगर किसी गरीब पर बिना किसी सिफारिश के ध्यान दिया जाता है अस्पतालों में तो हम कहें या न कहें, यह मानना पड़ेगा कि हम सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं। अगर हम अपनी विजीलेंस को बढ़ा दें तो यह हो सकता है। अपने जिले की बात मैं कह सकता हूं। मेरी दावत है मिनिस्टर साहब को। उन्हें वहां के अस्पतालों से कुछ नाउम्मीदी होगी। हमारे यहां का एडमिनिस्ट्रेशन भी इस तरह का हो गया है कि कुछ कहा नहीं जाता। एक डाक्टर तबादला हो कर जाता है और दूसरा आ कर पांच छः दिन पड़ा रहता है, फिर उसका तबादला कैंसिल हो जाता है। इस तरह की बातों से मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की एफीशियेन्सी खराब होती है, आपकी भी शान कम होती है और लोगों में बुरा असर पड़ता है। इसलिये मेरी आनरेबिल मिनिस्टर साहब को दावत है कि वे एक बार जिला बिजनौर आयें। यह कहा जा सकता है कि वहां और मिनिस्टर भी जाने वाले हैं, लेकिन उनके बावजूद भी चूंकि मामला कब्जे में नहीं आया है, इसलिये मैं दावत देता हूं इस तरह की और आशा करता हूं कि सरकार ऐसा करके विजिलेंस बढ़ायेगी।

श्री उदय शंकर दुबे (जिला बस्ती)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया कि इस ग्रान्ट की मदों पर मैं अपनी राय जाहिर कर सकूं।

इधर पिछले १० सालों में जो चिकित्सा की मद में और जन-स्वास्थ्य की मद में धन खर्च हुआ है वह लगभग तिगुने के बढ़ गया है और इससे इस सूबे में चिकित्सा की और अस्पतालों आदि की काफी उन्नति हुई है, जिसके लिये यह सूबा सरकार का आभारी है। परन्तु केवल मदों में पैसा डाल देने से ही कुछ विशेष काम नहीं होता है। जो चीज देखने की है वह यह कि रुपये का सदुपयोग होता है ठीक-ठीक अथवा नहीं। मुझे अफसोस है कि बावजूद हमारे मंत्रियों की तमाम अक्लमन्दी और मेहनत के भी रुपये का पूरा-पूरा सदुपयोग नहीं हो पाता है और जो साधारण जनता है उसको जो लाभ मिलना चाहिये वह न मिल कर वह लाभ कुछ थोड़े से उन लोगों को ही मिल पाता है कि जो खुशकिस्मती से कुछ अच्छी पोजीशन में हैं। इस सिलसिले में मेरा पहला एतराज तो यह है कि जो आयुर्वेद सिस्टम है वह एक नेशनल सिस्टम आफ मेडिसिन डिक्लेयर होना चाहिये। जो एक पुस्तिका अभी सरकार की ओर से बांटी गयी है उसमें

बजाय इसके कि आयुर्वेद को नेशनल सिस्टम माना जाय उसे एलोपैथी पूरक सिस्टम आफ मेडिसिन माना गया है। मैं यह अर्ज करूंगा कि इनकी दलील में जाने का यह अवसर नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह आयुर्वेद के साथ और देश की पुरानी दवा की पद्धति के प्रति एक बहुत बड़ा अन्याय है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे और इसकी उन्नति की ओर विशेष ध्यान देकर आयुर्वेद को नेशनल सिस्टम आफ मेडिसिन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।

दूसरी चीज मुझे यह अर्ज करनी है कि इस डिपार्टमेंट में जो स्वास्थ्य का है उसमें बहुत ओवरलैपिंग है। अभी गवर्नमेंट ने तय किया है कि हम ५५ वर्ष से ५८ वर्ष तक सुपरएनुयेशन को रक्खेंगे, लेकिन जब इस डिपार्टमेंट की तरफ हम देखते हैं तो देशी चिकित्सा के डिप्टी डाइरेक्टर महोदय हैं वह ५८ के बाद भी चल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--आप किसी व्यक्ति विशेष के प्रति यहां पर बहस नहीं कर सकते।

श्री उदय शंकर दुबे--मैं एक डिपार्टमेंट की बात कह रहा हूं कि गवर्नमेंट की पालिसी होते हुए भी गवर्नमेंट इस तरफ देखती नहीं है कि जो एक पालिसी बन गयी उसको पूरी तरीके से अमल में ले आवे।

तीसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि आप के जो असिस्टेंट डाइरेक्टर मैटरनिटी हैं। उनका जो स्थान है, मैं सजेस्ट करूंगा कि मिड वाइफ़ हेल्थविजिटर जो उनके यहां रखी गयी हैं इनके दोनों स्थानों को एक स्थान कर देना चाहिये। एक आदमी इन दोनों कामों को अच्छी तरह से चला सकता है और ट्रान्सफर वगैरह का जो काम है उसको भी कर सकता है। उनके यहां एक गजटेड असिस्टेंट है वह लेडी डाक्टर है और जो आपका यहां पर हेल्थ स्कूल हैं उसमें भी इन्चार्ज एक लेडी डाक्टर है। वह लेक्चरार है। इन दोनों के लिये पूरा काम नहीं है। यह काम एक आदमी से हो सकता है। तो मैं अर्ज करूंगा कि यह जो ओवर-लैपिंग है उसमें पैसा अधिक खर्च होता है। जो पैसा अच्छे काम लग सकता है वह बजाय इसके कि इसमें लगाया जाय कुछ जगहें बनाकर उनके कामों को देखने के लिये खर्च किया जाता है।

आपके नर्सिंग स्कूल हैं। वे इस सूबे में १२ हैं। कहीं ४, ५ लड़कियां हैं और कहीं मुश्किल से लड़कियां आती हैं। अगर उनको जाकर देखा जाय तो मालूम हो कि उनकी क्या पोजीशन है। यह भी बहस की जाती है कि लड़कियां घरों से बाहर दूर नहीं जाना चाहती हैं। इसलिये उनकी अलग-अलग जगहें बनाना पड़ता है। मैंने देखा है कि नैनीताल के नर्सिंग स्कूल में लड़कियां यहां प्लेन्स से भेजी जाती है ...

श्री हुकुमसिंह विसेन--नैनीताल में प्लेन्स से कितनी लड़कियां भेजी गई हैं?

श्री उदय शंकर दुबे--वहां के स्कूल में प्लेन्स की लड़कियां हैं, ठीक तादाद में तो मैं इस समय नहीं बता सकता हूं। बजाय इसके कि आप २० जगह स्कूल खोलें और स्टाफ बढ़ाते जावें, यह बेहतर होगा कि एक या दो जगह में कनसंट्रेट कीजिये और वहां प्रशिक्षण का काम कीजिये। अगर आप को पढ़ने वालों की तादाद काफी मिलती है तो आप चाहे जितने स्कूल खोल दें, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन छोटी-छोटी जगहों पर बिला वजह स्कूल खोल कर पैसा बरबाद नहीं होना चाहिये।

एक बात यह है कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि सरविसेज हमारी मिनिस्ट्री पर चढ़ी हुई हैं, न कि मिनिस्ट्री सरविसेज के ऊपर। यह गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेण्ट्स के लिये लागू है। मेरी गुजारिश है कि वह अपनी सरविसेज पर ग्रिप जरा कड़ा रखें। उनकी लियाक़त और मेहनत में हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जाने या अनजाने उन्होंने सरविसेज को यह एलाउ कर दिया है कि उनके सामने मूक से रहते हैं।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देहातों में अस्पताल खोलने के लिये हमारी सरकार बिलकुल उदासीन है और जो कुछ बजट में रखा है वह महासागर में एक बिन्दु के समान है। मेडिकल कालेज ज्यादातर शहरों में ही खोले जाते हैं। डाक्टर लोग देहातों में जाने के लिये तैयार नहीं होते हैं। उनके ऊपर कुछ ऐसी मजबूरी होनी चाहिये कि वे देहात में जावें। जो कोई देहात में चला भी जाता है वह थोड़े दिन बाद फिर शहर में कोशिश कर के आ जाता है। शहरों में एक अस्पताल खोलने में लाखों रुपया खर्च किया जाता है, जिसमें देहातों में कितने ही छोटे-छोटे अस्पताल खोले जा सकते हैं। देहात के लोगों को शहरों के अस्पतालों में घुसने नहीं दिया जाता है। वहां पर एक पब्लिक शिकायत की किताब होनी चाहिये, जिसमें नान-आफ़ीशल्स या पब्लिक के लोग नोट कर सकें। इससे भ्रष्टाचार और देहाती लोगों की ओर कम ध्यान देने वालों के ऊपर रोकथाम हो सकेगी। अव्वल तो देहात के लोग शहरों में इलाज के लिये पहुंच ही नहीं पाते हैं और अगर जाते भी है तो उनके साथ जाने वाले संबंधियों के लिये कोई ठहरने के लिये शेड आदि का कोई प्रबन्ध नहीं है। ज्यादातर उनको इनडोर पेशेण्ट रखने का मौक़ा ही नहीं आता है, तो उनके साथियों के लिये क्या कहा जाय।

इस किताब में गोंडा जिले का नक्शा जरा आप देखें कि इसके लिये कितने कम अस्पताल हैं। परगना बूढ़ापार में कोई अस्पताल नहीं है--न यूनानी, न एलोपैथी और न किसी दूसरी तरह का है। बरसात में रास्ते बन्द होने के कारण वहां के लोग शहर में भी नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिये जहां मीन्स आफ कम्यूनिकेशन्स इतने पुअर हैं वहां सरकारी अस्पताल होना चाहिये। बड़े-बड़े शहरों में या सड़क के किनारे जो व्यय होता है उसका आंशिक रूप भी देहातों में नहीं खर्च होता। राजस्व का ६० प्रतिशत ग्रामीण जनता से आता है मगर उनके ऊपर बहुत कम खर्च होता है। जितने मेडिकल कालेज खोले गये वे पश्चिमी जिलों में खोले जा रहे हैं। पूर्वी जिले बाढ़ग्रस्त हैं और वहां की जनता रोगों से ज्यादा पीड़ित रहती है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह रूरल मेडिकल कालेज पूरब में खोलें, जिससे वहां की जनता को लखनऊ जैसे मंहगे शहरों में न जाना पड़े। अगर देहात में कालेज होंगे तो डाक्टरों को शहरों के सिनेमा या तफरीह की जगहों की आदत नहीं रहेगी और वे देहात में रहना पसन्द करने लगेंगे।

हमारे यहां कोई मैटरनिटी सेण्टर नहीं है। मैं तो कहूंगा कि समस्त उतरौला तहसील में ही शायद एक या दो ही होंगे। एक अस्पताल सादुल्लानगर में है, जिसमें भी मैटरनिटी का कोई इन्तज़ाम नहीं है। स्त्रियों की दशा वहां शोचनीय है। अभी गत वर्ष एक अच्छे परिवार की जिसे तमाम साधन भी उपलब्ध थे, जच्चा और बच्चा दोनों मर गये। उनको ठीक मेडिकल सहायता नहीं मिल सकी। गरीब जनता बैलगाड़ियों और डोलियों में अपने मरीजों को शहरों में नहीं ले जा सकती हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे क्षेत्र में मैटरनिटी सेण्टर होना चाहिये। सादुल्लानगर में एक सरकारी अस्पताल है, जो बहुत पुराना है। उसके अन्दर सर्जरी का कोई विशेष प्रबन्ध नहीं है। वहां पर एक आपरेशन थियेटर की जरूरत है, चाहे वह छोटा ही हो। दो, चार हजार रुपये में यह काम हो सकता है, ताकि उस क्षेत्र के लोग जो वहां से २५ ५० मील के फासले पर जाते हैं वहां जा सकें और इमरजेंसी केसेज को भी वहां पर ट्रीट किया जा सके।

श्रीमन्, मैं एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों में मोबाइल डिस्पेंसरियों का भी प्रबन्ध कर दिया जाय तो संक्रामक रोगों के इलाज के सिलसिले में उनसे बहुत मदद मिल सकती है और उनसे ग्रामीण जनता का बहुत भला हो सकता है। यह जो शहर और देहात का कम्पटीशन है और सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो शीघ्र ही वह एक उग्र क्रान्ति का रूप धारण कर लेगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और उन ८५ प्रतिशत लोगों का, जो देहात में हैं, कोई प्रबन्ध अवश्य करेंगे।

श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने जो चिकित्सा और जनस्वास्थ्य का अनुदान है और उस पर माननीय झारखंडे राय जी का जो कटौती का प्रस्ताव है मैं उसका अनुमोदन करता हूं। श्रीमन्, जब से इस सदन में आज बहस शुरू हुई है मैंने यह अनुभव किया कि सब के सब सदस्य प्रायः इस संबंध में एकमत हैं कि चिकित्सा का अनुदान बढ़ाया जाना चाहिये। कुछ भाइयों ने किसी विशिष्ट औषधालय की मांग की, किसी ने आपरेशन थियेटर की मांग की और किसी बहन ने महिला चिकित्सा के साधनों को बढ़ाने की मांग की किन्तु श्रीमन्, मैं यह न समझ सका कि यदि इस बजट के सारे साधनों का भी प्रयोग किया जाय तो किस प्रकार से उन सारी मांगों को पूरा किया जा सकता है। लेकिन हो सकता था यदि हमारी सरकार की नीति इस संबंध में जागरूकता की रही होती, कुछ स्वदेश के प्रति भक्ति से ओतप्रोत वे रहे होते। श्रीमन्, पूज्य गांधी जी ने, जिनके अनुकरण करने का सरकार बराबर दावा करती रहती है, कहा था कि एक उन्नत राष्ट्र का जो अत्यन्त विपन्न अवस्था में हो, यह कर्त्तव्य है कि वह अपने साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करे।

हमारी सरकार के जो भी कार्य हैं, वे सब पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन चल रहे हैं, लेकिन आयोजन का क्या अर्थ है? आयोजन का अर्थ है कि देश के सामूहिक साधनों का जो भी वे हों, जो भी हमें उपलब्ध हों, चाहे वे बहुत हों, चाहे थोड़े हों, जैसे भी हों, उनका इस प्रकार आयोजन किया जाय, इस प्रकार प्रयोग किया जाय जिससे देश की जनता का अधिक से अधिक भला हो। मैं नहीं समझता कि इस चिकित्सा संबंधी अनुदान में अपना लक्ष्य विदेशी औषधियों के इस्तेमाल से पा सकते हैं, जिसमें कि बहुत कुछ खर्च करने के बाद बहुत थोड़ा ही हमें मिल पाता है। मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री महोदय और इससे पूर्व हमारे भूतपूर्व मंत्री महोदय ने बार-बार यह घोषणा की थी कि आयुर्वेद को हम फिर से वही पुराना गौरव देने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जो आयुर्वेद संबंधी अनुदान इस वर्ष मंजूरी के लिये सदन में आया है और जो गतवर्ष इस सदन के सामने आया था, उनमें किसी प्रकार से इसका एक भी उदाहरण हमें न मिल सकेगा। हमारे प्रान्त में बहुविज्ञप्ति और सालों साल प्रचार करने के पश्चात् स्टेट आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना की गयी थी, लेकिन आपको यह जानकर दुःख होगा कि उस कालेज की स्थिति आज तक डांवाडोल है। यह भी आज नहीं कहा जा सकता कि वह कालेज रहेगा भी या समाप्त हो जायगा। कालेज में जितने प्राध्यापक और वहां के मुख्याध्यापक हैं उनको आज तक इस बात का कोई एश्योरेंस नहीं दिया गया है कि उनकी सर्विस स्थायी है या अस्थायी है।

आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि हमारा आयुर्वेदिक विभाग केवल एक ही पद के अधीन काम कर रहा है। डिप्टी डाइरेक्टर का एक महत्वपूर्ण पद है लेकिन इसके विपरीत इनको सेक्रेटरी के अधीन काम करना पड़ता है और उनको जनता का सम्पूर्ण दायित्व निर्वाहन करना पड़ता है। जिला स्तर पर जहां-जहां आयुर्वेद के इंस्पेक्टर नियुक्त किये गये हैं, उनको जिले के अधिकारी जो डी० एम० ओ० एच० होते हैं उनके अधीन कर दिया गया है। उनको कार्य करने की सुविधा नहीं है। एक तरफ तो आयुर्वेद की तरक्की करने की बात है, दूसरी तरफ साधनों की कमी है, भवनों की कमी है, औषधियों की कमी है। फिर मैं नहीं जानता कि सरकार आयुर्वेद के सम्बन्ध में जो कार्य कर रही है वह क्या है। इसके साथ-साथ श्रीमन्, मैं यह भी चाहता हूं कि आयुर्वेदिक फार्मेसी की स्थापना भी की जानी चाहिये। अगर हमारी सरकार आयुर्वेदिक फार्मेसी की स्थापना करे और बढ़ावे तो हमारा बहुत सा धन जो विदेशी दवाइयों के लिये बाहर चला जाता है वह न जाये। लेकिन सरकार ने अभी तक इस तरफ भी कोई कदम नहीं उठाया है।

[श्री रामकुमार वैद्य]

इसके अलावा श्रीमन्, एक ही विभाग चिकित्सा के अन्दर इसको भी रखा गया है। आयुर्वेदिक, यूनानी, होमियोपैथिक, एलोपैथिक, जितनी भी पद्धतियां हैं, उनमें एक कंट्रोवर्सी है। हर प्रकार से स्तर-स्तर पर, स्थल-स्थल पर आयुर्वेद के सम्बन्ध में रुकावटें डालने की चेष्टा की जाती है। इसलिये माननीय मंत्री जी अपनी स्थिति को स्पष्ट करें और यदि ऐसा समझा जाय कि आयुर्वेद वास्तव में हमारे प्रान्त की जनता के लिये आवश्यक नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि आयुर्वेद पर एक पैसा भी खर्च किया जाय, लेकिन श्रीमन्, जो चिकित्सा पद्धति सात हजार वर्षों से, जब कि एलोपैथिक तथा और पद्धतियों का पता तक भी नहीं था, मानव समाज की सेवा कर रही है उसको एक दम से तिरस्कृत कर देना आसान नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसा करना राष्ट्र, समाज व सबके साथ विश्वासघात होगा। मुझे आशा है कि मेरे इन शब्दों पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ध्यान देंगे और अभी तक आयुर्वेद के सम्बन्ध में जो गलतफहमी व गड़बड़ी है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री प्रताप सिंह से) आप के लिये ५ मिनट का समय है।

श्री प्रतापसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ५ मिनट का समय तो दिया। जो कटौती का प्रस्ताव पेश है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इस सदन में बहस करते हुये बहुत सी बातें कही गयीं, लेकिन बजट को देखने से पता चला कि जिन लोगों के स्वास्थ्य के विषय में हम बातें कर रहे हैं उनकी औसत उम्र हमारे प्रदेश में क्या है, इस पर माननीय मंत्री जी ने कहीं भी प्रकाश नहीं डाला। गवर्नमेंट की पिछले १० साल की जो रिपोर्ट है उसमें भी कहीं आयु नहीं दी गयी है। पंचवर्षीय योजना में एक जगह ३२ साल लिखा है। दूसरे मुल्कों जैसे अमेरिका, इंगलैंड आदि में औसत आयु ५९ और ५५ है। सामान्यत: देहातों में अधिक डिस्पेंसरीज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की है जहां मेडिसिन के लिये सन् १९३९ के अनुसार ही, अनुदान दिया जाता है। सन् ३९ के अनुसार अनुदान देना न्यायसंगत नहीं है, जब कि मंहगाई छैः गुनी बढ़ चुकी है।

दूसरे कई बीमारियों का हवाला यहां दिया गया लेकिन गेस्ट्रोइन्टाइटीज जो इस समय की खास बीमारी है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। कुछ जिलों के सरकारी आंकड़े उसके मेरे पास हैं जो यह हैं कि मिर्जापुर में १४७, प्रतापगढ़ में १५४, रायबरेली में २५०, सुल्तानपुर में १२५, बनारस में २२२, फैजाबाद ९४, गाजीपुर १७०, जौनपुर ४६२, देवरिया ५६ और बांदा में ३१५। इस लिये इस ओर मंत्री जी विशेष ध्यान दें। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी की तवज्जह एक तरफ और दिलाना चाहता हूं कि हमें यह सोचना चाहिये कि हमारे देश और प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य क्यों गिर रहा है। मेरे पास समय बहुत कम है, मैं आपको बंगाल फ़ेमिन कमीशन रिपोर्ट पेश करके बताना चाहता हूं कि मंत्री जी इसको सुने कि " life is held by a slender thread which the least untoward circumstance is sufficient to snap." एक डाक्टर १८७० में हुआ है उसने बताया है कि मनुष्य का जीवन एक डोरी में लटका हुआ है, अगर उसको अनुकूल वातावरण नहीं मिला तो जिन्दगी नहीं रह सकती। दूसरे उन्होंने बताया है कि फेमीन क्षेत्र में बीमारी फैलने का कारण है कि " a famine-stricken population is a siek population. Famine means not only lack of food in the quantitative sense but also lack of essential food constituents which are needed for bodily health". यानी यह जरूरी नहीं है कि भरपेट खाना मिले और घास, पत्तियां या मोटा अनाज खाकर पेट भर लिया जाय, बल्कि यह जरूरी है कि हमारा स्वास्थ्य खाने के बाद ऐसा हो कि जिससे हम आने वाली सन्तानों को स्वस्थ जीवन और जिन्दगी प्रदान कर सकें। चिकित्सा के विषय में बहुत सी बातें कही गई लेकिन जो हमारे प्रिवेण्टिव मेजर्स हैं उनकी ओर कम ध्यान

दिया जाता है। हमारी जिन्दगी के लिये साफ हवा और साफ पानी बहुत जरूरी है। हमारे यहां का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिये। हमारे यहां १ लाख ६० हजार गांव हैं और उनमें पीने के पानी के कुयें केवल २० लाख हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या कभी इन २० लाख कुओं में लाल दवा भी डलवाने का प्रबन्ध मंत्री जी ने किया है ?

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस विभाग ने जिस तरह से नाना रूपों में जनता की सेवा की है उससे यह विभाग सदा ही लोक कल्याणकारी साबित हुआ है। हमारा वैद्य समाज हर मेले में चाहे वह कुम्भ का मेला हो या अयोध्या का मेला हो, जनता की सेवा करता है और इस इंफ्लुएंजा के जमाने में भी स्टेट आयुर्वेदिक कालेज की ओर से जो प्रबन्ध चिकित्सा का हुआ है वह सफल तथा लोकप्रिय रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जितनी चिकित्सा पद्धतियां आजकल चल रही हैं उनमें आयुर्वेद के उत्थान के लिये केवल हिन्दुस्तान ही जिम्मेदार है, एलोपैथिक और होम्योपैथिक का विकास तो दूसरे सभी देशों में होता है और सब जगह उनकी उन्नति हो सकती है, लेकिन आयुर्वेद के लिये केवल भारत जिम्मेदार है। इसलिये हमें विशेष रूप से इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिये।

एक बात की ओर मैं अपने थोड़े समय में मंत्री जी का तथा सदन का ध्यान दिलाऊंगा कि केन्द्रीय सरकार की ओर से जो कमेटी नियुक्त हुई थी उसकी सिफारिश है कि जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं सबको समान सुविधायें यहां मिलनी चाहिये, लेकिन इस सम्बन्ध में हमारी पुरानी शिकायत रही है और यह शिकायत अब काफी बढ़ भी गई है कि वह सुविधायें आयुर्वेदिक पद्धति वालों को नहीं मिलतीं। हमारे कानून में कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जिन पर सरकार का एक पैसा भी व्यय नहीं होता, वह सुविधायें तक हमें नहीं मिलतीं। जिन पर पैसा व्यय होता है उनकी बात तो दूसरी है। जिन पर सरकार का पैसा व्यय नहीं होता वह ऐसी है कि जैसे कोई वैद्य चाहे कि वह किसी ५१ रुपया पाने वाले सरकारी कर्मचारी को फिटनेस सर्टिफिकेट दे दे तो वह नहीं दे सकता, नियमों में उसके लिये यह सुविधा नहीं है। उसके पास योग्यता है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सकता। इसमें सरकार का कौन सा पैसा व्यय होता है ? तो जब इतना प्रोत्साहन इस चिकित्सा पद्धति को नहीं है तो कोई क्यों चाहेगा इसको पढ़ना, जबकि वह ५१ रु० वेतन पाने वाले को प्रमाण-पत्र भी न दे सके। इस तरह की बहुत सी प्रीविलेजेज है जो उनको नहीं दी गई हैं।

अब स्कोप की जहां तक बात है हम देखते है कि यहां पर और लोगों के वेतन बढ़ाये जा रहे हैं। जिनकी तनख्वाह एक हजार से ऊपर है उनकी तनख्वाह बढ़ गई, लेकिन आयुर्वेदिक विभाग में दो वर्ष से काम कर रहे है एक सज्जन, यू० पी० सरकार के ही कर्मचारी हैं, पहले ६५० रु० पा रहे थे, लेकिन जब लखनऊ में बुलाये गये तो उनको ५०० रु० दिया जा रहा है और अभी तक डायरेक्टर साहब तय नहीं कर पा रहे है कि इनको भी कुछ प्रोत्साहन दिया जाय। आयुर्वेद विभाग में काम करना ही क्या पाप है ? इस तरह से जलील किया जाता है। इसी तरीके से और भी प्रीविलेजेज की बातें है हम आशा करते है कि मंत्री जी समान प्रीविलेजेज देने की बात करेंगे। चिकित्सा विभाग का शासन डायरेक्टर महोदय करते हैं, उसी में आयुर्वेद विभाग भी शामिल है, लेकिन हमने जब भी प्रीविलेजेज के बारे में लिखा, जो इस विभाग के और लोगों को मिलती है तो आज तक उसका कोई निर्णय नहीं हुआ। हमने कई बार लिखा लेकिन कोई निश्चय नहीं हुआ। इस सदन में कई बार ऐसा कहा गया कि आयुर्वेद विभाग के सम्बन्ध में डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेद को पूर्ण अधिकार है, परन्तु यह व्यवहार में नहीं आता। सारे कागजात डायरेक्टर के पास जाते है और लटके रहते है। हम साधारणतया मानते है कि सरकार इसकी उन्नति चाहती है, लेकिन यहां लखनऊ में दो वर्ष पहले मेडिकल कांफ्रेंस हुई आल इंडिया की और उसके प्रेसीडेंट ने कहा कि हम

[श्री मदन गोपाल वैद्य]

इस सिस्टम की प्रगति नहीं होने देना चाहते, देहात में डिस्पेंसरी नहीं खोलनी चाहिये और इसी आशय का प्रस्ताव इंडियन मेडिकल एसोसियेशन ने पास किया है। उसका रिजोल्यूशन है कि आयुर्वेदिक संस्थाओं, होम्योपैथिक संस्थाओं, यूनानी संस्थाओं के अन्दर डाक्टरों को सहयोग नहीं करना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा है कि जो प्राइवेट प्रेक्टिस करने वाले वैद्य, हकीम हैं उनके साथ उनको सहयोग नहीं करना चाहिये।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी समय ५ मिनट होगा।

श्री उपाध्यक्ष—विधान के अनुसार स्त्री और पुरुष बराबर है, इसलिये मैं मजबूर हूं। आपका भी ५ मिनट समय रहेगा।

*श्रीमती चन्द्रावती—मैं आपकी आभारी हूं कि सुबह की उठक बैठक के बाद अब समय मिला। यहां पर बहुत से भाइयों ने अच्छे-अच्छे सुझाव भी दिये हैं और यदि स्वास्थ्य मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे तो इस विभाग के कार्य के संचालन में काफी मदद मिलेगी। जो प्रस्तावित अनुदान है उसका समर्थन हृदय से करती हूं, लेकिन उनके सामने एक बात को रखना पसन्द करूंगी। आज का स्वास्थ्य विभाग और अंग्रेजी के जमाने का स्वास्थ्य विभाग में, इसमें कहने में संकोच नहीं, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। स्वतंत्रता के बाद चाहिये तो यह था कि अपने देश की समस्याओं को समझ कर ही विभाग के कार्य को चलाया जाता। इसमें स्वास्थ्य विभाग ही नहीं और विभाग भी शामिल हो सकते हैं। आज हमारे सामने रुपया देना हाउस में एक प्रथा सी हो गई है, किन्तु इस पर दृष्टिपात करना विभाग के कर्मचारी और मंत्री महोदय अपना फर्ज नहीं समझते कि जो रुपया यहां से ग्रान्ट हो कर जाता है उसका कितना भाग जनता के सदुपयोग के लिये आता है। यहां पर एक सुझाव मैं आपके सामने तथा माननीय मंत्री जी के समक्ष रखना चाहूंगी।

हमारे जो चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य विभाग हैं यह एक दूसरे से बहुत सम्बन्धित हैं। चिकित्सा की प्रणाली हमेशा उस देश के रहने वालों के अनुकूल होनी चाहिए। हमारे देश में इसकी आबोहवा और रहन सहन को देखते हुए देशी चिकित्सा की प्रणाली अपनायी जानी चाहिये। आज की एलोपैथिक प्रणाली को अगर एलोपैथिक प्रणाली न कह कर इंजेक्शन वाली प्रणाली कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी। इस इंजेक्शन प्रणाली से एक तरफ अगर थोड़ी देर के लिये रोग में आराम पहुंचता है तो दूसरी तरफ हम यह भूल जाते हैं कि दूसरे न जाने कितने रोग उस इंजेक्शन से उस मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं।

मैं इस पर अधिक न कह कर जो मेरी बहनों द्वारा एक और समस्या उठाई गई और कुछ भाइयों ने भी महिला चिकित्सालय के बारे में अपने विचार प्रकट किये, उसके बारे में मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे जरा अपनी जनसंख्या की ओर दृष्टिपात करें। आपके प्रदेश के नर और नारी का स्वास्थ्य एक स्त्रियों के ऊपर निर्भर है। वह यदि अच्छी सन्तान उत्पन्न करेंगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो अच्छी सन्तान द्वारा बहुत सी आपकी समस्या का हल हो जाती है।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहती हूं कि जैसा कि अभी हमारे एक भाई ने सुझाव दिया कि एक तो प्रिवेंटिव चेक होना चाहिये और दूसरा पाजिटिव चेक भी होना चाहिये। इसमें मैं फेमिली प्लानिंग को अधिक उपयोगी समझती हूं। आप इसकी तरफ बिलकुल उदासीन हो रहे हैं और आपकी जनसंख्या के जो आंकड़े १९६१ में आयेंगे उसके लिए अभी से सोच कर कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। फेमिली प्लानिंग की ओर अगर आपने सुचारु रूप से ध्यान दिया तो बहुत सी स्वास्थ्य सम्बन्धी आपकी समस्याएं बिना बहुत सा रुपया पैसा खर्च किये ही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कम हो जायेगी। इसके लिए आप यदि देहात मे अच्छा प्रचार करवायें तो अधिक लाभ हो सकता है। जब बच्चा देहात में पैदा होता है और थाने में उसकी रिपोर्ट लिखाई जाती है तो यदि थाने द्वारा वह रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग में भेजे और स्वास्थ्य विभाग अपने यहां के यूनिट में जो अस्पताल वहां के लिए [illegible]

[illegible] और कितने अपने नियोजन के मातहत और बच्चे पैदा करना उसके लिए आवश्यक है, उसके लिए उचित उपाय करे, इस तरह से अगर इस ओर ध्यान दिया जाय तो बहुत लाभ हो सकता है। इस ओर अगर ज्यादा ध्यान दिया जाय और उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाय जैसा कि हमारी सरकार ने छः लाख रुपया गर्भवती स्त्रियों के लिए दिया है, अगर इस रुपये से दूध उन्हें पिला कर अच्छा स्वास्थ्य उनका डेलीवरी के समय रखा जाय तो बहुत सी समस्या आपकी यहीं से हल हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया।

आज दो माननीया सदस्याओं ने फेमिली प्लानिंग के बारे में कहा। माननीय मन्त्री जी पर चाहे उसका असर न पड़ा हो, लेकिन मुझ पर उसका असर जरूर पड़ा।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला वाराणसी)--मेरे पहले बहुत सी बहनों ने माननीय मन्त्री जी का ध्यान महिलाओं की तरफ दिलाया है और मैं भी इस अनुदान के लिये उनको बधाई देती हुई अपनी महिलाओं की तरफ से ध्यान दिलाने के लिए खड़ी हुई हूं। देहातों मे डिस्पेंसरीज खोली गई हैं। यह सराहनीय बात है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन वहां दाइयों और मिडवाइफों की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने जनरल विवाद में भी इस ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाया था और आज फिर उनका ध्यान उन अनट्रेंड दाइयों की तरफ दिलाना चाहती हूं। जो गंदे औजारों से नाल काटती है, उनके लिये ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिये तीन महीने की और उनको कैंची व टिंचर आयडीन का इस्तेमाल सिखाया जाय तो नवजात शिशुओं को मरने से बचाया जा सकता है। मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि मिडवाइफ ट्रेनिंग सेंटर्स और बढ़ाये जायं, क्योंकि मिडवाइव्ज हमको मिलती नहीं। शहरों की तरफ की हमारी बहिनों की ओर पहले भी ध्यान दिया गया है और वे सेंटर्स शहरों मे तो अधिक हैं, लेकिन देहातों में भी ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने की व्यवस्था की जाय। देहातों में ट्रेनिंग की व्यवस्था जरूर है, लेकिन बहुत कम है।

आयुर्वेद पद्धति से जो हमारी बहिनें काम सीखी हुई हों उनको प्रमाणित किया जाय। आयुर्वेद पद्धति से सीखी हुई बहनें नर्सेज बनना चाहें या मिडवाइव्ज बनना चाहें तो उनको मौका दिया जाय और उनको मान्यता प्रदान की जाय। यह मैं मानती हूं कि एलोपैथिक डाक्टरों ने साइंस में बहुत तरक्की की है, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। हमारे आयुर्वेद ने इतनी उन्नति साइंस मे नहीं की है। इसके लिये हमारी सरकार की तरफ से एक आयुर्वेद अनुसंधानशाला खोली जाय, जिसमें आयुर्वेद पद्धति की दवाइयों का अनुसंधान किया जाय। इससे हमारे देश का काफी पैसा बच सकता है।

हमारे यहां वाराणसी के जो अर्जुन और दर्शनआयुर्वेद विद्यालय ट्रेनिंग का काम करते हैं और प्रिन्स होम्योपेथ कालेज होम्योपैथीक ट्रेनिंग देता है, उनको सरकार ने मान्यता तो दे रक्खी है, लेकिन वहां से निकले हुए स्नातकों को कहीं काम नहीं मिलता। सरकार को अपनी डिस्पेंसरीज में आयुर्वेद व होम्योपैथी पद्धति भी खोलनी चाहिये, ताकि सस्ती से सस्ती दवा हमारे प्रान्त के गरीबों को मिल सके और गरीब बहिनों को मरने से बचाया जा सके।

श्री झारखंडेराय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का बहुत आभारी हूं। इस सदन में पिछले ५ वर्ष में ऐसे बहुत कम मौके आये हैं जब एक राय से कटौती के प्रस्ताव में

[श्री झारखंडे राय]

व्यक्त किये गये विचारों और भावों को समर्थन प्राप्त हुआ हो। चाहे माननीय सदस्य इधर के हों या उधर के सबने कटौती के प्रस्ताव के मूल भाव का समर्थन किया और सबने इसे माना कि सरकार की चिकित्सा सम्बन्धी नीति राष्ट्रीय पद्धति पर अवलम्बित नहीं है और आयुर्वेद को हमारी चिकित्सा पद्धति का मूल आधार मान लेना चाहिये।

अब मैं दो एक आजमगढ़ जिले की स्थानीय समस्याओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आजमगढ़ जिले में एक तहसील के सदर मुकाम पर घोसी में एक अस्पताल है जिसकी ख्याति काफी बढ़ रही है। वह अस्पताल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में है। मैं चाहूंगा कि सरकार उसका प्रान्तीयकरण जितनी जल्दी कर सके उतना ही अच्छा है।

दोहरीघाट एक दूसरा स्थान है जो गोरखपुर आजमगढ़ के सरहद पर घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है और फिर घाघरा पर पुल भी बनने वाला है, जिससे कि उसका महत्व और भी बढ़ जायगा। फिर रेलवे के विस्तार की भी स्कीम चल रही है तो फिर जब वहां अस्पताल बनाने का निर्णय हो चुका है तो अनावश्यक विलम्ब नहीं होना चाहिये।

तीसरा स्थान अमिला है। वहां के लिये भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री माननीय गुप्ता जी को दो साल पहले दरख्वास्त भी दी जा चुकी है, वहां के निवासियों द्वारा आवाज भी उठाई जा चुकी है कि वहां ७ मील के अन्दर कोई अस्पताल नहीं है और वह एक केन्द्रीय स्थान है। मैं चाहूंगा कि वहां पर एक अस्पताल की स्थापना सरकार की ओर से फौरन होनी चाहिये। उसके लिये जमीन भी प्राप्त की जा चुकी है, अन्य आवश्यक कार्य भी हो चुके हैं, जिसमें सरकार को काफी सहायता प्राप्त होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहूंगा कि यहीं सरकार की आंख के सामने तीन अस्पताल हैं। एक छुतहा अस्पताल, दूसरा बलरामपुर और तीसरा मेडिकल कालेज। क्या वजह है कि छुतहा अस्पताल में बड़ी गंदगी रहती है और रोगियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है? बलरामपुर अस्पताल में आदमियों के साथ मानवोचित व्यवहार होता है और गरीबों के साथ भी मानवोचित व्यवहार होता है। मेडिकल कालेज में टी० बी० वार्ड में जहां अच्छे व्यवहार की ज्यादा जरूरत है वहां एक आतंक का राज्य दिखाई पड़ता है। मैंने स्वयं वहां जाकर अनुभव किया है। १९३८ में जेल में पहली बार जाकर जो आतंक का भाव वहां मुझे महसूस होता था वही आतंक टी० बी० वार्ड में हर रोगी महसूस करता है। टी० बी० वार्ड में जो सरकारी नौकर हैं, अधिकारी है, वार्ड ब्वाव और चपरासी आदि हैं उन सबका व्यवहार रोगियों के साथ ऐसा ही होता है जैसा कि पुराने जमाने में वार्डर जेलखाने में साहब के सामने पेशी कराते वक्त कैदी से करते थे। मैं चाहता हूं कि टी० बी० वार्ड में जो आजकल आतंक का राज्य है वह खत्म होना चाहिये। जब सरकार की ओर से लाखों रुपया मेडिकल कालेज के लिये सदन से मंजूर किये जाते हैं तो मैं चाहूंगा कि सदन की एक कमेटी बनाई जाय जो वहां के संबंध में जांच करे और अपने सुझाव दे जिससे ठोस आधार पर सुधार किये जा सकें।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कब्ल इसके कि मैं तमाम अपने मित्रों की बातों के संबंध में कुछ कहूं मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि मैं अपने मित्र श्री झारखंडे राय तथा अपने अन्य साथियों के प्रति जिन्होंने इस ग्रान्ट के संबंध में अपने विचार प्रगट किये हैं, अपना आभार प्रगट करूं। लोगों ने बड़ी सावधानी और एतदाल के साथ अपनी बात कही।

अब सब से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहां पर आयुर्वेदिक, यूनानी,

और तरक्की करना चाहते हैं, इसका विकास देखना चाहते हैं और उस स्थिति पर हम इसको देखना चाहते हैं कि यह ऐलोपैथी का मुकाबला कर सके। ऐसी हमारी सरकार की नीति है। लेकिन मैं इसको पूरा करने के लिये बहुत होशियारी के साथ कदम उठाना चाहता हूं, इस्तकलाल के साथ कदम आगे रखना चाहता हूं, ताकि हमारा कोई कदम गलत न हो और गलत कदम उठाने में अड़चन और रुकावट हो सकती है। मैंने आयुर्वेदिक कालेज खोला, नियुक्तियां भी कीं। कुछ माननीय सदस्यों ने संकेत के तौर पर बतलाया कि प्रिंसिपल को स्थायी क्यों नहीं किया गया। मैं उस समय तक नहीं करूंगा जब तक मैं यह जांच न लूं कि फलां शख्स इस काबिल है। गलत आदमी को मुस्तकिल बनाने से संस्था को धक्का पहुंच सकता है। हम प्रतीक्षा करेंगे और जब हमको इत्मीनान हो जायगा कि फलां आदमी इस योग्य है कि प्रिन्सिपल के पद पर स्थायीरूप से रखा जा सकता है तो बिना किसी की सिफारिश और कहने के हम फौरन ऐसा करेंगे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे आयुर्वेदिक कालेज का काम जिस तरह से मैं चाहता हूं उस तरह से नहीं चल रहा है। हम तो चाहते हैं कि इस पद्धति की तरक्की जिस ढंग से सरकार और यहां के रहने वाले चाहते हैं वैसी हो। मैं गाफिल नहीं हूं। हालांकि मुझे सिर्फ दो महीने का अर्सा हुआ इस विभाग का चार्ज लिये हुये, लेकिन इतने वक्त में मैंने कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की है और जहां-जहां पानी भर रहा है उस तरफ मेरी नजर गयी है और मैं उस स्रोत को बन्द करना चाहता हूं, ताकि हमारा विभाग ठीक से चले।

हमारे मित्र उदयशंकर जी ने कहा कि सर्विसेज मिनिस्ट्री से ऊपर हैं, मिनिस्ट्री सर्विसेज से ऊपर नहीं है। यह बात सर्वथा गलत है। वे खुद इस बात के शाहिद हैं और शाहिद होते हुये वाकयात को दबा कर उन्होंने ऐसी बात कही है जिसके लिये मुझे अफसोस है। ५-६ रोज का अर्सा हुआ, उन्होंने खुद मुझसे बताया कि बस्ती के अस्पताल में एक गरीब आदमी का बच्चा आया, लेकिन उसका ऐडमिशन नहीं हुआ और दवा नहीं पहुंची और बच्चा अस्पताल के कम्पाउन्ड में मर गया। मैंने फौरन डायरेक्टर आफ़ मेडिकल ऐंड हेल्थ सर्विसेज को फोन पर बुलाया, आर्डर नहीं लिखा, क्योंकि उसमें देर लगती और ताकीद की कि वे फौरन नेक्स्ट ट्रेन से बस्ती जायं और खुफिया तरीके से जायं और रिक्शे पर बैठ कर अस्पताल जायं। चुनान्चे ऐसा हुआ और उन्होंने वाकयात को सही पाया और लौट कर रिपोर्ट किया। मैंने सिविल सर्जन का फौरन टेलीग्रैफ़िक तबादला किया और तीन डाक्टरों को मुअत्तल किया। तो क्या इसके यह माने हैं कि सर्विसेज मिनिस्ट्री के ऊपर हैं? ऐसा हर्गिज नहीं है। वे खुद इस बात के शाहिद हैं। उन्होंने ऐसी गलत बात कही, इसके लिये मुझे अफसोस है।

मेरे मित्र रघुरनतेज बहादुर जी ने फरमाया कि देहात की तरफ दवा दारू के बारे में सरकार का कोई इन्तजाम नहीं है, उसकी तरफ तवज्जह भी नहीं, नजर भी नहीं और गोंडा जिला बिल्कुल उपेक्षित है। ४० अस्पताल गोंडा जिले में हैं--कर्नेलगंज, मनकापुर, तुलसीपुर, इंटिया थोक वगैरह वगैरह में और हमारे मित्र के गांव में भी एक अस्पताल है, लेकिन वे कहते हैं कि सरकार की कोई तवज्जह ही नहीं है। अब गांवों के बारे में सुनिये। सन् १९४७ में कुल ५९ एलोपैथिक अस्पताल रूरल एरियाज में थे, लेकिन इस वक्त ४६३ एलोपैथिक हैं और ५७७ आयुर्वेदिक और यूनानी कुल १०४०। क्या यह फ़ीगर इस बात का सबूत देती है कि देहात की तरफ इस सरकार की तवज्जह नहीं है? अगर रात को रात कहा जाय तो असर पड़ सकता है, लेकिन अगर रात को दिन कहा जाय तो उसका असर विपरीत पड़ता है।

[श्री हुकुम सिंह विसेन]

जहां तक बूढ़ापार का संबंध है, पहले वहां की नियोजन समिति से रेकमेंड कराइये। जबतक उनका रेकमेंडेशन नहीं होगा तबतक नियम के मुताबिक हम विचार नहीं कर सकते। लिहाजा पहले मेरे मित्र अपना फर्ज पूरा करें और उसके बाद जब मेरी जिम्मेदारी आयेगी तो मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। हमारे मित्र उदयशंकर ने हमें किफायतशारी का सबक पढ़ाया और कहा कि सिल्वर जुबली हेल्थ स्कूल की जो लेडी डाक्टर है उनके सुपुर्द वह सेवा कर दी जाय और असिस्टेंट डाइरेक्टर की पोस्ट तोड़ दी जाय। मैं क्या बताऊं कि वह लेडी डाक्टर नहीं हैं, वह नान-डाक्टर हैं। वह सर्विस अलग है और यह सर्विस अलग है। वह एक टेक्नीकल सर्विस है। अगर मैं उनकी सलाह मान लूं और एक अनाड़ी के हाथ में तलवार दे दूं तो वह बजाय अपना गला काटने के दूसरों का गला काट दें और हमारा भी गला काट दें। तो ऐसी गलती तो मैं नहीं कर सकता। उन्होंने बेसमझे बूझे राय दे दी है और अगर उन्होंने ऐसी राय दी है तो मैं मजबूर हूं कि उनकी राय न मानूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे मित्र उसका बुरा भी नहीं मानेंगे।

अब मेरे मित्र, झारखंडेराय जी ने बड़ी माकूलियत से काम लिया। मैंने पहले ही कहा है कि मैं उनका बड़ा मशकूर हूं। मैं उनका दोस्त हूं और वे मेरे दोस्त भी हैं। आखिर में दो तीन मामलात जाती जो उन्होंने बतलाये हैं उन पर भी विचार करूंगा यदि हमारे पर्स ने इजाजत दी, लेकिन एक ही साल में एक जिले में तीन अस्पताल खोल दें, इसमें जरा दिक्कत सी मालूम होती है।

श्री झारखंडेराय——एक तो मंजूर हो चुका है।

श्री हुकुमसिंह विसेन——तो ठीक है दूसरे के लिये इंतजार कीजिये। अगर हमारे पर्स ने इजाजत दी तो हम आपके अमिला गांव में भी पहुंचेंगे जहां उनका घर है और जो दो जगहें हैं उनपर भी विचार किया जायगा। हमारे मित्र ने फरमाया था कि इंतजाम में बहुत गड़बड़ी है। मैं कभी दावा नहीं करता कि हमारा इंतजाम बिलकुल परफेक्ट है, लेकिन इतना दावा तो कर ही सकता हूं कि इस विभाग ने इंडिपेंडेंस के बाद काफी तरक्की की है और काफी विस्तार उसका हुआ है। मैं सदन के सदस्यों का समय आंकड़े देकर नहीं लेना चाहता गोकि इतनी फाइलें मेरे पास मौजूद हैं, जिनमें आंकड़े ही भरे हुये हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि विकास हुआ है और होता है। मुझे एक बात की खुशी है कि यहां आज दोनों प्रांटों पर दिन भर वादविवाद हुआ है और जितनी खुशी इस बात से हुई है, इतना संतोष हुआ है कि उतना संतोष और किसी खास बात से नहीं हुआ और न हो सकता है। इतना जबरदस्त एपीडेमिक इन्फ्लुएंजा और कालरा का हुआ हमारे सूबे में यह हमारे सभी मित्रों ने देखा, लेकिन शुक्रिया है कि किसी ने इस बात का संकेत नहीं किया कि इस विभाग की तरफ से कोई कोताही हुई। अगर कोई कोताही हुई होती तो मैं बख्शा न जाता, मुझे यकीन कामिल है और यही इस बात की दलील है और ऐसी अकाट्य दलील है कि हमारे मित्रों ने अपनी खामोशी से इस बात की दाद दी है कि इस विभाग ने अच्छा काम किया है।

श्री भगवती सिंह विशारद——यह बनारस का प्रसाद है।

श्री हुकुमसिंह विसेन——जहां भी आप जायेंगे प्रसाद तो मिलेगा ही। लेकिन बद्दुआ देने से काम नहीं चलता है जैसी आपने बद्दुआ दी कि यह सरकार मिट जायगी, लेकिन इससे काम नहीं चलता। देखिये व्यावहारिक ढंग से। हेल्थ हमारी आपकी दुरुस्त नहीं हो सकती जब तक कि जैसा हमारे भाई गोविन्द सहाय जी ने कहा, हम अपने आदत को न सम्हालें। हमें कचालू खाने की आदत है, हमें चाट खाने की आदत है, अमीनुद्दौला पार्क में बूढ़े, बच्चे। एम० एल० ए० सभी चाट खाते हैं....

एक सदस्य——मिनिस्टर भी खाते हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां. मिनिस्टर भी खाते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं खाई। हम सब अलग नहीं कर पाये अपने को उन खराब आदतों से। तो जब तक हम सफाई माइन्डेड नहीं होंगे तब तक दवा दारू से इसका इन्तजाम नहीं हो सकता। मैं तो कहना चाहता हूं कि इस लखनऊ शहर में १,८०० या २,००० मेहतर हैं। चार लाख आबादी अगर गन्दगी करने के लिये तैयार है तो २,००० मेहतर सफाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम भले ही कितनी कोशिश करें, हेल्थ आफिसर कितनी ही कोशिश करें, कितना ही सर के बल खड़े हो जायं, हम चाहे कुछ करे, यह काम हो नहीं सकता। आप अपने दिलों पर हाथ रखे, देखें, घरों का कूड़ा निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, लेकिन उस स्थान तक जाने के लिये नहीं तैयार है कि जो कूड़े के लिये बना हुआ है। तो जो हमारी आदत है उसके रहने से इस तरह की बीमारियां फैलेंगी। हम तो उन बीमारियों को फैलने से रोकने की कोशिश करेंगे ही। जब हमने सिनेमा बन्द करने की बात कही, उसका आर्डर निकाला तो मेरे पास दरख्वास्त पर दरख्वास्त आई, एम० एल० ए० कितने ही आये, भाई, 'उन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो।' अब मैं जनता का स्वास्थ्य देखूं या आपकी पिक्चर न देख सकने की परेशानी। मैं आइसक्रीम बन्द करता हूं, आइस बन्द करता हूं, उसके लिये शिकायत आती है कि यह क्यों बन्द की जा रही है। (कुछ व्यवधान होने पर) मैं जानता हूं, 'दि शू हेज बिगन टु पंच' आप सुनते जाइये। मैं कहना चाहता हूं कि जो काम हम जनता के स्वास्थ्य के हित में करना भी चाहते हैं उसमें भी आप रखना अंदाज होते हैं। बस इतनी ही खुशी है कि रखना अंदाज तो हुये, लेकिन शिकायत नहीं की इस फ्लू और कालरा के बारे में। शिकायत करते तो मेरा दिल टूट जाता इतना कि जिसका जवाब नहीं।

कहीं कहीं तबादले का भी जिक्र कर दिया गया। जहां पर अफसर पार्टी बन्दी में पड़ेंगे 'आई विल बि वेरी स्टिफ फार देम'। बिजनौर के तबादले में भी पार्टीबन्दी थी और मेरे दिमाग में वह बात है। जो मैंने वायदा किया था उसे पूरा करूंगा। मैंने किसी की रूरियायत नहीं की है और न करूंगा ही जबतक कि आप लोग मुझे मजबूर नहीं करेंगे। मैंने अपना एक सिद्धांत बना लिया है। जैसा कि किसी सदस्य ने कहा कि गड़बड़ी है अस्पतालों में, वह सही है। मैं मानता हूं कि गड़बड़ है लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं है। कुछ लोग एक्सेप्शन भी हैं कि जो ठीक काम करते हैं। माननीय झारखंडेराय जी, कम्युनिस्ट के मेंबर हैं, एक पार्टी के लीडर हैं। बलरामपुर अस्पताल के बारे में उन्होंने कहा कि वहां गरीब, अमीर सब को एक-सा बरताव मिलता है। उनका सार्टिफिकेट बहुत महत्व रखता है। ऊदल साहब का सार्टिफिकेट उसके विपरीत जाता है, लेकिन लीडर का सार्टिफिकेट होने के बाद ऊदल साहब का सार्टिफिकेट कोई अहमियत नहीं रखता। बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं कि जहां ठीक से काम होता है और जहां-जहां खबर मिलती है कि फलां डाक्टर गड़बड़ कर रहा है तो एक मिनट मुझे नहीं लगता है ऐक्शन लेने में। लेकिन अगर हमारे मित्र इसका अहसास न करें तो मुझे इसका दुःख होता है। मैं हाथरस गया था अस्पतालों के निरीक्षण के सिलसिले में। वहां मेरे पास एक शिकायत आई। एक शख्स ने कहा कि मेरी स्त्री को बच्चा होने वाला था, उसके लिये लेडी डाक्टर ने २०० रुपया मांगा। मैं रुपया नहीं दे सका और उसकी वजह से वह इंडिफरेंट हो गई और जाने पर इस बुरी तरह से इंतजाम किया कि मेरी वाइफ मर गई। यह बात सुन कर मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैंने उस लेडी डाक्टर को वहीं डांटा। हालांकि मुझे डांटना नहीं चाहिये था, लेकिन मैं इतना उत्तेजित हो गया था कि अपने को रोक नहीं सका और मैंने डांटा। मुझे उसका काम खराब दिखाई पड़ा। मैंने डिप्टी डाइरेक्टर को वहां भेजा और इन्क्वायरी हो रही है। वह ससपेन्ड है। इन्क्वायरी मेरे सामने आने वाली है और फिर उस पर निर्णय किया जायगा। जिस वक्त हमको कोई बात मालूम होती है उसमें मुझे जरा भी देर करने में दिलचस्पी नहीं मालूम होती है। मुझे आशा है कि चन्द महीनों में सारे सूबे के अस्पतालों के डाक्टर अपनी–अपनी ड्यूटीज को पूरी तरह

[श्री हुकुम सिंह विसेन]
से अदा करेंगे और जो लोग इसमें कोताही करेंगे उनके साथ जो मुनासिब बरताव होगा उसको करने में गुरेज नहीं करूंगा, नहीं करूंगा और नहीं करूंगा। आप लोगों की मेहरबानी हमारे साथ होनी चाहिये।

हमारे मित्र झारखंडेराय जी को दुःख हुआ यह देखकर कि इस ग्रांट के लिटरेचर में कहीं सोशलिस्टक पैटर्न नहीं लिखा। मैं अपने सेक्रेटरी से यह हिदायत करूंगा कि आइन्दा साल में वह एक जुमला कहीं लिख दिया करें। अगर इसको देखा जाय तो मालूम होगा कि जो इसमें प्राविजन है उससे गरीब जनता की मदद करने का प्रयास किया गया है। वही इस बात का द्योतक है कि सोशलिस्टक पैटर्न पर यह बजट बनाया गया है या नहीं? क्या हमारे मित्र कह सकते हैं कि गांवों में अस्पताल खोलने की जो हमारी नीति है उससे गरीब जनता को मदद नहीं पहुंचेगी? हमारी तो नीति यह है कि अगर गरीबों को दवाई देने का माकूल इन्तजाम न हो तो उसको सजा दी जाय यह सोशलिस्टिक पैटर्न की तरफ कदम बढ़ाना है या नहीं? लेबरर्स के लिये जो इन्स्योरेंस की स्कीम है यह सोशलिस्टिक पैटर्न की तरफ कदम बढ़ाती है या नहीं? गांवों में जो हेल्थ सेंटर खोलने की योजना है यह सोशलिस्टक पैटर्न की तरफ कदम बढ़ाती है या नहीं? इसी तरह के कामों से यह सारा बजट भरा पड़ा है। मैं यह कहने की जुर्रत तो नहीं करता कि हमारे मित्र ने बजट को पढ़ने की गलती नहीं की, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि समझने की तकलीफ गवारा नहीं की।

एक बात यह कही गयी कि अडल्ट्रेशन के बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं आपको बताऊं कि ५,४२९ प्रासिक्यूशन किये गये अडल्ट्रेशन के बारे में और ३,२१० में कन्विक्शन हुआ और ३,४२,४८३ रुपये जुरमाना हुए और ७७ आदमियों को कैद की सजा दी गयी। यह सब कार्यवाही हम अडल्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत कर रहे हैं मैं यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि कानून के जरिये से यह मर्ज दूर नहीं होगा। हमको और आपको कमर बांध कर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। हमको अपने देश के रहने वाले व्यापारियों का नैतिक स्तर ऊंचा करना पड़ेगा। हमको इस अडल्ट्रेशन के संबंध में एक जबर्दस्त पब्लिक ओपीनियन बनाना पड़ेगा। हम अगर कहीं स्ट्रे केसेज पकड़ लेते हैं और उनका प्रासिक्यूशन कर दें तो इससे काम चलने वाला नहीं है। यह तो रोजमर्रा अडल्ट्रेशन होता रहता है। मैं कहता हूं कि अगर आप लोग यह समझते हैं कि हम घी प्योर खाते हैं तो अपने आपको धोखा देते हैं। अगर आप यह समझते हैं कि प्योर तेल खाते हैं तो अपने आपको धोखा देते हैं। मैं यहां तक जानता हूं कि प्योर डालडा भी आपको मिलना मुश्किल है। इसलिये सरकार सारा प्रबन्ध करें यह मुश्किल है। तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक कि जनता की ओपीनियन उसके खिलाफ क्रियेट न की जाय। मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से हमारे मित्र ने अपने विचार यहां पर प्रकट किये हैं और सरकार को सुझाव दिये हैं उस तरह से उन सुझावों को खुद भी अमल में लाने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा हो जाय तो हमारा काम बहुत आसान हो जायगा। जो हमारा और आपका उद्देश्य है उसको पूरा करने में हमको और आपको जरा भी देर नहीं लगेगी। और अगर आप चाहें कि यहां हमको सारे सुझाव देकर आप खामोशी अख्तियार कर लें तो उससे यह मामला हल होने का नहीं है। मैं किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन इसका एक उदाहरण है। हमारे कुछ जनसंघ के भाई कहा करते थे कि गो बध बन्द करो। सत्याग्रह भी किया, लेकिन जब सरकार ने कुछ एकानामिक कारणों से उसको बन्द कर दिया तो लोग खामोश हो गये और आज वे गो सदनों में एक पैसा भी मदद करने के लिये तैयार नहीं हैं। पहले कहा करते थे कि भरसक मदद करेंगे। मैं जौनपुर के राजा साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे लोगों से चन्दा दिला कर इस संबंध में सरकार की मदद करें, क्योंकि सरकार अकेले इसके भार को वहन नहीं कर सकती। जैसे हमारे उन दोस्तों ने खामोशी अख्तियार की है वैसे इस मामले में आपने भी की तो फिर हम करते रहेंगे और आप देखते

हम कर सकेंगे उतना करेंगे, लेकिन आपके सहयोग की निहायत ज़रूरत है।

किसी साहब ने कह दिया कि मलेरिया को रोकने का कोई प्रबन्ध नहीं किया। हमने २० यूनिट्स एन्टी मलेरिया की स्थापित की है और उसके इंसीडेंस को चेक भी कर दिया है, तमाम सूबे में और खास तौर से तराई के इलाके में उसने बड़ा भारी काम किया है। ऐतबार न करें तो त्रिलोकीसिंह जी से पूछ ले। किसी का घोंघा ठीक न हो सका हो तो शिकायत हो सकती है, लेकिन आम तौर पर इन सब बातों की तरफ ध्यान दिया गया है।

गालिबन प्रतापसिंह जी ने कहा कि एवरेज एज के बारे में कुछ नहीं बताया। आज एवरेज एज ३४.२ वर्ष है। पहले कम थी, अब बढ़ती जा रही है। एज में इजाफा हो रहा है, उसी तरह से जैसे और बातों में इजाफा हो रहा है।

मै महिलाओं का आभारी हूं कि जिन्होंने मेरी एक राय से ताईद की, मर्दो ने भी ताईद की, लेकिन बोले मुखालिफत मे, लेकिन महिलाओं ने जो कहा वैसी ही ताईद की। मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि जहां तक हमारी रकम जो दी गयी है, वह हमारा साथ देगी, उनकी मांगों को पूरी करने का प्रयत्न करूंगा।

फेमिली प्लानिंग के बारे मे भी कहा गया। चन्द्रावती जी ने भी कहा और दूसरे लोगों ने भी कहा और डिप्टी स्पीकर साहब ने भी कुछ आबजरवेशन किये। मुझे इस सम्बन्ध में इतना ही कहना है कि फेमिली प्लानिंग का काम बड़ा टेढ़ा है। इसमें जो प्रीच करेंगे वही मुल्जिम भी साबित हो सकते हैं। यह चीज बिलकुल नयी है और बड़ी मुश्किल से लोगों के इमैजिनेशन को कैच कर सकेगी। जनता इसके लिये बड़ी मुश्किल से राजी होगी। यह काम कानून के जरिये से नहीं हो सकता, लेक्चर के जरिये से भी नहीं हो सकता, जो खास-खास लीडर्स हैं वे एक्जाम्पिल सेट करें तभी यह काम हो सकता है और लोग उनका अनुकरण करेंगे। हमारे डिप्टी स्पीकर महोदय ने कहा कि मेरे ऊपर भी बड़ा असर पड़ा। श्री त्रिलोकी सिंह से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन श्री नारायणदत्त से मै जरूर कहना चाहता हूं कि उन पर कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा। जब तक कोई एक्जाम्पिल सेट नहीं किया जायगा, तब तक इसमें कामयाबी हो ही नहीं सकती। और मै अपनी महिलाओं से भी कहता हूं कि इसमें आत्मसिद्धि होनी चाहिये, निग्रह होना चाहिये और कंट्रोल होना चाहिये। जब तक अपने आप पर कंट्रोल नहीं होगा, लेक्चर और कानून के जरिये फेमिली प्लानिंग कामयाब नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मै तो ऐसा कहना चाहता हूं कि अभी मैं दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स मे गया था, तो वहां भी शिकायत थी कि इस ओर अब तक काफी प्रगति नहीं हुई है। मैंने स्कीम बनायी है और आप लोगों ने तो देखा होगा कि एक फेमिली प्लानिंग अफसर भी होगा, कुछ सेंटर भी होंगे। बलिया में भी खोला है, मेरठ मे भी खोला है और देवरिया में भी खोलने जा रहे हैं।

एक सदस्य—बहराइच का क्या हाल है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वहां सभी कंट्रोल्ड हैं। तो मै यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली मे भी मैंने बिलकुल निडर हो कर कहा था कि यह नयी स्कीम है, जनता उसको कबूल करने के लिय तैयार नहीं है, क्योंकि वाकयात बिलकुल दूसरे किस्म के है हमारे देश के। मै आप को अपना एक तजुर्बा बतलाता हूं कि एलेक्शन के जमाने में एक जिले में जा रहा था तो गांव के करीब पहुंचने पर मैंने देखा कि चार पांच आदमी गेहूं के खेत काट रहे थे। धूप तेज इसलिये मैंने सोचा कि थोड़ी देर तक बाग में सुस्ता लें। मै जीप से गया था मैंने सोचा कि आदमियों को बुला कर जरा पता तो लगा लूं कि वे वोट किसको देने वाले है और गांव में —, हवा बह रही है। जैसे ही उन लोगों ने मोटर देखी कि वे भाग खड़े हुये। मेरे बहुत

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

समझाने पर वे तीन कदम आते थे तो एक कदम पीछे हट जाते थे, बड़ी मुश्किल से वे १०, १५ मिनट में मेरे पास आये तो मैंने पूछा कि तुम लोग भागे क्यों ? तो उन लोगों ने कहा कि मैंने सुना है कि सरकार के लोग कोई सुई लगा देते हैं। श्री त्रिलोकी सिंह जरा कान खोल कर सुन लें कि वह जिला लखनऊ ही था जहां के लोग बड़े होशियार समझे जाते हैं। तो इस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया था देहातों में। तो मैं नहीं समझता कि हमारे आदमी जो फेमिली प्लानिंग का प्रोपेगेंडा करने के लिये जायेंगे वे देहातों से लौट कर चले आयें तो यही खैरियत की बात होगी। लिहाजा यह काम आसानी से नहीं होगा। जब उस पार्टी के और इस पार्टी के नौजवान खासतौर से, बूढ़े तो मदद करेंगे ही, सब मिल कर इस समस्या को हल करने का बीड़ा उठा लें तो मुझे यकीन कामिल है कि इसमें जरूर सफलता होगी। यह कोई हंसने की बात नहीं है। अगर इसमें सफलता नहीं होगी तो केवल पूर्वी जिलों में ही नहीं, बल्कि सारे सूबे में भुखमरी बढ़ती चली जायगी और हम कितना ही अन्न पैदा करते जायेंगे एक स्टेज ऐसा आ जायगा कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स की स्थिति आ जायगी। इस तरह से दिन दूनी रात चौगुनी तादाद बढ़ती जायगी तो फिर कहीं खड़े होने की जगह भी नहीं रह जायगी। आपको ताज्जुब होगा कि हमारे राज्य में २,००० आदमी रोज पैदा होते हैं। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, जो मरते हैं उनको मुजरा देकर यह संख्या है या क्या है, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन दो हजार आदमी रोज पैदा होते हों तो तीस दिन में ६०,००० हुए और बारह महीनों में ७,२०,००० हुए। १० वर्ष में बढ़ कर इनकी कितनी तादाद हो जायगी. आप जोड़ लें। अगर इंटेंसिव कल्टीवेशन भी करते चले जायं तो भी रहने की जगह नहीं रहेगी, खाने पीने को कौन कहे। लिहाजा इस चीज को सीरियसली देखा जाय और जैसा कि हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा इसको हमें सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिये।

एक और शिकायत की गई, लेकिन क्या बताऊं, मालूम होता है वह शिकायत तो नहीं है, कुछ इंस्पायर्ड बात वह कह गये। इतना समझने की अक्ल तो मैं रखता हूं कि एक ही आदमी डिप्टी डायरेक्टर भी है और हेड आफ एनाटामी और फिजियालाजी डिपार्टमेंट, आयुर्वेद का है। यह ठीक है वह डिप्टी डायरेक्टरी के अलावा हेड आफ दि एनेटामी विभाग की हैसियत में टीचिंग का या लड़कों को पढ़ाने का भी काम करते हैं, वह अपना अलग वक्त देते हैं, अपनी मोटर से आते हैं और इसके लिये उन को कोई कनवेन्स या एलाउन्स इस के लिये नहीं दिया जाता है, वह अपनी कास्ट यह सब करते हैं। तो फिर एतराज किस बात का ऐसा आदमी भी तो कोई हमें मिले, ऐसे आदमी मिलने आज के जमाने में बहुत दुश्वार है जो देश की सेवा के खयाल से इतना काम करे। कहा जाता है कि सरकारी मुलाजिमों पर और ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च बहुत बढ़ता जाता है, लेकिन अगर वह मुफ्त पढ़ाते हैं तो क्या यह फायदे की चीज नहीं है ? इस तरह से उनके साथ कोई पक्षपात नहीं है, वह अपने काम के अलावा पढ़ाया करते हैं और जो यूजफुल आदमी होते हैं उन से हम इस तरह से काम ले लेते हैं।

मिडवाइव्ज और मेटरनिटी सेण्टर्स के बारे में भी बहुत जोर दिया गया। मेरी समझ में यह नहीं आया कि एक तरफ तो फीमली प्लानिंग की बात कही गई और उसके साथ ही मेटर्निटी सेण्टर भी चाहिये, यह दोनों चीजें कुछ मेल नहीं खातीं एक दूसरे से। अगर फेमिली प्लानिंग होगी तो मेटर्निटी सेन्टर्स की ज्यादा जरूरत नहीं और अगर फेमिली प्लानिंग नहीं है तो मेटर्निटी सेन्टर्स की जरूरत हो सकती है। अगर आप दोनों चीजें साथ-साथ चाहते हैं तो इससे मालूम होता है कि आप का मन अभी दुविधा में है, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा है और कोशिश है कि ऐसे सेन्टर्स की तादाद जगह-जगह बढ़े।

इसके अलावा मैं अपने मित्र श्री गोविन्द सहाय जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुत ही कांस्ट्रक्टिव सुझाव दिये हैं। उन्होंने शुरू में तो कहा कि मैं इस ग्राण्ट की ताईद करता हूं, लेकिन बोले खिलाफ, वैसे उनके सुझाव बहुत कांस्ट्रक्टिव थे और मैंने उनको बड़े गौर से सुना। एक बात उन्होंने कही थी वह मेरे दिमाग से निकली जा रही है

वर्न में उसका जिक्र करता। कुछ आसनों के लिये कहा था और बहुत सी बातों के लिये कहा था. अगर वह बात याद आ जाती तो मैं कह देता। फिर याद कर के उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा।

टी० बी० बेड्स के बारे में भी कहा गया। मुझे दुःख है कि इस सूबे में यह मर्ज बढ़ रहा है बावजूद हमारी कोशिशों के, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं हर जगह बेड बढ़ाने की, लेकिन खाली बेड बढ़ाने से ही काम नहीं चल सकता, क्योंकि ४–६ मरीज तो मेरे पास ही रोज आते हैं। पहले मैं जब मिनिस्टर नहीं था तो मुझे इसका इतना अहसास नहीं था, यह मेरी भूल थी और गलती थी। हम अपने जिला अस्पतालों में भी कुछ बेड्स रखना चाहते हैं और क्लिनिक्स खोलना चाहते हैं, लेकिन जितनी बीमारी है उस हिसाब से हमारे लिये करना मुश्किल है, फिर भी जो कुछ सम्भव होगा वह किया जायगा। बहुत से सुझाव माननीय मित्रों ने अच्छे दिये उनका मैं बहुत आभारी हूं। कुछ लोगों ने तो बिलकुल गड़बड़ सुझाव दिये, लेकिन जिनके अच्छे सुझाव आये हैं उन पर हम अमल करने की चेष्टा करेंगे और लाभ उठावेंगे। इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इन मांगों को स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९—चिकित्सा की धनराशि में एक रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९—चिकित्सा—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा के अन्तर्गत ४,१५,२२,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत १ रु० की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—जन-स्वास्थ्य—लेखा शीर्षक—३९—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत १,६७,७६,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—एक निवेदन मैं माननीय सदन से करना चाहता हूं। आज जब मंत्री जी बोलने खड़े हुये तो दो बहुत पुराने सदस्यों ने एक तरह से प्रोटेस्ट करना शुरू किया और सदन में हल्ला मचाना शुरू किया। आपने मुझे यहां सदन का सम्मान बढ़ाने के लिये भेजा है। तो आज तो मैंने उनके साथ रियायत बरती, लेकिन आप ही के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना पड़ेगा तो मुझे बड़ा क्लेश होगा और मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि सदन का सम्मान बढ़ाने के लिये पूरा सहयोग प्रदान करें।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर सोमवार, १२ अगस्त, १९५७ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
९ अगस्त, १९५७।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३५ पर)

क्रम-संख्या	पद	स्थानों की संख्या
	गजटेड—पी० आर० डी० हेडक्वार्टर्स	
१	ऐडमिनिस्ट्रेटिव कमान्डेन्ट	१
२	असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट	२
३	असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट (यूथ मूवमेन्ट)	१
४	असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट (इन्चार्ज, फिजिकल कल्चर)	१
५	ऐडमिनिस्ट्रेटिव कमान्डेन्ट का निजी सहायक	१ (बिना भरी हुई)
	नान गजटेड स्टाफ—हेडक्वार्टर	
१	आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट	१
२	सीनियर नोटर और ड्राफ्टर	२
३	एकाउन्टेन्ट	१
४	जूनियर नोटर और ड्राफ्टर	३
५	स्टेनोग्राफर	१
६	रूटीन क्लर्क	३
७	टाइपिस्ट	२
८	आफिस चपरासी	३
९	अर्डरली पीयन	६
१०	चौकीदार	३
११	रिकर्ड-कीपर	१
१२	क्लर्क (असिस्टेंट क्वार्टर मास्टर)	१
	एक्जीक्यूटिव स्टाफ	
१	क्वार्टर मास्टर क्लर्क	१
२	स्टोर-कीपर	२
३	ड्राइवर	४
४	क्लीनर	४
५	सूबेदार एडजूटेन्ट	१
६	कम्पनी हवलदार मेजर	१
७	कम्पनी क्वार्टर मास्टर हवलदार	१
८	हेड कानस्टेबुल गार्ड	३
९	कानस्टेबुल गार्ड	१०
१०	ड्रिल इन्सट्रक्टर	३
११	हेड ड्रिल इन्सट्रक्टर	१
१२	पार्ट टाइम मेडिकल आफिसर	१
१३	कम्पाउन्डर	१
१४	नर्सिंग आर्डली	१
१५	स्वीपर्स	४
१६	मैसन	१
१७	कुक्स	२

[illegible]-संख्या	स्थानों की संख्या
८—[illegible]	१
९—[illegible]	१
१०—[illegible]	८
११—[illegible]	१
१२—[illegible]	१३
[illegible]	
१—[illegible]	१
२—[illegible] (डुप्लीकेटिंग [illegible])	१
[illegible]	
१—डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर	४६
२—[illegible] डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर	४६
३—[illegible] वर्कर	७२०
४—[illegible] (ट्रेनिंग रिजर्व)	६३
५—[illegible] पीयन	३७
६—[illegible] इन्स्ट्रक्टर-कम-[illegible]	१५
७—क्लर्क	३७
प्रान्तीय रक्षक दल के लिए [illegible] स्थाई स्थानों की सूची	
१—असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट	१
२—सीनियर मोटर ड्राइवर	१
३—रूटीन क्लर्क	१
४—दफ्तरी	१
५—आफिस पीयन	१
६—आर्डरली पीयन	२
७—चौकीदार	१
८—क्वार्टर मास्टर	१
९—हेड कान्स्टेबिल आरमोरर	१
१०—आरमोरर मिस्त्री	१
११—हेड ड्राइवर	१
१२—ड्राइवर	१
१३—क्लीनर	१
१४—ड्रिल इन्स्ट्रक्टर	२
१५—हेड क्लर्क	१
१६—एकाउन्ट्स क्लर्क-कम-स्टोर कीपर	१
१७—ड्राफ्टर	१
१८—टाइपिस्ट-कम-डिस्पैचर	१
१९—रिफरेन्स क्लर्क	१
२०—स्टेनोग्राफ़र	१
२१—दफ्तरी	१
२२—पीयन	२
२३—अर्दली	२

क्रम-संख्या	पद	स्थानों की संख्या
२४	चौकीदार	
२५	वाटर मैन-कम-फर्रास	
२६	स्वीपर	
२७	(टेकनिकल असिस्टेन्ट) (इस स्थान को अवियन्स में छोड़ दिया गया है)	

प्रान्तीय रक्षक दल के जिले के आफिसों के लिये स्वीकृत स्थाई स्थानों की सूची

१	डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाइजर	५
२	असिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाइजर	५
३	जोन वर्कर	८०
४	जोन वर्कर (ट्रेनिंग रिज़र्व)	७
५	क्लर्क	१४
६	पीयन	१४
७	डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट, फिजिकल कल्चर (इस स्थान को अवियन्स मे छोड़ दिया गया है)	१४

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४३ पर)

इलाहाबाद जिले में १९५६ के प्रत्येक त्रिमास में सीमेंट की प्राप्ति तथा उसके वितरण की सूची

त्रिमास १९५६				प्राप्ति (टनों में)	वितरण (टनों में)	
					नगर में	ग्रामीण क्षेत्र में
प्रथम	..	..	..	१,३९६	६८६	७१०
द्वितीय	..	..	..	१,३६५	६२९	७३६
तृतीय	..	..	..	५६०	४५	५१५
चतुर्थ	..	..	..	२,०६८	१,०७९	९८९
		योग		५.३८९ टन	२,४३९ टन	२,९५० टन

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५- पर)

जिला खीरी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की सूची

प्रथम पंच वर्षीय योजना के अधूरे कार्य			लम्बाई मील	फ०	अनुमानित लागत
					रु०
१—लखीमपुर-ईशा नगर सड़क	..	..	११	४	
२—लखीमपुर-निघासन सड़क	..	.	६	६	
३—गोला-सिकन्दरा सड़क (पी० पी० रोड)		.	[illegible]	०	
४—गोला-कुकरा	..	.	[illegible]	[illegible]	
५—गोला-संसारपुर-कुरान्ना सड़क	..	..	[illegible]	४	
६—गोला-अलीगंज ७—गोला-मुहम्मदी ८—गोला-लखीमपुर ९—लखीमपुर-मिघाई ..	..	..	१२	४	
१०—पलिया, त्रिकुलिया, सेमरी, खजुरिया व पुलों तथा पुलियों का बनाना ..	..	..	२१	०	
११—निघासन-बैलरैन सड़क	..	..	११	२	
१२—भारी यातायात वाले मीलों का आधुनीकरण तथा सुधार—					
(क) लखीमपुर-गोला सड़क	..	..	१०	०	
(ख) सीतापुर-लखीमपुर सड़क	..	..	२	०	
द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्य.—नई पक्की सड़कों का निर्माण					
१३—मीरा मैलानी पवैया सड़क	..	..	[illegible]	०	२,५०,०००
१४—गोला-झिलमिझा सड़क ..	..	..	१३	०	९,००,०००
१५—मैलानी रेलवे फ़ीडर सड़क	..	..	३	०	१,०८,०००
१६—लखीमपुर-मितौली-औरंगाबाद सड़क ..		..	२२	०	७,९२,०००
१७—पलिया-मीरा सड़क ..	..	..	८	०	४,००,०००
१८—औरंगाबाद-मैगलगंज सड़क	..	..	४	०	१,४०,०००
१९—श्रमदान की सड़कें—					
(क) लखीमपुर-छपरतला	..	..	६	०	
(ख) खीरी-लगेरा ..	..	..	५	४	
(ग) ग्रं.एल-बहाजन	..	..	१५	२	
२०—स्थानीय पक्की सड़कों का पुनः निर्माण—					
लखीमपुर-औरंगाबाद सड़क	..	..	६	५	१,९९,०००
२१—भारी यातायात वाले मीलों का आधुनीकरण तथा सुधार			१०	०	
२२—सी० सी० ट्रैक्स और पेन्टेड सड़कें (३३ प्रतिशत सहायता के आधार पर)—					
(क) फैक्ट्री से पी० डब्ल्यू० डी० सड़क खमरिया तक			०	६	
(ख) फैक्ट्री से खनवापुर के तरफ़		..	२	०	
(ग) फैक्ट्री से इब्राहीमपुर तक ..		..	१	२	

प्रथम पंच वर्षीय योजना के अधूरे कार्य			लम्बाई मील	फ०	अनुमानित लागत
(ङ) फैक्ट्री सारिन्य खनौली	..	..	२	०	
(च) बिवारी-बैंवहा	..	..	५	०	
(छ) झामरी-रोशनगंज-पीपरा	..	..	६	०	
(ज) अलीगंज-सोनारीपुर	..	..	२	०	
(झ) गरठनियां-मुहेला-कुकरा	..	..	८	०	
(ञ) कुकरा स्टेशन से कुकराटाउन		..	३	४	
(त) बरखेरी नहर सड़क से गोला-लखीमपुर रोड		..	२	०	
२३—पंचपेरीघाट पर सारदा नदी के ऊपर एक पैंटून पुल		..		..	३,२५,०००

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७८—७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५३ पर)

मुजफ्फरनगर जिले में १९५५—५६ व १९५६—५७ में सीमेंट की प्राप्ति तथा उसके वितरण की सूची

प्राप्ति

वर्ष	सीमेन्ट कम्पनी का नाम	सीमेन्ट की प्राप्ति (टनों में)
१९५५—५६	१—सीमेन्ट मार्केटिंग कम्पनी	१,२३९
	२—रोहतास सीमेन्ट कम्पनी	३६३
	३—जापला सीमेन्ट कम्पनी	४६
	४—सवाई माधोपुर सीमेन्ट कम्पनी .. .	१,११४
	योग .	२,८०२ टन
१९५६—५७	१—सीमेन्ट मार्केटिंग कम्पनी	२,४१०
	२—सवाई माधोपुर सीमेन्ट कम्पनी	९५१
	योग ..	३,३६१ टन

वितरण

१९५५—५६	१—जिला सप्लाई अफसर द्वारा (नगर तथा दूसरे टाउन एरिया इत्यादि के लिये)	१,०५९
	२—जिला नियोजन अधिकारी द्वारा (नियोजन कार्यों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये)	१,७४३
	योग ..	२,८०२ टन
१९५६—५७	१—जिला सप्लाई अफसर द्वारा (नगर तथा दूसरे टाउन एरिया इत्यादि के लिए)	१,१७८
	२—जिला नियोजन अधिकारी द्वारा (नियोजन कार्यों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये)	२,१८३
	योग ..	३,३६१ टन

१९५५—५६ में ग्रामीण क्षेत्रों तथा नियोजन कार्यों के लिये प्राप्ति का ६२ प्रतिशत तथा नागरिक क्षेत्रों में ३८ प्रतिशत वितरण किया गया।

१९५६—५७ में ग्रामीण क्षेत्रों तथा नियोजन कार्यों के लिये प्राप्ति का ६५ प्रतिशत तथा नागरिक क्षेत्रों में ३५ प्रतिशत वितरण किया गया।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५९ पर)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कानपुर जिले में निर्माण कार्य की सूची

योजना	नाम सड़क	अनुमानित लागत	कार्य जो होना है मय लम्बाई
		रु०	
चालू योजनायें	(अ) नई सड़कें		
	१—चौबेपुर—बेला ..	२,०७,०००	टौप कोट तथा अन्य कार्यों के के लिये। सड़क इन्टर कोट तक पूरी लम्बाई में बन चुकी है।
	२—सिकन्दरा-अकबरपुर	१७,४६,४००	२३ मील
	३—सिकन्दरा—मंगलपुर कच्ची सड़क	१,२७,०००	६ मील ३ फर्लांग
	(ब) आधुनीकरण		
	मील ६२५ से ६२९ जी० टी० रोड	४,८३,४१५	५ मील
	गंगा नहर के पश्चिमी मार्ग को सीमेंट से बनाना	३०,०००	१ मील
नई योजनायें द्वितीय पंचवर्षीय	(अ) नई पक्की सड़कें		
	१—रसूलाबाद—झींझक	३,३८,०००	६ मील ३ फर्लांग कच्ची सड़क को पक्का करना
	(ब) आधुनीकरण		
	चौबेपुर-बेला	२,२२,०००	३ मील
	पुरानी सड़कों का जीर्णोद्धार	..	कुछ नहीं

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—९७ एल० ए०—१९५७—७९६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १२ अगस्त, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३३२)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्सनी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्द ब्रह्म शाह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एम० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइँदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमण सिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयूर अली खां, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जंगबहादुरसिंह बिष्ट, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ महरा, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेंद्रसिंह भंडारी, श्री
नरेंद्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्भरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री

बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भ[illegible]लाल, श्री
भ[illegible]किशोर, श्री
भ[illegible]प्रसाद, श्री
मजूरुल[illegible], श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
[illegible]लाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मनिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
[illegible], श्री
[illegible]
[illegible], श्री
[illegible] राजा
[illegible], श्री
[illegible], श्री
[illegible], श्री
[illegible], श्री
[illegible] अग्रवाल, श्री
[illegible], श्री
मुजफ्फर[illegible], श्री
मुबारक अली खां, श्री
[illegible]धर कुरील, श्री
[illegible]प्रसाद '[illegible]', श्री
मुहम्मद [illegible] अघमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
[illegible]लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री

यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुबीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजेंद्र किशोरी, श्रीमती
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेंद्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
[illegible]भिलाष, श्री
[illegible]श्वर, श्री
रामकृष्ण [illegible], श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र [illegible], श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
[illegible], श्री
[illegible]
[illegible]
[illegible], श्री
[illegible], श्री
[illegible]प्रसाद, श्री
[illegible], श्री
रामप्रसाद [illegible], श्री
[illegible]
राम[illegible], श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामलखी देवी, श्रीमती
रामलखन, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमुझावन, श्री

रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप शर्मा, श्री
रामहेरसिंह, श्री
रामानन्द राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शोभनाथ, श्री

श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अंसारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—माल उपमंत्री श्री परमात्मानन्द सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १२ अगस्त, १९५७ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

काल्विन हास्पिटल, इलाहाबाद में एक बैंक एकाउण्टेण्ट की मृत्यु

**१—श्री रामलक्षण (जिला बलिया)—क्या यह सत्य है कि काल्विन हास्पिटल, इलाहाबाद में किसी बैंक के एकाउण्टेंट का हार्निया का आपरेशन करते समय देहान्त हो गया ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)—जी हां।

**२—श्री रामलक्षण—क्या यह सच है कि उसमें पुलिस जांच करना चाहती थी, किन्तु जांच नहीं करने दी गयी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जी नहीं।

**३—श्री रामलक्षण—क्या सरकार इस घटना की पूरी-पूरी जांच करके जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—इस घटना की जांच कराई गई। रोगी की मृत्यु के लिये डाक्टर का उत्तरदायित्व नहीं पाया गया। रिपोर्ट गोपनीय होने के कारण उसका सदन के सामने रक्खा जाना सार्वजनिक हित में न होगा।

श्री रामलक्षण—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आपरेशन के पहले उस एकाउण्टेंट ने, जिसका आपरेशन किया गया, यह कहा था कि मेरा आपरेशन अभी न किया जाय, क्योंकि मैं खाना खा कर आया हूं ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—मुझे तो इत्तला यह है कि उनकी रजामन्दी से आपरेशन किया गया।

श्री रामलक्षण—क्या यह सच नहीं है कि उनके आपरेशन के दौरान में उनकी स्त्री आयी थी और उसने बारहा कोशिश की कि यह बतलाया जाय कि आपरेशन का क्या हुआ तो उसको यह कहा गया कि अभी अभी वे अच्छे हुए जाते हैं और अभी बाहर निकलते हैं, हालांकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी सूचना मुझे नहीं है।

प्रारम्भिक कक्षाओं में निःशुल्क शिक्षा के लिए आदेश

**४—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने कक्षा ६ तक की फीस माफी का आदेश राज्य के सभी स्कूलों को, सरकारी अथवा सरकार से सहायता पाने वाले स्कूलों को, भेज दिया है ? यदि हां, तो कब ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—कक्षा १ से ३ तक तथा कक्षा ४ से ५ तक की शुल्क-छूट के आदेश क्रमशः दिनांक १६ अगस्त, १९५६ तथा २५ जून, १९५७ को समस्त जिलाधीशों, शिक्षा संचालकों तथा अन्य सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दिये गये। कक्षा ६ में शुल्क-छूट के आदेशों के निकट भविष्य में निर्गत होने की आशा है।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४ श्री नामेश्वर द्विवेदी ने पूछा।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कक्षा १ से लेकर कक्षा ५ तक जो छूट दी गयी है उससे सरकार को कुल कितना नुकसान होगा?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—इसके फीगर्स तो इस वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि करीब ३५ लाख रुपये का नुकसान होगा। ऐसा अन्दाज आता है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आदेश भेजा गया है, उस आदेश के पहुंचने के पहले जो फीस वसूल करली गयी है उसकी वापसी के लिये भी कोई आदेश जारी किया जायगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कक्षा १ से ३ और कक्षा ३ से ५, इनमें तो कोई वसूली का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि आदेश जा चुका है। कक्षा ६ के लिये कोई आदेश गया ही नहीं है। बजट पास हो जाने के बाद वह आदेश जा सकेगा। आदेश जब जायगा तो जिस तारीख से वह छूट दी जायगी उस तारीख से वह लागू होगा। इसलिये वापस करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री [illegible] लहरी (जिला आगरा)—क्या यह सही है कि सरकार ने यह पहले घोषणा की थी कि कक्षा ३ तक बिना फीस शिक्षा रहेगी और इस प्रकार के घाटे की पूर्ति सरकार करेगी, लेकिन अब सरकार द्वारा केवल २ आने प्रति विद्यार्थी अनुदान दिया जा रहा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कक्षा १ से ३ और ३ से ५ तक के लिये एजूकेशन कोड में जो फीस रखी गई है, उम्मीद है कि चूंकि यह सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के स्कूल्स है, वही फीस ली जाती होगी और उस फीस को हमने माफ कर दिया है।

हाथ करघे के बने कपड़ों पर कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा बिक्री पर छूट

**५—श्री रामनारण यादव (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाथ करघे के बने हुए कपड़े की कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा बिक्री पर फी रुपया क्या रिबेट दिया जाता है?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—एक आना ६ पाई अथवा ६ नये पैसे फी रुपये की दर से रिबेट दिया जाता है।

टेहरी-गढ़वाल की पट्टी बड़ियारगढ़ के वर्षा से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता

**६—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि टेहरी-गढ़वाल के पट्टी बड़ियारगढ़ में जुलाई, १९५७ के पहले हफ्ता में हुई अतिवृष्टि के कारण कितनी क्षति हुई?

माल उपमंत्री (श्री परमात्मानन्दसिंह)—पट्टी बड़ियारगढ़ में जुलाई, १९५७ के पहले हफ्ते में हुई अतिवृष्टि से आठ गांवों की २० प्रतिशत भूमि तथा फसल नष्ट हो गई। २२ और गांवों में भी मामूली क्षति पहुंची। वर्षा के कारण ३ मकान भी गिरे।

**७—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—सरकार की ओर से क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को क्या-क्या सहायता दी जा रही है?

श्री परमात्मानन्दसिंह—जिले के क्षतिग्रस्त लोगों को १,५०० रुपये इमदाद बांटी जा चुकी है और ५,००० रुपये अहेतुक सहायता के लिये तथा १०,००० रुपये तकावी बांटने के लिए स्वीकृत किये गये हैं। ६० कम्बल व २ बेग कपड़े भी बांटे गये।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन--माननीय मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहती हूं कि हमारे यहां जो ५० हजार रुपया बांटने के लिये दिया गया है, यह कब तक बांटा जायगा ?

श्री परमात्मानन्दसिंह--इस ५० हजार की सूचना तो इस समय नहीं है। माननीय सदस्य अगर इसके बारे में प्रश्न दें तो उत्तर आ सकता है।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन--यह इसमें दिया है कि क्षतिग्रस्त लोगों को ५० हजार रु अनुदान बांटा जा चुका है और ५० हजार रुपया अहेतुक सहायता के लिये जो दिया गया, उसके लिये क्या फिर आपके पास सूचना भेजनी पड़ेगी या इसी को माना जायगा ?

श्री अध्यक्ष--इसमें जरा पढ़ने में गड़बड़ी हो रही है। यह आप ५ हजार को शायद ५० हजार पढ़ रही हैं। तो यह ५ हजार है, ५० हजार नहीं है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि ये कम्बल किस एजेंसी द्वारा बांटे गये ?

श्री परमात्मानन्दसिंह--इसकी सूचना इस समय तो मेरे पास नहीं है। मगर साधारणतः जो सरकार के अहलकार हैं, उन्हीं के द्वारा बांटे गये होंगे।

श्री प्रतापसिंह--क्या यह सही है कि ये कम्बल बांटे ही नहीं गये ?

श्री परमात्मानन्दसिंह--जो सरकार के पास सूचना है उससे तो यह स्पष्ट है कि बांटे गये हैं। अगर माननीय सदस्य को ऐसी सूचना है कि नहीं बांटे गये तो उसको हमारे दफ्तर में देने की कृपा करें तो उसकी जांच की जायगी।

विशेष पदाधिकारी, राजनीतिक पेन्शन विभाग, लखनऊ का कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ को पत्र

*८८--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष पदाधिकारी, राजनीतिक पेंशन विभाग, लखनऊ की ओर से आजमगढ़ जिले के कुछ राजनीतिक पीड़ितों के पास अप्रैल, मई एवं जून, सन् १९५७ में इस प्रकार का पत्र भेजा गया है कि उनका प्रार्थना-पत्र जिला कांग्रेस कमेटी, आजमगढ़ के प्रधान के पास प्रतिवेदन के लिये भेजा गया है, वहां से रिपोर्ट शीघ्र भेजवाने की कृपा करें ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां। जब किसी और सूत्र से ठीक ज्ञात नहीं होता तो जिला कांग्रेस कमेटी, प्रजा समाजवादी दल आदि संस्थाओं को कभी-कभी रिपोर्ट के लिए कागज भेजे जाते हैं और उसके पश्चात् विशेष पदाधिकारी का निर्णय होता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी और प्रजा समाजवादी दल के पास कितनी-कितनी दरख्वास्तें भेजी गयीं ?

श्री कैलाशप्रकाश--संख्या के लिए तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन दरख्वास्तों पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र रहता है उन दरख्वास्तों को जिला कांग्रेस कमेटी और प्रजा समाजवादी दल के पास भेजने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या यह सही है कि जो दरख्वास्तें जिला कांग्रेस कमेटी के पास प्रतिवेदन के लिए भेजी गयी थीं वे सभी की सभी दरख्वास्तें रद्द कर दी गयीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी सूचना तो इस समय हमारे पास है नहीं, लेकिन ऐसा होना नहीं है। अगर रिपोर्ट पूरी आ जाती है, नियमानुसार जितनी चाहिये, तो वे दरख्वास्तें रद्द नहीं की जातीं, मंजूर की जाती हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि जिला कांग्रेस कमेटी, आजमगढ़ के पास वही दरख्वास्तें भेजी गयी है, जिन पर अधिकतर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का पोलिटिकल सफरर का प्रमाण-पत्र है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अवश्य उसकी जांच करा लूंगा, अगर उन सज्जनों के नाम भी आप दे दें जिनके सम्बन्ध में सूचना आपने दी है। यह हो सकता है कि अगर कोई विवरण पूरा न हो, जो नियमानुसार होना चाहिये तो उस दरख्वास्त को रद्द किया जाना है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या जिन आवेदन-पत्रों का जिक्र माननीय सदस्य ने प्रश्न ८ में किया है, ये आवेदन-पत्र जिला कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ के ही पास भेजे गये या जिला कांग्रेस कमेटी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी दोनों के पास भेजे गये ?

श्री कैलाशप्रकाश---ये पत्र जिला कांग्रेस कमेटी के पास भेजे गये, क्योंकि जो प्रार्थी थे उनमें जो सूचना मांगी गयी थी वह स्वयं नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि यह सूचना जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्राप्त करने की कृपा करें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और किस प्रकार के कांग्रेस पार्टी के पास भेजे जाते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---जो स्वतंत्रता सैनिक इस बात को कहते हैं कि यह सूचना उनको प्रजा समाजवादी दल से प्राप्त हो सकती है, उनके वह पत्र प्रजा समाजवादी दल को भेजे जाते हैं और जो यह कहते हैं कि उनकी सूचना जिला कांग्रेस कमेटी से प्राप्त हो सकती है तो वह जिला कांग्रेस कमेटी के पास भेज दिये जाते हैं। ये जो प्रार्थना-पत्र भेजे जाते हैं, ये तो प्रार्थियों की सुविधा के लिए भेजे जाते है, जब वे पूरा ब्यौरा यहां नहीं दे सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रतिवेदन के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के पास दरख्वास्तें गयी हैं उनके प्रतिवेदन क्या विशेषाधिकारी के कार्यालय में आ गये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है कि कौन-कौन पत्र यहां आ गये हैं और कौन-कौन नहीं आये हैं। अगर आप नोटिस देंगे तो सूचना मंगाई जा सकती है।

बदायूं जिले के कुछ गांवों में फैली लैथरिज्म बीमारी के सम्बन्ध में सिविल सर्जन की रिपोर्ट

९---श्री हरिश्चन्द्रसिंह** (जिला बदायूं)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बदायूं के सिविल सर्जन ने इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट सरकार को दी है कि परगना सलेमपुर, जिला बदायूं में रामगंगा की दो धारों के बीच में जो ग्राम स्थित हैं, उनमें से ग्राम शेरपुर तथा अन्य निकटवर्ती ग्रामों में एक बीमारी जो लकवे की तरह है, संक्रामिक रूप में फैल रही

है ? उस रिपोर्ट में सिविल सर्जन ने इस बीमारी के क्या कारण बताये हैं ? क्या सरकार उस रिपोर्ट को हाउस की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जी हां, सिविल सर्जन की रिपोर्ट में यह ज्ञात होता है कि भूमि में वहां के किसान एक ऐसा अनाज पैदा करते हैं जिसमें १५ प्रतिशत चना और ८० प्रतिशत दूसरा अनाज, मसूर और कस्सी (एक प्रकार की मटर) मिला रहता है। यह अनाज जो बेझड़ कहलाता है उसका आटा यह खाते हैं और उसी से जहां तक अभी तक अनुमान होता है, यह बीमारी होती है। इसकी और भी जांच की जा रही है। रिपोर्ट बहुत लम्बी है। इसका सारांश संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४६१–४६० पर)

*१०—श्री हरिश्चन्द्रसिंह—सरकार इस रोग को रोकने के लिये क्या योजना बना रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—इस रोग के कारण और बचाने के उपाय एक किताब में छपा कर किताब मुफ्त बांटी जा रही है, जिसकी प्रतिलिपियां संलग्न† हैं। स्वास्थ्य विभाग के Nutrition Survey Officer भी इसकी और जांच कर रहे हैं और आशा की जाती है कि पूर्ण सुझाव इसकी रोक के शीघ्र सरकार के सामने आ जायेंगे, तभी अन्तिम निश्चय होगा।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बाज बाज घर ऐसे हैं जिनमें पूरे के पूरे आदमी इस रोग में ग्रसित हो गये हैं और कोई कमाने वाला नहीं रह गया है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—अभी तक तो मुझे ०२ आदमियों के बीमार होने का पता चला है।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह—जिस घर में छः आदमी हैं उसमें ६ आदमी बीमार हो गये हैं और कोई कमाने वाला नहीं रह गया है तो ऐसी हालत में सरकार उनके खाने का कोई प्रबन्ध करना उचित समझती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी इत्तला आने पर सरकार विचार करेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बीमारी का नाम क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लेथरिज्म।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जब बीमारी का नाम मालूम हो गया है तो सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालेगी कि जिनकी वजह से इस बीमारी की रोकथाम में दिक्कत हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी तो और पता लगाने की जरूरत है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब बीमारी का नाम मालूम हो गया है तो डायगनोसिस के बाद और क्या पता लगाने की जरूरत है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब सरकार बिल्कुल मुतमैय्यन हो जायगी तब करेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस अनाज के कारण यह बीमारी फैली है, उसके बोने या इस्तेमाल करने पर रोकथाम लगाने के लिये कोई आदेश जारी किये गये हैं ?

---

† छापी नहीं गयी।

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी यह कतई तौर से कहना ठीक नहीं है कि इसी अनाज से ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार इस पर विचार कर रही है कि किस तरह से इस बीमारी के बारे में मजीद जानकारी हासिल करे और उसकी रोकथाम की कोशिश करे।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने परिवार इस रोग के शिकार हो चुके हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कौन सा नया अनाज अब पैदा होने लगा है जो पहले नहीं होता था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह बड़ा पुराना अनाज है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बीमारी के पूरे कारणों की जांच के लिये और उसके प्रतिरोध के उपाय के लिये सरकार कोई मेडिकल एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैं सोच रहा हूं कि जिलाधीश को लिखूं कि एक मरीज यहां भेज दें बलरामपुर अस्पताल में, जहां उसकी परीक्षा की जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सिविल सर्जन को सीधे पत्र न लिख कर जिलाधीश बदायूं को क्यों लिख रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जैसा मुनासिब समझेंगे करेंगे. यह बताने की जरूरत नहीं है कि किस के जरिये से खत भेज रहे हैं।

तारांकित प्रश्न

मुजफ्फरनगर जिले में सिंचित भूमि

*१--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर जिले में प्रथम पंच वर्षीय योजना से पूर्व सरकारी साधनों (नहर, ट्यूब वेल) द्वारा कुल कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इसमें कितनी वृद्धि की गई ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)--मुजफ्फरनगर जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना से पूर्व कुल ४,७६,३६३ एकड़ सिंचाई की भूमि (irrigable area) थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इसमें ४०,२९७ एकड़ भूमि की वृद्धि हुई।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--माननीय सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ४०,२९७ एकड़ प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो सिंचाई बढ़ी है, उसमें कितनी वर्तमान सिंचाई के साधनों से बढ़ी है और कितनी नये सिंचाई के साधनों से बढ़ी है ?

श्री राममूर्ति--इसमें हमारे कुछ नलकूप बनाये गये, उनकी वजह से १६ हजार १ सौ ४८ एकड़ भूमि की सिंचाई बढ़ी कुछ गंगा नहर की कैपेसिटी बढ़ने की वजह से हुई और कुछ गंगा नहर में नालियां बढ़ायी गयीं।

*२--श्री वीरेन्द्र वर्मा--[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*३-४-- श्री जगदीशशरण अग्रवाल--[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५--श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)--[अस्वीकृत किया गया।]

*६-७--श्री रामहेर्तसिंह--[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*८--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*९--श्री कल्याणचन्द मोहिले--[९ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

शाहजहांपुर के स्टेट बैंक का स्थानांतरण

*१०--श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार शाहजहांपुर में स्टेट बैंक को चौक बाजार से हटा कर कचहरी में स्थापित करने के प्रश्न पर आवश्यक कार्यवाही करने का विचार करती है?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)--जी नहीं।

*११--श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--[२ सितम्बर १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*१२-१३--श्री झारखंडेराय--[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*१४-१५--श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)--[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*१६-१७--श्री नारायणदत्त तिवारी--[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

बिजली विभाग के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन

*१८--श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिजली विभाग के इन्स्पेक्टर व उनके क्लर्कों को कितनी तनख्वाह मिलती है?

श्री धर्मसिंह--विद्युत् विभाग में लाइन इन्स्पेक्टरों को १२०-६-१६२-ई० बी०-६-२१०-ई० बी०-१०-२५० रुपये मासिक वेतन तथा २५ रुपये मासिक प्रतिकर भत्ता (कंपन्सेटरी एलाउन्स) मिलता है। इनके साथ काम करने के लिये कोई क्लर्क नहीं दिया जाता है।

*१९--श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार यह बताने कृपा करेगी कि हाइडिल के सुपरिन्टेन्डेन्ट, हेड असिस्टेंट व स्टेनों को क्या तनख्वाह मिलती है?

श्री धर्मसिंह--विद्युत् विभाग के कार्यालयों में सुपरिन्टेन्डेन्ट नहीं होते। हेड असिस्टेन्ट तथा स्टेनो को निम्नलिखित वेतन मिलते हैं--

	हेड असिस्टेन्ट	स्टेनो
(१) चीफ इंजीनियर का कार्यालय ..	३००-२०-४०० रु० प्रति मास	१०८-५-१५८-ई० बी०-१०-२००-ई० बी०-२०-२८० रुपये प्रतिमास
(२) सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर का कार्यालय	२००-१०-२५० रुपये प्रतिमास	१००-५-१५०-ई० बी०-५-१६०-ई० बी०-१०-२०० रुपये प्रतिमास
(३) एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर का कार्यालय	..	७५-४-९५-ई० बी० -५-१५० रु० प्रति मास।

नोट--तारांकित प्रश्न १० श्री रामस्वरूप वर्मा ने पूछा।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालय में जो वेतन का अन्तर है, इसका क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह---वह तो अलग-अलग ड्यूटीज है और भिन्न-भिन्न कार्यालयों में काम करते हैं इसलिये ग्रेड्स में अन्तर है।

श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि दोनों कार्यालय के लोग एक ही विभाग के अन्तर्गत काम करते हैं ?

श्री धर्मसिंह---वे सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर के यहां काम करते हैं और वे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालय में काम करते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि जो लोग सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर और एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों के दफ्तर में हैं वे समान प्रकार के काम करते हैं ?

श्री धर्मसिंह---इसका तो उत्तर दे दिया गया है। अलग-अलग कार्यालय है और अलग-अलग काम हैं, इसलिये अलग-अलग ग्रेड्स हैं।

*२०-२१---श्री गौरीशंकर राय---[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

बुलन्दशहर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का वितरण

*२२---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले की तहसील सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर, खुर्जा व अनूपशहर में अलग-अलग कितने-कितने गांवों में रोशनी के लिये बिजली पहुंचाई जा सकी है ?

श्री धर्मसिंह---बुलन्दशहर जिले की निम्नलिखित तहसीलों में उनके सामने दी हुई संख्याओं के गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है :---

तहसील	गांवों की संख्या
१---सिकन्दराबाद	२८
२---बुलन्दशहर	१०७
३---खुर्जा	११
४---अनूपशहर	२५

*२३---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार यह बतायेगी कि दादरी टाउन एरिया, जिला बुलन्दशहर में वह बिजली लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मसिंह---फिलहाल नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या मंत्री जी तहसील सिकन्दराबाद के गांवों की सूची को यहां पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---सूची नहीं है, केवल नम्बर ही दिया गया है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गांवों की सूची है उनमें ऐसे भी गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंचा है ?

श्री अध्यक्ष---उनके पास जब सूची नहीं है तो जवाब कैसे दे सकते हैं, यह सवाल उठता नहीं है।

मैनपुरी जिले के नलकूप

*२४—श्री रघुवीरसिंह (जिला मैनपुरी), (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में कितने ट्यूबवेल लगे हुए हैं और उनमें से कितने इस समय काम नहीं दे रहे हैं?

श्री [illegible]—मैनपुरी जिले में इस समय तक ६५ नलकूप बनाये गये हैं, इनमें [illegible] (supplementary) नलकूप हैं, यह सभी नलकूप चालू हैं।

*२५—श्री झारखंडेराय—[७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

बरेली जिले में कशार लगाने के लिए सहायता न मिलना

*२६—श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में पिछले तीन सालों में कितने व्यक्तियों के लिये किन-किन स्थानों पर कशार लगाने के लिये कितना-कितना रुपया दिया गया?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—इस जिले में कशार लगाने के लिए गत तीन वर्षों में किसी को कोई रुपया नहीं दिया गया।

*२७—श्री शिवराजबहादुर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने व्यक्तियों ने रुपया पाने के बाद अब तक कशार नहीं लगाये?

श्री रऊफ जाफरी—प्रश्न नहीं उठता।

*२८—श्री शिवराजबहादुर—सरकार ने कशार के लिये दिये गये रुपये की वसूली का क्या तरीका रखा है?

श्री रऊफ जाफरी—प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिवराज बहादुर—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन तीन सालों में कितने व्यक्तियों ने कशार के लिये रुपया मांगा?

श्री रऊफ जाफरी—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री शिवराजबहादुर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितना रुपया गवर्नमेंट को इन ३ सालों में कशार लगाने के लिये देना था?

श्री रऊफ जाफरी—जैसा कि कहा गया इन ३ सालों में कोई रुपया कशार लगाने के लिए नहीं दिया गया।

गवर्नमेंट प्रिसीजन फैक्टरी, लखनऊ में माइक्रोप सेक्शन के कारीगरों के वेतन के सम्बन्ध में शिकायत

*२९—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि गवर्नमेंट प्रिसीजन फैक्टरी लखनऊ में माइक्रोप सेक्शन व अन्य सेक्शनों में कुछ कारीगरों को, जो जूनियर हैं, अपने से सीनियर वर्करों से, जो वही काम करते हैं, अधिक तनख्वाह मिलती है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री रऊफ जाफरी—जी नहीं।

रेलवे इन्जिन पुर्जा कारखाना स्थापित करने के लिए वाराणसी जिले के गांव कुकुरमुत्ता में भूमि लेने का निश्चय

*३०---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मडुवाडीह रेलवे इंजन पुर्जा कारखाना वाराणसी क्षेत्र के हजारों किसानों तथा ग्रामीण नागरिकों की केन्द्रीय सरकार एवं प्रान्तीय सरकार उत्तर प्रदेश तथा लोक सभा के सदस्य और विधान सभा के सदस्यों के नाम प्रकाशित अपील उन्हें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री रऊफ जाफरी---जी हां। सरकार ने यह निश्चय किया है कि रेलवे इंजन पुर्जा कारखाना स्थापित करने के लिये मौजा कुकुरमुत्ता (वाराणसी) सबसे उपयुक्त स्थान है। पर इसके लिये कम से कम भूमि प्राप्त की जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस कारखाने के लिए कुल कितनी जमीन की जरूरत है और इस गांव की कितनी जमीन ली जा रही है?

श्री रऊफ जाफरी---कारखाने के लिये तो करीब करीब २०० एकड की जरूरत होगी और यह कि इस गांव का रकबा क्या है इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस कुकुरमुत्ता गांव की कितनी जमीन इस कारखाने के लिये ली जा रही है?

श्री रऊफ जाफरी---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री [illegible] (जिला [illegible])---क्या [illegible] जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां के किसानों को उनकी जमीन लिये जाने पर मुआवजा किस रेट से दिया जायगा?

श्री रऊफ जाफरी---मुआवजे के लिये [illegible] उनको [illegible] मुनासिब मुआवजा दिया जायगा। रकम का निश्चय अभी नहीं हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---[illegible] बताने की कृपा करेंगे [illegible] लिया जा रहा है उसके पास के [illegible] और [illegible] चाहते हैं कि इस कारखाने के लिये वहां की जमीन [illegible]?

श्री रऊफ जाफरी---जैसा कि बतलाया गया, उसके करीब [illegible] भी हो सकता है कि उनकी जमीन भी हो, लेकिन जब इस गांव के किसानों का रिप्रेजेन्टेशन आया तो उसके बाद एक मीटिंग हुई और देखा गया कि [illegible] से यही जमीन कारखाने के लिये मुनासिब है। फिर यह तय हुआ कि जितनी कम से कम जमीन की जरूरत हो कारखाने के लिये वह ली जाय। उसमें नर्सरी और आबादी जो है वह न ली जाय और जितने लोग हैं उनको जमीन के लिये मुनासिब मुआवजा दिया जाय। यह सब फैसला हो गया है।

श्री झारखंडे राय---क्या उद्योग मंत्री जी बतलायेंगे कि इन गांव वालों की तरफ से जो डेपुटेशन सरकार से मिला था और उस ने दूसरी जगह के लिये जो सुझाव दिया था, उस जगह पर कारखाना स्थापित करने में सरकार के लिये क्या अड़चन थी?

श्री रऊफ जाफरी---दूसरी जगह, जो उन्होंने बतलायी थी वह मुनासिब नहीं मालूम हुई।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वहां की जो जमीन ली जा रही है वह कितने किसानों की ली जा रही है?

श्री रऊफ जाफरी---उसमें काफी किसान हैं। सही तादाद इस वक्त नहीं बतला सकता।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो जमीन कम्पेन्सेशन पर ली जा रही है उसके बदले में जो शिकारगाह है उसमें जमीन को मजरूआ करार कर वह किसानों को देना ठीक नहीं समझती ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, उस जगह महाराजा बनारस का कोई शिकारगाह नहीं है।

गवर्नमेंट सीमेंट फैक्टरी, चुर्क की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने का विचार

*३१--श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार कोई और नई सीमेंट फैक्टरी चुर्क सीमेंट फैक्टरी की बगल में बनाने वाली है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिये वर्तमान गवर्नमेंट सीमेन्ट फैक्टरी, चुर्क का ही प्रसार किया जा रहा है।

*३२--श्री रामसुन्दर पांडेय--[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*३३-३४--श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

भटनी चीनी मिल को पुनः चालू करने की प्रार्थना

*३५--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भटनी चीनी मिल इस वर्ष चालू हो जायेगी ? यदि हां, तो उसकी कौन सी व्यवस्था की जा रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--(क) भटनी मिल के इस वर्ष चालू होने की उम्मीद नहीं मालूम देती।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद जिले में नल-कूपों के लिए बिजली की दर कम करने का सुझाव

*३६--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद में ट्यूबवेल चलाने के लिये प्रति यूनिट बिजली क्या लिया जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह--फैजाबाद जिले में सरकारी नल कूपों को बिजली देने का मूल्य प्रति यूनिट १२·९ पाई से १४·५ पाई तक है। (मूल्य लोड फैक्टर के अनुसार घटता-बढ़ता है।)

फैजाबाद जिले में तालाबों और कुओं से सिंचाई पर रोक की शिकायत

*३७--श्री त्रिलोकीसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद में नल-कूपों के आसपास जो किसान तालाब अथवा कुओं से सिंचाई करते थे उन कुओं और तालाबों से सिंचाई करना नलकूप विभाग द्वारा रोक दिया गया है ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं, ऐसी कोई रोक नहीं लगाई है। नलकूपों के कमान्ड का काफी क्षेत्र अब भी तालाबों व कुओं से सींचा जाता है।

श्री गौरीशंकर राय--क्या सिंचाई मंत्री महोदय बतलायेंगे कि एक कुयें का कमान्ड एरिया कितना है और आप कितना सींच पाते हैं ?

श्री राममूर्ति--प्रत्येक कुयें का कमान्ड ६०० से लेकर १,००० हजार एकड़ तक रखा जाता है। पुराने जमाने में, सन् ३५ के बाद से १,००० एकड़ रखा जाता था. लेकिन इधर आबपाशी की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा हो गया है, इसलिये हमने कमान्ड को घटा दिया है और अब ६००, ७०० एकड़ रहता है। जहां तक सिंचाई का ताल्लुक है, क्योंकि पूर्वी इलाके में, जिस इलाके का माननीय सदस्य सवाल कर रहे हैं अभी तक लोगों की रुचि कुयें के इस्तेमाल की तरफ पूरी तरह नहीं हो रही है तो वहां पर अभी ज्यादा से ज्यादा १००, २०० एकड़ लोग सींच लेते हैं, लेकिन पश्चिमी जिलों में जहां पर लोग ज्यादा पानी देना जानते हैं वहां पर ४००, ५०० एकड़ में एक कुयें से सिंचाई हो जाती है और साल भर में ४, ५ हजार घंटे तक कुयें चल जाते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सिंचाई मन्त्री जी को सूचना है कि बिजली का जो रेट है इसका पर यूनिट ज्यादा चार्ज होने की वजह से जो उस कमान्ड एरिया के रहने वाले लोग हैं वे ट्यूबवेल का लाभ नहीं उठाते और सिंचाई पूरी नहीं कर पाते ?

श्री राममूर्ति--ऐसा हो सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--तो क्या सरकार का यह सिंचाई विभाग और बिजली विभाग मिलकर कोई ऐसी योजना बनायेंगे, जिससे बिजली की यूनिट का रेट और सिंचाई का रेट दोनों मिलकर किसानों पर वाजिब तरीके पर लागू हो सके और किसान सिंचाई का लाभ उठा सकें ?

श्री राममूर्ति--सरकार इस बात पर विचार कर रही है।

सिंचाई विभाग के ओवरसियरों को मोटर साइकिल एलाउन्स

*३८--श्री गज्जूराम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सिंचाई विभाग के ओवरसियरों को मोटर साइकिलों का एलाउन्स दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना और कितने मील के वर्क पर ?

श्री राममूर्ति--जी हां, सिंचाई विभाग के ओवरसियरों को, यदि वे मोटर साइकिल रक्खें तो, २५ रुपया महीना मोटर साइकिल एलाउन्स दिया जाता है। वर्क की दूरी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

झांसी जिले में विलीन रियासतों के पेन्शनर्स को मंहगाई भत्ता देने की प्रार्थना

*३९--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में विलीन हुई रियासतों के पेन्शनर लोगों को महंगाई का भत्ता दिया जाता है या नहीं ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं।

श्री लक्ष्मण राव कदम--जब कि सरकार वहां के अन्य कर्मचारियों को अपने कर्मचारियों की तरह सभी सुविधा तथा स्केल आदि दे रही है, तो क्या वह पेन्शनर्स को महंगाई देने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह--सरकार ने इस बात पर विचार किया और उसको रिजेक्ट कर दिया

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार इसके कारण बताने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह--जिन लोगों को पेंशन मिल रही थी उनके स्टेट के अलग नियम थे और हमारे अलग थे, वे मिन्गिल नहीं हो सकते थे ।

श्री झारखंडेराय--कितने ऐसे पेंशनर हैं जिन्हें पेंशन देनी पड़ती है ?

श्री धर्मसिंह--नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उनको ग्रेड रियासतों के दिये जा रहे हैं या उत्तर प्रदेश के ?

श्री धर्मसिंह--जो स्टेट में पेंशन या ग्रेड के नियम थे वही लागू किये गये हैं ।

श्री रामस्वरूप शर्मा (जिला कानपुर)--क्या इस पेंशन के अन्तर में समानता लाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह--इसकी कोई जरूरत नहीं है ।

*४०--श्री लक्ष्मणराव कदम--[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

भरौली बाजार और बांस देवरिया में बिजली कार्यालय के कर्मचारियों के निवास स्थान के लिये ली गई जमीन का मुआवजा न मिलना

*४१--श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया खास के कुछ काश्तकारों की जमीनें सरकार द्वारा बिजली कार्यालय बनाने के लिये ली गई ? उसका मुआवजा अब तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री धर्मसिंह--कर्मचारियों के निवास स्थान बनाने के लिये जो भूमि भरौली बाजार और बांस देवरिया में ली गई है, तत्सम्बन्धी पत्रादि मार्च, १९५५ में स्पेशल लैन्ड एक्वीजिशन आफिसर रायबरेली को समुचित कार्यवाही के लिये कलेक्टर देवरिया ने भेजे थे। ये पत्रादि लैन्ड एक्वीजिशन आफिसर, गोरखपुर के कार्यालय स्थापित होने पर अगस्त, १९५५ में रायबरेली से गोरखपुर स्थानान्तरित कर दिये गये । पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लैन्ड एक्वीजिशन आफिसर गोरखपुर के कार्य में विशेष रूप से वृद्धि हो जाने के कारण इस मुकदमें में कार्यवाही पूर्ण रूप से अब तक नहीं हो सकी है । तुरन्त मुआवजा देने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में एक लैंड एक्वीजीशन आफिसर पहले से ही है तो ये कागजात गोरखपुर क्यों भेजे गये ?

श्री धर्मसिंह--उसका आफिस तोड़ दिया गया था, इसलिये गोरखपुर भेजे गये ।

*४२--श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४३-४५--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४६-४७--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४८--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

अमरीकन इन्फार्मेशन सर्विस के लोगों द्वारा रिहन्द बांध के चित्र लेना

*४९--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या यह सत्य है कि गत मार्च में अमरीकन इन्फार्मेशन सर्विस के कुछ व्यक्ति रिहन्द बांध देखने गये थे, यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उन्हें आवश्यक आज्ञा बांध देखने के लिये दी थी ?

श्री धर्मसिंह--कुछ चुने हुये भारतीय संवाद-दाताओं को रिहन्द बांध दिखलाने के लिये यूनाइटेड स्टेट्स इनफारमेशन सर्विस ने प्रबन्ध किया था और राज्य सरकार को इसकी सूचना थी।

*५०--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार को ज्ञात है कि ऊपर कहे गये व्यक्तियों ने बांध के कुछ चित्र भी लिये थे ?

श्री धर्मसिंह--भारतीय संवाद-दाताओं की पार्टी ने जिसको विभाग के उच्च अधिकारियों ने बांध-स्थल दिखलाया कुछ चित्र लिये थे।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन चुने हुए भारतीय संवाद-दाताओं को रिहन्द बांध दिखाने का यूनाइटेड स्टेट्स इन्फार्मेशन सर्विस ने क्यों प्रबन्ध किया ?

श्री धर्मसिंह--उन्होंने चीफ इंजीनियर, इलैक्ट्रिसिटी, को सूचना भेजी थी कुछ दिन पहले ही कि हम देखना चाहते हैं। चीफ इंजीनियर ने सरकार से मालूम किया और उसके बाद निर्णय किया कि वे देख सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--मैंने यह प्रश्न पूछा कि यह प्रबन्ध उनको ओर से क्यों किया गया था ?

श्री धर्मसिंह--इसका कारण एक तो यह है कि वे कुछ थोड़ी सी एड देते हैं और कायदे में उनको सैन्ट्रल वाटर ऐन्ड पावर कमीशन के द्वारा इत्तला देनी चाहिये थी, लेकिन चूंकि समय कम था, इसलिये चीफ इंजीनियर ने सरकार के द्वारा निर्णय कर लिया कि वे देख सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--यूनाइटेड स्टेट्स इन्फार्मेशन सर्विस जो बांधों के चित्र आदि लेती है उनको अमेरीकन इन्टैलीजैन्स डिपार्टमेंट को भेज देती हैं, तो क्या सरकार इसे रोकने का कोई प्रबन्ध कर रही है ?

श्री धर्मसिंह--यह केन्द्रीय सरकार से संबंधित है, इसके लिये नहीं कहा जा सकता कि क्या करती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या प्रदेशीय सरकार ने विदेशी संवाद-दाताओं या पर्यवेक्षकों के लिए प्रदेश के विकास के कार्यों को देखने के लिये नियम बनाये हैं ?

श्री धर्मसिंह--भारतीय सरकार बनाती है और उसके अनुसार हम कार्य करते हैं।

श्री झारखंडेराय--जो चित्र व रिपोर्ट वे बाहर भेजते हैं उसकी प्रति प्रदेशीय सरकार को भी वे देते हैं या नहीं और क्या सरकार लेने की अपेक्षा करती है ?

श्री धर्मसिंह--इस केस में ऐसा नहीं किया गया है और यदि आवश्यकता पड़ी तो भारतीय सरकार को लिखा जायगा कि प्रतिलिपि भेज दी जाय।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--जो चित्र अमेरिकन्स ने लिये, क्या वे भारतीय संवाद-दाताओं के पास ही हैं या यूनाइटेड इन्फार्मेशन के पास भेज दिय गये है ?

श्री धर्मसिंह--नोटिस की आवश्यकता है ।

*५१-५२--श्री राजूराम--[२० अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न ८५-८६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

फिरोजाबाद के कोआपरेटिव ग्लास वर्क्स को कोयला न मिल सकना

*५३--श्री जगन्नाथ लहरी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहकारिता के आधार पर फिरोजाबाद की जनता ने जो एक कोआपरेटिव ग्लास वर्क्स खोलने का निश्चय करके उसकी विधिवत् रजिस्ट्री आदि भी करा ली थी उसे चालू करने के लिये कोयला आदि का कोटा अब तक क्यों स्वीकृत नहीं किया गया है ?

श्री रऊफ जाफरी--कांच की चूड़ियां बनाने के हेतु कोयले आदि की मांग प्रस्तुत करने पर उल्लिखित ग्लास वर्क्स को सलाह दी गई कि फिरोजाबाद में चूड़ी के अत्यधिक कारखाने होने के कारण वे कांच का अन्य माल बनावें । उन्होंने इस सलाह को मान लिया और उन्हें आश्वासन दिया गया कि जब वे अपना कारखाना चालू करें तो सूचना दें, ताकि उनकी कोयले आदि की मांग पर विचार किया जाय, परन्तु बाद में उक्त ग्लास वर्क्स ने फिर चूड़ी बनाने के लिये कोयले आदि की मांग पर जोर दिया, जो स्वीकार नहीं की जा सकी ।

श्री जगन्नाथ लहरी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह इस कोआपरेटिव ग्लास वर्क्स को दूसरे कांच के सामान के लिये अब भी कोटा देने के लिये तैयार है ?

श्री रऊफ जाफरी--यह आश्वासन तो उन्हें पहले ही दे दिया गया था ।

*५४-५५--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--[१३ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ६-७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*५६--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

सोहावल बिजली घर से नलकूपों को पर्याप्त बिजली न मिलना

*५७--श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि सोहावल का बिजलीघर इतनी बिजली नहीं दे पाता कि जिले के नल-कूप आवश्यकता के अनुसार जल खींच सकें ?

श्री धर्मसिंह--नल कूपों को बिजली इस समय रोस्टरिंग (rostering) से दी जाती है, लेकिन जिस समय फैजाबाद का स्टीम का बिजली घर (Steam Power Station) तैयार हो जायगा नलकूपों को पूरी बिजली दी जायगी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि फैजाबाद का स्टीम बिजली घर कब तक तैयार हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह--अक्तूबर के अन्त तक उम्मीद की जाती है ।

टांडा नहर चलाने के लिए पम्पिंग सेट्स

*५८--श्री देवीप्रसाद मिश्र (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टांडा नहर में कितनी पानी खींचने वाली मशीनें लगेंगी और कितनी मशीनों के मंगाने का प्रबन्ध किया जा चुका है ?

नोट--तारांकित प्रश्न ५७-५८ श्री रामस्वरूप वर्मा ने पूछे ।

श्री राममूर्ति--टांडा नहर को चलाने के लिए ६० क्यूसेक्स शक्ति वाले कुल ६ पम्पिंग सेट्स की आवश्यकता है। इनमें से २ पम्पिग सेट्स प्राप्त हो चुके हैं, शेष ४ पम्पिग सेट्स के लिए डाइरेक्टर आफ इण्डस्ट्रीज, कानपुर से टेंडर प्राप्त हो चुके हैं, जो अभी विचाराधीन हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह ४ जो बाकी रह गये है वे कब तक मिल जायंगे ?

श्री राममूर्ति--आशा की जाती है कि मार्च तक मिल जायेंगे।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह नहर कब खोदी गई और कितने साल के बाद और मशीन के लिये कब इंडेंट हुआ ?

श्री राममूर्ति--गालिबन ५४ के बाद इसका खोदना शुरू हुआ, लेकिन यह मुझे नहीं मालूम कि मशीन के लिये कब लिखा गया।

इटावा जिले के नहर विभाग में अमीन व पतरौल के चुनाव में परिगणित जाति के व्यक्ति न लेने पर आपत्ति

*५९--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सन् १९५६ में और ३० जून, सन् १९५७ तक इटावा जिले में नहर विभाग के कितने अमीन व पतरौल चुने गये ? उनमें क्रमशः पिछड़े वर्ग व परिगणित जातियों के लोगों की संख्या क्या है ?

श्री राममूर्ति--सन् १९५६ में ११ आदमी पतरौल के पद के लिये चुने गये। इनमें से ३ व्यक्ति पिछड़ी जातियों के हैं। सन् १९५७ में ३० जून तक अमीन और पतरौल के पद के लिये कोई भर्ती नहीं हुई।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ये तीनों व्यक्ति पिछड़ी जातियों के ही हैं या उनमें कोई परिगणित जाति का भी है ?

श्री राममूर्ति--तीनों पिछड़ी जातियों के ही हैं, परिगणित का कोई नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--संविधान के अनुसार १८ प्रतिशत उनको मिलने के नियम का इसमें ध्यान क्यों नहीं रखा गया और क्या कारण है कि परिगणित जाति का एक भी व्यक्ति नहीं लिया गया ?

श्री राममूर्ति--सरकार की बराबर यही कोशिश है कि बैकवर्ड और परिगणित जातियों के लोग ज्यादा से ज्यादा लिये जावें। अनुपात से अधिक संख्या भी लेने की कोशिश की जाती है, परन्तु दरख्वास्तें काफी नहीं आ पाती हैं। कई बार हिदायतें कर दी गई हैं कि बैकवर्ड और परिगणित जातियों के लोग ज्यादा लिये जावें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--पतरौलों की दरख्वास्तों में परिगणित जाति के लोगों की दरख्वास्तें थीं या नहीं ? अगर थीं, तो कितनी और उनके व्यक्ति क्यों नहीं लिये गये ?

श्री राममूर्ति--इसकी सूचना मेरे पास इस वक्त नहीं है ? दोबारा यदि प्रश्न कर दिया जाय तो पूरी जानकारी मंगाकर पेश कर दी जायगी।

मिर्जापुर जिले में नलकूपों की आवश्यकता

*६०--श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेंगी कि मिर्जापुर जिले में कितने नलकूप इस वर्ष लगने वाले हैं ?

श्री राममूर्ति--मिर्जापुर जिले में इस वर्ष कोई नलकूप लगाने का विचार नहीं है।

*६१-६२--श्री रघुनाथसहाय यादव (जिला फतेहपुर)--[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

हिन्दू-मुस्लिम बताशा एसोसिएशन नूरी दरवाजा का प्रार्थना-पत्र

*६३--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या हिन्दू-मुस्लिम बताशा एसोसियेशन नूरीदरवाजा की तरफ से बताशों को बिक्रीकर से बरी करने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आया है ? अगर हां, तो सरकार ने उसके संबंध में क्या कार्रवाई की ?

श्री धर्मसिंह--जी हां। सरकार को २० जुलाई, १९५७ को एक अभिवेदन (रिप्रेजेन्टेशन) प्राप्त हुआ था जो विचाराधीन है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बतायेगी कि इस संबंध में सरकार का फैसला कब तक हो जाने की संभावना है ?

श्री धर्मसिंह--इसको हम एक्जामिन करा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका फैसला हो जाय ।

*६४--६५--श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)--[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६६--श्री अमरेशचन्द्र पांडेय--[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

रिहन्द डैम के इंजीनियरों की गाड़ियों पर व्यय

*६७--श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि १९५६ में रिहन्द डैम (Rihand Dam) के इंजीनियरों के पास कितनी-कितनी सरकारी गाड़ियां थी ? उस वर्ष में उन पर कितना रुपया पेट्रोल, मरम्मत और रख-रखाव में व्यय हुआ ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

हैण्डीक्राफ्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिए सहकारी समितियां स्थापित करने का विचार

*६८--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या राज्य सरकार प्रदेश में हैण्डीक्राफ्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिये कोआपरेटिव सोसायटीज कायम करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उनकी क्या रूप-रेखा होगी और किन-किन जिलों में ये सोसाइटियां स्थापित होंगी ।

श्री रऊफ जाफरी--ऐसी सहकारी समितियां स्थापित करने का प्रयास सरकार की औद्योगिक सहकारी योजना के अन्तर्गत प्रथम ही से किया जा रहा है और निर्धारित नियमानुकूल उनकी रजिस्ट्री भी की जाती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के लगभग हर जिले में सहकारी समितियां स्थापित करने का लक्ष्य है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक किन-किन जिलों में ये सोसाइटीज कायम की जा चुकी हैं ?

श्री रऊफ जाफरी--यह फेहरिस्त में दिया हुआ है। फिर भी ३० जून तक ५२७ समितियां कायम हुईं ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सरकार की ओर से इन सोसाइटीज को कोई आर्थिक सहायता भी दी जाती है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री रऊफ जाफरी--सहायता दी जाती है, लेकिन कितनी, यह उनकी जरूरत, उसके बारे में जांच के नतीजे पर मुनहसिर रहता है और इस पर भी कि वे कैसा काम करती है।

*६९-७१--श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)--[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

गवर्नमेंट प्रेस इम्प्लाइज एसोसियेशन की ओर से मांगें

*७२--श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसके द्वारा गवर्नमेंट प्रेस इम्प्लाइज एसोसिएशन की ओर से मजदूरों की लिखित मांगे आई हैं? यदि हां, तो वे क्या हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सरकार के पास समय-समय पर ऐसोसिएशन की ओर से विभिन्न विषयों पर मांगे आई हैं। ये मांगे मुख्यतः वेतन व मंहगाई भत्ते की वृद्धि, शिफ्ट ड्यूटी के घंटों में परिवर्तन आदि से सम्बन्धित हैं। अधिकांश मांगे व्यक्तिगत है, जिनकी संख्या इतनी अधिक है कि उनका विवरण सदन में देना सम्भव नहीं है। यदि सदस्य महोदय किसी विशेष मांग के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना चाहे तो नोटिस देने पर सूचना दी जा सकती है।

*७३--श्री जवाहरलाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि उक्त मांगों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मुख्य मांगों पर, जैसे वेतन में वृद्धि, टास्क-वरकर्स की छुट्टी देने के नियमों में परिवर्तन, टास्क वरकर्स को बोनस इत्यादि पर कर्मचारियों के पक्ष में सरकारी निर्णय हो चुके है, शेष उन मांगों पर जिनका सम्बन्ध किसी कर्मचारी विशेष से है, सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

*७४--श्री रामसुन्दर पांडेय--[२ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किया गया।]

*७५-७६--श्री रघुवीरसिंह--[२ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

हल्द्वानी तहसील में जलकष्ट निवारणार्थ कार्य

*७७--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हल्द्वानी तहसील, जिला नैनीताल में भावरी काश्तकारों के हेतु जलकष्ट के निवारणार्थ वह क्या कदम उठा रही है?

श्री राममूर्ति--हल्द्वानी तहसील में जलकष्ट के निवारणार्थ निम्नलिखित कार्य हुए हैं--

(अ) गौलाबार क्षेत्र की नहरों की मरम्मत हाल ही में कर दी गई है। पानी की सुविधा के लिये गौला हेडवर्क्स की भी काफ़ी मरम्मत कर दी गई है।

(ब) गौलाबार क्षेत्र की जो नहरें रेत से पटी थीं, उन्हें गत वित्तीय वर्ष (१९५६-५७) में साफ करा दिया गया है और अब यह नहरें पूरी मात्रा में जल वितरण कर सकेंगी। इसके अतिरिक्त बेरीघाट बरसाती के पास एक रेगुलेटर इस दृष्टिकोण से बनाया गया है कि फिर इस क्षेत्र की निचली नहरों को अविरल जल मिल सके एवं बेरीघाट बरसाती की भी यथोचित मरम्मत कर दी गई है ताकि वह ठीक प्रकार से पानी दे सके।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन उपायों से कितना क्यूसेक पानी गौला नहर में बढ़ा है?

श्री राममूर्ति——मेरे पास इसकी इस वक्त सूचना नहीं है। अगर इसके बारे में फिर से कोई प्रश्न कर दिया जाय तो मैं उसका जवाब डिटेल में मंगा लूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी——क्या सरकार के पास भविष्य में कोई ऐसी योजना है कि जो यहां पर जलकष्ट है वह दूर हो सके ?

श्री राममूर्ति——अभी जो मरम्मत की गयी है उससे नहर की खराबी को दूर कर दिया गया है और अब इससे नहर को पूरी कैपेसिटी में पानी मिलेगा।

श्री प्रतापसिंह——क्या यह सही है कि जो बैरीघाट बांध बना है वह इस तरह से बंधा है कि गोलापार की सतह ऊंची हो जाने से पानी उसमें नहीं जा सकता और उसके कारण किसानों को धान के लिये पानी नहीं मिलता ?

श्री राममूर्ति——यह तो मालूम नहीं है, लेकिन पहले जो खराब हालत थी उसके मुकाबले में अब हालत बहुत अच्छी है। अब पानी अच्छी तरह मिलना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी——क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो वहां पर जलकष्ट है, जिसमें पीने का पानी भी शामिल है, उसके हेतु उन्होंने क्या उपाय किया है ?

श्री राममूर्ति——वैसे हलद्वानी में सरकार ने एक ट्यूबवेल बनवाया है, ताकि वहां के लोगों को पीने का पानी मिल सके।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी का उत्पादन

*७८——श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)——क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी का उत्पादन निर्माण के बाद प्रतिवर्ष क्या रहा ? उसमें अब तक कितना रुपया लग चुका है ?

श्री रऊफ जाफरी——

१९५४–५५	..	..	..	..	८४,४५९	टन
१९५५–५६	..	..	..	..	१,७७,९५५	,,
१९५६–५७	..	..	..	..	१,९६,३५०	,,
कुल लागत	..	..	..	..	४६७.६६	लाख
					या ४६८	लाख

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)——क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इस लागत में कितना व्यय आवर्त्तक और कितना अनावर्त्तक है ?

श्री रऊफ जाफरी——यह जो बताया गया है यह सब कैपिटल एक्सपेंडीचर और डेवलपमेंट एक्सपेंडीचर है।

श्री शिवप्रसाद नागर——क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रश्न का आधे भाग का जो उत्तर छूट गया है, क्या उस का भी उत्तर देने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष——इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री जगदीशप्रसाद——क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि व्यावसायिक आधार पर हिसाब लगाने पर यह फैक्टरी लाभ में चल रही है या हानि में चल रही है ?

श्री रऊफ जाफरी——लाभ में।

नोट:——तारांकित प्रश्न ७८ श्री जगदीशप्रसाद ने पूछा।

श्री जगदीशप्रसाद--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पिछले वर्ष इसका लाभ क्या है ?

श्री रऊफ जाफरी--यह फीगर मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन शायद नौ लाख रुपये के करीब हुआ था।

राजभवन, विधान भवन, विधायक निवास एवं मंत्रियों के निवास स्थानों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों का वेतन

*७९--श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० के अन्तर्गत राजभवन, विधान भवन, विधायक निवास एवं मन्त्रियों के निवास भवनों की देख-रेख करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन किस दर पर दिया जाता है ?

श्री धर्मसिंह--राजभवन, विधान भवन, विधायक निवासों एवं मंत्रियों के निवास भवनों की देखरेख के लिये १९३ कर्मचारी नियुक्त हैं। उनके वेतन का ब्योरा नत्थी किये गये नक्शे में है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४९३ पर)

श्री श्रीनाथ--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त कर्मचारियों से कभी कभी काम करने के निर्धारित समय के अतिरिक्त भी काम लिया जाता है? यदि हां, तो क्या उनको अतिरिक्त पारिश्रमिक भी दिया जाता है ?

श्री धर्मसिंह--वह तो जो नियम बना है काम करने का, उसी के अनुसार किया जाता है।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें ऊंचे से ऊंचे किस दर्जे के कर्मचारी हैं और नीचे से नीचे किस दर्जे के कर्मचारी हैं ?

श्री धर्मसिंह--जो लिस्ट है उसके अनुसार ऊंचे दर्जे के तो वर्क सुपरवाइजर हैं और नीचे दर्जे के खलासी, फराश, कुली इत्यादि हैं।

*८०-८१--श्री जगदीशशरण अग्रवाल--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

राप्ती-सरयू कटाव निरोधक उपायों की आवश्यकता

*८२--श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)--क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि राप्ती-सरयू कटाव निरोधक योजना इस पंचवर्षीय योजना में लागू होगी ?

श्री राममूर्ति--ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रामजीसहाय--क्या सरकार को ज्ञात है कि देवरिया जिले में बरहज का कटाव शारदा और नगवा से और करकोल का कटाव राप्ती से तेजी से हो रहा है, जिससे करोड़ों रुपये की सम्पत्ति की हानि की संभावना है ?

श्री राममूर्ति--जैसा कि माननीय सदस्य ने फरमाया, सही हो सकता है, लेकिन सरकार की दिक्कत यह है कि इन दरियाओं में ढाल बहुत ज्यादा है और यह कटाव का काम हर साल हुआ करता है। तखमीना यह हुआ है कि अगर इनके ऊपर स्पर्स बनाये जायं तो करीब एक करोड़ रुपया हर मील में खर्चा होगा। यह इतनी ज्यादा कीमत है कि जिसकी वजह से सरकार कोई ऐसा काम करने की योजना बनाती नहीं।

नोट--तारांकित प्रश्न ८२ श्री रामजीसहाय ने पूछा।

*८३-८५—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

१—श्री वीरेन्द्र वर्मा—[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिले के रामपुर में धुनौली गांव में भुखमरी से अभिकथित मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब हमारे सामने कुछ कार्य-स्थगन प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव श्री श्री झारखंडेराय और श्री चन्द्रजीत यादव का है। वह इस प्रकार है—

"आजमगढ़ जिले के दोहरीघाट थाना रामपुर-धनौली गांव की हरिजन बस्ती के मेल्हू हरिजन की एक सप्ताह तक उपवास करने के बाद गत ८ अगस्त को भुखमरी से मौत तथा उसके पूरे परिवार की अर्द्ध-भुखमरी की हालत में आज भी जीवनयापन की स्थिति पर विचार हेतु यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

झारखंडे राय जी स्वयं गये हुए थे और उन्होंने इसकी जांच करके, इस तरह की घटनाओं का जिक्र उसमें किया है।

मैं जानना चाहूंगा सरकार की तरफ से कि इसमें क्या वास्तविकता है?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, यह तो मुझे अभी आध घंटा हुआ मिला है। इसकी तहकीकात नहीं कर सका। बहरहाल, अगर आप हुक्म देंगे तो आज दिन भर में पुछवा लूंगा कि क्या सूरतहाल है। मैं कल कोई बयान दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—जांच के बाद इसके बारे में आप इत्तला सदन को दे दें।

जहां तक इस कामरोको प्रस्ताव का सम्बन्ध है मैं उसके बारे में निर्णय तो दिये देता हूं, क्योंकि अभी बजट का विवाद चलता ही जाता है और आज जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का बजट भी है, मेरा खयाल है कि उस विवाद में यह सवाल उठाया जा सकता है और तब तक आप पता भी लगा लें। अब इसके सिलसिले में अगर कोई टीका टिप्पणी बजट अनुदान के विवाद में हुई तो माननीय मुख्य मंत्री जी उसका जवाब दे सकते हैं। इस लिये मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री सैयद अली जहीर—परसों मेरा बजट भी होने जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—तो उसमें भी जिक्र आ सकता है, लेकिन आपको सही वाकयात की इत्तला सदन को दे देना है।

आजमगढ़ शहर में बम विस्फोट के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कामरोको प्रस्ताव सर्वश्री झारखंडेराय तथा चन्द्रजीत यादव जी का है जो इस प्रकार है—

"आजमगढ़ शहर में एक सप्ताह के भीतर तीन बार गत मंगलवार ६ अगस्त को रात ९ बजे एक तथा गत शुक्रवार ९ अगस्त को रात ९ बजे दो बम-विस्फोट तथा इस विषय

[श्री अध्यक्ष]
में पुलिस की अब तक कुछ भी पता लगा सकने में असफलता से उत्पन्न जन आतंक, व्याप्त असंतोष, बेचैनी तथा तनाव के वातावरण पर विचार हेतु यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है ।"

इस पर भी थोड़ा बहुत आज जिक्र हो सकता है । २२ तारीख को पुलिस अनुदान भी आयेगा, उस में भी जिक्र हो सकता है और तब तक शायद उसकी जांच भी हो जायगी, लेकिन माननीय मंत्री जी अगर यह अपेक्षा कर रहे हैं कि शायद मैं उनसे कहूं कि वह अब तक की सूचना सदन को दे दें तो मैं उन्हें अनुमति दे दूंगा ।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--थोड़ी सी सूचना मैंने मंगा ली है जरूर, क्योंकि साढ़े दस बजे के बाद यह मिला तो कोशिश इस बात की की कि टेलीफोन से वहां के स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके पता लगा लूं । जो सूचना मिल सकती थी अभी वह यह है । ६ अगस्त को एक दूकान में रात को किसी ने फेंकर फेंका, उससे उस दूकान के दरवाजों को कुछ जरूर नुकसान पहुंचा और किसी को कोई चोट नहीं लगी । इसके बारे में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इनवेस्टीगेशन हो रहा है । और ९ अगस्त को फिर किसी ने एक ऐसा ही पटाखा फेंका, जिसमें एक आदमी गिरफ्तार किया गया है । यह बात सही नहीं है कि ९ अगस्त की रात को २ बम कहीं फटे । पटाखे जरूर फटे, जिसमें एक आदमी गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे भी जांच हो रही है । और यह साधारण सी घटना थी, लेकिन पुलिस इसका पता लगाने की चेष्टा कर रही है । और आजमगढ़ शहर में या जिले में सौभाग्य से न कोई आतंक व्याप्त है, न असंतोष, न बेचैनी है ।

श्री अध्यक्ष--मैं तो सूचना देने के लिये आप से कह रहा था ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना ही दे रहा हूं मान्यवर, और कुछ नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--कौन पटाखा बम है और कौन बम पटाखा है इसकी जानकारी कैसे हो ?

श्री अध्यक्ष--यह तो राय का सवाल है । इसके जो माहिर हैं बम वाले, उनसे पूछिये ।

प्रतापगढ़ जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों द्वारा भूख हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--तीसरा कामरोको प्रस्ताव श्री रामस्वरूप वर्मा जी का है :

"प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट जेल में जेल अधिकारियों के दुर्व्यवहार तथा खाने में गड़बड़ी व गन्दगी के विरोध स्वरूप ३१ जुलाई से सोशलिस्ट सत्याग्रहियों ने भूख हड़ताल प्रारम्भ की । ३ अगस्त, सन १९५७ को अचानक जेल अधिकारियों ने सोशलिस्ट सत्याग्रहियों पर बरबर्तापूर्ण लाठी चार्ज करवाया, जिसमें अनेक सत्याग्रहियों को चोटें आयीं । फलस्वरूप जेल तथा प्रदेश के नागरिकों में रोष तथा असन्तोष का वातावरण फैल गया है ।

अतः इससे उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है ।"

यह भी जेल के अनुदान के समय आ सकता है और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के अनुदान में भी आ सकता है । दोनों में इसका जिक्र किया जा सकता है । मैं इसे इतने महत्त्व का नहीं समझता हूं कि सदन का काम रोका जाय, जबकि बजट का अनुदान चालू है । दूसरे एक बात और है कि ३ अगस्त को यह चार्ज किया गया और आज है तारीख १२ तो सदन उस वाकय के बाद बैठा था । इस बीच में यह प्रस्ताव क्यों नहीं लाये ? इससे

मालूम होता है कि माननीय सदस्य स्वयं उसकी अर्जेंसी कबूल नहीं करते है, फिर मैं कैसे कबूल करूं ? यह अर्जेंट नहीं मालूम होता । इसलिये अस्वीकृत करता हूं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--मैं यह कह रहा था कि इस विषय में सूचना जरूर लेट प्राप्त हुई, लेकिन सूचना की इतनी पुष्टि है, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष--आप उसका जिक्र कर सकते हैं बजट के डिस्कशन में । लेकिन सब बजट का काम छोड़कर इसी के ऊपर बहस करें, इसके लिए मैंने रोका है ।

बलिया जिले में घाघरा नदी से होने वाले कटाव से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री गौरीशंकरराय का है :

"बलिया जिले के द्वाबा परगने से सुरेमनपुर स्टेशन के पास प्रायः एक मील की लम्बाई में घाघरा नदी का कटाव रेलवे बांध के निकट आ गया है । यह रेलवे बांध द्वाबा परगना की रक्षा करता रहा है । इस को बचाने का प्रयास केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी करती रही है । इस बांध के एक स्थान पर कटान से प्रभावित होने के कारण रेलवे का आवागमन पिछले दस दिन से रुका है । कल ११-८-५७ को घाघरा नदी के कटान ने रेलवे बांध को पूरी तरह से काट दिया है । इस बांध के कट जाने से द्वाबा परगना की हजारों एकड़ भूमि के कट जाने और बह जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि यह बांध रेलवे के साथ-साथ बलिया जिले के द्वाबा परगने की भी रक्षा करता रहा है । इसके रक्षार्थ राज्य सरकार की ओर से अलग व्यवस्था नहीं की गई, बल्कि राज्य सरकार भी इसी बांध की रक्षा का प्रयास करती रही है । इस गम्भीर आवश्यक एवं सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर विचारार्थ सदन आज का कार्य स्थगित करता है ।"

अब यह तो स्वयं वह कबूल करते हैं कि राज्य सरकार इस बांध की रक्षा के लिए बराबर कोशिश करती रही है । केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है, तिस पर भी यह सरकार भी अपना काम करती रही है । तो इसके ऊपर जब वह अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं तो सुझाव तो माननीय सदस्य दे सकते हैं, लेकिन कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में यह नहीं आ सकता । एक तो केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है विषय और दूसरे सरकार इमदाद कर ही रही है, यह जिक्र प्रस्ताव में किया गया है......

श्री गौरीशंकरराय (जिला बलिया)--अध्यक्ष महोदय, उसके टूट जाने से एक विशेष परिस्थिति पैदा हो गई है कल और उसके बाद कोई प्रयास नहीं हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष--तो यह तो बात प्रस्ताव में दी नहीं है...

श्री गौरीशंकरराय--मैंने उसके साथ लिख के अलग से दिया है । मैं स्वयं गया था.......

श्री अध्यक्ष--वह तो ठीक है, लेकिन इस प्रस्ताव में वह नहीं है । तो इसके ऊपर जिक्र आप अभी नहीं कर सकते ।

श्री गौरीशंकरराय--माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इसके ऊपर आप माननीय मुख्य मंत्री जी से बात करके यह आज्ञा देंगे कि इसपर कुछ बात हो जाय सदन में ?

श्री अध्यक्ष--इसके बारे में अगर कुछ जानकारी हो मन्त्री जी के पास और वे वह सूचना देना चाहें तो वे दें ।

माल उपमंत्री (श्री परमात्मानन्दसिंह)——थोड़ी सी सूचना मैं दे दूं। शायद उससे माननीय सदस्य को सन्तोष हो जाय। बांध वहां दो बने हुए हैं। एक तो जिस पर इस वक्त रेल की लाइन चलती थी और एक बांध उससे थोड़ा हट कर रेलवे वालों ने बनाया था कुछ समय पहले, इस विचार से कि यदि आवश्यकता होगी तो दूसरे बांध पर रेल की लाइन को घुमा लेंगे। तो पहला बांध जिस पर कि रेल चलती थी वह अवश्य कट गया है। उसके लिए दो तीन साल से प्रयास किया जा रहा था कि वह न कटने पावे। सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे विभाग की तरफ से लाखों रुपया रोजाना के हिसाब से खर्च हो रहा था। उसका कारण यह है कि उससे थोड़ी दूर हट कर एक पुल है रलवे का, जो करीब डेढ़ करोड़ रुपये का बना हुआ है। तो रेलवे को बहुत ज्यादा दिलचस्पी है उसको बचाने की और उसके लिये प्रयास रेलवे की तरफ से चल रहा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इससे हजारों बीघे के कट जाने का डर है, ऐसी कोई सम्भावना नहीं है। अव्वलन तो जो दूसरा बांध बना था वह मौजूद है। यदि दोनों नाकामयाब रहे तो थोड़ी बाढ़ या (फ्लड) आ सकता है। भूमि के कटने या न कटने का वर्तमान बांध से कोई संबंध नहीं है। यह सूचना मेरे पास थी सो मैंने दे दी। जो भाग कट गया है उसको भी भरने की रलेवे की तरफ से कोशिश की जा रही है और कलेक्टर बलिया भी जागरूक हैं। अगर हमारे कुछ करने की आवश्यकता होगी तो वह हमें सूचना देंगे।

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान——विभिन्न अनुदानों के लिए समय विभाजन

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)——श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह पेश करना चाहता हूं कि अनुदान संख्या ३९ गिलोटिन कर दी जाय अर्थात् इस पर बिना किसी वाद-विवाद के मत ले लिया जाय और आज अनुदान संख्या १२ और १३ के लिए ३ घंटे और बाकी समय अनुदान संख्या ४० के लिए रखा जाय।

श्री अध्यक्ष——अनुदान संख्या १२ और १३ एक साथ ले लिये जायं?

श्री सुरथबहादुरशाह——जी हां, और कल अनुदान संख्या ४३—योजना और एकीकरण ले लिया जाय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)——आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें यह सुझाव देना चाहता था कि सामान्य प्रशासन के जो १२ और १३ अनुदान हैं उनको आज ही ले लिया जाय, तमाम दिन, और ४३ और ४० को कल।

श्री अध्यक्ष——इसमें किसी को आपत्ति है?

श्री सुरथबहादुरशाह——यह तो सुविधा के हेतु कहा गया था। मेरे विचार से कल का दिन यदि प्लानिंग के ऊपर दिया जाय तो बड़ा उचित होगा।

श्री अध्यक्ष——तो आप उनकी बात स्वीकार नहीं करते?

श्री सुरथबहादुरशाह——मुझे इसमें ताम्मुल है।

श्री अध्यक्ष——तो वही रहे जिसमें आपको सुविधा है।

हरिजन सहायक राज्य मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)——अनुदान संख्या ४० अगर कल हो तो अच्छा है, क्योंकि यह मालूम नहीं था कि आज होगा। इसमें कोई फर्क नहीं है, उसको आखिर में रख दें।

श्री अध्यक्ष——आपका कहना सिर्फ यह है कि ३ घंटे के बाद अनुदान ४० की शुरुआत हो जानी चाहिये और तीन घंटे के बाद पौन घंटे का समय रहता है, वह आप अनुदान ४० को देना चाहते हैं। तो पौन घंटे का समय कल आखिर में ४० को दे दें और ४३ को आज शुरू कर दें। इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है ?

श्री सुरथबहादुरशाह——जी नहीं।

श्री अध्यक्ष——तो यही रहा कि ३ घंटे अनुदान १२ व १३ पर बहस होगी और इसके बाद ४३ ले लिया जायगा और प्रारम्भ होने के बाद वह कल दिन भर करीब-करीब चलेगा और जितना समय ३ घंटे के बाद आज का बच रहेगा वह समय ४० के लिए कल दिया जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)——आज १२—१३ दिन भर होंगे ?

श्री अध्यक्ष——१२—१३ तीन घंटे होंगे। फिर ४३ शुरू हो जायगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा——आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भाई साहब को कुछ कठिनाई न हो तो मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया जाय कि आज के दिन १२—१३ ही चलें।

श्री अध्यक्ष——वह चाहते हैं कि प्लानिंग के लिए पूरे एक दिन का समय लिया जाय। अगर आज १२—१३ को लेते हैं तो ४३ के लिए एक घंटे का समय बढ़ाना पड़ेगा। इसमें आपत्ति तो नहीं है ?

श्री सुरथबहादुरशाह——मैं सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष——तो कल एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय। आज १२—१३ ले लिया जाय और कल पहले प्लानिंग ले लिया जाय और वह दिन भर चलने के बाद समय बढ़ा कर अनुदान संख्या ४० को लिया जायगा।

अनुदान संख्या ३६——लेखा शीर्षक ५४—क——प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ५४—ख——भारतीय शासकों के निजी खर्च तथा भत्ते

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)——अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६——प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें तथा भारतीय शासकों के निजी खर्चे तथा भत्ते-लेखा शीर्षक ५४—क——प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ५४—ख——भारतीय शासकों के निजी खर्च तथा भत्ते के अन्तर्गत ११,१२,१०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७—५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६——प्रादेशिक और राजनीतिक पेन्शनें तथा भारतीय शासकों के निजी खर्चे तथा भत्ते——लेखा शीर्षक ५४—क——प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ५४—ख——भारतीय शासकों के निजी खर्च तथा भत्ते के अन्तर्गत ११,१२,१०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७—५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १२--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३--लेखा शीर्षक २५--कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२--सामान्य प्रशासन के कारण व्यय--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २,८४,२२,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(कुछ ठहर कर)

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३--कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय-लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ३,०६,४८,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिए स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन सौभाग्य या दुर्भाग्य से उन विभागों में नहीं है, जिनकी गणना विकास मूलक डेवलपमेंट के विभागों में होती है। इस विभाग में नई बातें प्रायः बहुत कम होती हैं। आंकड़ों में भले ही थोड़ी बहुत कमोबेशी होती रहे, परन्तु बजट पेश करते वक्त मंत्री भी पुरानी बातों को दुहरा जाता है और यदि पिछले कई वर्षों की प्रोसीडिंग्स को देखा जाय तो इन मदों के सिलसिले में जो शिकायतें की जाती हैं, जो बातें कही जाती हैं, वे भी प्रायः पुरानी ही होती हैं। ऐसी अवस्था में तो शायद यह उचित होता कि इन मांगों को पेश करते समय, मैं अपनी तरफ से कुछ भी न कहता, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि दो तीन बातें ऐसी हैं, जिनकी कुछ चर्चा होनी चाहिये।

एक तो विषय वह है कि जिसको विरोधी दल के नेता माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने अपने सामान्य विवाद वाले भाषण में महत्व का स्थान दिया, लेकिन समयाभाव के कारण माननीय वित्त मंत्री जी उत्तर देते समय उसका कुछ जिक्र न कर सके। यह मर्यादा की बात है। हर तरह से उचित है कि जिस चीज को विरोधी दल के नेता इतने महत्व का स्थान दें, हमारे पक्ष की ओर से उसके संबंध में जरूर ध्यान रखा जाय।

दूसरे के विषय में मैं समझता हूं कि काफी गलतफहमी है, इस सदन में भी और इस सदन के बाहर भी। मैं संकेत कर रहा हूं मंत्रियों के वेतन और उनके सफर के भत्ते के सिलसिले में।

कुछ निवेदन करने के पहले मैं माननीय नेता विरोधी दल से कुछ शिकायत के रूप में और कुछ अपील के रूप में जरूर कहना चाहता हूं। इस सदन में न तो हमेशा वे रहेंगे और न हमेशा हम रहेंगे, लेकिन सदन रहेगा और मैं समझता हूं कि हमारी और उनकी, सबकी इस बात की कोशिश होनी चाहिये कि इस सदन की एक खास मर्यादा बनी रहे। यहां जो वाद-विवाद होता है वह एक खास स्तर पर हो, यही एक खास शोभा की बात है। जो कुछ हम कहेंगे, सुनेंगे वह तो है ही, लेकिन यह हम एक बड़ी भारी सेवा इस प्रदेश की कर जायंगे, यदि हम यहां एक अच्छी नींव डाल सकें। यदि कोई विषय इतने महत्व का है कि विरोधी दल के नेता उसको एक खास स्थान देते हैं तो फिर उसके ऊपर जो विचार हो वह एक गम्भीरता के साथ ही होना चाहिये। मंत्रियों के वेतन का जिक्र करते हुये माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने एक मजहके का रूप धारण किया और मुझको ऐसा विश्वास है कि उसके बाद जो चीज हुई उससे उनको भी दुःख हुआ होगा। एक खास आदमी जो बात कहता है उसकी नकल और लोग भी करते हैं। उसकी खसूसियत, उसकी विशेषता और उसकी अच्छाई की बात नकल तो नहीं की जा सकती, लेकिन अगर इत्तफाक से उससे कोई गलत काम हो जाय तो उसकी नकल की जा सकती है। उन्होंने मंत्रियों के वेतन और टी० ए० का जिक्र किया। उनके पीछे बैठने वाले एक सज्जन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक कदम और आगे बढ़े और कहा कि मंत्रियों को नुकरई और तिलाई यानी सोने और चांदी के बर्तन भी मिला करते हैं। बात हवाई थी, गलत थी और मेरा भी ऐसा विश्वास है कि माननीय त्रिलोकी सिंह को भी इस बात का अफसोस हुआ होगा कि नाहक उन्होंने एक गलत दरवाजा खोल दिया, जिससे इस सदन के अन्दर इस क़िस्म की गलत बातें कही गयीं।

इस सिलसिले में एक बात की और चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ये मंत्री लोग १,२०० रुपये वेतन लेते रहे हैं अब तक, और फ्री आफ इन्कम टैक्स (free of income tax) और अब एक बड़े भारी त्याग का नाटक कर रहे हैं कि १०० रुपये छोड़ दिये और १,१०० लेने लगे। जहां तक त्याग की बात है, सन् १९२१ से १९४२ तक महात्मा जी के साये में रह कर और उन्हीं दिनों में माननीय त्रिलोकी सिंह जैसे महापुरुषों के साथ काम करने का मौका मिलने पर भी जब हमने त्याग नहीं सीखा तो इस उम्र में क्या सीखेंगे। त्याग की बात तो हम करते नहीं। हम संसारी आदमी त्याग क्या जानें। लेकिन हां, कुछ व्यावहारिकता की बात मैं जरूर रखना चाहता हूं। इसी सदन में सन् १९४६ की २७ अप्रैल को एक बिल पेश हुआ था, जिसको उस वक्त के मिनिस्टर आफ़ जस्टिस डाक्टर काटजू ने पेश किया था।

(इस समय १२ बज कर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

उस बिल का आशय यह था कि मंत्रियों को १,५०० रुपये वेतन दिये जायं। उस दिन की प्रोसीडिंग मेरे पास है। इसमें जिन लोगों ने उसका विरोध किया उनका भी जिक्र है और जो पक्ष में बोले उनका भी जिक्र है। उदाहरण के लिये प्रजा समाजवादी पार्टी के नेता श्री गोपाल नारायण सक्सेना खास तौर से इसके ऊपर बोले और उन्होंने कहा—

> "मैं कुछ ज्यादा नहीं कहता। मैं इस बिल की ताईद करता हूं और मैं समझता हूं कि यह बिल बिल्कुल सही है और इसको इसी तरीके से पास होना चाहिये।"

उस दिन की प्रोसीडिंग देखने से पता लगता है कि जो और लोग मौजूद थे उनमें माननीय त्रिलोकीसिंह भी थे। यह नहीं कहा जा सकता कि माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने उस बिल का समर्थन इसलिये किया कि वे कांग्रेस पार्टी में थे, क्योंकि वे और उस तरफ के दूसरे माननीय सदस्य भी अक्सर इधर के लोगों से कहा करते हैं कि आप लोग कायरता न दिखलाइये, कमजोरी न दिखलाइये, जिस बात को उचित समझते हैं उसको हिम्मत के साथ कहा करिये।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—मैं ऐसा नहीं कहता।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन माननीय त्रिलोकी सिंह जी तो जरूर बहादुर आदमी हैं, महज पार्टी डिसिप्लिन के डर से नहीं चुप रहे होंगे। उन्होंने इस बिल को उचित समझा ही होगा। उस वक्त जो सूरत रही हो, लेकिन आज की सूरत में एक सोचने की बात है। इस सदन में १९४६ में जब हमने मंत्रियों को १,५०० रुपया देना तय किया था, उस समय उसमें से १५० रुपया इनकम टैक्स का जाता था। मिनिस्टरों की जेब में कुल १,३५० रुपये आते थे। दो वर्ष तक कोई प्रस्ताव सदन ने नहीं किया। खुद मिनिस्टरों ने तय किया कि हम १,३५० में से १५० रुपया छोड़ देते हैं। वह छोड़ दिया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि मिनिस्टरों को कुल मिलने लगा १,२०८ रुपया। यह १,२०८ रुपया कुल इनकमटैक्स कट कटा कर मिलता था। यह कटौती मिनिस्टरों ने खुद अपने से की थी। सदन की तरफ से किसी ने इसके लिये कुछ नहीं कहा। कानून वही बना हुआ था कि जिसके हिसाब से सदन ने मिनिस्टरों को १,५०० रुपये देना मंजूर किया था। हम अपने से कुल १,२०८ रुपया लेते थे और कुछ इनकमटैक्स देना पड़ता था। वह हम अपनी तरफ से देते थे।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

नयी मिनिस्टरी के जमाने में हमने सोचा कि १,२०८ रुपया हम को मिलता है, इनकमटैक्स देना पड़ता है हम को अपने पास से। इसके बजाय हमने यह तय किया कि कुल १,२०० रुपया हम लेंगे और जो इनकमटैक्स होता है वह हमारे पास से कटने के बजाय सरकारी खजाने से कटे। तो पहले १,५०० जाता था, फिर १,२०० रुपया जाता था, उस जमाने में कुल १,२९४ रुपया सरकारी खजाने से जाता था। सदन ने १,५०० रुपया देना मंजूर किया था, लेकिन हमारे पास आया कुल १,२०० रुपया। हम १,२०० रुपया लेते या १,३०० रुपया, वह करीब एक ही बात होती। सदन तो १,५०० रुपया देने के लिये तैयार था, लेकिन इस वक्त हमने तय किया कि हम १,१०० रुपया ही लेंगे। इस पर करीब ८० रुपया इनकमटैक्स का होता है। तो इस तरह से कुल १,१८० रुपया सरकारी खजाने से जायगा। जिन मिनिस्टरों पर सदन ने १,५०० रुपया फी मिनिस्टर खर्च करना तय किया था उन पर अब १,१८० रुपया फी मिनिस्टर खर्च होगा। ३२० रुपये की बचत हुई। इसमें क्या शिकायत की बात है? त्याग की बात में नहीं करता, लेकिन सदन खुद देखे कि उसने क्या देना मंजूर किया था? मिनिस्टरों ने खुद अपनी तरफ से यह कमी मंजूर की। इसमें शिकायत की क्या बात हो सकती है?

एक बात कही जा सकती है कि यह १,१०० रुपया भी ज्यादा है। इस सम्बन्ध में मैं सदन के सामने एक बात कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य एक महीने में करीब २०० रुपये के वेतन लेते हैं और जिस वक्त सदन की बैठक होती है कुछ डेली एलाउन्स भी उनको मिलता है। किसी एक तरफ के सदस्य की बात मैं नहीं कहता, चाहे वह इधर के हों अथवा उधर के, यहां पुराने सदस्य भी हैं और नये सदस्य भी। मैं उनसे पूछता हूं कि २०० या ५०० रुपये जो कुछ भी उनको मिलते हैं उसमें से कितने लाख रुपया उन्होंने बचा लिया है? कितना रुपया सदस्यों को बचता है, यह सोचने की बात है। अपने घर पर चाहे हम एक कोठरी में ही रहते हों, घर पर नमक रोटी ही खाते हों, वहां कोई देखने नहीं आता, लेकिन चूंकि माननीय सदस्य यहां रहते हैं, न मालूम उनका खर्चा कितना बढ़ जाता होगा? उनके यहां मिलने मेहमान आते होंगे, बाहर के लोग भी मिलने आते होंगे, पब्लिक काम से लोग आते होंगे और इस तरह से उनका कितना पैसा इस तरह की मेहमानदारी में खर्च होता होगा। मैं नहीं जानता कि पिछले सदस्यों में कोई कह सके कि उसने १० या २० हजार रुपया कमाया है। जो नये सदस्य हैं उनको ३-४ महीने हो गये, वे बतलायें कि कितना रुपया उन्होंने बचाया है। जब सदस्यों का इतने कम समय यहां रहने पर इतना रुपया खर्च होता है तो सोचिये कि जो मिनिस्टर यहां सदा ही रहते हैं उनका कितना खर्च होता होगा। सेन्ट्रल के मिनिस्टर्स केवल सम्प्चुअरी एलाउन्स का ५०० रुपया महीना लेते हैं अपने मेहमानों को खिलाने पिलाने के लिये। उत्तर प्रदेश का कोई मिनिस्टर कोई सम्प्चुअरी एलाउन्स नहीं लेता। यहां की मेहमानदारी की एक खास मर्यादा रही है, उस को जहां तक हमसे बन पड़ा है निभाने की कोशिश की है और करते हैं, लेकिन अब यह हमारे बस के बाहर की बात होती जा रही है। हम नहीं कह सकते कि आगे कैसे चलेगा। इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में कोई स्टेट गेस्ट हाउस नहीं है। मेहमानों पर जो भी खर्च होता है वह मिनिस्टरों पर पड़ता है, जो अब हमारी शक्ति के बाहर हो जाता है। हम उसको अब बरदाश्त नहीं कर सकते। हम भी सोच रहे हैं कि हम कोई स्टेट गेस्ट हाउस कायम करें। सोचने की बात है कि जब आप लोगों को कुछ समय रह कर यहां इतना खर्च पड़ता है तो जिन को बराबर यहां रहना पड़ता है उनको कितना खर्च पड़ता होगा? जब यहां पर इस बात को कहा जाय तो यह भी देखा जाय कि ज्यादा क्या है और कम क्या है। अगर वह यह चाहते हों कि उत्तर प्रदेश में कोई आदमी बाहर से आता है तो उसकी सेवा न की जाय और उसको होटल में ठहराया जाय तो यह दूसरी बात है। लेकिन मैं और जगह गया हूं और वहां की हालत को भी जानता हूं। मैंने देखा है कि वहां मिनिस्टर किसी को ठहराते नहीं हैं। वहां पर गेस्ट हाउस बने हैं। वहां पर उनको ठहरा दिया जाता है। हमारे

यहां अभी तक ऐसा नहीं था, परन्तु अब सदन को ऐसा करना होगा और उनके लिये कोई प्रबन्ध इस प्रकार से ठहरने का करना होगा।

अब जब कभी यहां पर सैलरी वगैरह की चर्चा होती है तो इस बात का जिक्र भी जरूर आजाता है कि इन चपरासियों को देखिये कि ये कितना कम लेते हैं और ये मिनिस्टर १,१०० रुपये ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आप इन चपरासियों से मुकबला करना चाहते है तो जरूर कीजिये। यूं तो चपरासियों से ज्यादा मेम्बर साहबान को जो एलाउन्स वगैरह मिलता है वह भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस वक्त आप चपरासियों से मुकाबला करते हैं तो आप इस बात पर भी विचार कीजिये कि जिस वक्त सन् १९४६ में, जिस बिल का मैंने जिक्र किया, उसके अनुसार १,५०० रुपया मिनिस्टरों के लिये मंजूर किया गया था उस वक्त चपरासी की १५ से ले कर २० रुपये तक तनख्वाह थी। उस समय तनख्वाह का चौथाई मंहगाई भत्ता उनको मिलता था यानी १५ रुपये पर ३ रुपये १२ आने। इसके अलावा दो चीजें उनको और मिलती थीं। एक तो २ रुपया सिटी एलाउन्स उनको मिलता था और २ रुपया सेक्रेटेरियट एलाउन्स। इस प्रकार से सब मिलाकर उनको २२ रुपया १२ आना मिलता था जब कि मिनिस्टर्स के लिये १५ सौ रुपया मंजूर किया गया था। आज चपरासियों की तनख्वाह २५ रुपया हो गई है। १९५५ से २ रुपया और बढ़ गया है। सेक्रेटेरियट का एलाउन्स ज्यों का त्यों कायम है और सिटी एलाउन्स भी वैसे ही है और २५ रुपया उनको मंहगाई भत्ता दिया जाता है और ५ रुपया इस साल बढ़ गया है। कुल टोटल ६१ हो गया है। अब आप इस पर विचार कीजिये कि जहां चपरासी की तनख्वाह में और एक मिनिस्टर की तनख्वाह में १ और ६६ का अनुपात सन् १९४६ में था वहां आज इनका अनुपात १ और १८ का हो गया है। बार बार यहां पर चपरासियों का जिक्र किया जाता है। जरूर उनसे मुकाबला किया जाय। इस बात को जान लेने पर आप समझ सकते हैं कि मिनिस्टरों की सैलरी कितनी घटी है और चपरासियों की तनख्वाह कितनी बढ़ी है। महज एक हमदर्दी हासिल करने के लिये एक ऐसी चीज, जिसका कुछ आधार न हो, यहां पर कहना कुछ फायदेमन्द नहीं होता।

हमारा जो लो पेड गवर्नमेंट सर्वेण्ट है उसकी तनख्वाह बहुत कम है। सेण्ट्रल गवर्नमेंट के जो आदमी हैं वे बहुत ज्यादा तनख्वाह पाते हैं। हमारे यहां के आदमी से उसका मुकाबला किया जाय तो इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसी शहर में एक क्लर्क सेन्ट्रल गवर्नमेंट का रहता है और एक क्लर्क हमारा भी रहता है। उनका क्लर्क बहुत ज्यादा तनख्वाह पाता है, उनका चपरासी हमारे चपरासी से बहुत ज्यादा तनख्वाह पाता है। मेरा ऐसा खयाल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी हमारे आदमी के मुकाबले में कम काम करते हैं और हमारे आदमियों के मुकाबले में तनख्वाह ज्यादा पाते हैं। मुझे इसमें रत्ती भर भी सन्देह नहीं है। हम इस चीज को बराबर लिखते रहते हैं कि यह ज्यादती है और इससे हमारी सर्विसेज पर बहुत दबाव पड़ रहा है, लेकिन हम क्या करें यह हमारे बस की बात नहीं है। अब जब हड़ताल की बात चली तो सेण्ट्रल पे कमीशन बिठाने की बात थी। हमने उस पर एतराज किया। हमने कहा कि आप अपने आदमियों को कुछ भी दे दें इसमें हमको एतराज नहीं है, लेकिन जो पे कमीशन बिठाया जा रहा है उसका लाजिमी नतीजा यह होगा कि आप के यहां सर्विसेज की तनख्वाह बढ़ेगी। इसमें सन्देह नहीं है कि जितनी तनख्वाह आपके यहां बढ़ेगी उतनी ही हमारे आदमियों के बीच में डिस्पैरिटी बढ़ेगी। हमारे सोर्सेज लिमिटेड हैं। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। प्लान में हम देर नहीं कर सकते। एक एक पैसा हमारा प्लान में बंधा हुआ है। प्लान को बन्द कर के इस काम को हम नहीं कर सकते हैं। लिहाजा हम अपने यहां तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आप के यहां लोगों की तनख्वाह बढ़ती है तो हमारे आदमियों की तनख्वाह बढ़ाने में आप हमारी मदद करें। हम तो नोट

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

नहीं छाप सकते। हमारे पास दूसरे साधन नहीं हैं। हमारे पास आदमी बढ़ाने के साधन नहीं हैं। अगर डिस्पैरिटी कायम रहेगी तो हमारे आदमियों में असन्तोष बढ़ेगा और उस असन्तोष को मैं समझ सकता हूं और उस असन्तोष के साथ मुझे सहानुभूति हो सकती है। मैं जरूर समझता हूं कि अगर असन्तोष है तो कोई ठीक काम नहीं हो सकता है लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी समझता हूं कि यह असन्तोष गलत चीज है, क्योंकि हमारे बस की कोई बात नहीं है। हम सेण्ट्रल गवर्नमेंट से बराबर कहते रहते हैं कि जैसे भी हो इस खाई को पाटने की कोशिश कीजिये, लेकिन साथ ही इससे जो ग़लत किस्म का मुकाबला हो जाता है, महज हमदर्दी हासिल करने के लिये और बार बार चपरासियों का नाम ले लिया जाता है, उससे कोई फायदा नहीं होता है और जो काम करना भी चाहते हैं, उसमें भी कोई मदद नहीं मिलती।

अभी हाल में सेक्रेटेरियट का रिआर्गेनाईजेशन किया गया है। उसके सम्बन्ध में कुछ कागजात माननीय सदस्यों की मेज़ पर रख दिये गये हैं। उनसे उनको कुछ अन्दाजा हो जायगा, लेकिन ५ मिनट में उसके सम्बन्ध में मैं समझा दूं तो कुछ आसानी हो जायगी। मौजूदा सूरत यह है कि मान लीजिये एजूकेशन डिपार्टमेंट कोई स्कीम जारी करना चाहता है, किसी न किसी के दिमाग़ में वह चीज आयी और एक स्कीम बनी। अब १०—१५ जो भी आफिसर्स एजूकेशन विभाग में होंगे उन्होंने उस पर नोटिंग किया। किसी ने उस की हिस्ट्री बतलायी, किसी ने बताया कि पहले यह मामला कब उठा था और क्यों छोड़ दिया गया, कोई बतायेगा कि दुनिया के किस देश में वह लागू है, कोई बतायेगा कि उससे विभाग को क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा तथा उसमें कितना रुपया खर्च होगा, इन सब बातों से एक मोटी फाइल बन जायगी।

अब आजकल जो कायदा है वह यह है कि इतना सब कुछ हो जाने पर डायरेक्टर आफ एजूकेशन एक खत उसके बारे में एजूकेशन सेक्रेटरी को लिखेगा कि वह अपने यहां फलां-फलां स्कीम चाहते हैं। वह पत्र १—२ पेज का होगा। अब एजूकेशन सेक्रेटरी के यहां कोई डिटेल्ड फिगर्स नहीं हैं। उनको फिगर्स इकट्ठा करने में ४—६ महीने लग जाते हैं और यदि कोई सूचना उनको मांगनी होती है तो वह भी एजूकेशन डायरेक्टर से मांगते हैं। इस प्रकार जब वह फाइल तैयार हो जाती है तब वह सेक्रेटरी अथवा मिनिस्टर के सामने जाती है। अब यह होगा कि डायरेक्टर आफ एजूकेशन के यहां से पूरी फाइल यहां आजायगी और सेक्रेटरी अथवा मिनिस्टर के सामने जल्दी पहुंच जायगी। इस प्रकार जो तरीका है उसमें वक्त भी जाया होता है और एफीशियेंसी भी कम ही रहती है। इसके अलावा जो लोग यहां नोटिंग करते हैं वे प्रायः अनुभवी नहीं होते, फील्ड वर्क का उनको अनुभव नहीं होता। जब कि डिपार्टमेंट वालों को लोगों के बीच में रह कर काम करना होता है और यहां जो लोग होते हैं वे काग़जों के बीच में ही काम करते हैं। अब एजूकेशन डायरेक्टर के दफ्तर में जो फाइल तैयार होगी वह पूरी फाइल सेक्रेटरी के दफ्तर भेज दी जायगी। इससे जो काम दुबारा होता था वह न होगा। इतिहास, भूगोल और रुपये पैसे आदि की बात भी दुबारा न होगी और उसकी जानकारी आसानी से मिल जायगी। इसका नतीजा यह होगा कि जो काम महीनों में होता था वह १०—५ दिन में ही हो जायगा। इस प्रकार से समय की बचत होगी, आगे चल कर रुपये की भी बचत होगी और जो व्यर्थ का नोटिंग होता है वह भी बच जायगा

[illegible]

[illegible] एक ही लियाकत के आदमी चुने जाते थे, लेकिन अलाहिदा रहने का नतीजा यह होता था कि फाइनेंस में लोगों को जल्दी-जल्दी तरक्की मिल जाती थी। अब तीनों को मिला कर एक कर दिया गया है। इससे जो एक सी काबिलियत के आदमी हैं उनको एक साथ तरक्की मिलेगी। इन्हीं दो बातों को लेकर रिआर्गेना-

पेशान किया गया है। इससे हमें आशा है कि सेक्रेटेरियट के काम में और गवर्नमेंट के काम में काफी सुधार होगा और आखिर में जाकर इन सब कामों की वजह से खर्च में भी कमी होनी चाहिये।

मैंने कटौती के प्रस्तावों को देखा। कुछ विवाद के लिये रक्खे गये हैं। उसके बाबत में क्या कहूं। विवाद एक अच्छी चीज है। कुछ आलोचना और सुझाव देने के लिये रक्खे गये हैं। जो आदमी काम करता है वह अपनी समझ से तो अच्छा ही करता है, लेकिन फिर भी आलोचना अच्छी चीज होती है। जो भी सुझाव दिये जायेंगे वे हमारे सिर माथे हैं। मैं आलोचना और सुझावों का स्वागत करूंगा। उनके बारे में जो कुछ अर्ज करने की जरूरत होगी, बाद में अर्ज कर दूंगा और यह भी बता दूंगा कि कहां तक हम उन सुझावों और आलोचनाओं को मान सकते हैं और कहां तक उनका मानना मुनासिब नहीं होगा। इन शब्दों के साथ जो मांग मैंने प्रस्तुत की हैं, मैं आशा करता हूं कि यह सदन उसको मंजूर करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—अभी तक माननीय सदस्यों का इस बारे में कोई सुझाव नहीं आया कि कटौती प्रस्ताव को पेश करने वाले कितने समय तक भाषण करेंगे और अन्य लोग कितने समय तक भाषण करेंगे। पहले यह था कि कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले २० मिनट और अन्य सदस्य १० मिनट बोलते थे और अगर पार्टी के नेता बोलें तो उनको १५ मिनट का समय मिलता था। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो यही चलने दिया जाय।

(आवाजें—ठीक है) तो वही पुरानी प्रथा रही।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश से अनुदान संख्या १२—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय और अनुदान संख्या १३—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय,इन दोनों अनुदानों में एक—एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव उपस्थित कर रहा हूं।

महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बतलाया कि सामान्य प्रशासन एक ऐसा विभाग है जिसमें आम तौर से कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुआ करती है, चाहे बजट में थोड़ा बहुत फर्क हो जाय। यह बात सही है, लेकिन वहीं यह भी सही है कि सामान्य प्रशासन इतना महत्वपूर्ण विभाग है जिसका प्रदेश के, राज्य के हर विभाग से घनिष्ठ सम्पर्क होता है और जिससे निकली हुई किरणों की छटा हर विभाग के ऊपर पड़ती है। आज हमारे प्रदेश की शासन—व्यवस्था क्या है, आज हमारे प्रदेश की जनता का जीवन स्तर कैसा बढ़ रहा है, आज शान्ति और व्यवस्था की क्या दशा है, आज प्रदेश के अन्दर हम किस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, इन सारी बातों का सामान्य प्रशासन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक वर्ष के बाद आज हमें इस बात को पुनः देखने का अवसर मिला है कि स्वतंत्रता के पश्चात् हमारे प्रदेश के शासन का रुख क्या है, शासन किस दिशा की ओर बढ़ा रहा है। जैसा कि सरकारी बेंच की ओर से बार बार घोषणा की गयी है कि किस वर्ष में कल्याणकारी समाज की स्थापना हुई, किस वर्ष में समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना हुई। तो आज हमें इस बात को देखना है कि वस्तुतः आज का शासन इस कसौटी पर कहां तक खरा उतरता है। कोई भी शासन जो जनवादी शासन होने का दावा करता है उसकी तीन चार प्रमुख कसौटियां हुआ करती हैं।

पहली कसौटी यह है कि शासन के अन्दर जिस मशीनरी पर शासन चलता है वह मशीनरी कहां से निकली है और उसका जनता से क्या सम्पर्क होता है, कैसा सम्बन्ध होता है। हमारे देश में जब कि अंग्रेजी हुकूमत थी, तब जो मशीनरी हमारे शासन प्रणाली में थी, वह ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी थी, वह पूंजीवादियों और साम्राज्यवादियों के हित के लिए ही काम करती थी। आज हमें इस बात को देखना है कि उस मशीनरी के सरकारी

[श्री चन्द्रजीत यादव]

ढांचे में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं। मुझे आज खेद के साथ कहना पड़ता है कि १० वर्ष के बाद भी हमारे प्रदेश के अन्दर ब्यूरोक्रैसी दिन पर दिन मजबूत होती चली जा रही है, जो शासन आज है वह जनता से दूर हटता चला जा रहा है और साधारण जनता की पहुंच के बाहर होता चला जा रहा है।

इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने मंत्रियों के वेतन के सम्पर्क का प्रश्न उठाया और उन्होंने कहा है कि नेता विरोधी दल ने सदन में इस बात पर बड़ा जोर दिया कि मंत्री लोग बहुत बड़ी-बड़ी तनख्वाहें लेते हैं। बहुत सही है, जनता का यह कर्त्तव्य है कि वह देखे कि उसका एक-एक पैसा किस तरह से खर्च होता है और कहां-कहां खर्च होता है। जनता यह देखती है कि जो सरकार उसके ऊपर शासन कर रही है उसने कुछ वादे किये थे, उन वादों को पूरा करने के लिये सरकार क्या कर रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि महात्मा गांधी के साथ रह कर एक बहुत लम्बे अरसे में भी वे त्याग और तपस्या नहीं सीख सके, माननीय नेता विरोधी दल के साथ में रह कर वे त्याग तपस्या नहीं सीख सके, इस बात का उन्हें खेद है। गांधी जी ने कहा था कि जब देश आजाद होगा तो हमारे देश का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा, जो सबसे बड़ा हाकिम होगा, जो उस वक्त गवर्नर जनरल कहलाता था, उसकी तनख्वाह ५०० रुपये होगी और वह नित्य एक घंटे का समय निकाल कर खेतों में भी काम करेगा।

आज हम क्या दशा देखते हैं? जो दशा हमारे प्रदेश की है, मैं अपने देश की स्थिति में नहीं जाना चाहता--हमारे यहां जो राज्यपाल महोदय हैं उनको ६६,००० रूपया वार्षिक तनख्वाह मिलती है और उनके साज-सज्जा के ऊपर इतनी बड़ी रकम खर्च की जाती है जितनी कि अंग्रेजों के जमाने में खर्च होती थी। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज भी हम बजट में देखते हैं कि इस वर्ष उनके दौरे पर १,२०,४०० रुपया खर्च होगा, आज हम देखते हैं कि उनके भवन के लिये पर्दे के नवीकरण पर २३,६०० रुपया खर्च होगा और उनके सजावट के समान के नवीकरण पर १८,००० रुपया खर्च होगा। हमें अफसोस के साथ इस प्रश्न को उठाना पड़ता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बतलाया कि लखनऊ में रहने का स्तर ऐसा है जिसको हर माननीय सदस्य जानते हैं कि वह अपने वेतन में से कुछ भी नहीं बचा पाते हैं, उसी तरह से मंत्री भी जिसका स्थान ऊंचा हो जाता है उसका भी खर्च बढ़ जाता है, लेकिन क्या यही कसौटी होती है प्रजातंत्र सरकार के कामों के आंकने की? क्या हम इस पर ही ध्यान देंगे कि ऊपर के लोगों की सुखसुविधा का क्या प्रबन्ध है या यह भी देखेंगे कि आज जो नीचे हैं, जिनकी जिन्दगी की जरूरतें पूरी नहीं होती उनको पूरा करने के लिये हम क्या कर रहे हैं। मंत्रियों के वेतन में कटौती हुई, दूसरे प्रदेशों में दस प्रतिशत हुई, वह अच्छा हुआ, लेकिन सबसे अधिक केरल हमारे धन्यवाद का पात्र है जहां के मंत्रियों ने केवल ३५० रुपया मासिक वेतन लेना तय किया है, वह इतने में गुजर कर सकते हैं, वहां पर मासिक भत्ता भी केवल २५ रुपये से ६० तक ही मंत्री बनाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मंत्री जो २६ हजार की कार पर चलते हैं और जो शानदार सरकारी बंगलों में एशोआराम के साधनों के साथ रहते हैं वे थोड़े से वेतन में नहीं रह सकते। मैं समझता हूं कि यह चीज मुनासिब नहीं है और हमें अफसोस के साथ इस प्रश्न को उठाना पड़ता है और हम इसको बार बार उठायेंगे क्योंकि जनता देखती है और समझती है कि यह व्यय अनावश्यक है और हमारे शासकों को ऐशोआराम की तरफ ले जा रहा है।

अब मैं संक्षेप में बताऊंगा कि क्या हमारे सूबे की जनता का जीवन स्तर पिछले दस साल में ऊंचा उठा है, क्या यहां की शासन व्यवस्था पहले से अच्छी हो गई है, क्या हमारे प्रदेश में लोगों को न्याय पहले से अधिक सुलभ हो गया है, क्या यहां के लोगों को शिक्षा पहले से ज्यादा अच्छी और सस्ती मिल रही है? यह सब बातें हैं जो सामान्य प्रशासन से सम्बन्ध रखती हैं।

जहां तक शान्ति व्यवस्था का प्रश्न है, जो पुलिस रिपोर्ट हमें मिली है उसमें स्वीकार किया गया है कि इस साल पूरे प्रदेश में क्राइम बढ़े हैं, डकैतियां, रहजनी वगैरह बढ़ी हैं। जहां सन् ५५ में ८४४ डकैतियां हुई थीं वे सन् ५६ में बढ़कर ९३२ हो गयीं। रहजनी जो ४१४ हुई वे सन् ५६ में बढ़ कर ५६२ हो गई। सेंध लगाने की घटनायें ५५ में १६,५०९ हुई और सन ५६ में वह बढ़ कर १९४२० हो गई। इसके लिये सरकार की ओर से प्रमाण दिया जाता है कि चूंकि हमने क्राइम को छिपाया नहीं है, इसलिये यह तादाद बढ़ गई है। मुझे यह चीज पढ़कर बड़ा ताज्जुब हुआ, आज भी जनता का हर आदमी जानता है कि डकैतियां दर्ज नहीं होती हैं और थानों में उनको चोरियों में दर्ज किया जाता है, ऐसी शिकायत आम तौर से लोगों को है। अगर इस का विश्वास माननीय गृह मंत्री जी को न हो तो वे जनता के बीच में जाकर पता लगायें, कितनी ही ऐसी शिकायतें आये दिन होती हैं और संगीन क्राइम भी दर्ज नहीं होते।

शान्ति-व्यवस्था की हालत यह है कि कानपुर में प्रजा सोशलिस्ट नेता की मूंछें उखाड़ी गईं। एक पार्टी के नेता, जो जनता के लिये लड़ते हैं, आज आप की पार्टी की सरकार है, कल हमारी पार्टी की सरकार हो सकती है और परसों किसी और पार्टी की सरकार प्रजातन्त्र में हो सकती है, तो जनता के एक नेता की ऐसी हालत करना कहां तक ठीक है ? आप ने स्वतंत्रता आन्दोलन के जमाने में एक पाठ पढ़ाया था, एक नारा लगाया था कि हमें जनमत की कद्र करनी चाहिये, लेकिन इस सरकार में होता यह है कि उन्नाव में एक बारात पर पुलिस ने शर्मनाक हमला किया और इसको माननीय गृह मंत्री ने स्वीकार किया। आजमगढ़ में पुलिस के मारने से एक आदमी मर गया और इस पर कहा जाता है कि हमारे सूबे में शान्ति व्यवस्था अच्छी हो रही है। इसलिए जहां तक शान्ति-व्यवस्था का प्रश्न है हम कह सकते हैं कि इसमें काफी अवनति हुई है।

अब प्रश्न यह है कि यहां जीवन—स्तर जनता का उठा है या नहीं ? अपनी जनता के जीवन—स्तर को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी शासन की होती है। अखबार में समाचार आया था वह मैं आपके आदेश से सदन को बता दूं कि पंडित जवाहरलाल जी ने, जो हमारे प्रधान मंत्री हैं, एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि उत्तर प्रदेश में ४८—४९ से ५४—५५ तक मनुष्यों का जीवन-स्तर कितना गिरा है। प्रति व्यक्ति आय में कमी होती गयी है। १९४८—४९ में २४९.४ रुपये थी। १९४९—५० में २५१.३ रुपये थी। १९५०—५१ में २५९.५ रुपये थी। १९५१—५२ में २४४.५ रुपये थी। १९५२—५३ में २४४.६ रुपये थी। १९५३—५४ में २३३ रुपये थी और १९५४—५५ में २१२.७ रह गयी। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रति व्यक्ति की आय हमारे प्रदेश में गिरती गयी है। लोगो की जिन्दगी दूभर है। हम तो यूं सरकारी आंकड़ों में विश्वास नहीं करते, हम जानते हैं कि सरकार जो आंकड़े प्रस्तुत करती बड़े विश्वसनीय आंकड़े नहीं हुआ करते। हम सीधे जनता के बीच में जाते हैं और देखते हैं कि जनता की जिन्दगी में कोई तब्दीली हुई है या नहीं। उसकी जिन्दगी बेहतर हुई है या नहीं हुई है। हम देखते हैं। कि प्रदेश के पूर्वी जिलों में आज भी भुखमरी है। लोग भूख की ज्वाला में मरते हैं। हम इस बात को हरगिज मानने को तैयार नहीं हैं कि आज प्रदेश में आय बढ़ी है और प्रदेश में खुशहाली बढ़ रही है।

महोदय, किसी भी राज्य के लिए यह नितान्त आवश्यक है जब कि उसमें प्रजातन्त्रीय ढंग पर काम होता है, उसमें सरकार का पहला कर्त्तव्य होता है—शिक्षा में सुधार करना। शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के मस्तिष्क को बदलती है। जब एक नया समाज बनता है तो उस समाज को अपने लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए नयी प्रेरणा देती है। अंग्रेजी शासन ने शक्ति को मजबूत करने के लिए अंग्रेजी की शिक्षा कायम की। जब चीन में

[श्री चन्द्रजीत यादव]

नयी जनवादी सरकार बनी तो उसने सबसे पहला काम यह किया कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन किया, ताकि वहां की जनता यह समझे कि नयी व्यवस्था के अन्दर नये समाज का कैसे निर्माण किया जाता है। मुझे अफसोस है कि हमारे प्रदेश में शिक्षा में एक्सपेरीमेंट्स तो बहुत किये गये, लेकिन सरकार कोई निश्चित नीति आज तक कायम नहीं कर सकी। आज भी यह सरकार कनफ्यूजन आफ पालिसी के अन्दर भटक रही है। हमारे प्रदेश की शिक्षा आटोक्रैसी पर निर्भर है। हमारे प्रदेश में ऐसे स्कूल हैं, जहां केवल बड़े लोगों के बच्चों को ही शिक्षा सुलभ हो सकती है। लखनऊ के अन्दर जो ऐसे स्कूल है, चाहे कनवेंट या अन्य किसी तरह के स्कूल हों, उनमें बड़े लोगों के बच्चों को ही शिक्षा सुलभ हो सकती है। साधारण आदमी का बच्चा वहां शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता।

चूंकि समय कम है मैं दो तीन बातें ही और बताना चाहूंगा।

एक विभाग है हमारे प्रदेश में इकोनामिक और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट. जो सौभाग्य से हमारे मुख्य मंत्री के अंडर काम करता है। इस विभाग का काम यह है कि वह आंकड़े तैयार करे और उनका प्रयोग प्रदेश की उन्नति के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए ठीक-ठीक किया जाय। इस विभाग के अन्दर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है और जो सुस्ती, लापरवाही इस विभाग के अन्दर फैली हुई है वह इस बात का प्रमाण है कि मुख्य मंत्री के अधीन जो विभाग काम कर रहा है उसकी हालत यह है तो दूसरे विभाग कैसा काम करते होंगे। इस विभाग में जातिवाद चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। विभाग के अध्यक्ष एक उच्चाधिकारी हैं उनके भतीजे, सम्बन्धी सब इस विभाग में काम करते हैं जबकि सरकार का यह नियम है कि विभाग के उच्चाधिकारी का कोई भी सम्बन्धी उस विभाग में काम नहीं करेगा। इस विभाग को सरकार ने कुछ महत्त्वपूर्ण काम, रूरल इनकम इनक्वायरी, कास्ट आफ कल्टीवेशन सौंपे। इसके लिए १९४८ में एक समिति बनी। फैमिली बजट के लिए एक समिति सरकार ने बनायी, ताकि प्रदेश की जनता के जीवन स्तर को ऊंचा करने में कहां कमी रह गयी है उसका निदान हो सके। यह १९४८ में एक कमेटी बनी थी। उसने १९५७ में दस वर्ष के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसको १७ गांवों का सर्वे करने को कहा गया था। बड़ी मुश्किल से वह रायबरेली के सूची गांव का सर्वे कर पायी और रिपोर्ट दी। सरकार १९४८ में जानना चाहती थी कि क्यों कास्ट आफ लिविंग बढ़ रही है। उस निष्कर्ष पर पहुंच कर सरकार आगे काम करना चाहती थी, लेकिन दस वर्ष के बाद कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी उस रिपोर्ट का कोई अर्थ नहीं रह गया।

इसी प्रकार से यह विभाग जिसकी चर्चा मैंने अभी की, इसके अन्दर मुख्य मंत्री जी बतायेंगे आज भी सबसे अधिक अपील और रिप्रेजेन्टेशन्स हुए हैं। लोगों में घोर असंतोष व्याप्त है।

श्री उपाध्यक्ष—अब आपका समय इस वक्त समाप्त हो गया।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदानों पर कटौती प्रस्ताव को पेश करते हुए जो भाषण दिया गया उसको मैंने बड़े गौर से सुना। मेरे साम्यवादी भाई ने सबसे पहले यह बताया कि हमारा जो ढांचा था ब्यूरोक्रेटिक था, साम्राज्यवाद की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये बनाया गया था। उनकी यह बात सही है, लेकिन उसी ढांचे को आज डेवलपमेंट के काम में इस्तेमाल किया गया। हो सकता है जितनी हमें आशा इस बात की हो सकती थी कि हम उसको बदल देने में कामयाब होंगे उतना न हुआ हो, फिर भी एक क्रेडिट की बात है कि वह ढांचा जो कतई दूसरे काम के लिये बनाया गया उसको काफी हद तक विकास के कार्यों में यह सरकार लगाने में कामयाब हुई है। उन्होंने, गवर्नमेंट हाउस की बात कही, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री ने

यह कहा है कि जब तक विधान के अन्दर गवर्नर का स्थान है तब तक वह रहेगा ही। हमको अधिकार है कि हम संविधान को बदल दें तभी वह जगह खत्म हो सकती है। मैं भी उन लोगों में से हूं जो इसको ठीक नहीं समझते। लेकिन जब तक संविधान में गवर्नर है तब तक उसकी एक डिग्निटी है, शान है, वह हेड आफ दि स्टेट है, उसको कुछ मान मर्यादा रखनी पड़ती है। मगर साथ-साथ यह भी सही है कि गवर्नमेंट हाउस में, जिस तरफ मेरे साम्यवादी भाई ने इशारा किया, इस तरह के खर्चों में कमी होनी चाहिये और जिसके अन्तर्गत गवर्नमेंट हाउस हो उनको इस पर ध्यान देना चाहिये।

आज का युग आस्टेरिटी का है। अभी हमारे साम्यवादी भाई ने केरल के मिनिस्टरों से यहां के मिनिस्टरों का मुकाबला किया। मैं चाहता था कि मुकाबला न होता तो अच्छा था। उसकी वजह यह है कि ३५० रु० की बात कहीं जबकि उन्होंने स्वयं ५०० रु० माहवार पास किया है। उसके पहले कांग्रेस मिनिस्टरी भी ७०० रु० माहवार लेती थी। मगर उसके बाद भी वहां के मिनिस्टर १ रु० प्रति मील के हिसाब से अपना माइलेज लेते हैं। मैं इस बात को कहना उचित नहीं समझता था लेकिन जब जिक्र किया गया तो मजबूर हूं। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम १००रु० की कटौती की। मुझे इस बात का ऐहसास है कि इस कटौती से हमारे प्रदेश के बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है लेकिन एक साइकोलोजीकल चीज तो है। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि वह इस कदम को और आगे बढ़ायें और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनसे अपील होनी चाहिये और आपके द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी आवाज कर्मचारियों तक पहुंचाना चाहता हूं कि वक्त का तकाजा है, खासतौर से उनसे जो ५०० रु० माहवार से ज्यादा पाते हैं, कि १० प्रतिशत की कटौती करें। अगर यह नहीं किया तो हो सकता है कि हमको, इस भवन को जो कानून बनाने का अधिकार है, उस अधिकार का इस्तेमाल करना पड़े।

यह सही है कि हमको जो एक ढांचा अंग्रेज छोड़ गये थे ब्यूरोक्रेसी का, उसी से काम लेना पड़ता है। रूस में १९१७ की क्रान्ति के ४० साल बाद आज वहां की पार्टी के सबसे ऊंचे व्यक्ति, श्री खुश्चेव ने इस बात को मन्जूर किया है कि आज भी रूस के अन्दर ब्यूरोक्रेसी है, डिपार्टमेन्टलिज्म है और उन्होंने ३१ मिनिस्ट्रीज को लिक्वीडेट किया और ९ लाख आदमियों को चेक किया गया। मैं मानता हूं उनके अन्दर एक स्ट्रगिल है, आज हमारे मुल्क में भी वह स्ट्रगिल है। ब्यूरोक्रेसी की बात एक बड़ी समस्या है। हम सबको सोचना है कि डेमोक्रेसी के अन्दर ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से ठीक रखें। मैं इस बात को भी महसूस करता हूं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन टाप हैवी है। मैं यह भी समझता हूं कि इस कदर डेवलपमेंट का काम चारों तरफ से छेड़ दिया गया कि गवर्नमेंट को इस बात का मौका नहीं मिला कि वह कोआरडीनेट कर सके और जो नई-नई पोस्ट्स आये दिन क्रिएट होती जा रही हैं किस तरह से उसको ठीक किया जाय। अब समय आ गया है कि जो आये दिन बड़ी बड़ी पोस्ट्स पैदा होती जा रही हैं इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये और उनको रोकना चाहिए। हर विभाग में गजटेड आफिसर की संख्या बढ़ती जाती है इसकी तरफ भी हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक नियम है हमारी सरकार का, सेक्रेटरिएट के लिए भी है और और जगहों के लिए भी है कि जो आफिसर एक स्थान पर तीन साल से ज्यादा रहा हो उसको हमें बराबर शिफ्ट करते रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा नियम है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने शुरू में काफी तेजी से इस तरफ कदम उठाया भी था और आज भी मैं समझता हूं वह इस बात की कोशिश करेंगे कि जो आफिसर एक स्थान पर तीन साल से अधिक समय से हैं उनको दूसरी जगह भेजा जाय। कारण साफ है कि एक

[श्री नवल किशोर]
हो जगह पर बराबर रहने से कोई भी व्यक्ति वहां पर अपना गुट बना लेता है और इंट्रीग्ज शुरू हो जाती है। हमारे यू० पी० सेक्रेटरिएट में भी इस बात की शिकायत है।

अब मैं एक बात स्पेशल पे के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारे यहां स्पेशल पे का बहुत बड़ा सवाल है और उसके साथ-साथ कम्पेनसेटरी (compensatory) एलाउन्स का भी है। मेरा अपना मत यह है कि स्पेशल पे और सम्प्चुअरी एलाउंस की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जिन लोगों को यह दी जाती थी उनका यह पैदाइशी हक नहीं था। यह जिन लोगों को ऐसे स्थानों पर भेजना पड़ता था जहां कि ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं होते थे या जो अनहेल्दी जगहें थीं, उनके लिए था। लेकिन आज यह एक रूटीन सा हो गया है। मुझे खुशी है कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने बहुत जगह इसको कम किया है और बहुत सी जगह खत्म भी किया है। लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि हमारे सेक्रेटेरिएट में वह ढाई सौ से बढ़ कर तीन सौ हो गया है। इधर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि विभिन्न कर्मचारियों के जीवन के अन्दर जो एक डिस्पैरिटी है वह घटे न कि दिन पर दिन वह बढ़ती चली जाय।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा और उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा अपने सरकारी कर्मचारियों से यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात का नाज है कि हमारे सूबे के अन्दर हमारे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स बड़े काबिल हैं और इसीलिए उनकी सब जगह से मांग होती है। लेकिन काबलियत के साथ साथ हमारी जिन्दगी के सोशल और मारल स्टैंडर्ड भी ऊंचे होने चाहिए। अभी हमने गौतम पल्ली नाम से एक कालोनी बसाई। एक महापुरुष के नाम से हमने उस स्थान को बनाया। मगर जिन सिद्धान्तों का उस महापुरुष ने प्रतिपादन किया उसकी कोई झलक वहां रहने वाले हमारे सरकारी कर्मचारियों के जीवन में नहीं दिखाई पड़ती। मुझे अफसोस होता है इस बात को जान कर कि बड़ी-बड़ी काकटेल पार्टीज वहां आर्गेनाइज की जाती हैं। एक तरफ तो भुखमरी और गरीबी का तांडव नृत्य हो और दूसरी तरफ हमारे सरकारी कर्मचारी काकटेल पार्टी आयोजित करें, यह किसी तरह भी उचित नहीं है। मैं आपके द्वारा उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह की चीजों को हमारे देश की जनता अधिक समय तक बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इसलिए अच्छा हो कि वह वक्त के सिम्प्टम्स को पहचानें और दीवारों पर लिखे लेख पढ़ें और अपने जीवन को उसी तरह से ढालने की कोशिश करें।

एक बात यह भी है कि हमारे आई०सी०एस० और आई०ए०एस० आफिसरों की कुछ इस तरह की टेंडेंसी है उनको कुछ बात का मुगालता है कि कुछ पोस्टें ऐसी हैं कि जिन पर उनकी मोनोपली है, और वह उनके लिये रिजर्व की गई हैं। मैं चाहता हूं कि यह भावना भी दूर होनी चाहिये। जो लोग भी नीचे से उठकर आयें, जिनके अन्दर काबलियत हो उनको भी वह जगहें दी जायं।

एक बात यह है कि जब किसी को हम प्रोमोशन देते हैं या ऐडीशनल रेस्पांसिबिलिटी देते हैं तो फौरन मांग होती है कि ऐडीशनल पे देनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है कि हम किसी को प्रोमोशन भी दें और साथ ही साथ ऐडीशनल पे भी दें। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये। आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी भी परिस्थिति का कुछ अजीब सा खेल है। जब मैं यह देखता हूं कि गांधी जी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, फादर 'आफ दी दी नेशन' थे, ब्यूरोक्रैसी के लिये उनका यह मत था कि यह मर्डर्स हैं, पंडित नेहरू भी जो हमारे प्रधान मंत्री हैं प्रायः कहा करते थे कि यह हाल्टिंग, जर्किंग, शॉकिंग मशीनरी है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ परिस्थितियां ऐसी हमारे देश के अन्दर हैं और आज भी हम उसको देखते हैं कि ब्यूरोक्रैसी को जिस हद तक अपने आपको मोल्ड करना चाहिये था, कुछ तो उसने मोल्ड किया, लेकिन एक वेलफेयर स्टेट के लिये और एक सोशलिस्ट स्टेट के लिये

जिस हद तक उसे अपने का मोल्ड करना चाहिये था वह उसने नहीं किया और न हम करा ही पाये। जहां तक रिआर्गेनाइजेशन आफ सेक्रेटेरियट की बात मुख्य मंत्री जी ने हमारे सामने कही, उसके ऊपर कोई बात कहना ठीक नहीं होगा, मगर मैं यह आशा करता हूं कि जिस भावना को लेकर पुनर्संगठन हो रहा है उसमें शब्दों में चाहे कुछ हो, लेकिन उन्हीं भावनाओं को लेकर उसको पूरा किया जायगा।

अन्त में मैं उन सरकारी कर्मचारियों के प्रति जो बड़ी ईमानदारी और नेकी के साथ इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं और यह अपील करता हूं कि हम सभी, इस दल और उस दल के अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें और सही मानों में प्रदेश को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की चेष्टा करें।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इस सदन के सामने एक रुपये की कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे इस विषय पर बोलने की प्रेरणा माननीय मुख्य मंत्री जी की जो आज भाषण की शैली थी उससे मिली है।

मैं यह मानता हूं कि जब जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के अनुदान पर बहस होगी या किसी प्रकार के बजट संबंधी जनरल विवाद होंगे, तो उसमें मंत्रियों की तनख्वाहों का जो विषय होता है वह एक प्रमुख रूप धारण कर लेता है। मैं इस बारे में जो उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी का सुन चुका हूं उसके संबंध में कुछ अपना निवेदन करना चाहता हूं। जब हम चीन और रूस के हेड्स आफ स्टेट्स का उदाहरण अपने समने रखते हैं, जब हम केरल की मिनिस्टरियों का उदाहरण अपने सामने देखते हैं, हम अपने ही सदन में अपने उपाध्यक्ष द्वारा अपनी तनख्वाह में की हुई कटौती का उदाहरण देखते हैं, तो हमें और अधिक दलीलें देने की जरूरत महसूस नहीं होती है कि मंत्रियों ने अपनी तनख्वाहों में स्वेच्छा से सौ रुपये की कटौती का जो प्रस्ताव किया है वह कहां तक संगत मालूम पड़ता है और क्या यह जनता की जो ऐस्पीरिशंस हैं और गांधी जी ने स्वराज्य की लड़ाई लड़ते वक्त जो हमें बताया था कि हमें देश के शासक ऐसे चाहिये, किसानों की ही भांति जीवन व्यतीत करने वाले हों, क्या उनके आदर्श वाक्यों को हम मूर्तरूप होते पाते हैं, जब हम मंत्रियों द्वारा अपनी तनख्वाहों में सौ रुपये की कटौती का प्रस्ताव देखते हैं। हम इस अनुदान के संबंध में अपने विचारों को प्रकट करते वक्त आप से फिर अपील करते हैं कि अपोजीशन की तरफसे, विरोधी पक्ष की तरफ से इस संबंध में जो सुझाव आ जाते हैं या जो आलोचनायें होती हैं, उन पर झुंझला के नहीं, बल्कि उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि आप सही स्पिरिट में सोचिये। अपोजीशन वही कहता है जो जनता के हृदय की बात है। अगर आप उस पर आज गौर नहीं करेंगे तो कल या परसों करना होगा।

दूसरी बात मुझे इनफारमेशन डायरेक्टोरेट के संबंध में कहनी है। आपने इस अनुदान में उसके लिये व्यवस्था की है। हम उस संबंध में आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इंफारमेशन डाइरेक्टोरेट की सूचना संबंधी जो गाड़ियां हैं, जो सिनेमा स्लाइड्स वाली गाड़ियां हैं उनका इस्तेमाल एलेक्शंस से पहले और आज तक यह देखने को मिला है कि जनता की जानकारी कराने के लिये नहीं बल्कि राजनैतिक कारणों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिये होता है। हम इस अनुदान के संबंध में मुख्य मंत्री से निवेदन करेंगे कि आप इस विभाग के संगठन को इस प्रकार कीजिये कि यह जो विभिन्न राजनीतिक दलों की आकांक्षाओं की पूर्ति का साधन बनता है, वह न बन पाये। इस संबंध में अधिक सख्ती बरती जानी चाहिये।

[श्री मदन पांडेय]

तीसरी बात हमें डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के संबंध में कहनी है, जोकि आज इस अनुदान में दिखलाई पड़ी। जिला गजेटियर उस समय का बना हुआ है जब यहां अंग्रेज शासक थे। उन्होंने अपनी मरजी के मुताबिक अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिहाज से डिस्ट्रिक्ट गजेटियर का निर्माण कराया। आज आपने जो अनुदान मांगा है उसमें डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के संबंध में भी रुपये मांगे गये हैं। हमें उसके देने में जरूर खुशी है। हम यह कहते हैं कि रुपये की कटौती सम्पूर्ण अनुदान में की जाय तो गजेटियर के संबंध में न की जाय बल्कि और विभागों मे से कर ली जाय, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गजेटियर अगर फिर से रिआर्गेनाइज्ड रूप में निकले तो हमें फिर से मालूम हो कि हम कहां थे और आज कहां हैं और कहां जा रहे हैं। लेकिन एक सुझाव इस संबंध में हमारा है कि जो पुरानी सरविसेज है उनके ऊपर निर्भर रहकर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स का निर्माण कराने से जनता जो चाहती है वह उसको नहीं मिलेगा। हमारे देश में अच्छे से अच्छे इतिहासकार हैं और ऐसे लोगों की जानकारी से ज्यादा फायदा उठाया जाना चाहिये। इस विभाग का कार्य ऐसे आदमी को मिलना चाहिये जो इतिहास के संबंध में अच्छी से अच्छी जानकारी रखता हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने चपरासियों के वेतन से मंत्रियों के वेतन की तुलना बड़े अच्छे ढंग से की है। उन्होंने बताया है कि आज उनमें १ और १८ का अनुपात है। हमें चपरासियों की तनख्वाह ६१ रुपये बताई जाती है। उसी के बराबर केंद्रीय सरकार के दूसरे विभागों में काम करने वाले चपरासियों के वेतन में मंहगाई भत्ता वगैरा मिलाकर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमारे सामने थोड़े दिन हुये चपरासियों तथा अन्य राज्य कर्मचारियों का इस तरह की बात पर डिमोंसट्रेशन हुआ था कि केंद्र और प्रांत का भत्ता एक हो, हमें उनकी यह मांग उचित मालूम पड़ती है। आज भले ही मुख्य मंत्री जी तथा अन्य मंत्रिगण अपनी तनख्वाहों में १०० रुपये की कमी कर रहे है, लेकिन जो विषमता इन कर्मचारियों के वेतन में है वह ऐसी है कि सरकार को उसे दूर करना होगा। अगर सरकार इसको दूर नहीं करेगी तो असंतोष उग्र से उग्रतर होता जायगा। इसलिये मंत्रियों की तनख्वाहों की तुलना को अलग रखा जाय और कर्मचारियों के वेतन में जो विषमता है उसको पहले लिया जाय.......

श्री उपाध्यक्ष——अब माननीय सदस्य अपने भाषण को समाप्त करें। उनके ६ मिनट हो गये हैं, ४ मिनट वह बाद में बोलेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर अधिष्ठाता श्री गेंदा सिंह के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मदन पांडेय——माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे लिये केवल ४ मिनट हैं इसलिये अब जिन प्रश्नों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है उनको केवल गिनाने भर का ही मौका है।

जिला प्रशासन के लिये जो अनुदान मांगा गया है उसके संबंध में मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि सरकारी सर्विसेज जिनके लिये आपने हमसे यह अनुदान मांगा है उन पर आपका अनुशासन ढीला हो गया है। अर्थात्, दूसरे शब्दों में वे मंत्रिमंडल के ऊपर या सरकार की नीति के ऊपर हावी हो गये हैं ऐसा प्रतीत होता है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी से यह अनुरोध करूंगा कि इस अनुशासन को कुछ अधिक कड़ा करें। इससे लोगों में आशा बढ़ेगी और जो भ्रष्टाचार की शिकायत चारों तरफ से आती है वह दूर होगी। भ्रष्टाचार के संबंध में एक सुझाव मेरा यह भी है कि क्लास १ और २ के जो अफसर है उनकी जायदाद की गुप्त जांच कराई जाय और उस जांच का जो परिणाम हो वह

सार्वजनिक रूप से प्रख्यापित किया जाय और जो लोग उसमें शुबहा वाले पाये जायं, अगर उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही न हो सके तो कम से कम डिपार्टमेंटल कार्यवाही तो अवश्य होनी चाहिये।

दूसरी चीज जिसकी तरफ मैं आपके द्वारा मंत्रिमंडल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि आपके इस अनुशासन की ढिलाई का परिणाम यह होता है कि यहां से जो आदेश जाते हैं कर्मचारी उनकी हुकुमअदूली बड़े ठाठ से करते हैं और अगर कोई भी सार्वजनिक कार्यकर्त्ता उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करता है तो वे उसकी परवाह नहीं करते। जैसे पिछले दिनों बाढ़ वाले और बिला बाढ़ वाले क्षेत्रों में पूर्वी जिलों में कुछ छूट की आज्ञा दी गयी थी लेकिन जब वहां वसूली जारी रही और वह छूट नहीं दी गयी उसकी शिकायतें माननीय मंत्रियों के सामने रखे जाने पर भी वह हुकुमअदूलियां बराबर जारी रहीं। यदि इस तरह की गलतियां होती रहीं तो यह केवल अपोजीशन के लिये या सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं के लिये ही नहीं बल्कि मंत्रिमंडल के लिये भी कोई बड़े गर्व की बात नहीं होगी।

तीसरी बात यह है कि इसमें माघ मेले के संबंध में भी अनुदान मांगा गया है। माघ मेले का जिक्र आते ही हमारे सामने कुम्भ दुर्घटना का वह दृश्य घूम जाता है। हम मंत्री जी से यह अनुरोध करेंगे कि भले ही कुछ पैसे और इसमें लग जाय लेकिन उन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो जिनकी याद करके भी आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह इन्तजाम बाकायदा और समुचित होना चाहिये।

चौथी बात पब्लिक सर्विस कमीशन के संबंध में मुझे निवदन करनी है। उसमें हम इतनी-लम्बी लम्बी तनख्वाहें देते हैं। चेयरमैन को ढ.ई हजार और दूसरे सदस्यों को दो हजार रुपये मासिक देते हैं और उनका काम भी बड़ी जिम्मेदारी का है। लेकिन जब हम उसके परसोनेल को देखते हैं तो रिटायर्ड और घिसे पिटे आदमी ही इस कमीशन में लिये जाते हैं। मेरा माननीय मंत्रीजी से यह अनुरोध है कि उसमें नया ब्लड लिया जाय और उत्साही व्यक्ति लिये जायं। आशा है वह इसे स्वीकार करेंगे।

पांचवी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि जो सरकारी सर्विसेज है, जिनके लिये हमसे अनुदान मांगा जा रहा है, उनका कभी-कभी इलेक्शंस में जो रुख होता है वह बड़ा निन्दनीय होता है। सरकार की नीति भी उनकी तब्दीली वगैरह के सिलसिले में इस प्रकार की है जिससे लोगों को शुबहा और अविश्वास करने का मौका मिलता है कि वे इन चुनावों के ऊपर प्रभाव डालने के लिये किये जाते हैं। उदाहरण स्वरूप में गोरखपुर जिले के एक परगनाधीश के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि एलेक्शन से करीब चार महीने पहले से ही उनके ट्रांसफर की अफवाहें फैलती रहीं और वह कनफर्म होती रही, लेकिन आखिर में तीन-तीन बार उनका ट्रांसफर होते-होते रुक गया और इस कारण लोगों को सहज ही विश्वास करने का मौका मिल गया कि इलेक्शंस पर प्रभाव डालने के लिये यह सब किया जा रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी, मैंने जो सुझाव दिये हैं उनपर ध्यान देंगे और उनपर कार्य कराने की कृपा करेंगे।

*श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)—आदरणीय अधिष्ठाता, महोदय जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने आज प्रातः कहा कि सामान्य प्रशासन के आय-व्ययक की मदों में कोई ऐसी बातें नहीं होतीं जिनपर बहुत कुछ कहने का स्कोप हो लेकिन स्वभावतः जिस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

समय हम इस पर विचार करते हैं तो हमारी दृष्टि सामान्य प्रशासन से संबंधित सभी अंगों पर पड़ जाती है। हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारे प्रदेश ने उन्नति की है किन्तु हमें यह भी प्रतीत होता है कि प्रगति की घड़ी की सुई जिस रफ्तार से चल रही है वह सर्वथा संतोषजनक नहीं कही जा सकती। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सुन्दर महल जो हम बनाने जा रहे हैं उसकी आधारशिला उतनी मजबूत नहीं है जितनी हम कदाचित् कल्पना करते हैं। मैं इस संबंध में एक दो बातों की ओर ध्यान दिलाऊंगा

आज सबसे अधिक जोर सहकारिता पर है। सरकार और उसको बनानेवाली पार्टी यह घोषणा कर चुकी है कि हम भावी भारत का ढांचा सहकारिता के आधार पर बना रहे हैं। आज हमारे प्रदेश में ५५,६३८ सहकारी समितियां भी हैं और उनमें ३८,००,००० के करीब सदस्यों की संख्या भी है। लेकिन यदि हम गौर से देखें तो हमें मानना पड़ेगा कि इन समितियों की दशा बहुत असंतोषजनक ही नहीं दुखप्रद भी है। आज हम यह कहने के लिये मजबूर हैं कि यह कोआपरेटिव मूवमेंट अपने प्रारम्भिक काल में ही फेल होता सा नजर आता है। यदि यही आधारशिला बनी तो हम जिस आधारशिला पर भावी भारत का निर्माण करने जा रहे हैं वह ढांचा कमजोर बनेगा। आज गांवों में और शहरों में भी इस आन्दोलन के प्रति हम वह श्रद्धा और उत्साह नहीं पैदा कर सके हैं, जो हमें करना चाहिये था। भ्रष्टाचार की बात समय समय पर की जाती है। उसके विषय में मैं बाद में निवेदन करूंगा किन्तु इस प्रसंग में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता के प्रारम्भिक स्टेज पर ही इतनी अधिक मात्रा में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है कि बिला उसमें से गुजरे हुये आदमी आगे बढ़ नहीं पाता। इसका परिणाम यह होता है कि वह भावी ढांचा जिसको हम बनाने जा रहे हैं उसके बनने में संदेह उत्पन्न होने लगता है। जो लोग इन समितियों को बनायेंगे वे उस में फिट नहीं बैठ सकते। तो मैं बड़ी नम्रतापूर्वक कहूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और यदि यह न दिया गया तो यह नींव कमजोर सी दिखाई पड़ रही है।

श्रीमन्, अभी मंत्रियों के वेतन का भी यहां जिक्र था। मैं यह समझता हूं कि हमारे विरोधी दल के बहुत सारे नेता जब महात्मा गांधी के ५०० रुपये वाले प्रस्ताव का जिक्र करते हैं तो, वे आंकड़ों के पूरे पंडित हैं और अच्छी तरह से समझते हैं कि उस वक्त के ५०० रुपये तथा आज के १,००० रुपये में क्या फर्क है। आज के १,००० रुपये उस वक्त के ५०० रुपये से कम ही हैं ज्यादा नहीं। यह तो रही वेतन की बात। लेकिन श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहांतक और दूसरी चीजों का संबंध है, उनके बंगलों के लिये फरनीचर का, उनकी कारों का, अभी गवर्नर महोदय के राज भवन के लिये परदों का जिक्र था, उस संबंध में हमारी नीति में परिवर्तन होना चाहिये। मुझे पिछले बजट के दौरान में भी यह कहने का इत्तफाक हुआ था। उस वक्त १८,००० या २०,००० रुपया परदों के लिये रखा गया था, वह खर्च हुआ। यहां आज फिर हम २२,००० रुपये की रकम देखते हैं। इसी प्रकार उपमंत्रियों और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के लिये ५,००० रुपये की फरनीचर की मद हम देखते हैं। श्रीमन्, मेरा यह नम्र निवेदन है कि इस विषय में जरूर हम कमी कर सकते हैं। हमारा क्राइटेरियन यह होना चाहिये कि जहां आवश्यकता हो, वहां खर्च किया जाय। हम एफीशियेंसी और नेसेसिटी को सैक्रीफाइस न करें लेकिन जो मान-मर्यादा के लिये या सुसज्जा के लिये हम सामग्री रखें उसके लिये हमें यह देखना पड़ेगा कि उसके बिना हमारा काम चल सकता है या नहीं, जनता किस चीज का मान करती है और किस चीज से मर्यादा बढ़ती है। मेरा तो यह विनम्र निवेदन है कि मर्यादा पैसे के अपव्यय से नहीं बढ़ती। अगर हम पैसे का अच्छा व्यवहार करें और उसको कम से कम खर्च करें तो कदाचित् उन पदाधिकारियों की मर्यादा जनता में अधिक बढ़ सकेगी बनिस्बत उनके जो पैसे को अधिक से अधिक खर्च करने में बनःोम अप!ु य समझते हैं।

फिर इस भवन में करप्शन की बात आती है। आज भी उसका जिक्र आया और दूसरे अनुदानों के समय भी उसका जिक्र आया। मेरा मत तो यह है कि यह करप्शन की बात ऐसी हो गई है कि जिसे विरोधी दल के लोग अपना एक राजनीतिक हथियार बना चुके हैं। हर समय, वक्त और बेवक्त, करप्शन की बात बार-बार कहने से और हर एक के लिये स्वीपिंग एलीगेशन करप्शन के लगाने से करप्शन दूर हो सकता हो, ऐसा मैं नहीं समझता। दूसरी ओर श्रीमन्, जिस विभाग के बारे में करप्शन की बात कही जाती है, ऐसा देखने में आता है कि उसके अधिकारी यह समझते हैं कि उनकी आलोचना करना ही कहने वालों का मुख्य ध्येय है। तो यह दोनों ही तरीके करप्शन को दूर नहीं कर सकते। मेरा तो अपना मत यह है कि करप्शन हमारे समाज में आ कर रुक चुका है। इट हैज टु कम स्टे (it has come to stay) और मेरा यह विचार है कि यह एक नेशनल मैलाडी (national malady) है। यह एक बड़ा प्रश्न है जिसको कि उसी तरीके से हल करना पड़ेगा। अगर हम इसका बार-बार चर्चा करते रहें और यह समझ लें कि यह तो है ही और इसका कोई उपाय नहीं, तब काम नहीं चल सकेगा। अगर हम केवल निन्दा करते रहें और कोई सुझाव हमारे न हों तब भी काम नहीं चलेगा। मेरा तो नम्र निवेदन यह है कि आज वह समय आ चुका है कि जब शासन की ओर से एक सर्वदलीय राउन्ड टेबिल कांफ्रेंस या सारे दलों का एक सम्मेलन बुलाया जाय। एक ऐसी कमेटी हो कि जिसमें सारे दलों के नेता और रिप्रेजेंटेटिव शरीक हो सकें और उन सबों के सुझाव लेकर एक बड़ी नेशनल मैलाडी (national malady) के लिये हम जोरों से मुकाबिला करने के लिये तैयार हों।

मैं यह नहीं मानता कि इसका उपाय हो ही नहीं सकता। अभी जब पी०डब्लू०डी० के बजट पर बहस हो रही थी तो मैं सुन रहा था कि रेता ज्यादा लगता है और सीमेंट कम लगता है। मैं समझता हूं कि इसका भी उपाय हो सकता है। उदाहरणार्थ अभी तक ऐसे प्राविजन्स हैं कि हम ठेकेदारों से एक सेक्योरिटी लेते हैं जो ६ महीने के बाद रिफंड होती है इसलिये कि अगर काम खराब हो तो उसे हम जब्त कर लें। यह एक साधारण व्यवस्था है। इसको विस्तार रूप में किया जा सकता है। हम यह कर सकते हैं कि सारे सदस्यों का कोआपरेशन लें और सारे सदस्यों से प्रार्थना करें कि जहां-जहां उनके क्षेत्र में काम हुआ हो उसको वह देखें और यदि उनमें खराबी हो तो केवल यहां आ कर अपने को आलोचना करने तक ही वह सीमित न रखें वरन् उनके बारे में ठोस इत्तला विभागीय अधिकारियों को दें और उस इत्तिला के आधार पर उस विभाग के जो कर्मचारी हों उनके प्रति कड़ी कार्यवाही हो। ओवरसियर इंजीनियर और जो भी संबंधित हों उनको जिम्मेदार ठहराया जाय और ठेकेदार को भी डिसकंटीन्यू किया जाय। तब जाकर वह करप्शन दूर हो सकता है।

मोटरकारों के लिये एक छोटी सी बात यह कहना चाहता हूं कि जिस विभाग की जितनी मोटर कार हों या जितने कन्वेयन्स हों उनपर उस विभाग का नाम डाल दिया जाय तो भी उसका दुरुपयोग बहुत कम हो सकता है। इसी तरह की अनेक बातें हो सकती हैं जिनके द्वारा वह कमी दूर हो सकती है।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय आगया है कि इस तरह की एक कमेटी बिठायी जाय जो सब विभागों को देखे। जितने भी अनावश्यक व्यय हैं उनको रोका जाय। आज ३० लाख रुपये से नया सेक्रेटेरियट बनाने की स्कीम है। वह कमेटी इस पर विचार करे कि क्या इस काम को रोककर यह रुपया नहीं बचाया जा सकता है। इस रुपये से सेक्रेटेरियट की स्कीम चलने पर लोगों को कठिनाई होगी। जो लोग रहने के लिये मकान बनाना चाहते हैं उनको सीमेंट और लोहा मिलने में भारी

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

कठिनाई होगी और वह इससे वंचित हो जायेंगे क्योंकि इसको प्रायोरिटी दी जायगी। तो सरकार एक परमानेंट कमेटी बनाये जो हर डिपार्टमेंट को देखे कि क्या कोई ऐसा खर्चा है जो रोका जा सकता है। अगर इस प्रकार के खर्च रुक सकते हैं तो उससे बहुत बड़ी धनराशि बच सकती है और प्रदेश के और दूसरे जरूरी काम हो सकते हैं।

इस निवेदन के साथ में माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी——श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय यादव जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वास्तव में किसी भी देश या प्रदेश में वहां के सामान्य प्रशासन और जिला प्रशासन को सम्पूर्ण शासन की इकाई का केन्द्र बिन्दु माना जा सकता है। इस दृष्टि से प्रस्तुत अनुदान समस्त अनुदानों में महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

इस अनुदान का विश्लेषण करते हुये हमें यह प्रतीत होता है कि इसमें बहुत सी ऐसी मदें रखी गयी हैं जिसका वास्तव में सामान्य प्रशासन से सीधा सम्बन्ध नहीं है। यह प्रसन्नता की बात है कि पिछले वर्ष सूचना विभाग का बजट इसी अनुदान के अन्तर्गत रखा गया था लेकिन इस वर्ष से सम्भवतः हम लोगों के सुझाव पर सूचना विभाग का बजट एक अलग शीर्षक से रखा गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि लैंड रिफार्म कमिश्नर और बोर्ड आफ रेवेन्यू के सम्बन्ध की जो मदें हैं वह इसी सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत आती हैं। मेरा विचार है कि यह लैंड रिफार्म कमिश्नर की मद और लैंड रेवेन्यू की मद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से हटाकर लैंड रेवेन्यू की मद में आना चाहिये क्योंकि लैंड रिफार्म कमिश्नर और बोर्ड आफ रेवेन्यू के कार्यों का जहां तक सम्बन्ध है उनका सम्बन्ध रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है। यहां पर उनका कोई स्थान नहीं होना चाहिये। हां बोर्ड आफ रेवेन्यू द्वारा कलेक्टोरेट के आर्गनाइजेशन के मुताल्लिक जो अधिकार कलेक्टर को दिये गये हैं वह अधिकार मुझे इतना अनुभव तो नहीं है, लेकिन मैं यह अवश्य महसूस करता हूं कि बोर्ड आफ रेवेन्यू द्वारा इस प्रकार के अधिकार कलेक्टर को दिये जाना उचित नहीं है। सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू और हमारे बोर्ड आफ रेवेन्यू में बहुत फर्क है। बोर्ड आफ रेवेन्यू में एक अफसर का जुडिशियल फंक्शन भी होता है और सेंट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू का जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल फंक्शन नहीं है। सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू एक पब्लिक डीलिंग करने वाला है जो कि बोर्ड आफ रेविन्यू नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो नये अधिकार बोर्ड आफ रेवेन्यू को दिये गये हैं उन पर पुनः विचार होना चाहिये।

जहां तक जिला प्रशासन का संबंध है, यह बात सही है कि पिछले दो वर्षों में इस ओर माननीय मुख्य मंत्री जी ने ध्यान दिया है। लेकिन हमारे समाजवाद का जो अन्तिम रूप होने वाला है यह उसको कन्फर्म नहीं करता। जैसे मिसाल के लिए जिला प्रशासन में कलेक्टर है। कलेक्टर, मैं समझता हूं कि सोशलिस्टिक एकानामी के लिये एक प्रतिगामी नहीं होता लेकिन कलेक्टर खुद, जिस प्रकार से ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी ने यह शासन बनाया उसमें वह फिट इन नहीं करता और न डेमोक्रेसी में फिट इन करता है। जिले की सारी मशीनरी कलेक्टर के हाथ में होती है। फिर डिवीजनल कमिश्नरों की तादाद बढ़ती जा रही है जब कि आज से ३ ४ वर्ष पहले इनकी संख्या कम की जा रही थी। मैं इसके बारे में भी जानना चाहूंगा।

मेरा यह भी मत है कि फाइनेंस मिनिस्टर को किसी खर्च करने वाले महकमे का मिनिस्टर नहीं होना चाहिये। मैं जानता हूं कि मुख्य मंत्री जी को यह बतलाने में दिक्कत होगी कि क्योंकि उसके हाथ में बिजली का या इसी प्रकार का दूसरा विभाग दिया जाय और क्यों एक मिनिस्टर के हाथ में केवल कोआपरेटिव का ही विभाग हो। बहुत से सेक्रेटरीज ऐसे हैं जो ६, ६ विभागों के सचिव हैं और कई केवल एक ही विभाग के हैं। तो जितने मिनिस्टर हों उतने सेक्रेटरी होने चाहिये। जिला प्रशासन में जिले की व तहसीलों की हदों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के बारे में मैंने पिछले साल भी निवेदन किया था। मैं नहीं जानता कि उस ओर क्या प्रगति सरकार ने की है। एस० डी० एम्स० को तहसील में रखने का सवाल भी था और मैं समझता हूं कि पिछले वर्ष यह नीति कार्यान्वित नहीं की गई। इसी तरह से एफीशियेंसी आडिट का सवाल है, मैं जानना चाहूंगा कि हमारे राज्य के कार्यालयों में कितना चेकिंग हुआ है? कोई सर्वे किसी किस्म का कराने की कोशिश की गई? मेरे विचार से पिछले २, ३ वर्षों में इस प्रकार का कोई प्रयत्न नही किया गया है। समय कम होने से मैं संक्षेप मे ही कहूंगा।

कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जगन्नाथदास पे कमीशन या इसी प्रकार के कमीशन से यह होगा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के मुकाबले में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सुविधाये बढ़ेंगी। ऐसा हो सकता है। लेकिन इसका उपाय यह नही है कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से कहे कि तुम पे कमीशन न बैठाओ या इस प्रकार का टर्म्स आफ रेफ़रेन्स मत करो। अगर राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से मांग करे कि यह कमीशन इस सम्बन्ध में भी सिफारिश करे.......

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यही हमने किया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--और राज्य सरकार स्वयं भी पे कमेटी बैठावे। इससे सरकार यह न समझे कि सारा दायित्व उसके ऊपर ही आना है। हम प्रान्तीय सरकार की वित्तीय कठिनाइयों को जानते हैं। अगर आज राज्य सरकार चाहे तो केन्द्रीय सरकार को मजबूर कर सकती है कि यहां पर प्रत्येक राज्य कर्मचारी को वही वेतन भत्ता मिल सके जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी को मिलता है। यह पत्र-व्यवहार से होने वाला नही है। पत्र-व्यवहार में सैकड़ों मामले चलते रहते हैं लेकिन उसका महत्व केन्द्रीय सरकार महसूस नही करती है। मेरा स्पष्ट मत है कि राज्य सरकार के वर्तमान मंहगाई के स्तर को देखते हुये और विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के बीच में विभिन्न विभागों मे जो वेतन में भेद है उसे दूर करने के लिये अविलम्ब एक सेकेन्ड पे कमेटी का निर्माण करना चाहिये। इस सम्बन्ध मे मैं आप का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पहले जो २ या ५ रुपये वेतन वृद्धि की बात कही गई, बहुत से विभाग ऐसे हैं जहां आज तक यह २ या ५ रुपये की वृद्धि नही हुई है। सन् ५५ में माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐलान किया था कि २ रुपये वह बढ़ा रहे हैं परन्तु जगलात के फारेस्ट गार्ड्स के आज तक ये २ रुपये नही बढ़े हैं। कुछ जगह बढ़ कर कट गये हैं। पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारियों के और राज्य भवन के मालियों के कट गये। वे बिलकुल इनफ़ीरियर ग्रेड के मुलाजिम हैं। इस प्रकार एक तरफ तो ५ रुपये की बढ़ोत्तरी की गयी है और दूसरी तरफ उनका सिटी एलाउन्स रोक दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि उनको सिटी एलाउन्स दिया जा रहा है लेकिन मेरी सूचना यह है कि सिटी एलाउन्स के दो रुपये कम कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहां जो हिल एलाउन्स दिया जाता था वह कम कर दिया गया है। तराई भावर एलाउन्स भी रोक दिया गया है। इस प्रकार से अगर आप देखे तो आपको मालूम होगा कि इन्फीरियर कर्मचारियों को जहां आप ने ७ रुपये की बढ़ोत्तरी दी है वहां आप ने उनके १२ रुपये कम कर दिये हैं। इस प्रकार से उनके ५ रुपया और कम हो गये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी यदि चाहे तो इस संबंध में मैं उनको पूरी सूचना देने को तैयार हूं कि वास्तव में उनके एमाल्यूमेंट्स में कमी हुई है।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान सेंट्रल गवर्नमेंट के श्वेत पत्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें भारत सरकार ने माना है कि इन छोटे कर्मचारियों को कुछ देने की आवश्यकता है और उसका कुछ अंश भारत सरकार भी देगी। उसमे आगे लिखा है कि "किन्तु वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा दिये

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जाने वाले अंश के सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा"। आगे चल कर उन्होंने लिखा है कि-- "संक्षेप में जिन कर्मचारियों का वेतन १२ रुपये की वृद्धि से १०० रुपये से आगे नहीं बढ़ेगा, उनका वेतन बढ़ाने में केन्द्रीय सरकार राज्यों की सहायता करेगी, वेतन को ६० रुपये तक बढ़ाने में केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त व्यय के २/३ के बराबर और बाकी मामलों में अतिरिक्त व्यय के १/३ के बराबर की सहायता देगी"। इसमें केन्द्रीय सरकार ने १२ रुपये की वेतन वृद्धि देने की सिफारिश की है लेकिन आपने केवल ५ रुपया ही दिया है। उन्होंने जहां १०० रुपया तक देने के लिये कहा है वहां आपने ९५ रुपया तक ही रक्खा है। केन्द्रीय सरकार ने केवल वेतन की बात कही, लेकिन आप ने मंहगाई भत्ता मिला कर ९५ की बात की। इस प्रकार से आप केन्द्रीय सरकार की इच्छा के अनुसार भी नहीं कर पाये। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस संबंध में अपनी स्थिति को स्पष्ट करें कि क्या कारण है कि केन्द्रीय सरकार ने जो अपने ह्वाइट पेपर में घोषणा की थी उसको राज्य सरकार पूरा नहीं कर पायी। जब और सब बातों में आप १ अप्रैल से इफेक्ट रखते हैं तो फिर उसको आप पहली अगस्त से क्यों कर रहे हैं। उसको अगर पांच महीने की तनख्वाह मिल जायगी तो क्या बुरा हो जायगा। केन्द्रीय सरकार ने भी यही कहा है कि नये फाइनेंशियल ईयर से देंगे। इसलिये मैं चाहूंगा कि जो भी वृद्धि इस समय राज्य सरकार दे रही है वह १ अप्रैल से दे।

श्रीमन्, समय कम है और मैं चाहता था कि इस संबंध में मैं अपने और विचार व्यक्त करूं लेकिन चूंकि इस सम्बन्ध में माननीय विरोधी दल के नेता भी अपने विचार व्यक्त करेंगे इसलिये मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि सामान्य प्रशासन का मुख्य आधार वह नीति होनी चाहिये जो समाजवादी व्यवस्था को उग्रतर रूप में स्थापित कर सके। मुझे भय है कि माननीय मुख्य मंत्री अकेले ही इस दायित्व को निभा सकेंगे ! केवल सरकारी उपकरणों से उनके हाथ मजबूत होने वाले नहीं हैं। इसके लिये तो उनको एक वातावरण बनाना होगा। इसके लिये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी जल्दी-जल्दी मीटिंग्स होनी चाहिये ताकि समाजवाद को बनाने में वह हमें सुझाव दे सके।

श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)--अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को और इस सदन में इस संबंध में होने वाले भाषणों को काफी गौर से सुना। जहां तक इस अनुदान का ताल्लुक है यह सही है कि पुराने सालों के मुकाबले में इसमें बहुत ज्यादा खर्च की मांग नहीं है। मैं तो यहां तक भी उचित समझता हूं कि एक बढ़ती हुई सोसाइटी में खर्चे की ज्यादा मांग हो तो उसको देने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं इस प्रश्न को दूसरे ही नजरिये से देखना चाहता हूं और वह यह है कि जो खर्चा किया जा रहा है, जो शासन का ढांचा हमको मिला है, जिसके जरिये से हम नवनिर्माण की तरफ जा रहे हैं, एक नया सूबा, नया देश और नयी दुनियां हम बनना चाहते हैं, आया उस खर्चे के होने से वह ढांचा उधर बढ़ रहा है या नहीं। इसके लिये एडमिनिस्ट्रेशन भी एक मयार हो सकता है, उसमें भी जनता की वह भावनायें व्यक्त होती हैं। उससे वह काम किये जा सकते हैं जिस काम के लिये वह बनाया गया है। जो ढांचा हमने पहले बनाया था वह ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर कहलाता था। वह समाजवादी समाज को बनाने के लिये नहीं था बल्कि पुलिस स्टेट को बनाने के लिये वह ढांचा बनाया गया था। उसी तरीके से इसका गठन, था, उसी तरीके से इसकी भावनायें थीं, उसी तरीके से इसके डिसिप्लिनरी रूल्स थे और इसका संचालन एक टॉप हैवी ढांचे का था। जब हमारी सरकार एक नये समाज को लाने का काम कर रही है तो कुदरतन हमारे लिये जरूरी हो जाता है कि हम यह देखें, आया कि जो इसमें दुर्गुण थे, जो खराबियां थीं, वे खराबियां हमने दूर की हैं या नहीं।

ब्यूरोक्रेटिक ढांचे में ५ बातें थीं। एक तो यह बड़ा पेचीदा होता है, टॉप हैवी होता है, इसमें ग्लेमर बहुत होता है, इसके जो क्लासेज हैं उनमें आपस में सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं होती। इसमें देरी बहुत होती है, इनएफिशिएंसी भी काफी होती है। इस तरह से पांच दुर्गुण ब्यूरोक्रेसी के हैं। तो हमको देखना यह है कि इस १० साल के अन्दर हम इनमें से कितने दुर्गुणों को हटा पाये हैं। इस तरह से जब हम सोचते हैं और देखते हैं कि देरी को कम करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सेक्रेटेरिएट के रिआर्गेनाइजेशन का प्रपोजल बतलाया है उससे हमको काफी सान्त्वना मिली, सान्त्वना इसलिये कि इस तरफ कोशिश है कि किस तरह से देरी को कम किया जाय, जो फजूल में इधर उधर कागज घूमते फिरते हैं उनको कैसे रोका जाय। इस बात की जानकारी होनी चाहिये थी और इस बात की जानकारी है भी लेकिन मुझे थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ कि जरा सी बात को मालूम करने में १० साल का समय लग दिया गया है और १० साल के बाद भी पता लग सका कि देर होने का कारण यह है कि कागज यहां रुकता है। इससे मुझे सान्त्वना नहीं हुई। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिआर्गेनाइजेशन को इस तरीके से प्रोत्साहन देना चाहिये कि उससे कुछ ऐसी चीजें निकल सकें कि यह जो ढांचा है उसका मूल रूप बदले।

मेरे ख्याल से ऐडमिनिस्ट्रेशन में जरूरी चीज है कि लेजिस्लेचर की पालिसी को ईमानदारी के साथ व्यक्त करे। अगर मान लीजिये एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है जिसको लेजिस्लेचर ने लॉ पास कर के दे दिया लेकिन उसको न उसमें विश्वास है और न उसकी जानकारी ही है, तो चाहे आप अच्छा से अच्छा बिल पास कर के ही क्यों न दे दें लेकिन जिन लोगों के लिये वह बिल होगा, जब तक उनकी प्रेरणा व दृष्टिकोण के अनुसार वह नहीं होगा तब तक किसी प्रगतिशील बिल से भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिये जरूरी है कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे होम डिपार्टमेंट हो, उसके हर एक पुर्जे को, जो काम करने वाले हैं उनको सरकार की मूल पालिसी के सम्बन्ध में जानकारी हो। इसके लिये मेरा यह सुझाव है माननीय मुख्य मंत्री जी से कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के सारे पुर्जे को कोई न कोई एक किस्म की आइडिओलाजिकल रिमोल्डिंग होनी चाहिये। अगर आइडिओलाजिकल रिमोल्डिंग हो जायगी तो उनके कहने में, सोचने में तब्दीली हो जायगी। इसलिये जरूरी है कि जो हमारी पालिसी हो उनके बारे में सरकारी मशीनरी के जो पुर्जे हैं उनको बहुत काफी वाकिफयत हो। अगर सरकार ने जमींदारी खत्म किया तो उसके हर पुर्जे को जमींदारी के बारे में जानकारी होनी चाहिये और उसमें विश्वास होना चाहिये।

ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा दुर्गुण यह है कि वह टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन होता है। पिछले कई सालों के अन्दर सेक्रेटेरिएट में काम करने वालों की संख्या बहुत काफी बढ़ी है और उस पर काफी खर्च बढ़ गया है। अगर रिआर्गेनाइजेशन स्कीम के मातहत काम किया जाय तो आहिस्ता-आहिस्ता जो अब तक काम होता था उसमें भी तेजी आ जायगी और अच्छी बातों को आंकने की दृष्टि से डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन में इंटेंसिव भी बढ़ेगा।

ब्यूरोक्रेसी का सब से बड़ा दुर्गुण ग्लेमर है। उस ग्लेमर का राजनीतिक पार्टियों पर काफी असर है। इसीलिये यह बात आसानी से समझ में आ सकती है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को क्यों यह कहना पड़ा कि जनता के नजदीक रहने के लिये कई ऐसी चीजें हमको निकालनी पड़ेंगी जिससे लोगों को चिढ़न पैदा होती है, जिससे लोगों को झुंझलाहट पैदा होती है। मैं आपके जरिये बतला देना चाहता हूं कि यू० पी० सरकार ने इस बात को तसलीम किया है जैसे ये छोटी गाड़ियों में, झंडे का न लगाना, सफर में गार्ड वगैरह का न होना, ऐसी छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन महज इतना ही काफी नहीं है। अगर पोलिटिकल

[श्री गोविन्द सहाय]

लीडरशिप ही चाहे तो इसको कम कर दे और यदि यह जहर सर्विसेज में बना रहा तो इस तरह से यह ग्लेमर दूर नहीं होगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को आप के द्वारा बतलाऊंगा कि यह ग्लेमर राजनीतिक लोगों में पहले से नहीं था, उन्होंने तो पकड़ा था इस इन्फेक्शन को सर्विसेज से, जिनमें यह पहले से था। मैं अपनी जानकारी की बुनियाद पर कह सकता हूं कि कई डी० आई० जीज० और ए० आई० जीज० चलते ह तो उनको इस ग्लेमर का शौक और भी ज्यादा बदस्तूर है। इसलिये इसको जहां तक हो ऐडमिनिस्ट्रेशन से कम किया जाय, जरा उसमें सादगी आये और जो हमारा मौजूदा ढांचा है उसमें सिम्पलीसिटी हो।

सदन में कहा गया कि बहुत रुपया एडमिनिस्ट्रेशन पर व्यय होता है लेकिन इसमें कोई खास बात रुपये की नहीं होती ह और हमें रुपए की बात को ज्यादा महत्व भी नहीं देना चाहिये। यह जो हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन है वह बिलकुल एक घोड़े की तरह से है और यह पोलिटिकल लीडरशिप जाकी की तरह से है। जैसा रूप और ढांचा हमारी सर्विसेज का होता है उसका ऐडमिनिस्ट्रेशन पर असर होता है। परिवर्तन ऐसा होना चाहिये कि जिससे ऐडमिनिस्ट्रेशन में सादगी आये, इससे काम नहीं चलेगा कि हम ५०० रुपये तो छोड़ दें और दिलों में वही ऊंचा बनने की ख्वाहिश और ग्लमर रहे, इस तरह से कोई लाभ नहीं हो सकता।

अब मैं कुछ शब्द विभागों के बारे में कहूंगा। इस ग्रान्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन पर भी रुपए की मांग है। कमीशन का जो तरीका हमें विरासत में मिला है उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन का वह महत्व नहीं रहा है जैसा कि रहना चाहिये। मेरा माननीय मुख्य मंत्री से सुझाव है कि यह एक ऐसी बाडी है कि जिसके जरिये एक ऐसी सोसाइटी के लिये लोगों को रिक्रूट करता है और एक ऐसी सरकार के लिये लोगों को रिक्रूट कर के भेजता है जो सोशलिज्म की ओर बढ़ना चाहती है, इसलिये उसके मेम्बरान का दिमागी रुख ऐसा होना चाहिये, उनके दिमाग में एक ऐसी ताजगी होनी चाहिये जो ऐसे लोगों को हमें दे सकें जो देश को सोशलिज्म की तरफ बढ़ा सकें। हमारा जो आज का पब्लिक सर्विस कमीशन है, उस को बनाने का वही पुराना रवैया है कि पुराने बुड्ढे रिटायर्ड आदमी हों उनको वहां भेजा जाता है या जो पुरान पोलिटिकल फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं उनको वहां भेजा जाता है, यह चीज अच्छी नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन हमारी एक बड़ी भारी एजेंसी है, उसमें नया ताजा ब्लड, नया नजरिया और नये ख्यालात होने चाहिये।

दूसरे जब इस इंस्टीट्यूशन को माना जाता है तो उसकी सिफारिशों के संबन्ध मे कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिये, मैं नहीं जानता, लोगों के पास लोग खबरें और आंकड़े भेजते होंगे, मैं उनके बारे में तो जिम्मेदारी से कुछ नहीं कह सकता लेकिन मैं आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से कहूंगा कि कम्पलेंट्स होती हैं कि कमीशन की रिपोर्ट आई थी और बाद मे उसको निकम्मा बता दिया गया, यह बातें नहीं होनी चाहिये। इससे नुक्सान भी होता है और संस्था की प्रतिष्ठा भी कम होती है।

इसी तरह से हमारा जो स्टेटिस्टिक्स विभाग है वह बहुत लाभदायक काम करता है। हमारी जो सोशलिस्ट सोसाइटी है उस में आंकड़ों का होना बहुत जरूरी है और उनका बहुत बड़ा स्थान है। उनके बिना प्लानिंग नहीं हो सकता। ठीक आंकड़ों को मालूम करने में जितना आवश्यक खर्च है वह भी हमें करना चाहिये लेकिन इस विभाग की बुनियादी तब्दीली की बहुत जरूरत है। हमारे देश में पहली बात तो यह है कि लोग ठीक आंकड़े नहीं दते ठीक आंकड़े तभी इकट्ठा हो सकते हैं जब हमारी जनता डेटामाइन्डेड (data minded) हो। आज हालत यह है कि हमारे किसान यह भी बताना नहीं चाहते कि उन के यहां कितना अनाज पैदा हुआ है और इस वजह से हमारे स्टेटिस्टिक्स विभाग का काम और भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इस विभाग में अभीतक कोई सर्विस रूल्स नहीं हैं। चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी इस विभाग को स्वयं देखते हैं इसलिये मैं इशारतन कहूंगा कि इस विभाग में काफी तब्दीली की जरूरत है और मेरे पास कुछ सुझाव भी हैं, इस वक्त वक्त कम है वर्ना मैं उनको समझा देता लेकिन मैं अब उनके पास उनको भेज दूंगा।

मुझे एक खास बात यह कहनी है कि हमारी जो सर्विसेज है उनका हम मौलिक रूप बदले और उनमें तरक्की लावें, नजरिये में उनके तब्दीली हो, क्योंकि हम जनता के पास पहुंच सकते हैं अपनी सर्विसेज की सेवाओं के द्वारा। उनमें हमे एक दिमागी तब्दीली लाना है, एक मेलजोल के तरीके से वह काम करें। एक जिले के कलेक्टर की तरक्की का आधार क्या हो ? मैं समझता हूं कि एक सोशलिस्ट स्टेट में जिले के कलेक्टर की तरक्की का आधार यह भी होना चाहिये कि वह किस तरह से लोगों में देशभक्ति पैदा करता है, किस तरह से लोगों में सेकुलर आउटलुक पैदा करता है, किस तरह से प्लानिंग की तरफ मोड़ता है, किस तरह से कम्पेन इनीशिएट करता है।

*श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, प्रशासन पर जितना भी कहा जाय वह थोड़ा ही हो सकता है। प्रशासन की बदौलत आज समाज की जिन्दगी एक खतरनाक जिन्दगी बनी हुई है।

पुलिस का जो ढांचा बना हुआ है उससे समाज को जो आराम पहुंचना चाहिये था उसके एवज मे तकलीफे पहुंच रही है। यह केवल ऐडमिनिस्ट्रेशन की ही बुराई नहीं बल्कि हमारे समाज के नेताओं की वजह से हो रहा है। समाज के नेता ऐडमिनिस्ट्रेशन पर नाजायज प्रभाव डालते हैं और ऐडमिनिस्ट्रेशन उनकी आज्ञाये का पालन करने मे समाज के साथ अपनी जिम्मेदारियों का, अपने कर्त्तव्यों का पालन करने मे असमर्थ रहता है और उसी कारण हमारे देश का काफी मेहनत का पैसा और बड़े परिश्रम की कमाई का पैसा इस ढंग से खर्च हो रहा है, जिससे गरीबों को आराम के साथ रोटी नहीं मिल रही है और उनको रोटी तो रोटी, तन ढकने के लिये कपड़ा नहीं है। बहुत सी जगह भुखमरी फैली हुई है और शासन की तरफ से कोई समुचित प्रबन्ध न होना यह शासन और समाज दोनों के लिये अच्छी बात नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, यह मेरी खुशकिस्मती है कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बोलने का अवसर मुझे मिला।

जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की ओर अगर उस समय से हम नजर डालें जिस समय से हमारा देश आजाद हुआ है तो उसमें एक बात खास तौर से देखने में आती है कि उसकी तरफ हमारा व्यय कितना बढ़ा है और हमारी एफीशियन्सी कितनी बढ़ी है। मुझे पिछली दफा भी, एक दफा बोलने का मौका लगा था, उस समय भी यह कहा था कि अपने देश और प्रदेश को गरीबी और आर्थिक दशा को देखते हुये महामहिम राज्यपाल के ऊपर जो प्रदेश के एक्सचेकर से खर्च किया जाता है वह नाकाबिले बरदाश्त है। छः लाख रुपया साल भर में खर्च होता है। मैं यह उम्मीद करता हूं कि जहां चारों ओर एकानामी की आवाज जारी है, यह कोशिश की जाती है कि एकानामी की जाय वहां हमारे महामान्य राज्यपाल महोदय इस ओर स्वतः ध्यान देंगे।

इसके साथ ही साथ अगर १९४६ और १९५७ के आंकड़ों को देखा जाय तो सेक्रेटेरिएट के ऊपर २७ लाख रुपया ४६ में खर्च होता था और आज वह खर्च बढ़कर एक करोड़ बाइस लाख रुपये के करीब है। कितनी ऐडमिनिस्ट्रेशन में एफीशियेंसी बढ़ी है यह प्रश्न विचारणीय है। मै यह समझता हूं कि हमारे सेक्रेटेरिएट में माननीय मुख्य मंत्री जी का यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

क्योंकि मैं समझता हूं कि उनकी संख्या घटने से एकानामी ही न होगी बल्कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में एफीशियेंसी भी आयेगी।

इसी प्रकार से अगर हम मुख्तलिफ डाइरेक्टोरेट्स की तरफ देखें तो पहले जमाने में डाइरेक्टर था, या डिप्टी डाइरेक्टर और असिस्टेंट डाइरेक्टर। अब डाइरेक्टर है, ऐडीशनल डाइरेक्टर, ज्वाइन्ट डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर और असिस्टेंट डाइरेक्टर है। तो यह सारा का सारा टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे यहां का होता जा रहा है।

जहां तक डिवीजनल कमिश्नर्स का सवाल है, मैं उनकी पोस्ट को इस ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये बिल्कुल निरर्थक समझता हूं। कितना यूजफुल परपज सर्व कर रहे हैं? क्या उनकी ड्यूटीज और फंक्शन्स हैं, आज तक मैं उनका अन्दाजा नहीं लगा सका हूं? हो सकता है कि मेरा तजुर्बा कम हो और मैं यह न समझता होऊं कि कोई ऐसा काम उनके पास है जो मेरे दिमाग में अब तक न आया हो। लेकिन तीन, तीन हजार तनख्वाह इस गरीब प्रदेश के लिये बहुत बड़ा वेतन है? ऐसी हालत में मैं यह समझता हूं कि जिलों का सीधा संबंध हमारे यहां प्रदेश से हो और हमारे जो डिवीजन के ऊपर कमिश्नर्स हैं उनको समाप्त किया जाय। साथ ही जब से जुडिशियरी और ऐग्जीक्यूटिव अलग हुई है मैं यह भी नितांत आवश्यक समझता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में एकानामी लाने के लिये आवश्यक है कि हमारे एस०डी०एम्स० के पास जहां दफा १०७,१०९, ११० के मुकदमात हैं या कुछ आर्म्स ऐक्ट के हैं उनके पास काम और बढ़ाया जाय। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि बड़ी तहसीलों को छोड़कर छोटी छोटी वो तहसीलों पर एक एस०डी०एम० रखा जा सकता है जिससे उनके पास काम भी उनके लायक हो और एकानामी भी ऐडमिनिस्ट्रेशन में की जा सके।

सरकार ने जो ५ रुपये महीने की वृद्धि ९५ रु० तक के मुलाजमीन को दी है, यह सरकार का प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन मैं यह मुनासिब समझता हूं कि अगर किसी योजना के मातहत सेकेंड फाइव ईयर प्लान के अन्त तक हम अपने किसी भी कर्मचारी के वेतन को ७५ रुपये से कम न रहने देंगे, अगर ऐसी एक योजना बनायी जाय और उसी प्रकार तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक कोई भी कर्मचारी १०० रुपये से कम वेतन प्राप्त करने वाला प्रदेश में न रहे। दूसरी ओर जिन आदमियों को तीन, तीन हजार वेतन मिल रहा है उनका भी इसी प्रकार योजना के अनुसार तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १ हजार से अधिक वेतन न हो तो मैं समझता हूं कि प्रदेश में जो बड़ी और छोटी आय में अन्तर है उसमें बड़ी भारी कमी होगी और हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने में बहुत हद तक सफल हो सकेंगे।

आज अखबार में एक खबर देख कर मुझे और भी आश्चर्य हुआ कि ५ लाख रुपया कौंसिल हाउस के डेकोरेशन पर व्यय किया जायगा। प्रश्न यह है कि हिन्दुस्तान के गरीब आदमियों की तनख्वाह कैसे बढ़ायी जाय? प्रश्न यह है कि किस तरह से लोगों की आर्थिक दशा को सुधारा जाय? मैं यह कहता हूं कि डेकोरेशन की आवश्यकता है लेकिन उसको पोस्पोन कर सकते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात् तक। तब तक हम देश की आर्थिक अवस्था को कुछ सुधार सकेंगे। इसलिये मैं समझता हूं इस पर भी तभी विचार किया जाय।

चारों तरफ से यह अपील की जाती है कि मंत्री महोदय अपनी तनख्वाहों में कमी करें। बहुत कुछ उन्होंने की है। लेकिन फिर भी इसके साथ साथ वही अपील क्या हमारे कर्मचारियों के कानों तक नहीं पहुंचती जो तीन-तीन हजार वेतन प्राप्त कर रहे हैं, क्या उनके हृदय में दया नहीं? क्या वह इसमें सहयोग नहीं दे सकते कि प्रदेश में एकानामी हो? क्या वह यह नहीं सोचते कि इस देश में किसी भी आदमी को इससे अधिक वेतन नहीं मिलना चाहिये जो इस देश के लिये एक भार बन सके। मैं उन अपने

सरकारी कर्मचारियों से यह नम्र निवेदन करूंगा, और मुनासिब भी समझता हूं ऐसा कहना कि वे भी स्वतः अपने वेतनों मे १० प्रतिशत अथवा उससे अधिक कटौती कर एक आदर्श देश के सामने प्रस्तुत करेंगे कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। हम अपने देश की आर्थिक दशा को कहां तक ले जाने मे समर्थ हुये है ?

माननीय सदस्यों से भी मैं एक अपील करना चाहता हूं और वह इस रोशनी से कि हम सुबह ११ बजे से शाम के ५ बजे तक बैठते हैं। क्या ही अच्छा हो अगर दोनों साइड के हमारे माननीय सदस्य और हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस बात पर विचार करें कि बजाय ११ बजे के हम १० बजे से बैठना प्रारम्भ करे। कुछ हमारा समय प्रश्नोत्तर मे बढ़ सकेगा और कुछ हम अपने विधान सभा के कार्य को भी ज्यादा बढ़ा सकेगें क्योंकि चारो तरफ से जहां ग्रो मोर फूड का प्रश्न है वहां फूड अगर हम अपने खेतों मे पैदा करेगे तो इस असेम्बली फ्लोर पर भी हमे ज्यादा पैदा करने की आवश्यकता है। और वह भी हम ज्यादा पैदा करे कम खर्च मे यानी एक घंटा रोजाना हम और अधिक दें। जब कि हमारे सेक्रेटेरिएट में कर्मचारी १० से ५ तक रहते हैं तो हमसे भी अगर यही एक्सपेक्ट किया जाय और यही एक्सपेक्ट किया भी जाना चाहिये और जिस तरह से कि पार्लियामेंट मे ११ बजे से शाम के ५ बजे तक नान स्टाप कार्यवाही चलती है उसी तरह से मै यह भी सुझाव रखना चाहता हूं कि १० बजे से ५ बजे तक नान स्टाप हमारा सेशन चले। उसमें बीच का जो पीरियड है दो तीन घंटे का उस पीरियड में हम किसी प्रकार से भी कोई कोरम का प्रश्न न रखे और उसमे वोटिंग और डिवीजन का प्रश्न भी पैदा न हो जिस तरह कि पार्लियामेंट में होता है। यह सारी बाते ऐसी हैं कि जिनके ऊपर हमको विचार करना चाहिये। साथ ही साथ हमें अंग्रेजों के उस सबक को भी छोड़ना है जो उसने सैटरडे और सन्डे की छुट्टी कर रखी है। जब हम अपने कर्मचारियों से चाहते हैं कि वह सैटरडे तक काम करे और हमने सैटरडे के लिये आधे दिन की उनको छुट्टी की है तो मै एक यह सुझाव हाउस के सामने भी प्रस्तुत करना मुनासिब समझता हूं कि हम फ्राईडे को जो कि नान आफिशल डे है गवर्नमेंट डे माने जिससे हमारे काम में और भी वृद्धि हो और खर्च कम हो और सैटरडे को हम नान आफिसल डे बना दे। यह मेरे चन्द सुझाव हैं जिनके ऊपर मैं दरख्वास्त करता हूं कि गौर किया जाय।

एक बात और भी कह देना मुनासिब समझता हूं कि जिस समय हमारे यहां जिलों में कोई मीटिंग होती है और अगर जिलाधीश का प्रोग्राम होता है तो जिलाधीश साहब अलग जाते हैं, ए०डी०एम० साहब अलग जाते हैं, डी०पी०ओ०, तहसीलदार, हरिजन सहायक आफिसर, सारे के सारे अफसर वहां मौजूद होते हैं। कलेक्टर साहब ने या किसी और ने एकाध भाषण दिया और मीटिंग समाप्त हो गई और सारे के सारे आफिसर वापस आ गये। तो यह तो उनका टी०ए० बनाने का काम हो गया। इसलिये हमे चतुर्मुखी एकानामी करने की ओर ध्यान देना चाहिये। इसमे कुछ हमारा पार्ट है जो हमे प्ले करना हैं, कुछ हमारे कर्मचारियों का पार्ट है जो उन्हे प्ले करना है, कुछ हमारे जिले के अफसरान का पार्ट है जो उन्हे प्ले करना है, कुछ ऐडमिनिस्ट्रेशन मे एफिशियेन्सी लाने और करप्शन को समाप्त करने का जो हमारे माननीय मंत्रियों का पार्ट है वह उन्हे प्ले करना है जिससे कि जनता का विश्वास उनमे दिन पर दिन बढ़ता चला जाय और हम तरक्की कर सके।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं तो खड़ा हुआ हूं माननीय यादव जी ने जो जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिये। मैं श्रीमन्, ऐडमिनिस्ट्रेशन को एक ही कसौटी पर कसकर देखना चाहता था और वह आपके सामने भी और माननीय सदन के सामने भी रखूंगा। किसी देश के अन्दर ऐडमिनिस्ट्रेशन एफिशियन्ट होना चाहिये, रस्पांसिब होना चाहिये और उसका

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

आउटपुट जिस मात्रा में उसके पीछे धन और जन लगे उस मात्रा से अधिक होना चाहिये। परन्तु श्रीमन्, मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि जहां तक आउटपुट का प्रश्न है वह घटता जा रहा है। मैं एक उदाहरण श्रीमन्, आपको दूंगा। अभी मैंने देखा कि जौनपुर म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन के पास एक परिपत्र सेक्रेटेरिएट के विभाग से गया है जिसमें म्युनिसिपैलिटी में विशेष प्रकार के कौन कौन कर्मचारी रखे जाने हैं उनके रखने के लिये क्वालीफिकेशन इत्यादि का वर्णन है। उसमें श्रीमन्, एक लाइन लिखी है कि १५ अप्रैल तक चेयरमैन महोदय का इसके ऊपर जो भी विचार हो, जो टिप्पणी हो वह पहुंच जाय। लेकिन श्रीमन्, १५ अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून बीत गया तब यह परिपत्र पहुंच रहा है। क्या यह एफिशियेंट आउटपुट कहा जायगा? यह तो जैसे मसल मशहूर है "घोंघे की चाल" उससे भी उसकी चाल धीमी हो गयी। तो श्रीमन्, यह एफिशियेंट आउटपुट नहीं कहा जायगा।

मैं बजट में देखता हूं कि सेक्रेटरीज, एडीशनल सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज इत्यादि भगवान जाने कितने सेक्रेटरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। यह बड़ी विचित्र बात है। एक कहावत है कि एक बारात गयी। जब द्वार पूजा होने लगी तो समधी ने कहा कि इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, इतने रिक्शे और इक्के हैं। पर बारात को बैठने का स्थान भी नहीं मिला। तो इतने सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, लेकिन काम क्या हो रहा है? तो कहना पड़ेगा कि काम कुछ भी नहीं हो रहा है। श्रीमन्, ब्यूरोक्रेसी का यह एक बड़ा लक्षण है कि वह बढ़ती ही जाती है। जिस प्रकार से तालाब में मछलियां स्पान करती हैं, वैसे ही ब्यूरोक्रैटिक सिस्टम में वेस्टेड इंटरेस्ट्स बढ़ते चले जाते हैं। कहा जाता है कि "काम बहुत है, काम बहुत है" लेकिन काम कुछ नहीं है। यह जो ब्यूरोक्रेटिक रूप आज एडमिनिस्ट्रेशन का हो रहा है यह स्वतंत्र देश के लिये एक "रेड सिगनल" है। इस रेड सिगनल को देखकर उसको कंट्रोल करने की दृष्टि से, चेक करने की दृष्टि से यदि प्रयास नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं होगा जबकि इस देश में फ्रांस की तरह जो १७८५ और १७८२ में Ancian रेजीम के विरुद्ध राज्यक्रांति हुई थी उसकी आवृत्ति यहां दुहराई जाय।

जहां तक श्रीमन्, रेस्पांसिबनेस का प्रश्न है आज किसी किस्म के लोगों की कम्पलेंट्स हों, ६-६ महीने, साल-साल भर हो जाता है और कोई उत्तर नहीं मिलता, कोई प्रश्न हल नहीं होता। जब किसी को परेशानी होती है तो स्वयं आता है, लेकिन भगवान जाने किस किनारे वह दबा रहता है कि कुछ पता नहीं चलता। इसका परिणाम यह होता है कि लोगों के दिलों में यह भावना होती है कि आज हमारा कोई बचाने वाला नहीं है, हमारे प्रश्नों को हल करने वाला नहीं है। आखिर आदमी कितनी पेशेंस रख सकता है और इन्तजार कर सकता है कि अब मेरा उत्तर आयेगा। ४ महीने, ६ महीने बैठ सकता है, उसके बाद पेशेंस का समय साधारण मनुष्य का समाप्त हो जाता है। तो आज जो ऐडमिनिस्ट्रेशन में आदमियों की बढ़ोत्तरी हो रही है और ऐडमिनिस्ट्रेशन टॉप हैवी होता जा रहा है, ऊपर बढ़ोत्तरी हो रही है इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। सिविल लिस्ट को मैंने देखा तो अचम्भे में रह गया। जो अफसर ८-१० वर्ष पहले १,६०० और १,७०० पाते थे, जिस समय अंग्रेज गये और उन्होंने जब स्थान प्राप्त किये तो उनको ३-३ हजार मिलने लगा। यह श्रीमन्, आश्चर्यजनक है। या तो स्थान बढ़ सकता है या वेतन बढ़ सकता है, दोनों नहीं बढ़ा करते। अंग्रेजी की कहावत है कि "ए मैन हैड हिज केक ऐंड आलसो ईटेन इट" केक भी ली और खाया भी। तो आज ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर खर्चा भी बढ़ता जा रहा है और रेस्पांसिबनेस का जो मापदण्ड हुआ करता है उसमें भी भारी कमी आ रही है। चारों ओर जो हल्ला मचा हुआ है भ्रष्टाचार का, मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि जिस प्रकार से मानव भावना लोगों की भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ी हुई है उतना भ्रष्टाचार न हो, लेकिन

जबकि लखनऊ नगर में जब बड़े-बड़े अधिकारियों के बारे में स्पष्ट रूप से विधान परिषद् और विधान सभा भवन में कहा जाय तो यह आश्चर्यजनक घटना है कि उसके बारे में जांच कुछ नहीं की जाती।

इसके पश्चात् मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो सेक्रेटरीज के मकानों का झंझट लखनऊ में चल रहा है, जिसके बारे में कई बार दोनों सदनों में कहा गया है, उसके बारे में जांच होने की आवश्यता है कि आखिर वास्तविकता क्या है और मैं तो कहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि उसकी जांच के लिये इसी सदन को और विधान परिषद की सदस्यों की एक कमटी बनाकर इंक्वायरी करायें कि आखिर बात क्या है। अगर मान लिया जाय कि मकान बनाने की घटना के पीछे जो बात कही जाती है वह सत्य है तो श्रीमन्, जो छोटे आदमी दो चार रुपये पाने वाले हैं, वह यदि ऐसा करें तो उनको आप जेल में बिठा देते हैं, उनके खिलाफ एंटी करप्शन बिठा देते हैं लेकिन जब बड़े आदमी उन्मत्त होकर कोई गलत काम करें और उनको कोई दण्ड न दिया जाय तो जो छोटे-छोटे गरीब आदमी हैं उनके दिलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? श्रीमन्, मैं कहूंगा कि बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। श्रीमन्, मैं कहूंगा कि भ्रष्टाचार के रोकने की परम आवश्यकता है। यदि इसमें टॉप पर कुछ गड़बड़ी हो तो उनको उचित दंड दिया जाना चाहिये और उस चीज को पब्लिक के सामने लाना चाहिये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इधर ध्यान देने की कृपा करें।

दूसरी चीज हाउस बिल्डिंग लोन्स के संबंध में है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि लोगों को लोन (loan) मिलना चाहिये लेकिन सवाल देखने का यह है कि किस को मिलना चाहिये? मकान की आवश्यकता छोटे कर्मचारियों को है और बड़े कर्मचारियों को भी है। लेकिन हम रोजमर्रा देखते हैं कि छोटे कर्मचारियों को दरख्वास्तों में एक न एक अड़ंगा लगाकर पड़ी रहती हैं लेकिन बड़े कर्मचारियों के लिये कागज विद्युत गति से दौड़ता है। हनुमान जी की गति मनोज मानी जाती थी। उसी तरह से इन लोगों की गति भी मनोज की तरह से होती है और उसी गति से इनके कागजात दौड़ते हैं। श्रीमन्, इसी तरह की चीजें अगर होती रहीं और छोटे आदमी विचार करने लगें कि शासन हमारी सुविधाओं को देखता नहीं है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता नहीं है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये धीमी गति से चलता है, जो ऊंचे अधिकारी शासन केंद्र के निकट हैं, उनके लिये ज्यादा सुविधायें हैं, तो उनके मन में दुर्भावना का निर्माण होगा। आज उसी का परिणाम हो रहा है कि कितनी ही अच्छी योजनायें हों लेकिन जो उसके चलाने वाले फील्ड वरकर्स हैं, छोटे अधिकारी हैं, उनके दिल में उन योजनाओं को सफल बनाने के लिये उल्लास और आत्मीयता नहीं रहती है। इसी कारण हमारी अच्छी से अच्छी योजना भी सफल नहीं हो पाती और इसका परिणाम फ्रस्ट्रेशन के रूप में हमारे सामने खड़ा हो रहा है।

(इस समय ३ बजकर २३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, आज आवश्यकता इस बात की है कि शासन एक दृष्टि से सब कर्मचारियों की आवश्यकता और सुविधा के बारे में देखें। उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। खाली यह कहकर कि हमने छोटे लोगों के वेतन में पांच रुपये बढ़ा दिये, से काम नहीं चल सकता। वैसे आपने उनका वेतन बढ़ाकर बड़ा अच्छा काम किया। आवश्यकता तो आज यह थी कि उनका वेतन १०० रुपये से कम किसी भी हालत में नहीं होना चाहिये था उसकी तरफ आपने एक कदम उठाया है और अच्छा उठाया है। लेकिन अगर इसी तरह से चार-चार पांच-पांच रुपये बढ़ाकर बढ़ते रहेंगे तो उन लोगों की समस्याओं को कब तक

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

पूरी कर पायेंगे। क्यों न तीव्र गति से उनकी समस्याओं को हल करनेका प्रयत्न करते हैं। जिनको ३०० रुपये एलाउन्स मिलता है और इतना ज्यादा वेतन भी मिलता है तो उसको कम करके क्यों न गरीब लोगों का वेतन बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हिसाब लगाने पर भले ही वह चार आने बढ़ता हो। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर उनके उत्थान की ओर कदम बढ़ता है तो यह ज्यादा मूल्यवान है बनिस्बत ४-५ रुपये बढ़ाने के।

श्रीमन्, इसी तरह से हम देखते हैं कि जहां तक कर्मचारियों के उपचार का प्रश्न है उसमें भी भेद खड़ा कर दिया गया है। आप इस बात को विचार करके देखें कि तीन हजार रुपये पाने वाले अधिकारी को भी औषधि मुफ्त मिलती है और २५ रुपये पानेवाले छोटे कर्मचारी को भी औषधि मुफ्त मिलती है। लेकिन यदि व्यवहार में देखा जाय तो यह है कि अगर कोई सेक्रेटरी अस्पताल में पहुंच जाते हैं तो उनके साथ सारे डाक्टर्स लग जाते हैं और यदि कोई क्लार्क या चपरासी जाता है तो उनका कोई पुरसाहाल नहीं होता। श्रीमन्, मैं एक उदाहरण देता हूं जो मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं रोगी होकर अस्पताल नहीं गया, बल्कि एक मित्र से मिलने गया था। उस समय श्रीमन्, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी के पांच वर्ण हो गये हैं। एक बड़े साहब वहां आये। उनका वहां आना क्या हुआ मानों अस्पताल में एक नवीन जीवन आ गया। कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है। मानो एक विद्युत् लगी हुई है। कोई मक्खी मारने वाले को लेकर जिसे स्वाट कहते हैं, मक्खी मार रहा है। उसी समय डाक्टर लोग यस सर, नो सर कहते हुये आये और फौरन प्रेसक्रिप्शन लिखकर दवा दे दी गई। उनकी दवा लिख कर फौरन पर्चा दिया और बड़े साहब अपने घर चले गये। उसी समय किसी दफ्तर का बेचारा एक क्लर्क भी बैठा था। जब वह डाक्टर के पास गया तो उन्होंने उसको ऐसी झिड़कियां सुनायीं कि मानो वह कोई मक्कार हो या अंग्रेजी में जिसे लेपर कहते हैं वह उनके पास आया हो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। रोग तो बड़े साहब को भी होता है और छोटे बाबू को भी होता है परन्तु रोग के अन्दर भी यह भिन्नता। उस भिन्नता का कारण यह है कि प्रोमोशन की भावना है उनके दिल में, बड़े साहब को ज्यादा एफिशियेन्सी दिखलायें तो सम्भव है कि प्रोमोशन जल्दी हो जाय। मैं माननीय मुख्य मंत्री को इस सम्बन्ध में एक ही सुझाव निवेदन के साथ दूंगा कि ये जितने बड़े साहब लोग हैं और छोटे साहब लोग हैं उनको औषधि फ्री होने की कोई आवश्यकता नहीं है। औषधि २०० रुपये तक के जो निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके लिये फ्री हो और २०० रुपये से ऊपर ५०० रुपये तक के जो कर्मचारी हैं उनसे २५ परसेंट कांट्रीब्यूशन लिया जाय और बाकी ७५ परसेंट सरकार बर्दाश्त करे। उसस ऊपर क लोगों को यों ही इतनी तनख्वाह मिलती है कि गवर्नमेंट कांट्रीब्यूशन की कोई जरुरत नहीं है।

श्रीमन्, ऐडमिनिस्ट्रेशन के साथ-साथ एक और गुण होना चाहिये कि उसमें बराबर नवीन विचार और नवीन जोश का फ्लो (flow) होना चाहिये। इसीलिये मैं समझता हूं कि रिटायरमेंट एज (retirement age) जो ५५ वर्ष रखी गयी थी उस तक पहुंचते-पहुंचते मनुष्य की कुछ धारणायें बन जाती हैं, उसकी एक सीमा बन जाती है, उसका एक दृष्टिकोण बन जाता है और इसी कारण ५५ वर्ष की अवस्था में रिटायर कर देना आवश्यक है। परन्तु हो सकता है कि आज इस उठते हुये देश के लिये कोई खास टेक्निकल परसोनेल का अगर प्रश्न उठता है तो उनको एक्सटेन्शन दिया जा सकता है। परन्तु इस राज्य के अन्दर रिटायरमेंट एज सब के लिये ५५ से बढ़ा कर ५८ वर्ष कर दी गयी है। इसका एक परिणाम यही होगा कि जो पुराने ढांचे में पला हुआ परसोनेल है वही बना रहेगा और शासन के अन्दर नवीन उत्साह नहीं आने पायेगा। हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि आज हमारे राज्य के अन्दर स्वास्थ्य की ऐसी अच्छी व्यवस्था हुई है कि लोगों की एवरेज एज बढ़ गयी है। यह सही है कि एवरेज एज बढ़ी है परन्तु जो आज ५५ पर पहुंचे हैं उनकी

क्या एवरेज एज बढ़ी है ? उनके स्वास्थ्य का फारमेशन तो आज से ३०-४० वर्ष पहले हो चुका है। एवरेज एज तो उनकी बढ़ी है जो आज सर्विसेज में आ रहे हैं। अब देर में विवाह होता है यह भी सही है। परन्तु जो ४० वर्ष पहले के बैठे हुये हैं उनका विवाह तो १५-१६ वर्ष की अवस्था में ही हो चुका था। यह तर्क तो जो आज २०-२१ वर्ष में ब्याह करके आ रहे हैं उनके लिए ठीक हैं। इसलिये यह ५८ वर्ष वाली बात अगर ३० वर्ष बाद आती तो ठीक होता। आज इसका सवाल पैदा नहीं होता। इसलिये इस प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री जी फिर से विचार करें क्योंकि जो आज ५५ पर पहुंच गये हैं उनको कोई उत्साह नहीं है क्योंकि वे जानते हैं कि उनके आगे तो बार लगा हुआ है। टेक्निकल परसोनेल के लिये जरूर कहा जा सकता है लेकिन मैं तो देखता हूं कि हाई कोर्ट में एक रीडर ५५ पर रिटायर होने वाले थे लेकिन ५८ वाले कानून से उनका भी रिटायरमेंट खत्म हो गया। आखिर उस पद के लिये कौन सी विशेष टेक्निकल नालेज की आवश्यकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को अनुदान संख्या १२ और १३ के लिये बधाई देने को खड़ी हुई हूं। श्रीमन्, गत वर्षों में प्रदेश के अन्दर जो विषम परिस्थितियां पैदा हुईं और प्रशासन को जो भारी भार उठाना पड़ा है वह सर्वविदित है। प्रदेश में अभी अंगविच्छेद के घाव नहीं भर पाये हैं और उसके परिणाम आज भी प्रदेश के अन्दर आम चुनावों के समय दिखलाई पड़े थे। युद्धोत्तर विश्व के अन्दर नैतिक पतन, अराजकता की प्रवृत्ति, उच्छृंखलता, ईर्ष्या, द्वेष, परस्पर क्लेश आदि जो आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ी हैं उनका प्रभाव हमारे प्रदेश पर भी पड़ा है और हमारा प्रशासन उससे अछूता नहीं रह सका होगा। अराजकता की प्रवृत्ति, बढ़ती हुई जनसंख्या, सार्वजनिक जीवन में नैतिक विधि-विधान का अभाव, दैवी आपत्तियां आदि सब मिल कर हमारे प्रशासन के लिये एक विचित्र पहेली सी बन गई हैं। प्रतिदिन हड़तालों की धमकियां, मांगों के प्रदर्शन, गो स्लो टैक्टिक्स, तथाकथित सत्याग्रह भी प्रदेश के लिये सर-दर्द हैं। हमारे आधुनिक जीवन स्तर की कल्पना ने हमारी आर्थिक व्यवस्था को दबा लिया है। समाज के किसी भी अंग में देखिये तो सर्वत्र असंतोष दिखलाई पड़ता है। इसके लिये कुछ व्यक्तियों को दोषी ठहराना समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों के प्रतिकूल होगा। रोग के चिन्हों को मिटा देना रोग का समूल उन्मूलन नहीं, इन सब का कारण तो गहरा व impersonal है। उन सब कारणों को ढूंढ़ निकाल कर समाज में आमूल परिवर्तन करना ही पड़ेगा। जिन परिस्थितियों में हमारे प्रशासन ने सुरक्षा और शान्ति की व्यवस्था की थी वह प्रशंसनीय और संतोष की बात है। लेकिन सर्वथा आत्मसंतोष घातक भी सिद्ध हो सकता है। हमें प्रशासन को समाजवादी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुकूल भी बनाना चाहिये ब्रिटिश-कालीन पुलिस स्टेट के आदर्शों और चरित्रों की संगति हमारे समाजवादी और कल्याणकारी लक्ष्य के साथ नहीं बैठ पाती है।

अब मैं प्रस्तुत बजट के प्रति कुछ कहने की धृष्टता करूंगी। मेरे पूर्व प्रवक्ता श्री वीरेन्द्र वर्मा ने राज्यपाल महोदय के ऊपर होने वाले व्यय की तरफ संकेत किया है। प्रस्तुत बजट में ५,३५,८०० रुपये का व्यय उन पर रखा गया है। उनके कार्यालय के लिये १,५०,००० रुपये और उनके भत्ते के लिये १,२५,००० रुपये का व्यय रखा गया है। मेरी तुच्छ बुद्धि में यह आधा किया जा सकता है। हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों के मुकाबिले गरीबी में तीसरा नम्बर रखता है। मैं राज्यपाल महोदय से अप्रत्यक्ष रूप से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे प्रदेश की भूखी नंगी जनता को देख कर और दरख्तों के नीचे रहने वाले, बरसात, सरदी और गर्मी

[कुमारी श्रद्धा देवी शास्त्री]

में तड़पने वाले बच्चों का ध्यान करते हुये और बापू के उस संदेश और प्रतिज्ञा को याद करते हुये कि नंगों को देखकर उन्होंने अपने तन पर वस्त्र भी धारण करना छोड़ दिया था, उनका अनुशरण करें और मुझे पूर्ण आशा है कि अपने वेतन में से ५० प्रतिशत कटौती कर देना उनके लिये कोई बहुत बड़ी बात न होगी ।

श्रीमन्, हमारी सरकार ने प्रस्तुत बजट में १५,००,००० रुपये की बचत करके एक प्रशंसनीय कदम उठाया है, परन्तु श्रीमन् हमारे सचिवालय में डेवलपमेंट कमिश्नर, रिआर्गनाइजेशन कमिश्नर, लोकल सेल्फ कमिश्नर, आदि ४ कमिश्नरों की नियुक्तियां हमारे बजट पर भारी बोझ प्रतीत होती हैं । श्रीमन्, हमारे प्रस्तुत बजट में कमिश्नरों के लिये ११,८१,७०० रुपये का व्यय रखा गया है । श्रीमन्, मेरी तुच्छ बुद्धि में ये पुराने आई० सी० एस० आदि सरकार और जिला प्रशासन के बीच लेटर बक्स का काम करते हैं, इस (redirection) से हमारे कार्य में और देरी होती है । अतः श्रीमन्, मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि उनको ३,००० के हिसाब से ३,५०,००० रु० घर बैठे दे दिया जाय और शेष बचत समाज कल्याणकारी कार्यों के लिये लगा दिया जाय ।

श्रीमन्, अनुशासन कार्यवाही जांच समिति ने, जो माननीय पं० गोविन्दवल्लभ पन्त की अध्यक्षता में हुई थी, अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ ४९ पर सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियम संबंधी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं । उनमें से एक निम्नलिखित सिफारिश है:

"मद्य निषेध, सब नागरिकों के प्रति समानता का बर्ताव, नागरिक सुविधाओं का दुरुपयोग या सावधानता पूर्ण उपयोग न करने तथा जाति-पांति में धार्मिक भेद-भाव न रखने के लिये उपबंध बढ़ा दिये जायं ।"

श्रीमन्, मद्य निषेध हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का एक मुख्य अंग रहा है जिसके लिये हमारी हजारों माताओं की गोदें सूनी हुईं, बहनों का सुहाग सिन्दूर पुछे और बढ़ते हुए बाल-कुसुम कुम्हलाये और हजारों नौजवानों की खिलती हुई जवानी जेल के सीकचों के अन्दर कुम्हला गईं । मद्यनिषेध हमारे संविधान के डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ स्टेट पालिसी के अन्दर भी आता है । क्या बापू के स्वतंत्र भारत के रामराज्य के स्वप्न का यही स्वरूप था कि उनके अनुयायियों की सरकार की छत्रछाया में सचिवालय के कर्णधार उपरोक्त प्रतिबन्ध से मुक्त होंगे । श्रीमन्, संभव है कि बापू ने ऐसा प्रतिपादन करके भूल की हो तो मैं जानना चाहती हूं कि यह मद्यनिषेध की नीति का आडंबर किस लिये है ?

श्रीमन्, मैं अंत में सरकार से निवेदन करूंगी कि आये दिन हमारी बहुत सी सुविधायें, जिन्हें हमारे दोनों पक्ष के भाई भिन्न-भिन्न रूप में प्रस्तुत करते रहते हैं, सरकार के सामने विचार के लिये आती हैं । मैंने भी कुछ असुविधाओं को गहराई से महसूस किया । संभवतः वह मेरे किसी कथन ने अन्यथा मानी गई हों और उनको अभारतीयता का रूप भी दिया जा चुका हो, लेकिन मैं कहूंगी कि इसी सचिवालय के कर्णधार अनेक भूलें करते हैं और जिले के प्रशासन अधिकारी और जिले के अन्य अधिकारी इतनी धृष्टतायें करते हैं कि हमारी बहिनों की और छोटी-छोटी उम्रवाली बच्चियों की लज्जा अपहरण में भी नहीं सकुचाते । मैंने इस किस्म की बहिनों को आई० जी० के सम्मुख प्रस्तुत किया था । मुझे तो ज्ञान नहीं है, यदि ज्ञान होगा तो उन्हीं को होगा कि उनकी दुर्घटनाओं के विषय में क्या हुआ है । इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगी कि जो यहां पर इस किस्म की बातें आती हैं उनके पीछे कुछ लोगों के हृदय में असहनीय घाव व वेदनायें होती हैं और उनको किसी तरह से अन्यथा मानकर हमारे मन में थोड़ी सी ठेस पहुंचाई जाती है । मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगी कि आज हमारे विरोधी पक्ष में भी कुछ नवयुवक भाई हैं और उनकी कुछ भावनाएं हैं, उन नवयुवकों की उन भावनाओं को अन्यथा न माना जाय ।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगी कि प्रशासन के अन्दर कम खर्चे की ओर ध्यान दिया जाय। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देती हूं और अपनी बात को माननीय बापू के निम्न कथन से समाप्त करती हूं कि :

"The rule of others without the rule of oneself is as deceptive as a painted toy mango, charming to look at but empty and hollow from within."

*श्री त्रिलोकीसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी कृपा के लिये अनुगृहीत हूं और बहुत जल्द ही बैठे-बैठे बोलते रहने की इजाजत से फायदा न उठाने का प्रयत्न करूंगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने विरोधी दल को और विरोधी दल के नेता को किस प्रकार से इस आदरणीय सदन में कार्य करना चाहिये इस ओर कुछ संकेत किया। यह हमारी खुशकिस्मती है और मैं अपनी खुशकिस्मती खास तौर पर समझता हूं कि १५ दिन के विवाद के बाद किसी भी माननीय मन्त्री ने यह मुनासिब समझा कि जो शंका या जो प्रश्न मैंने इस आदरणीय सदन के सामने उपस्थित किये उसके बारे में वह कुछ चर्चा करें। मेरा आज भ्रम दूर हो गया। मैं समझता था कि बातें इतनी थोथी थीं और इतनी जरूरी नहीं थीं कि माननीय मन्त्री उसका नोटिस तक लें। इसलिये मैं विशेष अनुगृहीत हूं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्रियों के वेतन या उनको जो सहूलियत हासिल है उसका हवाला मैंने क्यों आम वाद-विवाद में दिया था। माननीय सदस्यों को याद होगा कि वित्त मन्त्री महोदय ने जिस समय बजट पेश किया था तो उसमें इसका उल्लेख किया कि १०० रुपया माहवार मन्त्रियों ने स्वेच्छा से अपने वेतन में कटौती कर दी है और यह दुर्वेशाना तौर पर फूलपत्ती के तौर पर पेश करते हैं। मुझे नहीं मालूम और न मैंने इस निगाह से किसी बजट स्पीच को पढ़ा कि कोई मन्त्री यदि अपनी स्वेच्छा से कोई कटौती करे तो उसका उल्लेख बजट पेश करते समय हो। विशेषकर श्रीमन्, जबकि १०८ करोड़ रुपये का बजट हो और इस कटौती से .०००१ परसेन्ट का भी अन्तर न पड़ता हो। अगर यह होता कि १ या आध करोड़ का अन्तर हो जाता तो हमें खुशी होती। लेकिन १०—२० हजार रुपये के हेर-फेर से १०८ करोड़ रुपये के बजट पर क्या असर पड़ेगा? यह बात मुझे कुछ जंची नहीं। जब मंत्रियों का पहला कानून पास हुआ था तो मैं भी मौजूद था। ऐसी बात कभी नहीं कही गयी जैसी अबकी बार बजट स्पीच में दुर्वेशाना तौर पर कही गयी। मैंने यह भी देखा कि जितनी तनख्वाह है उतना ही एलाउंस पर है। १ लाख ४९ हजार रुपया ऐसा है और १ लाख ५० हजार मोटरों पर है। मकानों की कैफियत आप जानते हैं। मुझे अफसोस होता है कि महात्मा जी का जिक्र करते हुये यह कहा गया कि जब २६ वर्ष उनके साथ रह कर हमने सादगी नहीं सीखी तो अब क्या सीखेंगे। महात्मा जी जिस आदर्श से रहते थे, जाने दीजिये महात्मा जी की बात, पंडित मदनमोहन मालवीय जिस तरह से रहते थे, वह वाइस-चांसलर थे, लाला लाजपत राय जिस प्रकार रहते थे, बाल गंगाधर तिलक जिस तरह से रहते थे, क्या कभी किसी के घर में ऊनी कालीन जमीन पर बिछा था? किसी के घर में २० हजार रुपये का फर्नीचर था? भारतवर्ष प्लेन लिविंग और हाई थिन्किंग के लिये मशहूर है।

मुझे याद है कि एक बार सब से पहले लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदर सर माइकिल कीन ने लखनऊ चारबाग स्टेशन पर पं० मोतीलाल जी नेहरू से पूछा था कि पंडित जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि प्लेन लिविंग और हाई थिन्किंग (Plain living and high thinking)। अंग्रेज ने कहा कि I still wish you think higher. Christ thought higher unless crucified. तो मैं इतना ऊंचा, तो अपने मंत्रियों को नहीं देखना चाहता हूं मगर इतना जरूर देखना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिलोकीसिंह]

चाहता हूं कि किसी को उनकी ओर उंगली उठाने का मौका न हो 'Caesar's wife must be above suspicion'। विलायत में जब सन् २४ में पहली लेबर मिनिस्ट्री बनी तो एक मिनिस्टर साहेब ने तनख्वाह पाई और एक ऊंचे दर्जे की दूकान से कपड़े सिलाये और लाबी में आकर बैठे। एक दूसरा शख्स उन्हीं की लेबर पार्टी का कहने लगा कि यह सूट आपने कहां से टेलर कराया है। बस उस मिनिस्टर ने कहा कि हमारी हैसियत के बाहर, जिस रहन-सहन के हम आदी थे, उससे बढ़कर हमने यह सूट सिलवा लिया है और उसकी नीयत पर जरा सन्देह हुआ, तो उसने इस्तीफा दे दिया। मैं चाहता हूं कि हमारे वजीर इस नीयत के हों और इस तरह के स्टैंडर्ड का अनुसरण करें। १०० रुपये की कटौती दसवां, बीसवां या चालीसवां हिस्सा भी आकर नहीं बैठती है। मैंने हिसाब लगाकर बताया था कि ४,४०० रुपये से ज्यादा यू० पी० के एक मिनिस्टर पर प्रतिमास सर्फ होता है।

आज इस बजट में हम देखते हैं कि डिप्टी मिनिस्टर्स के मकानों को सजाने के लिये ६५,००० रुपये की रकम रखी गई है। मैं इस सादगी को क्या समझूं ? मैं कोई शायर नही हूं वरना शेर कह देता। इस सादगी पर क्यों न मर जाये अमीर, आगे का उनसे वास्ता नही है क्यों कि उसका तलवार से वास्ता है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि मेहमान आते हैं। इस आदरणीय सदन का स्थान लखनऊ शहर में है। मेहमान हमारी सिर आंखों पर हैं। भारत में अतिथि सत्कार पुकारा जाता है। स्वयं न खाकर अतिथि को खिलाना धर्म है। यह भी मालूम हुआ कि जो वेतन मिलता है उसमें मेहमानों की ठीक से खातिर नहीं हो पाती है। इस बजट में एक कोठी लखनऊ शहर में खरीदी जा रही है १ लाख ४० हजार रुपये की। गत वर्ष खरीदा गया है राजा जगन्नाथबख्श का मकान। मैंने मालूम करने की कोशिश की कि यह कोठी क्यों खरीदी गई है तो मालूम हुआ कि उसमें स्टेट गेस्ट हाउस बनेगा। मंत्री जी से मालूम हुआ कि वह मजबूर होंगे स्टेट गेस्ट हाउस खोलने के लिये। वह खरीदी गई है या लेनदेन हो रहा है और कम से कम गत वर्ष के रिवाइज्ड बजट में मौजूद है। उसका १०० रुपये की कटौती से कोई वास्ता नहीं है। मैं इसे बहुत बदकिस्मत समझता हूं कि मंत्रियों के वेतन का मुकाबला चपरासियों के वेतन से किया जाय। मैंने स्वयं तो कभी नहीं किया मगर मालूम हुआ है कि सन् ४७ में चपरासी का वेतन साढ़े दस रुपये था और मंत्री साहेब पाते थे ५०० रुपया। कास्ट आफ लिविंग का इन्डेक्स सन् ३६ का लिया जाता है। बीच का नहीं लिया जाता है। चपरासी के साढ़े १० रुपये से २२ रुपये हुये। मिनिस्टर साहेब के ५०० से बढ़ कर १,५०० हो गये। तीन गुने हो गये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आपकी इनायत से।

श्री त्रिलोकीसिंह—माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि मेरी इनायत से। मैं चाहूंगा कि वह मेरी इनायत की ओर भी कभी-कभी देख लिया करें। अगर वह मेरी सलाह को मानेंगे तो उनके काम में सहूलियत होगी। गालिबन उनकी पार्टी की इज्जत बढ़ेगी और स सूबे को भी फायदा होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी तनख्वाहों में तीन गुना इजाफा हुआ। यह सही है कि एक समय मुझे भी गौरव प्राप्त था कि माननीय मंत्री जी के दल में होते हुये उनके पीछे बैठता था। यह भी सही है कि मैं कभी जी हुजूरों में नहीं रहा। लेकिन यह भी सही है कि उस समय नया-नया जमाना था, नई हुकूमत थी, अल्हड़पन था। अंग्रेज जा रहे थे, हम आ रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय नेता विरोधी दल से यह जानना चाहूंगा कि अल्हड़पन किस उम्र में शुरू होता है।

श्री त्रिलोकीसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह आपने अच्छा सवाल किया। लेकिन अल्हड़पन की कोई उम्र नहीं होती है। वह तो जैसी जिस समय मौज आवे। वह तो नया जमाना था। इसलिये वह काबिल माफी भी था।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अल्हड़पन का मतलब उनका इमोशनल एज (उम्र) से है, फिजीकल एज (उम्र) से नहीं है।

श्री त्रिलोकीसिंह--उन्होंने मेरी बात का सही तौर पर जिक्र कर दिया है। जाहिर बात है कि जहां तक फिजीकल मामला है, मैं और माननीय मुख्य मंत्री दोनों ही जैसे के तैसे हैं, और उसका कोई सवाल नहीं है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों या मंत्रियों के वेतन का चपरासी के वेतन से तुलना करना ठीक बात नहीं थी। आज माननीय मुख्य मंत्री के हाथ मे सत्ता है। यदि वह कोई बिल लावें जिसमें सदस्यों या मंत्रियों की सहूलियत या वेतन कम करने का जिक्र होगा तो मुझे वह उसका सबसे पहला समर्थक पावेंगे। मै श्रीमन् की आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल इस ग्यारह सौ, बारह सौ की ही बात नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे मुल्क में ऐसा स्थान नहीं है जो गरम हों और लोग गरमी में वहीं रहते हों ? दिल्ली का तापमान यहां की हिद्दत से कहीं ज्यादा है लकिन सेंट्रल गवर्नमेंट किसी हिल पर मूव नहीं करती। मै नम्रतापूर्वक और बड़े दुख के साथ यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां हिल एक्सोडस ऐसा होता है कि राज्यपाल महोदय की ओथ टेकिंग सेरीमनी के लिये सारे अधिकारी एक दिन के लिये नैनीताल से यहां आते हैं और दूसरे दिन वापिस चले जाते हैं। आखिर यह इस प्रकार से करोड़ों रुपया जनता का क्यों फूंका जाता है ? जब आपका बजट डेफीसिट है, आप ज्यादा टैक्स लगा नहीं सकते हैं तो यह फिजूलखर्ची किस बात की ? इसलिये मेरा यह निवेदन है कि अब भी माननीय मंत्री महोदय अपने रहन-सहन में सादगी लायें। वेतन का जहां तक संबंध है उनको वेतन इतना ही न मिले कि वह अपना ही खर्चा चलायें बल्कि अपने बच्चों का भी गुजर-बसर कर सकें लेकिन यह दिखावे का जो खर्चा है वह खत्म होना चाहिये।

मै बजट पर सामान्य विवाद के समय में जिला मजिस्ट्रेटों का जिक्र कर रहा था। मुझे अफसोस है कि किसी ने उसका ज्यादा जिक्र नहीं किया। आज जो तरीका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे सामने पेश किया गया है उसमे लिखा है कि मौजूदा सेक्रेटेरियट स्टाफ है वह रूढ़िवादी कायदे कानून की पाबन्दी करके चलता है। उसके संबंध में प्रगतिशील विचारों को स्वीकार किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों है ? वह एक मुकदमा नहीं करता लेकिन मेजिस्ट्रेट बना हुआ है। दुनियां भर के काम उसको दिये हुये हैं ? मेरा विचार है कि जितनी बड़ी बाधा यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस प्रांत की प्रगति में पहुंचाता है उतनी रुकावट और कोई सरकारी कर्मचारी नहीं कर रहा है। हर काम में उसके मशविरे की जरूरत होती है लेकिन उसके पास मशविरा देने के लिये समय नहीं है। जब हमारे हर विभाग के हेड्स मौजूद है, उच्च अधिकारी मौजूद हैं तो क्या बात है कि यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बीच में आ जाता है ? कोई भी कोआर्डिनेशन के काम हों उनको करने में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमेशा नाकामयाब रहा है और मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि वह हमेशा नाकामयाब रहेगा। नेशनल एक्सटेंशन स्कीम के सिलसिले में जो विशेषज्ञ बैठे, आप उनकी राय को देखने की कृपा करें, क्योंकि शायद आपको इधर के लोगों की राय को मानने में कोई कष्ट मालूम होता हो, आपको मालूम होगा कि उन्होंने लिखा है कि बजाय इसके कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोई सहायता पहुंचाई हो, उसने रुकावट ही डाली है।

सेक्रेटरियट के रिआर्गेनाइजेशन के संबंध में हमको एक साइक्लोस्टाइल्ड कागज मिला है। उससे मालूम होता है कि यहां पर आधे कर्मचारी अस्थायी हैं। यहां जो २ हजार के करीब बाबू लोग हैं उनमें से एक हजार अस्थायी हैं या ९०० होंगे। यह पूरी अल्हड़पन

[श्री त्रिलोकी सिंह]

की मिसाल है। यह तो एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि जहां कहीं इतनी बड़ी तादाद में टैम्पोरेरी स्टाफ रहेगा वहां एफीशियेंसी गिरेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि उनको स्थायी रूप से नियुक्त क्यों नहीं किया गया, इतने दिनों बाद भी उनको स्थायी क्यों नहीं किया गया? इसी में नेपोटिज्म की बात आ जाती है कुछ अपनेपन की बात आ जाती है। किसी भी संस्था के काम में अच्छाई नहीं आ सकती जब तक कि वहां के कर्मचारी इतनी बड़ी संख्या में अस्थायी रहेंगे। इस प्रदेश की तो यह परंपरा ही रही है। सन् २१-२२ में यहां पब्लिक हेल्थ विभाग कायम हुआ। वहां पर काम करने वाले डिस्ट्रिक्ट मेडीकल आफिसर्स को १२-१४ वर्ष की मुलाजिमत हो जाने पर भी स्थायी नहीं किया गया। जब सरकार से कहा गया तो सरकार ने फौरन ही उनको परमानेंट कर दिया और कबूल किया कि यह चीज गलत थी। लेकिन इसी तरह से एक केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कायम है जिसके सारे अधिकारी गालिबन टेम्पोरेरी हैं। यह बात अच्छी नहीं है। साथ ही यदि यह माना जाय कि डाइरेक्टर आफ एजूकेशन के दफ्तर में यहां से कुछ क्लर्क चले जायेंगे या चीफ इंजीनियर इर्रीगेशन के दफ्तर में कुछ चले जायगे, तो ये वहां जाकर क्या काम करेंगे? क्या माननीय मुख्य मंत्री यह समझते हैं कि डाइरेक्टर आफ एजूकेशन का दफ्तर अन्डर स्टाफ्ड है? वहां पर कर्मचारियों की कमी है? अगर वहां पर कर्मचारियों की कमी नहीं है तो ये २०,३० आदमी जो यहां से वहां भेजे जायगे वे जाकर क्या काम करेंगे? मैं बहुत नम्रतापूर्वक माननीय मुख्य मंत्री की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि हर आदमी का एक टेम्परामेंट होता है, एक एनवाइरनमेंट होता है, एक माहौल या वायुमंडल होता है। सेक्रेटेरियेट का असिस्टेंट जो १५ वर्ष से इस बात का आदी रहा है कि वह डिपार्टमेंटल हेड्स की बातों की नुक्ताचीनी करे, अगर डाइरेक्टर आफ एजूकेशन कोई कागज उस के पास भेजे तो ऐसा न हो कि वह डाइरेक्टर आफ एजूकेशन के कागज में ही कोई नोट लगा दे जिससे उसकी नौकरी पर हो बन जायगी। क्योंकि वह ऐसे अपब्रींडिंग में रहा है, इस तरह का काम उसके सुपुर्द रहा है।

जहां तक दूसरे देशों का संबंध है, यह सभी को मालूम है और मैं अभी इंगलिस्तान की एक किताब को उलट-पलट कर देख रहा था, वहां कोई डिपार्टमेंटल हेड नहीं होता है। वहां सारा काम सेंट्रल सेक्रेटेरियट के द्वारा ही होता है। माननीय मुख्य मंत्री जी जरा इस डुप्लीकेशन को देखें कि यहां सेक्रेटेरियट के सेक्रेटरी भी होते हैं, मिनिस्टर्स भी होते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंटल हेड्स भी होंगे। जो डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे वे बड़े सीनियर आफिसर हैं। फिर आप क्यों इन सीनियर आफिसर्स को रिटेन करते हैं। सेक्रेटेरियट का सिलसिला इस तरह से है कि सेक्रेटरी भी है, ज्वाइन्ट सेक्रेटरी भी है, अन्डर सेक्रेटरी भी, है इस तरह से तमाम ओहदेदार भी भरे पड़े हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी सरकार के लिये जिस सरकार का काम कई हिस्से में विभाजित हो, जैसा कि यहां की सरकार का है, फाइनेन्स, इर्रीगेशन, पी०डब्लू०डी०, एजूकेशन वगैरह-वगैरह जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके सेक्रेटेरियट का स्टाफ जो होना चाहिये वह परमानेंट ही नहीं होना चाहिये बल्कि जो आदमी उसमें रहे, वह २५ या ३० साल तक यानी सारी मुलाजिमत की मुद्दत तक वह उसमें रहे। क्योंकि सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। जब तक सेक्रेटेरियट वेल एक्विप्ड नहीं होगा तब तक हमेशा इस बात का अन्देशा रहेगा कि कि वे भटक जायेंगे। इंगलिस्तान में जो पद्धति है वह यह है कि जहां सेक्रेटेरियट स्टाफ होता है वहां एक परमानेंट सेक्रेटरी भी होता है। वहां पर कोई डिपार्टमेंटल हेड नहीं होता है। डाइरेक्टर आफ एजूकेशन, डाइरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ, डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर होता है, वहां डिपार्टमेंटल हेड कोई नहीं होता है परमानेंट सेक्रेटरी ही उसका सेक्रेटरी होता है। यह पद्धति जो अपनायी गयी है इससे जिस तेजी से काम होना चाहिये उस तेजी से काम होने वाला नहीं है बल्कि उससे सुस्ती ही आयेगी।

इस संबंध में एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि यह स्कीम जब अच्छी है तो क्यों तीन विभागों मे ही इस पर अमल किया जा रहा है ? आप इसको फैलाइये और कहिये कि पहले तीन विभाग में किया है, फिर ६ विभाग में करेंगे या साल भर के अन्दर या डेढ़ साल के अन्दर तमाम विभागों में इस स्कीम को लागू कर देंगे। बंगाल का जिक्र किया गया है। मालूम नहीं कि बंगाल ने कोई कमेटी एप्वाइन्ट की थी तो खुद उसने क्यों नहीं अमल किया ? यह कहना कि वे इतने बेखबर थे कि जब हमने अपने यहां कार्य शुरू किया तब बंगाल के लोग इस तरफ विचार करने के लिये झपटे। मैं कम से कम बंगाल के लोगों को और लोगों से कम बुद्धिमान नहीं समझता कि जब तक आपने अपने यहां काम शुरू नहीं किया तब तक उन्होंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बात पर पुनः विचार करने की कृपा करें।

जहां तक मंहगाई भत्ते का सम्बन्ध है, मेरे माननीय और लायक दोस्त श्री नारायणदत्त जी ने उस सम्बन्ध में गवर्नमेंट आफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच की तरफ ध्यान दिलाया, जिस हिस्से को मैं देख नहीं सका था। जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात पर तैयार थी कि १२ रुपये की बढ़ोत्तरी की जाय तो क्या कारण है कि प्रदेश की सरकार ५ ही रुपए पर कनात करना चाहती है ? मैं तो उन लोगों में से हूं जो इस बात को मानते हैं कि जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं वे बन्द कर दिये जायं और मैं नहीं चाहता कि दस आदमी और सरकारी नौकरियों में रखे जायं। मैं तो इस राय का हूं कि जो आज हमारे छोटे सरकारी कर्मचारी हैं उनको भरपेट खाना मिले और उनको इतने रुपए वेतन में मिलें जिससे वे जीवन निर्वाह की सुविधायें हासिल कर सकें। मैं आप के द्वारा श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि जनता की बड़ी आकांक्षायें और अभिलाषायें हैं और वह उनके कार्य से वाबस्ता हैं उनके अन्दाजने की जो यार्डस्टिक है वह वही है जो उन्होंने स्वयं बना रखा है। मैं नहीं चाहता कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी या दूसरी पार्टियों की राय से उनके काम को नापा जाय, उनके मेजर से ही उनको लिविंग वेज देना बहुत लाजमी है और उनके जरूरी कर्त्तव्यों में से है। अब हमें देखना है कि उसकी पूर्ति किस तरह से होती है। अन्त में मैं श्रीमन् का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे साधारण समय से अधिक समय देकर भाषण करने का मौका दिया।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री रामस्वरूप वर्मा से) अभी आपकी पार्टी के केवल एक सदस्य बोले हैं और उन्होंने २ मिनट ही लिये हैं इसलिये मैं आप को दस मिनट दिये देता हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया ताकि मैं भी अपनी बात कह सकूं। सौभाग्य की बात है कि जिस अनुदान को माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है और जैसा कि बजट की स्पीच में कहा गया था कि यह बजट सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी यानी समाजवादी प्रगति की ओर ले जाता है। मुझे बहुत खुशी थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं समाजवाद के अच्छे लेखक हैं और उनका वह दृष्टिकोण इन अनुदानों में प्रतिबिम्बित होगा, लेकिन मुझे उससे निराशा हुई और इसीलिये मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। समाजवाद का दृष्टिकोण केवल वेतन कम करने से ही नहीं होता वह तो केवल उसका एक जरिया है, एक सामाजिक भावना की जरूरत है, लोगों में समता की भावना आये, वह जब तक नहीं आती तब तक इन वेतनों से तमाम गड़बड़ी होती है जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी की बातों से स्पष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि खर्च इतना अधिक है मेम्बरान के ऊपर या उनके मेहमानों और

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

रिश्तेदारों के ऊपर जिसके कारण इतने खर्च में काम करना कठिन है लेकिन फिर भी उसमें कटौती की गई। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि समाजवाद के सिद्धान्त के अनुसार क्या यह जरूरी नहीं है कि हमारा सबके लिये बराबरी का दृष्टिकोण हो? हमारे गरीब प्रदेश का साधारण आदमी किस तरह से रहता है, कैसे अपने मेहमानों की वह मेहमाननवाजी करता है, कैसे वह खाता पीता है और किस तरह से यहां के शासक खाते पीते है उसमें हमें एक समन्वय लाना आवश्यक है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध मे अपना दृष्टिकोण स्पष्ट न कर के केवल इस समय की कठिनाइयों को ही देखा और उनमें अब भी ज्यादातर वही भाव भरे है जिनको ग्रेन्डयोर (grandeur) या विशेष प्रकार की मदहोशी कहना चाहिये, यानी शासन के ऊपर आकर उसी पुराने चले चलाय तरीके पर, उसी घिसे घिसाये तरीके पर कुछ मान्यताएं स्थापित करना और ऐसे रहना चाहिये आदि। इनमें इतना मेल है?

मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब अध्यापकों की हड़ताल चली तो उन दिनों उन्होंने कहा था कि अध्यापकों को हिन्दुस्तान के आदर्श के रूप मे होना चाहिए और उन्हें सोचना चाहिए कि उनके प्राचीन अध्यापक जो थे, देश के जो शिक्षक थे वह कैसे थे? मुझे खुशी हुई थी और म समझता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस बारे मे स्वयं सोचेंगे कि हमारे देश के अध्यापकों का जब आदर्श था तो देश के मंत्रियो का भी एक आदर्श था। मंत्रियो और अध्यापकों का आदर्श हमे एक साथ चाणक्य मे मिलता है। एक दिन, एक आदमी, मंत्री से मिलने आया। उसने सारे पाटलिपुत्र में ढूंढा लेकिन वह नहीं मिले तो उसने लोगों से पूछा कि मंत्री कहां रहते ह। लोगों ने बताया कि वह गंगा के किनारे कुटिया मे रहते हैं। उसने जा कर देखा कि समस्त भारत का महामन्त्री बच्चो को पढ़ा रहा था। उसे मालूम हुआ कि वह राज्य से कोई पैसा नहीं लेते है बल्कि बच्चों को पढ़ाने के परिश्रम से खाते पीते हैं। इसी प्रकार से उदाहरण इतिहास मे है। माननीय मुख्य मंत्री जी जब इस प्रकार का उदाहरण दूसरों को दे तो मैं समझता था कि इस बजट मे, यद्यपि बहुत देर हो गयी है, उस पर पालन करेंगे। लेकिन बजट को देख कर दोनों ओर से निराशा हुई। चाहे प्राचीनता को लेकर, एक आदर्श बनाने की भावना को लेकर वह बाते रखते, चाहे नवीनता को लेकर समाजवाद स्थापित करने के लिए समता की भावना को लेकर चलते, दोनों के अन्दर यह बात होनी चाहिए थी कि चाहे महामहिम राज्यपाल हों या मंत्री लोग हो उनकी तनख्वाह मय भत्ते के एक हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। इस गरीब मुल्क के लिए एक और दस का फर्क, जैसा गांधी जी ने कहा था बहुत आवश्यक है, वह समता लाने के लिए, समाजवाद के लिए अपेक्षित है।

साथ ही साथ एक बात और कहनी है। वह यह कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इस खर्च के कारण पैसा इकट्ठा नहीं होता। मैं आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, सुझाव दूंगा कि जिनकी आमदनी इतनी नहीं कि भत्ता और तनख्वाह मिलाकर एक हजार हो जाय, सचमुच उस चाणक्य के आदर्श को लेकर समाजवादी व्यवस्था को लाने की कोशिश करें, समता की भावना को जागृत करे। तो इस के लिये यह भी जरूरी होगा कि अगर हमारी आमदनी, व्यापार द्वारा, रोजगार द्वारा या किसी अन्य साधन से होती है और एक हजार रुपये से ज्यादा होती है तो उसको एक पैसा तनख्वाह का नहीं लेना चाहिये, चाहे वह मंत्री हो या राज्यपाल क्योंकि देश सेवा का प्रश्न है। अगर वह आदर्श उपस्थित न करेंगे तो सामान्य प्रशासन मे जो लोग लगे हुये है, जो उनका अनुकरण करते है उन पर क्या असर पड़ेगा? यह सोचने की बात है। इसलिये यह जो तनख्वाहों में १०० रुपये की कटौती की बात आयी मैं समझता हूं जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा इस कटौती का कोई महत्व नहीं और वह इस काबिल भी नहीं कि इसका इस सदन मे जिक्र किया जाय। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस सुझाव को स्वीकार करके जरूर इस सम्बन्ध में कहेंगे कि, वह जो आदर्श और समाजवादी व्यवस्था का

ढांचा बनाने की बात करते हैं, इन दोनों को लेकर वह इस सीमा पर आते हैं। इस बजट में वह तमाम खर्च जिन की ओर माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित कराया है उन को मैं दोहराना नहीं चाहता परन्तु उन खर्चों को देख कर ताज्जुब होता है। यह रियासत भी दो बड़े भागों में बंटी हुई है। अगर एक तरफ भीषण भुखमरी, दाने दाने को तरसने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ पूंजीभूत सम्पत्ति और खर्चों का आलम है। यह समाजवादी व्यवस्था नहीं हो सकती बल्कि मैं समझता हूं कि यह उस का निदर्शन है। मैंने खर्चा कम करने की ओर ध्यान आकर्षित किया।

दूसरी बात मैं भत्ते के सम्बन्ध में कहूंगा। हमारे मंत्री महोदय खासतौर से सूचना के बाद जाते हैं। तमाम अफसरान इकट्ठा होते हैं। उन पर काफी खर्चा होता है। उनका और मंत्री जी का खर्चा मिला कर एक्सचेकर पर जो बड़ा भारी बोझ पड़ता है उसको देखकर आदमी हैरत में आ जाता है। इस देश के सभी लोग इस प्रकार के खर्चों को देख कर परेशान हैं और उनको समझ में नहीं आता कि कि आखिर रोज आदर्श की बात कहनेवाले, रोज समाजवादी व्यवस्था को कायम करने की बात कहने वाले यह सब लोग इस तरह से इतना खर्चा क्यों करते जा रहे हैं? इसलिये मंत्री प्रतीक स्वरूप विक्रमादित्य की तरह काम कर, सरप्राइज विजिट कर और उद्घाटन वगैरह न किया करें, इस काम को तो यूनिवर्सिटीज के विद्वानों और अन्य प्रतिष्ठित आदमियों पर ही छोड़ दें तो अच्छा हो।

जहां तक जिले के प्रशासन का सवाल है उस में फजूल खर्ची भी बढ़ी है और आफिसर्स की वृद्धि भी हुई है लेकिन एफीशियेंसी कम हुई है। सन् १९४६ में ५२ जिलों के कलेक्टर व अतिरिक्त कलेक्टर, २६६ डिप्टी कलेक्टर थे, ११५ रेवेन्यू आफ़िसर्स थे। और अब ६४ कलेक्टर और एडीशनल कलेक्टर हैं, ४,४०९ डिप्टी कलेक्टर हैं, २३० जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं और साथ ही साथ उनके सेवक वगैरह भी अनुपात से बाहर बढ़े हैं। पहले २,१६१ कलर्क्स और एप्रेन्टिस थे अब ४,०६८ हैं। चपरासी वगैरह पहले १,१०० थे लेकिन अब ३,७१२ हैं। तो इस कदर दुगना, तिगुना खर्चा बढ़ गया है और ऐफ़ीशियेंसी कुछ नहीं है। कलेक्टर महोदय तो जिले का अनकाउन्ड किंग हैं। पहले जमाने में तो ये लोग कचहरी किया करते थे लेकिन अब तो बैठे-बैठे बंगले पर मुलाकात किया करते हैं वैसे ही जैसे पहले कोई राजा काम करता था। डिप्टी कलेक्टरान शहर में रहते हैं। देहात के आदमी पैसा खर्च कर के मुकदमें लड़ने आते हैं तो उन का देहात के बारे में कुछ वाकफ़ियत नहीं है और न किसान ही आसानी से फ़ैसला पाते हैं, पैसा उन का काफी खर्च होता है।

मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि अगर प्रशासन ठीक करना है और यही प्रशासन आपको चलाना है तो ऐफ़ीशियेन्सी लाने के लिये यह जरूरी है कि डिप्टी कलेक्टर को तहसीलों में पोस्ट किया जाय, जुडिशियरी अलग की जाय। और मुख्य मंत्री जी क्यों कि उस विचार के हैं जो समाजवादी विचारधारा लाना चाहते हैं तो उन से यह निवेदन करूंगा कि कलेक्टर्स, डिप्टी कलेक्टर्स की पोस्ट को खतम करके प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था कायम करें। जिला बोर्डों के चेयरमेन्स को जिले का प्रशासन चलाने अधिकार दें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा प्रशासन रहेगा। इसका मैं संक्षेप में एक ही प्रमाण दूंगा, वह इस को चाहे अभी तजुर्बा करके देखें कि इस सूबे में और दूसरे सूबों में भी खास तौर से कलेक्टर्स और मैजिस्ट्रेट्स द्वारा जितनी बार जनता पर गोली चलवायी गई उतनी कभी किसी चुने हुये आदमी द्वारा नहीं। कभी किसी मिनिस्टर ने आदेश दिया गोली चलाने का? लेकिन आये दिन गोली चलायी जाती है मैजिस्ट्रेट साहब की जरा सी नाराजी पर। अगर चौखम्भा राज्य के सिद्धान्त को स्वीकार करके जिला बोर्ड्स के चेयरमैन को शासन अधिकार सौंप दें तो काफी अच्छा होगा।

तीसरी बात यह है कि इस शासन व्यवस्था के जो आफ़िसर्स हैं उनका आउटलुक भी बदलना चाहिये। आज हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वह चुनाव करने में भी कुछ सहूलियत से काम ले। ऐसे आदमियों को वह चुने जिन्हें जनता

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

के साथ हमदर्दी हो। मैं समझता हूं ऐसे आदमियों को जो खुद किसान हैं उन के बच्चों को तरजीह दी जाय तो उन के पास जब अधिकार आयेंगे तो उन में हमदर्दी होगी। जो दून कालेज या और इसी तरह के कालेज हैं उन में पढ़कर के अपने को शासक समझ करके शासन में पहुंच जाते हैं, ऐसे लोगों को शासन से हटा कर किसान के बच्चों को चुना जाय तो उन का आउटलुक बदलेगा, क्योंकि उनका स्वयं का जीवन बदला हुआ है और उन में ग्रेन्ड्योर नहीं होगा उनमें कोई मदहोशी नहीं होगी जिस की वजह से वह जनता के दुख दर्द को न समझ वह उन के निकट के लोग होंगे और उन के दुख-सुख को अपने दुख-सुख की तरह समझ कर काम सकें। करेंगे। इस तरह से खर्चा भी कम हो जायगा और इतनी जो और जबरदस्ती होती है, वह भी नहीं होगी।

श्री चन्द्रजीत यादव—मैं पहले तो उन तमाम माननीय सदस्यों को धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने जो मैंने सवाल उठाये थे कि इस सरकार के ऊपर नौकरशाही का रंग है वह दिन पर दिन गाढ़ा होता जा रहा है, उस का समर्थन किया और जिस प्रकार से सरकार के खर्च बढ़ रहे हैं, अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं, उसका भी एक राय से पूरे सदन ने समर्थन किया।

मैं इस पांच मिनट के समय में थोड़े से सुझाव देना चाहूंगा। राज्यपाल के ऊपर जो बहुत बड़ा खर्चा हो रहा है, मेरी निश्चित राय है कि हमारे प्रदेश से ही नहीं बल्कि हर प्रदेश से राज्यपाल का पद समाप्त होना चाहिये। हमारी सरकार को केन्द्रीय सरकार के पास इस प्रकार की सिफारिश करनी चाहिये कि राज्यपाल का पद समाप्त किया जाय। वह महज एक कांस्टीट्यूशनल हेड होता है। शोभा और मर्यादा के नाम पर जो इतना रुपया खर्च किया जा रहा है वह समाप्त हो।

दूसरी बात यह है कि बहुत पहले से हमारे कांस्टीट्यूशन की भी यही मंशा रही है कि दूसरा सदन जो बना हुआ है—विधान परिषद्, उसके सम्बन्ध में इस बात की व्यवस्था थी कि जो प्रदेश चाहें, वहां दूसरा सदन हो, जो न चाहे वहां न हो। तो अब तक का जो अनुभव है उसके आधार पर दूसरे सदन की कोई उपयुक्तता नहीं है। आश्चर्य की बात है कि हमारे प्रदेश में उसकी संख्या ५० प्रतिशत और बढ़ाने का विचार हो रहा है और सिफारिश भी गई है। अखबारों से मालूम हुआ है कि उसके लिए एक अलग भवन भी बनेगा जिस पर करीब ३० लाख रुपया खर्च होगा। सदस्य बढ़ेंगे, खर्चा और बढ़ेगा। यह मेरी निश्चित राय है और निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे कि यह दूसरा सदन जो है इसको समाप्त होना चाहिए।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उपाध्यक्ष महोदय, यह तो इस सदन का फैसला है। मैं इस पर क्या गौर कर सकता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है। यह इस सदन का अधिकार है कि वह जब चाहे दूसरे सदन को समाप्त कर दे।

श्री चन्द्रजीत यादव—हां, लेकिन चूंकि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस सदन के नेता हैं इसलिए मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि वह इस पर गौर करें।

तीसरी बात, जो कमिश्नर्स का पद है, जैसा कि तमाम वक्ताओं ने भी कहा है कि यह पद जो बीच में है बिलकुल अनुपयुक्त है और दिन पर दिन इस की संख्या बढ़ती चली जा रही है, इसे समाप्त होना चाहिये।

चौथी बात, जो दस प्रतिशत कटौती की कही गई और स्वेच्छा से करने को कहा गया, यह स्वेच्छा की बात बिलकुल समझ में नहीं आती। यह कोई दया की बात नहीं है। निश्चित रूप से इस सदन में इस तरह का एक बिल आना चाहिये कि किसी भी मिनिस्टर की तनख्वाह ५०० रुपये से अधिक न हो। यह कोई हमारे प्रदेश पर दया की जा रही हो ऐसी बात नहीं है

पांचवी बात यह है कि मैं माननीय मुख्य मंत्री से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि रेड टेपिज्म जो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है और जिस गोशे पर नजर पड़ती है वहां यही दिखाई देता है उसे दूर करने की जरूरत है। मैं अपने आजमगढ़ जिले की एक मिसाल बताऊं। आजकल वहां भुखमरी है। एक गांव के चार आदमियों ने दरख्वास्त दी कि दो आदमी यहां भूख से मर रहे हैं, उन के लिये खाना नहीं है। गांव के प्रधान ने भी उन की सिफरिश की। वह दरख्वास्त कलेक्टर के पास गई। उन्होंने उसे आफिसर के पास भेजा। उन्होंने फिर किसी के पास भेजा। इस तरह से १५ दिन से वह दरख्वास्त घूम रही है और वह इसी तरह से घूमती रहेगी। जब वह आदमी भूखों मर जायेंगे तो सरकार कोई बहाना ढूंढ लेगी कि भूख से नहीं मरा। तो यह रेड टेपिज्म की एक मिसाल है, इस तरह से रेड टेपिज्म चलता है।

छटी बात यह है कि भाषा के सम्बन्ध में इस सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिये। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है लेकिन उस को जो दिन पर दिन दुरूह बनाया जा रहा है और वह संस्कृत के निकट होती चली जा रही है, इस तरह से वह सर्वसाधारण की भाषा नहीं रह जायगी। उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

उर्दू भी हमारे प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से की भाषा है। हिन्दी भाषा-भाषी भी इस बात को मानते हैं कि वह भी हमारे प्रांत की भाषा है। उर्दू के सम्बन्ध में भी सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए और उर्दू को बढ़ाने के लिये भी सरकार की तरफ से प्रयास होना चाहिये।

मैं अभी मुख्य मंत्री जी की समाजवाद पुस्तक पढ़ रहा था। मुख्यमंत्री हमारे समाजवाद के एक माने जाने विद्वान हैं। उनको हमारे प्रदेश में एक नये समाज की रचना करने के लिये अवसर मिला है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से आशा करता हूं और प्रार्थना करूंगा कि वह नये ढंग से सोचें और जो नौकरशाही की चाल है उसको समाप्त करें।

साथ ही इस में सामूहिक विकास और सामूहिक खेती की बात कही गयी है और उस पर जोर दिया है तो उस प्रकार की खेती प्रदेश में लागू की जाय। तनख्वाहों में जो बहुत बड़ी डिस्पेरिटी है, उसको खत्म किया जाय। किसी की तनख्वाह एक हजार रुपये से ज्यादा और सौ से कम नहीं होनी चाहिये।

मुख्य मंत्री जी के सामने जब यह प्रश्न उठा कि यहां के जो मिनिस्टीरियल स्टाफ के कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बढ़ायी जाय तो उन्होंने कहा कि अगर हम कोई समय निर्धारित करते हैं और यहां की तनख्वाह कम या ज्यादा करते हैं और केन्द्र की वही रहती हैं तो इस से डिस्पैरिटी होगी और उससे एफिशियेंसी कम होगी। वह सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर तनख्वाहों में कमी होगी तो उस से असंतोष होगा और काम करने की शक्ति कम होगी। अगर प्रदेश के कर्मचारियों की तनख्वाह कम है तो एक डिस्पैरिटी मौजूद है और इस की वजह से मुख्य मंत्री महोदय भी स्वीकार करते हैं कि एफिशियेंसी में कमी होगी। तो इस डिस्पैरिटी को खत्म करना चाहिये। एक पे कमीशन केन्द्रीय सरकार ने बनाया है उस से फायदा उठाना चाहिये।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द––उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही कहा था कि कोई भी व्यक्ति हो अपने समाज में वह नेकनीयती से काम करता ही होगा, लेकिन उस का काम कहां तक अच्छा है, कहां तक बुरा है, उस के काम में क्या-क्या कमियां हैं, क्या-क्या गलतियां हैं, उन का ठीक ठीक अन्दाजा स्वयं नहीं हो सकता। कोई भी ऐक्टर अपनी ऐक्टिंग के सम्बन्ध में राय नहीं दे सकता, इस लिये मेरे जैसे व्यक्ति आलोचना का सदैव स्वागत करते हैं। पर आलोचना तो काफी नहीं होती। जो आलोचक होता है उस का यह कर्तव्य होता है कि वह यह बतलाये कि जो काम किया जा रहा है उस को किस ढंग से किया जाय कि परिणाम और अच्छा हो। इसी को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

सुझाव कहते हैं और जब हम आलोचना का स्वागत करते हैं तो निश्चय ही हम सुझाव का भी स्वागत करते हैं ।

आज दिन भर जो वाद-विवाद हुआ उस में आलोचना काफी हुई, मैं समझता हूं सुझाव भी दिये ही गये होंगे , उन में से कुछ पर हमें गौर करना है और कुछ को गौर करने के लिये रख छोड़ना है । निश्चय ही हम इस वाद-विवाद से जहां तक सम्भव होगा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे ।

कुछ तो साधारण सी बातें हैं उनकी थोड़ी सी चर्चा करके मैं कुछ उन गम्भीर बातों की तरफ भी आना चाहता हूं जिन की तरफ कि कुछ माननीय सदस्यों ने ध्यान आकृष्ट किया है । जैसे कि वेतन की बात थी उस को दोहराने की जरूरत नहीं । मैं समझता हूं कि जो कुछ मैंने कहा, उस को विरोधी दल के नेता माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने भी समझ लिया और जो उन्होंने कहा वह मेरे लिये भी शिरोधार्य है । मेरे लिये कोई गलतफहमी नहीं है । उन की बात से मालूम होता है कि जो बजट है उस में कहीं ट्रेवलिंग अलावेंस का जिक्र है । और इस मद में डेढ लाख रूपया लिखा है । अगर इस का मतलब यह होता है कि मिनिस्टरों को एलाउंस मिलता है तो मैं कहता हूं कि एक पैसा नहीं मिलता, खर्च होता है, कहीं ज्यादा होता है , कहीं कम होता है । किसी जिले की मांग होती है हमारे यहां आइये । इस तरह से खर्चा ज्यादा कम होता है । लेकिन मैं यह बतला देना चाहता हूं कि एलाउंस शब्द बड़े धोखे का है । लोगों को गलतफहमी न हो जाय । यह शब्द एकाउटेंट जेनरल के यहां का है । उत्तर प्रदेश मे मिनिस्टरों को एक पैसा भी एलाउंस का नहीं मिलता है न रेल का और न मोटर का ।

हिल ऐक्सोडस का भी सवाल आया । मुझे डर यह है कि कहीं माननीय त्रिलोकीसिंह जी के परिवार में सिविल वार न होजाय । उन के दल मे ही दो तीन माननीय सदस्य ऐसे हैं जिन से मेरी बातचीत हुई थी । मैं उनके नाम नहीं बतलाना चाहता हूं । वह बड़े जोरदार इसके समर्थक हैं । उन्होंने कहा था कि अगर मौका मिलेगा तो वह उस का समर्थन करेंगे ।

श्री त्रिलोकीसिंह---संगत का असर रहा होगा ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे खुशी है कि मेरा इतना असर लोगों पर पड़ा है । मैं आशा करता हूं कि माननीय त्रिलोकीसिंह जी उन के ऊपर भी दया करेंगे । अच्छा हो कभी-कभी वह वहां जाकर उन लोगों की समस्याओं को देखे और सोचें कि वह कैसे हल की जा सकती हैं । हिल एक्सोडस तो होता नहीं है । इस के माने तो यह है कि गवर्नमेंट जाय, कौंसिल जाय और असेम्बली जाय । यह तो कई साल से नहीं हो रहा है । मैं कुछ ज्यादा नहीं कहता हूं लेकिन अगर इस सवाल को लिया जाय तो उनकी पार्टी में ही अच्छे समर्थक मिल जायंगे ।

दो तीन बातों का जिक्र किया गया। एक सज्जन जो सबसे पहले बोले उन्होंने शायद कहा कि एकोनोमिक और स्टेटिसटिक्स डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है । मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ क्योंकि भ्रष्टाचार का अर्थ यह होता है कि रिश्वत ली जाय, अगर कोई दूसरा अर्थ होता हो तो वह [illegible] किया जा सकता हो । मुझे मालूम नहीं है कि वह विभाग किस को फायदा या नुक्सान पहुंचा सकता है लेकिन फिर भी जिक्र किया गया है इस लिये मैं उन सज्जन का कृतज्ञ होऊंगा अगर वह बतलायेंगे कि किस आदमी ने हेड क्वाटर्स पर या जिले में रिश्वत ली है । किसी आदमी ने कभी भी असेम्बली में या बाहर इस के बारे में नहीं कहा । चाहे और कमियां हों और दोष हों पर ।

एक बात यह है कि इस सम्बन्ध में जरूर लोगों को भ्रम हो गया है । यहां चर्चा भी हुई है । पार्लियामेंट में हाल में ही प्रधान मंत्री जी ने कुछ आंकड़ों को लोगों के सामने रखा है जिस का यह भाव निकलता है कि उत्तर प्रदेश में लोगों की पर कैपिटा इन्कम कम होती गई ।

इसका जिक्र भी हुआ है और कुछ अखबारों में धूमधाम से यह चीज छपी भी थी। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो सदन के माननीय सदस्यों से छिपी हुई हो। मेरा खयाल यह है कि प्रधान मंत्री जी के सामने पूरी चीज नहीं रखी गई, उन के सामने आधी चीज आई, अगर उन की रिपोर्ट सही है। इस वजह से जरूर कुछ भ्रामक नतीजे निकले हैं। कुछ लोगों का ऐसा खयाल है कि हमारे यहां के जो स्टैटिसटिक्स होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, वह गलत होते हैं। अगर सब गलत हैं तो वे आंकड़े भी गलत हैं जिन के आधार पर यह बात कही जाती है और अगर सही हैं तो दूसरे भी आंकड़े सही हैं। इस पुस्तिका को शायद सभी माननीय सदस्य देखते होंगे, "मन्थली बुलेटिन आफ़ स्टेटिसटिक्स"। इसका जनवरी के महीने का अंक है। आज की नहीं, कोई ७ महीने पहले की बात है। इस में ११० वें पेज पर "प्राविजनल एस्टीमेट्स आफ़ इन्कम पर कैपिटा फ़ार उत्तर प्रदेश" टेबिल है। इस में पहले कालम में वे आंकड़े दिये हुये हैं जिन को कहा जाता है कि प्रधान मंत्री जी ने पार्लियामेंट में पढ़ा होगा। मैं डेसिमल को छोड़ कर पढ़ता हूं। उस के हिसाब से १९४८-४९ में २४९, १९४९-५० में २५१, १९५०-५१ में २५६, १९५१-५२ में २४४, १९५२-५३ में २४४, १९५३-५४ में २३३ और १९५४-५५ में २१२ पर कैपिटा इन्कम लिखी हुई है। इस को देखने से निश्चय ही यह बात निकलती है कि पिछले तीन चार वर्षों में आमदनी घटती गई। लेकिन इस के बगल में एक और कालम है वह महत्व का है। उस में, मैं डेसिमल छोड़कर पढ़ता हूं, २४९, २५५, २५९, २५४, २५६, २५७, २७६ यह सन् १९४८-४९ के भावों के आधार पर दिया हुआ है। १९५४-५५ के पहले कालम में २१२ है उस के सामने उसी साल इस हिसाब से २७६ है? दोनों में फ़र्क क्या है? उदाहरण के लिये दो आदमियों की ऊंचाई का आप मुकाबला करना चाहें और कहें कि एक आदमी की ऊंचाई ६ फ़िट और दूसरे की ३ फ़ीट। तो इस वाक्य के साथ कोई अर्थ उस वक्त हो सकते हैं जब कि दोनों आदमियों को आप एक ही गज से नापें। अगर आप अलग अलग गज से नापते हैं तो इस वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है कि एक ६ फ़िट का है और दूसरा ३ फ़िट का है। इसलिये जब तुलना करना हो तो एक चीज से कम्पेयर करना चाहिये।

पहले हमारे देश में सन् १९३९ के फीगर्स माने जाते थे लेकिन अब सारे देश में सन् ४८-४९ के फीगर्स मान लिये गये हैं। दूसरे कालम के फीगर्स सन् ४८-४९ के आधार पर हैं। इसी आधार पर एक साल की फीगर को दूसरे साल की फीगर से तुलना की जा सकती हैं, हर साल की फीगर से तुलना नहीं की जा सकती है। ऐसा मालूम होता है कि प्रधान मंत्री जी के सामने दूसरे कालम की फीगर्स नहीं थी नहीं तो कम से कम इतना जरूर उन्होंने किया होता कि इन दोनों को पढ़ लिया होता और फिर लोगों पर छोड़ दिया होता कि जैसा चाहें अर्थ लगायें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—नेशनल पर कैपिटा इन्कम करेंट प्राइसेज के आधार पर होती है या ४८-४९ के आधार पर?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सारे देश की फीगर्स इस वक्त मेरे पास नहीं है। यहां इस बात का सवाल है कि उत्तर प्रदेश की इन्कम घटी है या बढ़ी है।

कई और महत्व के सवाल हैं जिनकी तरफ ध्यान दिलाया गया। जैसे माननीय नारायणदत्त जी ने कहा कि जब हम अपने यहां सोशलिस्ट व्यवस्था कायम करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का उसमें क्या स्थान है और फाइनेन्स मिनिस्टर के पास कोई स्पेंडिंग डिपार्टमेन्ट नहीं होना चाहिये। रिआर्गेनाइजेशन के सिलसिले में भी कुछ मित्रों ने कहा, माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने भी कहा। अब फाइनेन्स मिनिस्टर के पास कोई स्पेंडिंग डिपार्टमेन्ट नहीं होना चाहिये, यह नहीं हो सकता है जब उसके पास कई और तरह के डिपार्टमेन्ट्स होते हैं, जैसे सेंटर में है कि कोई स्पेंडिंग डिपार्टमेन्ट नहीं होता लेकिन इनलैन्ड बोर्ड आफ रेवेन्यू एक्साइज, कस्टमस और न जाने क्या-क्या इतना ज्यादा ऐडमिनिस्ट्रेटिव

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

काम रहता है कि बगैर किसी स्पेंडिंग डिपार्टमेंट के ही एक बड़ा भारी काम होता है। स्टेट्स में उस तरह की कोई चीज नहीं है। अगर हम एक आदमी को फाइनेन्स मिनिस्टर मुकर्रर कर दें और उसके पास कोई स्पेंडिंग डिपार्टमेंट न रखें तो उसके पास बहुत कम काम होगा। इसलिये जहां तक स्टेट्स का सम्बन्ध है सब जगह फाइनेंस मिनिस्टर के पास कोई न कोई स्पेंडिंग डिपार्टमेंट्स रखना ही पड़ता है नहीं तो उसके पास काफी काम नहीं रहेगा। इस सवाल पर कई दफा विचार हो चुका है। अगर हमारे पास उनके लिये काफी काम हो सकता तो हम कोई स्पेंडिंग डिपार्टमेंटस उनके पास न रखते।

अब कमिश्नरों और कलेक्टरों का जहां तक प्रश्न है, यह बिलकुल सही है कि शायद आगे चलकर हमारे देश में शासन का जो ढांचा हो उसमें कलेक्टर का कोई स्थान न हो। किन्हीं जरूरतों की वजह से अंग्रेजों ने यह संस्था कायम की। वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी था और कलेक्टर आफ रेवेन्यू भी था। आज कई बातों में वह सिर्फ कलेक्टर आफ रेवेन्यू रह गया है और जुडीशियरी के सेपरेशन हो जाने की वजह से तो वह और भी कम रह गया है, लेकिन यह सोचने की बात हो सकती है कि कहां तक इसमें परिवर्तन हो सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सवाल हमारे सामने बहुत जोरों से है और हमें इस पर आगे चलकर जल्द गौर करना होगा। कल मैं विस्तार के साथ प्लानिंग के सिलसिले में निवेदन करूंगा हो सकता है कि जिस तरह से आज प्लानिंग चल रही है आगे चल कर वैसी न हो और उस तरह का प्लानिंग डिपार्टमेन्ट्स का भी न हो, फिर भी सोचने की बात होगी कि किस तरह से हो। अगर प्रोग्रेस की आवश्यकता है तो फिर प्लाण्ड तरीके से प्रोग्रेस होनी चाहिये। उधर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स भी हमारे यहां काम कर रहे हैं और भी कई तरह की संस्थाएं हैं। आगे चलकर हमें प्लानिंग का ठीक तरह से स्वरूप निश्चित करना होगा और जब वह निश्चित होगा तो उस शासन सूत्र में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिये कोई स्थान होगा या नहीं होगा यह सोचने की बात है। लेकिन आज तो वह बात ऐसी है जैसे जापानी एक ड्रामा निकला था जिसमें कई किस्म के अधिकारियों का जिक्र था और उसमें एक अधिकारी था जिसका नाम था Lord high every thing else जो किसी का विभाग न हो वह विभाग उसके पास। इसी तरह से जो किसी के पास काम नहीं है वह उनके पास है। इतने डिपार्टमेंट और इतनी चीजें उसके पास हैं कि वह कलेक्टर कम्बख्त यह जान भी नहीं सकता कि उसके क्या अधिकार हैं और उसके क्या कर्त्तव्य हैं, और अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उन सबको समझने की कोशिश भी करे तो वह पागल हो जायगा। जाहिर बात है कि कितनी ही दिक्कतें पड़ जाती हैं तब चाहे उसको पता चल जाय या उसका जवाब तलब हो जाय कि तुमने यह काम क्यों नहीं किया तो उसे पता चलता है कि उसका यह कर्त्तव्य भी था। सही बात है कि अगर किसी आदमी के कंधे पर इतना बोझ लाद दिया जाय तो इस तरीके से काम चल नहीं सकता, लेकिन हां, कोई न कोई अधिकारी होगा जिसे यह सब काम करने होंगे। आप देखें कि योरोप के कंटिनेंट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो प्रबंध है उसका कोई मेअर है, कोई प्रिफेक्ट है ऐसा अधिकारी होता है, जिसको कहा जा सकता है कि "He should be able to represent the whole Government." यहां पर भी है जैसे सभी मंत्री मिलकर एक साथ काम करते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर सारी कैबिनेट का हेड होता है, और चीफ सेक्रेटरी जैसे समझिये सेक्रेटेरिएट लेविल पर गवर्नमेन्ट का हेड होता है। उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेविल पर कोई अधिकारी इस तरह का होना चाहिये। इस वक्त सूरत यही है कि कलेक्टर आज सारी गवर्नमेन्ट का प्रतिनिधित्व जिले के लेविल पर करता है। आगे चल कर किसके सुपुर्द यह काम किया जाय यह सोचने की बात है। इंटरनेशनल ला के मुताबिक भी आप देखें कि अगर एक फौज आती है किसी देश में वहां पर कब्जा करने के लिये तो जो वहां का प्रिफेक्ट होता है उसी से वह बात करती है। उसको सारी गवर्नमेन्ट का प्रतिनिधि मानकर बातें करती है।

अब इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेविल पर गवर्नमेन्ट का प्रतिनिधि क्या हो, कैसा हो यह हमारे सामने प्रश्न है। आगे चल कर जब फ्यूचर ऐडमिनिस्ट्रेशन की सूरत बनेगी तो निश्चय ही हमको इसे देखना होगा। हमारा देश बहुत बड़ा है और देश तो बहुत बड़ी चीज है हमारा प्रदेश ही बहुत बड़ा है। यहां करोड़ों आदमी बसते हैं। इतनी समस्याएं हैं कि हम थोड़े से आदमी मिनिस्टर और सेक्रेटरी बैठकर कितने ही भले आदमी क्यों न हों यहां लखनऊ में बैठकर काम कर सकें यह असम्भव बात है। जब तक लार्ज स्केल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तब तक यह काम नहीं हो सकता। हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात सोच रहे हैं। इस तरह से बहुत से अधिकार लोकल सेल्फ संस्थाओं के हाथ में देने होंगे। यह डिसेंट्रलाइजेशन की पूरी एक तस्वीर हमारे सामने बन जाय तो उसके बाद हम विचार कर सकेंगे कि यह डी० एम० फिफ्थ कालोमिनिएट्स हैं अथवा यह वाकई में कोई काम करते हैं और उसी समय हमको और आप को यह भी सोचना चाहिये कि अगर यह हट जायं तो उनकी जगह कौन ले।

कमिश्नरों का जिक्र आया। यह भी अस्थायी बात है। हमारे पुराने सदस्यों को याद होगा, पिछले जमाने में जब यहां सर एलेक्जेन्डर मूर्डीमैन थे, उन से एक सवाल पूछा गया था कि सरकार इन कमिश्नरों को हटाने के लिये कब से विचार कर रही है, तो उन्होंने जवाब दिया था—"फार दि लास्ट एट्टी इयर्स"। पहले यह सवाल था कि इन पोस्टों को तोड़ दिया जाय। अगर एकदम से नहीं तोड़ दी गई, तो उनको कम जरूर कर दिया गया। कई जगहें तोड़ दी गई, लेकिन हम को बीच में ऐसा अनुभव हुआ कि उनके रहने की जरूरत है। हम को कुछ अनुभवी आदमियों की जरूरत है। हमने कमिश्नरों को डाकखाना नहीं बना रखा है। जैसे पहले पोस्ट आफिसर का काम वह करते थे आज वह वैसे नहीं है। कई मामलों में आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सरकार से सीधे डील करता है। कई मामले उनके हाथ से निकल गये हैं। लेकिन दो-तीन मामलों में हमने उनको माना है। प्लानिंग का काम है, वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने जिले में करता है, लेकिन कमिश्नर ४,५ जिलों में घूम कर उस काम को देखता है और एक से दूसरे जिले में जाता है। उन सब की प्रगति पर वह एक निगाह रख सकता है और इस तरह से वह उस काम को अच्छी तरह से करा सकता है। वह एक आदमी है कि जो उस काम से अलग है, लेकिन उस को देख कर एक की सलाह दूसरे को पहुंचा सकता है। हम उस को बुला लेते हैं और बता सकते है कि इस तरह से काम होना चाहिए। काम ठीक होता है या नहीं यह हम नहीं कह सकते, लेकिन यह एक प्रयोग है कि जिसे हम कर रहे हैं।

दूसरी बात यह कि पहले जमाने में जो काफी सीनियर होते थे, काफी अनुभवी होते थे वही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो पाते थे। लेकिन इधर तो ऐसा रहा नहीं। फौज में भी ऐसे कर्नल और जनरल हैं कि जो इतनी जल्दी इस पोस्ट पर कभी पहुंच ही नहीं सकते थे। स्वतंत्रता के कारण रैपिड प्रमोशन्स हुये। बहुत से नये आदमी अफसर बन गये। यह ठीक है कि वह मेहनती और उत्साही हैं, लेकिन उनको अनुभव नहीं है और इसलिये हम ने यह जरूरी समझा कि अगर उनकी सलाह के लिये, उनकी मदद के लिये कुछ आदमी अनुभवी रहें तो अच्छा है। लेकिन सवाल तो हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही हटाने का है, तो जब सलाह लेने वाला ही नहीं रहेगा तो सलाह देने वाले का सवाल नहीं उठता, लेकिन इन कुछ दिनों में इसकी जरूरत हमने महसूस की और इसलिये इस प्रयोग को हम कर रहे हैं।

एक सवाल अपने यहां के आदमियों की तनख्वाह के सिलसिले में हुआ। माननीय नारायणदत्त जी ने एक सुझाव दिया कि हम अपनी एक पे कमेटी मुकर्रर कर दें। उनका यह खयाल है। उनका कहना ठीक है। उनका यह भी कहना ठीक है कि हम अकेले इस काम को ठीक से नहीं कर सकते बिना गवर्नमेन्ट

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

आफ इंडिया की मदद के। अगर उनका ऐसा खयाल है कि हम एक पे कमेटी मुकर्रर करें। उसकी जो सिफारिशें होंगी वे अच्छी होंगी इसमें संदेह नहीं, क्योंकि चाहे इधर के लोग हों या उधर के, इसमें किसी को कोई दखल नहीं हो सकता कि हमारे आदमियों की तनख्वाह कम है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि १०० रुपये तक कम से कम तनख्वाह हो जाय। हम यह नहीं कह सकते कि हमने जो किया है वह बहुत ठीक है। हमने यह कर दिया है कि जो हमारे अहलकार हैं उनमें से जो २०० रुपयों में पाते हैं उनके डियरनेस एलाउन्स का आधा हमने उनकी तनख्वाह में जोड़ दिया है। जो तनख्वाह वह पाता है उसमें उसके डियरनेस का आधा जोड़ दिया जाय। उदाहरण के लिए अगर वह २५ रुपये पाता है और २५ उसको महंगाई भत्ता मिलता है तो पेंशन आदि के लिये उसका तनख्वाह साढ़े ३७ रुपये बनाई जायगी। इससे बहुत आदमियों को फायदा होगा, लेकिन चीज यह है कि हमारे आदमियों की तनख्वाह बढ़नी चाहिये और उस नियम से भी बढ़नी चाहिये कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के आदमी उसी तरह के काम के लिये अधिक तनख्वाह पाते हैं हमारे यहां के आदमियों के मुकाबिले में। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के दफ्तरों में काम बहुत कम होता है। हमारे आदमियों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, इसलिये उनको उस काम के लिये तनख्वाह कम मिले, यह कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर हम पे कमेटी मुकर्रर करें तो पे कमेटी की सिफारिश क्या होगी। उस कमेटी में कोई भी रखा जाय निश्चय ही उनकी सिफारिश यह होगी कि तनख्वाह बढ़नी चाहिये। अब आप सोचिये कि उसके बाद हम क्या करें। यह भी उसका परिणाम होगा कि जो हमारे आदमी हैं उनकी उम्मीद बढ़ेगी। इस तरह से कमेटी के बिठाने का मतलब है अपने लोगों की उम्मीद को बढ़ाना, जिसको हम किसी तरह से पूरा नहीं कर सकते हैं। इस भरोसे पर हम कमेटी बिठावें कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया हमको रुपया दे देगी तो यह दूर की उम्मीद है। अगर वह कुछ देना चाहेंगे तो इस वक्त भी दे सकते हैं और इस वक्त भी सोच सकते हैं, क्योंकि जो कमेटी बिठायी गयी है उसके टर्म्स आफ रिफरेन्स में यह कहा गया है कि वह इस बात का खयाल रखेगी कि स्टेट्स की तनख्वाह क्या है, लेकिन हम यह समझते हैं कि अपनी पूरी शक्ति को समझते हुए पे कमेटी का बिठाना गलत चीज हो जायगी। हमारे आदमियों को गलत आशा पैदा हो जायगी, जिसको पूरा करना हमारी शक्ति के बाहर होगा। हम उसको किसी तरह से कर सकते अगर हमारे हाथ प्लानिंग के साथ बंधे हुये न होते, लेकिन इस वक्त हम मजबूर हैं।

तिवारी जी ने एक बात का जिक्र किया कि सन् ४७ के बाद कुछ ऐसे अहलकार हैं, जिनकी तनख्वाह १२ रुपया घट गई है। वह कहते हैं उनका कहना ठीक होगा। यदि ऐसा हुआ तो मुझे दुख है कि उनका बढ़ना तो दूर रहा हमने उनकी पे घटा दी। यह घोर पाप हो गया।

कुछ बातों का नैतिक स्तर पर जिक्र हुआ। अब उन बातों का मैं क्या जिक्र करूं। शराब पीने का जिक्र हुआ। मैं पीता नहीं हूं। मैं जानता नहीं कि शराब में क्या सुख होता है। पीने वाले जानते होंगे। यह जरूर है और यह सुन रखा है कि यह बात गलत है कि किसी बुद्धिमान् आदमी को शराब बदनाम करती है, बल्कि अगर गलत आदमी पीता है तो उससे शराब बदनाम होती है। यह ठीक है कि अगर ऐसी बातें हैं तो वे नहीं होनी चाहिये और यह अफसोस की बात है। जिस किस्म की बातों का जिक्र किया गया मैं उनके लिये उनका कृतज्ञ हूं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। यह उचित भी है, लेकिन यह अफसोस की बात है। हम कायदे कानून से उनको कुछ कह नहीं सकते। अगर कोई ऐसे लोग हैं तो हम उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करेंगे। इससे हमारे प्रदेश की बदनामी होती है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की बदनामी होती है और उनकी खुद बदनामी होती है।

हाउस बिल्डिंग स्कैंडल का जिक्र किया गया। जनरल डिबेट के अवसर पर भी इसका जिक्र हुआ था। आज भी कुछ कड़े शब्दों मे इसकी चर्चा हुई। जैसा मैंने पहले कहा था कि यह शिकायत मेरे कानों तक पहुंची है। कोई अगर एक बहुत गरीब आदमी है जो कि मोहताज है, अगर वह गलत काम कर बैठता है तो उसको हम बक्स दें तो कुछ हर्ज नहीं, लेकिन जो ऊंचे दर्जे का अफसर है वह अगर गलत काम से छूट जाय तो यह अच्छी बात नहीं है। मैंने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है। अगर सचमुच इस बात का प्रमाण मिलता है कि बहुत गलत कार्यवाही हुई जो नहीं होनी चाहिये और जो शोभा नहीं देती और इसके आगे अगर लीगल कार्यवाही करने की गुंजाइश हुई तो हम उसको करेंगे।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं जैसा पहले कहा था कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई विकास का विभाग नहीं है लेकिन यह जाहिर बात है कि जितने विकास के विभाग हैं उनकी सफलता इस विभाग के ऊपर निर्भर करती है। मैं अनेक बार इस सदन में कह चुका हूं कि मैंने इस बात का दावा नहीं किया है कि हम सर्व सम्पन्न हैं या हमसे कोई काम गलत नहीं होता। बाज दफा ऐसा होता है कि काम करने के बाद भी यह पता नहीं लगता कि हमसे गलती हुई है, लेकिन हां इतना मैं अवश्य समझता हूं कि चाहे हम किसी तरफ के भी बैठने वाले हों, चाहे इधर के हों या उधर के, हमारे एक ही उद्देश्य है और वह यह कि उत्तर प्रदेश की तरक्की हो। हम आज यहां पर बैठे हैं, कल नहीं हो सकते, लेकिन जब भी हम यहां से हटें, उत्तर प्रदेश को पहले से संपन्न और उन्नत पायें। इस मामले में कोई संदेह नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है, जैसा कि माननीय तिवारी जी ने कहा, कि मैं इस बात को मानता हूं कि सरकारी अहलकारों से हमें सहयोग मिलेगा। अगर मैं और सहयोग मांगूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि हरगिज भी कोई माननीय सदस्य इंकार नहीं कर सकेगा। हम चाहे छोटे हों या बड़े हों, लेकिन उत्तर प्रदेश हम सब से बड़ा है।

इन शब्दों के साथ मैं इस भाषण को समाप्त करता हूं। मैंने जो मांग की है वह खुद ही बहुत थोड़ी सी है, इसलिये उसमें एक रुपये की कटौती करके क्या करेंगे। आप उस एक रुपये की कटौती को वापिस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि "अनुदान संख्या १२—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय" के अन्तर्गत एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय—लेखा शीर्षक: २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २,८४,२२,२०० रुपये की मांग. वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३—कमिश्नरों और जिला प्रशासन के व्यय में एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय—लेखा शीर्षक. २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ३,०६,४८,४०० रुपये की मांग. वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष-दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष---मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। हमारी स्पीकर्स गैलेरी में ३३ सीटें हैं। हर माननीय सदस्य अपने अतिथियों के लिए यही कोशिश करता है कि उनको स्पीकर्स गैलरी का पास मिले। इसमें सचिवालय को कठिनाई हो जाती है, क्योंकि इनमें से ११ सीटें कौंसिल के लिए हैं, ११ स्पीकर की इजाजत से और ११ सचिव विधान मंडल की इजाजत से दी जाती हैं। यदि भविष्य में माननीय सदस्य इस बारे में ध्यान रखेंगे तो यह कठिनाई दूर हो सकती है।

श्री त्रिलोकीसिंह---विधान परिषद् वाले तो दूसरी तरफ बैठते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---कभी-कभी जब इधर जगह नहीं मिलती है और उनको खड़ा रहना पड़ता है तो उधर बैठ जाते हैं।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ ;
१२ अगस्त, १९५७।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२५ पर)

सिविल सर्जन की रिपोर्ट का सारांश

जिलाधीश बदायूं जब जून माह में शेरपुर क्षेत्र में निरीक्षणार्थ गये तो उन्होंने यह देखा कि कई ग्रामीणों के दोनों पैरो में लकवा था और वह बिना किसी छड़ी के सहारे चल फिर नहीं सकत थे। उन्होंने यह भी सूचना पायी कि यह रोग शेरपुर के निकटवर्ती ग्रामों में भी प्रसरित हो रहा है इनमें से एक रोगी जिला चिकित्सालय परीक्षणार्थ भेजा गया। उसे कुछ दिन वहां रक्खा गया और उस की परीक्षा करने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि वह रोगी लैथिरिज्म का है। इस सम्बन्ध में अग्रिम परीक्षा के हेतु जिला अधिकारी कृषि, जिला स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन वहां पर गये।

इस क्षेत्र का क्षेत्रफल १४ हजार एकड़ है। इस में १३ ग्राम सम्मिलित है तथा ये रामगंगा की दो धाराओं के बीच में स्थित है इनमें वर्षा ऋतु मे अत्यधिक पानी भर जाता है, जो अन्य मौसमों में भी कठिनाई से सूखता है। इसके कारण इस स्थान तक पहुंचना वर्षा ऋतु में दुष्कर हो जाता है। जब यहां बाढ़ आती है उस समय क्षेत्र मे आदमी डुबान पानी हो जाता है। यहां पिछले तीन वर्षों से सदा ही बाढ़ आती है जिस के फलस्वरूप वहां की खरीफ की फसल लगभग नष्ट प्रायः हो जाती है और पशु तथा अपार जन धन की हानि के साथ-साथ अनेक ग्राम भी नष्ट हो जाते है।

बाढ़ का, कसारी दाल (कस्सी) तथा अकरा जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, इनकी उपज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, अपितु वह प्रभूत मात्रा मे उत्पन्न होते हैं। कांस के अधिक उत्पन्न होने से रबी की शेष फसलें चना, मटर, गेहूं आदि अति न्यून मात्रा में उत्पन्न होते है जिसके फलस्वरूप लोगों को बेझड़ का आटा, जिसमें अकरा और कस्सी अधिक, चना, मटर कम होता है प्रयोग में लाना पड़ता है।

शेरपुर क्षेत्र में २२ रोगियों का पता लगा था परन्तु परीक्षणार्थ केवल १५ रोगी ही आ सके इनसे हाल पूछने पर यह ज्ञात हुआ कि इन में से कुछ लोग सन् ५४ की बाढ के समय से ही इस रोग से ग्रसित थे। इन सब के पैर में लकवा तथा पुट्ठों में सख्ती थीं। इनमें से कुछ ऐसे रोगी थे जो कि बाढ़ के बाद रोग-ग्रस्त हुये इन में सर्वप्रथम कमर में दर्द हुआ तदुपरान्त पैरों के पुट्ठों में सख्ती तथा लकवा हुआ इस के अतिरिक्त यहां निरीक्षण के समय कुछ अन्य लोगों में भी यह रोग प्रारम्भ होता मालूम हुआ। इसका संपूर्ण विवरण तभी ज्ञात हो सकता है जब कि प्रत्येक घर पर रोगियों का निरीक्षण किया जाय। प्रायः स्त्री पुरुष, युवा किशोर, बाल तथा वृद्धों में यह रोग पाया जाता है। इस रोग की एक प्रमुख विशेषता यह है कि लकवा होते हुए भी इस के रोगी के अंगों में कोई विशेष दुर्बलता तथा शारीरिक निर्जीवता (सुन्न होना) नहीं उत्पन्न हुई। ये रोगी पैरों को फैला कर पैरों को घसीटते हुये चलते है।

यह रोग कसारी दाल और अकरा तथा कुछ अन्य दालों के अधिक प्रयोग से होता है। अकरा में एक ऐसा विषैयक पदार्थ होता है जिस से सुषुम्ना (spinal cord) की धमनियां (arteries) तनाव के कारण छोटी पड़ जाती है और रक्त जम जाने से रक्त संचार कम हो जाता है फिर धीरे-धीरे सुषुम्ना (spinal cord) में स्क्लेरोसिस उत्पन्न हो जाती है जिस के कारण लैथेरिज्म का रोग उत्पन्न होता है।

शेरपुर ग्राम के २२ रोगी ८ परिवारो मे विभक्त थे जिनके पास कम जमीनें थी यानी दो परिवारों में तो कोई जमीनें जोतने बोने के लिये नहीं थीं, एक परिवार में पांच बीघा तथा एक के पास बीस और एक के पास ५० तथा दो परिवारों में दो-दो बीघा जमीन थी। कहने का तात्पर्य यह है कि यह रोग निर्धन जनता में अधिक प्रसरित हुआ।

अब प्रश्न यह उठता है कि यह रोग १६५४ से पहले क्यों नहीं फैला तथा बाद में ही क्यों फैला। इस का एक मात्र कारण यह है कि वहां पर बाढ़ के कारण निर्धनता का प्रकोप अधिक होता गया और जनता बेझड़ा का अनाज जिस में ७५ फीसदी अकरा तथा शेष कस्सी, मटर, चना था। जीवन निर्वाह हेतु खाने पर बाध्य हुई। यह भी देखा गया कि जिन परिवारों की आर्थिक दशा अच्छी थी और वे गेहूं का प्रयोग करते थे, उनमें यह रोग नहीं हो पाया। इस रोग से बचाव तथा चिकित्सा सम्बन्धी निम्न सुझाव सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला अधिकारी कृषि ने दिये हैं।

(अ) चिकित्सा सम्बन्धी साधनों में सुधार तथा हेल्थ प्रोपेगन्डे को प्रयोग में लाना।

(ब) बाढ़ पीड़ितों की सुविधा के साधन।

(स) कृषि का आधुनिक योजनानुसार होना जिस से अकरा तथा कस्सी की उपज धीरे-धीरे बन्द हो जाये।

(द) जन साधारण की आर्थिक दशा में उत्थान होना।

यह क्षेत्र रामगंगा के दो धाराओं के बीच में स्थित है, जिसके कारण यह अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहां केवल दांतागंज चिकित्सालय ही है जो वहां से १५ मील दूर है। इस सम्बन्ध में सिविल सर्जन का यह सुझाव है कि वहां एक चिकित्सालय खोल दिया जाय, ताकि जनता की चिकित्सा सम्बन्धी कठिनाइयां दूर हो सकें।

बाढ़ के कारण अन्न के अभाव को दूर करने के लिये वहां सरकारी राशन की दुकानें खोल दी जायं ताकि जनता केसारी दाल और अकरा का कम प्रयोग कर सके। कृषकों को आधुनिक योजनानुसार वहां की जनता को उपयुक्त बनाने हेतु तथा अकरा और केसारी दाल की उपज बन्द करने के लिये जिला कृषि अधिकारी प्रयत्नशील हैं जिसकी रिपोर्ट वे अलग से जिलाधीश को देंगे। वहां की जनता की आर्थिक दशा को सुधारने हेतु प्रयत्नों की आवश्यकता है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४० पर)

राजभवन, विधान भवन, विधायक निवास एवं मंत्रियों के निवासों पर नियुक्त विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन का नक्शा

कर्मचारियों की श्रेणी			वेतन रुपयों में
वर्क सुपरवाइजर	..	..	.. ११०—१३५
वर्क एजेन्ट	..	..	.. ६५—९०
मिस्त्री	..	..	.. ८०—९५
वायरमैन	..	.	.. ७५—१४०
मैसन	..	..	.. ७५—८०
कारपेण्टर	..	.	.. ७५—९०
पेंटर	..	..	.. ६०—७५
प्लम्बर	..	..	.. ६७—८०
स्विच बियरर	..	..	.. ८०
पम्प अटेण्डेण्ट	..	..	.. ४७—७०
चौकीदार	..	..	.. ४०—४८
लिफ्ट मैन	..	..	.. ५२
ब्लैक स्मिथ	..	..	.. ५५
स्वीपर	..	..	.. ३१—४८
भिस्ती	..	..	.. ४५
मलेरिया कुली	..	..	.. ४०—४५
बेलदार	..	..	.. ३२—४०
खलासी, फर्राश, कुली, मेट		..	.. ३५—५०

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—९ एल० ए०—१९५७—७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १३ अगस्त, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३५५)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज् इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुलरऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोला देवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अलीज़हीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमणसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहासमिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जंगबहादुरसिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयरामवर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री

प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धासिंह, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्तदुबे, राजा
रघुनाथसहाय पाठक, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री

रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनमिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमशुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराज बहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री

सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हरीलाल यादव, श्री

नोट—माल उप-मंत्री श्री परमात्मानन्द सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १३ अगस्त, १९५७ ई०

तारांकित प्रश्न

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पेय जल के अभाव को दूर करने के कार्य

*१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पीने के पानी के अभाव को दूर करने के लिये कौन-कौन से उपाय उसने प्रदेश के नगरों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किये हैं ?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—नो जिला हेडक्वार्टरों में पाइपों द्वारा जल वितरण तथा वर्तमान कबाल बोर्डो और नैनीताल की वर्तमान जल वितरण योजना के पुनर्गठन के लिए एक अस्थाई योजना बनाई गई है। चूंकि केन्द्रीय सरकार ने अभी तक उक्त योजना के लिए कोई धन स्वीकृत नहीं किया है, इसीलिए अभी तक योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि किन-किन कबाल टाउंस के लिये वह योजना बनायी गयी है और वह योजना क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह प्रयत्न किया जा रहा है कि उन ९ हेडक्वार्टर्स के स्थानों में और कबाल टाउंस में जहां तक वाटर सप्लाई का सम्बन्ध है, पानी बढ़ाये और जहां वाटर सप्लाई नहीं है वहां नया कायम किया जाय और ड्रेनेज स्कीम में भी सुधार किया जाय।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल की जो स्थायी योजना है, वह कितने की है और कितने एरिया में उसका पानी वितरण होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय मंत्री जी ने नैनीताल की जिस स्थायी योजना का जिक्र किया है, क्या वे उस योजना का विवरण बतला सकते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—विवरण के लिये तो सूचना की आवश्यकता है।

इलाहाबाद नगरपालिका को पेयजल के लिए ऋण

*२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगरपालिका को वहां पीने के पानी के अभाव को दूर करने के लिये कितना रुपया ऋण के रूप में ३ वर्षों में दिया गया और उससे कितना पानी पीने का अभाव कम हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---इलाहाबाद नगरपालिका को गत ३ वर्षों में १७.५ लाख रुपया ऋण के रूप में जल वितरण योजना के लिये दिया गया है। पानी का अभाव कटरा, कर्नलगंज एवं दारागंज में काफी कम हो गया है। इन तीन वर्षों में सम्पूर्ण जल वितरण में लगभग २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो शहर का एरिया है, वह उसमें क्यों शामिल नहीं किया गया है, केवल कटरा और दारागंज ही लिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रयत्न यह होता रहा है कि सभी जगहों के लिये हो सके, लेकिन इस वक्त जहां तक हो सका है वह कटरा और दारागंज के लिये ही प्रबन्ध किया गया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार नगर निगम बनने के पहले जो हिस्सा छूट गया है या बढ़ाया जायगा, उसमें पानी का फैलाव बढ़ाने के लिये कोई योजना बनाने के लिये आदेश देगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---नगर निगम विधेयक तो जल्दी ही बन कर पास हो जायगा, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी तो सब जगह यह सुधार नहीं हो सकेगा, फिर भी योजना के अनुसार जल्द से जल्द प्रयत्न किया जायगा।

*३---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*४-५---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

गाजीपुर जिले में मैनपुर-जमानिया घाट सड़क तथा गंगा पर पुल की आवश्यकता

*६---**श्री यमुनासिंह** (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार गाजीपुर जिले के मैनपुर ग्राम से जमानियाघाट तक पक्की रोड बनवाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---यह सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है। अतः योजना की अवधि में इसके निर्माण के प्रश्न पर विचार करना सम्भव नहीं है।

*७---**श्री यमुनासिंह** (अनुपस्थित)---क्या सरकार जमानियाघाट, जिला गाजीपुर में गंगा नदी पर पुल बनवाने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं।

१९५२ व १९५७ के आम चुनावों पर व्यय

*८---**श्रीमती चन्द्रावती** (जिला बिजनौर)---क्या सरकार बतायेगी कि विधान सभा के लिये १९५२ के जनरल चुनाव पर सरकार का कितना व्यय हुआ ?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---विधान सभा तथा लोक सभा के आम चुनाव एक साथ होते हैं। प्रथम आम चुनाव पर कुल १,००,१२,७०३ रु० व्यय हुआ। इस राशि का लगभग आधा भाग विधान सभा के चुनाव का व्यय मान लिया जाय।

इस व्यय में निर्वाचक-सूची संबंधी व्यय सम्मिलित नहीं है।

*९---**श्रीमती चन्द्रावती**---क्या सरकर यह बताने की कृपा करेगी कि १९५७ के आम चुनाव पर खर्च किये गये धन की राशि क्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सन् १९५७ ई० के आम चुनाव पर वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में कुल ५३,९८,५०० रु० व्यय हुआ। अनुमान किया जाता है कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में इस चुनाव के शेष आकस्मिक व्यय तथा यात्रिक भत्तों के बिलों के भुगतान में २५ लाख रुपया और व्यय होगा।

इस व्यय में निर्वाचक-सूची संबंधी व्यय सम्मिलित नहीं है।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इसमें से कितना धन यात्रिक भत्तों में व्यय किया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसका विवरण इस समय मेरे पास नहीं है।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार बतायेगी कि इस राशि का लगभग आधा धन विधान सभा का व्यय मान लिया गया तो यह बाकी आधा किस तरह से आया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसका आधा धन तो केन्द्रीय सरकार ने दिया।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आकस्मिक यात्रिक भत्तों के भुगतान में जिलों में जो २५ लाख रुपया व्यय होने वाला है वह ५३ लाख में जोड़ लिया गया है या वह अलग है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सन् १९५७-५८ के चुनाव में जो व्यय हुआ, उसमें जो भुगतान भत्तों का अभी बाकी है वह अभी देना बाकी है, वह दिया जायगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—उन दिनों चुनावों के सिलसिले में जो माननीय प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू ने इस प्रदेश का दौरा किया था उस समय का उनका सीक्योरिटी व्यय भी इसमें शामिल है या वह अलग है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—इसकी तफसील तो मुझे याद नहीं है, लेकिन गालिबन वह इसमें शामिल नहीं है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि हमारे माननीय मंत्रियों का एलेक्शन के सम्बन्ध में जो यात्रिक व्यय हुआ वह इसमें शामिल है या नहीं ? यदि हां, तो कितना ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—चुनाव के सम्बन्ध में जो भी खर्च हुआ वह इसमें शामिल नहीं है। मंत्रियों ने वह व्यय या तो अपने पास से किया या उनकी पार्टी ने किया।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—पिछले आम चुनाव और इस आम चुनाव में कितने खर्च का अन्तर है और इसके क्या कारण है, इस पर रोशनी माननीय मंत्री जी डालने की कोशिश करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—पिछले आम चुनावों में स्वभावतः कुछ तैयारियां करनी पड़ी थीं जो कि इस आम चुनाव में नहीं करनी पड़ीं।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार बतलायेगी कि इसमें कितना प्रतिशत केंद्रीय सरकार देती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—पचास प्रतिशत।

श्री गेंदासिंह—क्या कुछ ऐसे बिल भी पड़े हैं, जो सन् १९५२ के आम चुनाव के हैं ?

श्री सैयद अलीजहीर—जहां तक खयाल है १९५२ के सारे बिल अदा हो चुके हैं।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि निर्वाचिका सूची के छपाने के सिलसिले में जो व्यय हुआ है वह इस चुनाव के सिलसिले में क्यों नहीं शामिल है ?

श्री सैयद अलीजहीर--वह एक फेहरिस्त होती है, जब वह बन जाती है तो उसको कैंडीडेट्स खरीदते हैं और उसकी कीमत अदा हो जाती है। इस वजह से इसमें शामिल नहीं की जाती।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या यह सही है कि इस साल जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां हैं उनको सूचियां मुफ्त दी गयी है ?

श्री सैयद अलीजहीर--जी हां, शायद एक एक सूची हर पार्टी को मुफ्त दी गयी है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में दीवानी की विचाराधीन अपीलें

*१०--श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--क्या न्याय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में दीवानी की कितनी first या second appeals जो ५ साल से अधिक पुरानी हों pending हैं ?

श्री सैयदअली जहीर--इलाहाबाद हाईकोर्ट में दीवानी की १८७० प्रथम तथा २६६८ द्वितीय अपीलें १ जुलाई, १९५७ को ५ साल से अधिक पुरानी पड़ी थीं।

मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव कराने की प्रार्थना

*११--श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार से मिर्जापुर जिले के विधायकों द्वारा यह मांग की गई थी कि वहां का जप्तशुदा जिला बोर्ड छोड़ा जाय या एक एडहाक बोर्ड के सुपुर्द काम किया जाय अथवा शीघ्र चुनाव करा दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां।

श्री राजकुमार शर्मा--कृपया सरकार बतायेगी कि इन विधायकों द्वारा मांग पर उसने क्या विचार किया ?

श्री रामस्वरूप यादव--चूंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव होने जा रहे हैं और मिर्जापुर में भी चुनाव, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आम चुनाव के साथ होगा इस वजह से मुनासिब नहीं समझा गया कि ऐडहाक कमेटी बनायी जाय।

म्युनिसिपल बोर्ड चन्दौसी के अध्यक्ष के विरुद्ध स्मृतिपत्र

*१२--श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह विदित है कि म्युनिसिपल बोर्ड चंदौसी (जिला मुरादाबाद) के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया हुआ है ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--सरकार की जानकारी में ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ।

*१३--श्री देवनारायण भारतीय (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्वशासन मंत्री की सेवा में चंदौसी म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध कोई स्मृतिपत्र आया हुआ है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां।

आजमगढ़ जिले की गांव समाजों को दिये गए धन के हिसाब में गड़बड़ी

*१४--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में आजमगढ़ जिले की १४६९ गांव सभाओं को १५० रु० प्रति सभा के हिसाब से। देशीय सरकार द्वारा सहायता प्रदान की गई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं। सन् १९५४ में गांव सभाओं को सरकार द्वारा सहायता प्रदान नहीं की गई थी।

*२१५--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सहायता में से जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय द्वारा प्रत्येक गांव सभा से २५ रु० काट लिया गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव--प्रश्न नहीं उठता।

*२१६--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जिला कार्यालय में उक्त काटी हुई ३० हजार रुपये की धनराशि की कोई रसीद नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव--प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में सहायक लेखा अधिकारी, विकास आयुक्त कार्यालय ने जो जिला पंचायत कार्यालय में जांच की है क्या उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि पंचायत कार्यालय के हिसाब-किताब में गड़बड़ी है और देना और पावना दोनों रकमों का हिसाब कार्यालय में नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव--प्रश्नों के संबंध में मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर चुका था कि लेखा अधिकारी ने जिन कागजात का मुआइना किया वे सील कर दिये गये हैं और उनमें लिखा है कि हिसाब में गड़बड़ी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--तो क्या यह समझा जाय कि १९५४ में सरकार ने जो सहायता दी थी वह रकम काटी गयी और गांव सभाओं को नहीं दी गयी ?

श्री अध्यक्ष--यह तो जवाब में लिखा है कि सहायता नहीं दी गई। आप पूछें कौन-सा जवाब नहीं है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार यह बतायेगी कि लेखाधिकारी विकास आयुक्त ने जो सरकार के पास रिपोर्ट भेजी है उस रिपोर्ट को पढ़ करके सरकार ने जवाब दिया है या जो जिलाधिकारी ने जवाब दिया है वह जवाब दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--माननीय सदस्य को यह भ्रम हो रहा है। १९५४ में कोई सहायता नहीं दी गई थी। १९४९ में दी गई थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बतायेगी कि १९४९ में जो सहायता दी गई थी क्या पहुंचा है कि १५० रु० की गांव सभा धन बांटा गया था और वह उन्हें दिया नहीं गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव--प्रत्येक गांव सभा को १५० रु० के हिसाब से दिया गया था। २५ रु० काटा गया था जो लेखन-सामग्री इत्यादि के लिये वहां से गांव में जिला नियोजन समिति में, जमा होना चाहिये और उसका हिसाब भी होना चाहिये।

श्री गेंदा सिंह--जिस आडिट रिपोर्ट के आधार पर कागजात सील किये गये हैं उसके संबंध में मंत्री जी बतलायेंगे कि कितने रुपये के हिसाब में गड़बड़ी बतायी गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव--एकाउन्टेंट जनरल के जरिये से हिसाब की जांच हो रही है उनकी रिपोर्ट आने पर ही इसके बारे में बताया जा सकता है, अभी इस वक्त कोई ऐसी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि हिसाब-किताब में जो गड़बड़ी करने वाले लिपिक और प्रधान लिपिक उस वक्त थे वे अब भी मौजूद हैं और जिसकी वजह से जनता में यह भ्रम है कि हिसाब-किताब की सही जांच नहीं हो सकेगी?

श्री रामस्वरूप यादव--पिछले सप्ताह में माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा था। मैंने निवेदन किया था कि अगर ऐसा है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी और उनको आश्वासन भी दिला दिया था।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार बतायेगी कि वे कागजात कब सील किये गये थे और किसके सामने किये गये थे और कब खोले जायेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव--पहली अप्रैल के करीब सील किये गये थे और ए० डी० एम० आजमगढ़ के सामने सील किये गये थे और जब एकाउंटेंट जनरल आडिट पार्टी जांच करने के लिये भेजेंगे तब खोले जायेंगे।

*१७--श्री कल्याणचन्द मोहिले--[अस्वीकार किया गया।]

वाटर सप्लाई ऐण्ड ड्रेनेज स्कीम के अन्तर्गत नगरपालिकाओं को ऋण

*१८--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि Water Supply and Drainage Scheme के अन्तर्गत राज्य के किन-किन शहरों को कितनी-कितनी धनराशि अलग-अलग १९५५-५६ व १९५६-५७ में दी गई?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--एक विवरण तालिका संलग्न है, जिसमें राज्य के भिन्न-भिन्न नगरपालिकाओं को १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में Water Supply and Drainage Schemes के लिये जो ऋण दिया गया है, दिखाया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६०८-६१० पर)

*१९--श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना हेतु केंद्रीय सरकार से कितनी धनराशि प्रदेशीय सरकार को उक्त दोनों वर्षों में अलग-अलग प्राप्त हुई थी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--उक्त योजना हेतु केन्द्रीय सरकार से, जो उक्त दोनों वर्षों में ऋण प्राप्त हुआ था वह निम्नलिखित है:--

१९५५-५६	३३७.५ लाख रुपया
१९५६-५७	४५.० लाख रुपया

बरेली जिले में सीमेंट का वितरण

*२०--श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उसने जिला बरेली को सन् १९५४-५५ व १९५५-५६ में कितना सीमेंट दिया है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--१९५४-५५ व १९५५-५६ में बरेली जिले में ५,००८ टन व ४,४२२ टन सीमेंट की प्राप्ति हुई।

*२१--श्री शिवराजबहादुर--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त सीमेंट के कोटे से जिले की तहसीलों को अलग-अलग कितना सीमेंट इन दो सालों के अन्दर दिया गया?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--तहसीलवार वितरण की तालिका मेज पर रक्खी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६११ पर)

श्री शिवराज बहादुर--क्या सरकार बतायेगी कि इसमें से कितना सीमेंट पब्लिक को दिया गया और कितना प्लानिंग के काम में लगाया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसका विवरण अलग से नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस सीमेंट का हवाला आपने दिया उसमें से कितना शहर वालों को दिया गया और कितना देहात वालों को ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--शहर वालों को १९५४-५५ में ३,६८८ टन और १९५५-५६ में २,५५२ टन सीमेंट दिया गया और बाकी देहात को दिया गया ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली में जितन सीमेंट का कोटा आता है, उसमें से कितना कोटा पब्लिक के लिये फिक्स्ड है और कितना प्लानिंग के लिये फिक्स्ड है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसका अलग से विवरण नहीं है मेरे पास इस के लिए सूचना चाहिये ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो देहात को सीमेंट दिया जाता है उसके बांटने की क्या एजेंसी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--अब तो उसकी एजेंसी तहसील के द्वारा है । तहसीलदार साहब उसको बांटते हैं । वैसे वहां भी एक मैटीरिअल एडवाइजरी कमेटी के निर्माण की बात है और उसकी सलाह से बांटा जायगा । वहां अब कुछ ऐसा किया गया है कि क्वार्टर का कोटा आने से १५ दिन पूर्व दरख्वास्तें ले ली जायं और उन पर क्रमशः आवश्यकता के अनुसार और दरख्वास्तों की असलियत की बिना पर इसका वितरण किया जाय ।

हरदोई जिले में डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन की ओर से चालू भट्ठे

*२२--श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में District Co-operative Development Federation की ओर से कितने और किस-किस स्थान पर ईंट के भट्ठे चल रहे हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--पांच । शाहाबाद, हरदोई, संडीला, शुक्लापुर और सांड़ी ।

*२३--श्री मोहनलाल वर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह भट्ठे D. C. D. F. हरदोई स्वयं अपनी देख-रेख में चला रहा है या ठेकेदारों को अलग-अलग ठेका दे रखा है और अगर ठेका दिया है, तो किस आधार पर ?

श्री मोहनलाल गौतम--फेडरेशन भट्ठे अपनी निगरानी में चला रहा है ।

*२४--श्री मोहनलाल वर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५६-५७ में कितनी गाड़ी कोयला का permit D. C. D. F. हरदोई की ईंट फूंकने को दिया गया और कितनी गाड़ी प्राइवेट भट्ठे वाले को दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम--फेडरेशन को ६४ गाड़ी और प्राइवेट भट्ठे वालों को १०० गाड़ी कोयला दिया गया ।

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं।

*३५--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)--[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

एटा में सड़कें न बनने की शिकायत

*३६--श्री राजेन्द्रसिंह (अनुपस्थित)--क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा की सड़कों का निर्माण सरकार क्यों नहीं करा रही है, जब कि निर्माण के अर्थ धनराशि उसे नगरपालिका से दी जा चुकी है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--नगरपालिका एटा को १९५३-५४ से १९५५-५६ तक क्रमशः ३०,००० रु० १०,२०० रु० तथा १२,५०० रुपया शासन द्वारा सड़क निर्माण हेतु दिया गया था, किन्तु उक्त नगरपालिका इस धन को व्यय करने में असमर्थ रही और उसने समस्त धन चीफ इंजीनियर स्वायत्त शासन विभाग को सड़क निर्माण-कार्य के लिये सौंप दिया, जिसकी सूचना जिलाधीश ने अभी हाल ही में दी है। चीफ इंजीनियर द्वारा सड़क निर्माण कार्य करने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

गोंडा जिले में पंचायतों का अपूर्ण चुनाव

*३७--श्री धर्मपाल सिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में कई पंचायत अदालतों का चुनाव अभी तक नहीं हो सका है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हां। ४२ पंचायत अदालतों का चुनाव अभी तक नहीं हो सका है।

मेरठ जिले में ईंट के भट्ठों को कोयला

*३८--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेरठ जिले में कितने ईंट के भट्ठों को गत वर्ष ईंट फूकने के लिये कोयला दिया गया?

श्री सैयद अलीजहीर--१९८।

आजमगढ़ जिले में सरकारी दूकानों पर सस्ता तथा बिक्री-कर-मुक्त अनाज बेचने की प्रार्थना

*३९--श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में कितनी सस्ते गल्ले की दुकानें खुली हैं और गल्ला वितरण की क्या योजना है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जिला आजमगढ़ की विभिन्न तहसीलों में खोली गई सस्ते गल्ले की दूकानों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

प्रत्येक दूकान से ३० मन गल्ला प्रतिदिन निम्नलिखित फुटकर दरों पर बेचा जाता है :--

गेहूं--२ सेर १० छटांक प्रति रुपया।

चना--३ सेर प्रति रुपया।

जौ तथा बेझर--३ सेर २ छटांक प्रति रुपया।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६१६ पर)

श्री विश्रामराय--क्या अन्न मंत्री गल्ले को सस्ता करने का उपाय करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सरकार का प्रयास तो है कि गल्ला और सस्ता हो, लेकिन आज की परिस्थिति में वह सस्ता हो सकेगा या नहीं यह कहना सन्देहात्मक है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या अन्न मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गेहूं २ सेर १२ छटांक से २ सेर १० छटांक क्यों कर दिया गया है?

श्री सैयद अली जहीर--इसकी वजह यह है कि जो खर्चा अनाज के लाने में होता था उसमें मुख्तलिफ जगहों पर कुछ फर्क हो जाता था। कहीं यह २ सेर १२ छटांक, कहीं २ सेर ११ छटांक और कहीं २ सेर १० छटांक पड़ता था। अब उसको एक कर दिया गया और वह करीब-करीब वही भाव है जो "नो प्राफिट नो लास" के बेसिस पर निकलता है। इसीलिये सब जगहों पर वह २ सेर १० छटांक कर दिया गया है।

श्री गेंदासिंह--बनारस में मेरठ से सस्ता गेहूं मिलता है यह सरकार ने मान लिया है और बनारस व आजमगढ़ में कम फर्क है, तो क्यों आजमगढ़ में गेहूं तेज भाव पर बिक रहा है ?

श्री अध्यक्ष--वह तो एक-सा ही भाव बतला रहे हैं। पहले आप पूछिये कि भावों में फर्क है या नहीं है।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि बनारस और आजमगढ़ के गेहूं के भावों में कितना अन्तर है ?

श्री सैयद अली जहीर--जो सरकारी दूकानें गेहूं की खुली हैं वे चाहे आजमगढ़ में हों या बनारस में सब पर एक ही निर्ख है। बाजार में कुछ अन्तर हो सकता है।

श्री गेंदासिंह--जो जवाब कुछ दिन पहले बनारस के संबंध में सरकार ने दिया था वह किस प्रकार का जवाब था, आम दूकानों के संबंध में था या सरकारी दूकानों के संबंध में ?

श्री अध्यक्ष--आपको क्या जवाब दिया था वह बतलाना होगा।

श्री गेंदासिंह--बनारस के संबंध में आम रेट का जिक्र करते हुए सरकार ने कहा था कि १६ रुपये से कम भाव में बनारस में गेहूं बिक रहा है तो आजमगढ़ में इस भाव में बिकवाने की वह कोशिश क्यों नहीं करती ?

श्री अध्यक्ष--१६ रुपये के हिसाब से ढाई सेर भाव आता है जबकि सरकार तो २ सेर १० छटांक के हिसाब से बिकवा रही है। इसलिये सवाल पैदा नहीं होता।

श्री झारखंडेराय--सरकार ने आदेश दिया है कि २ पंचायती अदालतों पर एक दूकान खोली जाय। इससे आजमगढ़ जिले में गड़बड़ी पैदा हो रही है और यहां से इस बात की मांग आई है कि ५ हजार या १० हजार की आबादी के ऊपर दूकानों का हिसाब रक्खा जाय ?

श्री सैयद अली जहीर--जहां तक दूकानों का ताल्लुक है वैसे तो आमतौर से यह आदेश दे दिया गया है कि २ पंचायती अदालतों पर एक दूकान खोल दी जाय, लेकिन जिलाधीशों को उसमें कुछ कमोबेशी करने के अख्तियारात दिये गये हैं। कहीं आबादी ज्यादा हो तो दूकान बढ़ा सकते हैं और कहीं आबादी कम हो तो २ पंचायती अदालतों के बजाय ३ पंचायती अदालतों पर एक दूकान खोल सकते हैं। गरज कि जैसी हालत हो उसके हिसाब से दूकानें खोली जा रही हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ में जो आज खाद्य स्थिति [illegible] हो रहे हैं [illegible] दूकानों की संख्या बहुत अपर्याप्त है, निकट भविष्य में और दूकान बढ़ाने का [illegible] किया जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर--जितनी अभी तक सूचना मेरे पास है, जो दूकाने खुली हैं वे काफी हैं और अगर १०-५ की और जरूरत है तो जिलाधीश को अख्तियार है कि वे खोल सकते हैं ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अकाल पीड़ितों में सस्ते गल्ले की जो [illegible] जाती हैं उनके साथ उनसे सेल्स टैक्स भी लिया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर--सेल्स टैक्स अगर लिया जाता है सूबे में, तो उनमें जरूर लिया जाता होगा ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह दो पंचायती अदालतों पर जो एक दूकान खोलने की इजाजत दी है, उसी हिसाब से गल्ला भी बढ़ाया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, इसके जवाब में कहा गया है कि फी दूकान ३० मन गल्ला रोज दुकानों को दिया जा रहा है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अकाल पीड़ित क्षेत्रों में जो गल्ले की दूकानें खोली गयीं, उन [illegible] सेल्स टैक्स लिया जा रहा है, उसको माफ करने का वह कुछ विचार करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर--यह विचार मेरे मुताल्लिक तो है नहीं । यह तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो दूकानें मुकर्रर की गयी हैं वह किसी आबादी के [illegible] है या गल्ले की तादाद पर की गयी हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--दोनों बातों का लिहाज रखा गया है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेल्स टैक्स माफ कराने की दृष्टि से माननीय अर्थ मंत्री और [illegible] प्रस्ताव रखेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर--[illegible] होगा । सारे मामले आपके सामने [illegible] सेल्स टैक्स का मामला भी आता है, [illegible] और [illegible] लेजिस्लेचर जैसा तय करता है वैसा होता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों में कौन-सी तादाद सही है कि आजमगढ़ जिले में सूचना में १८२ दूकानों की तादाद है और खाद्य स्थिति पर जिस दिन बहस हुई थी, उस दिन बताया गया कि २१३ दूकानों की तादाद है दोनों में कौन सही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--प्रश्न का जवाब जब आया उसके बाद कुछ और दूकानें बढ़ गयीं और अब २१६ हैं ।

श्री [illegible] आजमगढ़ जिले [illegible] गढ़ जिले के [illegible] ? [illegible] हां, तो [illegible] ?

श्री [illegible]

*४८—[illegible] (जिला [illegible])—[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*४९—[illegible] (जिला [illegible])—[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*५०—[illegible]—[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

[illegible]

*५१—[illegible] (जिला जौनपुर)—क्या सरकार तारीखवार ब्यौरा देने की कृपा करेगी कि जौनपुर के जिलाधीश [illegible] द्वारा सन् १९५६ में किस-किस को सस्ते गल्ले की दूकान दी गई [illegible] उनसे किस-किस कितना रुपया अल्प बचत योजना में लिया गया ?

श्री [illegible]—सन् १९५६ ई० में जौनपुर जिले में नियुक्त किये गये सरकारी सस्ते गल्ले के दूकानदारों की [illegible] सदन की मेज पर रख दी गई है।

सरकारी आज्ञाओं के विरुद्ध [illegible] के अनुसार प्रत्येक दूकानदार से २०० रुपया की नकद जमानत [illegible] के रूप में पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक एकाउण्ट में जमा [illegible]। चूंकि पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक एकाउण्ट अल्प बचत योजना का ही [illegible] है अतः इस प्रकार से जो धन जमा कराया गया वह अल्प बचत योजना के अन्तर्गत है।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ [illegible]—६१८ पर)

कुंवर [illegible]—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खाली जौनपुर शहर में १८ सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गयी हैं और इसकी पांच तहसीलों में भी १८ ही दूकानें खोली गयी हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो जरूरत के लिहाज से खोली गयी हैं।

राजा [illegible] दुबे—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर शहर में [illegible] गल्ले का थोक बाजार है तो उसमें सस्ते गल्ले की दूकान खोलने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री सैयद अली जहीर—यह सवाल तो माननीय सदस्य पूछ चुके हैं और जवाब भी दिया जा चुका है। जवाब यह है कि ऐसी जगह जहां गल्ले की दूकानें होती हैं वहां लोग गल्ला खरीदने के लिये आते हैं तो मुनासिब समझा जाता है कि यहां पर सस्ते गल्ले की दुकान हो, जिससे उनको अपनी जरूरत पूरी करने का मौका मिल जाया करे।

मैनपुरी—खुड़िया सड़क पर ईसन नदी के पुल की आवश्यकता

*४६—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के अन्दर मैनपुरी-खुड़िया सड़क पर परोख ग्राम के पास ईसन नदी पर वह पुल बनाने का विचार रखती है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

*४७--श्री गनेशचन्द्र काछी--यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री गिरधारीलाल--मैनपुरी-खुड़िया कच्ची सड़क है और इसको पक्का करने का कोई प्रस्ताव विभाग की योजना के अन्तर्गत नहीं है। अतः इस सड़क पर पुल बनाने का अभी कोई विचार नहीं है।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन नदियों को पक्की सड़क पार करती है उन पर पुल बनाने का विचार क्यों नहीं है ?

श्री गिरधारीलाल--धनाभाव के कारण।

टाउन एरियाओं के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी

*४८--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार टाउन एरियाओं का चुनाव कब तक करने का विचार रखती है ?

श्री रामस्वरूप यादव--टाउन एरियाओं का चुनाव अक्तूबर, १९५७ में कराने का विचार है।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यदि टाउन एरियाज के चुनाव अक्तूबर, १९५७ में हुए तो उसके लिये कोई तारीख निश्चित की गई है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव--टाउन एरियाज के चुनाव अक्तूबर, १९५७ में होंगे, लेकिन तारीख निश्चित नहीं की गई है।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो चुनाव होगा उसमें मेम्बरों और चेयरमैन का चुनाव साथ-साथ होगा या अलग-अलग होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव--मेम्बरों और चेयरमैन का चुनाव साथ-साथ ही होता है, यह नियम है।

श्री झारखंडेराय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो टाउन एरियाज सुपरसीड की गई हैं उनके चुनाव भी साथ ही होंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--अधिकतर टाउन एरियाज ऐसी हैं, जिनका समय समाप्त होता है उनमें चुनाव एक साथ ही होंगे। जिनका चुनाव समाप्त नहीं होगा उनके बारे में विचार किया जा रहा है। सम्भव है किसी में साथ ही हो और किसी में न हो।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोरी जाति को हरिजनों में शामिल कर लिया गया है तो कोरियों की वजह से संख्या बढ़ जाने से सीटें बढ़ाई जायंगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री मदन पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चुनाव की तारीख कब तक निश्चित हो जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--शीघ्र ही हो जायगी।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में अक्तूबर में जो नई टाउन एरियाज बनी हैं, उनका चुनाव हो चुका है तो क्या उनका भी चुनाव होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैं समझता हूं कि उनका चुनाव तो चार वर्ष का है, उनका चुनाव शायद नहीं होगा।

श्री मुकुटबिहारी अग्रवाल (जिला बाराबंकी)--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया और म्युनिसिपैलिटी के एलेक्शन साथ ही साथ रखे जायंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--ये चुनाव अक्तूबर, १९५७ में होंगे, तिथि में फर्क भी हो सकता है।

जुडीशियल तथा ग्रानरेरी मैजिस्ट्रेट जिला हरदोई की अदालतों के मुकदमे

*४९--श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई में कितने जुडीशियल तथा ग्रानरेरी मैजिस्ट्रेट है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--हरदोई जिले में ३ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट तथा ८ ग्रानरेरी मैजिस्ट्रेट हैं।

*५०--श्री बुलाकीराम--इनमें से प्रत्येक के पास १ जनवरी, १९५७ से ३१ मई, १९५७ तक कितने मुकदमे आये और कितने डिस्पोज आफ हो चुके हैं और कितने पेंडिंग हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--कृपया इस सम्बन्ध में संलग्न सूची देखें।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६१९ पर)

*५१--श्री बुलाकीराम--क्या इन मुकदमों की नेचर तथा संख्या देखते हुये इतने ग्रानरेरी मैजिस्ट्रेट एक छोटे से जिले के लिये नियुक्त कर देना वांछनीय है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां।

श्री बुलाकीराम--क्या न्याय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हमारे जिले में १,७३८ मुकदमें अब भी पेंडिंग हैं तो इनको जल्द फ़ैसल कराने के लिये कौन सी कार्यवाही की जा रही है ? क्या ग्रानरेरी मैजिस्ट्रेट ज्यादा एप्वाइंट किये जायेंगे या कोई दूसरी कार्यवाही की जायगी ?

श्री सैयद अलीज़हीर--ग्रानरेरी मैजिस्ट्रेट्स तो जैसी जिलाधीश जरूरत समझते हैं और सरकार से कहते हैं कि जरूरत है तो एप्वाइंट कर दिये जाते है। जो मुकदमें बाकी हैं उनके लिये कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द खत्म हों।

श्री सैयद अलीज़हीर--क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन मुकदमों में जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों ने कितने मुकदमे किये हैं और ग्रानरेरी मैजिस्ट्रेटों ने कितने किये हैं ?

श्री सैयद अलीज़हीर--सूची तो संलग्न है, उसमें सब लिखा हुग्रा है।

ग्रागरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों को प्राविडेंट फण्ड का न मिल सकना

*५२--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला ग्रागरा)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ग्रागरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जिन अध्यापकों की सेवाएं छावनी बोर्ड को ट्रान्सफर कर दी गई हैं उनका प्राविडेन्ट फन्ड अभी तक मिला है या नहीं ? ट्रांसफर कब हुग्रा था ?

श्री रामस्वरूप यादव--(क) जी नहीं। ट्रांसफर के समय जिला बोर्ड के खाते पूरे नहीं थे। अब वे १९५२-५३ वर्ष तक पूरे कर लिये गये हैं और अध्यापकों से फण्ड के ट्रान्सफर करने के लिये अनुमति ले ली गई है। छावनी बोर्ड से भी इसी प्रकार अनुमति मांगी गई है और जैसे ही उनकी अनुमति प्राप्त हो जायगी, रुपया छावनी बोर्ड को ट्रान्सफर कर दिया जायेगा।

(ख) सन् १९४८ में।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या [illegible] बतलाने की कृपा करेंगी कि खाते पूरे क्यो नही थे और १९५२–५३ तक के [illegible] ?

श्री [illegible]—जिला [illegible] की है। [illegible] के लिये सो सूचना की आवश्यकता है।

श्री श्री [illegible]—क्या [illegible] बतलाने की कृपा करेगी कि जो १९५२–५३ तक के [illegible] हैं उनके खाते पूरे करने में [illegible] ?

श्री [illegible]—उन खाते को [illegible] किया जायगा।

आगरा [illegible] बोर्ड के [illegible]

५३—श्री [illegible]—[illegible] आगरा छावनी बोर्ड के अध्यापक मण्डल द्वारा [illegible] ? इन प्रस्तावों में व्यक्त की गई अध्यापकों की [illegible] ?

श्री [illegible]—जी हां। [illegible] सरकार इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं [illegible] केन्द्रीय नियन्त्रण में है, अतः [illegible] आफिसर कमांडिंग इन-चीफ, ईस्टर्न कमाण्ड, [illegible] कार्यवाही [illegible] भेज दी गई थी और अध्यक्ष, आगरा छावनी बोर्ड [illegible] किया गया था।

[*५४—श्री श्रीकृष्णदत्त [illegible]—[२७ अगस्त, १९५७ के लिए स्थगित किया गया।]

फैजाबाद जिले में [illegible] की [illegible]

*५५—श्री देवी [illegible] (जिला फैजाबाद)—क्या राज्य सरकार ने केन्द्र का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि [illegible] की पुरानी रेलवे लाइन फिर बनवाई जाय ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां।

श्री देवीप्रसाद [illegible]—क्या [illegible] की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय बजट में इसका अनुदान होने पर भी [illegible] ?

श्री गिरधारीलाल—[illegible] मेरे पास इसका कोई जवाब नही है।

[*५६—श्री देवी [illegible]—[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।

*५७—श्री [illegible] (जिला [illegible]) ([illegible])—[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

मिर्जापुर में गंगा नदी पर पुल बनाने की [illegible]

*५८—श्री [illegible] (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मिर्जापुर नगर में गंगा नदी पर पक्का पुल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां।

टेहरी-गढ़वाल जिले में डी० एफ० ओ० टौन्स डिवीजन के कैम्प मजदूर लालदास की मृत्यु

*५९--श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)-- क्या यह सही है कि हाल ही में दिसम्बर सन् १९५६ के दर्मियान जिला टेहरी-गढ़वाल में डी० एफ० ओ० टौन्स डिवीजन ने पट्टी पंचगाई मल्ले पर्वत के ग्राम दारी से एक गरीब हरिजन को अपनी बेगार देकर जबर्दस्ती नदी पार करने को कहा और वह बेचारा उस नदी में बह कर मर गया?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह सच है कि २९ अक्टूबर, १९५६ को उन मजदूरों में से जो डी० एफ० ओ० टौन्स के कैम्प के सामान को ले चलने के लिये रक्खे गये थे उनमे से एक रूपिन नदी में बह गया और मर गया। औरों की तरह इसको भी मजदूरी पर रक्खा गया था और उसने अपनी इच्छा से उस मजदूरी का काम लिया था।

*६०--श्री सूरतचन्द रमोला--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह व्यक्ति कौन था और उस गरीब के परिवार को क्या कोई मुआवजा दिया गया?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--उस व्यक्ति का नाम लालदास था। उसके परिवार को कोई मुआविजा नहीं दिया गया, क्योंकि उसको सामयिक प्रकार के श्रम के लिये रक्खा गया था।

श्री सूरतचन्द रमोला--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस मजदूर को जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन की मजदूरी उसे दी गई?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मजदूरी तो बाद में दी जाती है, वह तो बेचारा आ नहीं सका, क्योंकि मर गया था।

श्री झारखंडे राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रश्न के सिलसिले में जो जांच की गई है वह डी० एफ० ओ० के पास भी भेजी गयी थी?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री सूरतचन्द रमोला--क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उसकी इत्तला पुलिस को भी दी गयी थी?

श्री सैयद अलीजहीर--जो जरूरी कार्यवाहियां होती हैं वे सब की गई होंगी। अगर पुलिस को इत्तला करना जरूरी होगा तो जरूर की गई होगी। इसके बाद पंचनामा वगैरह जो होता है मौके पर वह भी हुआ ही होगा।

*६१--श्री अमरेशचन्द्र पांडेय--[७ मार्च, १९५७ के लिये स्थगित किया गया]।

बुलन्दशहर जिले में पक्की की जाने वाली सड़कें

*६२--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बुलन्दशहर जिले की कौन-कौन सड़कें पक्की की जा रही हैं?

श्री गिरधारीलाल--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बुलन्दशहर जिले की पक्की की जाने वाली सड़कों का विवरण इस प्रकार है:--

१--शिकारपुर-बादरी १२ मील २ फर्लांग।

२--राजघाट-नरोरा ३ मील।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर जिले में सड़कों की कमी को देखते हुए दूसरे पंचवर्षीय आयोजन में और सड़कें लेने का विचार सरकार रखती है ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं, अभी कोई विचार नहीं है ।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्याना-अनूपशहर सड़क पक्की की जायगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

*६३--श्री रामचन्द्र विकल--[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*६४-६६--श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।)

गोरखपुर जिले के सिसवा बाजार की ड्रेनेज योजना

*६७--श्री मदन पांडेय--क्या गोरखपुर जिले की सिसवा बाजार, नौतनवा, पिपराइच, बड़हलगंज और गोला टाउन एरियाओं में ड्रेनेज सुधार की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री रामस्वरूप यादव--गोरखपुर जिले के केवल सिसवा बाजार में ड्रेनेज सुधार की योजना चीफ इंजीनियर, स्वायत्त शासन विभाग ने बनाई है । कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

*६८--श्री मदन पांडेय--यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू होगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--सवाल नहीं उठता । यह तो टाउन एरिया को तय करना है कि क्या वह इस योजना को कार्यान्वित कर सकती है या नहीं ।

*६९--श्री मदन पांडेय--इन योजनाओं पर व्यय क्या होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव--चीफ इंजीनियर स्वायत्त शासन विभाग ने जो ड्रेनेज योजना सिसवा बाजार के लिये बनाई है उसका तखमीना ४ लाख रुपये का है ।

श्री मदन पांडेय--क्या सरकार बतलायेगी कि चीफ इंजीनियर द्वारा निर्मित इस योजना के बनने पर कितना खर्च हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव--चीफ इंजीनियर की फीस टाउन एरिया से ली गई होगी। इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कुछ खर्च हुआ इस योजना पर उसके बाद भी इस पर विचार न करने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह योजना तो टाउन एरिया की प्रार्थना पर चीफ इंजीनियर ने बनाई थी और इसका व्यय टाउन एरिया को ही बरदाश्त करना है । या तो टाउन एरिया गवर्नमेंट आफ इंडिया से कर्ज लेकर इस योजना को पूरी करावे या स्वयं अपने रुपये से इसको पूरा करवा सकती है ।

श्री मदन पांडेय--प्रश्न ६९ के उत्तर में मंत्री जी ने बताया है कि लगभग ४,००,००० रुपये की लागत की यह योजना थी । तो इसका निर्माण करते वक्त ऐसी भी कोई योजना विचाराधीन थी कि जिसके अनुसार ड्रेनेज सुधार की योजनाओं में सरकार सहायता देती ?

श्री रामस्वरूप यादव--प्रांतीय सरकार के पास तो ऐसा कोई धन नहीं है कि जिससे वह सहायता दे सके।

श्री धनपति सिंह टण्डन, आनरेरी मैजिस्ट्रेट, शाहगंज बेंच, जिला जौनपुर की नियुक्ति पर आपत्ति

*७०--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्तियां किस आधार पर, किस परिस्थिति में और किसकी सिफारिश पर की जाती हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति जिला सेलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर वैतनिक मैजिस्ट्रेटों को शिकायती मुकदमों से मुक्त किये जाने के लिये की जाती है। उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा बनाये हुए नियमों के आधार पर होती है।

*७१--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की शाहगंज बेंच के अधीनस्थ जो लोग आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये हैं वे स्थानीय हैं और सभी शर्तों की पूर्ति करते हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--दो आनरेरी मैजिस्ट्रेट स्थानीय लोग हैं तथा तीसरे जौनपुर नगर के निवासी हैं और सभी शर्तों की पूर्ति करते हैं।

*७२--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की शाहगंज बेंच पर नियुक्त आनरेरी मैजिस्ट्रेट श्री धनपति सिंह टंडन जौनपुर नगर के निवासी और सरकारी सीमेंट के विक्रेता हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--श्री धनपत सिंह टंडन जौनपुर नगर के निवासी हैं और सीमेंट के लाइसेंसदार हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन क्वालीफिकेशन्स के आधार पर आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति होती है ?

श्री सैयद अलीजहीर--उनको क्या क्वालीफिकेशन्स हों यह तो गजट में शाया हो चुकी हैं, लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहें तो एक कापी में उनको दे दूंगा। उसको वह पढ़ लें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या कोई एजूकेशनल क्वालीफिकेशन्स भी आवश्यक होती हैं ?

श्री सैयद अलीजहीर--इसमें यह लिखा हुआ है कि :

"He shall have passed an examination equivalent to or higher than the High School examination and should be able to record evidence and write judgements in Hindi or English in his own hand, and be capable of appreciating the evidence and fo-ming a reasoned judgement:

Provided that the State Government may, in special cases, grant exemption from educational qualifications."

जो आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त हों वह या तो हाई स्कूल का इम्तहान पास हों या इस से कोई ज्यादा ऊंचा इम्तहान पास हों और हिन्दी में या अंग्रेजी में अपनी तजवीज अपने हाथ से लिख सकने की काबलियत रखते हों और इस के साथ उन में इतना माद्दा भी हो कि वह सही नतीजे पर पहुंच सकें। इसके साथ एक प्राविजो है कि स्टेट गवर्नमेंट को यह अख्तियार है कि अगर वह चाहे तो किसी को एजूकेशनल क्वालिफिकेशंस से मुस्तसना भी कर सकती है।

राजा [illegible] दुबे--[illegible] ने [illegible] एजूकेशनल क्वालिफिकेशन [illegible] है?

श्री [illegible]--[illegible] करते हैं लेकिन यह [illegible] है।

राजा [illegible] तहसील में यहां का [illegible]

श्री सैयद अलीजहीर--[illegible] नगर के निवासी [illegible] है।

श्री [illegible] आनरेरी मैजिस्ट्रेटी [illegible] होती है [illegible] प्रत्येक को [illegible]?

श्री [illegible]

राजा [illegible] दुबे--[illegible] सज्जन जौनपुर [illegible] दूर [illegible] इतनी दूर के [illegible]? [illegible] इस क्वालिफिकेशन का [illegible] नहीं किया?

श्री सैयद अलीजहीर--उनके [illegible] वह वहां रहते हैं।

राजा [illegible] दुबे--[illegible] क्या यह निश्चित पता है कि वह [illegible] में रहते हैं या जौनपुर की कोठी में रहते हैं?

श्री सैयद अलीजहीर--मैंने यह अर्ज किया कि [illegible] में वह बिजनेस करते हैं तो शायद इस [illegible] में वह वहां रहते भी होंगे।

कानपुर के कुछ मुहल्लों में पानी के निकास का प्रबन्ध न होने की शिकायत

*७३--श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मोहल्ला [illegible], [illegible]पुरवा, [illegible], परमपुरवा, छोटी जुही शहर कानपुर में ड्रेनेज (पानी के निकास) का समुचित प्रबन्ध नहीं है?

श्री रामस्वरूप यादव--यह ठीक है कि इन मुहल्लों में ड्रेनेज का समुचित प्रबन्ध नहीं है।

*७४--श्री भगवती सिंह विशारद--क्या सरकार को ज्ञात है कि उन्हीं मोहल्लों में ३ ऐसे तालाब हैं जो गन्दगी के भंडार हैं और इनसे वहां के रहने वालों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां।

*७५--श्री भगवती सिंह विशारद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त मोहल्लों में कितने सार्वजनिक शौचालय हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—इन मोहल्लो मे शौचालय निम्न प्रकार हैं।

मोहल्ला	शौचालयों की संख्या	(सीट सहित) सीटें
१—ढकनापुरवा	१	१६
२—ग्रबुरिहा	१	१६
३—नरमपुरवा	१	१६
४—जुही गढ़ा	१	१६
५—रत्तूपुरवा	२	१६

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय स्वशासन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन मुहल्लों में ड्रेनेज का समुचित प्रबन्ध नहीं है उन मुहल्लों के ड्रेनेज का पानी कहां इकट्ठा होता है?

श्री रामस्वरूप यादव—पहले वह हिस्सा टाउन एरिया मे था इसलिये पहले वहां पानी का प्रबन्ध नहीं था, गड्ढे थे और उन गड्ढों में पानी भर जाता था लेकिन अब भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि उन गड्ढों से पानी जल्द से जल्द निकल सके। इसके लिये उचित प्रबन्ध किया जा रहा है। इसके अलावा सीवर लाइन डालने की भी कोशिश की जा रही है जिससे वहां गन्दगी न रहे।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या यह सही है कि यह तीन तालाबों मे जो पानी भरता है उससे शहर भर की गन्दगी उन तालाबों में भर जाती है उससे और वहां गंदगी फैलती है?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं, ऐसा नहीं है। न वहां पर गन्दगी भरी रहती है। उनको साफ रखने के लिये, जिससे पानी जमा न हो, तोड़ा जा रहा है।

*७६—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—[५ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*७७-७८—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

देवरिया जिले के बाढ़ पीड़ित इलाके में सीमेण्ट, लोहा, कोयला तथा जी० सी० शीट्स का वितरण

*७९—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५६-५७ में देवरिया के बाढ़ पीड़ित इलाके में कितना सीमेंट, लोहा, कोयला, तथा G. C. Sheets का वितरण हुआ है?

श्री सैयद अलीजहीर—सन् १९५६-५७ में देवरिया जिले के बाढ़ पीड़ित इलाके मे १२,५८० बोरी सीमेन्ट, २१ टन छड़, ४२ टन जी० सी० सीट तथा ४,९३८ टन कोयला बांटा गया।

इटावा जिले की औरैया म्युनिसिपैलिटी जल कल सहकारी समिति को सहायता देने की प्रार्थना

*८०—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले की औरैया म्युनिसिपैलिटी जल-कल सहकारी समिति को सरकार ने सन् १९४८ में यह आश्वासन दिया था कि उक्त सहकारी समिति द्वारा १ लाख रुपये का प्रबन्ध किये जाने पर सरकार उक्त म्युनिसिपैलिटी में बिजली सप्लाई के प्रबन्ध में पूरी मदद करेगी?

नोट—तारांकित प्रश्न ७५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

सहकारिता मंत्री श्री मोहनलाल गौतम--जी नहीं।

*८१--श्री भजनलाल--क्या यह सही है कि उक्त समिति ने अब तक छः लाख रुपया उक्त सम्बन्ध में खर्च कर दिया है और सरकार की ओर से अब तक कोई सहायता नहीं दी गई है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां, लेकिन सरकार अभी इस पर विचार कर रही है कि सोसाइटी को आर्थिक सहायता दी जा सकती है या नहीं।

जिला सहकारी अधिकारी, टेहरी-गढ़वाल का डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन के सेक्रेटरी का काम करना

*८२--श्री सूरतचन्द रमोला--क्या यह सही है कि जिला टेहरी-गढ़वाल के जिला सहकारी अधिकारी District Co-operative Federation के सेक्रेटरी का कार्य अपने आप कर रहे हैं और यदि यह सही है, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां। असाधारण परिस्थिति में अथवा जिस जिले में सहयोग आन्दोलन अपनी प्रारम्भिक अवस्था में हो, वहां सरकारी अधिकारी को सहकारिता की किसी भी संस्था का सेक्रेटरी नियुक्त किया जा सकता है।

प्रेसीडेंट, नोटीफाइड एरिया कमेटी, रामनगर के विरुद्ध शिकायतों की जांच रिपोर्ट

*८३--श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार को विदित है कि प्रेसीडेंट नो० ए० कमेटी, रामनगर के विरुद्ध प्रेषित शिकायतों पर नायब तहसीलदार, रामनगर ने अपनी जांच की रिपोर्ट विगत २ जून, १९५६ को ए० डी० एम०, नैनीताल को प्रेषित की थी ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रेसीडेंट के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--प्रेसीडेंट नोटीफाइड एरिया कमेटी रामनगर के विरुद्ध शिकायतों पर जांच पेशकार रामनगर द्वारा की गई थी। उनकी जांच रिपोर्ट आधार पर डिप्टी कमिश्नर इंचार्ज कुमायूं डिवीजन द्वारा म्युनिसिपल ऐक्ट, १९१६ की धारा ४८ (२) के अधीन प्रेसीडेंट पर आरोप लगाते हुये उनका स्पष्टीकरण मांगा गया था, जो प्राप्त हो चुका है। प्रेसीडेंट के स्पष्टीकरण पर सब डिवीजनल आफिसर काशीपुर के विचार मांगे गये हैं जिनके प्राप्त होने पर अन्तिम आदेश दिये जायेंगे।

चुनार, जिला मिर्जापुर में नजूल की भूमि से किसानों की बेदखली की शिकायत

*८४--श्री राजकुमार शर्मा--क्या सरकार को पता है कि चुनार नगर, जिला मिर्जापुर में सरकारी नजूल की भूमि से, जिसे किसान वर्षों से जोतता चला आता है वह प्रति वर्ष बिना कारण बेदखल किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को उस भूमि पर नियमतः स्थायी अधिकार देने पर विचार कर रही है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जिला सहकारी संघ, देवरिया द्वारा भट्ठों के लिए कोयले का भाव न निश्चित करना

*८५--श्री उग्रसेन--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सहकारी संघ, देवरिया द्वारा जो सहकारी भट्ठों को कोयला दिया जाता है उसका रेट प्रति टन अभी तक निश्चित नहीं किया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां। रेट अभी तक निश्चित नहीं किया गया है।

जिला बोर्ड, नैनीताल को अनुदान

*८६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बोर्ड, नैनीताल को सन् १९५५–५६ एवं १९५६–५७ में कितनी धनराशि सरकार द्वारा दी गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—वांछित सूचना माननीय सदस्य की मेज पर एक तालिका के रूप में रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ६२० पर)

आजमगढ़ जिले में मधुवन-बिल्थरा रोड में ली गयी जमीन का मुआवजा न मिलने की शिकायत

*८७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मधुवन-बिल्थरा रोड, जिला आजमगढ़ की सड़क के निर्माण के लिये जो भूमि ली गई है, उसका मुआवजा अब तक किसानों को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल—सूचना एकत्र की जा रही है।

बदायूं जिले में धनारी–भराउटी सड़क पर महावा नदी का पुल टूटने से कष्ट

*८८—श्री जमुनासिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बदायूं जिले की गिन्नौर तहसील में धनारी-भराउटी सड़क के मध्य महावा नदी पर पुल टूट गया है और परिणामस्वरूप तहसील की जनता को भारी कष्ट है ?

*८९—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह इस पुल के पुर्निर्माण के हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सूचना एकत्र की जा रही है और एकत्रित होने पर दी जायगी।

हल्द्वानी-भावर, जिला नैनीताल में स्वच्छ जल का अभाव

*९०—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हल्द्वानी भावर, जिला नैनीताल में स्वच्छ पीने के पानी की भारी कमी को दूर करने के हेतु वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सूचना एकत्र की जा रही है।

गोंडा जिले की बलरामपुर तथा उतरौला तहसीलों में सड़कों का निर्माण

*९१—श्री धर्मपाल सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रथम पंच वर्षीय योजनान्तर्गत जिला गोंडा की बलरामपुर तथा उतरौला तहसीलों में कितनी सड़कें कच्ची तथा पक्की बनाई गई है ?

श्री गिरधारीलाल—यह सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखी सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ६२१ पर)

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड शाहजहांपुर के अध्यापकों को वेतन-वृद्धि न मिलना

*९२—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड शाहजहांपुर के अध्यापकों को १९४७ की पे कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वेतन में वृद्धि करने का आश्वासन दिया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं। सरकार ने १९४७ की पे कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक अप्रैल, १९४९ से सभी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये जिनमें अध्यापक भी सम्मिलित हैं संशोधित वेतन क्रम लागू किये थे, किन्तु इस विषय में आर्थिक सहायता सम्बन्धी कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। शाहजहांपुर जिला बोर्ड ने ये नये वेतन क्रम १९५१ से लागू किये।

*९३—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार ने अध्यापकों की उपरोक्त वृद्धि को पूरा करने के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड शाहजहांपुर को १९५० से तीन बार विशेष रकमें प्रदान की हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां।

*९४—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को यह मालूम है कि अब तक अध्यापकों की वृद्धि की कोई भी रकम उनको नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार अध्यापकों को सन् १९५१ से निर्धारित वेतन क्रम दिये जा चुके हैं।

हमीरपुर जिले में राठ-महोबा सड़क पर छनेसर नदी के पुल निर्माण की योजना

*९५—श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर जिले में राठ-महोबा सड़क पर छनेसर नदी का पुल बनाने की कोई योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां।

*९६—श्री डूंगरसिंह—यदि है, तो वह कब स्वीकृत हुई, और अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गिरधारीलाल—इस पुल का निर्माण इसी अप्रैल में स्वीकृत किया गया है। वर्षा के समाप्त होते ही कार्य आरम्भ किया जायगा।

*९७—श्री प्रतापसिंह—[५ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

झांसी जिले की ललितपुर महरौनी तहसील में सड़कों की कमी

*९८—श्री गज्जूराम—क्या यह सच है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला झांसी, तहसील ललितपुर महरौनी में निर्माण विभाग द्वारा कोई भी नई सड़कें नहीं बनाई गई हैं ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां, परन्तु २२ मील ५ फर्लांग लम्बी ललितपुर-महरौनी सड़क का पुनः निर्माण २ लाख ५१ हजार रुपये की लागत पर किया गया है।

*९९—श्री गज्जूराम—क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में पर्याप्त सड़कें न होने के कारण डकैतियां, चोरी, राहजनी, कत्ल आदि अधिक होते हैं और सरकार शासन की व्यवस्था रखने में कठिनाई अनुभव करती है ?

श्री गिरधारीलाल---इस सम्बन्ध में जिलाधीश झांसी से रिपोर्ट मांगी गई है और वह अभी अपेक्षित है।

हमीरपुर जिले की मौदहा टाउन एरिया में गन्दगी को दबाने का प्रबन्ध न होना

*१००---श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि मौदहा, जिला हमीरपुर में टाउन एरिया कमेटी ने गन्दगी जमींदोज कराने के लिये कहीं पर गड्ढे आदि नहीं खुदवाये हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---जी हां।

बलिया-गाजीपुर सड़क पर मंगई नदी के पुल निर्माण का आयोजन

*१०१---श्री मान्धाता सिंह (जिला बलिया)---क्या सरकार को पता है कि मंगई नदी (बलिया) पर पी० डब्ल्यू० डी० का पुल बलिया-गाजीपुर सड़क पर गत बाढ़ में बिलकुल टूट गया है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त पुल को बनाने का विचार रखती है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---प्रथम भाग---जी हां।

द्वितीय भाग---पुल का सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा डिजाइन तैयार किया जा रहा है। कार्य का आगणन तैयार होने पर पुल के निर्माण के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

रुड़की-बद्रीनारायण मार्ग पर पुलों को चौड़ा करने की प्रार्थना

*१०२---श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या सरकार का विचार रुड़की-बदीनारायण मार्ग पर व्यवस्थित धनौरी, पथरी, रानीपुर, मुसवा तथा सौंख नदियों के वर्तमान पुलों को चौड़ा करने का है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल---सौंख नदी पर पुल को चौड़ा करने का प्रस्ताव द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है तथा इसी अवधि में कार्यारंभ होगा। पथरी व रानीपुर के पुलों का प्राक्कलन भारत सरकार के विचाराधीन है। शेष पुलों के निर्माण का इस समय कोई विचार नहीं है।

*१०३---श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या सरकार का विचार हरद्वार में गंगा नदी पर सड़क का पक्का पुल बनाने का है ? यदि हां, तो तब तक ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग---जी नहीं।

द्वितीय भाग---प्रश्न नहीं उठता।

पीलीभीत जिले की बीसलपुर तहसील से जंगलात के हुकूक के लिए प्रार्थना-पत्र

*१०४---श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला पीलीभीत में तहसील बीसलपुर के कुछ ग्रामवासियों ने वहां के एस० डी० ओ० को अपने जंगलात से हुकूक के पाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो किन तारीखों को ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं। कुछ प्रार्थना-पत्र- मिडनर रुहेलखंड डिवीजन और कंसरवेटर, ईस्टर्न सर्किल के पास आये थे।

१९५६—५७ मे विदेशी खाद्यान्न का आयात तथा वितरण

*१०५——श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)——क्या पूर्ति मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में कितने रुपये का खाद्य सरकार ने विदेश से मंगाकर इस प्रदेश मे वितरित करवाया ?

श्री सैयद अली ज़हीर——वित्तीय वर्ष १९५४—५५ तथा १९५५—५६ मे कोई विदेशी खाद्यान्न वितरण के लिये नहीं मंगाये गये। वित्तीय वर्ष १९५६—५७ मे २,५७,७६८ टन विदेशी गेहूं लगभग ९,८२,३८,२५२ रुपये का प्राप्त हुआ, जिसमे से २,३९,२५२ टन मार्च १९५७ के अंत तक वितरित किया गया।

अतारांकित प्रश्न

कानपुर पथ-परिषद् को दिया गया धन

१——श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)——क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर पथ-परिषद् को मार्च सन् १९५६ मे मार्च, १९५७ तक कुल कितना रुपया दिया गया है और किस आधार पर ?

श्री मोहनलाल गौतम—२१,५१७ रु० जिसमें से १२,६१३ रु० अनुदान और ८,६०४ रु० ऋण के रूप में है जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित ६० तथा ४० प्रतिशत के आधार पर है। यह रकम यन्त्रों आदि की शक्ल में दी गई थी, नकद नहीं।

२——श्री बलवानसिंह——क्या उपर्युक्त संस्था घाटे मे चल रही है ? यदि हां, तो क्यों और स्थिति को सुधारने में सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम——जी नहीं।

ट्रांस घाघरा-राप्ती-गंडक क्षेत्र में घाघरा राप्ती इत्यादि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष——एक काम रोको प्रस्ताव श्री मदन पांडेय ने भेजा है जिसमे वे कहते हैं कि "घाघरा, राप्ती और बड़ी गंडक तथा उनकी सहायक नदियों के बाढ़ के कारण राज्य के ट्रान्स-घाघरा-राप्ती-गंडक क्षेत्र मे व्याप्त अन्नाभाव, चारे की कमी तथा विभिन्न बीमारियो के कारण इस क्षेत्र के लोगों का जीवन विपन्न हो उठा है। विशेषकर गोरखपुर जिले की महाराजगंज-फरेन्दा तहसील का उत्तरी और पूर्वी भाग और सदर इत्यादि का बहुत बड़ा भाग इन नदियों के जल से ढक गया है इत्यादि-इत्यादि"। यह बड़ा सा प्रस्ताव है जो वहां की परिस्थिति बताता है। बाढ़ें तो हर साल प्रान्त मे आती हैं और एकाध दिन उस पर बहस हो जाती है। अगर एक-एक या दो-दो जिलों के बारे में बहस होने लगे तो उससे सारी परिस्थिति का, पूरे प्रान्त का, कोई पता सदन को नहीं चलता। इस समय तक अन्न के बारे में बहस हो चुकी है, लेकिन बाढ़ के बारे मे नहीं हुई है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)——अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा, बरसात के मौसम में हमारे प्रदेश को जिलों में इस तरह की कुछ न कुछ बात होती ही रहती है कि नदियों में पानी बढ़ जाने से गांवों के लोगों को कठिनाई होती है। काम रोको प्रस्ताव लाकर हर जिले की बाबत बहस होने से तो काम चलना मुश्किल हो जायगा। अभी तक हमारे प्रदेश में सौभाग्य से वैसी हालत नहीं हुई है जैसी कि पिछले साल या उससे पहले हो गई थी, तो इस प्रकार का प्रस्ताव प्रीमेच्योर है। लेकिन अगर दुर्भाग्य से पानी बढ़ा तो हम खुद इस बात को पसन्द करेंगे कि एक दिन इस पर पूरी तरह से विचार हो जाय।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--मैंने गत ५ अगस्त को भी इसी आशय का एक प्रस्ताव रखा था। लेकिन उस दिन कहा गया कि जिला मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट से मालूम होता है कि वहां बाढ़ बिल्कुल नहीं है। इस बीच में उस इलाके में गया था। कांग्रेस के लोग भी लखनऊ से गोरखपुर गये होंगे। सहजनवां से गोरखपुर का १० मील का पूरा हिस्सा पानी से ढका हुआ है और उसके फलस्वरूप लगभग २ दर्जन गांवों के लोग पेड़ों पर निवास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--यह ठीक है, आपने सूचना दे दी। मैं समझता हूं कि मैं इसमें आपकी ही मदद कर रहा हूं। वैसे अन्न मंत्री जी का अनुदान कल आने ही वाला है तो उस समय आप कह सकेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी अगस्त का महीना है और पानी और बरस सकता है। हम लोग आशा अवश्य करें कि पूर्वी जिलों में बाढ़ न आवे, लेकिन यह हमारे हाथ में नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है कि अगर बाढ़ का सिलसिला बढ़ा तो उस पर एक रोज बहस हो जायगी। इसलिये आपकी इच्छा की पूर्ति के लिये मैंने रास्ता निकाल लिया है। वैसे आज यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता।

गोरखपुर जिले में अभिकथित भुखमरी की स्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--दूसरा प्रस्ताव श्री अब्दुल रऊफ लारी का है। यह पूर्वी जिलों में विशेषकर गोरखपुर, फरेन्दा तहसील में भुखमरी की स्थिति की ओर ध्यान दिलाने की जरूरत के बारे में है। इस विषय में अन्न की कमी के बारे में बहस हो चुकी है और कल भी इस पर बहस हो सकती है। इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं।

*टेहरी-गढ़वाल राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, १९५६, के अन्तर्गत आलेख्य आदेश

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से टेहरी-गढ़वाल राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम १९५६, की धारा २ के अन्तर्गत जिला टेहरी-गढ़वाल के कुछ रेवेन्यू आफिशियल्स को थाने के आफिसर इन्चार्ज के अधिकार देने के सम्बन्ध में आलेख्य आदेश को उक्त अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

*यू० पी० पंचायत राज नियमावली में प्रख्यापित संशोधन

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)--अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० पंचायत राज नियमावली के नियम १७४ के वाक्य-खण्ड (घ) में पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या १९५७-प। ३३--२६-५७, दिनांक ११ मई, १९५७ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*छापे नहीं गये।

विभिन्न विरोधी दलों के लिए कमरों की व्यवस्था

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, नये चुनाव के बाद नई विधान सभा की बैठक प्रारम्भ होने पर आपने आश्वासन दिया था कि सदन की विरोधी पार्टियों को कमरे दिये जावेंगे; लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को अभी तक कोई कमरा नहीं मिला है। आपके यहां से, जहां तक मैं पता लगा सका हूं, इसके आदेश भी जा चुके हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन मिला था कि कमरा मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक कमरा नहीं मिला है। मालूम नहीं कि फाइल या कागज कहां पर रुका हुआ है। मैं चाहूंगा कि इस सिलसिले में अगर जल्दी हो सके और हमारी दिक्कत दूर हो सके तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष---आपने अचानक सवाल कर दिया। आप मुझसे जिक्र करते तो मैं फाइल निकलवा कर देख लेता कि स्थिति क्या है। सेक्रेटरी यह सूचना देते हैं कि वह मुख्य मंत्री जी के पास भेज दी गई है, किसी स्टेज पर। इसके बारे में मैं जानकारी प्राप्त करके कल उत्तर दूंगा।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को भी आफिस के लिये कोई कमरा नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष---झारखंडे राय जी ने यह नहीं कहा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को मिल गया है, इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता है।

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---हमको यह अपील करनी है कि हरिजन अनुदान आज पहले ले लिया जाय और उसके बाद विकास योजना को लिया जाय। कल विरोधी दल की ओर से जो रखा गया, उससे मैं देखता चला आ रहा हूं कि हरिजन समाज का वहां समाज में बहिष्कार किया जा रहा है, इस सदन में भी ऐसी प्रवृत्ति होती जा रही है।

श्री अध्यक्ष---कल आप यहां मौजूद थे क्या ?

श्री गंगाप्रसाद---कल मैं चला गया था। विरोधी दल के लोगों से भी पता कर लिया है और वे लोग इस पर राजी हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर वह पहले ले लिया जाय एक घंटा इस पर और बाकी समय प्लानिंग पर और आगे हाउस का समय बढ़ जावेगा, जैसा कि कल निश्चय हुआ था।

श्री अध्यक्ष---मैंने मंत्री जी से कह दिया था कि शाम को लिया जायगा और उस समय आप समय भी बढ़ा सकते हैं।

श्री गंगाप्रसाद---बहुत से मेम्बर जो अपने सुझाव देना चाहते हैं, वे चले जावेंगे। माननीय विरोधी दल के नेता उस पर विचार करें कि कल प्रशासन पर बहुत-सी बातें कही जा चुकी हैं।

श्री अध्यक्ष---उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मंत्री जी ने कहा था कि आज के बजाय कल ले लेना चाहिये। तो यह निश्चय हो गया था कि कल शाम को होगा, यानी आज शाम को। अब इस समय मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं कि जिस कारण से उन्होंने यह बात कही थी उस पर समुचित प्रकाश डाल सकें। अगर वे होते, तो मैं उनसे पूछ कर आपकी इच्छा पूरी कर सकता। लेकिन वह सम्भव नहीं है। इसलिये जिनकी उक्त

अनुदान में दिलचस्पी ज्यादा है, उन्हें उसके लिये आज शाम बैठना चाहिये। शाम के ४ बजे वह शुरू होगा। उस समय आप बहस कर लें और चाहें तो समय बढ़ा लीजिये। इस प्रकार से एक घंटा समय आपको ज्यादा मिल जायगा।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)——अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग ५ बजे तक चलेगा। उसके बाद आप जितना समय चाहेंगे, आप को दे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष——मैं समझता हूं कि आप दो घंटे उस पर बहस कर सकेंगे। जैसी सदन की राय उस समय होगी, उसके हिसाब से यह हो सकता है। मैं समझता हूं कि डिप्टी स्पीकर साहब और अधिष्ठाता मंडल के जो सदस्य हैं, वे इसमें आपकी मदद करेंगे।

अनुदान संख्या ४३——लेखा शीर्षक ६३——क——युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३——ख——सामुदायिक विकास योजनायें——राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)——अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३——योजना और एकीकरण——लेखा शीर्षक ६३-क——युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय और ६३——ख——सामुदायिक विकास योजनायें——राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य के अन्तर्गत ८,८४,४४,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७—५८ के लिये स्वीकार की जाय।

आज भी मेरा विचार तो यह है कि मैं बहुत ही शांति के साथ विवाद को, आलोचनाओं को और सुझावों को सुनूं और उनको सुनने के बाद, जो कुछ थोड़ा बहुत आवश्यक हो, वह सदन के सामने निवेदन करूं। फिर भी दो एक बातें हैं, जिनकी आरम्भ में भी चर्चा कर देना आवश्यक प्रतीत होता है।

एक थोड़ी सी गलतफहमी, इस सदन के माननीय सदस्यों को नहीं, लेकिन बाहर है और कुछ सरकारी विभागों में भी इस प्रकार की गलतफहमी मालूम होती है जैसे शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग आदि हैं, वैसे ही प्लानिंग विभाग भी है। केवल इस प्रदेश में ही नहीं, बल्कि केंद्र में भी और दूसरे देशों में भी, यही चीज देखी गयी है कि प्लानिंग विभाग की तरफ लोगों की बहुत सहयोग की भावना नहीं रही। लोगों को ऐसा लगा कि मानों और विभागों के ऊपर यह प्लानिंग का भी एक विभाग लाद दिया गया है, जो दूसरे विभागों पर हावी होकर उनको दबा देना चाहता है। लोगों को अपने मन से इस भ्रम को निकाल देना चाहिये प्लानिंग तो अपने देश में तरक्की करना चाहता है और वह भी एक ठीक ढंग से। एक ढांचा बना कर वह देश और प्रदेश की तरक्की करना चाहता है। जो हमारा एक संकल्प है, एक विचार है, उसी का प्रतीक यह प्लानिंग है। इसके अतिरिक्त यह और कोई चीज नहीं है। सभी विभाग, जो अलाहिदा अलाहिदा काम करते हैं वे एक नियंत्रित और संगठित रूप में आ जायें। बस इसका इतना ही मतलब है। इसलिये प्लानिंग का किसी विभाग के साथ मुकाबला नहीं होना चाहिये।

हमारी जो सैकिंड फाइव ईयर प्लान है उसकी पूरी तस्वीर भी इस प्लानिंग के बजट के अन्दर नहीं मिल सकती, क्योंकि उसका कुछ बजट शिक्षा विभाग के बजट के साथ है, कुछ इंडस्ट्री विभाग के बजट के साथ है और कुछ कृषि विभाग के बजट के साथ है। कुछ थोड़ा रुपया है, वह प्लानिंग के अन्दर रक्खा हुआ है। जब हम शिक्षा विभाग के बजट पर गौर करते हैं, इंडस्ट्री विभाग के बजट पर गौर करते हैं, या और ऐसे ही दूस-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

विभागों के बजट पर गौर करते ह, तो अक्सर माननीय सदस्य यह शिकायत करते ह कि अमुक चीज होनी चाहिये थी या अमुक चीज की कमी रह गयी और उनमें से बहुत सी बातों को हम स्वीकार भी करते हैं। बहुत सी शिकायतों के साथ हमारा पूरी तरह से सादृश्य भी होता है, लेकिन हमारा जो प्लानिंग है, उसकी सूरत भी हमारे सामने रहती है, पहली प्लान तो कुछ ठीक ढंग की प्लान नही थी। १५० करोड़ रुपये की बात थी जो होते-होते १९१ करोड़ रुपये की हो गयी थी। दूसरी प्लान जरूर प्लान कही जा सकती है जो जिलों में बनायी गयी और प्रदेश में उस पर गौर हुआ और इस तरह से ७३८ करोड़ रुपये की वह प्लान तैयार की गयी, लेकिन इसके ये मानी नहीं थे कि अगर यह ७३८ करोड़ रुपये की प्लान मंजूर हो जाती तो हमारे प्रदेश में जो कमी थी, जो मुसीबत थी, वह सारी कमी और मुसीबत दूर हो जाती। फिर भी हम अपने कदम को आगे बढ़ाते यदि ७३८ करोड़ रुपया हमको मिल जाता। मगर इसके साथ ही साथ हमको आपको इस बात को भी सामने रखना है कि महज रुपये की ही कमी नहीं है, बल्कि और भी काफी कमियां हैं जिनके बारे में मैं शाम को जिक्र करूंगा। लेकिन इस समय मैं जरा सा जिक्र कर देना चाहता हूं कि हमारे पास परसोनेल की भी कमी ह। जितने इंजीनियर्स हमको चाहिये वे हमारे पास नहीं है, जितने ओवरसियर्स हमारे पास चाहिये वे हमारे पास नही हैं, जितने डाक्टर्स हमको चाहिये उतने डाक्टर्स हमारे पास नहीं हैं, जितने शिक्षक हमको चाहिये उतने शिक्षक हमारे पास नहीं है। इस प्रकार के परसोनल को तैयार करने में भी काफी समय लगता है। एक डाक्टर को तैयार करने में करीब ५ वर्ष का समय लगता है, एक इंजीनियर को तैयार करने में भी इतना ही समय लगता है।

आज जो हमारे पास परसोनेल है, उस परसोनेल को देखते हुये हम समझते है कि अगर ७३८ करोड़ रुपया हमको मिल सकता तो, उसको खर्च करने मे दिक्कत होती भी लेकिन इतना जरूर है कि हम प्रदेश को जितना आगे बढ़ाना चाहते, बढ़ा सकते। मगर ७३८ करोड़ तो बहुत दूर की बात थी, घटते-घटाते प्लानिंग कमीशन का जो पहला मसविदा तैयार हुआ वह ३३८ करोड़ का हुआ। उसके ऊपर जो माननीय सदस्य पहले थे उनको याद होगा कि इस सदन मे चार रोज तक १८,१९,२० और २१ अक्तूबर, १९५५ को बहस हुई और जो मसविदा पास हुआ चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, उनमे कोई मतभेद नहीं था, सब की राय थी कि प्लानिंग अच्छी चीज है, लेकिन अपनी आवश्यकताओं को देखते हुये हमारी प्लानिंग तो ७३८ करोड़ की हो चुकी थी, जो कट कर सवा ३ करोड़ रह गया था। गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास जब प्लानिंग कमीशन की सिफारिश पहुंची तो उन्होंने उसको काट-काट कर २४८ करोड़ रुपया ही कर दिया। ७३८ करोड़ से हुआ सवा ३ करोड़ और फिर उसके बाद २४८ करोड़ ही रह गया। इस पर हमारे इस सदन मे बहस तो नहीं हुई, लेकिन हमारे यहां की जो प्लानिंग स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें इस पर २० मार्च को काफी बहस हुई और उसने इस संबंध में एक रिज्योलूशन पास किया। वह रिज्योलूशन काफी लम्बा कई पेज का है। वह रिज्योलूशन तथा जो प्लानिंग कमेटी मे बहस हुई, वह सारी सामग्री मेरे पास मौजूद है, उसको दिल्ली भेज दिया गया लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ। २४८ करोड़ को बढ़ा कर २५३ करोड़ कर दिया गया, लेकिन वह उस बहस की वजह से नहीं, जो प्लानिंग स्टैंडिंग कमेटी में हुई या इस सदन में हुई, बल्कि वहां कुछ ब्योरे की बहस करते-कराते खींच-खांच कर २५३ करोड़ हमारे यहां की प्लानिंग के लिये कर दिया गया। जाहिर बात है कि जिस काम को हम समझते थे कि ७३८ करोड़ में पूरा करेंगे वह २५३ करोड़ ही रह गया, तो जितनी हमारी कमियां हैं, जितनी हमारी जरूरतें हैं, उनकी पूर्ति किसी तरह से भी नहीं हो सकती। हम आप सभी चाहते हैं कि अपने प्लान को पूरा कर सके, लेकिन उसके पूरा होने में मुझे कुछ सन्देह मालूम होता है। इस संबंध मे मैं बाद मे जिक्र करूंगा कि पूरी

अनुदान संख्या ४३--लेखा शीर्षक ६३ क--युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३-ख--सामुदायिक विकास योजनाएं-राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य

तरह से इच्छा रहते हुए और पूरी तरह से अपने संकल्प पर दृढ़ रहते हुए भी उसको जिनके संबंध में माननीय सदस्य भी जिक्र निवेदन कर देना चाहता हूं कि किन कठिनाइयों और दिक्कतों की वजह से हमें इसमें सन्देह होता है कि २५३ करोड़ के काम को भी हम पूरा कर सकेंगे। उसको पूरा करने का हमारा संकल्प है, चाहे कोई किसी भी दल का हो, सभी चाहते हैं कि जो हमारा प्लान है वह पूरा हो सके और उसमें किसी तरह की रोकथाम न हो, लेकिन कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिनकी वजह से उसके पूरा होने में मुझे संदेह मालूम होता है। मैं चाहता हूं कि सब लोगों की जानकारी के लिये उसको आपके सामने रख दूं।

जैसे इस साल के लिये तय हुआ है कि हमारा यू०पी० का प्लान ५२ करोड़ का होगा जिसमें ३२ करोड़ रुपया तो गवर्नमेंट आफ इंडिया से आयेगा और २० करोड़ रुपया हम अपने यहां से निकालेंगे, लेकिन जो सूरत है, वह मैं फिर शाम को आपके सामने रखूंगा कि मुझको तो इसमें संदेह है कि ३२ करोड़ रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया से आयेगा या नहीं आयेगा और हम अपने यहां से २० करोड़ रुपया निकाल सकेंगे या नहीं निकाल सकेंगे। इन सब कठिनाइयों के होते हुए मैं ऐसा मानता हूं कि ये कठिनाइयां तथा और बहुत सी कठिनाइयां हैं और उन सब कठिनाइयों के होते हुए मैं ऐसा समझता हूं कि काम हुआ है, बहुत काम हुआ है और बहुत काम हो रहा है, लेकिन और ज्यादा काम हो सकता है, और ज्यादा काम होना चाहिये, और हम सब की कोशिश होनी चाहिये कि जो पैसा हमारे पास है, जो साधन हमारे पास हैं, उनका पूरा-पूरा उपयोग हो। वह तभी हो सकता है जब हम सब इस काम में पूरा सहयोग करें।

एक तरफ हमारा ध्यान बहुत कम गया है। हमारा जो संविधान है उसको देखते हुए हमारे यहां कोआपरेशन का बहुत ऊंचा स्थान होना चाहिये, लेकिन अनेक कारणों से हमें इस तरह जैसा ध्यान देना चाहिये वह हम न दे सकें। लेकिन हमने अब अपने यहां कोआपरेटिव की अलग मिनिस्ट्री कायम की है और उसके लिये अलग एक मिनिस्टर रखा है और हम आशा करते हैं कि हमारे सामूहिक जीवन में कोआपरेशन को जो स्थान मिलना चाहिये उसे वह स्थान देने में हम अब अधिक समर्थ हो सकेंगे।

केवल एक विषय की मैं और चर्चा करूंगा और वह इसलिये कि संभवतः बहुत से माननीय सदस्यों के दिमाग में वह चीज होगी। हमारे बजट में इस वक्त यह लिखा हुआ है कि प्रांतीय रक्षक दल के लिए बहुत कम रुपया रखा गया है और जो बजट की भाषा है उससे भी कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि प्रांतीय रक्षक दल तोड़ दिया जायगा। किफायत की दृष्टि से जहां और बहुत से प्रस्ताव हुए, वहां एक प्रस्ताव इस तरह का भी जरूर था और यह बात भी कुछ सही है कि बजट बनाते वक्त ऐसा खयाल हुआ कि यह एक ऐसी दिशा है जिस में कि किफायत करना संभव है, लेकिन उसके बाद हमने यहां देखा कि सभी विचारों के माननीय सदस्यों का ऐसा खयाल है कि प्रांतीय रक्षक दल के द्वारा बहुत से उपयोगी काम हुए हैं इसलिये उसको तोड़ना नहीं चाहिये। जब हम ने आम तौर से ऐसा विचार देखा तो मैंने सोचा और उचित समझा कि जो ख्याल माननीय सदस्यों का है उसके सामने हमें फिर सिर झुकाना चाहिये और हमें उसको स्वीकार करना चाहिये। इसीलिये हमने अब प्रांतीय रक्षक दल को तोड़ने का खयाल छोड़ दिया है। हमने उसके संबंध में विचार किया। हम अब उसको वह रूप देना चाहते हैं जोकि हम समझते हैं कि पहले से भी अधिक उपयोगी होगा। ब्योरा तो उसका बाद में बनेगा, लेकिन उसका जो खाका है मोटे तौर से उसका क्या रूप रहेगा, उसको मैं बताना चाहता हूं, यों कहा जा सकता है कि हमने अब प्रांतीय रक्षक दल के २ टुकड़े किये हैं, एक छोटा टुकड़ा और एक बड़ा टुकड़ा।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

आज से पहले इसी सदन में हम ने कई कानून पास किये हैं जिनको कार्यान्वित करने के लिये हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि समाज की सेवा के भाव से प्रेरित हों और साथ ही वे इस काम के करने के लिये काफी अधिकार की जगह में भी हों। खास तौर से इस समय मैं सदन का ध्यान उस कानून की ओर आकर्षित करता हूं जिस का ताल्लुक जुविनाइल आफ़ेंडर्स से है, मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह जरा अपनी स्मृति को ताजा करें तो उन्हें याद होगा कि एक कानून बना था कि जिन लड़कों के मां-बाप नहीं हैं या कोई देखने वाला गार्जियन नहीं है, मर गये हैं, या ऐसे लड़के हैं कि जिनके मां बाप या गार्जियन हैं लेकिन वह अपने उन बच्चों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कुछ करते नहीं हैं, और आवारगी में घूमते हैं, या कोई ऐसे बच्चे हैं कि जिनके माता-पिता उनको चोरी करने, बुरे कामों में या भीख आदि मांगने के काम में लगाते हैं, या कोई ऐसी लड़कियां हैं कि जिनके अभिभावक उनको बुरे पेशों में लगाना चाहते हैं, इस तरह के बच्चों पर कंट्रोल पाने के लिये और उनको बुराई से हटाकर अच्छे कामों में लगाने के लिये हमने वह कानून पास किया था। माननीय सदस्यों को संभवतः यह भी याद होगा कि इस कानून के संबंध में जो अधिकार दिये गये हैं, जो भी अधिकारी बनाये जायेंगे, वे इस तरह के लोगों के मकानों में जा सकते हैं लोगों को, गिरफ्तार कर सकते हैं, जो अपराधी हों कस्टडी में रख सकते हैं। तो इस तरह का जो काम है उसको करने के लिये अभी हमारी पुलिस में भी साधारणतः ट्रेनिंग नहीं है। जरूरत इस बात की है कि इस तरह के लोग हम अपने यहां ट्रेन करें, यह ऐसे लोग हों जिन में समाज सेवा की भावना हो।

(इस समय १२ बज कर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

प्रांतीय रक्षक दल में ऐसे लोग हैं कि जिन की ट्रेनिंग कुछ इस किस्म की है और वे बरसों से समाज सेवा का काम कर रहे हैं। एक पूर्व में, एक मध्य में और एक पश्चिम में-वाराणसी, लखनऊ और आगरा इन तीन जगहों में रक्षक दल, एक पुलिस का विंग बनाना चाहते हैं, जिसमें प्रांतीय रक्षक दल से ही लोग लिये जायेंगे। ऐसे ही लोग लिये जायेंगे जो प्रांतीय रक्षक दल में काम कर चुके हैं और उनके जिम्मे खास तौर से सोशल किस्म के काम जो पुलिस को करने चाहियें, रहेंगे। उनके पास क्राइम के इनवेस्टीगेशन का काम नहीं होगा। लेकिन जब पुलिस में रहेंगे तो ला ऐंड आर्डर के मेंटिनेंस की जिम्मेदारी उन पर जरूर होगी, लेकिन खास तौर से इस किस्म के कामों से पुलिस को वे रिलीव कर देंगे और यह काम उनके जिम्मे रहेंगे। आशा है कि ऐसा करने से समाज सेवा में और लोगों की भी रुचि बढ़ेगी। इस तरह से साढ़े चार सौ आदमी उसमें से ले लेंगे। इतना ही नहीं तीन जगह हम यह एक्सपेरीमेंट करते हैं हमारा यह विचार है कि आगे चल कर अगर इन जगहों में और संख्या बढ़ाने की आवश्यकता हुई तो बढ़ायेंगे और दूसरे जिलों में भी हम इसको करना चाहते हैं। उनमें भी जो भरती होगी या तो प्रांतीय रक्षक दल से होगी या इस किस्म की कोई और संस्था हो, जिसमें ट्रेनिंग भी होती हो और समाज सेवा का अभ्यास भी हो, प्रायः उन्हीं संस्थाओं से भरती करेंगे और वह एक पुलिस का विंग होगा।

बाकी रक्षक दल का जैसा काम चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। हम इससे आशा करते हैं कि यह विंग एक उपयोगी विंग साबित होगा। वहां जो काम करने वाले होंगे उनको समाज सेवा के काम करने का प्रोत्साहन भी मिलेगा और जो काम करने वाले हैं उनको स्थायी जीविका भी मिल जाती है। बाकी जो आज कल प्रांतीय रक्षक दल कार्य कर रहा है वह करता जायगा। कुछ किफायत इसमें जरूर होगी। वह इस तरह से होगी कि हेडक्वार्टर्स में किफायत की जा सकती है। जिलों में असिस्टेंट कमांडेंट्स हैं, उनके पद तोड़ने की जरूरत है। साथ ही जो एन० ई० एस० ब्लाक्स होने वाले हैं, उनकी संख्या आठ सौ से ऊपर होने वाली है। हम ऐसा करना चाहते हैं कि यह जो प्रांतीय रक्षक दल के क्षेत्र हैं वह एन० ई० एस० ब्लाक्स से मिलते जुलते हों तो कई बातों में सुविधा होगी। शुरू में यह ६७० के करीब होंगे।

यह थोड़े में हमारी स्कीम है। हम ऐसी आशा करते हैं कि यह जो हमने प्रांतीय रक्षक दल की बाबत सोचा है, सभी माननीय सदस्यों को पसन्द होगा। मैं समझता हूं कि इसके संबंध में कटमोशन भी आये हैं। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने थोड़े में चीज सामने रक्खी है, उसको सभी लोग पसन्द करेंगे और हमें इसका समर्थन मिलेगा और यदि समर्थन मिला, जैसी कि आशा है कि हमें जरूर मिलेगा, तो इस नयी स्कीम को महात्मा जी के जन्म दिन से यानी २ अक्टूबर से शुरू करेंगे।

इतना ही मैं कहना चाहता हूं और जो ग्रांट मैंने रखी है, आशा है कि सदन इसको जरूर स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसमें भाषण ग्यारह के लिये समय जो कल की ग्रांट पर था वही लागू रहेगा।

*श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने जो अनुदान संख्या ४३--योजना और एकीकरण--लेखा शीर्षक ६३--क--युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय और ६३--ख--सामुदायिक विकास योजनाएं-राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य के अन्तर्गत ८,८४,४४,६०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये पेश की है उस में मैं एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव आपकी आज्ञा से पेश करना चाहता हूं। कटौती का प्रस्ताव पेश करने का मंशा विभाग में फैली हुई गड़बड़ियों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना और उसकी आलोचना करना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इस सदन में वित्त मंत्री महोदय ने अपना बजट भाषण प्रारम्भ किया था तो उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार एक समाजवादी ढांचे के समाज का निर्माण करना चाहती है। उसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि वह दौलत के न्यायसंगत बटवारे की ओर अग्रसर होंगे और इस बात पर जोर दिया था कि लोगों की आमदनियों में जो बड़ा भारी अन्तर है वह कम किया जायगा। जब माननीय वित्त मंत्री द्वारा उनकी सरकार का एक नया समाज बनाने का, समाजवादी ढंग का समाज बनाने का मंशा बताया गया उसका हम यह अर्थ समझते हैं कि सरकार का जो लक्ष्य है उससे जो मांग है वह बहुत ज्यादा दूर है। जहां तक समाजवादी ढांचे की सरकार बनाने का प्रश्न है और इस बजट का जब मुकाबला करते हैं तो बहुत बड़ा अन्तर पाते हैं। अनुदान संख्या ४३ में ८ करोड़ रुपये से ऊपर रकम खर्च की जा रही है। उसमें से आधा रुपया ऐसा है जो सर्विसेज में खर्च किया जा रहा है। जैसा कि बजट के पेज ४८८ में है--(ख) प्रगाढ़ रूप से विकसित ब्लाक--इसको देखें तो मालूम होगा कि ३ लाख १३ हजार ६०० रु० रखा गया है, जिसमें से ५९ हजार ७०० रुपया आवर्त्तक और अनावर्त्तक है और शेष २ लाख ६३ हजार ९०० रुपया सर्विसेज के लिये रखा गया है। इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, "ब्लाक स्तर पर" इसमें जो रुपया रखा गया है वह ८० लाख ६ हजार २०० है, जिसमें से ३० लाख ७ हजार २०० रु० अनावर्त्तक, आवर्त्तक और सहायक अनुदान के रूप में निर्माण कार्य के लिये खर्च किया जायगा और ४६ लाख ८८ हजार ४०० रु० सर्विसेज पर खर्च किया जा रहा है।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, शीर्षक ६३--ख--राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजनाएं जो हैं उसमें २३ लाख ३० हजार १०० रु० खर्च किया जा रहा है, जिसमें से ११ लाख १३ हजार १०० रु० आकस्मिक व्यय और सहायक अनुदान में खर्च किया जा रहा है और १२ लाख १७ हजार रुपया सर्विसेज पर खर्च किया जा रहा है। इसी तरह से (ख) विकास योजनाएं--

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गजेन्द्र सिंह]

राष्ट्रीय प्रसार सेवा में साढ़े चार लाख रुपया नौकरों को देने के लिये रखा गया है, और ४७ हजार ९०० रुपया अनावर्त्तक और आवर्त्तक मांग के रूप में मांगा जा रहा है। इस तरह से अगर उपाध्यक्ष महोदय, पूरी डिटेल्स को देखें तो यह पता लगेगा कि अनुदान संख्या ४३ में ४ करोड़ से ज्यादा सर्विसेज पर खर्च किया जायगा और बाकी दूसरी मदों में खर्च किया जायगा। यह ४ करोड़ से ज्यादा जो रुपया खर्च किया जायगा, उसमें भी हम पाते हैं कि वित्तीय वर्ष के खात्मे के समय आगे चलकर एक दम से अनाप-शनाप बुरी तरह से रुपया खर्च कर दिया जाता है, क्योंकि उतना रुपया वित्तीय वर्ष के लिये मंजूर है। मेरा अपना यकीन है कि उसमें भी करीब १ करोड़ रुपया इस तरह से खर्च हो जाता है।

इसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार, करप्शन का जहां तक सवाल है वह हर एक विभाग में है। इसमें भी है। सरकार में ही नहीं, सरकार के बाहर, समाज के अन्दर भी भ्रष्टाचार है जिसको मानना पड़ेगा। उसके लिये भी सरकार ही दोषी हो, ऐसी बात नहीं है। हमारे समाज के ढांचे में ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है और इसको दूर करने के लिये हमको एक दूसरे ही तरीके से सोचना पड़ेगा। सर्विसेज पर लांछन लगाने से काम नहीं चलेगा लेकिन सरकार की वहां पर जिम्मेदारी आ जाती है जब आज जो भ्रष्टाचार का मूल कारण है, उसको अगर देखें तो पायेंगे कि जीवन की मांगे बढ़ चुकी हैं और उसी के साथ-साथ जो पैसे का मूल्य है, वह ज्यादा बढ़ गया है, इसी वजह से समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और किसी को समाज में इस बात की श्योरिटी नहीं है कि हमको रोटी, कपड़ा मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी। आज इस दौड़ में समाज दौड़ रहा है। इसकी वजह से ही समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार पर उस वक्त आ जाती है जब मौजूदा व्यवस्था को सरकार बदलना नहीं चाहती है। सरकार कहती जरूर है कि समाजवादी ढांचा लाना है, समाजवादी ढांचा लाने के बाद ही समाज में फैला भ्रष्टाचार दूर कर सकते हैं। जब तक आमदनियों में समानता नहीं लायेंगे, जब तक लोगों में पैसा पैदा करने की मनोवृत्ति को कम नहीं करेंगे और श्रम के मूल्यों का मूल्यांकन नहीं किया जायगा, तब तक समाज में भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है दूर नहीं किया जा सकता है। इसके दूर करने की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में भी भ्रष्टाचार की वजह से भी बहुत सा रुपया सरकार का व्यर्थ जाता है। इस तरह से समाजवादी समाज बनाने के लिये जो डिमांड की जा रही है, उसमें जो रुपया खर्च किया जा रहा है, वह उन गरीबों तक या उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम यह भी देखते हैं कि खाद, बीज तथा औजार से जो फायदा उठाया जाता है और इसमें जो पैसा खर्च किया जाता है उससे वही किसान फायदा उठा पाते हैं जो कि मालदार होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं। इसी तरह से जो किसानों को लोन दिया जाता है, वह लोन लेने में भी वही किसान फायदा उठाते हैं जिनके पास पैसा होता है, जिनकी हैसियत होती है। लिहाजा समाज का वह तबका जो अलाभप्रद जोतों वाला है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, और जिसकी तादाद बहुत ज्यादा है, वह सरकार के इस लोन से महरूम रहता है, ग्रांट से भी महरूम रहता है और इसके साथ-साथ खाद, बीज औजार और और भी तमाम चीजें जो एन०ई०एस० ब्लाक्स और पाईलट प्रोजेक्ट्स के द्वारा वितरित की जाती हैं उससे भी वह महरूम रहता है। उससे भी फायदा वही लोग उठाते हैं, जो प्रभावशाली होते हैं, पैसे वाले होते हैं, जिनकी तादाद गांवों में उंगलियों पर गिनी जा सकती है और समाज का तथा गांव का बहुत बड़ा तबका जो गरीबी और मुफलिसी में पड़ा हुआ है, तंग है, उसको कोई फायदा नहीं मिल पाता है। सरकार की योजनाओं से वह कोई फायदा नहीं उठा पाता। इस ओर सरकार ने कोई भी बजट का प्राविजन नहीं किया है कि ऐसे लोगों को भी जिनकी अलाभप्रद जोतें हैं, जिनकी हैसियत कम है, जिनको कर्जा नहीं मिल पाता है, जिनको बीज भी नहीं मिल पाता है उनको भी कुछ सहायता हो सके।

जब तक समाज के उस बड़े तबके को जो पद-दलित है, शोषित है, पीड़ित है, नेगलेक्टेड है उसके लिये कोई प्राविजन नहीं होता है तब तक हम कैसे माने कि यह सरकार समाजवादी ढांचे का समाज बनाना चाहती है।

यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, तालाबों और नदियों आदि में पंपिंग सेट्स और मशीनें लगाये जाने की योजनाएं हैं, जिसके लिये गत वर्ष ७५ हजार रुपया रखा गया था, उसके लिये अबकी बजट में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग का प्रशिक्षण जिस पर पिछले बजट में २३.९७,४०० रुपये की मांग थी, अबकी दफे उसके लिये भी कोई रकम नहीं रखी गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण बहुत ही जरूरी होता है। इस दिशा में अभी काफी काम करना चाहिए था। जब तक ए न हमारे क्षेत्रीय कर्मचारी शिक्षित और दीक्षित नहीं होंगे तब तक गवर्नमेंट की यह प्लानिंग कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन सरकार ने इसके लिये कोई रकम नहीं रखी है।

तालाबों और नदियों आदि पर पम्प लगाने या छोटी-छोटी प्रोजेक्ट योजनाओं पर, जिन पर पहले ७५ हजार रुपया रखा गया था अब की बार कोई भी रकम नहीं रखी गई है। इन छोटी-छोटी योजनाओं से भी समाज को काफी फायदा पहुंच सकता था, लेकिन सरकार इस ओर से उदासीन है। यही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बजट में इतना सारा रुपया नौकरशाही पर खर्च करके सरकार एक नौकरशाही की पल्टन जनता के बीच में और अपने बीच में खड़ी करना चाहती है। मेरा अपना यकीन है कि इस नौकरशाही को इन एन० ई० एस० ब्लाक्स और दूसरी सामुदायिक विकास योजनाओं से हटा लिया जाय तो पिछले सालों के अन्दर सरकार ने जो इमारत खड़ी की है वह सब की सब ढह जायगी और सारा काम समाप्त हो जायगा, क्योंकि यह नौकरशाही जनता के बीच में वह उत्साह पैदा करने में असफल रही है, जिसके द्वारा वह इन कार्यों में स्वतः रुचि ले, स्वतः उसका रुझान इसकी तरफ हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पैदावार में बढ़ोत्तरी की बात कही गई है। यह हो सकता है कि देश की बढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकता के लिये नयी-नयी जमीन तोड़ी गई और उस नयी जमीन के तोड़ने से टोटल पैदावार देश की बढ़ गई हो, लेकिन जहां तक इंडिविजुअल किसान की पैदावार का प्रश्न है, मेरा ऐसा यकीन है कि उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। अगर हुई है, तो उन किसानों में हुई है, जो ऊंचे किस्म के किसान हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय गोविन्दवल्लभ पंत यहां के मुख्य मंत्री थे, तो मैंने योजना एकीकरण पर कटौती का प्रस्ताव पेश किया था और सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये कहा था कि इटावा में जो पायलट प्रोजेक्ट योजना चल रही है, जिसके मुताल्लिक कहा जाता था कि वहां सोना उपजाया जा रहा है, वह गलत है और गलत तरीके से सरकारी कर्मचारी सरकार के मुख से ऐसी बात निकलवा रहे हैं। मेरे कहने पर एक डेपुटेशन मुकर्रर किया गया था। मैं स्वतः वहां गया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बतलाना चाहता हूं कि जिन-जिन गांवों में मैं गया वहां पहले से ही खबर लग गई। लिहाजा ऐसे किसान जो इस योजना से फायदा उठाते थे उनको इकट्ठा करके बयान दिलाया गया कि बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। मैं उस जिले का रहने वाला हूं। मेरे क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट योजना नहीं है। लेकिन ३०, ४० मील की दूरी पर वह योजना चल रही है। इंटीरियर में जाकर जब मैंने इंडिविजुली पूछा तो मालूम हुआ कि आम जनता के लोगों को इस योजना से कोई फायदा नहीं हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि सनई या दूसरे किस्म की खादों से लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन आलू की पैदावार की बढ़ोत्तरी की जो बात कही जाती है वह गलत

[श्री गजेन्द्रसिंह]

हैं। इन खादों को अमीर किसान ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी तादाद अंगुलियों पर गिनी जा सकती है। अधिकांश किसान गरीब हैं, जो पैसे के अभाव के कारण इन चीजों से महरूम हैं। हो सकता है कि पूरे सूबे की पैदावार बढ़ी हो, लेकिन इंडिविजुअली नहीं बढ़ी। इसमें सरकार को कोई श्रेय नहीं है। अगर बढ़ती हुई आबादी को जिन्दा रहना है, तो उसे काम करना है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो आंकड़े पेश किये जाते हैं और जिस तरह इकट्ठे किये जाते हैं उनकी कहानी अजीब है। अधिकतर आंकड़े तहसीलों में लेखपाल या ग्राम सेवकों द्वारा बनवाये जाते हैं। वे छोटी हैसियत के आदमी होते हैं। मैं उनकी ईमानदारी पर अटैक नहीं करता, लेकिन वे बेचारे असहाय हैं। ग्राम सेवकों को जो ट्रेनिंग जिस एटमास्फियर में दी जा रही है उसमें आप इस देश को डेवलप नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे डेवलपमेंट विभाग के जो कर्मचारी गांव में जाते हैं उनकी वेशभूषा और भाषा गरीब किसानों की वेशभूषा और भाषा से भिन्न होती है। अगर आपको देहातों का डेवलपमेंट करना है तो ग्राम सेवकों को देहाती बोली में बात करनी होगी, किसानों की तरह उन्हें पहिनना-ओढ़ना होगा, तभी वे उनमें घुलमिल सकते हैं। अगर टोप, टाई, कोट पेंट पहिन कर किसानों के बीच में इन्हें भेज कर सरकार प्लान करना चाहती है और डेवलपमेंट करना चाहती है, तो गैरमुमकिन है, कभी ऐसा नहीं हो सकता है।

जहां तक ग्राम सेवकों का ताल्लुक है, वे जनता से बहुत दूर हैं। एवोल्यूशन रिपोर्ट वाल्यूम १, पृष्ठ २६ पर कहा गया है--

"In the last Evolution Report it had been observed that the role and functions of the Grama Sevak as they were actually emerging in the field were different from those visualized by the planners of the programme."

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं आगे इसमें कहा गया है:--

"Reports have come from a number of Evolution Centres that the Grama Sevaks do not have work; and spend a considerable proportion of their time at block headquarters and hat they donot visit villages and even when they do, confine their contacts to a few people whom they know well It is also reported that some of them are getting more 'official' in their behaviour and expect the villagers to come to their 'Offices' for their requirements."

उपाध्यक्ष महोदय, आगे फिर इसमें कहा गया है :--

"that the Grama Sevakas are developing a sense of frustration, do not quite know what to do with their time now that they do not have much constructino work to look to, and in any case feel that they would be ineffective because of the consideralily smaller volume of funds at disposal for disbursement to the villages"

श्री माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की जो रिपोर्ट है कि ग्राम सेवक जो हैं वह ठीक से अपनी ड्यूटीज को अदा नहीं कर पा रहे हैं, वह इसलिये नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी वेश-भूषा और भाषा दूसरे किस्म की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक रुपये के वेस्टेज का ताल्लुक है . . . .

श्री उपाध्यक्ष--नया विषय न लीजिये। समय समाप्त हो गया है।

श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

जहां तक इस पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, श्रीमन्, इसमें दो रायें नहीं हो सकती कि इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के पश्चात् प्रदेश की शक्ल बदल जायगी। हमारे प्रदेश में

जो इकोनामिक रिसोर्सेज है, वह डेवलप हो जायंगे, ह्यूमेन रिसोर्सेज डेवलप हो जायंगे और बहुत अंशों मे हमारी आय का एक तरह से बराबर डिस्ट्रिब्यूशन हो जायगा, बहुत हद तक हमारी 'पर्चेजिंग पावर' बढ़ कर हमारे स्टैंडर्ड आफ लिविंग को भी ऊंचा कर देगी। यह बहुत कुछ इस पंचवर्षीय योजना की सफलता पर अवलम्बित है।

एक प्रश्न जो इस समय सामने है, श्रीमन्, कि अब जबकि हम 'इम्पलीमेंटेशन फ़ेज' में चल रहे है तो उसका ढंग क्या हो? यह सब से बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। जब इस तरफ हम नजर उठाते है तो हम देखते है कि प्लानिंग से मासेज कुछ दूर हटती चली जा रही है। यह क्यों? इसका कारण केवल यही है, श्रीमन्, कि वह टेम्पो जो कि जनता में होना चाहिये, जिससे प्रेरित हो कर जनता प्लानिंग के टर्म में हर चीज को सोचने लगती है और प्लानिंग ही उसका टर्न आफ माइंड बन जाता है, ऐसा जोश और प्रेरणा उसको मिलती है कि जिससे वह पूरे तौर से सहयोग दे कर अपने प्रदेश की उन्नति की तरफ आगे चल निकलती है, वह टेम्पो नहीं है। उसका कारण क्या है? हमारा प्लानिंग सेट-अप अधिकतर आफिशियलिज्म वातावरण से सरचार्ज्ड है। हमारे प्लानिंग सेट-अप में वह भावना नहीं है जिस भावना के अन्तर्गत हम अपनी पंचवर्षीय योजना को, जिसको कि हम 'पीपुल्स प्लान' कहते है, उसे हम पीपुल्स पार्टिसिपेशन से सफल बना सकें। जबकि आफिशियलिज्म इतना बढ़ जाता है, जो जाहिर है कि जो हमारी पीपुल्स प्लान है, उसके इम्पलीमेंटेशन का कैरेक्टर बदल जाता है और गवर्नमेंट प्लान विद गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन हो जाता है। उसको होना चाहिये पीपुल्स प्लान और पीपुल्स पार्टिसिपेशन के साथ, उसमें इनीशियेटिव पब्लिक का होता है और इम्प्लीमेंटेशन में सहायता गवर्नमेंट करती है, तभी हम उसका सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं। यही नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप में भी देखा जाय तो अधिकतर जनता की राय यह है कि यह काम सरकार का है, इसे सरकार करेगी। वह इस प्लान को इस प्रकार अपना नहीं पायी है कि यह हमारी प्लान है, हमको करनी है, और जो कुछ दूसरे भी कर रहे हैं, वह हमारे लिये कर रहे हैं।

अभी-अभी हमारे एक साथी ने वी० एल० डब्लू० की तरफ इशारा किया। सही है कि जब तक गांव का पूरा अध्ययन हमारे वी० एल० डब्लूज को न हो, जब तक गांव के प्रोग्राम, गांव की बोली-वाणी, वेशभूषा, सारी चीजों का ज्ञान उनको न हो और जब तक उस सांचे में वी० एल० डब्लू० अपने को ढाल कर गांव में न जायं तब तक किसी प्रोग्राम को सफलता नहीं मिल सकती। यही नहीं, बल्कि श्रीमन्, जैसा कि मैंने अभी कहा इनीशियेटिव जनता के हाथ से निकल गया है। वह क्यों? इसलिये कि प्लानिंग के ढांचे में कोआर्डिनेशन की बात चलाई गई। इसके मान तो यह है कि पारस्परिक सहयोग हो और सभी सरकारी विभागों को इसी सहयोग के आधार पर एक निर्धारित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, लेकिन जो गलती की गई है वह श्रीमन्, यह है कि कोआर्डीनेशन से भी एक कदम आगे हम बढ़ गये और वह हमारा कदम मर्जर की तरफ चला गया है। यही कारण है कि दूसरे विभागों में संदेह पैदा हो जाता है, और वह सोचने लगते है कि हम मर्ज हो जायेंगे, तभी उनका इनीशियेटिव खत्म हो जाता है। अभी तक प्लानिंग आफिसर को ए० डी० एम० का स्टेटस नहीं दिया गया था। इसके अब देने से यह निश्चय हो जाता है कि जो विभाग अब तक कहना नहीं मानते थे और सहयोग नहीं देते थे तो अब चूंकि ए० डी० एम० के स्टेटस में उनका स्तर ऊंचा हो गया है, तो विभागों के ऊपर एक तरह से प्रेशर पड़ सकता है।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान पंचायतों की तरफ दिलाना चाहता हूं। पंचायतों की स्थापना १५ अगस्त, १९४७ में हुई थी। इनकी स्थापना के बाद जनता में एक उल्लास देखा गया था और उनसे बड़ी-बड़ी आशाएं थीं, लेकिन ज्योंही प्लानिंग का ढांचा तैयार हुआ और

[श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव]

उसकी कुछ चर्चा चली तो उससे लोगों को संदेह होने लगा और फिर ऐसा मालूम पड़ने लगा कि लोगों में उल्लास खत्म हो गया है। प्लानिंग का सेटअप आर्गेनाइजेशनल विंग है और सरकारी विभाग ऐक्जीक्यूटिव विंग है। इसलिये अगर ऐक्जीक्यूटिव विंग आर्गेनाइजेशनल विंग में मर्ज हो जाता है तो सारा इनीशियेटिव समाप्त हो जाता है। प्लानिंग के माने यह है कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये साध्य और साधनों का एकीकरण कर के ऐसी व्यवस्था की जाय कि थोड़े से साधनों से और थोड़े से एफर्ट्स से अधिक से अधिक नतीजा हासिल हो सके। प्लानिंग के मैं यही माने समझता हूं।

इसमें वेस्ट की गुंजाइश जरा भी नहीं होती है और इसमें ऐक्सपर्ट्स की भी आवश्यकता है और जिसका प्राविधान बजट में किया गया है। मैं समझता हूं कि अगर इसमें वेस्ट न हो और एक एक पैसे को इकोनामिकली खर्च किया जाय तो प्लानिंग अवश्य सफल हो सकता है।

अभी-अभी एक पुस्तिका यहां पर वितरित की गई थी, जिसमें एक चित्र था कि एक उच्च अधिकारी गये और उन्होंने एक डलिया मिट्टी सड़क पर डाली और उनका चित्र खिंच गया और वह हम लोगों के सामने आया है। उन्होंने सोचा होगा कि हमारे इस कार्य से जनता को प्रेरणा मिलेगी लेकिन इसी के साथ-साथ एक गड़बड़ी कर दी गई, जिससे सारी प्रेरणा समाप्त हो जाती है। जब लोग देखते हैं कि सामने कैमरा लगा हुआ है और उन्हें मालूम होता है कि साहब की तस्वीर खींची जायगी तब किसान सोचते हैं कि यह साहब अपनी तस्वीर खिंचवा कर ले जायेंगे और बड़े साहब को दिखायेंगे और इनकी तरक्की हो जायगी। इस तरह की भावना आ जाती है। हमें इन चीजों को दूर रखना चाहिये। हमें ब्यूटीफाइंग टेंडेंसीज की ओर उस समय तक ध्यान नहीं देना है जब तक कि हमारे मुल्क की मौलिक आवश्यकताएं पूरी न हो जायें।

प्लानिंग का जहां तक देहात से ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि सब से अधिक ध्यान सरकार को इधर देना चाहिये। कम से कम हर एक ब्लाक में एक-एक माडल गांव सभा होनी चाहिये, जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके। गांव का प्लानिंग आसान नहीं है। गांवों में एक तरह का काम्प्रीहेंसिव प्लानिंग वहां के डायनेमिक कन्सिडरेशन के आधार पर होना चाहिये। वहां पर जाने वालों को गांव के जीवन का पूरा अध्ययन करना चाहिये और सब से जरूरी चीज यह है कि वहां पर जनता में एक ऐसा एटमास्फियर पैदा करना चाहिये जिससे हर मनुष्य आगे बढ़ता नजर आये। यह तभी हो सकता है जब हम प्लानिंग को एक वार (War) लेविल पर और इमर्जेंसी डिक्लेयर करके अपने कार्य का सम्पादन करेंगे, जब अपने तमाम मेन, मैटीरियल और मनी के सारे रिसोर्सेज को उस तरफ ठेल दें। तभी जा कर हम एक टेम्पो बना सकेंगे। इसके साथ-साथ जब हम जनता को "आराम हराम है" कोई इस प्रकार का नारा देंगे तभी हमारा प्लानिंग आगे बढ़ सकेगा। यही नहीं, बल्कि मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि गांवों का जो वातावरण है, जो ऐंटी सोशल इंस्टीट्यूशन्स वहां के हैं वे आज हमारे रास्ते में एक रोड़ा बनते चले जा रहे हैं। हमको उन्हें हटाना है और वहां के लोगों को शान्ति देनी है। जब तक देहात में शान्ति का वातावरण पैदा नहीं होगा तब तक प्लानिंग को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। इन चन्द शब्दों के साथ जो अनुदान हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव जो श्री गजेन्द्रसिंह की तरफ से आया है मैं उसके अनुमोदन के लिये खड़ा हुआ हूं। इस सम्बन्ध में दोनों तरफ से जो भाषण हुए और जो अभी हमारे सामने बैठे हुए एक सम्मानित सदस्य ने कहा है करीब-करीब बातें दोनों एक सी हैं। एक बात मुझे इस वक्त याद आयी कि जब कांग्रेस का जमाना था, हम लोग झोला ले कर चलते थे तो

एक जमींदार के दरवाजे से गुजर रहे थे। हमने नारा लगाया कि 'जमींदारी का नाश हो।' आप की आज्ञा से मैं कहना चाहता हूं कि उन जमींदार साहब के हाते में एक तवायफ़ का नाच हो रहा था और उसने अन्दर से गाया--

"बात दोनों एक ही हैं,
हम कहें या तुम कहो।"

जो हम कहते हैं वही ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से भी कहा जाता है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ वाकयात अर्ज़ करना चाहता हूं और वे ये हैं कि इस प्लानिंग विभाग के अन्तर्गत एक विभाग पी० डब्लू० डी० भी है। हम यह जानते हैं कि हमारे लिये जो कुछ भी किया जा रहा है वह इस लिये कि पब्लिक का हर प्रकार से भला हो और जनता और इस देश का कल्याण हो। मगर इसकी आशा नहीं की जा सकती है। इसकी वजह के संबंध में मैं अपने जिले लखीमपुर-खीरी में प्लानिंग विभाग के अन्तर्गत एक विभाग जो पी० डब्ल्यू० डी० है उसके कुछ कारनामे आपके सामने रखना चाहता हूं। सारे प्रदेश का दौरा करने का सौभाग्य तो हमें नहीं प्राप्त होता मगर कुछ ऐसी चीजें साफ़-साफ आपके सामने रखना चाहता हूं जिनसे आपको एक नयी चीज की जानकारी होगी। खीरी में फूलबेहड़ रोड पर सन् १९५१-५२ में ७ लाख रुपये सड़क के नव-निर्माण के लिये प्लानिंग विभाग के खर्च हुए। तारकोल की सड़क ७ मील तक बनायी गयी। एक तरफ से सड़क बनती जाती थी और पीछे से खत्म होती जाती थी और ६ महीने में सारी सड़क खत्म हो गई और पता नहीं लगा कि उसके ऊपर का तारकोल कहां गया, बजरी कहां गयी। मालूम होता था कि यह वही रेगिस्तान की सड़क है जो दस वर्ष पहले थी। किसने यह रुपया खाया कुछ पता नहीं। इंजीनियर के बारे में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वे बड़े अफसर हैं, न मेट के बारे में कहा जा सकता है, क्योंकि वह बहुत बेकसूर गरीब है। सीधी-सादी बात यह है कि जनता का रुपया बर्बाद हो गया और पता नहीं लगा कि क्या हुआ। आज तक कोई इन्क्वायरी इस सम्बन्ध में नहीं की गयी। बार-बार यह सवाल मेरे जिले में उठाया गया, मगर उसका कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। इसी रोड पर सन् १९५२ में ५४ ड्रम तारकोल सड़क के किनारे लगा था, क्योंकि मेरे फ़ार्म उसी तरफ़ हैं इसलिये उधर जाना पड़ता था, तो मैंने देखा कि कई महीने तक ये ड्रम सड़क के किनारे रहे और उसके बाद रिपोर्ट की गई कि रात में ये ५४ ड्रम चोरी चले गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा बताना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को कि ये ५४ ड्रम सन् १९५२ में चोरी हो गये। कहां चोरी गये? क्या वे लोग चोरी कर ले गये जो कि घरों में चोरी करते हैं, जो नकब लगाने वाले चोर होते हैं या वे लोग चोरी कर ले गये, जो कि डकैती करते हैं? कौन चुरा ले गया? एक मोटर ट्रक पर सिर्फ ११ ड्रम लादे जा सकते हैं और इस तरह से कम से कम चार या पांच मोटर ट्रक उन सारे ड्रमों को लादने के लिये चाहिये थे। अन्दाज लगता है कि पी० डब्ल्यू० डी० की ट्रकें इनको लाद कर ले गयीं। सारी पुलिस उसका पता लगाती रही, सारी पुलिस परेशान रही, लेकिन पता नहीं लगा। यह ५४ ड्रम हमारे देश की प्रापर्टी थी, जिसके ऊपर हम यह भरोसा करते थे कि ११ मील लम्बी सड़क बनेगी, लेकिन हमारी आशा पर पानी फिर गया और पता नहीं कि वे ड्रम किसके पेट में चले गये और हम लोग उस सड़क से महरूम रह गये।

इसी तरह से इसी सड़क के ऊपर एक स्टीम रोलर खड़ा था। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा य सब बातें बताना चाहता हूं कि जिस बाल्टे में पानी भरा जा रहा है उसके नीचे बड़े-बड़े सूराख हैं जिसके परिणाम स्वरूप पानी भरने वाला पानी भरता चला जाता है और नीचे के सूराखों से पानी बहता चला जाता है और प्यासा प्यासा ही रह जाता है। श्रीमन्, इसी सड़क पर एक स्टीम रोलर काम कर रहा था....

श्री उपाध्यक्ष--आप एक ही सड़क पर सीमित रह कर अपना भाषण समाप्त न कर दें समय बड़ा बहुमूल्य है, आप कुछ और भी बातें कहें।

श्री शिवप्रसाद नागर---श्रीमन्, हमें केवल अपने जिले का ही किराया मिलता है, इसलिये हम अपने जिले की ही बातें कहते हैं। जिस प्रकार एम० पी० को इण्डिया सेक्शन का रेलवे पास मिलता है उसी प्रकार यदि कोई ऐसा प्राविजन कर दिया जाय जिससे हमें सारे यू० पी० में जाने का पास मिल जाये और हम सारे राज्य का दौरा कर सकें तो हम यह भी बता सकेंगे कि किस जिले में कहां क्या हो रहा है? लेकिन हमें तो केवल लखीमपुर से लखनऊ तक का ही किराया मिलता है, इसलिये हम वहीं की बात कह पाते हैं।

तो श्रीमन्, उस रोड पर जो स्टीम रोलर काम कर रहा था उसके सारे ब्रास पार्टस [illegible]

[illegible] एक ही कारामद है और बाकी सब बेकार हैं। ऐसी दशा में क्या आशा की जाय कि हमारी योजना सफल हो जायगी। श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं कि बटलोई में केवल एक ही चावल देखा जाता है और उससे पता लग जाता है कि बटलोई के सारे चावल पक गये हैं या नहीं। इसी तरह से हम सिर्फ एक ही जिले की बात बतलाते हैं और उसी से यह अन्दाज लगाते हैं कि सारे प्रदेश में ऐसी परिस्थिति हो सकती है। अगर वैसी परिस्थिति नहीं है तो यह हमारा सौभाग्य है।

इसके अतिरिक्त हमारे जिले में गोला गोकरननाथ में पी० डब्ल्यू० डी० के एक ओवरसियर थे, उन्होंने ६०० बोरी सीमेन्ट इस विकास योजना की चोरी से निकाल कर अपने मेट से कहा कि इसे ब्लैक मार्केट में बेचो। उसने कहा कि मैं गरीब आदमी हूं, अगर कहीं राज खुल गया तो मेरी तो फांसी हो जायगी। इस पर वे नाराज हो गये और कहा कि हम तुम्हें बरखास्त करा देंगे। वह भाग कर मेरे पास आया और मुझसे इसका जिक्र किया तो हमने कहा तुम्हारी नौकरी बचेगी, तुम डिप्टी कमिश्नर के पास जाओ और उनसे यह बात कहो। ओवरसियर को मेट की भाग-दौड़ से कुछ दहशत हुई तो उन्होंने प्रयत्न किया कि ६०० बोरी सीमेंट ट्रकों में भर कर फर्दहन वाली नहर में डाल दें। आधी रात का समय था। बोरियां खोल-खोल कर सीमेंट नहर में बहाई गयीं इतने में कोई मोटर आ रही थी, उसकी रोशनी देखकर उन्होंने सारी बोरियां पूरी की पूरी नहर में डालना शुरू कर दिया। उसके रोड़े आज भी नहर की बैंक में पड़े हुए हैं। मैंने इसकी रिपोर्ट की। उस पर जांच हुई और जो बोरियां बैंक में पड़ी हुई थीं उनके रोड़े डिप्टी कमिश्नर उठा कर ले आये। लखीमपुर से आठवें मील पर अब भी नहर की बैंक में रोड़े पड़े हुये हैं। जांच हुई और ओवरसियर साहब को मुअत्तल कर दिया गया और मेट भी बर्खास्त कर दिया गया। अब ओवरसियर साहब बहाल कर दिये गये और बेचारा मेट आज भी नौकरी से अलग है और परेशानी में पड़ा हुआ है।

तो मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि इस प्रकार कोई बात अगर आप को बताई जाय, कोई सुझाव आपको दिये जायं, कोई चोरी आपको पकड़वाई जाये तो नतीजा यह होता है कि जो शाह है वह चोर रहता है और जो चोर है वही शाह रहता है। आपके प्लानिंग विभाग में एक सप्लाई विभाग भी है। उसके बारे में मैं आपसे क्या कहूं? चिराग के नीचे अंधेरा रहता है। इसी लखनऊ के सप्लाई आफिस से गुप्ता आयरन स्टोर्स लखीमपुर के नाम से सैकड़ों टन लोहे का परमिट कटता चला गया और आज तक वहां एक कील भी लोहे की डिलीवरी नहीं हुई। श्रीमन्, मैं ठेला जोतने वाला आदमी हूं। लखीमपुर में मैंने हजारों मन माल वहां का ढोया है, लेकिन गुप्ता आयरन स्टोर्स की एक भी बिल्टी मैंने नहीं छुड़ाई, गुप्ता आयरन स्टोर्स की एक भी बिल्टी नहीं आई और गुप्ता आयरन स्टोर्स का वहां कोई साइनबोर्ड तक नहीं है। उसकी कोई दूकान नहीं है। लखीमपुर में उसका कोई वर्कशाप नहीं है, लेकिन गुप्ता आयरन स्टोर्स के नाम से सैकड़ों टन और हजारों टन लोहे का परमिट कटता चला गया और उन परमिटों के माल की डिलीवरी हुई उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर आदि में। इसी तरह से हमारे

प्लानिंग के अन्दर कितने ही ऐसे डिपार्टमेंट हैं और उनके अन्दर किस तरह का भ्रष्टाचार है इसको आप देखें, आप उसका निवारण करें और उसके बाद आप बाल्टे को भरने की कोशिश करें। पहले उसके छेदों को बन्द करने की जरूरत है।

इसके बाद में बतलाना चाहता हूं कि हमारे लखीमपुर में बैल नाम का एक टाउन एरिया है। उसके स्टेशन पर एक मशीन रखी हुई है। मैंने पूछा कि यह क्या चीज है? कैसी मशीन है? तो पता लगा कि इसको तो सरकार के मंत्री महोदय ने उद्योग की उन्नति के लिए पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यहां भेजा है, बर्तनों का काम सिखाने के लिये। इसको यहां आये हुए एक साल से ज्यादा हो गया है। एक साल से ज्यादा से एक इंस्पेक्टर है और इस मशीन पर पहरेदार पहरा देने के लिये और उसके साथ दो-चार और मुलाजिम हैं। मेरा ऐसा खयाल है कि जब से वह मशीन वहां पर भेजी गयी है उस पर १०, १५ हजार रुपया खर्च हो चुका होगा, मगर आज तक वह मशीन उसी तरह से रखी हुई है। उसका न कोई उपयोग है और न उससे कोई उद्योग ही। लोग वहां जाते हैं और मशीन का दर्शन करके चले आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया।

***श्री राम लक्षण** (जिला बलिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज नियोजन के संबंध में जो बजट पेश है, उसके संबंध में मैं आपके समक्ष कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। नियोजन हमारे देश में चलाया गया और इसका हर वर्ग और हर तबके ने जोरों के साथ स्वागत किया। इसका कार्य क्षेत्रों में प्रारम्भ किया गया और जहां यह कार्य प्रारम्भ हुआ वहां एक होड़ सी मच गई। लोगों की शिकायतें आने लगीं कि हमारे क्षेत्र में यह क्यों नहीं शुरू किया गया। लोगों ने देखा गलियों को बनते हुए, लोगों ने देखा सड़कों को बनते हुए, लोगों ने देखा छोटे बच्चे के जीवन से लेकर हर एक वृद्ध पुरुष के जीवन को नियोजित किये जाते हुए और इससे ग्रामीण जीवन में एक नयी स्पिरिट और एक नयी चेतना पैदा हुई। उस चीज को देख करके सारे सूबे में लोगों के दिलों में एक बड़ी लहर पैदा हुई। आज जब हम यहां आकर इस विषय की चर्चा करते हैं तो हम इस चीज के महान् उद्देश्य को कुछ अलग करके अपने-अपने घर या गांव के अनुभव के आधार पर कुछ बातें करते हैं। मैं इसे ठीक नहीं मानता। मैं समझता हूं कि किसी भी समाज में और किन्हीं भी कार्यों में जब बहुत से लोग काम करते हैं तो जैसा जो व्यक्ति होता है उसको वह कार्य उसी के अनुरूप दिखलाई देता है। यदि कोई ग्राम सेवक साहब बन कर घूमने वाला है तो कोई ऐसा भी ग्राम सेवक मेरी जानकारी में है कि जो अपने क्षेत्र की ग्रामीण जनता के घर-घर के सुख और दुःख में शरीक रहता है। उसको देख कर वहां का ग्रामीण जनता में, उसके जीवन में एक लहर पैदा हो जाया करती है और जब भी वह उस गांव में घूमता है लोग समझते हैं कि हमारा एक रक्षक आ गया। इसी तरीके से और भी बहुत सी त्रुटियों और कमियों की बातें कही जा सकती हैं, लेकिन उन त्रुटियों और कमियों के बावजूद भी जिन चीजों को लेकर हमारा राष्ट्र आगे बढ़ता जा रहा है वे हमारे लिये एक पृष्ठ भूमि बन रही हैं, जिस पृष्ठ भूमि के आधार पर समाजवाद का समाज स्थापित हो सकेगा। समाजवाद के समाज के भीतर जो सबसे महान् और सबसे बड़ी चीज है वह यह है कि हम समष्टि की महत्ता के द्वारा व्यक्तिगत विकास और सामूहिक विकास की कार्यमूलक सामूहिक और सार्वजनिक भावना और प्रेरणा को देखना चाहते हैं। तभी हमारा समाजवाद का समाज स्थापित होगा। हम क्या चाहते हैं? हम यह चाहते हैं कि हर आदमी से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य लिया जाय और हर व्यक्ति के पास उसकी आवश्यकता के अनुसार चीजें पहुंच जायं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामलक्षण]

इन चीजों के लिये आज हमारे राष्ट्र को धन की और अन्न की आवश्यकता है। आज उन दोनों चीजों को पैदा करने के लिये सबसे ज्यादा आवश्यक है हमारी सामूहिक भावना का जागृत होना। आज हम सामूहिक कार्य करने के आदी नहीं रह गये हैं। आज व्यक्तिगत रूप से अपनी जिम्मेदारी को हम महसूस करते हैं। आज हमारा यह आर्थिक समाज है कि एक एक व्यक्ति अपने लिये जिम्मेदार है। आज राज्य का हर एक व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं लिये हुये है। इसी कारण से आज व्यक्तिगत पूंजी और व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण लोग अपनी अपनी पूंजी इकट्ठा करने में लगे हुये हैं और यही कारण है कि आज भ्रष्टाचार का जो इतना नाम लिया जाता है वह दूर नहीं हो पा रहा है। आप बैठे हुये हैं और आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जिस दिन आप सारी जिम्मेदारी हाथ में ले लेंगे और जिस दिन आप राज्य के लिये सोचना शुरू कर देंगे, हमारा खयाल है, आप भ्रष्टाचार के द्वारा अपनी प्रगति को नहीं जाने देंगे। लेकिन जब तक यह चीज नहीं होती है, विश्वास रखिये, जितनी भी आप दवा करेंगे, जो कुछ भी आप इलाज करेंगे वह कारगर नहीं होगा, लेकिन इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिये, ज्यादा क्रान्ति लाने के लिये हमें एक भावना की आवश्यकता है और एक प्रेरणा की आवश्यकता है और वह भावना है हमारी सामूहिक प्रवृत्ति और सामूहिक रूप से काम करने की भावना। उसको अगर कोई भी विकसित कर सकता है तो यह योजना, जो, आज देश में चलायी गयी है यह आपके अन्दर एक प्रेरणा को भर सकती है। क्या आप कभी भी यह खयाल कर सकते थे कि केवल घरों में रहने वाले बड़े लोग, जिन्होंने कभी कुदाल और फावड़ा अपने हाथ में नहीं लिया था, हाथ में कुदाल और सर पर फावड़ा लेंगे। आज वह मिट्टी खोद रहे हैं, सिर पर ढो रहे हैं और सड़क का निर्माण कर रहे हैं। 'श्रमदान जिन्दाबाद' का नारा लगाते हुये आगे बढ़ रहे हैं। बच्चा कैसा होना चाहिये और बच्चे की तालीम कैसी होनी चाहिये, उसका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिये, इसकी शिक्षा का कार्य उपदेश द्वारा नियोजन विभाग गांव गांव में कर रहा है। हमारे मकान कैसे होने चाहिये, हमारा उत्पादन कैसा होना चाहिये, हमारी खेती कैसे तरक्की कर सकती है और खेती में उपज कैसे बढ़ सकती है, बीज कैसा होना चाहिये, खेत कैसा होना चाहिये, खेतों में पानी कैसे देना चाहिये, इन सारे विषयों में जहां पर बिलकुल अन्धकार छाया हुआ था आज वहां पर कार्य करके और उनके सामने उदाहरण देकर उनकी भावनाओं को जागृत करने की चेष्टा की जाती है।

श्री उपाध्यक्ष---अब आप चार मिनट बाद में बोलियेगा।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राम लक्षण---अभी हमने आपके सामने यह कहा था कि समाजवादी समाज की स्थापना के निमित्त यह आवश्यक है कि हमारे देश के धन और धान्य में वृद्धि हो तथा इस धन और धान्य की वृद्धि के लिये यह आवश्यक शर्त बतलाई कि हमारे भीतर सामूहिक रूप से काम करने की प्रवृत्ति और प्रेरणा उत्पन्न हो। जब तक हमारे भीतर सामूहिक रूप से काम करने की प्रेरणा और भावना उत्पन्न नहीं होगी और व्यक्तिगत रूप से हर बात को करते जायेंगे, तब तक समाज का धन और ऐश्वर्य नहीं बढ़ पायेगा। जब तक समाज का धन और ऐश्वर्य नहीं बढ़ेगा तब तक समान रूप से साधनों का वितरण नहीं हो सकेगा।

जब हिन्दुस्तान गुलाम था तो हमने उसकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति का नारा लगाया था। हमने राजनीतिक क्रान्ति तो की, लेकिन अभी सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति पूरी नहीं हो सकी है। इसी सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति की पूर्ति के लिये यह हुकूमत कायम हुई है। उसी क्रान्ति को पूरा करने के दौर में हम नियोजन

के कार्यों को भी कर रहे हैं। अगर हम इसे ठीक रूप से अपनायेंगे, उसे उपयोगी बनायेंगे तो वह साधन अत्यन्त उपयोगी साबित होगा, किन्तु यदि हमने उसको उपयोगी बनाने की चेष्टा नहीं की तो यह भी सत्य बात है कि उपयोगी नहीं हो सकती। जब हमने राजनीतिक लड़ाई लड़ी थी तो हम फांसी पर चढ़ जाना आसान समझते थे, लेकिन यह नियोजन का कार्य, आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति का कार्य बड़ा कठिन दिखायी देता है। इसके लिये अत्यन्त पसीना बहाने की जरूरत है, बड़े धैर्य की जरूरत है, बड़ी लगन और दत्तचित्त होने की आवश्यकता है। इन चीजों के अभाव में हम कामयाब नहीं हो सकते। आज तो वही देश भक्त कहा जा सकेगा जो इस बात को सिद्ध करेगा कि वह अपना एक-एक क्षण देश के उत्पादन के कार्य के लिये इस्तेमाल करता है और खराब नहीं जाने देता, लेकिन यदि अपने-अपने दिल से हम यह पूछना शुरू करें कि राष्ट्र के लिये हम अपनी कौन सी वस्तु समर्पित कर रहे हैं और राष्ट्र को उससे क्या लाभ हो रहा है, तो यह दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने को शून्य पायेंगे। सभी लोगों को आज अपने में यह धुन पैदा करनी है कि हमें राष्ट्र की उन्नति करनी है, राष्ट्र की उन्नति करने के लिये हमें काम करना है, तभी नियोजन का काम सफल हो सकता है। इसमें आलोचना की आवश्यकता नहीं पड़ती। हर व्यक्ति काम करने में दत्तचित्त हो जाता है। काम करने वाले को समय कहां कि वह आलोचना करे। जब आलोचना पर आलोचना करते हैं और इस प्रकार के काम में दिलचस्पी नहीं लेते तो राष्ट्र के लिये जो आवश्यक कार्य हैं उनकी उपेक्षा ही होती है। मैंने यह भी बतलाया था कि भ्रष्टाचार की बातें करना आज बिल्कुल ही फिजूल सा है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय तिवारी जी आपका समय समाप्त हो गया।

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—अधिष्ठाता महोदय, कोई योजनाएं किसी भी देश में इस उद्देश्य से बनायी जाती हैं कि वहां के साधारण नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा हो, वही उद्देश्य हमारे इस प्रदेश की योजनाओं के अन्दर निहित है। आशा यह की जाती है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ही में नहीं, बल्कि उसके पश्चात् आने वाली योजनाओं में हम अपने यहां रहने वाले व्यक्तियों की आय जो इस समय है उससे बढ़ा कर दुगुनी कर डालेंगे और उसके निमित्त हर प्रकार से टैक्स आदि द्वारा धन इकट्ठा किया जा रहा है। तो यह तो स्वाभाविक बात है कि इसके लिये सरकार प्रयत्नशील है कि हम उसमें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करें। सरकार ही नहीं, बल्कि यहां के समस्त नागरिकों की यही अभिलाषा होनी चाहिए कि सरकार इसमें कामयाब हो और मैं यह समझता हूं कि अगर हम सब लोग मिल जुल कर प्रयास करें तो वर्तमान समय में जो हमारी व्यक्तिगत आय लगभग २५० रु० के करीब पड़ती है। वह उससे दुगुनी हो जायगी और अन्य देशों के समकक्ष हमारे देश के नागरिकों की भी आय हो, जायगी। तभी यह देश समृद्धि शाली और सम्पत्तिशाली कहा जा सकेगा और एक प्रकार से हमारे देश में तभी रामराज्य की स्थापना हो सकेगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन सबकी आधारशिला कृषि है। हमें प्रति एकड़ अपने यहां के उत्पादन को बढ़ाना चाहिए। इससे भी काम नहीं चलने वाला है कि हम केवल खेती का ही विस्तार बढ़ाते चले जायें उसमें गहरी जुताई कर और खाद इत्यादि देकर हमें अपने उत्पादन में काफी वृद्धि करनी चाहिए। अन्य देशों की तरह हमें अपने अनाज का उत्पादन प्रति एकड़ किसी का ६० मन, किसी का ७० मन के हिसाब से बढ़ाते रहना चाहिए। इसके लिए खाद के अतिरिक्त सिंचाई की भी बड़ी आवश्यकता होती है। सिंचाई के लिये इस योजना के अन्तर्गत बड़ी और छोटी बहुत सी योजनाएं हैं। एक मित्र ने उधर से कहा था कि हमारे यहां गरीब लोग हैं और उनके पास कोई साधन नहीं है। यदि उनको तकावी के रूप में हम कुछ नहीं दे सकते तो उनका कोई भला इससे होने वाला नहीं है।

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

एक प्रश्न यह उठता है कि जिन लोगों के पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन और मजदूर हैं उनको तो तकावी देने से कोई लाभ नहीं होता जब तक कि उनके पास भूमि न हो। हां, जो गरीब तबके के किसान हैं, उनके लिये रेट आफ इंटरेस्ट जहां तक मेरा अनुमान है काफी घटाकर करीब साढ़े ४ परसेंट कर दिया गया है। तकावी की वसूलयाबी के नियमों में भी परिवर्तन किया गया है। पहले यह नियम था कि पहले ही वर्ष से उनसे लिया जाता था, अब उसके बजाय दो वर्ष के बाद उनसे लिया जायेगा। तो इस तरह के सुझाव सरकार के सम्मुख आते रहे कि निम्नस्तर के लोगों को किस तरह से राहत मिले। सरकार इन बातो पर विचार करके नियमों में भी उसी प्रकार परिवर्तन कर सकती है। केवल यह कह देने से जनता का इन्सेन्टिव निकल गया है या उनमें टेम्पो नहीं रह गया या जो तमाम सरकारी अहलकार हैं उनकी वेश भूषा, उनका रहन सहन उस प्रकार का नहीं है जैसा कि ग्रामीणों का है, इससे तो काम नहीं चलता। केवल इस प्रकार की आलोचना कर देने मे ही जैसा कि इस साल की गयी, गत वर्ष भी की गयी और उसके पूर्व भी की गयी, काम नहीं चलने का है। एक नयी आलोचना भी हो सकती है जिससे सरकार सोच सकती है, कि उसमें क्या सुधार किया जाय और जो कुछ सरकार ने ठीक समझा किया भी। मगर इस माननीय सदन की ओर से कोई ऐसा ठोस सुझाव नहीं आता कि किस प्रकार अपने अधिकारियों को सरकार ठीक करे और किस प्रकार से किस ढांचे मे उनको ढाला जाय कि वे ग्रामीण जनता में हिलमिल जायं ताकि उनमें और ग्रामीणों में कोई भेदभाव न रहे। इसके लिये सुझाव देना आपका भी कर्त्तव्य है। केवल आलोचना कर देने से ही काम नहीं चलता।

जहां तक सरकार का ताल्लुक है, वह उनको इस प्रकार का प्रशिक्षण देती है, उनको इस प्रकार से ट्रेंड करती है कि चाहे प्लानिंग आफिसर हो या कोई भी हो, बख्शी तालाब में सभी एक साथ बैठ कर खाना खाते हैं, गांवों में जाकर ग्रामीणों से उसी प्रकार मिलते-जुलते हैं और इस प्रकार सरकार उनसे विद्यार्थी और ब्रह्मचारियों का जीवन व्यतीत कराती है। मगर फिर भी ग्रामों में जाकर वह बदल जाते है तो इसमें दोष किसका है? वहां के रंग में जाकर उन पर ग्रामों का रंग क्यों नहीं चढ़ता और उनमें वही साहबाना रंग क्यों आ जाता है? इसका कारण क्या है? हमारे इटावा के माननीय मित्र कह रहे थे कि इटावा ही में उनका निवास स्थान है, वहां ग्रामों में इस तरह का बड़ा भेद भाव है। इसका कारण यह है कि उन ग्रामीण क्षेत्रों में हम शिक्षित लोग जिनका उनसे सम्बन्ध है, वहां ऐसा वातावरण, ऐसी आबहवा नहीं पैदा कर पाते कि वहां के अफसरों को भी हम उसी रंग में रंग सकें, बल्कि अब तक होता यह रहा है कि वह भी उसी रंग मे रंग जाते है। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारी कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि जनता में और हम लोगों में एक मानसिक क्रान्ति पैदा नहीं होती और हम सब अपने संविधान के उद्देश्यों को न समझे। हमें ग्रामों मे लोगों को समझाना होगा कि जनता के मौलिक अधिकार क्या है, संविधान के सिद्धान्त क्या है, रामराज्य जिसकी हम कल्पना करते है वह कैसे बन सकता है और सबसे ऊपर हमारे कर्त्तव्य क्या है। ये चीजें ही प्लानिंग की मुख्य है।

हमने इन ए० डी० ओज० सोशल एजूकेशन को इसीलिये भर्ती किया है कि वे जनता को ग्रामों में शिक्षित कर सकें। उधर से शिकायत हुई कि जो उनका सही काम है या उनको जनता को जो बातें समझानी चाहियें वह नहीं समझा पाते तो फिर प्रश्न यह है कि इसमें दोष किसका है? मैं कहूंगा कि इस सदन के माननीय सदस्य अधिकांश ग्रामीण है और ग्रामीण क्षेत्रों से ही उनका अधिक सम्बन्ध है। हममे से कितनों ने कोई ऐसा प्रयत्न किया, कोई ऐसा वातावरण अपने यहां पैदा किया कि जो कोई नया अधिकारी किसी पद पर आये वह जनता के साथ हिलमिल और घुलमिल जाये। सरकार इसके लिये प्रयत्नशील है और युवक मंगल योजना और यूथ-क्लब वह ग्रामों में कायम करना चाहती है, ताकि वहां पर अनेक प्रकार की काम की चीजें, गांव के जितने काम हैं---कृषि का सुधार कैसे हो, गांव

की सफाई कैसी रखी जाय, नागरिकों के स्वतंत्र देश मे क्या अधिकार है, संविधान की धाराओं से वहां लोगों को अवगत कराना--ऐसे सब काम युवक मंगल योजना के द्वारा कराए जायं। जब वहां इस तरह का वातावरण पैदा होगा तो जो भी पढ़ा लिखा अधिकारी वहां जायगा वह भी वहीं के उसी ढांचे में और रंग मे रंग जायगा और कोई भेदभाव की बात नहीं रहेगी, लेकिन इसके लिये हमारे सदन के माननीय सदस्यों को कुछ अधिक काम करना पड़ेगा।

मैं माननीय जगपालसिंह जी की स्पीच सुन रहा था, उनका कहना था कि अमुक आदमी भ्रमण नहीं करते और मैंने स्वयं अपने घोड़े पर सारे गांवों का दौरा कर डाला। वह अपना सफर तो घोड़े पर करते हैं, लेकिन दूसरों को कोई एलाउन्स उनका नहीं देना चाहते, ये दोनों चीजें कहां तक संगत है। या तो वह खुद भी पैदल सफर करते। हमें यह समझना चाहिये कि सवारी कोई बुरी चीज नहीं है, उससे जिस काम को हम दस दिन में करते उसे एक दिन में कर सकते है, सवारी अच्छी चीज है बशर्ते कि उसका सही उपयोग हो और उससे सही काम लिया जाय।

मुझसे कुछ माननीय सदस्य आकर मिले और उन्होंने कहा कि ग्रामों में एन० ई० एस० और प्रोजेक्ट्स आदि की जो योजनायें चल रही हैं उनको हम देखना चाहते है। मैंने उनसे कहा कि जरूर देखिये, लेकिन फिर वह कहने लगे कि अधिकारी लोग हमें अपनी जीप में बिठाकर नहीं ले जाते। तो एक तरफ तो वे कहते है कि प्लानिंग के लोग हमें जीप नहीं देते और दूसरी तरफ कहते हैं कि प्लानिंग विभाग की जीपें तोड़ दो। एक तरफ तो यहां लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, पक्षपात बढ़ गया है, आफिशियलडम बढ़ गया है, लेकिन अगर सरकार की तरफ से किसी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाती है तो माननीय सदस्य दौड़े आते हैं कि इनको छोड़ दीजिये यह बिलकुल निर्दोष हैं। अगर हमें सही तरीके पर कुछ करना है और भ्रष्टाचार मिटाना है तो चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके लिये हर एक को अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा कि अगर मेरा भाई भी मेरा लड़का भी भ्रष्टाचार में आता है तो हमें सजा देनी पड़ेगी। अगर वह इसके लिये तैयार नहीं है। अगर कोई बात होती है तो सबसे पहले सदस्य ही इसके लिये आगे जाते है। मैं समझता हूं कि हमें कहने से अधिक करने की आवश्यकता है।

यह बड़ी खुशी की बात है और सभी माननीय सदस्यों को इससे प्रसन्नता भी हुई है कि इस वक्त हमारा प्रांतीय रक्षक दल एक ऐसी सर्विस है जिसको लोग कहते है कि इसके अन्दर आफिशियलडम नहीं है। इसको कई माननीय सदस्य स्वीकार करते है। मुझे जहां तक पता चला यह सदन माननीय मुख्य मंत्री जी का इसके लिये आभारी है कि उन्होंने इसको रखा है, इनको कार्य दिया है इस बात की इधर के ही नहीं, बल्कि उधर के भी सदस्यों ने मुझसे कहा। एक बात मैं एकानामी के संबंध मे आपको बता दूं कि १९५३-५४ मे २२-२३ लाख के करीब प्रांतीय रक्षक दल पर खर्च हुआ और ३६ लाख के करीब इसने श्रमदान किया। यह भी मैं बता दूं कि इसमें अफारेस्टेशन का काम शामिल नहीं है। वह अलग है, और अन्य कार्य अलग हैं। मैं समझता हूं कि हम उसमें २० लाख खर्च करके पचास लाख का ठोस फायदा उठाते है। जिस प्रकार जनता को उनसे लाभ पहुंचता है और संबंध स्थापित होता है वह दूसरा लाभ है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। केवल यह बताना चाहता हूं कि यह नहीं है कि इस वक्त प्रांतीय रक्षक दल का कोई उद्देश्य न हो, उसका श्रमदान का कार्य मुख्य है। बाकी कार्यों पर प्रकाश माननीय मुख्य मंत्री जी ने डाल दिया, उस पर मैं अधिक न कहूंगा।

मेरी आपसे यही अपील है कि अगर आप इस प्रकार के सुझाव दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम ऐसा वातावरण पैदा करें, जिसमें हम इन योजनाओं द्वारा अपनी कृषि और छोटे-

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

छोटे उद्योगों को और जितने भी कार्य ग्रामवासियों के शारीरिक, मानसिक, भौतिक सुख-सम्पदा के लिये आवश्यक है उन्हीं के अनुकूल सर्विसेज को ढाल सकें। कैसे ढाला जाय, या कोई आश्रम खोला जाय या कोई ठोस सुझाव दें तो माननीय मुख्य मंत्री उस पर जरूर विचार करेंगे। लाल बत्ती हो गयी है। मैं दूसरों के समय पर आक्रमण नहीं करना चाहता। अब यह विभाग माननीय मुख्य मंत्री जी के स्वयं अधिकार में है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नागर जी ने जैसी शिकायतें की हैं या दूसरों ने की हैं, अगर उनके अन्दर कोई तथ्य है तो सरकार बड़ा जबर्दस्त और सख्त कदम उठायेगी और मुझे आशा है कि भविष्य में ऐसे वाकयात नहीं होंगे।

मुझे आशा है कि यह सदन इस मांग को स्वीकार करेगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--श्रीमन्, अधिष्ठाता महोदय, मैं अनुदान संख्या ४३ पर जो कटौती पेश हुई है उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, यह अनुदान बहुत अहम है और काफी ज्यादा रकम का है इसमें हमें बड़ी खुशी होती कि हम इस कटौती के प्रस्ताव का अनुमोदन न करते। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक तरफ देश की तरक्की के लिये इतनी रकम लगायी जाती है और दूसरी तरफ हमें यह देखने को मिलता है कि उस लगी हुई रकम की तरफ हमारे मंत्रीगण एक नजर भी नहीं देखते कि पिछले सालों में क्या काम हुआ है। अभी हमारे पूर्व वक्ता डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगर प्रत्यक्ष बातें मिलती हैं तो हम बड़ी सख्ती से काम लेंगे बशर्ते कि उसकी सिफारिश सदस्यगण न करें। अगर किसी अधिकारी की सदस्यगण सिफारिश करते हैं और कोई उसको सुनता है तो वह खुद भ्रष्टाचारी है। अगर भ्रष्टाचार की वजह से कोई अधिकारी दंडित होता है तो चाहे बड़ा से बड़ा माननीय सदस्य ही क्यों न हो अगर वह उसकी सिफारिश करता है तो उनकी बात नहीं सुननी चाहिये और अगर कोई मंत्री सुनते हैं तो वह भ्रष्टाचार के भागी होंगे और उन्हें देश को जवाब देना पड़ेगा।

मैं एक प्रत्यक्ष बात आज बताना चाहता हूं। अगर मंत्री जी चाहें तो दिखला दूंगा। हमारे यहां एक लाख रुपये की लागत से महानदी की खुदाई हुई है। जब खुदाई पूर्ण हो गई तो वहां का बच्चा बच्चा यह कहने के लिये तैयार था कि यह रुपया समूचा डाँढ़ गया। मैंने इंजीनियर से पूछा तो मालूम हुआ कि १ लाख खुदाई में लगा और २ लाख से ज्यादा रुपया उस नदी को बांध कर पानी बहाया गया उससे फसल की बर्बादी तथा खेत जो बालू से पट गया उसकी बर्बादी हुई। इस तरह ४ लाख रुपया बर्बाद होने के बाद एक कौड़ी का फायदा उस खुदाई से नहीं हुआ। जितने गांव पहले बर्बाद होते थे उससे अब ज्यादा हुये हैं। जो सड़कें, नलकूप, टोंटियां लग रही हैं अगर हमारे मंत्रिगण देखें तो मालूम होगा कि एक तरफ विकास हो रहा है और दूसरी तरफ बर्बादी, हालत क्या है, वह रुपया कहां जा रहा है, मैं तो टोंटियों को देखता हूं, गोरखपुर शहर में स्टेशन पर जो लगी हैं, एक तो गोरखपुर में जल-कल इसी साल बना है, उस पर भी टोंटी ऐसी नहीं है जो ठीक से काम कर रही हों। यह मामूली सी मिसाल है।

सड़कों का जहां तक ताल्लुक है, पहले जो सड़कें बनती थीं वे ३०,३० साल चलती थीं। गोरखपुर में एक मिसाल मौजूद है, वह सड़क उन सड़कों से अच्छी है जो सड़कें पारसाल आपकी तरफ से बनी हैं। अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि यह रुपया जिन कामों में लग रहा है हमें उन कामों की तरफ भी देखना चाहिये कि वाकई यह काम मुस्तकिल हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं या सारा रुपया बर्बाद हो रहा है। मैं खुले तौर पर यह कह देना चाहता हूं कि जो रवैया आज है, विकास के नाम पर जो इतना रुपया बरबाद हो रहा है एक भी काम आपका १० वर्ष में बाकी नहीं रहेगा, सब ध्वस्त हो जायगा। जिस तरह का मैटीरियल लग रहा है, पैसा लग रहा है और जिस

बुरी तरह से चीजें उसमें लगायी जाती हैं, सारा सीमेंट, सारा लोहा ब्लैक में जाता है, बड़ी-बड़ी कोठियां आज ब्लैक से सीमेंट खरीद कर बन रही हैं। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं कि जब परमिट से सीमेंट नहीं मिल रहा है तो इतनी बड़ी कोठियां कैसे बन गयीं।

अभी हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कहा कि किसानों में काफी तरक्की हो रही है और उम्मीद है कि इस योजना के बाद दुगुनी आमदनी हो जायगी। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि वह फरेंदा तहसील में चल कर किसानों की हालत देखें कि उनकी हालत क्या है। नहरें आपकी सांप, बिच्छू की तरह उनको काटने को दौड़ती हैं, वे पानी नहीं लेते उन नहरों से, फ्लड लाने का काम हो रहा है और गांव के गांव डूबते जा रहे हैं। अगर पूछा जाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से तो वह बतायेंगे कि ऐसा काम हुआ है, नहरें ऐसी जगहों पर बना दी जाती हैं जिसकी वजह से सैकड़ों गांव डूब जाते हैं और आज हमारे यहां १००, १०० एकड़ के किसान दाने दाने को मोहताज हैं। आज जो कार्यस्थगन प्रस्ताव मैंने दिया था उसमें सभापति, पटवारी और १००,१०० आदमियों के दस्तखत थे कि भुखमरी हो रही है। आज गरीब किसान की हालत बरबाद होती जा रही है और वह मिटते जा रहे हैं। मैं मिसाल के तरीके पर बताना चाहता हूं कि लार कस्बे के अन्दर कम से कम १०० कोरी हैं। वे कभी भी हमारे जीवन में इस हालत में नहीं थे जैसे आज हैं। पहले उनके पास जमीन थी, खाने-पीने को था वे किसी के यहां मजदूरी करने नहीं जाते थे और आज यह हालत है कि उनके बच्चों के बदन पर कपड़े नहीं हैं। सभी दूसरों के यहां जाकर मिट्टी का काम और मजदूरी का काम करते हैं। लार के इलाके में टेस्ट वर्क इस बात का सबूत है कि वहां क्या हालत है, ढाई-ढाई हजार तीन-तीन हजार मर्द बच्चे और औरतें ४ आने और ६ आने में काम पर जुटते हैं। क्या यह इस बात का द्योतक नहीं है कि आज देश हमारा कहां जा रहा है। एफ० ए० और मैट्रिक पास लड़के रिक्शा चला रहे हैं। हमको इस तरफ भी अपनी नजर उठानी चाहिये। इसमें शक नहीं कि रुपया खर्चा हो रहा है। कुछ चीजें बन भी रही हैं, लेकिन रकम लम्बी खर्च हो जाती है और काम बहुत थोड़ा होता है जैसे खोदा पहाड़ और पायी चुहिया। इसमें शक नहीं कि विकास के काम दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें स्थायित्व नहीं है। वह ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकेंगे, उनके अन्दर मजबूती नहीं है। श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए तो अवश्य बधाई दूंगा कि उन्होंने रक्षक दल को जो कायम रखा और उसके लिए ऐसा काम निकाला है कि वह सभी आदमी उसमें काम करते रह जायेंगे। लेकिन इतना मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और निवेदन करूंगा कि जो लोग कन्फर्म नहीं हैं उनको भी कन्फर्म करके वह काम दें।

श्रीमन्, जहां तक जीवन स्तर ऊंचा करने का सवाल था मैंने बताया कि आज हमारे मध्यम वर्ग का किसान बहुत ही दुखी अवस्था में है और जितने भी ये नहर के काम हैं, कम से कम जो हमारी तहसील में हुए हैं वह इस बेढंगे तरीके से हुए हैं कि वह सिवाय बुराई के किसी भलाई के काम में नहीं आते। अब के साल उसके किनारे लोगों ने गन्ना बो दिया था। पानी जब मांगा तो इंजीनियर ने कहा कि इसके लिए नहर नहीं बनी है। वह तो खरीफ की फसल के लिए है और खरीफ फसल की हालत यह है कि वह फसल सूखने लगती है, उस वक्त तक नहर नहीं बांधी जाती, जब तक वहां काफी हल्ला नहीं मचाया जाता है कि फसल सूख रही है। फसल सूखने के करीब पहुंच जाती है तो नहर में पानी लाया जाता है। उसके बाद कम से कम दस बारह दिन में खेत में पानी पहुंचता है जब तक कि फसल सूख जाती है और वहां पानी का कोई असर नहीं होता है, लेकिन फिर क्या होता है नहर का पानी पहुंच जाने के कारण, हालांकि उससे फसल को कोई फायदा नहीं पहुंचा, लेकिन चूंकि नहर का पानी पहुंच गया इसलिए उसके लिए उनको लगान देना पड़ता है। सिंचाई के मन्त्री जी नहीं हैं। सन् १९५२ के एलेक्शन में वह वहां गए थे। उन्हें मालूम है। छूट

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

जो रकम उन्होंने देने का आर्डर किया, लेकिन आज तक वह किसानों को नहीं मिली। वह रकम उनका मुआवजा नहीं दी गई। आज कई साल हो गये उन नहरों को बने हुए, लेकिन उनकी [illegible] दी गई उसका लगान आज भी वह गरीब किसान देता है। डाक-बंगला बना हुआ है। माननीय मंत्रिगण जाकर वहां ठहरते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता [illegible] लगान के लिए आज भी वह गरीब किसान मारा जाता है, पीटा जाता है और [illegible] उससे लगान वसूल किया जाता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस तरफ भी ध्यान दें और मैं सदन के माननीय सदस्यों से भी यह कहूंगा कि [illegible] इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों जो बातें उनको देहातों में देखने को मिलती हैं उनको [illegible] न कहें, लेकिन अपनी पार्टी मीटिंग में अपने माननीय मन्त्रिगण से जरूर ही कहें, क्योंकि उनकी दशा बराबर शोचनीय होती जा रही है। आज सुबह मैंने जो सवाल पूछा [illegible] कि वह नहीं लिया गया कि जो गल्ला आप देते हैं अपनी तरफ से [illegible] की दुकानों को सस्ता बेचने के लिए वह गल्ला जो ब्लैक में बिक जाता है उसकी सजा करने का कोई कानून है। वह सवाल तो नहीं लिया गया, लेकिन जब मन्त्री जी के सामने मैंने उसे रखा तो वह चौंक पड़े कि क्या ऐसा भी होता है। उन्होंने सेक्रेटरी से पूछा कि क्या कोई कानून है कि उन दूकानदारों को सजा दे दी जाय तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई कानून नहीं है। तहसीलदार से मिलकर वह गल्ला ब्लैक करने वालों को दे देते हैं और [illegible] जो सबसिडी अपनी तरफ से मदद करने को सरकार देती है वह दूकानदार खा जाते हैं। अगर जनता हल्ला मचाती है तो उसे बदल कर उसके नौकर-चाकर रिश्तेदार को रख दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता--आप का समय समाप्त हो गया।

श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)--अधिष्ठाता महोदय, मैंने इस सदन के वाद-विवाद को काफी दिलचस्पी और गौर के साथ सुना और मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि आज अपोजीशन की तरफ से जो स्पीचें हुईं उनसे मुझे काफी निराशा हुई, क्योंकि प्लानिंग के बारे में उनसे कहीं ज्यादा अच्छे डिबेट की आशा की जाती है। इधर के बैठने वाले लोग उनके अकीदे के मुताबिक नकली सोशलिस्ट हैं। इसलिये असली सोशलिस्ट लोगों से प्लानिंग जो सोशलिज्म का जुज है उसके बारे में एक अच्छे डिबेट और अच्छी आलोचना और कहीं अच्छे सुझाव की आशा होनी चाहिये। मुझे खेद है कि आज कोई भी प्रमुख नेता अपोजीशन का इस सदन में ऐसे अहम डिबेट के मौके पर नहीं है। जहां तक कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अनुदान का सम्बन्ध है, इसमें दो रायें नहीं हैं कि कांग्रेस मिनिस्ट्री का सब से ज्यादा और कोई ठोस कदम आम लोगों तक पहुंचने का और अपने इरादों को जाहिर करने का मिला है तो कम्युनिटी प्रोजेक्ट के जरिये से ही उसका परिचय मिला है। कम्युनिटी प्रोजेक्ट के जरिये भी काफी काम हुए हैं, इससे इंकार करना कोई मुनासिब बात नहीं होगी। लोगों में इस बात की प्रेरणा पैदा हुई है कि हमें अपने यहां अच्छी सड़कें बनानी हैं, अच्छे स्कूल बनाने हैं, अच्छी नहरें बनानी हैं और न जाने कितने कैम्पेन्स हुए हैं जिनमें लाखों लोगों ने भाग लिया है। यह सही है कि प्रगति हुई है, लेकिन प्रगति के साथ-साथ कुछ क्षेत्र में अवगति भी हुई है, इससे भी इन्कार नहीं करना चाहिये।

अधिष्ठाता महोदय, मेरा कहना भी काफी नहीं है। इवैल्युएशन कमेटी की रिपोर्ट बतलाती है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम व काम में बहुत सुधार की आवश्यकता है। बहुत से काम छुए तक नहीं गए। इसके पढ़ने वाले यह भी समझते हैं कि इसमें और तरक्की हो सकती है। मैं भी यह समझता हूं कि प्लानिंग के काम में प्लानिंग को एक महकमा नहीं समझना चाहिये। प्लानिंग को अगर आप महकमा समझेंगे तो प्लानिंग में तो जो क्रान्तिकारी मनोवृत्ति निहित है वह खत्म हो जाती है। प्लानिंग को एक आन्दोलन के रूप में लेना चाहिये, जिसमें हर आदमी को अपने काम को एक नियोजित रूप से करना होगा। प्लानिंग में

आफ [illegible] ([illegible]) के स्टैंडर्ड [illegible] बतलाना होगा। अब तक प्लानिंग का यही स्टैंडर्ड [illegible] नहीं, पैदावार बढ़ी या नहीं। ये सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन प्लानिंग के इवैल्युएशन का स्टैंडर्ड होना चाहिये कि लोगों के दिलोदिमाग में जो प्लानिंग के प्रोग्राम हैं उनके प्रति उनकी आस्था बढ़ी या नहीं। जो प्लानिंग का ध्येय है लोगों में एक नई [illegible] से, उमंग और आकांक्षा पैदा करना और देश में [illegible] प्रोब्लेम माइन्डेडनेस (problem mindedness) पैदा करना। कोई प्रबलम केवल सरकार हल नहीं किया करती। प्राबलम हल हुआ करता है जब समूचे देश उसको एक की तरह दूसरे [illegible] ढंग से, सिविल तरीके से हल करने की कोशिश करता है। इस नजर से जब हम देखते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमारी प्लानिंग में कुछ कमी है। हमारी प्लानिंग में लोगों के विचार में कोई क्रान्ति नहीं [illegible] उनके विचार उखड़े हुए हैं। वे हमारी प्लानिंग को महज सुविधा और लाभ की नजर से देखते हैं।

श्रीमन्, अभी नेगी जी की कुछ बातों से मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने प्लानिंग का ध्येय बतलाते हुये इस बात पर एमफेसिस दिया कि लोगों का स्टैंडर्ड आफ लिविंग ऊंचा उठना चाहिये। अगर इतना ही ध्येय है तो मैं अदब से कहूंगा कि प्लानिंग का ध्येय सिर्फ इतना ही नहीं है, वह काम तो एक पुलिस स्टेट भी कर सकती है। ब्रिटेन में लोगों का स्टैंडर्ड लिविंग ऊंचा उठ गया है, लेकिन वह प्लानिंग की नीति के विरुद्ध है। अमेरिका में भी स्टैंडर्ड आफ लिविंग ऊंचा है.........

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैंने सिर्फ यह नहीं कहा। मैंने यह कहा कि यह एक मुख्य चीज है।

श्री गोविन्द सहाय—जी हां, आपने यह कहा कि यह मुख्य चीज है। मैं आपको बतला रहा हूं कि यह बुनियादी मुख्य चीज नहीं है। इस गलतफहमी का नतीजा यह हुआ है कि सारे लोगों का कंसेंट्रेशन इसी तरफ रह गया है कि सड़कों का टार्गेट पूरा किया जाय, लेकिन ध्येय यह होना चाहिये कि टार्गेट के साथ-साथ लोगों के अन्दर आकांक्षा पैदा हो कि एक नया समाज हमारे प्रयत्न से बनेगा, हमारा उसमें योग होगा, इस पर एमफेसिस ज्यादा होना चाहिये, इस स्टैंडर्ड आफ लिविंग के एमफेसिस पर लोगों का ऐसा खयाल हो गया है कि सरकार का काम सड़कें बनाना है। सरकार से रुपया मिलता है तो उससे रुपया ले लो। यह मनोवृत्ति, प्लानिंग का जो ध्येय है, ठीक लाइन पर ले जाने वाली नहीं है।

श्रीमन्, मैं जरा मुनासिब नहीं समझता जब बहस हो किसी अनुदान पर तो वही बातें दोहराई जायं कि हमारे सब आफिसर्स करप्ट हैं, बड़ा भ्रष्टाचार फैल रहा है। इससे मसला हल नहीं होता। बल्कि और मसला पेचीदा हो जाता है और एक रिजिडिटी बढ़ जाती है। अगर बार-बार कहा जाता है कि तुम नालायक हो, बेईमान हो तो वह कहता है कि यह आखिरी बात हो गई, अब काम करने की जरूरत नहीं है। सोशलिस्टिक सोसाइटी के निर्माण में सेवाएं भी उतनी ही जरूरी हैं जितने कि पोलिटिकल लीडर्स। दो तरह से समाज मोड़ा जाता है एक सेवाओं के जरिये से और दूसरे पोलिटिकल लीडर्स के जरिये से। सेवाओं को रोज-रोज मौके बे मौके यह कहना ज्यादा मुनासिब नहीं मालूम होता कि तुम बेईमान हो, करप्ट हो। मेरा खयाल है कि सेवाओं के अन्दर भी काफी नवयुवक ऐसे हैं जिनका सोशलिज्म में एतकाद है, जो कुछ करना चाहते हैं। अगर नहीं कर पाते तो वह सिस्टम ही है जो उन्हें करने नहीं देता। कुछ पाबन्दियां हैं जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देतीं। उसकी सीमाएं हैं जो उनके दिमागों और दिलों के ऊपर रुकावट डालती हैं। इसलिये हमारा एमफ़ेसिस इस बात पर होना चाहिये कि हम उस सिस्टम को बदलवाएं।

[श्री गोविन्द सहाय]

दूसरे हमारे प्लानिंग का जो प्रोग्राम है वह स्पारेडाइक है, उसमें कंटीन्युइटी नहीं है। मैं चाहूंगा आपके जरिये मिनिस्टर महोदय से कि इस प्रोग्राम के अन्दर कुछ ऐसे आइटम भी जोड़े जायं जो रोजाना की जिन्दगी में लोगों को काम दें। हर आदमी गांव का कुछ न कुछ काम करे, अपनी सेहत के लिये करे, अपने जानवरों की सेहत के लिये अपनी जमीन की तरक्की के लिये करे। ऐसा कोई प्रोग्राम होना चाहिये जिसमें सभी आदमी उसमें लगे रहें, जैसे फ्लड की प्लानिंग है और दूसरे हैं, जिसमें लोगों को रोजाना काम मिले। हमारे मौजूदा प्रोग्राम के अन्दर कंटीन्युइटी नहीं है।

तीसरी बात यह है प्लानिंग के बारे में कि आहिस्ता आहिस्ता प्लानिंग एक मुहकमा बनाता चला जा रहा है। प्लानिंग एक नयी सोशल साइंस है, जिसने पिछड़े देशों की कायापलट की है, उनको ऊंचा उठाया है। अगर हम उसे मुहकमा समझ लेंगे और उसका दर्शन नहीं बनायेंगे कि क्यों प्लानिंग होना चाहिये तब तक किसी प्रकार की उन्नति नहीं हो सकती और उससे कोई लाभ नहीं हो सकता। प्लानिंग के जो संघर्ष होते हैं उनमें भी कम जानकारी लोगों को होती है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की बैकग्राउंड क्या थी, उस का ध्येय क्या था और दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या ध्येय है उन्हें बहुत कम जानकारी है कि प्लानिंग से किस प्रकार सोशलिज्म की तरफ जा सकते हैं। हमारे जो विलेज वर्कर्स हैं, सेक्रेटरीज, एडीशनल सेक्रेटरीज और डेपुटी सेक्रेटरीज हैं उनकी प्लानिंग के विषय में रिएजूकेशन होनी चाहिये। उस का जो प्रोसेस है वह उस में सेवाओं के दिमागों को बदलने और सोचने के ढंग को बदलने पर एमफैसिस होनी चाहिये। मुझे कोई अफसोस नहीं अगर भौतिक उन्नति कम हो, लेकिन उसके साथ दिमागी, सांस्कृतिक और नैतिक उन्नति हो तो समाज उन्नति की ओर अग्रसर होगा। जीवन के एक क्षेत्र में अगर तरक्की होती जाय और दूसरे में न हो तो वह पूरी तरक्की नहीं होगी। प्लानिंग ने काफी पिछड़े लोगों को और देशों को बदला है। सोवियट रूस के बाद हिन्दुस्तान दूसरा देश है जिसने प्लानिंग को अपनाया है और एक नया इतिहास आरंभ हुआ है। हम में से हर एक, चाहे इधर बैठे चाहे उधर सबको इस विषय के ऊपर बगैर भेद-भाव के प्लानिंग के प्रश्न और विचारधारा को जनप्रिय बनाने के लिये काम करना चाहिये और ऐसी आबोहवा पैदा करनी चाहिये कि प्लानिंग हमारे सोचने का ढंग बन जाय, हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाय।

†श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, अभी उधर से शिकायत की गयी है कि प्लानिंग पर हम बोलते वक्त सोशलिज्म का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। मैं अपने भाई साहब से प्रार्थना करूंगा कि यह बात जरूर हुई है। बात इस ढंग से हो गई कि प्लानिंग जो आपने किया है उससे हमने सोशलिज्म का कोई सम्बन्ध ही नहीं समझा। हम यह समझते ही नहीं कि इसका कोई ताल्लुक आपने सोशलिज्म से रखा है।

उदाहरण के तौर पर वित्त मंत्री का जब मैं भाषण पढ़ता हूं तो पहले ही पृष्ठ पर उन्होंने कबूल किया है कि हम सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ-साथ उन्होंने यह भी कबूल किया है कि हम जनतांत्रिक ढंग से जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि वित्तमंत्री स्वयं कबूल करते हैं कि यह दोनों चीजें अलग हैं। यह समझते हैं कि सोशलिज्म की तरफ जाने में जनतंत्र ऐसा ढंग है जो रुकावट डालता है। मैंने समझा कि चूंकि वह जनतांत्रिक ढंग से नहीं जाना चाहते, इसलिये सोशलिज्म की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं।

एक बात मैं आपके प्लानिंग पर जरा कह दूं कि इसकी बुनियाद सोशलिज्म पर नहीं रखी गयी है। साढ़े छै करोड़ आदमी इस प्रदेश में रहते हैं। सोशलिज्म का अगर जरा भी तरीका हमने अपनाया होता तो हमारा ढंग यह होता कि हम इन साढ़े छै करोड़ आदमियों को उठाने का प्रयत्न करते। ज्यादा उठा सकते या कम उठा सकते, हमारा प्रयत्न यही होता कि हम सभी आदमियों को साथ

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उठायेंगे। आपकी प्लानिंग और पंचवर्षीय योजना का प्रयत्न यह है कि ४०–५० हजार आदमी पहली पंचवर्षीय योजना में उठा दिये। दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक लाख आदमियों को ले लें और तीसरी में दस लाख आदमियों को ले लें तो इस तरह से थोड़े-थोड़े आदमियों के उठाने का जब आप प्रयत्न करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मैं सोशलिज्म के ढंग से टीका करूं तो मैं परेशान रहता हूं कि मैं टीका कैसे करूं। आपने तो बुनियाद ही सोशलिज्म की नहीं रखी है। आपने नये ढंग से थोड़े आदमियों ने प्लानिंग का काम करना प्रारम्भ किया है। यही वजह है कि [illegible] यह है कि आप सिलेक्टिव प्लानिंग कर रहे हैं। आपने थोड़े आदमियों को उठाने का प्रयत्न किया है। मैं कहूंगा कि यह सोशलिज्म नहीं है। एक भाई साहब ने कहा था कि जन-सहयोग नहीं मिल रहा है। जन-सहयोग क्यों मिले जब कि आप जनतांत्रिक ढंग पर काम ही नहीं करना चाहते हैं।

मुझे मालूम है कि आज से दो वर्ष पहले आपने प्लानिंग का ढोंग रचने का प्रयत्न किया था कि आपके प्लानिंग की स्कीम गांव से होकर तहसील में और तहसील से जिले में और जिले से सूबे में और फिर दिल्ली चली जायगी। लेकिन गांव से जो स्कीम आई वह तहसील के ढांचे में फिट नहीं हो रही थी, इसलिये उन्होंने अपनी प्लानिंग की, और उसको जिले में भेजा जो जिले के ढांचे में भी फिट नहीं आई तो उसका नतीजा यह हुआ कि वहां दूसरा ढांचा बनाया गया। सूबे में क्या हुआ प्रदेश में क्या हुआ? मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि गांव वालों ने जो प्लानिंग की थी उसका एक अक्षर भी इसमें नहीं है। यह मेरा अपना अनुभव है। मैं एक तहसील की मीटिंग में मौजूद था। जब ५०० पत्रों की किताब को खोलकर बताया गया कि यह चीजें तुम्हारे यहां होंगी तो गांव वाला भौचक्का रह गया। उसने बताया कि मैंने दूसरी चीजें रखी थीं। गांव में बनाने के लिये तो यह चीजें कैसे लिख दी गईं। मैंने पूछा क्या बात है? यह गड़बड़ी कैसे हो गई? प्लानिंग आफिसर ने बताया कि मैंने स्कीम बनायी है इतनी सड़कों की, इतने कुओं की, गांव की स्कीम इसमें फिट नहीं हो रही थी। इसलिये हम लोगों ने अपनी प्लानिंग बना दी है। यह आपका जनतंत्र की तरफ जाने का ढंग है तब आप जन-सहयोग कैसे पायेंगे? गांव वाले जो बात कहते हैं वह आपके प्लानिंग में फिट नहीं होती है और आप दूसरे काम करते हैं, जिसका नतीजा होता है कि आपको जन-सहयोग नहीं मिलता है। आपके सूचना विभाग से सुन्दर-सुन्दर तस्वीरें भेजी जांय तो क्या देहाती उसको देख कर समझ लेगा कि अब काम करने का समय आ गया है और हमें काम करना चाहिये। आप उस बगैर पढ़े लिखे को इतना मूर्ख न समझें। वह जानता है कि आप काम करते हैं या नहीं? आपका प्लानिंग क्या है? इसलिये आप जन-सहयोग नहीं पा रहे हैं। आप उधर जायेंगे तो मिलेगा। जब आप सच्चाई के साथ उधर जायेंगे तो आपको जरूर सहयोग मिलेगा।

प्लानिंग पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। प्लानिंग की जो अलग मद रखी गई है उसमें ८ करोड़ रुपया है। इसके जांचने पर मालूम हो जायगा कि जिले के हेड क्वार्टर्स पर और ब्लाक्स के हेड क्वार्टर्स पर बिल्डिंग्स बनने के लिये तीन करोड़ रुपया रखा गया है और देहातों के विकास के लिये केवल तीन करोड़ रुपया रखा गया है। मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप हेडक्वार्टर्स में बिल्डिंग वगैरह में तीन करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं और कुल इतना ही रुपया देहातों के विकास के लिये रखते हैं तो कैसे आप का प्लानिंग कामयाब हो सकता है? इससे मालूम होता है कि थोड़ी सी जगहों को आप ऊंचा उठा लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे। तीन अरब से ज्यादा रुपया आप प्लानिंग में खर्च करेंगे, यह रकम जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बताया, बहुत थोड़ी है, हमारी मांग बहुत ज्यादा थी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये तीन अरब रुपये भी अगर देहात में पहुंच जाते तो बहुत बड़ी तरक्की होती, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। मैं जानता हूं कि प्लानिंग में अधिक रुपया या तो नौकरों पर खर्च हो जाता है और जो कुछ बचा बचाया रुपया

[श्री देवी प्रसाद मिश्र]

देहात में जाने की कोशिश करता है उसका भी ६० फ़ीसदी बीच में ही कहीं रुक जाता है। कहां रुपया जाता है यह तो सरकार के लोग जानें, लेकिन देहात में रहने की हैसियत से मैं जानता हूं कि कुल १० फ़ीसदी ही वहां पहुंच पाता है। प्लानिंग कमेटी में मैंने खुद पेश किया था कि जो रुपये का बटवारा होता है वह प्लानिंग कमेटी में अगर न किया जाय तो कोई बहुत बड़ी कमी नहीं होगी, लेकिन उस ग्रांट से क्या काम हुआ उसको देखने के लिये कम से कम एक ब्यौरा हम लोगों के सामने आना चाहिये। बार-बार यह मांग करने के बाद भी मुझे जिले से ब्यौरा नहीं मिला। इसका कारण यह है कि वहां कोई ब्यौरा रखा नहीं जाता है। वहां यह मान लिया जाता है कि रुपया खर्च हो ही गया होगा। मैं और जगहों की बात नहीं कहता, जिस जगह से आया हूं वहां की बात कहता हूं। टांडा में एक नहर निकल रही है। नहर खुद कर तैयार हो गई है, बंगले बन चुके हैं, सब कुछ हो गया है। सिर्फ़ एक चीज नहीं हुई है, पानी उठाने वाली मशीन नहीं आयी है। वह अभी दो वर्ष तक नहीं आयेगी। नहर खोद डाली, कई लाख रुपये आपने खर्च कर दिये, लेकिन यह न सोच सके कि नहर में सब से पहले जरूरत जो हुआ करती है वह मशीन की हुआ करती है। वह आपके पास नहीं है। हमने पूछा तो एक आदमी ने बताया कि फ़ारेन एक्सचेंज जो सबसे जरूरी चीज थी, उसका हमें खयाल नहीं आया जिसकी वजह से गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से बातचीत न हो सकी और मशीन नहीं आ सकी।

श्री अधिष्ठाता--आपका समय समाप्त हो गया।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बात की घोषणा की कि वे पी० आर० डी० को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि उसे दूसरे कामों में लगा कर उसे अधिक उपयोगी बनायेंगे।

नियोजन के सम्बन्ध में अभी चर्चा हुई। हमारा देश, जैसा आपको विदित है, एक नये रास्ते से चल रहा है। नियोजन का पहला प्रयोग एक ऐसे देश में हुआ जो कि हमसे भिन्न रास्ते पर चल रहा है। उस देश जैसा विचार और कार्य का रेजीमेन्टेशन हमारे देश में नहीं है। हमने जनतंत्र की भावनाओं से और जनतंत्र के रास्ते से नियोजन के कार्य को करने का प्रयत्न किया है। नियोजन का क्या लक्ष्य है? मैं तो समझता हूं कि नियोजन का हमारा लक्ष्य यह है कि हम देश के उत्पादन को बढ़ावें और उसके लिये हम जिन रास्तों का अवलम्बन करें उनमें उचित समन्वय और सामन्जस्य (Co-ordination and Balancing) करके यहां एक ऐसी अर्थ नीति का प्रादुर्भाव करें जो कि हमारे उत्पादन को ही न बढ़ाये, बल्कि हम उत्पादन से जो शक्ति इस देश में पैदा करें, उसका अधिक से अधिक उपयोग करें और देश के गरीब से गरीब लोगों तक उसको पहुंचाने का प्रयत्न करें। मेरी समझ में नियोजन का हमारा यही लक्ष्य हो सकता है। वैसे तो देश के जीवन के स्तर को बढ़ाने का प्रयत्न शायद दूसरे देश भी कर रहे हैं। जहां कि अभी नियोजन का काम प्रारम्भ नहीं हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि जनतंत्र के तरीके पर हमारे देश में नियोजित रूप में पहला प्रयत्न है। मैं नहीं समझता हूं कि बिना स्वतंत्रता का अपहरण किये हुये, कार्य करने और विचार करने की स्वतंत्रता के बिना अपहरण किये हुये और नियंत्रित तरीके पर, क्योंकि आप जानते हैं कि नियोजन में जब हम उत्पादन करते हैं तो बहुत सी जगह हमको नियंत्रण भी करना पड़ता है [illegible]

[illegible] सकते हैं। इसमें कहां तक हमको सफलता हुई इस पर विचार करना है।

कि रूस भी साल आठ साल के बाद ऐसी स्थिति में हुआ था जब वह अपनी पहली पंचवर्षीय योजना को उपस्थित कर सकता, लेकिन हमारे देश ने स्वतन्त्र होने के बाद शीघ्र ही प्रथम पंचवर्षीय योजना

को प्रारम्भ किया । इस सम्बन्ध में मैं यह नहीं कहता कि उसमें कमियां नहीं रहीं । बहुत सी बातें उसमें ऐसी रहीं जिनको कि हम शायद अधिक अच्छी तरह करना चाहते, लेकिन फिर भी एक नये तरीके से जिस तरह से हमने अपनी पंचवर्षीय योजना में सफलता प्राप्त की, मैं समझता हूं कि आज दुनिया उसकी साक्षी है, इतिहास उसका साक्षी है । इस तरह से किसी भी देश में नियोजन को सफलता प्राप्त नहीं हो सकी, लेकिन जब मैं यह कहता हूं उसके साथ ही मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और जो दूसरे विचारवान लोग हैं उनके सामने भी दो-चार बातें रखना चाहता हूं । आज हमारी अर्थ नीति में, हमारे प्रदेश की अर्थ नीति में एक विरोधाभास, कन्ट्राडिक्शन, कई चीजों में पैदा हो गया है । जब हम अपने देश के आंकड़ों को देखते हैं कि हमारे देश ने धन के उत्पादन को पहले से बढ़ाया है, लेकिन मेरा खुद का अनुमान है, हो सकता है कि हमारे विभाग उसके विरोध में भी कहें, लेकिन मेरा खुद का कलकुलेशन है और मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि जहां हमारे प्रदेश में सम्पत्ति बढ़ी है वहां पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय घट भी गयी है । तो यह देखा बात है और इसको हमें अच्छी तरह से देखना है ।

दूसरा विरोधाभास हमारी अर्थनीति में यह है कि कृषि के क्षेत्र में हमने उत्पादन बढ़ाया है, लेकिन उसके साथ यह भी निश्चित है कि हमारा प्रति एकड़ उत्पादन जो है वह घट गया है । इसका कारण यह है कि हमारी समस्यायें जनसंख्या के बढ़ने से उत्पन्न हुई हैं, समस्यायें हमारी सफलता से दो कदम आगे बढ़ रही हैं । इसी तरह से हमारे देश में, हमारे प्रदेश में विभागों पर और हमारे एन० इ० ए० प्रोजेक्ट्स और दूसरे प्रोजेक्ट्स का मल्टिप्लीकेशन हुआ है । मुझे बड़ा खेद है कि जनता की ओर से इन योजनाओं के लिये आधारभूत चीज जनता का सहयोग और जनता का उत्साह (जिनकी बहुत ही आवश्यकता होती है) इस देश में नहीं है । मैंने कही थी रेजीमेंटेशन आफ़ थाट की बात । दूसरे देशों में लोग विचारों को नियोजित कर के एक दूसरी विचार धारा सामने ही नहीं आने देते और इस प्रकार उनके देश में कार्य करने के लिये एक लगन पैदा होती है । उसको हम कैसे करें ।

आज तो हमारे देश में जब चकबन्दी का प्रश्न आता है तो ऐसे दल हैं हमारे देश में कि जो यह कहते हैं कि चकबन्दी बन्द करो । गरीब और अशिक्षित जनता के सामने वह इस प्रकार का भ्रम पैदा करते हैं कि मानो चकबन्दी किसी भी अर्थनीति के अनुसार इस देश में उपयोगी नहीं है । मैं मानता हूं कि उसमें गलतियां हो सकती हैं, परन्तु चकबन्दी की उपयोगिता को देखते हुये हमको और प्रत्येक देशवासी को उसके लिये प्रयत्न करना चाहिये । जब हमारे कम्युनिस्ट भाई यह तय करते हैं कि इसको बन्द करो तो मेरी समझ मे यह नहीं आता कि यह क्यों ? चीन और रूस में चकबन्दी हो सकती है, कलेक्टिव फार्मिंग हो सकती है , लेकिन इस देश में क्यों ऐसा नहीं हो सकता ? मै कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में जहां बहुत सी चीजों मे विरोधाभास पैदा हो गया है वहां मैं समझता हूं कि राजनीतिक दलों की विचारधारा में भी बहुत कुछ विरोधाभास चल रहा है ।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्लानिंग के सम्बन्ध मे एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कागज की बहुत कार्यवाही होती है, बिल्डिंग्स की बहुत सी बाते होती हैं, लेकिन उस अंडर डाग के लिये, जिसके लिये कि आज सारे देश में आवाज उठायी जाती है , उस तक हमारी योजनाओं की आवाज नहीं पहुंच पाती । मै यह अपील करना चाहता हूं कि जो गरीब हैं, जिनके पास खड़े होने के लिये भित्ति नहीं है, हमको यह देखना है कि हम उनको कैसे खड़ा करें । मैंने इवेलुएशन रिपोर्ट को पढ़ा और उनका यह कथन है कि हम काटेज इंडस्ट्री के लिये फर्स्ट इयर प्लानिंग में कुछ भी नहीं कर सकें । मेरा ख्याल है कि गांवों की अर्थनीति नहीं उठ सकती जबतक घरेलू उद्योगधंधों को लोगों के घरों में प्रविष्ट न किया जायगा ।

एक बात मैं पी० आर० डी० के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहां स्पोर्ट्स की कौंसिल है पी० आर० डी० का जो स्पोर्ट्स का विषय है उसे उसके सिपुर्द कर दिया जाय ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं खड़ा हुआ हूं इस ओर से प्लानिंग विभाग के अनुदान पर जो एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में। श्रीमन्, कुछ कहने के पहले मैं एक बात की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान अवश्य आकृष्ट करना चाहूंगा। श्रीमन्, यह दो पुस्तिकाएं हम लोगों को पढ़ने के लिये दी गयी--उत्तर प्रदेश इन फीगर्स १९५२-५४ और १९५३-५५। श्रीमन्, इन दोनों पुस्तिकाओं में जो आंकड़े दिये गये उनके मैं दो ही उदाहरण दूंगा कि कितना भेद उन आंकड़ों में है। डेवलपमेंट वर्क्स इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स एण्ड नेशनल एक्सटेंशन ब्लाक्स इन उत्तर प्रदेश में। श्रीमन्, कहा जाता है कि जो एरिया रिक्लेम्ड जमीन का है, जो खेती योग्य भूमि बनाई गई सरकारी प्रयास से वह १४,७८५ एकड़ बताई गई है १९५३-५४ में और इस पुस्तक में जब उस आंकड़े को [illegible]

[illegible] ·५५ में

[illegible] आंकड़े दिये जाते हैं, जिनको ५४-५५ का कहा जाता है। अब हम किस आंकड़े का विश्वास करें? मुझे ऐसा लगता है कि जैसा ग्रीक माइथोलाजी में कहा गया है कि:

"Minerva sprang from the head of Jupitor fully armed to satisfy th whim of the movement."

यह आंकड़े भी उसी प्रकार के हैं। आज ब्यूरोक्रैसी के मस्तिष्क से यह आंकड़े उनकी क्षणिक तुष्टि की दृष्टि से निर्माण किये जाते हैं। श्रीमन्, मैं आंकड़े की बात नहीं करूंगा। मैं केवल एक ही प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने रखूंगा। यह पुस्तकें जिस प्रकार से प्रचार विभाग के द्वारा छपवाकर हम लोगों को बांटी जाती है यह Thomas cook कम्पनी की किताबों की तरह से हुआ करता है। इसके लिये कम से कम ऐसा किया जाय कि administrative reports दी जायं जिसके आधार पर कुछ भी अन्दाजा लग सके कि हमारे प्रान्त में वास्तव में कितनी उन्नति हुई है और हम कितने पीछे गये हैं। श्रीमन्, यह प्लानिंग आखिर किसलिये की जा रही है? कहा जायगा कि समाज के लिये, किन्तु इस प्लानिंग में छोटे-छोटे लोगों के उत्थान के लिये कहां पर समावेश है? उन लोगों की आवश्यकता, उनकी आशा और आकांक्षा का इस प्लानिंग के अन्दर समावेश कहां है? आज यह प्लानिंग ऊपर से लादी जा रही है। लादने से कोई प्लानिंग नहीं चल सकती और न सफल हो सकती है। कोई भी प्लानिंग जो ऊपर से की जायगी वह कदापि सफल नहीं होगी। प्लानिंग नीचे से होनी चाहिये थी। स्थानीय जनता के हृदयों से आने का इस प्लानिंग में प्रयास होना चाहिये था। मैं यह बात कहूं कि यह साधारण जनता के मन से प्रभावित नहीं हो रही है। प्लानिंग कमीशन ने इस प्रान्त की प्लानिंग के सारे विषयों का इवैल्यूएशन किया है और उनकी रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि गांव पंचायतों को इस योजना से कितनी सफलता मिली है। गांव पंचायतों से इन योजनाओं में कोई कोआपरेशन नहीं मिला है। जब उन्होंने यह कहा कि कोआपरेशन पंचायतों से नहीं मिलता और उस कोआपरेशन के न मिलने के कारण सब से बड़ा भीषण परिणाम यह हुआ है कि जो उन्होंने अपनी इस इवैल्युएशन रिपोर्ट के १९वें पैराग्राफ में कहा है:

"There is wide disparity in the distribution of the achievement and therefore of the benefits of community project programmes. This disparity exists as between different blocks in the project areas. Within the blocks it exists as between the headquarter villages of Gram Sewakas, the villages easily accessible to them and the villages not so easily accessible. Within the villages, it exists as between cultivators and non-cultivators : and within the cultivating classes, it exists as between cultivator of bigger holdings and larger financial resources and those of smaller holdings and lesser financial resources. This is a matter of serious concern not only in term of

regional and social justice but also in terms of the political consequences that may ensue in the context of the increasing awakening among the people".

श्रीमन्, आप यह प्लानिंग कर रहे हैं लोगों के उत्थान के लिये, लेकिन हमारे ग्रामों से इससे दर्शीकरण खड़ा हो रहा है। यह जो आप प्लानिंग कर रहे हैं यह लोगों के हृदय से नहीं उठ रहा है, क्योंकि आपने इसके अन्दर उनकी इच्छाओं का समावेश नहीं किया है। यह केवल इसी नीति का परिणाम है कि आप इस योजना को ऊपर से लाद रहे हैं। श्रीमन्, आज इस रिपोर्ट को देखा जाय जो कि डेवलपमेंट कमिश्नरों की छठी कान्फ्रेंस मसूरी में हुई थी। मुझे इसको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जो बातें प्लानिंग कमीशन ने अपनी इस इवैल्युएशन रिपोर्ट में कही हैं उनको डेवलपमेण्ट कमिश्नरों ने माना, परन्तु ब्यूरोक्रैसी ने उन बातों को छिपाने का प्रयास किया है। इस रिपोर्ट के ३४वें पेज पर यह कहा गया है कि :

"It was also felt that the observation in para. 10 of the Summary that 'items involving change in social attitudes, such as, readiness to go in for Community Centres, Youth Clubs and Women's Organizations are, generally speaking, least successful' did not correctly represent the position in the States. White the coverage of Community Centres, Youth Clubs and Women's Organizations was not extensive enough, it was considered that these were generally successful wherever established. In regard to the observation that 'readiness to use panchayats for planning and executing village development programmes are comparatively unsuccessful', it was noted that these observations may not apply to certain States, e. g., U. P., Punjab and Orissa, etc."

अब प्रश्न इसमें यह उठता है कि यह सुझाव कि पंचायतों का प्लानिंग के लिये उपयोग किया जाय अगर उत्तर प्रदेश में नहीं लागू हो सकता तो इसका क्या कारण है। क्या हम यह मान लें कि यहां हमारी पंचायतों का कार्य असफल रहा है? या हम यह मानें कि वहां के अधिकारी सारे निकम्मे हैं? अगर यह माना जाय कि नियोजन के कार्य में पंचायत का कोई स्थान नहीं है तो क्या यह मानना कठिन होगा कि हमारी पंचायतें असफल रही हैं? ब्यूरोक्रैसी अपने आपको जस्टीफाई करने के लिये अच्छी चीजों को बुरा बनाकर अपने आपको अच्छा प्रकट करने की कोशिश करती है। प्लानिंग बहुत सुन्दर है। परन्तु इसके नतीजों पर भी विचार किया जाय। हमारे यहां इसमें कम्यूनिटी प्रोजेक्ट है, उसके बाद एन०ई०एस० ब्लाक, इन्टैंसिव डेवलपमेंट ब्लाक और फिर पोस्ट इन्टैंसिव डेवलपमेंट ब्लाक हैं। यह इनकी सीढ़ी है। हमारे यहां सड़कें बनीं, अस्पताल बने, लेकिन उनका मेन्टीनैंस कौन करेगा? अगर यह कहा जाय कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स करेंगे तो प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि उनके पास पैसे का आधार नहीं है, उसे वे नहीं संभाल सकते हैं। कार्य कर लेना सुन्दर होता है, लेकिन उसे सफल करने के बाद उसकी स्थिरता की योजना होनी चाहिये थी। इस दृष्टि से कोई विचार नहीं किया गया है।

यह कहा जाता है कि प्लानिंग के कार्य में हम सफल हुए। कुछ मात्रा में हुए, परन्तु क्या इससे हम अपने गांव के जीवन में, उनके रहन-सहन के ढंग में कोई विशेष परिवर्तन ला सके हैं? यह नहीं हो सका है। उसमें हम असफल हुए हैं। हम अपने प्लानिंग के कार्य में एक भावना थोड़ी मात्रा में जरूर जगा सके हैं। चौथी इवैलुएशन रिपोर्ट में दिया है कि

"While there has been considerable increase in rural consciousness of economic, and to a smaller extent, of social needs, objective of stimulating, continuing and positive effort based on self-help for promoting economic or social development has been comparatively unsuccessful"

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

हम अपने गांवों के लोगों की आकांक्षा थोड़ी मात्रा में अवश्य जगा पाये, लेकिन आर्थिक दृष्टि से क्या प्रयास प्लानिंग विभाग ने किया ? आवश्यकता तो इस बात की थी कि आज जो नगरों या गांवों में अंग्रेजी के अक्षर ए से जेड तक, बी० डी० ओज, ए० डी० ओज इत्यादि बने हुए हैं उनके स्थान पर टैक्निकल एक्सपर्ट्स देने चाहिये थे। भूमि में आर्थिक दृष्टि से कार्य कराने की योजना होनी चाहिये थी।

काटेज इंडस्ट्री के लिये गांव में क्या किया गया ? मैं थोड़ा सा विषयांतर अवश्य हो रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले मुझे जापान की काटेज इंडस्ट्री की रिपोर्ट में पढ़कर आश्चर्य हुआ कि वहां के गांवों के लोगों की मिनीमम एवरेज इनकम, जो खेती भी करते हैं, ४०० रुपये माहवार थी। आप और हम बाजारों में १४,१५ रुपये में स्वैटर बड़े आनन्द से लेते हैं। वह जापान में घर-घर बनता है। उसकी बहुत छोटी सी निटिंग मशीन क़रीब १०० रुपये में आती है। ८ घंटे कार्य करके एक आदमी क़रीब ६ स्वैटर बुन सकता है। मेरे जैसे मोटे आदमी के लिये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गोविंद सहाय जी जैसे दुबले पतले आदमी के लिये एक स्वैटर में ४ औंस से अधिक ऊन नहीं लगती। ६ स्वैटर की २४ औंस ऊन हुई और ८ आने फी औंस उनको मिलता है। तो १२ रुपये रोजाना मजदूरी आसानी से हो सकती है। ऐसे छोटे-छोटे उद्योगों से हमारी आमदनी बढ़ सकती है। भले ही इनकम पर कैपिटा आप हिसाब लगाकर बढ़ा लें, परन्तु यह निश्चित है कि इनकम बढ़ी नहीं है।

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, डेवलपमेन्ट की दृष्टि से स्पष्ट है कि लाइब्रेरीज घटती जा रही हैं। यह इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि डेवलपमेन्ट में टैम्पोरेरी कार्यकर्ताओं के मन में एक उल्लास भले ही रहा हो कि अच्छा काम करने से वे स्थायी हो जायेंगे, लेकिन उनके टैम्पोरेरी रहने से काम में हानि हुई है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इवैलुएशन कमेटी की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करूंगा कि विलेज लैविल वर्कर का कार्य कितना असफल रहा है। बी० एल० डबल्यूज का उपयोग केवल इलैक्शन की दृष्टि से किया गया था और गांव के उत्थान की दृष्टि से नहीं किया गया था। मेरा सुझाव है कि जहां समाज के नियोजन का प्रश्न है वहां राजनीति नहीं होनी चाहिये। इस विभाग के कार्य-कर्ताओं में विश्वास और उल्लास होना चाहिये और उसे प्रोत्साहन सरकार की ओर से मिलना चाहिये और जिस मात्रा में वह अपेक्षित था उसमें नहीं मिला। जिनके लिये हम प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा सुझाव लेकर प्लानिंग का निर्माण होना चाहिये। आज की ब्यूरोक्रैसी के नियोजन को हम कह सकते हैं कि यह डैड नियोजन है। उसमें लोगों को उल्लास नहीं हो रहा है। गांव के लोगों ने कहा कि अरे भाई, यह सारा काम तो सरकार करे..........

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया है।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे राजा साहेब ने प्लानिंग के बारे में सरकार की आलोचना की। आलोचनायें तो सरकार की रोजाना होती हैं, किन्तु ऐसी नहीं होनी चाहियें कि उनमें सच्चाई न हो। आलोचना करने से या जनता के लिये सहानुभूति दिखलाने से जनता या समाज का कोई कल्याण नहीं हो सकता है। जब तक आप जनता को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिये कोई रचनात्मक कार्य नहीं करेंगे तो उसका कोई काम हल नहीं सकता है। मैं दावे के साथ कहती हूं कि जितनी सहानुभूति आप यहां दिखलाते हैं क्या यही भावना आपकी जनता में भी है ? एक उदाहरण मैं ५-४-५७ का आपके सामने पेश करना चाहती हूं। हमारे क्षेत्र में एक ठाकुर साहब का मकान है। उन्होंने एक हरिजन को कहा कि हमारी दीवाल गिरानी है, तुम चल कर गिरा आओ। उसने कहा कि सरकार मैं तीन दिन का भूखा हूं, मुझ से फावड़ा नहीं उठेगा।

लेकिन उसको मजबूर किया गया और कहा गया कि तुमको चलना पड़ेगा और दीवाल को गिराना होगा। बेचारा गया। उसने कहा कि दीवाल को मैं ऊपर से गिराऊंगा, लेकिन उससे कहा गया कि इसमें ज्यादा समय लगेगा, नीचे से गिराओ। नीचे से जब उसने खोदना आरम्भ किया तो दीवार गिर गयी और वह हरिजन दब कर मर गया। जब एक पंचनामा लिखाया गया और उसके लड़के हुए जिनसे उस पर अंगूठा करा लिया गया। क्या यह उसी तरह से है जिस प्रकार की हमदर्दी आप लोग उन लोगों के साथ यहां पर दिखाते हैं? उसने पूछा कि महाराज यह अंगूठे का निशान किस लिये लगवाया जाता है। जवाब दिया गया कि तुम्हारे गुजारे के लिये यह अंगूठे का निशान लगवाया जाता है। एक तरफ तो बाहर इस प्रकार की बातें की जाती हैं दूसरी तरफ सदन के सामने उनके प्रति इस प्रकार की सद्भावना प्रकट की जाती है। यह मैं मानती हूं कि सरकार के अन्दर भी बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप यहां आलोचना करते हैं उस प्रकार की आलोचनाओं से वे बुराइयां दूर नहीं हो सकतीं जब तक कि आप जनता के अन्दर उनकी भलाई के लिये कोई काम नहीं करेंगे और सरकार को आगे के लिये कोई काम की बात न बतलायेंगे। आप जरा गौर से देखें कि क्या आप बाहर भी उसी प्रकार का व्यवहार जनता के साथ करते हैं जिस प्रकार की बातें सदन के सामने आप प्रकट करते हैं। तो अंगूठा लगवा कर उसके हाथ काट लिये गये। मैं माननीय माइक्र फर मंत्री जी के पास आयी और मैंने उन्हें यह सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि यदि अंगूठा निशानी लगवायी न गयी होती तो कार्यवाही हो सकती थी।

श्री अधिष्ठाता—कृपया आप बार-बार एक ही बात को न दोहरायें।

श्रीमती राजेन्द्र किशोरी—उसको जलाने के बाद ५ सेर धान गुजारे के लिये दिया गया। गांव वालों ने उसको वापिस कर दिया और चंदा करके उसकी क्रिया की। यही आपकी भावना है और यही आपका जनता के साथ सहयोग है, जो आप सदन के बाहर दिखाते हैं।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, नियोजन एक ऐसा विषय है जिस पर विस्तार से कुछ कहने की आवश्यकता है, परन्तु थोड़े समय में जो प्रश्न मेरी समझ में महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मुझे इससे संतोष है और मैं समझता हूं लोगों को भी होगा कि इस माननीय सदन की एक पुरानी मांग को माननीय मुख्य मंत्री जी ने मंजूर किया और इस विभाग को अपने हाथ में ले लिया।

प्रान्तीय रक्षक दल के सम्बन्ध में जो फैसला सरकार ने किया है उससे मुझे बेचैनी थी और वह इसलिये कि उसका सम्बन्ध मेरे नाम के साथ था। इसलिये मैं उस दाग को धोना चाहता था। मैंने एकानोमिक कमेटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में जांच की थी और उस जांच के सिलसिले में यह बात भी आयी कि प्रान्तीय रक्षक दल का विघटन हो जाय। उसके विषय में जो फैसला लिया गया उससे मुझे संतोष है। मैं उस दल के सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस वक्त यह दल बनाया गया था उस वक्त नेशनल मिलीशिया की तरह से, जैसे कि रूस में आजादी के बाद फौजी संगठन हुआ था, उस तरह के फौजी संगठन की बात हमारे दिमाग में थी। आज भी उनके व्यक्तियों को यदि काम में लगाया जा सके तो उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं और यह एक बहुत ही अच्छी बात होगी। जिस वक्त किसी एक भी आदमी की नौकरी छूटने की बात होती है तो मैं बहुत ही विचलित होता हूं। इसलिये कि आज हमारे मुल्क में बड़ी बेकारी और बेरोजगारी है। इसलिये हमको इस बात

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

की तरफ ध्यान देना चाहिये, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग काम में लग सकें, और एक साधारण जीवन अपना बिता सकें, चाहे दूसरे लोगों की बहुत लग्जूरियस लाइफ से वे नीचे आ जायं, लेकिन किसी की नौकरी छूटने की बात मुझे खतरे की बात मालूम होती है। यह बात सुन कर मुझे बड़ी खुशी हुई।

मैं प्लानिंग का अर्थ मोटे तौर पर समझता हूं, क्योंकि शास्त्रीय ढंग से तो मैंने समझा नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि नियोजन की आवश्यकता ही नहीं होती अगर कुछ कमी नहीं होती। नियोजित समाज था ही किसी जमाने में और फिर आवश्यक चीजों के हासिल करने में दिक्कत हुई। तब यह जरूरत महसूस हुई कि मुल्क में कुछ ऐसी व्यवस्था हो गयी है जिस व्यवस्था को बदलना चाहिये और मैं समझता हूं कि उसमें सबसे पहले ध्यान उस तरफ जायगा जिस तरफ प्रारंभिक आवश्यकताएं जो मनुष्य की होती हैं उनकी पूर्ति हो सके। प्रारंभिक आवश्यकताओं में अन्न के साथ में अब पानी को भी जोड़ता हूं, बल्कि पानी को मैं पहली आवश्यकता ही समझता हूं। आज हमारे सूबे में पानी की समस्या भी एक बड़ी समस्या हो गयी है। अन्न, वस्त्र, पानी और मकान ये चार चीजें हैं, जिनमें मैं पानी को ही सबसे पहले लेता हूं।

पुराने जमाने में किसी कीमत पर पानी के मिलने की बात नहीं थी, क्योंकि पानी खुदाजात चीज थी और उस जमाने में लोग अपनी तंदुरुस्ती अच्छी तरह से कायम रख सकते थे। लेकिन अब दुनिया में पेचीदगियां जितनी बढ़ती चली जाती हैं, खाने-पीने की दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। अब इस जमाने में पानी को भी खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। आज जो पानी प्राकृतिक ढंग का मिलता है उससे हमारा काम नहीं चलता। हम देखते हैं कि सारे नगरों में इस प्रकार की मांग है कि जो पानी हमको कुवें से मिलता है उससे तनदुरुस्ती खराब होती है और उससे मलेरिया तथा और तरह-तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, इसलिये ट्यूबवेल्स के जरिये हमको पानी मिलना चाहिये। आज सब नगरों से इस तरह के पानी की मांग है और इस योजना में भी नगरों के लिये पानी देने का प्रबंध है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको एक्सपेडाइट किया जाय और लोगों को जल्दी से जल्दी पानी देने की व्यवस्था की जाय, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर खाना न मिले, लेकिन अगर कपड़ा साफ कर लें और नहा लें तो मेरा अनुभव है कि नहाने के बाद हम खाना जरूर थोड़ी देर के लिये रोक सकते हैं और अगर आदमी को रोज नहाने को मिलता रहे तो खाना न मिलने पर भी वह कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है। उसको रोग से लड़ने की ताकत अधिक मिलती है। यह तो शहरों की बात हुई।

अब मैं गांवों की बात करता हूं। गांवों में जो पहले जमींदार थे, उनके उस जमाने के कुवें बनवाये हुए थे, जब कि जमींदारी थी। इस तरह के २० लाख जमींदार थे और हर एक का एक-एक कुवां होता तो २० लाख कुवें हो जाते थे। वे कुवें उन जमींदारों के पूर्वजों ने बनवाये थे, जिनकी मरम्मत भी जमींदार लोग ही करते थे, लेकिन जमींदारी खतम होने के बाद वे कुवें उन लोगों के नहीं रहे। वे कुवें भी वेस्ट कर दिये गये स्टेट में। जो पुराने जमाने के कुवें थे वे भी पानी ठीक ढंग से न बरसने से व बाढ़ आदि के आने से खराब हो गये तथा उनकी मरम्मत वगैरह भी नहीं हो सकी है। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह उनकी मरम्मत वगैरह भी करावे। हमारे सूबे में जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं, एक दो काश्तकार मिल कर कुवें की न मरम्मत ही करवा सकते हैं और न कुवां खुदवा ही सकते हैं। फिर सरकार को चाहिये कि जो मनुष्य की प्रारम्भिक आवश्यकताएं हैं उनकी तरफ उसका ध्यान जरूर जाना चाहिये।

अन्न की बात एक ऐसी है, जिसके बिना मैं समझता हूं——मैं नहीं समझता कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो संस्कृत के पंडित हैं, अन्न का क्या माने समझते हैं, लेकिन अन्न का भाष्य एक आदमी ने जो जेलखाने में किया था वह यह था कि "अन्न को अगर

से खाया जाय तो आदमी बहुत दिनों तक जीवेगा ।" और अर्थशास्त्र से हल करें तो जो चीज मार उसका नाम अन्न है। किसी ने कहा अन्न का नाम ब्रह्म है। मेरी तो धारणा है कि अन्न के बिना आदमी मर सकता है, माननीय मुख्य मंत्री जी तो इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी आदमी को चौथे दिन खाने को मिले तो वह कम दिन जी सकता है, तीसरे दिन मिले तो कुछ और अधिक दिन जी सकता है, लेकिन अगर रोज-रोज मिले तो और भी अधिक दिन जी सकता है। अगर उसको चौथे दिन खाने को मिलेगा तो नतीजा है कि वह २०-३० या ४० साल में मर जायगा और वह रोज खाना मिलने वाले की तरह ७० वर्ष की अवस्था तक पहुंचने लायक नहीं रहेगा। इसलिये अन्न न मिलने से इस तरह भूख से उम्र घटती है और आदमी जल्द मरते हैं।

एक बार प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हमारे राज्य में कोई भूख से नहीं मरेगा। उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे यहां जितने लोग हैं पटवारी, चौकीदार, थानेदार, तहसीलदार, कलेक्टर सब यह समझने लगे कि जनता का कोई आदमी अब भूख से नहीं मरेगा, लेकिन आज भी आदमी भूख से मरते हैं पर मैंने अब इस कन्ट्रोवर्सी को बचाने के लिये यह कहना बन्द कर दिया है। जरूरत इस बात की है कि पहले अन्न की सेल्फ-सफीशियेन्सी हमारे यहां हो। सन् १९५४–५५ में हमारा अन्न पैदा करने का टारजेट १ करोड़ २६ लाख टन था, वह अब इस वक्त कितना है, मैं क्या कहूं कि कितना अन्न है, किस जगह है, लेकिन यह सही है कि हमारे यहां की २ करोड़ की आबादी में ८० प्रतिशत आबादी ऐसी है जो आधा पेट खाती है और कोई चौथे वक्त और तीसरे वक्त खाना खाती है और किसी तरह से अपनी रक्षा करती है। अगर किसी को आज के युग में पूअर डाइट भी नहीं मिलती या जीने वाली डाइट भी नहीं मिलती तो यह प्लानिंग का दोष है और इस चीज को हमें बहुत गहराई के साथ सोचना चाहिये। अगर हम इस समस्या का हल प्लानिंग द्वारा नहीं कर पाते तो ऐसे प्लानिंग का कोई उपयोग नहीं है।

वस्त्र और मकानों की समस्या भी शोचनीय है। कानपुर में सचमुच देश में हमारे सूबे की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मोटा कपड़ा तैयार करने के लिये बनाई गई और हमारे सारे देश का जो प्लानिंग है कि इतना मोटा कपड़ा प्रतिवर्ष बनना चाहिये उसके अनुसार क्या कभी अच्छी तरह से यह भी सोचा गया कि हमारे प्रदेश में लाखों ऐसे आदमी हैं कि जो साल में दस गज कपड़ा भी नहीं खरीदते। मैं अधिकृत तौर पर कहूंगा कि हमारे यहां ऐसे लाखों परिवार हैं, तो फिर जो भी टारजेट बनता है उसको हम किस हद तक कहें कि वह कहां लोगों को ले जाता है। यह हमारे लिये सोचने की बात है।

शहर में मकानों की हालत यह है कि मैं अभी रेन्ट कंट्रोलर से झगड़ कर आ रहा हूं। हम २ साल से कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक मकान नहीं मिल रहा है। माननीय रसद मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी सभी कोशिश में हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तो हम अन्दाजा लगा सकते हैं कि सब की कोशिश के बाद भी हम जैसे यहां के लोगों को मकान नहीं मिल सकता तो साधारण जनता की क्या हालत होगी ? इससे हमें प्रगति का ठीक ज्ञान होता है. . . .

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो मकान हम देते हैं उसको आप लेते नहीं।

श्री गेंदासिंह—कैसे मकान एलाट होता है और फिर जब हम जाते हैं तो मालूम होता है कि दूसरे को मिल गया, इस तरह की चर्चा वक्त कम है मैं क्या करूं, न करूं तो अच्छा है। इस तरह की कठिनाई हमें होती है, इसकी चर्चा जरूरत होगी, तो मैं फिर कर दूंगा।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय तो अभी काफी है, थोड़ा समय आप क्यों बता रहे हैं ?

श्री गेंदासिंह—मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं . . .

श्री अधिष्ठाता—मैं तो आपके जीवन का जिक्र कर रहा हूं, अभी तो वह काफी है।

श्री गेंदासिंह—गांव के मकानों के सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं। कोई योजना नहीं है। और सही बात यह है कि परिस्थिति ने ऐसा मजबूर कर दिया है कि आज गांव के मकानों की योजना हमें चलानी चाहिए। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बताऊं कि हम उस जगह के रहने वाले हैं जहां लाखों आदमी तीन चार महीने तक खाना नहीं बनाते कि अगर खाना बनायेंगे तो घर में आग लग जायगी और समूचा गांव बरबाद हो जायगा। तीन चार महीने बाढ़ में तबाह होते हैं। जाड़ों के महीने में कुछ ही दिन ऐसा वक्त है जब कि दोनों वक्त खाना बना कर खा सकें। ऐसे थोड़े लोग नहीं हैं, करोड़ों लोगों की बात कहता हूं। तो गांवों में मकान बनाने की कोई योजना नहीं है। अगर मकान बनाने की योजना बनायी जाय तो बेरोजगारी हल करने में भी इससे मदद मिलेगा। ईंट बनाने में, मकान बनाने में और तैयार करने में लाखों आदमियों को काम और राज दी जा सकती है। इसके लिए जरूरत है कि हम इन लाखों आदमियों को मकान बनाने की व्यवस्था करके, करोड़ों रुपया हम कर्ज दें। शायद केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार को बन्द कर रखा है कि वह बाजार में लोन फ्लोट नहीं कर सकती। लेकिन इस सरकार को केन्द्रीय सरकार से कहना चाहिए और तय करना चाहिए कि हम कुछ करोड़ रुपये कर्ज देना चाहते हैं और उस 'कर्जे' से मकान बनाने की व्यवस्था करना चाहते हैं। अधिष्ठाता महोदय, लाल बत्ती और बहुत वक्त यह तो दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं।

मैं अब अपनी बात जल्दी-जल्दी में कहना चाहता हूं। एक बात पर कैपिटा इनकम के सम्बन्ध में श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे जी ने कही। वह विचार करने की बात है। स्टैटिस्टिक्स जो हमारे हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दिक्कत हमारी यह है कि स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का उतना मतलब यहां से नहीं रहता, वह ऐग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करके कम्पाइल सिर्फ करता है। और ऐग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करने वाला जो मुहकमा है वह भगवान का बन्दा है। उसने सैकड़ों वर्ष से ऐग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स बनाया है। वह एक जगह बैठ कर सारी पड़ताल कर देता है। हमारे ऐग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स निहायत अनरेलाइबिल हैं। उसी पर हमने सेल्फसफीशेंसी मान ली। आज अपने समूचे सूबे को सेल्फसफीशेंट मान लेने के बाद हो गई यह हालत है कि आज दो करोड़ के करीब आबादी के लिए अकाल की स्थिति पैदा है। स्टैटिस्टिक्स को सम्हालने की जरूरत है और बहुत गौर व खोज करने के बाद तय करना चाहिए कि हम किस तरह उसको कर सकें। एक बात मैं कह दूं कि जब तक गांवों में खेती की तरक्की नहीं होगी और गृह उद्योगों का बन्दोबस्त नहीं होगा तब तक गांवों की तरक्की होना सम्भव नहीं है।

कोआपरेटिव की चर्चा माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं की। उस पर मैं जरूर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा ऐसा विश्वास है कि उन्होंने उसमें न सिर्फ क्रेडिट सोसाइटियों की ही चर्चा की होगी बल्कि उन्होंने सारे कोआपरेटिव मूवमेंट की चर्चा की होगी। तो मैं उनका ध्यान इस तरफ ले जाऊंगा कि वह मेहरबानी करके कोआपरेटिव फार्मिंग की जो रिपोर्ट चीन से आयी है, उसको जरूर पढ़ें। अनाज की होर्डिंग की रोज चर्चा होती है कि होर्डिंग की वजह से महंगाई आ गयी। मैं समझता हूं कि भूमि का बटवारा सबसे पहले चीन में हुआ उसके बाद कोआपरेटिव लाया गया। कोआपरेटिव बाद को आया। कोआपरेटिव फार्मिंग की जब बात आयी तो एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। एक आन्दोलन हुआ। माओ ने तीन महीने तक गांवों में दौरा

किया उसके बाद उस पर अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि यह-यह सुधार उसमें होना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा सुधार यह था कि जमीन के बटवारे की बात पहले ली गयी। आज जिस आदमी के पास दस हजार मन गल्ला होता है वह अपनी खत्ती में रखता है या बेंच लेता है। उसके बाद भी हमारे देश में होर्डिंग की मनोवृत्ति है। होर्डिंग होती है। तो उससे बचने के लिये, देश में जमीन बटवारे के लिये और अकाल से बचने के लिये, फिर प्लानिंग सफल बनाने के लिये सबसे जरूरी बात है कि अब काम वह किया जाय।

अन्त में एक बात और कह देना चाहता हूं। माननीय यादवेन्द्रदत्त जी ने विलेज लेविल वर्कर्स के बारे में जो कहा, उन्होंने अपनी एक राय कायम की है। मैं उनसे कहूंगा कि उनके लिये यह कह देना कि वे चुनाव के लिये इस्तेमाल किये गये, मेरा अपना अनुभव है मेरे इलाके में भी एक विलेज लेविल वर्कर्स ट्रेनिंग सेन्टर है, उन्होंने स्वतन्त्रता पूर्वक काम किया और सरकारी मशीनरी का कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं किया।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक माननीय सदस्य भी बोल रहे हैं और कई माननीय सदस्य भी खड़े हैं। क्या यह सदन की व्यवस्था है?

श्री अधिष्ठाता—नहीं, माननीय सदस्यों को खड़ा नहीं होना चाहिये, जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हों।

श्री मलखानसिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी उठक-बैठक के बाद मुझे समय दिया। अभी जो कुछ भी प्लानिंग के सम्बन्ध में कहा गया है मैं भी अपने भाई गेंदासिंह जी से इस बात में सहमत हूं कि सिद्धान्तों की बात तो आसमानी बात हुआ करती है। काम की बात प्लानिंग में क्या हो रही है इस सम्बन्ध में जो मेरे जिले का अनुभव है वह मैं आपके सामने रखूंगा।

मैं जानता हूं कि प्लानिंग में वहां पर हर एक जगह पर तरक्की हुई है; जिले में, गांव में जहां पर उस जगह के लोग उन सरकारी लोगों के साथ जुट गये हैं। मेरे यहां पर टप्पल का ब्लाक है जो हिन्दुस्तान में आज एक आदर्श ब्लाक है जिसे दूसरे देशों के लोग, अमेरिकन और अंग्रेज, भी देख आये हैं। उसका खास ध्येय जितना भी है, वहां के जो कार्यकर्ता हैं गांवों के हैं, उनके ऊपर उसका सारा श्रेय है जिन्होंने वहां के ब्लाक डेवलपमेंट अफसर के साथ कंधे से कंधा मिला कर गांवों की तरक्की की है, हर एक तरह की उनको सुविधायें दी हैं और जैसा मेरे भाई गेंदासिंह जी ने कहा वहां पर खाद का भी इन्तजाम किया गया है, पानी का भी, बीज का भी, यह सब कुछ इन्तजाम वहां पर किया गया है। आज कोई भी विरोधी दल का भाई हमारे साथ चल कर देख सकता है कि कितनी तरक्की गांवों की हुई है। टप्पल गांव अलीगढ़ से ३२ मील दूर है, जमुना के खादर में है।

(इस समय ३ बजकर ५५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

दूसरा क्षेत्र हमारे यहां हसायन ब्लाक है जिसमें मुझे अभी चुनाव के जमाने में लगातार १ महीने गांव-गांव में घूमना पड़ा। मैं अलीगढ़ जिले में ही पैदा हुआ हूं और १९०७ से पब्लिक में काम कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि जिन रास्तों पर पहले हम निकल नहीं सकते थे, इस ब्लाक के जरिये से आज मैंने यह पाया कि एक गांव से दूसरे गांव में, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में पैदल आसानी से जा सकते हैं, सवारी से जा सकते हैं।

[श्री भीखालाल]

यह है कि कुछ आदमियों का प्लानिंग आफिसर और प्लानिंग कमेटी पर असर रहता है जो वक्तन-फवक्तन उस धन से फायदा उठाते रहते हैं। वे किसी न किसी रूप में कई दरख्वास्तें दे देते हैं और रुपया ले लेते हैं। रुपया किस्तों में दिया जाता है। किस्त का रुपया ले कर वे घर बैठ रहते हैं, उस काम को करने की जरूरत तक नहीं समझते और प्लानिंग आफिसर भी उसको मौके पर जा कर देखने की जरूरत नहीं समझता। मिसाल के तौर पर अगर एक मद में १० हजार रुपया रक्खा गया है लेकिन खर्चा २ हजार ही हुआ है। इस तरह से श्रीमन्, आप देखेंगे कि जिस काम के लिये रुपया रक्खा जाता है उस काम पर खर्च नहीं होता है। सरकारी खजाने में रुपया पड़ा रहता है और कागजों पर दिखा दिया जाता है कि इतना रुपया योजनाओं के लिये मंजूर किया गया। इन सब बातों को लेकर हमारे एक साथी एम० एल० ए० ने उन्नाव जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से यह दरख्वास्त की कि वह पिछले सालों का कम से कम हिसाब दे दें कि सरकार से कितना रुपया उनको योजनाओं के लिये मिला और वह किस-किस रूप में खर्च हुआ, किस-किस को दिया गया और कितना अभी बाकी है। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि अगर आपके पास इतना स्टाफ नहीं है तो हम आदमी दे सकते हैं जो आपकी देख-रेख में उन आंकड़ों को छांट सकें और वह नकशा बना सकें, लेकिन उनको कोई काबिल इत्मिनान जवाब नहीं मिलता है और न कोई इत्तला दी जाती है। कहा जाता है कि करीब ३,००० मिसलें हैं। वह इस तरह से पड़ी हुई हैं कि छांटना और ठीक करना और उनका एक नकशा बना कर देना बड़ा ही मुश्किल होगा। अगर विकास के नाम पर इस तरह से काम को चलाया जाय तो मैं समझता हूं कि यह रुपये की बरबादी है और इसको ठीक तौर से काम में नहीं लगाना है।

विकास खंडों के सम्बन्ध में एक बात मुझे कहनी है कि अभी हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह प्लानिंग कोई अलग मुहकमा नहीं है, बल्कि प्लानिंग की जिम्मेदारी हर मुहकमे के ऊपर बांधी गयी है। एक विकास खंड के अन्दर औसतन सौ-सौ मौजे रखे गये हैं और उनके ऊपर भी कुछ काम विकास का दिया गया है। इसी तरह से विकास का काम तहसील के अधिकारियों पर भी है, हाकिम परगना के ऊपर भी है, सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा है, लेकिन एक अधिकारी को विकास का काम करने के लिये एक जीपकार दी गयी है जिसके पास करीब सौ गांव हैं और एक तहसीलदार और हाकिम परगना जिसके पास ५००-६०० गांव के औसत से हैं उनको यह साधन नहीं दिया गया। उनको गाड़ी इस वजह से दी गयी है कि एफीशियेंसी बढ़े, लेकिन मैं देखता हूं कि जीपकारें देने से उनकी एफीशियेंसी कम होती है। उनका कार्य-क्षेत्र ज्यादातर उन्हीं गांवों में रहता है जो नहरों और सड़कों के किनारे हैं। ऐसे गांवों में जहां मोटर नहीं पहुंच सकती वहां जाने से पहले बड़ी देर तक सोचते हैं कि अगर कार नहीं जा सकी तो बी० डी० ओ० साहब नहीं जा सकेंगे। इसका यह नतीजा है कि कुछ गांव उस विकास की योजना से लाभ नहीं उठा सकते हैं। उनका इस तरह से दुरुपयोग होता है। मैं तो यह सजेस्ट करूंगा कि हमारे माननीय मंत्री जी किसी आदमी को एक या दो घंटे के लिये भेज कर हजरतगंज या लालबाग के चौराहे पर खड़ा कर दें और देखें कि कितनी विकास खंडों की गाड़ियां पास होती हैं तो उससे अन्दाजा लगेगा कि कितना इन गाड़ियों का दुरुपयोग होता है। मैंने पहले भी अपने बजट के भाषण में यह सजेस्ट किया था कि इस किस्म की गाड़ियां जिनसे बजाय फायदे के नुकसान है, उनको फौरन वापस ले लिया जाय और यह जो फिजूल खर्ची का रुपया है वह विकास के कामों में खर्च किया जाय।

सरकार हमारी नौकरशाही पर बहुत भरोसा करती है और उम्मीद करती है कि इस मौजूदा नौकरशाही के दौर में वह समाजवाद की स्थापना कर सकेगी, लेकिन मुझे निराशा होती है इस अभाव से कि किसी अधिकारी या नौकरशाही की ओर से समाजवाद की तरफ कोई रुझान हुआ हो या किसी ने अपनी तनख्वाह में १० परसेंट कटौती करने का प्रमाण देकर यह इरादा जाहिर किया हो कि हम अपनी तनख्वाहों में कटौती करेंगे और इस तरह से देश को समाजवाद की ओर ले जायेंगे और देश की तरक्की में सहयोग देंगे।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बोलने का इरादा तो नहीं था, लेकिन कुछ सामने के भाइयों की बातें सुनकर यहां पर यह ख्याल हुआ कि एक बात के बारे में अवश्य कह दूं जोकि सब से जरूरी यहां मालूम पड़ी। जहां तक भ्रष्टाचार और निर्माण का प्रश्न है, कुछ भाइयों ने तो निर्माण के बारे में यह कह दिया कि कुछ होता नजर ही नहीं आया, लेकिन मेरे ख्याल में अगर राह जाता हुआ आदमी देखने लगे तो उसको प्लान के अन्दर पाठशालायें, सड़कें और दूसरी चीजें यथा अस्पताल इत्यादि नजर आ जाने चाहिये। उनको गिनाने लगूं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में एक चीज कह दूं तो उचित होगा। मान लीजिये हम कुयें बनाते हैं और उस गांव में ८० प्रतिशत कुओं पर रुपया लगता है और २० प्रतिशत भ्रष्टाचार में चला जाता है और उसके बाद अस्पताल बनाते हैं और ९० प्रतिशत गांव वालों को लाभ होता है और १० प्रतिशत रुपया भ्रष्टाचार में चला जाता है इसके अलावा पाठशालायें बनाते हैं तो उसकी बिल्डिंग्स वगैरह में उसी अनुपात से देख लीजिये तो मालूम हो जायगा कि हां भ्रष्टाचार है। इधर के लोग कहें या उधर के लोग कहें लेकिन सवाल यह है कि क्या इन कामों को रोक दिया जाय जब तक कि ईमानदार पर्सनल नहीं मिलता है जो इन कामों को पूरी ईमानदारी से चला सकें? क्या कोई समय निश्चित हो सकता है कि हम इतने समय में ऐसा पर्सनल तैयार कर लेंगे जो सोलह आने ईमानदार होगा? कोई ऐसी मशीन है या कोई ऐसी चीज है? यदि कोई ऐसी मशीन होती तब तो मान लिया जाता कि जब तक यह भ्रष्टाचार दूर न हो तब तक काम रोक दिया जाय। इस बात को कोई भी नहीं मानेगा। जब हमें काम करना है तो सोचना यह है कि किस तरह से भ्रष्टाचार दूर हो।

पहली बात तो यह है कि मैंने देखा है कि जब सड़क बनने लगती है तो हमारे दूसरे भाई सत्याग्रह के नाम से आंदोलन चला देते हैं कि किसान भाइयो, आपकी धरती जा रही है और आपका श्रम भी लिया जा रहा है। इसी तरह से जब नहर खुदने लगती है तो कहने लगते हैं कि इधर से नहीं निकलेगी उधर से निकलेगी। इसमें बीस-बीस महीने बिता देते हैं। इससे अफसरों को उत्साह मिलता है। वह सोचते हैं कि इनकी बात मानें या उनकी बात मानें और देखते हैं कि जनता किस के पीछे है और किस से ज्यादा धन मिलता है। इसलिये आप भ्रष्टाचार में एक कदम और आगे बढ़ा देते हैं। अगर आप कहें तो मैं उदाहरण बतला दूं कि कैसे सत्याग्रह किया गया। अगर आप सचमुच में जनता के हितकारी हैं तो मेरी प्रार्थना यह है कि आप सब लोग मिलकर अपना समय दें और काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। समय नहीं है अन्यथा मैं योजना बतलाती कि कैसे भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे पास आइये। मैं प्रयत्न कर रही हूं कि किस तरह से यह दूर हो सकता है।

दूसरी चीज यह है कि अगर आप देखें कि कहीं काम ठीक नहीं हो रहा है तो आप सुझाव दे सकते हैं और कर्मचारियों से जिस तरह से आप चाहें काम ले सकते हैं। मेरी प्रार्थना यही है कि सब लोग सहयोग दें जिससे काम आसानी से चल सके।

एक अन्य चीज हमारे सामने यह आती है कि ईमानदार पर्सनल कैसे तैयार किया जाय। लोगों में धार्मिकता और सच्चरित्रता का प्रचार करने से यह काम हो सकता है। आप लोग पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं सच्चरित्रता को महत्व नहीं देते हैं। एक ईमानदार गरीब होता है तो आप लोग उसके द्वार पर नहीं जाते हैं। अगर किसी ने भ्रष्टाचार से ही पैसा कमाया है और चार कुर्सियां हैं तो लोग उसी के पास जाकर बैठेंगे। मेरे पास समय नहीं है नहीं तो मैं भ्रष्टाचार दूर करने की बात बतलाती। धन्यवाद।

मुख्य मंत्री के सभासचिव (श्री राजबिहारी सिंह)—श्रीमन्, कल सुबह यह तय हुआ था कि हरिजन सहायक अनुदान के लिये सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया

[श्री राजविहारी सिंह]
जायगा । इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय, अर्थात् ६ बजे तक सदन की बैठक हो ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)——श्रीमन्, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और एक घंटे का समय बहुत कम होगा । मेरा प्रस्ताव यह है कि कम से कम दो घंटे सदन का समय बढ़ाया जाय ।

श्री राजविहारी सिंह——मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि आज दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाय और सदन ५ बजे के बाद ७ बजे तक बैठे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गोविंद सहाय जी ने कहा कि उन्हें अपोजीशन की तरफ से जो आज स्पीचेज हुई उनको सुन कर बड़ी निराशा हुई । जहां तक निराशा का सम्बन्ध है मैं तो उनके तमाम जीवन से इस नतीजे पर पहुंचा हूं, हालांकि मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, वे मुझसे बुजुर्ग हैं, कि निराशा ने तो उनके अंग प्रत्यंग में घर कर लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष——व्यक्तिगत बातें कहने का वक्त नहीं है । आप अपने विषय पर बोलिये ।

श्री गजेन्द्रसिंह——क्योंकि कभी वे ट्रेजरी बेंचेज पर बैठते हैं कभी अपोजीशन में आ जाते हैं । तो निराशा तो उनको हर चीज में दिखायी देती है, क्रिटिसिज्म में भी उन्हें निराशा नजर आती है ।

माननीया राजेन्द्रकिशोरी जी ने कहा कि सदन में बैठ कर हम लोग सिर्फ सरकार की आलोचना करते हैं और कुछ नहीं करते । मैं तो उनसे कहूंगा कि अगर उन्होंने "इवैल्यूएशन रिपोर्ट" को गौर से पढ़ा होगा तो वे हमारी सहायक होंगी, क्योंकि वीमेन्स आर्गेनाइजेशन की बाबत जो रिपोर्ट है उससे पता चलता है कि हमारे प्रदेश में वीमेन्स आर्गेनाइजेशन पर ·०४ काम हुआ है जबकि दूसरे प्रदेशों में, जैसे पंजाब में ·१०, बम्बई में ·११ और दूसरे प्रदेशों में ·१५ काम हुआ है । इसके माने हैं कि इस दिशा में जो दूसरे प्रदेशों ने प्रगति की है हमारी सरकार उससे बहुत पीछे है । मैं माननीया राजेन्द्रकिशोरी जी से निवेदन करूंगा कि जो सरकार इतनी बड़ी संख्या आज स्त्रियों की हमारे यहां है, साढ़े ६ करोड़ की आबादी में करीब आधी संख्या स्त्रियों की होगी, उनके लिये इतने धीरे से कार्य कर रही है उसकी अगर आलोचना नहीं की जायगी तो क्या तारीफ की जायगी ? जो सरकार समाजवादी स्टेट बनाने की बात कहती है लेकिन समाजवाद की ओर पग नहीं बढ़ा रही है उसकी आलोचना नहीं की जायगी तो क्या किया जायगा ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कुछ बातें कहीं । उन्होंने बतलाया कि गरीब तबके को लोन देने के लिये सूद की दर को कम कर दिया गया है । जहां तक सूद की दर का ताल्लुक है उसके कम करने से गरीब तबके को लोन नहीं मिलता है और जो तकावी के रूल्स आपने अमेंड किये हैं उनके कारण भी लैंडलेस पीपुल या अलाभकर जोतों वाले किसानों को, जिनकी तादाद हमारे यहां बहुत काफी है, लोन नहीं मिल सकता, है, क्योंकि उनकी अपनी कोई संपत्ति नहीं है जो आपके पास प्लेज कर सकें ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर गांवों की एनालिसिस की जाय और देखा जाय तो यह सही है कि वहां विकास का कार्य हुआ है, रुपया खर्च हुआ है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उससे बड़े आदमियों को ही फायदा हुआ है । माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा कि साधारण नागरिक के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये योजनायें बना दी जाती हैं । मैं मानता हूं कि साधारण नागरिक के जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये आप योजनायें

बनाते हैं लेकिन असल बात तो यह है कि साधारण नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठा है या नहीं। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इस समय हमारे इटावा जिले में पाइलेट प्रोजेक्ट की योजना चलती है उसको हम और आप दोनों चलें और देखें और फिर मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकूंगा, केवल क्रिटिसिज्म के नाते नहीं, कि इन तमाम योजनाओं से गांवों में केवल उन्हीं लोगों को फायदा हुआ है, जिनकी आबादी गांव में एक चौथाई से कम होगी, जिनके पास काफी जमीनें हैं, उन्हीं लोगों को फायदा हुआ है, उन्हीं को सरकार की तरफ से लोन मिले हैं और दूसरी फैसिलिटीज मिलती है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज गोविन्द सहाय जी ने हम से पूछा कि हमने अपने क्रिटिसिज्म में समाजवादी स्तर की बात नहीं कही, उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसी हमारी सूरत होगी वैसी ही आइने में आयेगी। हमारी बदसूरत आइने में कभी भी अच्छी नहीं आ सकती। जिस प्रकार का बजट इस माननीय सदन के सामने पेश किया जायगा उसकी उसी प्रकार की आलोचना की जायगी। जिस प्रकार का बजट पेश किया गया है उसकी समाजवादी ढंग की आलोचना कभी भी नहीं हो सकती ....

श्री उपाध्यक्ष——आपका समय अब समाप्त हो गया है।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द——उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ध्यान से आलोचनाओं को और सुझाओं को सुना। मेरी उत्सुकता का एक विशेष कारण यह भी था कि यों तो प्रदेश में विकास के सम्बन्ध में जो कुछ काम हुये हैं उनकी जानकारी थोड़ी बहुत मुझ को थी ही परन्तु पिछले कुछ महीनों से प्रत्यक्ष रूप से मैंने इस काम को संभाला है। इस वक्त जो हमारी शैली है, जिस प्रकार का काम हो रहा है उसको भी देखता हूं, कार्य भी करता हूं और स्वभावतः मैं यह जानना चाहता था कि माननीय सदस्यों के क्या ख्याल इन बातों के सम्बन्ध में हैं। निश्चय ही कई सुझाव बहुत ही अच्छे और उपयोगी दिये गये। उन सब की बाबत इस वक्त तत्काल तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जरूर ही वे उत्तेजक हैं और गौर करने के बाद इस बात की जरूर ही कोशिश मुझ को करनी चाहिये कि मैं उनसे लाभ उठाऊं। लेकिन इसके साथ ही एक बात जरूर हुई कि कुछ बातों पर मैं प्रकाश चाहता था और वह प्रकाश मुझ को नहीं मिल सका। जो बातें कि किन्हीं माननीय सदस्यों ने अपने-अपने जिलों की बाबत कहीं स्पष्ट है उनके सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना चाहिये भी नहीं और इस समय कुछ कहना सम्भव भी नहीं है। कहां कौन सा पुल रह गया, कहां कौन सी सड़क रह गई, कहां सीमेंट की चोरी हो गई, वह तो मुझे पहले से मालूम नहीं है, हां जांच करने की बात हो सकती है। मनुष्य से गलती भी होती है, लेकिन जानबूझ कर डेलिबरेटली अगर किसी ने गलती की हो तो उसका पता लगाने पर और प्रमाण मिलने पर उसको सजा भी दी जानी चाहिये। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो व्यापक हैं, सार्वभौम है उनका मैं जिक्र करूंगा जिनके सम्बन्ध में मैं खास तौर से प्रकाश चाहता था, परन्तु प्रकाश पाने से वंचित रहा।

माननीय गेंदासिंह जी ने, वे इस वक्त यहां नहीं हैं, कुछ बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्लानिंग शब्द का शास्त्रीय अर्थ कुछ भी होता हो, परन्तु प्लानिंग का यह लक्ष्य तो होना ही चाहिये कि प्रत्येक नागरिक को भोजन मिले, भोजन केवल पर्याप्त नहीं बल्कि पौष्टिक भोजन मिले, संतुलित भोजन मिले, जल अच्छा मिले। प्रत्येक नागरिक के लिये वस्त्र का प्रबंध हो और सर के ऊपर एक छप्पर होना चाहिये, घर होना चाहिये। यह एक ऐसी कसौटी है कि जिस के सम्बन्ध में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। निश्चय ही किसी प्रकार की प्लानिंग हो, किसी देश में प्लानिंग हो, किसी तरीके से प्लानिंग की जाय, जरूर ही इन बातों का प्रबंध होना चाहिये। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम इसका तो दावा नहीं करते कि इन बातों में हम संपूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं, हम यह भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

दावा नहीं करते कि हम संपूर्णता के कहीं आस पास पहुंच गये है, लेकिन मै इतना जरूर समझता हूं कि हम उस दिशा मे जरूर चल रहे है और उस दिशा मे चल कर इस लक्ष्य तक अवश्य पहुंच सकेंगे।

कुछ ऐसे मित्र यहां है जिनको कि जो कुछ भी काम हम ने किया उस में कोई अच्छाई दिखाई ही नही पड़ती। उनका ऐसा ख्याल है कि कुछ काम ही नहीं हुआ। मै सिवाय इसके और क्या कह सकता हूं कि उन के साथ मेरी सहानुभूति है। वह दया के पात्र है। ऐसी आशा करनी चाहिये कि ऐसा भी कभी दिन होगा कि जब वह यथार्थ वास्तविकता को देख सकेंगे।

माननीय गेंदासिंह जी ने यह जिक्र किया कि चूंकि हमने इस बात को कह दिया है कि हम उत्तर प्रदेश मे किसी को भूखा नहीं मरने देंगे इसलिये सरकारी अहलकार जो रिपोर्ट भेजते है वह प्रायः गलत रिपोर्ट भेज देते है इस माने मे कि लोग जरूर भूखों मरते है, लेकिन वह बात हम से छिपाई जाती है। अब कभी भी मुझ से पहले माननीय पंत जी ने इस बात को कहा कि हम किसी को भूखा नहीं मरने देंगे या जब कभी मैंने इस को कहा तो शेखी के साथ हमने इस बात को नही कहा। हम मनुष्य है। किसी के घर मे दो, चार आदमी रहते हों और वह सम्पन्न हों, किन्तु फिर भी वह दावा नहीं कर सकता कि अपने दो, चार आदमियों मे से मै किसी को मरने नहीं दूंगा। जहां पर ६ करोड़ से ऊपर व्यक्ति रहते हों, गरीब प्रदेश हो, वहां कोई इस बात का दावा करे कि मै किसी को भूखा नहीं मरने दूंगा, शेखी के साथ दावा करे, झूठी शेखी है। बिल्कुल ही झूठी शेखी है। हम ने झूठा दावा नहीं किया, शेखी नहीं की। हम ने यह जरूर कहा और मै अब भी कहता हूं कि जहां तक मनुष्य के लिए सम्भव है इस बात का प्रयत्न करना कि कोई व्यक्ति भूखों न मरे, हम जरूर इस का प्रयत्न करेंगे। हमारा ऐसा लक्ष्य और संकल्प है कि हम लोगों को भूखा नहीं मरने देंगे, जहां तक मनुष्य के लिए संभव है। जो मनुष्य की शक्ति के बाहर की बात है उस को पूरा करने का दावा हम नहीं करते। अगर हमारे ऐसा कहने का यह परिणाम हुआ है कि हमारे अफसर झूठी रिपोर्ट देते है तो यह दुःख की बात है, अफसोस की बात है। इससे हम को खुशी नहीं होती। लोग भूखों मरते हों और हमारी बात को सच करने के लिए अगर झूठी रिपोर्टे अफसर देते हों, तो बुरा करते है। यह ऐसी चीज नहीं है कि जिस से हम को खुशी होती हो। मै ऐसी आशा अब भी करता हूं कि जो रिपोर्ट आती है, वह सच होती है, लेकिन अगर ऐसी बात है कि लोग भूखों मर रहे है, उन के खाने पीने का प्रबन्ध नहीं हो रहा है, तो भले ही हमारी बात झूठी हो जाय, हमारा वायदा गलत हो जाय, लेकिन रिपोर्ट तो सच आनी चाहिए। अगर बीमारी का ठीक ठीक पता नहीं लगता तो दवाई भी ठीक नही दी जा सकती। बीमारी गंभीर है और उस को अगर हल्की बीमारी समझ लिया जायगा तो सम्भव है कि हम बीमार का इलाज करने जा कर मार ही डाले। हम को इस से खुशी नहीं हो सकती कि हमारे पास झूठी रिपोर्टे आयें।

गेंदासिंह जी की जल वाली बात से मै सहमत हूं। हम इस बात की कोशिश कर रहे है कि देहातों में शुद्ध जल पहुंचाया जाय और यह ठीक है कि इस के लिए उतना जबरदस्त आन्दोलन नहीं है जितना कि होना चाहिए। लेकिन जितना भी रुपया हम केन्द्र से खींच-खांच कर ले जा सकते है या अपने पास से निकाल सकते है उसे लगा कर हम आशा करते है कि इस काम में प्रगति अधिक होगी।

मकानों की बाबत उन्होंने कहा उससे मै सहमत हूं। मकानों की आवश्यकता पहले भी थी और अब भी है। शहरों में मकानों की जरूरत अधिक थी और अब भी है लेकिन इसके साथ साथ देहातों के अन्दर भी मकानों के प्रोग्राम को बढ़ाने की जरूरत है। हम इसको समझते है और गवर्नमेंट आफ इन्डिया से बात चीत कर रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने हम को कुछ आशा दिलायी है कि शायद वहां से रुपया इस के लिए मिल सके। अगर

सारे प्रदेश के लिए नहीं तो कुछ ऐसी जगहों पर जहां बाढ़-ग्रस्त लोग रहते हैं उन जगहों में और उन देहातों में मकान बनाने के लिए कुछ रुपया मिल सकेगा। किसी तरीके से भी हो प्रदेश में अगर कहीं पर मकान बन सके तो यह अच्छा है। मुझे आशा है कि थोड़े थोड़े इसका विस्तार होता जायगा। थोड़ा बहुत रुपया हम को मिलना शुरू हो जायगा तो इस काम को हम शुरू कर सकेंगे। लेकिन यह काम शीघ्र हो जाय यह हम भी चाहते हैं।

कुछ जिकर जीपों के विषय में आया जो कि प्लानिंग के कामों के लिए जगह जगह फैली हुई है कि उनका बहुत दुरुपयोग होता है। मेरे भी सुनने में आया है कि उन जीपों का दुरुपयोग होता है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि यहां हजरतगंज में खड़े हो जाइये तो बहुत सी जीपें यहां खड़ी होती दिखायी देंगी। मैं इस चीज को मानता हूं। लेकिन उन जीपों को वापस लेने में दिक्कत है। उस की पहली वजह तो यह है कि वह हमारी सम्पत्ति नहीं है। ऐसा है कि जो यह हमारा प्लानिंग का काम चल रहा है इस काम के सिलसिले में गवर्नमेंट आफ इन्डिया को कुछ अमेरिकन एड मिलती है और उस अमेरिकन एड को गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने स्वीकार किया है और उसी हिसाब से उस प्रोग्राम के अन्तर्गत जहां जहां उन जीपों का रखना तय हुआ था, उनको फैलाया गया है। मैं नहीं जानता कि भारत सरकार ने कुछ उनके लिए दिया या नहीं। बहर हाल हम ने उन जीपों को नहीं खरीदा है। उन पर जो पेट्रोल खर्च होता है, उसका आधा खर्च गवर्नमेंट आफ इन्डिया देती है और आधा हम को अपने पास से देना पड़ता है। बहरहाल पैसा कोई भी देता हो, लेकिन वह भी पब्लिक का ही रुपया है। तो इस वजह से उन जीपों को वापस नहीं लिया जा सकता। अब हम ने इस किस्म की हिदायत दी है कि जिस ब्लाक की जो जीप हो उस ब्लाक का नाम उस जीप के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया जाय। इस से एक बात हो जायगी कि जब जीप ब्लाक के बाहर जायगी तो दिखायी पड़ेगी कि फलां जीप अपने ब्लाक से बाहर गयी है। इस तरह से आशा है कि कुछ न कुछ दुरुपयोग कम हो जायगा। यह भी है कि बगैर स्पेशल परमिशन के जीप बाहर न भेजी जायगी। माननीय सदस्यों को भी मालूम होगा कि हर जीप पर लिखा जाता है कि वह फलां ब्लाक की है। ऐसा हो जाने के बाद मैं आशा करता हूं कि बहुत कुछ इन जीपों का दुरुपयोग कम हो जायगा। लेकिन जहां तक उन को वापस लेने की बात है उस पर हमारा कन्ट्रोल नहीं है।

प्लानिंग को कहो या किसी चीज का विचार हो एक आध बात भ्रष्टाचार की उस में जरूर आ जाती है। मैं सच कहता हूं कि भ्रष्टाचार की बात सुनकर मैं घबरा जाता हूं और मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य इन बातों की चर्चा करते हैं वह भी कम नहीं घबराते होंगे। इस बात को गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। माना जो लोग शिकायत करते हैं वह सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन आखिरकार इन चीजों पर बहुत ठंढे दिल से सोचने की जरूरत है। गजेन्द्रसिंह जी ने जैसा कहा अपने कटमोशन को पेश करते हुए मैं उस को मानता हूं कि भ्रष्टाचार इस वक्त सरकारी नौकरों में ही नहीं है बल्कि हमारे समाज में यह दोष आ गया है। हम सब को इस पर ठंढे दिल से सोचना है। आखिर जो सरकारी कर्मचारी है वह इसी देश के रहने वाले हैं। हम और आप भले आदमी समझे जाते हैं। हमारे घर के जो लड़के हैं वह भी इन सब बातों को सुनते होंगे कि रिश्वत लेना वगैरह कितनी बुरी चीज है। वह लड़का किसी ऐसी जगह पहुंचा जहां किसी किस्म से कुछ पैसे की बात हो तो हर लड़का बदनाम हो जाता है कि यह सरकारी कर्मचारी कितना खराब है। मेरा निवेदन यह है कि सरकारी नौकर को पकड़ना बड़ी आसान चीज होती है। जो सरकारी नौकर इस तरह की बात करता है, जो इस तरह की बात कर के सरकार को बदनाम करता है और भ्रष्टाचार की बात करता है निश्चय ही उसको दण्ड मिलना चाहिए, लेकिन यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। बहुत से महकमे खुलते जाते हैं। पहले तो पुलिस ही बदनाम थी परन्तु अब बहुत से मुहकमे बदनाम होते जाते हैं। विकास

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

का मुहकमा खोला जाता है तो वहां से भी तरह-तरह की शिकायतें आती हैं। पंचायतों को भी लोग बदनाम करते हैं। नियोजन में बेईमानी होती है। सरकारी तरीके से जो तनख्वाह पाते हैं वह बेईमानी करते हैं, गैर सरकारी तौर पर जो काम करते हैं वे बेईमानी करते हैं। जब ऐसा है तो काम देश का कैसे चलेगा। जो लोग बेईमान हैं उनके कंधों पर स्वतंत्र देश का बोझ कैसे उठाया जा सकेगा ? गिर पड़ेगा। देश रसातल को पहुंच जायगा। कोई भी आदमी जो बुरा काम करता है, नीच काम करता है उस को तो दण्ड दिया ही जाना चाहिए, लेकिन हमें सोचना यह है कि किस प्रकार से यह सब दुरुस्त हो।

एक सदस्य--दण्ड नहीं दिया जाता लेकिन उनका समर्थन किया जाता है। इस लिए यह बुराई दूर नहीं होती।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जो लोग जिम्मेदारी के साथ सोच नहीं सकते वे ऐसे ही कहा करते हैं। मैं यह कह रहा था कि गम्भीरता के साथ हर एक आदमी जो देश के हित की बात सोच सकता है उसको सोचना चाहिए, क्योंकि यह इस वक्त की बात है और आगे आने वाली पीढ़ियों की बात है कि देश के लिए यह लज्जा की बात है और जो इस प्रकार के नालायक लोग होते हैं वे देश और जाति के लिए कलंक होते हैं। अगर वे ऐसी बात करते हैं तो उनको दण्ड अवश्य देना चाहिए लेकिन जब हम यह सोचते हैं कि इस गम्भीर प्रश्न का उपाय क्या है तो हम चकरा उठते हैं। इसके लिए कोई भी कैम्पेन यदि हम सबको मिल कर करना पड़े तो करना चाहिए।

समाजवाद की भी चर्चा की गयी। जाहिर बात है बहुत से मित्रों को इसमें समाजवाद दीख नहीं पड़ा, बिलकुल नहीं दीख पड़ा। मैं क्या कह सकता हूं। मैं समझता हूं उन को इतना ही नहीं कि उसमें समाजवाद न दीख पड़ा हो, लेकिन उसमें उनको पूंजीवाद भी दीख पड़ा। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ अलग-अलग होते हैं। पूंजीवाद भी उन शब्दों में से एक है। सन् १९२१ में एक शब्द चलता था और आजकल भी उसका बहुत फैशन हो गया है। वह है ब्योरोक्रैसी जिसका अनुवाद किया जाता है 'नौकरशाही', लेकिन उसका अनुवाद नौकरशाही कदापि नहीं हो सकता। लेकिन वह है। वैसा चल पड़ा है। उसी प्रकार से उनको इसमें पूंजीवाद दीख पड़ा। जहां तक हमारी बात है, हमारा यह कहना है कि हमारे कांस्टीट्यूशन के अन्दर जो हमारा लक्ष्य समाजवाद का है, कि समाजवादी व्यवस्था हम इस देश में कायम करेंगे, उसको हम जनतांत्रिक तरीके से कायम कर सकेंगे। जिस ढंग से रूस और चीन में करने की कोशिश की गयी, वह रास्ता हमारे लिए बन्द है। हमें वह काम लोकतांत्रिक ढंग से करना है। उसकी अच्छाइयां और बुराइयां भी हैं। तो हमारा ऐसा ख्याल है कि हमारे हर एक काम में इस चीज की झलक दिखायी पड़ती है और प्लानिंग में भी दिखायी पड़ती है। हां, हम ऐसा नहीं करते हैं कि किसी बात की २-४ लाइन लिखी और लिख दिया कि यह देखो समाजवाद का तमाशा। इस प्रकार विज्ञापन का काम नहीं किया जाता है। लेकिन सब कामों में समाजवाद वैसा ही ओतप्रोत है जैसे --"ज्यों मेंहदी के पात में लाली लखी न जाय"। जिस प्रकार से मेंहदी के पत्ते में लाली दिखायी नहीं पड़ती है, उसी प्रकार से इसमें भी समाजवादी व्यवस्था दिखायी नहीं पड़ती। हां, आंखें हों तो देख सकती हैं।

यह जिक्र किया गया कि पब्लिक का सहयोग आज कुछ कम है और यह भी कहा गया कि यह सब सरकारी अधिकारियों का जो रवैया है उसकी वजह से है। इसके बारे में हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो प्लानिंग है उसका इतिहास क्या है। प्लानिंग का काम कैसे चला ? शुरू में जो प्लानिंग का रूप था वह यही था 'आफीशियल प्लानिंग विद नान आफीशियल कोआपरेशन'। यदि आरम्भ में सरकारी इनिशियेटिव न होता तो यह प्लानिंग नहीं चल सकती थी। जो समझ में बात आयी उससे एक बार उसका श्रीगणेश कर दिया और यह सरकारी मशीनरी ने उसको किया और सरकारी अहलकार उसको एक हद तक ले

गये, जहां तक वे उसको ले जा सकते थे। मुझको इसमें सन्देह नहीं, अधिकांश की बात मैं कहता हूं, व्यक्तिगत बात नहीं कहता, कि वे जहां तक जा सकते थे, उनसे जितना हो सकता था, जितनी उनकी ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए वे उसको आगे ले गये, लेकिन अब वह जमाना बदल गया है, अब जमाना दूसरा है। अब दूसरा स्टेज है। इस स्टेज में होना यह चाहिए कि "पीपुल्स प्लान विद आफिशियल कोआपरेशन" हो। किस तरह से चेंज ओवर हो। जो पहला प्लान था वह खतम हुआ और दूसरे प्लान का एक साल खतम हो गया। आगे भविष्य के लिए हम को जरूर सोचना है कि क्या तरीका किया जाय कि सचमुच में "पीपुल्स प्लान विद आफिशियल कोआपरेशन" बन जाय। आफिसरों को बदनाम करने से और उन को बुरा भला कहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जितना काम उनसे हो सकता था, जितनी उनकी शक्ति थी, उसके अनुसार उन्होंने अच्छी तरह से काम किया, इसके आगे वे नहीं जा सकते थे। इसीलिए मैं ऐसा कहता हूं कि जो प्रकाश हमको चाहिए था वह प्रकाश नहीं मिला। खास तौर से श्री गेंदासिंह जी से मुझे आशा थी मगर इस तरफ

होता था। लेकिन अब हम को नार्मलाइजेशन के लिए सोचना है। जब एन० ई० एस० ब्लाक और इन्टेंसिव डेवेलपमेंट ब्लाक का काम शुरू हुआ तो सोचा गया कि सारे विभाग के द्वारा शासन होगा। आगे हमको सोचना है कि आगे क्या यही तरीका रखें, कि नार्मलाइजेशन हो जाय। ब्लाक के जमाने में आफिसरों के साथ काम हुआ, उसके बाद क्या हो, इस पर हम को और आपको सोचना होगा, आपके और हमारे दिमाग में इस तरह की बातें आती होंगी, केन्द्र के लोग भी सोचते होंगे। तो सब लोगों को मिल कर इस बात को सोचना है कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिस जिम्मेदारी के साथ काम होना चाहिए, उस जिम्मेदारी के साथ काम हो, लेकिन उसमें जनता का पूरा पूरा सहयोग हो। सहयोग ही नहीं बल्कि जनता सोचे कि वह उसका अपना काम है और सरकार की पूरी मशीनरी जनता के साथ हो। इस सम्बन्ध में जो हमारी पालिसी है उसको मैं आपके सामने रखता हूं। फिर आप इसके ऊपर विस्तार से सोचें व इस पर बात करें।

पहले जब यह काम शुरू हुआ तो प्लानिंग का एक अलग विभाग नहीं था। कोई काम शिक्षा विभाग का करना हो, कोई काम उद्योग विभाग का करना हो, कोई काम कृषि विभाग का करना हो, कोई काम किसी विभाग का करना हो तो बजाय इसके कि अलग-अलग काम हो सबका नार्मलाइजेशन होना चाहिए तथा हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि जिस विभाग के लिए प्लान बने उस विभाग का जो आफिसर हो वह तो उस प्लान के बनाने में हिस्सा ले और उस प्लान को कार्यान्वित करने का काम विभाग का होना चाहिए। सब काम अलग-अलग होना चाहिए। किसी विभाग के दिमाग में यह बात नहीं आनी चाहिए कि प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे ऊपर काम लादा जा रहा है। एक्जीक्यूट करने का काम डिपार्टमेंट का होना चाहिए और इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि कोई काम प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से न रखा जाय। इसीलिए कृषि के बजट पर बोलते हुए माननीय कृषि मन्त्री ने कहा था कि प्लानिंग का कृषि विभाग से सम्बन्धित जो काम होगा उस के ऊपर कृषि विभाग का कन्ट्रोल होगा। तो इस प्रकार से हर डिपार्टमेंट प्लानिंग को अपना काम समझे। दूसरी बात यह है कि इसमें जनता का सहयोग लिया जाय। इसमें करोड़ों रुपया खर्च होगा, सरकारी रुपया खर्च होगा, इसलिए कोई गलत चीज नहीं होनी चाहिए।

कुछ चीजें ऐसी है जिनका जिक्र हवा में आ चुका है और अखबारों में भी कुछ चर्चा आ चुकी है, इसलिए निश्चित रूप से नहीं, लेकिन पालिसी के रूप में मैं आप से कहता हूं, उसको आप समझें। पहले हमारे यहां जिले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते थे, जिनके पास रुपया होता था जिससे

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

वे शिक्षा का कुछ काम करते थे और कुछ सड़कें वगैरह भी बनवा देते थे, लेकिन आज तो उन बेचारों के पास रुपया ही नहीं है, जिससे वे कोई काम कर सकें और एक तरह से वे बेकार ही हैं और सचमुच में उनके पास आज कोई काम भी नहीं है। जिले में जो प्लानिंग कमेटी होती है, उस में सरकारी आफिसर हैं और जनता के चुने हुए आदमी भी हैं। तो इसमें मुझे सन्देह नहीं कि जनता के चुने हुए आदमी उसमें होने से काम बहुत हो सकता है। हमारी कोशिश है कि [illegible] जायं कि जिलों में ऐसे बाडीज बन सकें जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहलायें, या डे

प्लानिंग का कर रहे हैं वह करीब-करीब सब उनके सुपु[illegible]

हमें सोचना है और अगर अच्छी चीज होगी तो उसको जरूर हर एक आदमी पसन्द करेगा और मैं समझता हूं कि इसके बाद इस तरह की शिकायत नहीं रहेगी कि जनता के हाथ से [illegible]

हो सकता है बहुत से सवाल ऐसे हों कि जो जिलों में हल न हो सकें, जो आज

वह तो नहीं रह सकेंगे, उनका भी कांस्टीट्यूशन हमें बदलना होगा, जिस तरह के आदमी हमारे यहां स्टेट विभागों में हैं ऐसे आदमियों को वहां लाना होगा या कैसे काम आगे बढ़ाया जायगा, किस तरह का उनका स्वरूप होगा यह सब हम अभी सोचेंगे, लेकिन यह निश्चय है कि सरकारी अफसर अब उसको ज्यादा दूर नहीं ले जा सकते। यह बूरे भले जैसे भी हैं उन की जरूरत हमें आगे नहीं रहेगी और उस का सारा काम जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में आ जायगा।

यहां पर पंचायतों का भी सवाल उठाया गया। पंचायतें हमारे यहां बनीं, हमने उनको कायम किया और उनका काम चल रहा है। अब जिला बोर्ड और पंचायतों का क्या सम्बन्ध हो यह सोचने की बात है, लेकिन जो भी हो पंचायतों का प्लानिंग में बड़ा स्थान है। इस सम्बन्ध में एक चीज का जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं। एक माननीय सदस्य ने इस रिपोर्ट का एक भाग पढ़ा, यह तो मैं कैसे कहूं कि अंग्रेजी समझने में उनकी गलती हुई, मेरे समझने में ही गलती हुई होगी। उन्होंने उसको पढ़ा और उसका मतलब लगाया कि हमारे यहां पंचायतें असफल रहीं। यह जो इवैलुएशन रिपोर्ट थी उसमें एक वाक्य था कि :—

"Items involving change in organisational attitudes in the political field such as better understanding of the objectives and responsibilities of panchayat membership and readiness to use panchayats for planning and executing village development programmes are comparatively unsuccessful".

यानी पंचायतों से काम लेने का प्रयत्न प्रायः सफल रहा। लेकिन उन्होंने मतलब दूसरा ही उसका निकाला। इसके बाद उन्होंने मसूरी की डेवलपमेंट कांफ्रेंस की जो रिपोर्ट है उसका एक उद्धरण दिया कि :—

"In regard to the observation that 'readiness to use panchayats for planning and executing village development programmes are comparatively unsuccessful' it was noted that these observations may not apply to certain States (e. g. U. P., Punjab and Orissa etc.)"

उन्होंने ठीक उलटा बात कही कि यहां पंचायतों के द्वारा काम लेने में बिलकुल असफलता रही, बात यह थी कि जो उन का यह आबजरवेशन था वह यू० पी० और पंजाब व उड़ीसा पर लागू नहीं होता, इस के माने यह हुए कि यहां अच्छा काम उन के द्वारा हुआ और सफलता रही। तो इस रूप में उन्होंने उस बात को रखा। मेरा कहना यह है कि हमारी पंचायतें चल रही हैं, उन के काम में आदमी गलती करते हैं, गलती करके ही लोग कुछ सीखते हैं आगे बढ़ते हैं, पानी में घुसे बिना तैरना नहीं आता, लोगों को हमने तैयार किया है, एक प्रयत्न किया है। हो सकता है उस में गलती भी हुई हो, लेकिन यह तो किसी की भी राय नहीं हो सकती कि इन

पंचायतों को तोड़ दिया जाय, बल्कि इस वक्त तो दूसरे प्रदेशों में भी जहां पंचायतें नहीं हैं वहां उनके कायम करने की बात हो रही है। तो एक तरफ तो मैं ने आप के सामने डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स की बात रखी, उन का क्या स्वरूप हो, वह हमें सोचना है, क्या पंचायतों से उन का सम्बन्ध हो। मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा प्रकाश इस चीज पर डाल दूं और मैंने थोड़ा सा जिक्र उस का कर दिया। इस पर हम लोगों ने बातचीत भी की है और बाहर के लोगों से भी मशविरा किया है और लोगों ने इस ख्याल को पसन्द भी किया है और कहा है कि यह एक अच्छा प्रयोग होगा। तो इस तरह से हम इन प्लानिंग कमेटियों को और जिला बोर्डों को करीब ला सकें तो बहुत अच्छा होगा। अब इसका ब्योरा अभी हमें सोचना होगा। आज तो डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् को सरकार की तरफ से ग्रान्ट मिलती है उसे वह खर्च करते हैं, अब आगे अगर इस तरह की ऐसी कोई कौंसिल्स बनीं तो करोड़ों रुपया सरकार का उनके द्वारा व्यय होगा, कैसे उसका प्रबन्ध किया जाय, ताकि रुपया ठीक से खर्च हो और सरकारी अफसरों का वहां क्या स्थान रहे ये सब सवाल हैं। अगर इस चीज को हम आगे बढ़ा सकें और बना सकें तो आप सोचें कि वह चीज सोशलिज्म की तरफ बढ़ने के लिए एक अच्छी चीज होगी और जिसे हम समाजवादी व्यवस्था का अपना स्वप्न कहते हैं उस की ओर से जाने वाली यह चीज होगी।

इस के बाद सवाल यह है कि जिलाधीशों का क्या स्थान हमारे यहां होगा। इस के बारे में अभी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जैसा कि मैं ने सदन को बताया इस तरह की अगर कोई व्यवस्था हमारे यहां आ जाती है तो उसमें हमें सोचना होगा कि जिस तरह के हमारे जिलाधीश हैं उस तरह के अफसरों की जरूरत रहेगी या नहीं। यह बड़ा भारी सवाल हमारे सोचने का है। अब जो केन्द्र ने सोचा है वह इस तरह से सोचा है कि जब कि उस जगह इन्टेंसिव डेवेलप्मेंट ब्लाक खत्म होगा और पोस्ट डेवेलप्मेंट जमाना आ जायगा, तो मुझे ठीक याद नहीं पड़ता शायद ३३ हजार रुपया या कितना रुपया वह थोड़े से लोगों की तनख्वाह के लिए देगी। हमको ही सारा चलाना है। जहां लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है वहां ३३ हजार रुपया तो तमाशा है। तो जब हमको ही चलाना है तो हमें जरूर सोचना चाहिए कि जो हमारा रुपया है उसका अच्छे से अच्छा उपयोग हो सके और हम अपने यहां अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्लानिंग के काम में बहुत सी गलतियां होंगी। लेकिन जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा हमने अपने देश में स्वाराज्य की प्राप्ति के बाद जो भी काम किये हैं उनमें से यह एक बहुत बड़ा काम है प्लानिंग का। अगर यह काम किसी वजह से असफल होता है तो एक बहुत बुरी चीज होती है। बहुत बड़ा धक्का लगता है कई चीजों को।

दुनिया में सब से पहले प्लानिंग रूस में शुरू की गयी। उसके पहले और किसी ने नहीं किया। उसके सिवा एक बड़े स्केल पर किसी देश ने नहीं किया। केवल इसी देश ने शुरू किया साथ ही प्लानिंग का किया एक डेमोक्रेटिक तरीके पर। इसलिए हमारे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम इस काम में असफल होते हैं तो लोगों को कहने को हो जाता है कि लोकतन्त्रीय तरीके पर प्लानिंग नहीं हो सकती। प्लानिंग हो सकता है तो डिक्टेटरशिप से हो सकता है। मैं ऐसा मान लेता हूं कि जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हैं चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, उन मे से अधिकांश डेमोक्रेसी मे विश्वास करते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि हमारे देश का निर्माण डेमोक्रेसी से हो सकता है। हम को अपनी प्लानिंग को सफल करने के लिए, डेमोक्रेटिक प्लानिंग के जरिये ही अपने प्रदेश का उत्थान करना होगा। हमको दिखलाना होगा कि डेमोक्रेटिक प्लानिंग सफल हो सकती है।

इसलिए मेरी एक अपील है कि अपनी अलग राय रखते हुए, बिना सिद्धान्तों का त्याग किये हुए कुछ दिनों के लिए इस बात को कर के देख लें कि क्या हम किसी किस्म का पोलिटिकल ट्रूस कर सकते हैं ? जैसा कि युद्ध में होता है, कुछ दिनों के लिए उत्तर प्रदेश

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

मे करके देख लें। किसी का किसी के साथ मर्जर नहीं। लेकिन एक बार पांच, सात वर्ष के लिए क्या एक पोलिटिकल ट्रूस कर सकते है? हम सब मिलकर इस बात को सफल करके दिखला दें, उत्तर प्रदेश की शान के लिए और डेमोक्रेसी की बातको करने के लिए। अगर हम इस बात को कर सकें तो इससे उत्तर प्रदेश का ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान और संसार का भला होगा। यह हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा।

मै सबसे अपील करता हूं कि इस बात को हम एक बार चाहे किसी पोलिटिकल पार्टी के हों कुछ दिनों के लिए हम उस झगड़े को वहीं का वहीं छोड़ दे। जब हमारा देश सम्पन्न हो जायगा फिर हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। एक गरीब देश, भूखे नंगों का देश, उस पर शासन करने का लुत्फ ही क्या? लुत्फ तो तब है जब कि एक बार वह सम्पन्न हो जाय। तो जो चाहे राज्य करे।

मेरी सब से गम्भीरता के साथ निश्चित अपील है। हम लोग एक बार बैठ कर तय कर लें कि कुछ दिनों के लिए हम पोलिटिकल ट्रूस कर सकते है। फिर शायद उत्तर प्रदेश की नकल दूसरे प्रदेश भी करे। आज जो बाते होती है पोलिटिकल दृष्टि से होती है। आप जो बात कहते है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद पोलिटिकल दृष्टि से ऐसा कह रहे है। इसी तरह से जो बात हम कहते होंगे आपको लगता होगा।

इस चीज को सफल बनाने के लिए अगर हम एकमत हो सकें तो बहुत बड़ा काम होगा।

इस अपील के साथ, जैसा कि कहा जाता है प्रार्थना करता हूं कि यह एक रुपया मेरा न काटा जाय, बल्कि प्लानिंग के काम में लगाने के लिए मेरे पास रहने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष——माननीय गजेन्द्रसिंह, आपको माननीय मुख्य मंत्री की आखिरी मांग मंजूर है?

श्री गजेन्द्रसिंह——जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३——योजना और एकीकरण——लेखा शीर्षक: ६३—क——युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३—ख——सामुदायिक विकास योजनाएं——राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के अन्तर्गत एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३——योजना और एकीकरण——लेखा शीर्षक: ६३—क——युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३——ख——सामुदायिक विकास योजनाएं——राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के अन्तर्गत ८,८४,४४,९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७—५८ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४०——लेखा शीर्षक ५७——अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि (जिला हरदोई)——उपाध्यक्ष महोदय, मै आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करना चाहता हूं कि इस अनुदान पर लगभग ४० माननीय सदस्यों ने कटौती का प्रस्ताव किया है अगर १०, १० मिनट भी दिये गये तो दो घंटे का समय नाकाफी है। इसलिये मै प्रस्ताव करता हूं कि १ घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष——इस सम्बन्ध में सदन ने एक फैसला कर लिया है कि २ घंटे का समय रहेगा। अगर कोई दूसरा रास्ता निकाल लें जैसे कि १० मिनट के बजाय ५ मिनट या ७ मिनट माननीय सदस्य बोलें तो वह ठीक रहेगा। लेकिन पहला प्रस्ताव पास नहीं होगा।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)——मेरा प्रस्ताव है कि ५,५ मिनट के भाषण हों।

श्री उपाध्यक्ष——यह अच्छा रास्ता है। मैं समझता हूं कि आप लोगों को स्वीकार है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)——उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि १० मिनट और ७ मिनट रख दिये जायं क्योंकि कुछ आदमी जो कटमोशन रखेंगे उनको १० मिनट का समय दिया जाय और जो उसका समर्थन या विरोध करें उनको ७ मिनट दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष——ठीक है। माननीय गंगा प्रसाद जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि कटौती के प्रस्तावक को १० मिनट और बाकी को ७ मिनट दिये जायं, इसके बारे में मैं समझता हूं सभी लोग सहमत हैं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)——उपाध्यक्ष महोदय, १० मिनट में जो रिप्लाई देने का समय है वह न शामिल किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष——तो १२ मिनट रख दिये जायं। मैं ८ मिनट पहले भाषण करने के लिये रखूंगा और ४ मिनट जवाब देने के लिये दूंगा।

हरिजन सहायक राज्य मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)——उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०——अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान-लेखा-शीर्षक : ५७——विविध के अन्तर्गत ९५,५५,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

हमारे इस सूबे में शायद हिन्दुस्तान भर में सब से ज्यादा हरिजनों की बस्ती है और मेरा ख्याल यह है कि शायद ही ऐसा कोई गांव होगा आम तौर से जहां कि हरिजनों की कम और बेश बस्ती न हो। इसमें भी कोई शक नहीं कि जो उनकी बस्तियां हैं वे आम तौर से गांवों की सबसे खराब जगह हैं। हम कई साल से उनकी तरक्की में लगे हुए हैं और हमने कुछ आगे बढ़ने का प्रयास और प्रयत्न किया है। आज से कुछ वर्ष पहले हरिजनों की तरक्की के लिये शिक्षा के लिये ५० हजार रुपये से इस काम को शुरू किया था। आज जो बजट पेश किया गया है वह करीब ९५ लाख रुपये का है। आप देखते हैं कि उस तरफ काफी जोरों से हमारा कदम बढ़ रहा है। लेकिन इसमें दो रायें नहीं हैं कि अब भी उनकी मुश्किलात, दिक्कतें, परेशानियां हैं और उनकी आर्थिक दशा बहुत खराब और शोचनीय है। हमको उसको दूर करने के लिये बहुत मेहनत करनी है और काम करना है।

सरकार की तरफ से थोड़ा पैसा पहले रखा गया था, कोई विभाग उसके लिये अलग नहीं था। लेकिन १९५१ में एक हरिजन सहायक विभाग कायम किया गया और एक डायरेक्टर रखा गया और गवर्नमेंट उस काम को चलाती रही। एक हरिजन सहायक बोर्ड भी रहा। लेकिन १९५७ से उसका विभाग बिल्कुल अलग हो गया, उसके एक मंत्री बनाये गये और पिछले साल ८५ लाख रुपये की ग्रान्ट इस सदन ने दी थी। इस साल वह बढ़ के ९५ लाख हो गई है। सरकार उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है और हर साल सरकार ग्रान्ट को अपनी आमदनी के लिहाज से बढ़ा रही है। और कोशिश इस बात की है कि जो सहूलियतें उनको चाहिए उनकी तरफ सरकार का ध्यान हो।

[श्री मंगला प्रसाद]

आजकल सब से ज्यादा खर्च शिक्षा के ऊपर हो रहा है। आम फीस माफी के रूप में, किताबें, आदि देने में, स्कालरशिप, स्टाइपेंड हरिजनों के बच्चों को देने में सब से ज्यादा रुपया खर्च होता है। हमारे हरिजन भाई और पिछड़े हुए लोगों में शिक्षा की बड़ी कमी थी। वैसे तो देश भर में शिक्षा की कमी थी और शायद सन् ४७ के पहले आठ परसेंट या नौ परसेंट कुल शिक्षा इस प्रदेश की थी। अब जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है काफी जोर से उसमें प्रगति हुई है। पिछले साल ५६-५७ में ५ लाख से अधिक विद्यार्थी हरिजनों के इस सूबे में पढ़ रहे थे जब कि और सब की तादाद जितने शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं उनकी सब की तादाद ४०, ४५ लाख के होगी। इनमें ५ लाख हरिजनों की तादाद थी जो कि पहले दर्जे से लेकर बी० ए०, एम० ए० तक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। मुझे आशा है कि इसमें काफी वृद्धि और तरक्की दिनों दिन होती जायगी। अभी सन् ५१ में जो इसका बजट था वह ५ लाख रुपये के करीब था। आज वह ९५ लाख का हो गया है। यही नहीं पिछले साल बजट तो हमारा ८५ लाख का था लेकिन कुल खर्चा हुआ था करीब १ करोड़ १४ लाख के। कुछ रुपया हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है खर्च करने के लिए वह इसमें शामिल नहीं है। तो वह सब मिला कर इस साल भी पहले से ज्यादा ही होगा। तो सरकार बराबर इस तरफ आगे बढ़ रही है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बयान देते हुए कहा था कि हरिजनों के बारे में जो सुविधायें (फैसिलिटीज) हैं, जो उनके लिये पैसा दिया जा रहा है वह बराबर कायम रहेगा। उसको कम करने का सवाल नहीं है। कुछ ऐसा सवाल वहां पैदा हुआ था। तो इससे साफ है कि सरकार की नीति इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है।

शिक्षा के बाद जो सब से जरूरी काम हरिजनों के लिए या पिछड़ी जाति के लोगों के लिए हो सकता है वह उनके लिए कोई रोजगार या नौकरी चाकरी, कोई आमदनी का जरिया पैदा करने का है। उसके लिए भी काफी सरमाया लगाया जा रहा है। असल बात यह है कि रोजगार चलाने के लिए कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए तब कोई रोजगार या कारखाना या मिस्त्री का काम चल सकता है। तो पिछले साल, तादाद बहुत कम थी, ८४५ आदमियों को रुपया दिया गया था रोजगार चलाने के लिए। वह ऐसे तो बहुत कम है। जहां करोड़ सवा करोड़ हरिजन बस्ती इस सूबे में है वहां आठनौ सौ को अगर कोई पैसा दिया जाता है रोजगार चलाने के लिए तो बहुत कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक और ध्यान सरकार का है, वह यह कि काफी लोगों को शिक्षा दी जाय, टैक्नीकल और तरह-तरह के रोजगार चलाने की ट्रेनिंग उनको दी जाय और उनकी कोआपरेटिव सोसाइटी बना करके और व्यक्तिगत भी उनकी मदद की जाय और तब उनका कारोबार जो चल सकता है इस कारोबार को सिखा कर उसको फालो आन करने की बात है। जो सीख जायं उनसे आशा है कि वह उस काम को चला करके अपना पेट भर सकें और आमदनी कर सकें। सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है।

इस साल दूसरा बहुत जरूरी काम, जिसकी तरफ ध्यान अभी तक नहीं रहा है और उसके लिए कोई आपके इस बजट में पैसा भी नहीं है वह सभी जानते होंगे कि इस सूबे में हरिजनों की आबादी जो १५-२० वर्ष पहले थी उससे बहुत ज्यादा बढ़ गयी है, लेकिन उनके जो रहने के स्थान थे, जो मकानात थे, जितनी जमीन उनके पास थी वही अब भी है। दूसरी तरफ उनकी आबादी ड्योढ़ी और दूनी हो गयी है।

एक सदस्य—कुछ फर्जी लोग तो नहीं बन गये हैं हरिजन?

श्री मंगलाप्रसाद—मैं ऐसे सवालों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। आपके यहां देश की जितनी आबादी थी वह ४०-५० वर्ष के अन्दर ड्योढ़ी हो गयी है। मैं समझता हूं कि हरिजनों की तादाद भी उसी लिहाज से ड्योढ़ी हो गयी। जो कहा यह जाता है कि जो गरीब होते हैं उनकी तादाद ज्यादा बढ़ती है तो यह सही है कि और लोगों की तादाद से हरिजनों की तादाद ज्यादा बढ़ी है। आपने तो बड़ी-बड़ी जगहों पर कब्जा कर लिया है, पहले से ही बड़े-बड़े मकान अच्छे स्थानों पर बना रखे हैं, उनके पास रहने के लिए स्थान तक नहीं है। आपके पास सौ, दो सौ बीघा जमीन होगी, आप उनकी दिक्कतों को आम तौर से आसानी से महसूस नहीं करेंगे। उनके लिए कोई तकलीफ दूर करने का प्रयत्न होगा तो सभी भाई इस तरफ के और उस तरफ के मुझे आशा है कोशिश करेंगे कि उनकी दिक्कतें दूर हों। कम से कम सुनने की कोशिश तो कीजिये, देने की बात हो तो मत दीजियेगा।

सब से बड़ी समस्या हमारे हरिजनों की यह है कि उनके पास एक कमरा या डेढ़ कमरा है, इसी में एक-एक खानदान और दो-दो खानदान रहते हैं। उसकी दो पतोहू हैं, दो लड़के हैं, वह सब उसी मे रहते हैं। जितनी जगह उसके बाप-दादा के जमाने में थी, उतनी ही अब भी है, उनको जगह पाने का कोई साधन नहीं है। आज इस बात की जरूरत है कि जहां-कहीं उनकी आबादी है वहां पर थोड़ी जमीन गांव वाले देने की इनायत करें, मेहरबानी करें। उनको अपना एक अंग और साथी समझ कर और छोटा भाई समझ कर हर गांव में उनको जमीन निकालनी चाहिये। यह उनकी सबसे बड़ी जरूरत है। वह इस प्रकार मिली जमीन में एक छोटा मकान बना कर पांव फैला कर रह सकते हैं। इसके लिए कोई पैसा इस बजट में नहीं है। मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि उसके लिए पैसा प्रोवाइड कराऊं। आज तो नहीं है, लेकिन आइंदा हो जायगा। कोई तरीका ऐसा अख्तियार किया जायगा जिसमें इस काम के लिए भी थोड़ा पैसा हो। अगर हमारे पास लाख रुपया हो तो ५ महीने के अन्दर ५ लाख की जमीन हम इकट्ठी कर सकते हैं, बाकी जमीन लोगों की इनायत से मिल सकती है और जहां कहीं नहीं मिलेगी वहां पर कुछ एक्वायर करेंगे। इस महत्वपूर्ण काम के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं और मेरा खयाल है इसमें हमें कामयाबी होगी। यह एक बहुत जरूरी काम है। मैं समझता हूं शिक्षा के बाद दूसरा जरूरी काम हरिजनों के लिए रहने का स्थान, उनके लिए पैर फैलाकर सोने की जगह का इन्तजाम सबसे ज्यादा आवश्यक है।

उसके बाद रोजगार है। रोजगार की तो देश भर में कमी है। जितने बेकार लोग हैं उनको बारोजगार करने का काम हो रहा है और उसमें हरिजन भी आ जाते हैं। उनका भी विकास होगा और उनके लिए अलग से भी ट्रेनिंग और रोजगार की व्यवस्था के तरह-तरह के काम चलाये जा रहे हैं, उसमें रोजबरोज वह तरक्की करते जायंगे।

मै दो एक बातें और कहना चाहता हूं हमने इस साल थोड़ा सा रुपया क्षय रोग के लिये रखा है। जब कोई काम शुरू होता है तो इसी तरह से होता है। बहुत से लोग कहेंगे कि क्षय रोग के लिये यह २३,००० रुपया क्या होता है। एक मजाक सा मालूम होता है। लेकिन देखिये तमाम चीजें टोकिन ग्रांट से ही शुरू होती हैं। एक स्कूल को ग्रांट दस रुपया से मिलना शुरू होती है और वह तीन हजार तक मिलने लगती है। अभी हमें यह २३,००० रुपया बांटना है और इससे कुछ लोगों को फायदा पहुंचेगा ही। आपने देखा कि ५० हजार रुपये से बढ़ाकर आज हमने ६५ लाख रुपये का बजट पेश किया है। पहले हमारे यहां क्षय रोग के २०० बेड्स थे जो आज एक हजार हो गये हैं। इसी तरह से जो लोग गरीब हैं और जिन को दवा दारू की जरूरत होगी उन को मदद मिल

[श्री मंगला प्रसाद]

सकती है। यदि आवश्यकता होगी तो यह रकम बढ़ जायगी और जितना लाभ दिया जा सकता है उतना दिया जायगा।

इस के अलावा एक और नया आइटम यह रखा गया है कि इन ५–७–१० वर्षों में जो हरिजनों में काम हुआ है उस का सर्वे किया जाय कि कितना काम हुआ है और इस बात का भी सर्वे किया जायगा कि कितना काम करना है। इसके लिये १६,००० रुपये का अनुदान रखा गया है। जब कोई काम किया जाता है तो उस के पीछे मंशा छिपी रहती है। इसके पीछे मंशा यही है कि जो कमियां हैं उनको धीरे-धीरे दूर किया जाय। लेकिन जितनी चादर है उतने ही पांव फैलाये जा सकते हैं। हम इन कमियों को दूर करने के लिये, मिटाने के लिये ही जांच करवा रहे हैं।

आज हमारा एक विभाग हरिजन विभाग के नाम से अलग हो गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन आइटम्स के लिये रुपया बजट में है उन्हीं तक हमारी कार्यवाही महदूद रहेगी बल्कि हमारा जो आर्गेनाइजेशन है वह अगर सही तरीके से काम करे जैसे कि मिशनरी करती है तभी सफलता मिलेगी और अगर जरूरत होगी तो हम उनको ट्रेनिंग वगैरह देने के लिये भी तैयार हैं। जब हमारा और आपका सबका सहयोग होगा तभी हम प्रगति कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। इस सिलसिले में मैं यह निवेदन कर रहा था कि सबकी मदद की आवश्यकता होगी। आज उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। यह एक फैक्ट है, एक वाकया है, जिस को आप जानते हैं और हम भी जानते हैं। मैं पहले कोआपरेटिव विभाग में था तो हरिजनों को बराबर १८ फीसदी जगहें मिलती रहीं। पिछले साल हमारे मुख्य मंत्री जब पुलिस मंत्री थे, तो दरियाफ्त करने से मालूम हुआ, कि जब सब-इंस्पेक्टरों को मुकर्रर किया गया तो १८ फी सदी हरिजनों को रखा गया हम इस तरह आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सूबे भर में जितनी नियुक्तियां होती हैं उनमें हरिजनों को पर्याप्त जगह नहीं मिलती। १८ फी सदी तो मिलता ही नहीं, उससे बहुत कम मिलता है। यह अभी हमारे बहुत से भाई शिकायत करेंगे। इस तरफ भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि काफी लोगों को नौकर करा सकें। दिक्कत यह है कि एडवर्टिजमेंट होता है कि ६०० आदमी कोआपरेटिव सोसायटीज में लिये जायंगे तो १८ फीसदी के हिसाब से सौ के करीब आता है लेकिन दरख्वास्तें कुल ४० ही आती हैं और उन ४० में भी जब उनका इम्तिहान होता है तो कम नम्बर रखने पर भी २० ही पास होते हैं। तो ऐसी हालत में कोटा पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा आज हमारे हरिजन भाईयों के पास देहात में अखबार नहीं पहुंचता जिसकी वजह से उनको एडवर्टिजमेंट का पता ही नहीं चलता कि कब हुआ। तो हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि जो पढ़े लिखे लोग हों, जो नौकरी चाहते हों। टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हों उनकी एक लिस्ट बनायें और एम्पलायमेंट एक्सचेंज में उनके नाम लिखायें। हालांकि इस काम के लिये इसमें बजट प्राविजन नहीं है लेकिन हम ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे। कहने का मतलब यह है कि पैसा बांटने के अलावा जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिये जो भी काम उन का हो हम करें, चाहे वह रोजगार दिलाने का हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो उस में कोई गड़बड़ न हो। कहीं लीकेज होता हो तो उस को रोका जाय। इन सब चीजों की तरफ हमारा ध्यान है और मैं सदन के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जब किसी को किसी तरह की बात मालूम हो तो वह हम को खबर कर सकते हैं। इत्तफ़ाक से मैं चीफ़ ह्विप भी हूं जिस की वजह से अपोजीशन के लीडर से हमारी काफ़ी दोस्ती रहती है तो वे आसानी से मुझ से कह सकते हैं।

मैं ज्यादा समय न लूंगा, बहुत लोग उत्सुक हैं बोलने के लिये लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि हरिजनों की गरीबी के बारे में, उनके रहनसहन के बारे में, उनके मकानों के बारे में, उन के सैनिटरी कंडीशन्स के बारे में जितना और हरिजन भाई जानते हैं उतना मैं भी जानता हूं। मैं इस विभाग में नया आया हूं इसलिये यह चाहता हूं कि आप सब सुझाव दें जिन्हें मैं नोट करूंगा और जहां तक हो सकेगा उन दिक्कतों को दूर करने के लिये कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैं

वह भी प्रार्थना करूंगा कि वे हमको अपना पूरा सहयोग दें और हम सब मिलकर देश की जो यह कमजोरी है उसको दूर करें। मैं इस काम का इस तरह से मानता हूं कि देश हमारा एक शरीर है और उसमें पिछड़े भाई हमारे एक कमजोर अंग हैं। हर आदमी महसूस कर चुका होगा अपनी जिन्दगी में कि अगर कभी एक अंग खराब या कमजोर हो जाता है तो फिर कुल शरीर काम नहीं करता। इसलिये हमारे देश में जो पिछड़े हुये लोग हैं उनको हमें ऊंचा उठाना है और जब तक हम यह नहीं करेंगे तब तक हमारे देश की जो बाडी पोलिटिक्स है, जो हमारा शरीर है पूरे देश का वह शक्तिशाली नहीं हो सकता। इसलिये हम सब जो इस देश के रहने वाले हैं उनका कर्तव्य है कि इस ओर तेजी से कदम बढ़ायें और इस महान काम में पूरे तौर से लग जायं और भेदभाव का कोई खयाल न रखें। इतना कहकर अब आप लोगों को सुनने के बाद में फिर कुछ कहूंगा।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से अनुदान संख्या ४०--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान--लेखा शीर्षक:५७--विविध के सम्पूर्ण अनुदान के अन्दर १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

श्रीमन्, आज प्रदेश में हम यह देखें कि जो सत्तारूढ़ दल है वह अब से नहीं, बल्कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय या उससे पहले से ही, बराबर इस प्रकार के नारे लगाता रहा कि हम हरिजनों का उत्थान करें, पिछड़ी जातियों को उठायें, लेकिन आज दस साल हो गये, वे जातियां कितनी उठीं, इसका पूरा रचनात्मक रूप आज हमारे सामने उपस्थित है। श्रीमन्, मैं इस बात को मानने के लिये तयार हूं कि उन्होंने कुछ पद देकर कुछ लोगों को बढ़ा दिया, कुछ लोगों को सर्विस दिला कर ऊंचा उठा दिया, परन्तु जो वास्तविक समस्या है, उसकी ओर यदि हम ध्यान दें, तो हम उधर शून्य होजाते हैं। हमें सबसे पहले जड़ को खोदना होगा। जिस प्रकार माननीय मंत्री जी ने बताया कि यदि शरीर का कोई अंग खराब होजाता है तो उसे ठीक करने की आवश्यकता होती है लेकिन ऊपर से मरहम पट्टी करके हम यह नहीं कह सकते कि वह पूर्ण रीति से ठीक होगया है। बल्कि हमें उस की जड़ को देखना होगा। हमारे पिछड़े भाई, हरिजन किस प्रकार इस स्थिति पर आये, उस को और देखना होगा। फिर उस को देख कर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा जिससे हरिजनों का उत्थान हो सके। अंग्रेज जमींदारी व पैसे वालों को नौकरी देकर, और दूसरी तरह से, ऊपर उठाते चले गये। हरिजन जिनके पास सिर्फ मजदूरी का पेशा था या २०, २५ बीघे खेत जोतते थे, और जो आदिवासी थे जिन्हें अंग्रेजों ने पीसा था वे पिछड़ते चले गये। उन का हम किस प्रकार से उत्थान करें यही विचारना होगा। केवल नारेबाजियों से कोई काम नहीं होसकता, न सीट देकर हो सकता है, बल्कि उन का उत्थान उस समय होगा जब कि उनकी वास्तविक जड़ ढूंढी जायगी कि ये वास्तव में किस कारण कमजोर होते चले आये हैं।

श्रीमन्, किसी भी देश की संस्कृति को बनाने के लिये, या देश के उत्थान के लिये संस्कारों की आवश्यकता होती है। सुकृति संस्कृति संस्कारात्ति स संस्कृतिः। संस्कृति वही बनेगी जो कि संस्कारों द्वारा मनुष्य पर लादी गई है और किसी प्रकार से संस्कृति नहीं बन सकती। हमें सिर्फ एक ही दृष्टिकोण रखना चाहिये कि हम भारतीय हैं और हमारे जो पिछड़े बन्धु हैं उनको हमें साथ लेना है। हरिजन जो हैं वे हमारे समाज के अंग हैं, उनको हम साथ ले चलें। इस प्रकार का जब दृष्टिकोण होगा कि हम दो नाम लेकर चलें, इस प्रकार की स्थिति यदि हमारे सामने रखी जाय, तो हम कभी उन्नति नहीं कर सकते। सबसे पहले समाज में संस्कारों की आवश्यकता होगी और यह देखना होगा कि वास्तव में वे क्यों इस प्रकार से पिछड़ते चले गये हैं। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जमीन की कमी के कारण, उद्योगों की कमी के कारण, या उन पर संस्कार पड़ने के कारण, जो कि गलत संस्कार डाले गये, उसी के कारण, वे आज पिछड़े हैं। इस मद में आज माननीय मंत्री जी ने केवल १३ हजार रुपये रखें हैं। इस समाज में कमी को सुधारने के लिये सिर्फ १३ हजार रुपये बहुत कम रखे गये हैं।

पिछड़ी हुई जातियों के लोगों को एजूकेशन में कुछ हेल्प की जाती थी इस सम्बन्ध में मैं उस रकम की जो इस [illegible] का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शिक्षा के

[श्री मलखान सिंह]

लिये ५७-५८ के खाने में निल दिखाया गया है। पिछले वर्ष की रकम लिखी है, लेकिन इस वर्ष की रकल निल है।

दूसरे प्लानिंग के लिये जो रुपया मंजूर किया गया, उसमें आप देखेंगे कि कितने लोगों को विकास की योजनाओं से लाभ पहुंचेगा, इसके लिये समय का अभाव है। यदि अधिक समय होता, तो उस पर विशेष रूप से कह सकता। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पहले तो नौकरशाही की बात कही जाती थी, तो वह मजबूरी थी, लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि आज भी वही नौकरशाही कर्मचारियों में है। वेतन पर ७५ लाख ४८ हजार रुपया पिछले साल था और इस साल ७९लाख ३५ हजार ५ सौ रुपया दिया गया है। यह उन्हीं लोगों को दिया गया है जो कि सरकारी मंत्रियों अथवा अफ़सरों के नजदीक के लोग थे और जिन को फायदा पहुंचाना उनका ध्येय था। उनको एकत्रित करके एक रोजगार देने का यह एक अच्छा तरीका इस सरकार ने निकाला है। हम वास्तविक स्थिति को देखें तो पायेंगे कि हरिजन अधिकतर गांवों में रहते हैं, किन्तु बस्तियां शहरों में बनायी जा रही हैं। उनके उत्थान के काम शहरों में किये जा रहे हैं। उनमें से कुछ को मकान आदि देकर आप समूचे समुदाय का उत्थान करना चाहते हैं, तो वह नहीं हो सकता।

यह जो खाने और गल्ले पर टैक्स लगा है, यह उस हरिजन पर पड़ता है जो कि दिन भर श्रम करता है और शाम को अपने लिये रोटी कमा पाता है। यह ठीक नहीं है। यह जो ग्रांट रखी गयी है उसके आधार पर यदि एवरेज लगाया जाय तो फी आदमी वह ८ आना पड़ता है, और टैक्स के रूप में यदि हिसाब लगाया जाय तो खाने-पीने की चीजों पर, तो उस को ६० रुपये के करीब देना पड़ता है। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस तरफ देखें, और जो गरीब हरिजन हैं, उनसे खाने-पीने की चीजें पर टैक्स न लिया जाय। ऐसा प्रबन्ध करें, तभी उनकी उन्नति हो सकती है अन्यथा नहीं। श्रीमन्, जो यह खाने-पीने की चीजों पर टैक्स है, इसका असर बड़े आदमियों पर कम पड़ता है और जो मजदूर, हरिजन हैं, जो दिनरात मेहनत करते हैं, अधिक रोटी खाते हैं, उन पर अधिक पड़ता है। उनको अधिक टैक्स देना पड़ता है। यह कैसा समाजवाद है? गरीब पर अधिक टैक्स, यह मेरी समझ में नहीं आया। हमें यह सोचना पड़ेगा कि यह कैसी सरकार है कि जो समाजवादी समाज की रचना का तो नारा लगाती है और गरीब और पिछड़े हुये लोगों पर अधिक टैक्स लगाती है। तो इस सरकार को सोचना होगा कि इन मजदूरों, हरिजनों पर, जो यह टैक्स है, इसको हटाया जाय, और उस के बाद इन को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देकर, शिक्षा के द्वारा, इनकी सामाजिक कुरीतियों को दूर करके, शराब बन्दी करके, तथा शादी में जो अनेक प्रकार से अपव्यय होता है, उस को रोककर किस प्रकार हम इनका उत्थान कर सकते हैं। केवल नारे बाजी से अथवा हरिजन कल्याण के लिये अफसर नियुक्त करके, हम इनका उत्थान नहीं कर सकते। इसका ज्वलंत उदाहरण हमने अपने पिछले १० सालों के कार्यों में देख लिया है।

सरकार ने जितने नारे लगाये उसका परिणाम यह हुआ कि हम उतना ही जातिवाद में पड़ते चले गये। चुनावों में जातिवाद बढ़ रहा है और उसका कारण एक यह सरकार है। यह उस पार्टी की सरकार है जिसने टिकट जातिवाद के आधार पर दिये और लोगों को जातिवाद के आधार पर चुना। हमें इनके उत्थान के लिये मूल को देखना होगा। इस देश के रहने वाले हमारे हैं, हमारे समाज के लोग हैं, जब तक इस प्रकार की एक राष्ट्रीय भावना नहीं जागृत होती तब तक हम इनकी उन्नति नहीं कर सकते। केवल नारे बाजी से यह काम नहीं हो सकेगा, जब तक गांव में रहने वाला सवर्ण यह नहीं समझता कि यह हमारे भाई हैं, इनके भले के लिये जो कुछ हो रहा है उसमें मेरी व समाज की भलाई निहित है। 'यदि इन पर आक्रमण होता है, तो वह आक्रमण मुझ पर है,' जब तक यह भावना नहीं जागृत होगी, तब तक इनका उत्थान नहीं हो सकता।

श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण सुना और उनके प्रस्तुत बजट को भी देखा। मुझे यह कहते हुये गर्व अनुभव होता है और उन्होंने कांग्रेस के सिद्धान्तों के अन्तर्गत रहते हुये जो समाजवाद और जैसी समाज

व्यवस्था लाने का प्रयत्न किया है, उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। बजट में अनेक अच्छाइयां हैं। पिछला जो अनुदान दिया गया था, उसमें शैक्षिक उत्थान के लिये ६१.७८ लाख रुपया व्यय किया गया। उसके बाद आर्थिक उत्थान के लिये, उद्योग धन्धों के लिये, जैसे बिजली का काम सीखने के लिये, शीशे का काम सीखने के लिये, आदि पर भी काफी रकम दी गयी। दूसरे सामाजिक उत्थान के कार्यों के लिये भी, जैसे सड़कें बनाना, कुओं की मरम्मत करना, आदि कामों के लिये भी उसमें प्राविजन किया गया। इसके अतिरिक्त अस्पृश्यता निवारण के लिये भी काम किया गया और उस के लिये अनेक प्रकार के पोस्टर आदि छापे गये। इस प्रकार जो खानाबदोश लोग थे, उनको बसाया गया और उनके लिये मकान बनाये गये। इन सब बातों के लिये हम उनके कृतज्ञ हैं।

साथ ही साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि जहां इतनी अच्छाइयां हैं, वहां थोड़ी कमियां रह जाना भी आवश्यक है. इसलिये माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि ९५ लाख ५५ हजार रुपया, जो इस अनुदान में रखा गया है, यह पूरा नहीं हो सकेगा। इस के ऊपर विचार करना होगा क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत समय से ही ये लोग कितने पिछड़े हुये थे। उनके उत्थान के लिये अधिक रुपये की आवश्यकता है। उसके लिये देहातों में, जो छोटे-छोटे उद्योगधन्धे किये जाते हैं, उनको बढ़ाने की जरूरत है। पिछले साल के बजट को देखने से यह प्रतीत होता है कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन थोड़ा बहुत रुपया जो इसके लिये रखा, उसमें विशेषकर उनको ऊंचे उठाने की जरूरत है। बहुत बार यह देखा गया है कि जो बड़े-बड़े व्यवसायी हैं, उनको वहरुपया मिल जाता है। अनुसूचित जाति के लोगों कोवह नहीं मिल पाता और वे वंचित रह जाते हैं।

उनके लिये दूसरी समस्या रहने की है। उनके लिये रहने के स्थान का कोई प्रबन्ध नहीं है। शहरों में तो कुछ प्रबन्ध किया गया है और धन की व्यवस्था कर दी गई है कि वे कर्जा लेकर अपना मकान बना लें, लेकिन देहातों के अन्दर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। वे बेचारे अपनी आवश्यकता को ही पूरा नहीं कर पाते हैं। उनकी दशा इतनी दयनीय रहती है कि यदि माननीय वित्त मंत्री उसको देखें, तो उनको देखकर उनका हृदय भी द्रवित हो जायगा कि किस प्रकार से वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आज अनुसूचित जाति के परिवारों की यह दशा है कि एक फूंस की झोपड़ी के अन्दर उसके दादा, ससुर, उसका बेटा, दादी और सास, बहू सब ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इस चीज को अगर भुला भी दिया जाय, तो मूसलाधार वर्षा में उस झोपड़ी के अन्दर एक स्त्री के जब बच्चा उत्पन्न होता है, उस दृश्य को देखकर कोई भी पढ़ा लिखा आदमी उस दशा को सहन नहीं कर सकता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि मकान और उत्थान के लिये जो सुविधा उनको दी गई है उसके लिये इस बजट में धनराशि और बढ़नी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि हमारे जो भूतपूर्व जरायम पेशा लोग हैं, उनको अगर इस जुर्म से दूर रखना चाहते हैं, तो अविलम्ब उनके लिये कोई ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे वह उसमें लग जांय और अपने उस दूषित कार्य को करने से वे अलग हो जांय।

उत्थान के लिये,

है, उसके विषय में अधिकारी लोगों की उपेक्षा की नीति के कारण जो उनके उचित अधिकार हैं, वह उनको नहीं मिल पा रहे हैं। जिन स्कूलों व कालेजों में दाखिले की बात होती है, तो वहां पर कह देते हैं कि यह लोग इतनी बुद्धि वाले नहीं हैं। वे उन जगहों को खाली रखते हैं।

चौथी बात यह है कि अम्बर चर्खे की ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें वही बहनें ट्रेनिंग पा रही हैं जिनके पास पैसा है। इन पिछड़ी जाति की बहनों के पास इतना पैसा नहीं है कि वे फीस दे कर ट्रेनिंग पास करें। इसलिये सरकार को अपनी ओर से उनकी फीस मुक्त कर देना चाहिये जिससे वह उसे सीखकर अपनी जीविका चला सकें।

[श्रीमती शकुन्तला देवी]

पांचवीं बात यह है कि अनुसूचित जाति के सुधार के लिये सोशल वर्कर की जरूरत है। हमारे जो बिना पढ़े-लिखे आदमी हैं, वे खून-पसीना करके पैसा कमाते हैं, लेकिन उसको खर्च करने की विधि नहीं जानते। जब तक वह शिक्षित नहीं हो सकेंगे, तब तक खर्च करने की विधि को नहीं जान सकेंगे। इसलिये उनके लिये एक अच्छे सोशल वर्कर की जरूरत है।

हरिजन लोग बड़े लोगों से बड़े सूद पर रुपया लेते हैं और मरते समय तक अपने को उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। प्राचीन समय में ऐसा होता था कि बाप के मरने पर बेटे को कर्जा चुकाना पड़ता था। इनके लिये सहकारी ऋण व्यवस्था कायम होनी चाहिये।

शिक्षा के लिये जो रुपया रखा गया है वह नाकाफी है। ६०,७० लाख के लगभग लड़के और लड़कियां शिक्षा पा रही हैं। यदि उन्हें १-१ रुपया भी दिया जाय तो भी सबको नहीं मिल सकता है। किसी देश या जाति के उत्थान के लिये उसकी लड़कियों का शिक्षित होना जरूरी है। पिछड़ी जातियों में जो लड़कियों को न पढ़ावें उन्हें दण्ड देना चाहिये।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम एक ऐसे अनुदान पर बहस कर रहे हैं जिसका सम्बन्ध केवल समाज से ही नहीं है, बल्कि मानवता से भी है। मुझे खेद है कि माननीय मंत्री जी ने [illegible]

के [illegible]

श्री [illegible] ७ जुलाई से १३ जुलाई १९५५ तक टेहरी गढ़वाल में, दौरा किया और उन्होंने देखकर लिखा है कि वहां की आबादी ४,१२,००० है जिसमें से २१,००० अनुसूचित जातियों की संख्या है। वहां के लोगों के पास सिवाय आधा एकड़ जमीन के कोई साधन नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि टेहरी गढ़वाल का विकास करने के लिये इसे अनुसूचित एरिया घोषित करना चाहिये। इसमें है कि उन हरिजनों (अनुसूचित जातियों) की स्थिति बहुत ही खराब है जिनके पास भूमि नहीं है। ये लोग उत्सव पर बाजे बजाते हैं परन्तु ये अस्पृश्य माने जाते हैं, यद्यपि यहां पर पीने के पानी की कोई कठिनाई नहीं है। एक साथी ने कहा कि वे फर्जी हरिजन तो नहीं बन गये। [illegible]

[illegible] १९५१ में ४१,००० रह गई है जबकि वह १९४१ में ७०,००० थी इसकी जांच की जानी चाहिये।" यह कमीशन की बात है। मंत्री जी ने कहा बड़े नेता लोग बतावें मैं चाहूंगा कि मुझ जैसे छोटे व्यक्तियों की बात भी सुनी जाय। थारू और बोक्सा भोटिया जातियों के बारे में यूनिवर्सिटी में पढ़े हुये लोगों को भी मालूम होगा। 'प्रिमिटिव ट्राइब्स बाई डाक्टर मजूमदार,' 'ट्राइब्स इन ट्रांजीशन,' 'एन्थ्रोपालोजी टु डे,' पढ़ने से मालूम होगा। ये लोग सितारगंज, खटीमा और मिर्जापुर में रहते हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। उनकी हालत भी हरिजनों की तरह है। जिस समय लखनऊ के गवर्नमेन्ट हाउस या दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नाच-गाने के कार्यक्रम होते हैं उस समय उनकी याद की जाती है। उनकी बहू बेटियों को वहां नचवाया जाता है। विभागीय जिले की समितियों से आपको सही रिपोर्ट लेनी चाहिये।

टेक्निकल स्कूल आपने हरिजनों के लिये खोले हैं लेकिन क्या नैनीताल के टेक्निकल स्कूल में कोई अध्यापक है, पढ़ाई हुई? क्या नैनीताल से लड़कों को यहां आना नहीं पड़ा और वे माननीय मंत्री जी और दूसरे लोगों की सिफारिश से भर्ती हुये? उनकी हालत सन् १९५१ से भी बदतर हो गई है। किताबों के लिये रुपया उनको नहीं मिल रहा है। मद्रास में हाई स्कूल में पढ़ने वाले लड़के को ५३ रुपये मिल रहे हैं जबकि हमारे यहां केवल १२ रुपये ही मिलते हैं। मैं चाहूंगा कि छात्र वृत्तियां बढ़ाई जावें। पुलिस के बजट से कटौती करके इस विभाग में ज्यादा रुपया दिया जाय। देहात के लड़कों की ओर स्पेशल ध्यान होना चाहिये।

थारू और बोक्सा के साथ-साथ कुमायूं के हरिजनों की जांच के लिये समिति बननी चाहिये। एक समिति बैठी थी, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं, इस बात के लिये नहीं कि यह परिपाटी हो गई है कि कांग्रेस के लोग सरकार का समर्थन ही करें बल्कि इसलिये कि पिछले बजट में ८५ लाख रुपये की जगह अब ९५ लाख, यानी १० लाख रु० या बढ़ाकर, रखा गया है। इस वृद्धि में हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिये। जैसा मंत्री जी ने बताया, हरिजनों की आर्थिक और सामाजिक दशा बहुत ही खराब है। इस बजट से हम यह आशा नहीं करते कि जो समाज हजारों वर्षों से पिछड़ा हुआ है, वह पूरी उन्नति कर जायगा। हम यह आशा करते हैं कि उत्तरोत्तर वृद्धि से धीरे-धीरे दशा ठीक होती जायेगी।

जब से यह हरिजन कल्याण विभाग अलग से कार्य कर रहा है, हमने देखा है कि हरिजनों की शिक्षा का प्रसार हुआ है। लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि आया हम उनकी आर्थिक स्थिति में भी कोई सुधार कर पा रहे हैं या नहीं।

शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोगों में एक चेतना सी आती है, हम स्वास्थ्य बनाने के लिये कपड़े साफ पहनते हैं या साफ रहते हैं। लेकिन ये बातें केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रहती हैं जो पढ़े लिखे हैं। इस समाज का बड़ा अंग पढ़ा-लिखा नहीं है। गांवों में रहने वाले किसान और मजदूरों की आर्थिक और सामाजिक दशा पिछड़ी हुई है। हम यह कह सकते हैं कि पिछले सालों की बनिस्बत हमने तरक्की की है। हमारा सामाजिक स्तर पिछले कुछ दिनों की उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण ऊंचा होता चला जा रहा है। इसके बावजूद आज भी हम देखते हैं कि हमारे साथ भी वही दुर्व्यवहार होता है, जो अपढ़ आदमियों के साथ समाज में किया जाता है। हम लिखपढ़ गये है, साफ रहते हैं, लेकिन अगर आज भी हम देहात में चले जायं या छोटे शहरों में चले जायं, तो वैसा ही व्यवहार हम लोगों के साथ किया जाता है, जो कि बेपढ़े लिखे और गंदे रहने वाले लोगों के साथ किया जाता है। हमारे समाज में आज भी अस्पृश्यता का बोलबाला है।

आज हम इस बात को भी देखते हैं कि हरिजन भाइयों को तरह तरह की सुविधायें दी जाती हैं, और उनको १८ प्रतिशत संरक्षण देने का दावा किया जाता है, और हमेशा इस बात की कोशिश सरकार की तरफ से की जाती है कि उनका संरक्षण पूरा हो जाय, लेकिन आज सरकारी अधिकारियों में ऐसी मनोवृत्ति पैदा हो गयी है कि वे इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। हम मानते हैं कि योग्य विद्यार्थियों की हम में कमी है। हमारे यहां पढ़े-लिखे लोगों का स्टैन्डर्ड और लोगों की बनिस्बत कम है। यह भी ठीक है कि और लोगों के साथ कम्पीटीशन में हम नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी 'मीनियल क्लास', जिनके लिये ऐसी क्षमता का कोई प्रश्न भी पैदा नहीं होता, चपरासियों आदि में भी उनके संरक्षण का कोई ध्यान नहीं रक्खा जाता।

सन् ५५-५६ में चार स्थान इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के खाली हुये थे। उनके लिये एप्लीकेशन्स मांगी गयीं। शिड्यूल्ड क्लास की एक एप्लीकेशन आयी। उस व्यक्ति को गवर्नमेन्ट कालेज का नौ साल का ऐक्सपीरियेंस था और अब वह प्रिन्सिपल हो गया है, लेकिन फिर भी उसको अयोग्य ठहरा दिया गया। यह सरासर सरकारी अधिकारियों की धांधली का नमूना है। ऐसे ही और भी बहुत से उदाहरण पेश किये जा सकते हैं।

आज हमारे हरिजनों में एक बहुत बड़ा वर्ग खानाबदोशों का है। वे एक स्थान स दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, उनकी ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। वह मांगते हैं और तरह-तरह के ऐसे काम करते है जो अपराधशील जातियां करती थीं। यद्यपि वह नियम

[श्री श्रीनाथ]

आज खत्म कर दिया गया है, लेकिन वह वर्ग अभी तक हमारे समाज में है, उसकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। उनके पास न तो अपना मकान ही है और न उनके पास कोई आर्थिक साधन ही है। सरकार को इन खाना बदोशों की गणना करा लेना चाहिये क्योंकि लाखों की तादाद में वे लोग आज भी मौजूद हैं। लेकिन हमारा ध्यान उनकी तरफ बहुत कम जाता है। कुछ स्थानों में वे संगठित रूप से रहते हैं, उनके लिये एक कालोनी बना दी गयी है, लेकिन अब भी बहुत सी ऐसी संख्या है, जो इधर-उधर घूमा करती हैं। जब तक उनका कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया जायगा, तब तक उनकी समस्या हल नहीं हो सकती। उनकी आर्थिक दशा सुधारी जानी चाहिये। उनका सामाजिक स्तर बहुत ही गिरा हुआ है।

इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

*श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के इस अनुदान को सदन के सामने सुनकर पहली बार तो मुझे बड़ी खुशी हुई लेकिन खुशी के साथ-साथ मैं यह देखता हूं कि सरकार सदन के सामने तरक्की के सैकड़ों किस्म के रास्ते

नहीं हो सकती। तरक्की तो सिर्फ वो ही तरीके से हो सकती है

किसी घड़े में पानी भर दिया जाता है, और घड़े के नीचे छेद हो, तो ऊपर से चाहे जितना ही पानी भरते चले जायं, जब तक उसका छेद बन्द नहीं होता, सारा का सारा पानी घड़े के बाहर हो जाता है। तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस छेद की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसके जरिये सरकार की तरफ से दी जाने वाली सारी की सारी मदें बेकार हो जाया करती हैं।

पहली बात यह है कि यू० पी० के अन्दर लाखों की तादाद में हरिजन और पिछड़ी हुई जाति के लोग बसे हुये हैं जो मजदूरी और खेती पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन आदमियों के लिये सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी योजना नहीं कार्यान्वित की गयी है जो कि उनकी मजदूरी निश्चित करे या खेतिहर मजदूरों के लिये खेती का सही इन्तजाम कराये। यों तो उनके रोजगार के लिये कहीं तो सुअर पालने के लिये ग्रांट दी जाती है, तो कहीं बढ़ई-गिरी के लिये ग्रांट दी जाती है, कहीं सिलाई के लिये ग्रांट दी जाती है। मालूम होता है कि उनके बाप-दादों के नाम बयनामा हो चुका है, इसलिये सरकार भी उनके साथ वही बर्ताव करे, जो अंग्रेजों के जमाने में हुआ करता था। यों सरकार सदन के सामने कुछ भी कहे, ८५ लाख के बजाय ९५ लाख रुपया हरिजनोत्थान पर खर्च करने के लिये कहे, इससे कुछ नहीं हो सकता है। जब तक कि सरकार उस भरे हुये घड़े के छेद को बन्द नहीं कर सकती है, जब तक तो हरिजनों का उत्थान कतई नहीं हो सकता।

हमारी सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से जो सत्याग्रह का आन्दोलन चल रहा था, उसके अन्दर यह कहा गया था कि जमीन का बटवारा हो, और जमीन के बटवारे से वही लोग ज्यादातर फायदा उठा सकते थे, जोकि आज कल हरिजन और पिछड़ी हुई जाति के कहलाते हैं। इसलिये कि अगर खेती की सीमा निर्धारित की जाती और यह कहा जाता, उसके अन्दर यह शर्त होती, कि ३० एकड़ से अधिक या ६ एकड़ से कम किसी के पास जमीन नहीं होगी, तो ५,१०,२० और २५ बीघे खेत वाले हरिजन ही होते, और इस कानून के बनने पर हरिजन को जमीन मिलती। उसका नतीजा यह होता है कि उसमें वे परिश्रम करते और उससे उनको फायदा होता।

शिक्षा के सम्बन्ध में सीतापुर जिले के अन्दर मैं देखता हूं कि जो यहां पर कहा जाता है कि गवर्नमेन्ट लाखों रुपया हरिजनों की शिक्षा पर व्यय कर रही है, या उनकी फीस माफ करती जा रही है, उसके लिये रुपया दे रही है, लेकिन मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपको विश्वास दिला कर बतलाना चाहता हूं कि सीतापुर जिले के अन्दर मैंने अभी भी देखा है कि वहां पर ज्यादातर उन्हीं लड़कों को वजीफा मिलता है, जो अक्सर बड़े घराने के हैं, हालांकि हरिजनों को ही सरकार का रुपया मिलता है। वास्तव में रुपया उन लोगों को मिलना चाहिये जो पढ़ने के शौकीन हैं, मगर खाने व किताब के लिये उनके पास पैसे नहीं हैं। सीतापुर में आज यह चीज हो रही है और मैंने वहां देखा है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में विद्यार्थी सीतापुर में विद्या प्राप्त करने के लिये आ रहे हैं, लेकिन उनके रहने के लिये [illegible]

के जो भी हरिजन नेता कहलाने वाले हैं, उनके नाम का प्रचार करें, तभी वे उस हॉस्टेल में रह सकते हैं। १९५२ के एलेक्शन के वक्त उस हॉस्टल के लड़कों ने माननीय मुख्य मंत्री जी के पास एक प्रार्थना-पत्र भेजा था और यह कहा था कि हमारी सहूलियत के लिये जो रुपया हम लोगों को दिया जाता है, वह हमारे ऊपर खर्च न होकर पता नहीं कहां जाता है। लेकिन आज तक जितने भी अफसर इसकी इन्क्वायरी के लिये गये हैं, उसकी क्या रिपोर्ट है, इसका पता नहीं चलता। आज भी वही व्यवस्था है जिसके लिये मुझे बड़ा दुख है। माननीय मुख्य मंत्री जी के पास उन लड़कों के जो प्रार्थना-पत्र आये उन पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने खुद लिखा था कि आपके यहां लड़के इस तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में आप क्या विचार कर रहे हैं, मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी की उस चिट्ठी को देख कर बड़ा दुख होता है। एक ओर तो हम हरिजन उत्थान करें और दूसरी ओर उन लड़कों पर जिन पर हरिजन समाज का भाग्य निर्भर है उनकी सहूलियतों को खत्म करें, अगर सरकार सुनवाई न करे तो यह बड़े दुख की बात है।

एक बात और मुझे यह कहना है कि जिलों में हरिजन सहायक विभाग बनाये गये हैं उनमें भी वही सवर्ण जाति के लोग रखे गये हैं, यह तो वही दशा है जैसे कि किसी भेड़िये या शेर के सामने एक बकरी को बांध दिया जाय और कहा जाय कि यह शेर इस बकरी की रक्षा करेगा, तो उसके द्वारा उसकी रक्षा कैसे हो सकती है?.........

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहली बात है हरिजन छात्रों की समस्या। इन हरिजन छात्रों को, जो छात्रवृत्तियां और पुस्तकें दी जाती हैं, वह यद्यपि बहुत काफी मात्रा में दी जाती हैं, लेकिन उनका समय पर वितरण न होने से उचित लाभ हरिजन छात्रों को नहीं पहुंच पाता, वह पुस्तकें और छात्रवृत्तियां उनको शुरू में यानी जुलाई मास में मिल जानी चाहिये, लेकिन वह सितम्बर और अक्तूबर में आम तौर से मिलती हैं, और कई-कई मास की छात्रवृत्ति एक साथ मिलती है। नतीजा यह होता है कि उसका समय से छात्र उपयोग नहीं कर पाते। इसका ठीक प्रबंध होना चाहिये।

दूसरे इन छात्रों की सरकार की ओर से फीस माफ है, लेकिन जौनपुर में स्कूलों में हरिजन छात्रों से, पुअर फंड, महंगाई फंड, बिल्डिंग फंड, और दूसरी तरह की फीस, अनिवार्य रूप से वसूल की जाती है। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि इस तरह की फीस हरिजन छात्रों से न ली जाय।

तीसरी बात यह है कि हरिजन छात्रों से फेल होने के बाद फीस ली जाती है जिससे बहुत से ऐसे छात्र, जो एक नम्बर से भी फेल हो जाते हैं, वह आगे शिक्षा पाने से वंचित हो जाते हैं। हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली, ऐसी कसौटी नहीं है, जिसमें असली काबिलियत का पता चल सके, इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि ऐसे फेल होने वाले हरिजन छात्रों से फीस न ली जाय।

चौथी चीज यह है कि हरिजन छात्र जो छात्रवृत्तियां पाते हैं, स्कूल से व्यवस्थापक उनसे लाजमी रूप में चन्दा लिया करते हैं, इसके लिये भी हिदायत होनी चाहिये।

[श्री माताप्रसाद]

दूसरे, हरिजनों की एक बहुत बड़ी समस्या देहातों में है कि वे हर तरह से वहां परेशान किये जाते हैं और उन पर झूठे मुकदमे चलाये जाते हैं, लोग रिश्तेदारों से शहरों में मुकदमे चलवाते हैं, और उनको शिकमी का इस्तीफा देने के लिये मजबूर करते हैं, और बेचारे हरिजन विवश हो कर इस्तीफा दे देते हैं। इसलिये, मैं सरकार से आपके द्वारा अनुरोध करूंगा कि सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिये, कि जिससे ऐसे मुकदमों के लिये व्यय हरिजनों को दिया जाय, और मुकदमों में लड़ने के लिये उनकी सहायता की जाय। अगर सरकार की ओर से यह सुविधा दे दी जाय, तो हरिजन वर्ग पर जो अत्याचार और अन्याय होता है, मैं विश्वास दिलाता हूं, तब हरिजनों की बहुत सी समस्यायें अपने आप हल हो जायंगी। इसलिये आपके द्वारा मैं मंत्री जी का ध्यान उधर आकर्षित करना चाहता हूं।

इस साल सरकार ने मुसहर जाति को परिगणित जाति के अन्दर रख दिया है। इसके लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, मुसहर जाति पूर्व में, चार पांच जिलों में रहती हैं। उनकी एक विचित्र रहन-सहन की अवस्था है और आज भी वे लोग बिच्छू, सर्प, मेंढक और कछुवे, इस तरह के जीवों को खाकर हमारे यहां रहते हैं, और हमारे नागरिक हैं। सोचिये, अगर कोई विदेशी इस तरह से उनकी इस हालत को देखे और अपने देशों में जाकर इसको कहे, तो किस तरह से हमारे देश की बदनामी होगी। इसलिये, सरकार ने यह बहुत ही अच्छा किया।

पिछले दो तीन साल से सोशल वर्करों की नियुक्ति सरकार करती रहती है। लेकिन उनकी नियुक्ति सितम्बर, अक्तूबर के अन्दर होती है और मार्च में ही खत्म हो जाती है। सरकार को उनकी साल भर की नियुक्ति का इंतजाम करना चाहिये।

एक बात और कहनी है। कुछ हरिजन पाठशालायें हैं, जिनको राजकीय अनुदान दिया जाता है। उन्हें तीन-तीन महीने पर सहायता दी जाती है, जिससे अध्यापकों को बड़ी परेशानी होती है और जिलों में रुपया प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिये आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान इधर आकर्षित करता हूं कि हर महीने उन्हें वेतन देने की सुविधा की जाय, और ऐसी व्यवस्था की जाय, जिससे आसानी से वे रुपया निकाल सकें।

माननीय मंत्री जी ने जो हरिजनों की आबादी की समस्या की तरफ ध्यान दिया है, उसके लिये मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं कि वह हरिजनों की आबादी की समस्या को इस तरह से सोचते हैं और जरूर वह इधर ध्यान देंगे।

एक चीज और कहनी है। अस्पृश्यता निवारण पर अधिक से अधिक जोर माननीय मंत्री को देना चाहिये और प्रचार अधिक से अधिक किया जाय जिससे अस्पृश्यता हमारे देश से, चाहे किसी किस्म की हो, वह जितनी जल्दी हो सके, खत्म हो जाय।

श्रीमती गेंदादेवी (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस ग्रान्ट का सम्बन्ध देश के समाज के ऐसे वर्ग से है जो सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि जो वर्ग सबसे अधिक परिश्रम करने वाला है, उसको पिछड़ा हुआ कहा जाय। परन्तु इतना सत्य है कि पिछले हजारों वर्षों से वह जीवन की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने से रोका गया है। इस वर्ग को उठाने के नाम पर जो कुछ भी किया जाय, उसका स्वागत है, परन्तु इतना कहना आवश्यक है कि यह दाल में नमक के बराबर है।

हम आज भी जिसे हरिजन कहते हैं वह जाति मनुष्य की बराबरी में नहीं हैं। क्या कोई सोच भी सकता है कि कोई मनुष्य मलमूत्र से निकला हुआ अन्न ग्रहण करेगा? परन्तु ये हमारे भाई हैं, जो विवश हो कर इसको भी ग्रहण करते हैं। नर्क में भी ठेला, ठेली है। यह भी तो पेट भर नहीं मिलता। हमें कठोर परिश्रम करके भी देश और समाज को बढ़ाने की खुशी होगी, परन्तु हमें भी तो अपने आजाद मुल्क में रोटी इतनी मिल सके जिससे हम कमर सीधी करके चल भी सकें।

हम अपने बस्ती जिले के खेतिहर मजदूर, जिसमें अधिकांश हरिजन जाति के है, और थोड़ी जमीनों वाले है, उन किसान भाइयों के चित्र को जब देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि अभी हम स्वराज्य से बहुत दूर हैं। इससे कौन इन्कार करेगा कि गांव के इस गरीब वर्ग ने मुल्क के नाम पर सबसे अधिक कुर्बानी की हैं? हम आज भी अपना कर्त्तव्य समझते हैं कि अपने पूज्य और योग्य नेताओं के नेतृत्व में चल कर, मुल्क को इस लायक बना सकें, जिसमें हर आदमी यह समझ सके कि यह मुल्क हमारा है। हम यही चाहते हैं कि आज यह सर्वाहारा और सर्वाहारा वर्ग, जिसकी संख्या उत्तर प्रदेश मे सबसे अधिक केवल जिला बस्ती में हैं, उसको कमर सीधी करने का अवसर दें।

हमारा विश्वास है कि हमारा उत्थान इस राष्ट्र का उत्थान है।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि कम से कम ४, ५ महीने के बाद १ हजार बैठक के बाद, आपने मुझे ७ मिनट का समय देने की कृपा की।

श्री उपाध्यक्ष—मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी पार्टी के सचेतकों से भी यह बात कह दिया करें।

***श्री रामशरण यादव**—ध्यान रखूंगा। मेरे मन में पहले उमंग थी अपने मंत्री जी को धन्यवाद देता। परन्तु उनका जो आज अनुदान पेश करते समय बयान हुआ उससे मुझे निराशा हुई। १०८ करोड़ के बजट में ९५,५५,३०० रुपया रखा गया है। यह कितने दुख की बात है। जिस महात्मा गांधी का जीवन ही इसमें बीता, जिनके जीवन का उद्देश्य ही यह था कि इस देश के एक बहुत बड़े बहुसंख्यक समाज की सेवा करूं, उसको समाज के दूसरे अंगों के बराबर लाना, उनका जीवन स्तर उठाना, उनके अन्दर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक उन्नति और सामंजस्य पैदा करके एक स्तर पर ला करके नागरिकता की भावना पैदा करना, और आधे से ज्यादा जीवन उनका इसमें लगा, आज उस महात्मा के उत्तराधिकारी १०८ करोड़ के बजट में से १ करोड़ भी नहीं देते हैं। जिनकी आबादी ५४ फीसदी से कहीं ज्यादा है हर सूबे में, जिले में गांव में, तहसील में। मुझे याद है कि करीब डेढ़ साल पहले अमीनुद्दौला पार्क में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भाषण हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि जिस वक्त मैं विदेशों में जाता हूं, तो उस वक्त जब समाजोत्थान की बात करता हूं, तो मेरा सिर झुक जाया करता है, वह इसलिये कि हम जब हिन्दुस्तान के समाज पर ध्यान करते है, तो बहुसंख्यक समाज जो पिछड़ी और हरिजन जाति के हैं, वे हमसे बहुत पीछे पड़े हुए हैं; और हममें और उनमें इतनी लम्बी-चौड़ी खाई है कि जिसको पाटने के लिये काफी साधनों को जुटाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि प्लानिंग में बहुत बड़ा ध्यान इस ओर रखा जायगा कि जब तक समाज का एक स्तर न होगा तब तक यह प्लानिंग करीब-करीब फेल सी होगी। उनको अंदेशा था, लेकिन बावजूद इन सब बातों के कहने के, जो आज बजट पेश किया गया है उसमें जो ९५ लाख के करीब अनुदान रखा गया है, वह बहुत ही मायूसी पैदा करने वाला है। क्या कहूं ७ मिनट का ही समय है वक्त होता है, किस्सा है "तूलानी दिल में बहुत दर्द छिपा है।"

सरकार की जो नीति है, अभी जिस वक्त यह अनुदान आया, उस पर बहुत सी बातें कहने को थीं, तो मैं कुछ अधिकारियों से मिला, हरिजन कल्याण के डायरेक्टर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सरकार की नीति का यह रवैया है, जो समाजवादी नीति बताती है, कि ६, ६, महीने से फाइल पड़ी हुई है, उस पर अर्जेन्ट और इमीडियेट की स्लिप भी लगी है, वे फाइलें इतने अर्से से मिनिस्टर महोदय के कन्सीडरेशन के लिये, और फाइनल डिस्पोजल के लिये पड़ी हुई है जिनकी वजह से आज तक काम रुका पड़ा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामशरण यादव]

तो इस प्रकार से जब सरकार की नीति है अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के लिए, जिनकी संख्या ५४ फीसदी है तो ऐसे समाज को दुत्कार करके कोई भी नीति सफल नहीं हो सकती है। कम से कम इस हिन्दुस्तान के अन्दर सफल नहीं हो सकती है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, यों तो आपने बहुत सुना होगा, आपके कानों में दर्द हो रहा होगा, हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने भी कहा भ्रष्टाचार की बात के ऊपर के भ्रष्टाचार की और तमाम बातें सुनकर के हमारे कानों में दर्द होने लगता है, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वह कम से कम अपने ऊपर तो इस लांछन को लेने का कष्ट न करें कि उनके यहां छः छः महीने तक फाइलें पड़ी रहें। अगर उनके अधिकारियों के यहां पड़ी रहें, तो यह तो एक बात भी है, लेकिन कम से कम उनके यहां तो ऐसा न हो।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि अगर हम हरिजनों और पिछड़ी जाति के उत्थान के लिए और कोई रास्ता नहीं निकाल सकते हैं, तो कम से कम, जो उनके पेशे हैं, उनमें उनको आगे बढ़ाया जाय। अगर धन की जरूरत हो, तो उसके लिए उनको धन दिया जाय, अगर शिक्षा की जरूरत हो, तो शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि हमारा जो गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट लखनऊ में ही है, उसमें क्या उन्होंने कभी इस बात को जानने का कष्ट किया है कि कितने विद्यार्थी अनुसूचित और पिछड़ी जाति के उसमें लिये जाते हैं? उनको कितना अनुदान दिया जाता है और उनके ऐडमीशन में कितनी दिक्कत होती है? कभी माननीय मंत्री महोदय ने इसके आंकड़े लेने की कोशिश नहीं की। दूसरी बात यह है कि जो विदेशों में डेरी फार्मिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए लड़के भेजे जाते हैं, उनमें कितने अनुसूचित और पिछड़ी जाति के लड़के होते हैं?

एक बात मैं बहुत अदब से आपके द्वारा आदरणीय सदन की सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि ६६ प्रतिशत अनुसूचित और पिछड़ी जाति की जनता देहातों में पड़ी हुई है और यह वही छोटी-छोटी मजदूरी, किसानी करने वाली जनता है, उसके लिए कोई ग्रामोद्योग के लिए आपने इस अनुदान में कतई कुछ नहीं रखा। टेक्निकल ट्रेनिंग और काटेज इंडस्ट्रीज के लिए आपने कोई अनुदान नहीं रखा है। यह कितने अफसोस और दुख की बात है। मैं आपके समाजवाद की बात को क्या समझूं। मुझे याद पड़ता है अभी कुछ दिन पहले हमारे आचार्य जी ने, जो उधर बैठते हैं, यह कहा था कि मेरा समाजवाद मेरे पास रहने दीजिए, आपके पास दिमाग नहीं है, उसे समझने के लिए। ठीक है हमारे पास दिमाग तो नहीं है, लेकिन मैं उनको चेतावनी देता हूं कि पिछड़ी और अनुसूचित जाति अच्छी तरह से आपके समाजवाद को समझ चुकी है, और उसके अन्दर जो घातक नीति है उसे भी समझ चुकी है। बराबर शिकायत आ रही है इस सदन में, और हम भी महसूस करते हैं, जहां आप १८ फीसदी नौकरी उनको देने की बात कहते हैं वहां अगर किसी को नौकरी मिल भी जाती है, तो उसको इस तरह से दबाये हुए हैं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त ऐक्शन लिया जाता है। नौकरी तो देना ही पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो आप घातक नीति अपनाये हुए हैं; उससे अगर कोई अफसर नियुक्त भी हो जाता है तो उसका रहना मुश्किल हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रामलखन (जिला वाराणसी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो हरिजन कल्याण का बजट पेश है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। हरिजनों की समस्यायें मैं समझता हूं कि कोई नयी नहीं हैं, और न तो हाउस में कोई ऐसा व्यक्ति है, जो कि उनकी समस्याओं से अनभिज्ञ हो। लेकिन जब सदन के अन्दर हरिजनों की समस्याओं और उनके कल्याण के बारे में हम विचार करने बैठते हैं, तो मैं देखता हूं कि जितनी उनकी समस्यायें हैं,

उसके हिसाब से उस पर विचार नहीं होता है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस बजट में पिछले वर्ष १ करोड़ से अधिक रुपया खर्च किया गया, लेकिन इस साल ९५ लाख का बजट पेश किया गया है। माननीय मंत्री महोदय उसके लिए एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वह रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था। लेकिन वह रुपया चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का रहा हो, चाहे प्राविंशियल गवर्नमेंट का रहा हो, जब एक आइटम के मातहत आपने खर्च किया था और एक मद आपने कायम की थी, तो आज जब आप बजट पेश कर रहे हैं, तो उसमें खर्च के लिए रुपया आना चाहिये। अब यह विषय विचाराधीन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रुपया मिलेगा उसको फिर हम खर्च करेंगे। यह तो इस मामले को टाल देना है। हमारे माननीय मंत्री जी कहते हैं कि जितनी लम्बी चादर हो उतना ही पैर पसारने की हम कोशिश करेंगे। मैं कहता हूं कि चादर तो आपके हाथ में है। वह हमें दीजिये, तब हम पैर पसारेंगे। चादर को काट करके एक १० गिरह का टुकड़ा रख दें फिर पैर पसारने को कहें तो कहां से पसारेंगे ?

आज स्टेट के अन्दर जितना अन्धाधुन्ध खर्चा हो रहा है, मैं समझता हूं कि उन जगहों से सेविंग किया जाय, तो हरिजन कल्याण और हरिजन उद्धार के ऊपर काफी रुपया खर्च हो सकता है। आज जो रुपया है भी, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।

बाढ़ के लिए हरिजनों को रुपया दिया गया। एक बाढ़ में हरिजनों के काफी मकान गिरे और एक बाढ़ खत्म नहीं हुई कि दूसरी बाढ़ आ गयी, लेकिन उस रुपये का डिस्ट्रिब्यूशन नहीं हुआ। डिपार्टमेंट ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि लाखों रुपया हरिजनों का था, जिनके मकान ध्वस्त और तबाह हो गये, वह क्यों डिस्ट्रिब्यूट नहीं हुआ ?

हमारे एक भाई ने बतलाया कि जुलाई में स्कूल खुलते हैं और अक्तूबर तक किताबें नहीं बांटते हैं। किताबें रखी रह जाती हैं और फिर वापस हो जाती हैं।

'अनटचेबिलिटी' के लिए कहा जाता है कि अस्पृश्यता को हम दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मै अपने जिले को जानता हूं कि अस्पृश्यता-निवारण के नाम पर एक हजार रुपया कई साल से पड़ा है और उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि अस्पृश्यता-निवारण के लिए प्रोग्राम बनाया जाय। हिदायत डायरेक्टोरेट से ईश्यू होगी, तब फंक्शन मनाइयेगा। लेकिन आज तक न तो हिदायत गयी, साल बीत गया, दूसरा बजट आ गया, लेकिन न तो फंक्शन हुआ और न अस्पृश्यता निवारण हुआ। तो सिर्फ कागजों से समस्या निवारण नहीं होगी, रुपये से ही हल हो सकती है, यह चीज आपको अपने दिल और दिमाग में बैठानी होगी। महात्मा गांधी थे। उन्होंने अधिक परिश्रम किया, सरकार भी उनके राग अलाप रही है, लेकिन समस्या हल नहीं हो रही है। अस्पृश्यता ऐसी मामूली बात भी हल नहीं हो पा रही है। सब से बड़ी अस्पृश्यता की जड़ जो है, उसको आप समूल नष्ट कर दीजिये--वह है गरीबी और अशिक्षा। हरिजनों की गरीबी और अशिक्षा को दूर करते ही अस्पृश्यता आप से आप खत्म हो जायगी।

आप कहते हैं कि शिक्षा के लिए बहुत कर रहे हैं और दसवें दर्जे तक कहा जाता है कि ८ रुपये स्कालरशिप देंगे। उधर घर में खाने तक को नहीं है। एक जिले में मान लें ५० वजीफे देते हैं और हरिजनों की ४ लाख आबादी है, तो ५० वजीफे तो ५० आदमियों को दिये जा सकते है, बाकी का क्या होगा ? तो जितना हमारा कागजी प्रचार है उसको न करके वास्तविक प्रचार करें तब तो हल होगा।

कुएं बनाने के लिए १० हजार रुपया दिया जाता है। ५००-६०० रुपये में कुआं बनता है, तो २० कुएं बनवा सकते हैं; लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि कुएं की बड़ी विकट समस्या है, दिया है केवल १० हजार रुपया।

[श्री रामलखन]

इस तरीके से हरिजनों की समस्या को हल करने की कोशिश की जायगी, तो मैं समझता हूं कि जैसे 'अनटचेबिलिटी ऐक्ट' पास हुआ और वह कागज पर ही रह गया और अमल में नहीं आया, उसी तरह से इसका भी हाल होगा। इसका ज्वलंत उदाहरण काशी का विश्वनाथ मन्दिर है। सेंट्रल ऐक्ट पास होने के बावजूद आज तक हरिजनों का मामला खटाई में पड़ा हुआ है। कचहरियां इसको खटाई में अटकाये हुये हैं और इसको हल करने की कोशिश नहीं की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष--अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री रघुवीर राम (जिला गाजीपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा आज जो हरिजनों के बजट का प्रस्ताव पेश हुआ है, उसमें कटौती करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हरिजनों की हालत दिन-प्रति-दिन बदतर होती जा रही है। माननीय मंत्री जी अपने घृत भरी जबान में बहुत कुछ कह गये हैं और कागज में यह उपन्यास दिखाई देता है, लेकिन उनके गृहों में, उनके चेहरों पर उनके बच्चों के सामने, और उनके परिवारों में, नहीं दिखाई देता है।

आज हरिजनों के लिये १,१०,००० रुपया प्रचार के रूप में दिया जाता है। यह लोग ग्राम-ग्राम में जाकर हरिजनों की टोली में बैठ कर दस रुपये के बताशे मंगा लेते हैं, उनके घरों से आटा वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं, और किसी ब्राह्मण को बुला कर भोजन पकवाते हैं, किसी बगीचे में बैठ कर खाते हैं और कहते हैं कि मैं हरिजनों के साथ कंधे से कंधा मिला कर रहता हूं। लेकिन दूसरे दिन से हरिजन कुओं पर नहीं चढ़ पाते हैं। अगर कोई हरिजन चारपाई पर बैठा मिल जाय, तो उसकी पीठ पर खाल नहीं रह सकती है। यह आपका हरिजन उत्थान है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह भी कहना चाहता हूं कि हरिजन समस्या ऐसे हल नहीं होगी। हरिजनों के लिये पीने के पानी का प्रबन्ध होना चाहिये। जिस समय आपने जमींदारी उन्मूलन किया, तो क्या हरिजनों की तरफ कुछ ध्यान दिया गया कि ये हरिजन अलाभकर मजदूर कहां जायेंगे, कैसे अपनी रोटी कमायेंगे? जब सरकार ने नलकूप लगाये, नहरें बनवाईं, तरह-तरह के विकास कार्य किये, मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या सरकार ने हरिजनों के लिये सोचा कि जो चर्सा बनाने वाले हरिजन हैं वह कैसे जिन्दगी बितायेंगे? आज नलकूप से आबपाशी की जाती है तो उनके लिये क्या प्रबन्ध किया गया? क्या यह पानी उसके प्रांगण सींचने के लिये, या उसका मुंह सींचने के लिये रहेगा? इससे गरीबों का भला नहीं हो सकता है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जब तक भूमि का बंटवारा नहीं होगा, जब तक उनकी मजदूरी निश्चित नहीं की जायगी, जब तक उनके लिये ग्राम-ग्राम में कुयें का प्रबन्ध नहीं किया जायगा, तब तक हरिजनों की तरक्की नहीं हो सकती है। सिर्फ कागज के घोड़े दौड़ाने से कुछ नहीं होगा।

आज जिन हरिजनों के पास मुश्किल से डेढ़, दो बीघा खेत है वह भी नाजायज तरीके से बेदखल किया जा रहा है। उन हरिजनों पर कलकत्ता, बम्बई और दूर-दूर के शहरों से नाजायज मुकदमे चला कर उन्हें परेशान किया जाता है, ताकि वे मुकदमे न लड़ सकें और मजबूर होकर खेत छोड़ दें। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात की छानबीन करे और अगर वह इसको सही पाये, तो ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमा चलाये और जो पिछले तीन सालों में हरिजनों के खेत बेदखल हुये हैं, उनको वापस दिलाये।

अगर इन चीजों पर ध्यान दिया जाय तो सचमुच हरिजनों का उत्थान हो सकता है। मैं ६ तारीख को बोला था और आज भी उसी चीज को रखता हूं, और हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने भी रखा था, कि आज हरिजनों की हालत यह है कि वे जानवरों के

पाखाने में जो अन्न होता है उस पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आज वे आम की गुठली की रोटी पका कर खाते हैं जिसको कुत्ते-बिल्ली भी नहीं छूते। शहरों में जाकर देखिये कि होटल से खाना खाकर, जो पत्तल फेंक दी जाती हैं उस पर एक तरफ से कुत्ता दौड़ता है और दूसरी तरफ से हरिजन की सन्तान दौड़ती है। यह तो हरिजनों की दशा है और कहा जाता है कि हम हरिजनों का उत्थान कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय, क्योंकि बोलने वाले अभी बहुत हैं।

श्री रामशरण यादव—मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—जब सब की यह राय है, तो एक घंटा जरूर बढ़ा दिया जाय, ऐसा मैं भी समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन की बैठक का समय एक घंटा और अर्थात् आठ बजे तक बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रथम तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया। उसके बाद मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा उस दलील पर नहीं जो माननीय श्रीनाथ जी ने दी। उन्होंने कहा कि पिछले साल और इस साल में करीब १० लाख की बढ़ोत्तरी हुई और इसके लिये उन्होंने धन्यवाद दिया। लेकिन असल बात यह नहीं है। अगर वे पिछले साल के बजट आंकड़ों को देखें तो रिवाइज्ड बजट में ९९,२८,९०० रुपये का प्राविजन किया गया था। अगर उससे पहले देखें तो ५५-५६ में ऐक्चुअल्स में १,१०,३२,७९२ रुपये का प्राविजन था। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि माननीय मंत्री ने बढ़ोत्तरी नहीं की है, बल्कि करीब १५ लाख रुपये के घटोत्तरी की है।

मैं जो निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि पिछले तीन सालों से हरिजन सहायक डिपार्टमेंट की यह परम्परा रही है कि जितने बजट एस्टीमेट्स किये गये उससे अक्सर ज्यादा खर्चा हुआ है। आप देखेंगे कि ५२-५३ में रिवाइज्ड बजट ४९ लाख रुपये का था, लेकिन खर्चा ५५ लाख किया गया। उसी तरीके से ५३-५४ में रिवाइज्ड बजट ६१ लाख रुपये का था, लेकिन खर्चा ६५ लाख के करीब किया गया। इसी तरह से सन् ५५-५६ में ७४ लाख रुपये के करीब खर्चा रखा गया था, लेकिन एक्चुअल एक करोड़ १० लाख खर्चा किया गया। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस साल भी उसी परम्परा को कायम रखेंगे और तभी वे वास्तव में धन्यवाद के पात्र होंगे।

इसके बाद मैं एक और चीज के बारे में अर्ज करना चाहता हूं, और उसके लिये भी माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और वह है पापुलेशन की समस्या के बारे में। उन्होंने अपनी राय जाहिर की और बताया कि हरिजनों की पापुलेशन साधारण पापुलेशन से ज्यादा बढ़ती है, लेकिन अगर आप सेन्सस रिपोर्ट को देखें तो आपको उलटी ही सूरत नजर आयेगी। उसके कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि गलत गिनती करने की वजह ही है। बहुत से लोग उसमें लिखे नहीं गये हैं, जिसका बहुत बड़ा असर रिजर्वेशन पर पड़ा है। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि सन् ५१ में हापुड़ शहर की जो आबादी लिखी गई है, वह ४ हजार के करीब लिखी गई है। लेकिन उसको जब मैंने वेरीफाई कराया, तो उस हिसाब

[श्री वीरसेन]

से ७ हजार की आबादी बैठती थी। तो अगर हापुड़ शहर में ही तीन हजार की आबादी का फर्क हो सकता है, तो सारे प्रदेश में बहुत बड़ा फर्क आबादी पर पड़ सकता है। पिछली बार सन् १९५५ में कुछ सदस्यों ने प्रेसीडेन्ट को एक मेमोरेंडम दिया था, उसमें इस प्रश्न को उठाया था। उसमें अन्दाज लगाया गया था कि करीब १ करोड़ ६५ लाख की आबादी हरिजनों की होगी। तो मैंने मुनासिब समझा कि फिर उसका जिक्र करूं कि सरकार इस प्रश्न पर सोचे और अगर हो सके तो या तो उस सिद्धान्त पर जिस पर साधारण आबादी बढ़ी है उसे मान ले या दूसरा सेन्सस कराये जिससे हरिजनों को जो अधिकार कांस्टीट्यूशन से मिलते हैं, वे मिल सकें।

इसके बाद मैं दूसरी चीज जो अर्ज करना चाहता हूं, वह है ग्रांट के बारे में। जो ग्रांट

नमशन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन बाकी दो हिस्सों के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

पहली चीज अगर आप देखेंगे जो कि आर्गनाइजेशन है, तो डिस्ट्रिक्ट में उनके पास कोई काम नहीं है। वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट हरिजन आफिसर होते हैं उनके पास पोस्ट आफिस की तरह सिवाय सार्टीफिकेट इश्यू करने के और कोई काम नहीं होता और जितना भी सरकार का रुपया वेतन के रूप में जाता है, वह बर्बाद होता है। इसी तरह से यहां पर हेडक्वार्टर पर जो आर्गनाइजेशन है, उसके पास भी मैं समझता हूं, कि एक हफ्ते से ज्यादा काम नहीं है। उनका काम सिर्फ यही है कि वजीफा दें। जो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज होते हैं, उनके वजीफे यहां से मंजूर किये जाते हैं, और जो नीचे के वजीफे होते हैं, उन्हें इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स करता है। तो इस तरीके से अगर वजीफे का सारे का सारा काम जिले में ही कर दिया जाय तो और कमी हो सकती है। मेरा खयाल है कि फाइल का काम सिर्फ इसी तरीके से होता है कि फाइल जब तक सामने रही और पत्र सामने होता तभी तक व्यक्ति की जरूरत होती है और जब फाइल सामने से हट आती है तो फिर उस की जरूरत नहीं होती। मैं तो यह जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका हरिजन कार्य से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पिछले साल की एक बात अर्ज करूं कि एक बार मैंने दोपहर में हरिजन सहायक आफिसर के दफ्तर में फोन किया, वह फरवरी का महीना था, तो पता चला कि वे क्रिकेट खेलने गये हैं। मैंने अक्सर देखा है कि काफी हाउस में अक्सर लोग आफिस टाइम में बैठते हैं। तो इस तरह से कैसे उद्धार हो सकता है।

अब समय बहुत कम रह गया है। अब जो ग्रांट है उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं। इसमें करीब १८ आइटम्स हैं जिनमें से १६ रेगुलर आइटम्स हैं। इन १६ आइटम्स में करीब १४ आइटम्स ऐसे हैं जिनमें सरकार ने कटौती की है। ५७-५८ में सरकार ने इनमें १२,१८,६०० रु० की कटौती की है। जिनमें से सिर्फ दो ग्रांटों में एक में ७८,००० रुपया और एक में ४०० रुपये बढ़ोत्तरी की गई है और बाकी उन प्लांड आइटम्स में से जो पिछले साल तय किये गये थे १२,१८,६०० रुपये का काम किया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि १४ परसेंट खर्च का इस में कम कर दिया गया।

श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी को यह बताना चाहता हूं कि आज हरिजनों की समस्या के न सुलझने के कारण हमारा देश कमजोर रह जायगा। आप को मालूम है कि जो रुपये हरिजन कल्याण विभाग के द्वारा उन पर खर्च किया जाता है, वह सही मानों में उन पर कितना खर्च हो पाता है? आप देखें कि हरिजन, जो गांवों में रहते हैं, उनकी हालत कितनी खराब है। वे आज भी गड्ढों और तालाबों का पानी पीते हैं। आज १० साल मुल्क को आजाद हुए हो गये परन्तु उनके लिए पीने के पानी की समस्या अब तक हल नहीं हुई। जो हरिजनों के लिए बस्तियां बनायी गयी हैं उनकी

आप हालत देखिये कि क्या हो रही है। उनको दो साल भी बने नहीं हुए कि वह गिरने जा रही हैं। आजकल बरसात के दिनों में वह मकान कभी भी गिर सकते हैं। इसलिए हरिजन विभाग की ओर से जो काम किया जा रहा है उसकी देख-रेख सरकार की तरफ से होनी चाहिए कि आया वह ठोस काम हो रहे हैं या केवल नकली तरीके से काम किया जा रहा है। आज हरिजनों की वही हालत है जो बहुत दिन पहले थी। आज भी हरिजन यदि किसी सवर्ण की चारपाई पर बैठ जाता है तो बड़ी कौम के लोग उसे बिना पीटे नहीं छोड़ते। प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना ने हाल ही में किसी हरिजन को कुवें पर पानी भरने के लिए कह दिया था। उसने कुवें से पानी भरा और उसके बाद जब प्रोफेसर साहब वहां से चले गये तो उसको पीटा गया। उसकी रिपोर्ट थाने में की गयी, लेकिन सरकार की तरफ से उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यह सरकार की उदासीनता है। केवल ढोल पीटा जाता है कि हम हरिजनों को आगे बढ़ायेंगे। जो रुपया उन पर खर्च किया जाता ह, उसका सही उपयोग नहीं किया जाता।

उनकी हालत कैसे सुधर सकती है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। आखिर यह पिछड़ा वर्ग किस तरह से तरक्की कर सकता है? वह बापू ही थे कि जो हरिजन बस्तियों में जाते थे, वहां ठहरते थे और उनकी हालत को जानते थे, उनकी बीमारी की दवा को जानते थे। लेकिन यह हरिजनों का अभाग्य था कि वह मुल्क के आजाद होने के बाद नहीं रहे। इस कारण हमको काफी परेशानी उठानी पड़ी।

आज हमारे मन्त्री जी जब गांव में जाते हैं या शहरों मे जाते हैं तो बंगलों में ठहरते हैं। वे हरिजनों की स्थिति कैसे जान सकते हैं कि उनकी हालत क्या है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह कहूंगा कि जब भी आप देहातों या शहरों के अन्दर जाइये तो हरिजन बस्तियों में ठहरिये और वहां ठहरकर उनकी हालत को देखिये और उनके उत्थान के उपाय सोचिये कि उनकी हालत कैसे अच्छी हो सकती है, क्योंकि वे भी इसी देश के रहने वाले हैं।

हरिजन छात्रों को छोटी क्लासों में जो वजीफा दिया जाता है, उस वजीफे के रुपये को अध्यापक लोग ज्यादातर ले लेते हैं और उसको अपने काम में खर्च करते हैं। केवल उनसे दस्तखत करा लेते हैं, और कह देते हैं कि तुम्हारा वजीफा मिल गया। इस तरह से सरकार जो वजीफा देती है, उसकी इन्क्वायरी भी बराबर सरकार कराये, ताकि जो सहायता उनको मिलती है उससे उनकी उन्नति हो सके।

किताबें जो हरिजनों को दी जाती हैं, वह समयानुसार न मिलने की वजह से और हरिजन छात्र अपनी गरीबी की वजह से किताबें नहीं खरीद पाते हैं, तो वे अपने दर्जे में कमजोर होते हैं और यह शुरू की कमजोरी आखिर तक बनी रहती है।

इस प्रकार जब हरिजन छात्र कम्पीटीशन मे जाते हैं, तो वे कमजोर रहते है, इसलिये उनको नौकरी मिलने में आसानी नहीं होती है। हर महकमे मे, जो हमारे हिस्से का कोटा नियत किया गया है, जो हमारे लिए १८ फी सदी जगहें नियत की गयी हैं, हम लोगों को वे जगहें, हम दावा कर सकते हैं कि किसी मकहमे में नियत परसेन्टेज के मुताबिक हम लोगों को स्थान नहीं मिलता है। इसलिए हम सरकार से यह निवेदन करेंगे कि सरकार इस मामले की छान-बीन करे और उनका जो हक है निश्चित रूप से जिन जगहों के लिए है, उसको दिलाने का प्रयत्न करे। मैं कहता हूं कि लोग जो यह कहते हैं कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या चपरासी-गीरी में किसी तालीम की जरूरत पड़ती है, चौकीदारी में कौन सी बड़ी तालीम की जरूरत पड़ती है, लेकिन कचहरियों मे चपरासी के स्थान पर भी उनको नियुक्त नहीं किया जाता है।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद, बहुत उठक-बैठक लगाने के बाद, आपने थोड़ा सा समय दिया, तो मैं इस थोड़े से समय में उनकी प्रशंसा करूं या हरिजनों की बात करूं। मैं यह जरूर कह सकता हूं

[श्री बंशीधर शुक्ल]

कि यह सरकार हरिजनों का वास्तव में कल्याण नहीं चाहती। अगर यह कल्याण चाहती होती तो यह कल्याण कोई दाम की चीज नहीं है। अगर इस को हमेशा दान के रूप में धन दिया जायगा तो इससे हरिजनों का कल्याण नहीं हो सकता। हमारे जिले में हरिजनों के उद्धार के दो उदाहरण मौजूद हैं। उनका एक तो अंग्रेजों ने उद्धार किया था और दूसरा इस सरकार ने उनका कल्याण किया। वहां पर एक हरिजन कालोनी बसा कर उनका कल्याण किया गया है। कुकरा परगना में हरिजनों का उद्धार किया गया था। वहां पर जंगल को काटकर हरिजनों को बसाया गया था। वहां पर २, ४ लाख लोग बसे हुए हैं, मौज में हैं। सब अपनी खेती जोतते हैं। सरकार ने उनके लिए क्या किया? सरकार ने हमारे जिले में सांसिये बसा दिये हैं जिनका पेशा चोरी, डकैती है। वह सेंध नहीं लगाते हैं, आग नहीं लगाते, बाकी सब काम करते हैं। उनके लिए मकान बना दिये गये हैं। उनको जमीन दी गयी है। वहां पर २० हजार और ४० हजार रुपया खर्च करके खेती के फार्म खरीदे गये हैं और उन फार्मों को खरीदकर एक-एक में बहुत से मकान बनाये गये हैं, जहां पर वे लोग बसे हुए हैं। मेरे पड़ोस में वह स्थान है। जब मैं उनको देखने के लिए जाता हूं तो कहते हैं कि पंडित जी पालागन, लेकिन मैं समझता हूं कि उनके दिल में क्या है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

हमारे जिले खीरी में बहुत जमीन है, वहां हरिजन बसाये जा सकते हैं। पीलीभीत और शाहजहांपुर में भी बहुत जमीन पड़ती है और इन सब जगहों में ४० लाख हरिजन आबाद हो सकते हैं। पलिया कालोनी में किस हरिजन को सरकार ने जमीन दी सिवाय कुछ सरकारी कर्मचारियों के? आज एक ठोस कदम की जरूरत है। दान से हरिजनों का कल्याण नहीं हो सकता। जो पढ़ना चाहे, उसे जरूर मदद दीजिये। मगर वास्तव में हरिजनों के कल्याण का रास्ता उन्हें जमीन, जल और रहने की जगह देना है? अभी हमारे जिले में एक सवाल था कि हरिजनों का कुछ पैसा बचा है, उसका क्या किया जाय? प्लानिंग आफिसर ने कहा कि उनको बांट दिया जाय। हम ने कहा कि लकड़ी और टीन उन को दे दें, जिससे वे मकान बना सकें। उन्होंने कहा कि उसे वे बेच लेंगे। तो हमने कहा कि तब तो सहायता करना ही बेकार है। अंग्रेजों ने जैसा किया था, वैसा अगर सरकार करना चाहे तो ४० मील जगह नहर के किनारे बनबसा से गोला तक है, जिसमें से एक बिस्वा भी नहीं सींची जाती है। वहां सरकार हरिजनों का कल्याण कर सकती है। यहां तो वही है कि बस क्या बतावें।

श्री हरदेवसिंह (जिला सहारनपुर)--श्रीमान्, उपाध्यक्ष महोदय और मंत्री जी, यह विवाद जो आज चल रहा है, रुपया इसमें रखा है, सो ठीक है। रुपये की बात मैं नहीं कहता हूं। रुपया तो देना है, क्योंकि पास हो गया है, लेकिन हमारी हरिजनों की समस्या बहुत जटिल होती जा रही है। जमींदारी उन्मूलन के बाद हम लोगों को बसने के लिए जमीन नहीं मिली। पहले जमींदार लोग हमको एक गांव से दूसरे गांव में गाड़ियों द्वारा लाते थे कि इन से बेगार लेंगे। जितनी भूमि हमको जमींदारों से जोतने व बसने के लिए मिली हुई थी, वह सारी की सारी आज छिन गयी है इससे बहुत ही हानि हो रही है। जो जमीन हमको जमींदारों से आधा बटाई पर मिलती थी और उससे हम लोग भी फायदा उठाते थे लेकिन आज अधिक मात्रा में हम लोग भूखों मर रहे हैं, क्योंकि जमींदारी खत्म हो गयी है। हमारे इलाके में लाखों बीघा जमीन गंगा और यमुना के इलाके में पड़ी हुई है, लेकिन हरिजनों को नहीं दी जाती है। मुजफ्फरनगर के चौहानों को वह जमीन दी जा रही है। लोग वहां के कर्मचारियों को जाकर बहका देते हैं--हमारा हल कौन चलायेगा, खिदमत कौन करेगा? इसलिए यह एक बड़ी भारी जटिल समस्या बनी हुई है।

आज महात्मा गांधी नहीं हैं, जो सामने खड़े हुए हैं, वे हरिजनों का उद्धार करते थे। आज जो दोनों तरफ के लोग बैठे हुए हैं, कहते हैं कि हरिजनों का उद्धार करो। अगर आप लोग हरिजनों के घरों में जाकर उनको उपदेश नहीं देंगे तो उनका उद्धार नहीं हो सकता है। हमारी गरीबी का ठिकाना नहीं है। हरिजन लोग भूखों मरते हैं, उनके पास बरतन

नहीं हैं, उनके कपड़े गन्दे हैं। बरतन उन के नीचे पड़े हुए हैं, जिनको कुत्ते चाटते हैं। उनको ज्ञान नहीं कि कैसे हम बरतनों को रखें, किस प्रकार से कपड़े धोयें। किस प्रकार से बात करें। उपदेश करने वाले लोग उन में नहीं जाते हैं। हमारा कांग्रेस के भाइयों और उधर के भाइयों से अनुरोध है कि वे उन में जाकर प्रचार करें, ताकि उनका कल्याण हो सके। हमारे जिले में ४० मील लम्बा चौड़ा पहाड़ का इलाका है। वहां की सारी भाभड़ हरिजनों के लिए बन्द हो गयी है। गरीबों को रोटी नहीं मिलती है। पहले ३ आना बोझ में उनको भाभड़ मिल जाती थी, जिसका बान बना कर वे अपनी रोटी कमाते थे, लेकिन आज उनका रोजगार बन्द हो गया है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह उनके लिए ६ आना बोझ भी कर दे, तो उनकी रोजी चल सकती है।

सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। सन् २१ में लाला लाजपत राय ने वाइसराय का हाथ पकड़ कर यह लिखा लिया था कि जिस मदरसे में हरिजन नहीं होगा, उसकी ग्रान्ट बन्द कर दी जायगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि प्रिंसिपल लोग जाकर हरिजन बच्चों को लाने लगे। आज भी अनेक प्रकार की प्रगति हो रही है। बहुत से पढ़े-लिखे आदमी हो गये हैं। आज हलों के स्थान पर बहुत सी जगहों पर ट्रैक्टर्स चल गये हैं। इससे बहुत से लोग हरिजनों में बेकार हो गये हैं। जो पिसाई, उटाई, कुटाई होती थी, उसके लिए इंजिन लगा दिये गये हैं। इससे उनका रोजगार छिन गया है और उनकी हालत बहुत ही खराब हो हो गई है। मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

मैं सब लोगों से, जो इधर के और उधर के बैठने वाले हैं, प्रार्थना करता हूं कि वे हरिजनों का उद्धार करें। हम लोग बहुत गरीब हैं, पिसे हुए हैं, हमारी हालत बहुत खराब है, इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा और सदन के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि हमारी दशा पर ध्यान दिया जाय और हमारा उद्धार किया जाय।

*श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज माननीय मन्त्री जी के उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिस में उन्होंने हरिजनों के ऊपर साल भर के आय-व्यय का ब्योरा पेश किया है। जब मैं उनके इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं तो दूसरी तरफ के बैठने वाले भाइयों से खेद भी प्रकट करता हूं कि हरिजनों की समस्या से हमारे भाइयों को कितना प्रेम है। वह तो इसी से मालूम होता है कि आज हमारे बीच में हमारे नेता विरोधी दल मौजूद नहीं हैं। मैं चाहता था कि हमारे नेता विरोधी दल इस हाउस में मौजूद होते और हम को हरिजनों के प्रति अपने विचार बतलाते। आज जिस तरह की अवहेलना उन्होंने हरिजनों के प्रति की है, इसका मुझे खेद है और मैं चाहूंगा कि दूसरे अवसर पर माननीय नेता विरोधी दल आवें, और हमको अपने विचार बतलावें कि हरिजनों के प्रति उनके क्या ख्याल हैं। मेरे भाई प्रतापसिंह जी ने माननीय मन्त्री जी के भाषण की कटु आलोचना की थी, और उन्होंने कहा था कि आप के भाषण में कोई ऐसी बात रह ही नहीं गयी, जिसका आपने जिक्र न किया हो। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि थोड़े समय में जब वे भाषण कर रहे थे, तो हर चीज का बयान करना कहां तक ठीक हो सकता है, और न इतनी जल्दी हर चीज का बयान दिया ही जा सकता है। थोड़े समय में जो कुछ भी उनको कहना था, जो कुछ भी खास-खास मसले थे, उन पर उन्होंने प्रकाश डाला।

जो हरिजनों की समस्या है, वह बड़ी विकट समस्या है। खास करके उन की समस्या आर्थिक और सामाजिक है। मेरे कुछ भाइयों ने सुझाव दिया कि कहीं वजीफा बढ़ा दिया जाय, कहीं लोगों को इन्डस्ट्रियल ग्रान्ट दे दिया जाय, लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि वजीफा बढ़ा देने से या इन्डस्ट्रियल ग्रान्ट दे देने से हरिजनों की आर्थिक व सामाजिक समस्या हल नहीं हो सकती है, जब तक कि आप जमीन का अच्छी तरह से बटवारा नहीं करते। हम देखते हैं कि हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गनेशी लाल चौधरी]

सूबे में जितने भी ऐग्रीकलचरिस्ट्स हैं, बड़े-बड़े फार्म वाले हैं और जितने बड़े किसान हैं, वे सब हरिजनों से ही अपना काम करवाते हैं और उनको खाने के लिए बहुत थोड़ा सा, बहुत मामूली और ऐसा अन्न दे देते हैं जिसको वे लोग जानते हैं कि हमसे फाजिल है या हमारे लिए बेकार है। ऐसा अन्न वे उन लोगों को खाने के लिए देते हैं। नतीजा यह होता है कि वह बेचारा हरिजन व पिछड़ा हुआ आदमी पूरे साल भर उनका कर्जदार बना रहता है और उन्हीं के यहां काम करता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब तक आप जमीन का बटवारा नहीं करते तब तक इन हरिजनों की समस्या हल नहीं हो सकती। मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि वे जल्द से जल्द इस जमीन के बटवारे की बात को उठावें और तभी हरिजनों की समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है।

आप पढ़ा तो रहे हैं, और पढ़ाने में काफी रुपया खर्च कर रहे हैं, तो मैं तो आप से कहूंगा कि जब आप पढ़ा रहे हैं और उनकी आर्थिक समस्या को हल करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं यह करते कि कुछ समय के लिए नौकरियों में हरिजनों को ही स्थान दिया करें? मैं यह नहीं कहता कि जहां एफीशियेंसी घटने की बात हो, उन स्थानों पर भी उनको करें, लेकिन ऐसी बहुत सी छोटी। छोटी जगहें हैं, जैसे क्लर्कों का काम है, वहां पर तो ये काम कर ही सकते हैं। अगर इस तरह से आप करें, तो हर साल जो कालेजों और युनिवर्सिटीज से इतनी बड़ी संख्या में पढ़ने वाले निकलते हैं, उनकी समस्या भी कुछ हद तक दूर हो सकती है।

सामाजिक क्षेत्र में, माननीय मन्त्री जी से मुझे यह कहना है, कि हर साल आप रुपया खर्च करते हैं, लेकिन यह जो रुपया खर्च करते हैं, उससे हमको यह नहीं पता चलता कि इस से समाज में हरिजनों को कितना ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि आप सूबे के तमाम सोशलाजिस्ट की एक कान्फ्रेंस बुलावें, जिसमें सोशल अपलिफ्ट' की कोई स्कीम तैयार करावें, जिससे प्रति वर्ष यह अनुभव किया जा सके कि पिछले वर्ष, १९५७ में हमारे देश में इतने पिछड़े हुए लोग थे और अब सन् १९५८ में इतने पिछड़े हुए लोग निकल गये हैं, और उनका स्थान ऊंचा हो गया है।

*डाक्टर रुमानी सिंह (जिला मुरादाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस अनुदान की रकम देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि हमारी ६० प्रतिशत आबादी के लिये इतनी कम रकम रखी गई है। इससे क्या उनका उत्थान हो सकता है? जहां तक पिछड़ी जातियों और हरिजनों का ताल्लुक है, उनके बारे में मैं कहूंगा कि यह दोनों कौमें एक्सप्लायट की जा रही हैं, और ऊंची कौमों का पंजा हमारे ऊपर है, वह हमारी कमाई खाते हैं। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इस रुपये में से भी ५० फीसदी वही लोग खा जाते हैं और उन्हीं पर खर्च हो जाता है, जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं और गलत तरीके से हमारा एक्सप्लायटेशन कर रहे हैं। इसमें जितना भी खर्च है, वह उन्हीं मुलाजिमों का है, उन्हीं कौमों का है, जिनका हम पर शासन है। हमारी समस्या, हमारी तकलीफ हमारी परेशानियां क्या हैं? वह यह हैं कि हम गरीब हैं, कुपढ़ हैं, तालीमयाफ्ता नहीं हैं और बहुत हम में से मजदूर पेशे के लोग हैं। ऐसे लोगों का सवाल हमारे सामने है, उनके पढ़ने का और ऊपर उठाने का तरीका सरकार सोचे।

हमारे यहां सब से बड़ी जरूरत तालीम की है, और अगर तालीम बढ़ेगी तो हम भी कुछ आगे बढ़ सकेंगे। तालीम के लिये जो वजीफे दिये जाते हैं वह कतई नाकाफी हैं, उनके लिये पढ़ने की कोई सुविधायें नहीं हैं। एक बड़ी परेशानी यह है कि जितना भी खर्च शिक्षा पर हो रहा है, वह ऐसा है कि जितने भी स्कूल कालेज खुल रहे हैं, वह ऐसे हैं कि वह कौमों के नाम से चलाये जाते हैं--जैसे ब्राह्मण स्कूल, कायस्थ पाठशाला या वैश्य स्कूल, और ऐसे स्कूल हम लोगों से घृणा पैदा करते हैं और हमारे लड़कों को वहां दाखिले में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़ी परेशानी होती है। अगर इस देश से और इस कौम से हमें जाति का भेद-भाव दूर करना है तो इस तरह की संस्थाओं के नाम बदल कर साधारण नाम उनके रखे जायं।

दूसरी बात यह है कि आज कल जितने भी आदमी नौकरी में जा रहे हैं, जितने भी हमारे मौजूदा लीडर्स हैं, उन्होंने एक और नया तरीका अख्तियार किया है कि वह अपने नाम के साथ अपनी बिरादरी का नाम जैसे पंडित फलां, लाला फलां, इस तरह की चीज नहीं रहनी चाहिये, इससे भी बहुत झगड़ा बढ़ता है और भेद-भाव पैदा होता है.......

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को यहां भेद-भाव की बात नहीं करना चाहिये, उसका स्थान दूसरी जगह हो सकता है, यहां नहीं है।

डाक्टर खमानी सिंह--बहुत शुक्रिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हरिजनों का उत्थान करना है और भेद-भाव मिटाना है तो ऐसी बात होनी चाहिये कि जिनसे भेद-भाव न बढ़े। उसके साथ ही छूत-छात और खाने-पीने की बात है। लोग कहते हैं कि यह अब कम हो रही है, लेकिन मेरा खयाल है कि वह और बढ़ रही है। मैं थोड़ी सी बात कह दूं कि हमारे साथ मजाक किया जाता है, एक मजाक सन् ५४ में किया गया कि एक कमीशन हमारे लिए मुकर्रर किया गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट पर आज तक कुछ नहीं हुआ, इतना रुपया उस पर व्यय हुआ, लेकिन नतीजा यह है कि वह रिपोर्ट आज तक पड़ी है और पास नहीं हुई। सहानुभूति दिखाने के लिये ही ऐसा किया गया था।

मैं यह अर्ज करूंगा कि सर्विसेज में भी हमारे लिये ५० प्रतिशत जगहें रिजर्व होनी चाहिये ताकि हरिजन भी तरक्की कर सकें और उनके लिये भी आगे बढ़ने का मौका रहे। दूसरे हमारे हरिजन विभाग के जो मंत्री है वह भी किसी एडवान्स्ड जाति के हैं, यह काम भी किसी पिछड़ी जाति के आदमी को देना चाहिये, ताकि वह कुछ मदद उनकी कर सके।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो अनुदान इस समय प्रस्तुत है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, सरकार हरिजनों के लिए जो कार्य कर रही है और उसको जो आगे चलकर करना है उसके सम्बन्ध में सरकार की एक विस्तृत और लम्बी योजना है। लेकिन मैं यहीं तक सब्र नहीं करता। मैं यह भी नहीं समझ पाता हूं कि हमारे देश में एक मानव प्राणी, जो दिन रात लोगों के सामने श्रम करके जीते हैं परन्तु ऐसे लोग भी हैं जो नफरत की निगाहों से उन्हें देखते हैं। जहां तक सरकार का काम करने का सवाल है, वह कर रही है। लेकिन हम वहीं तक सीमित रह कर हरिजन समस्या की पूर्ति नहीं कर सकते। देश के दूसरे लोगों की जिम्मेदारी उससे अलग नहीं है। आज हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो एक स्थान पर जो पत्थर, चूना और सीमेंट से बना हुआ है, वहां उसे जाने से रोकने के लिए, अपना शरीर बिछा देते हैं, और जरूरत पड़ने पर वही लोग हरिजनों के बीच में बड़े भारी सुधारक बन कर उन्हें अपनाने की भी कोशिश करते हैं। हम करपात्री जी की बात को जानते हैं। कभी हम उनको राजनीतिक बात, कभी समाज-सुधार की बात करते पाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे विचार रखने वाले लोग भी हमारे देश में आज हैं, जो यह कहते हैं कि हम मंदिरों में हरिजनों को नहीं जाने देना चाहते। हम देखते हैं कि हमीं लोगों में राजनीतिक विचार रखने वाले ऐसे लोग भी हैं जो कि उन्हें मन्दिर में जाने से वंचित रखते हैं। सरकार चाहे लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च कर दे, लेकिन हरिजनों के प्रश्न रुपयों के बल से हल नहीं हो सकते। हरिजनों का कल्याण नहीं हो सकता, जब तक कि देश के बच्चे-बच्चे की मनोवृत्ति में परिवर्तन न हो। इस प्रकार के विचार के रखने वाले लोग जब तक इस देश में जीवित रहेंगे, तब तक हमारे देश के रहने वाले ऐसे लोग, जो दबे हुये हैं, सताये हुए हैं, सदियों से रगड़े हुए

[श्री शिवप्रसाद]

हैं, उनकी भावनाओं को दबाते रहेंगे। इसलिए दिमाग के परिवर्तन के लिए आवश्यकता होने पर, हमें क्रान्तिकारी विचार भी पैदा करने होंगे। हम सरकार के ऊपर हर बात को टाल कर नहीं चल सकते। हमें अपने को एक रास्ते पर लाकर हरिजनों की आवश्यकताओं को महसूस करना पड़ेगा। जब तक हम हरिजनों के प्रति जिम्मेदारियों को महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम अपने को देश का सच्चा नागरिक नहीं समझेंगे। हम समझते हैं कि सरकार कितना भी पैसा खर्च कर दे, लेकिन उससे उसका कल्याण होने वाला नहीं है। प्रान्तीय सरकार इस समय हरिजनों के सुख के लिए, सामाजिक सुधार के लिए और हरिजनों के रहन-सहन में परिवर्तन करने के लिए जो खर्च कर रही है, उसका हम स्वागत करते हैं। वह सराहनीय है। लेकिन हम इतने ही तक सीमित रह कर हरिजनों का कल्याण नहीं कर सकते।

यह कहा जाता है कि हरिजन अपने सुधार की बात स्वयं करें। क्या हमारी जिम्मेदारी राजा महाराजाओं से भी ज्यादा है? हम समझते हैं कि आज ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि ताल्लुकेदार हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी उनसे ज्यादा है? जब तक वे हमें सुधार नहीं सकते, तब तक उन्हें प्रायश्चित्त करना चाहिए। हमें दुःख है कि हमारे सदन में विरोधी दल के नेता श्री त्रिलोकीसिंह जी इस वक्त नहीं हैं। श्री गेंदासिंह हमेशा गरीबों की दुहाई देते हैं। लेकिन इस वर्ग से भूखा नंगा और कौन सा गरीब है? वह भी आज यहां से लापता हैं। ऐसे अवसरों पर वह लोग मुंह मोड़ लेते हैं। सरकार के नाम पर एक उलाहना देकर बगल ताकते हैं। ऐसे काम चलने वाला नहीं है।

हमें और आपको समाज का स्तर ऊंचा करना है। हरिजनों के कल्याण के लिए गांव में एक वातावरण पैदा करना पड़ेगा। गांव के लोगों के विचारों में एक परिवर्तन करना पड़ेगा। ऐसे नौजवानों को हम जब तक इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ायेंगे, तब तक करोड़, दो करोड़ रुपये से हरिजनों की समस्या को सरकार हल नहीं कर सकती। हमारी एक ही समस्या नहीं है। हमको अभी इस बात को सोचना है कि हम रुपये के ही बल से आगे बढ़ सकते हैं या श्रम से। हम स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो करके आगे बढ़ सकते हैं और जब तक ऐसी भावना हमारे बच्चों में नहीं पैदा होगी, तब तक हरिजनों का कल्याण नहीं होगा। रुपये से उनके रहन-सहन में परिवर्तन भले ही हो जाय, यह दूसरी चीज है, लेकिन असल में भावना बदली जानी चाहिये। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार समझती है कि देश का पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसको आगे लाने की आवश्यकता है। इस जिम्मेदारी के साथ सरकार आगे बढ़ रही है।

श्री प्रतापसिंह——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से एक बात कहना चाहता हूं। अभी माननीय सदस्यों ने विरोधी दल के नेता श्री त्रिलोकीसिंह और माननीय गेंदासिंह जी के विषय में कहा कि वे यहां इस समय उपस्थित नहीं हैं। मैं आपकी आज्ञा से इसका जवाब दे दूं कि वे एक आवश्यक कार्य से एक मीटिंग में गये हुए हैं। और क्योंकि सदन का समय आज बढ़ा है, कल इसका कोई निश्चय नहीं था, इसलिये वह चले गये हैं। हम लोग तो यहां उपस्थित हैं। ऐसा तो नहीं है कि पार्टी का कोई भी सदस्य न हो।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर तो दे दिया। मैं अपने हरिजन कल्याण मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने सौभाग्य से १० लाख रुपया हरिजनों के परोपकार के लिए इस वर्ष के बजट में और बढ़ा कर रखा है।

जहां तक इनके कल्याण का प्रश्न है यह हमारे देश के सभी नेताओं ने मिल करके इस बीड़े को उठाया था और बराबर १०, १२ साल से यह कार्य चल रहा है। इसमें

यह देखा जा रहा है कि उत्तरोत्तर उन्नति होती जा रही है। परन्तु उन्नति के साथ-साथ हमारी आकांक्षायें, इच्छायें भी उतनी ही बढ़ती जा रही हैं जितनी कि एक मानव की बढ़नी चाहिये। हम देखते हैं कि शिक्षा में प्रगति हुई है, दस्तकारी में प्रगति हुई है और खेती में भी प्रगति हुई है, लेकिन जब हम दूसरे लोगों से अपने को नापते हैं कि आज से कुछ साल पहले वह जहां थे वहां से वह कितने आगे बढ़े और उसी अनुपात से हम जहां थे वहां से कितने आगे बढ़े हैं, तो परिणाम यह निकलता है कि हम लोग उतने ही नीचे गिरे हैं, दूसरे उतने ही ऊंचे बढ़े हैं, कोई विशेष अन्तर नहीं आया है, क्योंकि यह एक विशेष बात देखने में आयी है कि चाहे विरोधी दल के नेता हों या किसी दल के हों, दुहाई और डींग उनका मत हासिल करने के लिये, हांका करते हैं, क्योंकि उनकी राय से ही यहां सफल हो कर आते हैं। लेकिन जब उनके काम की हित की बात आती है, तो कोई आवश्यक मीटिंग हो जाती है..........

(श्री बंशीधर शुक्ल द्वारा व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय बंशीधर जी आप शांत रहिये।

श्री हरीसिंह—अभी जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा, मैंने खुद उस जिले में जाकर के देखा है कि जो लखीमपुर खीरी में हरिजनों के लिये बस्ती बसी है और अधिकारियों ने बड़े परिश्रम के साथ उसको बसाया है, मैं आपके द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि इस प्रान्त की सारी हरिजन जनता उस बस्ती की प्रशंसा करती है, जिसको हमारे अधिकारियों ने लखीमपुर खीरी में बसाया है। लेकिन आज हमें मालूम हुआ कि उधर के लोग हरिजनों के प्रति कितनी भावना रखते हैं। जब उसका जिक्र किया जाता है तो उधर से कहा जाता है कि वह लोग आवश्यक मीटिंग में गये हुए हैं। जिनके बल पर यहां बैठे हुए हैं, उनको गीधिया नाम से पुकारा जाता है, चोर कहा जाता है, डकैत कहा जाता है। बुरे, इन्हीं नामों से तो वे अब तक परेशान होते आये हैं।

मैं अपने मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि नौकरियों में जगह देने के बारे में यहां कहा जाता है कि उतनी योग्यता के नहीं मिलते। पता नहीं उनके पास योग्यता का कौन सा पैमाना है कि जब इतने लड़के हमारे स्कूलों, कालेजों से निकल कर आते हैं, इंटरव्यू में आते हैं और वह नहीं लिये जाते। उसका एक विशेष कारण है। हमारे बार-बार अपील करने पर तो इस विभाग के एक मंत्री की नियुक्ति हुई, लेकिन जो हमारी दूसरी मांग थी उसे अब भी नजरअन्दाज किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके अन्दर भी हमारा एक नुमाइन्दा होना चाहिए, ताकि हमको यह आशा बंधे कि कोई हमारी भी वहां सुनने वाला है।

दूसरी बात यह है कि यदि आप इनका सुधार चाहते हैं तो आपकी इन नौकरियों से, इस शिक्षा से, उतना भला अब होने वाला नहीं है, जितना हम चाहते हैं; क्योंकि आज हम अपनी शिक्षा का प्रबन्ध कर सकते हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, यह हिम्मत और यह साहस आपने हमारे अन्दर पैदा कर दिया है। लेकिन जो आपका हरिजन [illegible]

[illegible] भाई चारे का व्यवहार लोग एक दूसरे से कर सकें। आज हम देखते हैं कि हरिजनों से पिछड़ी जाति के लोग दूर भागते हैं। कोई ब्राह्मण या कायस्थ उतना दूर उनसे नहीं भागता है जितना कि ये पिछड़ी जाति वाले भागते हैं, जो अपने को इस डिपार्टमेंट में शामिल करते हैं। यह हमारे अन्दर कमजोरी है। तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हम अपनी इस कमजोरी को भी दूर करें। अगर हमारी यह कमजोरी दूर हो जाय तो किसी में हिम्मत नहीं कि वह हमसे भेदभाव का बर्ताव करे।

[श्री हरीसिंह]

जो उद्योग-धन्धे हैं, उनकी हालत आप अच्छी कर दें तो इससे बहुत लाभ हो सकता है। लेकिन आप तो उन्हें बिल्कुल दबा देना चाहते हैं। पांच वर्ष चिल्लाते हो गए इस हाउस में। कोई भी उद्योग-धन्धा हरिजनों में नहीं है। अगर कोई हो तो एक भी ऐसा उद्योग धन्धा आप बतला दें ? हमने चमड़े के काम का उदाहरण दिया था कि आप उसका लाइसेंस हमें दिलावें। हमारे लोग वह काम करें। वह विदेशों की बातें मालूम करें और अपनी तरक्की करें। लेकिन वह भी नहीं किया गया।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो आपकी नौकरशाही है इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसकी जगह अगर आप हजार पांच सौ सोशल वर्कर्स छोड़ दें, तो हमारे हरिजनों का वाकई कल्याण हो सकता है। जितना फायदा हमको सोशल वर्कर्स से हुआ है, उतना आपके हरिजन अधिकारियों से नहीं हुआ है, क्योंकि वह तो फाइलें देखते हैं। काम-धाम कुछ है नहीं। चार दिन का काम है और फिर आनन्द लेते हैं। हमें वहां जाते हुए दुःख होता है। वहां बात करने वाला कोई नहीं है।

एक बात आपके हरिजन कल्याण विभाग की और बतलाऊं। पिछले साल बाढ़ आयी थी। उसके लिए कुछ रुपया मिला था। आज तक वह रुपया किसी भी जिले में नहीं बटा है। कृषि के काम के लिए मिला, वह भी नहीं बटा, मकानों की सहायता के लिए मिला, आज दूसरा वर्ष लग गया, लेकिन वह आज तक नहीं बटा। माननीय मंत्री महोदय कम से कम यही अपने विभाग से पूछने की कृपा करें कि यह रुपया क्यों नहीं बटा ?

श्री मन्नालाल (जिला खीरी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या ४० में, जो एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, अभी हमारे उस पक्ष के एक भाई ने कहा कि विरोधी दल के नेता यहां उपस्थित नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हरिजनों के उत्थान का ढोल पीटने वाले हमारे मंत्रीगण और मुख्य मंत्री स्वयं उपस्थित नहीं हैं। यह कितनी वैसी बात है।

श्रीमन्, हरिजनों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दशा बड़ी ही शोचनीय है, जिसके उत्थान की बहुत कुछ बातें हमारी सरकार करती है। लेकिन वास्तव में कोई उत्थान होता दिखाई नहीं देता। यदि वास्तव में सरकार उत्थान करना चाहती है, तो दो-तीन सुझाव मैं पेश करता हूं उन पर ध्यान दिया जाय।

पहला प्रस्ताव यह है कि हरिजनों को कुटीर उद्योग धंधे दिये जावें। जिससे उनकी बेकारी दूर हो। टेक्नीकल शिक्षा भी फ्री दी जाय।

दूसरा सुझाव यह है कि जिन हरिजनों के पास भूमि नहीं है, करीब दो लाख एकड़ जमीन तोड़ी गयी है यदि सरकार उसमें दो-दो एकड़, एक-एक हरिजन को दे दे तो एक लाख हरिजन उससे अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं।

तीसरा सुझाव यह है कि हमारे गरीब हरिजन देहात में रहते हैं, अक्सर लोग जबरदस्ती उनकी जमीन छीन लेते हैं और उनको मुकदमा दायर करना पड़ता है। चूंकि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिये मुकदमा करने से मजबूर होते हैं और अपनी जमीन से वंचित रह जाते हैं। तो सरकार उन अछूतों के मुकदमे फ्री करने का प्रबन्ध करे।

चौथे हमारे हरिजनों की शिक्षा के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है कि प्राइमरी शिक्षा तो निःशुल्क है लेकिन जूनियर हाई स्कूल में हरिजनों से फीस ली जाती है, और अंग्रेजी शिक्षा की फीस वे नहीं दे पाते हैं, इसलिए आगे पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। इधर सरकार ग्यारहवीं शिक्षा से लेकर उच्चतर कक्षाओं में फीस माफ करती है और छात्रवृत्ति भी देती है लेकिन जब हरिजन बच्चे जूनियर हाई स्कूल में

शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं, तो परिणाम यह होता है कि जो नीचे से ही पढ़कर नहीं जा सकते हैं वह आगे नहीं पढ़ सकते हैं। इसका आशय यह है कि सरकार उनकी शिक्षा के लिए रुपया अधिक खर्च नहीं करना चाहती है ताकि ये अधिक न पढ़ सकें।

एक सुझाव मेरा यह है कि हरिजन इतना गरीब है कि जब उसके यहां कोई बीमार होता है तो वह दवा के लिए पैसा नहीं लगा सकते हैं, इसलिये हमारी सरकार को चाहिये कि उनकी दवा फ़्री करवायें।

शिक्षा के सम्बन्ध में मुझे एक बात यह भी कहनी है कि हमारे अछूत भाइयों के लिए जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से भी अभी कहीं-कहीं प्रवेश नहीं दिया जाता है। उदाहरणार्थ अभी एक लड़का जिला शाहजहांपुर का लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के लिए आया था जिसको दाखिल नहीं किया गया और उसे प्रयत्न में सभी के पास दौड़ना पड़ा--शिक्षा मंत्री की भी शरण लेनी पड़ी तब कहीं हो पाया। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसी दशा में एक आर्डर हो जाय जिससे अछूतों के दाखले में कोई कठिनाई न हो। यही कठिनाई देहात के जनियर और सेकेंन्डरी स्कूलों में हरिजनों को पड़ती है, जहां प्राय: उनको साफ जवाब दे दिया जाता है कि उनके लिए स्थान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया। आपके नेता ने थोड़ा ही समय मांगा था, इसलिये दे दिया था।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोग मेरा चेहरा देख कर ही समझ रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं और इसलिये और भी खुश हूं कि अन्त समय में भी मेरा ध्यान रखा गया इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करूंगा।

जो अनुदान इस समय हाउस के सामने है, उस पर जो उद्गार हमारे हरिजन कल्याण मंत्री जी ने रखे हैं उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। चूंकि समय बहुत कम है इसलिये बहुत बहस वाली बात तो कही नहीं जा सकती है, अतः कुछ सुझाव ही देना मैं उचित समझता हूं। लेकिन सुझाव देने के पूर्व कुछ ऐसी बातें इस समय सदन में हुई हैं जिनका असर हमारे मस्तिष्क और हृदय पर पड़ा है। हमारे सामने बैठे हुए सदन के जो भाई हैं, उनमें से श्री रघुवीर राम जो कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने जो अपने शब्दों में कहा कि हरिजन कुत्तों के सामने की पड़ी हुई जूठी पत्तलें उठाकर खाते हैं, मैं समझता हूं इससे हरिजन वर्ग का बहुत बड़ा अपमान हुआ है और अगर हमारे हरिजन जाति के जो सदस्य यहां पर मौजूद हैं, उनको चाहे कम चोट लगी हो लेकिन मैं जिस वर्ग से ताल्लुक रखता हूं वह महा हरिजन वर्ग है जिसे मेहतर, भंगी, चूहड़ा और चांडाल कहते हैं और यह वर्ग, सदन के समस्त माननीय सदस्य जानते हैं ऐसा है, जो जूठन भी खा लेता है। मैं आपको बतलाता हूं कि आज दस वर्षों से जब से हमारा देश आजाद हुआ है, हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या मे मेहतरों ने जूठन खाना छोड़ दिया है और वह भी ऐसा नहीं कि कोई साधारण आदमी खाकर चला गया बल्कि बड़े-बड़े महाजनों के यहां ब्याह शादियों में भी जूठन नहीं खाते हैं और जूठन खाना बंद कर दिया है। वहां से वह जूठन उठा लाते हैं और उनके सूअर तथा भैंसें आदि खाते हैं। इसलिये यह बात कहना कि कुत्ते के आगे से पत्तल उठाकर हरिजन खाते हैं, गलत है और मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्तियों ने हरिजनों की बस्ती में शायद कभी प्रवेश नहीं किया है। मैं ऐसे कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ताओं को भी जानता हूं जो हरिजनों की बस्ती में जाते हैं और वहां उनको उभाड़ने की बातें करते हैं और तीन-तीन डिब्बी कैप्सटेन सिगरेट की पी जाते हैं और तीन-तीन रुपये का नाश्ता उन हरिजनों के पैसे से होटलों में जा कर खा जाते हैं। मैं उनके नाम तक बतला सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--नाम बताने की जरूरत नहीं है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि——दूसरे साथी लखीमपुर के निवासी हैं उन्होंने सांसिया-वाली बस्ती की बात कही । यदि मैं गलती नहीं करता हूं तो मैं दस वर्षों से उनसे परिचित हूं और वह ब्राह्मण कुल के हैं । मुझे त्रेता का वह युग याद है जब एक व्यक्ति चोर चांडाल के नाम से मशहूर था जिसने कुछ ब्राह्मणों के उपदेश से बड़ी भारी महाऋषि की पदवी पाई और वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उन्होंने रामायण बनाई । अगर इस बस्ती का वह सुधार नहीं कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि हरिजनों के प्रति उनकी हमदर्दी केवल दिखाने की है और उनके हृदय में उनके प्रति कोई खास भावना नहीं है । इसलिये मैं इस मामले को उनके ऊपर ही छोड़ता हूं कि वह कितना सुधार करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी लाल बत्ती जलने से पहले मैं दो एक सुझाव देना चाहता हूं । लखनऊ में एक आरोग्य निकेतन है, वहां छुआछूत मिटाने के लिये काफी प्रयत्न हो रहा है । वहां दस बेड्स हरिजनों के लिये ही रखे जाते हैं। १४० रुपये म ीना एक मरीज के खाने और दवा –दारू उपचार को वह लेते हैं, लेकिन हरिजनों का फ्री इलाज करते हैं । उनका एक ही मेस है, उसमें हरिजन और ऊंची जाति के सब लोग मिलकर खाना खाते हैं । अगर कोई व्यक्ति इन्कार करता है, तो वहां डाक्टर विलकश डांट देते हैं कि अगर हमारे यहां रहना है तो सबके साथ खाना होगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि सप्लीमेंटरी ग्रांट आने पर है, उसमें आरोग्य निकेतन को सहायता जरूर दी जाय ।

दूसरी बात यह है कि हमारे नोटिस आफिस के सामने जो होटल है और असेम्बली के आस-पास जितने होटल्स तथा दुकानें हैं, वह सब हरिजनों को दे दिये जायं हरिजनों में ऐसे ठेकेदार हैं, जो दुकान चला सकते हैं और उनमें खाना खिलाने वाले भी हरिजन ही हों तो हम देखेंगे कि जो लोग हमदर्दी दिखा रहे हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो वहां चाय वगैरह खा पी सकते हैं । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इसको नोट कर लें कि जब इस तरह की दुकानें दी जांय तो केवल हरिजनों को ही दी जांय और उनमें खिलाने–पिलाने वाले भी हरिजन ही हों ।

अंत में मैं कहूंगा कि हरिजनों में एक मेहतर वर्ग ही ऐसा है जिसकी बड़ी भारी समस्या है । उसको या तो भगवान ही संभाल सकते हैं या हमारे बापू के आशीर्वाद से कांग्रेस ही संभाल सकती है । इस वर्ग की बड़ी भारी उपेक्षा की जाती है । अगर मंत्री महोदय ,मुझे आज्ञा दें, तो मैं एक बड़ी भारी पुस्तक इनकी समस्या पर लिख सकता हूं । मेहतर कहलाने वाले लोग गंदे नाले का या गंदे तालाब का पानी पीते हैं । जो अनुदान हरिजन वर्ग के लिये दिया जाता है उसको मेहतर वर्ग प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि अरबन एरिया में यह लोग अधिकांश रहते हैं । इसलिये अन्य हरिजनों को तो अनुदान का लाभ पहुंचता है, लेकिन मेहतर वर्ग उससे वंचित रह जाता है । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि अरबन एरिया में भी इस तरह का अनुदान दिया जाय जिससे मेहतर वर्ग को मुर्गी पालने में, सुअर पालने में और अन्य काम करने में सहायता मिल सके और उनका आर्थिक स्तर ऊपर उठे ।

ऋषिकेश में एक बहुत बड़ी मेहतरों की बस्ती है, वहां लोग झोपड़ियों में रहते हैं । हरिजन कालोनी के नाम पर कई बार बातचीत की गई, लेकिन उनकी कालोनी अभी तक नहीं बनायी गयी । दो साल के बाद उनका स्थान भी बदल दिया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष——आपका समय समाप्त हो गया ।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम भूतपूर्व माननीय हरिजन कल्याण मंत्री तथा वर्तमान हरिजन विभाग मंत्री और हरिजन विभाग को बधाई देने के लिये और प्रस्तुत अनुदान संख्या ४० का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं ।

श्रीमन्, मैंने दोनों पक्षों के वाद विवाद को सुना । जिस प्रकार इस सृष्टि का क्रम रहा है कि सुख-दुःख और जीवन-मरण साथ चलते हैं, उसी तरह से इस मानव समाज के भी दो पहलू हैं । वे हैं उत्थान और पतन । जब समाज उत्थान की चरम सीमा पर पहुंचता है तो पतन आरम्भ होता है और जब पतन की चरम सीमा पर पहुंचता है, तो उत्थान आरम्भ होता है । यही हमारा इतिहास बताता है । इस पतन की चरम सीमा के साथ ही हमारी इस धरती पर बड़े-बड़े मसीहा, पैगम्बर और अवतार होते रहे हैं । समयाभाव से मैं बहुत ऐतिहासिक बातें न कह करके बहुत संक्षेप में एक काल का थोड़ा सा वर्णन करूंगी जो कि सम्भवतः वाममार्गी धार्मिक काल माना जाता था । उस समय मदिरा के लिये, विलासिता के लिये, और वासना के लिये एक बहुत बड़ा स्थान दिया जाता था । उस समय जो मद्यपान करता था, उसके लिये कहा जाता था :—

"पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले ।
पुनरुत्थाय पुनः पीत्वा, पुनर्जन्म न विद्यते ।

पियो पियो फिर पियो, जब तक जमीन पर न गिर जाओ तब तक पियो । और फिर उठ कर पियो और पीते पीते मर जाओ तो, उसका पुनर्जन्म उस विश्वास के अनुसार नहीं होता था । वह भी एक जमाना था । उस जमाने में भी बड़ा शोषण था । गरीब लोगों के बच्चों को मोल लिया जाता था और नरमेध के नाम पर उनकी बलि दी जाया करती थी ।

इसी प्रकार आधुनिक जमाना आया जिसके अन्दर धनिकों व शोषकों आदि को समाज में प्रतिष्ठा मिली । इसी बीच हमारे बहुत से राजनीतिक नेता हुये और अन्ततोगत्वा विश्ववन्दनीय बापू पैदा हुये और उन्होंने हरिजन कल्याण का गरीबों के अभिशाप को दूर करने का, समाज शोषितवर्ग को और स्त्री वर्ग को भी, ऊपर उठाने का बीड़ा उठाया और तभी से हमारी कांग्रेस और कांग्रेस सरकार इस नीति को अपनाते हुये बापू के चरण चिन्हों पर शनैः-शनैः चल रही है । इस सामाजिक कोढ़ को दूर करने के लिये तो हम सभी जिम्मेदार हैं । यह सामाजिक सुधार ऐसा है, जिसके लिये सभी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक नेताओं तथा इस माननीय सदन के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है ।

मैं संक्षेप में बताना चाहती हूं कि आज के समाज में भी जिन लोगों के पास बड़े-बड़े मकान हैं बड़ी-बड़ी बातें हैं, जो बड़े वैभवशाली हैं और बड़े लोक प्रतिष्ठा प्राप्त हैं, हम सभी लोग उनका सम्मान करते हैं । जरा हम आत्म निरीक्षण करके देखें तो सही कि क्या हम अपने हृदयों को शुद्ध पाते हैं, और हम वाकई सुधार की और समाजवाद की बातें करते हैं, और सर्वोदय की बातें करते हैं, क्योंकि उधर से अधिकतर क्रिटिसिज्म, होता है भ्रष्टाचार की बातें कही जाती हैं, करप्शन की बातें कही जाती है । तो मैं पूछना चाहती हूं कि मेरे जितने साथी, जिनमें नवयुवक भी शामिल है, जो आज यहां बोले हैं, वे अपना हृदय टटोल कर देखें कि क्या उन्होंने रक्षाबंधन या जन्मअष्टमी के अवसर पर जातिवाद को खत्म करने का, और मानव एक ही जाति है ऐसा मानने का उन्होंने कोई संकल्प किया ? मैं समझती हूं कि नहीं । तो श्रीमन्, हमें यह सोचना पड़ेगा कि आज के समाज के जो कुछ न्यायकर्ता, वकील, डाक्टर, व्यापारी जो अन्य सभ्य तरीकों से चोरी करते हैं जिससे सामाजिक जीवन का घात होता है, वे चोर अछूत नहीं, वे तो प्रतिष्ठित हैं, समाज में उनका हम भी मान करते हैं । श्रीमन् यदि हम उन्हें अछूत शोषक मान लें, उन के विवाह, उत्सवों में न जायं, उन्हें प्रतिष्ठा व पद न दें, तो मैं समझती हूं कि वास्तव में सामाजिक सुधार व अछूतोद्धार हो सकता है । श्रीमन्, मैं प्रस्तुत विषय पर एक मिनट में संकेत करूंगी ।

[कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री]

हमारे प्रदेश के अन्दर लगभग २० लाख भूतपूर्व अपराधशील जाति के लोग हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हरिजन विभाग का बजट लगभग ३०२ लाख से ऊपर का था। इसमें से केवल २५ लाख भूतपूर्व अपराधशीलों के उत्थान के लिये रखा गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ४७५ लाख के बजट में इन जातियों के लिये केवल १७.८९२ रुपया रखा गया है। यह तकलीफ की चीज है। मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि इन ३२ जातियों में से, बहेलिये, डोम और कुछ नट आदि अपनी स्त्रियों और नन्हीं बच्चियों से पेशा करवाते हैं। भूतपूर्व अपराधशील जाति के लोगों की बस्तियां बसाई जायें, उन्हें उद्योग, शिक्षा आदि की सुविधा के लिये आवास दिया जाय तथा स्त्रियों के लिये आश्रम खोले जायें। इनकी प्रबन्ध समितियों में ४० प्रतिशत इन्हीं के आदमी तथा शेष सरकारी और गैर सरकारी आदमी हों। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगी कि प्रान्तीय हरिजन बोर्ड, तथा जिला हरिजन सहायक बोर्ड वगैरह में भी इन अपराधशील व्यक्तियों के लोगों को रखने का ध्यान रखा जाय।

अन्त में मैं उन हरिजन भाइयों को विशेष धन्यवाद देती हूं जिन्होंने यहां इन जातियों के लोगों के उत्थान की बातें कहीं। वास्तव में जो मनुष्य अपने नीचे के दुःखी आदमियों को देखते हैं, वही मानवता की तरफ चलते हैं और निर्माण की तरफ जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता। अगर सभी बोलने वालों को केवल पांच ही मिनट का समय दिया जाय फिर भी सभी बोलने वालों की इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं हमेशा यही प्रयत्न करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा नये सदस्यों को बोलने का मौका दूं। अगर आप स्थिति का अनुमान करें, तो आप को पता चलेगा कि मुझे कितनी परेशानी हो जाती है।

(श्री मलिखान सिंह से) आप केवल दो मिनट बोल लें।

श्री मलिखान सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आज जो अनुदान संख्या ४० पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसका अधिकतर सदस्यों ने समर्थन किया है। उधर जो सरकारी बेंचेज की तरफ बैठे हैं, उनकी तरफ के भी मैंने भाषण सुने, तो उधर से भी समर्थन हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तक पिछड़ी हुई जातियों की आर्थिक दशा नहीं सुधरेगी, उनके लिये उद्योग नहीं खोले जायेंगे, तब तक उनका कोई उत्थान नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में मैंने यहां पर दृढ़ निश्चय के साथ में अपने शब्द रखे। मैं उधर के लोगों से यह आशा रखूंगा कि वे किसी अनुशासन या किसी भी भेद-भाव को छोड़कर वे मेरे इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये इसे पास करेंगे जैसा उन्होंने अपने भाषण में कहा। साथ ही मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे इस अनुदान के प्रस्ताव को वापिस लें और उसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द करें, जो दोनों पक्ष के लोगों ने समर्थन किया है, उसको सोचें और विचारें, क्योंकि इधर के और ऊधर के, दोनों तरफ के लोगों ने इसका समर्थन किया है, इस पर वह विचारें और तब यह अनुदान यहां पर प्रस्तुत करें जिससे कि हम सब लोग अपने उत्तर प्रदेश के उन लोगों को जो कि गरीब हैं, अशिक्षित हैं, समाज से बहिष्कृत हैं, उनकी उन्नति कर सकें। उनकी आर्थिक, सामाजिक और दूसरे प्रकार की उन्नति में भाग लें। वह इसको समिति में लायें, और उसके बाद इसको यहां पास कराने के लिये हम लोगों के सामने रखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मंगलाप्रसाद——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव को पेश किया है, ने एक बड़ी बात कही कि हरिजन और बैकवर्ड क्लास, जो ज्यादा खाते हैं, उनको अधिक सेल्स टैक्स देना पड़ता है और उसका असर सब से ज्यादा उन्हीं पर पड़ता है। उनको शायद नहीं मालूम कि सूबे भर में हरिजन भाई अधिकतर देहातों में रहते हैं और सिवाय एक आगरा की सीट को छोड़ कर, हमारे जितने हरिजन भाई यहां आये हैं, वह देहातों की सीटों से ही आये हैं। शहर में हरिजनों को सीटें नहीं मिली हैं। इसके माने यह हैं कि उनका एक बहुत बड़ा बहुमत देहातों में रहता है और वहां के हरिजनों को किसी तरह का सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ता। शहर के बड़े आदमियों को सेल्स टैक्स लगता है। देहात का हरिजन किसान से गल्ला लेता है इसलिये उसको किसी तरह का टैक्स उस पर नहीं देना पड़ता।

दूसरी बात उन्होंने पब्लिसिटी की कही। अगर वह बजट को जरा गौर से देखें और पढ़ने की कोशिश करें तो उनको मालूम होगा कि काफी रुपया पब्लिसिटी के लिये रखा गया है, केवल १३,००० नहीं। पढ़ने से उनको पूरा पता लग जायगा कि कहां-कहां कितना-कितना रुपया खर्च होता है।

शकुन्तला जी ने बहुत सी बातें कहीं, उसमें उन्होंने अम्बर चर्खे का भी जिक्र किया। मेरा ख्याल है कि यह एक अच्छा सुझाव है और मैं प्रयत्न करूंगा कि इसमें कुछ लोगों को सीखने का मौका मिले।

एक भाई ने पहाड़ के शिल्पकारों की समस्या के बारे में कहा। मैं उसको जानता हूं और घंटा आध घंटा उनकी बात कहने में लगा सकता हूं। उनको शायद नहीं मालूम कि मेरे विभाग का सम्बन्ध १५० जातियों से है और अगर मैं उनमें से एक-एक के बारे में कुछ कहने लगूं तो १०-५ घंटे मुझे कहने के लिये चाहिये।

श्री प्रतापसिंह——मैंने अन्य जातियों के विषय में कहा है।

श्री मंगलाप्रसाद——हो सकता है, उसमें अन्य जातियां भी हैं और शिल्पकार भी, लेकिन इतना समय नहीं है कि उनके बारे में अलग—अलग कहा जाय। मैंने इसीलिये सबसे पहले यह कहा कि जो भाई कोई सुझाव देना चाहें, कोई शिकायत उनको या और कोई बात हो, उसके लिये वे मेरे पास स्वयं आ सकते हैं। मैं उनकी सुनने और उनकी शिकायत दूर करने की, जहां तक मुमकिन हो सकता है, कोशिश करूंगा।

खेती में जो चोरों को बसाने की बात कही गई, उसका जवाब कई लोग दे चुके हैं यह सवाल सोचने का है।

मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि जो किताबें बच्चों को दी जाती हैं वह वक्त से दी जायं, जल्दी दी जायं, लेकिन एक बात शायद आप लोग जानते होंगे, जो लोग शिक्षा

होता है

हाई स्कूल में लड़कों के पास होने का नतीजा निकलता है, उसके बाद दरख्वास्त देने का निश्चित समय होता है और उसके बाद फैसला होने में कुछ देर लगती है। तो इस तरह से स्कालरशिप आदि के केसेज में कालेज, यूनिवर्सिटी आदि में दो—दो, तीन—तीन महीने लग जाते हैं, वह इस कारण पहले नहीं मिलती, लेकिन हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि पैसा उनका जल्दी से जल्दी मिल जाय। इसलिये जहां कहीं ग्रांट मिलने की बात है वह जल्द मिल सकती है। इस साल बजट देर से पास हो रहा है। इस वजह से कुछ विलम्ब हुआ। पहले साल कुछ पहले मिल जाया करती थी। आगे हम कोशिश करेंगे कि जल्द मिल सके।

[श्री मंगलाप्रसाद]

कुछ केसेज (मुकदमों) के बारे में कहा गया कि हरिजनों के लिये दिक्कतें हैं और बहुत से मुकदमे उनके ऊपर चलाये जाते हैं। वह गरीब हैं, इसलिये सताये जाते हैं। उनका अगर प्रबन्ध हो सके और हम कुछ उनके लिये कर सकें, तो यह हमारे लिये एक अच्छा काम करने को होगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब हरिजन भाई परेशान होते हैं, चोरी में पकड़े जाने पर या मर्डर में पकड़े जाने पर तब क्या हो? इस तरह के केसेज में पैरवी करने के लिये मदद करना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन यह सोचना पड़ेगा कि कौन सी दफायें हैं जिसमें वे शिकार होते हैं और उनके ऊपर ज्यादतियां होती हैं। उन ज्यादतियों को रोकने के लिये समाज में हमको कुछ करना चाहिये। इसके लिये मैं वायदा तो नहीं करता, लेकिन यह देखने की बात है। अगर हम इसमें कुछ कर सकते हैं, तो जरूर करेंगे।

सोशल वर्कर के बारे में कुछ राय दी गयी है। मैं भी इससे इत्तफाक करता हूं। किसी भाई ने इसके खिलाफ नहीं कहा। इस पर मैं विचार करूंगा। ३-४ या ५-६ महीने के लिये उनको रख दिया जाता है, तो उससे कुछ काम नहीं होता है। यही सही राय है कि अगर उनको साल भर के लिये रखा जाय, तो अच्छी बात होगी। अगर पूरे समय के लिये आदमी रहेंगे, तो वह उत्साह से काम करेंगे। मेरी निजी राय यह है कि ऐसा होना चाहिये। लेकिन, अगर पूरे साल के लिये इनको रखा जायगा, तो कुछ आदमी शायद कम हो जायेंगे। इस साल नहीं हुये, तो अगले साल कम हो जायेंगे। बहरहाल, मैं चाहता हूं कि अगर पूरे साल के लिये आदमियों को रखा जाय, तो वे अच्छा काम कर सकते हैं।

एक भाई ने कहा कि बजट में एजूकेशन की ग्रांट नहीं है। इसमें कुछ प्लान आइटम हैं और कुछ नान प्लान आइटम हैं। यह जो शिक्षा की प्लान आइटम की मद है, अगर उसको देखने का प्रयत्न करें, तो उनको वह मिल जायगी। उसमें ४७ लाख रुपया रखा गया है। पिछले साल ६० लाख खर्च हुआ था। मैंने शुरू में कहा था कि जो ओरिजनल (original) बजट था, उसमें कम था। उससे इस साल बजट ज्यादा है। पारसाल भी ८५ लाख था। और गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का रुपया मिलाकर १ करोड़ १४ लाख व्यय हुआ था। ऐसा भी कुछ रुपया होता है, जो इसमें शामिल नहीं होता है, लेकिन व्यय किया जाता है। इस साल भी उस तरीके से बढ़ जायगा। पिछले साल ६० लाख शिक्षा पर खर्च किया गया था, जबकि शुरू में कम रखा गया था। बाद को उसको बढ़ा दिया गया था। हमारी पालिसी वही है जो पिछले वर्ष थी। कुदरती तौर से जिस प्रकार से हम पहले सप्लीमेंटरी लाये थे उसी प्रकार से फिर लायेंगे और हमें आप से सुझाव पाने की और आपकी बातें सुनने की खुशी होगी। आप उस मौके को क्यों हमसे छीनते हैं।

एक साहब ने एक बात बड़े मार्के की कही कि इस सूबे में हरिजन लोग १८ प्रतिशत हैं और यहां का बजट १०८ करोड़ का है और उनके लिये केवल ९५ लाख रुपया ही रखा गया है। बड़े महत्व की बात कही, लेकिन शायद बिना समझे बूझे की। इस १०८ करोड़ के बजट में जितना खर्च होता है, वह उन हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों पर भी होता है। आपने सिर्फ फीस की बात को देखा। स्कूलों को और कालेजों को रुपया दिया जाता है, वह आपने नहीं देखा। मास्टरों की तनख्वाह को नहीं देखा यूनिवर्सिटी को जो रुपया दिया जाता है, उसको नहीं देखा, इसी प्रकार से रिसर्च के लिये, अस्पतालों के लिये और सड़कों आदि के लिये जो रुपया दिया जाता है, उसको आपने नहीं देखा। क्या उसमें से हरिजन और बैक्वर्ड क्लासेज को निकाल दिया जाता है? नहीं, उसमें सब का हिस्सा है उसके अलावा यह रुपया उनके लिये अलग से दिया जाता है। इसलिए मुझे यह आपसे कहने की जरूरत पड़ी कि इस तरह से जो गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है, वह उचित नहीं है। यह जो हरिजनों का मसला है वह १०८ करोड़ से नहीं, अगर १००८ करोड़ रुपया भी उसके लिये रख दिया जाय, तो वह मसला हल नहीं हो सकता है। इसलिये आपको जो बात कहनी हो, उसको समझ कर कहना चाहिये, ऐसा नहीं कि कुछ कहना है, इसलिये कह दिया। हरिजनों

का मसला, मकान का मसला है. रोजगार का मसला है, लिखने पढ़ने का मसला है। अगर आप देखें तो यह हिन्दुस्तान का मसला है, गरीबों का मसला है। यह सौ पचास करोड़ रुपये से हल नहीं हो सकता। अगर हजार करोड़ रुपये से यह हल हो सकता, तो केन्द्रीय सरकार, और यह सरकार मिल कर उसको हल कर देती। इसलिये ऐसी ऊंची बात करना ठीक नहीं है। अगर मुझसे बोलने को कहा जाय तो १० घंटे हरिजनों के ऊपर बोल सकता हूं कि उनको क्या-क्या तकलीफें हैं। जब एक आदमी ऐसा डटकर कहता है कि जो भी मसले हों, वह हमारे सामने रक्खे जायें मैं दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करूंगा लेकिन फिर भी, क्योंकि कुछ कहना है, इसलिये बिना सोचे-विचारे कह दी जाती है।

जमीन के बटवारे की बात भी कही गयी जो बहुत दिनों से चल रही है। यह एक बड़ा भारी मसला है। मैं तो एक ऐसा आदमी हूं जो हर वक्त इस कोशिश में रहता हूं कि हरिजनों को जमीन मिले। एक साहब ने कह दिया कि ६ महीने में फाइल ही नहीं देखी जब कि मंत्री की जगह पर आये हुये भी मुझे ६ महीने नहीं हुये। फाइल इस विभाग में इतनी होतीं नहीं। हफ्ते दो हफ्ते में कोई कुछ फाइल आती है। लेकिन कह दिया कि ६ महीने से कोई फाइल ही नहीं देखी। मैं समझता हूं कि हमारे सदस्य बड़े-बड़े जिम्मेदार सदस्य हैं। उन्हें ऐसी सुनी हुई बात नहीं कहनी चाहिये। अगर कोई उनसे ऐसी बात भी कहता है, तो उनको उसे डांट देना चाहिये था बजाय इसके कि इस हाउस में आकर एक लगी बात कह दें।

कुछ सदस्यों ने कहा था कि फ्लड के लिए जो रुपया मंजूर हुआ था वह उनको नहीं मिला। इस बारे में भी मैं छानबीन करके देखूंगा कि क्यों रुपया नहीं मिला और अगर नहीं मिला तो जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए और जिस किसी की गलती होगी, जिससे वह रुपया नहीं मिला, तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जायगी, अगर बात सही हुई।

श्री उपाध्यक्ष--अब ३ मिनट ही समय रह गया है।

श्री मंगलाप्रसाद--उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि ५-७ मिनट समय और बढ़ा दिया जाय। अच्छा हो कि १० मिनट के लिए समय बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सदन का समय १० मिनट और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--इसका मतलब यह हुआ कि ८ बज कर १० मिनट तक सदन बैठेगा

श्री मंगलाप्रसाद--तो जितने सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनके अनुसार काम किया जा सके। मैंने उन बातों का भी जिक्र कर दिया, जिनके बारे में माननीय सदस्यों ने कुछ जिक्र नहीं किया था। उसका बजट में कोई प्राविजन न होने पर भी मैंने जिक्र कर दिया। मैंने कुछ टाइम बढ़वा लिया है ताकि तमाम माननीय सदस्यों

कि आप इस काम के लिए सिर्फ यहीं पर कह कर अपनी जिम्मेदारी को न खतम कर दें। जितने भी माननीय सदस्य हैं सभी जिम्मेदार हैं और जहां जहां से भी वे चुन कर आये हैं, वहां पर उनका असर है, वहां पर उनकी शक्ति व ताकत है। इस तरह का सुझाव दे देने से ही कि दो लाख हरिजनों को फलां जिले में बसाया जाय, केवल इस तरह की बात कह कर टालने की कोशिश करें, तो इससे यह समस्या हल नहीं हो सकती है। आप समझें कि जितने हरिजन जहां-जहां हैं, उनको जंगल काट कर वहां तथा पहाड़ों में बसा भी दिया जाय, तो उनको खाना देने वाला कौन होगा, उनको काम देने वाला कौन होगा? वहां पर उनके लिए मकान कहां से आवेगा? केवल कह देने से यह मसला हल होने वाला नहीं है। अगर कोई जादू मन्तर हो, या अलादीन का चिराग मिल जाता तो जरूर यह मसला हल हो जाता, लेकिन इस तरह से गरीब हरिजनों को १०० मील, ५० मील, या २०० मील दूर उठा कर ले जाना और बसाना सम्भव नहीं होगा और यह किसी तरह से मुनासिब नहीं होगा कि इस तरह से उन को इतनी दूर ले जाकर बसाया

[श्री मंगला प्रसाद]

जाय। मेरा तो खयाल है कि वे इसके लिए तैयार भी नहीं होंगे। इससे अच्छा तो यह होगा कि आप अपने गांव गांव में एक एक, दो दो, बीघे जमीन कम से कम उनके बसने के लिए इकट्ठा करें। क्या आप अपनी कांस्टीटुएंसी में इतना भी नहीं कर सकते हैं? मैंने तो अपनी कांस्टीटुएंसी में एक हजार बीघा जमीन ली है खेती करने वाली और हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी जमीनें मिलें। जब मैं इस विभाग का मन्त्री नहीं था, उसके पहले की बात मैं कह रहा हूं। तो मैं आप से कहता हूं कि आप जितने माननीय सदस्य हैं, जिनकी शक्ति को मैं जानता हूं, बहुत से लोग कांग्रेस के मुकाबले में भी चुन कर आये हैं, हम सब मिल कर सहयोग करें, तो इन हरिजनों का काफी फायदा हो सकता है।

एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स सिर्फ तीस हैं। उनमें से आठ ऐसी हैं जो शिड्यूल्ड कास्ट के अन्दर नहीं आती हैं। मैंने उनके बारे में अलग-अलग जिक्र न कर के सब के बारे में जिक्र किया। खासकर जो अछूत कहे जाते हैं, जिनकी सब से खराब हालत है वे सब से ज्यादा परेशान हैं, उनकी तरफ अधिक ध्यान देने की जरूरत है। बुन्देलखण्ड में भी कोल जाति के हैं। किसी भाई ने मुसहरों का भी जिक्र किया। श्रद्धा जी ने बेड़िया का जिक्र किया। चारों तरफ से, जो हरिजनों की बस्तियां है, जो क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, उन सब को देखना है। और एक नहीं हजारों समस्याएं हैं, जिनको दूर करना है, हल करना है, लेकिन इन को जादू मन्तर से हल नहीं किया जा सकता। यह चीजें एक दिन में दूर नहीं हो सकतीं चाहे आप कैसा भी प्लानिंग करें। अगर उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य ही बजट बनाते, तो शायद वह भी इतना कुछ न कर पाते, जितने कि वह आशा हमसे करते हैं। पार्टियां बदलती रहती हैं, मुमकिन है उनको भी कभी मौका मिले, लेकिन जितने करोड़ की वह बात करते हैं, वह सम्भव नहीं है, वह भी कभी उतना प्रोवाइड न कर सकेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप में एक शक्ति है। जहां कहीं भी कोई खराबी मालूम हो, जहां कहीं भ्रष्टाचार मालूम हो, दूर कीजिये।

मैं स्वयं जानता हूं कि हमारा बहुत सा पैसा, जो हरिजनों पर खर्च करने के लिए रखा जाता है, उस का अक्सर दुरुपयोग होता है। कहीं कुंओं का रुपया लोगों ने खा लिया है, कहीं मरम्मत के लिए लेकर लोग खा गये, कहीं-कहीं तो बड़े-बड़े लोगों ने ऐसा किया है। रुपया फीस के लिए हरिजनों के नाम से ले गये, नाम भी उन का स्कूल में लिखा गया, लेकिन जब नाम मालूम किया गया, तो वहां पर कहीं उन के नाम का पता नहीं चला कि कौन हैं। नतीजा यह हुआ कि मुकदमा नहीं चला और मामला रुक गया। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन जहां खराबी है, बुराई है, वहां हमें उसको मालूम कर के दूर करने की कोशिश करना चाहिए। हम भी खराबी तलाश करें, आप भी तलाश कर के बताइये, यह न हो कि हरिजन भाई गड़बड़ी कर रहे हैं, इसलिए चुप रहो, क्योंकि इससे हरिजन उत्थान में आप रुकावट डालते हैं, अगर आप छिपाते हैं, तो अपना फर्ज अदा नहीं करते। इसलिए मैं आशा करता हूं कि सब माननीय सदस्य इस तरफ ध्यान रखेंगे कि जहां कहीं भी उनको खराबी दिखायी दे, वह बतायें और अधिक जागरूक रहें, जहां-जहां हरिजन मारे जाते हैं, उन की जमीन छीनी जाती है, फर्जी मुकदमे में फंसाये जा रहे हैं, वहां पर आप उन की मदद क्यों नहीं कर सकते, सरकार की तरफ ही क्यों दौड़ते हैं? आप पर ही मुकदमा चल जाय, तो आप उसकी पैरवी स्वयं नहीं करते? आप उनके लिए भी कोई इन्तजाम कर सकते हैं, अपनी जगह पर, खास कर ऊंची जाति वाले शक्तिशाली हैं, वह कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। यहां पर बहुत जोर से बात करेंगे, जब वोट लेना होगा, तो बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, केवल उसी से काम नहीं चलता।

इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य बाहर फील्ड में काम करें और वहां उनकी जो समस्यायें हैं, उनको हल करने की कोशिश करें, पार्टी और दल की बात छोड़ दें, वह हमारी शक्ति हैं, जब तक हम उनको नहीं उठायेंगे, उनकी भावनाओं में ताकत और शक्ति नहीं भरेंगे, तब तक उनका उत्थान नहीं हो सकता। इस तरह से आप साहबान मोहब्बत से

संगठन करें, कोई लड़ाई किसी से करने का विचार न रखें और आप अपना ऐसा संगठन करें कि अगर किसी के साथ ज्यादती हो, तो उसका मुकदमा आप मिलकर लड़ें, आपकी जरूरत हो तो पैरवी करें और ज्यादती को दूर करने की भरसक कोशिश करें। आप ४३१ सदस्य हैं और कौंसिल के भी माननीय सदस्य हैं, सारे हरिजन आदि आप के ही क्षेत्रों में बंटे हैं। आप वहां की समस्याओं को अधिक आसानी से दूर कर सकते हैं। गांव में लड़ाई होती है, वहां सरकार पहुंच जाय, आप न पहुंचे, यह तो हो नहीं सकता। आप की भी अव्वल जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि अपनी इस जिम्मेदारी को हम आप सब समझें, और इन दिक्कतों को दूर करने का प्रयत्न करें। फिर भी जो सुझाव माननीय सदस्यों की तरफ से आये हैं, उनमें से जो अमल करने के काबिल होंगे, उन पर मैं अमल करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४० के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०---अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान---लेखा शीर्षक ५७---विविध के अन्तर्गत ९५,५५,३०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ८ बजकर ८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

श्री देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१३ अगस्त, १९५७ ई०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०४ पर।)

WATER SUPPLY

Statement showing the amount of loan sanctioned to various Municipal Boards for execution of their water supply schemes out of the funds received from The Government of India during the year 1955-56 and 1956-57 under the National Water Supply and Sanitation Programme during the First Five Year Plan Period.

Sl. no.	Name of Municipal Board		Amount of loan sanctioned during 1955-56	Amount of loan sanctioned during 1956-57
1	2	3	4	5
			Rs.	Rs.
1	Agra		11,92,000	..
2	Allahabad		11,00,000	2,50,000
3	Azamgarh		4,14,000	..
4	Ballia		1,55,000	..
5	Bareilly		10,00,000	..
6	Bulandshahr		3,95,000	..
7	Basti		2,91,200	..
8	Banaras		12,50,000	16,00,000
9	Chandpur		17,135	..
10	Chandausi		7,25,000	..
11	Dehra Dun		5,00,000	..
12	Deoria		1,00,115	..
13	Etah		5,67,680	..
14	Etawah		1,42,500	..
15	Faizabad (Ayodhya Water-supply)		6,35,400	..
16	Farrukhabad-*cum*-Fatehgarh		13,09,687	..
17	Fatehpur		2,36,100	..
18	Fatehpur-Sikri		70,000	..
19	Firozabad		8,60,028	..
20	Gorakhpur		12,75,000	..
21	Haldwani		1,14,825	..
22	Hamirpur		25,000	..
23	Hapur		7,26,875	..
24	Hardwar (Kankhal Water-supply)		2,17,000	..
25	Jaunpur		1,90,400	..
26	Jhansi		14,18,000	..
27	Kanpur		27,00,000	14,00,000
28	Lucknow		14,60,065	10,00,000
29	Lalitpur		9,00,000	..
30	Mainpuri		7,62,900	..
31	Nagina		4,12,600	..
32	NainiTal		2,80,050	..

Sl. no.	Name of Municipal Board			Amount of loan sanctioned during 1955-56	Amount of loan sanctioned during 1956-57
1	2		3	4	5
				Rs.	Rs.
33	Najibabad ..	..	..	2,00,000	..
34	Pratapgarh ..	..	..	2,91,500	..
35	Pilibhit ..	..	..	10,00,000	..
36	Padrauna ..	..	..	2,04,300	..
37	Rampur ..	..	..	15,20,000	..
38	Ramnagar (Varanasi)	..	..	1,53,666	..
39	Rishikesh ..	..	..	4,68,000	..
40	Rath	..	..	2,90,900	..
41	Ramnagar(NAC) ..	..	..	3,88,700	..
42	Saharanpur ..	..	..	19,50,000	..
43	Sitapur ..	..	..	10,00,000	..
44	Virandaban ..	..	..	3,14,616	..
		Total	..	2,92,25,242	42,50,000

DRAINAGE

Statement showing the amount of loan sanctioned to various Municipal Boards for execution of their drainage schemes out of the funds received from the Government of India during the year 1955-56 and 1956-57 under the National Water Supply & Sanitation Programme during the First Five-Year Plan Period.

Sl. no.	Name of Municipal Board	Amount of loan sanctioned during 1955-56	Amount of loan sanctioned during 1956-57
		Rs.	Rs.
1	Agra	5,60,697	..
2	Allahabad	12,50,000	1,50,000
3	Aligarh	1,88,000	..
4	Banaras	6,00,000	..
5	Bahraich	1,92,000	..
6	Basti	4,12,000	.
7	Baraut	3,60,800	1,00,000
8	Dehra Dun	4,00,000	..
9	Deoria..	2,47,962	..
10	Faizabad (Ayodhya Drainage) ..	4,91,419	.
11	Hathras	5,11,000	.
12	Kanpur	30,00,000	..
13	Lucknow	21,25,000	..
14	Naini Tal	2,16,750	..
15	Orai	4,46,000	..
16	Pilkhuwa	2,73,130	..
	Total ..	1,12,74,758	2,50,000

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०४ पर।)

जिला बरेली में १९५४–५५ व १९५५–५६ में तहसीलवार सीमेन्ट वितरण की सूची :—

क्रम-सं०	तहसील का नाम			१९५४–५५	१९५५–५६
१	शहर बरेली	..	..	३,६८८	२,५५२
२	तहसील बरेली	..	..	४१८	३९८
३	तहसील फरीदपुर	..	..	३०८	२४२
४	तहसील बहेड़ी	..	..	१९८	५०४
५	तहसील आंवला	..	..	१९८	४८४
६	तहसील नवाबगंज	..	..	१९८	२४२
		योग	..	५,००८	४,४२२

१९५४–५५ का कुल योग .. ५,००८ टन

१९५५–५६ का कुल योग .. ४,४२२ टन

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०६ पर।)

तालिका 'क'

गोरखपुर जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई पक्की तथा कच्ची सड़कों की लम्बाई निम्न है:——

	मील	फर्लांग
(क) पक्की सड़कें		
१—गोरखपुर-देवरिया	१६	०
२—गोरखपुर-फरेंदा	२१	७
३—महराजगंज-निचलौल	१४	४
४—फरेंदा-नवतनवां	११	०
योग ..	६३	३
(ख) सीमेंट कांक्रीट ट्रैक्स		
१—पिपराइच-बरगाधी	३	०
२—पिपराइच-कुसमही	३	०
३—सराय गुलरिया-तुलसीदेव	३	०
४—सोनबरसा पटवा-इनार	४	०
५—फरेंदा-महाराजगंज	२	६
योग ..	१५	६
(ग) कच्ची सड़कें		
१—महाराजगंज-फरेंदा	१८	३
२—निचलौल-महाराजगंज	१५	२
३—नवतनवां-तुर्ताबारी निचलौल	३	३
४—निचलौल-सिसवाबाजार, ५—मोहनपुर-फरेंदा, ६—मोहनपुर-कोल्ही-नवतनवां	२२	०
योग ..	५९	०

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना में कोई कच्ची अथवा पक्की सड़क नहीं बनाई गई।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०५ पर।)

तालिका 'ख'

गोरखपुर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जाने वाली पक्की तथा कच्ची सड़कों की लम्बाई निम्न है:—

	मील	फर्लांग
(क) चालू योजनाओं के अन्तर्गत		
सी० सी० ट्रैक्स		
१—सिसवा-शिवदत्त-छपरा	३	
२—सिसवा-हवेली	२	०
३—बिशनपुर-बहादुर-पकरी	६	०
४—सराय-गुलरिया-तुलसीवेव	२	०
५—पिपराइच-कुसमही	३	०
६—पिपराइच-बरगवी	२	०
७—फरेंदा-महाराजगंज	१	२
८—बेला-कसिया	४	०
९—सोनबरसा-पटवा-इनार	२	४
१०—चौरी चौरा-मोती पाकर	२	५
योग	२८	३
कच्ची सड़कों को पक्का किया जाना		
१—महाराजगंज-निचलौल	१	०
२—फरेंदा-नवतनवां	१६	५
३—सिसवा-निचलौल-तुर्तीबारी	१९	०
योग	३६	५
(ख) नई योजनाओं के अन्तर्गत कच्ची सड़कों को पक्का किया जाना।		
१—चिल्लूपुर—गोलाबाजार	७	०
२—रुद्रपुर—खजनी—उरवा—गोलाबाजार	२४	०
योग	३१	०
गन्ना विकास विभाग की योजना का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाना।		
१—गुगली—शिकारपुर	२	०
२—पिपराइच—मजनानाला	७	०
३—बरवा—द्वारका—रामपुर—बांगर—भाया—बलवाघाट	४	०
४—चौरी चौरा—नकबर	५	०

५––शिकारगढ़–बुरदाना–बर्घपुर सड़क (पावहा नाला पुल के साथ)	१	०
६––कैलात हरनामपुर	•	४
७––नटवर रोड–कैम्पीयरगंज रेलवे क्रासिंग से करतारही	१	०
योग ..	२०	४

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई कच्ची अथवा पक्की सड़क नहीं बनाई जायगी ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०७ पर।)

जिला झांसी, तहसील महरौनी व ललितपुर में स्थित वनों की सन् १९५२-५३ से १९५६-५७ तक का आय और व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

तहसील	५२-५३	५३-५४	५४-५५	५५-५६	५६-५७	५२-५३	५३-५४	५४-५५	५५-५६	५६-५७
	आय		(रुपयों में)			व्यय		(रुपयों में)		
ललितपुर	१,८०,३६७	३,१६,६४४	३,२०,८५२	२,७८,३२८	२,६६,०१०	४०,२०८	६२,३२२	७४,१४४	६६,६६२	७५४९६
महरौनी	६२,३१२	१,४१,०७४	११९८०१	१,२८,२७७	१,०५,५५१	२६,०६५	२७,२७१	२७,११३	३५,२५०	३०,७१३

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०८ पर।)

जिला आजमगढ़ की विभिन्न तहसीलों में खोली गई सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की सूची

क्रम-संख्या	तहसील	दुकानों की संख्या
१	सदर	२५
२	लालगंज	३५
३	फूलपुर	३३
४	मुहम्मदाबाद	२६
५	सकड़ी	३४
६	घोसी	२८
	योग ..	१८१

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५११ पर।)

जौनपुर शहर की सस्ते गल्ले की दूकानें

क्रम-संख्या	दुकानदार का नाम और पता	नियुक्ति की तिथि	स्थान
१	—श्री देवराज सिंह, जगदीश पट्टी, जौनपुर	८–६–५६	लाइन बाजार
२	—श्री महावीर प्रसाद राम प्रसाद, जौनपुर	८–६–५६	जौनपुर शहर
३	—श्री जगन्नाथ प्रसाद परमेश्वरी प्रसाद सुटहटी	८–६–५६	सुटहटी जौनपुर
४	—श्री रामबाबू रामचन्द्र, राशमंडल	८–६–५६	राशमंडल, जौनपुर
५	—श्री तिलकधारी कालेज, कोआपरेटिव स्टोर	११–१०–५६	तिलकधारी, कालेज
६	—कन्जूमर कोआपरेटिव स्टोर सब एरिया सी० जौनपुर।	१–६–५६	सदर चुंगी, जौनपुर
७	— ,, ,, ,,	१५–६–५६	जोगियापुर
८	—श्री तबकीर हसन मु० फारूक मुलना टोला	३–१०–५६	पुरानी बाजार, जौनपुर
९	—श्री बाबूलाल कचौड़ी लाल, रिजवी खां	८–१०–५६	रिजवी खां, जौनपुर
१०	—श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल, नखाश	८–१०–५६	नखाश, जौनपुर
११	—श्री आनन्द स्वरूप श्रीवास्तव, हुसेनाबाद	१०–६–५६	ओलन्दगंज, जौनपुर
१२	—श्री जैनरायन चन्द्र प्रकाश, राशमंडल	१५–१०–५६	सुटहटी, जौनपुर
१३	—श्री इकबालुद्दीन अहमद मकदूम शाह अडहन	८–११–५६	मकदूम शाह, अडहन
१४	—श्री सन्तोष प्रसाद आदित्य प्रकाश, बलुआघाट	१२–११–५६	ढालगढ़ टोला, जौनपुर
१५	—श्री मूल नारायण श्यामकुमार, राजाबाजार	२३–११–५६	भंडारी
१६	—श्री मुफ्ती विलायत हुसन, मुफ्ती मुहल्ला	४–१२–५६	मीरमस्त, जौनपुर
१७	—श्री हरीनाथ शर्मा, राजाबाजार	२४–१२–५६	ढालगढ़े टोला
१८	—श्री सीताराम गुप्ता, मीयांपुर	२८–१२–५६	मीयांपुर, जौनपुर
	जौनपुर तहसील		
१	—श्री लाल जी, अहियापुर	२६–११–५६	जफराबाद
२	—श्री लक्षमनदास, रघुवंश प्रसाद, गौराबादशाहपुर।	५–१२–५६	गौराबादशाहपुर
३	—श्री तैय्ब जमा, अलीगंज	२२–१२–५६	नीपैड़वा
	शाहगंज तहसील		
१	—श्री हाजी वाजिद अली आबिद अली शाहगंज	३–१०–५६	शाहगंज
२	—श्री नन्दलाल विश्वनाथ, शाहगंज	१०–१०–५६	शाहगंज
३	—श्री रामभरोसे रामलखन, शाहगंज	८–१०–५६	शाहगंज
४	—श्री छोटेलाल मेवालाल, खेतासराय	१३–१२–५६	खेतासराय
५	—श्री कमाल नरायन सिंह, जमुनिया	२६–११–५६	जमुनिया
	केराकत तहसील		
१	—श्री देवदत्त गिरी, केराकत	१६–१०–५६	केराकत
२	—श्री राधेमोहन सिंह, कराकत	१२–१२–५६	केराकत

क्रम-संख्या	दुकानदार का नाम और पता	नियुक्ति की तिथि	स्थान
	मछलीशहर तहसील		
१	श्री बेनी प्रसाद गंगा प्रसाद, मछलीशहर	१६—१०—५६	मछलीशहर
२	श्री श्याम चरन दुखरन प्रसाद, सोनहिता	२१—१२—५६	सोनहिता
३	श्री लक्ष्मीचन्द, मीरगंज	२८—१२—५६	मीरगंज
४	श्रीमंजूर अहमद, मुंगराबादशाहपुर	५—१०—५६	मुंगराबादशाहपुर
५	श्री राममूर्ति गुप्ता	१०—१०—५६	मुंगराबादशाहपुर
	मड़ियाहूं तहसील		
१	श्री सरदार जैराम सिंह, मड़ियाहूं	१७—१०—५६	मड़ियाहूं
२	श्री बृजकिशोर कौशलपति, मड़ियाहूं	२२—१०—५६	मड़ियाहूं
३	श्री राधेश्याम शिवशंकर, जमालापुर	१३—१२—५६	मड़ियाहूं

नत्थी 'ज'

(वाक्य तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१३ पर।)

जिला हरदोई

जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों तथा आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में १ जनवरी, १९५७ से ३१ मार्च, १९५७ तक के आये हुए, निर्णय किये हुए तथा शेष मुकदमों की सूची

न्यायालय का नाम	१ जनवरी, १९५७ तक शेष	आये हुये मुकदमे १ जनवरी, १९५७ से ३१ मई, १९५७ तक	कुल योग	निर्णय किये गये	ट्रांसफर किये गये दूसरी अदालतों को	३१ मई, १९५७ तक शेष
१—जुडीशल मैजिस्ट्रेट १	१८४	१९०	३७४	१७१	६१	१४२
२— " " २	१५०	२२८	३७८	१५३	२०	२०५
३— " " ३	१९७	२५७	४५४	१९२	७८	१८४
४—श्री बी०सी० पांडेय, आनरेरी मैजिस्ट्रेट	..	१४४	१४४	३८	१	१०५
५—श्री बी०डी० पांडेय, आनरेरी मैजिस्ट्रेट	..	२१६	२१६	७८	१	१३७
६—श्री आर०एफ० द्विवेदी, आनरेरी मैजिस्ट्रेट	..	२०३	२०३	४८	..	१५५
७—श्री एस०एस० अटल, आनरेरी मैजिस्ट्रेट	२४	६०	८४	५१	३३	
८—श्री सफातुल्ला किरमानी, आनरेरी मैजिस्ट्रेट	..	४६६	४६६	८२	१	३८३
९—कुंवर शिवराज बहादुर, आनरेरी मैजिस्ट्रेट	१५	२३८	२५३	१९९	..	५४
१०—श्री डी० बी० सिंह, आनरेरी मैजिस्ट्रेट	१५३	१२२	२७५	६८	१	२०६
११—श्री भगवती प्रसाद मिश्र, आनरेरी मैजिस्ट्रेट	६७	२६९	३३६	१६७	२	१६७
योग	७९०	२,३९३	३,१८३	१,२४७	१९८	१,७३८

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२१ पर।)

नैनीताल जिला बोर्ड को दिये गये सरकारी अनुदानों की सूची

	१९५५–५६	१९५६–१९५७
	रु०	रु०
१—शिक्षा (क) आवर्त्तक	४,६४,७४१	५,१९,४९०
(ख) अनावर्त्तक	१७,१७९	३५,९००
२—चिकित्सा (पाश्चात्य पद्धति)		
(क) आवर्त्तक	२३,३८०	२२,७२०
(ख) अनावर्त्तक	८,०००	३०,३१२
३—चिकित्सा (भारतीय पद्धति)		
(क) आवर्त्तक	१,२१५	१,२१५
४—सड़कें (क) आवर्त्तक	३४,३३८	३४,३३८
(ख) अनावर्त्तक	६,०००	४०,०००
५—अन्य कार्यों के लिये		
(क) आवर्त्तक	२८१	२८१
(ख) अनावर्त्तक	१,५३,६७५	१,५०,०००
६—न्यायालयों द्वारा किये गये जुर्माने	१,०८०	१२३
७—घाटों से प्राप्त आय	४,१४४	३,२९५
८—लोकल रेट से हानि की पूर्ति के लिये	८३,२६०	७४,४६२
९—मंहगाई भत्ता		
(क) शि	३६,२४०	४९,९५३
(ख) सामान्य	१०,११९	१०,५१५
योग	८,४३,६५२	९,७२,६०४

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२१ पर।)

सूची

क्रम-संख्या	सड़क की किस्में	सड़क का नाम	लम्बाई (बलरामपुर तहसील में)	लम्बाई (उतरौला तहसील में)
			मी० फ० फीट	मी० फ० फीट
१—	गांव की कच्ची सड़कें	गैंसरी—कोटना	४—०—०	—
२—	,, ,,	गैंसरी—तुलसीपुर	८—०—०	—
३—	,, ,,	गंगौली—तुलसीपुर	१३—०—०	—
४—	,, ,,	मनकापुर—छपिया	—	१३—०—०
५—	,, ,,	बरखीकुआं—मनकापुर	—	६—२—०
६—	सीमेंट की सड़क	तुलसीपुर—उतरौला	२—१—०	—
७—	,, ,,	महेश्वरी—मेलवाघाट	३—४—०	—
८—	,, ,,	बलरामपुर—उतरौला	३—५—३३०	—
९—	स्थानीय सड़कों का पुन-निर्माण।	गोंडा—उतरौला	—	१८—०—०
१०—	,, ,,	नवाबगंज—उतरौला	—	३६—७—०
११—	,, ,,	बहराइच—बलरामपुर	९—६—६००	—
१२—	,, ,,	बलरामपुर—उतरौला	८—२—३२०	—
१३—	नई पक्की सड़के	बलरामपुर—तुलसीपुर	१७—०—०	—

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १९ एल० ए०—१९५७—७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १४ अगस्त, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३५१)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमदबख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़त सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हुसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमल कुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमणसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गफूरअली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
घनश्याम तिवारी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्र देव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती श्रीमती
चन्द्रकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तर सिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जंगबहादुरसिंह बिष्ट, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दामोदर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारदेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्म करलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री

बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादमसिंह, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्भरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धलाल, श्री
बृन्दावनदास, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगवती प्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुस्तफा, श्री
मुल्कीप्रसाद ‘हंस’, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरननेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
राम दीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री

रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायक सिंह, चौधरी
लुत्फ़अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
संग्राम सिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यदेवी रावत, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेश बहादुर, श्री

हरदयाल सिंह पिंगल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्र सिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मोलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १४ अगस्त, १९५७

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

तीन वर्ष डिग्री कोर्स की योजना के सम्बन्ध में जानकारी

**१—श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि सरकार ने ३ वर्ष डिग्री कोर्स की केन्द्र की योजना स्वीकार कर ली है? यदि हां, तो उसे कब से कार्यान्वित करने का निश्चय हुआ है?

गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी नहीं।

**२—श्री लालबहादुर सिंह (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि सरकार राज्य के कुछ इन्टर कालेजों को उपरोक्त योजना के अधीन डिग्री कालेज में परिवर्तित करने का निश्चय कर चुकी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता।

**३—श्री लालबहादुर सिंह (अनुपस्थित)—क्या इसी निश्चय के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय से इन्टर कालेजों से प्रार्थना-पत्र मांगने के लिये भी लिखा गया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता।

चकबन्दी योजना को अन्य जिलों में लागू करने के सम्बन्ध में पूछताछ

**४—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि १९५७ और १९५८ में किन-किन जिले में चकबन्दी योजना चालू की जा रही है?

माल उपमन्त्री (श्री परमात्मानन्द सिंह)—१९५७–५८ के वित्तीय वर्ष में सरकार राज्य के किसी भी नये जिले में चकबन्दी योजना लागू करने का विचार नहीं कर रही है।

श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार बतायेगी कि चकबन्दी योजना क्या स्थगित हो रही है या आइन्दा साल में चालू की जायगी?

माल मन्त्री (श्री चरणसिंह)—स्थगित बिल्कुल नहीं हो रही है। आइन्दा साल नये जिलों में जरूर चालू की जायगी।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—मंत्री जी बतायेंगे कि चकबन्दी में जो दूसरे जिलों के दोष इस सदन में रखे गये हैं क्या उन दोषों को दूर करके तब दूसरे जिलों में लागू करेंगे या जो दोष इस वक्त हैं वैसे ही चालू करेंगे?

श्री चरणसिंह—जो योजना चल रही है यही चालू की जायगी और इस योजना में जो भी दोष अब तक सामने आते रहे हैं उनमें संशोधन किया जाता रहा है।

ग्रामोन्नति सहकारी भंडार, कमाल सागर, जिला आजमगढ़ का आवेदन-पत्र

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या खाद्य एवं पूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ८ दिसम्बर, १९५६ को उनके पास जिला पूर्ति अधिकारी आजमगढ़ एवं रीजनल ग्रेन आफिसर गोरखपुर के ५ ग्रामोन्नति सहकारी भंडार कमाल सागर पो० रानपुर जिला आजमगढ़ के सहायक मैनेजर का आवेदन-पत्र इस आशय का आया है कि ए० पी० स्कीम सन् १९५० एवं १९५१ के अन्तर्गत ५९१ रु० ३ आना उक्त भंडार का शेष है क्या सम्बन्धित अधिकारियों के पास कई बार लिखा, पर कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा कौन सी कार्यवाही की गई?

न्याय उपमन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—ग्रामोन्नति सहकारी भंडार का ८ दिसम्बर सन् १९५६ ई० का पत्र सरकार को प्राप्त हुआ था। जिलाधीश, आजमगढ़ मामले की जांच कर रहे हैं और जांच पूर्ण हो जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह प्रार्थना-पत्र जिलाधीश आजमगढ़ को जांच के लिये कब भेजा गया है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह ८ दिसम्बर को प्राप्त हुआ था, उसके थोड़े दिन बाद भेज दिया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १३ जून, १९५१ को भी इस सोसाइटी से कोई प्रार्थना-पत्र इसी आशय का आया था और उसका परिणाम अभी तक कुछ नहीं हुआ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ऐसे किसी पत्र की इत्तला तो सरकार को नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश आजमगढ़ को क्या यह आदेश दे दिया गया है कि वह अमुक तिथि तक इसकी जांच समाप्त करके सरकार को रिपोर्ट दे?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सरकार चाहती थी कि इसमें जांच पहले हो जाती, लेकिन कुछ कठिनाइयां थीं और कुछ कागजात मौजूद नहीं थे या वह मिल नहीं पा रहे थे। सरकार की यह इच्छा है कि इस सम्बन्ध में जल्द से जल्द जांच हो।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस भंडार को अब तक जो रुपया नहीं दिया गया उसका कारण क्या है?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अलीजहीर)—यह मामला काफी पुराना है, १९५०–५१ का है और जब तक तहकीकात न हो जाय और यह पता न चल जाय कि किसकी कितनी जिम्मेदारी है, उस वक्त तक रुपया जाहिर है दिलाया नहीं जा सकता।

तारांकित प्रश्न

आम चुनाव के समय जिला बोर्ड आजमगढ़ के अध्यापकों का तबादला

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत आम चुनाव के अवसर पर क्या शिक्षा विभाग की ओर से जिला बोर्डों के अध्यापकों का तबादला न करने का कोई आदेश दिया गया था? यदि हां, तो जिला बोर्ड, आजमगढ़ ने उस आदेश का उल्लंघन किया है कि नहीं?

शिक्षा उप मन्त्री (श्री कैलाश प्रकाश)—जी नहीं। यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार और विभागों में आम चुनाव के अवसर पर तबादले का हुक्म नहीं दिया जाता है उसी प्रकार जिला बोर्डों में भी इस प्रकार का आदेश क्यों नहीं किया जाता है कि आम चुनाव के वक्त अध्यापकों का तबादला न किया जाय।

श्री [illegible]—बात यह है कि जिला चुनाव अधिकारी ने तो उनको लिखा कि कोई इस बीच में तबादला न किया जाय, लेकिन उन्होंने अपने [illegible] शासन का [illegible] में यह आवश्यक समझा कि कुछ लोगों के तबादले वह कर दें।

श्री मार्कण्डेय [illegible] (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की कोई शिकायत मिली है कि जिला बोर्ड के [illegible] ने कुछ मास्टरों का तबादला बड़े पैमाने पर चुनाव की दृष्टि से रख कर किया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

इलाहाबाद जिले के देहाती क्षेत्रों में आग बुझाने का स्थायी प्रबन्ध करने का सुझाव

*२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश देहाती क्षेत्रों में आग बुझाने के लिये कोई व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या?

श्री कैलाशप्रकाश—उत्तर प्रदेश के देहाती क्षेत्रों में आग बुझाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है।

*३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि इलाहाबाद जिले में जो आग देहाती क्षेत्रों में अप्रैल, १९५७ में लगी थी उनको बुझाने के लिये नगरपालिका क्षेत्र के फायर ब्रिगेड को भेजा गया था? यदि हां, तो किन-किन स्थानों में आग लगी थी और इस फायर ब्रिगेड का किन-किन स्थानों पर प्रयोग किया गया और उसमें कितना नुकसान हुआ और उसके समय से पूर्व न पहुंचने से कितनी हानि हुई?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, १६ स्थानों में आग लगी थी और हर स्थान पर

हुई

हानि हुई, क्योंकि फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद उसके कर्मचारी तुरन्त आग बुझाने का काम आरम्भ कर देते हैं और इसकी शान्ति के बाद पूरी हानि का अनुमान लगाते हैं।

*४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में आग बुझाने की शिक्षा किन-किन नगरों में दी जाती है और कितने फायर ब्रिगेड प्रदेश में काम करते हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—इस प्रदेश में आग बुझाने की शिक्षा केवल इलाहाबाद में दी जाती है, और कुल २५ फायर ब्रिगेड प्रदेश में काम करते हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि देहाती क्षेत्रों में जो आग बुझाने की अस्थायी व्यवस्था है उसको स्थायी रूप देने की कोई योजना सरकार बनायेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—चाहती तो है सरकार। उसमें पैसे का बड़ा खर्च होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई योजना ऐसी बन सके तो बड़ा अच्छा हो और हम उत्सुक हैं इसके लिए कि कुछ इस सम्बन्ध में कर सकें।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इस समय अस्थायी व्यवस्था क्या है देहाती क्षेत्रों के लिए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अस्थायी व्यवस्था का सम्बन्ध और तात्पर्य केवल इतना है कि कुछ बड़े शहरों में जहां यह सेन्टर्स हैं हमारे वह सूचना मिलने पर देहातों में भी चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ नगरपालिकाओं ने अपने यहां कर रखा है। उनसे भी सहायता मिल जाती है और कोई विशेष प्रबन्ध नहीं है देहातों के लिए।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में कई लाख मन जूट पैदा होता है, और उस जिले में म्युनिसिपैलिटी का कोई फायर ब्रिगेड नहीं है, वहां आये दिन आग लग जाती है, उसके बुझाने के लिए सरकार कोई समुचित प्रबन्ध करने पर विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष--इसी का तो जवाब दिया जा चुका है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मन्त्री इलाहाबाद में एक महीने में १६ मर्तबा आग लग जाने के बाद वहां देहाती क्षेत्र में एक शाखा खोलने पर विचार करेंगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, यह तो सुझाव है और इस सुझाव पर गवर्नमेंट विचार करेगी।

लाला बेचूलाल, निवासी ग्राम शोभापुर, थाना रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी के यहां हुई डकैती की रिपोर्ट ठीक न लिखना

*५--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम शोभापुर, थाना रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी में मार्च, १९५७ में लाला बेचूलाल के यहां डकैती पड़ी थी ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं।

*६--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या यह सही है कि उस की रिपोर्ट डकैती के स्थान पर चोरी में लिखी गयी ?

*७--सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--प्रश्न नहीं उठते।

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार इस मामले की जांच करायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--किस मामले की जांच ? इसकी जांच तो हो चुकी है।

श्री जंग बहादुर वर्मा--क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश के यहां इस डकैती के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मेरी सूचना तो यह है कि बेचूलाल जी के यहां चोरी हुई थी जिसकी रिपोर्ट स्वयं उन्होंने थाने में भेजी थी।

श्री जंग बहादुर वर्मा--क्या बेचूलाल जी ने जिलाधीश और पुलिस कप्तान को डकैती के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मेरी सूचना यह है कि बेचूलाल जी ने २८ फरवरी को प्रातःकाल ६ बजे एक स्वतःलिखित रिपोर्ट दी। उसमें उन्होंने घटना का जिक्र किया और बतलाया कि रात को चोरी हो गयी और रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि नकबजनी चोरों ने की थी। हमारे

यहां मकान खोदा जा रहा था। आवाज सुनायी पड़ी। मैं बाहर निकल कर आया। चोर भाग खड़े हुए और १ हजार की चोरी हमारे यहां हो गयी। प्रकार यह नकबजनी की रिपोर्ट थी।

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या बेचूलाल जी ने पुलिस कप्तान और जिलाधीश को यह रिपोर्ट भेजी थी कि जो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था वह पुलिस ने नही लिखा और उसके खिलाफ लिखा?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी सूचना नही है, लेकिन उनकी स्वयं लिखित रिपोर्ट पुलिस में मौजूद हैं जो लिख कर उन्होंने भेजी थी।

श्री अध्यक्ष--उसको वे चैलेंज कर रहे हैं। बाद में उन्होंने शिकायत, की इसके सम्बन्ध मे आप बतला सके तो बतला दे।

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी कोई सूचना नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मै जांच करा लूं।

रामपुर बैंक डकैती केस से सम्बन्धित कम्युनिस्ट बन्दी बग्गा सिंह की सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा मे मृत्यु

*८--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार बतायेगी कि रामपुर बैंक डकैती केस के कम्युनिस्ट राज बन्दी श्री बग्गासिंह की अचानक मृत्यु गत १३ अप्रैल, १९५७ को आगरा सेन्ट्रल जेल में हो गयी?

समाज सुरक्षा राज्य मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)--कैदी बग्गासिंह की मृत्यु स्वाभाविक रूप से गत १३-४-१९५७ को सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में हुई।

*९--श्री झारखंडे राय--यदि हां, तो क्या सरकार इस मृत्यु के ऊपर पूर्ण प्रकाश सदन में डालने की कृपा करेगी?

श्री मुजफ्फर हसन--यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि बग्गा सिंह जी को कौन सा रोग था जिससे वे मरे हैं?

श्री मुजफ्फर हसन--आखिर मे उनको इन्फेक्टिव हैपेटाइट की शिकायत हो गयी थी।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वे जेल में कब बीमार पड़े थे और अस्पताल मे कितने दिन के बाद भेजे गये थे?

श्री मुजफ्फर हसन--वे ७ नवम्बर को जेल अस्पताल में दाखिल हुए। उसी वक्त बीमार हुए होंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस स्वाभाविक रूपसे मृत्यु का तात्पर्य क्या है?

श्री अध्यक्ष--यह तो माननीय सदस्य स्वयं जानते होंगे।

[श्री नारायणदत्त तिवारी--स्वाभाविक रूप से--बीमारी से मृत्यु नहीं हुई--फिर कैसे हुई?

श्री मुजफ्फर हसन--सवाल किया गया था अचानक मृत्यु का और जवाब दिया गया है स्वाभाविक तरीके से उनकी मौत हुई, तो बीमारी तो लाजिमी है।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि वह जेल से बाहर अस्पताल में कब भेजे गये ?

श्री मुजफ्फर हुसन--७ नवम्बर को वह जेल अस्पताल में दाखिल हुए। जब वहां तशफीस नहीं हो सकी उनके मर्ज की, तो २६ दिसम्बर को मेडिकल कालिज में भेजे गये।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सूचना मन्त्री जी के पास आयी है, वह जेल विभाग की है या मेडिकल विभाग की ?

श्री मुजफ्फर हुसन--दोनों ही की हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या जेल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दग्गा सिंह की जब मृत्यु हुई है उस वक्त उनकी अवस्था क्या रही है ?

श्री मुजफ्फर हुसन--मेरे पास इसकी इत्तला नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या जेल के अस्पतालों में भी मेडिकल विभाग का नियंत्रण रहता है ?

श्री मुजफ्फर हुसन--मुझे इसकी ठीक इत्तला नहीं है, लेकिन जेल में मेडिकल विभाग के लोग जरूर काम करते है, यह सही है।

*१०--११--श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--[२८ अगस्त, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

एसोशिएटेड और एफीलिएटेड कालेजों में टू ग्रेड सिस्टम न लागू किया जाना

*१२--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार का विचार two grade system को विश्वविद्यालयों के affiliated और Associated Colleges के अध्यापकों के हेतु भी लागू करने का है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी कारण बतलायेंगे कि लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एसोशिएटेड और एफिलियेटेड अध्यापकों के लिए टू ग्रेड सिस्टम क्यों लागू नहीं करना चाहते ?

श्री कैलाशप्रकाश--एसोशियेटेड कालेज और युनिवर्सिटी में एक तो स्थानांतर है और उनके ग्रेड में भी अन्तर है, इसलिए अभी करने की जरूरत नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि टू ग्रेड सिस्टम जो कांस्टीटयुएंट कालेज हैं उनके अध्यापकों के लिए लागू किया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, युनिवर्सिटी के जो कालेज हैं, उनमें लागू हो रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि एसोशियेटेड कालिज जो हैं। वे भी युनिवर्सिटी के ही कालेज है ऐक्ट के अनुसार ?

श्री अध्यक्ष--यह तो आप कानूनी बहस कर रहे है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--वह तो ऐक्ट से मालूम हो जायगा। उन्होंने जवाब एसोशियेटेड कालेज के लिए दे दिया कि नहीं लागू करना चाहते हैं।

१९४२ के आन्दोलन में आजमगढ़ जिले में जलाये गये मकानों का मुआवजा

*१३--श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)--क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के सन् १९४२ के आन्दोलन में भाग लेने के कारण जलाये गये घरों के मुआवजे के मद में कितना धन दिया गया है?

श्री कैलाशप्रकाश--१,०८,५२० रु०। इस मद में घरों को लूटने से जो क्षति हुई उसका भी मुआवजा सम्मिलित है।

श्री मोहनलाल वर्मा--क्या मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो मुआवजे का अनुमान किया गया, यह किस के द्वारा हुआ--लेखपाल द्वारा या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१९४७-४८ की यह बात है जब कि लोक सरकार बनी थी। उसने यह घोषणा की थी कि सन् ४२ के आन्दोलन में जिन लोगों को क्षति पहुंची है उनकी सम्पत्ति अथवा घर, जो लूटे गये और जलाये गये हैं, उनकी क्षतिपूर्ति करेगी। तो जो इसके शिकार हुये थे उन्होंने अपनी दरख्वास्तें दीं और फिर इसके बाद इस पर जांच हुई। उस वक्त कलेक्टर वगैरह ने पूरी रिपोर्ट वगैरह मंगवाई। जिन लोगों ने दरख्वास्त दी थी उनके सबूत हुए, उसके बाद रकमें मुआवजे की तय हुई और मुआवजा दिया गया।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन दरख्वास्तों में कुछ दरख्वास्तों पर जिला कांग्रेस कमेटी की जांच और उनकी सिफारिश पर भी मुआवजा दिया गया?

श्री अध्यक्ष--यह १०-१२ वर्ष की बात बता रहे हैं, उसके बारे में अब क्या कहा जा सकता है।

श्री झारखंडेराय--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सूची उनके पास है उसके अनुसार कितने व्यक्तियों को मुआवजा आजमगढ़ जिले में मिला है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मेरे पास जो सूची है, उसके अनुसार दस आदमियों को मुआवजा मिला और रकम सब मिलाकर एक लाख कुछ हजार थी।

*१४--राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--[१ अगस्त, १९५७ को प्रश्न संख्या १०१ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया]।

जालौन जिले में डी० एस० पी० (कम्प्लेंट) द्वारा किये गये कार्य

*१५--राजा वीरेन्द्रशाह--जिला जालौन में एन्टी करप्शन आफिसर ने १९५५-५६ में कितने प्रार्थना-पत्रों पर जांच की और कितनों को सही पाया और कितने मामले नहीं साबित हुये, जो मामले सही पाये गये उनमें क्या सजा दी गयी?

श्री कैलाशप्रकाश--जिला जालौन में डी० एस० पी० (कम्प्लेंट) ने फरवरी १, १९५६ (विभाग की स्थापना की तिथि) से दिसम्बर ३१, १९५६ तक ८२ शिकायती पत्रों में छान बीन की। इनमें से २६ में लगाये गये आरोप आंशिक अथवा पूर्णरूप से सही पाये गये। सम्बन्धित अधिकारियों को जो सजा दी गयी उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७०४ पर।)

श्री मोहनलाल वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनको कम्प्लेंट आफिसर कहा जाता है या ऐन्टी करप्शन आफिसर कहा जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह कम्प्लेंट आफिसर ही कहलाते हैं।

श्री मोहनलाल वर्मा---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनको नान-गजटेड आफिसर की शिकायतों की जांच करने का अधिकार है या गजटेड आफिसर की भी शिकायतों की जांच कर सकते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरा ख्याल है कि नान-गजटेड आफिसर्स की ही जांच करते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कम्प्लेंट्स जाते हैं कम्प्लेंट आफिसर्स के पास तो वह डिपार्टमेंटल आफिसर्स की इजाजत के बिना जांच करते हैं ?

श्री अध्यक्ष---जालौन के बारे में सवाल पूछा है, उससे यह उठता नहीं है।

राजा वीरेन्द्र शाह---जो रिपोर्ट दी गयी है उससे सरकार उनके कार्य से सन्तुष्ट है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---अगर सरकार असन्तुष्ट होती तो सरकार आपको पहले ही बतला देती।

श्री मोहनलाल वर्मा---क्या सरकार गजटेड आफिसर्स की शिकायतों की जांच के लिये कोई योजना बनाने के लिए तैयार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---योजना तो है ही। कहीं शिकायत होती है तो जांच के जो तरीके हैं, उनसे जांच होती है।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन वाकआत में उन्होंने तहकीकात की वे डिपार्टमेंटल आफिसर्स के द्वारा आये थे या स्वयं उन्होंने लिये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इतनी तफसील तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जो शिकायती-पत्र आये थे, उनकी उन्होंने जांच की और कार्यवाही की।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रार्थना-पत्र आये थे वह नान-गजटेड आफिसर्स के खिलाफ थे या कुछ गजटेड आफिसर्स के भी खिलाफ थे ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न उठता नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न गजटेड आफिसर्स के लिए नहीं था।

पुलिस कान्स्टेबिलों एवं हेड कान्स्टेबिलों की यूनियन, अधिक कार्य के लिए भत्ता तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में पूछताछ

*१६---श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कांस्टेबिलों एवं हेड कांस्टेबिलों को अपनी यूनियन बनाने से वंचित कर रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी नहीं।

*१७---श्री गौरीशंकर राय---क्या पुलिस मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कांस्टेबिलों एवं हेड कांस्टेबिलों से ८ घन्टे प्रतिदिन से अधिक सरकारी काम लिया जाता है? यदि हां, तो अधिक समय का क्या कोई भत्ता दिया जाता है?

श्री कैलाश प्रकाश---ऐसा हो सकता है। एक समय में आठ घंटे से अधिक कार्य करने का कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता, किन्तु यदि नागरिक अथवा सशस्त्र कांस्टेबिल या हेड कांस्टेबिल जो आकस्मिक ड्यूटियों में, जैसे झगड़े तथा अन्य नागरिक उथल-पुथल में अधिक समय तक ड्यूटी पर रहते हैं उन्हें मुफ्त भोजन अथवा उसके स्थान पर एक रुपया चार आना प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से भोजन भत्ता दिया जाता है।

*१८---श्री गौरीशंकर राय---क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस सब-इन्स्पेक्टरों के चुनाव में कितने प्रतिशत पुलिस सब-इन्स्पेक्टर कान्सटेबिलों एवं हेड कांस्टेबिलों में से लिये जाते हैं?

श्री कैलाश प्रकाश---सब-इन्स्पेक्टर (सिविल पुलिस) के चुनाव में ४० प्रतिशत व्यक्ति कांस्टेबिलों तथा हेड कांस्टेबिलों में से लिये जाते हैं। सब-इन्स्पेक्टर (आर्म्ड पुलिस) के चुनाव के लिये यह आदेश दे दिया गया है कि अब से ५ वर्ष तक ५० प्रतिशत जगह हेड कांस्टेबिलों तथा कांस्टेबिलों के लिये सुरक्षित रखी जायें तथा ५० प्रतिशत जगहों में बाहर से भर्ती की जाय।

श्री गौरीशंकर राय---क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई यूनियन है और है तो कब से?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस प्रदेश में अब ऐसी कोई यूनियन नहीं है। पहले थी फिर वे उसको चला नहीं सके तो वह बन्द हो गयी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने पुलिस के कर्मचारियों या सिपाहियों के एसोसिएशन को मान्यता दे रखी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैंने निवेदन किया कि पहले एक एसोसियेशन उनका बना हुआ था। कई वर्षों से वे स्वयं उसको चला नहीं सके लिहाजा वह है नहीं। अगर यह प्रश्न उठे तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि पुलिस कांस्टेबिलों ने सरकार से इस प्रकार के एसोसियेशन को चलाने की मांग की है और उस पर सरकार ने विचार करना मंजूर किया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी सूचना मुझे नहीं है।

श्री प्रताप सिंह---जो मंत्री जी ने अभी बताया कि पहले कांस्टेबिलों की एक यूनियन थी, तो क्या उसको सरकार ने मान्यता दी थी?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जब वह थी तो किसी न किसी प्रकार सरकार की स्वीकृति से रही होगी नहीं तो चलती कैसे?

श्री गेंदा सिंह---क्या गृह मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि जो यूनियन उनकी टूट गयी है वह फिर बने और उसको प्रोत्साहन दिया जाय?

श्री कमलापति त्रिपाठी---वह प्रश्न उपस्थित हो तो देखें कि उसके बनाने वाले कौन हैं और क्या मामला है, तब फैसला करेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार के पास इस तरह की कोई शिकायतें आयी है कांस्टेबिल या हेड कांस्टेबिल की कि यूनियन बनाने के कारण उनको विक्टिमाइज किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी कोई शिकायत अभी तक मेरे पास नहीं आयी है।

श्री झारखंडेराय—क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि जो सब-इन्स्पेक्टर्स लिये जाते हैं उनमें कुछ प्रतिशत इलेक्टेड लिये जायं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई ब्रेन वेव आ जाय तो ऐसा विचार सरकार कर सकती है नहीं तो पुलिस की सर्विस में भी एलेक्शन हो ऐसा कोई विचार है नहीं।

गोरखपुर जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन

*१९—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बतायेगी कि गोरखपुर जिले में कितने राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शनें दी जाती हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—८१ व्यक्तियों को मासिक पेंशन, ३ को आवर्त्तक अनुदान तथा २३ को एकमुश्त सहायता स्वीकृत की जा चुकी है।

*२०—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर के कुछ राजनीतिक पीड़ितों ने जिन्हें पेन्शनें दी जाती हैं, अपने महंगाई के भत्ते को बढ़ाने के लिये प्रार्थना की है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या किया ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, परन्तु प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गई, क्योंकि १ अप्रैल, सन् १९५५ से ३९ रु० तक मासिक पेन्शन पाने वालों के महंगाई भत्ते उनकी पेन्शन में शामिल कर दिये गये हैं।

*२१—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार ने गोरखपुर जिले के चौरीचौरा काण्ड के दंडित व्यक्तियों को राजनीतिक पीड़ित नहीं माना है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश—माना गया है।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में जिन लोगों को पेंशनें दी जाती हैं उनमें कितनों को ३९ रुपये मासिक से कम दी जाती है ?

श्री कैलाश प्रकाश—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री केशव पांडेय—क्या सरकार जिन लोगों को ३९ रुपये मासिक से कम पेंशन दे रही है उनकी पेंशनें बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२० रुपये कम से कम है और अधिक से अधिक ७५ रुपये है। यह दरें निर्धारित हैं। इसी के बीच में लोगों को पेंशनें दी जाती हैं। अगर कोई ऐसे मामले आते हैं कि जिनमें प्रार्थना की जाती है और मुनासिब समझा जाता है तो बढ़ा भी दी जाती है। इसमें ही हमने बढ़ाया भी है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी के पास सूचना है कि चौरीचौरा कांड के कितने पीड़ितों को कोई सहायता अथवा पेंशनें दी जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—खासतौर से पता लगाने के लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री केशव पांडेय—क्या सरकार इस बात का उत्तर देगी कि चौरीचौरा के राजनीतिक बन्दियों ने पेंशन पाने के लिये जो प्रार्थना-पत्र दिया था किन कारणों से वह दफ्तर में रिजेक्ट कर दिया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—रिजेक्ट करने के तो एक दो कारण होते हैं जैसे रिपोर्ट ही पूरी न रही हो, लेकिन किस कारण से हुई उसका पता जरूर लगा लूंगा।

राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का सुझाव

*२२—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार समस्त राजनीतिक पीड़ितों को यह सुविधा देने का विचार रखती है कि उनके बालकों से कोई शिक्षा-शुल्क न लिया जाय?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार ने इस मामले पर विचार तो किया था पर धनाभाव के कारण ऐसा करना संभव प्रतीत नहीं हुआ।

*२३—श्री देवनारायण भारतीय (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले से सम्बन्धित कोई ऐसी तालिका तैयार कराई है कि कितने व्यक्तियों ने राजनीतिक आन्दोलन में जेल यातना भोगी अथवा जुर्माना की सजा पाई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

मुलजिमों का थाने से चालान के समय खर्च खूराक

*२४—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुल्जिमों को थाने से चालान के समय सिर्फ आठ आने फी मुल्जिम पूरे दिन की खुराक के लिये दिये जाते हैं?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, मैदानी क्षेत्रों में पूरे दिन की खूराक के लिए आठ आने दिये जाते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों की दरें निम्नलिखित हैं :—

	रु०	आ०	पा०
१—चमौली (जिला गढ़वाल) में	१	०	०
२—लैन्सडाउन में	०	१४	०
३—अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में	०	१२	०

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मैदानी क्षेत्र में जो ८ आना दिया जाता है उसको यह समझ कर कि कम है, सरकार १ रुपया खूराक का देने की कृपा करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अवश्य विचार करेगी। जो भी मुनासिब सुझाव होते हैं सरकार उन पर विचार करेगी।

श्री शिव प्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसा क्यों है? क्या उन स्थानों पर भूख अधिक लगती है अथवा इन स्थानों में महंगाई और सस्ते का भेदभाव है?

श्री कैलाश प्रकाश—उन स्थानों पर चूंकि महंगाई ज्यादा है, इसलिये यह रखा गया है।

*२५—श्री गनेशचन्द्र काछी—[हटा दिया गया।]

*२६–२७—श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल—[२८ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

इटावा जिले में पुलिस कांस्टेबिलों की भर्ती में परिगणित जाति के व्यक्तियों का न लिया जाना

*२८—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६ में तथा १९५७ में ३० जून तक इटावा जिले में कितने पुलिस कांस्टेबिलों की भर्ती हुई? उनमें पिछड़े वर्ग और परिगणित जातियों के लोगों की संख्या क्रमशः क्या है?

श्री कैलाश प्रकाश—सन् १९५६ में इटावा जिले से ५१ कांस्टेबिल भर्ती किये गये, जिनमें से १६ पिछड़े वर्ग के और १ परिगणित जाति का है। सन् १९५७ में ३० जून तक इटावा जिले में कोई कांस्टेबिल भर्ती नहीं किया गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि परिगणित जातियों के ९ या १० व्यक्तियों के बजाय केवल एक ही व्यक्ति क्यों लिया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे तो रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि जो योग्यताएं आपने बना रखी हैं कान्स्टेबिलों की भर्ती के लिये, शरीर सम्बन्धी तथा शिक्षा सम्बन्धी, उनके हिसाब से आदमी नहीं मिल पाते, यही कारण है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात के लिये अपना समाधान कर लिया है कि उनके पास जो रिपोर्ट आई है वह सही है? जो प्रार्थना-पत्र आये थे उनमें इस योग्यता के ८, ९ व्यक्ति नहीं थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी कोई जांच तो मैंने नहीं की, लेकिन सरकार का इरादा यह जरूर है कि इस बात की कोशिश की जाय कि परिगणित जाति तथा पिछड़े वर्ग के लोग जितनी अधिक से अधिक तादाद में मिल सकें इसके लिये वह अवश्य लिये जायं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार निश्चित रूप से इस मामले की जांच कराने की कृपा करेगी कि इटावा की इन नियुक्तियों के लिये योग्य व्यक्ति थे या नहीं? या उनको न लिये जाने के और कोई कारण थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, पूछ लूंगा और माननीय सदस्य चाहेंगे तो उनको सूचना भी भेज दूंगा इस बारे में।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सेकुलर राज्य में यह जातियों के आधार पर भर्ती क्यों की जाती है?

श्री अध्यक्ष—यह तो बहुत पुराना सवाल है। आपने फिर उसे आज पूछा।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या परिगणित जाति के लोगों को वह इन भर्तियों में कोई एक्जेम्पशन देने जा रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—एक्जेम्पशन का सवाल तो उठता नहीं है, क्योंकि शारीरिक योग्यता, कांस्टेबिल वगैरह का काम ऐसा है कि जिसमें आवश्यक समझी जाती है और जो उसमें मिल जाय वह लिया जाय। इस बात की कोशिश की जायगी। इसमें जाति का सवाल नहीं है। किसी भी जाति का हो जिसकी शारीरिक योग्यता उस प्रकार की नहीं है जिस प्रकार की आवश्यक है कांस्टेबिल होने के लिये तो वह नहीं लिया जायगा और जिनकी वैसी योग्यता होगी उनको ले लिया जायगा। इस बात पर अवश्य ध्यान दिया जायगा कि इस जाति के लोगों को अधिक से अधिक तादाद में लिया जाय।

स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की पेंशन मिलने में विलम्ब

*२६—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकर यह बतने की कृपा करेगी कि क्या उसने गत १५ जून तक स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों से पेन्शनों के लिये प्रार्थना-पत्र मांगे थे ? यदि हां, तो अभी तक कितने प्रार्थना-पत्र आये हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, प्रार्थना-पत्र लेने की अवधि ३ बार बढ़ाई गई और अब ३० सितम्बर, १६५७ अन्तिम तिथि रखी गयी थी।

*३०—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या यह बात ठीक है कि सरकार ने राजनीतिक पीड़ित विभाग इसलिये खोला है कि स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों की पेन्शनों तथा सहायता के लिये आने वाले प्रार्थना-पत्रों का शीघ्र ही निर्णय हो ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां।

*३१—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त विभाग को वह बन्द करने वाली है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां।

श्री लक्ष्मणराव कदम—जब कि सरकार ने गृह विभाग का काम बढ़ जाने की वजह से यह विभाग खोला है तो क्या इस सम्बन्ध में पुनः विचार करने की कृपा करेगी ताकि स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों के प्रार्थना-पत्रों पर शीघ्रता से निर्णय हो सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—निर्णय तो शीघ्र होना चाहिये और हो रहा है। अगर कहीं कोई विलम्ब होता हो तो माननीय सदस्य उसकी सूचना दें। यह मैं देख लूंगा कि क्यों विलम्ब हो रहा है।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—क्या सरकार का यह खयाल है कि गत दो वर्षों में जो व्यवस्था बर्ती गयी है उसके अनुसार ही उसमें शीघ्रता हो जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया कि कहीं किसी मामले में अगर विलम्ब हुआ हो और उसकी शिकायत मिले तो उसको देख लिया जायगा कि क्यों विलम्ब हो रहा है। दो वर्ष पूरे नहीं हुये। १३ हजार दरख्वास्तें ली गयीं और किसी एक निश्चित तिथि पर दरख्वास्तें नहीं आयीं। अवधि समाप्त हो रही है और दरख्वास्तें बराबर आती रहती हैं। इसलिये इसकी अवधि बढ़ानी पड़ी है। ३ हजार के करीब दरख्वास्तों पर फैसला हुआ है। बाकी विचाराधीन है। ५, ६ हजार दरख्वास्तें अस्वीकृत की गयी हैं। इन कारणों से ऐसा तो नहीं लगता कि विलम्ब हो रहा है किसी खास मामले की सूचना मिले तो उसको मैं देखूं।

श्री केशव पांडेय—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि वहां कई दरख्वास्तें कई बार गायब हो चुकी हैं। उनके लिये बराबर नई नई दरख्वास्तें देनी पड़ी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे तो इसकी सूचना नहीं है। माननीय सदस्य ने दी होती तो हमने उसकी खोज करा ली होती।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—क्या गृह मंत्री जी को यह ज्ञात है कि स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों को जेल का सर्टीफिकेट प्राप्त करने में अधिक कठिनाई हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, मालूम है। इसीलिये अब यह निर्णय किया जा चुका है कि अगर विधान सभा के दो सदस्य यह लिख दें कि यह हमारे साथ जेल में रहा है और हम जानते हैं तो उसको मन्जूर कर लिया जायगा।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--क्या सरकार को यह भी मालूम है कि यह सब कुछ हो जाने के बाद सरकार लेखपाल और कानूनगो से उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में जांच कराती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--किसी एक केस के बारे में यह बात होगी अगर कोई और हो तो बतलाया जाय। ऐसी जनरल केसेज में, कानूनगो से कोई जांच नहीं करायी गयी।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस विभाग को क्यों तोड़ा जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह कोई विभाग नहीं है और न स्थायी विभाग हो ही सकता है। यह काम खत्म होने के बाद टूटना चाहिये भी। जन्म जन्मान्तर तक राजनीतिक पीड़ित या स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक नहीं रहेंगे।

श्री गेंदासिंह--जिन्हें विधान सभा के सदस्यों के साथ जेल में रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ हो उनके लिये क्या होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह तो माननीय सदस्य जानते ही हैं कि फलां व्यक्ति जेल में रहा या नहीं उसे लिख सकते हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्रीजी को विदित है कि पेंशन स्वीकृत हो जाने के बाद भी उन्हें रुपया मिलने में काफी देर होती है। यदि हां, तो क्या वह जल्दी रुपया दिलाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--यह इससे नहीं उठता है, लेकिन अगर माननीय मंत्री जी सूचना देना चाहें तो वे सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--उसकी विधि यह है कि ए० जी० के यहां से मंजूरी आती है फिर ट्रेजरी को सूचना दी जाती है ताकि वहां से वह आदमी रुपया ले ले इसमें कुछ विलम्ब होता होगा, लेकिन कोशिश जल्दी से रुपया देने की की जायगी।

ग्राम बढ़वारी मांग, जिला खीरी में फसल कटवाकर उठा ले जाने की घटना

*३२--श्री मन्नालाल (जिला खीरी)--क्या यह सत्य है कि ग्राम बढ़वारी मांग, परगना मोहम्मदी, जिला खीरी में १९ मार्च, सन् १९५७ को भूतपूर्व जमींदारों द्वारा फसल कटवाकर जबरदस्ती उठा ले जाने की कोई घटना हुई थी ?

श्री कैलाश प्रकाश--जबरदस्ती फसल काटने के सम्बन्ध में श्री ज्ञान आत्मज लोकई ने एक रिपोर्ट लिखवाई थी।

*३३--श्री मन्नालाल--यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाश प्रकाश--इस घटना की जांच पुलिस द्वारा की गई, चूंकि श्री इन्द्र विक्रम सिंह, भूतपूर्व जमींदार ने अदालत से आदेश प्राप्त करने के पश्चात् भूमि तथा फसल पर। दखल लेकर फसल कटवाई थी, इसलिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। विपक्षीगण ने अदालत के इस आदेश के विरुद्ध एक दरख्वास्त दी है जो कि विचाराधीन है।

श्री मन्नालाल—क्या दखल लेने के लिये काश्तकारों को कोई नोटिस दिया गया था या अदालत में मुकदमा चलने की कोई सूचना उन्हें मिली थी ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह अदालती कार्यवाही थी, लेकिन सूचना यह है कि एक पक्ष की खारिज की गई ।

ग्रामीण स्त्रियों को प्रौढ़ शिक्षा योजना के अन्तर्गत शिक्षा देने की व्यवस्था

*३४—श्री भूपकिशोर (जिला एटा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्रामों में रहने वाली स्त्रियों को प्रौढ़ शिक्षा स्कीम के अनुसार शिक्षा दिलाने की वह व्यवस्था कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों का वेतन सम्बन्धी कथित पत्र-व्यवहार

*३५—श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों का वेतन-क्रम बढ़ाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेशीय सरकार से हाल ही में पत्र-व्यवहार किया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं ।

गोरखपुर जिले में धरमौली, बरगदवा व बरगदाही की डकैतियां

*३६—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जिले की गत मास (मई, १९५७) की सशस्त्र डकैतियों में धरमौली और बरगदवा में कत्ल किये गये श्री देवनन्दन, इब्राहीम तथा हसन के परिवारों के भरण-पोषण के लिए सरकार की तरफ से भत्ते इत्यादि की कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां तो कितनी रकम की व्यवस्था मासिक या वार्षिक ?

श्री कैलाश प्रकाश—इन व्यक्तियों के परिवारों को मासिक पेंशन दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

*३७—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार को मालूम है कि बरगदाही ग्राम में जहां सशस्त्र डकैती हुई है वहां चार आग्नेयास्त्रों (fire-arms) के होते हुये भी उनका प्रयोग रक्षा के निमित्त या डाका रोकने के निमित्त नहीं हुआ ? यदि हां, तो ऐसे आग्नेयास्त्रों के मालिकों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये ?

श्री कैलाश प्रकाश—इस संबंध में जांच की जा रही है। जिसके पूरी होने पर उचित कार्यवाही की जावेगी ।

श्री मदन पांडेय—क्या सरकार बतावेगी कि यह विचार कब तक समाप्त होगा ?

श्री कैलाश प्रकाश—जब कागजात आ जावेंगे और उन पर विचार हो चुकेगा, तो समाप्त हो जायगा ।

श्री मदन पांडेय—ऐसे मामलों में मासिक पेंशन निर्धारित करने में किन-किन बातों पर विचार किया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी पूरी तफसील तो मेरे पास नहीं है, सूचना मिलने पर मंगा दूंगा ।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन डकैतियों में अब तक कितने लोगों का चालान किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--३७ वां प्रश्न तो यह है कि फायरआर्म्स वालों ने उनका प्रयोग नहीं किया। उसकी जांच हो रही है। जैसे ही जांच पूरी होकर आवेगी, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री मदन पांडेय--क्या इन डकैतियों में शहीद हुए लोगों के परिवारों के भरण-पोषण के लिये सरकार विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसके बारे में उत्तर दिया जा चुका है, लेकिन और डकैतियों में भी जहां लोग इस प्रकार से जीवन का उत्सर्ग करते हैं उनके परिवारों की पत्रम् पुष्पम् जो कुछ हो सकता है सरकार की ओर से सेवा की जाती है।

इटावा जिले में पुलिस के दारोगों और दीवानों का अधिक समय तक तबादला न होना

*३८--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में कितने ऐसे पुलिस के दारोगा तथा दीवान हैं जिन्हें जिला इटावा में ही पांच साल से अधिक समय हो गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश--१५ सब-इंस्पेक्टर तथा २७ हेड कांस्टेबिल सिविल पुलिस (दीवान) ऐसे हैं जो ५ साल से अधिक से इटावा जिले में तैनात हैं।

*३९--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने ऐसे पुलिस दारोगा और दीवान इटावा जिले में हैं, जिन्हें तीन साल से ज्यादा समय एक ही थाने में रहते हो गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश--केवल एक ऐसा सब-इंस्पेक्टर है और ऐसा हेड कांस्टेबिल (दीवान) नहीं है, जिसको तीन वर्ष से ज्यादा समय एक ही थाने में रहते हो गया है।

श्री मोहनलाल वर्मा--इसका क्या नियम है कि एक सब-इंस्पेक्टर एक जिले में कितने दिन रह सकता है ?

श्री कैलाश प्रकाश--साधारणतया ६ साल तक रह सकता है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या एक सब-इंस्पेक्टर एक थाने में ३ साल से अधिक इनचार्ज नहीं रह सकता है ?

श्री कैलाशप्रकाश--यह सामान्यतः सही है।

श्री शिवप्रसाद नागर--जहां सब-इंस्पेक्टर को ६ साल से अधिक, ८ या १० वर्ष हो गये हैं, क्या सरकार उनको स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष--जब उन्होंने साधारणतया कह दिया है तब यह सवाल नहीं उठता।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि साधारणतया ३ साल तक रहते हैं तो क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे, जिनकी वजह से उनको वहां ३ साल से अधिक रक्खा जा सकता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--शासन और जनहित की आवश्यकता पर उनको ३ साल से ज्यादा रक्खा जा सकता है।

श्री मार्कंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जब कोई सब-इंस्पेक्टर थाने पर या जिले में अवधि से ज्यादा रक्खा जाता है तो क्या जिले से सरकार के पास कोई रिपोर्ट आती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा ध्यान इस बात की ओर गया है कि बहुत से सब-इंस्पेक्टर्स बहुत से जिलों में काफी दिनों से पड़े हुए हैं। जितनी अवधि होनी चाहिये उससे ज्यादा दिनों से पड़े हुए हैं। आई० जी० का भी ध्यान इस ओर गया है। इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं कि एक जिले में ६ वर्ष से अधिक दिनों से जो सब-इंस्पेक्टर्स पड़े हुए हैं उनका तबादला करें।

*४०–४२—श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फ़ैजाबाद)—[२८ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*४३–४५—श्री रामसुन्दर पांडेय—[२८ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*४६—श्री गनेशचन्द्र काछी—[२८ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

उन्नाव नगर में बारातियों पर पुलिस अत्याचार

*४७—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या गत ८ जून को उन्नाव नगर में कुछ यात्रियों पर जो एक किराये की लारी में सवार थे, पुलिस द्वारा मारपीट की गई थी ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां।

*४८—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस मारपीट के अवसर पर पुलिसमैनों के अतिरिक्त जिन्होंने मारपीट की, और कौन पुलिस अधिकारी मौजूद थे ?

श्री कैलाश प्रकाश—मारपीट के समय कोई पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं था। एस० पी० व डी० एस० पी० मार पीट समाप्त होने पर पहुंचे।

*४९—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त मारपीट का घटनास्थल डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस उन्नाव का बंगला था ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी मारपीट के कारणों को बताने की कृपा करेंगे और यह भी कि इन यात्रियों को सुपरिटेंडेंट के बंगले पर कौन ले गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, इस प्रकार का एक प्रश्न हमारे दूसरे आदरणीय सदन में भी हुआ था और उसका वहां उत्तर भी दिया जा चुका है। वास्तव में उन्नाव जिले में यह एक ऐसी घटना हुई है, जिस पर मुझे स्वयं बड़ा दुःख है और मैंने दूसरे सदन में भी अपने ये विचार प्रकट किये थे कि हमें दुःख भी है और इसकी लज्जा भी है कि इस प्रकार की घटना कोई हमारे सूबे में हो और जिसके आधार हमारे कांस्टेबिल हों।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

बात यह थी कि एक बारात एक लारी में आ रही थी। दो पुलिस कांस्टेबिल रास्ते में मिले और उन्होंने लारी में बिठाने के लिये कहा। बारातवालों ने बस को किराये पर कर [illegible] उनको बिठा लिया। जब वे बैठ गये तो ऐसा अंदाजा लगा कि वे शराब पिये हुए हैं। उनके साथ जो एक आदमी था उसके हाथ में एक शराब की बोतल भी थी। इस पर उन्होंने एतराज किया और कहा कि इनको उतार दो। इस पर कांस्टेबिलों ने जो नशे में थे, नाराजगी जाहिर की। बस के ड्राइवर ने कहा कि अब थोड़ी दूर रह गया है, बने रहने दीजिए। इसी बीच कांस्टेबिलों ने शराब के नशे में गालियां देनी शुरू कीं। इस पर बारातवालों ने तय किया कि इस वक्त तो इनको बैठे रहने दो। शहर में जब डी० एस० पी० का बंगला पड़ेगा, इनको पकड़ा देंगे। डी० वाई० एस० पी० के सामने कहेंगे कि इन कांस्टेबिलों ने शराब पी है और बदतमीजी की है। बहरहाल, जब डी० वाई० एस० पी० के बंगले के पास बस पहुंची तो बारात वालों ने बस को रोकवाया कि इनको कोतवाल के पास ले जाकर हाजिर करें। उनको लेकर वे बंगले के कम्पाउण्ड के भीतर पहुंचे, लेकिन बदकिस्मती से उस समय कोतवाल मौजूद नहीं थे, वे क्लब में थे और रात के ८ बजे का समय था, एस० पी० भी वहीं थे। बारात वाले जब कांस्टेबिल्स को लेकर वहां गये तो उन्होंने आवाज भी लगायी कि कोतवाल साहब अन्दर हों तो चले आवें, कुछ ने दरवाजे भी खटखटाये कि अगर डिप्टी साहब भीतर हों तो उनसे भेंट कर लें। दो कांस्टेबिलों को उन्होंने अपने हाथों में पकड़ रखा था। उन कांस्टेबिलों ने यह देख कर कि ये तो हमको कोतवाल साहब के बंगले के अन्दर ले ही आये हैं और अब उनके सामने हाजिर भी कर देंगे तो वे जोर लगाने लगे और कोशिश करने लगे कि यहां से भाग जायं। तब तक उनका नशा भी कुछ कम हो चुका था। बारात वालों ने उनको जबर्दस्ती पकड़ रखा था और कह रहे थे कि तुमको कोतवाल साहब के सामने हाजिर करेंगे। उस समय डिप्टी साहब के बंगले पर दो अर्दली थे, रात के ८ बजे का वक्त था। उन अर्दलियों ने देखा कि ये १०, १५, २० आदमी हैं, जिन्होंने दो कांस्टेबिलों को पकड़ रखा है, जिनसे छुटकारा पाने की वे कोशिश कर रहे हैं और धक्कमधुक्की भी कर रहे हैं। इससे वे कुछ घबड़ाये तो एक अर्दली वहां से भागा और जाकर क्लब में पहुंचा जो नजदीक ही था और दूसरा अर्दली भाग कर पुलिस लाइन में पहुंचा जो नजदीक ही थी। उनको ऐसा कुछ खयाल हुआ कि इन लोगों ने दो कांस्टेबिल्स को भी पकड़ रखा है और डिप्टी साहब को भी बुला रहे हैं तो शायद वे कोई आक्रमण वगैरह करना चाहते हैं। बहरहाल, वे अर्दली जब वहां पहुंचे तो एक ने डी० वाई० एस० पी० और एस० पी० को खबर दी कि १५, २० आदमी डिप्टी साहब के बंगले पर चले आये हैं और उन लोगों ने दो कांस्टेबिलों को भी पकड़ रखा है। उधर जो अर्दली पुलिस लाइन में गया था, उससे यह सुन कर कि डिप्टी साहब के बंगले पर दो कांस्टेबिलों को कुछ लोगों ने पकड़ रखा है, पुलिस लाइन से कुछ लोग डंडे लेकर आये और आकर उन लोगों ने बारात वालों को बिना समझे बूझे मारना पीटना शुरू कर दिया, डंडे चलाना शुरू कर दिया। उधर क्लब से एस० पी०, डी० वाई० एस० पी० और ए० डी० एम० तीनों आदमी एक साथ मोटर में बैठ कर बंगले में आये। उनके आने में ५,७ मिनट की देर लगी। इतनी देर में वहां डंडे वगैरह की मार से ५,७,१० आदमियों को चोट लग गयी थी, कुछ बाहर भी भागे। पुलिस वालों को भी कुछ ढेले लगे, एकाध की अंगुलियों में भी चोट लगी थी। जब ये अफसरान आये और एस० पी० ने पूछा कि मारपीट क्यों हुई, इस पर बस वालों ने और बारात वालों ने उन्हें सूचना दी कि इस तरह से यह झगड़ा हुआ। उन्होंने उन कांस्टेबुलों को भी गिरफ्तार कर लिया और जिन लोगों को चोट आयी थी उनको अपनी जीप में अस्पताल भेज दिया। उन

दोनों अर्दलियों को भी अनियमित और असावधान खबर देने के कारण सस्पेंड कर दिया। इस प्रकार चार पांच आदमी इस मामले में सस्पेंड हुये हैं। अब इसमें एक यह सवाल रहा हुआ और वहां पर लोग यह कह रहे थे कि जब डी० वाई० एस० पी० साहब वहां आये तो उन्होंने यह कहा कि इनको मारो। इस बात की जांच हमने करायी है, आई० जी० से, डी० आई० जी० से और कलेक्टर से भी करायी है। मैंने खुद भी इस सम्बन्ध में बातचीत की। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह दुर्घटना हुई, जैसा मैंने आपसे कहा कि यह लज्जाजनक थी, लेकिन यह कहना कि एस० पी० ने या किसी ने सब लोगों को मारने पीटने के लिये कहा, इससे कोई फायदा नहीं निकलता, यह मुझे अतिरंजन सा लगा। इससे यह बात स्पष्ट है कि इसमें कम से कम एस० पी० और डी० वाई० एस० पी० का कोई दोष नहीं था।

मैं स्वयं इस मामले में अपनी जितनी जानकारी कर सकता था वह मैंने की और उससे मुझे इतना आश्वासन हुआ कि यह बात तो गलत है कि एस० पी० या डी० वाई० एस० पी० ने आकर मारने पीटने की बात की, लेकिन यह बात सही है कि पुलिस वालों ने बस रोकी और गालियां दीं, और वह लोग वहां सड़ ही आये ऐसे आदमियों को डी० वाई० एस० पी० के जिम्मे करें, लेकिन लाइन में अन्दर देना, या उन पर डंडे चलाना और किसी को चोट पहुंचाना ये ऐसी घटनायें हैं कि जिन पर मैं ही नहीं बल्कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सारे पुलिस वाले बड़े दुःख और लज्जा का अनुभव करते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने जो स्वयं जांच-पड़ताल का आदेश दिया था, उसमें श्री विशम्भर दयाल त्रिपाठी एम० पी० और उन्नाव के प्रतिष्ठित कार्यकर्ताओं और वकीलों ने जो आरोप लगाया था डी० वाई० एस० पी० और एस० पी० के बारे में, उनसे भी जांच पड़ताल की गई या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जितना मैं कह चुका उस से ज्यादा तो मैं नहीं कहना चाहता, केवल इतना ही फिर दोहराता हूं कि मैंने व्यक्तिगत रूप से जो जांच पड़ताल की उस से मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि इसमें एस० पी० और डी० वाई० एस० पी० का कोई हाथ नहीं था।

(श्री भगवती सिंह तथा कुछ अन्य सदस्य प्रश्न पूछने के लिए खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष--अब प्रश्नों का समय तो समाप्त हो चुका है। समय का अतिरेक हो गया है, आपको पूरक प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिला तो आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न करना चाहें तो मैं उनकी इजाजत दे दूंगा। इस समय चूंकि मंत्री जी ब्यौरे से जानकारी देना चाहते थे इसलिये मैंने उनको अधिक समय दे दिया।

देवरिया में समाजवादी सत्याग्रहियों पर कथित पुलिस आक्रमण

*५०--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया में १० मई, १९५७ से प्रारम्भ होने वाले सत्याग्रह में भाग लेने वाले समाजवादी सत्याग्रहियों पर पुलिस द्वारा आक्रमण किये जाने के फलस्वरूप कितने सत्याग्रही घायल हुये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पुलिस द्वारा देवरिया जिले के समाजवादी सत्याग्रहियों पर कभी भी किसी प्रकार का आक्रमण नहीं किया गया।

*५१--कुंवर श्रीपाल सिंह--[२८ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

गांधीउच्चतर माध्यमिक विद्यालय, समोदपुर, जिला जौनपुर को केन्द्र से सहायता

*५२--कुंवर श्रीपाल सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल समोदपुर जिला जौनपुर को राज्य सरकार की सिफारिश पर पैंतीस हजार रुपया केन्द्र से दिया गया है, यदि हां ? तो यह सिफारिश किस आधार पर की गई और किस काम के लिये ?

नोट--तारांकित प्रश्न ४९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, समोदपुर को केन्द्रीय सरकार द्वारा पैंतीस हजार रुपया रिक्रियेशन हाल कम आडिटोरियम (Recreation Hall cum Auditorium) के निर्माण के लिये मिला था। सहायता के लिये भारत सरकार ने जो शर्तें रक्खी थीं उनको जो भी संस्थाएं पूरा करने को तैयार थीं उनके आवेदन-पत्र भारत सरकार को विचारार्थ भेज दिये गये थे और उन्हीं में इस विद्यालय का भी आवेदन पत्र था।

*५३-५५---श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)---[२८ अगस्त, १६५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५६---श्री रामस्वरूप वर्मा---[३० जुलाई, १६५७ को प्रश्न ५८ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

जौनपुर जिले में कत्ल व डकैतियां

*५७---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में १ जनवरी, १६५६ से ३० जून, १६५७ तक कितनी डकैतियां तथा कितने कत्ल हुए?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस बीच ६ डकैतियां पड़ीं तथा २७ कत्ल हुए।

रामबरन डाकू की मृत्यु के पश्चात् घटनास्थल पर नोट और सोना मिलना

*५८---श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती)---क्या पुलिस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रामबरन डाकू जो परसरामपुर थाने के अन्तर्गत तथा गोंडा और बस्ती जिले में आंतक फैलाये हुये था, जब पुलिस की गोली का शिकार हुआ तब उसके पास कितने रुपये बरामद हुये? क्या यह भी सच है कि रामबरन डाकू के मरने के ४ महीने बाद उस स्थान पर नोट का बण्डल और कुछ सोना मिला है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---रामबरन डाकू की मृत्यु के समय कोई धन बरामद नहीं हुआ था। उसकी मृत्यु के लगभग सात माह के उपरान्त घटनास्थल के मलवे से १२ फटे हुये दस-दस रुपये के करेन्सी नोट, कुछ नोटों के टुकड़े तथा एक सोने की फोंफी (नाक का आभूषण) जिसका वजन २ १/४ माशा था, मिली थी।

*५६-६०---श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)---[२८ अगस्त, १६५७ के लिये स्थगित किये गये।]

बुलन्दशहर जिले में कत्ल व डकैतियां

*६१---श्री जगबीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर जिले में पिछले वर्ष यानी १ जनवरी, १६५६ से ३१ दिसम्बर, १६५६ तक कितनी डकैतियां व कत्ल हुए?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस अवधि में बुलन्दशहर जिले में १२ डकैतियां व ३० कत्ल हुए।

हिन्दी परामर्शदात्री समिति के पुनः संगठन पर विचार

*६२---श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हिन्दी परामर्शदात्री समिति का पुनः संगठन किस प्रकार होगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह मामला शासन के विचाराधीन है।

*६३--श्री विश्राम राय--क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि प्रचलित देवनागरी लिपि में सुधार किस प्रकार करने का उसका विचार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--विषय विचाराधीन है ।

*६४--श्री नारायणदत्त तिवारी--[२८ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में सहायता देने के लिए समिति बनाने का सुझाव

*६५--श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का स्टैट्यूट बनने के पूर्व वह कोई कमेटी बनाने का विचार कर रही है जो विश्वविद्यालय सम्बन्धी कार्यों में प्रगति लाने के लिये उप-कुलपति को सहयोग दे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सरकार ने इस सम्बन्ध मे अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया ।

*६६--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--[२८ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

खीरी जिले के पलिया थाने की पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*६७--श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सूरमा थाना पलिया जिला खीरी के थारुओं ने कुछ मास पूर्व पलिया जिला खीरी के थाना इंचार्ज के विरुद्ध रिश्वत की जो दरख्वास्त पुलिस मंत्री को दी थी और जिसकी जांच Dy. S. P. (कंप्लेंट) खीरी कर चुके है उस सम्बन्ध मे क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पलिया थाने के दारोगा को मुअत्तल करके उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही शुरू करने के लिये आदेश जारी किये गये हैं ।

*६८--श्री बंशीधर शुक्ल--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि दरख्वास्त देने वालों को इंचार्ज थाना पलिया ने डराया, धमकाया और उजाड़ देने की धमकी दी, जिसकी सूचना ग्रामवासियों ने एक शिष्ट मंडल द्वारा गत २ मई, १९५७ को पुलिस मंत्री को दी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां । ऐसी सूचना शिष्ट मंडल ने दी थी, लेकिन इस आरोप की सत्यता के विषय में सरकार के पास कोई विशेष सूचना नहीं है । संभव है ऐसा हुआ हो । दारोगा के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

देवरिया जिले में क्षय रोग पीड़ित पुलिस सिपाही

*६९--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ मे देवरिया पुलिस में कितने सिपाही क्षय रोग से पीड़ित थे और उनके उपचार की कौन सी व्यवस्था की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--देवरिया जिले मे १९५६-५७ में पुलिस के दो सिपाही क्षय रोग से पीड़ित हुये थे । उन दोनों सिपाहियों का उपचार पुलिस अस्पताल में किया गया और वे अब रोगमुक्त हो चुके है ।

प्रति विद्यार्थी राजकीय तथा सहायता प्राप्त स्कूलों पर व्यय

*७०---श्री प्रताप सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि इस प्रदेश में राजकीय व सरकारी सहायता प्राप्त (aided) स्कूलों के विद्यार्थियों पर प्रति विद्यार्थी सरकार द्वारा कितना खर्च किया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

विद्यालय	राजकीय विद्यालय के प्रति विद्यार्थी पर सरकार द्वारा किया गया व्यय	साहाय्यिक विद्यालय के प्रति विद्यार्थी पर सरकार द्वारा किया गया व्यय
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में	१६१.५ रु० प्रति वर्ष	२७.१ रु० प्रति वर्ष
पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में	५३.८ रु० प्रति वर्ष	१४.७ रु० प्रति वर्ष

प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण

*७१---श्री प्रताप सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण किस आधार पर होता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---प्राइमरी कक्षाओं की पुस्तकें शिक्षा विभाग ने विशेषज्ञों से लिखवाई हैं। जूनियर हाई स्कूल की पुस्तकें सरकारी गजट में राजकीय विज्ञप्ति द्वारा आमंत्रित की जाती है और समीक्षकों की सम्मति के आधार पर चुनी जाती है।

मुजफ्फरनगर कलेक्टरेट के क्लर्क श्री राजेन्द्रसिंह की शिकार खेलते समय मृत्यु

*७२---श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि गत १२ मार्च, १९५७ को मुजफ्फरनगर जिले के कलेक्टरेट का क्लर्क श्री राजेद्रसिंह सहारनपुर जिले के लाल धाज जंगल में शिकार खेलते हुए प्रातः १०--३० बजे मारा गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां। यह घटना १३ मार्च, १९५७ को हुई थी।

*७३---श्री अहमद बख्श---क्या गृह-मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस शिकार पार्टी में कहां-कहां के व्यक्ति शामिल थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर के।

*७४---श्री अहमद बख्श---क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि इस मामले की छानबीन की क्या कार्यवाही अभी तक की गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---पुलिस तथा सी० आई० डी० द्वारा अभी जांच जारी है।

फैजाबाद जिले के थाना कोतवाली में हत्याओं तथा थाना जलालपुर में डकैतियों की अधिकता

*७५---श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि फैजाबाद जिले के किस थाने में १ अप्रैल, १९५६ से लेकर ३१ मार्च, १९५७ तक---

(१) सब से ज्यादा हत्याएं हुई ?

(२) सब से ज्यादा डकैतियां हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—फैजाबाद जिले में १ अप्रैल, १९५६ से ३१ मार्च, १९५७ तक थाना कोतवाली में सबसे अधिक हत्याएं और थाना जलालपुर में सबसे अधिक डकैतियां हुईं।

गोरखपुर जिले में निचलौल तथा कोठीभार थानों के अन्तर्गत अपराध

*७६—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार यह बतायेगी कि गोरखपुर जिले के निचलौल तथा कोठीभार थाने के अन्तर्गत इस वर्ष में कितनी चोरियां, डकैतियां हुईं तथा उनमें से कितनों का पता लगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मांगी हुई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७०५ पर)

गोरखपुर जिले में ग्राम वासियों को डाकू सरदार के धमकी भरे पत्र

*७७—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार को यह मालूम है कि गोरखपुर जिले की महराजगंज तथा फरेंदा तहसीलों में तथा कथित डाकू सरदार के धमकी भरे पत्र निचलौल थाने के अन्तर्गत हरदी पिपरा, काजी का कपियाटोला, देउरवा, ठूठीबारी और राजाबारी तथा महराजगंज थाने के अन्तर्गत पनेवा पनेई और महराजगंज के कुछ लोगों को मिले हैं, जिन में एक निश्चित अवधि में चावल और रुपये एक निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचने पर डकैतियां डालने की धमकी दी गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसे धमकी भरे पत्र निचलौल थाने के अन्तर्गत ग्राम कुनउरी, सती, हरदी, पिपरा काजी टोला, कपियां, ठूठीबारी, जगदौर, बेथउलिया, देवला तथा जमई पंडित एवं महराजगंज थाने के अन्तर्गत पनेवा पनेई तथा ओरांटार ग्रामों में प्राप्त हुए थे।

गोरखपुर जिले के कोठीभार थाने की पुलिस द्वारा सीमेंट पकड़ना

*७८—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार को मालूम है कि गोरखपुर जिले के कोठीभार थाने की पुलिस ने ६४ बोरा अवैध सीमेंट, जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग का बताया जाता है, कब्जे में की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोठीभार थाने की पुलिस ने ६४ बोरा सीमेंट ५ व्यक्तियों के घर से अवैध समझकर बरामद की थी, परन्तु जांच करने पर वह अवैध प्रतीत नहीं हुई। सार्वजनिक निर्माण विभाग से उस सीमेंट का कोई सम्बन्ध नहीं था, बल्कि जिन के घर से निकला उन्हीं का था।

वाराणसी के बेनियाबाग में पुलिस दंगल के अवसर पर दंगा

*७९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १५ अप्रैल, १९५७ को वाराणसी के बेनियागांव में पुलिस दंगल के अवसर पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरा विवरण सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—लाठी चार्ज नहीं किया गया, पर पुलिस ने विजेता से मिलने के लिए उत्तेजित जनता की भीड़ को हाथों द्वारा रोकने का प्रयत्न किया था। इस सिलसिले में उन्हें कहीं-कहीं अपने "बैटन" का भी प्रयोग करना पड़ गया था। घटना का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७०६ पर)

आजमगढ़ जिले में राजकीय प्राइमरी स्कूलों को भवन निर्माणार्थ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सहायता न मिलना

*८०--श्री विश्रामराय--क्या सरकार कृपया बतायेगी आजमगढ़ जिले में कितने ऐसे राजकीय प्राइमरी स्कूल हैं, जिन्हें भवन निर्माण के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत एक हजार रुपया प्रति स्कूल सहायता जिला बोर्ड द्वारा अब तक नहीं दी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--केवल ६२।

शाहजहांपुर जिले के परौर थाने में फूलसिंह हवालाती की मृत्यु

*८१--श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार को ज्ञात है कि गत जून, १९५६ में जिला शाहजहांपुर के परौर थाने के अन्दर थानेदार ने एक हवालाती को जान से मार डाला था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। सरकार को ज्ञात है कि एक फूलसिंह नामक हवालाती मई, सन् १९५६ में थाना परौर, जिला शाहजहांपुर में मर गया।

*८२--श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार हवालाती की हत्या के कारणों पर प्रकाश डालेगी और इस सम्बन्ध में श्री एस० डी० एम० जलालाबाद की रिपोर्ट हाउस की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--हवालाती की मृत्यु की रिपोर्ट से सरकार पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं है और इस विषय में कमिश्नर रोहिलखण्ड डिवीजन को जांच सुपुर्द कर दी गयी है। आगे की कार्यवाही उनकी रिपोर्ट आने पर की जायगी। चूंकि कमिश्नर इस में आगे जांच कर रहे है, ऐसी दशा में एस० डी० एम० की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना जनहित में नहीं होगा।

टाउन हायर सेकेण्डरी स्कूल मुहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़ में फ्लड शेल्टर न बन सकना

*८३--श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टाउन हायर सेकेण्डरी स्कूल, मुहम्मदाबाद, गोहना, जिला आजमगढ़ में फ्लड शेल्टर निर्माण करने के लिए गत वर्ष कितना रुपया स्वीकृत हुआ था और वह फ्लड शेल्टर अब तक क्यों नहीं निर्मित हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त फ्लड शेल्टर के लिए गत वर्ष १,३०० रुपया जिला निर्माण विभाग द्वारा रक्खा गया था।

फ्लड शेल्टर के निर्माण का कार्य स्कूल के द्वारा ही हो रहा है। चूंकि इसके मेहराब पूर्ण नहीं हो पाये थे, अतः फ्लड शेल्टर निर्माण नहीं हो सका था।

मुरादाबाद जिले में धारा १०९ व ११० सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत चालान

*८४--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में वर्ष १९५५ व १९५६ में कुल कितने चालान धारा १०९ व ११० सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत किये गये और उन में से कितने अदालतों द्वारा प्रमाणित हुए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१९५५ में धारा १०९ के अन्तर्गत २४९ चालान किये गये, जिनमें २१० अदालतों द्वारा पाबन्द हुए तथा धारा ११० में ४९ चालान किये गये, जिनमें से ४५ पाबन्द हुए।

१९५६ में धारा १०९ में ३०८ चालान किये गये, जिनमें से १७९ पाबन्द हुए तथा धारा ११० में ५४ चालान किये गये जिन में से २९ पाबन्द हुए।

*८५---श्री महीलाल---क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के चालान किये गये, उनमें से कितने ऐसे थे जिन के घरों पर आजीविका के साधन थे और उससे पहले अन्य धाराओं के अन्तर्गत दण्डित भी नहीं हुए थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---वर्ष १९५५ में केवल ३ व १९५६ में ७१ ही व्यक्ति ऐसे थे।

मथुरा जिले में खैराल रूपनगर खादर क्षेत्र में जंगलात के कारण डकैतियां

*८६---श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)---क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले की तहसील छाता में खैराल रूपनगर जहां जमुना जी का खादर है, जंगलात द्वारा एक बड़ा क्षेत्र घिर गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां।

*८७---श्री रामहेत सिंह---क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के आस-पास कई डकैती पिछले महीने में पड़ चुकी है। यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र को जंगलात से मुक्त करने का सरकार का विचार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, एक रात्रि में ६ घरों में डकैतियां पड़ीं। इस क्षेत्र को जंगलात से मुक्त करने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि यह जंगल संरक्षण योजना के अधीन लगाये गये हैं और बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

खीरी जिला बोर्ड के अध्यापकों को वेतन न मिलने की शिकायत

*८८---श्री मन्नालाल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी के जिला बोर्ड के अध्यापकों को माह फरवरी से अप्रैल, सन् १९५७ का वेतन क्यों नहीं दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जिला बोर्ड, खीरी के अध्यापकों को फरवरी से अप्रैल सन् १९५७ का वेतन दिया जा चुका है।

*८९---श्री मन्नालाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड, बी० टी० सी० अध्यापकों का वेतन ४० रु० तथा जे० टी० सी० अध्यापकों का वेतन ४५ रु० और ६० रु० है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं।

जालौन जिले में विलीन क्षेत्र के स्कूलों के अध्यापक

*९०---राजा वीरेन्द्र शाह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में विलीन क्षेत्र के स्कूलों के अध्यापक किस शर्त पर लिये गये, स्थाई या अस्थायी तथा उन के कार्यकाल का समय क्या माना गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अध्यापकों को उनके भूतपूर्व राज्य की सेवा से सेवा निवृत्त करा कर जिला बोर्ड, जालौन में पुनः नियुक्ति दी गयी है। अब ये अध्यापक जिला बोर्ड में अस्थायी रूप से पुनः नियुक्त सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी माने जायेंगे। इनका कार्यकाल वही होगा जो जिला बोर्ड के अन्य अध्यापकों का होता है।

शिक्षा शुल्क न लेने के सम्बन्ध में कथित आदेश

*९१---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)---क्या यह सत्य है कि शिक्षा संचालक ने एक सर्क्युलर द्वारा प्रदेश में यह आदेश दिया था कि ऐसे विद्यार्थी जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय पोजीशन में उत्तीर्ण हों, उनसे शिक्षा शुल्क न लिया जाय ? यदि हां, तो यह आदेश कब जारी किया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--नहीं।

प्रश्न नहीं उठता

इटावा जिले में डकैतियां

*९२--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में मार्च, १९५६ से मार्च, १९५७ तक कितनी डकैतियां पड़ीं और कितने डकैत पकड़े गये?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस अवधि में २८ डकैतियां पड़ीं और इस सम्बन्ध में कुल २९१ व्यक्ति पकड़े गये थे।

*९३--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या जितने डकैत पकड़े गये उनमें सभी को सजा हुई या कुछ छोड़े गये? यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं। कुछ छोड़े भी गये। ६५ व्यक्ति तो यथेष्ट प्रमाण न मिलने के कारण पुलिस द्वारा धारा १६९ सी० आर० सी० पी० के अन्तर्गत छोड़ दिये गये। ३३ न्यायालयों द्वारा छोड़े गये। शेष में से ३९ दण्डित हुए और १५४ पर अभी मुकदमे चल रहे हैं।

आगरा म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा नियुक्त विज्ञान अध्यापकों का हटाया जाना

*९४--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार जांच करके यह बतायेगी कि आगरा म्युनिसिपल बोर्ड के शिक्षा विभाग द्वारा १९५५ में दो विज्ञान अध्यापकों की जिस नियुक्ति को जिला विद्यालय निरीक्षक ने डिसअप्रूव (disapprove) कर दिया था उनके सम्बन्ध में क्या हुआ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--चुनाव अवैध होने के कारण उन अध्यापकों को उनके पद से ११ सितम्बर, १९५६ को हटा दिया गया था।

*९५--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वे नियुक्तियां बिना विज्ञापन की गई थीं तथा सरकारी नियमों के विरुद्ध थीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

आजमगढ़ जिले में बाढ़पीड़ित क्षेत्र के छात्रों को सहायता

*९६--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के कितने छात्रों को क्या-क्या सहायता दी गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना एकत्रित की जा रही है।

*९७--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सगड़ी तहसील में विभिन्न शिक्षा संस्थाओं को बाढ़ पीड़ित सहायतार्थ कितनी धनराशि किस-किस रूप में दी गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्राइवेट स्कूलों के अस्थायी अध्यापकों को गर्मी की छुट्टियों से पहले हटा देने की शिकायत

*९८--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार के पास यह शिकायतें आई हैं कि प्राइवेट स्कूल्स और कालेजों के अस्थायी अध्यापकों को गर्मी की छुट्टी प्रारम्भ होने के कारण नोटिस दिये गये कि उनकी नौकरी गत पहली मई से समाप्त हो गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना एकत्रित की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

सहारनपुर जिले के अब्दुल्ला ग्राम की डकैती

१--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत १४ मई, १९५७ को संध्या समय सहारनपुर जिले के अब्दुल्ला ग्राम में पड़ी हुई डकैती के सिलसिले में कितने लोग मरे, कितने घायल हुए और कितनों की सम्पत्ति का अपहरण हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१४ मई को तो नहीं, किन्तु ११/१२ मई, १९५७ की रात को ग्राम अब्दुल्लापुर, थाना बिहारीगढ़, जिला सहारनपुर में एक डकैती पड़ी। उसमें तीन व्यक्ति मारे गये और चार व्यक्ति डाकुओं द्वारा घायल हुए। इस डकैती में २०,६३४ रु० ४ आ० की संपत्ति, जिसमें २०,००० रु० नकद भी सम्मिलित है, लूटी गई।

विश्वविद्यालय अनुदान समिति के पुनस्संघटन पर विचार

२--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष तथा मंत्री के पदों को वह वैतनिक करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नहीं है। इस प्रदेश में विश्वविद्यालय अनुदान समिति थी, जिसके अध्यक्ष का पद अवैतनिक था तथा मन्त्री का पद वैतनिक था। इस समिति का कार्य-काल ३१ मई, १९५७ को समाप्त हो चुका है। नई समिति के पुनस्संघटन पर विचार किया जा रहा है।

पाकिस्तान से छिपे रूप में सोने का व्यापार करने वालों के खिलाफ कार्यवाही

३--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पाकिस्तान से छिपे रूप में सोने का व्यापार करने वाला कोई गिरोह राज्य में काम कर रहा है। यदि हां, तो उन्हें पकड़ने के लिये उसने कौन सा उपक्रम किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसे किसी गिरोह की तो सूचना नहीं, मगर जुलाई, १९५६ में जिला मुजफ्फरनगर के कुछ व्यक्ति अमृतसर चेकपोस्ट पर पकड़े गये थे और उनके पास से सोना बरामद हुआ था। मई सन् १९५७ में अलीगढ़ में एक सराफ पकड़ा गया था जिसके पास से कुछ सोना बरामद हुआ था जो Smuggled कहा जाता है। इस सम्बन्ध में कुल कार्यवाही केन्द्रीय एक्साइज विभाग द्वारा की जाती है।

४--श्री गज्जूराम--[अस्वीकार किया गया।]

ललितपुर डिवीजन में डकैतियों से धन-जन की हानि

५--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५६-५७ के बजट वर्ष में ललितपुर डिवीजन में कहां-कहां कितने डाके पड़े और उनमें कितना माल व नकद रुपया गया तथा कितने आदमी डाकुओं द्वारा मारे गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मांगी हुई सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७०७ पर)

थानों पर काम करने वाले मेहतरों का वेतन

६--श्री उग्रसेन--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में थानों पर काम करने वाले मेहतरों का वेतन-क्रम क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उत्तर प्रदेश में थानों पर काम करने वाले मेहतरों का वेतन-क्रम इस प्रकार है :--

(१) जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर काम करते हैं रु० २७--१/२--३२ रु०।

(२) जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से बाहर काम करते हैं रु० २२--१/२--२७ रु०।

राजकीय विद्यालय देवरिया के प्रधानाचार्य के प्रस्तावित आवास-स्थान की भूमि

७--श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय विद्यालय देवरिया (बालक) के प्रधानाचार्य के प्रस्तावित आवास स्थान (क्वार्टर) की भूमि का हस्तान्तरण पुलिस विभाग से क्यों न हो सका ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस भूमि की पुलिस विभाग को स्वयं आवश्यकता है।

कानपुर में श्री जगदीश अवस्थी के विरुद्ध मुकदमा

८--श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर में श्री जगदीश अवस्थी (वर्तमान संसद् सदस्य) को २३ सितम्बर, १९५६ को धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार करने के बाद उन पर अभी तक कोई मुकदमा प्रारम्भ नहीं किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--श्री जगदीश अवस्थी के विरुद्ध मुकदमा धारा १८८ के अन्तर्गत न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री मलिखान सिंह द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--श्री मलिखान सिंह जी ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है, लेकिन वह बिल्कुल १० बजकर ५९ मिनट पर जब मैं यहां आ रहा था मुझे दिया गया और उसकी दूसरी नकल भी जो आई वह बाद में भेजी गई, इसलिये मैं आज इसको नहीं ले सकता क्योंकि आज न तो इसको मैं पढ़ पाया और न माननीय मंत्री महोदय के पास ही भेजा गया। अगर मैंने इसकी आवश्यकता समझी तो अगले रोज जब सदन बैठेगा और माननीय सदस्य दोबारा उसका नोटिस भेज दें तो उस पर विचार हो जायगा।

श्री मलिखान सिंह (जिला अलीगढ़)--अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आवश्यक प्रश्न है। दो आदमियों ने भूख हड़ताल कर रखी है इसलिये आप. . .

श्री अध्यक्ष--वहां भूख हड़ताल हो रही है, लेकिन आप को इतने दिन बाद भी १० बज कर ५९ पर याद आई यह ताज्जुब की बात है।

श्री मलिखान सिंह--अब तो ५ दिन की छुट्टी हो रही है।

श्री अध्यक्ष--५ दिन की छुट्टी के बाद भी विचार हो सकता है और मंत्री जी तो कहीं नहीं जा रहे हैं, आप उनसे मिल सकते हैं।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंगठन) (संशोधन) विधेयक, १९५७

शिक्षा उपमन्त्री (श्री कैलाश प्रकाश)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संगठन) (संशोधन) विधेयक, १९५७ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७०८—७०९ पर)

आजमगढ़ जिले में अभिकथित भुखमरी के विषय में अन्न मन्त्री का वक्तव्य

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, अभी परसों जो कामरोको प्रस्ताव मैंने पेश किया था उसमें आपने माननीय खाद्य मंत्री से कुछ बातें जानने की कृपा की थी। मैं जानना चाहूंगा कि भुखमरी के बारे में जो मैंने इत्तला दी थी उसके विषय में मंत्री जी ने क्या सूचना प्राप्त की है?

श्री अध्यक्ष—पिछले दिन माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इसके बारे में जांच करके सूचना देवेंगे तो वह अनुदान पेश करने के पहले सूचना सदन को दे दें, ताकि लोगों को आसानी हो और उनके वक्तव्य पर भी वह टीका टिप्पणी कर सकें।

*खाद्य मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, वह सूचना मेरे पास आ तो गई है, लेकिन इस समय तो मेरे पास खाली बजट लिटरेचर ही है, वह सूचना नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो इत्तला मिली है, मालूम यह हुआ कि वह शख्स कोई चार रोज से बीमार था। उसको ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रासी की गालिबन बीमारी थी। कोई चार दिन से उसकी हालत ज्यादा खराब हो गयी थी। उसका लड़का मौजूद है और भी लोग हैं खानदान में और उसके पास कुछ खेती भी है। इससे मालूम यह हुआ कि जब वह मरा तो काफी उसके घर में अनाज भी था। जो उसका क्रिया कर्म किया गया उसमें धूम से पैसा भी खर्च किया गया। कोई इसका सवाल नहीं भुखमरी है या क्या है। इस तरह से ऐसे जो भी सवाल आये हैं करीब-करीब हर एक में यही पता चला है। यह भी मालूम हुआ कि कुछ लोग लड़के के पास गये और यह भी उन्होंने ख्वाहिश की कि तुम इस बात पर दस्तखत कर दो कि तुम्हारा बाप भुखमरी से मरा है। लड़का जो है उसका नाम बसन्त है। वह पढ़ा लिखा है। उसने इससे बिल्कुल इन्कार किया और उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा बाप भुखमरी से मरा है, यह वाकया के खिलाफ है। उसकी उम्र ४५ साल की थी। और ८ अगस्त को वह मरा है। यह जरूर है कि मौजे में कुछ झगड़ा चल रहा था एम्प्लायर और एम्प्लाईज में। उस सिलसिले में स्ट्राइक भी हो रही थी। उसी स्ट्राइक के सिलसिले में उसने काम पर जाना बन्द कर दिया था। उसके बाद चार दिन से उसकी हालत ज्यादा खराब हो गयी थी।

१९५७—५८ के लिए आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—विभिन्न अनुदानों के लिए समय-विभाजन

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९५७—५८ के अनुदानों के लिए प्रस्ताव होंगे।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, १४, २० और २१ अगस्त के लिए जो अनुदान रखे गये हैं उनके सम्बन्ध में मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि अनुदान संख्या ५ और १५ आज लिये जायं। अनुदान संख्या २९ को २० अगस्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गौरीशंकर राय]

को पूरे दिन। अनुदान संख्या २६ को २१ अगस्त को लिया जाय। बाकी अनुदान असाधारण व्यय, राज्य व्यापार की योजनाएं, राज्य आबकारी, स्टाम्प, रजिस्ट्री, मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय, कृषि इंजीनियरिंग, इन सब को बिना बहस के पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष---इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है।

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

माननीय न्याय मंत्री नम्बर ३ और ४ को क्रम से उपस्थित कर दें। इन पर मैं राय ले लूं। फिर आइटम नम्बर १ और २ को एक साथ उपस्थित करके उसके ऊपर बहस होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, एक साथ नहीं।

श्री अध्यक्ष---वह दोनों एक साथ चाहते हैं।

श्री गौरी शंकर राय---श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि दो घंटे वन और बाकी सदन क एक घंटा समय और बढ़ा कर . . . . . .

श्री अध्यक्ष---समय बढ़ाने का वह प्रस्ताव तो आप बाद में लायेंगे।

श्री गौरीशंकर राय---वन दो घंटे, और बाकी न्याय।

श्री अध्यक्ष---माननीय न्याय मंत्री पहले नम्बर ३ और ४ उपस्थित कर दें। इन पर मैं राय ले लूं।

अनुदान संख्या ४२---लेखा शीर्षक ६३---असाधारण व्यय

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२---असाधारण व्यय---लेखा शीर्षक: ६३---असाधारण व्यय के अन्तर्गत ३५,८५,१०० रु० की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२---असाधारण व्यय---लेखा शीर्षक ६३---असाधारण व्यय के अन्तर्गत ३५,८५,१०० रु० की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५१---लेखा शीर्षक ८५-क---राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१---राज्य व्यापार की योजनाएं---लेखा शीर्षक ८५-क---राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ६,४७,९५,९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१---राज्य व्यापार की योजनाएं---लेखा शीर्षक : ८५-क---राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ६,४७,९५,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५——लेखा शीर्षक १०——वन

*न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली ज़हीर)——अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिस से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५——वन——लेखा शीर्षक १०——वन के अन्तर्गत २,१५,७४,३०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक वन विभाग का ताल्लुक है माननीय सदस्य यह देखेंगे कि इस साल दो रकमें इसके मुताल्लिक मांगी गई हैं। एक तो वह अखराजात है जो प्लान के सिलसिले में है। इसके सिलसिले में ४८,८२,२०० रु० की मांग है। और बाकी जो मामूली अखराजात हैं उसके सिलसिले में कोई १,७७,२०,९०० रु० की मांग की गयी है।

(इस समय १२ बजकर २० मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

इसी के साथ जो रेवेन्यू रिसीट्स के आइटम्स हैं अगर वे देखे जायं तो उससे यह मालूम होगा कि वन विभाग से इस सूबे को ४,४४,७६,१०० रु० की आमदनी इस साल होने की उम्मीद है। ऐसी सूरत में यह मालूम होगा कि तकरीबन २,२८,००,००० की नेट इनकम इस विभाग से सरकार को होगी।

जहां तक वनों का ताल्लुक है माननीय सदस्य शायद जानते हों कि यह हमारी जिन्दगी का बहुत बड़ा जुज़ है। हालांकि इसका एहसास हमको पूरे तौर से नहीं होता है और हम ऐसी जगहों में रहते हैं जहां वन बहुत दूर होते हैं। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि कई जरूरियात जिन्दगी की हैं जिनके लिये वनों की मौजूदगी बहुत जरूरी है। इस सिलसिले में मैं अर्ज कर दूं कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है कि किसी मुल्क में वहां के काश्तकारों की जिन्दगी तथा और लोगों की जिन्दगी अच्छी तभी हो सकती है जब कम से कम जंगल २० फीसदी जो जमीन हो आराजी की उसके जंगल हों और जो पहाड़ी इलाका है उसका ६० फ़ीसदी जंगल होने की जरूरत है। तभी इन्सान की कुल जरूरियात पूरी हो सकती हैं और फिल हकीकत हमारे सूबे में इस हिसाब से देखते हुए जो जंगल है वह सिर्फ ५.१ परसेंट तो हमारे मैदानी इलाके में और २३·५ पहाड़ी इलाकों में हैं। इससे मालूम होगा कि कितनी ज्यादा हमारे यहां जंगलों की कमी है। जंगलों की जरूरत काहे के लिये है यह माननीय सदस्य जानते होंगे। लेकिन मैं खास तौर से बतला दूं, क्योंकि यह बड़ी भारी एक नेशनल वेल्थ है और रोजमर्रा की जिन्दगी के लिये यह किस कदर जरूरी चीज़ है उसका अन्दाजा आपको उन चन्द बातों से होगा जो मैं अभी आप के सामने पेश करूंगा।

सब से पहली बात तो यह है कि मौसमी हालत किसी देश की जभी ठीक रह सकती है, बारिश वक्त से जभी हो सकती है जब वहां के ऊपर काफी मिकदार में जंगल हों। अगर जंगल न हों तो मौसम पर भी उसका असर पड़ जाता है और जंगल कट जाने पर वहां का मौसम उतना अच्छा नहीं रहता जितना पहले होता है। पानी के मूवमेंट से या बड़ी बड़ी जो दरिया बहती हैं, या चश्मे आते हैं पहाड़ों से उनसे जमीन का इरोजन होता है और उसकी वजह से जैसा आप ने देखा होगा यमुना की खादर में या और हिस्सों में आप देखेंगे कि जमीन कटती जा रही है। वहां फिर कोई चीज उग नहीं सकती है और इस तरह से जरखेज जमीन कम होती जाती है। उसको रोकने के लिये सिर्फ यही सूरत है कि वहां दरख्त लगाये जायं और जंगल वहां हों। अब इसके अलावा इंडस्ट्रीज के लिए भी जंगल बड़े काम के होते हैं।

जो इंडस्ट्रिअल प्रोग्रेस हम करना चाहते हैं उसकी तरह-तरह की चीजें ऐसी हैं कि जिनमें हमारे जंगलों की चीजों की जरूरत होती है। मसलन एक बहुत छोटी सी चीज है——दियासलाई। इसके लिये हमको खास तरह की लकड़ी की जरूरत होती है, जो जंगल से ही मिल सकती है। अभी थोड़े वर्ष पहले तक जब अंग्रेजी हुकूमत थी, बहुत बड़ी तादाद में दियासलाई बाहर से हमारे यहां आती थी। अभी हमारे यहां यह इंडस्ट्री बढ़नी शुरू हुई है। जैसे-जैसे यह तरक्की करेगी वैसे-वैसे खास किस्म की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

तो यह तो मैंने एक मिसाल दी। बाकी और चीजों पर आप खुद भी गौर कर सकते हैं। उसके अलावा जंगलों से बहुत सी चीजें पैदा होती हैं जैसे रे जिन है, जिसके जरिये से रोजिन बनता है और उससे वार्निश और और तरह-तरह की चीजें तैयार की जाती हैं। वह जंगल में ही पैदा होता है। आपको मालूम है कि सरकारी रेलवे में जो स्लीपर्स लगते हैं उनके बनने में जिस लकड़ी का इस्तेमाल होता है वह सब इन्हीं जंगलों से आती है। उसी के साथ-साथ यह भी हमको याद रखना है कि हमारी हिफाजत के लिये डिफेंस के लिये भी बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके लिये कि जंगल की लकड़ी की जरूरत होती है। उन लकड़ियों को हमें डेवलप करना होता है।

फिर आप को मालूम है कि जलाने के लिये लकड़ी की जरूरत होती है। जलाने के लिए लकड़ी की इतनी कमी रही है कि हमारे देहातों में करीब-करीब जितना गोबर होता है वह सब लोग जला देते हैं, इसीलिए कि उनके पास काफी लकड़ी नहीं होती। असल में उस गोबर को खेतों में जाना चाहिए जिससे कि उसकी पैदावार बढ़ सके, लेकिन लकड़ी न मिलने की वजह से वह उसे जला देते हैं। फिर जानवरों को पालने के लिये और जानवरों की खुराक के लिए ऐसी जगहें होनी चाहिए जहां पाश्चर लैंड हों और वह वहां पर जाकर चर सकें। उसी के साथ-साथ गोसदन खोले जाय उनके लिये आप को मालूम है कि हमको फारेस्ट को प्रिजर्व करने की जरूरत है। यह कमी जो आ गई है--हमारे यहां ५ फीसदी है बजाय २० फीसदी के--इसको हम पूरा करें। इसके लिये बहुत से कदम सरकार ने उठाये हैं।

मिनजुमला आप को मालूम है कि थोड़े दिन हुए प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट पास हुआ है। कोई प्राइवेट फारेस्ट हो तो वहां भी बिना सरकार की इजाजत के दरख्त काटे नहीं जा सकते। जो खास तरीका होता है, जिसमें पुराने दरख्त काटे जाते हैं और नये दरख्त लगाये जाते हैं उसे बरता जाता है। जिन दरख्त की जिन्दगी पूरी हो जाती है उनको काटने के लिये निशान लगा दिया जाता है। वही सिलसिला जारी है ताकि किसी तरह फारेस्ट खत्म न हों। यह सब इन्तजाम हमारी तरफ से किये जा रहे हैं।

इस सिलसिले में मैंने एक प्लान भी बनाया है और उसके लिये भी कुछ रुपया खास तौर से रक्खा गया है। चुनांचे ३८ लाख ४२ हजार रुपया प्लान आइटम्स के लिये हमारे यहां प्रोवाइड हुआ है और जो हमारे अखराजात हैं उनके लिये १ करोड़ ७७ लाख रुपये हमारे बजट में रखे गये हैं। प्लान आइटम्स में बहुत सी नयी चीजें चला रहे हैं। ११ स्कीमें थीं, जो शुरू में प्लान के अन्दर रक्खी थीं, जिनको शुरू करना चाहिये था फारेस्ट की तरक्की के लिये और उसके प्रिजर्वेशन के लिये, लेकिन उनमें से पारसाल सिर्फ ८ जारी हो सकीं, लेकिन इस साल जो बाकी रह गई थीं उनको भी जारी करेंगे।

इन स्कीमों का भी जिक्र कर दिया जाय। पहली स्कीम यह है कि कम से कम ५० हजार फ्रूट ट्रीज, जिनकी लकड़ी भी काम आती है, लगाये जायं, जैसे अखरोट, चेस्ट नट और एलमंड। उसके बाद हमारे यहां लाख पैदा होती है मिर्जापुर में, खास तौर से दूधी के इलाके में। उसके लिये यह होता है कि कुछ मखसूस किस्म के दरख्त होते हैं, जिनको इंफेक्ट कर दिया जाता है और उसमें लाख बनने लगती है। पुराने जमाने में उसकी ठेकेदारी मजदूरों को दी जाती थी, ताकि उसे वे जमा करें और उसको हम बाहर के मुल्कों को भेज दिया करते थे और बहुत सी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में वह काम में आती थी। आजाद होने पर यह सोचा गया कि यह उन्हीं काश्तकारों को दे दिया जाय जो इसको पैदा करते हैं। चुनांचे गवर्नमेंट ने ठेका नहीं दिया और उन्हीं के हवाले कर दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि लाख की पैदावार जितनी होनी चाहिये थी या जितनी तरक्की होनी चाहिये थी वह नहीं हो सकी। नतीजा यह हुआ कि वह इंडस्ट्री करीब-करीब खत्म हो गयी। चुनांचे फिर से हम उसे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और यह खयाल है कि मिर्जापुर में ही नहीं, बुन्देलखंड, बांदा, बनारस और सोन डिवीजन, मिर्जापुर में इसको बढ़ाया जाय और तरक्की दी जाय।

इसी तरह से ऐसे दरख्तों, जो कि हमारी इंडस्ट्रीज में काम आते हैं जैसे प्लाई वुड वगैरह, की मिकदार बढ़ाई जाय और ज्यादा तादाद में लगाये जायं। चुनांचे नक्शेबन्द साढ़े बारह हजार एकड़, मेरा ख्याल है कि वहां पर ऐसे दरख्तों को लगायेंगे जिनसे हमें इंडस्ट्रीज के लिये जिन लकड़ियों की जरूरत होती है खास तौर से, उनको हम वहां पैदा करें।

एक हमारे यहां बहुत उम्दा लकड़ी होती है—साल की और वह बहुत काम में आती है और बहुत मुफीद है। बदकिस्मती से जो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई और अंग्रेजों की यहां हुकूमत थी तो उन्होंने बिला लिहाज इसके कि इसका नतीजा क्या होगा, बहुत बड़ी तादाद में जितनी लकड़ी की उनको जरूरत पड़ी अपनी जंगी जरूरियात के लिये उस लकड़ी को उन्होंने कटवा लिया और ले गये। नतीजा यह हुआ कि हमारा जो प्रोडक्शन साल का था वह [illegible] ३९–४० से ४७ लाख क्यूबिक फिट था, वह ३६ लाख क्यूबिक फिट रह गया और साल

खाली

वहां

पर सालाना पैदा किये जायं।

उसी तौर से कुमायूं में और तराई में, काशीपुर और गंगा खादर कालोनाइजेशन स्कीम में, इन जगहों के ऊपर भी फारेस्ट लगाये जा रहे हैं और इनको डेवलप किया जा रहा है, नये जंगल यहां पर तैयार किये जायंगे। इनमें भी यह हुआ कि कुछ फारेस्ट पुराने जमाने में ऐसे थे जो सिविल फारेस्ट थे। ये फारेस्ट वे कहलाते थे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कब्जे में दे दिये गये थे और यह उनसे कह दिया गया था कि अगर लकड़ी की जरूरत हो तो उसको आसपास के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नतीजा यह हुआ कि रफ्ता-रफ्ता वह करीब-करीब तमाम फारेस्ट खाली हो गये। काटने के लिये तो हर शख्स तैयार रहता है, लेकिन पौधों को लगाने के लिये कोई परवाह नहीं करता। तो इस तरह से बहुत सा हिस्सा कुमायूं का और काशीपुर वगैरह का तराई का जो था वह खाली हो गया। अब वहां पर फारेस्ट को हम डेवलप करने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी, इसमें दो ही घंटे का समय है।

श्री सैयद अली जहीर—जल्द ही खत्म कर दूं? बहुत अच्छा।

एक दूसरी स्कीम है, प्रिजर्वेशन आफ वाइल्ड लाइफ की। इसके जरिये से बहुत से जानवर जो गायब हो रहे थे वह बाकी रह जायंगे और जो पोचिंग होता है, गलत वक्त पर जानवर मारे जाते हैं, वह खत्म होगा और टूरिस्ट ट्रैफिक बढ़ेगा। साथ ही वाइल्ड लाइफ को स्टडी करने का हमारे स्टूडेंट्स वगैरहा को मौका मिलेगा।

एक स्कीम लैंड मैनेजमेंट सर्किल की हमने बनायी है, जिसके जरिये सड़कों के किनारे दरख्त लगाये जायेंगे, कैनाल बैंक्स और रेलवे लाइन के दोनों तरफ दरख्त लगेंगे, जहां जमीन छूटी रहती है और रेवीन्स वगैरह में जहां पर दरिया जमीन को काट देते हैं, वहां पर लगाये जायंगे। साथ ही पास्चर लैंड को डेवलप करना, घास को डेवलप करना, यह उसमें है।

एक यह है कि राजस्थान के किनारे जो जंगल बन रहे हैं वह भी फारेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है।

रेजिन का बहुत बड़ा कारखाना बरेली में है, उसको भी बढ़ाने की स्कीम है। उसके साथ-साथ यह भी है कि ४०० मील के करीब सड़कें जंगल में बनायी जायं जिनके जरिये से कम्युनिकेशंस जंगल में हो सके। उसका फायदा दोहरा होता है। एक तो यह होता है कि हम ऐसे जंगल को एक्सप्लायट कर सकते हैं और दूसरे उसके अन्दर निगरानी अच्छी तरह से हो रही है, तो उसको भी देखेंगे।

[श्री सैयद अली जहीर]

इसमें पहले ही पेज पर है "डेवलपमेंट आफ फारेस्ट"। २४८ मील सड़कों के बनाने का हमारा इरादा है कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान पीरियड में जंगल में ८ जिलों में इतनी सड़कें बनायी जायंगी। तो आप देखेंगे कि यह एक बहुत ही जरूरी और अहम डिपार्टमेंट है और इसमें सब से बड़ी जरूरत यह है कि हम सब लोग यह समझें कि हमारी जिन्दगी के लिये और हमारे मुल्क की तरक्की के लिये, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए कितने ज्यादा जंगलों की जरूरत है। आमतौर से लोगों में अहसास नहीं है। लोग समझते हैं कि जंगल की जमीन हासिल करना, लकड़ी ले लेना, ऐसी चीज है जो उनका हक है और उससे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर यह चीज बड़े पैमाने पर हो तो उससे नेशनल वेल्थ का लास हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी अहमियत को समझेंगे और जो रुपया मांगा गया है उसको मंजूर करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस अनुदान पर प्रस्तावकर्ता को १२ मिनट और अन्य लोगों के लिये सात-सात मिनट रखे जायं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या ५ में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले आप के द्वारा जिन बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं उनमें से एक बात यह है कि हमारी सरकार कहती है कि "हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी कायम करना चाहते हैं"। तो उसी तरह से हमारी सरकार को अपने जंगल विभाग की पहली नीति को बदल कर ऐसे रास्ते पर ले जाना होगा जिससे वह सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी के बनने में सहायक हो सके। पहले जो अंग्रेजी सरकार रही है, उसके अफसरों ने जंगलों को आरामगाह और शिकारगाह बनाया हुआ था और जंगल की लकड़ी से अपने आराम तथा ऐश के लिये फर्नीचर वगैरह बनवाते थे। सब से बड़ा लालच उनको यह था कि जब आराम की जरूरत हो तो वह जंगलों में जायं और शिकार खेलें। इसी दृष्टि से यहां की सर्विसेज का संगठन हुआ और डाकबंगले आदि भी उसी ढंग से बनाये गये हैं। इस इंतजाम और ढंग में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन अब भी नहीं हुआ है। मैं अपनी सरकार से आप के द्वारा नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी सरकार को चाहिये कि इस ढांचे में ऐसा परिवर्तन करे जिससे नौकरशाही को सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी की तरफ जाने का मौका मिले।

इसके बाद हम जंगल के आंकड़ों की तुलना करने के बाद आगे की बात पर आयेंगे। हमें १९४६-४७ और १९५६-५७ के आंकड़े इस पुस्तिका में मिले हैं, जिनमें बताया गया है कि पहले कितनी आमदनी थी, और कितनी अब है, कितना खर्चा पहले था और अब कितना है और पहले कितना मुनाफा था और अब कितना है। हम खर्चे के मद में देखते हैं कि १९४६-४७ में ६४,४७,९८५ रुपया दिखाया गया है जो १९५६-५७ में बढ़ कर १,८९,८२,४०० रुपया हो गया है। हमें इतना रुपया देने में कोई गुरेज नहीं था और न आज हुआ होता अगर खर्चे के हिसाब से हमारी फारेस्ट की नेशनल वैल्थ बढ़ी होती। अगर हमारी नेशनल वैल्थ में इंक्रीज हुई होती तो हमने कटौती का प्रस्ताव जो पेश किया है उस को पेश न करके बढ़ौती का प्रस्ताव पेश करते, लेकिन जब हम पुस्तिका देखते हैं तो जंगल का कुल टोटल ४६-४७ का तो दिया नहीं है, १९५२-५३ में १३,३०६ वर्गमील जंगल बताये गये हैं और १९५५-५६ में १३,०१३ वर्ग मील ही रह गये हैं। एक तरफ हम खर्चे के आंकड़े देखते हैं तो हमें यह मालूम पड़ता है कि ६४ लाख से कूद कर १ करोड़ ८९ लाख पर पहुंचे हैं, लेकिन जब फ़ारेस्ट वेल्थ को बढ़ाने की बात सोचते हैं तो हमें आंकड़े घटते हुये दिखायी पड़ते हैं। वह भी इस बात के बावजूद जब कि हमारे भूतपूर्व राज्यपाल ने एक वन-महोत्सव का आन्दोलन चलाया था और उस वक्त उन्होंने यह स्पष्ट कहा था कि हमारे इस प्रदेश के ऊपर एक

बड़ी आफ़त आ रही है, रेगिस्तान हमारी ओर बढ़ रहा है और उससे बचने का एक मात्र साधन हमारे पास यही है कि हम उस इलाके में जंगल लगायें। इस सरकार ने बड़े शौक से उनके वन महोत्सव के उत्सव में सारे सूबे में लाखों रुपये खर्च किये, लेकिन फिर भी मेरी समझ में नहीं आता कि कोई तरक्की इन आंकड़ों में क्यों नहीं दिखाई देती। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आखिर जो वे हमसे और बढ़ा चढ़ा कर अनुदान मांगते हैं उस को हम किस बिना के ऊपर मंजूर करें।

इसके अलावा जो इस वक्त हमारी सरकार द्वारा जंगलों की नीति जिस तरह चलायी जा रही है उसके सम्बन्ध में मैं दो, चार बातें कहना चाहता हूं। जंगलों के लगाये जाने और काटे जाने के सम्बन्ध में एक नीति यह बरती जाती है कि एक टुकड़ा लिया जाता है जिसमें से जंगल साफ किया जाता है और फिर उसमें ऐसे लोग बसाये जाते हैं जो फिर से उसमें जंगल लगाते हैं और जब तक पेड़ नहीं उगते है तब तक उसमें अन्न पैदा कर के खाते हैं। लेकिन इन टौंगिया लोगों की रोजी की सिक्योरिटी न अंग्रेजों के जमाने में थी और न आज है। इसका नतीजा यह होता है कि जो सर्विसेज़ जंगल में सरकार की तरफ से इस योजना को कार्यान्वित करने का काम कर रही हैं उन्हें मनमानी करने का मौका मिलता है। इस कारण वन विभाग की सर्विसेज़ में जो करप्शन होता है उसका उदाहरण तो आप को मिल चुका है। अभी कुछ दिन पहले फरेंदा रेंज में हंडिया कोट टौंगिया के सम्बन्ध में वहां के रेंजर और दूसरे जंगल के कर्मचारियों की शिकायत प्रोफ़ेसर शिब्बनलाल सक्सेना ने की थी। उसकी इन्क्वायरी हुई थी, ऐसा हमें मालूम है। लेकिन उसके बाद उन कर्मचारियों के खिलाफ़ क्या हुआ यह हमें नहीं मालूम। हम नहीं चाहते कि किसी एक आदमी को आप सैक करें। लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि इस तरह की जो शिकायतें आती हैं वह बहुत सी शिकायतें दरगुज़र होने के बाद कोई एक आदमी प्रोफ़ेसर शिब्बनलाल सक्सेना जैसा हिम्मत करता है जो आप के सामने ले आता है। इसलिये इन शिकायतों के बारे में आप को अपने रवैये पर फिर से विचार करना चाहिये। जो इस सम्बन्ध की पुरानी नीति बरती जा रही है उसी का यह परिणाम है।

मैं एक दूसरे मामले की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कुसमी जंगल में टौंगिया लोगों के साथ अन्याय हुआ था, जिसके विरोध में प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता और टौंगिया लोगों ने गोरखपुर के डी० एफ० ओ० के दफ्तर के सामने हफ्तों अनशन किया, लेकिन आज भी उनकी शिकायत रफ़ा नहीं हुई। पूछने पर टौंगिया लोगों से हमें यह मालूम हुआ कि उनसे नाजायज़ काम लेने के लिये जंगल विभाग के अधिकारियों ने जोर डाला था और उसका विरोध करने पर ही उन्होंने उनको जंगल में जमीनें न देने का तय किया। हम लोगों के बहुत कहने के बाद भी अधिकारी वहां से २० मील की दूरी पर उनको जमीनें देने को तैयार हुए, लेकिन पहिले वाले जंगल में नहीं। लाल बत्ती दिखाई पड़ती है मैं और कुछ न कह कर बाद में जो कहना होगा कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्यों को बोलते वक्त असल में चेयर की तरफ़ देखना चाहिये, लेकिन माननीय मंत्रियों पर उनकी निगाहें इस तरह अटक जाती हैं कि मेरी उपेक्षा हो जाती है। लाल बत्ती जलने के माने हैं कि केवल दो मिनट उनके भाषण के और रह गए हैं और माननीय सदस्यों को उसके अन्दर अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिये ताकि बार-बार मुझे टोकना न पड़े।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा) [illegible]ननीय उपाध्यक्ष महोदय जो प्रस्तुत अनुदान वन विभाग का सदन के सम्मुख प्रस्तुत है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ [illegible]। मुझे बहुत हर्ष है कि वन विभाग पिछले पांच सालों में हर साल तरक्की की ही ओर जा रहा है। अगर इन पांच सालों के बजट को देखा जाय तो बहुत ज्यादा एफोरेस्टेशन का काम हमारे प्रदेश में हुआ है। मुझे वन विभाग की कमेटियों में रहने का मौका मिला है और इस कारण जंगल विभाग के कामों को मैंने स्वयं काफी देखा है। मथुरा के इलाके में और पर्वतीय

[श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट]

प्रदेश में कई जगह जाने का मुझे अवसर मिला और मैंने देखा कि चारों तरफ एफोरेस्टेशन का काफी काम हो रहा है। मगर फिर भी मुझे वन विभाग के संबंध में कुछ ऐसी बातें कहनी हैं जो नितांत अवश्यकीय हैं और जिनके करने से वन विभाग हमारे यहां का सबसे प्रमुख विभाग बन सकेगा। कैनेडा में, अगर आप देखें, तो वन विभाग का काम और सब विभागों से प्रमुख समझा जाता है। हमारा दुर्भाग्य है कि अंग्रेजी हुकूमत का ध्यान वन विभाग की ओर बिलकुल नहीं गया था और इसकी वजह से वन विभाग तिरस्कृत विभाग रहा। उस पर खर्च बहुत कम किया जाता था। जंगल काटने और उससे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की ओर ही सरकार की रुचि रही। लड़ाई का जमाना था। बहुत जंगल काटे गये और लगाये नहीं गये और इसकी वजह से यह प्रदेश वनों के मामले में बहुत नीचे गिरता ही गया। अब यह हमारा सौभाग्य है कि इस जमाने में सरकार की रुचि जंगलों के उत्थान की ओर गयी है। फिर भी मैंने देखा कि १९५५-५६ में जैसा पूर्ववक्ता ने कहा है विभाग की आमदनी ४ करोड़ ३९ लाख ५७ हजार ५ सौ रुपया है, लेकिन उसका खर्चा कुल १ करोड़ ७९ लाख कुछ सौ रुपये हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं यह नीति ठीक नहीं है। वन हमारी ऐसी सम्पत्ति है जैसे एक बैंक में सेफ रखा हुआ है ऐसा ही वह कैपिटल जंगल के रूप में हमारे सामने है। जब भी हम चाहें उन जंगलों से करोड़ों रुपयों की आमदनी की जा सकती है, लेकिन केवल आमदनी की ओर ध्यान नहीं जाना चाहिये। उसको कैपिटल समझ कर उसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये न कि उससे फायदा उठाने की ही ओर हमारा ध्यान हो। मैं आशा करता हूं कि वन विभाग को आमदनी का जरिया न बनाकर सरकार उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेगी और इतना इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगी जिससे आने वाली संतानें उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा भविष्य में उठा सकें। इसीलिये मैं एफोरेस्टेशन की ओर बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा जोर देता हूं कि जितनी गति से एफोरेस्टेशन हो रहा है उसमें और तेजी करने की जरूरत है। खासकर कुमायूं में फल लगाने की जो योजना है उसकी मैं ताईद करता हूं। इसमें ५ लाख रुपये इस साल रखे गये हैं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इससे बहुत कुछ कामयाबी होगी और बहुत उन्नति इस ओर होगी।

वनपशुओं और पक्षियों की रक्षा के लिये सरकार ने इसमें योजना रखी है। २ पशु-विहार शालायें एक गढ़वाल में और दूसरी बनारस में खोलने का आयोजन किया गया है। मगर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बावजूद इसके कि इसमें सरकार काफी कोशिश कर रही है फिर भी आशापूर्ण काम नहीं हो रहा है। बहुत जगहें ऐसी दिखलाई देती हैं जैसे नदियों में डाइनामाइट लगाकर काफी मछलियां मारी जाती हैं, काफी जंगलों में पोचिंग हो रही है। जहां बिग गेम और बर्ड शूटिंग जंगल थे अब यह शूटिंग कहीं नहीं दिखाई देती। तो यह गेम्स हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी ओर भी बहुत लापरवाही है। बावजूद फारेस्ट डिपार्टमेंट की कई नई स्कीमों के उसमें कोई नई प्रगति नहीं हो रही है और बहुत ज्यादा पोचिंग इस समय हमारे यहां हो रही है। भ्रमण व्यवस्था में प्रगति लाने की यह आवश्यकीय चीज है।

समय अधिक न होने से मैं दूसरी चीज यह कहना चाहता हूं कि सरकार वन उपज की बिक्री वगैरह के लिये और वन विभाग की उन्नति के लिये उपाय सोचती है तो मैं यह सुझाव रखना चाहता हूं कि बजाय वर्तमान औक्शन के तरीके के अगर टेंडर सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाय तो जो करप्शन आज वन विभाग में थोड़ा बहुत दिखलाई देता है व भी नहीं दिखलाई देगा और वनों से ज्यादा आमदनी भी सरकार को मिलेगी।

ऐसे ही जंगल की सड़कों के बारे में मुझे कहना है। सड़कों के कंस्ट्रक्शन का काम ज्यादा से ज्यादा फारेस्ट डिपार्टमेंट को दिया जाना चाहिये, क्योंकि मेरा जाती तजुर्बा है कि वन विभाग के जरिये से बहुत थोड़ी कीमत में सड़कें बनती हैं। मैंने तो पर्वतीय प्रदेश

में देखा, पिथौरागढ़ मे थलकेदार सड़क अगर पी० डब्लू० डी० को दी जाती तो जितना पैसा लगा है उसके ५ गुने मे भी वह नहीं बन पाती। तो इन बातों की ओर म सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पर्वतीय प्रदेश के बारे में मुझे यह कहना है कि वहां इरोजन बहुत हो रहा है। इसके लिये एफोरेस्टेशन की स्कीम को तीव्रता से चलाने की बहुत आवश्यकता है और इसके लिये जो दो तरह के पुरस्कार रखे गये है जिन मे कि एक शील्ड है और दूसरे ग्रामीण जनता को कुछ रुपया दे कर पुरस्कार दिया जाता है, उनका इस योजना को कार्यरूप देने मे बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है। चारों तरफ लोग इससे प्रोत्साहित हो रहे है और वे जंगलों का विकास करने की ओर बढ़ रहे है। इस योजना को और ज्यादा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, ताकि हमारे यहां वनों की और अधिक उत्पत्ति हो सके।

अंत मे मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं सरकार का आभारी हूं कि पर्वतीय प्रदेश में पिठौरागढ़ एक और डिवीजन खोल कर वहां की जनता का सरकार ने बड़ा उपकार किया है। उसमें पांच रेंजरों के रेंज नये खोले गये है। अगर काली नदी और गोरी नदी के दो और रेंज खोल दिये जायं तो पर्वतीय प्रदेश में जंगलों का काफी विकास हो सकता है। जो भोट इलाका है और जो तिब्बत बार्डर पर पड़ता है वहां पर लकड़ी की काफी पैदावार हो सकती है। तिब्बत मे कोई लकड़ी नहीं है और पिछली बार जब मैं कैलास यात्रा को गया था तो मैंने देखा कि वहां यहां की काफी लकड़ी चोरी कर के ले जायी जाती है। अगर इस भोट इलाके में लकड़ी की पैदावार की जाय तो उसे तिब्बत को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। यह दो रेंज काली रिवर रेंज और गोरी रिवर रेंज खोल देने से हम जंगलों का काफी उत्पादन बढ़ा सकते है और तिब्बत के साथ हमारा लकड़ी का व्यापार हो सकता है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि उसको

सफलतापूर्वक

हूं कि सरकार मेरी बातों पर ध्यान देगी और यह जो मैंने प्रार्थना की है उसको कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेगी।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो जंगल के संबंध में मुझे जैसे जंगली आदमी को बोलने का आपने अवसर दिया है इसके लिये मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मैं तो इस वन महोत्सव को सरकार की एक सनक समझता हूं। जैसे और तमाम सनकें सरकार को उठा करती हैं और जिनके कारण यह पंचवर्षीय योजना या और दूसरे विकास के काम चल रहे हैं यह भी उसी प्रकार की उसकी एक सनक है। हमारा कहना है जिन जगहों में जमीन उपजाऊ नहीं है वहां आप जंगल लगाइये, लेकिन जिन जगहों मे जमीन उपजाऊ है वहां जंगल लगा कर तो आप जनता को भूखों मार रहे हैं। इसलिये मेरा तो यही कहना है कि:—

राज्य की सनक उठी पंच-वर्षी योजना की,
मंत्री की सनक अफसरावली बढ़ाने की।
सनक चरणसिंह की चकबन्दी भूमिधरी की,
हुकुम सिंह की है वन उत्सव मनाने की।
सनक श्री गौतम की गांव मे बढ़ायें फूट,
सनक त्रिपाठी की पुलिस से लुटाने की।
आज बीन देश का विनाश करने के लिये,
सनक विकास की उठी है लीडराने की।

इस भांति हमारी सरकार प्रत्येक काम में एक नाविल बना दिया करती हैं। असेम्बली में हम दो कागज लेकर आते हैं और जब यहां से जाते है तो इतनी नाविलें लेकर जाते है जिन नाविलों से झोला भर जाता है।

[श्री बंशीधर शुक्ल]

योजना में नाविल, सफलता मे नाविल,
सहायता की नाविल मे बिल ही चुकाती है ।
रेल, तार, बांध पुल, नहर, सड़क हू की,
नाविले बना के जन जागृति जलाती है ।
चकबन्दी, ट्यूबवेल, ब्लाक पंचवर्षिन की,
नाविलें बना के न्याय सत्यता मिटाती है ।
चाची तुगलक की न कायिल हुकूमत ये,
रोज कौंसिलों में नयी नाविले बनाती है ।।

तो मेरा यह कहना है कि इसी प्रकार से यह वन महोत्सव भी हैं, जहां पर जमीन उपजाऊ नहीं है वहीं पर मनाया जाय, तो ठीक मगर जहां जमीन उपजाऊ है वहां लोगों को खेती के लिये छोड़ दी जाय। मेरे जिले में ४० मील का जंगल है और वह जमीन खेती योग्य है जहां शारदा नहर निकली है और बहुत ही सुन्दर जमीन है। उस जमीन से अगर आप वन विभाग को हटा लें और वहां पर देवरिया, गोरखपुर के भुखमरों को बसा दें तो ११ १/२ लाख आदमियों की यहां और आबादी बढ़ेगी उससे सरकार की आमदनी और बढ़ जायगी। जंगल से रुपया सरकार को कम नहीं मिलेगा। लगान में जंगल से भी अधिक रुपया मिल जायगा। इसलिये इस वन महोत्सव के संबंध में हमारा कहना यह है कि उपजाऊ जमीन में आप जंगल न लगाइये।

दूसरी बात यह है कि जंगलों की लकड़ी किसानों को उसी भाव पर दीजिये जिस भाव पर ठेकेदार को दी जाती है। ठेकेदारी सिस्टम बिलकुल खत्म कर दिया जाय। हमारे जिले में बहुत जंगल हैं। इस वर्ष १४० गांवों में हमारे जिले में आग लग गई है। हमने डी०सी० से दरख्वास्त की कि किसानों को लकड़ी नहीं मिलती है। उनको लकड़ी दी जाय, लेकिन वन विभाग के अफसरों ने कहा कि हम ५,५ रुपया फी किसान लेंगे तब लकड़ी देंगे। इसके आज २,३ मुकदमे भी इस समय किसानों की ओर से चल रहे हैं। उन्होंने रुपया नहीं दिया उनको लकड़ी नहीं मिली। जिन लोगों ने रुपया दिया उनको लकड़ी मिली। इन लोगों की लकड़ी को उन्होंने दूसरों के हाथ बेंच लिया। यह रिपोर्ट हमने किसानों से करवा दी है। हमारे गांवों में मुर्दा फूकने के लिये लकड़ी नहीं मिलती है। हमारे गांव में एक आदमी मरा। उसको फूंकने के लिये लकड़ी नहीं थी। वे लोग आये मैंने उनके कहा कि फूंस और कुसा के कठों से फूंक दो और इस तरह से फूस से मुर्दा फूंकने का काम लिया गया। अब कुंए के ऊपर लकड़ी रखने के लिये नहीं है। इससे लोगों को परेशानी है। हमारे जिले को जंगलों से कोई लाभ नहीं है, लकड़ी देते नहीं, पत्ता छूने नहीं देते रेंज आफिसर सब बेंचा करते हैं। जानवरों को चरने नहीं देते। तो इस बनमहोत्सव से क्या लाभ है? हमारा कहना यह है कि इस ठेकेदारी सिस्टम को खत्म किया जाय और जिस भाव पर लकड़ी ठेकेदार को देते हैं उसी भाव पर लकड़ी किसानों को दी जाय। जंगल किसान के लाभ के लिये हैं। सरकार के लाभ के लिये नहीं हैं।

हमारे यहां दुधवा में जंगल लगाया गया है। वहां पर फूल पत्तियां लगायी गयी हैं और बेलदार पेड़ लगाये गये हैं। ढेंचा, रेंडा, शहतूत, श्वेत बरुवा, यह व्यर्थ के पेड़ लाये गये हैं। वहां पर एक गेहूं काटने की मशीन भी भेज दी गयी है। भला वहां पर मशीन की क्या आवश्यकता है? रुपया व्यर्थ में बरबाद किया जा रहा है। इसलिये हम आपसे निवेदन करेंगे कि बनमहोत्सव की नुमायश बन्द कर दें। इससे जन शोषण, नौकर परवरिश और भुखमरी बढ़ती है हमारी सरकार का कहना है--

कत्ल होय डाके पड़े, मचे द्वन्द्व पर द्वन्द।
जो पूछे कह दीजिये, हैं सम्पूर्णानन्द ।।

*श्री जगदीशसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सरकार प्रशंसा की पात्र है कि उसने जंगलों को बढ़ाया और इस ओर कदम उठाया है। आपका जंगल विभाग जो कुछ भी जंगल बढ़ा सकता था उसको बढ़ाया और उनकी निगरानी हुई। इसमें कुछ हद तक हमारी सरकार को सफलता मिली। पिछले ५ साल से मेरी जो शिकायत रही है वह यह रही है कि जंगल विभाग के अधिकारी बड़े स्ट्रिक्ट हैं। उनके बरतावे से ऐसा मालूम होता है कि वे इन्सान दुनिया से दूर रहते हैं। यह उनके लिये एक समझने की बात है। वह अपनी ड्यूटी को बड़ी ईमानदारी से अंजाम देते हैं। शायद दूसरे विभागों से फारेस्ट विभाग अधिक ईमानदार हैं, परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि गरीब लोग जो देहात में बसते हैं और जो अक्सर जंगलों के नजदीक रहते हैं उनकी जमीन और जायदाद और उनकी जिन्दगी का वास्ता अधिक जंगलों से पड़ता है।

मैंने बहुत बार सदन में सरकार का ध्यान और फारेस्ट डिपार्टमेंट का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि फारेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी जील से जंगलों को बढ़ाने में इतना उत्साह दिखाया कि उसने किसानों को उनकी सदियों की जमीन को अपने जंगल विभाग के अन्दर लेकर फारेस्ट डिपार्टमेंट का पिलर बनाकर किसानों को बाप दादाओं की जमीन से महरूम कर दिया और उसके बीबी बच्चों को उस जमीन से उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। मैंने एक नहीं ऐसे कई इंसटेंसेज फारेस्ट अधिकारियों के सामने रक्खे। मंत्री महोदय और चीफ मिनिस्टर महोदय से भी इस संबंध में बातचीत की, लेकिन मुझे खेद है कि बावजूद इस सारी सूचना के और बावजूद इस सारे प्रयास के इन गरीबों के दुख को दूर नहीं किया गया। उनके साथ वही कड़ाई का बर्ताव किया जाता है, यह अनुचित है। अगर यह सदन इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकता, और यह सरकार जिसको यह अधिकार है कि वह इस मुल्क के अन्दर ठीक तरीके से व्यवस्था करे, वह अगर इस प्रकार की दुर्व्यवस्था को दूर करने में असमर्थ रहती है तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। जिस हाउस में जनता के ४३० नुमाइन्दे बैठे हों, उस सदन में इस प्रकार की दर्दनाक कहानियां सुनी जायं और उनके सिर के ऊपर हमारी सरकार घुटने टेक दे, यह शोभा नहीं देता। इंसानियत को खत्म करके दिमाग और दिल पर जंगलों का ज्यादा असर रखना निहायत अनुचित है।

हम लोगों की शिक्षा दीक्षा हुई। पाठशाला और कालेजों में हमने इंसानियत का पाठ पढ़ा, परन्तु आज इस प्रकार से इंसानियत को धक्का देना, मैं समझता हूं कतई नाजायज है। इस प्रकार की हठधर्मी और कट्टरपन में कहीं भी इंसानियत नजर नहीं आती है। इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह दरख्वास्त करता हूं कि इस प्रकार के केसेज में अवश्य निगरानी होनी चाहिये। जब तक यह नहीं किया जाता मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस तरह के केसेज को दूर नहीं किया जाता, उनके दुख दर्द को रफा नहीं किया जाता तब तक उत्तर प्रदेश की साढ़े छै करोड़ जनता के हम जो नुमायंदे यहां बैठे हुये हैं, वे न्याय करने के लिये नहीं बैठे हैं। अगर हम लोग उनकी भलाई का ध्यान न रख कर गरीब जनता की गाढ़ी कमाई से तनख्वाह और भत्ता लेते रहेंगे तो यह किसी भी प्रकार से ईमानदारी नहीं हो सकती है। हमारे गोखले महोदय ने भी एक बार इस बात की शिकायत की थी और उन्होंने कहा था:—

"What I expected to be the chains of iron, have proved to be the ropes of sand."

अर्थात् जिन लोगों को हम यह समझते थे कि वे देश के निर्माण में लोहे की जंजीर की तरह से होंगे वे बालू के रस्से की तरह साबित हुए। इसी तरह से आज हमें यहां पर भी दिखायी देता है। इसका हमें महान खेद है। जब हम सारे देश के और इस प्रदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

के निर्माण का नारा लगाते हैं, साढ़े छै करोड़ जनता का भार जब यह सदन अपने कंधों पर उठाये हुये है तो यही उचित है कि हम अपना काम ईमानदारी से करें और जनता के कष्टों का हर समय ध्यान रखें। अगर हम सच्चाई से अपने भावों को इस सदन में नहीं रख सकते तो हम अपना कर्त्तव्य पालन नहीं करते। हम आम जनता के दुख और सुख को सामने रख कर ही सरकार को सहयोग देना चाहते हैं। लेकिन बहुत से भाई सरकार की आंखों में पट्टी बांधना चाहते हैं और यह दिखाना चाहते हैं कि हमारी हुकूमत के जितने भी कारनामे हैं, वे अच्छे, सुन्दर और उच्च हैं। अगर आपके यहां रहते हुये साढ़े छै करोड़ की जनता को कष्ट होता है तो आप उसको मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। उस कराहती हुई जनता के प्रतिनिधि आप नहीं हैं। जंगलों के आगे बढ़ाने में ही हमारा हित है, परन्तु उसी हद तक जिस हद तक मानवता से त्याग-पत्र नहीं देते। अगर मानवता को भूल कर मानव की सेवा, इंसान की सेवा करने की कोशिश की गयी जिससे कि उत्तर प्रदेश बियाबान जंगल बन जाय तो इस तरह की सेवा करने का प्रयास उचित नहीं कहा जा सकता है।

इसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट चाहता हूं और वह इसलिये कि इस फारेस्ट विभाग के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर हमको अधिक नाज और फख्र है कि उनके यहां बेईमानी को बहुत कम प्रोत्साहन दिया गया और उन्होंने सिफारिशें बहुत कम सुनी हैं। लेकिन एक अलग भावना से ही जंगल के वेल्थ को एक शेड्यूल्ड रेट पर बाहर भेज देना, बिना कोई रीजन दिये हुए ही, उचित नहीं है। यह केवल मेरी ही नहीं बल्कि साढ़े ६ करोड़ जनता की आवाज है और मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि ये मनमानी बातें इस हुकूमत के अन्दर नहीं होनी चाहिये। मैं इसका विरोध करता हूं और बहुत जबरदस्त विरोध करता हूं। हमारे पब्लिक एक्सचेकर की उससे ज्यादा हानि होती है, लाखों और करोड़ों में नहीं, बल्कि अरबों में हानि होती है। अगर हमारा व्यवहार ठीक रहा, अगर हमारी सरकार ईमानदार रही तो मैं समझता हूं कि हमारी आने वाली जो हुकूमतें होंगी वे इससे शिक्षा ग्रहण करेंगी और इस तरह से इस देश की काफी प्रगति हो सकेगी।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने जो कटमोशन का प्रस्ताव आया है उसका मैं समर्थन कर रहा हूं और जंगलात के विषय में यह जो माननीय मंत्री महोदय का अनुदान आया है उसका विरोध कर रहा हूं। वैसे तो जंगल हमारे प्रदेश के लिये, हमारे स्वास्थ्य के लिये और हमारी खाद्य स्थिति के लिये बहुत जरूरी हैं परन्तु हम यह देखते हैं कि उन्हीं जंगलों को सरकार के द्वारा बाज-बाज जगह कटवाया गया है, मुझे यह मालूम है कि रहीमाबाद के जंगल को सरकार ने अपने पी० आर० डी० के सिपाहियों से उजड़वाया। फिर मुझे यह कहना है कि जहां तक हो सके सरकार की तरफ से पेड़ों को लगाने के लिये प्रोत्साहन मिलना चाहिये और इसके लिये सरकार अच्छे से अच्छे अनुसंधान करने वालों और जमीन की खोज करने वालों द्वारा प्रदेश का दौरा करवाये और वह इसलिये कि वे देखें कि कौन सी जमीन और किस क्षेत्र की जमीन किस पेड़ के लिये उपयोगी है। मैं यह देखता हूं कि जो ऊसर और बंजर जमीनें हैं वहां तो आप बादाम लगाने की सिफारिश करते हैं और जो अच्छी जमीनें हैं वहां बबूल बोआने की सिफारिश करते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाय कि जहां फलदार पेड़ पैदा हो सकते हों, वहां फलदार पेड़ ही लगाये जायं, और जहां बबूल पैदा हो सकते हों, वहां बबूल के ही पेड़ लगाये जायं। यह जरूरी है कि अनुसंधान करने वालों को देहातों में भेजा जाय, ताकि वे जनता को बतला सकें कि इस तरह की जमीन में इस तरह के पेड़ उगाये जायं जिससे हमारे देश की खाद्य-स्थिति सुधर सके और हमारे देश के लकड़ी उद्योग के लिये लकड़ी भी जो पैदा की जायगी वह भी उन बनों से ही निकल सके।

फिर मुझे यह कहना है कि वन विभाग में भी भ्रष्टाचार का कुछ न कुछ वेग है। पिछली बार मैंने एक स्कूल के बारे में कहा था कि वहां पर कुछ बंजर जमीन थी जहां पर पेड़ लगाये गये, लेकिन बाद में मैंने जाकर देखा तो वहां एक भी पेड़ नहीं था, एक दरख्त भी नहीं था। इस तरह से सैकड़ों रुपये बरबाद कर दिये गये, वहां चौकीदार रहा, जिन्न के अधिकारी रहे, लेकिन मैंने देखा कि उससे कोई फायदा नहीं हुआ, और सैकड़ों रुपया वन विभाग की तरफ से बहाया गया, यह हालत है। तो मैं सरकार से कहूंगा कि वह जिन गांवों मे जमीने ले ली गई है या जहां बंजर या ऊसर है उनमें वह जनता या ग्रामीणों द्वारा वन लगवाये, जनता ही उनको लगाये और वही उन पेड़ों की परवरिश करे। पिछले साल जो पेड़ लगाये गये वह बैसाख और जेठ की धूप में जल गये और उजड़ गये और उनमें अब दोबारा पेड़ लगाये जा रहे हैं। इस तरह से लाखों रुपया सरकार का बरबाद होता है।

जमींदारी विनाश के बाद यह हालत पैदा हुई कि जब लोगों ने यह देखा कि हमारी जमीन चकबन्दी के द्वारा पता नहीं कि किस चक में पड़ जाय, इसलिये उन्होंने तमाम फलदार पेड़ अपने यहां के काट डाले। मेरी राय में जब सरकार की तरफ से एक प्रश्न है कि वन विभाग को बढ़ाया जाय, उसको महत्व ज्यादा दिया जाय तो मानी हुई बात है कि गांवों की जनता को उसके लिये प्रोत्साहित किया जाय और उनसे ही उनको लगवाया जाय, ताकि जनता यह समझे कि यह पेड़ जो हम लगा रहे हैं वे हमारे होंगे। हमारी एक बहुत पुरानी परम्परा देहातों में चली आ रही है कि हर एक किसान चाहता है कि वह पेड़ लगाये, उन वनों में, बंजरों में या ऊसरों में जो बेकार हैं; पेड़ लगाने की हमारी पुरानी परम्परा है, लेकिन आज किसान को यह डर क्यों पैदा हुआ? उसका मुख्य कारण हमारी सरकार है, जिस सरकार को किसानों ने इतना जीवन दिया है, हर कसौटी पर जिनको सरकार ने कस कर देखा है, ईमानदारी से परख कर देखा है, पर इस सरकार से किसान को कुछ मिलता नजर नहीं आता, क्योंकि इसी समय में तमाम बाग उजड़े, खेत उजड़े खेतों के पेड़ उजड़े हैं। मैं तो सरकार से कहूंगा कि वह सबसे पहले यह आश्वासन दे कि जो पेड़ वह वन विभाग द्वारा लगवा रही है उनको वह अपने लाभ के दृष्टिकोण से न देख कर जनता के हित में भी उसको कुछ न कुछ सोचना लाजमी है और यह तभी हो सकता है जब गांव की गरीब जनता की रक्षा के लिये भी वह कोई न कोई कदम उठावे और तभी उसकी हिफाजत हो सकती है कि यह वन जनता द्वारा लगवाये जायं। वैसे रेगिस्तान को रोकने के लिये, बारिश अधिक होने के लिये, वन उद्योगों और खाद की दृष्टि से वनों का लगाना और बागों का लगाना जरूरी है। मैं जानता हूं कि हमारे यहां कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, गांव है जैसे मलीहाबाद हमारा एक ऐसा कसबा है, जिसने इस सूबे में ही नहीं, बल्कि सारे हिन्दुस्तान में बागात में एक ऐसी नजीर पैदा की है, ऐसे-ऐसे फल पैदा किये हैं जो कहीं नहीं है। वहां ऐसे-ऐसे फलों के पेड़ और दरख्त है जो हमारे सूबे के लिये ईश्वर की देन हैं। अगर इस कस्बे के जो मानी हैं या जो वहां के बागदार हैं उनको सरकार की तरफ से कुछ मदद मिले तो हमारे वनों का और बागों का उत्थान हो सकता है। इस समय जो रुपया वन विभाग में व्यय होता है उसमें से कुछ गांवों को बंजर भूमि, ऊसर और खाली जमीनों में पेड़ लगाने के लिये गांव सभाओं और गांव पंचायतों को भी कुछ दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हो गया। आप बैठ जायं। अब बाद में श्री जगपति सिंह भाषण करेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री गया बख्श सिंह के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देते हुए वन विभाग के बजट का समर्थन करता हूं और वन की जो तरक्की हमारे देश में हो रही है जिसे मैंने वन विभाग का अंतरंग सदस्य होने के नाते जाकर नैनीताल और रानीखेत आदि में देखा है। वन ही एक ऐसा विभाग है जहां एक हजार रुपया खर्च करने पर लाखों रुपये की आमदनी दिखाय। देता है। एक साल में १२, १२ फुट ऊंचे पौधे मैंने देखे उस प्लांटेशन में जो वहां किया गया था। वहां के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक जो काम किया उस पर हमें गर्व होता है कि हमारे देश में वन विभाग ने हर किस्म के फलों की पैदावार और लकड़ी की कई किस्में तैयार की हैं और कर रहा है, किन्तु यह बात देखने में जरूर अखरती है कि जहां पर लोग ऐतराज करते हैं कि हमारे यहां वन न लगाया जाय हमारे यहां जमीन की कमी है, वहां गवर्नमेंट ध्यान देती है, लेकिन गवर्नमेंट के पास एक ऐसा भाग बांदा जिले में है, जो बुन्देलखंड में है उसमें लाखों एकड़ जमीन जमींदारी उन्मूलन से आ गयी है। पहले से भी वन विभाग में वहां काफी जमीन थी, लेकिन उत्तरी भाग के वन विभाग को देखते हुए इस दक्षिण की तरफ, बुंदेलखंड के वन की तरफ गवर्नमेंट तवज्जह नहीं करती। वहां ठीक रूप से खर्च न करने से लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है। यदि वहां के वनों में गवर्नमेंट खर्च करे तो वहां भी हर किस्म के अच्छे अच्छे वृक्ष पैदा हो सकते हैं। वहां पर लाख हो सकती है, और दूसरे किस्म के पेड़ सागौन, शीशम, साल आदि सब वृक्ष लगाये जा सकते हैं, लेकिन वहां पर कोई अब तक इसकी तरक्की के वास्ते ध्यान नहीं दिया गया। वहां पर जंगलों में रास्ते तक नहीं हैं। इतना ही नहीं वहां पर सुन्दर झरने हैं और उनको बांध करके झीलें बनाने के स्थान मौजूद हैं, किन्तु गवर्नमेंट वहां कुछ ध्यान नहीं देती।

मैं अपने चालीस वर्ष के अनुभव से बुन्देलखंड के वनों का हाल श्रीमन् के सामने बता रहा हूं। पहले जब कि दो पैसे भी तंदू पत्ती से यहां नहीं उत्पन्न होते थे, उससे आज आठ लाख रुपये मुनाफा होता है। वह है बीड़ी के पत्तों द्वारा। इसका मैंने अनुभव सी० पी० में किया और यहां आकर अपने जिले में शुरू किया। जिन जंगलों को मैं पहले गवर्नमेण्ट से ६ रुपये में लेता था वह आज २५ हजार रुपये में बिकते हैं। किन्तु दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि वहां पानी की कमी है। लाखों पशु पानी बिना मर जाते हैं और जो लोग बाहर से पत्ती तोड़ने का काम करने आते हैं। बीड़ी पत्ते का काम केवल दो महीने, मई और जून में चलता है। यदि वहां के पहाड़ों को बांध कर अच्छी झीलें तैयार की जायं और वहां पर बाहर से आदमी लाकर आबाद किये जायं तो जंगलों की बहुत तरक्की हो सकती है। इस वास्ते मैं सरकार का ध्यान दिलाता हूं कि वहां पर पानी की व्यवस्था अवश्य की जाय और सड़कें बनायी जायं। यदि सड़कें बनायी गयीं और पानी की व्यवस्था की गयी तो बुन्देलखंड के जंगलों की तरक्की होती चली जायगी। हमारे बुन्देलखंड के जंगलों में और खास कर बांदा डिवीजन में लोहा, मैंगनीज, चूना, कांच, गेरू आदि की तमाम खानें भरी पड़ी हैं। बांस के जंगल हैं जिनसे कागज बनाया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेन्ट बुंदेलखंड में न तो अधिक रुपया लगाती है न वहां के विकास का कुछ खयाल करती है। क्षेत्र इतना लम्बा चौड़ा है, लेकिन वहां बहुत कम खर्च किया जाता है। इस वास्ते मैं अपनी सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वहां भी उसी प्रकार रुपया खर्च करे जिस प्रकार से उत्तरी वनों में खर्च करती है, पूर्वी वनों में करती है, उसी तरह से बुन्देलखंड के वनों में उसकी तरक्की का ध्यान रखे। वहां सड़कें तक नहीं हैं। वहां पानी का बिलकुल अभाव है। वहां पर प्लांटेशन के वास्ते वृक्ष लगाने के वास्ते बहुत जगह है, किन्तु आज तक वहां कोई कदम नहीं उठाया गया।

लाख के बारे में मेरा बहुत पुराना तजुर्बा है। मैं इसका कारोबार करने में माहिर हूं। वहां बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं जैसे कोशम, पलसा, खैर, पाकर, झाड़, घुटहल, पीपल, बरगद आदि इसी तरह के अनेक वृक्ष हैं जिनसे लाख पैदा होती है। ये पेड़ वहां मौजूद हैं। लेकिन उस तरफ बहुत कम सरकार ध्यान देती है। इसलिये मैं मंत्री जी से कहता हूं कि वहां

पर बजट का अधिकांश रुपया खर्च करके रास्ते बनाये जायं। जहां आबादी नहीं है बसायी जाय। विन्ध्य प्रदेश में ठेकेदार वहां बाहर से मजदूर लाकर अपना काम कराते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके चन्द्रा बांध के बनने से मकान बांध में आ गये हैं वे लोग बैलगुरवा स्टेशन के पास बस चुके हैं। मैं वन विभाग से प्रार्थना करता हूं कि वह उनके बसने के लिये कोई व्यवस्था कर देगा। इससे वहां के जंगलों की काफी तरक्की होगी।

श्री अधिष्ठाता——आप जरा समय का ध्यान रखें।

श्री जगपति सिंह——मैं यह कहना चाहता हूं कि बुन्देलखंड के लिये भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जैसी उत्तरी भाग के और जंगलों में सरकार करती है।

श्री अधिष्ठाता——क्या माननीय सदस्य लिखा हुआ पढ़ रहे हैं या जबानी कह रहे हैं ?

श्री जगपति सिंह——वह मेरे अन्दर लिखा हुआ है। मेरा अपना ४० वर्ष का तजुर्बा है, इसलिये मैं बोल रहा हूं।

वहां पर यदि आप सड़कों की व्यवस्था करें तो जंगल की विशेष तरक्की हो। जहां पर आदमियों की आबादी नहीं है वहां आबादी बसाने का प्रयत्न किया जाय और सड़कें बनायी जायं, जिससे बुन्देलखंड के लोगों को रोजी मिले और वन विभाग से सरकार को लाभ भी हो। वहां पर लाखों एकड़ जमीन जमींदारी उन्मूलन के बाद आयी है वह खाली पड़ी है और सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। जय हिन्द।

श्री जगदीशनारायणदत्त सिंह (जिला खीरी)——माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं। वन देश की एक बहुत मूल्यवान् चीज है। बाहर के बहुत से देश ऐसे हैं जहां कि बहुत सा खर्चा सरकार का वनों की ही आमदनी से चलता है। हमारे देश में भी वन की कमी नहीं है, लेकिन मुझे दुख है कि वन का यहां पर बहुत ही दुरुपयोग होता है। एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि ज्यादा वृक्ष लगाये जायं, वन महोत्सव होते हैं और दूसरी तरफ इस बुरी तरह से वृक्ष काटे जाते हैं कि कहीं-कहीं पर जंगल के जंगल साफ हो गये हैं। वन-महोत्सव अच्छी चीज है, लेकिन वह भी ठीक तरह से यहां पर नहीं होती है। मैं यह देखता हूं कि वन-महोत्सव में या उसके सिलसिले में जो वृक्ष लगाये जाते हैं वे ज्यादातर नष्ट हो जाते हैं। इसका क्या कारण है ? कारण यही है कि वे खराब पौधे होते हैं, उनमें जड़ नहीं होती है। सिर्फ दिखावे के लिये वे लाये जाते हैं और उस रोज लगा दिये जाते हैं। १९५४ में, जैसा कि रिपोर्ट में है वन विभाग ने, ६६३ एकड़ भूमि में दरख्त लगाये, जिसमें से ३१५ एकड़ भूमि के दरख्त पनप न सके और उनको फिर से लगाया गया, जिसमें कि सरकार का बहुत खर्चा हुआ। सरकार ने यह कहा कि उनमें पाला लग गया, लेकिन क्या सरकार को पहले से इसका आभास नहीं था ? पाला से उनको बचाने का कोई उपाय सरकार ने पहले क्यों नहीं किया।

दूसरी चीज इसी सिलसिले में मुझे यह कहनी है कि इसकी जिम्मेदारी जो है जंगल की वह फारेस्ट गार्ड और फारेस्टर्स के ऊपर होती है। वही लोग जंगल में रहते हैं और जंगल की देख भाल ज्यादातर वही लोग करते हैं। जो बड़े-बड़े अफसर हैं वह ज्यादातर शहरों में रहते हैं और कभी-कभी जंगल गये तो गये नहीं तो वह भी नहीं। फारेस्ट गार्डस् जो होते हैं, मैं यह देखता हूं कि वह ज्यादातर सिफारिश से आते हैं। उनको किसी किस्म की वाकफियत जंगल से नहीं होती। उनको पता नहीं कि दरख्त कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, किस तरह से जमीन तैयार करनी चाहिए। लिहाजा जो प्लांटेशंस होते हैं वे ज्यादातर उसके बाद में सब नष्ट हो जाते हैं। सरकार ने इसके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर हल्द्वानी में जरूर खोला है, लेकिन वह

[श्री जगदीशनारायणदत्त सिंह]

एक सेंटर इसके लिये काफी नहीं है। काफी सेंटर्स इसके होने चाहिए। इसी सिलसिले में मुझे यह भी कहना है कि जब कि इतना बड़ा भार इनके ऊपर होता है, यह देखते हुए इन लोगों की तनख्वाहें बहुत कम हैं। मेरा सुझाव है कि इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाय।

दूसरी चीज यह है कि जिस वक्त जंगलों के ठेके होते हैं उस वक्त मार्किंग में बहुत गड़बड़ी होती है। ठेकेदार जंगल के अफसरों से और कर्मचारियों से मिलकर के बहुत अच्छे-अच्छे दरख्त काट लेते हैं और उसकी जो आमदनी होती है वह आपस में वे लोग बांट लेते हैं। इस तरह से जंगल के बहुत से अच्छे-अच्छे दरख्त कट जाते हैं और जंगल खराब हो जाता है। मार्किंग की तरफ भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दूसरी चीज यह है कि जंगल में बहुत सी स्पेसीज जानवरों की ऐसी है जो कि करीब-करीब खत्म हो गई हैं। उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान जाना जरूरी है। कहा जाता है कि फ्लाइंग स्क्वाड्स वगैरह रखे जायंगे। अभी तक तो खैर कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब जंगल के अफसरान खुद ही इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देंगे और खुद बुरी तरह से शिकार करेंगे तो फ्लाइंग स्क्वाड क्या कर सकते हैं? कालोनाइजेशन स्कीम वगैरह कुछ गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स हैं और कुछ रिफ्यूजीज को ऐसे फार्म्स दिये गए हैं जो कि बिलकुल जंगल के पास हैं और वह सब लाइसेंस दार हैं, सबके पास बन्दूकें हैं, वह लोग रात दिन शिकार वहां खेलते हैं। इसको भी रोकना अति आवश्यक है, और इसकी तरफ भी सरकार का ध्यान जाना बहुत जरूरी है नहीं तो बहुत सी स्पेसीज हमारे देश में जानवरों की खत्म हो जायंगी।

दूसरी चीज यह कहनी है कि वृक्षों में बहुत से रोग लग जाते हैं। पहाड़ी इलाके में चीड़ के दरख्त कुछ तो ऐंठ जाते हैं, कुछ सूख जाते हैं। फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून इन रोगों को देखने और दूर करने के लिये ही है, लेकिन मैं देखता हूं कि बराबर जंगल के जंगल रोग ग्रस्त होते जाते हैं और वे खत्म होते जाते हैं लेकिन फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं है। मेरा सुझाव है कि उस ओर सरकार का ध्यान जाना अति आवश्यक है।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस वन विभाग के अनुदान पर बोलने का मौका दिया है। इस अनुदान का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि वन हमारे राष्ट्र की अचल सम्पत्ति हैं और इसकी ज्यादा अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि यह भी राष्ट्रीय सम्पत्ति को फायदा पहुंचाता है। माननीय मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन साथ ही साथ मेरा यह कहना है कि जहां हम राष्ट्रीय सम्पत्ति को बढ़ा रहे हैं और जहां हम और बातों पर ध्यान दे रहे हैं वहां हमें राष्ट्र के कमजोर अंग, उन गरीब अंग की भी रक्षा करनी है जो भूमिहीन हैं, जिसमें ज्यादातर हरिजन लोग हैं, जिनके पास कोई भूमि नहीं है और जिनके पास रोटी कमा खाने के कोई सम्धन नहीं हैं। यह देश कृषि प्रधान है। इसलिये ज्यादातर लोग खेती से ही अपना निर्वाह कर सकते हैं, लेकिन खेती करने के साधन सब को उपलब्ध नहीं हैं मैं अधिकांश पहाड़ों की बाबत जानकारी रखता हूं कि वहां गरीब लोग भूमि से बेदखल हो रहे हैं, उनको खेती के लिये साधन मिलना तो दूर रहा बेदखलियां भी नहीं रोकी जा रही हैं।

इस कष्ट निवारण हेतु आज नहीं, ८ वर्ष पेश्तर से ५० हजार एकड़ भूमि की वहां से मांग पेश की गई और की जा रही है। जो लोग वहां पहले के बाशिन्दे हैं उनका भूमि पर पहले से ही कब्जा माना जाता है मुड़सिज पर भी उन्हीं का हक है। इसके अतिरिक्त विशेष भूमि जंगलात के अधिकार में है इससे बहुत सी बची खुची जगह जो है उसे फारेस्ट पंचायत ने घेर रक्खा है और घेरी जा रही है यह उचित ही है। लेकिन जो भूमिहीन हैं उनके लिये

फिर क्या चारा है ? इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर भूमि इन भूमिहीनों को कहीं से मिल सकती है तो वन विभाग से ही मिल सकती है। वन विभाग ने जो भूमि घेर रक्खी है उसमें बहुत सी भूमि ऐसी है जिससे वन विभाग को कोई फायदा होने वाला नहीं है। यह ठीक है कि जो कम उपजाऊ ऊबड़-खाबड़ जमीन हो, उस पर जंगल लगा दिया जाय जिससे कि जंगल की तरक्की हो, लेकिन जहां उपजाऊ भूमि है वह उन भूमिहीन लोगों को, जिनका खेती के अलावा कोई चारा नहीं है, दे दी जाय, क्योंकि उन लोगों को पहाड़ में अगर कहीं से जमीन मिल सकती है तो जंगलात विभाग से ही मिल सकती है। हाल में सन ५५ के बाद भी जो भूमि जंगलात विभाग ने घेरी है और वहां अभी तक प्लान्टेशन वगैरह भी नहीं हो रहा है, खाली पड़ी है। मुमकिन है कि प्लान्टेशन किया जाय, लेकिन प्लान्टेशन के बजाय उसको आबाद करने में ज्यादा फायदा है। ऐसी उपयुक्त भूमि में जंगल को लगाने के बजाय आबाद करने में ज्यादा फायदा है। अगर उसमें खेती कर दी जाय तो हजारों नहीं, लाखों का गुजारा हो जायगा और राष्ट्रीय सम्पत्ति भी इस तरह से बढ़ सकती है। मेरा यह सुझाव आज से नहीं, १० वर्ष पेश्तर से मैं देता आया हूं, लेकिन अभी तक यह बात कार्यान्वित नहीं हुई।

कल आप ने देखा होगा हरिजन डिमांड पर बोलते हुए तमाम सदस्यों ने जिनों की दिक्कतें बतलायीं उसके लिए मैं आभारी हूं। वास्तव में भूमि के सम्बन्ध में उनकी हालत बहुत खराब है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उसके निवारण के लिए कोई कार्य किया जाय उपरोक्त बतलाई भूमि उनको दे दी जाय। मुझे सरकार से आग्रहपूर्वक और नम्रतापूर्वक कहना है कि यह कार्य सफल तभी हो सकता है जब उनके लिये भूमि का प्रबन्ध किया जाय। कुमायूं डिवीजन में ६० लाख एकड़ भूमि वन विभाग में लिखी हुई है अगर इसमें से २५–५० हजार एकड़ उपर्युक्त भूमि निकाल दी जाय और आबाद कर दी जाय तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ सकता है। यह तो हमें करना ही पड़ेगा। जहां जंगलों के अन्दर सड़कें बन रही हैं जो कि ५०–५०, सौ-सौ फिट चौड़ी और सैकड़ों मील लम्बी हैं, उनमें कितनी जमीन लग जाती है, लेकिन आवश्यकतानुसार उस काम को करना ही पड़ता है, रोका नहीं जा सकता। यह कहा जाता है कि जंगलों के उजड़ने से वर्षा का आना बन्द हो जायगा, अभी तो वर्षा और बाढ़ों की बहुतायत हो रही है। सरकार इस पर लाखों और करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है और बाढ़ आ रही है, तो १०-२०-५० हजार एकड़ भूमि निकाल देने से कोई उसमें खराबी नहीं हो सकती है। इसके अलावा बिजली की लाइन व जंगलों की लाइनें व सड़कें बन रही हैं और आवश्यकता के अनुसार और बनेगी, उसके लिए भी जमीन की जरूरत पड़ेगी। सारी बातें हो रही हैं, सिर्फ हरिजनों और भूमिहीनों के लिए यह कह देना कि कुछ नहीं हो सकता, इसके माने तो यह होंगे कि इनके प्रति कोई प्रेम नहीं है।

इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उनको अवश्य भूमि दी जाय।

*श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि आज वन विभाग में सारे का सारा रुपया बेकार फूंका जा रहा है। हमारे जिले में जंगल और ऊसर जमीन बहुत है। उनको यह सीख किसानों से लेनी चाहिये कि पुराने जमाने में जंगल किस तरह से तैयार किये जाते थे। आज हमने देखा है कि बाराबंकी से फैजाबाद वाली सड़क पर तार लगवा करके और उसमें फाटक बनवा करके, ईटों की बुरजियां बनवा कर जंगलों की रक्षा की जा रही है और सारे का सारा पैसा इसमें बेकार फूंका जा रहा है। गांव के लोग इस तरह से करते हैं कि चारो ओर कांटे रूंध देते हैं और उसकी रक्षा हो जाती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जंगबहादुर वर्मा]

दूसरे हमने देखा है कि रसौली के पास एक बाग तैयार किया गया है, जिसमें कि फाटक बनाया गया है, उसके चारों तरफ बुर्जियां बनायी गयी है। किसी समय वहां मंत्री जी का स्वागत हुआ था, कई हजार रुपया उसमें खर्च हुआ, लेकिन अब जाकर वहां देखा जाय कि एक भी दरख्त नहीं है। इस प्रकार से पैसा फूंका जा रहा है।

दूसरी तरफ आप देखे कि एक सड़क जो बाराबंकी से बहरामघाट को जाती है वहां एक बाग है दलसराय के पास, जिसमें बहुत सा रुपया फूंका गया है, लेकिन एक भी दरख्त नजर नहीं आता। आज सरकार बहुत सी बातें वन की रक्षा वगैरह की कह रही है। ये बन क्यों खत्म हुए। जमींदारी उन्मूलन मे तीन वर्ष लगे और जमींदारों को सचेत किया और सारे के सारे जंगल जमींदारों ने काट लिये और बेच डाले और किसानों को जमीन उठवा दी। उन किसानों ने जी जान से उस जमीन को उपजाऊ बनाया और आज जंगल विभाग और पटवारियों ने उसको किसानों के नाम दर्ज नहीं किया और जंगल विभाग किसानों से बुरी तरह से जमीन छीन रहा है।

दूसरी बात याद रखें कि मंत्री महोदय ने कहा था कि हम गोबर और खाद का इंतजाम करेंगे। गोबर ज्यादातर ईंधन में ही जल जाता है उसको रोकने के लिये कहा था। आज जंगल तैयार किये जा रहे है, जिससे खाद उत्पन्न हो। मैं किसानों की दशा बतलाता हूं। चंदवा से सफदरगंज का जंगल पड़ता है, उसमें लोगों की क्या दशा है ? वहां के लोग जंगल के पत्ते तोड़ कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। अब उनको पत्ते नहीं मिल रहे है। बड़ी मुश्किल से घूस देकर वह पत्ते पाते है। दूसरी बात यह है कि अहीर, कंजर और भिखमंगे वगैरह जानवर पाल कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनके जानवर बिक गये। जब जानवर ही नहीं रहे तो फिर योजना कैसे चल रही है।

दूसरे सरकार को चाहिये कि वह जमींदारों से सीख ले कि उन्होंने किस तरह जंगल की रक्षा की। वे लोग जंगलों में गुड़इत रखते थे और जब बेचते थे तो उसमे से कुछ हिस्सा उनको दे दिया करते थे। इस तरह से जंगलों की भी रक्षा होती थी, जानवर भी पलते थे और गरीबों के जीवन का निर्वाह भी होता था। आज इसी तरह से सरकार गरीब किसानों को कुछ हिस्सा दे दे तो सारे के सारे जंगल तैयार हो जायं। जब बिक्री हो तो उसमें से कुछ हिस्सा किसानों को दे दिया जाय। इससे हमारे प्रदेश से गरीबी और भुखमरी दूर हो सकती है और सरकार की आमदनी बढ़ सकती है। पंचायतें किस लिये कायम की गई है, इनके जिम्मे जंगलों का काम रखा जाय। नौकरशाही के लोग तो मोटर मे चलते है, अपना टी० ए० बनाते है और काम के नाम फावड़ा चलाना तक नहीं जानते है, तब वह जंगल क्या तैयार कर सकेंगे ?

दूसरी बात यह है कि बाराबंकी में देखिये कि ऊसर बढ़ रहा है। ऊसर में कितना जंगल तैयार हुआ ? सरकार को चाहिये कि ऊसर में जंगल तैयार करे, जिससे हमारे यहां ऊसर न बढ़े और भूमि उपजाऊ बनें और उत्पादन वाली जमीन हो। सरकार को चाहिये कि जंगलों को किसानों और गांव पंचायतों के जिम्मे रखा जाय, जिससे गरीब लोग भी अपने जीवन का निर्वाह कर सके और आपके जंगल भी तैयार हो सके।

श्री अधिष्ठाता--अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)--अधिष्ठाता महोदय, यह जो कटौती का प्रस्ताव माननीय मदन पांडेय ने पेश किया है, मै उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मंत्री महोदय ने वन के संबंध में जितनी बातें कहीं हैं, उससे भी अधिक कहा जाय तो बेजा नहीं होगा। वन ऐसी राष्ट्रीय सम्पत्ति है जिससे हमें करोड़ों रुपये अपने प्रदेश के डेवलपमेंट के लिये मिल सकते हैं। मुझे शंका होती है कि क्या वास्तव में सरकार वनों की रक्षा करने जा रही है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मंत्रिमंडल के और सरकार के ऐसे आदेश

गये कि परती जमीन तोड़ो और वन को काटो और उसमें अनाज पैदा करो. जिसके फलस्वरूप प्रदेश में न जाने कितने जंगल समाप्त हो गये और, श्रीमन्, मैं एक लखनऊ की बात बतलाऊं कि रहीमाबाद का जंगल समाप्त हुआ तो लकड़बग्घे लखनऊ शहर में आ गये । आज तमाम प्रकार के जंगलों का सत्यानाश करने के बाद यह कहा जा रहा है कि वनों की रक्षा करो, वन महोत्सव मनाओ । एक पुस्तिका छपी है, श्रीमन, जिसमें लिखा है कि जंगली पशुओं की देखभाल के लिये एक फ्लाइंग स्क्वाड रखा गया है, जो शिकारी जायंगे उनको वह पकड़ेगा । चन्द्रप्रभा के पास एक वन लगा तो मैंने पढ़ा कि उसमें बड़े-बड़े बालों वाले सिंह लाकर पाले गये हैं और कुछ पशु भी पाले गये हैं । इसके अलावा वहां मचान भी बना दिये गये हैं । तो पशु जब तैयार हो जायंगे उनको तो सिंह खायेंगे, लेकिन मचानों पर से शिकारी कैमरे से शूटिंग करेंगे या गोली से करेंगे यह मैं नहीं जानता । यह बड़ी अच्छी बात है कि जंगली पशुओं को आप बढ़ायें, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि एक तरफ तो चिल्लाया जा रहा है कि अन्न की कमी है, पर जिस इलाके में मैं रह रहा हूं उसके चारों तरफ जंगल हैं और वहां इतने जानवर हैं--इसके बारे में कई बार इस असेम्बली में सवाल भी हो चुके हैं--कि वे हजारों टन गल्ला बरबाद कर देते हैं । यहां तक कि अगर कोई बाग लगायें तो उसको भी खत्म कर देते हैं । कोई उपाय नहीं है, जिससे वहां के किसान अपने खेतों का बचाव कर सकें । हमने फैन्सिग के लिये कहा कि चारों तरफ फैन्सिग कर दी जाय, फिर आप खूब जानवर बढ़ाइये और जो कुछ उनकी सुन्दरता या उपयोग हो वह सब अपने लिये रिजर्व रख छोड़िये । वन बढ़ाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिनग जानवर बढ़ाने से क्या फायदा है, यह मेरी समझ में नहीं आता । तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा ।

यह सही है कि इस प्रदेश में जमींदारी खत्म हो गयी, लेकिन अब भी वह अगर कहीं बाकी है तो जंगलों के किनारे रहने वाले लोगों के लिये । आज भी वन विभाग के लोगों को उन्हें १ रुपये का १ सेर घी और १ रुपये का ५ सेर गेहूं देना पड़ता है, तब जाकर वे अपने पशु जंगल में ले जा सकते हैं । जमींदारी के दिनों में आसानी से वे अपने पशुओं को जंगल में ले जाते थे और ब्याह शादी में लकड़ी भी मिल जाती थी, लेकिन अब यह दिक्कत है । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो सुविधायें उनको पहले थीं कम से कम उनको दिलाने की वह कृपा करें ।

श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)--अधिष्ठाता महोदय, मैं इस प्रस्तुत अनुदान के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं । इसमें संदेह नहीं कि जंगल हमारे राष्ट्र की सम्पत्ति हैं और इनकी रक्षा करना हमारा सबसे पहला कर्त्तव्य है । जंगल के फायदों के सम्बन्ध में और मानव समाज पर उनका क्या प्रभाव है इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने विस्तारपूर्वक प्रकाश डाल दिया है और अब उस पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है ।

श्रीमन्, मैं उस जिले से आया हूं, जिसका लगभग एक बटा छः भाग जंगलों से घिरा हुआ है । यह छिपी बात नहीं है कि दूसरी लड़ाई के समय वहां के जंगलों की बहुत बरबादी की गई, लेकिन आज भी उनको पुनर्जीवित करने का कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं है । इस अवसर पर मैं सरकार का ध्यान जंगल के निकटवर्ती आबादियों की ओर दिलाऊंगा वहां अधिकतर अहीर लोग आबाद हैं जिनके गायें भैंसे हैं । उनको जंगल से माफी का खर और लकड़ियां मिलती हैं, लेकिन वास्तविक बात को देखा जाय तो यह जाहिर होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मुस्तकिल तौर पर अफसरान से मिल कर फायदा उठाते हैं और वह सारा का सारा लाभ स्वयं उठा लेते हैं और जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता । इसके लिये मंत्री महोदय यदि इन्क्वायरी कमेटी बैठा लें और वह मौके पर जंगल के किनारे आबाद लोगों से जांच करें तो मालूम होगा कि उनको जलाने की लकड़ी, और मकान बनाने के लिये फूस इत्यादि मिलने में कितनी बड़ी दिक्कत है, बल्कि कुछ न कुछ उनके ऊपर तशद्दुद जंगल विभाग की ओर से होता है । इसको रोकने की आवश्यकता है । यही नहीं, आज भी देलाही और पताही

[श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव]

वहां पर जारी है। अभी तक कोई ध्यान सरकार का उस ओर नहीं गया है। सही है कि वहां पंचायते बनी हुई है। मेरा सुझाव है कि यदि पंचायतों से मिल कर वहां जानवरों का शुमार करा लिया जाय और उनको चराने की व्यवस्था की जाय तो उससे बहुत कुछ सहूलियत जंगलों के निकटवर्ती गांवों मे बसने वालों को हो सकती है।

मैं सरकार का ध्यान जंगल की सड़कों की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे बहराइच जिले में कुछ जंगल ऐसे हैं जिनके इस पार और उस पार दोनों ओर आबादी हैं। लेकिन जो सड़के उन दोनों आबादियों को मिलाती हैं जो अच्छी सड़कें हैं, उन पर हैवी वेहीकिल्स ले जाने की आज्ञा नहीं है। नतीजा यह है कि गरीब किसानों की लढ़िया या बैलगाड़ी नहीं जा सकती, केवल मोटरें या हलकी सवारियां चल सकती हैं। उनकी गाड़ियों को ले जाने के लिये दूसरे रास्ते हैं, जो आजकल बरसात में बन्द पड़े हुये है और मेरा खयाल है कि साल में ६ महीने बन्द रहते हैं। सड़क बनाने के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट से अनुदान मिला, तब इसकी चर्चा हुई और तब मेरा ख्याल ऐसी सड़कों पर गया। उन सड़कों को कम से कम सीमेंट ट्रैक्स बना दें तो साल के साल उन दोनों आबादियों में आना-जाना बना रहे और जो जंगल की पैदावार है उनको बाहर ले जाने में भी सहूलियत रहे।

मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह अपनी योजना बनाई है कि जो सड़के हैं उनके दोनों ओर दरख्त लगाये जायं ताकि वे दरियाओं के कटान को रोकने में समर्थ हो सकें। तो मैं बहराइच जिले की तरफ ध्यान दिलाऊंगा कि वहां पहाड़ी कूलें तथा नाले इतने बहते हैं, जिससे हजारों बीघे जमीन बालू होती चली जाती है। साथ ही साथ सड़कें ऐसी हैं जो बरसात में कट जाती हैं और फिर उनके बनने की नौबत नहीं आती। अगर इन सड़कों के किनारे बसे लोगों के हित के लिये वन लगाने की योजना बनायें और विशेष-कर वह सड़कें जो जंगल को मिलाती हैं तो उन लोगों को जंगलों की पैदावार ले जाने में सुविधा मिल जाय और सड़कों का जो कटाव होता है वह भी बच जाय। इसके अतिरिक्त यह जो योजना जंगलों के जानवरों की रक्षा करने के लिये, हमारे माननीय मंत्री महोदय ने निकाली इसके लिये मैं उनको बधाई दूंगा। इनकी बड़ी उपयोगिता है और इनको बचाना जरूरी है।

श्री अधिष्ठाता——(श्री नारायण दत्त तिवारी का नाम लेने के पश्चात्) एक सुझाव है कि समय ७ मिनट से ५ मिनट कर दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)——मैं तो चाहता हूं कि ७ के बजाय आप १० मिनट कर दीजिये तो अच्छा है।

श्री अधिष्ठाता——समय कम है इसलिये ७ मिनट ही रहने दें।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**——माननीय अधिष्ठाता महोदय, मै मदन पांडेय जी का जो कटौती का प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

हमारे प्रदेश का गौरवपूर्ण इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे जन जीवन के अधिकांश भाग का संबंध यहां प्रदेश के वनों से रहता है और वनों की प्रगति का इतिहास हमारे सामाजिक. सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन में एक ताना बाना सा बन कर रहा है। इस दृष्टिकोण से जब हम वर्तमान सरकार की स्टेटस की मेंटैलिटी इस वन विभाग के संबंध में देखते हैं तो अवश्य दुख होता है। जंगलात विभाग का जो वर्तमान दृष्टिकोण जंगलों के संबंध में है वह यह कि वन महोत्सव का नाम लेते रहो, जंगलात को रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट समझते रहो, जहां सरकारी काम पड़ता हो वहां जंगलों का डिफारेस्टेशन करते रहो और जहां जनता का काम पड़ता हो वहां डिफारेस्टेशन का विरोध करो और जनता के जो जंगलात में अधिकार हैं उनका हनन करते रहो। यह संक्षेप में पंचसूत्री कार्यक्रम वर्तमान सरकार का मुझे लगता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया

आप देखेंगे कि तमाम कमेटीज का जिक्र इस रिपोर्ट में हुआ, लेकिन कुमायूं फारेस्ट कमेटी जिसे १९२२–२३ में बनाया गया था, उसका कहीं भी इस रिपोर्ट में जिक्र नहीं है। क्या हुआ, क्या उसका भविष्य है, इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की एक बात थी। वहां ६६ प्रतिशत जमीन का भाग जंगलात में है। यह मैं आपको एक जिले का बात कह रहा हूं। इसी प्रकार आप प्रांत को लीजिये। साढ़े ५८ लाख एकड़ जंगलात का एरिया माना जाता है, लेकिन वास्तव में इतने जंगल हैं नहीं। मैं यह सुझाव दूंगा कि जितनी भी जंगलात की आमदनी सरकार के पास है उसको तीन साल तक रेवेन्यू में शामिल न किया जाय, बल्कि एक फारेस्ट डेवलपमेंट फंड खोला जाय और यह रुपया उसमें जमा कर दिया जाय। एफारेस्टेशन केवल उन्हीं क्षेत्रों में किया जाय कि जहां पर जंगल कम हैं, ऐसे इलाकों में नहीं कि जहां जंगल ज्यादा हैं। आप ने एफारेस्टेशन की स्कीम नैनीताल जिले में बनाई, जहां ६६ परसेंट जंगल है। आप एफारेस्टेशन स्कीम वहां बनाइये जहां कि फ्लड आते हैं। आज फ्लड कंट्रोल बोर्ड अलग है और लैण्ड मैनेजमेंट बोर्ड अलग है। मैं जानना चाहूंगा कि केन्द्रीय फ्लड कंट्रोल बोर्ड और राज्य के फ्लड कंट्रोल बोर्ड से फारेस्ट डिपार्टमेंट ने एफारेस्टेशन के लिये कितना रुपया लिया। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों इसके लिये खर्च करना चाहती है लेकिन आज तक एक रुपया भी वन विभाग ने इसके लिये न तो मांगा और न उसको मिला ही। इस सरकार ने इसके लिये तीन स्कीमें बनाई हैं, गंगा राप्ती एफारेस्टेशन स्कीम, गंगा खादर एफारेस्टेशन स्कीम और कोलोनाइजेशन एफारेस्टेशन स्कीम, लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार के संकुचित दृष्टिकोण से इसको चलाना गलत होगा। हमें लैण्ड मनेजमेंट बोर्ड की परिधि को और बढ़ाना चाहिये और फ्लड कंट्रोल बोर्ड को इसके साथ शामिल कर देना चाहिये। यह दोनों बोर्ड अलग-अलग नहीं रहने चाहिये।

जहां तक विभाग की और बातों का संबंध है यह विभाग जंगलों में जो किसानों के अधिकार हैं उनको छीनता रहा है। हमारे यहां जितने जंगल के अधिकार मैनुअल में लिखे हुये हैं वे अधिकार किसानों को नहीं मिलते है। हर साल झगड़ा होता है। आप बताइये कि अगर किसान को लकड़ी नहीं मिलेगी तो वह हल कैसे जोत सकता है?

इसी तरह से डिपार्टमेंट के इम्पलायीज का सवाल है। पिछले साल नेगी जी ने सरकार की तरफ से आश्वासन दिया था कि उनके बारे में विचार किया जायगा और उनको भी वे सुविधा जरूर मिलनी चाहिये, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मंत्री जी ने जिस भत्ते को स्वीकार कर लिया है और बजट स्पीच में जिस चीज का जिक्र कर दिया गया, लेकिन एक साल के बीतने के बाद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

इसके साथ-साथ आप दूसरी बात एफरेस्टेशन की कहते हैं और उसके लिये आंकड़े भी दिये गये है कि हमने इतने एकड़ जमीन में जंगल लगा दिया, लेकिन सरकार ने डिफारेस्टेशन के बारे में नहीं बतलाया कि कितनी जमीन में हुआ। इसके हमको कोई आंकडे नहीं मिले कि कितनी जमीन में डिफारेस्टेशन हुआ। सरकार से अगर भूमिहीन जमीन मांगते हैं तो उनको एक इंच भी जमीन सरकार देने के लिये तैयार नहीं है, लेकिन सरकार अपनी व्यर्थ योजनाओं के लिये फौरन जंगल को काट देती है, चाहे वहां पर स्कीम लागू हो या न हो। इस प्रकार से सरकार प्रतिक्रियावादी नीति इस वन विभाग के संबंध में बरत रही है। यह वन विभाग का तिरस्कार है। आप वन महोत्सव मनाते रहिये, लेकिन बिना धन के किसी प्रकार से उसमें उन्नति नहीं हो सकती है। आपने २३० मील मोटर रोड बनाने की योजना बनायी है, जो ३० लाख की लागत से बनेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि यह बिलकुल असंभव है। आप इस धन को खर्च कर दें, लेकिन यह रुपया व्यर्थ हो जायगा।

इसी प्रकार से मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने मृग मरीचिका से इस्तीफा दे दिया है जो कि हाथी से जुतवाने की सरकार की स्कीम थी उसको छोड़ दिया है। इस साल उसका कहीं जिकर नहीं है। रूपकुंड रहस्य का भी इस साल कोई जिकर नहीं

[श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव]

किया गया है, लेकिन कम से कम कुमायूं फारेस्ट कमेटी, फारेस्ट पंचायत ऐक्ट और लैण्ड मैनेजमेंट बोर्ड के बारे में जो मेरे सुझाव थे, मैं समझता हूं, सरकार उनको अवश्य स्वीकार करने की कृपा करेगी।

जहां तक विभाग के पुनःसंगठन की योजना है मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि उसमें बहुत से स्थानों को एक स्थान पर लाया जायगा, जैसे कि फारेस्ट रेंजर को एक स्थान पर रखा जायगा। जो रिआर्गेनाइजेशन का फैसला है मैं उसका स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं कि सरकार अपने इस फैसले पर कायम रहेगी।

श्री प्रतापभान प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं वस्तुतः वन विभाग के विषय में न कहकर इस विषय में कुछ कहना चाहता हूं कि वाइल्ड एनीमल प्रिजर्वेशन स्कीम को लागू करने की आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ी। जिन जंगलों में वार फेयर की ट्रेनिंग के लिये सरकार ने काम लिया वहां पर जंगली जानवरों का पूर्ण संहार किया गया। मंत्री महोदय ने जंगलों के दरख्तों के विषय में कहा, मगर इस विषय में कुछ नहीं कहा। अगर वह इसके बारे में भी कह देते कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और उसको क्यों दरख्त काटने पड़े जिससे जंगली जानवरों का संहार हुआ तो उससे यह प्रतीत हो जाता कि जंगल की प्रीजर्वेशन की स्कीम में सरकार ५ गेम वार्डर और एक चीफ वार्डर उनके ऊपर रख रही है। ये लोग गेम प्रीजर्वेशन के विचार को पूरा नहीं कर सकेंगे। वे केवल जंगल की सड़कों पर ही भ्रमण कर सकेंगे। गेम का destruction फारेस्ट के बीच में स्थित गांवों व सरहद के गांवों व फार्मों से होता है जहां गेम वार्डेन्स नहीं पहुंच सकते। मैं समझता हूं कि मेरे शिकारी भाई इससे इत्तिफाक करेंगे कि राईफल से गेम मारना उसे हानि पहुंचाना है। और वह भी गर्राब (Bock shots) न कि केवल राइफलों से ही। अधिकतर जानवरों में Back shots (गर्राब) निकलते है; यह जानवरों के साथ निर्दयता तथा उनका पूर्णतया हनन है। आसाम में है कि,

"No shot gun cartridges loaded with larger than no. 4 shot, and no S. S. G. or slug cartridges may be carried in a reserved forest. Lethal, contractile and rotary bullets may be used."

मैं नहीं समझ सकता कि उत्तर प्रदेश में इसे लागू करने में क्या कठिनाई है। गर्राब नं० ४ व १ से बड़े छर्रे सरकार बन्द कर दे। इससे जानवरों का प्रीजर्वेशन स्वतः व स्थायी होगा। सरकार को मैं निमंत्रण देता हूं कि वह आंकड़े मंगाकर देख ले कि स्वतंत्रता के बाद कितने राइफलों और शाट गन्स के लाइसेंस ईश्यू हुए हैं। उससे साफ प्रकट होगा कि जंगल के जानवरों की कमी और कारतूसी बन्दूकों की वृद्धि, इन दोनों का बहुत घनिष्ट संबंध है। गर्राब के स्टाक को फ्रीज करके उसका मैनुफैक्चर और इम्पोर्ट दोनों बन्द कर देना चाहिये।

श्री मदन पांडेय--अधिष्ठाता महोदय, चूंकि समय कम है, मैं अपने सुझाव केवल प्वाइंटों में रखूंगा, लेकिन उसके पहले मैं दोनों ओर के वक्ताओं को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जिन कारणों से मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया था दोनों ही ओर के लोगों ने उनमें इजाफा किया है। भले ही उनमें से कुछ ने मंत्री जी को बधाई एकाध बार दे दी हो।

जिस प्रकार से चकबन्दी की योजना मैदानी क्षेत्रों के लिये बनाई जा रही है वैसे ही जंगलों में भी चकबन्दी होनी चाहिये। अंग्रेजों ने छुटपुट बस्तियां जंगलों में बसा रखी थीं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर जंगल के स्टाफ की सुरक्षा होती थी और चूंकि गांव के

लोग चारे की सुविधा के कारण जानवर पालते थे, उनसे कुछ दूध घी भी उन्हें सस्ता मिल जाया करता था। ऐसे अगल बगल की जमीनों को किसी एक किनारे कर दिया जाय तो इससे लाभ ही होगा।

प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा कि इनसे उन्होंने प्राइवेट वनों की रक्षा की है, लेकिन मेरा तजुरबा इसके विपरीत है। मैंने देखा है कि लाखों महुये और आम के फलदार वृक्ष इतनी तेजी से काटे गये हैं कि अगर उसका सर्वे कराया जाय तो जितने हमने कटे बताये हैं उससे कहीं ज्यादा कटे मिलेंगे। इसलिए जरूरत हो तो इस ऐक्ट में कुछ संशोधन किया जाय और अगर बिना संशोधन किये ही इसका इनफोर्समेन्ट सख्ती से किया जा सके तो वह किया जाना चाहिये।

हमारे जंगलों में जड़ी बूटियां हैं और इनकी रिसर्च कराकर एलाइड इंडस्ट्रीज बनाई जा सकती है। इसके लिये रिसर्च की संस्थाएं होनी आवश्यक हैं। हम देखते हैं कि देहरादून, सहारनपुर और हल्द्वानी में कुछ इस तरह का साधन प्रस्तुत किया गया है, लेकिन गोंडा, बहराइच, गोरखपुर या झांसी में इस प्रकार का कोई बात नहीं है, जैसा अभी हाल में एक माननीय सदस्य ने मेडिकल पर बोलते हुये कहा कि सर्पगंधा जड़ी हमारे यहां होती है और वही विदेशों से नये रूप में बनकर आकर मस्तिष्क के रोगियों को दी जाती है। इन जड़ीबूटियों का अनुसंधान होने से हमारा रुपया बाहर जाने से रुक जायगा।

चराई के लिये हमें यह सुझाव देना है कि अगर अच्छे किस्म की घास प्लाटवाइज लगवाई जाय तो पशुधन को बहुत लाभ होगा। सरकार की स्कीमें डिफेक्टिव है और ठीक फायदा नहीं पहुंच पाता है। जंगल के किनारे के लोगों को जो सुविधायें अभी तक हासिल थी वे भी अब नहीं मिल रही हैं। हमारी ओर एक डोमाखंड का जंगल है जो नारायणी नदी के किनारे हैं। यह नदी युगों से बहुत पवित्र मानी जाती है और वहां २०, २५ मील से मुरदे फूंकने के लिये लाये जाते हैं। इतनी दूर लकड़ी नहीं ले जायी जा सकती और जंगल से लकड़ी लेने पर जंगल विभाग के लोग मारपीट करते हैं। लाश ले जाने वालों के साथ यह व्यवहार कितने शर्म की बात है! भले ही उन सरकारी अफसरों ने अपनी कानूनी स्थिति मजबूत करली हो, लेकिन फिर भी उनको दंड दिया जाना चाहिये कि इस प्रकार की हरकत फिर न हो। इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंचती है।

जंगलों से कुछ चीजें ऐसी काटी जा रही हैं जिनकी जड़ ही खत्म हो रही है, जैसे सेमल का पेड़ है, जिसकी रुई तकिये भरने की काम आती है और उसकी लकड़ी दियासलाई बनाने के काम आती है। बेंत की इंडस्ट्री जंगलों के किनारे पनप रही है, लेकिन जहां से बेंत काटी जा रही है वहां फिर बेंत लगाने का कोई प्रयत्न नहीं है।

इन सुझावों के साथ में फिर से १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये इस सदन से निवेदन करता हूं कि वह इसे स्वीकार करे।

*श्री सैयद अली जहीर—अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन का बहुत आभारी हूं कि बहुत सी ऐसी तजवीजें पेश हुई हैं, जिनपर विभाग गौर करेगा और जो मंजूर करने के काबिल होंगी उनको हम मंजूर भी करेंगे। इस सिलसिले में बाज-बाज एतराजात भी किये गये, जिनके मुताल्लिक मुझे थोड़ी बातें सदन के सामने पेश करनी हैं। कहा यह गया कि पहले जिन जमीनों में जंगल था वहां अब नहीं है यानी जंगल पहले से कम हो गया है। इसके मुताल्लिक कुछ आंकड़े भी पेश किये गये, जिनके जरिये से यह बताया गया। सूरत यह है कि जिस वक्त जमींदारी खत्म हुई थी, उस वक्त जितने भी प्राइवेट फारेस्ट्स थे वह सब जंगलों में शामिल कर लिये गये थे। इस तरह से जो आराजी दिखायी गयी थी वह बहुत ज्यादा थी। लेकिन उसके बाद काफी एजीटेशन हुआ। कहा गया कि ऐसे बहुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

से जंगल हैं, जिनके पट्टे कर दिये गये थे और जिनमें पहले ही बहुत से लोगों के हकूक पैदा हो गये थे। उसकी वजह से सरकार ने बहुत से ऐसे फ रेस्ट्स जो प्राइवेट जमींदारों के थे, छोड़ दिये। शायद इसी से उनको यह अन्दाजा रहा होगा कि आंकड़ों में जो जमीन पहले थी वह अब नहीं रही, लेकिन वाक्या यह है कि जंगल बराबर नयी जमीनों पर लगाये जाते रहे हैं और बराबर बढ़ रहे हैं।

बाज एतराजात ऐसे किये गये कि फारेस्ट्स की जितनी फरटाइल जमीन है, उसमें खेती करा दी जाय और खाली ऊसर जमीनों पर जंगल लगा दिये जायं। यह चीज बहुत से माननीय सदस्यों ने कही, लेकिन वे इस बात का ख्याल भूल गये कि जंगल भी उसी जमीन में लगाये जा सकते है जहां पर खेती हो सकती है। ज्यादातर जंगल फरटाइल जमीन पर ही लगाये जाते हैं, लेकिन अगर हम जंगलों को काटते चले जायं और उस पर खेती करते चले जायं तो एक दिन ऐसा आ सकता है जब कि खेती का साधन ही न रहेगा और वर्षा होना ही रुक जायगा और जिस तरह से राजस्थान में है, न जंगल ही होगा और न खेती ही होगी। उसका नतीजा यह होगा कि चारों ओर बालू ही बालू होगी। इसलिये इस तरह की जो तजवीज है वह ठीक नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा था। जंगलों से हमें बहुत से फायदे ऐसे हैं जो हमें मालूम ही नहीं होते हैं। तो बजाय कम करने के जंगलों को हमें बढ़ाना चाहिये।

हमारे सूबे में ५१ जिले हैं जिनमें से सिर्फ १७ जिलों में जंगल हैं और ३४ जिलों में जंगल नहीं हैं। यह तो हालत हमारे सूबे की है और उस पर यह तजवीज पेश करना कि जहां पर जंगल हैं वहां पर खेती के लिये जमीन छोड़ दी जाय और ऊसर जमीन में जंगल लगाये जायं, यह तजवीज काबिले अमल नहीं है। यह मैंने पहले भी कहा था कि जो रेवाइन्स हैं या ऊसर जमीन है वहां पर भी जो दरख्त हो सकते हैं, वे लगाये जा रहे हैं। आप लोगों को अगर दिलचस्पी हो तो लखनऊ के पास ही एक कुकराइल जगह है। वहां का बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा गोमती ने काट दिया था। हालत यह थी कि वहां न कोई काश्त ही होती थी और न कोई दरख्त ही वहां होता था। ७-८ वर्षों से फारेस्ट डिवीजन में उसको शामिल कर लिया गया है और बहुत मेहनत के साथ वहां पर दरख्त लगाये जा रहे हैं। अगर उस जमीन को आप दो तीन बरस बाद देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से बेकार जमीन को इस्तेमाल किया गया है और उससे हमको कितना फायदा हुआ है।

कुछ शिकायतें इस किस्म की की गयीं कि जंगलों के जो हकूक आसपास के लोगों को मिला करते थे, वह सब बन्द कर दिये गये हैं। इस सिलसिले में एक. साल नहीं बराबर ५-६ सालों से नोटीफिकेशन्स जारी किये गये हैं और अपने आफीसरों को यह हुक्म दिया गया है कि जो हुकूक करीब वालों को पहले थे वह हुकूक उनको दिये जायं। मगर दिक्कत इसमें यह पड़ती है कि जब वे अपने हकूक को मांगते हैं कि हमें लकड़ी लेने का हक है या हमें जानवरों को चराने का हक है, जो पहले से हासिल है, उस वक्त यह सवाल उठता है कि वाकई जो हकूक ये मांग रहे हैं, वह हैं भी या नहीं। जहां तक सरकारी जंगलात का ताल्लुक है, उसका तो हमारे पास सेटिलमेंट रेकार्डस है और उसके हिसाब से हम उनको बराबर इजाजत दे देते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत न पड़े, लेकिन जो प्राइवेट फारेस्ट हैं उनके मुताल्लिक पता नहीं चलता कि क्या हक था और क्या नहीं था। जिस किसी ने साबित कर दिया कि उनका हक है तो उनके हकूक को हम तसलीम कर लेते हैं कि उनको यहां से लकड़ी लेने का हक है या चराई का हक है और वह सब उनको मिल जाता है, लेकिन जहां पर वे साबित नहीं कर पाते, तब जाकर दिक्कत पड़ती है। वैसे जाहिर है कि सरकार आम इजाजत नहीं दे सकती, क्योंकि अगर यह कर दिया जाय कि जितना जिसका जी चाह लकड़ी काट कर जंगलों से ले जाय और अपने जानवरों की चराई वहां करे, तब तो उसका नतीजा यह होगा कि जितने हमारे जंगल हैं वे सब खत्म होते चले जायेंगे।

मैं अर्ज कर दूं कि जो प्राइवेट फारेस्ट्स हैं उनके भी सेटिलमेंट रेकार्ड्स बन रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि चन्द वर्षों के अन्दर वे तैयार हो जायेंगे और उसकी सही तहकीकात हो जायगी कि किन लोगों के हकूक को तसलीम किया जाय। किसी के हकूक को लेने की या बदलने की हमारी नीति नहीं है। कुछ जंगलों के शिकार वगैरह के मुताल्लिक भी बात कही गयी। यह बात सही है कि बाज-बाज किस्म के जंगल ऐसे हैं जहां कुछ जानवरों की रेअर नस्ल ही है और अन्देशा है कि अगर इसका कोई उपाय नहीं किया गया तो वे आगे चल कर बाकी नहीं रहेंगे। इसके लिये एक नया डिपार्टमेंट कायम हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट। कई सेंक्चुअरीज बनायी जा रही हैं जहां उनकी नस्ल को प्रिजर्व किया जायगा और इस तरह की भी कोशिश की जायगी कि रिजर्व फारेस्ट में कोई शिकार न करे।

एक सदस्य——उनको जू में रख दिया जाय।

श्री सैयद अली जहीर——यही तो गलतफहमी है कि कुछ लोग समझते हैं कि जू में रखने से ही नस्ल कायम रह जायगी। यह तो वैसे ही है जैसे आपके बाग में चन्द दरख्त खड़े हों और आप कहें कि सारे जंगल के पेड़ काट दिये जायं तो भी हमारे बाग में तो वे रहेंगे ही और वही काफी होगा। ये सब गलतफहमी की ही बातें हैं। अगर जंगल में वे रहेंगे तभी बढ़ सकेंगे वरना वे खत्म हो जायेंगे। आज कल यहीं के नहीं, बल्कि बाहर के, अमेरिका वगैरह के सैकड़ों आदमियों की काफी ख्वाहिश है कि वे हमारे जंगलों में घूमें फिरें और यहां की वाइल्ड लाइफ को देखें। जैसा मैंने जिक्र किया कि एक सेंक्चुअरी बनारस के चन्द्रप्रभा में बन रही है, एक मालन में बन रही है, जहां शेरों की नस्ल जो बिल्कुल खत्म हो गयी है केवल गिरि जंगल में ही वे पाये जाते हैं वहां से ८ जोड़े शेर लाकर रखे जायेंगे ताकि उनकी और नस्लें तैयार हो सकें।

श्री बलदेव सिंह——दूसरी नस्लों को बरबाद कर देंगे।

श्री सैयद अली जहीर——बहरहाल, दूसरी नस्लों के बरबाद होने का कोई अन्देशा नहीं है, हम लोग भी तो पहले जंगल में ही रहते थे, लेकिन बावजूद उसके हमारी नस्लें अभी तक कायम हैं, इसके लिये केवल अक्ल होनी चाहिये। अक्ल होने पर नस्लों के बरबाद होने का कोई डर नहीं है।

श्रीमन्, मुझे हैरत हुई कि हमारे दोस्त तिवारी जी को इसका कोई अन्दाजा नहीं हो सका कि २४८ मील सड़कें किस तरह से वहां बन सकेंगी। हालांकि वे पहाड़ के ही रहने वाले हैं और यकीनन वे आस-पास के जंगलात के गांवों से वाकिफ होंगे और वहां के रास्तों से भी वाकिफ होंगे। जहां तक जंगलों में सड़कों के बनाने की बात है जंगलों के रास्ते, जो बनाये जाते हैं उन पर मोटरें यद्यपि चलती है, लेकिन मोटरों से चलने के माने यह नहीं है कि वे भी सीमेंट रोड्स हों या टार्ड रोड्स हों, जैसा कि शहरों के अन्दर होती हैं। वह जंगल की सड़कें तो इसलिये बनाई जाती हैं कि वहां पर मोटर चल सकें और वह वहां काफी सस्ती बन जाती हैं और उनको एक खास तरीके से रखा जाता है तभी वह रह पाती है, बरसात के मौसम में वह बन्द हो जाती हैं, क्योंकि वह बारिश के जमाने में इस काबिल नहीं रहतीं कि उन पर आमद-रफ्त हो सके, लेकिन सूखे मौसमों में वह काफी मुफीद होती हैं।

दूसरे उनकी यह गलतफहमी है कि फ्लड कंट्रोल बोर्ड से एफारेस्टेशन का काम कराया जाय या वह एक ही चीज हैं।

श्री अधिष्ठाता——माननीय मंत्री जी, समय कम है, दूसरे अनुदान का भी आप खयाल रखें।

श्री सैयद अली जहीर--जहां तक फ्लड कंट्रोल बोर्ड का संबंध है, उसकी गरज दूसरी है; वह तो बाढ़ों को कंट्रोल करता है और जहां तक कि एफारेस्टेशन का सवाल है उसमें तो जमीन का कटाव रोकने के लिये जंगल लगाये जाते हैं, तो वह दोनों विभाग अलग-अलग हैं और उनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह से कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड की बात जो वह कहते हैं उसके काम को तो प्लानिंग विभाग डील करता है, फारेस्ट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं आपके पास पिछले साल की वन विभाग की रिपोर्ट भेज दूं। वह आप पढ़ लें।

श्री सैयद अली जहीर--जरूर भेज दीजिये अब उसको प्लानिंग विभाग डील करता है, पहले जो कुछ भी होता हो। स्वायल कंजरवेशन बोर्ड का जरूर एफारेस्टेशन से ताल्लुक है और वह दोनों साथ मिल कर काम करते हैं। फिर भी, जो कुछ भी तजवीज माननीय सदस्यों की तरफ से पेश की गई हैं और जितने सुझाव दिये गये हैं, जैसा कि मैंने कहा हम उन पर गौर करेंगे और उनको मानने की कोशिश करेंगे। हमारा आपका सब का मकसद एक है। इन चन्द अल्फाज के साथ मैं चाहता हूं कि इस ग्रान्ट को मंजूर किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५--वन के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५--लेखा शीर्षक १०--वन के अन्तर्गत २,१५,७४,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १५--लेखा शीर्षक २७--न्याय प्रशासन

*न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--अधिष्ठाता महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५--लेखा शीर्षक २७--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १,३९,१९, ९०० रुपए की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

जहां तक न्याय विभाग का ताल्लुक है, इसमें कोई खास तब्दीली गुजिश्ता साल से इस साल में नहीं हुई है और शायद माननीय सदस्यों को यह सुन कर ताज्जुब होगा कि हमने बहुत कोशिश की कि दूसरा जो प्लान है उसमें कम से कम कुछ थोड़ा सा रुपया हमको इस विभाग के लिए भी मिले, लेकिन आप यह प्लान एक सिरे से दूसरे सिरे तक देख डाले न्याय के लिए उसमें एक पैसा नहीं पायेंगे। हमने कुछ ज्यादा नहीं, डेढ़ करोड़ रुपये की मांग की थी और हमने यह कहा था कि कम से कम जो अदालतें हमारे यहां की हैं वह अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई हैं। उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने जैसी भी अच्छी बुरी इमारतें हुई उनमें अदालतें कायम कर दीं। कहीं-कहीं पर तो अच्छी इमारतें हैं, लेकिन ज्यादातर निहायत पुरानी, सड़ी गली सन १८५७ की और १८५७ से पहले की इमारतें हैं, जिनमें अदालतें किसी न किसी तरह से अब तक बसर कर रही हैं, लेकिन बावजूद हमारी कोशिश के हमको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई रुपया उसमें नहीं मिल सका। तो फिर हमने अपने ही बजट से स्टेट की आमदनी है उसमें से कुछ थोड़े से नये आइटम्स के लिए कुछ रुपया अलग किया है और कुछ थोड़ा रुपया बढ़ाया है ताकि जो तकलीफें है ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस की किसी हद तक रफा हो सकें। आप देखेंगे कि इसके सिलसिले में हमने १ करोड़ ६६ लाख र ७ सौ रुपया इस साल मांगा है जिसमें पुराने साल से कोई १२ लाख ४७ हजार रुपया की बढ़ोत्तरी है। यह बढ़ोत्तरी करने के और कोई विशेष कारण नहीं हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे हाई कोर्ट में जैसा कि आपने भी देखा होगा कि एरियर्स बहुत हो गये हैं और जजेज की कुल तादाद २४ है। लेकिन हमने समझा कि २४ जजेज से काम नहीं चलेगा एरियर्स को साफ करने के लिए। चुनांचे दो जजेज के लिए हमने बजट में प्राविजन किया जिनमें से एक जज मुकर्रर हो गया है और दूसरा जज, उम्मीद है कि अनकरीब मुकर्रर हो जायगा और बजाय २४ के २६ जज हो जायेंगे।

इसके बाद जो आमतौर से सालाना इन्क्रीमेंट होता है, डियरनेस एलाउंस होता है उसके सिलसिले में कुछ बढ़ा है। फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में आपने सुना होगा कि जिन लोगों की तनख्वाहें सौ रुपये से कम हैं उनको पांच रुपये की बढ़ोत्तरी दी जायगी। तकरीबन चार लाख रुपया उसकी वजह से बढ़ गया है।

इसमें आपको यह भी अन्दाजा होगा कि २ लाख ५६ हजार २ सौ रुपये के नये आइटम्स हैं। इनमें से २ लाख २४ हजार रेकरिंग और ३२ हजार नानरेकरिंग हैं। रेकरिंग आइटम में ४७ हजार रुपया हमने इसलिये रखा है कि गवाहों को जो खूराक दी जाती थी वह बहुत कम थी और उसकी वजह से गवाह, खासतौर से फौजदारी के मुकदमें में आने से इनकार कर देते थे। उसमें इजाफे की जरूरत समझी गयी और उसमें इजाफा कर दिया गया। इसी तरह से अदालत में जो अमीन मुकर्रर होते हैं उनके लिये कोई एलाउन्स का इन्तजाम नहीं था। समझा जाता था कि या तो वह अपने पास से खर्च करेंगे या मुवक्किल ले जायगा तो वह देगा। बहुत सी शिकायतें आती थीं कि इस वजह से भी करप्शन होता है। चुनांचे उनके वास्ते ट्रैवेलिंग एलाउन्स का इंतजाम किया गया है। तेरह हजार रुपया इन्लाइज इंश्योरेंस कोर्ट जो इलाहाबाद और बनारस में कायम होंगी उनके लिए हैं। २३ हजार ५ सौ रुपया इसलिये रखा गया है कि इटावा में नयी जजशिप कायम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारी जब स्वतंत्रता हुई था उस वक्त बहुत से ऐसे जिले थे जिनमें डिस्ट्रिक्ट जज नहीं थे। तो अब जहां तक हो रहा है अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट जजेज कायम हो रहे हैं। इस साल इटावा में कायम हो रहा है। तो २३ हजार ५०० रु० का इसमें प्रोवीजन किया गया है। इसके अलावा कुछ और रकमें हैं जो इमारतों के लिये हमने रखी हैं; वह आज आपके सामने नहीं हैं। मालूम नहीं उसकी इत्तिला भी हुई थी कि नहीं, जिस वक्त आपने ग्रान्ट नम्बर ५० और ४७ मन्जूर की होगी। बहरहाल, उसी में वह रकम भी मंजूर हो गई है जिससे कुछ इमारतें बनना हैं। अल्टरेशन्स वगैरह होने हैं। बहरहाल मैं उसका तजकिरा किये देता हूं। उसी तरह से २ लाख रुपया सिविल कोर्ट्स की इमारतों में ऐडीशन्स और आलटरेशन्स के लिये रखा गया है। जैसा मैंने कहा, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से तो कोई सहायता मिली नहीं, अपने पास से जितना हो सकता था हमने उस काम के लिये रखा है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो एरियर्स हैं, उसके बारे में सवालात भी अक्सर होते हैं, जो कुछ उसके मुताल्लिक हमने किया है वह अभी थोड़े ही दिन हुए एक सवाल के जवाब में अर्ज कर चुका हूं। एक तो यह है कि वर्किंग डेज की तादाद बढ़ा रहे हैं। यानी अब २०० दिन साल में हाईकोर्ट के जजेज काम किया करेंगे। दूसरे, हाईकोर्ट के जजेज की तादाद बढ़ा रहे हैं। तीसरे, यह कि जो अपील १० हजार तक की मालियत की थी, वह अब डिस्ट्रिक्ट जज के यहां मुकदमें की पहली अपील जाया करेंगी। उसके बाद यह था कि सिविल जज का जुरिस्डिक्शन २ हजार से ऊपर नहीं था। अब यह है कि सिविल जज ५ हजार तक के मुकदमों का फैसला कर सकेंगे। इसी तरह से जो पेपरबुक छपा करती थी, पहले यह था कि

[श्री सैयद अली जहीर]

जो भी बैंच केस हुआ वह छपता था। लेकिन अब यह है कि १० हजार से ऊपर का केस होगा तो वह छपेगा वर्ना वैसे ही टाइप हो करके हाईकोर्ट जायगा और उस पर फैसला वहां हुआ करेगा।

स्माल काज कोर्ट के जो मुकदमें थे, उनकी निगरानी अभी तक हाईकोर्ट में होती थी। अब हाईकोर्ट के बजाय यह काम डिस्ट्रिक्ट जजेज को दे दिया गया है। इससे हमें उम्मीद है कि आगे चल करके कुछ और भी कमी होगी। इसके अलावा जो कुछ हम कर चुके हैं वह आपको मालूम है कि एक तरमीम कानून आया था जिसमें ऐवीडेंस ऐक्ट, ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, स्माल काजकोर्ट ऐक्ट, ल्यूनैसी ऐक्ट, वगैरह-वगैरह तरमीम किये गये थे ताकि प्रोसीजर सहल हो जाय और मुकदमों के फैसले जल्द हो सकें।

हमने कुछ तादाद डिस्ट्रिक्ट ऐण्ड सेशन्स जज और सिविल ऐण्ड सेशन्स जज की बढ़ा दी है। पहले ३० डिस्ट्रिक्ट ऐण्ड सेशन्स जजेज थे और १५ परमानेंट पोस्ट थीं। सिविल ऐंड सेशन्स जजेज १९५१ से बढ़े हैं और अब ८४ हो गये हैं। मगर इस साल मुन्सिफ्स में ४४ की तादाद और बढ़ा दी गई है। इनकी कमी की वजह से बाज-बाज जिलों में फैसले जल्दी नहीं मिलते थे और हाईकोर्ट ने मांग की थी कि उनका केडर बढ़ाया जाय। चुनांचे २२२ से बढ़ा कर मुन्सिफ्स का केडर २६६ कर दिया गया है।

एक और पेरीनियल क्वेश्चन आया करता है। सेपरेशन आफ ऐग्जीक्यूटिव, और जुडिशियरी आप जानते हैं एक अर्से से यह सवाल उठा करता है। बहरहाल, मुझे इसके सिलसिले में यह अर्ज करना है कि इस साल कोई खास तरक्की नहीं हुई है। १८ जिले ऐसे हैं जिनमें ऐडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट (जुडिशियल) ऐप्वाइन्टेड हैं और वहां पर जुडिशल आफिसर्स मुकर्रर हैं। वह उसके मातहत काम करते हैं। इस तरह से कम से कम १८ जिलों में एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का सेपरेशन इस समय है। वैसे जुडिशियल आफिसर्स तो बहुत से और जिलों में हैं, करीब-करीब प्रदेश के सभी जिलों में वह काम करते हैं लेकिन वहां वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के मातहत होते हैं। इन १८ जिलों में वे एक ऐडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट (जुडिशल) रहता है उसकी निगरानी में काम करते हैं और इस तरह से यहां पर जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन कायम है। इसी के साथ-साथ में पर्वतीय जिलों का भी जिक्र कर दूं। वहां पर पहले जो सिविल वर्क था वह एस० डी० ओ० करते थे लेकिन एक कमेटी---कुमायूं सिविल जस्टिस इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी। उसकी तजवीजों के हिसाब से इसको अब बदल दिया गया है और अब नैनीताल में दो मुंसिफ, अल्मोड़े में तीन और गढ़वाल में दो, कुल सात मुंसिफ मुकर्रर कर दिये गए हैं। वह इन मुकदमों का फैसला करेंगे और कोई खास बात मुझे इस सिलसिले में नहीं कहनी है। बहरहाल, जो कुछ सुझाव आप लोग इसमें पेश करेंगे उनके ऊपर हम बराबर गौर करते रहे हैं और आइन्दा भी हम गौर करेंगे।

हम समझते हैं कि जिस तरह से कि सस्ता ऐडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस का और जल्दी मुकदमों का फैसला होना चाहिए, अभी तक अपने सूबे में हम उस मकसद तक नहीं पहुंच पाये हैं। लेकिन मैं यही यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो उसके कारण हैं वह इतने मुख्तलिफ हैं और ऐसी दिक्कतें हमारे सामने हैं कि यह समस्या बहुत जल्दी हल नहीं हो सकती। बहरहाल, जो-जो जरूरी अकदाम उसके लिए होने चाहिए वह हम कर रहे हैं और जहां तक हो सकता है, हमारा खयाल है कि जो हमने कदम इस वक्त उठाये हैं उसके असरात बहुत जल्दी नजर आयेंगे। हमारे यहां मुकदमों का जो एक्युमुलेशन हो गया है वह खत्म हो के रहेगा, उसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा।

उसी के साथ-साथ जो एग्जीक्यूटिव और जुडिश्यरी के सेपरेशन की बात है, मेरा खुद अपनी तरफ से यह खयाल है कि असल में वह एक उसूली चीज है और ऐसी चीज नहीं है कि

इससे हम यह समझें कि बगैर उसके हमारे यहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता। असल में जो उसका मंशा है वह यह है कि जस्टिस होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, इन्साफ होना चाहिए और उसमें यह कहा जाता है कि जब तक कि एग्जीक्यूटिव और जूडिशियरी का सेपरेशन नहीं होगा उस वक्त तक असली न्याय जैसा कि होना चाहिए वह नहीं हो सकता। बहरहाल, अब आजादी के जमाने में सेट अप बिल्कुल दूसरा है। कोई शख्स यह नहीं चाहता कि किसी के साथ कोई अन्याय हो या ज्यादती हो। लेकिन उसी के साथ यह भी देखने की जरूरत है कि आज हमारे मुल्क में क्राइम सिचुएशन जो है वह कम हो। बाज-बाज सूबों में इसमें शक नहीं कि अपराध कम हो गये हैं और उन्होंने अपने यहां जूडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन में कुछ कामयाबी हासिल की। लेकिन हमारे सूबे की हालत अभी अपराध की इतनी इत्मीनानबख्श नहीं है कि हम इतने बड़े कदम उठा सकें और हम बिल्कुल इसको सेपरेट कर दें और अगर हम सेपरेट कर देते हैं तो हमको यह अन्देशा है कि जो एक्जीक्यूटिव के हाथ में पावर्स आज हैं उनके जरिये से जो वह क्राइम को रोक सकते हैं, वह उन पावर्स के कम हो जाने पर शायद क्राइम्स बजाय घटने के और बढ़ जायें और हमको और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसमें कोई शक नहीं कि यह डाइरेक्टिव कांस्टीट्यूशन का है। हमको इधर कदम उठाना है और इसको सेपरेट करना है। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं कि चूंकि डाइरेक्टिव है लिहाजा हम जल्दी से जल्दी इधर कदम उठा लें जब तक कि हमारे सूबे की हालत दुरुस्त न हो। हर मामले में यह देखना पड़ता है कि पहले क्या चीज करनी है। पहले हमको अपनी आर्थिक हालत को दुरुस्त करना है। पहले अपने यहां के अपराधों को कम करना है, अपने यहां की सोशल कंडीशंस को इम्प्रूव करना है और फिर उस डाइरेक्टिव को भी पूरा करना है। तो इसके माने यह नहीं हैं कि हम समझते नहीं हैं या हम एलाइव नहीं हैं कि यह डाइरेक्टिव हमें पूरा करना है। लेकिन सवाल वक्त का है कि हमको उसे फौरन करना है या अभी दो-चार साल ठहर सकते हैं और उसके बाद अगर करेंगे तो वह देश व सूबे के हित में होगा और जनता को उस पर ज्यादा इत्मीनान होगा। बहरहाल, उसके मुख्तलिफ ऐस्पेक्ट्स हैं, जिन पर हमें गौर करना है और जहां तक सरकार का ताल्लुक है मैं इसको समझ रहा हूं, अपनी जिम्मेदारी को भी समझता हूं और सूबे की हालत को भी हम देख रहे हैं और उन सब बातों को देखते हुए हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि इस वक्त जरूरी नहीं कि हम उधर कदम उठायें, क्योंकि इसकी वजह से न तो कोई नुक्सान हो रहा है और न कोई जरूरी काम पूरा होने से रुक रहा है। इससे ज्यादा जरूरी काम हैं जिनको हम पूरा कर रहे हैं और चन्द सालों में जब यकीनन ऐसी सूरत हो जायगी तो मजबूती से कदम हम उस तरफ उठा सकेंगे और कांस्टीट्यूशन का जो डायरेक्टिव है उस पर पूरे सूबे में अमलदरामद हो सकेगा। इन चन्द अल्फाज के साथ मेरी प्रार्थना है कि जो मैंने मांग पेश की है वह स्वीकार की जाय।

*श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २७ में जो १,३९,१९,९०० रु० की मांग की गई है उसमें १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं और इसकी मंशा यह है कि इस मांग पर बहस की जाय और कुछ सुझाव दिये जायं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बड़े महत्व का विषय है। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, लेकिन खुशी भी है कि विभाग का वास्ता श्री सैयद अली जहीर साहब से है और जिनका न्याय से बहुत ज्यादा गहरा सम्बन्ध रहा है। उनकी तकरीर से यह बात वाजेह हो रही थी कि वे भी मौजूदा निजाम से मुतमईन नहीं हैं। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से वे फौरन उसको करने में मजबूर हैं।

मुझे साथ-साथ यह भी अफसोस है कि न्याय का मसला जिस पर आज हम लोग बहस करने के लिये आये हैं, सदन की यह हालत है कि हाजिरी माननीय सदस्यों की बहुत ही मुख्तसर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराज बहादुर]

है। फिर मिनिस्टर साहब को अपने बातें कहने में एक घंटे से ज्यादा लग जायगा। इसलिये मैं बहुत थोड़ा वक्त लूंगा जिससे और लोगों को भी अपने खयालात का इजहार करने का मौका मिल सके।

जहां तक हमारे सूबे का ताल्लुक है, इसे एक मंगलकारी राज्य कहा जाता है, 'वेलफेयर स्टेट' बतलाया जाता है और कहा जाता है कि हम राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। बजट की दोनों अंग्रेजी और हिन्दी की तकरीरें हमारे सामने मौजूद हैं लेकिन उसमें १५ नम्बर की ग्रान्ट के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया। मुमकिन है मैं नजरन्दाज कर गया हूं। एक फारसी शेर में कहा गया है :—

"जिन्दा अस्त नाम फरुखे नौशेरवां ब अदल,
गर्चे बसे गुजश्त कि नौशेरवां नमांद।"

नौशेरवां का नाम इसलिये जिन्दा है कि उसने इंसाफ किया, राजा विक्रमादित्य का नाम इसलिये जिन्दा है कि उसने इंसाफ किया। उसके राज्य में ऐसा माहोल पैदा हो गया था कि चरवाहा जाकर बैठ जाता था और इंसाफ कर सकता था। राम का नाम इसलिये मशहूर है कि उन्होंने इंसाफ किया। जहांगीर बड़ा ऐश परस्त आदमी था, शराब में मस्त रहता था लेकिन घंटी बजा दी जाय तो उससे मुलाकात हो जाती थी। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आज आपका जो कार्य का तरीका है यह इंसाफ से बहुत दूर है। 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड'। जहां इंसाफ में देरी होती है वहां इंसाफ नहीं हो सकता।

अभी मिनिस्टर साहब ने फर्माया कि बार-बार यह बात सुनने में उनको बड़ी तकलीफ होती है कि बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार के नाम से उनको तकलीफ होती है तो मैं यह भी कोशिश करूंगा कि भ्रष्टाचार का कोई जिक्र न आये ताकि उनको तकलीफ न हो लेकिन जहां तक इंसाफ का वास्ता है तो इंसाफ की बड़ी तकलील है, बड़ी कमी है। आज मैं अपनी मालूमात की बिना पर यह अर्ज कर सकता हूं कि ये जो आंकड़े हैं ये महज गवर्नमेन्ट के लिए हैं और कुछ हमारे विरोधी दल के नेता हैं, जो बादशाह हैं आंकड़ों के, तिवारी जी के लिये हैं। मैं कुछ आंकड़े रखता हूं कि ३९,२७९ मुकदमे आपने बताये कि हाईकोर्ट में पेण्डिंग हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि सप्लीमेंटरी क्वेश्चन एक किया गया था कि उसमें कितनी पेटीशंस हैं, कितने क्रिमिनल और कितने सिविल केसेज हैं, उसका जबाव नहीं मिल सका। न मालूम किस वजह से देना उचित नहीं समझा। इसके सिवा अगर तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को देखा जाय तो मैं देखता हूं कि हजारों, लाखों केसेज ऐसे निकलेंगे जिनका कि कोई अभी तक फैसला नहीं हो सका है। तो जहां १५ साल के पहले के मुकदमें मौजूद हैं या १८ साल तक के मौजूद हैं तो कहां आपके इन्साफ की बात आती है ?

आप देखते हैं कि इस दौर में दुनिया की तरक्की हो रही है और दुनिया में जल्दी जल्दी, सुरअत के साथ तबदीलियां हो रही हैं, इस जमाने में १५ और १८ साल के मुकदमें बगैर फैसले पड़े हैं और उसके साथ हम दावा करते हैं। मैं तो आपके सामने आपकी बात ही अर्ज करूंगा। कांग्रेस कमेटी के ओपेन सेशन में, इजलास में जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव के सेपेरेशन की बात रखी गयी थी और आपकी मुकर्रर की हुई, स्वयं आपकी वांच् कमेटी थी। उसकी यूनैनिमस रिपार्ट यह है कि सेपेरेशन जरूर होना चाहिये। जिन लोगों का वास्ता है वह रिपार्ट देखते हैं और मंत्री जी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस वक्त तक जुडीशियरी का एक्जीक्यूटिव से सेपेरेशन नहीं होगा उसका इंडिपेंडेंट फंक्शन होना ना मुमकिन है, गैरमुमकिन है। जो जुडीश्यल मेजिस्ट्रेट रखे गये हैं, आज उनकी जिन्दगियां मुअल्लिक हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथों में। जुडीशियरी के केसेज में फैब्रीकेटेड एवीडेंस होते हैं। अमानतों में दिक्कतें पड़ती हैं, तमाम दिक्कतें हैं। अगर जल्दी से गौर करें और बहुत ताम्मुल के साथ भी सोचें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर हम कानूनी ईविल्स को दूर करना चाहते हैं और हम खराबियों को दूर करना चाहते हैं तो हम, जितनी जल्दी हो सके, एग्जिक्यूटिव को जुडीशियरी से अलग कर दें।

इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि जाने कितने, सैकड़ों, आनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप उनसे वही काम लेना चाहते हैं या जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से लेते हैं और जुडीश्यल मैजिस्ट्रेट से लेते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह भी कोई मुकर्रर नहीं है। मैं तो कहता हूं कि दो चार आदमी ऐसे मुश्किल से मिलेंगे जो आनरेरी वर्क कर सकें और ये आपको सैकड़ों की तादाद में आनरेरी मैजिस्ट्रेट मिले हुये हैं जिनसे आप इन्साफ चाहते हैं, जिनको कि आपने फर्स्ट क्लास पावर्स दे रखी हैं। तो मैं तो यह अर्ज करता हूं कि या तो आनरेरी मैजिस्ट्रेट बिलकुल हटा दीजिये और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो उन्हें कुछ आनरेरियम देना बड़ा जरूरी है।

आज मैं आपके आंकड़े देख रहा था कि थोड़ी आंकड़े की बात भी देख ली जाय। मैंने यह देखा कि इस वक्त तक जो आपके गवर्नमेंट प्लीडर्स थे उनकी भी अजीब हालत है। जितने सिविल ला हैं उनमें भी कोई इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन ३१,८०० रुपया का इजाफा किया गया है गवर्नमेंट प्लीडर्स की पे में। इन गवर्नमेंट प्लीडर्स का जो तकर्रुर होता है वह भी एक तुर्फे सितम है। मेरे पास मिसालें मौजूद हैं लेकिन उनको पेश करना मुनासिब नहीं समझता हूं लेकिन इतना कह देना चाहता हूं कि जो उचित व्यक्ति है और जिसका एप्वाइंटमेंट होना चाहिये, नहीं हो पाता है। मेरा सुझाव यह है कि इसके लिये एक कमेटी होनी चाहिये उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो और बार ऐसोसियेशन का प्रेसीडेंट भी होना चाहिये ताकि सही तरीके से गवर्नमेंट प्लीडर्स की नियुक्ति हो सके।

इसके अतिरिक्त मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ३५,००० रुपये की रकम सिर्फ 'इम्प्रूवमेंट आफ दी कोर्ट कम्पाउन्ड' के लिये रखी गयी है, ४६,६०० रुपये किताबों की खरीदारी के लिये हैं और ३०,००० रुपये की रकम फर्नीचर के लिये रखी गई है जो पिछले साल नहीं थी। इसके अतिरिक्त आपके यहां जजों की तनख्वाह १,१०० रुपये से लेकर २,२५० रुपये तक जाती है। जब हम अपने देश की गरीबी की तरफ देखते हैं और परेशानी को देखते हैं और मंत्रियों ने भी अपनी तनख्वाहों में कटौती की है तो हम चाहते हैं कि इनकी तनख्वाहों में भी कमी होनी चाहिये और १,५०० रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। चीफ जस्टिस को ४,००० रुपये तनख्वाह देते हैं उसमें भी कमी करने की जरूरत है। इसी तरह से और भी चीजों में कमी करें तो बहुत सा रुपया बच जायगा। आज हमारे सामने यह चीज है और इस पर गौर करने की जरूरत है। जहां तक जस्टिस का ताल्लुक है इंसाफ नहीं है वैसे सब कुछ है। इसकी तरफ तवज्जह नहीं की जाती है। एक बात और मिनिस्टर साहब की तकरीर से झलकी कि सेंटर की परवाह नहीं है। हम राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि देश में इंसाफ हो, किसी को परेशानी न हो, न्याय जल्दी मिले, मजलूम को इंसाफ मिले और हम चाहते हैं कि न्याय सस्ता हो। आप इंगलैन्ड में चले जाइये; वहां वकील और बैरिस्टर रुपया नहीं लेते थे और यह बड़ा अच्छा प्रोफेशन समझा जाता था।

श्री अधिष्ठाता--आपका समय समाप्त हो गया।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--सुबह भी यह प्रस्ताव पेश हुआ था उस समय कहा था कि बाद को पेश कर दिया जाय।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मेरा सुझाव यह था कि अभी बहस चलती रहे और जब पांच बजने में कुछ समय रह जाय और उस समय सदन चाहे कि कुछ और बहस हो तो हम लोग इसको स्वीकार कर लेंगे लेकिन अगर सदन इसकी जरूरत अनुभव न करे तो पांच बजे बहस

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

बन्द कर दी जाय। सब लोग काफी थके हुये हैं और कुछ सदस्यों ने बताया कि आज आखिरी दिन है उनको जाना है। इस तरह की बात लोगों ने कही है। कल १५ अगस्त है इसलिये मैंने सुझाव रखा है कि अन्त में जैसा हम समझें कर लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री हरिश्चन्द्र सिंह (जिला बदायूं)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय न्याय मंत्री ने जो अनुदान मांगा है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं, किन्तु मैं कुछ सुझाव पेश करूंगा। चूंकि इस न्याय विभाग से मेरा संबंध ३४ वर्ष का है इसलिये जो-जो चीजें मैंने महसूस की हैं और जिन-जिन को मैं जरूरी समझता हूं वे इस सदन के सन्मुख रखूंगा और श्रीमन् के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे उन पर ध्यान दें।

वैसे हम लोग जंगल से निकल कर न्याय की ओर आये हैं। सारा समय जंगल में ही बीत गया और न्याय के लिये केवल एक घंटा ही रह गया है। यह भी स्टेप-मदरली ट्रीटमेंट न्याय के लिये है जैसा कि न्याय मंत्री ने खुद भी कहा है कि सरकार उनके मांगने पर भी उनकी मांगों को स्वीकार नहीं कर रही है। लेकिन हम लोगों का कर्त्तव्य यह है कि हम उन चीजों को सरकार के सामने रखें जोकि बहुत जरूरी हैं। मेरा अपना विचार यह है कि हम एक समाजवादी कल्याणकारी राज्य बनाने जा रहे हैं जिसमें हर चीज के ऊपर जोर दिया जा रहा है, पुरानी बुनियादें खोदी जा रही है, नयी इमारतें बनायी जा रही हैं और न्याय को फिर से बनाया जा रहा है। श्रीमन्, सरकारें तो बदलती ही रहेंगी। ब्रिटिश सरकार चली गयी, इस वक्त यह सरकार है, जब तक इसकी आयु होगी, रहेगी, उसके बाद दूसरी सरकार आयेगी और उसकी भी जब तक आयु होगी रहेगी लेकिन न्याय की प्रणाली सदैव एक सी रहेगी और उस न्याय प्रणाली को संभालना हमारा काम है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, सैटिस्फाईड जुडिशरी ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि एक ऐसे कल्याणकारी राज्य के लिये जो प्रजातंत्र के आधार पर बनाया जा रहा हो बहुत जरूरी हैं और इस जरूरत को यह सरकार महसूस नहीं कर रही है। इसका परिणाम मेरे खयाल से बहुत अच्छा नहीं होगा। जब ब्रिटिश सरकार यहां पर थी तब जो दिक्कतें हम महसूस करते थे उन दिक्कतों को आज भी दूर करने की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं। जिस डिपार्टमेंट से मेरा संबंध है उसके लिये पं० जवाहरलाल नेहरू ने जिस वक्त जेल से बाहर सन् १९४२ के बाद निकले थे, बड़ी तारीफ की थी और कहा था कि सबार्डिनेट जुडिशयरी बिलकुल इंडिपेंडेंट हो रही है और वह सराहनीय है। ये उनके शब्द थे जिन पर हम लोगों को बड़ी प्रफुल्लता हुई थी कि संसार के बड़े आदमियों में से एक ने हमारी तारीफ की। अब उस जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिये जिन चीजों की जरूरत है उनमें से बहुत सी चीजें हम इस वक्त नहीं देख रहे हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह प्रार्थना करूंगा कि मुझे ५ मिनट और ज्यादा दिये जायं ताकि मैं कुछ अधिक कह सकूं।

श्री अधिष्ठाता--ठीक है, बोलिये।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह--सबसे पहली चीज, मैं यह देख रहा हूं कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशयरी से सेपरेट नहीं किया जा रहा है। क्या वह चीज जो ब्रिटिशर्स के जमाने में बड़ी जरूरी समझी जाती थी उसकी जरूरत अब कम हो गयी है, क्या वह न्याय जो ब्रिटिशर्स के जमाने में होता था उससे आजकल के न्याय में कोई तब्दीली हो गयी है? मैं तो यह समझता हूं कि न्याय सदा एक सा रहेगा। अगर उस वक्त एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी का सेपरेशन जरूरी था तो आज उसकी जरूरत कैसे कम हो गयी, मेरी समझ में नहीं आता है।

यह ठीक है कि हम खुद ही राजा और खुद ही प्रजा आज है, लेकिन क्या आज जनता यह महसूस नहीं कर रही है कि जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव के शामिल रहने से जो चीज तब होती थी अब भी वही हो रही है। जब पुलिस विभाग के अनुदान पर बोलने का मुझे मौका मिलेगा तो मैं यह सदन को दिखलाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से एक्जीक्यूटिव और पुलिस दोनों ने मिलकर न्याय के ऊपर थोड़ा सा आने की कोशिश की है। यह चीज हमारी इस समाजवादी सरकार के लिये जिन लाइन्स पर वह चलना चाहती है फायदेमन्द साबित नहीं होगी। हर आदमी को कोर्ट के अन्दर पहुंचने पर यह विश्वास होना चाहिये कि उसके साथ न्याय होगा। आज एक आदमी हथकड़ी डाले हुये मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में घुसता है तो उसको इस बात का ध्यान रहता ही है कि उसको सजा होनी है चाहे वह छूट ही जाय। लेकिन जब वह जजेज के कोर्ट में घुसता है उसको ध्यान रहता है कि उसके साथ न्याय होगा। इसीलिये यह ठीक है कि जुडिशियरी का एक्जीक्यूटिव के साथ रहने का जमाना गया।

इसी तरह से एक चीज और बतलाना चाहता हूं कि इस एक्जीक्यूटिव के ढांचे में न्याय का जो तराजू है वह बिगड़ जाता है इसीलिये हमारे देश के जो नेता थे उन्होंने कांस्टीट्यूशन में एक डाइरेक्टिव दिया कि जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव सेपरेट हो। वह केवल डाइरेक्टिव ही नहीं है बल्कि विचार के लिये एक गम्भीर समस्या है।

चूंकि समय दो ही मिनट रह गया है इसलिये एक दो जरूरी बातें कहना चाहता हूं। पहली यह है कि जस्टिस में डिले बहुत हो रही है। उसके वास्ते हाईकोर्ट के जजेज को बढ़ाने की जरूरत है, मुंसिफों के बढ़ाने की जरूरत है। कुछ बढ़ाये भी जा रहे हैं लेकिन जहां तक हो सके ज्यादा तादाद में उनको बढ़ाया जाय ताकि काम जल्दी हो सके।

दूसरी बात यह है कि जजेज और मुंसिफ्स को हमेशा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिलता रहा है और अब भी मिल रहा है। उनके लिए मकानों की बड़ी दिक्कत है। मुझे बदायूं का जाती तजुर्बा है। कोई किसी की कोठी में रह रहा है कोई धर्मशाले में रह रहा है। इस ओर भी ध्यान सरकार का जाना चाहिये।

तीसरे हमारे यहां सिविल जजेज को बड़े अख्तियारात हैं, अनलिमिटेड ज्यूरिस्डिक्शन उनका है। लेकिन उनको ४ सौ तनख्वाह मिलती है। इस वास्ते उनमें बड़ा डिस्ग्रंटिलमेंट है कि उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिये। मैं समझता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

एक असंतोष हमारी जुडीशियल सर्विसेज में और है। बाहर जो रिक्रूटमेंट हायर जुडीशियल सर्विसेज में हुये हैं उनके कारण जो इन लोगों के ऐस्पिरेशंस थे वह दब चुके हैं। यह सही है कि उनमें से बहुत से आदमी अच्छे आये हैं लेकिन ऐसे भी हैं जो पहले कम्पेटीशंस में बैठे थे और नाकामयाब हुए लेकिन उसके बाद वे जजेज हो कर आये हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसा करने से यह होगा कि जितनी क्वालिफिकेशन के सर्विसेज के आदमी उसमें बैठ सकते हैं उतनी ही क्वालिफिकेशन के बाहर के आदमी भी उसमें बैठें और उनको मौका मिले ताकि वह प्रतियोगिता में सफल हो सकें।

श्री जगन्नाथ लहरी—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, सदन के सम्मुख जो अनुदान संख्या १५ प्रस्तुत है उसमें माननीय शिवराजबहादुर जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह दुख की बात है कि जिस न्याय की प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा करनी चाहिये और जिस देश में न्यायाधीश को परमेश्वर के बराबर समझा जाता था, जो पंच परमेश्वर के पद से विभूषित किया जाता था, आज उसी देश की जनता न्याय के प्रति सशंक है, न्याय को संदेह की दृष्टि से देखती है। प्रतिदिन इस बात की चर्चाएं सुनने में आती हैं कि वास्तव में न्याय नहीं होता वह खरीदा जाता

[श्री जगन्नाथ लहरी]

है। अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा था कि हो सकता है कि कहीं भ्रष्टाचार की शिकायतें हों, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज पग-पग पर न्यायाधीशों के प्रति इस प्रकार की चर्चायें सुनने में आती हैं और उनको सुनकर हमारा सर शर्म से झुक जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस देश में न्याय शीघ्र और सस्ता हो। यदि किसी का मामला आज शुरू होता है तो उसको न्याय पाने के लिये वर्षों लग जाते हैं और उसको उसके लिये हजारों रुपया भी व्यय करना पड़ता है। अभी कुछ दिन पूर्व पंचायतों के अनुदान पर बहस के समय स्वशासन मंत्री ने बतलाया था कि न्याय पंचायतों ने १९ लाख केसेज का फैसला किया और हमारे न्यायालयों ने लगभग ६ लाख केसेज का फैसला किया। आप देखें कि पंचायतों में जनता को न्याय सस्ता भी मिला और शीघ्र भी और उन पर हमारा कुछ विशेष व्यय भी नहीं होता है, लेकिन जिन अदालतों पर हम १,६६,७१,२०० रुपया व्यय करते हैं उनमें न्याय कितना कीमती है। मेरी मांग है कि माननीय न्याय मंत्री इस बात का प्रयत्न करें कि जनता को न्याय शीघ्र और सस्ता मिल सके।

बहुत से केसेज ऐसे हैं कि जिन में शीघ्र न्याय मिल सकता है। उदाहरण के लिये मैं बतलाता हूं कि एक व्यक्ति लखनऊ रेलवे स्टेशन पर सवार हो रहा है गाड़ी पर और उसकी जेब कट जाती है। जेबकतरा स्टेशन पर ही पकड़ लिया जाता है, लेकिन जब उसके ऊपर केस चलता है तो उसके लिये जिसकी जेब कटती है उसको कितनी ही बार दौड़ना पड़ता है और अपना कितना ही रुपया उसको बरबाद करना पड़ता है। वह जेबकतरे को सजा दिलाने के लिये महीनों परेशान होता है। यदि हम एपीडेमिक को फेस करने के लिये जिस तरह की कार्यवाही करते हैं उसी प्रकार की कार्यवाही इसके लिये भी की जाय, जगह-जगह पर चलती फिरती अदालतें कायम की जायं और जहां भी कोई एन्टी शोसल एलीमेंट मिले, इस तरह के केसेज हों उनका वहीं पर चालान करके, मैजिस्ट्रेट तुरन्त उनका फैसला भी वहीं पर कर दें, तो ज्यादा अच्छा होगा। हम छोटे मोटे केसेज के लिये चलती फिरती अदालतें शहरों और कस्बों में कायम कर सकते हैं।

(इस समय ४ बजकर १३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जिस समय कोई चोरी आदि की घटना होती है उस समय उस समाज विरोधी तत्व को पकड़वाने में समाज के लोग मदद करते हैं, उनमें उसके पकड़ने के लिये बड़ा जोश रहता है, लेकिन जब उसका मामला न्यायालय में जाता है तो न्याय पाने की प्रणाली इतनी दूषित है और परेशानी की है कि वही व्यक्ति वहां जाने में घबड़ाते हैं। यदि इस प्रकार की प्रणाली यहां आरम्भ कर दी जाय कि जो समाज विरोधी तत्व हैं उनको जैसे ही पकड़ा जांय वहीं ले कर उनका उसी जगह उसी दिन न्याय कर दिया जाय तो अच्छा होगा। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने सुझाव मांगे थे तो मेरा सुझाव यह है कि न्याय सस्ता और शीघ्र किया जाय। समाज विरोधी तत्वों को पकड़ने के लिये पुलिस के साथ न्यायाधीश भी पहुंचें ताकि शीघ्र ही न्याय हो सके।

अंग्रेजी पद्धति पर जो इस देश का न्याय प्रशासन चल रहा है वह बहुत खर्चीला सिद्ध हुआ है। अब भी उसी पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस अंग्रेजी पद्धति से हम अपराधों की वृद्धि को रोक नहीं सके हैं। मैं आप के सामने एक उदाहरण फीरोजाबाद कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स स्टोर का सुनाता हूं। इसका केस एक आगरा के सिविल जज न्यायालय में चला। सिविल जज के यहां उस स्टोर के खिलाफ एक व्यक्ति ने जो डाइरेक्टर नहीं चुना जा सका एक केस फाइल किया और चन्द दिनों में ही कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स स्टोर के पक्ष में कोर्ट का निर्णय हो गया। लेकिन फिर बाद को उस आदमी ने कहा कि देखें आप लोग कैसे जीतते हैं और उसने त्रिवेणी का पानी पिलाने की बात कही। उसने स्टोर के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना केस फाइल किया। २ जून, सन् ५२ को इलाहाबाद से एक

आर्डर आ गया और फिर पता नहीं कि उसका क्या हुआ। आज तक कोई भी तारीख नहीं पड़ी है। उस स्टोर को सरकार को सुपरसीड करना पड़ा और सरकार का एडमिनिस्ट्रेटर अब उसको चला रहा है।

मैं आप के सामने कहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हर विभाग की मांग होती जा रही है। अगर इसकी तरफ वास्तव में थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाय तो यह फौरन रोका जा सकता है। आज सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम जगह-जगह जनता की अदालत कायम करें। जिसकी भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत मिले उसको पकड़कर जनता की अदालत के सामने खड़ा किया जाय। जिस तरह से चीन में खड़ा किया जाता है उसी तरह से जिस अधिकारी की शिकायत मिले उसको जनता अदालत के सामने लाकर खड़ा किया जाय और वहां खड़ा होने पर उसको शर्म मालूम होगी और शर्म से उसका सिर झुक जायेगा।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि मैं कुछ कहूं आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने समय के बाद मुझे बोलने का समय दिया। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि आज जिस न्याय की मांग है उसमें जो तकलीफें हैं उनको आसानी से दूर किया जा सकता है। अगर उसकी तरफ ध्यान न दिया गया तो हमारी न्याय व्यवस्था जिसके ऊपर सारे देश को बड़ा गौरव है, वह खत्म होती चली जायगी।

पहली बात यह है कि सब से बड़ा अभाव आज सिविल कोर्ट के अन्दर मकानों का है। आज हम देखते हैं कि आफिसर्स जिनको मकान नहीं मिलता है वह ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर वकीलों का संसर्ग बहुत रहता है। इससे उनके ऊपर दूषित प्रभाव पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि वकीलों के प्रभाव में रह कर किस प्रकार का न्याय किया जा सकता है। यह ऐसा अभाव है कि जो खटकता है और जिससे न्याय व्यवस्था के अन्दर क्षति हो रही है।

दूसरी बात यह है कि जो केसेज पुराने, अदालतों के अन्दर हैं उनसे भी काफी गड़बड़ी होती है। वह भी भ्रष्टाचार के जरिये हैं। सन् ४२, ४६ और ४८ के मुकदमें आज अदालतों में हम देखते हैं। जो पुराने क्लाइन्ट कोर्ट में जाते हैं वह यह चाहते हैं कि उनके केस को उसी दिन ले लिया जाय। वह उसके लिये अनेक दूषित उपायों का भी प्रयोग करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ लोग इसमें सफल हो जाते हैं और कुछ सफल नहीं होते। जो सफल नहीं हुये वे जनता में आकर एक घृणा पैदा करते हैं और उसका दूषित प्रचार करते हैं। इस प्रकार कुछ पुराने केसेज के कारण जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसको दूर करने के लिये मेरा माननीय मंत्री जी से यह सुझाव है कि वे जुडीशियल आफिसर्स, मुन्सिफ और सिविल जजों की जो तादाद है, उसको बढ़ायें। कुछ समय के लिये चाहे उनको ये अधिकारी टेम्पोरेरी रखने पड़ें अथवा कहीं से मांग लिये जायं। लेकिन कृपया किसी प्रकार से आप इन पुराने केसेज को खत्म करें। जब ये केसेज खत्म हो जायं तो उन आफिसर्स को कहीं खपा दिया जाय या और कुछ जो मुनासिब हो किया जाय। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि फिलहाल कुछ आफिसरान को इस पुराने काम को खत्म करने के लिये रख लिया जाय। इससे भ्रष्टाचार को रोकने में बहुत सहायता मिलेगी।

माननीय मंत्री जी ने दूसरी बात यह बतलाई कि उन्होंने जुडीशियरी को अलहदा करने की कोशिश की है और उसी के आधार पर ए० डी० एम० (जुडिशियल) को अप्वाइंटमेंट किया गया है। लेकिन यह ए० डी० एम० (जे०) भी डी० एम० का ही सबोर्डीनेट है वह हर बात में डी० एम० के आर्डर की पाबंदी करता है और हर एक मामले में प्रायः उसी के आश्रित उसको रहना पड़ता है। माननीय मंत्री जी ने कहा उनको मुकर्रिर करके उन्होंने जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट बना दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो ए० डी० एम० (जे०) हैं वे टेम्पोरेरी

[श्री छत्रपति अम्बेश]

रखे गये हैं, उन्हें रोज इस बात का ध्यान रहता है कि न जाने किस दिन उनके ऊपर तलवार चल जाय, किसी समय भी उनको निकाल दिया जा सकता है। हर साल उनका रिन्यूअल होता है। हर समय उनको यही चिन्ता रहती है कि किस तरह से वे अपनी पोस्ट को कायम रक्खें। कहीं ऐसा न हो कि साल भर के बाद उनके ऊपर तलवार चल जाय। इसके साथ दूसरी बात यह भी है कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेट वही होते हैं जिनको कहीं और जगह नहीं मिलती है और सब जगह से वे निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि सौभाग्य से, 'येनकेन प्रकारेण' तो किसी प्रकार हम मैजिस्ट्रेट बन गये हैं, कल को कहीं फाका न करना पड़े। इससे एक दूसरी मनोवृत्ति पैदा होती है। आर्थिक समस्या उसके सामने आती है और वह सोचता है कल न जाने क्या हो और इसलिये वह अशोभनीय तरीकों का प्रयोग करता है जिससे भ्रष्टाचार फैलता है। इस तरह से अपने काम को बनाने के लिये वह सब तरह के उपाय बरतता है। इसका वह शिकार हो जाता है। यह बात ठीक है कि जे० एम० में से कुछ लोगों को परमानेन्ट किया जा रहा है लेकिन उनकी संख्या बहुत ही सूक्ष्म है, उससे कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर यही रफ्तार रही तो जे० एम० भी कोई न्याय नहीं कर सकेंगे।

जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि जब कोई क्लाइन्ट अदालत में जाता है तो वह इस भावना को लेकर नहीं जाता है कि वहां उसको न्याय मिलेगा बल्कि वह एक बुरा असर लेकर जाता है। उसको विश्वास होता है कि जे० एम० के यहां से उसका कनविक्शन हो जायगा। जो मनुष्य न्याय के लिये जा रहा है और उसकी यह भावना हो तो फिर आप ही सोचिये कि यह हालत कहां तक ठीक है। न्याय अदालत में जाने से पहले तो मनुष्य की यह भावना होनी चाहिये कि उसको वहां न्याय मिलेगा। (पुराने समय में लोगों का यह खयाल था कि उनके दुःख दर्द को दूर करने वाला अगर कोई मुहकमा है तो यही है। लेकिन आज इसके विपरीत नजर आ रहा है। जहां हमारी तकलीफ दूर होनी चाहिये थी वहां वह और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है।

इसी प्रकार से हाईकोर्ट में २०-२५ साल पुराने केसेज लटके पड़े हैं। लोग हाईकोर्ट से स्टे आर्डर ले आते हैं और बड़ी-बड़ी मिल्स बंद पड़ी रहती हैं। इसी के कारण जोन्स मिल्स आजतक बंद पड़ी हुई है और देर में फैसला होने के कारण आज भी वह बंद ही है। १०-२० हजार मजदूर बिलकुल बेकार हो गये हैं। वह इसलिये कि हाईकोर्ट का फैसला लगातार ५ साल तक नहीं हुआ और वहां से स्टे आर्डर आ गया। इससे प्रदेश को बड़ी भारी हानि हुई।

*श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय न्याय मंत्री जी के भाषण को सुना और मैं सोच रहा था कि इस सम्बन्ध में हर साल जो कम से कम उनके वादे हुआ करते थे, वे अबकी मर्तबा उनको पूरा करेंगे लेकिन अब उनकी आज की तकरीर से साबित हो गया कि वे इस वक्त जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग करने के पक्ष में नहीं हैं। चाहे वह कठिनाई का बहाना हो, चाहे टाइम का कोई बहाना हो लेकिन वे इस पक्ष में नहीं हैं कि ये फिलहाल अलग-अलग हों। तो श्रीमन्, इस अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस देश में न्याय का पुरसाहाल न हो, न्याय लोगों को न मिले, तो मेरी समझ में कौन सी खास बात बड़ी रह जाती है जिस पर जनता टिके। इस वजह से श्रीमन्, मैं आपका और इस सदन का ध्यान इस मुख्य बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को एक साथ कर देने से प्रदेश की बड़ी क्षति हो रही है और आज इंसाफ का दिवाला मिट रहा है और आज जनता की आजादी खतरे में पड़ गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके लिये यह बहुत जरूरी है कि माननीय मंत्री जी इसी सदन में यह घोषित करें कि वे अब बहुत शीघ्र या इसी वर्ष इसको अलग-अलग कर देंगे। मैं आपके सामने और आपके द्वारा सदन के सामने उन बातों को जो कि मेरा आरोप इस एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के सम्मिलित होने से है, उसको रख देना चाहता हूं। जैसे नियम है कि बटलोई के एक चावल को देख लेने से ही अन्दाज लग जाता है कि भात पका है या नहीं, उसी तरह से मैं एक दो उदाहरण देकर ही संक्षेप में बतला देने की कोशिश करूंगा और मेरा विश्वास है कि सदन भी इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि जितने दिनों तक ये दोनों साथ-साथ चलते हैं उतने दिनों तक यह हमारे देश के लिये एक कलंक है और इसलिये उनको अलग-अलग होना चाहिये।

श्रीमन्, ये जो मैजिस्ट्रेट हैं, इस प्रदेश के, अगर इनको मैजिस्ट्रेट न कह कर पुलिस कहा जाय तो कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। उनको मैजिस्ट्रेट कहना उस शब्द के साथ अन्याय है और मैं समझता हूं कि पुलिस शब्द इनके लिये ज्यादा उपयुक्त होगा। श्रीमन्, पुलिस का काम तो किसी जुर्म करने वाले को पकड़ कर भेज देना ही है और वह इंसाफ की आशा रखता है। लेकिन अगर पुलिस गलती करती है तो वह तो गलती करती है लेकिन जो मैजिस्ट्रेट हैं वे बिना भूल किये हुये लगातार गलती करते हैं। श्रीमन्, मैं उसका उदाहरण देता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी का आन्दोलन इस प्रदेश में चला और ४ हजार से ज्यादा आदमी जेलों में गये और उनकी एक निश्चित बात है, एक निश्चित मांग है जिसको लेकर राष्ट्र के हित में, प्रदेश के हित में सत्याग्रह किया गया और वह कोई ऐसा जघन्य अपराध नहीं था जिससे मुल्क का कोई नुक्सान हो। जिस चीज को सरकार ने करने का खुद फैसला किया उसी चीज के लिये इतनी बड़ी सजा दी जाय जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान उसी ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसी माननीय सदन के इसी जगह पर बैठने वाले माननीय सदस्य को १५ महीने का कारावास का दंड दिया गया है, इस जुर्म में कि वे मूर्ति हटाने के लिये गये थे। बाद में सरकार ने खुद मूर्तियों को हटाया है। श्रीमन्, इसी तरह से प्रतापगढ़ के एक सोशलिस्ट सत्याग्रही को ३१ महीने की सजा दी गयी है। यह सिर्फ पुलिस के साथ मिलकर मैजिस्ट्रेटों की दमन नीति थी, वह चाहते थे कि दमन हो और दमन की ऐसी नीति अपनाई गई कि जिससे जुरमाना और सजा दोनों ही हों। (लाल बत्ती जलने पर) अभी से लाल बत्ती जल गई अभी तो मैं बहुत कम बोला हूं। कितना समय मेरे लिये है?

श्री उपाध्यक्ष—समय किसी का इंतजार नहीं करता, आप के लिये ७ मिनट हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—यह समय बहुत कम है, २ मिनट तो आप हमें और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—समय तो आप को बस यही मिलेगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा—मैं अभी ३ बाते सदन के सामने और रखना चाहता हूं। इस जुडिशियरी और एक्जिक्यूटिव को अलग करने का एक और भी कारण है और वह यह है कि यह जो मैजिस्ट्रेट हैं उन को कानून का कोई ज्ञान या अनुभव नहीं है, वह बिलकुल रा-हैंड्स हैं लिहाजा उन के जरिये से कानून का कत्ल किया जाता है और न्याय खुद ही खत्म हो जाता है। मैं मंत्री जी को उदाहरण दूंगा कि बनारस में सत्याग्रहियों के खिलाफ चार्जशीट दी गई और जब छपी हुयी चार्ज शीट दी गई तो मैजिस्ट्रेट ने उसका कोई काग्नीजेन्स नहीं लिया। इस तरह से गलत छपी चार्जशीट मान ली जाती हैं। दूसरे ऐसे भी केसेज हैं कि १०९ के केसेज में भी इसी तरह से छपे हुये कागजात जो पहले से रहते हैं उन पर ही कार्यवाही हो जाती है और सब खानापुरी हो जाती है, नतीजा यह होता है कि छपे छपाये फैसले तक दे दिये जाते हैं और उनको स्वीकार कर लिया जाता है न उनमें स्वयं जजमेंट लिखने की काबलियत है और न ओरिजनल फैसला ही वह अपने से दे सकते हैं। इसलिये भी मैं कहता हूं कि हमारी जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव अलग होने चाहिये। तीसरी बात यह है कि अपील में सोशलिस्ट पार्टी के जितने केस थे वह सब खारिज कर दिये गये, मैजिस्ट्रेट्स

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

ने उन पर कोई विचार ही नहीं किया। यह मैजिस्ट्रेट लोग किसी को परेशान करना चाहते हैं तो महीनों केस पड़े रहते हैं। एक सोशलिस्ट पार्टी के एम० पी० हैं उनका १८८ का केस है। वह ११ मास से पड़ा हुआ है और कोई सुनवाई नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक घंटा समय बढ़ाने की प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—जी नहीं, इस विषय में सदन ने एक बार फैसला ले लिया है, उस पर अब कोई राय नहीं ली जा सकती।

*श्री लक्ष्मी नारायण बंसल (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय न्याय मंत्री जी ने जो अनुदान संख्या १५ पेश की है मैं उस के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मेरी मंशा कुछ सुझाव देने की है जो खासकर तो आगरे के लिये हैं और कुछ जनरल तौर पर होंगे। किसी देश की जुडिशियरी वहां की रीढ़ की हड्डी होती है। डेमोक्रेसी में यह लाजमी है कि सेल्फ इनडिपेंडेंट जुडिशियरी हो। यहां पर यह कहना अनुचित न होगा कि बहुत से प्रगतिशील देश हैं जैसे इंग्लैण्ड है, (वहां पर कोर्टफीस नहीं ली जाती, लेकिन हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि) हम उसे माफ कर सकें, लेकिन इस के माने यह भी नहीं होते कि हम कोर्टफीस के रुपये को दूसरी सरकारी मदों में खर्च करें। एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस से जो आय इस विभाग को है वह २,२१,१२,३०० रुपये की है और १ करोड़ ६६ लाख के करीब खर्च इस में दिखाया गया है। इस तरह से अगर हम देखें तो ५४ लाख ४१ हजार १ सौ रुपया बचता है जो दूसरी मदों में खर्च होता है।

यह भी सब को मालूम है कि हमारी अदालतों के कमरों की कैसी हालत है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं बताया कि कमरे बहुत पुराने और तंग हैं। मैं, श्रीमन् का ध्यान आगरे के न्यायालय की तरफ दिलाऊंगा कि वहां बरामदों के फर्श इतने खराब हो गये हैं कि उन में गड्ढे पड़ गये हैं और बरसात में जरा सा पानी बरसता है तो उन में पानी भर जाता है। वहां एक जगह से दूसरी जगह तक गुजरने का गुंजाइश भी नहीं रहती है। आगरे की जजशिप से ढाई हजार रुपये की नेट इनकम होती है। लेकिन वहां की अदालतों की यह हालत है कि पांच ब्लाक्स बने हुये हैं। बरसात में एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक में जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। पुरानी छत, पुरानी बिल्डिंग, पुराना फर्नीचर। मैं यहां जुडीशल रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जहां उसने इमारतों के बारे में जिक्र किया है। रिपोर्ट इस प्रकार है—

"The position as regards the Court building is no better. Most of our Court houses and the facilities provided therein are far from satisfactory. They do not certainly lend dignity to our organisation of justice and the whole atmosphere of Courts, for which the lack of facilities is partly responsible, is demoralising and undignified."

इसलिये श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है आपके द्वारा मंत्री महोदय से कि वह ऐसी कोई पांचसाला या सात साला स्कीम बनायें जिससे कोर्ट हाउसेज का सुधार हो सके। आगरा जजशिप में बीस, पच्चीस कोर्ट हाउसेज हैं। मालूम हुआ है कि उस जमीन को आगरा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को दिया जा रहा है जो मुनाफे के साथ उसको बेचेगा। जस्टिस डिपार्टमेन्ट को उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं अर्ज करूंगा कि अगर उसको आप नीलाम कर दें और उस रुपये से कोर्ट हाउसेज बनाना चाहें तो तमाम कोर्ट हाउसेज और जुडिशियल आफिसर्स के क्वार्टर्स बन सकते हैं, बजाय इसके कि हम इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को दें और वह प्राफिटियरिंग करके जमीन को बेचे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी चीज जो है वह यह है कि यहां पर हमारी जुडिशियरी का जो रेक्रूटमेंट होता है वह संतोषजनक नहीं है। उनकी तनख्वाहें काफी अच्छी नहीं हैं जिससे अच्छे आदमियों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। पहले अगर कोई जाना चाहता है तो एग्जीक्यूटिव में जाना चाहता है। अगर वह वहां नहीं लिया जाता है तभी जुडिशियरी में जाना पसन्द करता है। इसके मानी यह हैं कि इंटेलिजेन्शिया, जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, वह एग्जीक्यूटिव में जाना चाहते हैं। जुडिशियरी में जाना पसन्द नहीं करते। मैं चाहता हूं कि जुडिशियरी में अट्रैक्टिव कंडीशंस रखें, जिससे अच्छे-अच्छे आदमी उसमें आ सकें।

इसके अलावा नये एल० एल० बी० पास लोगों को मुंसिफ बना दिया जाता है। उनको मुकदमों का कोई तजुर्बा नहीं होता। मैं समझता हूं कि उनके लिये तीन साल की वकालत का अनुभव जरूरी है, मुंसिफ नियुक्त होने के लिये।

मेरी दूसरी तजवीज यह है कि मुंसिफों को ऐज ए रूल कनफर्म नहीं करना चाहिये। कनफर्म करने से पेश्तर, या उनकी पावर्स बढ़ाने से पहले उनके केसेज में ऐट रैंडम दस केसेज को हाई कोर्ट का जज देखे कि जिसको सिविल जज के अख्तियारात दिये जा रहे हैं वह इस काबिल है भी कि एवीडेंस को एप्रीशियेट कर सके। इसमें कोई हर्ज नहीं है इफीशेंसी बार ज्यादा दिनों तक पड़ा रहे लेकिन तरक्की तभी मिले, पावर तभी बढ़े जब कि उसका वर्क देख लिया जाय। वक्त के ऊपर तरक्की नहीं मिलनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि मुंसिफ का डेजिगनेशन खत्म कर देना चाहिये। मेरी राय में सिविल जज की तीन कैटेगरीज कर देनी चाहिये, एक, दो, तीन। नम्बर एक को अनलिमिटेड अख्तियारात। नम्बर दो को २५ हजार तक के अख्तियारात और नम्बर तीन को दस हजार तक के अख्तियारात हों।

एक तजवीज मेरी यह है कि स्माल काजेज कोर्ट्स को दो हजार तक की पावर्स दे देनी चाहिये और मुंसिफ को पांच हजार की। यह पावर्स ज्यादा नहीं हैं। काम इस कदर ज्यादा हो गया है कि पांच सौ की जो वैल्यू थी वह एक हजार तो वैसे ही हो गयी है।

चौथी बात यह है कि मुंसिफ जैसे ही सिविल जज होता है असिस्टेंट सेशंस जज की उसको पावर्स दे दी जाती हैं जब कि उनको क्रिमिनल केसेज का कोई तजुर्बा नहीं होता। इसलिये उनको पहले एक साल या छः महीने की ट्रेनिंग क्रिमिनल कोर्ट्स की दी जाय, जहां वह सेशन जज के मातहत काम करेंगे।

एक सुझाव मेरा ला डिपार्टमेन्ट के आफिसर्स के लिये है। आजकल जो ड्राफ्टिंग हो रही है बड़ी इनएफीशेंट ड्राफ्टिंग हो रही है। इसमें स्पेशलाइज्ड परसंस होने चाहिये। यहां सदन से बिल पास कर दिये जाते हैं और वह अल्ट्रावायरिस डिक्लेयर हो जाते हैं। लेजिस्लेचर का मंशा होता है कुछ और मतलब कुछ और निकलते हैं। मिसाल के तौर पर जुडिशियल रिफार्म्स कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स को तोड़ दिया जाय। लेकिन अमेंडमेंट में अबालिश लफ्ज निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हो गया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह माननीय सदन जो एक निर्णय कर चुका है समय न बढ़ाने का उस पर हम लोग पुनः विचार करें। क्योंकि दो दलों का पार्लियामेंटरी रिप्रजेन्टेशन नहीं हो पा रहा है इसलिये आधा घंटा समय फिर बढ़ा दिया जाय, यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष—अब प्रश्न यह है कि सदन अपने निर्णय पर पुनः विचार करेगा या नहीं। अगर एक भी माननीय सदस्य सहमत नहीं होगा तो मैं इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं

[श्री उपाध्यक्ष]

करूंगा। समय बढ़ाने का प्रस्ताव बाद में आयेगा। तो मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि सदन अपने निर्णय को फिर से दोहराना चाहता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से तय हो गया कि पुनः विचार हो।)

श्री उपाध्यक्ष--अब दूसरा प्रस्ताव समय का आ सकता है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि कम से कम आधा घंटा समय आज के वाद-विवाद के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--तो प्रश्न यह है कि आज सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव पर किसी को ऐतराज नहीं है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)--नहीं साहब ऐतराज है। १ घंटे का समय बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--आप देर में खड़े हुये मेरे प्रस्ताव पर राय लेने के बाद।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--श्रद्धेय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस कटौती के अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी मंत्री जी ने बताया कि सुलभ और सस्ता न्याय देने में हम असमर्थ हैं। लेकिन जो न्याय हमको मिल रहा है १९४६ से ५७ तक, अगर देखा जाय तो वह न्याय धीरे-धीरे, बढ़ता चला गया है, यानी होना तो यह चाहिये था कि सन् १९४६ में जो पैसा ९ आना दरख्वास्त नकल पर, डिग्री और तजवीज पर देना पड़ता था उससे कम लिया जाता, लेकिन उसमें ७ आने का इजाफा एक दरख्वास्त देने पर हो गया, यानी अब १ रुपया लिया जाता है। यह न्याय का हाल है। हम तो चाहेंगे कि जो १९४६ में था वही आज नकल, डिग्री, तजवीज और कोर्ट फीस और सम्मन पर गवाहों की तलबी कराने में लगने लगे। आज हम सोचते हैं न्याय सस्ता होना चाहिये।

अब जो यह जुडिशियल आफिसर्स का अप्वाइण्टमेंट होता है यह कनट्रैक्ट बेसिस पर होता है। यह बिलकुल गलत बात है। ऐसा कौन सा नौकर होगा कि जिससे यह कहा जाय कि तुम काम खत्म कर दोगे तो तुमको छुट्टी मिल जायगी, तो वह काम अपना खत्म कर दे। आज यही हालत जुडिशियल आफिसर्स की है। उनके यहां काम बढ़ता चला जा रहा है। मुकदमे वाले कचहरी में आते हैं। सोचने की बात है किसी को ५० मील जाना है तो एक तो उसका मुकदमा न हो और दूसरे उसकी तारीख पड़ जाय और फिर वह अपने साथ ५-५, ६-६ गवाह लाता है तो उसको उनके लौटने का भी खर्चा देना पड़ेगा जबकि आने का तो देना ही पड़ा, और काम कुछ नहीं हुआ। कितनी तकलीफ और दिक्कत उसको होगी। करीब ६ रु० फी आदमी उसका खर्चा बैठता है और अपने घर का काम छोड़ कर वह अलग आता है। इस तरह से करीब ७ रु० फी आदमी उसके जिम्मे पड़ जाता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स इस बात को अपने दिमाग में रखते है कि अगर काम खत्म कर दिया तो उनकी सर्विस खत्म हो जायगी। तो आप सोचें कि न्याय कैसे जल्दी और सस्ता मिल सकता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि जुडिशियल आफिसर्स को जो कनट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाता है इसको खत्म कर दें और उनको प्रोबेशन पर रखा जाय ताकि उनमें एक इतमीनान हो और वह अपना काम अच्छी तरह से कर सकें। इस प्रकार से न्याय सस्ता होने में सुविधा होगी। जो आदमी ५० मील से आता है और उसके मुकदमे में ५०-५०,६०-६० पेशियां पड़ गयीं और उसका खर्च ५-५ रु० फी गवाह भी पड़ा तो उसको काफी खर्च करना पड़ जाता है। उससे कई गुना खर्चा उसका अधिक बैठता है, जो मुकदमेबाज होते हैं और जो मालदार हैं, धनी हैं। वह निर्धनों को तारीखें लगवा-लगवा कर ही परेशान कर डालते हैं और न्याय का

गला घोट देते हैं। ऐसी सूरत में हम यह चाहते हैं कि मुकदमों में अवधि निश्चित कर दी जाय जैसे कि सन् ४६ में व उससे पूर्व था कि ३ महीने में माल के मुकदमे तय हो जायेंगे और तीन हफ्ते के अन्दर फौजदारी का मुकदमा तय हो जायगा। तो इस तरह से अवधि निर्धारित हो जानी चाहिये वरना जो पुराने मुकदमेबाज और धनिक लोग हैं वह गरीबों को न्याय नहीं मिलने देते।

इसके पश्चात् एक आनरेरी मैजिस्ट्रेटों का डिपार्टमेन्ट खुला हुआ है। ब्रिटिश हुकूमत मे जैसे तम्बू तना करता था और उसमें बल्लियां लगी रहती थीं कि तम्बू तना रहे, यही हाल आनरेरी मैजिस्ट्रेटों का है। इनसे एलेक्शन में काम लिया जाता है कि कांग्रेस की हुकूमत कायम रहे और वह खुलकर उसके लिये कोशिश करते हैं। जैसा कि बताया गया जौनपुर में एक दर्जा चार फेल ही आनरेरी मैजिस्ट्रेट बने हुये हैं, जबकि वहां काफी और लोग योग्य मिल सकते थे। दूसरे जिलों में भी ऐसे आनरेरी मैजिस्ट्रेट काफी हैं। उनके यहां बीसियों तारीखें पड़ जाती हैं। फिर उनका कोर्ट या तो हेडक्वार्टर पर होना चाहिये या तहसील के क्वार्टर पर होना चाहिये लेकिन वह अपने घरों पर मुकदमे करते हैं। मेरा सुझाव है कि इस आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के मुकदमे को ही तोड़ देना चाहिये, इसे खत्म कर देना चाहिये। इनसे मुवक्किलों को और जिनको न्याय मिलना चाहिये उनको न्याय नहीं मिलता है।

इसी तरह से हेडक्वार्टर्स पर एक खत्ता का मुहकमा है जहां अहलकार कोई कागज आता है उसे खत्ती में डाल देते हैं और जब तक उसको कुछ दे न दीजिये तब तक वह कुछ नहीं बतायेगा। जब आप उसको कुछ दे देंगे तो खत्ती में से कागज भी निकल आयेगा और सारा काम हो जायगा। तो मैं आपके सामने यह बता देना चाहता हूं कि इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाय। जमानत के भी कुछ मुकदमे जाते हैं जिसमें कि जमानत होती है। वह तस्दीक के लिये तहसीलदार के पास जाता है। उसमें सैकड़ों रुपया एक-एक आदमी का खर्च हो जाता है। उसके लिये यह होना चाहिये कि वह अपना इन्तखाब पेश करके ही तस्दीक करा लें या उसको गांव पंचायत में भेज देना चाहिये।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि न्याय कैसे सस्ता और सुलभ हो सकता है। जितने भी जुडिशियल आफिसर्स हैं उनको आप तहसीलों के हेडक्वार्टर्स पर भेज दें। इससे उनका आने जाने का मार्ग व्यय कुछ बच जायगा। अब १०९, १०७ और ११० के मुकदमे ही एस०डी०एम० के यहां रह गये हैं। ऐसी सूरत में उनको दो-दो एक-एक का भी बना दिया जाय तो भी कोई हर्ज नहीं है और वह तहसील के हेडक्वार्टर्स पर ही काम करें। हां, फौजदारी के मुकदमे में जरूर एस०डी०एम० अपने हेडक्वार्टर पर ही काम कर सकता है क्योंकि उसमें ऐसे भी मुलजिम होते हैं जो कि जेलों में बन्द रहते हैं। इस तरह से न्याय सुलभ हो सकता है. आज जो निर्धन हैं, गरीब हैं उसको न्याय नहीं मिलता जबकि आप आज समाजवादी समाज और समानता की बात करते हैं। वह समानता तभी आयेगी जब अमीर और गरीब दोनों को एक ही समान अधिकार प्राप्त हों। लेकिन जब गरीब को न्याय नहीं मिलेगा तो एक अशांति पैदा हो जायगी और उस अशांति के अन्दर आप तरक्की का कोई काम नहीं कर सकते।

आज डकैत छूट रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उसके घर वाले जा कर गवाहों से और सबसे कहते हैं कि मेरा लड़का निर्दोष है, उसका कोई कसूर नहीं है। गवाह टूट जाते हैं। पुलिस कोई परवाह नहीं करती है। ऐसी सूरत में गवाहों के बयान तुरंत होने चाहिये जिससे कि आगे कोई गड़बड़ी न हो।

श्री सीताराम शुक्ल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ७ मिनट के अन्दर न्याय विभाग पर बोलना और जो हमारे विरोधी वृन्द हैं उनकी बातों का जवाब देना इस सब के लिए बहुत कम वक्त है। लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत से अच्छे स्पीकर बोलने वाले हैं। लिहाजा मैं समय बढ़ाने की बात नहीं करूंगा। एक उर्दू शेर है --

"सदियों से फलसफे की चुनां वो चुनीं रही,
लेकिन खुदा की बात जहां थी वहीं रही।"

[श्री सीताराम शुक्ल]

हर साल हम इकट्ठा होते हैं, बहस होती है, मुखालिफत होती है, नतीजा करीब-करीब जहां का तहां रहता है। मेरी प्रार्थना यह है कि सुझाव ठीक-ठीक आने चाहिए और आप लोगों से प्रार्थना है कि बुराई कैसे दूर की जाय इस पर जरा रोशनी डाली जाय। सारा हाउस चाहता है कि हमारे यहां इन्साफ हो, न्याय हो।

इस वर्ष का बजट पास करते वक्त हमारे मिनिस्टर साहबान ने खुशी से अपने वेतन में से १०० रु० माहवार घटा दिये। बड़ी तारीफ हुई। कुछ दोस्तों ने कहा कि और घटाना चाहिए। बाज लोगों ने कहा कि अभी भी कुछ कमी है, मगर इस कमी करने से यह जरूर है कि गरीबों से कुछ हमदर्दी मालूम होती है। मैं अर्ज किये देता हूं यह भी खबर आयी है कि मन्त्रीवृन्द के साथ सिपाही कम रहेंगे, टीम-टाम कम रहेगी, किफायतशारी की जायगी, दिखावटी काम कम रहेगा। मेरी यह अर्ज है अदब के साथ कि जो तनख्वाहें घटीं अगर और घटा दी जायं, मिनिस्टरान अवैतनिक हो जायं, तो भी मुखालिफत बन्द नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष--जरा न्याय के अनुदान से अपने भाषण का सम्बन्ध जोड़ दीजिये।

श्री सीताराम शुक्ल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जरा आप जल्दी न करते तो मैं उस पर आ ही रहा था कि इससे जनता खुश नहीं होगी। वह तो तभी प्रसन्न होगी जबकि सब के साथ न्याय होगा, इंसाफ का पलड़ा बराबर रहेगा एक आनरेबिल मिनिस्टर साहब यहां के बहुत सादे कपड़े पहिनते थे, सादगी से रहते थे, लेकिन पब्लिक ने उन्हें माफ नहीं किया। तात्पर्य कि किफायतशारी से काम नहीं चलेगा। एक शायर ने कहा है कि--

"सुन तो सही जहां में है तेरा फिसाना क्या,
कहती है तुझे खल्के खुदा गायबाना क्या।"

तात्पर्य कि किफायतशारी से काम नहीं चलेगा बल्कि सब के साथ सच्चा न्याय करने से काम चलेगा। यह तब होगा जब इस काम को करने के लिए मेहनत से कोशिश की जायगी। केवल शिकायतें करना काफी नहीं है। सुझाव देना भी आवश्यक है। मेरा भी इस सम्बन्ध में एक सुझाव है कि जिस तरह से सड़क बनाने के लिये श्रमदान लिया जा सकता है, अच्छे-अच्छे भले आदमियों से कहा जाता है कि उठाओ फावड़ा उसी तरह से न्याय के मामले में भी श्रमदान लिया जा सकता है। बहुत से आनरेरी जज मिल सकते हैं। तनख्वाह आप को एक पैसा भी नहीं देनी पड़ेगी। मैं ऐसे जजों को दे सकता हूं जिनकी इज्जत मशहूर है, जिनका पांडित्य मशहूर है, रिटायर्ड जज हैं उनसे आप काम लें और एक पैसा वे आप से नहीं चाहते।

एक आनरेरी मैजिस्ट्रेट की किसी दोस्त ने शिकायत की। तो हुजूरवाला, वह कौन सा तबका है जिस की न किसी तरफ से कोई न कोई शिकायत न हो। कृपा करके अपनी पार्टी की तरफ आप देखें। आपकी पार्टी तो अच्छी है, आपको उससे कोई शिकायत नहीं, किन्तु कुछ आदमियों के खिलाफ ऐक्शन क्यों लिया जाता है, और उनको क्यों निकाल दिया जाता है गरजे कि एक के खराब होने से पूरी पार्टी खराब नहीं हो जाती। इसी तरह किसी मैजिस्ट्रेट की शिकायत होने से सब के सब मैजिस्ट्रेट खराब नहीं हो गये। अगर किसी की शिकायत है तो ऐसे भी अनेक हैं जो कि निहायत ईमानदार हैं। आप उन्हें उत्साहित करें इससे आपको बहुत से आनरेरी मैजिस्ट्रेट मिल जायंगे और इस तरह से आपके मुकदमे जल्दी से जल्दी फैसला हो जायंगे। तभी जनता का असंतोष दूर होगा न कि माननीय मंत्रियों और अफसरों का वेतन घटाने से।

तनख्वाह घटाने की बात कहते हुए कहा जाता है कि कराची कांग्रेस में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ५०० रुपये मासिक वेतन का फैसला किया गया था। उसमें मैं भी हाजिर था। उस वक्त एक रुपये सेर घी बिकता था, ८ सेर के चावल और १६ सेर के गेहूं बिकते थे। उस हिसाब से आज ४ हजार रुपये तनख्वाह होनी चाहिए। कहा जा सकता

है कि फिर चपरासियों की तनख्वाहें भी उसी अनुपात से क्यों न बढ़ायी जायं। इसके उत्तर में निवेदन है जरूर बढ़ायी जाय। लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो मजबूरी है। हम बढ़ाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन जब हमारे पास न हो तो जो बौद्धिक काम करता है, की पोजीशन पर है, हम उस के लिए पहले व्यवस्था करेंगे. और हम उन आदमियों के वेतन को बढ़ाते जायंगे। मैं आप को एक खबर सुनाऊं, एक जिले की बात है। इत्तफाक से वहां पर एक गरीब परिवार में बड़ी परेशानी थी, दो दिन से खाना नहीं मिला। तीसरे दिन घर का मालिक एक जगह से एक पाव चावल लाया और बाहर ही चुपके से बना कर खा लिया और घर वालों से कहा कि मैं जा रहा हूं और कल तक चावल का इन्तजाम करके लाऊंगा। सौभाग्य से उसी शाम को वह १६ सेर चावल लेकर आ गया। और अपने परिवार वालों को खिलाकर उनकी जान बचा ली उस ने दूसरों को बचाने के लिए पहले खुद खा लिया ताकि वह उनके लिए भी खाना ला सके। और इस तरह से सब की जान को बचा लिया। तो हम भी सब को देना चाहते हैं, लेकिन पहले जो ब्रेन वर्क करते हैं, उनकी तरफ ध्यान पहले जायगा, दूसरी तरफ बाद में जायगा। लाल रोशनी हो गयी, व्याख्यान को जल्दी समाप्त करना है। कानून अगर संविधान बाधक हो तो उसको चेंज किया जा सकता है, इसी सिलसिले में मैं अर्ज करता हूं कि और मुल्कों में व्यक्तिगत चरित्र और प्राइवेट करैक्टर तथा सार्वजनिक चरित्र और होता है किन्तु इस मुल्कों में व्यक्तिगत चरित्र से ही आदमी परखा जाता है। कहीं-कहीं शिकायत आती है कि जज साहब शराब पिये बिना इजलास पर जाते नहीं। तो इस की जांच होनी चाहिए, यह हो नहीं सकता कि करैक्टरलेस आदमी सही इन्साफ कर सके। ऐसे सौ में एक दो हो सकते हैं कि झूमते हुए चलेंगे और जजमेंट भी सही होंगे और आपके ऊपर आप दोस्तों का असर नहीं होगा तो यह हो ही नहीं सकता तो उनके करैक्टर के ऊपर निगाह होनी चाहिए, कानून इसके लिए चेंज होना चाहिए। उनसे कहा जाय कि फलां तारीख को फलां जगह, फलां टाइम पर यह शिकायत हुई, यह बन्द होनी चाहिए, तभी न्याय हो सकेगा जैसा कि पहले होता था—

"गर्चे हजार लालों गुहर मा देही वे सूद।
दिल रा शिकस्तई न कि गौहर शिकस्तई।।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी न्याय मन्त्री के साथ बड़ी हमदर्दी है कि उन्होंने बड़ा प्रयास किया कि न्याय की सुव्यवस्था करने के लिए उन्हें अधिक रकम मिले, लेकिन वह असफल रहे।

जो इस समय न्याय का ढांचा हमारे मुल्क में है, उस को माननीय मन्त्री जी ने भी दो वर्ष पहले ऐसे ही अवसर पर इसी माननीय सदन में स्वीकार किया था "कि हम उस में कोई विशेष परिवर्तन नहीं कर पाये हैं"। उसके लिए उन्होंने कुछ मजबूरियां दिखायी थीं। मुझे दुःख है कि आज भी, जब कि हमारे माननीय मन्त्री, माननीय उप मन्त्री, जो इस विभाग के योग्य व्यक्ति हैं, जिन को इस विभाग की अधिक जानकारी भी है, फिर भी उनसे कोई आमूल परिवर्तन हमें इस दिशा में नहीं मिला। इस समय यह विभाग भी, जैसे सरकारी अन्य विभाग हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा बन रहा है। इसका ज्वलंत प्रमाण अगर किसी को देखना हो तो कचहरियों में जायें। मैजिस्ट्रेट बैठा रहता है, उसके सामने पेशी ली जाती है। मैजिस्ट्रेट को मालूम है, जानता है, लेकिन पता नहीं क्या उसकी मजबूरी है ? सरकार को भी मालूम है और आज तक सरकार कोई इसके लिए जरिया नहीं निकाल सकी कि जनता देखती रहती है, उसकी आंखों के सामने घूस ली जा रही है, एक मैजिस्ट्रेट के सामने ली जा रही है, वह कैसे मजबूर होती है ? सरकार से ऐसा मालूम होता है जैसे उस मैजिस्ट्रेट ने सार्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है और घूस देना लेना बराबर जारी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम यह समझते थे कि जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारा न्याय प्रशासन भी स्वतन्त्र होगा, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी जो पब्लिक प्रोसीक्युटर का आफिस है, उस में पी० पी०, ए० पी० पी० जितने होते हैं वह कलेक्टर के और लीगल रिमेम्ब्रेंसर के अधीन होते हैं। वह अपना कर्त्तव्य समझते हैं कि किस प्रकार

[श्री चन्द्रजीत यादव]

अभियुक्त को सजा करायें। यह नहीं समझते कि उनके साथ जो केस हो उसका सही रिप्रेजेन्टेशन करें, उसमें सही मानों में सरकार का प्रतिनिधित्व न्यायालय के अन्दर करे, बल्कि अपना फर्ज समझते हैं कि इसमें अधिक सजा हो और जरूर हो, चाहे वह अपराधी हो या न हो, क्योंकि उसी पर उनकी तरक्की और उन्नति निर्भर होती है। मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से इंगलैन्ड के अन्दर इसके लिए अलग से डायरेक्टोरेट होता है, पब्लिक प्रासिक्युशन का, वह बिलकुल स्वतंत्र हुआ करता है। इसी प्रकार से हमारे प्रदेश में एक स्वतंत्र पब्लिक प्रासिक्युशन का डायरेक्टोरेट होना चाहिए ताकि उनके केसेज का सही प्रतिनिधित्व हो सके।

दूसरा सुझाव मैं आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के बारे में निवेदन करूंगा कि सरकार रुपये बचाने के प्रलोभन में न पड़े और इनको शीघ्र समाप्त कर दे। हमारे यहां इन्हें अंधेरी मैजिस्ट्रेट कहा जाता है, कहीं अनाड़ी मैजिस्ट्रेट भी कहे जाते हैं। जैसा कि कल माननीय दुबे जी ने उदाहरण दिया था कि योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी उनको नियुक्त किया जाता है। प्रोफेसर लास्की ने कहा था कि:—

"Honorary Magistracies are distributed to the supporters of the Government during election, as a dead fox is thrown to the hounds after a day's run."

प्रोफेसर लास्की ने जो आनरेरी मजिस्ट्रेट्स के बारे में कहा था वह आज सत्य मालूम होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा सुझाव मेरा यह है कि न्याय आज भी मंहगा है, काफी देर होती है और जब देर होती है तो न्याय का कुछ अर्थ नहीं होता है "जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड" आज यह कहावत बिलकुल चरितार्थ होती है। माननीय मन्त्री जी ने भी स्वीकार किया है कि हाई कोर्ट में बहुत से मुकदमे अर्से से पेंडिंग पड़े हुए हैं और लोअर कोर्टस् में भी पड़े हुए हैं। अन्डर ट्रायल्स कैदियों की तादाद दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। उनके मुकदमें सालों से पड़े हुए हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है।

बेल के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह एक जरूरी चीज है जब तक दोष सिद्ध नहीं होता है, तब तक अभियुक्त दोषी नहीं होता है। लेकिन बेल लेने में काफी देर होती है। इससे घूसखोरी का काफी मौका पी० पी० आफिस में है। मुझे ताज्जुब हुआ कि मन्त्री महोदय ने अपनी मजबूरी ही नहीं दिखायी, बल्कि उसको ठीक नहीं समझा और बताया कि एक्जीक्युटिव से जुडिशियरी को अलग कर दिया गया तो क्राइम बढ़ेंगे। यदि क्राइम रोकने का यह तरीका है तो मजिस्ट्रेट की मिलिटरी कोर्ट बना दी जाय तो नहीं बढ़ेंगे। आज बनारस में माननीय राजनारायण जी को १५ महीने की सजा होती है, एक मूर्ति के मामले में। हमें तो वह दिन याद आता है जब ब्रिटिश जमाने में पंडित जवाहरलाल जी को एक मामूली स्पीच गोरखपुर में देने पर तीन वर्ष की सजा हुई थी। इसी तरह से मजिस्ट्रेट समझता है कि हर मुकदमे में सजा करनी चाहिए। इसलिए कि वह सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। इस लिए जुडिशियरी को एक्जीक्युटिव से अलग कर दिया जाय। इसके साथ ही साथ उनको हाई कोर्ट के अन्दर में रखा जाय, ताकि वह स्वतंत्र रूप से न्याय कर सकें।

आज राजनीतिक बन्दी अपने को ब्रिटिश काल से भी ज्यादा भयभीत पाता है। वह समझता है कि उसको सजा होनी निश्चित है क्योंकि सरकार उसको सजा देने के लिए तुली हुई है। मजिस्ट्रेट वही करेगा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहेगा। इस लिए आज लोगों में बड़ा भय है। आज न्याय प्रशासन में न्याय बड़ा मंहगा पड़ रहा है और असुविधाजनक हो रहा है। जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है तो हमारे यहां जुडिशियरी एक्जीक्युटिव से स्वतंत्र होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारा न्याय विभाग एक पेइंग डिपार्टमेंट है। जस्टिस वांचू कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि १९४७ मे करीब ४७ लाख रुपये की बचत थी. १९४८ मे ५०,१४,९५२ रुपये की बचत थी और १९४९ मे ५५,५७,८२० रुपये की बचत थी। इधर की क्या दशा है मै नहीं बतला सकता हूं। ऐसी दशा मे जब कि यह एक पेइंग डिपार्टमेंट है तो मुवक्किलों की तकलीफ का ध्यान रखा जाना चाहिए। न्याय ऐसा होना चाहिए जिस मे लोगों को सस्ता सही और जल्दी न्याय मिल सके।

*श्री शिवराजबहादुर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन मे एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि मै नहीं समझता कि कौन सी बात का जवाब दूं। जो बाते मैने अर्ज की है वही करीब-करीब मन्त्री महोदय ने तस्लीम की है और अन्य स्पीकरों ने भी कहा है। मैने तो उनके सामने ऐसी तजवीज रखी जिसमे लाखों रुपये की बचत हो। मै तो सिर्फ एक रुपये की कटौती का सवाल पेश कर रहा हूं और शायद वे इसको कबूल करेंगे।

जहां तक दिक्कतों का सवाल है, बहुत सी दिक्कते आप के सामने है। जरूरत इस बात की है कि इस देश मे जिसे हम रामराज्य कहना चाहते है न्याय की ऐसी स्थापना कर दे, ऐसा माहौल पैदा कर दे कि जैसा मैने इससे पहले निवेदन किया था कि विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठ कर चरवाहों ने फैसला कर दिया था, उसी तरह से जो आज इन्साफ की कुर्सी पर बैठे उसमे इन्साफ करने की अक्ल पैदा हो जाय। आज हमारे काम मे एफीशियेंसी नहीं है।
ने अपनी तकरीर
है उसमें तीन का तजकिरा है कि तीन बढ़ाये ज । मै तो कहता हूं कि तीन से काम न चले तो आप और बढ़ा लीजिये लेकिन इन्साफ तो हो। आज इन्साफ का जो नक्शा है उनसे आदमी मुतमईन नहीं है।

एक बात मै और अर्ज करना चाहता हूं कि खास तौर से जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन्स होते है, उनमे लोगों को बड़ी दिक्कत इसलिए हर जिले मे कम से कम ५ प्रतिष्ठित

कद्र होनी चाहिए। मै कहता हूं कि अगर एक ही चीज हम अपने सूबे मे कर सके कि इन्साफ सही हो औ [illegible] न मशहूर हो जायं, तो हमारी बहुत सी दिक्कते हल हो जायंगी। इंसाफ के स[illegible] भी हो, सदाकत भी हो। इसके लिए यह भी जरूरी है कि हमारे आफिसर्स के दिमाग मे भी कुछ परिवर्तन हो, क्योंकि वे एक पुरानी ब्यूरोक्रेसी के जमाने के है। उनको चाहिए कि वे जमाने के साथ अपने को मोड़ ले।

अब लाल बत्ती हो गयी है, मै ज्यादा नहीं अर्ज करूंगा क्योंकि पहुचे जब मै बोलने खड़ा हुआ था तब भी मुझे पता नहीं चल पाया था कि कब मेरा समय समाप्त हो गया लेकिन आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसको महसूस करते हुए मै यही अर्ज करूंगा कि आज हमे अपने देश की तामीर के लिए जरूरी है कि हम सच्चे इन्साफ की स्थापना कर सके ताकि सारे देश में हमारे प्रदेश का नाम हो।

*न्याय उप मन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—उपाध्यक्ष महोदय, मै आज इस सदन के सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत से सुझाव हमारे सामने रखे। जहां तक उन बातों का सम्बन्ध है जिनका कि जिक्र माननीय मन्त्री जी ने शुरू मे किया था और जिनको एक प्रकार से इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया, मेरा खयाल है कि उनको दोहराना व्यर्थ होगा। कुछ बाते जो कि यहां खास तौर से दोहराई गयीं उनका सम्बन्ध अदालतों की जो आज इमारतें है, उनसे है, आनरेरी मजिस्ट्रेट्स के सम्बन्ध में अब क्या किया जाय, जो जूडिशियरी और एक्जीक्युटिव के सेपरेशन का प्रश्न है वह और एक आम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

सवाल करप्शन वाला, इन चीजों से है। इसके अलावा कुछ खास-खास बातें भीं सदन के सामने आयीं। जहां तक अदालतों की इमारतों का प्रश्न है, वांचू कमेटी की रिपोर्ट भी यहां पढ़ी गयी और इसके सम्बन्ध में न कभी दो राये पहले थीं और न अब है कि बहुत सी जगहों पर इमारतें अच्छी नहीं है और सरकार भी चाहती है कि यदि धन मिल सके तो जल्दी से जल्दी उन इमारतों को अच्छा किया जाय वह चाहे आगरे की बात हो या किसी और स्थान की हो। यह तो सही है कि यदि अच्छी इमारतें हों तो न्याय का जहां तक प्रतिष्ठा का प्रश्न आता है उसके साथ यह प्रश्न अवश्य जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से जजेज के आवासगृहों का जिक्र किया गया है। सरकार को यह बात ज्ञात है कि बहुत से स्थानों पर जज साहबान को आवासगृह नहीं मिले और वे काफी कठिनाई में रहे और कुछ स्थानों के बारे में तो मैं यह भी कह सकता हूं कि एकाध स्थान पर तो कुछ समय तक उचित आवासगृहों की कमी के कारण अदालतें कार्य नहीं कर सकीं ऐसा भी सरकार को ज्ञान है। सब के लिए धन पाया जा सके और सब के लिए आवासगृह बनाये जा सकें, या अच्छी अदालतों की इमारतें बन सकें यह सरकार की इच्छा है, लेकिन मुझे तो कभी-कभी खयाल होता है कि यदि आवासगृह बनें और अदालतों की इमारतें अच्छी बनें तो बहुत सम्भव है कि यह विरोध होने लगे कि इन सब चीजों में रुपया खर्च हो रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव--इसके लिए कोई नहीं कह सकता।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--खैर, आज मुझे खुशी है कि हमको तसल्ली दी जा रही है कि ऐसा नहीं है और जब कभी भी यह प्रश्न आयगा और यदि माननीय सदस्य उपस्थित रहे तो मुझे भी मौका होगा कि उनका ध्यान उस ओर जरूर आकर्षित करूं।

जहां तक आनरेरी मजिस्ट्रेट्स का प्रश्न है एक सुझाव यह आया कि उनको आनरेरियम दिया जाय। मैं खयाल करता हूं कि चाहे आप उसका नाम आनरेरियम दीजिये, या तनख्वाह या भत्ता, दीजिये, लेकिन एक प्रकार से स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट्स और आनरेरियम वाले मजिस्ट्रेट्स में बहुत कम अन्तर रहेगा। यह प्रश्न सरकार के सामने बहुत गम्भीरता के साथ रहा है, लेकिन बहुत सारे कारण हैं जिन से इस प्रस्ताव को सरकार ने अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है और आगे के लिए वह यह समझती है कि अभी वह समय नहीं आया है जब कि आनरेरी मजिस्ट्रेट्स को बिलकुल इस प्रदेश में हम न रखें, क्योंकि बहुत सारे मुकदमे ऐसे है जो छोटे किस्म के होते हैं या हमारे तनख्वाह पाने वाले मजिस्ट्रेट्स के यहां ज्यादा होते हैं, उन सबका निपटारा आनरेरी मजिस्ट्रेट्स के यहां बड़ी सरलता के साथ किया जा सकता है। इसके बारे में सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है। हमारे मित्र सीताराम जी ने अभी वालन्टरी मजिस्ट्रेट्स का जिक्र किया था। क्या हश्र होगा इसका मैं नहीं जानता, क्योंकि बहुत सम्भव है कि देश में तीन चौथाई आदमी वालन्टरी मजिस्ट्रेट्स बनने की इच्छा करें, लेकिन जहां तक आनरेरी मजिस्ट्रेट्स का प्रश्न है सरकार ने एक बहुत लम्बा परिपत्र यहां से भेजा है कि आया आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स की आवश्यकता है या नहीं, या किस व्यक्ति को आनरेरी मैजिस्ट्रेट् बनाया जाय और उनकी क्या क्वालिफिकेशन्स होनी चाहिए। यह सारा काम हमने उस कमेटी के सुपुर्द कर दिया है जो कि जिले-जिले में इस कार्य के लिए है। इस लिए मैं अत्यन्त विनयपूर्वक निवेदन करूंगा कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स जो आज मुकर्रर किया जाता है उसके सम्बन्ध में सरकार की नीति अत्यन्त जनतांत्रिक है और जो लोग आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स को मुकर्रर करते हैं वह उनकी आवश्यकता और इस योग्य हैं या नहीं उस पर विचार करके तब सरकार से सिफारिश करते हैं और उसके अनुसार उन लोगों को नियुक्त किया जाता है। जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव के सेपेरेशन के बारे में यह विधान में निश्चित आदेश है कि यह कार्य किया जाय। हमारे यहां नीति रूप में इसको स्वीकार किया गया है। यह कार्य हमने किया भी है और उसमें कुछ कठिनाइयां आई हैं। उनमें से एक यह भी है कि आज हम को ए०डी०एम०(जे०) मुकर्रर करने के लिये उपयुक्त

आदमी नहीं मिल रहे हैं और कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं कि जिनका जिक्र माननीय मंत्री महोदय ने किया। आज कहा जाता है कि कोर्ट्स से जो अपराधी है छूट जाता है, न्याय का हनन होता है, आदि कितनी ही बातें कही जाती हैं, उनके होते हुये में इतना ही कह सकता हूं कि हम इसके लिये कटिबद्ध हैं लेकिन इसको हम कितनी जल्दी पूरा कर सकेंगे यह कहना बहुत कठिन है ।

ए०डी०एम० (जे०) का सम्बन्ध डी०एम० से न रह कर हाई कोर्ट से रहना चाहिये, आदि इस प्रकार की बहुत सी बातें इस सदन के सामने आई और पहले भी आ चुकी हैं। हमारे मित्र चंद्रजीत जी ने पुराने विवादों का जिक्र किया जो इस सदन में हो चुके हैं। मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि यह विवाद भी कई बार हो चुका है और उसका उत्तर भी दिया जा चुका है। ए०डी०एम० (जे०) डी० एम० के सबार्डिनेट हैं अपनी रैंक के अनुसार लेकिन वह उसके आधीन रहते हुये अपने जुडिशयल काम में उसका कोई आदेश स्वीकार करते हैं यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं इसके विपरीत यह कहने की धृष्टता करूंगा कि उनके जुडिशियल वर्क में उनका अपना स्थान है और जहां पर सेपरेशन किया गया है वहां वह स्वेच्छानुसार ही कार्य करते हैं।

एक और प्रश्न उठाया गया। वह हरिश्चन्द्र जी ने उठाया और उसे हमारे दूसरे मित्रों ने दूसरे ढंग से कहा। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाता है तो उसको यह खयाल रहता है कि उसको सजा जरूर होगी और यदि वह जज के कोर्ट में जाता है तो, ऐसा मैं समझा कि वह यह सोचता है कि वह छूट जायगा अथवा उसके साथ न्याय होगा। न्याय में तो छूटना और सजा पाना दोनों हैं और यदि न्याय के माने केवल छूट जाना ही लगाये जाते हैं तो मैं नम्रता पूर्वक उसका विरोध करूंगा। यदि कोई व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में इस भावना से जाता है कि मैं सजा पाऊंगा तो मैं उसकी इस भावना के विरोध में हूं। यदि सारे मुकदमों को देखा जाय तो आप पायेंगे कि मैजिस्ट्रेट के कोर्ट से भी काफी आदमी मुक्ति पाते हैं और यह कि सभी आदमियों को वहां सजा हो जाती है, ऐसा मैं स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं और न ऐसा हमारे इस माननीय सदन के सदस्य ही स्वीकार करने के लिये गंभीरता से तैयार होंगे।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह---ऐसा मेरा आशय भी नहीं था।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जैसा कि रिटायर्ड जज साहब ने कहा, उनका आशय भी ऐसा नहीं था यह जान कर मुझे प्रसन्नता हुई। जुर्म करने के बाद व्यक्ति को भय भी लगता है। वह छूट जाय यह दूसरी बात है ।

मैं एक चीज का जिक्र और करना चाहता था। हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि आज जितने राजनीतिक अपराधी हैं उन सबके सम्बन्ध में यह निश्चित सा है कि उनको सजा होगी। मैं कैसे कहूं, श्रीमन्। केवल इतना स्मरण दिला सकता हूं कि इन्हीं पिछले वर्षों में उन सभी व्यक्तियों ने जिन्होंने पी०एस०पी० के झंडे के नीचे आन्दोलन चलाया था आबपाशी की दरों के विरुद्ध, मैं आज यह कह सकता हूं कि एक माननीय न्यायालय की आज्ञानुसार इस सरकार को झुकना पड़ा। तो आज यह कहना कि सब के विरुद्ध ऐसी बातें हो गयी हैं, मैं यह खयाल करता हूं कि माननीय सदस्य इसके सम्बन्ध में विचार करेंगे।

माननीय राजनारायण की सजा का जिकर आया और कहा गया कि जिस मूर्ति को हटाने में उनको सजा दी गयी उसको सरकार ने हटाया, क्योंकि सरकार आज यह विचार करती है कि उन मूर्तियों के रहने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु क्या इसके लिये आज भी यह सम्भव है कि कोई व्यक्ति एक मजमुआ नाजायज बनाकर उन मूर्तियों को जबरदस्ती हटाने की कोशिश करे और उन मूर्तियों को तोड़-फोड़ दे और मारपीट भी हो या इस प्रकार की कोई घटना हो जिस में कम से कम अदालत की ओर से ऐसा खयाल किया जाय या ऐसा

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

विचार किया जाय जिसमें बलप्रयोग कुछ किया गया और इसके लिये कुछ न किया जाय? उनको जो दंड दिया गया वह भारतीय दंड विधि की धारा ४२७ और १४९ के अनुसार दिया गया है जिनमे इन दोनों बातों का उल्लेख है। तो मेरा तात्पर्य इस चीज के कहने का यह है कि न्याय के प्रति आज कोई अरुचि पैदा हो गयी हो या न्याय की जो इस देश में पहले परम्परा थी उनमें अन्तर आ गया है या न्याय के प्रति जनता के हृदय में दूसरा भाव पैदा हो गया है, मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि ऐसी बात नहीं है बल्कि इसके विपरीत है। इतना तो आज कहा ही जा सकता है जैसा कि मेरे मित्र माननीय हरिश्चन्द्र जी ने कहा कि जबतन्त्र प्रणाली में जिस प्रकार के न्याय की हम आकांक्षा कर सकते हैं उस न्याय का रूप अब भी हमको देखने को मिलता है।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है बात कुछ ऐसी है जिसका जिक्र बहुत बार होता है और प्रत्येक तरीके का होता है। उसके सम्बन्ध में मै यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार तो है या हो सकता है कि इस प्रकार की चीजे हों जिनमें भ्रष्टाचार को स्थान मिलता है लेकिन इसको आप कितना विधिविधान के द्वारा दूर कर सकते हैं। आज जो विवाद इस मांग के सम्बन्ध में हुआ है उस मांग के विवाद में उसका कितना स्थान है यह मैं इस माननीय सदन के विचार करने के लिये छोड़ता हूं।

एक खास चीज का जिक्र आया जिसमे कहा गया कि डी०डी०सी० के सम्बन्ध में खर्चा बढ़ाया गया है। अगर मुझे सही याद है तो शायद ३५ हजार रुपये का जिक्र किया गया था। बात सही है लेकिन इस सम्बन्ध में सीधी सी बात यह है कि बहुत सारे मुकदमे दीवानी में आज सरकार की ओर से चलाये जाते हैं और बहुत से मुकदमों में सरकार को मुद्दालय के रूप में जाना पड़ता है। इसके लिये यह आवश्यक है कि उन मुकदमों की अच्छी पैरवी हो। उन मुकदमों में उचित न्याय मिल सके और उचित राय मिल सके। उनके सम्बन्ध में सरकार को पहले से ही तैयारी करनी होगी। इसलिये डी०डी०सी० की व्यवस्था है बल्कि उनके नीचे कुछ रिटेनर भी हम रख रहे हैं जिससे उनकी राय ली जा सके और सरकार जिन मुकदमों मे प्रतिवादी होती है उनमें अच्छी पैरवी हो सके, जोन सिल का जिक्र तो मैं नहीं करना चाहता था लेकिन चूंकि यहां उसके बारे में कहा गया इसलिये इतना ही कहूंगा कि वहां की हालत का बहुत कुछ सम्बन्ध वहां के आपसी झगड़ों और अर्थ व्यवस्था से था। कुछ स्टे आर्डर्स जरूर हुये लेकिन वे ऐसे हुये जिनसे उस पर कोई खास असर नहीं है। यह सही नहीं है कि आगरे के जजशिप के कम्पांउन्ड को डेवलपमेंट बोर्ड को दिया जा रहा है। आगरे के डिस्ट्रिक्ट जज के आवास गृह का कम्पाउन्ड करीब २५ बीघे का है और उसका कुछ हिस्सा जो इस समय बेकार है किसी काम में लाया जाय, केवल यह प्रश्न है।

इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि सदन इस साधारण मांग को स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५ की धनराशि में १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५—न्याय प्रशासन—लेखा शीर्षक २७—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १,३९,१९,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विभिन्न समितियों तथा बोर्डों के नाम निर्देशन पत्र वापस लेने के समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष--अब मैं दो एक सूचनायें देना चाहता हूं. [illegible] तो मैं समझता हूं कि आप उसके लिये सहमत होंगे।

मेरे पास फिर विभिन्न दलों की ओर से यह निवेदन आया है कि कुछ कमेटियों के, जिनके नाम ये हैं, वित्त समिति, इंटर एजूकेशन बोर्ड, रुड़की यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी [illegible] कमेटी, राज्य मद्य निषेध बोर्ड, लेखा समिति, और प्राक्कलन समिति, नाम वापस लेने की तिथि बढ़ा दी जाय। यह तीसरा मौका है और मैं कहना चाहता हूं कि विभिन्न दलों के सचेतकों ने अपना कर्तव्य ठीक से पालन नहीं किया है। मैं अन्तिम रूप से २४ तारीख को ३ बजे तक समय बढ़ाता हूं लेकिन फिर ऐसी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--२४ तारीख के अगर पहले कर दें तो उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष--यह जिस समय आप लोगों ने दस्तखत किया था उस समय सोच लेना था। अब मैं नियत कर चुका हूं।

अब हम उठते हैं और २० तारीख को ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर मंगलवार, २० अगस्त, १९५७ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।

देवकी नन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१४ अगस्त, १९५७।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३४ पर)

अधिकारियों को दी गई सजा का विवरण

अधिकारी का पद	संख्या	सजा का विवरण
सब-इंस्पेक्टर	३	इनमें से दो की चरित्रावली में दुश्चरित्र टिप्पणी अंकित की गई और एक की चरित्रावली में उनको दी गई मामूली सजा का उल्लेख किया गया ।
हेड कांस्टेबिल	१	वेतन में कमी की गई ।
कांस्टेबिल	३	दो के वेतन में कमी की गई और एक की चरित्रावली में दुश्चरित्र टिप्पणी अंकित की गई ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४६ पर)

जिला गोरखपुर के थाने निचलौल तथा कोठीमार के अन्तर्गत १९५७ में हुई चोरियों और डकैतियों का विवरण—

क्र० सं०	नाम थाना	नाम अपराध	दर्ज हुई	पता लगा
१—	निचलौल	चोरी	१४	३
		डकैती	३	२
२—	कोठीमार	चोरी	१४	४
		डकैती	१	..

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४९ पर)

घटना का विवरण

बेनिया पार्क में आयोजित पुलिस दंगल के तीसरे दिन आखिरी मुठभेड़ दारासिंह तथा एक विदेशी पहलवान "जैरन हैस्की" में थी। हैस्की बार-बार "फाउल" कर रहे थे, जिससे जनता उत्तेजित हो उठी। अन्त में "रेफरी" ने उनको अयोग्य (disqualified) घोषित कर दिया और दारासिंह को विजेता मान लिया। उत्तेजित जनता खुशी के मारे दारा सिंह को करीब से देखने के लिये धक्के देकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करने लगी। इससे एक भगदौड़ शुरू हो गई और आगे की पंक्तियों के बैठे हुये लोगों को दब जाने से बचाने के लिये पुलिस वाले बढ़ती हुई भीड़ को हाथों द्वारा रोकने का प्रयत्न करने लगे। इस सिलसिले में उन्हें कहीं-कहीं अपने बेटन का भी प्रयोग करना पड़ गया। इसी बीच में हीरालाल नामक एक व्यक्ति श्री बी०बी० सिंह, डी०एस० पी० जो आगे की पंक्ति से लोगों को रोक रहे थे, के साथ भिड़ गये। उन्हें बचाने के लिये अतिरिक्त एस०पी० तथा कुछ सिपाहियों ने आकर दो चार डंडे मार कर हीरालाल को काबू में किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। श्री गणेशदत्त दुबे नाम के एक और व्यक्ति को भी जो जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, गिरफ्तार किया गया। उसके उपरान्त कोई विशेष बात नहीं हुई।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५३ पर)

ललितपुर डिवीजन जिला झांसी मे १ अप्रैल ५६ से ३१ मार्च ५७ तक हुई डकैतियों का विवरण

क्रम-सं०	नाम जगह	नाम थाना	डाकों की संख्या	नकद रुपया व माल जो लूटा गया	डाकुओं द्वारा मारे गये लोगो की संख्या
१	झमहोरी खुर्द	मड़ावरा	१	१,६१४ रु० नकद जेवर, बंदूक	
२	लिढोरा	,,	१	१,५६.६२५ रु० नकद जेवर बन्दूक	
३	घुखारा	,,	१	१०,००० रु० नकद कपड़ा व जेवरात	
४	उलदाना खुर्द	,,	१	२४० रु० जेवर नकद	
५	मल्लोनी लोघ	वार	१	१,२७,६५० रु०	
६	गुढ़िया	,,	१	१,००,७५० रु० नकद जेवर	
७	पटना	नारहट	१	१,२०० रु० जेवर नकद	
८	गोना	,,	१	८,००० रु० नकद जेवर	
९	बिरधा	ललितपुर	१	१,२३६ रु० नकद जेवर	
१०	ललितपुर और सागर की सड़क १३।। मील पर	,,	१	२४५ रु० और ४१६ रु० का कपड़ा, जेवर	
११	मल्लोनी	जाख लोन	१	रु० ५६० नकद जेवर	

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६५५ पर)

हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) (संशोधन) विधेयक, १९५७

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३६, १९५६।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) अधिनियम, १९५६ को संशोधित करने का

विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३६, १९५६।

कतिपय प्रयोजनों के निमित्त हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) अधिनियम, १९५६ को संशोधित करने के लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के अधीन गवर्नर ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ प्रख्यापित किया था, उत्तर अध्यादेश १९५७

और यह इष्टकर है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल के अधिनियम की व्यवस्था की जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३६, १९५६ की धारा ११ का संशोधन।

२—हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) अधिनियम, १९५६ (जिसे एतत्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ११ की उपधारा (१) में—

(१) अंक "४" के स्थान पर अंक "१२" रख दिया जाय तथा सदैव से ही रखा हुआ समझा जाय ; तथा

(२) शब्द "अपनी स्थापना के दिनांक से ४ मास के भीतर" तथा तत्पश्चात् आने वाले शब्द "धारा ७ मे विनिर्दिष्ट" के बीच में शब्द "अथवा ऐसी और अवधि के भीतर जिसे राज्य सरकार समय-समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३६, १९५६ की धारा १२ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा १२ में—

(१) शब्द "छः" के स्थान पर शब्द "बारह" रख दिया जाय तथा सदैव से ही रखा हुआ समझा जाय ; तथा

(२) शब्द "ऐसी बढ़ायी हुई अवधि के भीतर जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट कर दे" के स्थान पर शब्द "ऐसी और अवधि के भीतर जिसे राज्य सरकार, समय-समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश १, १९५७ का निरसन।

४—हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है और यू०पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध इस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि यह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरसित एक विधायन (enactment) रहा हो। यू०पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४।

उद्देश्य

[illegible] (संशोधन) [illegible] के अनुसार [illegible] [illegible] राज्य [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के अधीन [illegible] को [illegible] के भीतर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] तथा [illegible] कोई [illegible] जिससे [illegible] सरकार [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] निर्मित [illegible] जाने वाली [illegible] धारा १५ [illegible] १७ के अधीन [illegible] कार्यवाही (Punitive action) नहीं [illegible] सकें। [illegible] दिनांक २६ जून, १९५७ को गवर्नर द्वारा एक अध्यादेश [illegible] किया गया था।

यह अध्यादेश ३० [illegible] १९५७ को प्रभाव शून्य हो [illegible] उद्देश्यों को स्थायी आधार देने के निमित्त यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

[illegible]लापति त्रिपाठी,
शिक्षा मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

अनुक्रमणिका

खंड १८५

अ

अंग्रेजी——
प्र० वि०—— ——का स्थान 'हिंदी' को देने के लिये कार्य । खं० १८५, पृ० ९९–१००।

अंधों——
प्र० वि०—हरिद्वार मे भिखारियों के लिए आश्रम तथा लखनऊ और गोरखपुर में——के लिये स्कूल । खं० १८५, पृ० १११–११२ ।

अग्निपीड़ितों——
प्र० वि०—फ़र्रुखाबाद जिले में—— को सहायता । खं० १८५, पृ० १४–१५ ।

प्र० वि०—बलिया जिले में—— को सहायता । खं० १८५, पृ० १७ ।

बाराबंकी जिलान्तर्गत——को सहायता । खं० १८५, पृ० २७ ।

अग्रिम लगान——
प्र० वि०—हैदरगढ़ व रामसनेही घाट तहसीलों में——से वसूली । खं० १८५, पृ० २८ ।

अति वृष्टि——
प्र० वि०—मुजफ्फरनगर जिले में —— । खं० १८५, पृ० ९८ ।

अत्याचार——
प्र० वि०—उन्नाव नगर मे बारातियों पर पुलिस—— । खं० १८५, पृ० ६४३–६४५ ।

अदालतों——
प्र० वि०—गोरखपुर जिला——में गांव सभाओं के मुकदमों की पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों व मुख्तारों को मेहनताने का न मिलना। खं० १८५, पृ० ३३८–३३९ ।

अधिक्रान्त——
प्र० वि०—नगरपालिका, बस्ती को ——करने पर विचार । खं० १८५, पृ० ९८ ।

अधिनियम——
टेहरी–गढ़वाल राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) ——, १९५६, के अन्तर्गत आलेख्य आदेश। खं० १८५, पृ० ५२५ ।

प्र० वि०—बिक्री–कर——के अन्तर्गत रजिस्टर्ड व्यापारी । खं० १८५, पृ० २६४ ।

अधिष्ठाता, श्री——
१९५७–५८ के आय–व्ययक मे अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी । खं० १८५, पृ० १४३, १४४, २१९, २२४ ।

अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०—वन । खं० १८५, पृ० ६६९, ६७२, ६७४, ६७९, ६८० ।

अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २७—न्याय प्रशासन । खं० १८५, पृ० ६८५, ६८६,

[श्री अधिष्ठाता--]

अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक ४०--कृषि सम्बन्धी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५--लेखा शीर्षक ७१--कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत । खं० १८५, पृ० २९४ ।

अनुदान संख्या २३--लेखा शीर्षक ४१--पशु-चिकित्सा । खं० १८५, पृ० २९०, २९३, २९४ ।

अनुदान संख्या ४३--लेखा शीर्षक ६३-क-- युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय और ६३-ख--सामुदायिक विकास योजनायें, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माणकार्य । खं० १८५, पृ० ५४१, ५४६, ५५०, ५५४, ५५५, ५५८, ५५९ ।

अनुदान संख्या ४७--लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माणकार्यों का पूंजी लेखा । खं० १८५, पृ० ५२, ५४, ५५ ।

अध्यक्ष, श्री--

आगरा जिले में सोशलिस्ट सत्याग्रही श्री रामसिंह की मृत्यु के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० २७९ ।

आगरा जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रही, श्री रामसिंह, की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० ३६०--३६१ ।

आजमगढ़ जिले के रामपुर में धुनौली गांव में भुखमरी से अभिकथित मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० ४४१ ।

आजमगढ़ जिले में अभिकथित भुखमरी के विषय में अन्न मंत्री का वक्तव्य । खं० १८५, पृ० ६५५ ।

आजमगढ़ शहर में बम विस्फोट के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० ४४१--४४२ ।

१९५७--५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १--लेखा शीर्षक ४--कृषि आय कर की उगाही पर व्यय । खं० १८५, पृ० ३२ ।

अनुदान संख्या २--लेखा शीर्षक ७--मालगुजारी । खं० १८५, पृ० १९२, २०३, २०४ ।

अनुदान संख्या--१९--लेखा शीर्षक ३८--चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०--लेखा शीर्षक ३९--जन-स्वास्थ्य । खं० १८५, पृ० ३६५ ।

अनुदान संख्या २२--लेखा शीर्षक ४०--उपनिवेशन । खं० १८५, पृ० १२०, १२२ ।

अनुदान संख्या ३१--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य, निर्माण--कार्यों पर लागत । खं० १८५, पृ० ३१ ।

अनुदान संख्या ३२--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण--कार्य, केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता । खं० १८५, पृ० ३१ ।

अनुदान संख्या ३३--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य और ८१--राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा। खं० १८५, पृ० ३१ ।

अनुदान संख्या ३६--लेखा शीर्षक ५४--क--प्रावेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ५४--ख--भारतीय शासकों के निजी खर्च तथा भत्ते। खं० १८५, पृ० ४४५ ।

अनुदान संख्या ४१--लेखा शीर्षक ५७--समाज कल्याण । खं० १८५, पृ० २८४ ।

अनुदान संख्या ४२--लेखा शीर्षक १३--असाधारण व्यय । खं० १८५, पृ० ६५६ ।

अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा। खं० १८५, पृ० ३२, ३३।

अनुदान संख्या ५१—लेखा शीर्षक ८५—क—राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत। खं० १८५, पृ० ६५६।

विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन। खं० १८५, पृ० ३०, २८३, २८४, ४४४, ४४५, ५२६—५२७, ६५५, ६५६।

गाजीपुर जिले में चन्द्रप्रभा नहर के टूटने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३६२, ३६३।

गोरखपुर जिले में अभिकथित भुखमरी की स्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ५२५।

गोरखपुर जिले में सशस्त्र डकैतियों से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० १९१—१९२।

जिला पीलीभीत में पुलिस के निरंकुश व्यवहार से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० २७८।

जिला बाराबंकी में घाघरा नदी की बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३६१—३६२।

ट्रांस घाघरा—राप्ती—गंडक क्षेत्र में घाघरा राप्ती इत्यादि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थति पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ५२४, ५२५।

'नेशनल हेराल्ड' में कृषि मंत्री के भाषण को गलत ढंग से प्रकाशित करने पर कृषि मंत्री द्वारा आपत्ति। खं० १८५, पृ० ३६५।

पूर्वी जिलों में, विशेषकर गोरखपुर जिले में, घाघरा, राप्ती आदि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३५९, ३६०।

पूर्वी जिलों में, विशेषकर गोरखपुर जिले में घाघरा, राप्ती आदि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० २७८, २७९।

प्रतापगढ़ जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों द्वारा भूखहड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ४४२—४४३।

प्रदेश के पूर्वी जिलों में खाद्यस्थिति के फलस्वरूप भुखमरी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० १९१।

प्रादेशिक कर्मचारियों को डाक व तार कार्यालयों में काम करने की आज्ञा देने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३६३, ३६४।

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में भारतीय राष्ट्रीय छात्रसंघ के अध्यक्ष द्वारा अनशन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० १९१।

बलिया जिले में गेस्ट्रो इन्ट्राइटिस एवं हैजे से ५०० व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० १२०।

बलिया जिले में घाघरा नदी से होने वाले कटाव से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ४४३।

[अध्यक्ष, श्री--]

श्री बृज नारायण तिवारी द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३० ।

भुखमरी से सम्बन्धित कार्य-स्थगन प्रस्तावों को अगले दिन लेने की सूचना। खं० १८५, पृ० १९२ ।

भुखमरी से संबंधित ३ अगस्त से दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना पर-----का निर्णय। खं० १८५, पृ० २७६, २७७-२७८ ।

श्री मदन पांडेय द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३० ।

श्री मलिखान सिंह द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ६५४ ।

माल उपमंत्री, श्री परमात्मानन्द सिंह, द्वारा अनुदान उपस्थित किये जाने पर वैधानिक आपत्ति। खं० १८५, पृ० १९७, १९८, १९९ ।

प्र० वि०---म्युनिसिपल बोर्ड चन्दौसी के-----के विरुद्ध स्मृतिपत्र। खं० १८५, पृ० ५०२ ।

वित्तीय तथा साधारण कार्य में विरोधी दल को अधिक समय देने तथा विरोधी दल के परामर्श से कार्यक्रम निर्धारित करने के संबंध में सुझाव। खं० १८५, पृ० २७९, २८१-२८२, २८३ ।

विधान सभा सदस्य श्री मोतीलाल अवस्थी की गिरफ्तारी की सूचना। खं० १८५, पृ० १९० ।

विभिन्न विरोधीदलों के लिये कमरों की व्यवस्था। खं० १८५, पृ० ५२६ ।

सकरामऊ, जिला आजमगढ़, में भूख से एक व्यक्ति की मृत्यु के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० १९१ ।

सहारनपुर नगरपालिका के भंगियों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३६३ ।

अध्यक्ष-दीर्घा---

-----के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में सूचना। खं० १८५, पृ० ४९० ।

अध्यापक---

प्र० वि०---जालौन जिले मे विलीन क्षेत्र के स्कूलों के-----। खं० १८५, पृ० ६५१ ।

अध्यापक मंडल---

प्र० वि०---आगरा छावनी बोर्ड के-----का प्रस्ताव। खं० १८५, पृ० ५१४ ।

अध्यापकों---

प्र० वि०---आगरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के-----को प्रावीडेंट फंड का न मिल सकना। खं० १८५, पृ० ५१३-५१४ ।

प्र० वि०---ग्राम चुनाव के समय जिला बोर्ड आजमगढ़ के -----का तबादला। खं० १८५, पृ० ६२८-६२९ ।

प्र० वि०---खीरी जिला बोर्ड के-----को वेतन न मिलने की शिकायत। खं० १८५, पृ० ६५१ ।

प्र० वि०---जूनियर हाई स्कूलों के-----का वेतन सम्बन्धी कथित पत्र-व्यवहार। खं० १८५, पृ० ६४१ ।

प्र० वि०---डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, शाहजहांपुर के-----को वेतन-वृद्धि न मिलना। खं० १८५, पृ० ५२२ ।

प्र० वि०---पंचायतों के चुनाव में कार्य करने वाले जिला बोर्ड, आजमगढ़, के-----को भत्ता न मिलना। खं० १८५, पृ० ३५७ ।

अनधिकृत सदस्यों---

प्र० वि०---विधायक निवास में-----के रहने पर आपत्ति। खं० १८५, पृ० २५९-२६० ।

अनशन—

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ने भारतीय राष्ट्रीय छात्रसंघ के अध्यक्ष द्वारा ———के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० १९१।

अनाज——

प्र० वि०——आजमगढ़ जिले मे सरकारी दूकानों पर सस्ता तथा बिक्रीकरमुक्त ———बेचने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ५०८—५११।

अनावर्त्तक अनुदान——

प्र० वि०——प्रतापगढ़ तथा सुल्तानपुर जिलों में नवीन हरिजन संस्थाओं को———का न मिलना। खं० १८५, पृ० १०७।

अनुदान——

प्र० वि०——इटावा जिले में अहेरीपुर-महोबा सड़क के निर्माण के लिये ———की मांग। खं० १८५, पृ० २५५।

प्र० वि०——इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को———देने की सिफारिश। खं० १८५, पृ० ३४०।

प्र० वि०——कोसी नगरपालिका को ———। खं० १८५, पृ० ३५७—३५८।

प्र० वि०——जिला बोर्ड, नैनीताल को ———। खं० १८५, पृ० ५२१।

माल उपमंत्री, श्री परमात्मानन्द सिंह, द्वारा———उपस्थित किये जाने पर वैधानिक आपत्ति। खं० १८५, पृ० १९५—१९९।

प्र० वि०——लखीमपुर जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों द्वारा———। खं० १८५, पृ० ३३६।

अनुदान संख्या १——

१९५७—५८ के आय-व्ययक के अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान ———लेखा शीर्षक ४——कृषि आय कर की उगाही पर व्यय। खं० १८५, पृ० ३२।

अनुदान संख्या २——

———लेखा शीर्षक ७——मालगुजारी। खं० १८५, पृ० १३६—१६४, १९२, १९५, १९९—२४८।

अनुदान संख्या ५——

———लेखा शीर्षक १०——वन। खं० १८५, पृ० ६५७—६८०।

अनुदान संख्या १२——

———लेखा शीर्षक २५——सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३——लेखा शीर्षक २५——कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय। खं० १८५, पृ० ४४६—४८९।

अनुदान संख्या १३——

अनुदान संख्या १२——लेखा शीर्षक २५——सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा———लेखा शीर्षक २५——कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय। खं० १८५, पृ० ४४६—४८९।

अनुदान संख्या १५——

———लेखा शीर्षक २७——न्याय प्रशासन। खं० १८५, पृ० ६८०—७०२।

अनुदान संख्या १९——

———लेखा शीर्षक ३८——चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०——लेखा शीर्षक ३९——जन-स्वास्थ्य। खं० १८५, पृ० ३६५—४०७।

अनुदान संख्या २०——

अनुदान संख्या १९——लेखा शीर्षक ३८——चिकित्सा तथा———लेखा शीर्षक ३९——जन-स्वास्थ्य। खं० १८५, पृ० ३६५—४०७।

अनुदान संख्या २१—
——लेखा शीर्षक ४०—कृषि संबंधी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत। खं० १८५, पृ० २९४—३२१।

अनुदान संख्या २२—
——लेखा शीर्षक ४०—उपनिवेशन। खं० १८५, पृ० १२०—१३२, १३३—१३६।

अनुदान संख्या २३—
——लेखा शीर्षक ४१—पशु-चिकित्सा। खं० १८५, पृ० २८४—२९४।

अनुदान संख्या ३१—
——लेखा शीर्षक ५०—, नागरिक निर्माण कार्य—निर्माण-कार्यों पर लागत। खं० १८५, पृ० ३१।

अनुदान संख्या ३२—
——लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य, केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता। खं० १८५, पृ० ३१।

अनुदान संख्या ३३ —
——लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य और ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा। खं० १८५, पृ० ३१।

अनुदान संख्या ३५—
——लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि। खं० १८५, पृ० ३२।

अनुदान संख्या ३६—
——लेखा शीर्षक ५४—क—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ५४—ख—भारतीय शासकों के निजी खर्च तथा भत्ते। खं० १८५, पृ० ४४५।

अनुदान संख्या ४०—
——लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान। खं० १८५, पृ० ५७२—६०७।

अनुदान संख्या ४१—
——लेखा शीर्षक ५७—समाज कल्याण। खं० १८५, पृ० २८४।

अनुदान संख्या ४२ —
——लेखा शीर्षक १३—असाधारण व्यय। खं० १८५, पृ० ६५६।

अनुदान संख्या ४३—
——लेखा शीर्षक ६३—क—युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय और ६३—ख—सामुदायिक विकास योजनायें, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य। खं० १८५, पृ० ५२७—५७२।

अनुदान संख्या ४५—
अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि संबंधी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत। खं० १८५, पृ० २९४—३२१।

अनुदान संख्या ४७—
——लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा। खं० १८५, पृ० ३२—३५।

अनुदान संख्या ५१—
——लेखा शीर्षक ८५—क—राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत। खं० १८५, पृ० ६५६।

अनुदानों—
१९५७—५८ के आय-व्ययक में—के लिये मांगों पर मतदान। खं० १८५, पृ० ४४५—४८१।

१९५७–५८ के आय-व्ययक में —। के लिये मांगों पर मतदान—विभिन्न——के लिये समय विभाजन। खं० १८५, पृ० ३०, २८३–२८४, ४४४–४४५, ५२६–५२७, ६५५–६५६।

अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां—

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७————का सुधार और उत्थान। खं० १८५, पृ० ५७२–६०७।

अन्न मंत्री—

आजमगढ़ जिले में अभिकथित भुखमरी के विषय में ———का वक्तव्य। खं० १८५, पृ० ६५५।

अन्वेषण—

प्र० वि०—राज्य में दूसरी सीमेंट फैक्ट्री खोलने के लिये————। खं० १८५, पृ० २७३।

अपराध—

प्र० वि०—गोरखपुर जिले में निचलौल तथा कोठीभार थानों के अन्तर्गत ————। खं० १८५, पृ० ६४९।

अपीलें—

प्र० वि०—इलाहाबाद हाई कोर्ट में दीवानी की विचाराधीन ——। खं० १८५, पृ० ५०२।

अब्दुल रऊफ लारी, श्री—

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी। खं० १८५, पृ० २१७–२१९।

अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ६३—क—युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय और ६३—ख—सामुदायिक विकास योजनाएं—राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य। खं० १८५, पृ० ५४४–५४६।

अभाव—

प्र० वि०—हल्द्वानी-भावर, जिला नैनीताल में स्वच्छ जल का————। खं० १८५, पृ० ५२१।

अमरनाथ, श्री—

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी। खं० १८५, पृ० १६०–१६२।

अमरीकन इन्फार्मेशन सर्विस—

प्र० वि०————के लोगों द्वारा रिहन्द बांध के चित्र लेना। खं० १८५, पृ० ४३४–४३५।

अमीन—

प्र० वि०—इटावा जिले के नहर विभाग में———व पतरौल के चुनाव में परिगणित जाति के व्यक्ति न लेने पर आपत्ति। खं० १८५, पृ० ४३६।

अमीनों—

प्र० वि०—सिविल कोर्ट, फर्रुखाबाद, के मातहत————की ग्रेडेशन लिस्ट की कथित शिकायत। खं० १८५, पृ० ३५३।

अम्बर चर्खे—

प्र० वि०————द्वारा काटन इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की योजना। खं० १८५, पृ० २५७।

अयोध्या शुगर मिल्स—

प्र० वि०——————बिलारी, जिला मुरादाबाद, द्वारा बदायूं यूनियन का पूरा गन्ना न पेरना। खं० १८५, पृ० २५८–२५९।

अली ज़हीर, श्री सैयद—

आजमगढ़ जिले के रामपुर में घनौली गांव में भुखमरी से अभिकथित मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ४४१।

[अली जहीर, श्री सैयद—]

आजमगढ़ जिले में अभिकथित भुखमरी के विषय में अन्न मंत्री का वक्तव्य। खं० १८५, पृ० ६५५।

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०—वन। खं० १८५, पृ० ६५७—६५९, ६६०, ६७७—६७९, ६८०।

अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २७—न्याय प्रशासन। खं० १८५, पृ० ६८०—६८३।

अनुदान संख्या ४२—लेखा शीर्षक १३—असाधारण व्यय। खं० १८५, पृ० ६५६।

अनुदान संख्या ५१—लेखा शीर्षक ८५—क—राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत। खं० १८५, पृ० ६५६।

भुखमरी से सम्बन्धित कार्य-स्थगन प्रस्तावों को अगले दिन लेने की सूचना। खं० १८५, पृ० १९२।

भुखमरी से संबंधित ३ अगस्त के दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय। खं० १८५, पृ० २७६—२७७।

अल्ट्रावायरस कानून—

प्र० वि०—उच्च न्यायालय द्वारा घोषित——। खं० १८५, पृ० ३५३।

अविश्वास का प्रस्ताव—

प्र० वि०—नगरपालिका, बस्ती, के चेयरमैन के विरुद्ध-। खं० १८५, पृ० ९८।

अवैध-

प्र० वि०—सेल्स टैक्स संबंधी विज्ञप्ति का हाई कोर्ट द्वारा——करार दिया जाना। खं० १८५, पृ० २७४।

असाधारण व्यय—

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४२—लेखा शीर्षक १३——। खं० १८५, पृ० ६५६।

अस्थायी अध्यापकों—

प्र० वि०—प्राइवेट स्कूलों के——को गर्मी की छुट्टियों से पहले हटा देने की शिकायत। खं० १८५, पृ० ६५२।

अस्पताल—

प्र० वि०—हल्द्वानी शहर का——। खं० १८५, पृ० ११३—११४।

अस्पतालों——

प्र० वि०—सरकारी——के डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने का सुझाव। खं० १८५, पृ० १११।

अहेरीपुर-महोबा सड़क—

प्र० वि०—इटावा जिले में——के निर्माण के लिये अनुदान की मांग। खं० १८५, पृ० २५५।

आ

आक्रमण—

प्र० वि०—देवरिया में समाजवादी सत्याग्रहियों पर कथित पुलिस——। खं० १८५, पृ० ६४५।

आग-

प्र० वि०—इलाहाबाद जिले के देहाती इलाके में——बुझाने का स्थायी प्रबन्ध करने का सुझाव। खं० १८५, पृ० ६२९—६३०।

बरेली जिले की नवाबगंज तहसील में——लगने से क्षति। खं० १८५, पृ० २८।

प्र० वि०—लखीमपुर में जूट गोदाम में——लगने से क्षति। खं० १८५, पृ० १०७।

आगरा—

——जिले मे सोशलिस्ट सत्याग्रही श्री रामसिंह के मृत्यु के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० २७९ ।

आगरा जेल—

——मे सोशलिस्ट सत्याग्रही, श्री रामसिंह के मृत्यु के सम्बन्ध मे कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० ३६०—३६१ ।

आजमगढ़—

——जिले के रामपुर मे धुनौली गांव मे भुखमरी से अभिकथित मृत्यु के सम्बन्ध मे कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० ४४१ ।

——जिले मे अभिकथित भुखमरी के विषय में अन्न मंत्री का वक्तव्य । खं० १८५, पृ० ६५५ ।

——शहर में बम विस्फोट के सम्बन्ध मे कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० ४४१—४४२ ।

सकरामऊ, जिला——में भूख से एक व्यक्ति की मृत्यु के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० १६१ ।

आदेश—

प्र० वि०—प्रारम्भिक कक्षाओं में निःशुल्क शिक्षा के लिये—— । खं० १८५, पृ० ४२१—४२२ ।

प्र० वि०—फैजाबाद जिले की टांडा तहसील में राशनिंग की दुकानें खोलने के लिये—— । खं० १८५, पृ० ३५० ।

प्र० वि०—विदेशी शासकों की मूर्तियां संग्रहालय में रखने का—— । खं० १८५, पृ० २८ ।

प्र० वि०—शिक्षा शुल्क न लेने के सम्बन्ध में कथित—— । खं० १८५, पृ० ६५१—६५२ ।

आनरेरी मैजिस्ट्रेट—

प्र० वि०—जुडीशियल स्पेशल——जिला हरदोई की अदालतों के मुकदमे खं० १८५, पृ० ५१३ ।

प्र० वि०—श्री धनपतिसिंह टंडन ——शाहगंज बेंच, जिला जौनपुर की नियुक्ति पर आपत्ति । खं० १८५, पृ० ५१७—५१८ ।

आन्दोलन—

प्र० वि०—१९४२ के——मे आजमगढ़ जिले में जलाये गये मकानो का मुआवजा । खं० १८५, पृ० ६३३ ।

आपत्ति—

प्र० वि०—इटावा जिले के नहर विभाग में अमीन व पतरौल के चुनाव में परिगणित जाति के व्यक्ति न लेने पर—— । खं० १८५, पृ० ४३६ ।

प्र० वि०—गवर्नमेंट हैन्डीक्राफ्ट को हानि पर चलाने में—— । खं० १८५, पृ० २६९—२७१ ।

'नेशनल हेराल्ड' में कृषि मंत्री के भाषण को गलत ढंग से प्रकाशित करने पर कृषि मंत्री द्वारा—— । खं० १८५, पृ० ३६५ ।

प्र० वि०—विधायक निवास में अनधिकृत सदस्यों के रहने पर—— । खं० १८५, पृ० २५९—२६० ।

आपरेटरों—

प्र० वि०—ट्यूबवेल——की भर्ती । खं० १८५, पृ० २७२—२७३ ।

आबकारी विभाग—

प्र० वि०— ——के चपरासियों को बस रुकवाकर तलाशी लेने का अधिकार । खं० १८५, पृ० ११ ।

आम-घाट पुल—

प्र० वि०—रायबरेली—फैजाबाद रोड पर गोमती नदी के——की निर्माण योजना । खं० १८५, पृ० ३५४—३५५ ।

आम चुनाव—

प्र० वि०— ——के समय जिला बोर्ड आजमगढ़ के अध्यापकों का तबादला। खं० १८५, पृ० ६२८–६२९।

आय-व्यय—

प्र० वि०—खीरी जिले में मंझरा तथा अन्देशनगर कृषि फार्मों के—— का लेखा। खं० १८५, पृ० १०९–११०।

प्र० वि०—झांसी जिले की महरौनी तथा ललितपुर तहसीलों में जंगल विभाग का——। खं० १८५, पृ० ५०७।

आय-व्ययक—

१९५७–५८ के——में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान। खं० १८५, पृ० ३०, १२०–१३२, १३३–१३६, १३६–१६४, १९२–१९५ १९९–२४८, २८३–२८४, ४४४–४४५, ४४५–४८९, ५२६–५२७, ५२७–५७२, ५७२–६०७, ६५५–६५६, ६८०–७०२।

आयात—

प्र० वि०—१९५६–५७ में विदेशी खाद्यान्न का—— तथा वितरण। खं० १८५, पृ० ५२४।

प्र० वि०—बाराबंकी जिले में नमक का——। खं० १८५, पृ० ३५५।

आयुर्वेदिक कालेज—

प्र० वि०—ललितपुर,——पीलीभीत के बोर्ड आफ कंट्रोल का भंग होना। खं० १८५, पृ० २५३।

आयोजन—

प्र० वि०—बलिया-गाजीपुर सड़क पर मंगई नदी के पुल निर्माण का——। खं० १८५, पृ० ५२३।

आलेख्य आदेश—

टेहरी-गढ़वाल राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, १९५६, के अन्तर्गत ——। खं० १८५, पृ० ५२५।

आवश्यकता—

प्र० वि०—बेरोजगारों की गणना की ——। खं० १८५, पृ० ११८।

प्र० वि०—राप्ती-सरजू कटाव निरोधक उपायों की ——। खं० १८५, पृ० ४४०।

आवास—

प्र० वि०—विधायकों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों तथा सभासचिवों के—— की व्यवस्था। खं० १८५, पृ० ४–६।

आवास-गृह—

प्र० वि०—दिल्ली में 'एडवोकेट आन रेकार्ड' के कार्यालय तथा—— की योजना। खं० १८५, पृ० ९६–९७।

आवासस्थान—

प्र० वि०—राजकीय विद्यालय, देवरिया के प्रधानाचार्य के प्रस्तावित—— —— की भूमि। खं० १८५, पृ० ६५४।

अविश्वास—

श्री व्रजनारायण तिवारी द्वारा —— के प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३०।

आवेदन-पत्र—

प्र० वि०—ग्रामोन्नति सहकारी भंडार, कमला सागर, जिला आजमगढ़ का ——। खं० १८५, पृ० ६३८।

प्र० वि०—हरिद्वार में भिखारियों के लिए———तथा लखनऊ और गोरखपुर में अंधों के लिये स्कूल। खं० १८५, पृ० १११—११२ ।

इ

इंजीनियरिंग और खोज—

१९५७—५८ के आय—व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि संबंधी विकास, ———तथा अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत। खं० १८५, पृ० २९४—३२१ ।

इंजीनियरों—

प्र० वि०—रिहन्द डेम के——— की गाड़ियों पर व्यय। खं० १८५, पृ० ४३७ ।

इंडस्ट्री एरिया—

प्र० वि०—इलाहाबाद के नैनी——— में कारखानों को बिजली। खं० १८५, पृ० २५७—२५८ ।

इन्दौर प्रदर्शनी—

प्र० वि०—सरकारी हैन्डीक्राफ्ट की दुकान———में ले जाने पर व्यय। खं० १८५, पृ० २६४—२६५ ।

इन्फ्लुएंजा—

प्र० वि०—राज्य में———से मृत्यु। खं० १८५, पृ० ११९ ।

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट—

प्र० वि०—इलाहाबाद———को अनुदान देने की सिफारिश। खं० १८५, पृ० ३४० ।

इलाज—

प्र० वि०—मलगवां गोसदन, जिला इटावा में गायों के———की व्यवस्था। खं० १८५, पृ० ११५ ।

इसेंशियल आयल योजना—

प्र० वि०—अलीगढ़ जिले के बरसाना, हसायन में———के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्र। खं० १८५, पृ० २६६—२६७ ।

ई

ईंट—

प्र० वि०—मेरठ जिले में———के भट्ठों को कोयला। खं० १८५, पृ० ५०८ ।

ईंधन—

प्र० वि०—जंगल के निकट रहने वालों को ———की सुविधा। खं० १८५, पृ० ५०७—५०८ ।

ईसन—

प्र० वि०—मैनपुरी—खुडिया सड़क पर ———के पुल की आवश्यकता। खं० १८५, पृ० ५११—५१२ ।

उ

उच्च न्यायालय—

प्र० वि०— ———द्वारा घोषित अल्ट्रा-वायर्स कानून। खं० १८५, पृ० ३५३ ।

उत्तर—

प्र० वि०—प्रश्नों के———एक दिन पूर्व न मिलने की शिकायत। खं० १८५, पृ० ९७ ।

उत्तीर्ण—

प्र० वि०—सैनेटरी इन्सपेक्टर की परीक्षा में———व्यक्तियों की नियुक्ति। खं० १८५, पृ० ११८ ।

उत्पादन—

प्र० वि०—इलाहाबाद के नैनी इंडस्ट्रियल एरिया का———। खं० १८५, पृ० ११३ ।

प्र० वि०—चुर्क सीमेंट फैक्टरी का ———। खं० १८५, पृ० ४३९—४४० ।

[उत्पादन——]

प्र० वि०——चुर्क सीमेंट फैक्टरी पर व्यय तथा प्रतिमास ——— । खं० १८५, पृ० ७—८ ।

प्र० वि०——रुई———प्रचार पर वार्षिक व्यय । खं० १८५, पृ० ११७ ।

उत्पादन शक्ति——

प्र० वि०——गवर्नमेंट सीमेंट फैक्टरी चुर्क की———को बढ़ाने का विचार। खं० १८५, पृ० ४३१ ।

उदयशंकर दुबे, श्री——

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या १९——लेखा शीर्षक ३८—— चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—— लेखा शीर्षक ३९——जन-स्वास्थ्य । खं० १८५, पृ० ३९२—३९३ ।

उद्योग-धंधे——

प्र० वि०——मथुरा जिले के——— । खं० १८५, पृ० २७४—२७५ ।

उद्योग-धंधों——

प्र० वि०——बुलन्दशहर जिले में———के लिये दिया गया धन । खं० १८५, पृ० २६८—२६९ ।

प्र० वि०——बुलन्दशहर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत——— को बढ़ाने की योजना । खं० १८५, पृ० २६८ ।

उद्योगपतियों——

प्र० वि०——नैनी इंडस्ट्रियल कालोनी के———को ऋण । खं० १८५, पृ० १०१—१०३ ।

उद्योगों——

प्र० वि०——भारी———के खुलने वाले कारखाने । खं० १८५, पृ० २६६ ।

उन्नति——

प्र० वि०——गुड़ स्कीम की———के लिये जिला बदायूं में तकावी । खं० १८५, पृ० २६२—२६३ ।

उपचुनाव——

प्र० वि०——हरदोई जिले के बिलग्राम क्षेत्र मे विधान सभा के——— में बस का चालान । खं० १८५, पृ० ३४६ ।

उपनिवेश——

प्र० वि०——लखीमपुर मे सम्पूर्णानगर ———में ली गयी जमीन का मुआवजा। खं० १८५, पृ० १०८—१०९ ।

उपनिवेशन——

१९५७—५८ के आय-व्ययक मे अनुदानो के लिये मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या २२——लेखा शीर्षक ४०—— ———। खं० १८५, पृ० १२०—१३२, १३३—१३६ ।

उपमंत्रियों——

प्र० वि०——विधायकों, मंत्रियों,——— तथा सभासचिवों के आवास की व्यवस्था । खं० १८५, पृ० ४—६ ।

उपमंत्री——

प्र० वि०——विधायक निवास मे सभा-सचिव,——— तथा सरकारी कर्मचारियों का रहना । खं० १८५, पृ० २७५ ।

उपाध्यक्ष, श्री——

अध्यक्ष-दीर्घा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में सूचना । खं० १८५, पृ० ४९० ।

१९५७—५८ के आय-व्ययक मे अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या २——लेखा शीर्षक ७——मालगुजारी । खं० १८५, पृ० १४७, १५३, १५५, १५७, १५९, १६१, २०८, २०९, २१०, २११, २१२, २१३, २१५, २१७, २३३, २४४ २४५, २४८ ।

अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०—वन। खं० १८५, पृ० ६५९, ६६०, ६६१, ६६७।

अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक २५—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय। खं० १८५, पृ० ४५१, ४५४, ४५८, ४७३, ४७६, ४७९, ४८२।

अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २७—न्याय प्रशासन। खं० १८५, पृ० ६९१, ६९२, ६९३, ६९४, ६९६, ७०२।

अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य। खं० १८५, पृ० ३६९, ३७२, ३८६, ३८७, ३९३, ३९६, ३९८, ३९९, ४००, ४०७।

अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि संबंधी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत। खं० १८५, पृ० ३०८, ३१०, ३११, ३१३, ३१५, ३१६, ३१७, ३२१।

अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—उपनिवेशन। खं० १८५, पृ० १२४, १२६, १२९, १३०, १३२, १३३, १३५, १३६।

अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४१—पशु-चिकित्सा। खं० १८५, पृ० २८४, २८५, २८६, २८९।

अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७ अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान। खं० १८५, पृ० ५७३, ५८५, ५८६, ५८८, ५८९, ५९५, ५९७ ५९९, ६००, ६०२, ६०५, ६०७।

अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक-६३—क—युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय और ६३ख—सामुदायिक विकास योजनायें, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य। खं० १८५, पृ० ५२१, ५३४, ५३७, ५३९, ५४०, ५६०, ५६४, ५६५, ५७२।

अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा। खं० १८५, पृ० ३८, ३९, ४२, ४५, ५९, ६०, ६१ ६६, ७०, ७२, ७४, ७५।

कांग्रेस पक्ष तथा विरोधी पक्ष को आय-व्ययक पर विचार में समान समय देने पर आपत्ति। खं० १८५, पृ० ३६—३७।

कामन वेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसियेशन की शाखा स्थापित करने के लिये कमेटी रूम में बैठक की सूचना। खं० १८५, पृ० १६४।

—— द्वारा अपने निवास स्थान की सज्जा के व्यय में कटौती की घोषणा। खं० १८५, पृ० ७५।

भाषणों के लिये समय निर्धारण। खं० १८५, पृ० ३७।

विभिन्न समितियों तथा बोर्डों के नाम निर्देशन पत्र वापस लेने के समय में वृद्धि। खं० १८५, पृ० ७०३।

उपायों—

प्र०वि०—राप्ती-सरयू कटाव निरोधक ——की आवश्यकता। खं० १८५, पृ० ४४०।

ऊ

ऊदल, श्री—

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य। खं० १८५, पृ० ३८१—३८२।

[मदल, श्री--]
अनुदान संख्या २३--लेखा शीर्षक ४१--पशु चिकित्सा। खं० १८५, पृ० २८८।

ऋ

ऋण--
प्र०वि०--इलाहाबाद नगरपालिका को पेन्शन के लिये------। खं० १८५ पृ० ४९९--५००।
प्र०वि०--नैनी इण्डस्ट्रियल कालोनी के उद्योग-पतियों को------। खं० १८५ पृ० १०१--१०३।
प्र०वि०--वाटर सप्लाई ऐन्ड ड्रेनेज स्कीम के अन्तर्गत नगरपालिकाओं को------। खं० १८५, पृ० ५०८।

ए

एकाउन्टेंट--
प्र०वि०--काल्विन हास्पिटल, इलाहाबाद, में एक बैंक------की मृत्यु। खं० १८५, पृ० ४२१।

'एडवोकेट आन रेकार्ड'
प्र०वि०--दिल्ली में------के कार्यालय तथा आवास गृह की योजना। खं० १८५, पृ० ९६--९७।

एफिलियेटेड कालेजों--
प्र०वि०--एसोसियेटेड और------में टू ग्रेड सिस्टम न लागू किया जाना। खं० १८५, पृ० ६३२--६३३।

एलाउन्स--
प्र०वि०--सिंचाई विभाग के ओवरसियरों को मोटर साइकिल------। खं० १८५, पृ० ४३२।

एसोसियेटेड (कालेजों)
प्र०वि०------और एफिलियेटेड कालेजों में टू ग्रेड सिस्टम न लागू किया जाना। खं० १८५, पृ० ६३२--६३३।

एस्टीमेट्स कमेटी--
प्र०वि०--पी०डब्ल्यू० डी० संबंधी------की सिफारिशें। खं० १८५, पृ० ३५६।

ऐ

ऐंटीकरप्शन कमेटियों--
प्र०वि०--जिला------के अधिकार बढ़ाने के लिये सुझाव। खं० १८५, पृ० ६--७

ओ

ओलापीड़ितों--
प्र०वि०--झांसी जिले की ललितपुर व महरोनी तहसीलों में------से सहायता। खं० १८५, पृ० २५।
प्र०वि०--मैनपुरी जिले का भोगाव तहसील के------को सहायता। खं० १८५, पृ० २६--२७।

ओवरसियरों--
प्र०वि०--वाराणसी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित------को मान्यता देने पर विचार। खं० १८५ पृ० ३३६।
प्र०वि०--सिंचाई विभाग के------को मोटर साइकिल एलाउन्स। खं० १८५, पृ० ४३२।

औ

औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र--
प्र०वि०--वाराणसी------द्वारा प्रशिक्षित ओवरसियरों को मान्यता देने पर विचार। खं० १८५, पृ० ३३६।

क

कटाव--
बलिया जिले में घाघरा नदी से होने वाले------से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ४४३--४४४।

कटाव निरोधक--
प्र० वि०--राप्ती, सरयू------उपायों की आवश्यकता। खं० १८५, पृ० ४४०।

कटौती--
श्री उपाध्यक्ष द्वारा अपने निवास स्थान की सज्जा के व्यय में------की घोषणा। खं० १८५, पृ० ७५।

कत्ल--
प्र० वि०--जौनपुर जिले में------व डकैतियां। खं० १८५, पृ० ६४६।

प्र० वि०——बुलन्दशहर जिले में———— डकैतियां। खं० १८५, पृ० ३४६।

कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री——

देखिये "प्रश्नोत्तर।"

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या ४०——लेखा शीर्षक ५७——अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान। खं० १८५ पृ० ५३२, ५८३, ५९९, ६०० ।

कपड़ा मिल——

प्र० वि०——कोलनगर————मजदूर संघ तथा वीर्न मिल मजदूर सभा के बीच के रजिस्ट्रेशन का विचाराधीन मामला। खं० १८५, पृ० ११६—११७।

कपड़ों——

प्र० वि०——हाथ करघे के बने ——पर कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा बिक्री पर छूट। खं० १८५, पृ० ४२२।

कमरों——

विभिन्न विरोधीदलों के लिये- -की व्यवस्था। खं० १८५, पृ० ५२६।

कमल कुमारी गोइंदी, कुमारी——

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या १९——लेखा शीर्षक ३८——चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०——लेखा शीर्षक ३९——जन-स्वास्थ्य। खं० १८५, पृ० ३७६—३७७।

अनुदान संख्या ४३——लेखा शीर्षक ६३——क——युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय और ६३-ख——सामुदायिक विकास योजनायें, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य। खं० १८५, पृ० ५६३।

अनुदान संख्या ४७——लेखा शीर्षक ८१——राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा। खं० १८५, पृ० ५६—५७।

कमलापति त्रिपाठी, श्री——

आजमगढ़ शहर में बम विस्फोट के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ४८० ।

कमिश्नरों——

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या १२——लेखा शीर्षक २५——सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३——लेखा शीर्षक २५————और जिला प्रशासन का व्यय। खं० १८५, पृ० ४४६—४८३।

कर्मा——

प्र० वि०——हमीरपुर जिले में सिंचाई की तरह से————के लिये प्रार्थना। खं० १८५, पृ० २७१।

कमेटी——

प्र० वि०——प्रेसीडेंट, नोटीफाइड एरिया————, रामनगर के विरुद्ध शिकायतों की जांच रिपोर्ट। खं० १८५, पृ० ५२०।

कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स——

प्र० वि०——प्रादेशिक————के अन्तर्गत कार्यों की त्रुटियों के सम्बन्ध में अभि कथित रिपोर्ट। खं० १८५, पृ० १८—१९।

कम्युनिस्ट बन्दी——

प्र० वि०——रामपुर बैंक डकैती केस से सम्बन्धित बग्गा सिंह————की सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज आगरा में मृत्यु। खं० १८५, पृ० ६३१—६३२।

कर्मचारियों——

प्र० वि०——खटीमा पावर हाउस के————का वेतन तथा भत्ता। खं० १८५, पृ० २५६—२५७।

प्र० वि०——प्रान्तीय रक्षक दल के————के काम। खं० १८५, पृ० २०—२१।

प्र० वि०——बिजली विभाग के विभिन्न श्रेणियों के————का वेतन। खं० १८५, पृ० ४२७—४२८।

[कर्मचारियों—]

प्र० वि०—चरौनी बाजार और बांस देवरिया में बिजली कार्यालय के ———के निवास स्थान के लिये ली गई जमीन का मुआवजा न मिलना। खं० १८५, पृ० ४३२।

प्र० वि०—राजकीय बीज भंडार के ——के लिये क्वार्टर बनवाने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ११०।

प्र० वि०—राजभवन, विधान भवन, विधायक निवास एवं मंत्रियों के निवास स्थानों की देखभाल करने वाले———का वेतन। खं० १८५, पृ० ४४०।

प्र० वि०—सरकारी———का महंगाई भत्ता बढ़ाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा भेजे गये पत्रों की प्रतिलिपियों की मांग। खं० १८५, पृ० २५८।

प्र० वि०—सरकारी ——— को हिल एलाउंस देने की सिफारिश। खं० १८५, पृ० २५३।

कर्मचारी—

प्र० वि०—कानपुर जिले के राजकीय खादी केन्द्र नौरंग के एक ——— का वेतन रुकना। खं० १८५, पृ० २७३।

प्र० वि०—गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद तथा लखनऊ में शिड्यूल्ड कास्ट के ———। खं० १८५, पृ० २७५।

प्र० वि०—नगर नियोजन विभाग के अस्थायी ———। खं० १८५, पृ० ५०६।

कल्याणचन्द मोहिले, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

कल्याणराय, श्री—

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि सम्बन्धी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत। खं० १८५, पृ० ३१५-३१६।

कमाल हासन—

प्र० वि०—स्वास्थ्य मंत्री दान कोष में रखी हुई रकम का ——— में वितरण। खं० १८५, पृ० ११४।

कांग्रेस कमेटी—

प्र० वि०—मुख्य पदाधिकारी, राजनीतिक पेंशन विभाग, लखनऊ का ———आजमगढ़ को पत्र। खं० १८५, पृ० ४२३-४२४।

कांग्रेस पक्ष—

———तथा विरोधी पक्ष को आवश्यक पर विचार में समान समय देने पर आपत्ति। खं० १८५, पृ० ३५-३७।

काटन इंडस्ट्रीज—

प्र० वि०—अम्बर चर्खे द्वारा ——— को बढ़ाने की योजना। खं० १८५, पृ० २५७।

कानपुर मेडिकल कालेज—

प्र० वि०—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ——— की स्थापना। खं० १८५, पृ० ११०।

कानून—

प्र० वि०—उच्च न्यायालय द्वारा घोषित अल्ट्रावायर्स ———। खं० १८५, पृ० ३५३।

काम—

प्र० वि०—आगरा जिले में खजानों का——— तहसीलदारों के सुपुर्द करना। खं० १८५, पृ० २७६।

कामन वेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसियेशन—

———की शाखा स्थापित करने के लिये कमेटी रूम में बैठक की सूचना। खं० १८५, पृ० १६४।

कारखाने—

प्र० वि०—भारी उद्योगों के खुलने वाले ———। खं० १८५, पृ० २६६।

कारखानों—

प्र० वि०—इलाहबाद के नैनी इंडस्ट्री एरिया में ——— को बिजली। खं० १८५, पृ० २५७-२५८।

कारीगरों--

प्र० वि०--गवर्नमेंट प्रिसीजन फैक्टरी, लखनऊ, मे माइक्रोप मेक्शन के ---- के वेतन के सम्बन्ध मे शिकायत। खं० १८५, पृ० ४२६।

कार्य--

प्र० वि०--अंग्रेजी का स्थान 'हिन्दी' को देने के लिये ----। खं० १८५, पृ० ९९-१००।

प्र० वि०--जालौन जिले में डी० एस० पी० (कम्पलेंट) द्वारा किये गये ----। खं० १८५, पृ० ६३३-६३४।

प्र० वि०--पुलिस कान्स्टेबिलों एवं हेड कान्स्टेबिलों को अधिक---- के लिये भत्ता तथा पदोन्नति के सम्बन्ध मे पूछताछ। खं० १८५, पृ० ६३४-६३६।

कार्य-अवधि--

प्र० वि०--गोरखपुर जिले मे पुलिस अधिकारियों को ----। खं० १८५, पृ० १६।

कार्य-क्रम--

वित्तीय तथा साधारण कार्यों मे विरोधी दल को अधिक समय देने तथा विरोधी दल के परामर्श से ---- निर्धारित करने के सम्बन्ध में सुझाव। खं० १८५, पृ० २७९-२८३।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव--

आगरा जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रही श्री रामसिंह की मृत्यु के सम्बन्ध में ---- की सूचना। खं० १८५, पृ० २७९, ३६०-३६१।

आजमगढ़ जिले के रामपुर में धुनौली गांव मे भुखमरी से अभिकथित मृत्यु के सम्बन्ध मे ---- की सूचना। खं० १८५, पृ० ४४१।

आजमगढ़ शहर में बम विस्फोट के सम्बन्ध मे ---- की सूचना। खं० १८५, पृ० ४४१-४४२।

गाजीपुर जिले में चन्द्रप्रभा नहर के टूटने के सम्बन्ध में ---- की सूचना। खं० १८५, पृ० ३६२-३६३।

गोरखपुर जिले मे अभिकथित भुखमरी की स्थिति पर विचारार्थ ---- की सूचना। खं० १८५, पृ० ५०५।

गोरखपुर जिले में सशस्त्र डकैतियों से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ---- की सूचना। खं० १८५, पृ० १९१-१९२।

जिला पीलीभीत मे पुलिस के निरंकुश व्यवहार से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिए ---- की सूचना। खं० १८५, पृ० २७८।

ट्रांस घाघरा राप्ती-गंडक क्षेत्र में घाघरा राप्ती इत्यादि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिए ---- की सूचना। खं० १८५, पृ० ५२४-५२५।

पूर्वी जिलों मे विशेषकर गोरखपुर जिले मे घाघरा, राप्ती आदि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद करने के लिये ---- की सूचना। खं० १८५, पृ० ३५९, ३६०।

पूर्वी जिलों-- मे विशेषकर गोरखपुर जिले में घाघरा, राप्ती आदि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में ---- की सूचना। खं० १८५, पृ० २७८-२७९।

प्रतापगढ़ जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों द्वारा भूख हड़ताल के सम्बन्ध में ---- की सूचना। खं० १८५, पृ० ४४२-४४३।

प्रदेश के पूर्वी जिलों में खाद्यस्थिति के फलस्वरूप भुखमरी के सम्बन्ध में ---- की सूचना। खं० १८५, पृ० १९१।

प्रादेशिक कर्मचारियों को डाक व तार कार्यालयों में काम करने की आज्ञा देने के सम्बन्ध मे----की सूचना। खं० १८५, पृ० ३६३-३६४।

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के अध्यक्ष द्वारा अनशन के सम्बन्ध में ---- की सूचना। खं० १८५, पृ० १९१।

[कार्य स्थगन प्रस्ताव——]
बलिया जिले में गेस्ट्रोइन्ट्राटिस एवं हैजे से ५०० व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में ——— की सूचना। खं० १८५, पृ० १२०।
बलिया जिले में घाघरा नदी से होने वाले कटाव से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ ——— की सूचना। खं० १८५, पृ० ४४३—४४४।
श्री मदन पांडेय द्वारा——— की सूचना खं० १८५, पृ० ३०।
श्री मलिखानसिंह द्वारा ——— की सूचना। खं० १८५, पृ० ६५४।
सकरामऊ जिला आजमगढ़ में भूख से एक व्यक्ति के मृत्यु के विषय में ——— की सूचना। खं० १८५, पृ० १६१।
सहारनपुर नगरपालिका के भंगियों की हड़ताल के सम्बन्ध में ——— की सूचना। खं० १८५, पृ० ३६३।
कार्य-स्थगन प्रस्तावों
भुखमरी से सम्बन्धित ——— को अगले दिन लेने की सूचना। खं० १८५, पृ० १६२।
भुखमरी से सम्बन्धित ३ अगस्त के दो ——— की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय। खं० १८५, पृ० २७६—२७८।
कार्यालय——
प्र० वि०——दिल्ली में 'एडवोकेट आन रेकार्ड' के ——— तथा आवास—गृह की योजना। खं० १८५, पृ० ६६—६७।
काल्विन हास्पिटल——
प्र० वि०—— ———, इलाहाबाद में एक बैंक एकाउन्टेन्ट की मृत्यु। खं० १८५, पृ० ४२१।
काशीप्रसाद पांडेय, श्री——
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
किराया——
प्र० वि०——भोपाल हाउस रिफ्यूजी मार्केट, लखनऊ का ———। खं० १८५, पृ० ३४०—३४१।
किसानों——
प्र० वि०——चुनार जिला मिर्जापुर में नजूल की भूमि से ——— की बेदखली की शिकायत खं० १८५, पृ० ५२०
कुएं-
प्र० वि०——कानपुर जिले में अमरौधा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बम्हरौली घाट में सार्वजनिक ——— का निर्माण। खं० १८५, पृ० ६।
कुओं——
प्र० वि०——फैजाबाद जिले में तालाबों और ——— से सिंचाई पर रोक की शिकायत। खं० १८५, पृ० ४३१—४३२।
कृषि-आय-कर——
१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या १——लेखा शीर्षक ४ ——— की उगाही पर व्यय। खं० १८५, पृ० ३२।
कृषि फार्म——
प्र० वि०—— ——— माधुरी कुण्ड के ट्रैक्टर। खं० १८५, पृ० १०५, १०६।
कृषि फार्मों——
प्र० वि०——खीरी जिले में मंझरा तथा अन्दशनगर ——— के आय-व्यय का लेखा। खं० १८५, पृ० १०६, ११०।
कृषि सम्बन्धी विकास——
१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान —अनुदान संख्या २१——लेखा शीर्षक ४०——— इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५——लेखा शीर्षक ७१—— कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत। खं० १८५, पृ० २६४——३२१।
कृषि सुधार——
१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या २१——लेखा शीर्षक ४०——

कृषि सम्बन्धी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७१—और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत। खं० १८५, पृ० २६४—३२१।

केन यूनियन हाटा—

प्र० वि०—देवरिया जिला अन्तर्गत ——— पिपराइच तथा कप्तान गंज द्वारा दस गुना की मद में जमा रक़म। खं० १८५, पृ० २३—२४।

केन्द्र—

प्र० वि०—अलीगढ़ जिला के बरमाना, हसायन में इसेन्शियल आयल योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण ———। खं० १८५, पृ० २६६—२६७।

प्र० वि०—गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, समोदपुर, जिला जौनपुर को ——— से सहायता। खं० १८५, पृ० ६४५—६४६।

केन्द्रीय सड़क निधि—

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३२—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य ——— से वित्तीय सहायता। खं० १८५, पृ० ३१।

केशव पांडेय, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

कैलाश प्रकाश, श्री—

टेहरी गढ़वाल राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत आलेख्य आदेश। खं० १८५, पृ० ५२५।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संगठन) (संशोधन) विधेयक, १९५७। खं० १८५, पृ० ६५५।

कोआपरेटिव ग्लास वर्क्स—

प्र० वि०—फिरोजाबाद के ———को कोयला न मिल सकना। खं० १८५, पृ० ४३५।

कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन—

प्र० वि०—हरदोई जिले में डिस्ट्रिक्ट ———की ओर से चालू भट्ठे। खं० १८५, पृ० ५०५।

कोआपरेटिव फेडरेशन—

प्र० वि०—जिला सहकारी अधिकारी टेहरी गढ़वाल का डिस्ट्रिक्ट ——— के सेक्रेटरी का काम करना। खं० १८५, पृ० ५२०।

प्र० वि०—बदायूं जिले में——— की बैलेन्स शीट न होना। खं० १८५, पृ० ३४८—३४९।

कोआपरेटिव यूनियन्स—

प्र० वि०—बदायूं जिले में———द्वारा लगाये गये नलकूप। खं० १८५, पृ० २७।

कोआपरेटिव सोसाइटी—

प्र० वि०—हाथ करघे के बने कपड़ों पर———द्वारा बिक्री पर छूट। खं० १८५, पृ० ४२२।

कोटा—

प्र० वि०—इलाहाबाद जिले के लिए सीमेंट का———। खं० १८५, पृ० ३४३।

प्र० वि०—सहारनपुर जिले में सीमेंट का———। खं० १८५, पृ० ३५१।

कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

कोयला—

प्र० वि०—देवरिया जिले के बाढ़-पीड़ित इलाके में सीमेंट, लोहा, ———तथा जी० सी० शीट्स का वितरण। खं० १८५, पृ० ५१९।

प्र० वि०—फ़िरोजाबाद कोआपरेटिव ग्लास वर्क्स को———न मिल सकना। खं० १८५, पृ० ४३५।

प्र० वि०—मेरठ जिले में ईंट भट्ठों के को———। खं० १८५, पृ० ५०८।

कोयले—

प्र० वि०—जिला सहकारी संघ, देवरिया द्वारा भट्ठों के लिए

[कोयले—]
———का भाव न निश्चित करना । खं० १८५, पृ० ५२० ।

क्रशर—
प्र० वि०—बरेली जिले में ——— लगाने के लिए सहायता न मिलना । खं० १८५, पृ० ४२६ ।

क्लर्क—
प्र० वि०—मुज़फ़्फ़रनगर कलेक्टरेट ———श्री राजेन्द्रसिंह की शिकार खेलते समय मृत्यु । खं० १८५, पृ० ६४८ ।

क्वार्टर—
प्र० वि०—राजकीय बीज भंडार के कर्मचारियों के लिए———बनवाने की प्रार्थना । खं० १८५, पृ० ११० ।

क्षति-
प्र० वि०—लखीमपुर में जूट गोदाम में आग लगने से——— । खं० १८५, पृ० १०७ ।

क्षय रोग—
प्र० वि०—देवरिया जिले में ——— पीड़ित पुलिस सिपाही । खं० १८५, पृ० ६४७ ।

ख

खजानसिंह, चौधरी—
१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि संबंधी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत । खं० १८५, पृ० ३००—३०१ ।

खटीमा पावर हाउस—
प्र० वि०————के कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ता । खं० १८५, पृ० २५६—२५७ ।

खमानी सिंह, डाक्टर—
१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी । खं० १८५, पृ० १४६, १४७—१४८ ।
अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक: ३९—जन स्वास्थ्य । खं० १८५, पृ० ३७४—३७६ ।
अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि संबंधी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत । खं० १८५, पृ० ३१६—३१७ ।
अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान । खं० १८५, पृ० ५९४—५९५ ।

खयाली राम, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

खर्च खूराक—
प्र० वि०—मुलजिमों का थाने से चालान के समय——— । खं० १८५, पृ० ६३७ ।

खादर क्षेत्र—
प्र० वि०—मथुरा जिले में खैराल रूपनगर———में जंगलात के कारण डकैतियां । खं० १८५, पृ० ६५१ ।

खाद्य स्थिति—
प्रदेश के पूर्वी जिलों में———के फलस्वरूप भुखमरी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० १९१ ।

खाद्यान्न—
प्र० वि०—१९५६—५७ में विदेशी ———का आयात तथा वितरण । खं० १८५, पृ० ५२४ ।

खुशी राम, श्री—
१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०—वन । खं० १८५, पृ० ६७०—६७१ ।

खव सिंह, श्री—
१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानो के लिए मागो पर मतदान—अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि संबधी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओ पर पूंजी की लागत। खं० १८५ पृ० २९९–३०० ।

खेतिहर मजदूरों—
प्र० वि०—झांसी जिले के———की दशा सुधारने के लिये प्रार्थना। खं० १८५, पृ० १०८।

खेराल रूपनगर खावर क्षेत्र—
प्र० वि०—मथुरा जिले में——में जंगलात के कारण डकैतियां। खं० १८५, पृ० ६५१।

खोज—
१९५७–५८ के आय-व्यय में अनुदानो के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि सम्बन्धी विकास इंजीनियरिंग और—तथा अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और———की योजनाओं पर पूंजी की लागत। खं० १८५. पृ० २९४–३२९।

ग

गंगा नदी—
प्र० वि०—मिर्जापुर में———पर पुल बनाने की योजना खं० १८५, पृ० ५१४।

गंगाप्रसाद श्री—
देखिये 'प्रश्नोत्तर'
१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी। खं० १८५, पृ० १५९–१६०।
अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान। खं० १८५, पृ० ५७३।

———विभिन्न-अनुदानों के लिये मतद विभाजन खं० १८५ पृ० ३२६

गंगाप्रसाद सिंह श्री—
देखिये 'प्रश्नोत्तर'।

गंडक—
ट्रांस घाघरा-राप्ती———क्षेत्र में घाघरा राप्ती इत्यादि नदियों की बाढ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ५२४–५२५।

गंदगी—
प्र० वि०—हमीरपुर जिले की मौदहा टाउन एरिया में———को दबाने का प्रबन्ध न होना। खं० १८५, पृ० ५२३।

गजेन्द्र सिंह, श्री—
देखिये 'प्रश्नोत्तर"।
१९५७–५८ क आय-व्ययक में अनुदानो के लिय मांगो पर मतदान—अनुदान सख्या ४३—लेखा शीर्षक ६३—क—युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३—ख—सामुदायिक विकास योजनाएं—राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य। खं० १८५, पृ० ५३१–५३४, ५६४–५६५, ५७२।

गज्जूराम, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

गड़बड़ी—
प्र० वि०—आजमगढ़ जिले की गांव समाजो को दिये गये धन के हिसाब में———। खं० १८५, पृ० ५०२–५०४।

गणना—
प्र० वि०—बेरोजगारों की———की आवश्यकता। खं० १८५, पृ० ११८।

गनेशचन्द्र काछी, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

गनेशीलाल चौधरी, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

[गनेशीलाल चौधरी श्री--]

१९५७-५८ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ४०-- लेखा शीर्षक ५७-- अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान। खं० १८५, पृ० ५९३-५९४ ।

गन्दा पानी--

प्र० वि०--इटावा जिले में भर्थना टाउन एरिया का------निकालने की व्यवस्था के लिए प्रार्थना । खं० १८५, पृ० ३५५ ।

गन्दे पानी--

प्र० वि०--मऊ पावर हाउस के------ की निकासी का ड्रेन टूट जाना । खं० १८५, पृ० २५४-२५५ ।

गन्ना-

प्र० वि०--अयोध्या शुगर मिल्स बिलारी, जिला मुरादाबाद द्वारा बदायूं यूनियन का पूरा ------न पेरना । खं० १८५, पृ० २५८-२५९ ।

प्र० वि०----------तथा सेस का बकाया। खं० १८५, पृ० २७५-२७६ ।

गन्ने-

प्र० वि०--मंझरा फार्म, जिला खीरी में सरकारी ------की चोरी । खं० १८५ पृ० १०३-१०४ ।

गबन--

प्र० वि०--जिला पंचायत कार्यालय, आजमगढ़ में हुये------की जांच की मांग । खं० १८५, पृ० ९५ ।

प्र० वि०--सीतापुर जिले में ग्राम-पंचायत टंडई कलां में------ की जांच। खं० १८५, पृ० ३५८-३५९ ।

गयाबख्श सिंह, श्री--

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २--लेखा शीर्षक ७-- मालगुजारी । खं० १८५, पृ० २१३, २१४-२१५ ।

गर्मी की छुट्टियों--

प्र० वि०--प्राइवेट स्कूलों के अस्थायी अध्यापकों को------से पहले हटा देने की शिकायत। खं० १८५, पृ० ६५२ ।

गवर्नमेण्ट प्रिसीजन फैक्टरी,--

प्र० वि०----------लखनऊ में माइक्रोप सेक्शन के कारीगरों के वेतन के सम्बन्ध में शिकायत। खं० १८५, पृ० ४२९ ।

गवर्नमेण्ट प्रेस--

प्र० वि०----------इलाहाबाद तथा लखनऊ में शिड्यूल्स कास्ट के कर्म-चारी । खं० १८५, पृ० २७५ ।

गवर्नमेण्ट प्रेस इम्प्लाइज़ एसोसियेशन--

प्र० वि०----------की ओर से मांगें। खं० १८५, पृ० ४३८ ।

गवर्नमेन्ट सीमेंट फैक्टरी--

प्र० वि०----------चुर्क, की उत्पादन शक्ति बढ़ाने। खं० १८५, पृ० ४३१ ।

गवर्नमेन्ट हैन्डीक्राफ्ट------

प्र० वि०----------को हानि पर चलाने में आपत्ति। खं० १८५, पृ० २६९-२७१ ।

गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय--

प्र० वि०--समोदपुर, जिला जौनपुर को केन्द्र से सहायता । खं० १८५, पृ० ६४५-६४६ ।

गांव सभाओं--

प्र० वि०--गोरखपुर जिला अदालतों में ------के मुकदमों की पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों व मुख्तारों को मेहनताने का न मिलना। खं० १८५, पृ० ३३८-३३९ ।

गांव समाज--

प्र० वि०--आजमगढ़ जिले की------ को दिये गये धन के हिसाब में गड़-बड़ी। खं० १८५, पृ० ५०२-५०४ ।

गांवों--

प्र० वि०--बदायूं जिले के कुछ------में फैली लैथरिज्म बीमारी के सम्बन्ध में सिविल सर्जन की रिपोर्ट । खं० १८५, पृ० ४२४-४२६ ।

गाजीपुर—

———जिले में चन्द्रप्रभा नहर के टूटने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३६२—३६३।

गाड़ियों—

प्र० वि०—रिहन्द डैम के इंजीनियरों की———पर व्यय। खं० १८५, पृ० ४३७।

गायों—

प्र० वि०—मलगवां गोसदन, जिला इटावा में· के इलाज की व्यवस्था। खं० १८५, पृ० ११५।

गिरधारीलाल, श्री—

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान——

अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य, निर्माण-कार्यों पर लागत। खं० १८५, पृ० ३१।

अनुदान संख्या ३२—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण—कार्य, केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता। खं० १८५, पृ० ३१।

अनुदान संख्या ३३—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण—कार्य और ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण—कार्यों की पूंजी का लेखा। खं० १८५, पृ० ३१।

अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण—कार्यों का पूंजी लेखा। खं० १८५, पृ० ३२—३५, ७२—७४।

गिरफ्तारी—

विधान सभा सदस्य श्री मोतीलाल अवस्थी की ———की सूचना। खं० १८५, पृ० १९०

गुड़ स्कीम—

प्र० वि०————की उन्नति के लिये जिला बदायूं में तकावी। खं० १८५, पृ० २६२—२६३।

गुप्तारसिंह, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

गुरुप्रसादसिंह, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

गेंदादेवी, श्रीमती—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

१९५७—५८ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान। अनुदान संख्या ५०—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान। खं० १८५, पृ० ५८४—५८५।

गेंदासिंह, श्री—

देखिये, "प्रश्नोत्तर"।

१९५७—५८ के आय—व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी। खं० १८५, पृ० १४४।

अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि सम्बन्धी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत। खं० १८५, पृ० ३१३—३१५।

अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—उपनिवेशन। खं० १८५, पृ० १२१—१२४, १३०—१३२, १३३-१३४।

अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४१—पशु चिकित्सा। खं० १८५, पृ० २९२।

अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ६३—क—युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३—ख—सामुदायिक विकास योजनाएं—राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण—कार्य। खं० १८५, पृ० पृ० ५५५—५५९।

वित्तीय तथा साधारण कार्य में विरोधी दल को अधिक समय देने तथा विरोधी दल के परामर्श से कार्य-क्रम निर्धारित करने के सम्बन्ध में में सुझाव। खं० १८५, पृ० २८२।

गेरुई रोग——

प्र० वि०——मिर्जापुर जिले में बाढ़, पत्थर तथा———से क्षति-ग्रस्त क्षेत्र में सहायता । खं० १८५, पृ० ११–१२ ।

गेस्ट्रो-इन्ट्राइटिस——

बलिया जिले में———एवं हैजे से ५०० व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० १२० ।

गोपाल गोशाला-

प्र० वि०- -बहजोई, जिला मुरादाबाद को प्रदत्त भूमि के अनुचित प्रयोग की शिकायत । खं० १८५, पृ० १०७ ।

गोमती नदी——

प्र० वि०——खीरी जिले के बरवर घाट, ———पर पुल निर्माण योजना । खं० १८५, पृ० ३५२ ।

प्र० वि०——रायबरेली–फैजाबाद रोड पर——के ग्राम घाट पुल की निर्माण योजना । खं० १८५, पृ० ३५४–३५५ ।

गोरखपुर——

———जिले में अभिकथित भुखमरी की स्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० ५२५ ।

गोरखपुर——

———जिले में सशस्त्र डकैतियों से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादर्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । १८५,पृ० १६१–१६२,

पूर्वी जिलों में, विशेष कर———जिले में घाघरा, राप्ती आदि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० २७८–२७६, ३५६–३६० ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय——

प्र० वि०————के प्रबंध में सहायता देने के लिये समिति बनाने का सुझाव । खं० १८५, पृ० ६४७ ।

गोविंद सहाय, श्री——

१६५७–५८ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १२——लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३——लेखा शीर्षक २५——कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय । खं० १८५, पृ० ४६४–४६७ ।

अनुदान संख्या १६——लेखा शीर्षक ३८——चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०——लेखा शीर्षक : ३६——जन-स्वास्थ्य । खं० १८५, पृ० ३६०–३६२ ।

अनुदान संख्या ४३, लेखा शीर्षक ६३——क——युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३–ख——सामुदायिक विकास योजनायें——राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य । खं० १८५, पृ० ५४६–५४८ ।

गोविंदसिंह विष्ट, श्री——

देखिय "प्रश्नोत्तर" ।

१६५७–५८ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या २——लेखा ७——मालगुजारी। खं० १८५,पृ० २०२–२०३–२०४–२०५ ।

अनुदान संख्या २२——लेखा शीर्षक ४०——उपनिवेशन । खं० १८५, पृ० १२६–१२७ ।

गोसदन——

प्र० वि०——गोरखपुर जिले में———का न खुल सकना । खं० १८५, पृ० ११५ ।

गोसदनों——

प्र० वि०——राजकीय———पर व्यय । खं० १८५, प० १०३ ।

गौरीशंकर राय, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
१९५७—५८ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान—संख्या १९—लेखा शीर्षक: ३८——चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक: ३९—जन स्वास्थ्य। खं० १८५, पृ० ३३५।
——विभिन्न अनुदानों के लिये समय—विभाजन। खं० १८५ पृ० ६५५, ६६६।
बलिया जिले में घाघरा नदी से होने वाले कटाव से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ६४३।

ग्राम पंचायत—
प्र० वि०—सीतापुर जिले में —— दंडई कर्त्ता में गबन की जांच। खं० १८५, पृ ३५८—३५९।

ग्राम पंचायतों—
प्र० वि०—शाहजहांपुर जिले में नव-निर्वाचित ——को मान्यता देने में विलम्ब। खं० १८५, पृ० ३४३—३४४।

ग्रामवासियों—
प्र० वि०—गोरखपुर जिले में——को डाकू सरदार के धमकी भरे पत्र। खं० १८५, पृ० ६४९।

ग्राम-सभाओं—
प्र० वि०—झांसी जिले की ललितपुर, महरौनी तहसील में——की भूमि। खं० १८५, पृ० ३५७।

ग्रामीण स्त्रियों—
प्र० वि०——को प्रौढ़ शिक्षा योजना के अन्तर्गत शिक्षा देने की व्यवस्था। खं० १८५, पृ० ६४१।

ग्रामोन्नति सहकारी भंडार—
प्र० वि०——कमल सागर जिला आजमगढ़ का आवेदन-पत्र। खं० १८५, पृ० ६२८।

ग्रेडेशन लिस्ट—
प्र० वि०——सिविल कोर्ट फर्रुखाबाद के मातहत अधीनों की——की कथित शिकायत। खं० १८५, पृ० २५३।

घ

घटना—
प्र० वि०——ग्राम बड़बारी थाना, जिला खीरी में फसल कटवा कर उठा ले जाने की——। खं० १८५, पृ० ६४०—६४१।

घटनास्थल—
प्र० वि०——रामवरन डाकू की मृत्यु के पश्चात्——पर नोट और सोना मिलना। खं० १८५, पृ० ६४६।

घाघरा—
टोंस——राप्ती—गंडक क्षेत्र में घाघरा राप्ती इत्यादि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिए कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८८, पृ० ५२४—५२५।
पूर्वी जिलों—विशेषकर गोरखपुर जिले में——राप्ती, आदि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १९५, पृ० २७८—२७९।
पूर्वी जिलों में, विशेषकर गोरखपुर जिले में——, राप्ती आदि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३५९—३६०।

प्र० वि०——आजमगढ़ जिले में——नदी के कटाव से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता। खं० १८५, पृ० ८—९।
जिला बाराबंकी में——नदी की बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३६१—३६२।
बलिया जिले में——से होने वाले कटाव से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ४४३—४४।

घोड़ो——

प्र० वि०——जिलाधीशों व पुलिस कप्तानों के——पर व्यय । खं० १८५, पृ० २९–३० ।

घोषणा——

श्री उपाध्यक्ष द्वारा अपने निवास स्थान की सज्जा व्यय में कटौती की । खं० १८५, पृ० ७५ ।

च

चंवरताल——

प्र० वि——— आजमगढ़ जिले में——— योजना । खं० १८५, पृ० २५६ ।

चकबंदी——

प्र० वि०——फर्रुखाबाद जिले की छिबरामऊ तहसील से———के सम्बन्ध मे शिकायत । खं० १८५, पृ० २६ ।

फर्रुखाबाद जिले के दारापुर बैरठी गांव से———के खिलाफ शिकायत । खं० १८५, पृ० १५–१६ ।

प्र० वि०——हाथरस क्षेत्र में———का कार्य । खं० १८५, पृ० २३ ।

चकबंदी योजना——

प्र० वि०————अन्य जिलों में लागू करने के सम्बन्ध मे पूछताछ । खं० १८५, पृ० ६२७–६२८ ।

चन्द्रजीत यादव, श्री——

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

१९५७–५८ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर पर मतदान——अनुदान संख्या १२——लेखा शीर्षक २५——सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३——लेखा शीर्षक २५——कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय । खं० १८५, पृ० ४५१–४५४, ४८२ ४८३ ।

अनुदान संख्या १५——लेखा शीर्षक २७——न्याय प्रशासन । खं० १८५, पृ० ६९७–६९९, ७०० ।

अनुदान संख्या ४३——लेखा शीर्षक ६३–क——युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३–ख——सामुदायिक विकास योजनायें——राष्ट्रीय प्रसार तथा स्थानीय विकास निर्माण–कार्य । खं० १८५, पृ० ५६४ ।

चन्द्रप्रभा नहर——

गाजीपुर जिले मे———के टूटने के सम्बन्ध मे कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० ३६२–३६३ ।

चन्द्रसिंह रावत, श्री——

१९५७–५८ के आय-व्ययक मे अनुदानो के लिये मांगो पर मतदान——अनुदान संख्या २——लेखा शीर्षक ७——मालगुजारी । खं० १८५, पृ० २११, २१२–२१३ ।

अनुदान संख्या ५——लेखा शीर्षक १०——वन । खं० १८५, पृ० ६६५–६६६ ।

चन्द्रहास मिश्र श्री——

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

चन्द्रावती, श्रीमती——

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

१९५७–५८ के आय-व्ययक मे अनुदानो के लिए मांगो पर मतदान——अनुदान संख्या २——लेखा शीर्षक ७——मालगुजारी । खं० १८५, पृ० २१५–२१७ ।

अनुदान संख्या १९——लेखा शीर्षक ३८——चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०——लेखा शीर्षक : ३९——जन स्वास्थ्य । खं० १८५, पृ० ३९८–३९९ ।

चरण सिंह, श्री——

१९५७–५८ के आय–व्ययक मे अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या १——लेखा शीर्षक ४——कृषि आय कर की उगाही पर व्यय । खं० १८५, पृ० ३२ ।

अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी। खं० १८५, पृ० पृ० १४१, १४२, १४३, १४४, १४७, १५४, १५५, १६१, २०० २०४, २०६, २११, २१२, २२४, २३३, २३४, २४०—२४२, २४३, २४४—२४५—२४७।

अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—उपनिवेशन। खं० १८५, पृ० १२०—१२१, १२२, १२४, १२६, १३०, १३२—१३५।

अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि। खं० १८५ पृ० ३२।

जिला बाराबंकी में घाघरा नदी की बाढ़ से हुई क्षति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३६१।

पूर्वी जिलों में विशेषकर गोरखपुर जिले में घाघरा, राप्ती आदि नदियों को बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद करने के लिये कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३५६।

पूर्वी जिलों—विशेषकर गोरखपुर जिले में घाघरा, राप्ती, आदि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना खं० १८५, पृ० २७८—२७६।

माल उपमंत्री, श्री परमात्मानन्दसिंह, द्वारा अनुदान उपस्थित किये जाने पर वैधानिक आपत्ति। खं० १८५, पृ० १६६, १६७, १६८,

चार्जेज—

प्र०वि०—शाहजहांपुर बिजली कम्पनी के——। खं० १८५, पृ० २६२।

चालान—

प्र०वि०—मुरादाबाद जिले में धारा १०६ व ११० सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत——। खं० १८५, पृ० ६५०—६५१।

प्र०वि०—मुलजिमों का थाने से के समय खर्च खूराक। खं० १८५, पृ० ६३७।

प्र०वि०—हरदोई जिले के बिल्ग्राम क्षेत्र में विधान सभा के उपचुनाव में बस का——। खं० १८५, पृ० ३४६।

चिकित्सा—

१६५७—५८ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या १६—लेखा शीर्षक ३८——तथा अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक २६—जन स्वास्थ्य। खं० १८५, पृ० ३६५—४०७।

चिकित्सालय—

प्र०वि०—गोंडा जिले के बभनीपायर परगने में ——का न होना। खं० १८५, पृ० ११५।

प्र०वि०—द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत——भवन निर्माण योजना। खं० १८५, पृ० ११३।

चित्र—

प्र०वि०—अमेरीकन इन्फार्मेशन सर्विस के लोगों द्वारा रिहन्द बांध के——लेना। खं० १६५, पृ० ४३४—४३५।

चीनी मिल—

प्र०वि०—भटनी——को पुनः चालू करने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ४३१।

प्र०वि०—मोदीनगर कपड़ा मिल मजदूर संघ तथा——मजदूर सभा दौराला के रजिस्ट्रेशन का विचाराधीन मामला। खं० १८५, पृ० ११६—११७।

चुनाव—

प्र०वि०—इटावा जिले के नहर विभाग में अमीन व पतरौल के ——में परिगणित जाति के व्यक्ति न लेने पर आपत्ति। खं० १८५, पृ० ४३६।

[चुनाव]
प्र०वि०—गोंडा जिले मे पंचायतों का ——। खं० १८५, पृ० ५०८।
प्र०वि०—टाउन एरियाओं के——के संबंध मे जानकारी। खं० १८५, पृ० ५१२–५१३।
प्र०वि०—पंचायतों के——में काम करने वाले जिला बोर्ड, आजमगढ़ के अध्यापकों को भत्ता न मिलना। खं० १८५, पृ० ३५७।
प्र०वि०—मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ——कराने की प्रार्थना। खं० १८५ पृ० ५०२।

चुनावों—
प्र०वि०—१९५२ व १९५३ के आम ——पर व्यय। खं० १८५, पृ० ५००–५०२।

चुर्क सीमेंट फैक्ट्री——
प्र०वि०——का उत्पादन। खं० १८५, पृ० ४३९–४४०।
प्र०वि०——पर व्यय तथा प्रतिमास उत्पादन। खं० १८५, पृ० ७–८।

चेचक—
प्र०वि०—झांसी में——का प्रकोप। खं० १८५, पृ० १०१।

चेयरमैन—
प्र०वि०—नगरपालिका, बस्ती मे—— के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव। खं० १८५, पृ० ९८।

चोरी—
प्र०वि०—मंझरा फार्म, जिला खीरी में सरकारी गन्ने की—— । खं० १८५, पृ० १०३–१०४।

छ

छटनी—
प्र०वि०—सचिवालय के न्याय विभाग में——। खं० १८५, पृ० ९५–९६।

छलेसर नदी —
प्र०वि०—हमीरपुर जिले में राठ-महोबा सड़क पर ——के पुल निर्माण की योजन खं० १८५, पृ० ५२२।

छत्तरसिंह, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

छत्रपति अम्बेश, श्री—
१९५७–५८ आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २७—न्याय प्रशासन। खं० १८५, पृ० पृ० ६८९–६९०।

छात्रवृत्ति—
प्र०वि०—आजमगढ़ जिला निरीक्षक के कार्यालय से हायर सेकेंड्री स्कूलों के पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को—— ——। खं० १८५, पृ० ११९।
प्र०वि०——तथा नियुक्तियों में सुविधा पाने वाली पिछड़ी जातियां। खं० १८५, पृ० ११३।
प्र०वि०—देहरादून के सैनिक स्कूल मे प्रविष्ट विद्यार्थियों को——। खं० १८५, पृ० २४।

छात्रसंघ के अध्यक्ष—
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी मे भारतीय राष्ट्रीय——द्वारा अनशन के संबंध मे कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० १९१।

छावनी बोर्ड—
प्र०वि०—आगरा ——के अध्यापक मंडल का प्रस्ताव। खं० १८५. पृ० ५१४।

छूट—
प्र०वि०—हाथ करघे के बने कपड़ों पर कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा बिक्री पर——। खं० १८५, पृ० ४२२।

ज

जंगबहादुर वर्मा, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी। खं० १८५, पृ० २०९–२१०–२११।

अनुदान संख्या ५--लेखा शीर्षक १०--वन। खं० १८५, पृ० ६७१-६७२।
अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक ४०--कृषि संबंधी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५--लेखा शीर्षक ७१--कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत। खं० १८५, पृ० ३०६-३०७।
जिला बाराबंकी में घाघरा नदी की बाढ़ से हुई क्षति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३६२।

जंगल--
प्र०व०------के निकट रहने वालों को ईंधन की सुविधा। खं० १८५, पृ० ५०७-५०८।

जंगल विभाग--
प्र०वि०--झांसी जिले के महरौनी तथा ललितपुर तहसीलों में ------का आय व्यय। खं० १८५, पृ० ५०७।

जंगलात--
प्र०वि०--पीलीभीत जिले की बीसलपुर तहसील से------के हुकूक के लिये प्रार्थना-पत्र। खं० १८५, पृ० ५२३।
प्र०दि०--मथुरा जिले में छत्तनगर हायर क्षेत्र में------के कारण डकैतियां। खं० १८५, पृ० ६५१।

जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री--
१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ५--लेखा शीर्षक १०--वन। खं० १८५, पृ० ६६९-६७०।

जगदीश प्रसाद, श्री--
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
१९५७-५८ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ४३--लेखा शीर्षक ६३--क--युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय और ६३--ख--सामुदायिक विकास योजनायें--राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य। खं० १८५, पृ० ५५६।

जगदीशशरण अग्रवाल, श्री--
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १७--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३--लेखा शीर्षक २६--कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय। खं० १८५, पृ० ४५९-४६२।

जगन्नाथप्रसाद, श्री--
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

जगन्नाथ लहरी, श्री--
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
१९५७-५८ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १५--लेखा शीर्षक २७--न्याय प्रशासन। खं० १८५, पृ० ६८५, ६८७-६८९।

जगपति सिंह, श्री--
१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ५--लेखा शीर्षक १०--वन। खं० १८५, पृ० ६६१-६६९।

जगबीर सिंह, श्री--
देखिये 'प्रश्नोत्तर'।
१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक ४०--कृषि संबंधी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५--लेखा शीर्षक ७१--कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत। खं० १८५, पृ० ३०७-३०८।

जगमोहन सिंह नेगी, श्री--
१९५७-५८ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ४३, लेखा शीर्षक ६३--क--युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय और ६३--ख--सामुदायिक विकास योजनायें--राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य। खं० १८५, पृ० ५४१-५४४, ५४७।

जन स्वास्थ्य—
१९५७-५८ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९———। खं० १८५, पृ० ३६५-४०७।

जमीन—
प्र०वि०—भरौली बाजार और बांस देवरिया में बिजली कार्यालय के कर्मचारियों के निवास स्थान के लिये ली गई ——— का मुआवजा न मिलना। खं० १८५, पृ० ४३३।
प्र०वि०—लखीमपुर में सम्पूर्णानगर उपनिवेशन में ली गयी ———का मुआवजा। खं० १८५, पृ० १०८-१०९।

जमुनासिंह, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

जयराम वर्मा, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
१९५७-५८ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी। खं० १८५, पृ० २२५-२२७।

जरगाम हैदर, श्री सैयद—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

जल—
प्र०वि०—इलाहाबाद नगरपालिका को पेय———के लिये ऋण। खं० १८५, पृ० ४९९-५००।
प्र०वि०—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पेय———के अभाव को दूर करने के कार्य। खं० १८५, पृ० ४९९।
प्र०वि०—हल्द्वानी-भावर, जिला नैनीताल में स्वच्छ———का अभाव। खं० १८५, पृ० ५२१।

जलकल सहकारी समिति—
प्र०वि०—इटावा जिले की औरैया म्युनिसिपैलिटी———को सहायता देने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ५१९-५२०।

जल कष्ट—
प्र०वि०—हल्द्वानी तहसील में——निवारणार्थ कार्य। खं० १८५, पृ० ४३८-४३९।

जवाहरलाल, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

जांच—
प्र० वि०—जिला पंचायत कार्यालय आजमगढ़ में हुये गबन की ——— की मांग। खं० १८५, पृ० ६५।
प्र० वि०—मिर्जापुर जिले की दुद्धी तहसील में लाख-उत्पादन तथा व्यवसाय के संबंध में ———। खं० १८५, पृ० २०।
प्र०वि०—सीतापुर जिले में ग्रामपंचायत टंडई कला में गबन की———। खं० १८५, पृ० ३५८-३५९।

जानकारी—
प्र०वि०—टाउन एरियाओं के चुनाव के संबंध में ———। खं० १८५, पृ० ५१२- ५१३।

जिलाधीशों—
प्र०वि०———व पुलिस कप्तानों के घोड़ों पर व्यय। खं० १८५, पृ० २९-३०।

जिला निरीक्षक—
प्र०वि०—आजमगढ़———के कार्यालय से हायर सेकेंड्री स्कूलों के पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति। खं० १८५, पृ० ११९।

जिला प्रशासन—
१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक २५—कमिश्नरों और———का व्यय। खं० १८५, पृ० ४४६-४८९।

जिला बोर्ड—
प्र०वि०—ग्राम चुनाव के समय——आजमगढ़ के अध्यापकों का तबादला। खं० १८५, पृ० ६२८-६२९।

प्र०वि०—खीरी ———के अध्यापकों को वेतन न मिलने की शिकायत। खं० १८५, पृ० ६५१।

प्र०वि०———नैनीताल को अनुदान खं० १८५, पृ० ५२१।

प्र०वि०—पंचायतों के चुनाव में काम करने वाले ———आजमगढ़ के अध्यापकों को भत्ता न मिलना। खं० १८५, पृ० ३५७।

जिला सहकारी संघ—

प्र०वि०———देवरिया, द्वारा भट्ठों के लिये कोयले का भाव न निश्चित करना। खं० १८५, पृ० ५२०।

जिलों—

प्र०वि०—चकबन्दी योजना को अन्य ———में लागू करने के संबंध में पूछताछ। खं० १८५, पृ० ६२७—६२८।

जीर्णोद्धार—

प्र०वि०—गाजीपुर जिले के सुलेमपुर गांव में श्री शंकर जी के शिवालय के——की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० १६।

जी०सी० शीट्स—

प्र०वि०—देवरिया जिले के बाढ़-पीड़ित इलाके में सीमेंट, लोहा, कोयला तथा———का वितरण। खं० १८५, पृ० ५१९।

जुगल किशोर, आचार्य—

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ५७—समाज कल्याण। खं० १८५, पृ० २८४।

जुडीशियल—

प्र०वि०———तथा आनरेरी मैजिस्ट्रेट, जिला हरदोई की आदालतों के मुकदमे। खं० १८५, पृ० ५१३।

जूट गोदाम—

प्र०वि०—लखीमपुर में———में आग लगने से क्षति। खं० १८५, पृ० १०७।

जूनियर हाई स्कूलों—

प्र०वि०———के अध्यापकों का वेतन संबंधी कथित पत्र-व्यवहार। खं० १८५, पृ० ६४१।

प्र०वि०—प्राइमरी व ———की पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण। खं० १८५, पृ० ६४८।

जेल—

प्रतापगढ़———में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों द्वारा भूख हड़ताल के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ४४२—४४३।

प्र०वि०—राजनीतिक बंदियों को——— में सुविधायें देने का सुझाव। खं० १८५, पृ० २५३।

प्र०वि०—लखीमपुर———में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों द्वारा अनशन। खं० १८५, पृ० ३३६।

झारखंडेराय, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

आजमगढ़ जिले में अभिकथित भुखमरी के विषय में अन्न मंत्री का वक्तव्य। खं० १८५, पृ० ६५५।

१९५७—५८ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य। खं० १८५, पृ० ३६६—३६९, ३९९—४००, ४०२।

अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान। खं० १८५, पृ० ५७३।

वित्तीय तथा साधारण कार्य में विरोधी दल को अधिक समय देने तथा विरोधी दल के परामर्श से कार्य—क्रम निर्धारित करने के सम्बन्ध में सुझाव। खं० १८५, पृ० २८३।

विभिन्न विरोधी दलों के लिये कमरों की व्यवस्था। खं० १८५, पृ० ५२६।

ट

टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री--

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

टांडा-अकबरपुर --

प्र० वि०---फैजाबाद जिले में-----रेलवे लाइन के पुनर्निर्माण की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ५१४।

टांडा नहर--

प्र० वि०-- -----चलाने के लिये पम्पिग सेट्स। खं० १८५, पृ० ४३५-४३६।

टाउन एरिया--

प्र० वि०---आजमगढ़ जिले की कोपागंज -----में निर्वाचन कराने पर विचार। खं० १८५, पृ० २५४।

प्र० वि०---इटावा जिले में भर्थना-----का गन्दा पानी निकालने की व्यवस्था के लिए प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ३५५।

प्र० वि०---नैनीताल जिले में रुद्रपुर ग्राम को-----बनाने पर विचार। खं० १८५, पृ० १०-११।

प्र० वि०---हमीरपुर जिले की मोदहा -----में गंदगी को दबाने का प्रबन्ध न होना। खं० १८५, पृ० ५२३।

टाउन एरियाओं--

प्र० वि०-- -----के चुनाव सम्बन्ध में जानकारी। खं० १८५, पृ० ५१२-५१३।

टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल--

प्र० वि०-- ----- मुहम्मदाबाद गोहना जिला, आजमगढ़ में फ्लड शेल्टर न बन सकना। खं० १८५, पृ० ६५०।

टीकाराम, श्री--

देखिये "प्रश्नोत्तर"

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या २३---लेखा शीर्षक ४१---पशु-चिकित्सा। खं० १८५, पृ० २९०।

टीकाराम पुजारी, श्री--

१९५७-५८ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ४७---लेखा शीर्षक ८१---राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा। खं० १८५, पृ० ६६, ६७।

टी० बी० अस्पताल--

प्र० वि०---इटावा-----में शय्याओं को बढ़ाने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० १०६-१०७।

टू ग्रेड सिस्टम--

प्र० वि०---एसोशियेटेड और एफिलियेटेड कालेजों में-----न लागू किया जाना। खं० १८५, पृ० ६३२-६३३।

टेहरी-गढ़वाल--

-----राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत आलेख्य आदेश। खं० १८५, पृ० ५२५।

टोंस डिवीजन--

प्र० वि०---टेहरी गढ़वाल जिले में डी० एफ० ओ० के कैम्प मजदूर लालदास की मृत्यु। खं० १८५, पृ० ५१५।

ट्यूबवेल आपरेटरों--

प्र० वि०-- -----की भर्ती। खं० १८५, पृ० २७२-२७३।

ट्रेनिंग सेंटर--

प्र० वि०---मिडवाइफ के-----बढ़ाने का विचार। खं० १८५, पृ० ११९।

ट्रैक्टर--

प्र० वि०---कृषि फार्म, माधुरी कुण्ड के -----। खं० १८५, पृ० १०५-१०६।

ठ

ठेका--

प्र० वि०---गोरखपुर में बिजली कम्पनी का -----। खं० १८५, पृ० २७२।

ड

डकैतियां--

प्र० वि०---इटावा जिले में-----। खं० १८५, पृ० ६५२।

प्र० वि०——गोरखपुर जिले मे थरमौली बरगदवा व बरगदाह की ——। खं० १८५, पृ० ६४१–६४२।

प्र० वि०——जौनपुर जिले मे कत्ल व ——। खं० १८५ पृ० ६४६।

प्र० वि०——बुलन्दशहर जिले मे कत्ल व ——। खं० १८५, पृ० ६४६।

प्र० वि०——मथुरा जिले मे खेराल रूपनगर खादर क्षेत्र मे जंगलात के कारण——। खं० १८५, पृ० ६५१।

प्र० वि०——फैजाबाद जिले के थाना कोतवाली मे हत्याओ तथा थाना जलालपुर मे——की अधिकता। खं० १८५, पृ० ६४८–६४९।

प्र० वि०——ललितपुर डिवीजन मे ——से धन-जन की हानि। खं० १८५, पृ० ६५३।

डकैती——

प्र० वि०——लाला बेचूलाल, निवासी ग्राम शोभापुर, थाना रामसनेहीघाट जिला बाराबंकी के यहां हुई——की रिपोर्ट ठीक न लिखना। खं० १८५, पृ० ६३०–६३१।

प्र० वि०——सहारनपुर जिले के अब्दुल्ला ग्राम की ——। खं० १८५, पृ० ६५३।

डाक व तार——

प्रदेशिक कर्मचारियों को——कार्यालयों मे काम करने की आज्ञा देने के सम्बन्ध मे कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३६३–३६४।

डाकू——

प्र० वि०——रामबरन —— की मृत्यु के पश्चात् घटनास्थल पर नोट और सोना मिलना। खं० १८५, पृ० ६४६।

डाकू सरदार——

प्र० वि०——गोरखपुर जिले मे ग्रामवासियों को —— के धमकी भरे पत्र खं० १८५, पृ० ६४९।

डाक्टर——

प्र० वि०——राजकीय स्त्री चिकित्सालय, गोसाईंगंज जिला लखनऊ की महिला——श्रीमती चन्द्र के विरुद्ध शिकायत। खं० १८५, पृ० ३३४–३३५।

प्र० वि०——हमीरपुर जिले की इंडियन डिस्पेंसरी मे ——का न होना खं० १८५, पृ० ११४।

डाक्टरों——

प्र० वि०——सरकारी अस्पतालों के—— की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने का सुझाव। खं० १८५, पृ० १११।

डिग्री कोर्स——

प्र० वि०——तीन वर्ष——की योजना के सम्बन्ध मे जानकारी। खं० १८५, पृ० ६२७।

डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन——

प्र० वि०——हरदोई जिले में——की ओर से चालू भट्ठे। खं० १८५, पृ० ५०५।

डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन——

प्र० वि०——जिला सहकारी अधिकारी टेहरी गढ़वाल का——के सेक्रेटरी का काम करना। खं० १८५ पृ० ५२०।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड——

प्र० वि०——आगरा ——के अध्यापकों को प्रावीडेंट फण्ड का न मिल सकना। खं० १८५, पृ० ५१३–५१६।

प्र० वि०——आजमगढ़ जिले में राजकीय प्राइमरी स्कूलों को भवन निर्माणार्थ ——से सहायता न मिलना। खं० १८५, पृ० ६५०।

प्र० वि०——मिर्जापुर——का चुनाव कराने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ५०२।

प्र० वि०—— —— शाहजहांपुर के अध्यापकों को वेतन-वृद्धि न मिलना। खं० १८५, पृ० ५२२।

डिस्पेंसरी—
प्र० वि०—हमीरपुर जिले की इमिलिया ——में डाक्टर का न होना। खं० १८५, पृ० ११४।

डी० एफ० ओ०—
प्र० वि०—टेहरी गढ़वाल जिले में ——टौंस डिवीजन के कैम्प मजदूर, लालदास की मृत्यु। खं० १८५ पृ० ५१५।

डी० एस० पी०—(कम्पलेंट्स)—
प्र० वि०—जालौन जिले में——द्वारा किये गये कार्य। खं० १८५, पृ० ६३३–३४।

डी० सी० डी० एफ०—
प्र० वि०—हरदोई जिले में——का सुपरसीड होना। खं० १८५, पृ० ३५५।

डेरी—
प्र० वि०—हरदोई जिले में——खोलने के लिये तकावी। खं० १८५, पृ० ११६।

डूंगर सिंह, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

डेवलपमेंट ट्रस्ट—
प्र० वि०—आगरे के——लिमिटेड की हाउस बिल्डिंग प्लान। खं० १८५, पृ० ५०६।

ड्रेन—
प्र० वि०—मऊ पावर हाउस के गन्दे पानी की निकासी का——टूट जाना। खं० १८५, पृ० २५४–२५५।

ड्रेनेज—
प्र० वि०—गोरखपुर जिले के सिसव। बाजार की ——योजना। खं० १८५, पृ० ५१६–५१७।

ड्रेनेज स्कीम—
प्र० वि०—वाटर सप्लाई ऐण्ड ——के अन्तर्गत नगरपालिकाओं को ऋण। खं० १८५, पृ० ५०४।

त

तक़ावी—
प्र० वि०—गाजीपुर जिले के अतिवृष्टि तथा बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में——का वितरण। खं० १८५, पृ० १२–१३।
प्र० वि०—गुड़ स्कीम की उन्नति के लिए जिला बदायूं में——। खं० १८५, पृ० २६२–२६३।
प्र० वि०—हरदोई जिले में डेरी खोलने के लिये——। खं० १८५, पृ० ११६।

तबादला—
प्र० वि०—ग्राम चुनाव के समय जिला बोर्ड आजमगढ़ के अध्यापकों का —। खं० १८५, पृ० ६२८–६२९।
प्र० वि०—इटावा जिले में पुलिस के दारोगों और दीवानों का अधिक समय तक——न होना। खं० १८५, पृ० ६४२–६४३।
प्र० वि०—बदायूं जिला हेल्थ आफिसर के कार्यालय के हेडक्लर्क का——। खं० १८५, पृ० ११७।

तलाशी—
प्र० वि०—आबकारी विभाग के चपरासियों को बस रुकवाकर——लेने का अधिकार। खं० १८५, पृ० ११।

तहसीलदारों—
प्र० वि०—आगरा जिले में खजानों का काम——के सुपुर्द करना। खं० १८५, पृ० २७६।

ताराचन्द माहेश्वरी, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

तालाबों—
प्र० वि०—फैजाबाद जिले में —— और कुओं से सिंचाई पर रोक की शिकायत। खं० १८५, पृ० ४३१–४३२।

तीन वर्ष—
प्र० वि०— ——डिग्री कोर्स की योजना के सम्बन्ध में जानकारी। खं० १८५, पृ० ६२७।

त्रिलोकीसिंह, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

अध्यक्ष-दीर्घा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में सूचना। खं० १८५, पृ० ४६०।

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक २५—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय। खं० १८५, पृ० ४४७, ४७५—४७६, ४८४, ४८६।

अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४१—पशु चिकित्सा। खं० १८५, पृ० २८५।

विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन। खं० १८५, पृ० २८३, ५२६।

कांग्रेस पक्ष तथा विरोधी पक्ष को आय व्ययक पर विचार में समान समय देने पर आपत्ति। खं० १८५, पृ० ३५—३६।

जिला बाराबंकी में घाघरा नदी की बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३६२।

भाषणों के लिए समय निर्धारण। खं० १८५, पृ० ३७।

माल उपमंत्री, श्री परमात्मानन्द सिंह द्वारा अनुदान उपस्थित किये जाने पर वैधानिक आपत्ति। खं० १८५, पृ० १६७—१६८, १६६।

वित्तीय तथा साधारण कार्य में विरोधी दल को अधिक समय देने तथा विरोधी दल के परामर्श से कार्य-क्रम निर्धारित करने के सम्बन्ध में सुझाव। खं० १८५, पृ० २७६, २८०—२८१, २८२, २८३।

विभिन्न विरोधी दलों के लिए कमरों की व्यवस्था। खं० १८५, पृ० ५२६।

त्रुटियों—

प्र० वि०—प्रादेशिक कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कार्यों की———के सम्बन्ध में अभिकथित रिपोर्ट। खं० १८५, पृ० १८—१९।

थ

थाना कोतवाली—

प्र० वि०—फैजाबाद जिले के———में हत्याओं तथा थाना जलालपुर में डकैतियों की अधिकता। खं० १८५, पृ० ६४८—६४६।

थाने—

प्र० वि०—मुलजिमों का ———से चालान के समय खर्च खूराक। खं० १८५, पृ० ६३७।

थानेदार—

प्र० वि०—एटा जिले में पुराने———। खं० १८५, पृ० ६८।

थानों—

प्र० वि०—गोरखपुर जिले में निचलौल तथा कोठीभार———के अन्तर्गत अपराध। खं० १८५, पृ० ६४६।

प्र० वि०————पर काम करने वाले मेहतरों का वेतन। खं० १८५, पृ० ६५३—६५४।

द

दंगल—

प्र० वि०—वाराणसी के बेनियाबाग में पुलिस———के अवसर पर दंगा। खं० १८५, पृ० ६४६।

दंगा—

प्र० वि०—वाराणसी के बेनियाबाग में पुलिस दंगल के अवसर पर———। खं० १८५, पृ० ६४६।

दसगुना—

देवरिया जिलान्तर्गत केन यूनियन हाटा, पिपराइच तथा कप्तानगंज द्वारा ———की मद में जमा रकम। खं० १८५, पृ० २३—२४।

दारोगों—

प्र० वि०—इटावा जिले में पुलिस के ———और दीवानों का अधिक समय तक तबादला न होना। खं० १८५, पृ० ६४२—६४३।

दीनदयालु शास्त्री, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

दीपङ्कर, आचार्य—

१९५७—५८ के आय व्यय में अनुदानों के लिये मांगो पर मतदान—अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा। खं० १८५, ३२।

दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

१९५७—५८ के आय-व्यय में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि सम्बन्धी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत खं० १८५, पृ० ३०१—३०२।

कांग्रेस पक्ष तथा विरोधी पक्ष को आय-व्ययक पर विचार में समान समय देने पर आपत्ति। खं० १८५, पृ० ३५, ३६।

दीवानी-

इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन अपीलें।

खं० १८५, पृ० ५०२।

दीवानों—

प्र० वि०—इटावा जिले में पुलिस के दारोगों और ———का अधिक समय तक तबादला न होना। खं० १८५, पृ० ६४२—६४३।

दुकानें—

प्र० वि०—जौनपुर जिले में सस्ते अनाज की——। खं० १८५, पृ० ५११।

दुर्भिक्ष

१९५७—५८ के आय-व्यय में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक ... ... ——— सहायता निधि को संक्रमित धनराशि। खं० १८५, पृ० ३२।

दुर्भिक्ष सहायता निधि—

१९५७—५८ के आय व्यय में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष और संक्रमित धनराशि। खं० १८५, पृ० ३२।

दुर्योधन, श्री—

१९५७—५८ के आय-व्यय में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान। खं० १८५, पृ० ५९०—५९१।

देवकीनन्दन विभव, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

१९५७—५८ के आय-व्यय में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ६३—क—युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३—ख—सामुदायिक विकास योजनायें—राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य। खं० १८५, पृ० ५५०—५५१।

देवनारायण भारतीय, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

१९५७—५८ के आय-व्यय में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक—३८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य। खं० १८५, पृ० ३७७—३७९।

अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—उपनिवेशन। खं० १८५, पृ० १२९—१३०।

अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा। खं० १८५, पृ० ५४—५६।

देवीप्रसाद मिश्र, श्री—

देखिये, "प्रश्नोत्तर"।

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ६३—क— युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय और ६३—ख—सामुदायिक विकास योजनायें—राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य। खं० १८५, पृ० ५४८—५५०।

देहाती इलाके—

प्र० वि० — इलाहाबाद जिले के ——— में आग बुझाने का स्थायी प्रबन्ध करने का सुझाव। खं० १८५, पृ० ६२९—६३०।

देहाती-क्षेत्र—

प्र० वि० — जालौन जिले में —— का सीमेन्ट कोटा अलग करने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ३५४।

दो रुपये—

प्र० वि०— समस्त निम्नवर्ग के कर्मचारियों को ——— वेतन वृद्धि न मिलना। खं० १८५, पृ० २६३—२६४।

दोहरीघाट पम्प नहर—

प्र० वि० — आजमगढ़ जिलान्तर्गत ——— में ली गई अयमा गांव पवनी की भूमि का मुआवजा। खं० १८५, पृ० २५५—२५६।

द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि संबंधी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत। खं० १८५, पृ० ३०२—३०३।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत—

प्र० वि० — ——— चिकित्सालय भवन निर्माण योजना। खं० १८५, पृ० ११३।

प्र० वि० — बुलन्दशहर जिले में ——— उद्योग धंधों को बढ़ाने की योजना। खं० १८५, पृ० २६८।

प्र० वि०— ——— में कानपुर मेडिकल कालेज की स्थापना। खं० १८५, पृ० ११०।

प्र० वि० — ——— में पेय जल के अभाव को दूर करने के कार्य। खं० १८५, पृ० ४९९।

ध

धन—

प्र० वि० — कानपुर पय-परिषद् को दिया गया ———। खं० १८५, पृ० ५२४।

प्र० वि० — बिक्री-कर से प्राप्त———। खं० १८५, पृ० २६३।

प्र० वि० — बुलन्दशहर जिले में उद्योग-धंधों के लिये दिया गया ———। खं० १८५, पृ० २६८—२६९।

प्र० वि० — सोडा ऐश फैक्ट्री के लिये स्वीकृत——— का व्यय। खं० १८५, पृ० २७४।

धन-जन की हानि—

प्र० वि० — ललितपुर डिवीजन में डकैतियों से ———। खं० १८५, पृ० ६५३।

धनारी—भराउटी सड़क—

प्र० वि० — बदायूं जिले में ——— पर महावा नदी का पुल टूटने से कष्ट। खं० १८५, पृ० ५२१।

धनुषधारी पांडेय, श्री—

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान— अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी। खं० १८५, पृ० १४४—१४६।

अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि संबंधी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७१—कृषि-सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत। खं० १८५, पृ० ३१२।

धमकी—

प्र० वि० — गोरखपुर जिले में ग्राम वासियों को डाकू सरदार के ——— भरे पत्र। खं० १८५, पृ० ६४९।

धर्मदत्त वैद्य, श्री—

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान— अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा तथा अनुदान-संख्या २०— लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य। खं० १८५, पृ० ३८२—३८४।

जिलाधीशों का पुलिस कप्तानों के घोड़ों पर व्यय। खं० १८५, पृ० २९—३०।

धर्मपाल सिंह, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

धारा १०९ व ११०—

प्र० वि० — मुरादाबाद जिले में ——— सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत चालान। खं० १८५, पृ० ६५०—६५१।

धुनौली गांव—

आजमगढ़ जिले के रामपुर में ——— में भुखमरी से अभिकथित मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ४४१।

न

नगर नियोजन विभाग—

प्र० वि० — ——— के अस्थायी कर्मचारी। खं० १८५, पृ० ५०६।

नगरपालिका—

प्र० वि० — आगरा ——— का बिल्डिंग बाई-लाज में परिवर्तन करना। खं० १८५, पृ० ५०७।

प्र० वि० — इलाहाबाद ——— को पेयजल के लिये ऋण। खं० १८५, पृ० ४९९—५००।

प्र० वि० — कोसी ——— को अनुदान। खं० १८५, पृ० ३५७—३५८।

प्र० वि० — ———, बस्ती को अधिक्रांत करने पर विचार। खं० १८५, पृ० ९८।

प्र० वि० — वाटर सप्लाई ऐन्ड ड्रेनेज स्कीम के अन्तर्गत ——— को ऋण। खं० १८५, पृ० ५०४।

सहारनपुर ——— के भंगियों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३६३।

नजूल की भूमि—

प्र० वि० — चुनार, जिला मिर्जापुर में ——— से किसानों की बेदखली की शिकायत। खं० १८५, पृ० ५२०।

नत्थियां—

———। खं० १८५, पृ० ७६—८९। १६५—१८६, ३२२—३२७, ४०८—४१५, ४६१—४६३, ६०८—६२१, ७०४—७०९।

नत्थूसिंह, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

नदियों—

प्र० वि० — बरेली जिले में ——— पर बनने वाले पुल। खं० १८५, पृ० ३५४।

नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

नन्दराम, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक २५—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय। खं० १८५, पृ० ४६७।

नमक—

प्र० वि० — बाराबंकी जिले में——का आयात। खं० १८५, पृ० ३५५।

नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री—

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी। खं० १८५, पृ० १४३।

अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०—वन। खं० १८५, पृ० ६६१–६६३।

अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा। खं० १८५, पृ० ६९–७०, ७१।

विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन। खं० १८५, पृ० ५२७।

नल—

प्र० वि० — गाजीपुर जिले के जंगीपुर बाजार में लगाये गये——। खं० १८५, पृ० ३५०–३५१।

नलकूप—

प्र० वि० — इटावा जिले में—— निर्माण-कार्य न हो सकना। खं० १८५, पृ० २६७–२६८।

प्र० वि० — बदायूं जिले में कोआपरेटिव यूनियन्स द्वारा लगाये गये——। खं० १८५, पृ० २७।

प्र० वि० — मैनपुरी जिले के——। खं० १८५, पृ० ४२९।

नलकूपों—

प्र० वि० — फैजाबाद जिले में——के लिये बिजली की दर कम करने का सुझाव। खं० १८५, पृ० ४३१।

प्र० वि० — मिर्जापुर जिले में——की आवश्यकता। खं० १८५, पृ० ४३६।

प्र० वि० — सोहावल बिजलीघर से——को पर्याप्त बिजली न मिलना। खं० १८५, पृ० ४३५।

नवलकिशोर, श्री—

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी। खं० १८५, पृ० २०५–२०६–२०७।

अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक २५—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय। खं० १८५, पृ० ४५४–४५७।

नहर—

प्र० वि० — आजमगढ़ जिलान्तर्गत दोहरीघाट पम्प—में ली गई अयमा गांव पवनी की भूमि का मुआवजा। खं० १८५, पृ० २५५–२५६।

नहर विभाग—

प्र० वि० — इटावा जिले के——में अमीन व पतरौल के चुनाव में परिगणित जाति के व्यक्ति न लेने पर आपत्ति। खं० १८५, पृ० ४३६।

नागरिक निर्माण-कार्य--

१९५७-५८ के आय-व्यय क में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-- अनुदान संख्या ३१---लेखा शीर्षक ५०-------निर्माण-कार्यों पर लागत । खं० १८५, पृ० ३१ ।

अनुदान संख्या ३२---लेखा शीर्षक ५०-------, केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता । खं० १८५, पृ० ३१ ।

नागरिक निर्माण कार्यों--

१९५७-५८ के आय-व्यय क में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ३३---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्य और ८१---राजस्व लेखे से बाहर -----कार्यों की पूंजी का लेखा । खं० १८५, पृ० ३१ ।

अनुदान संख्या ४७---लेखा शीर्षक ८१---राजस्व लेखे के बाहर ----- का पूंजी लेखा । खं० १८५, पृ० ३२-३५ ।

नागेश्वर प्रसाद, श्री--

१९५७-५८ के आय-व्यय क में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या २---लेखा शीर्षक ७---मालगुजारी । खं० १८५, पृ० २४० ।

नाम निर्देशन-पत्र--

विभिन्न समितियों तथा बोर्डों के ----- वापस लेने के समय में वृद्धि । खं० १८५, पृ० ७०३ ।

नाम वापसी--

कतिपय स्थायी समितियों तथा बोर्डों के निर्वाचनार्थ ----- के समय में वृद्धि । खं० १८५, पृ० १३२ ।

नारायणदत्त तिवारी, श्री--

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

आगरा जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रही, श्री रामसिंह की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० ३६० ।

आजमगढ़ शहर में बम विस्फोट के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० ४४२ ।

१९५७-५८ के आय-व्यय क में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ५---लेखा शीर्षक १०---वन । खं० १८५, पृ० ६७४-६७५- ६७६, ६८० ।

अनुदान संख्या १३---लेखा शीर्षक २५---सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३---लेखा शीर्षक २५---कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय । खं० १८५, पृ० ४६२-४६४, ४८५ ।

--- विभिन्न अनुदानों के लिये समय-विभाजन । खं० १८५, पृ० ६६६ ।

प्रादेशिक कर्मचारियों को डाक व तार कार्यालयों में काम करने की आज्ञा देने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० ३६३-३६४ ।

माल उपमंत्री श्री परमात्मानन्द सिंह द्वारा अनुदान उपस्थित किये जाने पर वैधानिक आपत्ति । खं० १८५, पृ० १९५-१९६, १९९ ।

विभिन्न समितियों तथा बोर्डों के नाम निर्देशन पत्र वापस लेने के समय वृद्धि । खं० १८५, पृ० ७०३ ।

नारायणदास पासी, श्री--

१९५७-५८ के आय-व्यय क में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान ---अनुदान संख्या २---लेखा शीर्षक ७---मालगुजारी । खं० १८५, पृ० १५७, १५८-१५९ ।

निःशुल्क शिक्षा--

प्र० वि० -- राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को-----देने का सुझाव। खं० १८५, पृ० ६३७।

निकासी--

प्र० वि० -- मऊ पावर हाउस के गन्दे पानी की ----- का ड्रेन टूट जाना। खं० १८५, पृ० २५४--२५५।

निजी खर्च तथा भत्ते--

१९५७--५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-- अनुदान संख्या ३६--लेखा शीर्षक ५४-क--प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ४५--ख--भारतीय शासकों के -----। खं० १८५, पृ० ४४५।

निम्नवर्ग के कर्मचारियों--

प्र० वि० -- समस्त ----- को दो रुपये वेतन वृद्धि न मिलना। खं० १८५, पृ० २६३--२६४।

नियमावली--

यू० पी० पंचायत राज ----- में प्रख्यापित संशोधन। खं० १८५, पृ० ५२५।

नियुक्ति--

प्र० वि०--श्री धनपतिसिंह टंडन, आनरेरी मैजिस्ट्रेट, शाहगंज बेंच, जिला जौनपुर की ----- पर आपत्ति। खं० १८५, पृ० ५१७--५१८।

प्र० वि० -- सेनेटरी इन्सपेक्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्तियों की -----। खं० १८५, पृ० ११८।

नियुक्तियों--

प्र० वि० -- छात्रवृत्ति तथा ----- में सुविधा पाने वाली पिछड़ी जातियां। खं० १८५, पृ० ११३।

नियोजन--

प्र० वि० -- आजमगढ़ जिले में स्थायी जिला ----- एवं जिला पंचायत अधिकारी न होना। खं० १८५, पृ० ११।

नियोजन विभाग--

प्र० वि० -- नगर ----- के अस्थायी कर्मचारी। खं० १८५, पृ० ५०६।

निरंकुश व्यवहार--

जिला पीलीभीत में पुलिस के ----- से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० २७८।

निर्णय--

भुखमरी से संबंधित ३ अगस्त के दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना पर श्री अध्यक्ष का ----- खं० १८५, पृ० २७६--२७८।

निर्माण--

प्र० वि० -- इटावा जिले में अहेरीपुर महोबा सड़क के ----- के लिये अनुदान की मांग। खं० १८५, पृ० २५५।

प्र० वि० -- गोंडा जिले की बलरामपुर तथा उतरौला तहसीलों में सड़कों का -----। खं० १८५, पृ० ५२१।

प्र० वि० -- गोरखपुर जिले में सड़कों का -----। खं० १८५, पृ० ५०६।

प्र० वि० -- सहारनपुर--बागपत सड़क के ----- में प्रगति। खं० १८५, पृ० ३५८।

निर्माण-कार्य--

प्र० वि० -- आगरे में अन्डर-ग्राउन्ड सीवर्स का -----। खं० १८५, पृ० ३३७--३३८।

प्र० वि० -- इटावा जिले में नलकूप ----- न हो सकना। खं० १८५, पृ० २६७--२६८।

१९५७--५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ४३--लेखा शीर्षक ६३--क--युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय और ६३--ख--सामुदायिक विकास योजनायें--राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास-----। खं० १८५, पृ० ५२७--५७२।

निर्माण योजना---

प्र० वि०---कानपुर जिले में सड़कों की-----। खं० १८५, पृ० ३५६।

प्र० वि०---रायबरेली फैजाबाद रोड पर गोमती नदी के ग्रामघाट पुल की-----। खं० १८५, पृ० ३५४-३५५।

निर्वाचन---

प्र० वि०---आजमगढ़ जिले की कोपागंज टाउन एरिया में-----कराने पर विचार। खं० १८५, पृ० २५४।

निर्वाचनार्थ---

कतिपय स्थायी समितियों तथा बोर्डों के-----नाम वापसी के समय में वृद्धि। खं० १८५, पृ० १३२।

निवास स्थान---

प्र० वि०---जिलाधीश, बरेली का-----न बन सकना। खं० १८५, पृ० ३४५।

प्र० वि०---भरौली बाजार और बांस देवरिया में बिजली कार्यालय के कर्मचारियों के-----के लिये ली गई जमीन का मुआवजा न मिलना। खं० १८५, पृ० ४३३।

निवास-स्थानों---

प्र० वि०---राज भवन, विधान भवन विधायक निवास एवं मंत्रियों के-----की देखभाल करने वाले कर्मचारियों का वेतन। खं० १८५, पृ० ४४०।

निवासियों---

प्र० वि०---ग्राम तहिरापुर, थाना दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ के-----का प्रार्थना-पत्र। खं० १८५, पृ० ३४७।

नेकराम शर्मा, श्री---

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

'नेशनल हेराल्ड'---

-----में कृषि मंत्री के भाषण को गलत ढंग से प्रकाशित करने पर कृषि मंत्री द्वारा आपत्ति। खं० १८५, पृ० ३६५।

नैनी इंडस्ट्रियल एरिया---

प्र० वि०---इलाहाबाद के-----का उत्पादन। खं० १८५, पृ० ११३।

नैनी इंडस्ट्रियल कालोनी---

प्र० वि०-------के उद्योगपतियों को ऋण। खं० १८५, पृ० १०१-१०३।

नैनी इंडस्ट्री एरिया---

प्र० वि०---इलाहाबाद के-----में कारखानों को बिजली। खं० १८५, पृ० २५७-२५८।

नोट---

प्र० वि०---रामबरन डाकू की मृत्यु के पश्चात् घटनास्थल पर-----और सोना मिलना। खं० १८५, पृ० ६४६।

नोटीफाइड एरिया---

प्र० वि०---प्रेसीडेंट-----कमेटी, राम नगर के विरुद्ध शिकायतों की जांच रिपोर्ट। खं० १८५, पृ० ५२०।

न्याय प्रशासन---

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या १५---लेखा शीर्षक २७-----। खं० १८५, पृ० ६८०-७०२।

न्याय विभाग---

प्र०वि०---सचिवालय के-----में छटनी। खं० १८५, पृ० ६५-६६।

न्यायाधीश---

प्र० वि०---जिला-----बरेली का निवास-स्थान न बन सकना। खं० १८५, पृ० ३४५।

प

पंचवर्षीय योजना—

प्र० वि०—द्वितीय——में पेय जल के अभाव को दूर करने के कार्य। खं० १८५, पृ० ४६३।

पंचायत अधिकारी—

प्र० वि०—आजमगढ़ जिले में स्थायी जिला नियोजन एवं जिला——न होना। खं० १८५, पृ० ११।

पंचायत मंत्रियों—

प्र० वि०————को स्थायी न करना। खं० १८५, पृ० ३५५—३५६।

पंचायतराज—

यू० पी० ———नियमावली में प्रख्यापित संशोधन। खं० १८५, पृ० ५२५।

पंचायतों—

प्र० वि०————के चुनाव में काम करने वाले जिला बोर्ड, आजमगढ़ के अध्यापकों को भत्ता न मिलना। खं० १८५, पृ० ३५७।

प्र० वि०—गोंडा जिले में———का अपूर्ण चुनाव। खं० १८५, पृ० ५०८।

पतरौल—

प्र० वि०—इटावा जिले के नहर विभाग में अमीन व ———के चुनाव में परिगणित जाति के व्यक्ति न लेने पर आपत्ति। खं० १८५, पृ० ४३६।

पत्र—

प्र० वि०—गोरखपुर जिले में ग्राम वासियों को डाकू सरदार के धमकी भरे ———। खं० १८५, पृ० ६४६।

प्र० वि०—विशेष पदाधिकारी, राजनीतिक पेन्शन विभाग, लखनऊ, का कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ को———। खं० १८५, पृ० ४२३—४२४।

पत्र-व्यवहार—

प्र० वि०—[illegible] अध्यापकों [illegible] दर्शित——— खं० १८५, पृ० ६४६।

पत्रों—

प्र० वि०—सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के संबंध में केन्द्रीय राज्य सरकार द्वारा भेजे गये———की प्रतिलिपियों की मांग। खं० १८५, पृ० २५८।

पदोन्नति—

प्र० वि०—पुलिस कान्सटेबिलों एवं हेड कान्सटेबिलों की यूनियन, अधिक कार्य करने के लिये भत्ता तथा ———के सम्बन्ध में पूछताछ। खं० १८५, पृ० ६३४—६३६।

प्र० वि०—सामान्य, वित्त तथा सार्वजनिक सचिवालयों में सहायक सचिवों की———के संबंध में जानकारी। खं० १८५, पृ० २१—२२।

पद्‌माकरलाल श्रीवास्तव, श्री—

देखिये, प्रश्नोत्तर"।

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा। खं० १८५, पृ० ३७—४१, ७१—७२।

भुखमरी से संबंधित ३ अगस्त के दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय। खं० १८५, पृ० २७७।

पब्बर राम, श्री—

गाजीपुर जिले में चन्द्र प्रभा नहर के टूटने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३६२—३६३।

पम्पिंग सेट्स—

प्र० वि०—टांडा नहर चलाने के लिये ———। खं० १८५, पृ० ४३५—४३६।

पय-परिषद्---

प्र० वि०---कानपुर-----को दिया गया धन । खं० १८५, पृ० ५२४।

परमात्मानन्द सिंह, श्री---

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या २---लेखा शीर्षक ७---मालगुजारी । खं० १८५, पृ० १३६, २२०-२२३ ।

बलिया जिले में घाघरा नदी से होने वाले कटाव से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० ४४४।

माल उपमंत्री -----द्वारा अनुदान उपस्थित किये जाने पर वैधानिक आपत्ति। खं० १८५, पृ० १९५-१९६ ।

परमेश्वरदीन वर्मा, श्री---

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

परामर्श---

वित्तीय तथा साधारण कार्य में विरोधी दल को अधिक समय देने तथा विरोधी दल के ----- से कार्य-क्रम निर्धारित करने के संबंध में सुझाव। खं० १८५, पृ० २७९-२८३ ।

परिगणित जाति---

प्र० वि०---इटावा जिले के नहर विभाग में अमीन व पतरौल के चुनाव में-----के व्यक्ति न लेने पर आपत्ति। खं० १८५, पृ० ४३६।

प्र० वि०---इटावा जिले में पुलिस कांस्टेबिलों की भर्ती में------के व्यक्तियों का न लिया जाना । खं० १८५, पृ० ६३८ ।

परिस्थिति---

जिला पीलीभीत में पुलिस के निरंकुश व्यवहार से उत्पन्न-----पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० २७८ ।

पूर्वी जिलों-----विशेषकर गोरखपुर जिले में घाघरा, राप्ती, आदि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न-----के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० २७८-२७९ ।

रीक्षा---

प्र० वि०---सेनेटरी इन्स्पेक्टर की -----में उत्तीर्ण व्यक्तियों की नियुक्ति। खं० १८५, पृ० ११८।

पशु चिकित्सा---

१९५७-५८ के आय-व्ययक मे अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या २३---लेखा शीर्षक ४१-------। खं० १८५, पृ० २८४-२९४ ।

पाइप लाइन---

प्र० वि०---नैनीताल तहसील में ग्राम व्यूरीगाड़ की-----। खं० १८५, पृ० २२-२३ ।

पाठ्य पुस्तकों---

प्र० वि०---प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों की-----का निर्धारण । खं० १८५, पृ० ६४८ ।

पानी---

प्र० वि०---कानपुर के कुछ मुहल्लों में-----के निकास का प्रबन्ध न होने की शिकायत। खं० १८५, पृ० ५१८-५१९ ।

प्र० वि०---मऊ पावर हाउस के गन्दे -----की निकासी का ड्रेन टूट जाना। खं० १८५, पृ० २५४-२५५ ।

पार्लियामेंटरी एसोसियेशन---

कामन वेल्थ-----की शाखा स्थापित करने के लिए कमेटी रूम में बैठक की सूचना। खं० १८५, पृ० १६४।

पावर हाउस---

प्र० वि०---मऊ-----के गन्दे पानी की निकासी का ड्रेन टूट जाना । खं० १८५, पृ० २५४-२५५ ।

पिछड़ी जाति—

प्र० वि०—आजमगढ़ जिला निरीक्षक के कार्यालय से हायर सेकेंडरी स्कूलों के———के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्ति। खं० १८५, पृ० ११६।

पिछड़ी जातियां—

प्र० वि०—छात्रवृत्ति तथा नियुक्तियों में सुविधा पाने वाली———। खं० १८५, पृ० ११२।

पी० डब्ल्यू० डी०—

प्र० वि०————सम्बन्धी एस्टीमेट्स कमेटी की सिफारिशें। खं० १८५, पृ० ३५६।

पीलीभीत—

जिला———में पुलिस के निरंकुश व्यवहार से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० २७८।

पी० बी० कालेज—

प्र० वि०————प्रतापगढ़ के हरिजन छात्र दास को सहायता देने का विचार। खं० १८५, पृ० १०७–१०८।

पुनर्निर्माण—

प्र० वि०—फैजाबाद जिले में टांडा-अकबरपुर रेलवे लाइन के———की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ५१४।

पुनस्संगठन—

प्र० वि०—विश्व विद्यालय अनुदान समिति के———पर विचार। खं० १८५, पृ० ६५३।

पुल—

प्र० वि०—खीरी जिले के बर बर घाट, गोमती नदी पर———निर्माण योजना। खं० १८५, पृ० ३५२।

प्र० वि०—गाजीपुर जिले में मैनपुर-जमानिया घाट सड़क तथा गंगा पर———की आवश्यकता। खं० १८५, पृ० ५००।

प्र० वि०—फीरोजाबाद-कोटला सड़क की खराब हालत तथा फीरोजाबाद तहसील में शंकरपुर में यमुना पर———की आवश्यकता। खं० १८५, पृ० ३३९–३४०।

प्र० वि०—बदायूं जिले में बन्नरो-नराउटी सड़क पर महावा नदी का———टूटने से कष्ट। खं० १८५, पृ० ५२१।

प्र० वि०—बरेली जिले में नदियों पर बनने वाले———। खं० १८५, पृ० ३५४।

प्र० वि०—बलिया-गाजीपुर सड़क पर मंगई नदी के———निर्माण का आयोजन। खं० १८५, पृ० ५२३।

प्र० वि०—मिर्जापुर में गंगा नदी———बनाने की योजना। खं० १८५, पृ० ५१४।

प्र० वि०—मैनपुरी-कुड़िया सड़क पर ईसन नदी के———की आवश्यकता। खं० १८५ पृ० ५११–५१२।

प्र० वि०—हमीरपुर जिले में राठ महोबा सड़क पर छनेसर नदी के———निर्माण की योजना। खं० १८५, पृ० ५२२।

पुलिस—

प्र० वि०—इटावा जिले में———के दारोगा और दीवानों का अधिक समय तक तबादला न होना। खं० १८५, पृ० ६४२–६४३।

प्र० वि०—खीरी जिले के पलिया थाने की———के विरुद्ध शिकायत। खं० १८५, पृ० ६४७।

प्र० वि०—गोरखपुर जिले के कोठीभार थाने की———द्वारा सीमेंट पकड़ना। खं० १८५, पृ० ६४६।

जिला पीलीभीत में———के निरंकुश व्यवहार से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० २७८।

[पुलिस--]
प्र० वि०—वाराणसी के बेनिया बाग में———दंगल के अवसर पर दंगा। खं० १८५, पृ० ६४६।

पुलिस अत्याचार—
प्र० वि०—उन्नाव नगर में आरोपियों पर———। खं० १८५, पृ० ६४३—६४५।

पुलिस अधिकारियों—
प्र० वि०—गोरखपुर जिले में——— की कार्य अवधि। खं० १८५, पृ० १६।

पुलिस आक्रमण—
प्र० वि०—देवरिया में समाजवादी सत्याग्रहियों पर कथित ———। खं० १८५, पृ० ६४५।

पुलिस कप्तानों—
प्र० वि०—जिलाधीशों व ———के घोड़ों पर व्यय। खं० १८५, पृ० २६—३०।

पुलिस कांस्टेबिलों—
प्र० वि०—इटावा जिले में———की भर्ती में परिगणित जाति के व्यक्तियों का न लिया जाना। खं० १८५, पृ० ६३८।

प्र० वि०—— ——एवं हेड कान्सटेबिलों की यूनियन, अधिक कार्य के लिये भत्ता तथा पदोन्नति के संबंध में पूछताछ। खं० १८५, पृ० ६३४—६३६।

पुलिस सिपाही—
प्र० वि०—देवरिया जिले में क्षय रोग पीड़ित———। खं० १८५, पृ० ६४७।

पुलों—
प्र० वि०—रुड़की-बद्रीनारायण मार्ग पर———को चौड़ा करने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ५२३।

पूंजी—
१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि संबंधी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर———की लागत। खं० १८५, पृ० २९४—३२१।

पूंजी की लागत—
१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ५१—लेखा शीर्षक ८५—क—राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर———। खं० १८५, पृ० ६५६।

पूर्वी जिलों—
प्रदेश के———में खाद्य स्थिति के फलस्वरूप भुखमरी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० १९१।

———में विशेष कर गोरखपुर जिले में घाघरा, राप्ती आदि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३५९—३६०।

-विशेषकर गोरखपुर जिले में घाघरा, राप्ती, आदि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० २७८—२७९।

पेंशन—
प्र० वि०—गोरखपुर जिले में राजनीतिक पीड़ितों को———। खं० १८५, पृ० ६३६—६३७।

प्र० वि०—स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को———मिलन में विलम्ब। खं० १८५, पृ० ६३९—६४०।

पदावनत——

प्र० वि०—झांसी जिले में [illegible] [illegible] के——को महंगाई भत्ता देने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ४३२–४३३।

पे-कमेटी——

प्र० वि०—राज्य कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ता बढ़ाने के लिये द्वितीय ———नियुक्त करने का सुझाव। खं० १८५, पृ० ३३६–३३७।

पैण्टून ब्रिज——

प्र० वि०—खीरी जिले में शारदा नदी के ऐरा घाट पर———की आवश्यकता। खं० १८५, पृ० ३५६।

पैरवी——

प्र० वि०—गोरखपुर जिला अदालतों में गांव सभाओं के मुकदमों की ———करने वाले सरकारी वकीलों व मुख्तारों को मेहनताने का न मिलना। खं० १८५, पृ० ३३८–३३९।

प्रकोप——

प्र० वि०—झांसी में चेचक का———। खं० १८५, पृ० १०१।

प्रगति——

प्र० वि०—सहारनपुर-बागपत सड़क के निर्माण में———। खं० १८५, पृ० ३५८।

प्रचार——

प्र० वि०—रूई उत्पादन——पर वार्षिक व्यय। खं० १८५, पृ० १७७।

प्रतापगढ़——

-जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों द्वारा भूख हड़ताल के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ४४२-४४३।

प्रतापगढ़-रायबरेली रोड——

———पर बस सर्विस की योजना। खं० १८५, पृ० २४।

[illegible] संख्या ५—लेखा शीर्षक [illegible] खं० १८५, पृ० [illegible]

प्रश्न

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

१९५७-५८ के आय व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८——चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०——लेखा शीर्षक ३९——जन स्वास्थ्य। खं० १८५, पृ० ३८१, ३६६-३८७। अनुदान संख्या २२——लेखा शीर्षक ४०——उपनिवेशन। खं० १८५, पृ० १२५–१२६।

अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान। खं० १८५, पृ० ५८०–५८१, ५९६, ६०३।

प्रतिलिपियों——

प्र० वि०—सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के संबंध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा भेजे गये पत्रों की मांग। खं० १८५, पृ० २५८।

प्रदर्शनी——

प्र० वि० सरकारी हैन्डी क्राफ्ट की दुकान इन्दौर———में ले जाने पर व्यय। खं० १८५, पृ० २६४-२६५।

प्रदेश-

———के पूर्वी जिलों में खाद्य स्थिति के फलस्वरूप भुखमरी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० १९१।

प्रधानाचार्य——

प्र० वि० राजकीय विद्यालय देवरिया के———के प्रस्तावित आवास स्थान की भूमि। खं० १८५, पृ० ६५४।

प्रयोग—

प्र० वि०—सरोजनी नायडू अस्पताल आगरा में, रामपाल, लड़के को लड़की बनाने का—। खं० १८५, पृ० १०४—१०५ ।

प्रवेश-पत्र—

अध्यक्ष-दीर्घा के लिए—जारी करने के संबंध में सूचना । खं० १८५, पृ० ४६० ।

प्रशिक्षण केन्द्र—

प्र० वि०—अलीगढ़ जिले के बरमाना, हसायन में इसंशियल आयल योजना के अन्तर्गत —। खं० १८५, पृ० २६६—२६७ ।

प्रश्नों—

प्र० वि० —के उत्तर एक दिन पूर्व न मिलने की शिकायत । खं० १८५, पृ० ६७ ।

प्रश्नोत्तर

अब्दुल रऊफ लारी, श्री—

(अनु०)—आजमगढ़ जिले में सरकारी दूकानों पर सस्ता तथा बिक्री-कर मुक्त अनाज बेचने की प्रार्थना । खं० १८५, पृ० ५१० ।

अमरनाथ, श्री—

(अनु०)—गोरखपुर जिले में थरमौली, बरगदवा व बरगवाही की डकैतियां । खं० १८५, पृ० ६४२ ।

अमरेशचन्द्र पांडेय श्री—

गवर्नमेंट सीमेंट फैक्टरी, चुर्क की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने का विचार । खं० १८५, पृ० ४३१ ।

जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों का वेतन संबंधी कथित पत्र-व्यवहार । खं० १८५, पृ० ६४१ ।

बेरोजगारों की गणना की आवश्यकता । खं० १८५, पृ० ११८ ।

मिर्जापुर जिले में नलकूपों की आवश्यकता । खं० १८५, पृ० ४३६ ।

मिर्जापुर में गंगा नदी पर पुल बनाने की योजना । खं० १८५, पृ० ५१४ ।

राज्य में इन्फ्लुएंजा से मृत्यु । खं० १८५, पृ० ११६ ।

रिहन्द डैम के इंजीनियरों की गाड़ियों पर व्यय । खं० १८५, पृ० ४३७ ।

अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर—

लखीमपुर जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों द्वारा अनशन । खं० १८५, पृ० ३३६ ।

अहमद बख्श, श्री—

मुजफ्फरनगर क्लेक्टरेट के क्लर्क श्री राजेन्द्र सिंह की शिकार खेलते समय मृत्यु । खं० १८५, पृ० ६४८ ।

इन्दुभूषण गुप्त, श्री—

१६४२ के आन्दोलन में आजमगढ़ जिले में जलाये गये मकानों का मुआवजा । खं० १८५, पृ० ६३३ ।

१६५६—५७ में विदेशी खाद्यान्न का आयात तथा वितरण । खं० १८५, पृ० ५२४ ।

उग्रसेन, श्री —

जिला सहकारी संघ देवरिया द्वारा भट्ठों के लिए कोयले का भाव न निश्चित करना । खं० १८५, पृ० ५२० ।

थानों पर काम करने वाले मेहतरों का वेतन । खं० १८५, पृ० ६५३-६५४ ।

देवरिया जिले के बाढ़-पीड़ित इलाके में सीमेंट, लोहा, कोयला तथा जी० सी० शीट्स का वितरण । खं० १८५, पृ० ५१६ ।

देवरिया जिले में क्षय रोग-पीड़ित पुलिस सिपाही । खं० १८५, पृ० ६४७ ।

भटनी चीनी मिल को पुनः चालू करने की प्रार्थना । खं० १८५, पृ० ४३१ ।

राप्ती-सरयू कटाव निरोधक उपायों की आवश्यकता । खं० १८५, पृ० ४४० ।

ऊदल श्री—

(अनु०)—रेलवे इंजिन पुर्जा कारखाना स्थापित करने के लिए वाराणसी जिले के गांव कुकुरमुत्ता में भूमि लेने का निश्चय । खं० १८५, पृ० ४३० ।

वाराणसी जिले में श्रमदान द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता। खं० १८५, पृ० १२।

कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री—

(अनु०)—प्लानिंग अफसर श्री उमेशदत्त शुक्ल के शाहजहांपुर जिले में अधिक समय तक रहने पर आपत्ति। खं० १८५, पृ० १८।

(अनु०)—हरिद्वार में भिखारियों के लिए आश्रम तथा लखनऊ और गोरखपुर में अंधों के लिए स्कूल। खं० १८५, पृ० ११२।

कल्याण चन्द्र मोहिले, श्री—

इलाहाबाद——इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को अनुदान देने की सिफारिश। खं० १८५, पृ० ३४०।

इलाहाबाद का नाम 'प्रयाग' रखने का सुझाव। खं० १८५, पृ० १४।

इलाहाबाद के नैनी इंडस्ट्रियल एरिया का उद्घाटन। खं० १८५, पृ० ११३।

इलाहाबाद के नैनी इंडस्ट्रियल एरिया में कारखानों को बिजली। खं० १८५, पृ० २५७—२५८।

इलाहाबाद जिले के देहाती इलाकों में आग बुझाने का स्थायी प्रबन्ध करने का सुझाव। खं० १८५, पृ० पृ० ६२९-६३०।

इलाहाबाद जिले के लिए सीमेंट का कोटा। खं० १८५, पृ० ३४३।

इलाहाबाद नगरपालिका को पेयजल के लिए ऋण। खं० १८५, पृ० ४९९-५००।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पेयजल के अभाव को दूर करने के कार्य। खं० १८५, पृ० ४९९।

कालोनी के उद्योग पतियों को ऋण। खं० १८५, पृ० १०२।

राजकीय गोसदनों पर व्यय। खं० १८५, पृ० १०३।

काशी प्रसाद

वाराणसी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित औद्योगिक कर्मचारियों को मान्यता देने पर विचार। खं० १८५, पृ० ३३३।

केशव पांडेय, श्री—

(अनु०)—गवर्नमेंट हैन्डलूम... को हानि पर चलाने में आपत्ति। खं० १८५, पृ० २७१।

गोरखपुर जिले की अदालतों में गांव सभाओं के मुकदमों की पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों व मुख्तारों को मेहनताने का न मिलना। खं० १८५, पृ० ३३८—३३९।

गोरखपुर जिले के गोसदन का न खुल सकना। खं० १८५, पृ० ११५।

गोरखपुर जिले में पुलिस अधिकारियों की कार्य-अवधि। खं० १८५, पृ० १६।

गोरखपुर जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन। खं० १८५, पृ० ६३६—६३७।

गोरखपुर जिले में सड़कों का निर्माण। खं० १८५, पृ० ५०३।

गोरखपुर जिले में सीमेंट वितरण की दिक्कतें। खं० १८५, पृ० ३४७—३४८।

गोरखपुर में बिजली कम्पनी का ठेका। खं० १८५, पृ० २७७।

(अनु०) स्वतंत्रता-संग्राम के सैनिकों की पेंशन मिलने में विलम्ब। खं० १८५,

कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री—

फर्रुखाबाद जिले की छिबरामऊ तहसील में चकबन्दी के सम्बन्ध में शिकायतें। खं० १८५, पृ० २९।

फर्रुखाबाद जिले में छिबरामऊ को बिजली देने की योजना। खं० १८५, पृ० २६९।

खयाली राम, श्री—

राजकीय स्त्री चिकित्सालय गोसाईंगंज जिला की महिला डाक्टर श्रीमती चन्द्रा के विरुद्ध शिकायत। खं० १८५, पृ० ३३४-३३५।

[प्रश्नोत्तर --]

गंगाप्रसाद, श्री--

...कादम्बी योजना को अन्य जिलों में लागू करने के संबंध में पूछताछ। खं० १८५, पृ० ६२७-६२८।

(अनु०) हरिद्वार में भिखारियों के लिए आश्रम तथा लखनऊ और गोरखपुर में अंधों के लिए स्कूल। खं० १८५, पृ० ११२।

गंगाप्रसादसिंह, श्री--

बलिया जिलों में अग्नि-पीड़ितों को सहायता। खं० १८५, पृ० १७।

गजेन्द्रसिंह, श्री--

(अनु०)--इटावा जिलान्तर्गत श्रमदान द्वारा निर्मित भर्थना--ऊसराहार सड़क को पक्की करने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० १४।

(अनु०)--इटावा जिले के पारपट्टी क्षेत्र की विकास योजना। खं० १८५, पृ० १०।

(अनु०)--इलाहाबाद का नाम प्रयाग रखने का सुझाव। खं० १८५, पृ० १४।

(अनु०)--फर्रुखाबाद जिले में छिबरामऊ को बिजली देने की योजना। खं० १८५, पृ० २६९।

गज्जूराम, श्री--

---------झांसी जिले की महरौनी तथा ललितपुर तहसीलों में जंगल विभाग का आय-व्यय। खं० १८५, पृ० ५०७

झांसी जिल के ललितपुर व महरौनी तहसील में ग्राम सभाओं को भूमि। खं० १८५, पृ० ३५७।

झांसी जिले की ललितपुर व महरौनी तहसील में सड़कों का कमी। खं० १८५, पृ० ५२२-५२३।

झांसी जिले की ललितपुर व महरौनी तहसीलों में ओलापीड़ितों को सहायता। खं० १८५, पृ० २५।

झांसी जिले के खेतिहर मजदूरों की दशा सुधारने के लिए प्रार्थना। खं० १८५, पृ० १०८।

झांसी जिले के बरवासागर सब्जी व्यापार को सहकारिता के आधार पर चलाने का विचार। खं० १८५, पृ० ३५६-३५७।

सिंचाई विभाग के ओवरसियरों को मोटर साइकिल एलाउंस। खं० १८५, पृ० ४३२।

गनेशचन्द्र काछी, श्री--

कानपुर जिले के राजकीय खादी केन्द्र नौरंगा के एक कर्मचारी का वेतन रुकना। खं० १८५, पृ० २७३।

टाउन एरियाओं के चुनाव के संबंध में जानकारी। खं० १८५, पृ० ५१२-५१३।

मुलजिमों को थाने से चालान के समय खर्च-खुराक। खं० १८५, पृ० ६३७।

मैनपुरी-खुड़िया सड़क पर ईसन नदी के पुल की आवश्यकता। खं० १८५, पृ० ५११-५१२।

मैनपुरी जिले के कुरावली टाउन को बिजली। खं० १८५, पृ० २६५-२६६।

सामान्य, वित्त तथा सार्वजनिक सचिवालयों में सहायक सचिवों की पदोन्नति के संबंध मे जानकारी। खं० १८५, पृ० २१-२२।

हरिद्वार में भिखारियों के लिए आश्रम तथा लखनऊ और गोरखपुर में अंधों के लिए स्कूल। खं० १८५ पृ० १११-११२।

गनेशीलाल चौधरी, श्री--

लखीमपुर में जूट गोदाम में आग लगने से क्षति। खं० १८५, पृ० १०७।

गुप्तारसिंह, श्री--

रायबरेली जिले मे ग्राम समाज, बुधबन, गोविन्दपुर, पूरनपुर तथा तेजगांव की बंजर भूमि। खं० १८५, पृ० २९।

गुरुप्रसादसिंह, श्री--

रायबरेली-फैजाबाद रोड पर गोमती नदी के ग्राम घाट पुल की निर्माण-योजना। खं० १८५, पृ० ३५४-३५५।

गेंदा देवी, श्रीमती—

[illegible], [illegible] बाजार, बाघनगर तथा [illegible] को मिलाने वाली सड़कों को पक्की करने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० [illegible]-३५० ।

गेंदासिंह, श्री—

(अनु० —[illegible] शुगर मिल्स लिमिटेड, जिला मुरादाबाद द्वारा बदायूं यूनियन का रुपया जमा न करना। खं० १८५, पृ० २२६ ।

(अनु०)—आजमगढ़ जिले की गांव सभाओं को दिये गये धन के हिसाब में गड़बड़ी। खं० १८५, पृ० ५०३ ।

(अनु०)—आजमगढ़ जिले में सरकारी दूकानों पर सस्ता तथा बिक्री-कर मुक्त अनाज बेचने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ५०६ ।

(अनु०)—१६५२ व १६५७ के आम चुनावों पर व्यय। खं० १८५, पृ० ५०१ ।

(अनु०)—गाजीपुर शुगर फैक्टरी से संबंधित भ्रष्टाचार की शिकायतें। खं० १८५, पृ० २६१, २६२ ।

गन्ना तथा सेस का बकाया खं० १८५, पृ० २७५-२७६ ।

गवर्ननमेंट हैन्डीक्राफ्ट को हानि पर चलाने में आपत्ति। खं० १८५, पृ० २६६-२७१ ।

(अनु०)—पुलिस कान्स्टेबिलों एवं हेड कान्सटेबिलों की यूनियन, अधिक कार्य के लिए भत्ता तथा पदोन्नति के संबंध में पूछताछ। खं० १८५, पृ० ६३५ ।

(अनु०)—बांसी, मेंहदावल बाजार, बाघ नगर तथा बस्ती को मिलाने वाली सड़कों को पक्की करने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ३५० ।

(अनु०)—बिक्री-कर से प्राप्त धन। खं० १८५, पृ० २६३ ।

(अनु०)—भोपाल हाउस रिफ्यूजी मार्केट लखनऊ का किराया। खं० १८५, पृ० ३४१ ।

[illegible] खं० १८५, पृ० [illegible]

(अनु०), [illegible] के [illegible] पेंशन मिलने में विलम्ब। खं० १८५, पृ० [illegible] ।

गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री—

बदायूं जिला हेल्थ आफिसर के कार्य-काल के हेडक्लर्क का तबादला खं० १८५, पृ० ११७ ।

(अनु०)—विधायक निवास में अनधिकृत व्यक्तियों के रहने पर आपत्ति। खं० १८५, पृ० २६० ।

(अनु०)—विधायकों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों तथा सभासचिवों के आवास की व्यवस्था। खं० १८५, पृ० ६ ।

गौरीशंकर राय, श्री—

(अनु०)—अंग्रेजी का स्थान 'हिन्दी' को देने के लिये कार्य। खं० १८५, पृ० १०० ।

(अनु०)—गोरखपुर जिला अदालतों में गांवसभाओं के मुकदमों की पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों व मुख्तारों को मेहनताने का न मिलना। खं० १८५, पृ० ३३६ ।

(अनु०)—जिला ऐण्टी करप्शन कमेटियों के अधिकार बढ़ाने के लिये सुझाव। खं० १८५, पृ० ७ ।

(अनु०)—जिला पंचायत कार्यालय, आजमगढ़ में हुये गबन की जांच की मांग। खं० १८५, पृ० ६५ ।

पुलिस कान्स्टेबिलों एवं हेड कान्स्टेबिलों की यूनियन, अधिक कार्य के लिये भत्ता तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में पूछताछ। खं० १८५, पृ० ६३४-६३६ ।

(अनु०)—फैजाबाद जिले में तालाबों और कुओं से सिंचाई पर रोक की शिकायत। खं० १८५, पृ० ४३२ ।

[प्रश्नोत्तर---गौरीशंकर राय, श्री---]

(अनु०)---बदायूं जिले के कुछ गांवो मे फैली लैथरिज्म बीमारी के सम्बन्ध में सिविल सर्जन की रिपोर्ट। खं० १८५, पृ० ४२६।

(अनु०)---बरेली नगर की हाउस एलाटमेंट एडवाइजरी कमेटी। खं० १८५, पृ० ३४३।

(अनु०)---बलिया जिले मे अग्निपीड़ितो को सहायता। खं० १८५, पृ० १७।

(अनु०)---भोलानाथ हाउस रिफ्यूजी मार्केट, लखनऊ का किराया। खं० १८५, पृ० ३४१।

विशेष पदाधिकारी, राजनीतिक पेन्शन विभाग, लखनऊ का कांग्रेस कमेटी, आजमगढ़ को पत्र। खं० १८५, पृ० ४२४।

सिविल कोर्ट फर्रुखाबाद के मातहत अमीनो की ग्रेडेशन लिस्ट की कथित शिकायत। खं० १८५, पृ० ३५३।

(अनु०)---हरदोई जिले के बिलग्राम क्षेत्र मे विधान सभा के उपचुनाव मे बस का चालान। खं० १८५, पृ० ३४६।

चन्द्रजीत यादव, श्री---

(अनु०)---आजमगढ़ जिले मे सरकारी दूकानों पर सस्ता तथा बिक्री-कर मुक्त अनाज बेचने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ५१०।

(अनु०)---जालौन जिले मे डी० एस० पी० (कम्प्लेंट) द्वारा किये गये कार्य। खं० १८५, पृ० ६३४।

टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल मुहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़ मे फ्लड शेल्टर न बन सकना। खं० १८५, पृ० ६५०।

(अनु०)---बदायूं जिले के कुछ गांवो में फैली लैथरिज्म बीमारी के सम्बन्ध मे सिविल सर्जन की रिपोर्ट। खं० १८५, पृ० ४२५-४२६।

चन्द्रहास मिश्र, श्री---

जिला ऐण्टी-करप्शन कमेटियो के अधिकार बढ़ाने के लिये सुझाव। खं० १८५, पृ० ६-७।

चन्द्रावती, श्रीमती---

१९५२ व १९५७ के आम चुनावो पर व्यय। खं० १८५, पृ० ५००-५०२।

बिजनौर जिले मे सड़को की निर्माण-योजना। खं० १८५, पृ० ३५२।

(अनु०)---विधायक निवास मे अनधिकृत सदस्यो के रहने पर आपत्ति। खं० १८५, पृ० २६०।

(अनु०)---विधायको, मंत्रियो, उपमंत्रियों तथा सभासचिवो के आवास की व्यवस्था। खं० १८५, पृ० ५-६।

सरकारी अस्पतालो के डाक्टरो की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने का सुझाव। खं० १८५, पृ० १११।

(अनु०)---सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा में, रामपाल, लड़के को लड़की बनाने का प्रयोग। खं० १८५, पृ० १०५।

सहकारिता के आधार पर मिलें खोलने की योजना। खं० १८५, पृ० २६३।

हरिद्वार मे भिखारियो के लिये आश्रम तथा लखनऊ और गोरखपुर मे अंधो के लिये स्कूल। खं० १८५, पृ० ११२।

छत्तरसिंह, श्री---

(अनु०)---अम्बर चर्खे द्वारा काटन इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की योजना। खं० १८५, पृ० २५७।

बुलन्दशहर बस स्टेण्ड के मेण्टिनेन्स शेड का गिर जाना। खं० १८५, पृ० १९।

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, जेवर के कार्य। खं० १८५, पृ० ३०।

जंगबहादुर वर्मा, श्री——
बाराबंकी जिले के अग्निपीड़ितों को सहायता। खं० १८५, पृ० २७।
बाराबंकी जिले में नमक का आयात। खं १८५, पृ० ३५५।
लाला बेचूलाल, निवासी ग्राम शोभापुर थाना रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी के यहां हुई डकैती की रिपोर्ट ठीक न लिखना। खं० १८५, पृ० ६३०—६३१।
हैदरगढ़ व रामसनेही घाट तहसीलों में अग्रिम लगान से वसूली। खं० १८५, पृ० २८।

जगदीशप्रसाद, श्री——
(अनु०)——चुर्क सीमेंट फैक्टरी का उत्पादन। खं० १८५, पृ० ४३९—४४०।
(अनु०)——जालौन जिले में डी० एस० पी० (कम्पलेंट) द्वारा किये गये कार्य। खं० १८५, पृ० ६३४।

जगदीशशरण अग्रवाल, श्री——
इलाहाबाद हाईकोर्ट में दीवानी की विचाराधीन अपीलें। खं० १८५, पृ० ५०२।
जिला न्यायाधीश, बरेली का निवास-स्थान न बन सकना। खं० १८५, पृ० ३४५।
नैनीताल जिले में रुद्रपुर ग्राम को टाउन एरिया बनाने पर विचार। खं० १८५, पृ० १०—११।
(अनु०)——प्रारम्भिक कक्षाओं में निःशुल्क शिक्षा के लिये आदेश। खं० १८५, पृ० ४२२।
बरेली नगर की हाउस ऐलाटमेंट एडवाइजरी कमेटी। खं० १८५, पृ० ३४१—३४३।

जगन्नाथप्रसाद, श्री——
खीरी जिलान्तर्गत रामनगर लहबड़ी गांव में बिला लगानी भूमि। खं० १८५, पृ० २१।
खीरी जिले में शारदा नदी के ऐरा घाट पर पैन्टून ब्रिज की आवश्यकता। खं० १८५, पृ० ३५६।
मंझरा फार्म, जिला खीरी से सरकारी गल्ले की चोरी। खं० १८५, पृ० १०३—१०४।

जगन्नाथ लहरी, श्री——
आगरा नगरपालिका का बिल्डिंग बाइ-लाज में परिवर्तन करना। खं० १८५, पृ० ५०३।
आगरे के डेवलपमेंट ट्रस्ट लिमिटेड की हाउस बिल्डिंग प्लान। खं० १८५, पृ० ५०६।
(अनु०)——प्रारम्भिक कक्षाओं में निःशुल्क शिक्षा के लिये आदेश। खं० १८५, पृ० ४२२।
फिरोजाबाद के कोआपरेटिव ग्लास वर्क्स को कोयला न मिल सकना। खं० १८५, पृ० ४३५।
फीरोजाबाद—कोटला सड़क की खराब हालत तथा फीरोजाबाद तहसील में शंकरपुर में यमुना पर पुल की आवश्यकता। खं० १८५, पृ० ३३९—३४०।

जगवीर सिंह, श्री——
बुलन्दशहर जिले में कत्ल व डकैतियां। खं० १८५, पृ० ६४६।

जमुनासिंह, श्री——
बदायूं जिले में धनारी—भराउटी सड़क पर महावा नदी का पुल टूटने से कष्ट। खं० १८५, पृ० ५२१।

जयराम वर्मा, श्री——
छात्रवृत्ति तथा नियुक्तियों में सुविधा पाने वाली पिछड़ी जातियां। खं० १८५, पृ० ११३।

जरगाम हैदर, श्री सैयद——
नगर नियोजन विभाग के अस्थायी कर्मचारी। खं० १८५, पृ० ५०६।

जवाहरलाल, श्री——
गवर्नमेंट प्रेस इम्प्लाइज एसोसिएशन की ओर से मांगें। खं० १८५, पृ० ४३८।

[प्रश्नोत्तर—जवाहरलाल, श्री—]

गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद तथा लखनऊ में शिड्यूल्ड कास्ट के कर्मचारी। खं० १८५, पृ० २७५।

झारखण्डेराय, श्री—

(अनु०)—अमरीकन इन्फार्मेशन सर्विस के लोगों द्वारा रिहन्द बांध के चित्र लेना। खं० १८५, पृ० ४३४।

आजमगढ़ जिले की कोपागंज टाउन एरिया में निर्वाचन कराने पर विचार। खं० १८५, पृ० २५४।

(अनु०)—आजमगढ़ जिले में सरकारी दूकानों पर सस्ता तथा बिक्री-कर मुक्त अनाज बेचने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ५०६, ५११।

(अनु०)—ग्राम चुनाव के समय जिला बोर्ड, आजमगढ़ के अध्यापकों का तबादला। खं० १८५, पृ० ६२९।

(अनु०)—इटावा जिले में पुलिस के दारोगाओं और दीवानों का अधिक समय तक तबादला न होना। खं० १८५, पृ० ६४३।

(अनु०)—१९४२ के आन्दोलन में आजमगढ़ जिले में जलाये गये मकानों का मुआवजा। खं० १८५, पृ० ६३३।

(अनु०)—१९५२ व १९५७ के ग्राम चुनावों पर व्यय। खं० १८५, पृ० ५०१, ५०२।

(अनु०)—गवर्नमेंट हैन्डीक्राफ्ट को हानि पर चलाने में आपत्ति। खं० १८५, पृ० २७०।

(अनु०)—गोरखपुर जिले में राजनीतिक-पीड़ितों को पेंशन। खं० १८५, पृ० ६३६।

ग्राम तहिरापुर, थाना दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ के निवासियों का प्रार्थना-पत्र। खं० १८५, पृ० ३४७।

(अनु०)—टाउन एरियाओं के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी। खं० १८५, पृ० ५१२।

(अनु०)—टेहरी-गढ़वाल जिले में डी० एफ० ओ०, टोंस डिवीजन के कैम्प मजदूर लालदास की मृत्यु। खं० १८५, पृ० ५१५।

(अनु०)—पुलिस कान्स्टेबिलों एवं हेड कान्स्टेबिलों की यूनियन, अधिक कार्य के लिये भत्ता तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में पूछताछ। खं० १८५, पृ० ६३६।

(अनु०)—बदायूं जिले के कुछ गांवों में फैली लैथरिज्म बीमारी के सम्बन्ध में सिविल सर्जन की रिपोर्ट। खं० १८५, पृ० ४२६।

मऊ पावर हाउस के गन्दे पानी की निकासी का ड्रेन टूट जाना। खं० १८५, पृ० २५४–२५५।

रामपुर बैंक डकैती केस से सम्बन्धित कम्युनिस्ट बन्दी बग्गा सिंह की सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में मृत्यु। खं० १८५, पृ० ६३१–६३२।

(अनु०)—रेलवे इन्जिन पुर्जा कारखाना स्थापित करने के लिये वाराणसी जिले के गांव कुकुरमुत्ता में भूमि लेने का निश्चय। खं० १८५, पृ० ४३०।

टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री—

सचिवालय के न्याय विभाग में छटनी। खं० १८५, पृ० ९५–९६।

टीकाराम, श्री—

गुड़ स्कीम की उन्नति के लिये जिला बदायूं में तकावी। खं० १८५, पृ० २६२–२६३।

बदायूं जिले में कोआपरेटिव फेडरेशन की बैलेन्स शीट न होना। खं० १८५, पृ० ३४८–३४९।

डूंगरसिंह, श्री—

हमीरपुर जिले की राठ तहसील में सड़कों की निर्माण योजना। खं० १८५, पृ० ३४४–३४५।

हमीरपुर जिले में गुहांड प्रगाढ़ विकास क्षेत्र पर व्यय। खं० १८५, पृ० २५–२६।

हमीरपुर जिले में राठ—महोबा सड़क पर छतेसर नदी के पुल निर्माण की योजना। खं० १८५, पृ० ५२२।

हमीरपुर जिले में सिंचाई की शरह में कमी के लिये प्रार्थना। खं० १८५, पृ० २७१।

ताराचन्द माहेश्वरी, श्री—

सीतापुर जिले में ग्राम—पंचायत टंडई कलां में गबन की जांच। खं० १८५, पृ० ३५८—३५६।

त्रिलोकी सिंह, श्री—

फैजाबाद जिले में तालाबों और कुओं से सिंचाई पर रोक की शिकायत। खं० १८५, पृ० ४३१—४३२।

फैजाबाद जिले में नलकूपों के लिये बिजली की दर कम करने का सुझाव। खं० १८५, पृ० ४३१।

भोपाल हाउस रिफ्यूजी मार्केट, लखनऊ का किराया। खं० १८५, पृ० ३४०—३४१।

मेरठ जिले में ईंट के भट्ठों को कोयला। खं० १८५, पृ० ५०८।

सैनेटरी इन्स्पेक्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्तियों की नियुक्ति। खं० १८५, पृ० ११८।

सोडा ऐश फैक्ट्री के लिये स्वीकृत धन का व्यय। खं० १८५, पृ० २७४।

दीनदयालु शास्त्री, श्री—

देहरादून के सैनिक स्कूल में प्रविष्ट विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति। खं० १८५, पृ० २४।

रुड़की-बद्रीनारायण मार्ग पर पुलों को चौड़ा करने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ५२३।

सहारनपुर जिले में सीमेन्ट का कोटा। खं० १८५, पृ० ३५१।

दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री—

(अनु०)—गोरखपुर जिला अदालतों में गांव सभाओं के मुकदमों की पैरवी करनेवाले सरकारी वकीलों व मुख्तारों को मेहनताने का न मिलना। खं० १८५, पृ० ३२६।

भरौली बाजार और बांम देवरिया में बिजली कार्यालय के कर्मचारियों के निवास स्थान के लिये ली गई जमीन का मुआवजा न मिलना। खं० १८५, पृ० ४३३।

राजकीय विद्यालय देवरिया के प्रधानाचार्य के प्रस्तावित आवासस्थान की भूमि। खं० १८५, पृ० ६५४।

देवकीनन्दन विभव, श्री—

आगरे में अन्डरग्राउण्ड सीवर्स का निर्माण-कार्य। खं० १८५, पृ० ३३७—३३८।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी का उत्पादन। खं० १८५, पृ० ४३६—४४०।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी पर व्यय तथा प्रतिमास उत्पादन। खं० १८५, पृ० ७—८।

(अनु०)—सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने का सुझाव। खं० १८५, पृ० १११।

(अनु०)—सेक्रेटरियट रिआर्गनाइजेशन स्कीमें। खं० १८५, पृ० ३३४।

(अनु०) स्वतंत्रता-संग्राम के सैनिकों को पेंशन मिलने में विलम्ब। खं० १८५, पृ० ६४०।

देवनारायण भारतीय, श्री—

(अनु०)—कृषि फार्म, माधुरी कुण्ड के ट्रैक्टर। खं० १८५, पृ० १०६।

खीरी जिले में मंझरा तथा अन्वेशनगर कृषि फार्मों के आय-व्ययक का लेखा। खं० १८५, पृ० १०६—११०।

जंगल के निकट रहने वालों को ईंधन की सुविधा। खं० १८५, पृ० ५०७—५०८।

[प्रश्नोत्तर—देवनारायण भारतीय, श्री—]
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, शाहजहांपुर के अध्यापकों को वेतन-वृद्धि न मिलना । खं० १८५, पृ० ५२२ ।
(अनु०)———प्रश्नों के उत्तर एक दिन पूर्व न मिलने की शिकायत । खं० १८५, पृ० ६७ ।
प्लानिंग अफसर श्री उमेशदत्त शुक्ल के शाहजहांपुर जिले में अधिक समय तक रहने पर आपत्ति । खं० १८५, पृ० १८ ।
(अनु०)—बरेली नगर की हाउस एलाटमेंट एडवाइजरी कमेटी । खं० १८५, पृ० ३४३ ।
म्युनिसिपल बोर्ड, चन्दोसी के अध्यक्ष के विरुद्ध स्मृतिपत्र । खं० १८५, पृ० ५०२ ।
राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का सुझाव । खं० १८५, पृ० ६३७ ।
लखीमपुर में सम्पूर्णानगर उपनिवेश में ली गयी जमीन का मुआवजा । खं० १८५, पृ० १०८—१०९ ।
शाहजहांपुर के स्टेट बैंक का स्थानान्तरण । खं० १८५, पृ० ४२७ ।
शाहजहांपुर जिले के परौर थाने में फूलसिंह हवालाती की मृत्यु । खं० १८५, पृ० ६५० ।
शाहजहांपुर जिले में नवनिर्वाचित ग्राम पंचायतों को मान्यता देने में विलम्ब । खं० १८५, पृ० ३४३—३४४ ।
शाहजहांपुर बिजली कम्पनी के चार्जेज । खं० १८५, पृ० २६२ ।
शाहजहांपुर में वाटर वर्क्स बनाने की योजना । खं० १८५, पृ० ३५० ।

देवीप्रसाद मिश्र, श्री—
टांडा नहर चलाने के लिये पम्पिंग सेट्स । खं० १८५, पृ० ४३५—४३६ ।
फैजाबाद जिले में टांडा-अकबरपुर रेलवे लाइन के पुनर्निर्माण की प्रार्थना । खं० १८५, पृ० ५१४ ।
सोहावल बिजली घर से नलकूपों को पर्याप्त बिजली न मिलना । खं० १८५, पृ० ४३५ ।

द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री—
सरकारी हैण्डीक्राफ्ट की दुकान इन्दौर प्रदर्शनी में ले जाने पर व्यय । खं० १८५, पृ० २६४—२६५ ।

धर्मपाल सिंह, श्री—
गोंडा जिले की बलरामपुर तथा उतरौला तहसीलों में सड़कों का निर्माण । खं० १८५, पृ० ५२१ ।
गोंडा जिले में पंचायतों का अपूर्ण चुनाव । खं० १८५, पृ० ५०८ ।

नत्थूसिंह, श्री—
मैनपुरी जिले के नलकूप । खं० १८५, पृ० ४२९ ।

नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री—
अलीगढ़ जिले के बरमाना, हसायन में इसेन्शियल आयल योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्र । खं० १८५, पृ० २६६—२६७ ।
भारी उद्योगों के खुलने वाले कारखाने । खं० १८५, पृ० २६६ ।
हाथरस क्षेत्र में चकबन्दी का कार्य । खं० १८५, पृ० २३ ।

नन्दराम, श्री—
(अनु०)—बुलन्दशहर जिले में पक्की की जाने वाली सड़कें । खं० १८५, पृ० ५१६ ।

नारायणदत्त तिवारी, श्री—
(अनु०) अमरीकन इन्फार्मेशन सर्विस के लोगों द्वारा रिहन्द बांध के चित्र लेना । खं० १८५, पृ० ४३४ ।
(अनु०) ——— इलाहाबाद जिले के देहाती इलाके में आग बुझाने का स्थायी प्रबन्ध करने का सुझाव । खं० १८५, पृ० ६३० ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में १९५४—५५ में दायर सिविल अपीलें । खं० १८५, पृ० ३५४ ।

एसोशियेटेड और एफिलियेटेड कालेजों में टू ग्रेड सिस्टम न लागू किया जाना। खं० १८५, पृ० ६३२—६३३।

जिला बोर्ड, नैनीताल को अनुदान। खं० १८५, पृ० ५२१।

(अनु०)——पुलिस कान्स्टेबिलों एवं हेड कान्सटेबुलों की यूनियन, अधिक कार्य के लिये भत्ता तथा पदोन्नति के संबंध में पूछताछ। खं० १८५, पृ० ६३५।

(अनु०) —— प्रान्तीय रक्षक दल का विघटन—करने का विचार। खं० १८५, पृ० ३३५—३३६।

(अनु०) —— फैजाबाद जिले में तालाबों और कुओं से सिंचाई पर रोक की शिकायत। खं० १८५, पृ० ४३२।

(अनु०) —— बदायूं जिले के कुछ गांवों में फैली लैथरिज्म बीमारी के सम्बन्ध में सिविल सर्जन की रिपोर्ट। खं० १८५, पृ० ४२५, ४२६।

बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड व्यापारी। खं० १८५, पृ० २६४।

(अनु०)—— बिजली विभाग के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन। खं० १८५, पृ० ४२८।

राज्यकर्मचारियों का वेतन तथा भत्ता बढ़ाने के लिये द्वितीय-पे-कमेटी नियुक्त करने का सुझाव। खं० १८५, पृ० ३३६—३३७।

(अनु०)——रामपुर बैंक डकैती केस से सम्बन्धित कम्युनिस्ट बन्दी बग्गा सिंह की सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में मृत्यु। खं० १८५, पृ० ६३१—६३२।

(अनु०)——विशेष पदाधिकारी, राजनीतिक पेन्शन विभाग, लखनऊ का कांग्रेस कमेटी, आजमगढ़ को पत्र। खं० १८५, पृ० ४२४।

सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के संबंध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा भेजे गये पत्रों की प्रतिलिपियों की मांग। खं० १८५, पृ० २५८।

सरकारी कर्मचारियों को हिल एलाउंस देने की सिफारिश। खं० १८५. पृ० २५३।

(अनु०)——सेक्रेटरियट रिआर्गनाइजेशन स्कीम। खं० १८५, पृ० ३३४।

(अनु०)——हरदोई जिले के बिलग्राम क्षेत्र में विधान सभा के उपचुनाव में बम का चालान। खं० १८५, पृ० ३४६।

हल्द्वानी तहसील में जल-कष्ट निवारणार्थ कार्य। खं० १८५, पृ० ४३८—४३९।

हल्द्वानी-भावर, जिला नैनीताल में स्वच्छ जल का अभाव। खं० १८५, पृ० ५२१।

नकराम शर्मा, श्री——

उच्च न्यायालय द्वारा घोषित अल्ट्रावायरस कानून। खं० १८५, पृ० ३५३।

पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री——

(अनु०)——गवर्नमेंट हैण्डी क्राफ्ट को हानि पर चलाने में आपत्ति। खं० १८५, पृ० २७०—२७१।

)——दिल्ली में 'एडवोकेट आन रेकार्ड' के कार्यालय तथा प्रवास-गृह की योजना। खं० १८५, पृ० ९७।

(अनु०)——नैनीताल तहसील में ग्राम व्यूरीगाड़ की पाइप लाइन। खं० १८५, पृ० २३।

परमेश्वरदीन वर्मा, श्री——

विधायक निवास में सभा सचिव, उपमंत्री तथा सरकारी कर्मचारियों का रहना। खं० १८५, पृ० २७५।

[प्रश्नोत्तर—]

प्रतापसिंह, श्री—

(अनु०)—इटावा जिलान्तर्गत श्रमदान द्वारा निर्मित भर्थना-ऊसराहार सड़क को पक्की करने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० १३।

(अनु०)—इटावा जिले में पुलिस कांस्टेबिलों की भर्ती में परिगणित जाति के व्यक्तियों का न लिया जाना। खं० १८५, पृ० ६३८।

काशीपुर शुगर फैक्ट्री से संबंधित भ्रष्टाचार की शिकायतें। खं० १८५, पृ० २६१—२६२।

खटीमा पावर हाउस के कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ता। खं० १८५, पृ० २५६—२५७।

गवर्नमेंट प्रिसीजन फैक्टरी, लखनऊ, में माइक्रोप सेक्शन के कारीगरों के वेतन के संबंध में शिकायत। खं० १८५, पृ० ४२६।

(अनु०)—झांसी में चेचक का प्रकोप। खं० १८५, पृ० १०१।

(अनु०)—टेहरी-गढ़वाल की पट्टी बड़ियारगढ़ के वर्षा से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता। खं० १८५, पृ० ४२३।

(अनु०)—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पेय जल के अभाव को दूर करने के कार्य। खं० १८५, पृ० ४९९।

(अनु०)—श्री धनपति सिंह टंडन, आनरेरी मैजिस्ट्रेट, शाहगंज बेंच, जिला जौनपुर की नियुक्ति पर आपत्ति। खं० १८५, पृ० ५१८।

(अनु०)—नैनी इंडस्ट्रियल कालोनी के उद्योगपतियों को ऋण। खं० १८५, पृ० १०२।

(अनु०)—नैनीताल जिले में रुद्रपुर ग्राम को टाउन एरिया बनाने पर विचार। खं० १८५, पृ० ११।

नैनीताल तहसील में ग्राम ब्यूरीगाड़ की पाइप लाइन। खं० १८५, पृ० २२—२३।

(अनु०)—पुलिस कान्स्टबिलों एवं हेड कान्स्टेबिलों की यूनियन, अधिक कार्य के लिये भत्ता तथा पदोन्नति के सम्बन्ध म पूछताछ। खं० १८५, पृ० ६३५।

प्रति विद्यार्थी राजकीय तथा सहायता प्राप्त स्कूलों पर व्यय। खं० १८५, पृ० ६४८।

प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण। खं० १८५, पृ० ६४८।

(अनु०)—प्रान्तीय रक्षक दल के कर्मचारियों के कार्य। खं० १८५, पृ० २०—२१।

प्रेसीडेंट, नोटीफाइड एरिया कमेटी, रामनगर के विरुद्ध शिकायतों की जांच रिपोर्ट। खं० १८५, पृ० ५२०।

(अनु०)—फर्रुखाबाद जिले के दारापुर बरैठी गांव से चकबन्दी के खिलाफ शिकायत। खं० १८५, पृ० १६।

(अनु०)—बरेली जिले मे सीमेंट का वितरण। खं० १८५, पृ० ५०५।

(अनु०)—बरेली नगर की हाउस ऐलाटमेंट एडवाइजरी कमेटी। खं० १८५, पृ० ३४२।

बिजली विभाग के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन। खं० १८५, पृ० ४२७—४२८।

(अनु०)—राजकीय गोसदनों पर व्यय। खं० १८५, पृ० १०३।

(अनु०)—विधायक निवास में अनधिकृत सदस्यों के रहने पर आपत्ति। खं० १८५, पृ० २६०।

(अनु०)—विधायकों, मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा सभासचिवों के आवास की व्यवस्था। खं० १८५, पृ० ५।

(अनु०)—सचिवालय के न्याय विभाग में छटनी। खं० १८५, पृ० ९६।

(अनु०)—हल्द्वानी तहसील में जलकष्ट निवारणार्थ कार्य। खं० १८५, पृ० ४३९।

हल्द्वानी शहर का अस्पताल। खं० १८५, पृ० ११३–११८।

वंशीधर शुक्ल, श्री—

खीरी जिले के पलिया थाने की पुलिस के विरुद्ध शिकायत। खं० १८५, पृ० ३६७।

बलदेवसिंह, श्री—

(अनु०)—विधायक निवास में अनधिकृत सदस्यों के रहने पर आपत्ति। खं० १८५, पृ० २६०।

कानपुर जिले में सड़कों की निर्माण योजना। खं० १८५, पृ० ३५९।

बलवानसिंह, श्री—

कानपुर पेय-परिषद् को दिया गया धन। खं० १८५, पृ० ५२४।

कानपुर में श्री जगदीश अवस्थी के विरुद्ध मुकदमा। खं० १८५, पृ० ६५४।

बुद्धीसिंह, श्री—

गोपाल गोशाला बहजोई, जिला मुरादाबाद को प्रदत्त भूमि के अनुचित प्रयोग की शिकायत। खं० १८५, पृ० १०७।

बुलाकीराम, श्री—

जुडिशियल तथा आनरेरी मैजिस्ट्रेट जिला हरदोई की अदालतों के मुकदमें। खं० १८५, पृ० ५१३।

ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री—

(अनु०)—अंग्रेजी का स्थान हिन्दी को देने के लिये कार्य। खं० १८५, पृ० १००।

(अनु०)—बरेली नगर की हाउस ऐलाटमेंट एडवाइजरी कमेटी। खं० १८५, पृ० ३४२।

(अनु०)—सरोजनी नायडू अस्पताल आगरा में, रामपाल लड़के को लड़की बनाने का प्रयोग। खं० १८५, पृ० १०५।

भगवतीसिंह विशारद, श्री—

(अनु०)—अंग्रेजी का स्थान 'हिन्दी' को देने के लिये कार्य। खं० १८५, पृ० १००।

उन्नाव नगर में [illegible] पुलिस अध्यक्ष। खं० १८५, पृ० ३६३–३६४।

कानपुर के कुछ मुहल्लों में पानी के निकास का प्रबन्ध न होने की शिकायत। खं० १८५, पृ० ५१८–५१९।

(अनु०)—गवर्नमेंट हैण्डीक्राफ्ट को हानि पर चलाने में आपत्ति। खं० १८५, पृ० २७०।

(अनु०)—गोरखपुर में बिजली कम्पनी का ठेका। खं० १८५, पृ० ७७२।

(अनु०)—बरेली नगर की हाउस ऐलाटमेंट एडवाइजरी कमेटी। खं० १८५, पृ० ३४२–३४३।

बिक्री-कर से प्राप्त धन। खं० १८५, पृ० २६३।

(अनु०)—भोपाल हाउस रिफ्यूजी मार्केट, लखनऊ का किराया। खं० १८५, पृ० ३४१।

(अनु०)—राजकीय स्त्री चिकित्सालय, गोसाईगंज, जिला लखनऊ की महिला डाक्टर श्रीमती चन्द्रा के विरुद्ध शिकायत। खं० १८५, पृ० ३३५।

(अनु०)—विशेष पदाधिकारी, राजनीतिक पेंशन विभाग, लखनऊ का कांग्रेस कमेटी आजमगढ़, को पत्र। खं० १८५, पृ० ४२४।

(अनु०)—सरकारी हैण्डीक्राफ्ट की दूकान इन्दौर प्रदर्शनी में ले जाने पर व्यय। खं० १८५, पृ० २६५।

भजनलाल, श्री—

इटावा जिले की औरैया म्युनिसिपैलिटी जल-कल सहकारी समिति को सहायता देने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ५१९–५२०।

भुवनेशभूषण शर्मा, श्री—

(अनु०)—इटावा जिलान्तर्गत श्रम दान द्वारा निर्मित भर्थनाऊसराहार सड़क को पक्की करने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० १३।

[प्रश्नोत्तर--भुवनेश भूषण शर्मा, श्री--]

इटावा जिले के पारपट्टी क्षेत्र की विकास योजना। खं० १८५, पृ० ९-१०।

इटावा जिले में अहेरीपुर महोबा सड़क के निर्माण के लिये अनुदान की मांग। खं० १८५, पृ० २५५।

इटावा जिले मे डकैतियां। खं० १८५, पृ० ६५२।

इटावा जिले मे पुलिस के दारोगाओं और दीवानों का अधिक समय तक तबादला न होना। खं० १८५, पृ० ६४२-६४३।

(अनु०)--इटावा टी०बी० अस्पताल मे शय्याओं को बढ़ाने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० १०७।

(अनु०)--फर्रुखाबाद जिले मे अग्नि-पीड़ितों को सहायता। खं० १८५, पृ० १५।

मलगवां गोसदन, जिला इटावा मे गायों के इलाज की व्यवस्था। खं० १८५, पृ० ११५।

(अनु०)--राजकीय गोसदनों पर व्यय। खं० १८५, पृ० १०३।

ललितपुर आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत के बोर्ड आफ कंट्रोल का भंग होना। खं० १८५, पृ० २५३।

भूपकिशोर, श्री--

एटा जिले में पुराने थानेदार। खं० १८५ पृ० ६८।

ग्रामीण स्त्रियों को प्रौढ़ शिक्षा योजना के अन्तर्गत शिक्षा देने की व्यवस्था। खं० १८५, पृ० ६४१।

मदनगोपाल वैद्य, श्री--

(अनु०)--टांडा नहर चलाने के लिये पंपिंग सेट्स। खं० १८५, पृ० ४३६।

मदन पांडेय, श्री--

(अनु०)--आजमगढ़ जिले में सरकारी दूकानों पर सस्ता तथा बिक्री-कर-मुक्त अनाज बेचने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ५१०।

गोरखपुर जिले के कोठीभार थाने की पुलिस द्वारा सीमेंट पकड़ना। खं० १८५, पृ० ६४९।

गोरखपुर जिले के सिसवा बाजार की ड्रेनेज योजना। खं० १८५, पृ० ५१६-५१७।

गोरखपुर जिले में ग्राम वासियों को डाकू सरदार के धमकी भरे पत्र। खं० १८५, पृ० ६४९।

गोरखपुर जिले में थरमौली, बरगदवा व बरगदाही की डकैतियां। खं० १८५, पृ० ६४१-६४२।

गोरखपुर जिले में निचलौल तथा कोठीभार थानों के अन्तर्गत अपराध। खं० १८५, पृ० ६४९।

(अनु०)--जिला ऐंटीकरप्शन कमेटियों के अधिकार बढ़ाने के लिये सुझाव। खं० १८५, पृ० ७।

(अनु०)--टाउन एरियाओं के चुनाव के संबंध में जानकारी। खं० १८५, पृ० ५१२।

मन्नालाल, श्री--

खीरी जिला बोर्ड के अध्यापकों को वेतन न मिलने की शिकायत। खं० १८५, पृ० ६५१।

खीरी जिले के बरबर घाट, गोमती नदी पर पुल निर्माण योजना। खं० १८५, पृ० ३५२।

खीरी जिले में बनने वाली सड़कें। खं० १८५, पृ० ३५२-३५३।

ग्राम बढ़वारी मांग, जिला खीरी में फसल कटवा कर उठा ले जाने की घटना। खं० १८५, पृ० ६४०-६४१।

मालखानसिंह, श्री-

(अनु०)--सचिवालय के न्याय विभाग में छटनी। खं० १८५, पृ० ६६।

महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री--

(अनु०)--स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को पेंशन मिलने में विलम्ब। खं० १८५, पृ० ६३९-६४०।

महीलाल, श्री——

मुरादाबाद जिले मे धारा १०६ व ११० सी–आर० पी० सी० के अन्तर्गत चालान। खं० १८५, पृ० ६५०–६५१।

सूती मिल मुरादाबाद को पुनः चालू करने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० १०८।

मान्धातासिंह, श्री——

बलिया–गाजीपुर सड़क पर मंगई नदी के पुल निर्माण का आयोजन। खं० १८५, पृ० ५७३।

मिहरबानसिंह, श्री——

इटावा जिलान्तर्गत श्रमदान द्वारा निर्मित भर्थना–ऊसराहार सड़क को पक्की करने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० १३–१४।

इटावा जिले में नलकूप निर्माण कार्य न हो सकना। खं० १८५, पृ० २६७–२६८।

इटावा जिले में भर्थना टाउन एरिया का गन्दा पानी निकालने की व्यवस्था के लिये प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ३५।

इटावा टी०बी० अस्पताल में शय्याओं को बढ़ाने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० १०६–१०७।

मुकुटबिहारी अग्रवाल, श्री——

(अनु०)——टाउन एरियाओं के चुनाव के संबंध में जानकारी। खं० १८५, पृ० ५१३।

मुक्तिनाथ राय, श्री——

आजमगढ़ जिले में बाढ़पीड़ित क्षेत्र के छात्रों की सहायता। खं० १८५, पृ० ६५२।

पंचायतों के चुनाव में काम करने वाले जिला बोर्ड, आजमगढ़ के अध्यापकों को भत्ता न मिलना। खं० १८५, पृ० ३५७।

मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री——

पीलीभीत जिले की बीसलपुर तहसील से जंगलात के हकूक के लिये प्रार्थनापत्र। खं० १८५, पृ० ५२३।

मुन्नीधर कुरील, श्री——

(अनु०)——गोरखपुर जिले में सीमेंट वितरण की शिकायतें। खं० १८५, पृ० ३४८।

मोतीलाल अवस्थी, श्री——

आबकारी विभाग के कर्मचारियों को बस रुकवाकर तलाशी लेने का अधिकार। खं० १८५, पृ० ११।

मोहनलाल वर्मा, श्री——

(अनु०)——इटावा जिले में पुलिस के दारोगाओं और दीवानों का अधिक समय तक तबादला न होना। खं० १८५, पृ० ६४२।

(अनु०)——१९४२ के आन्दोलन में आजमगढ़ जिले मे जलाये गये मकानों का मुआवजा। खं० १८५, पृ० ६३३।

(अनु०)——गोरखपुर जिले में सीमेंट वितरण की शिकायतें। खं० १८५, पृ० ३४८।

अनु०——जालौन जिले में डी० एस०पी० कम्पलेंट्स द्वारा किये गये कार्य। खं० १८५, पृ० ६३४।

प्रारम्भिक कक्षाओं में निःशुल्क शिक्षा के लिये आदेश। खं० १८५, पृ० ४२१–४२२।

(अनु०)——बदायूं जिले में कोआपरेटिव फेडरेशन की बैलेंस शीट का न होना। खं० १८५, पृ० ३४६।

हरदोई जिले के बिलग्राम क्षेत्र में विधान सभा के उपचुनाव में बस का चालान। खं० १८५, पृ० ३४६।

हरदोई जिले में डिस्ट्रिक्ट कोओपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन की ओर से चालू भट्ठे। खं० १८५, पृ० ५०५।

हरदोई जिले मे डी०सी०डी०एफ० का सुपरसीड होना। खं० १८५, पृ० ३५५।

[प्रश्नोत्तर—मोहन लाल वर्मा, श्री—]
हरदोई जिले में डेरी खोलने के लिये तकावी। खं० १८५, पृ० ११६।

यमुनासिंह, श्री—
गाजीपुर के बाढ़ विभाग का तोड़ा जाना खं० १८५, पृ० २६४।
गाजीपुर जिले के अतिवृष्टि तथा बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में तकावी का वितरण। खं० १८५, पृ० १२–१३।
गाजीपुर जिले के जंगीपुर बाजार के लिये बिजली की मांग। खं० १८५, पृ० २६४।
गाजीपुर जिले के जंगीपुर बाजार में लगाये गये नल। खं० १८५, पृ० ३५०–३५१।
गाजीपुर जिले के सुलेमानपुर गांव में श्री शंकर जी के शिवालय के जीर्णोद्धार की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० १६।
गाजीपुर जिले में मैनपुरी—जमानिया घाट सड़क तथा गंगा पर पुल की आवश्यकता। खं० १८५, पृ० ५००।

यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा—
(अनु०)—अयोध्या शुगर मिल्स बिलारी, जिला मुरादाबाद द्वारा बदायूं यूनियन का पूरा गन्ना न पेरना। खं० १८५, पृ० २५६।
(अनु०)—आजमगढ़ जिले में सरकारी दूकानों पर सस्ता तथा बिक्री-कर मुक्त अनाज बेचने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ५१०।
(अनु०)—१९५२ व १९५७ के आम चुनावों पर व्यय। खं० १८५, पृ० ५०१।
(अनु०)—काशीपुर शुगर फैक्ट्री से संबंधित भ्रष्टाचार की शिकायतें। खं० १८५, पृ० २६२।
(अनु०)—गवर्नमेंट हैन्डीक्राफ्ट को हानि पर चलाने में आपत्ति। खं० १८५, पृ० २७०।
जौनपुर जिले में कत्ल व डकैतियां। खं० १८५, पृ० ६४६।
(अनु०)—जौनपुर जिले में सस्ते अनाज की दूकानें। खं० १८५, पृ० ५११।
(अनु०)—दिल्ली में एडवोकेट आन रेकार्ड के कार्यालय तथा आवास गृह की योजना। खं० १८५, पृ० ६७।
देवरिया में समाजवादी सत्याग्रहियों पर कथित पुलिस आक्रमण। खं० १८५ पृ० ६४५।
श्री धनपति सिंह टंडन, आनरेरी मजिस्ट्रेट, शाहगंज बेंच, जिला जौनपुर की नियुक्ति पर आपत्ति। खं० १८५ पृ० ५१७–५१८।
(अनु०)—नैनी इंडस्ट्रियल कालोनी के उद्योगपतियों को ऋण। खं० १८५, पृ० १०२।
(अनु०)—बुलन्दशहर जिले में उद्योग धंधों के लिये दिया गया धन। खं० १८५ पृ० २६६।
(अनु०)—मऊ पावर हाउस के गन्दे पानी की निकासी का ड्रेन टूट जाना। खं० १८५, पृ० २५५।
(अनु०)—विधायक निवास में अनधिकृत सदस्यों के रहने पर आपत्ति। खं० १८५, पृ० २६०।
विश्वविद्यालय अनुदान समिति के पुनर्संगठन पर विचार। खं० १८५, पृ० ६५३।
(अनु०)—सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने का सुझाव। खं० १८५, पृ० १११।
(अनु०)—सरकारी हैन्डीक्राफ्ट की दुकान इन्दौर प्रदर्शनी में ले जाने पर व्यय। खं० १८५, पृ० २६५।
सहारनपुर जिले के अब्दुल्ला ग्राम की डकैती। खं० १८५ पृ० ६५३।

रणबहादुरसिंह, श्री—
रामबरन डाकू की मृत्यु के पश्चात् घटनास्थल पर नोट और सोना मिलना। खं० १८५, पृ० ६४६।

रमेशचन्द्र शर्मा, श्री—
(अनु०)—गोरखपुर जिला अदालतों में गांव सभाओं के मुकदमों की पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों व मुख्तारों को मेहनताने का न मिलना। खं० १८५, पृ० ३३६।

राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री—
गोंडा जिले के बभनीपायर परगने में चिकित्सालय का न होना। खं० १८५, पृ० ११५।

राजकुमार शर्मा, श्री—
चुनार जिला मिर्जापुर में नजूल की भूमि से किसानों को बेदखली की शिकायत। खं० १८५, पृ० ५२०।
मिर्जापुर जिले की दुद्धी तहसील में लाख उत्पादन तथा व्यवसाय के संबंध में जांच। खं० १८५, पृ० २०।
मिर्जापुर जिले में बाढ़ पत्थर तथा गेरुई रोग से क्षति ग्रस्त क्षेत्र में सहायता। खं० १८५, पृ० ११–१२।
मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव कराने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ५०२।

राजाराम शर्मा, श्री—
ट्यूबवेल आपरेटरों की भरती। खं० १८५, पृ० २७२–२७३।

राजेंद्रसिंह, श्री—
एटा में सड़कें न बनने की शिकायत। खं० १८५, पृ० ५०८।

रामअधार तिवारी, श्री—
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कानपुर मेडिकल कालेज की स्थापना। खं० १८५, पृ० ११०।
प्रतापगढ़ रायबरेली रोड पर बस सर्विस की योजना। खं० १८५, पृ० २४।

रामकिंकर, श्री—
पी०बी० कालेज, प्रतापगढ़ के हरिजन छात्रावास को सहायता देने का विचार। खं० १८५, पृ० १०७–१०८।
प्रतापगढ़ जिले के [illegible] ब्लाकों में लिये गये हरिजन [illegible] खं० १८५, पृ० ६१।
प्रतापगढ़ तथा सुल्तानपुर जिलों में नवीन हरिजन मन्दिरों को [illegible] अनुदान का न मिलना। खं० १८५, पृ० १०७।

रामकृष्ण सारस्वत, श्री—
(अनु०)—जिला ऐंटी करप्शन कमेटियों के अधिकार बढ़ाने के लिये सुझाव। खं० १८५, पृ० ७।
विधायकों, मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा सभासचिवों के आवास की व्यवस्था। खं० १८५, पृ० ६।

रामगोपालगुप्त, श्री—
प्रादेशिक कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत कार्यों की त्रुटियों के संबंध में अभिकथित रिपोर्ट। खं० १८५, पृ० १८–१९।
हमीरपुर जिले की इमिलिया डिस्पेंसरी में डाक्टर का न होना। खं० १८५, पृ० ११४।
हमीरपुर जिले की मौदहा टाउन एरिया में गंदगी को दबाने का प्रबन्ध न होना। खं० १८५, पृ० ५२३।
हमीरपुर जिले की मौदहा तहसील में वनगायों को पकड़वाने की योजना। खं० १८५, पृ० ११०–१११।

रामचन्द्र विकल, श्री—
(अनु०)—जिला ऐंटी करप्शन कमेटियों के अधिकार बढ़ाने के लिये सुझाव। खं० १८५, पृ० ७।
द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत चिकित्सालय भवन निर्माण योजना। खं० १८५, पृ० ११३।
बुलन्दशहर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का वितरण। खं० १८५, पृ० ४२८।
बुलन्दशहर जिले में उद्योग धंधों के लिये दिया गया धन। खं० १८५, पृ० २६८–२६९।

[प्रश्नोत्तर---रामचन्द्र विकल, श्री---]

बुलन्दशहर जिले मे द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उद्योग धंधों को बढ़ाने की योजना। खं० १८५, पृ० २६८।

बुलन्दशहर जिले में पक्की की जाने वाली सड़कें। खं० १८५, पृ० ५१५-५१६।

'भेड़िया बच्चा रामू' के सम्बन्ध मे जानकारी। खं० १८५, पृ० ११२।

(अनु०)---सरोजिनी नायडू अस्पताल आगरा में रामपाल लड़के को लड़की बनाने का प्रयोग। खं० १८५, पृ० १०५।

रामजी सहाय, श्री---

राप्ती-सरयू कटाव निरोधक उपायों की आवश्यकता। खं० १८५, पृ० ४४०।

रामदास आर्य, श्री---

(अनु०)---भारी उद्योगों के खुलने वाले कारखाने। खं० १८५, पृ० २६६।

रामदीन, श्री---

मैनपुरी जिले की भोगांव तहसील मे ओला पीड़ितों को सहायता। खं० १८५, पृ० २६-२७।

रामनारायण त्रिपाठी, श्री---

फैजाबाद जिले के थाना कोतवाली मे हत्याओं तथा थाना जलालपुर मे डकैतियों की अधिकता। खं० १८५, पृ० ६४८-६४९।

फैजाबाद जिले में हाकिम तहसीलों के विचाराधीन मुकदमें। खं० १८५, पृ० १९-२०।

रामलक्षण तिवारी, श्री---

काल्विन हास्पिटल, इलाहाबाद, में एक बैंक एकाउण्टेण्ट की मृत्यु। खं० १८५, पृ० ४२१।

रामलखन मिश्र, श्री---

(अनु०)---गोरखपुर जिला अदालतों में गांव सभाओं के मुकदमों की पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों व मुख्तारों को मेहनताने का न मिलना। खं० १८५, पृ० ३३९।

राम लाल, श्री---

नगरपालिका, बस्ती को अधिक्रांत करने पर विचार। खं० १८५, पृ० ९८।

नगरपालिका, बस्ती में चैयरमैन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव। खं० १८५, पृ० ९८।

रामशरण यादव, श्री---

हाथ करघे के बने कपड़ों पर कोआपरेटिव द्वारा बिक्री पर छूट। खं० १८५, पृ० ४२२।

राम सनेही भारतीय, श्री---

बांदा जिले की बबेरू-अतर्रा रोड के निर्माण की योजना। खं० १८५, पृ० ३५५।

रामसिंह चौहान, वैद्य---

(अनु०)---अंग्रेजी का स्थान 'हिन्दी' को देने के लिये कार्य। खं० १८५, पृ० १००।

(अनु०)---गवर्नमेंट हैन्डीक्राफ्ट को हानि पर चलाने में आपत्ति। खं० १८५, पृ० २७०।

प्रश्नों के उत्तर एक दिन पूर्व न मिलने की शिकायत। खं० १८५, पृ० ९७।

रामसुन्दर पांडेय, श्री---

आजमगढ़ जिलान्तर्गत दोहरीघाट पम्प नहर में ली गई अयमा गांव पवनी की भूमि का मुआवजा। खं० १८५, पृ० २५५-२५६।

आजमगढ़ जिले के गांव समाजों को दिये गये धन के हिसाब में गड़बड़ी। खं० १८५, पृ० ५०२-५०४।

आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी के कटाव से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता। खं० १८५, पृ० ८-९।

आजमगढ़ जिले में "चंवर ताल" योजना। खं० १८५, पृ० २५६।

आज़मगढ़ जिले में मधुबन–बिल्थरा रोड के नीचे गयी ज़मीन का मुआवज़ा न मिलने की शिकायत। खं० १८५, पृ० ५०१।

(अनु०)—आज़मगढ़ जिले में सरकारी दूकानों पर सस्ता तथा नियंत्रित-मूल्य अनाज बेचने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ५०६, ५१०।

आज़मगढ़ जिले में हाहानाला पर रेगुलेटर लगाने में विलम्ब। खं० १८५, पृ० २५६।

आम चुनाव के समय ज़िला बोर्ड आज़मगढ़ के अध्यापकों का तबादला। खं० १८५, पृ० ६२८–६२९।

(अनु०)—१९५२ व १९५७ के आम चुनावों पर व्यय। खं० १८५, पृ० ५०२।

(अनु०)—गवर्नमेंट हेन्डीक्राफ्ट को हानि पर चलाने में आपत्ति। खं० १८५, पृ० २७०।

ग्रामोन्नति सहकारी भंडार, कमल सागर, जिला आजमगढ़ का आवेदन-पत्र। खं० १८५, पृ० ६२८।

जिला पंचायत कार्यालय, आजमगढ़ में हुये गबन की जांच की मांग। खं० १८५, पृ० ९५।

(अनु०)—नगरपालिका, बस्ती में चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव। खं० १८५, पृ० ९८।

(अनु०)—मऊ पावर हाउस के गन्दे पानी की निकासी का ड्रेन टूट जाना। खं० १८५, पृ० २५४–२५५।

(अनु०)—राजकीय स्त्री-चिकित्सालय गोसाईंगंज, जिला लखनऊ की महिला डाक्टर श्रीमती चन्द्रा के विरुद्ध शिकायत। खं० १८५, पृ० ३३५।

(अनु०)—रामपुर बैंक डकैती केस से सम्बन्धित कम्युनिस्ट बन्दी बग्गा सिंह की सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में मृत्यु। खं० १८५, पृ० ६३२।

रेलवे इंजिन [illegible] कारखाना स्थापित करने के लिये वाराणसी जिले के गांव ककरमत्ता में भूमि लेने का निश्चय। खं० १८५, पृ० ६३१।

वाराणसी के [illegible] के [illegible] के अन्तर्गत [illegible]। खं० १८५, पृ० ६४६

[illegible], [illegible] विभाग, लखनऊ का कांग्रेस कमेटी आज़मगढ़ को पत्र। खं० १८५, पृ० ४२३–४२४।

(अनु०)—सामान्य, वित्त तथा सार्वजनिक सचिवालयों में सहायक सचिवों की पदोन्नति के सम्बन्ध में जानकारी। खं० १८५, पृ० २२।

रामसूरतप्रसाद, श्री—

गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में सहायता देने के लिये समिति बनने का सुझाव। खं० १८५, पृ० ६४७।

विधायकों, मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा सभा सचिवों के आवास की व्यवस्था। खं० १८५, पृ० ४६।

रामस्वरूप वर्मा, श्री—

अंग्रेजी का स्थान 'हिन्दी' को देने के लिये कार्य। खं० १८५, पृ० ९९–१००।

(अनु०)—इटावा जिले में पुलिस के दारोगाओं और दीवानों का अधिक समय तक तबादला न होना। खं० १८५, पृ० ६४२।

कानपुर जिले में अमरौधा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बम्हरौली घाट में सार्वजनिक कुएं का निर्माण। खं० १८५, पृ० ९।

(अनु०)—कृषि फार्म, माधुरी कुण्ड के ट्रैक्टर। खं० १८५, पृ० १०६।

(अनु०)—खीरी जिले में मंझरा तथा अन्देशानगर कृषि फार्मों के आय-व्यय का लेखा। खं० १८५, पृ० १०९।

[प्रश्नोत्तर---रामस्वरूप वर्मा, श्री---]

(अनु०)---झांसी जिले में विलीन रियासतों के पेन्शनर्स को महंगाई भत्ता देने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ४३३।

(अनु०)---टाडां नहर चलाने के लिये पम्पिंग सेट्स। खं० १८५, पृ० ४३६।

राजकीय बीज भंडार के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनवाने की प्रर्थना। खं० १८५, पृ० ११०।

राजनीतिक बंदियों को जेल में सुविधायें देने का सुझाव। खं० १८५, पृ० २५३।

रासायनिक खादों को सस्ते भाव में देने का विचार। खं० १८५, पृ० ११८—११९।

(अनु०)---सोहावल बिजली घर से नलकूपों को पर्याप्त बिजली न मिलना। खं० १८५, पृ० ४३५।

(अनु०)---हमीरपुर जिले की मौदहा तहसील में वनगायों को पकड़वाने की योजना। खं० १८५, पृ० १११।

रामहेतसिंह, श्री---

अम्बर चर्खे द्वारा काटन इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की योजना। खं० १८५, पृ० २५७।

कृषि फार्म, माधुरी कुण्ड के ट्रैक्टर। खं० १८५, पृ० १०५—१०६।

कोसी नगरपालिका को अनुदान। खं० १८५, पृ० ३५७—३५८।

मथुरा जिले के उद्योग धंधे। खं० १८५, पृ० २७४—२७५।

मथुरा जिले में खैराल रूपनगर खादर क्षेत्र में जंगलात के कारण डकैतियां। खं० १८५, पृ० ६५१।

मथुरा जिले में माल विभाग के मुकदमों के फैसले में देरी। खं० १८५, पृ० १२।

सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा में रामपाल लड़के को लड़की बनाने का प्रयोग। खं० १८५, पृ० १०४—१०५।

(अनु०)---हमीरपुर जिले में सिंचाई की शरह में कमी के लिये प्रार्थना। खं० १८५, पृ० २७१।

रामेश्वर प्रसाद, श्री---

विधायकों, मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा सभा सचिवों के आवास की व्यवस्था। खं० १८५, पृ० ६।

लक्ष्मणराव कदम, श्री---

आगरा जिले में खजानों का काम तहसीलदारों के सुपुर्द करना। खं० १८५, पृ० २७६।

झांसी जिले मे विलीन रियासतों के पेन्शनर्स को महंगाई भत्ता देने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ४३२—४३३।

झांसी में चेचक का प्रकोप। खं० १८५, पृ० १०१।

प्रान्तीय रक्षक दल का विघटन करने का विचार। खं० १८५, पृ० ३३५—३३६।

ललितपुर डिवीजन में डकैतियों से धन-जन की हानि। खं० १८५, पृ० ६५३।

विधायक निवास में अनधिकृत सदस्यों के रहने पर आपत्ति। खं० १८५, पृ० २५९—२६०।

(अनु०)---सरोजनी नायडू अस्पताल आगरा में, रामपाल लड़के को लड़की बनाने का प्रयोग। खं० १८५, पृ० १०४।

स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को पेंशन मिलने में विलम्ब। खं० १८५, पृ० ६३९—६४०।

लालबहादुरसिंह, श्री---

तीन वर्ष डिग्री कोर्स की योजना के सम्बन्ध में जानकारी। खं० १८५, पृ० ६२७।

वासुदेव दीक्षित, श्री---

फतेहपुर जिले की खागा तहसील में बिजली देने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० २७४।

विद्यावती सुमन, श्रीमती—
टेहरी–गढ़वाल की पट्टी बड़ियारगढ़ के वर्षा से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता। खं० १८५, पृ० ४२०, –४२३।

विश्रामराय, श्री—
आजमगढ़ जिला निरीक्षक के कार्यालय से हायर सेकेंडरी स्कूलों के पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति। खं० १८५, पृ० ११६।
आजमगढ़ जिले में राजकीय प्राइमरी स्कूलों को भवन निर्माणार्थ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सहायता न मिलना। खं० १८५, पृ० ६५०।
आजमगढ़ जिले में सरकारी दूकानों पर सस्ता तथा बिक्री कर-मुक्त अनाज बेचने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ५०८–५११।
आजमगढ़ जिले में स्थायी जिला नियोजन एवं जिला पंचायत अधिकारी न होना। खं० १८५, पृ० ११।
हिन्दी परामर्शदात्री समिति के पुनः संगठन पर विचार। खं० १८५, पृ० ६४६–६४७।

वीरसेन, श्री—
(अनु०)—सरोजिनी नायडू अस्पताल आगरा में, रामपाल, लड़के को लड़की बनाने का प्रयोग। खं० १८५, पृ० १०५।

वीरेन्द्र वर्मा, श्री—
(अनु०)—अयोध्या शुगर मिल्स, बिलारी, जिला मुरादाबाद द्वारा बदायूं यूनियन का पूरा गन्ना न पेरना। खं० १८५, पृ० २५६।
(अनु०)—काशीपुर शुगर फैक्ट्री से सम्बन्धित भ्रष्टाचार की शिकायतें। खं० १८५, पृ० २६१।
(अनु०)—भारी उद्योगों के खुलने वाले कारखाने। खं० १८५, पृ० २६६।
(अनु०)—मंझरा फार्म, जिला खीरी में सरकारी गन्ने की चोरी। खं० १८५, पृ० १०४।
मुजफ्फरनगर जिले में अति वृष्टि। खं० १८५, पृ० ६८।
मुजफ्फरनगर जिले में सिंचित भूमि। खं० १८५, पृ० ४२६।
मुजफ्फरनगर जिले में सीमेंट का वितरण। खं० १८५, पृ० ३५३।
(अनु०)—राजकीय गोसदनों पर व्यय। खं० १८५, पृ० १०३।
(अनु०)—राज्य में दूसरी सीमेंट फैक्ट्री खोलने के लिये अन्वेषण। खं० १८५, पृ० २७३।
वाटर सप्लाई ऐन्ड ड्रेनेज स्कीम के अन्तर्गत नगरपालिकाओं को ऋण। खं० १८५, पृ० ५०४।
सहारनपुर–बागपत सड़क के निर्माण में प्रगति। खं० १८५, पृ० ३५८।
स्वास्थ्य मंत्री दान कोष में रखी हुई रकम का कवाल टाउन्स में वितरण। खं० १८५, पृ० ११४।
(अनु०)—हमीरपुर जिले की मौदहा तहसील में वनगायों को पकड़वाने की योजना। खं० १८५, पृ० १११।

वीरेन्द्र शाह, राजा—
जालौन जिले में डी० एस० पी० (कन्सलेंट्स) द्वारा किये गये कार्य। खं० १८५, पृ० ६३३–६३४।
जालौन जिले में देहाती क्षेत्र का सीमेंट कोटा अलग करने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ३५४।
जालौन जिले में विलीन क्षेत्र के स्कूलों के अध्यापक। खं० १८५, पृ० ६५१।
प्रान्तीय रक्षक दल के कर्मचारियों के कार्य। खं० १८५, पृ० २०–२१।
भ्रष्टाचार विरोधी समिति, जालौन, के कार्य। खं० १८५, पृ० २८–२९।

व्रज विहारी मेहरोत्रा, श्री—
(अनु०)—गोरखपुर जिला अदालतों में गांव सभाओं के मुकदमों की पैरवी करनेवाले सरकारी वकीलों व मुख्तारों को मेहनताने का न मिलना। खं० १८५, पृ० ३३९।

[[illegible] —श्री [illegible] बिहारी [illegible] श्री—]

(अनु०)—[illegible] एजेन्टी [illegible] कर्मचारियों के [illegible] पाने के लिये सुझाव। खं० [illegible] पृ० [illegible]।

[illegible]—

[illegible]

(अनु०)—[illegible]

(अनु०)—[illegible] सस्ता तथा [illegible] अनाज [illegible] की [illegible]। खं० १८५, पृ० [illegible]।

(अनु०)—[illegible] जिले में पुलिस के दारोगा और दीवानों का अधिक समय तक तबादला न होना। खं० १८५, पृ० ६४०।

(अनु०)—इलाहाबाद जिले के देहाती इलाके में आग बुझाने का स्थायी प्रबन्ध करने का सुझाव। खं० १८५, पृ० [illegible]।

(अनु०)—१९४२ के आन्दोलन में आजमगढ़ जिले में जलाये गये मकानों का मुआवजा। खं० १८५, पृ० ६३३।

(अनु०)—कृषि फार्म, माधुरी कुण्ड के ट्रैक्टर। खं० १८५, पृ० १०६।

(अनु०)—खीरी जिले में मझरा तथा [illegible] कृषि फार्मों के आय-व्यय का लेखा। खं० १८५, पृ०

(अनु०)—गोरखपुर जिले में सीमेंट वितरण की शिकायतें। खं० १८५, पृ० ३४८।

(अनु०)—चकबन्दी योजना को अन्य जिलों में लागू करने के संबंध में पूछताछ। खं० १८५, पृ० ६२७—६२८।

(अनु०)—चुर्क सीमेंट फैक्टरी का उत्पादन। खं० १८५, पृ० ४३९।

(अनु०)—जालौन जिले में डी० एम० ए० (मजिस्ट्रेट) द्वारा किये गये कार्य। खं० १८५, पृ० ६३४

(अनु०)—[illegible] तथा आनरेरी मजिस्ट्रेट [illegible] बोर्ड की अदालतें। खं० १८५, पृ० [illegible]

(अनु०)—[illegible] के संबंध में जानकारी। खं० १८५, पृ० [illegible]।

(अनु०)—[illegible] खं० १८५, पृ० [illegible]।

(अनु०)—[illegible] के संबंध में सिविल सर्जन की रिपोर्ट। खं० १८५, पृ० ६२६।

(अनु०)—बरेली जिले में सीमेंट का वितरण। खं० १८५, पृ० ५०१।

(अनु०)—मझरा फार्म, जिला खीरी में सरकारी गन्ने की चोरी। खं० १८५ पृ० १०४।

(अनु०)—राजभवन, विधान भवन विधायक निवास एवं मन्त्रियों के निवास स्थानों की देखभाल करनेवाले कर्मचारियों का वेतन। खं० १८५ पृ० [illegible]।

(अनु०)—रामपुर बैंक डकैती केस में कम्युनिस्ट बन्दी [illegible] का सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा, में मृत्यु। खं० १८५ पृ० ६३२।

(अनु०)—रेल इन्जिन पुर्जा कारखाना स्थापित करने के लिये वाराणसी जिले के गांव कुकरमुत्ता में भूमि लेने का निश्चय। खं० १८५ पृ० ४३१।

(अनु०)—लखीमपुर में सम्पूर्णानगर उपनिवेश में ली गई जमीन का मुआवजा। खं० १८५पृ० १०६।

(अनु०)—सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा, में रामपाल लड़के को लड़की बनाने का प्रयोग। खं० १८५, पृ० १०५।

[illegible]सिंह, श्री—

(अनु०)—बलिया जिले में अग्नि-पीड़ितों को सहायता। खं० १८५, पृ० १७।

[illegible] जंगबहादुर, श्री—

इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन मुकदमे। खं० १८५, पृ० ३४५–३४६।

बरेली जिले की नवाबगंज तहसील में आग लगने से क्षति। खं० १८५, पृ० २८।

बरेली जिले में क्रशर लगाने के लिये सहायता न मिलना। खं० १८५, पृ० ४७९।

बरेली जिले में नदियों पर बनने वाले पुल। खं० १८५, पृ० ३५४।

बरेली जिले में सीमेंट का वितरण। खं० १८५, पृ० ५०४–५०५।

शिवराज सिंह यादव, श्री—

अयोध्या शुगर मिल्स बिलारी, जिला मुरादाबाद, द्वारा बदायूं यूनियन का पूरा गन्ना न पेरना। खं० १८५, पृ० २५८–२५९।

बदायूं जिले में कोआपरेटिव यूनियन्स द्वारा लगाये गये नलकूप। खं० १८५, पृ० २७।

श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी—

भूतपूर्व अपराधशील जातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें। खं० १८५, पृ० ११९–१२०।

(अनु०—) ———विधायक निवास से अनधिकृत सदस्यों के रहने पर आपत्ति। खं० १८५, पृ० ७६०।

श्री कृष्णदत्त पालीवाल, श्री—

आगरा छावनी बोर्ड के अध्यापक मंडल का प्रस्ताव। खं० १८५, पृ० ५१९।

आगरा कैन्टूनमेंट बोर्ड के अध्यापकों को प्राविडेंट फंड का न मिल सकना। खं० १८५, पृ० ५१३–५१६।

आगरा म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा नियुक्त विज्ञान अध्यापकों का हटाया जाना। खं० १८५, पृ० ५२८।

इटावा जिले के नहर विभाग में अमीन व पतरौल के चुनाव में परिगणित जाति के व्यक्ति न लेने पर आपत्ति। खं० १८५, पृ० ४३६।

इटावा जिले में पुलिस कान्स्टेबिलों की भर्ती में परिगणित जाति के व्यक्तियों का न लिया जाना। खं० १८५, पृ० ६३८।

(अनु०)—उन्नाव नगर में बारातियों पर पुलिस अत्याचार। खं० १८५, पृ० ६४५।

(अनु०)—पुलिस कान्स्टेबिलों एवं हेड कान्स्टेबिलों की यूनियन, अधिक कार्य के लिए भत्ता तथा पदोन्नति के संबंध में पूछताछ। खं० १८५, पृ० ६३६।

(अनु०)—बरेली नगर की हाउस एलाटमेंट एडवाइजरी कमेटी। खं० १८५, पृ० २८७।

स्टेट वैक्सीन इन्स्टीट्यूट पटवाडांगर से संबंधित शिकायतें। खं० १८५, पृ० ११८।

हिन्दू-मुस्लिम बताशा एसोसिएशन, नूरी दरवाजा, का प्रार्थना-पत्र। खं० १८५, पृ० ४३७।

श्रीनाथ, श्री—

राजभवन, विधान भवन, विधायक निवास एवं मंत्रियों के निवास स्थानों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों का वेतन। खं० १८५, पृ० ४४०।

श्रीपाल सिंह, कुंवर—

(अनु०)—इटावा जिले में पुलिस कांस्टेबिलों की भर्ती में परिगणित जाति के व्यक्तियों का न लिया जाना। खं० १८५, पृ० ६३८।

गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मसौदपुर जिला जौनपुर, को केन्द्र से सहायता। खं० १८५, पृ० ६४५–६४६।

[प्रश्नोत्तर——श्रीपालसिंह, कुंवर——]

जौनपुर जिले में सस्ते अनाज की दूकानें। खं० १८५, पृ० ५११।

(अनु०)——नैनी इंडस्ट्रियल कालोनी के उद्योगपतियों को ऋण। खं० १८५, पृ० १०३।

(अनु०)——लखीमपुर में सम्पूर्णानगर उपनिवेश में ली गयी जमीन का मुआवजा। खं० १८५, पृ० १०६।

सज्जन देवी महनोत, श्रीमती——

मिडवाइफ के ट्रेनिंग सेंटर बढ़ाने का विचार। खं० १८५, पृ० ११६।

सुखराम दास, श्री——

फैजाबाद जिले की टांडा तहसील में राशनिंग की दूकानें खोलने के लिए आदेश। खं० १८५, पृ० ३५०।

सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री——

(अनु०)——झांसी जिले में विलीन रियासतों के पेन्शनर्स को महंगाई भत्ता देने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ४३३।

(अनु०)——टाउन एरियाओं के चुनाव के संबंध में जानकारी। खं० १८५, पृ० ५१२।

सुरथ बहादुर शाह, श्री——

(अनु०)——प्लानिंग आफिसर, श्री उमेश दत्त शुक्ल, के शाहजहांपुर जिले में अधिक समय तक रहने पर आपत्ति। खं० १८५, पृ० १८।

सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री——

अमरीकन इन्फार्मेशन सर्विस के लोगों द्वारा रिहंन्द बांध के चित्र लेना। खं० १८५, पृ० ४३४–४३५।

दिल्ली में 'एडवोकेट आन रेकार्ड' के कार्यालय तथा आवास-गृह की योजना। खं० १८५, पृ० ६६–९७।

पी० डब्ल्यू० डी० संबंधी एस्टीमेट्स कमेटी की सिफारिशें। खं० १८५, पृ० ३५६।

प्राइवेट स्कूलों के अस्थायी अध्यापकों को गर्मी की छुट्टियों से पहले हटा देने की शिकायत। खं० १८५, पृ० ६५२।

राज्य में दूसरी सीमेंट फैक्ट्री खोलने के लिए अन्वेषण। खं० १८५ पृ० २७३।

रुई उत्पादन प्रचार पर वार्षिक व्यय। खं० १८५, पृ० ११७।

शिक्षा शुल्क न लेने के संबंध में कथित आदेश। खं० १८५ पृ० ६५१।

सेक्रेटरिएट रिआर्गनाइजेशन स्कीम। खं० १८५, पृ० ३३३–३३४।

सेल्स टैक्स संबंधी विज्ञप्ति का हाई कोर्ट द्वारा अवैध करार दिया जाना। खं० १८५, पृ० २७४।

हैण्डीक्राफ्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिये सहकारी समितियां स्थापित करने का विचार। खं० १८५, पृ० ४३७–४३८।

सुल्तान आलम खां, श्री——

(अनु०)——प्रान्तीय रक्षक दल का विघटन करने का विचार। खं० १८५, पृ० ३३६।

सूरत चन्द्र रमोला, श्री——

जिला सहकारी अधिकारी, टेहरी-गढ़वाल का डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन के सेक्रेटरी का काम करना। खं० १८५, पृ० ५२०।

टेहरी-गढ़वाल जिले में डी० एफ० ओ० टौंस डिवीजन के कैम्प मजदूर लालदास की मृत्यु। खं० १८५, पृ० ५१५।

सूर्यबली पांडेय, श्री——

देवरिया जिलान्तर्गत केन यूनियन हाटा, पिपराइच तथा कप्तानगंज द्वारा दसगुना की मद में जमा रकम। खं० १८५, पृ० २३–२४।

हरदयाल सिंह, श्री——

शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद परगने में बाढ़पीड़ितों को गृह निर्माणार्थ सहायता। खं० १८५, पृ० २४–२५।

हरिश्चन्द्र सिंह, श्री——

बदायूं जिले के कुछ गांवों में फैली लैथरिज्म बीमारी के संबंध में सिविल सर्जन की रिपोर्ट। खं० १८५, पृ० ४२४–४२६।

हुकुम सिंह, श्री——
विदेशी शासकों की मूर्तियां संग्रहालय में रखने का आदेश । खं० १८५, पृ० २८ ।

होरीलाल यादव, श्री——
फर्रुखाबाद जिले के दारापुर बरेंठी गांव से चकबन्दी के खिलाफ शिकायत । खं० १८५, पृ० १५—१६ ।

फर्रुखाबाद जिले में अग्निपीड़ितों को सहायता । खं० १८५, पृ० १४—१५ ।

प (क्रमागत)

प्रस्ताव——
प्र० वि०——आगरा छावनी बोर्ड के अध्यापक मंडल का———। खं० १८५, पृ० ५१४ ।

प्राइमरी (स्कूलों)——
प्र० वि०—— ———व जूनियर हाई स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण । खं० १८५, पृ० ६४८ ।

प्राइवेट प्रैक्टिस——
प्र० वि०——सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों की———बन्द करने का सुझाव । खं० १८५, पृ० १११ ।

प्राइवेट स्कूलों——
प्र० वि०———के अस्थायी अध्यापकों को गर्मी की छुट्टियों से पहले हटा देने की शिकायत । खं० १८५, पृ० ६५२ ।

प्रादेशिक कर्मचारियों——
———को डाक व तार कार्यालयों में काम करने की आज्ञा देने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० ३६३-३६४ ।

प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें——
१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या ३६——लेखा शीर्षक ५४-क——तथा ५४-ख——भारतीय शासकों के निजी खर्च तथा भत्ते । खं० १८५, पृ० ४४५ ।

प्रान्तीय रक्षक दल——
प्र० वि०—— ———का विघटन करने का विचार । खं० १८५, पृ० ३३५-३३६ ।

प्रारम्भिक कक्षाओं——
प्र० वि० ————[illegible] लिये [illegible] खं० पृ० [illegible]

प्रार्थना——
प्र० वि०——इटावा जिले की औरैया म्युनिसिपैलिटी जल कल सहकारी समिति को सहायता देने की———। खं० १८५, पृ० ५१६-५२० ।

प्र० वि०——इटावा जिले में भर्थना टाउन एरिया का गन्दा पानी निकालने की व्यवस्था के लिए ———। खं० १८५, पृ० ३५५ ।

प्र० वि०——इटावा टी० बी० अस्पताल में शय्याओं को बढ़ाने की———। खं० १८५, पृ० १०६—१०७ ।

प्र० वि०——झांसी जिले के खेतिहर मजदूरों की दशा सुधारने के लिये ———। खं० १८५, पृ० १०८ ।

प्र० वि०——झांसी जिले में विलीन रियासतों के पेन्शनर्स को महंगाई भत्ता देने की———। खं० १८५, ४३२-४३३ ।

प्र० वि०——फतेहपुर जिले की खागा तहसील में बिजली देने की———। खं० १८५, पृ० २७४ ।

प्र० वि०——मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव कराने की———। खं० १८५, पृ० ५०० ।

प्र० वि०——रुड़की-बद्रीनारायण मार्ग पर पुलों को चौड़ा करने की———। खं० १८५, पृ० ५२३ ।

प्र० वि०——सूती मिल मुरादाबाद को पुनः चालू करने की———। खं० १८५, पृ० १०८ ।

प्र० वि०——हमीरपुर जिले में सिंचाई की शरह में कमी के लिये———। खं० १८५, पृ० २७१ ।

प्रार्थना-पत्र——
प्र० वि०——ग्राम तहिरापुर, थाना दोहरी घाट, जिला आजमगढ़, के निवासियों का———। खं० १८५, पृ० ३४७ ।

[प्रार्थना-पत्र---]

प्र० वि०---पीलीभीत जिले की बीसलपुर तहसील से जंगलात के हकूक के लिये------ । खं० १८५, पृ० ५२३ ।

प्र० वि०---हिन्दू-मुस्लिम बताशा एसोसिएशन नूरी दरवाजा का------। खं० १८५, पृ० ४३७ ।

प्राविडेंट फंड---

प्र० वि०---आगरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों को------का न मिल सकना । खं० १८५, पृ० ५१३-५१४ ।

प्रेसीडेंट---

प्र० वि०------, नोटीफाइड एरिया कमेटी, राम नगर, के विरुद्ध शिकायतों की जांच रिपोर्ट । खं० १८५, पृ० ५२० ।

प्रौढ़ शिक्षा योजना---

प्र० वि०---ग्रामीण स्त्रियों को------के अन्तर्गत शिक्षा देने की व्यवस्था । खं० १८५, पृ० ६४१ ।

प्लान---

प्र० वि०---आगरे के डेवलपमेंट ट्रस्ट लिमिटेड का हाउस बिल्डिंग------। खं० १८५, पृ० ५०६ ।

प्लानिंग अफसर---

प्र० वि०------श्री उमेश दत्त शुक्ल के शाहजहांपुर जिले में अधिक समय तक रहने पर आपत्ति । खं० १८५, पृ० १८ ।

फ

फसल---

प्र० वि०---ग्राम बढ़वारी मांग, जिला खीरी, में------कटवा कर उठा ले जाने की घटना । खं० १८५, पृ० ६४०-६४१ ।

फीरोजाबाद-कोटला सड़क---

प्र० वि०------की खराब हालत तथा फीरोजाबाद तहसील में शंकरपुर में यमुना पर पुल की आवश्यकता । खं० १८५, पृ० ३३९-३४० ।

फ्लड शेल्टर---

प्र० वि०---टाउन हायर सेकेन्डरी स्कूल मुहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़, में------न बन सकना । खं० १८५, पृ० ६५० ।

ब

बंजर भूमि---

प्र० वि०---रायबरेली जिले में ग्राम समाज बुधबन, गोविन्दपुर पूरनपुर तथा तेजगांव की------। खं० १८५, पृ० २६ ।

बंशीधर शुक्ल, श्री---

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ५---लेखा शीर्षक १०---वन । खं० १८५, पृ० ६६३-६६४ ।

अनुदान संख्या ४०---लेखा शीर्षक ५७---अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान । खं० १८५, पृ० ५९१-५९२ ।

बकाया---

प्र० वि०---गन्ना तथा सेस का------। खं० १८५, पृ० २७५-२७६ ।

बच्चों---

प्र० वि०---राजनीतिक पीड़ितों के------को निःशुल्क शिक्षा देने का सुझाव । खं० १८५, पृ० ६३७ ।

बदायूं यूनियन---

प्र० वि०---अयोध्या शुगर मिल्स बिलारी, जिला मुरादाबाद, द्वारा ------का पूरा गन्ना न पेरना । खं० १८५, पृ० २५८-२५९ ।

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी---

------में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के अध्यक्ष द्वारा अनशन के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० १९१ ।

बबेरू-अतर्रा रोड——

बांदा जिले की —के निर्माण की योजना। खं० १८५, पृ० ३५५।

बम विस्फोट——

आजमगढ़ शहर में———के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ४४१—४४० ।

बलदेवसिंह, श्री——

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या २——लेखा शीर्षक ७——मालगुजारी। खं० १८५, पृ० २११, २२३—२२४—२२५।

अनुदानसंख्या ५——लेखा शीर्षक १०——वन। खं० १८५, पृ० ६७२—६७३, ६७६।

अनुदान संख्या १५——लेखा शीर्षक २७——न्याय प्रशासन। खं० १८५. पृ० ६६४ ।

अनुदान संख्या ४०——लेखा शीर्षक ५७——अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान। खं० १८५, पृ० ५७३ ।

अनुदान संख्या ४७——लेखा शीर्षक ८१——राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा। खं० १८५, पृ० ५७—५८।

बलवानसिंह, श्री——

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

बलिया——

———जिले में गेस्ट्रो-इन्ट्राइटिस एवं हैजे से ५०० व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० १२०।

———जिले में घाघरा नदी में होने वाले कटाव से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५. पृ० ४४३—४४६।

बस——

प्र० वि०——आबकारी विभाग के चपरासियों को———रुकवा कर तलाशी लेने का अधिकार। खं० १८५, पृ० ११ ।

प्र० वि०——हरदोई जिले के बिलग्राम क्षेत्र में विधान सभा के उपचुनाव में———का चालान। खं० १८५, पृ० ३४६ ।

बस सर्विस——

प्र० वि०——प्रतापगढ़-रायबरेली रोड पर———की योजना। खं० १८५, पृ० ७४।

बस स्टेण्ड——

प्र० वि०——बुलन्दशहर———के मेण्टिनेन्स शेड का गिर जाना। खं० १८५, पृ० १९ ।

बाढ़——

जिला बाराबंकी में घाघरा नदी की———से हुई क्षति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३६१—३६२ ।

ट्रांस घाघरा-राप्ती-गंडक क्षेत्र में घाघरा राप्ती इत्यादि नदियों की———से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ५२४—५२५।

पूर्वी जिलों में विशेषकर गोरखपुर जिले में घाघरा, राप्ती आदि नदियों की———से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३५९—३६०।

[बाढ़——]
पूर्वी जिलों में विशेष कर गोरखपुर जिले की घाघरा, राप्ती आदि नदियों की ———से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० २७८—२७९।
प्र० वि०——मिर्जापुर जिले में———पत्थर तथा गेरुई रोग से क्षति ग्रस्त क्षेत्र में सहायता। खं० १८५, पृ० ११—१२।

बाढ़ग्रस्त——
प्र० वि०——गाजीपुर जिले के अतिवृष्टि तथा————क्षेत्रों में तकावी का वितरण। खं० १८५, पृ० १२—१३।

बाढ़पीड़ित इलाके——
प्र० वि०——देवरिया जिले के——— में सीमेंट, लोहा, कोयला तथा जी० सी० शीट्स का वितरण। खं० १८५, पृ० ५१९।

बाढ़पीड़ित क्षेत्र——
प्र० वि०——आजमगढ़ जिले में——— के छात्रों को सहायता। खं० १८५ पृ० ६५२।

बाढ़पीड़ितों——
प्र० वि०——शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद परगने में————को गृह-निर्माणार्थ सहायता। खं० १८५, पृ० २४—२५।

बाढ़ विभाग——
प्र० वि०——गाजीपुर के———का तोड़ा जाना। खं० १८५, पृ० २६४।

बाबूराम, श्री——
१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या २१——लेखा शीर्षक ४०——कृषि संबंधी, विकास इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५——लेखा शीर्षक ७१——कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत। खं० १८५, पृ० ३०९—३१०।

बारातियों——
प्र० वि०——उन्नाव नगर में——— पर पुलिस अत्याचार। खं० १८५ पृ० ६४३—६४५।

बाराबंकी——
जिला—— में घाघरा नदी की बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३६१—३६२।

बिक्री——
प्र० वि०——हाथ करघे के बने कपड़ों पर कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा ———पर छूट। खं० १८५, पृ० ४२२।

बिक्री-कर——
प्र० वि०—— ———से प्राप्त धन। खं० १८५, पृ० २६३।

बिक्री-कर अधिनियम——
प्र० वि०—— ———के अन्तर्गत रजिस्टर्ड व्यापारी। खं० १८५, पृ० २६४।

बिजली——
प्र० वि०——इलाहाबाद के नैनी इंडस्ट्री एरिया में कारखानों को———।
खं० १८५, पृ० २५७—२५८।
प्र० वि०——गाजीपुर जिले के जंगीपुर बाजार के लिये———की मांग। खं० १८५, पृ० २६४।
प्र० वि०——फतेहपुर जिले की खागा तहसील में———देने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० २७४।
प्र० वि०——फर्रुखाबाद जिले में छिबरामऊ को———देने की योजना। खं० १८५, पृ० २६९।
प्र० वि०——फैजाबाद जिले में नल-कूपों के लिये ———की दर कम करने का सुझाव। खं० १८५, पृ० ४३१।
प्र० वि०——बुलन्दशहर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में———का वितरण। खं० १८५, पृ० ४२८।

प्र० वि०——मैनपुरी जिले के कुरावली टाउन में———। खं० १८५ पृ० २६५—२६६ ।

प्र० वि०——सोहावल बिजली घर से नलकूपों को पर्याप्त ———न मिलना। खं० १८५. पृ० ४३५ ।

बिजली कम्पनी——

प्र० वि०——गोरखपुर में———का ठेका। खं० १८५, पृ० २७२ ।

प्र० वि०——शाहजहांपुर———के चार्जेज। खं० १८५ पृ० २६२ ।

बिजली कार्यालय——

प्र० वि०——भरौली बाजार और बांस देवरिया में———के कर्मचारियों के निवास स्थान के लिये ली गई जमीन का मुआवजा न मिलना । खं० १८५, पृ० ४३३ ।

बिजली घर——

प्र० वि०——सोहावल———से नलकूपों को पर्याप्त बिजली न मिलना । खं० १८५, पृ० ४३५ ।

बिजली विभाग——

प्र० वि०—— ———के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन । खं० १८५, पृ० ४२७—४२८ ।

बिलग्राम क्षेत्र——

प्र० वि०——हरदोई जिले के———में विधान सभा के उप चुनाव में बस का चालान । खं० १८५, पृ० ३४६ ।

बिना लगानी भूमि——

प्र० वि०——खीरी जिलान्तर्गत रामनगर लहबड़ी गांव में———। खं० १८५. पृ० २१ ।

बिल्डिंग बाईलाज——

प्र० वि०——आगरा नगरपालिका का ———में परिवर्तन करना । खं० १८५, पृ० ५०७ ।

बुद्धीसिंह, श्री——

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

बुलाकीराम, श्री——

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

बेदखली——

प्र० वि०——चुनार जिला मिर्जापुर में नजूल की भूमि से किसानों की ———की शिकायत । खं० १८. पृ० ५७० ।

बेनियाबाग——

प्र० वि०——वाराणसी के———में पुलिस दंगल के अवसर पर दंगा । खं० १८५. पृ० ६४६ ।

बेरोजगारी——

प्र० वि०—— ———की गणना की आवश्यकता । खं० १८५, पृ० ११८ ।

बैंक——

प्र० वि०——कॉल्विन हास्पिटल, इलाहाबाद, में एक———एकाउन्टेण्ट की मृत्यु । खं० १८५. पृ० ४७१ ।

बैठक——

कामन वेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसियेशन की शाखा स्थापित करने के लिये कमेटी रूम में ———की सूचना । खं० १८५, पृ० १६४ ।

बैलेन्स शीट——

प्र० वि०——बदायूं जिले में कोआपरेटिव फेडरेशन की———न होना । खं० १८५, पृ० ३४८—३४६ ।

बोर्ड आफ कंट्रोल——

प्र० वि०——ललितपुर आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत, के———का भंग होना । खं० १८५, पृ० २५३ ।

बोर्डों——

कतिपय स्थायी समितियों तथा——— के निर्वाचनार्थ नाम वापसी के समय में वृद्धि । खं० १८५. पृ० १३२ ।

[

विभिन्न समितियों तथा———के नाम निर्देशन पत्र वापस लेने के समय में वृद्धि । खं० १८५, पृ० ७०३ ।

ब्रजनारायण तिवारी, श्री—

———द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० ३० ।

ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

भ

भांग—

प्र० वि०—ललितपुर आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत, के बोर्ड आफ कंट्रोल का———होना । खं० १८५, पृ० २५३ ।

भंगियों—

सहारनपुर नगरपालिका के———की हड़ताल के संबंध कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० ३६३ ।

भगवतीसिंह विशारद, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जनस्वास्थ्य । खं० १८५, पृ० ३८५–३८७, ४०२ ।

भजनलाल, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

भटनी चीनी मिल—

प्र० वि० –को पुनः चालू करने की प्रार्थना खं० १८५, पृ० ४३१ ।

भट्ठे—

प्र० वि०—हरदोई जिले में डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन की ओर से चालू———। खं० १८५, पृ० ५०५ ।

भट्ठों—

प्र० वि०—जिला सहकारी संघ, देवरिया, द्वारा———के लिये कोयले का भाव न निश्चित करना । खं० १८५, पृ० ५२० ।

प्र० वि०—मेरठ जिले में ईंट के———को कोयला । खं० १८५, पृ० ५०८ ।

भत्ता—

प्र० वि०—खटीमा पावर हाउस के कर्मचारियों का वेतन तथा———। खं० १८५, पृ० २५६–२५७ ।

प्र० वि०—पंचायतों के चुनाव में काम करने वाले जिला बोर्ड, आजमगढ़, के अध्यापकों को———न मिलना । खं० १८५, पृ० ३५७ ।

प्र० वि०—पुलिस कान्स्टेबिलों एवं हेड कांस्टेबिलों की यूनियन, अधिक कार्य के लिये———तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में पूछताछ । खं० १८५, पृ० ६३४–६३६ ।

प्र० वि०—राज्यकर्मचारियों का वेतन तथा———बढ़ाने के लिये द्वितीय पे-कमेटी नियुक्त करने का सुझाव । खं० १८५, पृ० ३३६–३३७ ।

भर्ती—

प्र० वि०—ट्यूबवेल आपरेटरों की———। खं० १८५, पृ० २७२–२७३ ।

भर्थना-ऊसराहार सड़क—

प्र० वि०—इटावा जिलान्तर्गत श्रमदान द्वारा निर्मित———को पक्की करने की प्रार्थना । खं० १८५, पृ० १३–१४ ।

भवन—

प्र० वि०—आजमगढ़ जिले में राजकीय प्राइमरी स्कूलों को———निर्माणार्थ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सहायता न मिलना । खं० १८५, पृ० ६५० ।

[illegible]—

प्र० वि०—[illegible] । खं० १८५, पृ० ११३ ।

[illegible]—

[illegible] खं० १८५, पृ० [illegible]

[illegible]—

१९५७-५८ के [illegible] के लिये मांगों पर [illegible]—अनुदान [illegible] ३२—[illegible] शीर्षक ५४—[illegible] तथा [illegible] पेंशनें तथा ५६—[illegible]———के निजी खर्च तथा भत्ते । खं० १८५, पृ० ४४५ ।

भारी उद्योगों—

प्र० वि०— ———के खुलने वाले कारखाने । खं० १८५, पृ० २६६ ।

भाव—

प्र० वि०—जिला सहकारी संघ, देवरिया, द्वारा भट्ठों के लिये कोयले का———न निश्चित करना । खं० १८५, पृ० ५२० ।

भाषण—

'नेशनल हेराल्ड' में कृषि मंत्री के ———को गलत ढंग से प्रकाशित करने पर कृषि मंत्री द्वारा आपत्ति । खं० १८५, पृ० ३६५ ।

भाषणों—

———के लिए समय निर्धारण । खं० १८५, पृ० ३७ ।

भिखारियों—

प्र० वि०—हरिद्वार में———के लिए आश्रम तथा लखनऊ और गोरखपुर में अंधों के लिये स्कूल । खं० १८५ पृ० १११–११२ ।

[illegible]—

[illegible] । खं० १८५, पृ० [illegible] ।

[illegible] पृ० ३०३–३०५ ।

[illegible] ६३—[illegible] विकास संबंधी व्यय और ६३—न—सामुदायिक विकास योजनाएं—राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य । खं० १८५, पृ० ५६१–५६२ ।

भुखमरी—

आजमगढ़ जिले के रामपुर में बुलोनी गांव में———से अभिकथित मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० ४६१ ।

आजमगढ़ जिले में अभिकथित———के विषय में अन्न मन्त्री का वक्तव्य । खं० १८५, पृ० ६५५ ।

गोरखपुर जिले में अभिकथित———की स्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० ५२५ ।

प्रदेश के पूर्वी जिलों में खाद्य-स्थिति के फलस्वरूप———के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० १६१ ।

———से सम्बन्धित कार्य-स्थगन प्रस्ताव को अगले दिन लेने की सूचना । खं० १८५, पृ० १६२ ।

[भुखमरी—]

———से संबंधित ३ अगस्त के दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय। खं० १८५, पृ० २७६—२७८।

भुवनेशभूषण शर्मा, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य। खं० १८५, पृ० ३८७—३८९।

अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा। खं० १८५, पृ० ५०—५२, ७३।

भूख—

सकरामऊ जिला आजमगढ़ में——— से एक व्यक्ति की मृत्यु के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० १९१।

भूख हड़ताल—

प्रतापगढ़ जेल में सोशलिस्ट सत्या-ग्रहियों द्वारा———के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ४४२—४४३।

भूतपूर्व अपराधशील जातियों—

प्र० वि०— ———के विद्यार्थियों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें। खं० १८५, पृ० ११९—१२०।

भूपकिशोर, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा। खं० १८५, पृ० ४३—४५।

भूमि—

प्र० वि०—आजमगढ़ जिलान्तर्गत दोहरी-घाट पम्प नहर में ली गई अयमा गांव धवनी की———का मुआवजा। खं० १८५, पृ० २५५—२५६।

प्र० वि०—गोपाल गोशाला बहजोई, जिला मुरादाबाद, को प्रदत्त——— के अनुचित प्रयोग की शिकायत। खं० १८५, पृ० १०७।

प्र० वि०—झांसी जिले की ललितपुर महरौनी तहसील में ग्राम-सभाओं की———। खं० १८५, पृ० ३५७।

प्र० वि०—रेलवे इन्जिन पुर्जा कारखाना स्थापित करने के लिये वाराणसी जिले के गांव कुकुरमुत्ता में——— लेने का निश्चय। खं० १८५, पृ० ४३०—४३१।

'भेड़िया बच्चा रामू'—

प्र० वि०— ———के सम्बन्ध में जान-कारी। खं० १८५, पृ० ११२।

भोपाल हाउस रिफ्यूजी मार्केट—

प्र० वि०— ———, लखनऊ, का किराया। खं० १८५, पृ० ३४०—३४१।

भ्रष्टाचार—

प्र० वि०—काशीपुर शुगर फैक्टरी से संबंधित———की शिकायतें। खं० १८५, पृ० २६१—२६२।

भ्रष्टाचार विरोधी समिति—

———, जालौन, का कार्य। खं० १८५, पृ० २८—२९।

म

मंगई नदी—

प्र० वि०—बलिया-गाजीपुर सड़क पर ———के पुल निर्माण का आयोजन। खं० १८५, पृ० ५२३।

मंगलाप्रसाद, श्री—

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान। खं० १८५, पृ० ५७३–५७७, ६०३–६०७।

———विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन। खं० १८५, पृ० ४४४।

मंझरा फार्म—

प्र० वि०— ———, जिला खीरी, में सरकारी गन्ने की चोरी। खं० १८५, पृ० १०३–१०४।

मन्त्रियों—

प्र० वि०—राजभवन, विधान भवन, विधायक निवास एवं———के निवास स्थानों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों का वेतन। खं० १८५, पृ० ४४०।

प्र० वि०—विधायकों,———, उपमंत्रियों तथा सभासचिवों के आवास की व्यवस्था। खं० १८५, पृ० ४–६।

मकानों—

प्र० वि०—१९४२ के आन्दोलन में आजमगढ़ जिले में जलाये गये———का मुआवजा। खं० १८५, पृ० ६३३।

मजदूर संघ—

प्र० वि०—मोदीनगर कपड़ा मिल———तथा चीनी मिल मजदूर सभा दौराला के रजिस्ट्रेशन का विचाराधीन मामला। खं० १८५, पृ० ११६–११७।

मजदूर सभा—

प्र० वि०—मोदीनगर कपड़ा मिल मजदूर संघ तथा चीनी मिल———दौराला के रजिस्ट्रेशन का विचाराधीन मामला। खं० १८५, पृ० ११६–११७।

मतदान—

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर———। खं० १८५, पृ० ४४५–४८६।

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर ———अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—उपनिवेशन। खं० १८५, पृ० १२०–१३२, १३३–१३६।

———विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन। खं० १८५, पृ० २८३–२८४, ४४४–४४५।

मदनगोपाल वैद्य, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य। खं० १८५, पृ० ३९७–३९८।

मदन पांडेय, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी। खं० १८५, पृ० १४१–१४२, १४३।

अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०—वन। खं० १८५, पृ० ६६०–६६१, ६७६–६७७।

अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक २५—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय। खं० १८५, पृ० ४५७–४५९।

अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि संबंधी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा

[मदन पांडेय श्री—]
अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत। खं० १८५, पृ० ३१०—३१२ ।

ट्रांस घाघरा-राप्ती-गंडक क्षेत्र में घाघरा-राप्ती इत्यादि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ५२५ ।

———द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३० ।

मधुवन-बिल्थरा रोड—

प्र० वि०—आजमगढ़ जिले में——— में ली गयी जमीन का मुआवजा न मिलने की शिकायत। खं० १८५, पृ० ५२१ ।

मन्ना लाल, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान। खं० १८५, पृ० ५९८—५९९ ।

मलगवां गोसदन—

प्र० वि०— ———, जिला इटावा, में गायों के इलाज की व्यवस्था। खं० १८५, पृ० ११४ ।

मलिखानसिंह, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी। खं० १८५, पृ० १३६—१३९, २३२—२३५ ।

अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान। खं० १८५, पृ० ५७७—५७८, ६०२ ।

अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ६३—क—युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय और ६३—ख—सामुदायिक विकास योजनाएं—राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य। खं० १८५, पृ० ५५९—५६१ ।

———द्वारा की-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ६५४ ।

महंगाई भत्ता—

प्र० वि०—झांसी जिले में विलीन रियासतों के पेन्शनर्स को——— देने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ४३२—४३३ ।

प्र० वि०—सरकारी कर्मचारियों का ———बढ़ाने के संबंध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा भेजे गये पत्रों की प्रतिलिपियों की मांग। खं० १८५, पृ० २५८ ।

महावा नदी—

प्र० वि०—बदायूं जिले में धनारी-भराउटी सड़क पर———का पुल टूटने से कष्ट। खं० १८५, पृ० ५२१ ।

महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री—

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी। खं० १८५, पृ० १३९—१४१, २४० ।

महीलाल, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"

मांग—

प्र० वि०—इटावा जिले में अहेरीपुर महोबा सड़क के निर्माण के लिये अनुदान की ———। खं० १८५, पृ० २५५ ।

प्र० वि०—गाजीपुर जिले के जंगीपुर बाजार के लिये बिजली की——। खं० १८५, पृ० २६४।

प्र० वि०—सरकारी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने के संबंध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा भेजे गये पत्रों की प्रतिलिपियों की——। खं० १८५, पृ० २५८।

मांगें—

प्र० वि०—गवर्नमेंट प्रेस इम्प्लाइज एसोसियेशन की ओर से——। खं० १८५, पृ० ४३८।

मांगों—

१९५७–५८ के आय-व्यय में अनुदानों के लिये——पर मतदान। खं० १८५, पृ० ४४५–४८९।

१९५७–५८ के आय-व्यय में अनुदानों के लिये——पर मतदान—विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन। खं० १८५, पृ० २८३–२८४।

माइक्राप सक्शन—

प्र० वि०—'गवर्नमेंट प्रिसीजन फैक्टरी' लखनऊ, में——के कारीगरों के वेतन के सम्बन्ध में शिकायत। खं० १८५, पृ० ४२९।

माताप्रसाद, श्री—

१९५७–५८ के आय-व्यय में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान। खं० १८५, पृ० ५८३–५८४।

मान्धाता सिंह, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

मान्यता—

प्र० वि०—वाराणसी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित ओवरसियरों को——देने पर विचार। खं० १८५, पृ० ३३६।

प्र० वि०—शाहजहांपुर जिले में नवनिर्वाचित ग्राम पंचायतों को——देने में विलम्ब। खं० १८५, पृ० ३४३–३४४।

माल उपमंत्री—

श्री परमात्मानन्द सिंह, द्वारा अनुदान उपस्थित किये जाने पर वैधानिक आपत्ति। खं० १८५, पृ० १९५–१९९।

मालगुजारी—

१९५७–५८ के आय-व्यय में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७——। खं० १८५, पृ० १३६–१६४, १९२–१९५, १९९–२४८।

माल विभाग—

प्र० वि०—मथुरा जिले में——के मुकदमों के फैसले में देरी। खं० १८५, पृ० १२।

मिडवाइफ—

प्र० वि०——के ट्रेनिंग सेंटर बढ़ाने का विचार। खं० १८५, पृ० ११९।

मिलें—

प्र० वि०—सहकारिता के आधार पर——खोलने की योजना। खं० १८५, पृ० २६३।

मिहरबानसिंह, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"

मुआवजा—

प्र० वि०—आजमगढ़ जिलान्तर्गत दोहरी घाट पम्प नहर में ली गई अयमा गांव पवनी की भूमि का——। खं० १८५, पृ० २५५–२५६।

प्र० वि०—आजमगढ़ जिले में मधुबन बिल्थरा रोड में ली गयी जमीन का——न मिलने की शिकायत। खं० १८५, पृ० ५२१।

प्र० वि०—१९४२ के आन्दोलन में आजमगढ़ जिले में जलाये गये मकानों का——। खं० १८५, पृ० ६३३।

प्र० वि०—मरौली बाजार और बांस देवरिया में बिजली कार्यालय के कर्मचारियों के निवास स्थान के

[मुआवजा—]

लिये ली गयी जमीन का——— न मिलना। खं० १८५, पृ० पृ० ४३३।

प्र० वि०—लखीमपुर में सम्पूर्णानगर उपनिवेश में ली गयी जमीन का———। खं० १८५, पृ० १०८–१०६।

मुकदमा—

प्र० वि०—कानपुर में श्री जगदीश अवस्थी के विरुद्ध ———। खं० १८५, पृ० ६५४।

मुकदमे—

प्र० वि०—जुडीशियल तथा आनरेरी मैजिस्ट्रेट जिला हरदोई की अदालतों के ———। खं० १८५, पृ० ५१३।

प्र० वि०—प्रदेशीय हाई कोर्ट में विचाराधीन———। खं० १८५, पृ० ३४५–३४६।

प्र० वि०—फैजाबाद जिले में हाकिम तहसीलों के विचाराधीन ———। खं० १८५, पृ० १६–२०।

मुकदमों—

प्र० वि०—गोरखपुर जिला अदालतों में गांव सभाओं के———की पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों व मुख्तारों को मेहनताने का न मिलना। खं० १८५, पृ० ३३८–३३६।

प्र० वि०—मथुरा जिले में माल विभाग के———के फैसले में देरी। खं० १८५, पृ० १२।

मुकुट बिहारी अग्रवाल, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

मुक्तिनाथ राय, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी। खं० १८५, पृ० १५७, २०१–२०२।

मुख्तारों—

प्र० वि०—गोरखपुर जिला अदालतों में गांव सभाओं के मुकदमों की पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों व— को मेहनताने का न मिलना। खं० १८५, पृ० ३३८–३३६।

मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट—

प्र० वि०———के क्लर्क श्री राजेन्द्रसिंह की शिकार खेलते समय मृत्यु। खं० १८५, पृ० ६४८।

मुजफ्फर हसन, श्री—

आगरा जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रही श्री राम सिंह की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३६०।

मुनीन्द्रपालसिंह, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

मुरलीधर कुरील, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान। खं० १८५, पृ० ५८६, ६०२।

मुलजिमों—

प्र० वि०— ———को थाने से चालान के समय खर्च खुराक। खं० १८५, पृ० ६३७।

मूर्तियां—

विदेशी शासकों की———संग्रहालय में रखने का आदेश। खं० १८५, पृ० २८।

मूलचंद, श्री—

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान। खं० १८५, पृ० ५८२–५८३।

मृत्यु—

आगरा जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रही, श्री रामसिंह की———के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३७९, ३९०–३९१।

आजमगढ़ जिले के रामपुर में धनौली गांव में मुखबरी से अभिकथित———के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ४४१।

प्र० वि०—टेहरी गढ़वाल जिले में डी० एफ० ओ० टौंस डिवीजन के कैम्प मजदूर लालदास की———। खं० १८५, पृ० ५१५।

प्र० वि०—मुजफ्फरनगर कलेक्टरेट के क्लर्क श्री राजेन्द्रसिंह की शिकार खेलते समय———। खं० १८५, पृ० ६४८।

प्र० वि०—राज्य में इन्फ्लुएंजा से———। खं० १८५, पृ० ११९।

प्र० वि०—रामपुर बैंक डकैती केस से सम्बन्धित कम्युनिस्ट बन्दी बग्गा सिंह की सरोजनी नाइडू मेडिकल कालेज, आगरा, में———। खं० १८५, पृ० ६३१–६३२।

प्र० वि०—रामबरन डाकू की——— के पश्चात् घटनास्थल पर नोट और सोना मिलना। खं० १८५, पृ० ६४६।

प्र० वि०—शाहजहांपुर जिले के परौर थाने में फूलसिंह हवालाती की———। खं० १८५, पृ० ६५०।

सकरामऊ, जिला आजमगढ़, में भूख से एक व्यक्ति की———के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० १९१।

मेंटिनेंस शेड—

प्र० वि०—बुलन्दशहर बस स्टैन्ड के——— का गिर जाना। खं० १८५, पृ० १९।

मेहतरों—

प्र० वि०—[illegible]———का वेतन। खं० १८५, पृ० ६५३–६५४।

मेहनताने—

प्र० वि०—गोरखपुर जिले अदालतों के गांव सभाओं के मुकदमों की पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों व मुख्तारों को———का न मिलना। खं० १८५, पृ० ३३८–३३९।

मनपुर-ज़मानिया घाट सड़क—

प्र० वि०—गाज़ीपुर जिले में ———तथा गंगा पर पुल की आवश्यकता। खं० १८५, पृ० ५००।

मैनपुरी-खुड़िया सड़क—

प्र० वि०———पर ईसन नदी के पुल की आवश्यकता। खं० १८५, पृ० ५११–५१२।

मोटर साइकिल एलाउन्स—

प्र० वि०—सिंचाई विभाग के ओवरसियरों को———। खं० १८५, पृ० ४३२।

मोतीलाल अवस्थी, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

विधान सभा सदस्य———की गिरफ्तारी की सूचना। खं० १८५, पृ० १९०।

मोहनलाल वर्मा, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

म्युनिसिपल बोर्ड—

प्र० वि०—आगरा———द्वारा नियुक्त विज्ञान अध्यापकों का हटाया जाना। खं० १८५, पृ० ६५२।

प्र० वि०———चन्दौसी के अध्यक्ष के विरुद्ध स्मृति पत्र। खं० १८५, पृ० ५०२।

म्युनिसिपैलिटी—

प्र० वि०—इटावा जिले की औरैया ———जल-कल सहकारी समिति को सहायता देने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ५१९–५२०।

य

यमुना—

प्र० वि०—फिरोजाबाद-कोटला सड़क की खराब हालत तथा फिरोजाबाद तहसील में शंकरपुर में ——पर पुल की आवश्यकता। खं० १८५, पृ० ७३९—७४०।

यमुनासिंह, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी। खं० १८५, पृ० १४४।

अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक २५—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय। खं० १८५, पृ० ४६९—४७३।

अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २७—न्याय प्रशासन। खं० १८५, पृ० ६९३, ६९४।

अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी जातियों का सुधार और उत्थान। खं० १८५, पृ० ५८९।

अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ६३—क—युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय और ६३—ख—सामुदायिक विकास योजनाएं राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य। खं० १८५, पृ० ५५२—५५४।

अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा। खं० १८५, पृ० ६०, ६१—६४।

यूनियन—

प्र० वि०—पुलिस कान्स्टेबिलों एवं हेड कान्स्टेबिलों की——, अधिक कार्य के लिये भत्ता तथा पदोन्नति के संबंध में पूछताछ। खं० १८५, पृ० ६३४—६३६।

योजना-

प्र० वि०—अम्बर चर्खों द्वारा काटन इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की——। खं० १८५, पृ० २५७।

प्र० वि०—अलीगढ़ जिले के बरसाना, हसायन में इसेंशियल आयल——के अन्तर्गत प्रशिक्षण केंद्र। खं० १८५, पृ० २६६—२६७।

प्र० वि०—आजमगढ़ जिले में 'चंवर ताल——। खं० १८५, पृ० २५६।

प्र० वि०—गोरखपुर जिले के सिसवा बाजार की ड्रेनेज——। खं० १८५, पृ० ५१६-५१७।

प्र० वि०—तीन वर्ष डिग्री कोर्स की——के संबंध में जानकारी। खं० १८५, पृ० ८२७।

प्र० वि०—फर्रुखाबाद जिले में छिबरामऊ को बिजली देने की——। खं० १८५, पृ० २६९।

प्र० वि०—बांदा जिले की बबेरू अतर्रा रोड के निर्माण की——। खं० १८५, पृ० ३५५।

प्र० वि०—बिजनौर जिले में सड़कों की निर्माण——। खं० १८५, पृ० ३५२।

प्र० वि०—बुलन्दशहर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उद्योग धंधों को बढ़ाने की——। खं० १८५, पृ० २६८।

प्र० वि०—मिर्जापुर में गंगा नदी पर पुल बनाने की——। खं० १८५, पृ० ५१४।

प्र० वि०—शाहजहांपुर में वाटर वर्क्स बनाने की——। खं० १८५, पृ० ३५०।

प्र० वि०—सहकारिता के आधार पर मिलें खोलने की——। खं० १८५, पृ० २६३।

प्र० वि०——हमीरपुर जिले की मौदहा तहसील में वनगायों को पकड़वाने की——। खं० १८५, पृ० ११०–१११।

प्र० वि०—हमीरपुर जिले की राठ तहसील में सड़कों की——। खं० १८५, पृ० ३४४–३४५।

प्र०वि०—हमीरपुर जिले में राठ–महोबा सड़क पर अतेसर नदी के पुल निर्माण की——। खं० १८५, पृ० ५२२।

योजनाओं—

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि संबंधी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की——पर पूंजी की लागत। खं० १८५, पृ० २९४–३२१।

योजना और विकास—

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ६३—क—युद्धोत्तर —— संबंधी व्यय और ६३—ख—सामुदायिक विकास योजनाएं—राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय–विकास निर्माण-कार्य। खं० १८५, पृ० ५२७–५७२।

र

रकम—

प्र० वि०—स्वास्थ्य मंत्री दान कोष में रखी हुई——का कमाल टाउन्स में वितरण। खं० १८५, पृ० ११४।

रक्षक दल—

प्र० वि०—प्रांतीय ——के कर्मचारियों के कार्य। खं० १८५, पृ० २०–२१।

रघुबीर सिंह, श्री—

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—उपनिवेशन। खं० १८५, पृ० १२७–१२८।

रघुरनतेज बहादुर सिंह, श्री—

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक: ३९—जन-स्वास्थ्य खं० १८५, पृ० ३९४।

रघुबीरलाल, श्री—

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—माल-गुजारी। खं० १८५, पृ० २२७–२२८।

अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान। खं० १८५, पृ० ५८८–५८९।

रजिस्टर्ड व्यापारी—

प्र० वि०—बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत ——। खं० १८५, पृ० २६४।

रजिस्ट्रेशन—

प्र०वि०—मोदीनगर कपड़ा मिल मजदूर संघ तथा चीनी मिल मजदूर सभा दौराला के——का विचाराधीन मामला। खं० १८५, पृ० ११६–११७।

रणबहादुर सिंह, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

रमेशचन्द्र शर्मा, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि संबंधी विकास इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत। खं० १८५, पृ० ३०८—३०९।

राघवेंद्र प्रताप सिंह, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी। खं० १८५, पृ० १९९, २००—२०१, २४३, २४४।

अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि संबंधी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत। खं० १८५, पृ० २९४—२९९, ३१७—३१८।

राजकीय खादी केंद्र—

प्र० वि०—कानपुर जिले के ——— नौरंगा के एक कर्मचारी का वेतन रुकना। खं० १८५, पृ० २७३।

राजकीय गो सदनों—

प्र० वि०— ———पर व्यय खं० १८५, पृ० १०३

राजकीय प्राइमरी स्कूलों—

प्र० वि०—आजमगढ़ जिले में———को भवन निर्माणार्थ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सहायता न मिलना। खं० १८५, पृ० ६५०।

राजकीय बीज भंडार—

प्र० वि०———के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनवाने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ११०।

राजकीय विद्यालय—

प्र० वि०———देवरिया के प्रधानाचार्य के प्रस्तावित आवास-स्थान की भूमि। खं० १८५, पृ० ६५४।

राजकीय (स्कूलों)—

प्र० वि०—प्रति विद्यार्थी ———तथा सहायता प्राप्त स्कूलों पर व्यय। खं० १८५, पृ० ६४८।

राजकीय स्त्री-चिकित्सालय—

प्र० वि०———गो [illegible]गंज, जिला लखनऊ, की महिला डाक्टर श्रीमती चन्द्रा के विरुद्ध शिकायत। खं० १८५, पृ० ३३४—३३५।

राजकुमार शर्मा, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

१९५७—५८ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी। खं० १८५, पृ० १५२—१५३।

राजदेव उपाध्याय, श्री—

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि संबंधी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत। खं० १८५, पृ० ३०५—३०६।

अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व-लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा। खं० १८५, पृ० ६४—६६।

राजनीतिक पीड़ितों—

प्र० वि०———के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की सुझाव। खं० १८५, पृ० ६३७।

प्र०वि०—गोरखपुर जिले में———को पेंशन। खं० १८५, पृ० ६३६–६३७।

राजनीतिक पेंशन विभाग—

प्र०वि०—विशेष पदाधिकारी———लखनऊ का कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ को पत्र। खं० १८५, पृ० ४२३–४२४।

राजनीतिक पेंशनें—

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३६—लेखा शीर्षक ५४—क—प्रादेशिक तथा———तथा ५४—ख—भारतीय शासकों के निजी खर्च तथा भत्ते। खं० १८५, पृ ४४५।

राजनीतिक बंदियों—

प्र० वि०— ———को जेल में सुविधाएं देने का सुझाव। खं० १८५, पृ० २५३।

राजबिहारीसिंह, श्री—

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ६३—क— युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय और ६३—ख—सामुदायिक विकास योजनाएं। राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य। खं० १८५, पृ० ५६३–५६४।

राजभवन—

प्र० वि०— ———, विधान भवन, विधायक निवास एवं मंत्रियों के निवास स्थानों की देख भाल करने वाले कर्मचारियों का वेतन। खं० १८५, पृ० ४४०।

राजस्व पदाधिकारियों—

टेहरी-गढ़वाल ———का (विशेषाधिकार अधिनियम, १९५६, के अन्तर्गत आलेख्य आदेश। खं० १८५, पृ० ५२५।

राजस्व लेखे—

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान —अनुदान संख्या ३३—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य और ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा। खं० १८५, पृ० ३१।

राजाराम शर्मा, श्री—

देखिये, "प्रश्नोत्तर"

राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती—

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य। खं० १८५, पृ० ३८९–३९०।

अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ६३—क— युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३—ख—सामुदायिक विकास योजनायें—राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य। खं० १८५, पृ० ५५४–५५५।

राजेन्द्र दत्त, श्री—

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा। खं० १८५, पृ० ४१–४३।

राजेन्द्र सिंह, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

राज्य कर्मचारियों—

प्र० वि०— ———का वेतन तथा भत्ता बढ़ाने के लिये द्वितीय पे-कमेटी नियुक्त करने का सुझाव। खं० १८५, पृ० ३३६–३३७।

राज्य-व्यापार—

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ५१—लेखा शीर्षक ८५—क— ———की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत। खं० १८५, पृ० ६५६।

रामधन दास, श्री—

प्र० सं० १५०—सरकारी कर्मचारियों द्वारा ... के सम्बन्ध में ... द्वारा ... भेजे गये ... पत्रों का उत्तर नहीं दिया जाना। खं० १८५, पृ० २५८।

रामनरेश शर्मा, श्री—

प्र० सं० १८०—कलकत्ता ... की योजना। खं० १८५, पृ० ५८२।

रामलाल—

... —कलकत्ता ... कानपुर ... फरने के ... खं० १८५, पृ० ५२४—५२५।

... ठेकेदार ... तथा ... खं० १८५, पृ० ... ५०८, ...।

प्र० सं० ... —..., ... मैक ... खं० १८५, पृ० ...।

रामआधार ..., श्री—

देखिये "अनौरास"।

रामकिंकर, श्री—

देखिए "अनौराम"।

रामकुमार ..., श्री—

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक २८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक २९—जन-स्वास्थ्य। खं० १८५, पृ० ३९५—३९६।

रामकृष्ण ..., श्री—

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ५८—लेखा शीर्षक ८१—... नागरिक निर्माण ... का पूंजी लेखा। खं० १८५, पृ० ५२, ८७—९९।

... —

देखिए "अनौराम"।

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ... —लेखा शीर्षक ८१—... नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा। खं० १८५, पृ० ८८—९८।

... —

देखिए "अनौराम"।

..., श्री—

देखिए "अनौराम"।

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ...—लेखा शीर्षक ४१—... खं० १८५, पृ० ...।

... महाराज, श्री—

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ...—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी। खं० १८५, पृ० १४८—१५०।

... राय, श्री—

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी। खं० १८५, पृ० १९२—१९३।

..., श्री—

देखिये "अनौराम"।

रामदीन, श्री—

देखिये "अनौराम"

रामनाथ पाठक, श्री——

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या २२——लेखा शीर्षक ४०——उपनिवेशन । खं० १८५, पृ० १२८—१२९ ।

रामनारायण त्रिपाठी, श्री——

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान——विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन । खं० १८५, पृ० ४४५ ।

रामपुर——

आजमगढ़ जिले के——में बुनौली गांव में भुखमरी से अभिकथित मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० ४४१ ।

रामपुर बैंक डकैतीकेस——

प्र० वि०——————में सम्मिलित अभियुक्त बन्दी बन्ना सिंह की सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में मृत्यु । खं० १८५, पृ० ६३१—६३२ ।

रामलखन तिवारी, श्री——

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या ४३——लेखा शीर्षक ६३—क——युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३—ख——सामुदायिक विकास योजनायें——राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य । खं० १८५, पृ० ५३९—५४१ ।

अनुदान संख्या ४७——लेखा शीर्षक ८१——राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा । खं० १८५, पृ० ५२—५३ ।

रामलखन, श्री——

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या ५०——लेखा शीर्षक ५७——अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान । खं० १८५, पृ० ५८६—५८८ ।

रामलखन मिश्र, श्री——

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

१९५७—५८ के आय—व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या २३——लेखा शीर्षक ४१——पशु चिकित्सा । खं० १८५, पृ० २८८—२८९ ।

रामवचन यादव, श्री——

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मतदान——अनुदान संख्या २——लेखा शीर्षक ७——मालगुजारी । खं० १८५, पृ० १६३—१६४, १९२—१९३ ।

रामशरण यादव, श्री——

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या ५०—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान । खं० १८५, पृ० ५८५—५८६, ५८९ ।

रामसनेही भारतीय, श्री——

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

रामसिंह, श्री——

…गरा जिले में सोशलिस्ट सत्याग्रही ——की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० २७९ ।

आगरा जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रही, ——की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० ३६०—३६१ ।

रामसिंह चौहान वैद्य, श्री——

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

आगरा जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रही, श्रीराम सिंह की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० ३६०,३६१ ।

[रामसिंह चौहान वैद्य, श्री---]

१९५७--५८ के आय--व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या २---लेखा शीर्षक ७---माल-गुजारी । खं० १८५, पृ० २४३ ।

राम सुन्दर पाण्डेय, श्री---

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

१९५७--५८ के आय--व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनवदान संख्या २---लेखा शीर्षक ७---माल-गुजारी । खं० १८५, पृ० २४५ ।

पंचायत मंत्रियों को स्थायी न करना । खं० १८५, पृ० ३५५--३५६ ।

रामसूरत प्रसाद, श्री---

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

रामस्वरूप यादव, श्री---

यू० पी० पंचायत राज नियमावली में प्रख्यापित संशोधन । खं० १८५, पृ० ५२५ ।

रामस्वरूप वर्मा, श्री---

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

१९५७--५८ के आय--व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या २---लेखा शीर्षक ७---माल-गुजारी। खं० १८५, पृ० १५३--१५७ ।

अनुदान संख्या १२---लेखा शीर्षक २५ सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३---लेखा शीर्षक २५---कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय। खं० १८५, पृ० ४७९--४८२ ।

अनुदान संख्या १५---लेखा शीर्षक २७---न्याय प्रशासन । खं० १८५, पृ० ६९०--६९२ ।

अनुदान संख्या १९---लेखा शीर्षक ३८---चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०---लेखा शीर्षक ३९---जन स्वास्थ्य। खं० १८५, पृ० ३८७।

अनुदान संख्या २३---लेखा शीर्षक ४१---पशु चिकित्सा । खं० १८५, पृ० २८५--२८६, २९०--२९१, २९२, २९३ ।

प्रतापगढ़ जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों द्वारा भूख हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य--स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० ४४३ ।

रामहेतसिंह, श्री---

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

रामायण राय, श्री---

१९५७--५८ के आय--व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या १९---लेखा शीर्षक ३८---चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०---लेखा शीर्षक : ३९---जन-स्वास्थ्य । खं० १८५, पृ० ३७१--३७३ ।

रामेश्वर प्रसाद, श्री---

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

१९५७--५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या १९---लेखा शीर्षक ३८---चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०---लेखा शीर्षक ३९---जन---स्वास्थ्य। खं १८५, पृ० ३७९--३८०, ३८१ ।

रायबरेली--फैजाबाद रोड---

प्र० वि०--- -----पर गोमती नदी के आम घाट पुल की निर्माण योजना । खं० १८५, पृ० ३५४--३५५ ।

राशनिंग---

प्र० वि०---फैजाबाद जिले की टांडा तहसील में------की दुकानें खोलने के लिये आदेश । खं० १८५, पृ० ३५० ।

राष्ट्रीय प्रसार सेवा—
१९५७–५८ के आयव्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ६३—क, युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३—ख— सामुदायिक विकास योजनायें,———तथा स्थानीय विकास निर्माण–कार्य। खं० १८५, पृ० ५२७—५७२ ।

रासायनिक खादों—
प्र० वि०— ———को सस्ते भाव में देने का विचार। खं० १८५, पृ० ११८—११९।

नाइजेशन—
प्र० वि०—सेक्रेटेरियट———स्कीम । खं० १८५, पृ० ३३३—३३४ ।

रिपोर्ट—
प्र० वि०—प्रेसीडेंट, नोटीफाइड एरिया कमेटी, रामनगर के विरुद्ध शिकायतों की जांच ———। खं० १८५, पृ० ५२० ।

प्र० वि०—बदायूं जिले के कुछ गांवों में फैली लैथरिज्म बीमारी के सम्बन्ध में सिविल सर्जन की——— । खं० १८५, पृ० ४२४—४२६ ।

प्र० वि०—लाला बेचूलाल, निवासी ग्राम शोभापुर, थाना रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी के यहां हुई डकैती की———ठीक न लिखना । खं० १८५, पृ० ६३०—६३१ ।

रिफ्यूजी मार्केट—
प्र० वि०—भोपाल हाउस——— , लखनऊ का किराया । खं० १८५ पृ० ३४०—३४१।

रियासतों—
प्र० वि०—झांसी जिले में विलीन ———के पेंशनर्स को मंहगाई भत्ता देने की प्रार्थना । खं० १८५, पृ० ४३२—४३३ ।

(रिहन्द बांध रिहन्द डैम)—
प्र० वि०—अमरीकन इन्फार्मेशन सर्विस के लोगों द्वारा———के चित्र लेना । खं० १८५, पृ० ४३४—४३५ ।

प्र० वि०— ———के इंजीनियरों की गाड़ियों पर व्यय । खं० १८५, पृ० ४३७ ।

रुई—
प्र० वि०— ———उत्पादन प्रचार पर वार्षिक व्यय । खं० १८५, पृ० ११७।

रुड़की बदरीनारायण मार्ग—
प्र० वि०— ———पर पुलों को चौड़ा करन की प्रार्थना । खं० १८५, पृ० ५२३ ।

रेगुलेटर—
प्र० वि०—आजमगढ़ जिले में हाहानाला पर———लगाने में विलम्ब । खं० १८५, पृ० २५६ ।

रेलवे एंजिन पुर्जा कारखाना—
प्र० वि०— ———स्थापित करने के लिये वाराणसी जिले के गांव कुकुरमुत्ता में भूमि लेने का निश्चय । खं० १८५, पृ० ४३०—४३१ ।

रेलवे लाइन—
प्र० वि०—फैजाबाद जिले में टांडा—अकबरपुर ———के पुनर्निर्माण की प्रार्थना । खं० १८५, पृ० ५१४ ।

रोड—
प्र० वि०—बांदा जिले की बबेरु–अतर्रा ———के निर्माण की योजना । खं० १८५, पृ० ३५५ ।

प्र० वि०—रायबरेली–फैजाबाद——— पर गोमती नदी के ग्राम घाट पुल की निर्माण–योजना । खं० १८५, पृ० ३५४—३५५ ।

ल

लक्ष्मणराव कदम, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

लक्ष्मी [illegible] बसन्त, श्री—
१९५७-५८ के [illegible] के अनुदानों के लिये मांगों पर [illegible]—अनुदान [illegible] लेखा शीर्ष २७— [illegible] । [illegible] १९५७, पृ० [illegible] ।

[illegible]—
१९५७- [illegible] के अनुदानों के लिये मांगों पर [illegible] अनुदान संख्या २१— [illegible] २७ — [illegible] पृ० [illegible] —[illegible] १०२१ ।

[illegible]—
[illegible] । [illegible] १९५७, पृ० १०४-१०५ ।

[illegible]—
प्र० [illegible] नागरू [illegible] —— की [illegible] । [illegible] पृ० [illegible] ।

[illegible]—
[illegible] पृ० २५७ ।

लाररापुर [illegible]—
प्र० [illegible] —— [illegible] का [illegible] । [illegible] १९५७, पृ० २५३ ।

लाख उत्पादन—
१० [illegible] — मिर्जापुर जिला [illegible] के —— [illegible] में [illegible] । [illegible] १९५७, पृ० २० ।

लाभ—
१९५७-५८ के आय-व्यय के अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान— अनुदान संख्या २१— लेखा शीर्षक ४०— कृषि [illegible] निर्माण, इन्जीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ५५—लेखा शीर्षक ७१— कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर चर्चा ——। [illegible] १९५७, पृ० २९४-३२१ ।

[illegible] सिंह, श्री—
[illegible] ।

[illegible]—
प्र० [illegible] जिले में [illegible] तथा [illegible] कृषि फार्मों के आय- [illegible] ——। [illegible] १९५७, पृ० १०८-११० ।

[illegible]—
५० [illegible] के युद्ध [illegible] [illegible] १९५७, पृ० ५२१-५२९ ।

[illegible]—
[illegible] ——— [illegible] प्रो० [illegible] का [illegible] १९५७, पृ० २१६ ।

[illegible]—
प्र० [illegible] की पैरवी [illegible] सरकार ——व [illegible] । [illegible] १९५७ पृ० २३८-२३९ ।

वकालत—
[illegible] ——। [illegible] १९५७, पृ० ६२५ ।

व [illegible]—
१९५७-५८ के आय-व्यय के अनुदानों के लिये [illegible] —अनुदान संख्या ५ —लेखा शीर्षक १०———। [illegible] १९५७, पृ० [illegible] ७-६८० ।

वनगांवों—
प्र० [illegible]— [illegible] जिले की [illegible] तहसील के ——[illegible] योजना । [illegible] १९५७, पृ० ११०-१११ ।

वर्षा—

प्र० वि०—टेहरी-गढ़वाल की पट्टी बड़ियारगढ़ के——से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता। खं० १८५, पृ० ४२२-४२३।

वाटर वर्क्स—

प्र० वि०—शाहजहांपुर में——लगाने की योजना। खं० १८५, पृ० ३५०।

वाटर सप्लाई—

प्र० वि०— ——ऐन्ड ड्रेनेज स्कीम के अन्तर्गत नगरपालिकाओं को ऋण। खं० १८५, पृ० ५०४।

वासुदेव कौशिक, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

विकास क्षेत्र—

हमीरपुर जिले में गुहांड़ अगाढ़ ——पर व्यय। खं० १८५, पृ० २५-२६।

विकास योजना—

प्र० वि०—इटावा जिले के पारपट्टी क्षेत्र की——। खं० १८५, पृ० ९-१०।

विघटन—

प्र० वि०—प्रान्तीय रक्षक दल का——करने का विचार। खं० १८५, पृ० ३३५-३३६।

विचार—

प्र० वि—हिन्दी परामर्शदात्री समिति के पुनः संगठन पर——। खं० १८५, पृ० ६४६-६४७।

विज्ञप्ति—

प्र० वि०—सेल्स टैक्स सम्बन्धी——का हाई कोर्ट द्वारा अवैध करार दिया जाना। खं० १८५, पृ० २७४।

विज्ञान अध्यापकों—

प्र० वि०—आगरा म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा नियुक्त——का हटाया जाना। खं० १८५, पृ० ६५२।

वितरण—

प्र० वि०—१९५६-५७ में विदेशी खाद्यान्न का आयात तथा——। खं० १८५, पृ० ५२४।

प्र० वि०—देवरिया जिले के प्रकृति-पीड़ित इलाके में सीमेंट, लोहा, कोयला तथा जी० सी० आई० शीट का——। खं० १८५, पृ० ४१६।

प्र० वि०—गोंडा जिले में सीमेंट का——। खं० १८५, पृ० ५०४-५०५।

प्र० वि०—बुलन्दशहर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का——। खं० १८५, पृ० ४२८।

प्र० वि०—मुजफ्फरनगर जिले में सीमेंट का——। खं० १८५, पृ० ३५३।

प्र० वि०—स्वास्थ्य मंत्री दान-कोष में रखी हुई रकम का नवाब हाउस में——। खं० १८५, पृ० ११४।

वित्तीय—

——तथा साधारण कार्य में विरोधी दल को अधिक समय देने तथा विरोधी दल के परामर्श से कार्यक्रम निर्धारित करने के सम्बन्ध में सुझाव। खं० १८५, पृ० २७९-२८३।

विदेशी शासकों—

प्र० वि०— ——की मूर्तियां संग्रहालय में रखने का आदेश। खं० १८५, पृ० २८।

विद्यार्थियों—

प्र० वि०—आजमगढ़ जिला निरीक्षक के कार्यालय से हायर सेकेंडरी स्कूलों के पिछड़ी जाति के ——को छात्रवृत्ति। खं० १८५, पृ० ११९।

प्र० वि०—भूतपूर्व अपराधशील जातियों के——को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें। खं० १८५, पृ० ११९-१२०।

विद्यार्थी—

प्र० वि०—प्रति——राजकीय तथा सहायता-प्राप्त स्कूलों पर व्यय। खं० १८५, पृ० ६४८।

विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती—

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—

[विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती---]

चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०---लेखा शीर्षक ३९---जन-स्वास्थ्य । खं० १८५, पृ० ३८४-३८५ ।

विधान भवन---

प्र० वि०---राज भवन, ------, विधायक निवास एवं मंत्रियों के निवास स्थानों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों का वेतन । खं० १८५, पृ० ४४० ।

विधान सभा---

प्र० वि०---हरदोई जिले के बिलग्राम क्षेत्र में------के उपचुनाव में घूस का चालान । खं० १८५, पृ० ३४६ ।

विधान सभा सदस्य---

------श्री मोतीलाल अवस्थी की गिरफ्तारी की सूचना । खं० १८५ पृ० १९० ।

विधायक निवास---

प्र० वि०--- ------ में अनधिकृत सदस्यों के रहने पर आपत्ति खं० १८५, पृ० २५९-२६० ।

प्र० वि०--- ------में सभा सचिव उपमंत्री तथा सरकारी कर्मचारियं का रहना । खं० १८५, पृ० २७५

प्र० वि०---राजभवन, विधान भव ------एवं मंत्रियों के निवास स्था की देखभाल करने वाले कर्मचारि का वेतन । खं० १८५, पृ० ४४

व [illegible] यकों---

प्र० वि०--- ------मंत्रियों, उपमंत्रि तथा सभा सचिवों के आवास व्यवस्था । खं० १८५, पृ० [illegible] - ६ ।

विधेयक---

हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संगठ) (संशोधन)------, १९५७ । [illegible] १८५, पृ० ६

विनयलक्ष्मी सुमन, श्री

[illegible]

विरोधी दल---

वित्तीय तथा साधारण कार्य में--- अधिक समय देने तथा------ के परामर्श से कार्यक्रम निर्धारित करने के संबंध में सुझाव । खं० १८५, पृ० २७९-२८३ ।

विरोधी दलों---

विभिन्न------ के लिये कमरों की व्यवस्था । खं० १८५, पृ० ५२६ ।

विरोधी-पक्ष---

कांग्रेस-पक्ष तथा------को आय-व्ययक पर विचार में समान समय देने पर आपत्ति । खं० १८५, पृ० ३५-३७ ।

विलम्ब---

प्र० वि०---आजमगढ़ जिले में "हाहा-नाला" पर रेगुलेटर लगाने में ------ । खं० १८५, पृ० २५६ ।

प्र० वि०---स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को पेंशन मिलने में------ । खं० १८५, पृ० ६३९-६४० ।

विलीन क्षेत्र---

प्र० वि०---जालौन जिले में------ के स्कूलों के अध्यापक । खं० १८५, पृ० ६५१ ।

विलीन रियासतों---

प्र० वि०---झांसी जिले की------ के पेन्शनर्स को मंहगाई भत्ता देने की प्रार्थना । खं० १८५, पृ० ४३२-४३३ ।

विलेज लेविल वर्करों---

प्र० वि०---प्रतापगढ़ जिले में------ में लिये गये हरिजन । खं० १८५, पृ० २१ ।

विशेष पदाधिकारी---

प्र० वि०--- ------, राजनीतिक पेन्शन विभाग, लखनऊ का कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ को पत्र । खं० १८५, पृ० ४२३-४२४ ।

विश्राम राय, श्री---

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

विश्वविद्यालय अनुदान समिति——

प्र० वि०—— ———के पुनस्संगठन पर विचार । खं० १८५, पृ० ६५३ ।

वीरसेन, श्री——

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या ४०——लेखा शीर्षक ५७——अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान । खं० १८५, पृ० ५८९–५९० ।

वीरेन्द्र वर्मा, श्री——

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या १२——लेखा शीर्षक २५——सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३——लेखा शीर्षक २५——कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय । खं० १८५, पृ० ४६७–४६९ ।

विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन । खं० १८५, पृ० ४४४, ४४५ ।

कांग्रेस-पक्ष तथा विरोधी-पक्ष को आय-व्ययक पर विचार में समान समय देने पर आपत्ति । खं० १८५, पृ० ३६ ।

वीरेन्द्रशाह , राजा——

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या २——लेखा शीर्षक ७——मालगुजारी । खं० १८५, पृ० २४२ ।

अनुदान संख्या २१——लेखा शीर्षक ४०——कृषि संबंधी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५——लेखा शीर्षक ७१——कृषि सुधार और खोज कीयोजनाओं पर पूंजी की लागत । खं० १८५, पृ० ३०८ ।

अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४२—पशु चिकित्सा । खं० पृ० २८५. २८६–२८७ ।

अनुदान संख्या ४७——लेखा शीर्षक ८१——राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा । खं० १८५, पृ० ७१ ।

वृद्धि——

विभिन्न समितियों तथा बोर्डों के नाम-निर्देशन पत्र वापस लेने के समय में ——— । खं० १८५, पृ० ७०३ ।

वेतन-

प्र० वि०——कानपुर जिले के राजकीय खादी केन्द्र, नौरंगा के एक कर्मचारी का ——— रुकना । खं० १८५, पृ० २७३ ।

प्र० वि०——खटीमा पावर हाउस के कर्मचारियों का———तथा भत्ता । खं० १८५, पृ० २५६–२५७ ।

प्र० वि०——खीरी जिला बोर्ड के अध्यापकों को——— न मिलने की शिकायत । खं० १८५, पृ० ६५१ ।

प्र० वि०——गवर्नमेंट प्रिसीजन फैक्टरी, लखनऊ में माइक्रोप सेक्शन के कारीगरों के———के सम्बन्ध में शिकायत । खं० १८५, पृ० ४२९ ।

प्र० वि०——जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों का———सम्बन्धी कथित पत्र-व्यवहार । खं० १८५, पृ० ६४१ ।

प्र० वि०——थानों पर काम करने वाले मेहतरों का——— । खं० १८५, पृ० ६५३–६५४ ।

प्र० वि०——बिजली विभाग के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का——— । खं० १८५, पृ० ४२७–४२८ ।

[वेतन—]

प्र० वि०—राजभवन, विधान भवन, विधायक निवास एवं मंत्रियों के निवास स्थानों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों का——। खं० १८५, पृ० ४४० ।

प्र० वि०—राज्य कर्मचारियों का—— तथा भत्ता बढ़ाने के लिये द्वितीय पे-कमेटी नियुक्त करने का सुझाव । खं० १८५, पृ० ३३६—३३७ ।

वेतन वृद्धि—

प्र० वि०—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, शाहजहांपुर के अध्यापकों को——न मिलना । खं० १८५, पृ० ५२२ ।

प्र० वि०—समस्त निम्नवर्ग के कर्मचारियों को दो रुपये——न मिलना । खं० १८५, पृ० २६३—२६४ ।

वैधानिक आपत्ति—

माल उपमंत्री, श्री परमात्मानन्दसिंह द्वारा अनुदान उपस्थित किये जाने पर——। खं० १८५, पृ० १९५—१९९ ।

व्यक्तिगत प्रश्न

उमेशदत्त शुक्ल, श्री—

प्लानिंग अफसर —— के शाहजहांपुर जिले में अधिक समय तक रहने पर आपत्ति । खं० १८५, पृ० १८ ।

चन्द्रा, श्रीमती—

राजकीय स्त्री-चिकित्सालय, गोसाईगंज, जिला लखनऊ की महिला डाक्टर ——के विरुद्ध शिकायत । खं० १८५, पृ० ३३४—३३५ ।

जगदीश अवस्थी, श्री—

कानपुर में——के विरुद्ध मुकदमा । खं० १८५, पृ० ६५४ ।

धनपति सिंह टंडन, श्री—

आनरेरी मैजिस्ट्रेट, शाहगंज बेंच, जिला जौनपुर की नियुक्ति पर आपत्ति । खं० १८५, पृ० ५१७—५१८ ।

फूलसिंह, श्री—

शाहजहांपुर जिले के परौर थाने में ——हवालाती की मृत्यु । खं० १८५, पृ० ६५० ।

बग्गा सिंह—

रामपुर बैंक डकैती केस से सम्बन्धित कम्युनिस्ट बन्दी——की सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में मृत्यु । खं० १८५, पृ० ६३१—६३२ ।

बेचूलाल, लाला—

——, निवासी ग्राम शोभापुर, थाना रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी के यहां हुई डकैती की रिपोर्ट ठीक न लिखना । खं० १८५, पृ० ६३०—६३१ ।

राजेन्द्र सिंह, श्री—

मुजफ्फरनगर कलेक्टरी के क्लर्क—— की शिकार खेलते समय मृत्यु । खं० १८५, पृ० ६४८ ।

रामपाल—

सरोजनी नायडू अस्पताल आगरा में, ——, लड़के को लड़की बनाने का प्रयोग । खं० १८५, पृ० १०४—१०५ ।

रामबरन—

——डाकू की मृत्यु के पश्चात घटनास्थल पर नोट और सोना मिलना । खं० १८५, पृ० ६४६ ।

रामू—

'भेड़िया बच्चा—— के सम्बन्ध में जानकारी । खं० १८५, पृ० ११२ ।

लालदास—

प्र० वि०—टेहरी गढ़वाल जिले में डी० एफ० ओ० टोंस डिवीजन के कैम्प मजदूर ——की मृत्यु । खं० १८५, पृ० ५१५ ।

व (क्रमागत)

व्यक्तियों—

प्र० वि०—इटावा जिले में पुलिस कांस्टबिलों की भर्ती में परिगणित जाति के———का न लिया जाना । खं० १८५, पृ० ६३८ ।

प्र० वि०—टेहरी-गढ़वाल की पट्टी बड़ियारगढ़ के वर्षा से पीड़ित ———की सहायता । खं० १८५, पृ० ४२२—४२३ ।

प्र० वि०—सेनेटरी इन्सपेक्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण———की नियुक्ति । खं० १८५, पृ० ११८ ।

व्यय—

प्र० वि०—१९५२ व १९५७ के ग्राम चुनावों पर व्यय । खं० १८५, पृ० ५००—५०२ ।

प्र० वि०—प्रति विद्यार्थी राजकीय तथा सहायता-प्राप्त स्कूलों पर——— । खं० १८५, पृ० ६४८ ।

प्र० वि०—राजकीय गोसदनों पर ——— । खं० १८५, पृ० १०३ ।

प्र० वि०—रिहन्द डैम के इंजीनियरों की गाड़ियों पर——— । खं० १८५, पृ० ४३७ ।

प्र० वि०—रुई—उत्पादन—प्रचार पर वार्षिक——— । खं० १८५, पृ० ११७ ।

प्र० वि०—सरकारी हैन्डी क्राफ्ट की दुकान इन्दौर प्रदर्शनी में ले जाने पर ——— । खं० १८५, पृ० २६४—२६५ ।

प्र० वि०—सोडा ऐश फैक्टरी के लिये स्वीकृत धन का——— । खं० १८५, पृ० २७४ ।

व्यवस्था—

विभिन्न विरोधीदलों के लिये कमरों की——— । खं० १८५, पृ० ५२६।

व्यापारी—

प्र० वि०—बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड——— । खं० १८५, पृ० २६४ ।

मेहरोत्रा, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर" ।

श

शकुन्तला देवी, श्रीमती—

१९५७—५८ के आय-व्यय के में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान । खं० १८५, पृ० ५७८—५८० ।

शाखा—

कामनवेल्थ पार्लियामेण्टरी एसोसियेशन की———स्थापित करने के लिये कमेटी रूम में बैठक की सूचना । खं० १८५, पृ० १६४ ।

शारदा नदी—

प्र० वि०—खीरी जिले में——— के ऐरा घाट पर पैन्टून ब्रिज की आवश्यकता । खं० १८५, पृ० ३५६ ।

शिकायत—

प्र० वि०—आजमगढ़ जिले में मधुवन-बिल्थरा रोड में ली गयी जमीन का मुआवजा न मिलने की——— । खं० १८५, पृ० ५२१ ।

प्र० वि०—एटा में सड़कें न बनने की ——— । खं० १८५, पृ० ५०८ ।

प्र० वि०—कानपुर के कुछ मुहल्लों में पानी के निकास का प्रबन्ध न होने की ——— । खं० १८५, पृ० ५१८—५१९ ।

प्र० वि०—खीरी जिले में पलिया थाने की पुलिस के विरुद्ध——— । खं० १८५, पृ० ६४७ ।

प्र० वि०—गवर्नमेंट प्रिसीजन फैक्टरी, लखनऊ, में माइक्रोप सेक्शन के कारीगरों के वेतन के सम्बन्ध में ——— । खं० १८५, पृ० ४२९ ।

प्र० वि०—प्रश्नों के उत्तर एक दिन पूर्व न मिलने की——— । खं० १८५, पृ० ९७ ।

[शिकायत—]
प्र० वि०—प्राइवेट स्कूलों के अस्थायी अध्यापकों को गर्मी की छुट्टियों से पहले हटा देने की———। खं० १८५, पृ० ६५२ ।
प्र० वि०—फैजाबाद जिले में तालाबों और कुओं से सिंचाई पर रोक की———। खं० १८५, पृ० ४३१—४३२ ।
प्र० वि०—राजकीय स्त्री चिकित्सालय, गोसाईगंज, जिला लखनऊ की महिला डाक्टर श्रीमती चन्द्रा के विरुद्ध ———। खं० १८५, पृ० ३३४—३३५ ।
प्र० वि०—सिविल कोर्ट, फर्रुखाबाद के मातहत अमीनों की ग्रेडेशन लिस्ट की कथित———। खं० १८५, पृ० ३५३ ।
प्र० वि०—स्टेट वैक्सीन इन्स्टीट्यूट पटवाडांगर से संबंधित———। खं० १८५, पृ० ११८ ।

शिकायतें—
प्र० वि०—काशीपुर शुगर फैक्ट्री से संबंधित भ्रष्टाचार की———। खं० १८५, पृ० २६१—२६२ ।
प्र० वि०—गोरखपुर जिले में सीमेंट वितरण की———। खं० १८५, पृ० ३४७—३४८ ।

शिकायतों—
प्र० वि०—प्रेसीडेंट, नोटीफाइड एरिया कमेटी, राम नगर के विरुद्ध———की जांच रिपोर्ट। खं० १८५, पृ० ५२० ।

शिकार—
प्र० वि०—मुजफ्फरनगर कलेक्टरेट के क्लर्क श्री राजेन्द्र सिंह की——— खेलते समय मृत्यु। खं० १८५, पृ० ६४८ ।

शिक्षा—
प्र० वि०—ग्रामीण स्त्रियों को प्रौढ़ शिक्षा योजना के अन्तर्गत——— देने की व्यवस्था। खं० १८५, पृ० ६४१ ।
प्र० वि०—भूतपूर्व अपराधशील जातियों के विद्यार्थियों को———सम्बन्धी सुविधायें। खं० १८५, पृ० ११९—१२० ।

शिक्षा (निःशुल्क)—
प्र० वि०—प्रारम्भिक कक्षाओं में ———के लिये आदेश। खं० १८५, पृ० ४२१—४२२ ।

शिक्षा शुल्क—
प्र० वि०— ———न लेने के सम्बन्ध में कथित आदेश। खं० १८५, पृ० ६५०—६५१ ।

शिड्यूल्ड कास्ट—
प्र० वि०—गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद तथा लखनऊ में——— के कर्मचारी। खं० १८५, पृ० २७५ ।

शिवप्रसाद, श्री—
१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान। खं० १८५, पृ० ५९५—५९६ ।

शिवप्रसाद नागर, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ६३-क—युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय और ६३-ख—सामुदायिक विकास योजनाएं, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य। खं० १८५, पृ० ५३६—५३९ ।

शिवमंगल सिंह, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा। खं० १८५, पृ० ५९—६० ।

शिवराजबली सिंह, श्री—

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान— अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी। खं० १८५, पृ० २०७–२०९।

शिवराज बहादुर, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २७—न्याय प्रशासन। खं० १८५, पृ० ६८३–६८५।

शिवराज सिंह यादव, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी। खं० १८५, पृ० २२८–२३०।

शिव शंकर सिंह, श्री—

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४१—पशु चिकित्सा। खं० १८५, पृ० २८९।

शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री—

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०—वन। खं० १८५, पृ० ६७३–६७४।

अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ६३-क—युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३—ख—सामुदायिक विकास योजनाएं, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य। खं० १८५, पृ० ५३४–५३६।

शिवालय—

प्र० वि०—गाजीपुर जिले के सुलेमपुर गांव में श्री शंकर जी के ——— के जीर्णोद्धार की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० १६।

शुगर फैक्टरी—

प्र० वि०—काशीपुर——— से सबंधित भ्रष्टाचार की शिकायतें। खं० १८५ पृ० २६१–२६२।

शय्याओं—

प्र० वि०—इटावा टी० बी० अस्पताल में——— को बढ़ाने की प्रार्थना खं० १८५, पृ० १०६–१०७

शन्नो देवी शास्त्री, कुमारी—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १०—लेखा शीर्षक २०—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक २५—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय। खं० १८५, पृ० ४७३–४७५

अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन—स्वास्थ्य। खं० १८५, पृ० ३६९–३७१।

अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ४७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान। खं० १८५, पृ० ६००–६०२।

श्रमदान—

प्र० वि०—वाराणसी जिले में——— द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता। खं० १८५, पृ० १२।

श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

वित्तीय तथा साधारण कार्य में विरोधी दल को अधिक समय देने तथा विरोधी दल के परामर्श से कार्य-क्रम निर्धारित करने के संबंध में सुझाव। खं० १८५, पृ० २८२।

श्रीनाथ, श्री——

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या ४०——लेखा शीर्षक ५७——अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान । खं० १८५, पृ० ५८१—५८२ ।

श्रीपालसिंह, कुंवर——

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या २——लेखा शीर्षक ७——मालगुजारी । खं० १८५, पृ० २३०—२३२ ।

अनुदान संख्या ४७——लेखा शीर्षक ८१——राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा । खं० १८५, पृ० ३३ ।

स

संगठन——

प्र० वि०——हिन्दी परामर्शदात्री समिति के पुनः—— पर विचार । खं० १८५, पृ० ६४६—६४७ ।

संग्रहालय——

प्र० वि०——विदेशी शासकों की मूर्तियां ——में रखने का आदेश । खं० १८५, पृ० २८ ।

संशोधन——

यू० पी० पंचायत राज नियमावली में प्रख्यापित—— । खं० १८५, पृ० ५२५ ।

सकरामऊ——

——, जिला आजमगढ़ में भूख से एक व्यक्ति की मृत्यु के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० १९१ ।

सचिवालय——

प्र० वि०—— ——के न्याय विभाग में छटनी । खं० १८५, पृ० ९५—९६ ।

प्र० वि०——सामान्य, वित्त तथा सार्वजनिक——में सहायक सचिवों की पदोन्नति के सम्बन्ध में जानकारी । खं० १८५, पृ० २१—२२ ।

सजीवनलाल, श्री——

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या ५——लेखा शीर्षक १०——वन । खं० १८५, पृ० ६६६—६६७ ।

सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती——

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या १९——लेखा शीर्षक ३८——चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०——लेखा शीर्षक ३९——जन-स्वास्थ्य । खं० १८५, पृ० ३९९ ।

सज्जा——

श्री उपाध्यक्ष द्वारा अपने निवास स्थान की——के व्यय में कटौती की घोषणा । खं० १८५, पृ० ७५ ।

सड़क-

प्र० वि०——इटावा जिले में अहेरीपुर-महोबा——के निर्माण के लिये अनुदान की मांग । खं० १८५, पृ० २५५ ।

प्र० वि०——गाजीपुर जिले में मैनपुर-जमानिया घाट——तथा गंगा पर पुल की आवश्यकता । खं० १८५, पृ० ५०० ।

प्र० वि०——फिरोजाबाद-कोटला——की खराब हालत तथा फिरोजाबाद तहसील में शंकरपुर में यमुना पर पुल की आवश्यकता । खं० १८५, पृ० ३३९—३४० ।

प्र० वि०——मैनपुरी-खुड़िया——पर ईसन नदी के पुल की आवश्यकता । खं० १८५, पृ० ५११—५१२ ।

प्र० वि०——सहारनपुर–[illegible]——— के निर्माण में प्रगति । खं० १८५, पृ० ३५८ ।

सड़कें———

प्र० वि०——एटा में———न बनने की शिकायत । खं० १८५, पृ० ५०८ ।

प्र० वि०——खीरी जिले में बनने वाली——— । खं० १८५, पृ० ३५२–३५३ ।

प्र० वि०——बुलन्दशहर जिले में पक्की की जाने वाली———। खं० १८५, पृ० ५१५–५१६ ।

सड़कों———

प्र० वि०——कानपुर जिले में———की निर्माण योजना । खं० १८५, पृ० ३५९ ।

प्र० वि०——गोंडा जिले की बलरामपुर तथा उतरौला तहसीलों में———का निर्माण । खं० १८५, पृ० ५२१ ।

प्र० वि०——गोरखपुर जिले में———का निर्माण । खं० १८५, पृ० ५०६ ।

प्र० वि०——झांसी जिले की ललितपुर महरौनी तहसील में———में कमी । खं० १८५, पृ० ५२२–५२३ ।

प्र० वि०——बांसी, मेंहदावल बाजार, बाघनगर तथा बस्ती को मिलानेवाली ———को पक्की करने की प्रार्थना । खं० १८५, पृ० ३४९–३५० ।

प्र० वि०——बिजनौर जिले में———की निर्माण योजना । खं० १८५, पृ० ३५२ ।

प्र० वि०——वाराणसी जिले में श्रमदान द्वारा निर्मित———की मरम्मत की आवश्यकता । खं० १८५, पृ० १२ ।

प्र० वि०——हमीरपुर जिले की राठ तहसील में——— की निर्माण योजना । खं० १८५, पृ० ३४४–३४५ ।

सत्याग्रही———

आगरा जिले में सोशलिस्ट———श्री रावासिंह की मृत्यु के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० २७९ ।

सदस्यों द्वारा———

झांसी जिले के [illegible]———को [illegible] के [illegible] का विचार । खं० १८५, पृ० ३५६–३५७ ।

सभा सचिव———

प्र० वि०——विधायक निवास में———, उपमंत्री तथा सरकारी कर्मचारियों का रहना । खं० १८५, पृ० २३५ ।

समय———

वित्तीय तथा साधारण कार्य में विरोधी दल को अधिक———देने तथा विरोधी दल के परामर्श से कार्य-क्रम निर्धारित करने के संबंध में सुझाव । खं० १८५, पृ० २७९–२८३ ।

समय निर्धारण———

भाषणों के लिए———। खं० १८५, पृ० ३७ ।

समय विभाजन———

१९५७–५८ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–विभिन्न अनुदानों के लिये——— । खं० १८५, पृ० ३०, २८३–२८४, ४४४–४४५, ५२६–५२७, ६५५–६५६ ।

समाज कल्याण———

१९५७–५८ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या ४१——लेखा शीर्षक ५७——— ——— । खं० १८५, पृ० २८४ ।

समाजवादी सत्याग्रहियों———

प्र० वि०——देवरिया में———पर कथित पुलिस आक्रमण । खं० १८५ पृ० ६४५ ।

समान समय———

कांग्रेस-पक्ष तथा विरोधी-पक्ष को आय-व्ययक पर विचार में——— देने पर आपत्ति । खं० १८५, पृ० ३५–३७ ।

समिति---

प्र० वि०---गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में सहायता देने के लिये----- बनने का सुझाव । खं० १८५, पृ० ६४७ ।

समितियों---

विभिन्न-----तथा बोर्डों के नाम निर्देशन पत्र वापस लेने के समय में वृद्धि । खं० १८५, पृ० ७०३ ।

सम्पूर्णा नगर उपनिवेश---

प्र० वि०---लखीमपुर में-----में ली गयी जमीन का मुआवजा । खं० १८५, पृ० १०८-१०९ ।

सम्पूर्णानन्द, डाक्टर---

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १२---लेखा शीर्षक २५---सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३---लेखा शीर्षक २५---कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय । खं० १८५, पृ० ४४६-४५१, ४६३, ४७६, ४७७, ४८२, ४८३-४८९ ।

अनुदान संख्या ३६---लेखा शीर्षक ५४-क---प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ५४-ख---भारतीय शासकों के निजी खर्च तथा भत्ते । ९ ५, पृ० ४४५ ।

अनुदान संख्या ४३---लेखा शीर्षक ६३-क---युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३-ख---सामुदायिक विकास योजनाएं---राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य । खं० १८५, पृ० ५२७-५३१, ५५७, ५६५-५७२ ।

अनुदान संख्या ४७---लेखा शीर्षक ८१---राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा । खं० १८५ पृ० ३२ ।

विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन । खं० १८५, पृ० २८३ ।

ट्रांस घाघरा-राप्ती-गंडक क्षेत्र में घाघरा राप्ती इत्यादि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थित पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० ५२४ ।

प्रादेशिक कर्मचारियों को डाक व तार कार्यालयों में काम करने की आज्ञा देने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० ३६४ ।

वित्तीय तथा साधारण कार्य में विरोधी दल को अधिक समय देने तथा विरोधी दल के परामर्श से कार्य-क्रम निर्धारित करने के संबंध में सुझाव । खं० १८५, पृ० २८१ ।

सरकारी कर्मचारियों---

प्र० वि०--- -----का महंगाई भत्ता बढ़ाने के संबंध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा भेजे गये पत्रों की प्रतिलिपियों की मांग । खं० १८५, पृ० २५८ ।

प्र० वि०--- -----को हिल एलाउंस देने की सिफारिश । खं० १८५, पृ० २५३ ।

प्र० वि०---विधायक निवास में सभा सचिव, उपमंत्री तथा ----- का रहना । खं० १८५, पृ० २७५ ।

सरकारी दूकानों---

प्र० वि०---आजमगढ़ जिले में----- पर सस्ता तथा बिक्री-कर मुक्त अनाज बेचने की प्रार्थना । खं० १८५, पृ० ५०८-५११ ।

सरकारी योजनाओं---

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ५१---लेखा शीर्षक ८५---क-राज्य व्यापार की -----पर पूंजी की लागत । खं० १८५, पृ० ६५६ ।

सरयू--

प्र० वि०--राप्ती-----कटाव निरोधक उपायों की आवश्यकता। खं० १८५, पृ० ४४० ।

सरोजिनी नायडू अस्पताल--

प्र० वि०-- -----आगरा में, रामपाल लड़के को लड़की बनाने का प्रयोग। खं० १८५, पृ० १०४-१०५ ।

सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज--

प्र० वि०--रामपुर बैंक डकैती केस से सम्बन्धित कम्युनिस्ट बन्दी बग्गा सिंह की----- आगरा में मृत्यु । खं० १८५, पृ० ६३१-६३२ ।

सशस्त्र डकैतियों--

गोरखपुर जिले में-----से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० १९१-१९२ ।

सस्ते अनाज--

प्र० वि०--जौनपुर जिले में-----की दूकानें। खं० १८५, पृ० ५११।

सस्ते भाव--

प्र० वि०--रासायनिक खादों को -----में देने का विचार । खं० १८५, पृ० ११८-११९ ।

सहकारिता--

प्र० वि०-- -----के आधार पर मिलें खोलने की योजना । खं० १८५, पृ० २६३ ।

प्र० वि०--झांसी जिले के बरवासागर सब्जी व्यापार को-----के आधार पर चलाने का विचार। खं० १८५, पृ० ३५६-३५७ ।

सहकारी अधिकारी--

प्र० वि०--जिला-----,टेहरी गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फैडरेशन के सेक्रेटरी का काम करना । खं० १८५, पृ० ५२० ।

सहकारी समितियां--

प्र० वि०--हैण्डीक्राफ्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिये-----स्थापित करने के लिये विचार। खं० १८५, पृ० ४३७-४३८ ।

सहायक सचिवों--

प्र० वि०--सामान्य, वित्त तथ सार्वजनिक सचिवालयों में -----की पदोन्नति के संबंध जानकारी। खं० १८५, पृ० ७१-७२

सहायता--

प्र० वि०--आजमगढ़ जिले में नदी के। कटाव से पीड़ित व्यक्तियों की----- खं० १८५, पृ० ८-९ ।

प्र० वि०--आजमगढ़ जिले में बाढ़-पीड़ित क्षेत्र के छात्रों को------ । खं० १८५. पृ० ६५२ ।

प्र० वि०--आजमगढ़ जिले में राजकीय प्राइमरी स्कूलों को भवन निर्माणार्थ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से-----न मिलना । खं० १८५, पृ० ६५० ।

प्र० वि०--इटावा जिले की औरैया म्युनिसिपैलिटी जलकल सहकारी समिति को------देने की प्रार्थना । खं० १८५, पृ० ५१९-५२० ।

प्र० वि०--गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, समोदपुर, जिला जौनपुर को केन्द्र से----- । खं० १८५, पृ० ६४५-६४६ ।

प्र० वि०--गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में-----देने के लिये समिति बनने का सुझाव । खं० १८५, पृ० ६४७ ।

प्र० वि०--टेहरी-गढ़वाल की पट्टी बड़ियारगढ़ के वर्षा से पीड़ित व्यक्तियों को------। खं० १८५, पृ० ४२२-४२३ ।

प्र० वि०--पी० वी० कालेज, प्रतापगढ़ के हरिजन छात्रावास को------ देने का विचार । खं० १८५, पृ० १०७-१०८ ।

[सहायता—]

प्र० वि०—बरेली जिले में कम्पर लगाने के लिये—— न मिलना। खं० १८५, पृ० ४२६।

सहायता प्राप्त स्कूलों—

प्र० वि०—प्रति विद्यार्थी राजकीय ——पर व्यय। खं० १८५, पृ० ६४८।

सहारनपुर—

——नगर पालिका के भंगियों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३६३।

सहारनपुर-बागपत सड़क——

प्र० वि०—————के निर्माण में प्रगति। खं० १८५, पृ० ३५८।

साधारण कार्य——

वित्तीय तथा———में विरोधी दल को अधिक समय देने तथा विरोधी दल के परामर्श से कार्य-क्रम निर्धारित करने के संबंध में सुझाव। खं० १८५, पृ० २७६-२८३।

सामान्य प्रशासन—

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक २५——के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक २५—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय। खं० १८५, पृ० ४४६-४८९।

सामुदायिक विकास योजनाएं—

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ६३-क—युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय और ६३-ख——राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य। खं० १८५, पृ० ५२७-५७२।

सिंचाई—

प्र० वि०—फैजाबाद जिले में तालाबों और कुओं से——पर रोक की शिकायत। खं० १८५, पृ० ४३१-४३२।

सिंचाई की शरह—

प्र० वि०—हमीरपुर जिले में———में कमी के लिये प्रार्थना। खं० १८५, पृ० २७१।

सिंचाई विभाग—

प्र० वि०— ———के ओवरसियरों को मोटर साइकिल एलाउन्स। खं० १८५, पृ० ४३२।

सिंचित भूमि—

प्र० वि०- -मुजफ्फरनगर जिले में में —— ——। खं० १८५, पृ० ४२६।

सिफारिश—

प्र० वि०—इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को अनुदान देने की———। खं० १८५, पृ० ३४०।

प्र० वि०—सरकारी कर्मचारियों को हिल एलाउंस देने की————। खं० १८५, पृ० २५३।

सिफारिशों—

प्र० वि०—पी० डब्ल्यू० डी० सम्बन्धं एस्टीमेट्स कमेटी की———।खं० १८५, पृ० ३५६।

सिविल अपीलें—

प्र० वि०—इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में १९५४-५५ मे दायर ———। खं० १८५, पृ० ३५४।

सिविल कोर्ट—

प्र० वि०— ————, फर्रुखाबाद के मातहत अमीनों की ग्रेडेशन लिस्ट की कथित शिकायत। खं० १८५, पृ० ३५३।

सिविल सर्जन—

प्र० वि०—बदायूं जिले के कुछ गांवों में फैली लैथरिज्म बीमारी के सम्बन्ध में———की रिपोर्ट। खं० १८५, पृ० ४२४-४२६।

सी० आर० पी० सी०——

प्र० वि०——मुरादाबाद जिले में धारा १०६, ११० व ——के अन्तर्गत चालान। खं० १८५, पृ० ६५०–६५१।

सीताराम शुक्ल, श्री——

१९५७–५८ के आय-व्ययक मे अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या १५——लेखा शीर्षक २७——न्याय प्रशासन। खं० १८५, पृ० ६८५, ६९२, ६९५–६९७।

सीमेण्ट——

प्र० वि०——इलाहाबाद जिले के लिए ——का कोटा। खं० १८५, पृ० ३४३।

प्र० वि०——गोरखपुर जिले के कोठी-भार थाने की पुलिस द्वारा——पकड़ना। खं० १८५, पृ० ६४९।

प्र० वि०——गोरखपुर जिले में——वितरण की शिकायतें। खं० १८५, पृ० ३४७–३४८।

प्र० वि०——देवरिया जिले के बाढ़ पीड़ित इलाके में——, लोहा, कोयला तथा जी० सी० शीट्स का वितरण। खं० १८५, पृ० ५१९।

प्र० वि०——बरेली जिले में——का वितरण। खं० १८५, पृ० ५०४–५०५।

प्र० वि०——मुजफ्फरनगर जिले में——का वितरण। खं० १८५, पृ० ३५३।

प्र० वि०——सहारनपुर जिले में ——का कोटा। खं० १८५, पृ० ३५१–३५२।

सीमेण्ट-कोटा——

प्र० वि०——जालौन जिले में देहाती क्षेत्र का——अलग करने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ३५४।

सीमेंट फैक्टरी——

प्र० वि०——चुर्क——का उत्पादन। खं० १८५, पृ० ४३९–४४०।

प्र० वि०——चुर्क——पर व्यय तथा प्रतिमास उत्पादन। खं० १८५, पृ० ७–८।

प्र० वि०——राज्य में दूसरे ——योजना के लिये अन्वेषण। खं० १८५, पृ० २७३।

सीवर्स——

प्र० वि०——आगरे में अन्डर ग्राउन्ड ——का निर्माण-कार्य। खं० १८५, पृ० ३३७–३३८।

सुखरामदास, श्री——

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

सुझाव——

प्र० वि०——इलाहाबाद जिले के देहाती इलाके में आग बुझाने का स्थायी प्रबन्ध करने का——। खं० १८५, पृ० ६२९–६३०।

प्र० वि०——जिला ऐन्टी-करप्शन कमेटियों के अधिकार बढ़ाने के लिए——. खं० १८५, पृ० ६–७।

प्र० वि०——राजनीतिक बंदियों को जेल में सुविधायें देने का ——। लिए——। खं० १८५, पृ० २५३।

वित्तीय तथा साधारण कार्य में विरोधी दल को अधिक समय देने तथा विरोधी दल के परामर्श से कार्यक्रम निर्धारित करने के सम्बन्ध में——। खं० १८५, पृ० २७९–२८३।

सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री——

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

सुधार और उत्थान——

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या ४०——लेखा शीर्षक ५७——अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का——। खं० १८५, पृ० ५७२–६०७।

सुपरसीड——

प्र० वि०——हरदोई जिले में डी० सी० डी० एफ० का——होना। खं० १८५, पृ० ३५५।

सुरथबहादुर शाह, श्री——

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

[मुहम्मदबहादुर शाह, श्री—]

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि सम्बन्धी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत। खं० १८५, पृ० ३१९।

विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन। खं० १८५, पृ० ३०, २८३, २८४, ४४४–४४५।

सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

सुल्तान आलम खां, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी। खं० १८५, पृ० १९३–१९५।

अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक: ३८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य। खं० १८५, पृ० ३७३–३७४।

अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा। खं० १८५, पृ० ३८।

सुविधा—

प्र० व०—जंगल के निकट रहने वालों को ईंधन की——। खं० १८५, पृ० ५०७–५०८।

सुविधाएं—

प्र० वि०—भूतपूर्व अपराधशील जातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा सम्बन्धी ——। खं० १८५, पृ० ११९–१२०।

प्र० वि०—राजनीतिक बंदियों को जेल में——देने का सुझाव। खं० १८५ पृ० २५३।

सूचना—

अध्यक्ष-दीर्घा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में——। खं० १८५, पृ० ४९०।

आगरा जिले में सोशलिस्ट सत्याग्रही श्री रामसिंह की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की——। खं० १८५, पृ० २७९।

आजमगढ़ जिले के रामपुर में धुनौली गांव में भुखमरी से अभिकथित मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ——। खं० १८५, पृ० ४४१।

आजमगढ़ शहर में बम विस्फोट के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ——। खं० १८५, पृ० ४४१–४४२।

गोरखपुर जिले में अभिकथित भुखमरी की स्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की——। खं० १८५, पृ० ५२५।

गोरखपुर जिले में सशस्त्र डकैतियों से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की——। खं० १८५, पृ० १९१–१९२।

जिला पीलीभीत में पुलिस के निरंकुश व्यवहार से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की——। खं० १८५, पृ० २७८।

प्रांत घाघरा-राप्ती-गंडक क्षेत्र में घाघरा राप्ती इत्यादि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की——। खं० १८५, पृ० ५२४–५२५।

पूर्वी जिलों——विशेषकर गोरखपुर जिले में घाघरा, राप्ती, आदि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ——। खं० १८५, पृ० २७८–२७९।

प्रतापगढ़ जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों द्वारा भूख हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की——। खं० १८५, पृ० ४४२—४४३।

बलिया जिले में गेस्ट्रोइन्ट्राइटिस एवं हैजे से ५०० व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ——। खं० १८५, पृ० १२०।

बलिया जिले में घाघरा नदी से होने वाले कटाव से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ——। खं० १८५, पृ० ४४३—४४४।

श्री ब्रजनारायण तिवारी द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव की——। खं० १८५, पृ० ३०।

भुखमरी से सम्बन्धित कार्य-स्थगन प्रस्तावों को अगले दिन लेने की——। खं० १८५, पृ० १६२।

भुखमरी से संबंधित ३ अगस्त के दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की——पर श्री अध्यक्ष का निर्णय। खं० १८५, पृ० २७६—२७८।

श्री मदन पांडेय द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की——। खं० १८५, पृ० ३०।

श्री मलखान सिंह द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की——। खं० १८५, पृ० ६५४।

विधान सभा सदस्य श्री मोतीलाल अवस्थी की गिरफ्तारी की——। खं० १८५, पृ० १६०।

सकरामऊ, जिला आजमगढ़ में भूख से एक व्यक्ति की मृत्यु के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की——। खं० १८५, पृ० १६१।

सूती मिल——

प्र० वि०—— ——मुरादाबाद को पुनः चालू करने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० १०८।

सूरतचन्द रमोला, श्री——

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४१—पशु चिकित्सा। खं० १८५, पृ० २८७—२८८।

अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा। खं० १८५, पृ० ४५—४७।

सूर्यबली पाण्डेय, श्री——

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

सेवा खंड——

प्र० वि०—राष्ट्रीय प्रसार——ब्लाक के कार्य। खं० १८५, पृ० ३०।

सेक्रेटेरियट——

प्र० वि०—— ——रिआर्गनाइजेशन स्कीम। खं० १८५, पृ० ३३३—३३४।

सेक्रेटरी——

प्र० वि०—जिला सहकारी अधिकारी, टेहरी गढ़वाल का डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन के——का काम करना। खं० १८५, पृ० ५२०।

सेनेटरी इन्स्पेक्टर——

प्र० वि०—— ——की परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्तियों की नियुक्ति। खं० १८५, पृ० ११८।

सेल्स-टैक्स——

प्र० वि०—— ——सम्बन्धी विज्ञप्ति का हाई कोर्ट द्वारा अवैध करार दिया जाना। खं० १८५, पृ० २७४।

सेस——

प्र० वि०—गन्ना तथा——का बकाया। खं० १८५, पृ० २७५—२७६।

सैनिक स्कूल——

देहरादून के——में प्रविष्ट विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति। खं० १८५, पृ० २४।

सैनिकों——

प्र० वि०—स्वतन्त्रता संग्राम के——की पेंशन मिलने में विलम्ब। खं० १८५, पृ० ६३९—६४०।

सोडा ऐश फैक्ट्री——

प्र० वि०—— ——के लिये स्वीकृत धन का व्यय। खं० १८५, पृ० २७४।

सोना——

प्र० वि०——रामबरन डाकू की मृत्यु के पश्चात घटनास्थल पर नोट और ——मिलना। खं० १८५, पृ० ६४६।

सोशलिस्ट सत्याग्रहियों——

प्रतापगढ़ जेल में———द्वारा भूख हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ४४२—४४३।

प्र० वि०——लखीमपुर जेल में———द्वारा अनशन। खं० १८५, पृ० ३३६।

सोशलिस्ट सत्याग्रही——

आगरा जिले में ———श्री रामसिंह की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० २७६।

आगरा जेल में———, श्री रामसिंह की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३६०—३६१।

स्कीम——

प्र० वि०——सेक्रेटेरिएट रिआर्गनाइजेशन ———। खं० १८५, पृ० ३३३—३३४।

स्कूल——

प्र० वि०——हरिद्वार में भिखारियों के लिए आश्रम तथा लखनऊ और गोरखपुर में अंधों के लिये———। खं० १८५, पृ० १११—११२।

स्कूलों——

प्र० वि०——जालौन जिले में विलीन क्षेत्र के ———के अध्यापक। खं० १८४, पृ० ६५१।

स्टेट बैंक——

प्र० वि०——शाहजहांपुर के———का स्थानान्तरण। खं० १८५, पृ० ४२७।

स्टेट वैक्सीन इन्स्टीट्यूट——

प्र० वि०—— ———पटवाडांगर से सम्बन्धित जिकायत। खं० १८५, पृ० ११८।

स्थानान्तरण——

प्र० वि०——शाहजहांपुर के स्टेट बैंक का———। खं० १८५, पृ० ४२७।

स्थानिक प्रश्न

अन्देशनगर——

खीरी जिले में मंझरा तथा———कृषि फार्मों के आय-व्यय का लेखा। खं० १८५, पृ० १०९—११०।

अब्दुल्ला ग्राम——

सहारनपुर जिले के———की डकैती। खं० १८५, पृ० ६५३।

अमरौधा——

कानपुर जिले में———विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बम्हरौली घाट में सार्वजनिक कुएं का निर्माण। खं० १८५, पृ० ९।

अयमा——

आजमगढ़ जिलान्तर्गत दोहरीघाट पम्प नहर में ली गई———गांव पवनी की भूमि का मुआवजा। १८५, पृ० २५५—२५६।

अलीगढ़——

———जिले के बरमाना, हसायन में इसेन्शियल आयल योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्र। खं० १८५, पृ० २६६—२६७।

आगरा——

———छावनी बोर्ड के अध्यापक मंडल का प्रस्ताव। खं० १८५, पृ० ५१४।

———जिले में खजानों का काम तहसीलदारों के सुपुर्द करना। खं० १८५, पृ० २७६।

———डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों को प्रावीडेंट फंड का न मिल सकना। खं० १८५, पृ० ५१३—५१४।

———नगरपालिका का बिल्डिंग बाई-लाज में परिवर्तन करना। खं० १८५, पृ० ५०७।

———म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा नियुक्त विज्ञान अध्यापकों का हटाया जाना। खं० १८५, पृ० ६५२।

रामपुर बैंक डकैती केस से सम्बन्धित कम्युनिस्ट बन्दी बग्गा सिंह की सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, ———में मृत्यु। खं० १८५, पृ० ६३१—६३२।

सरोजनी नायडू अस्पताल——में, रामपाल, लड़के को लड़की बनाने का प्रयोग। खं० १८५, पृ० १०४—१०५।

आगरे——

———के डेवलपमेंट ट्रस्ट लिमिटेड की हाउस बिल्डिंग प्लान। खं० १८५, पृ० ५०६।

———में अन्डर ग्राउन्ड सीवर्स का निर्माण-कार्य। खं० १८५, पृ० ३३७—३३८।

आजमगढ़——

ग्राम चुनाव के समय जिला बोर्ड———के अध्यापकों का तबादला। खं० १८५, पृ० ६२८—६२९।

१९४२ के आन्दोलन में———जिले में जलाये गये मकानों का मुआवजा। खं० १८५, पृ० ६३३।

ग्राम तहिरापुर, थाना दोहरीघाट, जिला ———के निवासियों का प्रार्थना-पत्र। खं० १८५, पृ० ३४७।

ग्रामोन्नति सहकारी भंडार, कमल सागर, जिला———का आवेदन-पत्र। खं० १८५, पृ० ६२८।

———जिला निरीक्षक के कार्यालय से हायर सेकेंडरी स्कूलों के पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति। खं० १८५, पृ० ११९।

———जिलान्तर्गत दोहरीघाट पम्प नहर में ली गई अयमा गांव पवनी की भूमि का मुआवजा। खं० १८५, पृ० २५५—२५६।

जिला पंचायत कार्यालय———में हुये गबन की जांच की मांग। खं० १८५, पृ० ९५।

———जिले की कोपागंज टाउन एरिया में निर्वाचन कराने पर विचार। खं० १८५, पृ० २५४।

———जिले की गांव सभाओं को दिये गये धन के हिसाब में गड़बड़ी। खं० १८५, पृ० ५०९—५०९।

———जिले में घाघरा नदी के कटाव से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता। खं० १८५, पृ० ८—९।

———जिले में "चंवर ताल" योजना। खं० १८५, पृ० २५३।

———जिले में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के छात्रों को सहायता। खं० १८५, पृ० ६५२।

———जिले में मधुवन-बिल्थरा रोड में ली गयी जमीन का मुआवजा न मिलने की शिकायत। खं० १८५, पृ०५२१।

———जिले में राजकीय प्राइमरी स्कूलों को भवन निर्माणार्थ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सहायता न मिलना। खं० १८५, पृ० ६५०।

———जिले में सरकारी दूकानों पर सस्ता तथा बिक्री-कर मुक्त अनाज बेचने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ५०८—५११।

———जिले में स्थायी जिला नियोजन एवं जिला पंचायत अधिकारी न होना। खं० १८५, पृ० ११।

———जिले में "हाहानाला" पर रेगुलेटर लगाने में विलम्ब। खं० १८५, पृ० २५६।

टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल, मुहम्मदाबाद गोहना, जिला——— में फ्लड शेल्टर न बन सकना। खं० १८५, पृ० ६५०।

पंचायतों के चुनाव में काम करने वाले जिला बोर्ड,——— अध्यापकों को भत्ता न मिलना। खं० १८५, ७५३०।

[स्थानिक प्रश्न---आजमगढ़---]
विशेष पदाधिकारी, राजनीतिक पेन्शन विभाग, लखनऊ का कांग्रेस कमेटी ------को पत्र । खं० १८५, पृ० ४२३--४२४ ।

इटावा--
------जिलान्तर्गत श्रमदान द्वारा निर्मित भर्थना-ऊसराहार सड़क को पक्की करने की प्रार्थना । खं० १८५, पृ० १३--१४ ।
------जिले के नहर विभाग में अमीन व पतरौल के चुनाव में परिगणित जाति के व्यक्ति न लेने पर आपत्ति । खं० १८५, पृ० ४३६ ।
------जिले के पारपट्टी क्षेत्र की विकास योजना । खं० १८५, पृ० ९--१० ।
------जिले में अहेरीपुर-महोवा सड़क के निर्माण के लिये अनुदान की मांग । खं० १८५, पृ० २५५ ।
------जिले में डकैतियां । खं० १८५, पृ० ६५२ ।
------जिले में नलकूप निर्माण-कार्य न हो सकना । खं० १८५, पृ० २६७--२६८ ।
------जिले में पुलिस कांस्टेबिलों की भर्ती में परिगणित जाति के व्यक्तियों का न लिया जाना । खं० १८५, पृ० ६३८ ।
------जिले में पुलिस के दारोगों और दीवानों का अधिक समय तक तबादला न होना । खं० १८५, पृ० ६४२--६४३ ।
------जिले में भर्थना टाउन एरिया का गन्दा पानी निकालने की व्यवस्था के लिए प्रार्थना । खं० १८५, पृ० ३५५ ।
------टी० बी० अस्पताल में शय्याओं को बढ़ाने की प्रार्थना । खं० १८५, पृ० १०६--१०७ ।

इन्दौर--
------सरकारी हैन्डी क्राफ्ट की दुकान ------प्रदर्शनी में ले जाने पर व्यय । खं० १८५, पृ० २६४--२६५ ।

इमिलिया--
हमीरपुर जिले की------डिस्पेंसरी में डाक्टर का न होना । खं० १८५, पृ० ११४ ।

इलाहाबाद--
------इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को अनुदान देने की सिफारिश । खं० १८५, पृ० ३४० ।
------का नाम "प्रयाग" रखने का सुझाव । खं० १८५, पृ० १४ ।
काल्विन हास्पिटल, ------, में एक बेंक एकाउण्टेण्ट की मृत्यु । खं० १८५, पृ० ४२१ ।
------के नैनी इंडस्ट्रियल एरिया का उत्पादन । खं० १८५, पृ० ११३ ।
------के नैनी इंडस्ट्री एरिया में कारखानों को बिजली । खं० १८५, पृ० २५७--२५८ ।
गवर्नमेंट प्रेस, ------ तथा लखनऊ में शिड्यूल्ड कास्ट के कर्मचारी । खं० १८५, पृ० २७५ ।
------जिले के देहाती इलाके में आग बुझाने का स्थायी प्रबन्ध करने का सुझाव । खं० १८५, पृ० ६२९--६३० ।
------जिले के लिये सीमेंट का कोटा । खं० १८५, पृ० ३४३ ।
------नगरपालिका को पेय जल के लिये ऋण । खं० १८५, पृ० ४९९--५०० ।
------हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में १९५४-५५ में दायर सिविल अपीलें । खं० १८५, पृ० ३५४ ।
------हाईकोर्ट में दीवानी की विचाराधीन अपीलें । खं० १८५, पृ० ५०२ ।

उतरौला--
गोंडा जिले की बलरामपुर तथा------तहसीलों में सड़कों का निर्माण । खं० १८५, पृ० ५२१ ।

उन्नाव—
———नगर में बारातियों पर पुलिस अत्याचार । खं० १८५, पृ० ६४३–६४५ ।

एटा—
———जिले में पुराने थानेदार । खं० १८५, पृ० ६८ ।
———में सड़कें न बनने की शिकायत । खं० १८५, पृ० ५०८ ।

ऐरा घाट—
खीरी जिले में शारदा नदी के——— पर पैन्टून ब्रिज की आवश्यकता । खं० १८५, पृ० ३५६ ।

औरैया—
इटावा जिले की———म्युनिसिपैलिटी जल कल सहकारी समिति को सहायता देने की प्रार्थना । खं० १८५, पृ० ५१९–५२० ।

कमल सागर—
ग्रामोन्नति सहकारी भंडार, ———, जिला आजमगढ़ का आवेदन-पत्र । खं० १८५, पृ० ६२८ ।

कानपुर—
———के कुछ मुहल्लों में पानी के निकास का प्रबन्ध न होने की शिकायत । खं० १८५, पृ० ५१८–५१९ ।
———जिले के राजकीय खादी केन्द्र नौरंगा के एक कर्मचारी का वेतन रुकना । खं० १८५, पृ० २७३ ।
———जिले में सड़कों की निर्माण योजना । खं० १८५, पृ० ३५९ ।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में——— मेडिकल कालेज की स्थापना । खं० १८५, पृ० ११० ।
———पथ-परिषद् को दिया गया धन । खं० १८५, पृ० ५२४ ।
———में श्री जगदीश अवस्थी के विरुद्ध मुकदमा । खं० १८५, पृ० ६५४ ।

काशीपुर—
———शुगर फैक्टरी से संबंधित भ्रष्टाचार की शिकायतें । खं० १८५, पृ० २६१–२६२ ।

कुकुरमुत्ता—
रेलवे इन्जिन पुर्जा कारखाना स्थापित करने के लिये वाराणसी जिले के गांव———में भूमि लेने का निश्चय । खं० १८५, पृ० ४३०–४३१ ।

कुरावली—
मैनपुरी जिले के———टाउन को बिजली । खं० १८५, पृ० २६५–२६६ ।

कोठीभार—
गोरखपुर जिले के———थाने की पुलिस द्वारा सीमेंट पकड़ना । खं० १८५, पृ० ६४९ ।
गोरखपुर जिले में निचलौल तथा——— थानों के अन्तर्गत अपराध । खं० १८५, पृ० ६४९ ।

कोपागंज—
आजमगढ़ जिले की———टाउन एरिया में निर्वाचन कराने पर विचार । खं० १८५, पृ० २५४ ।

कोसी—
———नगरपालिका को अनुदान । खं० १८५, पृ० ३५७–३५८ ।

खटीमा—
———पावर हाउस के कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ता । खं० १८५, पृ० २५६–२५७ ।

खागा—
फतेहपुर जिले की———तहसील में बिजली देने की प्रार्थना । खं० १८५, पृ० २७४ ।

खीरी—
ग्राम बढ़वारी मांग, जिला———में फसल कटवा कर उठा ले जाने की घटना । खं० १८५, पृ० ६४०–६४१ ।
———जिला बोर्ड के अध्यापकों को वेतन न मिलने की शिकायत । खं० १८५, पृ० ६५१ ।
———जिले की पलिया थाने की पुलिस के विरुद्ध शिकायत । खं० १८५, पृ० ६४७ ।

[स्थानिक प्रश्न—खीरी—]

——जिले के वरवर घाट, गोमती नदी पर पुल निर्माण योजना। खं० १८५, पृ० ३५२।

——जिले मे बनने वाली सड़कें। खं० १८५, पृ० ३५२–३५३।

——जिले मे मंझरा तथा अन्देशनगर कृषि फार्मों के आय-व्यय का लेखा। खं० १८५, पृ० १०६–११०।

——जिले मे शारदा नदी के ऐरा घाट पर पेन्टून ब्रिज की आवश्यकता। खं० १८५, पृ० ३५६।

मंझरा फार्म, जिला——में सरकारी गन्ने की चोरी। खं० १८५, पृ० १०३–१०४।

गाजीपुर—

——के बाढ़ विभाग का तोड़ा जाना। खं० १८५, पृ० २६४।

——जिले के अतिवृष्टि तथा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में तकावी का वितरण। खं० १८५, पृ० १२–१३।

——जिले के जंगीपुर बाजार के लिये बिजली की मांग। खं० १८५, पृ० २६४।

——जिले के जंगीपुर बाजार में लगाये गये नल। खं० १८५, पृ० ३५०–३५१।

——जिले में मैनपुर-जमानिया घाट सड़क तथा गंगा पर पुल की आवश्यकता। खं० १८५, पृ० ५००।

बलिया——सड़क पर मंगई नदी के पुल निर्माण का आयोजन। खं० १८५, पृ० ५२३।

गुहांड़ प्रगाढ़—

हमीरपुर जिले में——विकास क्षेत्र पर व्यय। खं० १८५, पृ० २५–२६।

गोंडा—

——जिले में पंचायतों का अपूर्ण चुनाव। खं० १८५, पृ० ५०८।

गोरखपुर—

——जिला अदालत मे गांव सभाओं के मुकदमों की पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों व मुख्तारों को मेहनताने का न मिलना। खं० १८५, पृ० ३३८–३३९।

——जिले के कोठीभार थाने की पुलिस द्वारा सीमेंट पकड़ना। खं० १८५, पृ० ६४६।

——जिले मे गोसदन का न खुल सकना। खं० १८५, पृ० ११४।

——जिले में ग्राम वासियों को डाकू सरदार के धमकी भरे पत्र। खं० १८५, पृ० ६४६।

——जिले में थरमौली, बरगदवा व बरगदाही की डकैतियां। खं० १८५, पृ० ६४१–६४२।

——जिले में पुलिस अधिकारियों की कार्य अवधि। खं० १८५, पृ० १६।

——जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन। खं० १८५, पृ० ६३६–६३७।

——जिले मे सड़कों का निर्माण। खं० १८५, पृ० ५०६।

——जिले में सीमेंट वितरण की शिकायतें। खं० १८५, पृ० ३४७–३४८।

——में बिजली कम्पनी का ठेका। खं० १८५, पृ० २७२।

हरिद्वार में भिखारियों के लिए आश्रम तथा लखनऊ और——में अंधों के लिये स्कूल। खं० १८५, पृ० १११–११२।

गोसाईगंज—

राजकीय स्त्री चिकित्सालय——, जिला लखनऊ की महिला डाक्टर श्रीमती चन्द्रा के विरुद्ध शिकायत। खं० १८५, पृ० ३३४–३३५।

चन्दौसी—

म्युनिसिपल बोर्ड—— के अध्यक्ष के विरुद्ध स्मृतिपत्र। खं० १८५, पृ० ५०२।

चुनार——

——जिला मिर्जापुर में नजूल की भूमि से किसानों की बेदखली की शिकायत। खं० १८५, पृ० ५२०

चुर्क——

गवर्नमेंट सीमेंट फैक्टरी, ——, की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने का विचार। खं० १८५, पृ० ४३१।

——सीमेंट फैक्टरी का उत्पादन। खं० १८५, पृ० ४३६–४४०।

छिबरामऊ——

फर्रुखाबाद जिले की——तहसील से चकबन्दी के सम्बन्ध में शिकायत। खं० १८५, पृ० २६।

फर्रुखाबाद जिले में——को बिजली देने की योजना। खं० १८५, पृ० २६६।

जंगीपुर बाजार——

गाजीपुर जिले के——के लिये बिजली की मांग। खं० १८५, पृ० २६४।

गाजीपुर जिले के——में लगाये गये नल। खं० १८५, पृ० ३५०–३५१।

जलालपुर——

फैजाबाद जिले के थाना कोतवाली में हत्याओं तथा थाना——में डकैतियों की अधिकता। खं० १८५, पृ० ६४८–६४६।

जलालाबाद——

शाहजहांपुर जिले के——परगने में बाढ़ पीड़ितों को गृह-निर्माणार्थ सहायता। खं० १८५, पृ० २४–२५।

जालौन——

——जिले में डी० एस० पी० (कम्प[illegible]) द्वारा किये गये कार्य। खं० १[illegible], पृ० ६३३–६३४।

——जिले में देहाती क्षेत्र का सीमेंट कोटा अलग करने की प्रार्थ[illegible] खं० १८५, पृ० ३५४।

——जिले में विलीन क्षेत्र के [illegible] के अध्यापक। खं० १८५,

भ्रष्टाचार विरोधी समिति——के कार्य। खं० १८५, पृ० २८, २६।

जेवर——

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड—— के कार्य। खं० १८५, पृ० ३०।

जौनपुर——

गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, समोदपुर, जिला ——को केन्द्र से सहायता। खं० १८५, पृ० ६४५–६४६।

——जिले में कत्ल व डकैतियां। खं० १८५, पृ० ६४६।

——जिले में सस्ते अनाज की दूकानें। खं० १८५, पृ० ५११।

झांसी——

——जिले की ललितपुर, महरौनी तहसील में ग्राम सभाओं की भूमि। खं० १८५, पृ० ३५७।

——जिले के खेतिहर मजदूरों की दशा सुधारने के लिये प्रार्थना। खं० १८५, पृ० १०८।

——जिले के बरवासागर सब्जी व्यापार को सहकारिता के आधार पर चलाने का विचार। खं० १८५, पृ० ३५६–३५७।

——जिले में विलीन रियासतों के पेन्शनर्स को महंगाई भत्ता देने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ४३२–४३३

——में चेचक का प्रकोप। खं० १८५, पृ० १०१।

टंडई कलां——

सीतापुर जिले में ग्राम पंचायत——में गबन की जांच। खं० १८५, [illegible]

टांडा——

फैजाबाद जिले की —— तहसील राशनिंग की दूकानें खोलने लिये आदेश। खं० १८५,

[स्थानिक प्रश्न—]

टेहरी-गढ़वाल—

———की पट्टी बडियारगढ़ के वर्षा से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता। खं० १८५, पृ० ४२२—४२३।

जिला सहकारी अधिकारी ——— का डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन के सेक्रेटरी का काम करना। खं० १८५, पृ० ५२०।

——— जिले में डी० एफ० ओ० टौंस डिवीजन के कैम्प मजदूर लालदास की मृत्यु। खं० १८५, पृ० ५१५।

तहिरापुर—

ग्राम ———, थाना दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ के निवासियों का प्रार्थना-पत्र। खं० १८५, पृ० ३४७।

थरमौली—

गोरखपुर जिले में———, बरगदवा व बरगवाही की डकैतियां। खं० १८५, पृ० ६४१—६४२।

दारापुर बरेठी—

फ़र्रुखाबाद जिले के ——— गांव से चकबन्दी के खिलाफ शिकायत। खं० १८५, पृ० १५—१६।

दिल्ली—

———में "एडवोकेट आन रेकार्ड" के कार्यालय तथा आवास-गृह की योजना। खं० १८५, पृ० ९६—९७।

दुद्धी—

मिर्जापुर जिले की ———तहसील में लाख उत्पादन तथा व्यवसाय के सम्बन्ध में जांच। खं० १८५, पृ० २०।

देवरिया—

———जिलान्तर्गत केन यूनियन हाटा, पिपराइच तथा कप्तानगंज द्वारा दसगुना की मद में जमा रक़म। खं० १८५, पृ० २३—२४।

जिला सहकारी संघ ——— द्वारा भट्ठों के लिये कोयले का भाव न निश्चित करना। खं० १८५, पृ० ५२०।

———जिले के बाढ़-पीड़ित इलाके में सीमेंट, लोहा, कोयला तथा जी० सी० शीट्स का वितरण। खं० १८५, पृ० ५१९।

———जिले मे क्षय रोग पीड़ित पुलिस सिपाही। खं० १८५, पृ० ६४७।

———में समाजवादी सत्याग्रहियों पर कथित पुलिस आक्रमण। खं० १८५, पृ० ६४५।

राजकीय विद्यालय ——— के प्रधानाचार्य के प्रस्तावित आवास-स्थान की भूमि। खं० १८५, पृ० ६५४।

देहरादून—

———के सैनिक स्कूल मे प्रविष्ट विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति। खं० १८५, पृ० २४।

दोहरीघाट—

ग्राम तहिरापुर, थाना———, जिला आजमगढ के निवासियों का प्रार्थना-पत्र। खं० १८५, पृ० ३४७।

दौराला—

मोदीनगर कपड़ा मिल मजदूर संघ तथा चीनी मिल मजदूर सभा ———के रजिस्ट्रेशन का विचाराधीन मामला। खं० १८५, पृ० ११६—११७।

नवाबगंज—

बरेली जिले की ———तहसील में आग लगने से क्षति। खं० १८५, पृ० २८।

निचलौल—

गोरखपुर जिले में ——— तथा कोठी भार थानों के अन्तर्गत अपराध। खं० १८५, पृ० ६४९।

नूरी दरवाजा—

हिन्दु-मुस्लिम बताशा एसोसियेशन ———का प्रार्थना-पत्र। खं० १८५, पृ० ४३७।

नैनी—
इलाहाबाद के ———इंडस्ट्री एरिया में कारखानों को बिजली। खं० १८५, पृ० २५७—२५८।

नैनीताल—
जिला बोर्ड———को अनुदान। खं० १८५, पृ० ५२१।

नौरंगा—
कानपुर जिले के राजकीय खादी केन्द्र ———के एक कर्मचारी का वेतन रुकना। खं० १८५, पृ० २७३।

पटवाडागर—
स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट ——— से सम्बन्धित शिकायत। खं० १८५, पृ० ११८।

परौर—
शाहजहांपुर जिले के ——— थाने में फूलसिंह हवालाती की मृत्यु। खं० १८५, पृ० ६५०।

पलिया—
खीरी जिले के ———थाने की पुलिस के विरुद्ध शिकायत। खं० १८५, पृ० ६४७।

पवनी—
आजमगढ़ जिलान्तर्गत दोहरीघाट पम्प नहर में ली गई अयमा गांव ——— की भूमि की मुआवजा। खं० १८५, पृ० २५५—२५६।

पार पट्टी क्षेत्र—
इटावा जिले के———की विकास योजना। खं० १८५, पृ० ९—१०।

पीलीभीत—
ललितपुर आयुर्वेदिक कालेज, ——— के बोर्ड आफ कंट्रोल का भंग होना। खं० १८५, पृ० २५३।

प्रतापगढ़—
———जिले में विलेज लेविल वर्करों में लिये गये हरिजन। खं० १८५, पृ० २१।

———तथा सुल्तानपुर जिलों में नवीन हरिजन संस्थाओं को अनावर्त्तक अनुदान न मिलना। खं० १८५, पृ० १०७।

पी० बी० कालेज, ——— के हरिजन छात्रावास को सहायता देने का विचार। खं० १८५, पृ० १०७—१०८।

प्रयाग—
इलाहाबाद का नाम——— रखने का सुझाव। खं० १८५, पृ० १४।

फतेहपुर—
———जिले की खागा तहसील में बिजली देने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० २७४।

फ़र्रुखाबाद—
———जिले के दारापुर बरेठी गांव से चकबन्दी के खिलाफ शिकायत। खं० १८५, पृ० १५—१६।

———जिले में अग्नि पीड़ितों को सहायता। खं० १८५, पृ० १४-१५।

———जिले में छिबरामऊ को बिजली देने की योजना। खं० १८५, पृ० २६९।

सिविल कोर्ट, ——— के मातहत अमीनों की ग्रेडेशन लिस्ट की कथित शिकायत। खं० १८५, पृ० ३५३।

फिरोजाबाद—
———के कोआपरेटिव ग्लास वर्क्स को कोयला न मिल सकना। खं० १८५, पृ० ४३५।

———कोटला सड़क की खराब हालत तथा ——— तहसील में शंकरपुर में यमुना पर पुल की आवश्यकता। खं० १८५, पृ० ३३९—३४०।

फैजाबाद—
———जिले के टांडा तहसील में राशनिंग की दूकानें खोलने के लिये आदेश। खं० १८५, पृ० ३५०।

[स्थानिक प्रश्न—फैजाबाद—]

———जिले की थाना कोतवाली में हत्याओं तथा थाना जलालपुर में डकैतियों की अधिकता। खं० १८५, पृ० ६४८–६४६।

———जिले में टांडा-अकबरपुर रेलवे लाइन के पुनर्निर्माण की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ५१४।

———जिले में तालाबों और कुओं से सिंचाई पर रोक की शिकायत। खं० १८५, पृ० ४३१–४३२।

———जिले में नलकूपों के लिये बिजली की दर कम करने का सुझाव। खं० १८५, पृ० ४३१।

———जिले में हाकिम तहसीलों के विचाराधीन मुकदमे। खं० १८५, पृ० १६—२०।

बड़ियारगढ़—

टेहरी-गढ़वाल की पट्टी ——— के वर्षा से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता। खं० १८५, पृ० ४२२–४२३।

बढ़वारी मांग—

ग्राम ———, जिला खीरी में फसल कटवा कर उठा ले जाने की घटना। खं० १८५, पृ० ६४०–६४१।

बदायूं—

गुड़ स्कीम की उन्नति के लिये जिला ———में तकावी। खं० १८५, पृ० २६२–२६३।

———जिले के कुछ गांवों में फैली लैथारिज्म बीमारी के सम्बन्ध में सिविल सर्जन की रिपोर्ट। खं० १८५, पृ० ४२४—४२६।

———जिले में कोआपरेटिव फेडरेशन की बैलेन्स शीट न होना। खं० १८५, पृ० ३४८–३४६।

———जिले में कोआपरेटिव यूनियन्स द्वारा लगाये गये नलकूप। खं० १८५, पृ० २७।

———जिले में बनारी-भराउटी सड़क पर महावा नदी का पुल टूटने से कष्ट। खं० १८५, पृ० ५२१।

बम्हरौली घाट—

कानपुर जिले में अमरौधा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत ——— में सार्वजनिक कुएं का निर्माण। खं० १८५, पृ० ६।

बरगदवा—

गोरखपुर जिले में थरमौली, ——— व बरगदाही की डकैतियां। खं० १८५, पृ० ६४१–६४२।

बरगदाही—

गोरखपुर जिले में थरमौली, बरगदवा व ——— की डकैतियां। खं० १८५, पृ० ६४१–६४२।

बरमाना—

अलीगढ़ जिले के ———, हसायन में इसेन्शियल आयल योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्र। खं० १८५, पृ० २६६–२६७।

बरवा सागर—

झांसी जिले के ——— सब्जी व्यापार को सहकारिता के आधार पर चलाने का विचार। खं० १८५, पृ० ३५६–३५७।

बरेली—

जिला न्यायाधीश ———का निवास स्थान न बन सकना। खं० १८५, पृ० ३४५।

———जिले में ऊशर लगाने के लिये सहायता न मिलना। खं० १८५, पृ० ४२६।

———जिले में नदियों पर बनने वाले पुल। खं० १८५, पृ० ३५४।

——— जिले में सीमेंट का वितरण। खं० १८५, पृ० ५०४–५०५।

———नगर की हाउस ऐलाटमेंट एडवाइजरी कमेटी। खं० १८५, पृ० ३४१—३४३।

बलरामपुर—

गोंडा जिले की ——— तथा उतरौला तहसीलों में सड़कों का निर्माण। खं० १८५, पृ० ५२१।

बलिया—

——— गाजीपुर सड़क पर मंगई नदी के पुल निर्माण का आयोजन। खं० १८५, पृ० ५२३।

———जिले में अग्नि-पीड़ितों को सहायता। खं० १८५, पृ० १७।

बस्ती—

नगरपालिका, ——— को अधिक्रांत करने पर विचार। खं० १८५, पृ० ६८।

में चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव। खं० १८५, पृ० ६८।

बांसी, मेंहदावल बाजार, बाघनगर तथा ———को मिलाने वाली सड़कों को पक्की करने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ३४६—३५०।

बहजोई—

गोपाल गोशाला ———, जिला मुरादाबाद की प्रदत्त भूमि के अनुचित प्रयोग की शिकायत। खं० १८५, पृ० १०७।

बांदा—

———जिले की बबरु-अतरा रोड के निर्माण की योजना। खं० १८५, पृ० ३५५।

बांस देवरिया—

भरौली बाजार और ———में बिजली कार्यालय के कर्मचारियों के निवास स्थान के लिये ली गयी जमीन का मुआवजा न मिलना। खं० १८५, पृ० ४३३।

बांसी—

———मेंहदावल बाजार, बाघनगर तथा बस्ती को मिलाने वाली सड़कों को पक्की करने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ३४६—३५०।

बाघ नगर—

बांसी, मेंहदावल बाजार, ——— तथा बस्ती को मिलाने वाली सड़कों को पक्की करने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ३४६—३५०।

बाराबंकी—

———जिलान्तर्गत अग्नि-पीड़ितों को सहायता। खं० १८५, पृ० २७।

———जिले में नमक का आयात। खं० १८५, पृ० ३५५।

लाला बेचूलाल, निवासी ग्राम शोभापुर, थाना रामसनेही घाट, जिला ——— के यहां हुई डकैती की रिपोर्ट ठीक न लिखना। खं० १८५, पृ० ६३०—६३१।

बिजनौर—

———जिले में सड़कों की निर्माण-योजना। खं० १८५, पृ० ३५२।

बिलारी—

अयोध्या शुगर मिल्स, ———, जिला मुरादाबाद द्वारा बदायूं यूनियन का पूरा गन्ना न पेरना। खं० १८५, पृ० २५८—२५६।

बीसलपुर—

पीलीभीत जिले की ——— तहसील से जंगलात के हकूक के लिये प्रार्थना-पत्र। खं० १८५, पृ० ५२३।

बुधबन—

रायबरेली जिले में ग्राम समाज,———, गोविन्दपुर, पूरनपुर तथा तेजूमंव की बंजर भूमि। खं० १८५, पृ० २६।

बुलन्दशहर—

———जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का वितरण। खं० १८५, पृ० ४२८।

———जिले में उद्योग धंधों के लिये दिया गया धन। खं० १८५, पृ० २६८—२६६।

———जिले में कत्ल व डकैतियां। खं० १८५, पृ० ६४६।

———जिले में पक्की की जाने वाली सड़कें। खं० १८५, पृ० ५१५—५१६।

———बस स्टेण्ड के मेण्टिनेन्स शेड का गिर जाना। खं० १८५, पृ० १६।

[स्थानिक प्रश्न—]

भटनी—

——चीनी मिल को पुनः चालू करने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ४३१।

भटौली बाजार—

——और बांस देवरिया में बिजली कार्यालय के कर्मचारियों के निवास स्थान के लिये ली गई जमीन का मुआवजा न मिलना। खं० १८५, पृ० ४३३।

भर्थना—

इटावा जिले में——टाउन एरिया का गन्दा पानी निकालने की व्यवस्था के लिए प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ३५५।

भोगांव—

मैनपुरी जिले की——तहसील में ओला पीड़ितों को सहायता। खं० १८५, पृ० २६–२७।

मंझरा—

खीरी जिले में——तथा अन्वेशननगर कृषि फार्मों के आय-व्यय का लेखा। खं० १८५, पृ० १०९–११०।

मऊ—

——पावर हाउस के गन्दे पानी की निकासी का ड्रेन टूट जाना। खं० १८५, पृ० २५४–२५५।

मथुरा—

——जिले के उद्योग धंधे। खं० १८५, पृ० २७४–२७५।

——जिले में खैराल कृष्णनगर खादर क्षेत्र में जंगलात के कारण डकैतियां। खं० १८५, पृ० ६५१।

——जिले में माल विभाग के मुकदमों के फैसले में देरी। खं० १८५, पृ० १२।

महरौनी—

झांसी जिले की——तथा ललितपुर तहसीलों में जंगल विभाग का आय-व्यय। खं० १८५, पृ० ५०७।

झांसी जिले की ललितपुर, —— तहसील में ग्राम सभाओं की भूमि। खं० १८५, पृ० ३५७।

——झांसी जिले की ललितपुर तहसील में सड़कों में कमी। खं० १८५, पृ० ५२२–५२३।

झांसी जिले की ललितपुर व—— तहसीलों में ओला पीड़ितों को सहायता। खं० १८५, पृ० २५।

माधुरी कुण्ड—

कृषि फार्म, ——के ट्रैक्टर। खं० १८५, पृ० १०५–१०६।

मिर्जापुर—

——जिले में नलकूपों की आवश्यकता। खं० १८५, पृ० ४३६।

——जिले में बाढ़, पत्थर तथा गेरुई रोग से क्षति ग्रस्त क्षेत्र में सहायता। खं० १८५, पृ० ११–१२।

——डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव कराने की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० ५०२।

——में गंगा नदी पर पुल बनाने की योजना। खं० १८५, पृ० ५१४।

मुजफ्फरनगर—

——जिले में अति वृष्टि। खं० १८५, पृ० ९८।

——जिले में सिंचित भूमि। खं० १८५, पृ० ४२६।

——जिले में सीमेंट का वितरण। खं० १८५, पृ० ३५३।

मुरादाबाद—

अयोध्या शुगर मिल्स बिलारी, जिला ——द्वारा बदायूं यूनियन का पूरा गन्ना न पेरना। खं० १८५, पृ० २५८–२५९।

गोपाल गोशाला बहजोई, जिला—— को प्रदत्त भूमि के अनुचित प्रयोग की शिकायत। खं० १८५, पृ० १०७।

——जिले में धारा १०६ व ११० सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत चालान । खं० १८५, पृ०, ६५०—६५१ ।

सूती मिल——को पुनः चालू करने की प्रार्थना । खं० १८५, पृ० १०८ ।

मुहम्मदाबाद-गोहना—

टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल——, जिला आजमगढ़ में फ्लड शेल्टर न बन सकना । खं० १८५, पृ० ६५० ।

मेंहदावल बाजार—

बांसी, ——, बाघनगर तथा बस्ती को मिलाने वाली सड़कों को पक्की करने की प्रार्थना । खं० १८५, पृ० ३४६—३५० ।

मेरठ—

——जिले में ईंट के भट्ठों को कोयला । खं० १८५, पृ० ५०८ ।

मैनपुरी—

——जिले के कुरावली टाउन को बिजली । खं० १८५, पृ० २६५—२६६ ।

——जिले के नलकूप । खं० १८५, पृ० ४२६ ।

मोदीनगर—

——कपड़ा मिल मजदूर संघ तथा चीनी मिल मजदूर सभा, दौराला के रजिस्ट्रेशन का विचाराधीन मामला । खं० १८५, पृ० ११६-११७ ।

मौदहा—

हमीरपुर जिले की——टाउन एरिया में गंदगी को दबाने का प्रबन्ध न होना । खं० १८५, पृ० ५२३ ।

हमीरपुर जिले की——तहसील में वनगायों को पकड़वाने की योजना । खं० १८५, पृ० ११०—१११ ।

राठ—

हमीरपुर जिले की——तहसील में सड़कों की निर्माण योजना । खं० १८५, पृ० ३४४—३४५ ।

राम नगर—

प्रेसीडेन्ट, नोटिफाइड एरिया कमेटी, ——के विरुद्ध शिकायतों की जांच रिपोर्ट । खं० १८५, पृ० ५२० ।

रामनगर लहबड़ा गांव—

खीरी जिलान्तर्गत——में बिना लगानी भूमि । खं० १८५, पृ० २१ ।

रामसनेहीघाट—

लाला बेचूलाल, निवासी ग्राम शोभापुर, थाना——, जिला बाराबंकी के यहां हुई डकैती की रिपोर्ट ठीक न लिखना । खं० १८५, पृ० ६३०—६३१ ।

हैदरगढ़ व——तहसीलों में अग्रिम लगान से वसूली । खं० १८५, पृ० २८ ।

रुद्रपुर—

नैनीताल जिले में——ग्राम को टाउन एरिया बनाने पर विचार । खं० १८५, पृ० १०—११ ।

लखनऊ—

गवर्नमेंट प्रिसीजन फैक्टरी, —— में माइक्रोप सेक्शन के कारीगरों के वेतन के सम्बन्ध में शिकायत । खं० १८५, पृ० ४२६ ।

गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद तथा——में शिड्यूल्ड कास्ट के कर्मचारी । खं० १८५, पृ० २७५ ।

भोपाल हाउस रिफ्यूजी मार्केट, ——का किराया । खं० १८५, पृ० ३४० -३४१ ।

राजकीय स्त्री-चिकित्सालय गोसाईंगंज जिला —— की महिला डाक्टर श्रीमती चन्द्रा के विरुद्ध शिकायत । खं० १८५, पृ० ३३४—३३५ ।

विशेष पदाधिकारी , राजनीतिक पेन्शन विभाग, , का कांग्रेसी कमेटी आजमगढ़ को पत्र । खं० १८५, पृ० ४२३—४२४ ।

[स्थानिक प्रश्न--लखनऊ--]

हरिद्वार में भिखारियों के लिए आश्रम तथा ------और गोरखपुर में अंधों के लिये स्कूल । खं० १८५, पृ० १११-११२ ।

लखीमपुर---

------जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों द्वारा अनशन । खं० १८५, पृ० ३३६ ।

------में जूट गोदाम में आग लगने से क्षति । खं० १८५, पृ० १०७ ।

------में सम्पूर्णानगर उपनिवेश में ली गयी जमीन का मुआवजा । खं० १८५, पृ० १०८-१०९ ।

ललितपुर---

------आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत के बोर्ड आफ कंट्रोल का भंग होना । खं० १८५, पृ० २५३ ।

झांसी जिले की------तहसील में, सड़कों में कमी । खं० १८५, पृ० ५२२-५२३ ।

झांसी जिले की महरौनी तथा------ तहसीलों में जंगल विभाग का आय-व्यय । खं० १८५, पृ० ५०७ ।

झांसी जिले की------महरौनी तहसील में ग्राम सभाओं की भूमि । खं० १८५, पृ० ३५७ ।

झांसी जिले की------व महरौनी तहसीलों में ओला पीड़ितों को सहायता । खं० १८५, पृ० २५ ।

वसमोपायर---

गोंडा जिले के------परगने में चिकित्सालय का न होना । खं० १८५, पृ० ११५ ।

बरबर घाट---

खीरी जिले के------, गोमती नदी पर पुल निर्माण योजना । खं० १८५, पृ० ३५२ ।

वाराणसी---

------औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित ओवरसियरों को मान्यता देने पर विचार । खं० १८५, पृ० ३३६ ।

------के बेनियाबाग में पुलिस दंगल के अवसर पर दंगा । खं० १८५, पृ० ६४९ ।

------जिले में श्रमदान द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता । खं० १८५, पृ० १२ ।

रेलवे इन्जिन पुर्जा कारखाना स्थापित करने के लिये------जिले के गांव कुकुरमुत्ता में भूमि लेने का निश्चय । खं० १८५, पृ० ४३०-४३१ ।

व्युरीगाड़---

नैनीताल तहसील में ग्राम------की पाइप लाइन । खं० १८५, पृ० २२-२३ ।

शंकरपुर---

फीरोजाबाद-कोटला सड़क की खराब हालत तथा फीरोजाबाद तहसील ------में यमुना पर पुल की आवश्यकता । खं० १८५, पृ० ३३९-३४० ।

शाहगंज---

श्री धनपति सिंह टंडन, आनरेरी मैजिस्ट्रेट, ------जिला जौनपुर की नियुक्ति पर आपत्ति । खं० १८५, पृ० ५१७-५१८ ।

शाहजहांपुर---

------के स्टेट बैंक का स्थानान्तरण । खं० १८५, पृ० ४२७ ।

------जिले के जलालाबाद परगने में बाढ़-पीड़ितों को गृह-निर्माणार्थ सहायता । खं० १८५, पृ० २४-२५ ।

------जिले के परौर थाने में फूलसिंह हवालाती की मृत्यु । खं० १८५, पृ० ६५० ।

------जिले में नवनिर्वाचित ग्राम पंचायतों की मान्यता देने में विलम्ब । खं० १८५, पृ० ३४३-३४४ ।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड------के अध्यापकों को वेतन-वृद्धि न मिलना । खं० १८५, पृ० ५२२ ।

प्लानिंग अफ़सर श्री उमेशदत्त शुक्ल के———जिले में अधिक समय तक रहने पर आपत्ति। खं० १८५, पृ० १८।

——— बिजली कम्पनी के चार्जेज। खं० १८५, पृ० २६२।

———में वाटर वर्क्स बनाने की योजना। खं० १८५, पृ० ३५०।

शोभापुर——

लाला वेचूलाल, निवासी ग्राम———, थाना रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी के यहां हुई डकैती की रिपोर्ट ठीक न लिखना। खं० १८५, पृ० ६३०—६३१।

समोदपुर——

गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ———जिला जौनपुर को केन्द्र से सहायता। खं० १८५, पृ० ६४५—६४६।

सहारनपुर——

———जिले के अब्दुल्ला ग्राम की डकैती। खं० १८५, पृ० ६५३।

———जिले में सीमेंट का कोटा। खं० १८५, पृ० ३५१।

सिसवा बाजार——

गोरखपुर जिले के———की ड्रेनेज योजना। खं० १८५, पृ० ५१६—५१७।

सीतापुर——

———जिले में ग्राम-पंचायत टंडई कलां में गबन की जांच। खं० १८५, पृ० ३५८—३५९।

सुलमपुर——

गाजीपुर जिले के———गांव में श्री शंकर जी के शिवालय के जीर्णोद्धार की प्रार्थना। खं० १८५, पृ० १६।

सुलतानपुर——

प्रतापगढ़ तथा———जिलों में नवीन हरिजन संस्थाओं को अनावर्त्तक अनुदान का न मिलना। खं० १८५, पृ० १०७।

सोहावल——

———बिजली घर से नलकूपों को पर्याप्त बिजली न मिलना। खं० १८५, पृ० ४३५।

हमीरपुर——

———जिले की मौदहा तहसील में वनगायों को पकड़वाने की योजना। खं० १८५, पृ० ११०—१११।

———जिले की राठ तहसील में सड़कों की निर्माण योजना। खं० १८५, पृ० ३४४—३४५।

———जिले में राठ—महोबा सड़क पर छुनेसर नदी के पुल निर्माण की योजना। खं० १८५, पृ० ५२२।

———जिले में सिंचाई की शरह में कमी के लिये प्रार्थना। खं० १८५, पृ० २७१।

हरदोई——

———जिले के बिलग्राम क्षेत्र में विधान सभा के उपचुनाव में बस का चालान। खं० १८५, पृ० २४६।

———जिले में डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन की ओर से चालू भट्ठे। खं० १८५, पृ० ५०५।

———जिले में डी० सी० डी० एफ० का सुपरसीड होना। खं० १८५, पृ० ३५५।

———जिले में डेरी खोलने के लिये तकावी। खं० १८५, पृ० ११६।

जुडीशियल तथा आनरेरी मैजिस्ट्रेट जिला———की अदालतों के मुकदमे। खं० १८५, पृ० ५१३।

हरिद्वार——

———में भिखारियों के लिए आश्रम तथा लखनऊ और गोरखपुर में अंधों के लिये स्कूल। खं० १८५, पृ० १११—११२।

हल्द्वानी——

———तहसील में जलकष्ट निवारणार्थ कार्य। खं० १८५, पृ० ४३८—४३९।

[स्थानिक प्रश्न—हल्द्वानी]

——भावर, जिला नैनीताल में स्वच्छ जल का अभाव। खं० १८५, पृ० ५२१।

——शहर का अस्पताल। खं० १८५, पृ० ११३–११४।

हसायन—

अलीगढ़ जिले के परमाना —— में इसेन्शियल ग्रायल योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्र। खं० १८५, पृ० २६६–२६७।

हाथरस—

——क्षेत्र में चकबन्दी का कार्य। खं० १८५, पृ० २३।

हैदरगढ़—

——व रामसनेही घाट तहसीलों में अग्रिम लगान से वसूली। खं० १८५, पृ० २८।

स—(क्रमागत)

स्थायी—

प्र० वि०—पंचायत मंत्रियों को—— न करना। खं० १८५, पृ० ३५५–३५६।

स्थायी प्रबन्ध—

प्र० वि०—इलाहाबाद जिले के देहाती इलाके में आग बुझाने का—— करने का सुझाव। खं० १८५ पृ० ६२९–६३०।

स्थायी समितियों—

कतिपय—— तथा बोर्डों के निर्वाचनार्थ नाम वापसी के समय में वृद्धि। खं० १८५, पृ० १३२।

स्मृति-पत्र—

प्र० वि०—म्युनिसिपल बोर्ड चन्दौसी के अध्यक्ष के विरुद्ध—। खं० १८५, पृ० ५०२।

स्वतंत्रता संग्राम—

प्र० वि० ——के सैनिकों को पेंशन मिलने में विलम्ब। खं० १८५, पृ० ६३९–६४०।

स्वास्थ्य मंत्री दान कोष—

प्र० वि०——में रखी हुई रकम का कवाल टाउन्स में वितरण। खं० १८५, पृ० ११४।

हकूक—

प्र० वि०—पीलीभीत जिले की बीसलपुर तहसील से जंगलात के——क लिये प्रार्थना-पत्र। खं० १८५, पृ० ५२३।

हड़ताल—

सहारनपुर नगरपालिका के भंगियों की——के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १८५, पृ० ३६३।

हत्याओं—

प्र० वि०—फैजाबाद जिले के थाना कोतवाली में—— तथा थाना जलालपुर में डकैतियों की अधिकता। खं० १८५, पृ० ६४८–६४९।

हरदयाल सिंह, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

हरदेव सिंह, श्री—

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक—५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान। खं० १८५, पृ० ५९२–५९३।

हरिजन—

प्र० वि०—प्रतापगढ़ जिले में विलेज लेविल वर्करों में लिए गए——।
खं० १८५, पृ० २१।

हरिजन छात्रावास—

प्र० वि०—पी० बी० कालेज, प्रतापगढ़ के——को सहायता देने का विचार। खं० १८५, पृ० १०७–१०८।

हरिजन संस्थाओं—

प्र० वि०—प्रतापगढ़ तथा सुल्तानपुर जिलों में नवीन——को अनावर्तक अनुदान का न मिलना। खं० १८५, पृ० १०७।

हरिदत्त कांडपाल, श्री——
१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २२——लेखा शीर्षक ४०——उपनिवेशन। खं० १८५, पृ० १२४–१२५।

हरिश्चन्द्र सिंह, श्री——
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या १५——लेखा शीर्षक २७——न्याय प्रकाशन। खं० १८५, पृ० ६८६, ६८७, ७०१।

हरी सिंह, श्री——
१९५७-५८ के आय-व्ययक मे अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या ४०——लेखा शीर्षक ५७——अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान। खं० १८५, पृ० ५९६–५९८।

हवालाती——
प्र० वि०——शाहजहांपुर जिले के परौर थाने में फूलसिंह ——की मृत्यु। खं० १८५, पृ० ६५०।

हाई कोर्ट——
प्र० वि०——इलाहाबाद——की लखनऊ बेंच में १९५४-५५ में दायर सिविल अपीलें। खं० १८५, पृ० ३५४।

प्र० वि०——इलाहाबाद——मे दीवानी की विचाराधीन अपीलें। खं० १८५, पृ० ५०२।

प्र० वि०——प्रदेशीय—— ——में विचाराधीन मुकदमे। खं० १८५, पृ० ३४५-३४६।

प्र० वि०——सेल्स टैक्स संबंधी विज्ञप्ति का ——द्वारा अवैध करार दिया जाना। खं० १८५, पृ० २७४।

हाउस एलाटमेंट एडवाइजरी कमेटी——
प्र० वि०——बरेली नगर की——।
खं० १८५, पृ० ३४१–३४३।

हाउस बिल्डिंग——
प्र० वि०——आगरे में [illegible] लिमिटेड की —— [illegible] खं० १८५, पृ० ४०३

हाकिम तहसीलों——
प्र० वि०——फैजाबाद जिले में—— ——के विचाराधीन मुकदमे। खं० १८५, पृ० १९–२०।

हाथ करघे——
प्र० वि०—— ——के बने कपड़ों पर कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा बिक्री पर छूट। खं० १८५, पृ० ४२२।

हानि——
प्र० वि०——गवर्नमेंट हैन्डीक्राफ्ट को——पर चलान में आपत्ति। खं० १८५, पृ० २६९–२७१।

हायर सेकेण्डरी स्कूलों——
प्र०वि०—आजमगढ़ जिला निरीक्षक के कार्यालय से ——के पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति। खं० १८५, पृ० ११९।

हाहानाला——
प्र० वि०——आजमगढ़ जिले में——पर रेगुलेटर लगाने में विलम्ब। खं० १८५, पृ० २५६।

'हिन्दी'——
प्र०वि०—अंग्रेजी का स्थान——को देने के लिए कार्य। खं० १८५, पृ० ९९–१००।

हिन्दी परामर्शदात्री समिति ——
प्र० वि०—— ——के पुनः संगठन पर विचार। खं० १८५, पृ० ६४६-६४७।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन——
——(पुनः संगठन) (संशोधन) विधेयक, १९५७। खं० १८५, पृ० ६५५।

हिन्दू-मुस्लिम बताशा एसोसिएशन——
प्र०वि०——नूरी दरवाजा का प्रार्थना-पत्र। खं० १८५, पृ० ४३७।

हिम्मत सिंह श्री ——
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

[स्थानिक प्रश्न---हिम्मत सिंह, श्री---]

१९५७-५८ के आय-व्यय के में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १५---लेखा शीर्षक २७---न्याय प्रशासन । खं० १८५, पृ० ६९४-६९५ ।

अनुदान संख्या २१---लेखा शीर्षक ४०---कृषि संबंधी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५---लेखा शीर्षक ७१---कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत । खं० १८५, पृ० ३०५ ।

हिल एलाउंस---

प्र०वि०---सरकारी कर्मचारियों को------देने की सिफारिश । खं० १८५, पृ० २५३ ।

हुकुम सिंह विसेन, श्री---

१९५७-५८ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १९---लेखा शीर्षक ३८---चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०---लेखा शीर्षक ३९---जन स्वास्थ्य । खं० १८५, पृ० ३६५, ३६६, ३७१, ३७२ ३७८, ३८७, ३९२, ३९३, ४००--४०७ ।

अनुदान संख्या २१---लेखा शीर्षक ४०---कृषि संबंधी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५---लेखा शीर्षक ७१---कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत । खं० १८५, पृ० २९४, ३०८ ३११, ३१३, ३१८, ३२१ ।

अनुदान संख्या २३---लेखा शीर्षक ४१---पशु चिकित्सा । खं० १८५, पृ० २८४, २९१--२९२, २९३--२९४ ।

"नेशनल हेराल्ड" में कृषि मंत्री के भाषण को गलत ढंग से प्रकाशित करने पर कृषि मंत्री द्वारा आपत्ति । खं० १८५, पृ० ३६५ ।

हेड कान्स्टेबिलों---

प्र०वि०---पुलिस कांस्टेबिलों एवं---की यूनियन, अधिक कार्य के लिये भत्ता तथा पदोन्नति के संबंध में पूछताछ । खं० १८५, पृ० ६३४-६३६ ।

हेडक्लर्क---

प्र०वि०---बदायूं जिला हेल्थ आफिसर के कार्यालय के------का तबादला । खं० १८५, पृ० ११७ ।

हेल्थ आफिसर के कार्यालय---

प्र० वि०---बदायूं जिला------के हेड क्लर्क का तबादला । खं० १८५, पृ० ११७ ।

हैजे---

बलिया जिले में गेस्ट्रो इन्ट्राइटिस एवं------से ५०० व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १८५, पृ० १२० ।

हैण्डीक्राफ्ट्स---

प्र० व०--- ------को प्रोत्साहन देने के लिये सहकारी समितियां स्थापित करने का विचार । खं० १८५, पृ० ४३७--४३८ ।

प्र० वि०---सरकारी------की दुकान इन्दौर प्रदर्शनी में ले जाने पर व्यय । खं० १८५, पृ० २६४-२६५ ।

होरी लाल यादव, श्री---

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

१९५७-५८ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ४७---लेखा शीर्षक ८१---राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण--कार्यों का पूंजी लेखा । खं० १८५, पृ० ४७-४८ ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०---१८८ एल० ए०---१९५८---८१० ।